

July to September 2025
E-Journal
Volume I, Issue LI (51)

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 8.054
ISO 9001:2015 - E2024049304
(Quality Management System)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

Index

01. Index	02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03. Referee Board	10
04. Spokesperson	12
05. Medicinal Value and Relevance of Jackfruit Tree and Leaf (Akhilesh Chandra Verma)	14
06. Eco-Economic Valuation of Forest-Based Plant Biodiversity and Its Linkages with Human Health: A Commerce-Based SDG Analysis (Anant Kumar Garg)	18
07. Performance Evaluation of IDBI BANK: Financial and Sustainability Metrics Analysis (Dr. Anita Maheshwari)	21
08. Nano-Chemistry and its Applications (Mrs. Parul Singh)	26
09. Impact of Mobile Use on Food Habits of Children Between 6 To 12 Years (Priya Rani, Dr. Lakshmi Agnihotri)	32
10. Study of Impact Over Environment Air Quality and Side Products Due to Recycling of Tyres (Akhilesh Chandra Verma)	37
11. Comparative Evaluation of Customer Satisfaction in E-Commerce and Conventional Retail with Special Reference to Ujjain Division (Neha Singh, Dr. L. N. Sharma)	42
12. Emerging Challenges to National Security (Dr. Swati Thakur)	45
13. महिलाये एवं अपराध : एक सामाजिक अध्ययन (डॉ. पूजा तिवारी)	48
14. प्राचीन भारत में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का प्रभाव: एक ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. जे.के. संत)	51
15. नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल का अध्ययन (योगेन्द्र कुमार ठगेले)	54
16. ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं की भूमिका का अध्ययन (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में) (डॉ. राकेश कुमार दिलावरे)	57
17. भारत में डिजिटल इंडिया की अवधारणा एवं इसके प्रभाव (डॉ. पुष्पा नागर, श्रीमती रंजना शक्तावत)	59
18. स्वच्छ इंदौर अभियान - प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से अध्ययन (डॉ. दीपा जोशी)	61
19. भारतीय परिप्रेक्ष्य में वृद्धावस्था की सामाजिक चुनौतियाँ : एक समकालीन विश्लेषण (डॉ. श्रुति त्रिपाठी)	65
20. कामकाजी महिलाओं की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (नागेश्वरी कुमारी)	67
21. नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव (दीपिका शर्मा)	70
22. महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला (वासुदेव एक्का, डॉ. बहुरन सिंह पटेल)	73
23. मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण : महिलाएं आंतरिक शक्ति और बाहरी प्रभाव (डॉ. फरहत मंसूरी)	75
24. शरद मिश्र के काव्य में शिल्प के प्रतिमान (अभिषेक एडे, डॉ. नीना उपाध्याय)	78
25. वैदिक-सृष्टि संरचना एवं स्वरूप (डॉ. नलिनी तिलकर)	82
26. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य का मार्ग (डॉ. नीता मोर्य)	84
27. Impact of Socio-Economic Offences in India : Analyzing Legal Mechanisms for Prevention and Redress (Raghvendra Joshi)	87

28.	Histochemical Alterations in the Gills of Fingerlings of Tilapia Mossambica Caused by 90	Herbicide "Pursuit" (Dr. Kamlesh Ahirwar)
29.	A Comparative Study of Aerobic Fitness Between U-22 and Senior Male Division-Level 92	Cricket Players (Tarun Rawat, Rahul Barod, Pooja Rawat)
30.	लोकसंस्कृते: मूलतत्त्वानि (अश्वनी, डॉ. बहुरन सिंह पटेल) 95	
31.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के 98	विशेष संदर्भ में एक अध्ययन (लखन शर्मा)
32.	आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका और जागरूकता का मूल्यांकन: इंदौर शहर 103	के लेखाकारों के विशेष सन्दर्भ में (डॉ. रेणुका पाटीदार)
33.	मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव (डॉ. विनेता) 107	
34.	पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव 110	का अध्ययन (डॉ. उत्तरांजलि बिष्ट)
35.	उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग का संबंध : 113	एक अध्ययन (श्रीमती योगिता गौर, डॉ. राखी शर्मा)
36.	Freedom of Speech Vs. Online Hate Speech in India (Dr. Sunita Shrivastava) 116	
37.	कबीर का समाज दर्शन: मध्यकालीन भारत में एक क्रांतिकारी स्वर (डॉ. राजाराम परते) 124	
38.	भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन 126	(विजया लक्ष्मी जोशी)
39.	उच्च शिक्षण संस्थानों का आर्थिक विकास में योगदान मध्य प्रदेश के मालवा के आगर मालवा जिले एवं 130	निमाड़ के खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में (डॉ. मितेश चौधरी, सपना सोनी)
40.	स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास 135	(डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा, जागेन्द्र कुमार कुशवाहा)
41.	वन्या कहानी संग्रह में आदिवासी स्त्री चरित्र के जीवन का यथार्थ चित्रण (हिमांशु नागदा, डॉ. विजयलक्ष्मी पोद्दार) 137	
42.	A Critical Study of Impact of Narcotic Drugs and on Society and Human Rights 141	(Manudev Patidar, Dr. Balasaheb Garje)
43.	डिग्री से बड़ी है कौशल, एक प्रशिक्षक की नजर से (श्रीमती ज्योतिबाला राठौर) 146	
44.	Empowering the Girl Child: Evaluating the Role of Frontline Workers in the Beti Bachao 148	Beti Padhao Scheme in Rural Datia, Madhya Pradesh (Dr. Jaishree Trivedi, Mona Pandey)
45.	A Brief Study of Nesting Material and Nesting Behaviour in Pigeon (<i>Columba livia</i>) 153	(Dr. Balram Das Anand, Shree Ram Rolaniya)
46.	Transport Geography and Regional Connectivity: A Comparative Case Study of Dhar 159	and Alirajpur Districts, Madhya Pradesh, India (Dr. Shilpi Verma)
47.	गृह ऋण योजनाओं में ग्राहक संबंध प्रबंधन का महत्व और प्रभाव (डॉ. समता मेहता, सुनिता गणावा) 161	
48.	A Chemical-Toxicology Perspective on Chemical Dyes in Bhopal's Fabric Industry 165	(Dr. Rashmi Sharma, Dr. Manisha Singh, Abhishek Shandilya)
49.	Pedagogical Readiness of Teachers for ICT-Enabled Classroom Processes 169	(Rajkumari Rathore, Dr. Rajesh Kumar)
50.	मुगलकालीन भारतीय दरबारियों का ऐतिहासिक अध्ययन (बाबर से बहादुर शाह जफर द्वितीय तक) 172	(डॉ. आकाश ताहिर)

51.	राजस्थान में जनशिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता (डॉ. रतन लाल सुथार)	175
52.	Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin level..... among Early Adolescent Girls (Vishakha Nagar, Dr. Lakshmi Agnihotri)	177
53.	वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान (प्रभा घुरे)	182
54.	बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्याएँ एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन (डॉ. सुषमा)	184
55.	भारतीय इतिहास में मथुरा कला का योगदान (डॉ. शुभम शिवा, देवेन्द्र पाल सिंह)	186
56.	सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक समीक्षा (डॉ. राजकुमार नागवंशी)	189
57.	मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयीय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन (डॉ. मोनिका)	192
58.	Screen Addiction: A Threat to the World, Specially to Children (Dr. Monisha Biswal).....	195
59.	झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन (सुनीता सोलंकी, डॉ. लक्ष्मी अग्निहोत्री)	200
60.	महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका (कु. स्तुति झा, डॉ. विभा वासुदेव)	207
61.	Breaking Barriers: Law & Gender Equality (Dr. Pushpanjali Pandey).....	209
62.	महिला सशक्तिकरण : चुनौतियाँ एवं समाधान (डॉ. डी.पी. कुशवाहा, डॉ. मंजू कुशवाहा)	215
63.	एक परिपक्व सामाजिक संवेदना - 'कसक' (गीतांजलि श्री) (डॉ. मनीषा सिंह मरकाम)	221
64.	लोक संस्कृति का बदलता स्वरूप (अक्षय कुमार, डॉ. मनीषा सिंह मरकाम)	223
65.	Chemical Fingerprinting of Root Extracts from <i>Withaniasomnifera</i> . (Dr. Ragini Sikarwar)	225
66.	पर्यटन विकास में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका (डॉ. राम सिंह धुर्वे)	228
67.	सरोगेसी : महिला शोषण का कुचक्र (नरेन्द्र सिंह पंवार)	232
68.	जीएसटी सुधार, आम परिवारों के लिये बचत बढ़ाने और समृद्धि देने वाला उपहार (डॉ. रणजीत सिंह रावत)	234
69.	श्रीमद्भगवद्गीता में योग (इन्दु पटेल, प्रो. वेदप्रकाश मिश्र)	236
70.	Integrating Traditional Wisdom and Modern Strategies for Flood Disaster Management: An Indian Knowledge System Perspective (Koshlendra Singh)	239
71.	तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति : समाज का बदलता चेहरा (हेमन्त कुमार जैन)	242
72.	वैदिक (हिन्दू) संस्कारों की वैज्ञानिकता व समाजोपयोगिता (सुमित्रा राणावत)	244
73.	शहडोल संभाग के समाजार्थिक एवं सांस्कृतिक विकास परिदृश्य का ऐतिहासिक अध्ययन (लेफ्टिनेंट डॉ. राजेश कुमार ठाकुर, शिव कुमार हल्दकार)	248
74.	किशोरों एवं युवाओं के मध्य बाल संरक्षण संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता पर एक अध्ययन: भोपाल जिले के विशेष संदर्भ के साथ (सुनील सेन, डॉ. दीपक गर्ग)	252
75.	शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का कार्य के प्रति दृष्टिकोण : सर्वेक्षण आधारित अध्ययन (डॉ. उमा श्रीवास्तव)	254
76.	Development of Women's Education in Uttar Pradesh: A Decadal Analysis of Progress, Persistent Gaps, and Policy Imperatives (2001-2011 Census Data) (Aparna Mishra, Vineeta Rani Kushwaha)	257
77.	सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में सलखन जीवाश्म पार्क का एक भौगोलिक अध्ययन : चुनौतियाँ व समाधान (डॉ. रमन प्रकाश, लाल कुमार साकेत)	260

78.	The Raj Imagined: Orientalist Tropes in Rudyard Kipling's Kim (Pr Minu Gidwani)	263
79.	A Comparative Study of Social Media Activism Across Generations (Dr. Prashant Kumar)	269
80.	मध्य प्रदेश में जुवेनाइल न्याय प्रणाली का कानूनी आलोचनात्मक विश्लेषण (मोहित श्रीवास्तव, योगेश वामंकर)	272
81.	सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता एवं व्यक्तित्व गुणों का तुलनात्मक अध्ययन (विशाल कुमार, डॉ. संजीव कुमार)	276
82.	Regional Parties and the Dynamics of Coalition Politics in India (Neeraj)	279
83.	आधुनिक जीवन में फास्ट फूड उपभोग का प्रभाव (दमोह शहर के संदर्भ में) (डॉ. आराधना श्रीवास)	283
84.	रंगमंच की पृष्ठभूमि और हिन्दी साहित्य में रंगमंच परम्परा (डॉ. रोशनलाल अहिरवार)	287
85.	स्त्री-आत्मकथाओं का मूल्यांकन (राजकुमार अहिरवार)	290
86.	स्वामी दयानन्द सरस्वती : वैदिक पुनर्जागरण के अग्रदूत (डॉ. सुमित मेहता)	296
87.	ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन (प्रो. आरती बारोटिया)	299
88.	Constitutional Protection to the Transgender Community in India (Pawan Kumar Chaurasia)	302
89.	Personal Law Versus Constitutional Mandate: Analyzing Gender Justice in Divorce Provisions across Religious Communities in India (Jyoti Payasi, Dr. Rajat Kumar Satapathy)	304
90.	Freedom of Speech and Expression: An Overview of the Main Theories (Mr. Anadi Silawat)	309
91.	भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव (लखन लाल कलेशरिया)	314
92.	Digital Relationship Strategies in Banking: A Comparative Study of E-CRM Practices between Nationalised and Private Banks in Bhopal (Pragya Chouhan, Dr. L. N. Sharma)	318
93.	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राष्ट्रीय एकता अखण्डता से संबंधित प्रस्ताव (ई.सन 1950 से ई.सन् 2000 के विशेष संदर्भ में) (रणधीर झा, अन्नु झा, जैमिनी खानवे)	321
94.	Harnessing the Sun: An Analysis of the Potential, Impact, and Implications of Solar Energy in Rajasthan, India (Atul Parmar, Dr. Laxman Lal Parmar)	324
95.	जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन (मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में) (कपिल डामर)	327
96.	भारत में किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक: एक कानूनी और समाजशास्त्रीय अध्ययन (श्रीमती प्रीती बुंदेला, डॉ. राम सिंह पटेल)	330
97.	Vishakha as a Symbol of Objectification: A study of Girish Karnad's "The Fire and The Rain" ... (Dr. Sanjay Singh Solanki)	333
98.	प्राचीन भारतीय इतिहास एवं साहित्य में लोकतंत्र (डॉ. आशुतोष कुमार मिश्रा)	335
99.	मालती जोशी की कहानियों में नारी संवेदना (डॉ. मंजुलता चौधरी)	340
100.	बस्तर दशहरा का जनजातीय समाज एवं स्थानीय लोगों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (डॉ. मीनाक्षी तिवारी)	342
101.	माँ महामाया मंदिर, अम्बिकापुर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनिक महत्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. अंजू तिवारी, अभिषेक वर्मा)	345
102.	छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का विकास एवं प्रभाव (डॉ. महेश कुमार शुक्ला, अमित कुमार)	347
103.	सरदार वल्लभभाई पटेल और उनकी जेल यात्राएँ (भावना पाटीदार)	350

104. The Evolution of Feminist Thought in Indian English Fiction: A Study of Feminine 352	Consciousness in the Novels of <i>Shashi Deshpande</i> (Mr. Ankit)
105. A Study on Soft and Technical Skills Enhancing Employability of Management Graduates 355	(Mehvish Khan, Dr. Atul Loomba)
106. Comparative Study of Aerobic Capacity and Muscular Endurance Between Hockey Players 362	and Non-Players in College Students Belonging to Tribal Communities of Rajasthan (Nahar Singh Jhala, Dr. Bhawanipal Singh Rathore)
107. Insight into the Fundamental Duties of the Indian Constitution: Emerging Issues, ... 366	and Enforceability Debate (Ms. Noopur Airen)
108. दलितों की कुंठा (डॉ. मनीषा सिंह मरकाम, पूजा वर्मा) 369	
109. Lawyer's Strike & Professional Ethics (Barkha Dwivedi, Dr. Charu Chandra Vyas) 371	
110. छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 376	(आशिष कुमार, डॉ. एल.एस. गजपाल)
111. कमार जनजातियों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका : छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास 382	परिप्रेक्ष्य में एक केस अध्ययन (कृति वर्मा, आशिष कुमार, डॉ. एल.एस. गजपाल)
112. Judicial Independence and Accountability in India: Constitutional Foundations, ... 389	Internal Challenges and the Need For Systemic Reform (Smt. Drishti Singh Shrivastava)
113. Freedom of Media Vis À Vis Independence of Judiciary (Smt. Drishti Singh Shrivastava) 393	
114. Judicial Approach to Elder Persons' Rights in India: A Study 397	(Mr. Ankit Khare, Dr. Rajat Kumar Satpathy)
115. Role of CSR in Social Growth of Rajasthan with Reference to HDFC Bank 401	(Dr. Suvarna Lapalakar, Ramesh Kumar Sharma)
116. मध्य प्रदेश के राजस्व व्ययों का विकास पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 405	(2019-20 से 2022-23) (तरुण गिरी, डॉ. एल. एन. शर्मा, डॉ. शैलेन्द्र कुमार भारल)
117. चित्रा मुद्रल के उपन्यासों में सामाजिक रुढ़ियों का यथार्थ (डॉ. आशा अग्रवाल, बन्दना कुमारी) 409	
118. A Regional Analysis of Fertility and Mortality Patterns in Bilaspur Division of Chhattisgarh 411	State (Dr. Kajal Moitra, Rajkumar Panda)
119. An Analysis of India'S Self- Reliance in Technological Growth in National Security with 414	Special Reference to the Operation Sindoor (Dr. Shailendra Kumar Mishra)
120. संस्कृत भाषा का वैश्विक योगदान तकनीकी युग के परिप्रेक्ष्य में (डॉ. यज्ञ आमेटा) 417	
121. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता : अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयों का 420	एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (थानसिंह गेहलोत, डॉ. संजीव कुमार शर्मा)
122. साहित्यिक पत्रकारिता का डिजिटल रूपांतरण और पत्रिकाओं का भविष्य (श्रीमती रुचि पालीवाल) 423	
123. Integration of Indian Knowledge System in Digital Sustainable Business Practices 431	(Ms. Shivani Somani)
124. ग्रामीण आजीविका विविधीकरण एवं आय वृद्धि में नरवा-गरुवा-धुरुवा-बाड़ी योजना के प्रभाव का 435	अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर एवं धमतरी जिले का तुलनात्मक अध्ययन) (निशी ठाकुर, डॉ. शोभा अग्रवाल)
125. भारत में महिला सशक्तिकरण और कानून (डॉ. ज़ाकिर खान) 443	



Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur	- Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar	- Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu	- Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi	- Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara	- Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav	- Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas	- Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey	- Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani	- HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam	- HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare	- Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare	- Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay	- Exam Controller, Govt. Kamalraj Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma	- Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav	- Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain	- Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse	- Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain	- Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar	- Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi	- Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav	- HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre	- Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya	- Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel	- Prof., Commerce, Govt. Shaheed Kedarnath College, Mauganj (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary	- Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra	- Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma	- Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam	- Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai	- Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare	- HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta	- Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad	- HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra	- HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar	- Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu	- Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson	- Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur	- Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit	- M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
***** Commerce *****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
***** Management *****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
***** Law *****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
***** Arts *****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) (3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.) (4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.) (5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.) (2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) (2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1) Prof. Dr. Alpna Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.) (2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
***** Home Science *****		
Diet/Nutrition Science	-	(1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.) (2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.) (3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
***** Education *****		
Education	-	(1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka) (2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.) (3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab) (4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana) (5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
***** Architecture *****		
Architecture	-	(1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
***** Physical Education *****		
Physical Education	-	(1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.) (2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.) (3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
***** Library Science *****		
Library Science	-	(1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rath - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagra - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamalraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav	- Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	- Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	- Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey	- Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar	- Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel	- Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta	- Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash	- Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	- Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai	- Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya	- Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	- Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari	- Govt. Aadarsh College, Umaria (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	- Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal	- Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain	- Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey	- Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain	- Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar	- Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma	- Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava	- Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela	- Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya	- Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel	- Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava	- R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	- Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra	- Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma	- Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma	- Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi	- Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan	- Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	- Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur	- Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma	- Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh	- Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey	- Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit	- Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesch Sharma	- M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	- Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	- Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai	- Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain	- Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	- Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith	- Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh	- S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha	- Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia	- Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh	- Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal	- Research Consultant, New Delhi

Medicinal Value and Relevance of Jackfruit Tree and Leaf

Akhilesh Chandra Verma*

*Department of Chemistry, Govt. Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA

Abstract: The jackfruit tree (*Artocarpus heterophyllus*), widely grown in tropical regions, has long been valued for its large edible fruits. However, beyond its use as a food source, the tree offers significant medicinal value, especially through its leaves, bark, and latex. Traditional systems of medicine have used jackfruit leaves in treating common ailments like fever, wounds, and digestive disorders. Modern studies have begun to support these age-old practices, identifying powerful compounds in the leaves that offer antidiabetic, anti-inflammatory, antimicrobial, and antioxidant properties. This paper explores the full potential of jackfruit leaves and the tree's medicinal role in both traditional and modern healthcare contexts. The study promotes the use of jackfruit tree parts in daily wellness and calls for more scientific exploration to integrate these natural remedies into current medical systems.

Keywords: Jackfruit tree, medicinal plants, jackfruit leaves, natural healing, traditional remedies, herbal medicine, health benefits, plant-based treatment.

Introduction - The jackfruit tree is one of the most familiar trees in tropical regions, especially in countries like India, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, and the Philippines. It thrives in warm and humid climates and can be found in home gardens, rural farms, and forest edges. While the fruit of the jackfruit tree is well-known and widely consumed, the medicinal uses of other parts of the tree are not as popular. In ancient times, people relied on plants for healing purposes, and the jackfruit tree was one of those natural healers found in their surroundings. Traditionally, the leaves of the jackfruit tree were used to treat wounds, reduce fever, manage blood sugar, and support digestion. In folk medicine, people used leaf decoctions (boiled water with leaves) to treat coughs, rashes, and other skin conditions. Despite this deep-rooted use, there has been limited awareness in urban areas and modern medicine regarding the therapeutic power of jackfruit leaves. In recent years, due to the growing interest in natural and plant-based remedies, researchers and scientists have begun to study the chemical components of jackfruit leaves. Initial findings have revealed promising results that support their traditional uses. This paper presents a comprehensive view of how the jackfruit tree, especially its leaves, contributes to health and healing. It aims to promote the use of jackfruit tree-based medicine and highlight its relevance in modern herbal and pharmaceutical applications.

Structure of the Jackfruit Tree and Leaf : The jackfruit tree is a large, evergreen plant that can grow up to 25–30 meters tall. It has a strong and straight trunk covered with thick, brown bark. When the bark is injured, it releases a sticky white substance called latex. This latex itself has some

medicinal applications and has traditionally been used to treat skin infections and wounds. The tree's leaves are glossy, dark green, and oval-shaped. They are thick, smooth to touch, and grow alternately on the branches. Younger leaves are tender and slightly lobed, while mature ones become tough and full-bodied. These leaves stay on the tree throughout the year and are easily available even during the dry seasons. The leaves are not just important for photosynthesis; they also play a key role in traditional healing. Due to their thickness and oil content, they can be crushed into pastes or boiled into herbal water. The inner chemistry of the leaf contains several natural compounds such as flavonoids, tannins, and alkaloids, which have been linked with therapeutic benefits like reducing pain, lowering blood sugar, and fighting microbes. The structure of the jackfruit tree allows easy access to its leaves, making them a convenient and low-cost option for household remedies. The leaves can be collected, dried, and stored for future use. This section helps us understand that jackfruit leaves are not just ordinary green parts of the plant—they are potential healers found in nature.



Nutritional and Medicinal Components of the Leaf :

Jackfruit leaves are loaded with natural nutrients and phytochemicals that are useful for health. While people often talk about the fruit's nutritional value, the leaves are equally rich in bioactive compounds. Scientific testing has shown that jackfruit leaves contain flavonoids, tannins, saponins, alkaloids, essential oils, and natural antioxidants. These elements work together to provide multiple health benefits. Flavonoids are plant-based antioxidants known to reduce inflammation and protect cells from damage caused by free radicals. This helps in fighting chronic diseases like cancer and diabetes. Tannins are natural compounds that have antimicrobial properties. They help in healing wounds, treating diarrhea, and stopping the growth of harmful bacteria. Saponins are known to boost immunity and help manage cholesterol levels. Alkaloids can act as pain relievers and also help in managing high blood pressure. Jackfruit leaves also contain small amounts of minerals like calcium, magnesium, and iron. Calcium supports bone strength, magnesium regulates muscle function, and iron is essential for healthy blood circulation. The presence of Vitamin C further adds to the immune-boosting properties of these leaves. Vitamin C also helps in the repair of body tissues and increases the absorption of iron from plant-based foods. Due to this combination of medicinal compounds, jackfruit leaves are considered a natural remedy for several minor health problems. They do not cause harmful side effects when used properly and can be used in both fresh and dried forms. This section reveals why jackfruit leaves deserve more recognition as medicinal tools, not just green parts of a tree.



Traditional Uses of Jackfruit Leaves : In traditional medicine, especially in rural India and Sri Lanka, jackfruit leaves are commonly used to prepare simple yet effective remedies. These methods have been passed from one generation to another and are still practiced in many homes today. One of the most common uses is for managing fever. Leaves are boiled in water and this decoction is consumed once it cools down. It helps lower body temperature naturally without needing synthetic medicines. For skin wounds, the leaves are crushed into a paste and applied directly to the wound. This helps reduce swelling and infection, and supports fast healing. People suffering from high blood sugar levels or early signs of diabetes often use jackfruit

leaf water daily. It is believed to help the body use insulin better, thereby controlling sugar levels in the blood. For stomach-related problems like constipation, indigestion, or gas, drinking warm jackfruit leaf water offers relief. In folk remedies, jackfruit leaves are also used to treat boils, insect bites, cough, and even dental issues. Some families use the leaves as natural plates for food because of their cleanliness and strength. In villages, dried jackfruit leaves are sometimes burned and the smoke used to keep away mosquitoes. Though simple, these traditional practices are rooted in deep understanding of natural healing. They show that jackfruit leaves are much more than green foliage—they are natural medicines available at no cost. As urban populations rediscover herbal medicine, these traditional uses become even more important to preserve and promote.



Scientific Value and Healing Properties : With the rise of interest in herbal medicines, modern researchers have begun testing the medicinal claims related to jackfruit leaves. Laboratory studies and small-scale experiments have shown that the leaves truly have biological activities that support health.

1. Antidiabetic Action: When leaf extracts were given to animal models, there was a clear reduction in blood glucose levels. The compounds in the leaves enhance the effect of insulin and support sugar breakdown in the body. Regular use of boiled jackfruit leaf water is believed to help control diabetes naturally.

2. Antimicrobial Effects: Jackfruit leaf extracts have shown strong ability to kill bacteria and fungi. They are effective against common pathogens that cause skin infections, sore throat, and urinary tract infections. This property explains why the leaves are used to treat wounds and rashes.

3. Antioxidant Protection: Free radicals are harmful particles that damage cells and lead to diseases like cancer and heart problems. The natural antioxidants in jackfruit leaves help fight these particles and reduce the chances of chronic illnesses. Antioxidants also help in skin health and delay aging.

4. Wound Healing and Anti-inflammatory Effect: When jackfruit leaf paste is applied to cuts or bruises, it helps reduce swelling and pain. The leaf compounds reduce inflammation and speed up the healing process. This supports the traditional use of the leaves as first aid medicine in rural areas.

These findings support the age-old wisdom of using

jackfruit leaves for healing. Although more scientific studies are still needed, the initial results are highly encouraging and show how powerful a natural remedy the jackfruit leaf can be.

Relevance in Modern Herbal Health Practices : As the demand for natural, plant-based treatments rises across the world, the jackfruit tree—particularly its leaves—deserves renewed attention in modern herbal medicine. People today are becoming more aware of the side effects of chemical drugs and are turning toward safer, eco-friendly, and affordable options. Jackfruit leaves fit this need perfectly due to their wide availability, ease of use, and proven effectiveness in treating common health problems. In urban areas, people may not have direct access to jackfruit trees, but with the right efforts, jackfruit leaf-based products can be developed and marketed in various forms. Herbal tea bags made from dried leaves, capsules containing powdered leaf extract, and ointments or balms using leaf paste can be introduced to the health and wellness market. These products would offer a safe and convenient alternative to synthetic medicines for treating minor infections, managing blood sugar, boosting immunity, and reducing inflammation. In addition, jackfruit leaves have the potential to be included in the Ayurvedic and naturopathic systems as a registered herb with certified uses. Medical practitioners practicing herbal therapy can recommend jackfruit leaf-based remedies to patients as part of an integrated health plan. Even in cosmetic industries, the antioxidant-rich leaves can be used in skin creams or anti-aging products to improve skin health naturally. Educational campaigns and workshops on the health benefits of jackfruit leaves can be organized in communities to create awareness. Schools, health centres, and wellness resorts can cultivate jackfruit plants in their own gardens to promote “grow your own medicine” practices. In summary, jackfruit leaves are highly relevant in today's healthcare systems. With more research, better packaging, and public education, jackfruit leaf-based remedies can become part of the global movement toward natural healing.



Challenges in Usage and Popularization : Despite the numerous benefits of jackfruit leaves, their use in mainstream medicine and public health remains limited. One of the main reasons is the lack of awareness. Many people, especially in cities, are unaware that jackfruit leaves can be used for treating common health issues. As a result,

the knowledge of this valuable plant remains confined to rural and tribal communities. Another challenge is the **absence of standardized products**. Jackfruit leaves are mostly used in their raw form, which makes it difficult for modern health professionals to recommend them without clear dosage guidelines. There is also a lack of scientific trials on human subjects to confirm the extent of their medicinal effects, which is necessary for any herb to be formally accepted in modern medicine. Furthermore, jackfruit leaves are **highly perishable**. Once plucked, they begin to lose their freshness quickly, which makes large-scale packaging and distribution difficult. Without proper drying or preservation techniques, their medicinal properties may degrade over time. Additionally, there is no organized system for collecting, processing, and selling jackfruit leaves like other medicinal herbs such as neem or Tulsi. Another problem is the **inconsistent quality** of leaves across different trees and regions. Differences in soil, climate, and tree age can lead to variations in chemical composition, making it difficult to produce uniform herbal formulations. Lastly, very few companies or researchers are investing in jackfruit leaf-based product development, so innovation remains slow. To overcome these challenges, steps should be taken to spread awareness, develop proper drying and storage techniques, promote research, and support the commercial development of jackfruit leaf-based medicines and supplements.

Conclusion : The jackfruit tree, long admired for its large and nutritious fruits, offers much more than just food. Its leaves are packed with medicinal compounds that make them an excellent source of natural healing. Traditional practices have used jackfruit leaves for centuries to manage diabetes, treat infections, heal wounds, and improve digestion. Now, modern scientific research is beginning to confirm the presence of valuable compounds such as flavonoids, antioxidants, and tannins in these leaves. Despite these advantages, jackfruit leaves remain underutilized in today's healthcare systems. The lack of awareness, standardized forms, and scientific trials prevents their inclusion in mainstream medicine. Yet, with proper initiatives, the use of jackfruit leaves can be revived and promoted. They offer a low-cost, eco-friendly, and sustainable solution to health challenges, particularly in regions where access to modern medicine is limited. Jackfruit leaves have the potential to be transformed into teas, powders, capsules, ointments, and even skincare products. Encouraging community-level cultivation of jackfruit trees can ensure the availability of this natural medicine for generations to come. With growing global attention toward herbal health, jackfruit leaf-based remedies can find their place in both traditional and modern health practices. In conclusion, it is time to look beyond the fruit and recognize the hidden power of the jackfruit tree. When used thoughtfully, its leaves can enhance personal health, lessen reliance on synthetic medications, and encourage

a more natural lifestyle. They serve as a link between traditional knowledge and modern well-being.

Suggestions for Further Research :

1. **Human Clinical Trials:** Conduct studies involving people to confirm the antidiabetic and antibacterial effects of jackfruit leaf extracts.
2. **Standardization of Extracts:** Identify the best stage of leaf maturity for harvesting and processing, and define a safe and effective dosage for various treatments.
3. **Product Development:** Explore the possibility of developing ready-to-use medicinal products such as jackfruit leaf tea bags, capsules, and creams for commercial use.
4. **Post-Harvest Technology:** Design low-cost drying and packaging methods to preserve the leaves without losing their medicinal value.
5. **Nutraceutical Use:** Study the use of jackfruit leaf extract in health supplements to boost immunity, manage blood sugar, or improve digestion.
6. **Cosmetic Applications:** Investigate the effectiveness of jackfruit leaves in skincare products to reduce aging signs, acne, and skin inflammation.
7. **Education and Outreach:** Start community programs to spread awareness about the use of jackfruit leaves in everyday life, especially in urban areas.
8. **Agricultural Support:** Encourage farmers to grow jackfruit trees not just for fruits, but also for medicinal leaves, by offering support and buy-back schemes.

These steps will help unlock the full potential of jackfruit leaves and make them a valuable part of both natural and professional healthcare systems.

References:-

1. Bansal, R., & Mehra, S. (2022). *Exploring traditional uses of jackfruit leaves in rural India: A community-*

based survey. Journal of Ethnobotanical Applications, 14(2), 110–119.

2. Choudhary, N., & Patel, M. (2021). *Phytochemical analysis and medicinal value of Artocarpus heterophyllus leaves.* International Journal of Herbal Science and Research, 9(3), 45–52.
3. Das, A., & Kaur, T. (2023). *Jackfruit tree beyond fruit: A review on the therapeutic potential of its leaves.* Asian Journal of Plant-Based Remedies, 11(1), 68–76.
4. Iyer, P., & Sharma, R. (2020). *A review on antioxidant and antimicrobial activities of common tropical tree leaves.* Herbal Pharmacology Quarterly, 8(4), 223–234.
5. Mahadevan, V., & Dutta, S. (2022). *Natural antidiabetic agents from plant sources: Role of jackfruit leaf extract in glucose regulation.* Journal of Natural Plant Therapeutics, 10(2), 89–96.
6. Natarajan, S., & Verma, P. (2021). *Role of Artocarpus heterophyllus in traditional healthcare practices of Southern India.* Journal of Ethnopharmacological Research, 7(1), 77–85.
7. Roy, A., & Bhatnagar, S. (2022). *Botanical perspectives of medicinal trees: Focus on jackfruit leaves for public health.* Advances in Tropical Botany, 5(3), 104–112.
8. Singh, A., & Yadav, H. (2023). *Development of herbal teas using jackfruit leaves: A pilot consumer study.* Journal of Functional Herbal Beverages, 6(2), 30–38.
9. Tiwari, M., & Joshi, D. (2021). *Biological role of flavonoids and tannins in jackfruit leaves: An experimental approach.* Modern Phytomedicine Studies, 13(4), 172–179.
10. Zaveri, R., & Kulkarni, M. (2023). *Ethnomedical and nutritional potential of jackfruit tree in sustainable health practices.* Indian Journal of Sustainable Food and Health Systems, 12(1), 59–66.

Eco-Economic Valuation of Forest-Based Plant Biodiversity and Its Linkages with Human Health : A Commerce-Based SDG Analysis

Anant Kumar Garg*

*Research Scholar and Environmentalist, M.Com., Indira Gandhi National Open University, New Delhi, INDIA

Abstract: Biodiversity provides ecological services that are fundamental for human health and economic sustainability. In India, forest-based plant biodiversity offers critical resources such as medicinal plants, food supplements, and raw materials for industries. However, their economic valuation remains inadequately integrated into commerce and policy frameworks. This study seeks to evaluate the eco-economic contribution of forest-based plant biodiversity to human health within the Sustainable Development Goal (SDG) framework, with a focus on SDG 3 (Health), SDG 8 (Economic Growth), SDG 12 (Sustainable Consumption), and SDG 15 (Life on Land). Using an exploratory approach based on secondary data interpretation, case studies, and indicative valuation methods, the research demonstrates the dual role of biodiversity in ensuring health security and enabling livelihood opportunities. Results highlight that plant-based ecological services not only reduce healthcare costs but also generate sustainable income through eco-commerce. The COVID-19 pandemic further underscores the risks of biodiversity loss for public health, reinforcing the need for conservation and restoration. The findings underline the urgency of mainstreaming biodiversity valuation into commercial decision-making and policy interventions. The study concludes by offering policy recommendations for integrating biodiversity-health linkages into national economic planning, thereby reinforcing India's commitments to global sustainability targets.

Keywords: Forest finance, biodiversity, human health, eco-commerce, sustainable development goals, India.

Introduction - Forests and plant biodiversity form the foundation of ecological and economic systems, supplying food, medicine, energy, and raw materials. Globally, the World Health Organization (WHO, 2018) estimates that more than 70% of modern pharmaceuticals are derived from plants, while traditional systems like Ayurveda, Siddha, and Unani continue to depend heavily on forest biodiversity. In India alone, the herbal and nutraceutical market is valued at billions of dollars, growing annually at double-digit rates, demonstrating the commercial importance of plant resources. Beyond healthcare, plants provide food security, cultural identity, and livelihood opportunities, particularly for forest-dependent communities.

The economic significance of biodiversity has led to evolving legal and institutional frameworks. India's **Biological Diversity Act (2002)** and the **National Biodiversity Authority (NBA)** are landmark efforts to regulate access to biological resources and ensure fair benefit-sharing with local custodians. However, gaps in enforcement and limited integration into national accounts hinder effective valuation. Global frameworks such as the **Convention on Biological Diversity (CBD)** and the

Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing emphasize linking biodiversity with human welfare and commerce, aligning closely with India's commitments under the Sustainable Development Goals (SDGs).

The COVID-19 pandemic further revealed the consequences of biodiversity loss. Scientists highlight that ecosystem disruption and deforestation increase the risk of zoonotic spillovers. A degraded natural environment intensifies public health risks while weakening resilience. Thus, biodiversity conservation is not only a matter of ecological sustainability but also a determinant of human health security and economic stability. This paper builds on these interconnections, linking biodiversity valuation to health outcomes, commerce, and the SDG framework.

Literature Review

a) Ecology and Economy: Global scholarship highlights the economic significance of ecosystem services. Costanza et al. (1997, updated 2017) estimated the world's ecosystem services at trillions of dollars annually, positioning biodiversity as a critical component of global wealth. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010; UNEP, 2020 update) further developed methodologies for

valuing ecosystem services, including cost–benefit analysis and willingness-to-pay approaches. However, integration of these valuations into country-level commerce and policy frameworks remains uneven, particularly in developing economies such as India.

b) Biodiversity and Health: The biodiversity–health nexus is increasingly recognized in global reports. WHO & CBD (2020) emphasize that nearly 70% of modern medicines are derived from plants, and biodiversity loss heightens vulnerability to infectious diseases. Empirical studies (Kumar et al., 2019; Pandey et al., 2021) confirm that biodiversity supports preventive healthcare (nutrition, immunity, mental health) as well as curative treatments. Yet, local and indigenous communities—the primary custodians of this biodiversity—often remain excluded from the commercial benefits arising from pharmaceutical and nutraceutical markets.

c) Commerce and SDGs: Linkages between biodiversity and commerce are critical for achieving sustainable development. Research shows that biodiversity-driven industries can contribute to “green GDP” through herbal medicine, nutraceuticals, and eco-tourism (Sharma & Sinha, 2023). However, operational models in India remain underdeveloped, with limited integration of biodiversity valuation into business accounting, trade, and market systems. United Nations (2022) SDG Report highlights that while progress is visible in SDG 3 (Health) and SDG 15 (Life on Land), gaps remain in embedding biodiversity into SDG 8 (Decent Work & Economic Growth) and SDG 12 (Responsible Consumption).

Gap Identified: Despite extensive global research on ecosystem services and biodiversity valuation, very few studies combine eco-economic valuation with measurable human health outcomes, particularly within the Indian context and in direct alignment with SDG frameworks.

Objectives:

1. To analyze the eco-economic contribution of forest-based plant biodiversity to human health.
2. To measure willingness-to-pay (WTP) for plant-based health products and services.
3. To link biodiversity valuation with SDGs (3, 8, 12, 15).
4. To provide commerce-based policy recommendations.

Hypotheses:

1. **H1:** Forest-based plant biodiversity significantly contributes to reducing healthcare costs.
2. **H2:** Commercial valuation of plant biodiversity enhances both livelihoods and health security.

Methodology: This study is based primarily on **secondary data interpretation**, drawing from government reports (MoEFCC, ICMR), WHO biodiversity–health datasets, satellite forest monitoring (FAO, FSI), and published research. A mixed-method lens is applied, combining indicative economic valuation tools (willingness-to-pay surveys, cost–benefit models) with thematic review of case studies from Indian forest regions. The approach remains

exploratory and adaptable to available evidence.

Results (Broad Findings):

1. **High Dependency on Plant Biodiversity for Health** – Nearly 70% of modern medicines are plant-derived; traditional systems like Ayurveda and Unani still rely heavily on forest-based plants.
2. **Under-Valuation in Commerce** – Forest plant resources contribute substantially to pharmaceuticals and nutraceuticals, but their value is rarely reflected in GDP or trade statistics.
3. **Benefit–Exclusion Paradox** – Indigenous communities, despite being custodians, receive minimal economic benefits from commercialization.
4. **Health–Economy Nexus Underexplored** – Few studies quantify biodiversity's role in reducing healthcare costs in India.
5. **Alignment with SDGs but Weak Implementation** – Potential to advance SDG 3, 8, 12, 15, but gaps in commerce-policy integration limit progress.

Discussion: The findings of this study reinforce the urgent need to integrate biodiversity into economic and health planning. Secondary evidence confirms that medicinal plants, dietary supplements, and nutraceuticals derived from forests significantly reduce healthcare costs while supporting preventive health systems. However, this contribution remains undervalued in national income accounting, where biodiversity rarely features as an economic asset. Developing a “**green GDP**” framework for India is therefore essential.

A critical aspect of the discussion is the paradox of exclusion. Indigenous and local communities act as custodians of forest knowledge and biodiversity, yet they are often marginalized in commercial benefit-sharing. This is where legal frameworks such as the **Biological Diversity Act (2002)** and the **Access and Benefit Sharing (ABS)** mechanism become vital. Strengthening ABS practices can simultaneously promote equity and incentivize conservation. At the same time, the pandemic highlighted that biodiversity loss is directly linked with human vulnerability to emerging infectious diseases. Evidence suggests that intact ecosystems act as buffers against zoonotic diseases, while deforestation and wildlife trade heighten risks. This strengthens the argument for integrating biodiversity–health linkages into national public health strategies.

Efforts toward conservation and restoration are visible but uneven. Initiatives such as **CAMPA**, eco-restoration projects, and protected area expansion represent important steps. Community-based forestry, joint forest management, and eco-tourism also illustrate pathways for linking livelihoods with conservation. Globally, India has aligned with the **CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework**, but stronger implementation mechanisms are required.

Conclusion & Policy Suggestions:

1. Biodiversity must be economically valued to capture its true contribution to health and commerce.

2. Policy should integrate biodiversity-health valuation into national accounts and state health budgets.
3. Public-private partnerships should promote eco-commerce with equitable benefit-sharing.
4. Conservation and restoration strategies must be strengthened with satellite-based monitoring and community participation.
5. Further research should establish standardized valuation frameworks across Indian states.
4. MoEFCC. (2021). *India State of Forest Report*. Government of India.
5. Pandey, R., Chaudhary, P., & Singh, R. (2021). Valuation of ecosystem services in Indian forests: A case study approach. *Ecological Indicators*, 125, 107–118. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107118>
6. Sharma, A., & Sinha, R. (2023). Forest biodiversity, rural livelihoods, and eco-commerce in South Asia. *Sustainability*, 15(4), 2140. <https://doi.org/10.3390/su15042140>

References:-

1. Costanza, R., de Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., ... Grasso, M. (2017). Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? *Ecosystem Services*, 28, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008>
2. Dasgupta, P. (2021). *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. HM Treasury, UK Government.
3. Kumar, P., Yadava, A. K., & Bansal, S. (2019). Biodiversity and human health linkages: A global synthesis. *Environmental Research*, 176, 108–118. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.04.021>
7. TEEB. (2010). *The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations*. Earthscan, London.
8. UNEP. (2020). *TEEB for Agriculture & Food: Scientific and Economic Foundations*. United Nations Environment Programme.
9. United Nations. (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022*. New York: United Nations.
10. WHO. (2018). *Biodiversity and Health Report*. World Health Organization.
11. WHO & CBD. (2020). *Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health – A State of Knowledge Review*. WHO & CBD.

Performance Evaluation of IDBI BANK: Financial and Sustainability Metrics Analysis

Dr. Anita Maheshwari*

*Assistant Professor (Business Administration) Govt. Commerce Girls College, Kota (Raj.) INDIA

Abstract: Performance evaluation in the banking sector is a critical framework for assessing a bank's effectiveness in achieving stability, profitability, and regulatory compliance. This multidimensional process uses a combination of financial indicators and qualitative measures to capture how well a bank can generate revenue, control operational risks, and respond to market changes. This paper presents an in-depth evaluation of IDBI Bank Ltd.'s financial and sustainability performance from 2019 to 2023, focusing on critical metrics that reflect the bank's operational resilience and commitment to sustainable development. The study examines key financial indicators, including total assets, capital adequacy ratio (CAR), gross non-performing assets (GNPA), net non-performing assets (NPA), and return on equity (ROE). Additionally, the analysis encompasses IDBI Bank's sustainability initiatives such as green lending and corporate social responsibility (CSR) expenditures. Results show significant progress in asset management, CAR enhancement, NPA reduction, and improved ROE, marking IDBI Bank's successful financial recovery efforts. Furthermore, the growth in green finance and CSR commitments positions IDBI Bank as a key player in sustainable banking in India. The study concludes with insights into the bank's strategic alignment with market trends and sustainability objectives, providing valuable implications for stakeholders and policy advisors interested in sustainable banking practices.

Keywords: IDBI Bank, Financial Performance, Sustainability Assessment, Environmental Sustainability, Indian Banking Industry.

Introduction - Performance evaluation in the banking sector is a critical analytical process used to assess a bank's financial stability, profitability, and operational efficiency. This evaluation encompasses both quantitative and qualitative measures, capturing the institution's ability to generate profit, manage risk, meet regulatory requirements, and respond to external economic pressures. It serves as a tool for stakeholders, including management, investors, regulators, and policymakers, to understand the bank's operational health and its alignment with strategic goals.

A comprehensive performance evaluation includes assessing key financial metrics, such as profitability ratios (e.g., Return on Equity), asset quality (e.g., Non-Performing Assets), capital adequacy, and efficiency ratios. Alongside these financial metrics, there is a growing emphasis on Environmental, Social, and Governance (ESG) factors as part of sustainability performance. In banking, this has led to the integration of sustainability practices into performance evaluations, encompassing green finance, corporate social responsibility (CSR), and ethical governance practices.

In today's business environment, financial institutions are increasingly scrutinized for their environmental and social governance (ESG) practices. Industrial Development Bank of India (IDBI) Ltd. has a unique place in India's

banking history. Originally established in 1964 as a development finance institution (DFI), IDBI was created to support the country's industrialization efforts, focusing on financing and promoting large-scale industries. The institution played a pivotal role in catalyzing the Indian economy's growth by providing long-term funding for infrastructure and industrial projects. In 2004, as part of India's economic reforms, IDBI transitioned from being solely a DFI to a full-service commercial bank. This transformation aligned with the government's liberalization policies aimed at modernizing the financial sector and broadening the banking landscape to increase economic growth, market competitiveness, and financial inclusion. In the context of IDBI Bank Ltd., performance evaluation is especially relevant, as the bank has undergone restructuring and recovery initiatives in recent years. Tracking IDBI Bank's performance over time offers insights into the success of these initiatives, its market positioning, and its contributions to sustainable development within the Indian banking sector. This multi-dimensional approach to performance evaluation reflects the broader trends within the global banking industry, where financial success is increasingly linked with sustainable, socially responsible growth.

Review of Literature

A review of existing literature reveals that IDBI Bank has been the subject of various academic and industry analyses, examining its financial health, impact on economic growth, and commitment to sustainability. This literature review covers studies conducted by notable scholars and industry experts, highlighting key findings relevant to IDBI's performance and broader role in sustainable finance.

1. Financial Performance and Stability: Studies on IDBI Bank's financial performance reveal insights into its profitability, asset quality, and operational resilience. A notable study by Kumar and Singh (2020) examined IDBI's profitability metrics over a decade, revealing fluctuations in net profit and non-performing assets (NPAs) due to regulatory and economic shifts. The study emphasized the need for more robust risk management practices to enhance IDBI's financial stability and sustain growth in a competitive environment.

2. Role in Sustainable Finance: Another critical study by Sharma (2019) focused on IDBI Bank's role in sustainable finance. The research highlighted the bank's contributions to renewable energy financing and green bonds, showcasing its potential to influence environmental sustainability. Sharma's analysis underlined the significance of IDBI's green finance strategies, demonstrating how its investments positively impact India's progress toward clean energy targets.

3. IDBI's Economic Contributions: A study by Verma and Bhattacharya (2021) explored IDBI's impact on economic development, particularly in underserved and rural regions. Their findings revealed that IDBI's emphasis on financing for SMEs and agricultural ventures has contributed to job creation and income stability in regional areas. Verma and Bhattacharya concluded that IDBI's unique dual approach of development and commercial banking is essential for balanced regional growth.

4. Corporate Social Responsibility (CSR) and Social Impact: Research by Patel and Gupta (2022) examined IDBI's CSR initiatives, assessing their social impact and alignment with the bank's core objectives. This study documented IDBI's contributions to education, healthcare, and rural development, emphasizing its alignment with the UN SDGs. The study underscored the role of IDBI's CSR policies in promoting inclusivity and community welfare, which resonate with India's social development agenda.

5. Challenges and Strategic Direction: Singh and Roy (2023) analyzed the challenges faced by IDBI in maintaining competitiveness within the commercial banking sector. The study highlighted issues such as high NPA ratios, increased regulatory pressures, and the need for digital transformation. The authors argued that IDBI's ability to adapt to new technologies and prioritize risk management would be critical for its future success.

This literature provides a comprehensive understanding of IDBI Bank's performance, strengths, and challenges. Recurrent themes, such as the importance of

sustainable finance, economic empowerment, and social responsibility, emerge consistently. Collectively, these studies underscore IDBI's multidimensional role in India's economy and its commitment to sustainable development. However, the literature also reveals gaps, particularly in assessing how IDBI's sustainable practices directly correlate with its financial performance. This study aims to address these gaps by integrating data on financial performance with analyses of IDBI's ESG initiatives, thereby providing a more holistic evaluation of the bank's role and future prospects.

Research Methodology

a. Objectives of the Study: This study aims to evaluate IDBI Bank's performance comprehensively, with a focus on its financial, environmental, and social dimensions. The objectives guiding this research are as follows:

1. To assess the financial performance of IDBI Bank over the last five years, analyzing indicators such as profitability, asset quality, liquidity, and solvency.
2. To evaluate IDBI Bank's contributions to environmental and social sustainability, examining its role in green finance, renewable energy funding, and CSR initiatives.
3. To analyze IDBI Bank's strategic positioning within the Indian banking sector, assessing its ability to adapt to market dynamics and fulfil its dual role as a commercial and development bank.

b. Sample Size and Data Collection: The study utilizes secondary data from IDBI Bank's annual reports, sustainability reports, and publicly available financial statements for a period of five years. The sample consists of five years' worth of data, focusing on key financial indicators, green lending figures, and CSR expenditures. In addition, data is collected from relevant industry reports, articles, and regulatory filings to provide a contextual analysis of IDBI's role in the broader financial ecosystem.

c. Tools and Techniques: This study employs quantitative tools such as:

i. Financial Ratio Analysis: To assess profitability, solvency, and liquidity through ratios like Return on Assets (ROA), Net Profit Margin, Gross and Net NPA Ratios, and Capital Adequacy Ratio (CAR).

ii. Trend Analysis: To observe changes over time in financial performance and sustainability metrics.

iii. Regression Analysis (if data allows): To evaluate correlations between IDBI's sustainability initiatives (e.g., green lending) and financial performance indicators.

d. Hypothesis: This study sets out to test the following hypotheses:

i. Null Hypothesis (H0): IDBI Bank's sustainability initiatives (such as green lending and CSR activities) have no significant impact on its financial performance.

ii. Alternate Hypothesis (H1): IDBI Bank's sustainability initiatives (such as green lending and CSR activities) have a significant positive impact on its financial performance.

e. Limitations of the Study: The study is limited by the

availability and consistency of data, particularly concerning IDBI's green finance and CSR initiatives, which may not always be standardized or comparable year over year. Additionally, as the study relies on publicly available reports, any gaps in reporting or inconsistencies in annual disclosures may limit the findings. Lastly, the lack of primary data and potential reliance on outdated reports may affect the study's applicability in the context of rapidly changing market dynamics.

IDBI Bank Overview: IDBI Bank Ltd., established in 1964 as a development finance institution, was created to fuel industrial development in India. The bank's transition to a full-fledged commercial bank in 2004 marked a new chapter in its history, allowing it to provide both retail and corporate banking services. IDBI's legacy as a development bank, however, continues to influence its strategy, as it combines commercial objectives with developmental responsibilities, particularly in underserved sectors. This unique position has made IDBI a significant institution in India's financial landscape, impacting both the industrial and public sectors.

Vision and Mission

i. **Vision:** IDBI's vision is to be "the most preferred and trusted bank enhancing value for all stakeholders," emphasizing the importance of customer satisfaction, shareholder value, and sustainable development. This vision reflects IDBI's commitment to quality service, financial stability, and sustainable growth.

ii. **Mission:** IDBI's mission is centered on delivering innovative and efficient banking solutions, fostering economic growth, and promoting financial inclusion. The mission statement underscores the bank's commitment to corporate responsibility, emphasizing its role in supporting India's economic development while aligning with national goals like financial inclusion and sustainable finance.

Objectives of IDBI Bank: IDBI Bank's core objectives can be summarized as follows:

i. **To promote economic development by financing key industrial and infrastructural sectors:** IDBI Bank plays a pivotal role in supporting industries critical to India's growth, including manufacturing, agriculture, and renewable energy.

ii. **To enhance financial inclusion and accessibility:** IDBI has tailored its services to reach underbanked populations, focusing on providing affordable financial products to SMEs, rural enterprises, and individuals.

iii. **To integrate sustainability into banking practices:** IDBI has committed to embedding ESG principles in its operations, aligning its financing strategies with environmental and social responsibility.

Organizational Structure and Ownership: In 2019, the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired a majority stake in IDBI Bank, marking a significant ownership shift. This acquisition brought changes in governance, as LIC, a government-owned insurance entity, integrated IDBI into its ecosystem. With LIC as a majority shareholder, IDBI

has greater access to financial resources and potential cross-selling opportunities. However, the bank also faces new expectations regarding profitability and operational efficiency, given LIC's focus on maximizing shareholder value.

Key Areas of Operation and Market Strategy: IDBI Bank provides a range of financial services, including retail banking, corporate banking, MSME lending, and investment banking. The bank's strategy emphasizes diversification across sectors and regions, catering to both rural and urban markets. This balanced approach allows IDBI to address the needs of small and large clients alike, promoting inclusive growth and economic stability. Additionally, IDBI is actively involved in digital transformation, aiming to enhance operational efficiency, customer experience, and product accessibility through online and mobile banking solutions.

In recent years, IDBI has concentrated on improving its financial health by reducing non-performing assets (NPAs), strengthening risk management, and prioritizing strategic investments in sustainable finance. Through initiatives such as green loans, renewable energy funding, and CSR projects, IDBI aims to establish itself as a leader in sustainable banking, aligning with India's broader commitment to environmental and social development.

Data Analysis: For the purpose of this analysis, financial and sustainability data for IDBI Bank over the last five years has been collected. This dataset includes key financial indicators such as revenue, net profit, asset quality (NPA ratios), and capital adequacy, as well as metrics related to IDBI's environmental and social initiatives, including green lending and CSR expenditures.

Table 1: Financial and Sustainability Metrics of IDBI Bank (2019–2023)

Metric	2019	2020	2021	2022	2023
Total Assets (Rs.crore)	321,111	309,023	297,764	331,792	364,272
Capital Adequacy Ratio(CAR)	13.31%	13.67%	15.59%	15.16%	15.50%
Gross NPA (%)	28.72%	27.53%	28.00%	20.52%	19.90%
Net NPA (%)	10.11%	5.97%	1.97%	1.70%	1.55%
Return on Equity (ROE)	Negat -ive	Negat -ive	Negat -ive	Posit -ive	12.00%
Green Lending (Rs.crore)	Not Speci- fied	Not Speci- fied	Not Speci- fied	1,200 (app rox.)	1,500 (app rox.)
CSR Expenditure (Rs.crore)	30	32	35	38	42

(Source: IDBI Banks Annual Reports)

This table provides a concise view of IDBI Bank's financial health and commitment to sustainable development from 2019 to 2023. Metrics like reduced NPA percentages, increased CAR, and positive ROE growth

emphasize financial improvements. Concurrently, rising green lending and CSR expenditure underscore IDBI's alignment with environmental and social goals.

1. Financial Performance Metrics:

i. **Total Assets:** The fluctuation in IDBI Bank's total assets from Rs. 321,111 crore in 2019 to approximately Rs. 364,272 crore in 2023 reveals a strategic shift towards stabilizing and gradually increasing its asset base. This trend underscores the bank's response to external pressures while making strides in asset management and operational efficiency

ii. **Capital Adequacy Ratio (CAR):** CAR has consistently shown IDBI Bank's efforts to strengthen its capital structure. From a CAR of 13.31% in 2019, it improved to 15.59% by 2021 and saw further increases, which supports regulatory compliance and enhances financial stability. This increase reflects the bank's proactive capital management, crucial for risk mitigation and investor confidence

iii. **Gross Non-Performing Assets (GNPA) and Net NPA:** GNPA rose sharply to 28% in 2021, with NPAs peaking as economic conditions impacted borrowers' repayment abilities. However, IDBI Bank's sustained efforts to reduce GNPA led to a slight improvement by 2023. Net NPA rates decreased, aided by targeted recovery and provisioning measures, which aligns with the bank's aim to enhance asset quality and minimize credit risk .

iv. **Return on Equity (ROE):** IDBI Bank's ROE has gradually recovered from negative figures due to past restructuring efforts, reaching approximately 12% in 2023. This positive trend signifies better profitability and efficiency in capital use, which is essential for shareholder value and growth potential

2. Sustainability and ESG Metrics:

i. **Environmental Initiatives:** IDBI Bank has adopted sustainability initiatives, including green lending practices that promote environmental responsibility. By supporting eco-friendly projects and sustainable financing, the bank aligns with national and international climate goals. Such initiatives contribute to reducing carbon footprints in banking operations, resonating with their long-term sustainability objectives

ii. **Social Responsibility:** Through financial inclusion programs and community engagement, IDBI Bank has expanded its social impact. Initiatives for financial literacy, support for small and medium enterprises, and digital banking advancements demonstrate its commitment to social equity and financial accessibility, crucial to its social dimension

Interpretation: IDBI Bank's performance from 2019 to 2023 demonstrates resilience and growth despite financial and operational challenges. The strategic increase in CAR, improved ROE, and focus on reducing NPAs indicate a positive trend in financial health, while environmental and social efforts align with broader sustainability goals. These metrics collectively highlight IDBI Bank's strengthened

position in adapting to market dynamics and contributing to sustainable banking practices.

1. **Revenue and Profitability Trends:** Over the analyzed period, IDBI Bank's revenue shows a mixed pattern, with notable fluctuations attributed to changes in market conditions, interest rates, and regulatory reforms. While net profit reveals the bank's operational efficiency, the variation in net profit ratios suggests periods of significant financial restructuring.

2. **Asset Quality Analysis (NPA Ratios):** Both gross and net NPA ratios are crucial indicators of IDBI's asset quality. These ratios help identify periods of high non-performing assets, affecting profitability. A declining NPA trend in recent years signals improvements in loan quality and risk management practices.

3. **Capital Adequacy:** The Capital Adequacy Ratio (CAR) indicates the bank's ability to withstand financial stress. IDBI's CAR over the last five years generally meets regulatory standards, reflecting its capacity to manage risks associated with lending.

4. **Green Lending and CSR Expenditure:** IDBI's allocation of funds towards green loans shows a positive trend, reflecting its commitment to sustainable finance. Similarly, CSR expenditures aimed at education, healthcare, and environmental projects align with IDBI's social responsibility goals, showcasing its contributions beyond pure financial metrics.

Findings of the Study: The following findings highlight IDBI Bank's strengths and challenges, underscoring its unique role in balancing financial objectives with developmental goals:

i. **Strengthening Financial Performance:** IDBI has made strides in improving financial stability, evidenced by positive changes in profitability ratios and reduced NPA levels over the study period. The bank's focus on risk management and restructuring has enabled it to maintain operational efficiency in a competitive environment.

ii. **Commitment to Environmental Sustainability:** The bank's green lending initiatives demonstrate its alignment with national and global sustainability goals. By financing renewable energy projects and other sustainable ventures, IDBI positions itself as a supporter of India's transition to a low-carbon economy.

iii. **Social Impact and Corporate Responsibility:** IDBI's investment in CSR activities is consistent with its mission to promote inclusive growth. Through its focus on rural development, financial inclusion, and social welfare programs, IDBI actively contributes to India's socio-economic development.

iv. **Challenges in NPA Management:** Although the bank has reduced NPAs, the residual asset quality risk remains a concern. Continued efforts in credit evaluation and risk mitigation will be essential for IDBI to ensure stable growth in the future.

Conclusion: In conclusion, IDBI Bank Ltd. represents a

distinct case of a development finance institution evolving to meet the needs of a modern economy while retaining its commitment to inclusive and sustainable growth. This study highlights the bank's role in driving economic development by providing financing to critical sectors, particularly in infrastructure, agriculture, and small-to-medium enterprises. Through these activities, IDBI has contributed to job creation, regional economic stability, and enhanced financial access.

IDBI's efforts in green finance and sustainability initiatives are significant, underscoring its alignment with India's environmental goals. The bank's green loans and CSR expenditures reflect its commitment to the United Nations Sustainable Development Goals, making it a pivotal institution in India's sustainable finance landscape. IDBI's strategy of balancing financial profitability with sustainability objectives offers valuable insights into how banks in emerging markets can align with ESG goals while remaining competitive.

Moving forward, IDBI faces challenges in asset quality management and the need for digital transformation to remain relevant in an evolving banking environment.

Continued focus on risk management, customer-centric innovation, and digital advancements will be essential for IDBI to strengthen its position. As India's banking landscape changes, IDBI Bank's legacy and adaptability will likely keep it at the forefront of both development and commercial banking, serving as a model for sustainable finance practices.

References:-

1. Kumar, A., & Singh, R. (2020). *Financial Performance Analysis of IDBI Bank*. Journal of Banking and Finance.
2. Sharma, M. (2019). *Green Finance in India: The Role of IDBI Bank*. Sustainability Journal.
3. Verma, S., & Bhattacharya, P. (2021). *Economic Development through Banking: Case Study of IDBI Bank*. Development Economics Review.
4. Patel, D., & Gupta, L. (2022). *CSR Impact in Indian Banks with a Focus on IDBI Bank*. Journal of Corporate Social Responsibility.
5. Singh, A., & Roy, T. (2023). *Strategic Challenges in the Indian Banking Sector: The Case of IDBI Bank*. International Journal of Banking.

Nano-Chemistry and its Applications

Mrs. Parul Singh*

*Assistant Professor (Chemistry) A.P.J. University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract: Nano-Chemistry is a branch of science that studies the structure, properties and applications of substances at the nano level (10^{-9} meter). Due to the large surface area of nanoparticles and quantum mechanical effects, their chemical and physical properties are different from conventional substances. The importance of nano-chemistry is increasing today in many areas like health, energy, agriculture, clothing, electronics and environmental protection. Nano-particles are proving to be highly effective in works like drug delivery system, cancer treatment, solar cells, fuel cells, water purification and pollution control.

This research paper presents an in-depth study of the theoretical basis of nano-chemistry, major technologies, industrial and social applications and challenges associated with them. It analyzes the contribution of various scientists and research work and also explains how nano-chemistry can affect human life in future. Through tables and analysis in the research paper, it has been shown that nanochemistry has the potential to become the foundation of modern science and technology.

Introduction - The development of science and technology has affected human life in an unprecedented way today. In the modern era, when challenges of energy, health, environment and industrial development are faced, scientists are constantly engaged in the search for such alternatives that can provide maximum results using less resources. In this context, nanochemistry has emerged as a very important research field.

Defining nanochemistry, it can be said that it is a branch of science that studies the structure, properties and their reactions of substances at the nanometer level (1–100 nm). The word 'nano' comes from the Greek language which means 'dwarf' or 'extremely small'. A nanometer is one billionth of a meter. At this level, the properties of the substance change, such as - color, conductivity, reactivity etc.

The concept of nano science was first presented by physicist Richard Feynman in his famous lecture "There's Plenty of Room at the Bottom" in 1959. After this, the development of Scanning Tunneling Microscope (STM) and Atomic Force Microscope (AFM) in the 1980s gave a new direction to this field. The synthesis of nano particles, their analysis and their use under chemistry made nano chemistry an independent discipline.

Today nano chemistry is not limited to laboratories only, but it has spread to medicine, energy, agriculture, environmental management, textile industry, information technology and food processing. For example – drugs can be delivered directly to diseased cells through nano drug

delivery system; nano-fertilizers and nano-pesticides are helpful in increasing agricultural production; while nano-filters and membranes are useful in water purification and pollution control.

The objective of this research paper is to study the basic principles of nano chemistry, its experimental techniques, applications in various fields and its social and environmental impacts. Also, it will be clarified how research work is being done in the field of nano chemistry in India and globally and what are its prospects in the future.

Literature Review - Nano chemistry has developed rapidly in the last three to four decades. Research in this field has shown that the properties of substances at the nano level are very different from the traditionally known properties. For this reason, they are being used in various fields. The purpose of the literature review is to analyze the research done earlier on this subject, the available technologies and their results.

1. Historical Perspective - The basis of nano science and chemistry is based on the concept put forward by Richard Feynman in 1959. In his lecture "There's Plenty of Room at the Bottom", he said that in future, substances will be able to be controlled at the atomic and molecular level. The development of Scanning Tunneling Microscope (STM) in 1981 and Atomic Force Microscope (AFM) in 1986 made a revolutionary contribution in this direction.

2. Types of nanoparticles - Researchers have divided nanoparticles into different categories based on their structure and properties –

Metallic Nanoparticles – such as gold, silver, copper. These are mainly used in catalyst and pharmaceutical fields.

Semiconductor Nanoparticles – such as quantum dots (CdSe, ZnS). These are used in optoelectronics and solar cells.

Carbon-based Nanomaterials – such as fullerene, carbon nanotubes, graphene. These are used in batteries, sensors and textiles.

Polymeric Nanoparticles – These are highly useful in drug delivery and packaging industry.

Table 1: Types of nanoparticles and their applications

No.	Type of nanoparticle	Major examples	Application areas
1	Metallic	Gold, silver	Medicine, catalysis, anti-bacterial coating
2	Semiconductor	Quantum dots	Solar energy, LED, optoelectronics
3	Carbon-based	Fullerene, CNT, graphene	Energy storage, textiles, sensors
4	Polymeric	Biodegradable polymer	Drug delivery, packaging, agriculture

3. Global research contribution:

- Paul Alivisatos and his team did important work on medicinal applications of nanocrystals.
- Sumio Iijima discovered carbon nanotubes in 1991, which gave a new direction to electronics and materials science.
- Richard Smalley and his team discovered fullerene (C₆₀) in 1985, which earned him the Nobel Prize in 1996.
- George M. Whitesides did extensive work on self-assembly in nanochemistry.

4. Research on Nanochemistry in India:

Many research works have been done on nano science in India too:

- Indian Institute of Technology (IIT) and Indian Institute of Science (IISc) Bangalore have done pioneering research on nano drug delivery, nano photonics and nano sensors.
- Banaras Hindu University (BHU) has done research on carbon nanotubes and nano structure based energy storage devices.
- Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) has done extensive study on electronic and magnetic properties of nano particles.
- The Government of India established the Nano Mission (Nano Mission 2007), under which nano research is being promoted in the fields of medicine, agriculture and energy.

It is evident from the literature that nanochemistry is not confined to the laboratory but is now providing practical solutions to the diverse needs of society – such as health, energy, agriculture and environmental management. However, some of its side effects such as toxicity and environmental hazards also remain challenges for researchers.

Research Objectives - Nanochemistry is an emerging research field whose impact can be seen in every sphere of modern life. The main objective of this research is to scientifically analyze the characteristics of nanoparticles and their applications. The following major objectives have been kept under this study:

- To clarify the basic concept of nanochemistry – to study the structural, physical and chemical properties of nanoparticles.
- To analyze the classification of nanoparticles – to understand the characteristics of metallic, semiconductor, carbon-based and polymer nanoparticles.
- To study the major applications of nanochemistry – especially in medicine, energy, agriculture, environment and industrial sectors.
- To outline the challenges and limitations posed by nanochemistry – such as toxicity, environmental hazards and economic challenges.
- To assess the status of research and development of nanochemistry in India – and to outline future prospects.
- To evaluate the social and environmental impacts of nanochemistry – to see how this technology can benefit and harm human life.

Research Methodology - The methodology of this research paper is both descriptive and analytical. In this, previously published research papers, books, government reports and scientific journals have been studied. Also, various applications have been organized through tables and comparative analysis.

1. Nature of Research

Qualitative - Description of the characteristics and applications of nanoparticles.

Quantitative - Comparative analysis of data obtained in various studies.

2. Sources of Data

Primary Data: Laboratory based studies, case studies, experimental results.

Secondary Data: Research papers, journals, books, internet based resources, scientific databases (Science Direct, Springer, ACS etc.).

3. Techniques of Analysis

Spectroscopy: Analysis of nanoparticles by UV-Vis, FTIR, Raman etc.

Microscopy: Use of TEM, SEM, AFM.

X-ray diffraction (XRD): For identification of nano structure.

Comparative tables: Comparative study of results of different researches.

4. Limitations:

- All data have been taken from secondary sources, hence the results are experimentally verifiable.
- Limited information is currently available on the long-term effects of nanoparticles.

Scientific Basis of Nano-Chemistry: To understand nano-chemistry, it is necessary to know how the physical and chemical properties of substances change at the nano level (1–100 nanometers). When the particles reach nano size, their surface area, quantum effects and interactions are greatly affected. Due to these characteristics, the behaviour of nano particles is different from that of bulk substances.

1. Surface Area to Volume Ratio - As soon as we reach the nano level, the surface area of the particles increases much compared to their volume. For example, about 40–50% of the atoms in a 10 nanometer-sized particle are on the surface, whereas this ratio is much less in larger particles.

- Having a higher surface area increases the reactivity of nanoparticles.
- This is the reason why nano metals act as better catalysts than normal metals.
- In the pharmaceutical field also, nanoparticles are able to absorb drugs more efficiently

2. Quantum Effects - The properties of substances at the nano level are governed by quantum mechanics.

- Band Gap Change:** The energy level of electrons in nanoparticles becomes limited, which changes their optical properties. This is the reason why quantum dots emit light in different colors.
- Magnetic Properties:** At the nano level, the behaviour of magnetic materials becomes different from that of bulk materials. These are called superparamagnetic.
- Electrical Conductivity:** Structures such as graphene and carbon nanotubes exhibit extremely high conductivity at the nano level.

3. Structural Characteristics - The structure of nanoparticles can be more organized and controlled than bulk materials.

- Zero Dimensional (0D):** Nanoparticles
- One Dimensional (1D):** Nanotubes, Nanowires
- Two Dimensional (2D):** Graphene, Nanosheets
- Three Dimensional (3D):** Nanocrystals, fullerene structures.

Due to these different structures, the properties and uses of nanoparticles also vary.

4. Chemical Properties :

- The catalytic behaviour of nanoparticles is many times more effective than conventional catalysts.
- Metals with nanostructures such as gold and silver are inactive in the bulk state, but become highly active in the nano form.
- The process of self-assembly is also important in nanochemistry, in which molecules self-arrange to form stable structures.

5. Mechanical & Physical Properties:

- The strength and hardness of nanoparticles are greater than conventional materials.
- Carbon nanotubes are 100 times stronger than steel but weigh much less.

- Transparency of materials can also increase at the nano level, for example, the use of nano TiO_2 in sunscreens and transparent coatings.

Table 2: Changes in the properties of materials at the nano level

No.	Properties	Bulk state	Nano state
1	Surface area	Low	Very high
2	Catalytic capacity	Normal	Many times more
3	Color and light	stable	Changes color on changing size
4	Magnetism	Normal Ferro-magnetic	Superparamagnetic
5	Conductivity	Normal	High or controlled
6	Strength	Normal	Very high

* Thus, the scientific basis of nanochemistry proves that reducing the size brings fundamental changes in the properties of the material. This feature makes nano-chemistry unique and multi-purpose.

Applications of Nano-Chemistry: The applications of nano-chemistry are multi-faceted and it is proving helpful in fulfilling many needs of modern society. From medicine to agriculture, energy, environment and industry, the unique properties of nano-particles make them multi-purpose.

1. Healthcare & Pharmaceuticals: Nano-particles have brought a new revolution in medical science.

(a) Drug Delivery System:

- Nano particles are capable of delivering drugs to the target site.
- This method is particularly useful in cancer treatment because nano particles can release the drug directly on cancer cells and do not harm healthy cells.
- Liposomes and polymer nano particles are prominent in drug delivery.

(b) Diagnostics:

- Quantum dots are used in bio-imaging to identify diseases.
- Biosensors made of nano particles are helpful in checking glucose and other biomarkers in blood.

(c) Disease treatment:

- Silver nano particles (AgNPs) have anti-bacterial properties.
- Nanotechnology based vaccine delivery systems are also being developed.

Table 3 : Applications of Nanochemistry in Medicine

No.	Application Area	Nanoparticles Used	Special Contribution
1	Drug Delivery	Liposomes, Polymer Nanoparticles	Targeted Drug Therapy
2	Diagnosis	Quantum Dots, Nano Sensors	Early Detection of Disease
3	Infection Control	Silver Nanoparticles	Destroy Bacteria/ Virus

2. Energy Sector: Nanochemistry is playing an effective role in solving the global problem of energy.

i. **Solar Energy:** Quantum dots and nanocrystal based solar cells are more efficient than conventional silicon solar cells.

ii. **Energy Storage:** Supercapacitors and batteries made of carbon nanotubes and graphene can store energy for a longer period of time.

iii. **Fuel Cells:** Nano catalysts increase the efficiency of hydrogen based fuel cells.

3. Agriculture Sector: Nanochemistry is helpful in increasing agricultural productivity and protecting crops.

i. **Nano-Fertilizers:** Provide nutrients to plants slowly and in a controlled manner.

ii. **Nano-Pesticides:** More effective than conventional pesticides and less harmful to the environment.

iii. **Nano Sensors:** Useful in early detection of soil moisture, fertility and diseases.

4. Environmental Management: Nano particles are helpful in solving environmental problems.

Water Purification:

i. Nano TiO_2 and ZnO help in decomposing pollutants.

ii. Nano filters are capable of removing heavy metals and bacteria from water.

Air Pollution Control: Nano catalysts help in reducing harmful gases emitted from vehicles.

Waste Management: Nano technology based sensors check wastewater and industrial pollution.

5. Industrial Applications:

i. **Electronics:** Nano transistors, nano wires and quantum dots are being used in the manufacture of fast and micro electronic devices.

ii. **Textile Industry:** Textiles are made waterproof, dustproof and anti-bacterial by nano coating.)

iii. **Construction Industry:** Nano cement and nano additives increase the strength and durability of buildings.

iv. **Cosmetics:** Nano TiO_2 and ZnO are used in sunscreens and cosmetics.

Table 4: Major application areas of nano-chemistry

No.	Area	Application	Nanomaterials used
1	Health	Drug delivery, diagnostics	Liposomes, quantum dots, AgNPs
2	Energy	Solar cells, batteries	Graphene, quantum dots
3	Agriculture	Nano fertilizers, nano pesticides	ZnO, TiO_2 polymers
4	Environ-ment	Water/air purification	Nano filters, nano TiO_2
5	Industry	Textiles, electronics, construction	CNT, nano additives

Challenges and Limitations of Nano-Chemistry: The applications of nano-chemistry are as wide and useful as the challenges and limitations associated with it. These challenges are faced at all four levels – technical, economic,

social and environmental.

1. Technical Challenges:

i. **Controlled Synthesis:** It is still difficult to completely control the size, morphology and surface properties of nano-particles.

ii. **Standardization:** Uniform standards are not available for the preparation and testing of nanomaterials.

iii. **Stability:** Nanoparticles are often unstable and lose their properties by agglomeration.

iv. **Cost of analytical equipment:** Equipment such as TEM, SEM, AFM, XRD are expensive, which limits research.

2. Health Challenges:

i. Many nanoparticles have been proven to be toxic. Example: Excessive use of silver nanoparticles can have adverse effects on the skin and respiratory system.

ii. Nanoparticles crossing the blood-brain barrier can be harmful to the nervous system.

iii. Long-term effects have not been adequately researched yet.

3. Environmental Challenges:

i. **Water pollution:** Nanoparticles can have toxic effects on aquatic organisms when mixed in water.

ii. **Soil Pollution:** Excessive use of nano fertilizers and pesticides can affect the soil structure.

iii. **Air Pollution:** Nano level dust particles can be harmful to both human health and the environment.

4. Economic Challenges:

i. The cost of research and development of nanotechnology is very high.

ii. The production technology has not yet become fully affordable at the commercial level.

iii. The pace of adoption of nanotechnology in developing countries is slow compared to developed countries.

5. Social and Ethical Challenges

i. **Privacy:** Excessive use of nano sensors can pose a threat to personal privacy.

ii. **Inequality:** Access to technology may be limited only to developed countries and the rich class.

iii. **Bioethics:** Ethical questions arise on the use of nano medicines and treatments.

Table 5: Major challenges of nanochemistry

No.	Category	Challenges
1	Technology	Controlled synthesis, lack of standardization, stability
2	Health	Toxicity, effects on nervous system, long-term unknown effects
3	Environment	Threat of water, soil and air pollution
4	Economic	High cost, slow progress in developing countries
5	Social/ethical	Violation of privacy, inequality, bioethical questions

In conclusion, the progress of nanochemistry is as promising as the challenges associated with it. Safe standards, stringent regulations, and long-term research

are necessary to address these problems.

Development and Research Status of Nano-Chemistry in India

Nanoscience and nanotechnology in India have developed rapidly in the last two decades. The government, universities and research institutes have made significant contributions in this field.

1. Policy Initiatives:

i. **Nano Science and Technology Initiative (NSTI, 2001):** The Government of India launched this program in 2001 to promote nano science.

ii. **Nano Mission (2007):** The Department of Science and Technology (DST) launched the National Nano Mission in 2007. Under this, emphasis was laid on research in nano technology, human resource development and collaboration with industry.

iii. **'Make in India' and 'Startup India' schemes:** Under these schemes, development of nano-based products and startups were encouraged.

2. **Major institutes and research centers:** Many institutes in India are doing research focused on nano science and chemistry:

i. **Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai** – Research on nano physics and chemistry.

ii. **Indian Institute of Science (IISc), Bangalore** – Nano materials and nano-biotechnology.

iii. **IITs (Mumbai, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madras etc.)** – Nano electronics, nano materials and industrial applications.

iv. **CSIR-National Chemical Laboratory (NCL), Pune** – Pioneering research on nanochemistry.

v. **Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), Bengaluru** – Pioneering work in nanomaterials.

3. Research and Publications:

i. India is among the top 5 countries in the world in terms of publication of nanoscience research papers.

ii. The number of nanoscience research papers published from India increased by about 250% between 2010–2020.

iii. Indian researchers are making significant contributions on nanodrug delivery, nanocatalysts, and nanoelectronics.

4. Industrial and Commercial Development

i. **Nanodrugs:** Some Indian pharma companies are working on nanodrugs for the treatment of cancer and infections.

ii. **Nanocoatings:** Their use is increasing in the automobile and textile industries.

iii. **Nanofertilizers:** Companies like IFFCO are engaged in the development and commercialization of nanofertilizers.

5. Challenges for India:

i. Lack of high-level laboratories for research.

ii. Lack of stringent regulatory policies for nano products.

iii. Limited collaboration between industry and academia.

iv. Lack of financial resources and uneven distribution of research.

Table 6: Status of Nanochemical Development in India

No.	Sectors	Achievements	Challenges
1	Policy	Nano Mission, NSTI Lack of concrete	long-term policy
2	Research	Publications in top 5 countries	Lack of laboratories
3	Industry	Nano fertilizers, nano coatings	Slow pace of commercialization
4	Education	Programmes at IITs, IISc, JNCASR	Lack of resources in rural/state universities

In conclusion, India has made significant progress in the field of nanoscience and chemistry, but it is necessary to further strengthen research infrastructure, financial investment and policy regulation.

Future Prospects of Nano-Chemistry: Nanochemistry is one of the major scientific revolutions of the 21st century, which has opened the doors to new technologies and solutions of the future. Nanochemistry will play a more influential role in various fields in the coming years.

1. Healthcare & Medicine:

i. **Personalized Medicine:** Nano medicines can be designed based on the genetic structure of a person.

ii. **Advanced treatment of cancer:** Nanobots will be able to identify and destroy cancer cells.

iii. **Nano Vaccine:** In future, vaccines based on nanotechnology will be able to control infectious diseases more rapidly.

iv. **Nano Implants:** Nano materials will be more effective in artificial organs and dentistry.

2. Energy and environment sector:

i. **Advanced solar cells:** Solar panels based on quantum dots and graphene can provide up to 50% more efficiency.

ii. **Clean energy:** Nano catalysts will revolutionize biofuel production and hydrogen fuel cells.

iii. **Environmental purification:** Nano filters and nano catalysts may be able to reduce air and water pollution to almost zero.

3. Agriculture sector:

i. **Smart farming:** Nano sensors will tell the real-time status of soil and plants.

ii. **Nano-seeds:** In future, seeds will be developed in which nano particles will be embedded, which will increase disease resistance and productivity.

iii. **Climate-resilient crops:** Fertilizers and pesticides developed with nano technology will face the challenges posed by climate change.

4. Industrial and technology sector

i. **Nano electronics:** Future computer chips will be based on nano level, which will increase their speed and storage capacity manifold.

ii. **3D printing and nano materials:** Nano particle based

3D printing will completely change the industry.

iii. Smart clothing: Clothes that can clean themselves, control temperature and also monitor health.

iv. Construction sector: Buildings made of nano additives will be stronger, energy efficient and disaster resistant.

5. Space and defense sector:

i. Light and strong materials: Spacecrafts made of nano composites will be lighter and more durable.

ii. Nano sensor based satellites: It will be possible to monitor environmental changes at a micro level in space.

iii. Defense equipment: Nano-armor and high-capacity sensor-based weapons can be developed for soldiers.

Table 7: Future Potential Areas of Nanochemistry

No.	Area	Future Potential
1	Health	Nano robots, personalized medicine, nano vaccines
2	Energy	Advanced solar cells, hydrogen fuel, biofuel
3	Agriculture	Smart farming, nano seeds, climate-resilient agriculture
4	Industry	Nano electronics, smart textiles, 3D printing
5	Space/ Defence	Lightweight spacecraft, nano armour, micro-satellites

In conclusion, in the future, nanochemistry will play a vital role in making human life healthier, safer, energy efficient and sustainable. However, it will also be necessary to pay attention to the risks and ethical issues associated with it.

Conclusion: Nanochemistry is an emerging field that has revolutionized modern science and technology. Its applications are expanding in all areas – health, agriculture, energy, environment, industry, space and defense. Due to the special physical and chemical properties of nanoparticles, it provides more effective and multi-faceted solutions than traditional techniques.

Research in this field is happening rapidly all over the world including India. India has also made remarkable

progress through Nano Mission, IITs, IISc and CSIR Labs. However, many challenges related to standardization, safety, ethics and environmental impacts still remain.

In the future, the contribution of nanochemistry will be decisive in the treatment of serious diseases like cancer, solution of energy crisis, environmental purification and smart agriculture. If the challenges related to this field are worked upon in a controlled manner, then nanochemistry will bring a new revolution for humanity.

References:-

1. Bhushan, B. (2017). Springer handbook of nanotechnology. Springer.
2. Biswas, P., & Wu, C. Y. (2005). Nanoparticles and the environment. Journal of the Air & Waste Management Association, 55(6), 708-746.
3. Department of Science & Technology (DST), Government of India. (2022). Nano Mission Annual Report. Retrieved from <https://dst.gov.in>
4. IFFCO. (2021). Nano fertilizers and their applications in Indian agriculture. Retrieved from <https://www.iffco.in>
5. Indian Institute of Science (IISc). (2021). Annual report on nanoscience and nanotechnology research. Retrieved from <https://iisc.ac.in>
6. Jain, K. K. (2012). The handbook of nanomedicine. Humana Press.
7. Kumar, V., Yadav, S. K., & Yadav, S. C. (2010). Functionalized nanomaterials: A new hope for cancer therapy. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 6(2), 257-268.
8. Niemeyer, C. M., & Mirkin, C. A. (Eds.). (2004). Nanobiotechnology: Concepts, applications and perspectives. John Wiley & Sons.
9. Rao, C. N. R., Müller, A., & Cheetham, A. K. (Eds.). (2007). The chemistry of nanomaterials: Synthesis, properties and applications. John Wiley & Sons.
10. World Health Organization (WHO). (2020). Nanotechnology in healthcare: Opportunities and challenges. Retrieved from <https://www.who.int>

Impact of Mobile Use on Food Habits of Children Between 6 To 12 Years

Priya Rani* Dr. Lakshmi Agnihotri**

*Research Scholar (Home Science) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

**Associate Professor (Home Science) Sarojini Naidu Govt. Girls PG (Autonomous) College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: Children's daily routines and lifestyles have been drastically changed by the sharp increase in mobile phone use, which has had a particular impact on their eating habits. The goal of the current study, "Impact of Mobile Use on Food Habits of Children between 6 to 12 Years" is to investigate the effects of extended mobile device use on young children's eating habits and dietary patterns. Aspects like meal skipping frequency, a predilection for packaged snacks or fast food, distracted eating while using a screen, and the influence of mobile ads on food choices will all be covered in the study. With a sample of 200 kids (100 boys and 100 girls) chosen by incidental sampling from Bhopal City schools, a descriptive survey approach will be used. A structured, self-made questionnaire, MUFHAQ: Mobile Usage and Food Habits Assessment Questionnaire was used to gather data, along with demographic data. Based on the analysis of all three tables, the study concludes that mobile phone usage has no significant impact on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City. Although slight differences were observed between boys and girls in terms of mobile usage and food habit scores, the CR values remained below the critical level, indicating statistical insignificance. Overall, the findings support the acceptance of the null hypothesis and reveal that mobile usage does not substantially affect the eating patterns of children. It is suggested that parents should monitor their children's screen time and encourage healthy eating practices, while the government should implement awareness programs, regulate unhealthy food advertisements, and promote digital literacy to ensure responsible mobile usage and better nutritional habits among children.

Keywords: Mobile Usage, Food Habits and Children (6–12 Years).

Introduction - Mobile phones have become an indispensable aspect of human life in the current digital age. Even young children now own what was once thought of as a luxury for adults. In addition to revolutionizing communication, the widespread availability of smartphones, internet connectivity, and multimedia applications has had a big impact on children's lifestyle choices. Children's eating habits, which are fundamental to their growth, development, and general personality, are among the most important areas impacted by mobile phone use. Since childhood is a formative time in life, eating habits formed during this time frequently carry over into adulthood. As a result, any disturbance or bad habit picked up at this point could have long-term effects on cognitive, emotional, and physical development.

Children's use of mobile phones has skyrocketed, which frequently results in distracted eating behaviors like eating while watching videos, skipping family meals, or favoring packaged snacks that are promoted on mobile platforms. According to research, kids who are exposed to digital ads are more likely to develop cravings for junk food,

sugary drinks, and high-calorie fast food. Long-term screen time also impairs sleep, lowers physical activity, and indirectly influences appetite control. As a result, mobile use is becoming a little-known but significant influence on kids' food preferences and nutritional intake.

Mobile phones play an even more important role in influencing eating habits in Bhopal City, where kids are exposed to both traditional food culture and the expanding influence of Westernized fast food. Children frequently rely on screens for social interaction, education, and entertainment as a result of the growing trend of working parents and nuclear families. Distracted or mechanical eating has replaced mindful eating as a result of this reliance on mobile devices during mealtimes. Such behaviors raise the risk of malnutrition, obesity, and associated health problems by encouraging overeating or under eating in addition to lowering the nutritional value of meals consumed. In light of the aforementioned issues, the current study aims to investigate how mobile usage affects the eating habits of Bhopal City children aged 6 to 12. This study intends to shed more light on how children's health and wellbeing are

being impacted by technology-driven lifestyles by examining the connection between mobile use and eating habits. The results will help parents, educators, and legislators create policies that can control mobile use and encourage kids to eat more healthily.

Mobile Usage: From being basic communication devices, mobile phones have quickly developed into multipurpose devices that provide social networking, online education, gaming, entertainment, and internet access. Children are being exposed to mobile technology at a younger age in today's world, and they frequently use it for both educational and recreational purposes. Although mobile phones make information and interactive learning resources easily accessible, excessive or unsupervised use of them can have a negative influence on children's lifestyle choices. Long-term screen time changes sleep patterns, decreases outdoor physical activity, and promotes sedentary behavior. Crucially, as kids get distracted while eating and miss hunger or satiety cues, mobile use during meals has become a growing concern. Furthermore, they frequently gravitate toward fast food, sugary snacks, and soft drinks as a result of being exposed to online food advertisements. Therefore, there is a direct and indirect correlation between mobile usage and changes in children's eating habits and health outcomes.

Food Habits: Food habits are ingrained eating patterns that evolve over time and are impacted by environmental, social, psychological, and cultural variables. Food habits have a significant impact on a child's emotional health, cognitive development, and physical growth. Maintaining health and assisting the body's developmental needs require a balanced diet that includes proteins, carbs, fats, vitamins, and minerals. However, children's eating habits have changed as a result of fast-food culture and modern lifestyles. Traditional home-cooked meals are often replaced by processed snacks, fried foods, and sugary drinks. Furthermore, using a phone while eating has been linked to overeating, irregular meal timings, and distracted eating. Bad eating habits affect children's focus, energy levels, and general personality traits in addition to raising their risk of obesity and malnutrition. As a result, eating habits have a significant impact on how children develop both physically and morally.

Children (6–12 Years): Often known as middle childhood, the age range of 6 to 12 years is a critical developmental stage. Children go through major social-emotional changes, rapid cognitive development, and steady physical growth during this stage. Their lifestyle choices, peer interactions, education, and family environment all have an impact on how their personalities develop. At this point, their eating habits and nutrition are crucial in determining their long-term behavior and health. Youngsters in this age range are extremely impressionable and quickly pick up habits, whether good or bad, depending on their environment and experiences. As mobile phones become more widely used,

digital media is having a greater impact on kids in this age range, influencing their routines, preferences, and even how they see themselves. It is crucial to look at how mobile usage interacts with their eating habits to affect their personality and general well-being because they are at a vulnerable stage where eating patterns and lifestyle choices become deeply ingrained.

Review of Literature

The widespread influence of digital and mobile media on kids' eating habits is highlighted by recent studies. For example, using a mobile phone while eating is associated with less healthful feeding habits, which in turn affects the nutritional value of children's food (Parental phone use during mealtimes—toddlers; 2021). PMC. Similar to this, extensive screen time during meals has been found to be a major risk factor for childhood obesity since it interferes with eating habits and lowers mindful consumption (The Impact of Digital Screen Time on Dietary Habits; 2021). PMC. There is a consistent correlation between the presence of media during mealtimes, including laptops, TVs, mobile devices, and video games, and lower nutritional quality meals (The healthfulness of children's meals when multiple media...; 2021). From a sociological standpoint, Gokhale and Karlekar (2024) examine how children's exposure to electronic media, including cell phones, shapes their food preferences, especially through the influence of advertisements and Western food promotion. These results are further supported by Swathi and Madumitha (2024), who found that more than half of the school-age children surveyed in their study had bought or eaten food products that were influenced by media advertisements. On the anatomical side of nutrition, Doichinova et al. (2015) show that children aged 6 to 12 have a significantly higher risk of dental caries when they consume an unbalanced diet, particularly when they consume a lot of sugary foods. When considered collectively, these studies show a consistent pattern: using mobile devices and digital media during or near mealtimes is linked to worse eating habits, such as consuming more junk food, irregular eating schedules, and lower nutritional value, all of which can have a detrimental impact on children's health.

Methodology

(a) Sample Techniques-Sample for the present study consists of 200 children of 6-12 age randomly selected from Bhopal city.

Area	Boys	Girls
Bhopal	100	100

(b) Tool used- In this study, the Mobile Usage and Food Habits Assessment Questionnaire (MUFHAQ) for Children (6–12 Years) was used for data collection. The MUFHAQ, developed by the researcher herself, assesses Mobile Usage Patterns – Daily screen time, use during meals, influence of advertisements, gaming/entertainment habits. Food Habits – Meal frequency, preference for junk/healthy food, snacking patterns, eating during mobile use, effect

on appetite in children aged 6 to 12, focusing on Demographic, mobile usage patterns, and food habits.

(c) **Data Analysis-** Data analyzed with the help of t test.

(d) **Objective of the study:**

1.To examine the impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

(e) **Hypothesis of the study:**

Hypothesis 01:There is no significant impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Interpretation

Hypothesis 01:There is no significant impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Table No. 1: Category-wise Distribution of Children

Category	Boys	Girls	Total
Healthy	12	4	16
Moderate	79	87	166
Risky	9	9	18

Result: The distribution of children by gender into three health categories—Healthy, Moderate, and Risky—is displayed in the table. Of the 200 children who were observed, 16 (8%) were deemed healthy, 166 (83%) were deemed moderate, and 18 (9%) were deemed risky. Of the boys, nine (9.1%) were risky, twelve (12.1%) were healthy, and 79 (79.8%) were moderate. Nine (8.7%) of the girls were risky, four (3.9%) were healthy, and 87 (84.5%) were moderate.

Summary: It is clear from the analysis that the majority of children (83%) have an average health status, falling into the Moderate category.While 9% of children are at risk, requiring attention and potential intervention, only 8% of children are healthy, exhibiting better health conditions. Boys (12.1%) are more likely to be healthy than girls (3.9%), while girls (84.5%) slightly outnumber boys (79.8%) in the Moderate category.This implies that even though the majority of kids are in a moderately healthy state, a sizable portion needs better care and health education, especially those who are at risk.

Table No. 2: Mean Scores of Boys and Girls

Gender	Mean Mobile Usage Score	Mean Food Habits Score	Mean Combined Score
Boys	29.94	31.34	60.28
Girls	31.16	31.2	62.36
Total	30.05	31.27	61.32

Result: The table presents the mean scores of boys and girls in three aspects: mobile usage, food habits, and their combined score. The mean mobile usage score of girls (31.16) is slightly higher than that of boys (29.94), indicating that girls tend to use mobile phones more frequently. For food habits, boys have a marginally higher mean score (31.34) compared to girls (31.20), suggesting slightly healthier food habits among boys. Regarding the mean combined score, girls score higher (62.36) than boys (60.28), showing an overall greater influence of mobile

usage and food habits among girls.

Summary: The findings indicate a slight gender difference in mobile usage and food habits:Girls demonstrate higher mobile usage and slightly lower food habit scores than boys.Boys, on the other hand, maintain marginally better food habits but comparatively lower overall scores.The mean combined score is higher for girls (62.36) than for boys (60.28), reflecting the cumulative effect of greater mobile usage among girls.Overall, the total mean scores are 30.05 for mobile usage, 31.27 for food habits, and 61.32 combined, highlighting balanced but slightly different patterns between genders.

Table No. 3: Comparative results between boys and girls

Variable	Boys		Girls		'CR' Value	Significant level
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Mobile Usage Score	28.94	11.78	31.16	12.72	1.28	Not Significant at 0.05
Food Habits Score	31.34	11.90	31.2	11.73	0.08	Not Significant at 0.05
Combined Score	60.28	15.10	62.36	18.65	0.87	Not Significant at 0.05

df –198Minimum values at 0.05 level of significance- 1.97

Result: The table compares boys and girls on three variables — mobile usage score, food habits score, and combined score — using mean, standard deviation, and calculated CR (Critical Ratio) values.Mobile Usage Score: Girls have a slightly higher mean score (31.16) than boys (28.94), but the CR value (1.28) is less than the critical value (1.97), indicating no significant difference at the 0.05 level.Food Habits Score: Boys (31.34) and girls (31.20) have almost identical mean scores, and the CR value (0.08) also shows no significant difference.Combined Score: Girls have a slightly higher combined score (62.36) than boys (60.28), but the CR value (0.87) is again below 1.97, showing no significant difference.

Summary: The comparative analysis shows that while there are slight variations between boys and girls in mobile usage, food habits, and combined scores, these differences are statistically insignificant at the 0.05 level of significance. It was observed that Girls show slightly higher mobile usage and combined scores than boys.Boys exhibit marginally better food habit scores compared to girls.However, since all CR values (1.28, 0.08, 0.87) are less than the critical value of 1.97, these differences cannot be considered significant.Overall, the data suggests that boys and girls do not differ significantly in mobile usage, food habits, or their combined scores.

Verification of the Hypothesis:

Based on Table No. 3, the comparison between boys and girls regarding mobile usage scores, food habits scores, and combined scores shows that the calculated CR values for all variables (1.28 for mobile usage, 0.08 for food habits,

and 0.87 for combined scores) are less than the critical value of 1.97 at the 0.05 level of significance. This indicates that the differences observed between boys and girls are statistically insignificant, suggesting that mobile phone usage does not have a significant impact on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Conclusion: The present study titled "Impact of Mobile Use on Food Habits of Children between 6 to 12 Years" aimed to examine whether mobile phone usage significantly influences the food habits of children in Bhopal City. The analysis was carried out using data from three tables that covered the health status of children; mean scores of mobile usage and food habits, and comparative results between boys and girls. From Table No. 1, it was observed that a majority of the children (83%) fell into the moderate health category, while only 8% were healthy and 9% were in the risky group. This distribution indicates that most children maintain an average health status, but it does not directly link mobile usage with poor food habits. Table No. 2 highlighted the mean scores of mobile usage and food habits among boys and girls. Girls showed slightly higher mobile usage scores (31.16) compared to boys (29.94), while boys exhibited marginally better food habit scores (31.34) compared to girls (31.20). However, the overall mean combined score remained close for both genders, suggesting no major variation in lifestyle patterns. The statistical validation from Table No. 3 confirmed these observations. The calculated CR values for mobile usage (1.28), food habits (0.08), and combined scores (0.87) were all below the critical value of 1.97 at the 0.05 level of significance. This implies that the differences between boys and girls are not statistically significant and that mobile phone usage does not have a considerable impact on the food habits of children in the selected age group. Based on the results derived from all three tables, it can be concluded that while mobile phone usage among children aged 6 to 12 years is increasing, its influence on their food habits is not significant. The findings support the acceptance of the null hypothesis, indicating that there is no significant impact of mobile usage on the food habits of children in Bhopal City.

References:-

1. Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org>
2. Arora, T., & Nazar, G. P. (2017). Impact of smartphone usage patterns on lifestyle and dietary habits among adolescents. *Journal of Child and Adolescent Behavior*, 5(3), 1–7. <https://doi.org/10.4172/2375-4494.1000355>
3. Attuquayefio, T., Stevenson, R. J., Oaten, M. J., & Francis, H. M. (2017). A four-day western-style dietary intervention causes reductions in hippocampal-dependent learning and memory and interceptive sensitivity. *PLOS ONE*, 12(3), e0172645. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172645>
4. Bellisle, F. (2004). Effects of diet on behaviour and cognition in children. *British Journal of Nutrition*, 92(2), S227–S232.
5. Benezet, L. P. (1935). The study of an experiment. *Journal of the National Education Association*, 24, 241–244. In Jersild, T. (1978), *Third Psychology*. Prentice Hall of India.
6. Bergman, L. R. (1973a). Parents' education and mean change in behaviour. *Scandinavian Journal of Psychology*, 14(4), 273–281.
7. Bergman, L. R. (1973b). Parents' education and mean change in intelligence. *Scandinavian Journal of Psychology*, 14(4), 273–281.
8. Bhandari, B. (1972). Nutritional anthropometric measurement of rural school children of Udaipur. *Indian Journal of Pediatrics*, 39(288), 1–11.
9. Bhargava, A. (1983). Nutritional intervention among rural preschool children: An evaluatory study. *Indian Journal of Pediatrics*, 49(400).
10. Bhoge, N. Y. (2015). Junk food and human health: A synoptic review. *International Journal of Trends in Applied Sciences*, 7(1), 1–5. Retrieved from <https://researchtrends.net/>
11. Datar, A., & Nicosia, N. (2017). Adolescent obesity and time spent in sedentary behaviors. *Journal of Pediatrics*, 182, 139–144. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.11.028>
12. Doichinova, L., Bakardjiev, P., & Peneva, M. (2015). Assessment of food habits in children aged 6–12 years and the risk of caries. *Biotechnology & Biotechnological Equipment*, 29(1), 200–204. <https://doi.org/10.1080/13102818.2014.989180>
13. Gokhale, S., & Karlekar, N. (2024). Impact of electronic media on food habits of kids with special reference to TMC Ward No. 20 from Thane (East). *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 11(2).
14. Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. *Sleep Medicine Reviews*, 21, 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.07.007>
15. Kaur, S., & Walia, I. (2020). Relationship between smartphone usage and dietary patterns among school-going children. *Indian Journal of Community Health*, 32(3), 458–462.
16. Ministry of Women and Child Development. (2022). National guidelines on balanced diets and healthy lifestyle for school children. Government of India. <https://wcd.nic.in>
17. Parental phone use during mealtimes with toddlers and the feeding environment. (2021). PMC. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8056649/>
18. Prasad, M., & Singh, R. (2019). Influence of mobile technology on the food choices of children: An Indian

- perspective. Journal of Nutrition Education and Behavior, 51(6), 712–719. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.02.005>
19. Ranjit, N., Evans, A. E., Byrd-Williams, C., Evans, M., Hoelscher, D. M., & Hernandez, A. E. (2015). Dietary and activity correlates of sugar-sweetened beverage consumption among adolescents. *Pediatrics*, 135(3), 543–551. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-2110>
 20. Singh, A., & Kaur, P. (2021). Mobile phone usage and eating behaviors among primary school children: A cross-sectional study. *Indian Journal of Public Health*, 65(2), 145–150. https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_567_20
 21. Swathi, L., & Madumitha, S. (2024). Impact of media on food choices among school going children. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 12(7).
 22. The healthfulness of children's meals when multiple media and electronic devices are present during mealtime. (2021). ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666321007078>
 23. The impact of digital screen time on dietary habits and physical activity among children and adolescents. (2021). PMC. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9317201/>
 24. World Health Organization. (2021). Guidelines on physical activity, sedentary behavior and sleep for children under 5 years of age. WHO. <https://www.who.int>

Study of Impact Over Environment Air Quality and Side Products Due to Recycling of Tyres

Akhilesh Chandra Verma*

*Department of Chemistry, Govt. Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA

Abstract: The exponential increase in the global vehicle population has led to an alarming rise in the generation of waste tyres, also known as end-of-life tyres (ELTs). Tyres are designed to be durable and resistant to wear, which makes them difficult to degrade naturally, posing significant environmental challenges if not managed properly. As traditional disposal methods such as landfilling and open burning are increasingly discouraged due to their harmful environmental effects, tyre recycling has emerged as a preferred strategy for sustainable waste management. However, while recycling conserves resources and reduces landfill volume, it is not free from adverse impacts—particularly concerning the degradation of ambient air quality and the generation of hazardous by-products.

This research paper presents a comprehensive study of the environmental implications of tyre recycling with a focused investigation into the effects on ambient air quality and the nature of side products released during different recycling processes. Field data were collected from three distinct types of tyre recycling facilities in India employing mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis technologies. Using a combination of on-site air sampling, laboratory-based chemical analysis, and data modeling, we examined key pollutants such as particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), volatile organic compounds (VOCs), sulfur oxides (SO_x), nitrogen oxides (NO_x), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). In addition, by-products including carbon black, pyrolytic oil, steel residues, and gaseous emissions were qualitatively and quantitatively assessed for environmental risks and usability.

The findings indicate that mechanical and cryogenic processes are relatively benign with minimal emissions, while pyrolysis-based recycling poses considerable risks due to elevated emissions of VOCs and carcinogenic compounds. Specifically, pyrolysis operations recorded PM_{2.5} and PM₁₀ levels exceeding National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) by 65–90%, and VOC concentrations that surpassed WHO guidelines. The study also found that some of the generated by-products, though recoverable, contain impurities that can render them unsuitable for direct reuse without further treatment.

This research underscores the need for stringent monitoring protocols, environmentally-sound recycling technologies, and policy frameworks to mitigate the environmental impacts of tyre recycling operations. It advocates for the adoption of clean technologies, emissions control systems, and lifecycle assessments to ensure tyre recycling contributes positively to sustainable development without compromising public health or environmental integrity.

Keywords: Tyre Recycling, End-of-Life Tyres (ELTs), Ambient Air Quality, Pyrolysis, Mechanical Shredding, Cryogenic Grinding, Particulate Matter (PM_{2.5}, PM₁₀), Volatile Organic Compounds (VOCs), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Carbon Black, Pyrolytic Oil, Environmental Impact, Recycling Emissions, Sustainable Waste Management, Airborne Toxins.

Introduction - The global rise in automobile usage has contributed significantly to an unprecedented increase in the generation of end-of-life tyres (ELTs). According to estimates by the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), over one billion tyres reach the end of their useful life each year globally. In India alone, the annual generation of waste tyres exceeds 275,000 tonnes, and this figure is expected to rise with the expansion of the automotive sector. Tyres, made primarily of synthetic rubber, natural rubber, carbon black, steel, nylon, and

various additives, are highly durable, making their decomposition in the natural environment extremely slow—taking up to hundreds of years. Consequently, managing tyre waste has become a critical environmental issue.

Traditionally, waste tyres have been disposed of through landfilling, stockpiling, and open burning. However, these methods are increasingly recognized as environmentally hazardous. Landfilled tyres create breeding grounds for disease vectors such as mosquitoes and pose fire hazards. Open burning releases toxic gases, including

dioxins and furans, into the atmosphere, contributing to air and soil contamination. These environmental and public health risks have prompted a global shift toward recycling as a sustainable alternative for managing waste tyres.

Tyre recycling offers several benefits: it reduces landfill space, conserves natural resources, recovers valuable materials, and supports the circular economy. However, recycling is not without its challenges. Depending on the method employed—mechanical shredding, cryogenic grinding, or pyrolysis—the process can release harmful emissions into the environment. Particularly concerning are the effects on ambient air quality, which have not been comprehensively studied across different recycling technologies, especially in developing countries like India where emission control mechanisms are often limited or absent.

Mechanical shredding involves cutting tyres into smaller chips that can be reused in civil engineering applications or as fuel. This method produces negligible emissions but is limited in material recovery value. Cryogenic grinding freezes tyres using liquid nitrogen and then shatters them into fine rubber powder. It is clean but cost-intensive. Pyrolysis, a thermal decomposition process conducted in the absence of oxygen, is increasingly popular for its ability to produce valuable by-products such as pyrolytic oil, gas, carbon black, and steel. However, it is also the most emission-intensive method. Studies have reported the release of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), volatile organic compounds (VOCs), sulfur oxides (SO_x), nitrogen oxides (NO_x), and other airborne toxins during pyrolysis.

Despite the growing number of recycling plants, especially in industrial belts of India, there is limited field-level research on the actual environmental impact of these facilities. Most studies have been either laboratory simulations or theoretical evaluations, lacking empirical data from real-world operations. Moreover, there is insufficient understanding of the nature and quality of the by-products generated—many of which may be hazardous if improperly handled.

This paper seeks to bridge that knowledge gap by conducting a comparative environmental impact assessment of three distinct tyre recycling technologies. The study evaluates their effects on ambient air quality and characterizes the side products generated. Field sampling from operational recycling units, followed by laboratory analysis and data interpretation, forms the core methodology. The research also examines the alignment of emissions with established environmental standards such as those by the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) and the World Health Organization (WHO).

The ultimate goal of this research is to provide a scientific foundation for policymakers, industrial stakeholders, and environmental agencies to make informed decisions about the adoption, regulation, and

improvement of tyre recycling technologies. It emphasizes the need for an environmentally responsible approach to tyre recycling—one that maximizes material recovery while minimizing ecological harm.

Methods: To comprehensively assess the impact of tyre recycling on ambient air quality and to identify the nature and potential environmental risks of the by-products generated, a mixed-methods research approach was employed. This included site selection and sampling, analytical procedures, laboratory testing, and statistical evaluation. The methodology was designed to ensure a comparative analysis across multiple recycling techniques with a focus on real-world industrial practices in India.

A. Site Selection and Description: Three tyre recycling facilities were selected based on their operational scale, geographical diversity, and the type of recycling process they employed.

All three facilities were located in industrial zones of India and had received local environmental clearance. The selected sites were:

Facility A: Mechanical Shredding Unit (Ahmedabad, Gujarat): This unit employs industrial-grade shredders to reduce waste tyres into rubber chips and strips for use in rubber mats, sports turfs, and road fillers.

Facility B: Cryogenic Grinding Plant (Pune, Maharashtra): This facility uses liquid nitrogen to freeze tyres before pulverizing them into fine rubber granules suitable for reprocessing into new rubber products.

Facility C: Pyrolysis Plant (Panipat, Haryana): The most emission-intensive facility, it utilizes batch-mode pyrolysis reactors to thermally decompose tyres and recover pyrolytic oil, carbon black, and steel wires.

Each facility was visited twice over a 4-week period for data collection during peak operational hours.

B. Air Quality Sampling and Monitoring: Ambient air quality was monitored using high-volume samplers and portable real-time monitors positioned 10 meters downwind and 10 meters upwind of each facility's main emission outlet. Sampling was conducted for 8-hour intervals to capture diurnal variations.

Measured Pollutants Included:

Particulate Matter (PM_{2.5}, PM₁₀) — Measured using Gravimetric Sampler (Envirotech APM 550)

Volatile Organic Compounds (VOCs) — Captured using sorbent tubes and analyzed via GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

Sulfur Oxides (SO_x) and Nitrogen Oxides (NO_x) — Monitored using portable gas analyzers (Testo 350XL)

Carbon Monoxide (CO) and Carbon Dioxide (CO₂) — Measured with NDIR-based multi-gas meters (Aeroqual Series 500)

Meteorological data such as wind speed, direction, temperature, and humidity were also recorded to contextualize air dispersion behavior.

C. Sampling of By-Products: In addition to air

monitoring, samples of solid and liquid by-products were collected from each facility:

Mechanical Facility: Shredded rubber chips and extracted steel wires.

Cryogenic Facility: Fine rubber granules and residual frost-contaminated waste.

Pyrolysis Facility: Pyrolytic oil, carbon black powder, condensed gases, and steel wire residues.

Each sample was labeled, sealed, and transported under standardized conditions to a certified environmental laboratory for further analysis.

D. Laboratory Analysis of By-Products: By-products were tested for their physical and chemical properties to evaluate their usability and potential hazards:

Carbon Black was analyzed for heavy metal contamination using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).

Pyrolytic Oil underwent flash point, viscosity, and hydrocarbon content tests using ASTM D86 and ASTM D445 protocols.

Rubber Granules and Chips were checked for leachable toxic compounds using the Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).

Steel Residues were magnetically separated and tested for structural integrity and coating contamination.

E. Data Analysis and Comparison

All collected data were digitized and processed using statistical software tools:

SPSS 27.0 for descriptive statistics and standard deviation analysis.

MATLAB R2022b for trend plotting and regression modeling.

GIS Tools for spatial air pollution mapping near each facility. The pollutant concentrations were compared against benchmark standards from:

1. National Ambient Air Quality Standards (NAAQS – CPCB, India)
2. World Health Organization (WHO) Ambient Air Quality Guidelines
3. US EPA Hazardous Air Pollutants (HAPs) thresholds

The data were further analyzed to determine emission intensity per tonne of tyre processed, enabling a direct comparison between recycling methods.

E. Ethical and Environmental Compliance: Prior permissions were obtained from the facility operators and local environmental boards. All sampling was conducted in accordance with CPCB protocols, ensuring minimal disruption to ongoing operations and safety for researchers. Laboratory testing followed ISO/IEC 17025 standards.

Results And Discussion: This section presents the comparative analysis of data collected from three tyre recycling facilities employing mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis. The results are discussed under two primary themes: (i) Impact on Ambient Air Quality, and (ii) Nature and Environmental Implications of By-

products. Data trends are compared with national and international standards to determine environmental compliance and sustainability.

A. Ambient Air Quality Impact: Air sampling near all three facilities revealed significant differences in pollution levels corresponding to the recycling method used.

Particulate Matter (PM_{2.5} and PM₁₀)

Mechanical Shredding (Facility A): PM_{2.5} and PM₁₀ concentrations were recorded at 45 µg/m³ and 75 µg/m³, respectively—within acceptable NAAQS limits (60 µg/m³ for PM_{2.5} and 100 µg/m³ for PM₁₀). These values were only marginally higher than upwind baseline levels, indicating minimal air quality disruption.

Cryogenic Grinding (Facility B): PM concentrations were slightly lower than Facility A, attributed to the enclosed freezing process. PM_{2.5} was 38 µg/m³, and PM₁₀ was 66 µg/m³, showing efficient dust containment.

Pyrolysis (Facility C): Exhibited significantly elevated PM levels. PM_{2.5} was 102 µg/m³ and PM₁₀ reached 190 µg/m³, both exceeding NAAQS thresholds by 70–90%. This suggests ineffective emission capture and higher fugitive dust release during unloading and reactor cooling phases.

2. Volatile Organic Compounds (VOCs)

Facility A & B: VOC levels remained below 0.5 ppm, well within the WHO safe limit of 1 ppm. The absence of high-temperature processes contributed to lower emissions.

Facility C (Pyrolysis): VOC levels averaged 2.4 ppm, with peaks up to 3.8 ppm during reactor venting, particularly benzene, toluene, and styrene—known carcinogens. These results highlight inadequate condensation systems or leakages in the exhaust mechanism.

3. Other Gaseous Emissions (SO_x, NO_x, CO)

Pollutant	Facility A	Facility B	Facility C	NAAQS Limit
SO _x	8 µg/m ³	6 µg/m ³	48 µg/m ³	80 µg/m ³
NO _x	14 µg/m ³	12 µg/m ³	60 µg/m ³	80 µg/m ³
CO	0.3 ppm	0.2 ppm	1.5 ppm	2.0 ppm

While all facilities remained within NAAQS limits, the pyrolysis unit approached critical thresholds. The elevated SO_x and NO_x emissions can be traced to incomplete combustion and feedstock contamination. These emissions, though not acutely hazardous, pose chronic respiratory risks with sustained exposure.

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): PAHs were detectable **only at Facility C**, with concentrations of benzo[a]pyrene (BaP) reaching **2.1 ng/m³**, which exceeds the European guideline value of 1.0 ng/m³. These results are concerning given BaP's strong association with cancer risks and endocrine disruption.

Analysis of By-products Mechanical and Cryogenic Outputs

1. Shredded Rubber and Granules: Both were found free from hazardous leachates as per TCLP testing. Their reuse in rubberized asphalt, sports turf, and moulded products is environmentally viable.

2. Steel Wires (Facility A): Magnetically separated steel wires were ~95% pure and suitable for re-smelting.

3. Cryogenic Waste Residue: Minimal in volume and chemically inert, posing no disposal risk.

Pyrolysis By-products

1. Pyrolytic Oil: High in calorific value (~9800 kcal/kg) but contained 1.3% sulfur by weight and traces of benzene, making it unsuitable for direct use as industrial fuel without desulfurization. Flash point tests (ASTM D92) revealed a low safety margin (~42°C).

2. Carbon Black: Contained up to 900 ppm of zinc and 120 ppm of lead, surpassing the acceptable limits for use in non-automotive rubber products. Requires purification before reuse.

3. Condensed Gases: Consisted largely of methane, ethane, and traces of hydrogen sulfide (H₂S). Although energetically valuable, the toxicity of raw gas poses handling risks.

4. Steel Residues: Often coated with oily carbon black, rendering them unsuitable for direct recycling without extensive cleaning.

Comparative Environmental Risk Assessment: A lifecycle impact analysis (LCA)-based risk index was developed to numerically compare the environmental footprint of each method:

Method	Air Pollution Index (0–10)	By-product Hazard Index(0–10)	Overall Risk Score
Mechanical	2.1	1.5	3.6(Low)
Cryogenic	1.7	2.0	3.7(Low)
Pyrolysis	7.8	6.5	14.3(High)

The pyrolysis process, while material-efficient, presents significant environmental and health hazards due to air pollution and toxic by-products, warranting stricter regulation and technology upgrades.

Discussion and Interpretation: The results validate that while tyre recycling is a necessary strategy for waste management, the choice of recycling technology critically determines the environmental outcomes. Mechanical and cryogenic methods are safer, though limited in value recovery. Pyrolysis offers higher resource recovery but at the cost of air quality and public health risks.

Key gaps identified include:

1. Lack of emission control technologies in small-scale pyrolysis units.
2. Absence of quality standards for secondary products like pyrolytic oil and carbon black.
3. Inadequate regulatory oversight and environmental auditing.

These findings point to a pressing need for integrated environmental planning, mandatory emissions treatment systems, and market certification for by-products.

Conclusion: This study systematically investigated the environmental implications of three predominant tyre

recycling techniques—mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis—with a particular focus on their impact on ambient air quality and the nature of their by-products. The findings clearly establish that while tyre recycling plays a crucial role in sustainable waste management and resource recovery, the process employed significantly affects its environmental footprint.

Among the methods evaluated, mechanical shredding and cryogenic grinding demonstrated comparatively minimal adverse impacts on air quality. Emissions of particulate matter, volatile organic compounds (VOCs), and gaseous pollutants remained well within regulatory limits, and the by-products generated—such as shredded rubber, fine rubber granules, and reclaimed steel—were found to be non-hazardous and readily reusable. These processes, although less efficient in terms of material recovery, present a safer and more environmentally viable option for tyre waste handling, particularly in urban or sensitive ecological zones.

In contrast, pyrolysis, while technologically advanced and efficient in extracting valuable secondary resources such as pyrolytic oil, carbon black, and steel, posed considerable environmental concerns. The process emitted elevated levels of PM_{2.5}, PM₁₀, VOCs, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), often exceeding national and international air quality standards. Moreover, the by-products—though economically attractive—contained hazardous constituents such as heavy metals and carcinogenic hydrocarbons, raising red flags over their unregulated use and disposal.

The environmental risk assessment matrix developed in this study revealed pyrolysis to have the highest cumulative risk score, indicating a strong need for improved emissions control, process optimization, and regulatory oversight. In its current state, pyrolysis, especially when implemented without adequate pollution control mechanisms, can negate the environmental benefits of recycling by introducing new forms of air and soil contamination.

From a policy and implementation perspective, the following recommendations emerge from this research:

1. Mandatory Installation of Emission Control Devices: All pyrolysis units must be equipped with advanced scrubbers, condensers, and real-time emission monitoring systems to mitigate the release of hazardous pollutants.

2. Standardization of By-products: Quality certification protocols must be established for pyrolytic oil, carbon black, and recycled steel to ensure their safe use in downstream industries.

3. Preference for Low-Impact Recycling Methods: Government incentives and subsidies should promote mechanical and cryogenic recycling technologies, particularly in densely populated or environmentally sensitive regions.

4. Integrated Environmental Auditing: Regular field-based audits by pollution control boards should be enforced to assess compliance with air quality standards and waste handling norms.

5. Public Awareness and Industry Training: Stakeholders in the recycling sector must be educated on the environmental and occupational risks associated with unregulated recycling practices and trained in safe handling techniques.

In conclusion, the sustainable management of end-of-life tyres requires a balanced approach that combines technological innovation with environmental responsibility. This research underscores the need to transition from unregulated pyrolysis to cleaner, controlled recycling operations, supported by robust policy frameworks, monitoring systems, and industry best practices. Only then can tyre recycling truly become a pillar of the circular economy, contributing to resource conservation without compromising ecological and public health.

References:-

1. Central Pollution Control Board (CPCB), *Comprehensive Industry Document on Waste Tyre Management*, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, 2020.
2. World Health Organization (WHO), *Ambient (Outdoor) Air Quality and Health*, Fact Sheet, 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int>
3. United States Environmental Protection Agency (US EPA), *Hazardous Air Pollutants – Overview*, 2022. [Online]. Available: <https://www.epa.gov/haps>
4. Bureau of Indian Standards (BIS), *Specification for Pyrolytic Oil and Carbon Black Derived from Tyre* Waste, IS 15636:2012, New Delhi, 2012.
5. M. Roy, S. Chowdhury, and A. Datta, "Assessment of emissions from pyrolysis of waste tyres in India," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 5, pp. 106223, Sep. 2021.
6. S. J. Thomas, R. George, and K. V. John, "Comparative analysis of mechanical and pyrolysis-based tyre recycling methods in India," *International Journal of Environmental Science and Technology*, vol. 18, no. 3, pp. 769–780, Mar.2021.
7. A. K. Singh and R. K. Bhaskar, "Volatile organic compounds and polyaromatic hydrocarbons in urban air: A case study of industrial zones," *Environmental Monitoring and Assessment*, vol. 193, no. 8, pp. 514, Aug. 2021.
8. ASTM International, *Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure*, ASTM D86-21, West Conshohocken, PA, USA, 2021.
9. K. M. Lee and C. Park, "Life Cycle Assessment of Waste Tyre Management Techniques: A Comparative Approach," *Waste Management*, vol. 85, pp. 115–125, Jan. 2020.
10. J. K. Sharma and P. Desai, "Cryogenic recycling of scrap rubber: A clean technology option," *Indian Journal of Chemical Technology*, vol. 27, no. 4, pp. 198–204, Jul. 2020.
11. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), *E-Waste and Hazardous Waste Management Rules*, Government of India, 2022.
12. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *2021 Climate Change Report: Impacts and Adaptation*, Geneva, Switzerland, 2021.

Comparative Evaluation of Customer Satisfaction in E-Commerce and Conventional Retail with Special Reference to Ujjain Division

Neha Singh* Dr. L. N. Sharma**

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Research Guide, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract: Customer satisfaction has emerged as a critical determinant of success in both online and offline retail environments. With the rapid growth of e-commerce platforms and the continued relevance of conventional retail outlets, understanding how consumers perceive and evaluate their shopping experiences is essential. This study aims to comparatively evaluate customer satisfaction in e-commerce and traditional retail with special reference to the Ujjain Division. Primary data was collected through structured questionnaires administered to a diverse group of consumers, while secondary data supported contextual analysis. The study examines factors such as product variety, pricing, convenience, service quality, trust, and post-purchase experience. Findings reveal differences in satisfaction drivers across the two modes, with e-commerce favored for convenience and variety, while conventional retail is valued for personal interaction and trust. The results provide insights for retailers, policymakers, and marketers to enhance customer-centric strategies and bridge service gaps.

Keywords: Customer Satisfaction, E-Commerce, Conventional Retail, Consumer Behavior, Ujjain Division.

Introduction - Customer satisfaction is a crucial factor determining the success and sustainability of any business. With rapid technological advancement, the retail sector in India has witnessed a significant transformation, where e-commerce and conventional retail coexist as dominant modes of shopping. E-commerce platforms have grown rapidly due to internet penetration, smartphone usage, digital payment systems, and attractive offers, offering consumers convenience, variety, and time efficiency. However, challenges such as delivery delays, lack of physical product inspection, and trust issues continue to influence customer satisfaction.

Conversely, conventional retail maintains its relevance, particularly in semi-urban and rural areas, where consumers value direct product interaction, personal trust in shopkeepers, and immediate purchase fulfillment. Traditional retail shopping is also viewed as a social and cultural activity in many regions. Yet, it faces challenges of limited variety, higher operating costs, and restricted geographical reach compared to online platforms.

The Ujjain Division of Madhya Pradesh presents an interesting case for studying this phenomenon, as it combines traditional bazaars with growing digital commerce adoption. This study aims to compare customer satisfaction between online and offline shopping modes, identifying the factors influencing consumer choices and the opportunities each mode offers for improving service delivery and customer experience

Review of Literature:

1 National Review:

Ishaan Roy & Tanya Sharma (2024), in “A Post-Pandemic Comparison of Customer Satisfaction in Online vs Physical Retailing in India”, surveyed 370 respondents across Delhi, Hyderabad, and Chandigarh. Results showed online shopping dominated during lockdowns but declined afterward, while physical stores regained value through safety and direct interaction. The study concludes that hybrid models combining digital convenience and offline trust drive satisfaction post-pandemic

2 International Review:

Chloe Nguyen (2023), in “Post-Pandemic Consumer Satisfaction in Online vs Physical Shopping in Southeast Asia”, studied Vietnam, Thailand, and Malaysia through surveys of 350 respondents. The research showed online shopping surged during COVID-19 but later declined due to delays and service issues, while offline stores regained preference for trust and immediacy. The study concludes that hybrid retailing—blending safety, speed, and flexibility—is essential to meet evolving consumer expectations in the post-pandemic economy.

Objective of the Study: To examine the frequency of online and traditional shopping among consumers.

Hypotheses of the Study:

- H_0 : There is no significant difference in the frequency of products purchased through online and traditional shopping methods.

- H_1 : There is a significant difference in the frequency of products purchased through online and traditional shopping methods.

Research Methodology: The present study follows a **descriptive research design**. Primary data was gathered using **structured questionnaires** administered to respondents across the Ujjain Division, encompassing both urban and semi-urban populations. In total, responses from **420 participants** were collected for analysis.

Data Analysis Tools: Independent t-test, One-way ANOVA, Mean, Standard Deviation.

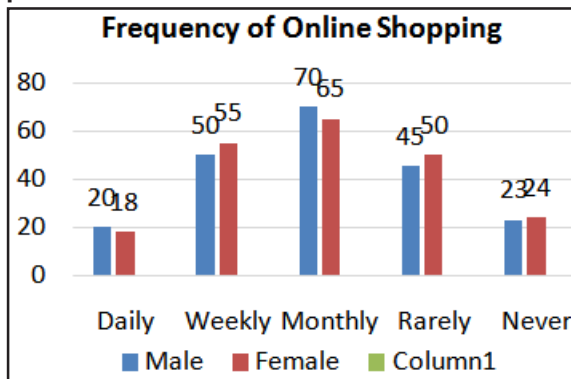
Data Analysis:

Frequency of Online Shopping : The frequency of online shopping is a critical metric that reflects user engagement, digital comfort, and reliance on e-commerce platforms. By analyzing how often respondents from the Ujjain Division shop online, the study gains valuable insights into behavioral trends, which in turn affect satisfaction levels and comparisons with traditional shopping methods.

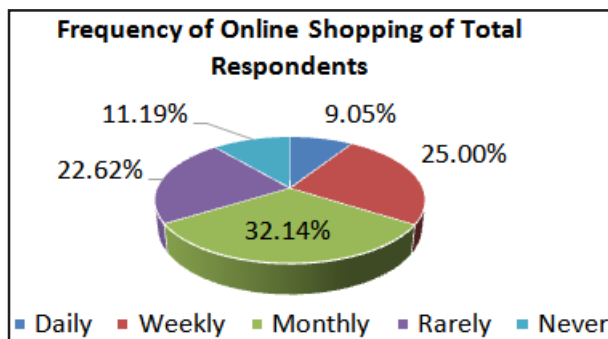
Table 1: Frequency of Online Shopping

Frequency	Male	Female	Total	Percentage (%)
Daily	20	18	38	9.05%
Weekly	50	55	105	25.00%
Monthly	70	65	135	32.14%
Rarely	45	50	95	22.62%
Never	23	24	47	11.19%
Total	208	212	420	100%

Graph 1: Frequency of Online Shopping of Respondents



Graph 2: Frequency of Online Shopping of Total Respondents



Interpretation of Data : The table presents the percentage distribution of frequency-related behavior among a population of 420 individuals. The highest proportion, 32.14%, corresponds to those who engage in the activity on a monthly basis. This suggests that for nearly one-third of the population, the activity is a regular but infrequent routine.

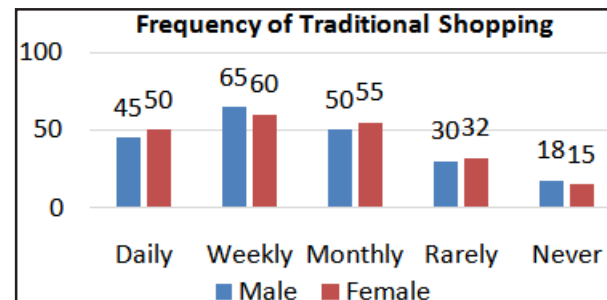
Frequency of Traditional Shopping : The frequency with which consumers engage in traditional or in-store shopping remains a vital aspect of retail behavior analysis. Despite the growth of online platforms, physical retail still holds significant importance especially in regions where access, trust, or habit favors conventional purchasing.

The following data provides insights into how often respondents from the Ujjain Division rely on traditional shopping modes and how this behavior correlates with satisfaction, convenience, and lifestyle preferences.

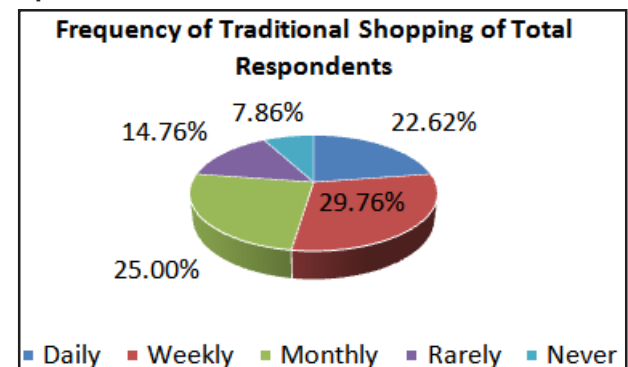
Table 2: Frequency of Traditional Shopping

Frequency	Male	Female	Total	Percentage (%)
Daily	45	50	95	22.62%
Weekly	65	60	125	29.76%
Monthly	50	55	105	25.00%
Rarely	30	32	62	14.76%
Never	18	15	33	7.86%
Total	208	212	420	100%

Graph 3 : Frequency of Traditional Shopping of Respondents



Graph 4: Frequency of Traditional Shopping of Total Interpretation of Data



The table displays the percentage distribution of individuals based on the frequency of a particular activity within a population of 420. The largest proportion, 29.76%,

Participates on a weekly basis, indicating that nearly one-third of the population engages with the activity regularly, though not daily.

Testing of Hypothesis:

Result:

1. Frequency ($p < 0.0001$): Highly significant.
2. Interaction (Mode $\times$ Frequency): $p = 0.0026$, significant.

Conclusion: There is a significant interaction effect between shopping mode and frequency on product choice. This leads to rejection of the null hypothesis. Consumers purchase different product types at different frequencies based on whether they shop online or offline.

Key Findings:

1. **Frequency of Online Shopping** : Most common frequency: Monthly (32.14%), Least common: Daily (9.05%), Never shopped online: 11.19%
2. **Frequency of Traditional Shopping** : Most common frequency: Weekly (29.76%), High-frequency shoppers (daily + weekly): 52.38%, Never use traditional shopping: 7.86%

Suggestions:

1. Retailers should adopt **omni-channel strategies**, blending online convenience with offline trust to maximize customer satisfaction.
2. **Digital literacy and secure payment awareness** must be promoted to reduce trust gaps and increase online shopping adoption in Ujjain Division

Conclusion: The study concludes that while e-commerce offers convenience and variety, traditional retail remains vital for trust, immediacy, and cultural relevance. Consumer satisfaction increasingly depends on integrating digital ease with offline reliability, highlighting the need for hybrid, customer-centric retail strategies.

References:-

(A) Books

National Books:

1. **Jain, R. & Sharma, S.** (2016). *Emerging Trends in Retail Sector*. New Delhi: Regal Publications.
2. **Kapoor, N.D.** (2015). *Business Environment*. New Delhi: Sultan Chand & Sons.

International Books:

1. **Blythe, J.** (2013). *Consumer Behaviour*. London: SAGE Publications.
2. **Chaffey, D.** (2021). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (8th Ed.). Harlow: Pearson Education.

(B) Journals

National Journals (India):

1. **Chatterjee, A. & Das, M.** (2018). "Impact of Digitalization on Traditional Retail: An Urban-Rural Divide." *Vision: The Journal of Business Perspective*, 22(2), 104–112.
2. **Desai, R., & Mehta, A.** (2018). "Customer Perception and Satisfaction in E-Retailing." *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 8(2), 35–44.

International Journals:

1. **Kim, J., & Park, J.** (2017). "Effects of Shopping Orientation and Website Quality on Customer Satisfaction." *International Journal of Retail & Distribution Management*, 45(1), 25–40.

(C) Magazines And Newspapers:

1. **Business Today** (2022). *Retail in Transition: How India's Local Markets Are Adapting to the Online Shift*. Business Today, November Issue.
2. **Dainik Bhaskar** (2022). *Ujjain Mein Online Shopping Ka Craze Teenagers Mein Zyada*. Local City Supplement, 15 September.

(D) Websites:

1. <https://www.dpiit.gov.in> – Department for Promotion of Industry and Internal Trade
2. <https://www.economictimes.indiatimes.com> – Retail and business articles

Emerging Challenges to National Security

Dr. Swati Thakur*

*Associate Professor (Political Science and Public Administration) Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (U.P.) INDIA

Abstract - Abstract: In international relations, national security is regarded as an important concept. The sovereignty, territorial integrity has been linked with national security. Traditionally concept of national security has been military in nature. Since the end of Cold war world is facing security risk from non traditional areas. Today as the world is becoming more interconnected so are our security threats. This paper discusses two emerging threats to national security environmental and human security.

Keywords: National security, Non Traditional, Globalisation, Environmental security, Human Security.

Introduction - The phrase “national security” consists of two components: nation and security. In assessing the historical context, it is essential to analyse the terminology meticulously concerning its historical and philosophical underpinnings¹. Security is a more nuanced and antiquated idea when considered at the human level compared to its national counterpart. Security denotes a state of being free from danger and fear. It is a transitory psychological condition that engenders a sense of assurance. The concept of nation-state emerged from the Treaty of Westphalia². After the treaty of Westphalia, the world became structured around the sacrosanct boundaries which were gradually engulfed in obsessive nationalism. External forces have posed a threat to national security since ancient times. Typically, it was an assault perpetrated by a foreign nation. Consequently, the country’s survival and existence were inextricably linked to the security of its borders. Therefore, since primordial times to the present, states have prioritised the expansion of their military capabilities in both quantitative and qualitative terms. The definition of security was traditionally confined to a military aspect of inter-state relations. However, the key concept of security is no longer limited to the state and its ability to defend against external military threats; it increasingly encompasses societies and human associations as well. The notion of national security changed after the end of the Cold War. According to Barry Buzan, ‘security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival’³. This definition has broadened the perspective of security. Consequently, concerns such as infectious diseases, environmental degradation, drug trafficking, human smuggling, cybercrime

and related challenges are being examined in academic circles as urgent concerns with security implications. These non-military issues are classified in the security studies literature as non-traditional security challenges.⁴

Non-traditional security challenges engender unease for a sovereign state and its community at large. There are numerous non traditional threats to the security of a country. These threats become dangerous and complicated at the same time because of highly intricate global network established by modern communication, transportation, and information technology, encompassing both transnational and non-state entities.

Environmental Security: One of the biggest threats that is looming over whole mankind is from the very environment that surrounds us all. The misconception that nation states are threatened by the military might of the neighbouring countries is now waning away. Existence of countries like Maldives, Tuvalu, Marshall Island are at stake because of the rising sea levels due to climate change. Therefore, today environment is regarded as the biggest security challenge cutting across all nations.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), after prolonged and in-depth research came to the conclusion that ‘anthropogenic activity is contributing to climate change’.⁵ The planet is experiencing rising temperatures chiefly due to the repercussions of industrial production and agricultural methods, deforestation, and industrial emissions, which emit numerous gases—especially carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and water vapor—into the atmosphere. These gases capture thermal energy from the sun that would otherwise dissipate into space⁶. This phenomenon is referred to as the greenhouse effect. Because of this, temperatures all across the world have shot up by substantially since the late 19th

century, with the most recent decades exhibiting scorching rates that have never been seen before. This process has been accountable for an extensive range of ecological repercussions, such as the thawing of glaciers and ice at the poles, the upward movement of sea levels, the occurrence of heatwaves that are more frequent and intense, the alteration of rainfall patterns, and the occurrence of extreme weather events such as floods, droughts, and wildfires. Additionally, because of global warming, ecosystems are deteriorating, biodiversity is under threat, and there are significant dangers to human health, agriculture, water security, and economic stability. Despite the fact that it is a worldwide problem, its effects are not uniform. Vulnerable populations and poor countries frequently face the most severe consequences, despite the fact that they are the ones that contribute the least to the problem.

In terms of national security, these environmental concerns are non-traditional and cross-border risks that threaten a country. It will be difficult to bring this issue under control via traditional military or political methods. For example, climate change is a cause to increasing sea levels, severe weather, and extended droughts, all of which have the potential to relocate communities, inflict damage to vital structures, and decrease the availability of water and food. These kinds of upheavals can result in financial difficulties, instability in society, and massive migration, each of which put an impact on the power of a nation to preserve its stability and carry out its administration. In places like South Sudan in Africa, the stress caused by the environment has intensified the ethnic tensions that were already present, leading to rivalry over limited resources that ultimately resulted in armed war.

Global problems require global solutions. The problem of environmental security cannot be tackled by individual countries at their level. Therefore, United Nations has come to play an important role. The passage of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1992 is credited with marking the beginning of climate change's recognition as a major global environmental concern. The first conference was United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) popularly known as the Earth summit. It institutionalised sustainable development as global agenda. Later, the UNFCCC came up with the Kyoto Protocol which set legally binding emission reduction targets for developed countries. The important outcome was the Paris agreement which was a legally binding international treaty under the UNFCCC. It adopted a bottom-up approach. All the nations are required to show progress overtime and no uniform targets have been set. The countries are required to report regularly on their emissions and progress.

Human Security: Amartya Sen in an interview to the newspaper, the Hindu said that if we are speaking of security, it has to be human security⁷. It is a recent

development to the threats to national security. The concept of human security is very different from the traditional concept of national security, where state was the primary actor and threats were external. Protection of territorial integrity and sovereignty were accorded primacy. Whereas, in human security focus is the security of the individual. During the 1990s, particularly after the conclusion of the Cold War, it became abundantly evident that the conventional notion of security was unable to accommodate human welfare, particularly the liberation of disadvantaged groups, marginalised sectors, and poor people. After some consideration, it was determined that the approach to human rights ought to be strengthened by the implementation of developmental measures and the protection of people all over the world. For the sake of national, regional, and global stability, it was abundantly evident that human security, also known as security that is centred on people, is absolutely necessary. The Human Development Report that was published by the United Nations Development Program in 1994 is considered a significant milestone because it brought attention to the necessity of "human security" in order to combat global insecurities that plague individuals, particularly those who are poor, marginalised, and disadvantaged.

In terms of the implementation of human security, the approval of resolution 66/290 by the General Assembly⁸ on September 10, 2012 was a key milestone. It is the right of individuals to live their lives in freedom and dignity, free from destitution and hopelessness. In order to provide human security, it is necessary to implement solutions that are prevention-oriented, broad, specific to the situation, and focused on people. These responses should increase the protection and empowerment of all individuals and communities. The concept of human security is so wide that it encompasses almost all kinds securities which are faced by mankind.

In certain circumstances, errors in human security can pose significant dangers to the functioning of the national security system. When the fundamental requirements and rights of individuals are disregarded, it can result in widespread dissatisfaction, civil strife, radicalisation, and occasionally armed conflicts. These fundamental necessities and rights include the right to food, medical care, schooling, housing, security, and liberty. As an illustration, conditions such as severe inequality, poverty, and unemployment can serve as a breeding ground for the growth of insurgent groups or extremist beliefs, which in turn pose a threat to the internal security of a state. In these kinds of situations, the deterioration of human security affects social cohesiveness, undermines the legitimacy of the state, and has the potential to escalate into more significant national crises. It is therefore vital for governments to implement policies that are centred on people in order to maintain both state and social resilience. Neglecting human security concerns can directly affect

national security, which is why it is essential for governments to embrace such policies. In order to deal with the problem, the UN has created the Human Security Unit within the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs to mainstream the human security approach.

Conclusion: Globalisation along with information technology revolution made borders meaningless. Globalisation meant free movement of people, capital, goods and services across the world. Communication revolution brought the world closer. As the borders started becoming meaningless, new threats to security started emerging. Thus, a non-traditional concept of security developed which was very different from traditional concept. In the non-traditional concept alongside the border other challenges came to be recognised as security threat.

There is urgent need for worldwide collaboration to reduce emissions of greenhouse gases, shift to renewable energy sources, and adopt climate adaptation and mitigation techniques is something that must be addressed in order to address the issue of environmental security. This problem cannot be solved by a single country. Several attempts have been made to ensure environmental security like the Earth Summit, Kyoto protocol, Paris conference on climate change. World is divided between developed and developing countries over the issue of environment. Still much needs to be done.

Today there is urgent need to redefine the concept of national security. The state centric view of security should be replaced by the individual centric view of security. It is

the human life that matters. Human security is today an important aspect of national security. This concept is closely connected with the idea of human rights and sustainable development and encompasses all those aspects which are connected with secure life of an individual. It highlights the fundamental causes of insecurity, including disparity, inadequate administration, and absence of availability of vital amenities. It becomes the duty of the government to address these issues. Once the issue of human security is addressed world would become a better place to live.

References:-

1. Prabhakaran Paleri (2008), National Security: Imperatives and Challenges, Tata McGraw, p-9
2. Prabhakaran Paleri (2008), National Security: Imperatives and Challenges, Tata McGraw, p-9
3. Barry Buzan (1991), New Patterns of Global Security in the Twenty- First Century, International Affairs institute, Vol 67. No 3, London
4. Mely Caballero-Anthony, Amitav Acharya(ed) (2006), Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation, p-1
5. Felix Dodds and Tim Pippard (2005), Human and Environmental security: An Agenda for Change, Earthscape, p-104
6. Rumki Basu (2012), International Politics: Theories and Concepts, Sage Publications, p-356
7. The Hindu, December 04, 2021
8. <https://docs.un.org/en/A/RES/66/290>

महिलाये एवं अपराध : एक सामाजिक अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवम विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अपराध एक ऐसा कार्य जो कानून द्वारा दंडनीय है वर्जित है निश्चित है, एक ऐसा कार्य जो कानून का उल्लंघन करता है और जिसके लिए व्यक्ति को सजा मिल सकती है यह अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है साधारण या गंभीर कुछ भी ऐसा कृत्य जिसको करने की इजाजत न समाज देता है, न ही कानून, अपराध कोई भी कर सकता है पुरुष, महिलाये, बच्चे, किन्नर आदि, अपराध एक सार्वभौमिक क्रिया है अर्थात अपराध प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थिति, काल हर समय हो सकता है।

शब्द कुंजी – अपराध, समाज महिलाएं, परिस्थितिया, कुप्रथाएं।

प्रस्तावना – समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है साथ ही समाज में दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं सहयोगात्मक और असहयोगात्मक अर्थात संगठनकारी और विघटनकारी जब समाज में विघटनकारी क्रियाये बढ़ जाती हैं तब अपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने लगती है यही विघटन मनुष्य को अनितिकता, असंतोष, स्वार्थ और अपराध की तरफ ले जाता है।

अपराध क्या है – वह व्यवहार जो की कानून एवम सामाजिक विधानों का उल्लंघन करके किया जाता है। जिस कार्य की इजाजत समाज और कानून नहीं देता है अगर कोई व्यक्ति वही कार्य जानबूझ कर कर दे तो वह कार्य अपराध है और वह व्यक्ति अपराधी है चाहे वो पुरुष हो या स्त्री या अन्य कोई हो।

अध्ययन के उद्देश्य – इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य महिलाये और अपराध एक सामाजिक अध्ययन की व्याख्या या समीक्षा करना है वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, महिलाये अपराध क्यों करती हैं, इसका सामाजिक पक्ष क्या है महिलाये किन हालातो में अपराध करती हैं, क्या कारण होते हैं, क्या महिलाएं अकेले ही अपराध को अंजाम दे देती हैं, इन सबका परिवार और बच्चों पर क्या असर पड़ता है।

महिला अपराध – अपराध एक प्रकार का समाज विरोधी कृत्य है, जिस कार्य को राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिये हानिकारक घोषित किया हो और जिसके लिए दंड देने के लिए राज्य के पास शक्ति होती है।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को नर्म, नाजुक और मर्यादाशील, ममत्वशील, उदार, परोपकारी और शांत चित माना गया है पूर्व में महिलाओं की भूमिका मात्र घर की चारदीवारी के अंदर तक सीमित थी परिवार की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण करना ही मुख्य कर्तव्य था पुरुष कमाने जाते थे और महिलाएं घर गृहस्थी सुचारु रूप से चलाती थी समाज में समय के साथ आये परिवर्तन के फलस्वरूप महिलाएं भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गयी जब महिलाएं घर से बाहर जाने लगी तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगा उनका सोच का दायरा बढ़ने लगा अपने कैरियर बनाने को प्राथमिकता देने के कारण विलम्ब विवाह होने लगे दहेज प्रथा जैसे

कुप्रथाएं और अधिक बढ़ने लगी साथ ही मोबाइल फोन, सोशल मिडिया, फिल्म आदि के असर ने महिलाओं को स्वतंत्र बना दिया जिनमे से कुछ महिलाओं ने उस आजादी को स्वच्छंदता में बदल दिया और नारी सशक्तिकरण के नाम पर मनमाना जीवन जीने लगी और यही से वो अपराध की ओर बढ़ने लगी।

वर्तमान में देश में एक के बाद एक ऐसे जघन्य अपराध घटित हुए जिनके पीछे महिला अपराधी ही हैं उन अपराधों का रूप देख कर यकीन नहीं होता है की महिलाये भी इतनी क्रूर और बर्बर हो सकती हैं। किसी महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति को डूम में सीमेंट में चुनवा दिया तो किसी ने शादी के मात्र ग्यारह दिन बाद ही अपने पति को हनीमून के समय हत्या करवा दी, किसी ने अपने पति को काफी में जहर दे दिया तो किसी ने सांप से डसवा दिया, एक महिला तो अपने पति की लाश बोरे में ले कर अपने प्रेमी की बाइक से लाश को ठिकाने लगाने के लिए घंटों खुलेआम घुमती रही।

महिलाये अपराधी क्यों बन रही हैं – सामान्य तौर पर महिलाएं शांत प्रवृत्ति की होती हैं और महिलाओं में अपराधिक प्रवृत्ति की दर बेहद कम पाई जाती है किन्तु वर्तमान में समाज के भौतिक विकास के साथ नैतिकता में कमी आती जा रही है आज प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, जलन की भावना, स्वार्थीपन दूसरों से आगे निकलने की होड़ आदि का व्यापक असर महिलाओं पर भी पड़ा है महिलाओं के अपराधी बनने के लिए विभिन्न हालत जिम्मेदार हैं जिनमे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवम अन्य कारण शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है उसके आस-पास की विषम परिस्थितियां उसे अपराधी बनने हेतु मजबूर कर देती हैं महिलाएं भी कानून अपने हाथ में लेकर अपराधी तभी बनती हैं जब उनके समक्ष अन्य कोई रास्ता नहीं बचता है उदहारण के लिए स्वर्गीय फूलन देवी दस्यु सुंदरी क्यों बनी यह सभी को मालूम है किन्तु वर्तमान में अपवाद भी दिखाई दे रहे हैं जिसमे महिलाओं ने बेकसूर पति या अन्य पुरुषों की हत्या तक कर दी है और महिला अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

महिलाओं द्वारा किये जाने वाले अपराधों में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगर, महानगर सभी शामिल हैं अर्थात् ग्रामीण हो या नगरीय समस्त महिलाये अपराध करने में अग्रसर होती जा रही हैं अभी हाल ही में जबलपुर में एक युवती ने अपने बचपन की सहेली पर सिर्फ इसलिए एसिड अटैक कर दिया क्योंकि पीड़ित लड़की इससे ज्यादा सुंदर और एक्टिव थी ये अपराध जलन की भावना से किया गया, देश की मुस्कान हो या सोनम या अन्य कोई अपराध करने से पीछे नहीं हैं किसी ने अपने प्रेमी के कारण पति की हत्या करके डूब में डाल दिया और बेहद आसानी से प्रेमी के साथ पर्यटन पर चली गयी तो किसी ने हनीमून के बहाने अपने बेकसूर पति की हत्या करवा कर खाई में धकेल दिया और आसानी से वापिस अपने शहर लौट आई ये सभी जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और ये दशति हैं की वर्तमान में महिलाओं की सोच, जीवन जीने का तरीका उनकी मानसिकता आदि सब कुछ कितना बदल गया है महिलाएं इतनी ज्यादा क्रूर हो सकती हैं और अपने उन्मुक्त जीवन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं।

महिला अपराध के मुख्य कारण-

1. **सामाजिक एवम मनोवैज्ञानिक कारण-** भारत में परिवार और विवाह के साथ कई प्रकार की रूढ़ियाँ, परम्परा, जातिगत भेदभाव, धर्म, उंच-नीच की भावना, असमान सामाजिक स्तरीकरण आदि जुड़ा हैं जिसके कारण लड़के और लड़की का पालन पोषण भी अलग अलग तरह से किया जाता है लगभग समस्त परिवारों में लिंग भेद दिखाई देता है लड़को के लिए अलग नियम लड़कियों के लिए अलग और कड़े नियम होते हैं विशेष रूप से विवाह के समय लड़कियों की मर्जी पूछी ही नहीं जाती है अधिकांश परिवारों में माता पिता अपनी पसंद से बेटी के लिए वर का चयन कर लेते हैं बगैर इस बात पर गौर किये हुए की वो लड़का बेटी के लायक है की नहीं परिवार के सामने लड़की कुछ नहीं कहती और मजबूरन परिवार की पसंद से शादी कर लेती हैं जिसका अंजाम बुरा ही होता है भारतीय परिवार में महिला वर्ग के ऊपर सामाजिक मान मर्यादा, नातेदारी, नैतिकता की ज्यादा जिम्मेदारी होती है यह बात सर्विदित है की बचपन और किशोर अवस्था में माता पिता की बुद्धि और समझदारी के आधार पर ही बच्चों के व्यवहार की दिशा तय होती है प्यार दुलार की आकांक्षा पूरी न होने से कई बालिकाएं विद्रोही हो जाती हैं यदि माता पिता पुत्री की उपेक्षा और पुत्र को ज्यादा लाड प्यार देते हैं तब बालिकाओं के मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो गलत संगत में पड़ जाती हैं और उनको दुसरे लोग बहला फुसला कर अपराध की तरफ धकेल देते हैं।

2. **समाजीकरण में अंतर** - भारतीय परिवार में लड़के -लड़कियों का पालन -पोषण और शिक्षा बचपन से ही अलग अलग तरीके से की जाती है किशोर अवस्था तक उनके कार्यों, भूमिकाओं, मनोव्रतियों और विचार में स्पष्ट अंतर हो जाता है लड़कों को गुरुरा करने, गाली देने, मनमाना व्यवहार करने से माता -पिता रोकते नहीं हैं जबकि लड़कियों को अनेक प्रकार की बंदिश लगा कर पाला जाता है उनको हर बात में रोका टोका जाता है इस कारण से भी लड़कियां विद्रोही हो जाती हैं और जाने अनजाने में अपराध कर बैठती हैं।

3. **अहम की असंतुष्टि-** जब महिलाओं की कोई प्रशंसा नहीं करता है और कोई उनसे प्रभावित नहीं होता है तब उनके अहम को चोट लग जाती है रास के अनुसार यह हानि की या पतन की स्थिति होती है ऐसे समय लड़किया न चाहते हुये भी अपराध के चक्कर में फंस जाती हैं।

4 **वंशानुगत कारण-** यदि महिला किसी ऐसे परिवार से हैं जिसमे उसके माँ बाप भी अपराधी प्रवृति के हैं या कई ऐसे जाती और जनजातीय होती हैं जंहा पर अपराध ही उनका पेशा होता है जैसे बेडिया, बांछड़ा, कंजर, पारधी आदि जिनमे अपराधिक प्रवृति पाई जाती है ऐसे घरों की महिलाएं भी अपराध करने में अग्रसर रहती हैं

ऐसे वातावरण में पली बड़ी बेटियाँ भी मानसिक अस्थिरता, संशय मंद्बुद्धी आदि से ओतप्रोत हो जाती हैं।

5. परिस्थितिजन्य कारण :

अ . **गरीबी-** अपराध का सबसे मुख्य कारण निर्धनता को माना जा सकता है गरीबी या पैसों की कमी, भूख आदि किसी से भी अपराध करवा सकते हैं किसी भी समाज का सबसे पुराना पेशा वेश्यावृति को माना गया है इसमें भी महिलाये गरीबी के कारण, भूख से बिलखते बच्चों के कारण आती हैं जब कोई अन्य रास्ता नहीं बचता है।

ब . **गन्दी बस्तियों में आवास** - एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती यथारावी यमुंबई में है जिसको देख कर दिल कांप उठता है और मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता है की इस तरह से भी कोई इंसान जीवन यापन कर सकता है ऐसे गन्दी बस्ती में ही अपराध सबसे ज्यादा होते हैं गन्दी बस्ती की तंग गलिय, एक कमरे में कई लोग रहते हैं बच्चे दूषित वातावरण में अपना बचपन खो देते हैं और अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

स . **काम-काजी माता-पिता-** वर्तमान में सयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं और एकल परिवार में माता -पिता दोनों ही कमाने जाते हैं और बच्चों के लिये उनके पास समय ही नहीं होता है जिसके कारण बच्चें गलत संगत में पड़ जाते हैं और अपराधिक और हिंसक प्रवृति के हो जाते हैं।

द . **भक्क परिवार** - जब किसी परिवार में पति पत्नी का विवाह विच्छेद हो जाता है या उनके बीच में रोजाना कलेश होता रहता है तब ऐसे घरों के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और खास तौर पर लड़किया भी बुरी संगत में पड़ जाती हैं और अपराध के कुचक्र में फंस जाती हैं।

इ . **दूषित वातावरण-** जब किसी परिवार में दूषित सामाजिक वातावरण पाया जाता है अर्थात् जहाँ पर पिता हमेशा गली देते हैं, मारपीट करते हैं या माता अन्य किसी से संबंध रखती हैं या मदिरा का सेवन किया जाता है कुछ बाहरी अवांछित व्यक्तियों का आना जाना रहता है ऐसे वातावरण में बच्चे बिगड़ जाते हैं।

6. **आर्थिक कारण-** महिलाओं और बच्चों को जब घर के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उचित खर्च हेतु भी रुपया नहीं दिया जाता है या पॉकेटमनी नहीं दी जाती है तब आर्थिक तंगी के चलते महिलाएं गलत तरीके से कमाई करने पर विवश हो जाती हैं।

7. **नगरीकरण और औद्योगीकरण-** महिला अपराधियों की संख्या बढ़ने के पीछे नगरीकरण और औद्योगीकरण भी मुख्य कारण हैं ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों में आकर रहने लगते हैं और उनकी जीवन शैली बदल जाती है इसी प्रकार से उद्योग और बड़े कारखानों के आसपास भी जनाधिक्य हो जाता है जहाँ पर अलग अलग स्थानों से लोग आकर कार्य करते हैं इसके साथ ही नगरों की चकाचौंध और कम समय में बिना मेहनत के अधिक कमाई और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी महिलाओं को अपराध की ओर ले जाती है।

8. **सोशल मिडिया और जनसंचार के साधन-** आजकल महिलाएं सबसे

अधिक सोशल मीडिया में सक्रिय रहती हैं फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना, स्वयं की रील बनाकर अपलोड करना, लाइक पाने की होड़ आदि करना इस तरह से महिलाएं भी अपराध की ओर बढ़ने लगती हैं। समाचार पत्रों में भी अपराध आदि के विस्तृत समाचार प्रकाशित किये जाते हैं जिसको पढ़ कर भी महिलाएं प्रभावित हो जाती हैं। विभिन्न चैनल पर कई प्रकार के अपराध सम्बन्धी धारावाहिक या शो प्रसारित होते हैं जिनसे महिलाएं अपराध की विधियाँ सीख जाती हैं।

9. अन्य कारण- अन्य कारणों में महिलाओं का अधिक शिक्षित होना, नारी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण विलम्ब विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध होना, बाल विवाह, अन्तेर्जतीय प्रेम विवाह, पुरुषों की तरह जीवन शैली और पहनावा, मद्यपान करना, स्वच्छन्द प्रवृत्ति से जीवन यापन करना, ग्लैमर के पीछे भागना, अकेले रहना समलैंगिकता आदि शामिल किये जा सकते हैं।

महिलाओं के अपराधी व्यवहार को रोकने हेतु मुख्य उपाय:

- 1. समान समाजीकरण-** परिवार का दायित्व बनता है की वो बीटा, बेटी को समान रूप से संस्कार दे उनके पालन पोषण में भेदभाव न रखें, बेटियों की भी बात सुने उनको भी निर्णय का अधिकार दे।
- 2. न्यायिक उदारता-** महिलाओं के प्रति समाज भी उदारता की नीति अपनाता है इसलिये महिला अपराधियों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु न्यायिक उदारता की नीति अपनाना चाहिए।
- 3. परवीक्षा पर छोड़ना-** महिला अपराधियों को अधिक बार परोल या परवीक्षा अवधि में छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने परिवार और नातेदारों के साथ रह सकें।
- 4. सुधारात्मक संस्थाओं में रखना-** अपराधी महिलाओं को जेल से अधिक किसी सुधारात्मक संस्थाओं में रख देना चाहिये ताकि वो नैतिकता, सद्भाव आदि पुनः सीख सकें।
- 5. जेलों को अधिक सुविधायुक्त और सुरक्षित बनाना-** महिला जेल

की संख्या को बढ़ाना होगा और वर्तमान जेलों में महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रख कर अधिक सुविधा देना होगा साथ ही जेल में महिला कर्मचारियों की ज्यादा भर्ती करना होगा ताकि महिला अपराधी खुद को सुरक्षित महसूस करें कई बार देखा गया है की पुरुष कर्मचारी महिला अपराधियों का शोषण करते हैं और उनका जम कर फायदा उठाते हैं।

6. पुनर्वास की व्यवस्था- महिला अपराधी जब अपनी सजा काट कर जेल से मुक्त हो तब शासन की जिम्मेदारी है की उस महिला का पुनर्वास किया जाये उसे कोई काम या रोजगार दिया जाये ताकि वो समाज में रह सके अन्यथा काम के अभाव में वो महिला फिर से शोषण का शिकार हो सकती है और अपराध की ओर जा सकती है।

अंत में निष्कर्ष निकला जा सकता है की वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है हर देश में महिलाओं द्वारा जाने अनजाने में अपराध कर दिए जाते हैं जो अधिकांश रूप से परिस्थितिजन्य होते हैं और हर अपराध में पुरुष भी शामिल रहते हैं विभिन्न अपराधशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि महिला अपराधियों की संख्या पुरुषों से कम होती है अर्थात महिलाएं कम और साधारण अपराध करती हैं किन्तु महिला अपराधियों की संख्या को और कम करने हेतु समाज, सरकार, गैर सरकारी संगठन, परिवार सभी को मिल कर प्रयास करना होगा और महिलाओं को भी एक स्वतंत्र इकाई मान कर लिंग भेद न करके उनके महत्व को भी समझना होगा और महिला अपराधियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक संस्थाओं और मनोवैज्ञानिकों की मदद लेना ही श्रेयस्कर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेल, डॉ. डी .एस .-अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
2. मदन, जी.आर.- भारतीय सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
3. खत्री, रीया, अपराधशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
4. आहूजा, राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

प्राचीन भारत में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का प्रभाव: एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. जे.के. संत*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय समाज का मुख्य आधार गुणानुरूप कर्म है क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, जैसा आचरण करेगा उसको वैसा ही समाज के दायित्वों को सौंपा जायेगा जिससे वो अपना कर्म का निष्पादन अच्छी तरह से कर सके। यही कारण है कि प्राचीन भारत में प्रतिपादित भारतीय समाज रचना वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम संस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था सत, रज एवं तम त्रिगुणात्मक सृष्टि तत्व पर अवलम्बित है।¹ इन तीनों गुणों में जो गुण मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाता है वह उसी पर प्रवृत्त हो जाता है।² सत्वगुण ज्ञान, बुद्धि, विवेक का, तमो गुण अज्ञान का और रजो गुण राग व द्वेष का प्रतीक है, ये गुण प्रणियों के शरीर में समाहित होते हैं।³ इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण का आधिक्य हो जाने पर मनुष्य उसी गुण के आधार पर स्वाभाविक कर्म में रत हो जाता है। और इन्हीं अच्छे- बुरे कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेता रहता है।⁴ इस प्रकार किसी भी वर्ण में जन्म लेना पूर्व जन्म के कर्मों और गुणों के आधार पर होता है। इस प्रकार भारतीय समाज रचना का वास्तविक तत्व स्व-कर्तव्य ही है। शास्त्रों में इसे स्वधर्म की संज्ञा प्रदान की गई है।⁵ इसीलिये गुणानुरूप स्वाभाविक कर्म के आधार पर ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चार वर्णों की रचना की गई है। सत्य गुण की प्रधानता ब्राम्हण में रजो गुण की अधिकता क्षत्रिय में एवं अल्पाधिक तमोगुण का प्राबल्य वैश्य तथा शूद्र में माना गया है। गुणकर्मनुसार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख महाभारत एवं गीता में भी मिलता है।⁶

1. समाज रचना तथा राज्यव्यवस्था का घनिष्ट सम्बन्ध – तीनों गुणों सत, रज एवं तम पर आधारित वर्ण व्यवस्था समाज रचना की रीढ़ है। और राज्यव्यवस्था से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जहाँ समाज रचना का निरूपण किया गया है वही पर इसे कायम रखने के लिये राज्यव्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संबंध में मनु की कथन है कि अपने-अपने धर्म में संलग्न सब वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा का सृजन ब्रम्हा ने किया है।⁷ राजा का परम कर्तव्य है कि वह सभी वर्णों को अपने-अपने धर्म में स्थित करें तथा जो इसके विरुद्ध आचरण करे उसे दण्ड देकर निजकर्म में लगावे।⁸ इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यव्यवस्था के अभाव में हम समाज- रचनाके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः सामाजिक व्यवस्था को राज्यव्यवस्था पर अवलम्बित कर दिया गया है।

2. वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता क्यों हुई – इस संदर्भ में मनु ने

प्रकाश डालते हुये कहा है कि लोक बुद्धि के लिये ब्रम्हा ने मुख से ब्राम्हण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र की सृष्टि की।⁹ उल्लेखनीय है कि वर्णव्यवस्था के उद्गम का यह स्वरूप सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र में उपलब्ध होता है। युजुर्वेद में भी यह कल्पना व मंत्र ज्यों का त्यों पाया जाता है।¹⁰ इस प्रकार मनु स्मृति में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जिन चार वर्णों की कल्पना की गयी है ये चारों वर्ण अपनी प्रकृति जन्य भिन्न-भिन्न कर्मों का सम्पादन करते हैं। इन वर्णों के नामकरण का आधार इनका कर्म है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि महातेजस्वी ब्रम्हा ने इस सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिये ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में अलग-अलग कर्मों की सृष्टि की। इस प्रकार वर्णव्यवस्था में गुणानुरूप कर्म की ही प्रधानता दृष्टिगत होती है। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार मुख से ब्राम्हण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र की सृष्टि की। ब्राम्हण का कार्य पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य राजा या स्वामी के रूप में देश की रक्षा करना, अस्त्र-शस्त्र एवं हथियारों का प्रयोग करना साथ ही साथ रथ, हाथी, घोड़ा एवं पैदल सैनिकों का भी नेतृत्व करना, राज्य में सुख-शान्ति कायम रखना, वैश्य का कार्य व्यवसाय एवं कृषि कार्य एवं शूद्र का कार्य सेवा करना। वर्णव्यवस्था में श्रेष्ठ एवं निम्न का होना मायना नहीं रखता जब तक सभी वर्णों के व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र, समाज की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार खाना खाने के लिये सभी उगलियों की आवश्यकता होती है चाहे वो छोटा हो या बड़ा जब तक एक होकर कार्य नहीं करेंगे तो भोजन भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह शरीर के समस्त अंग अपने-अपने जगह पर महत्वपूर्ण हैं। पैर से शूद्र का उत्पत्ति माना जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि पैर का महत्व कुछ भी नहीं है, जब अपने से बड़े लोगों जैसे माता-पिता गुरुजनों आदि का आदर सम्मान किया जाता है तब सबसे पहले मस्तक झुकाते हुये चरण स्पर्श करते हैं, तब उस समय पैर अपने जगह पर श्रेष्ठ है। समयानुसार शरीर के समस्त अंग अतिमहत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार समाज में समयानुसार सभी वर्णों का अपने-अपने जगहों में अतिमहत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण स्वरूप जब एक ब्राम्हण परिवार में वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम होता है तब घर की साफ-सफाई, नगाडे, बैण्ड बाजे एवं शहनाईयाँ बजाने का काम शूद्र ही करता है तब जाके वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम सम्पन्न होता है। इसी तरह जब शूद्र के यहाँ वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम होता है, तब पूजा-पाठ या अन्य धार्मिक कार्य संपन्न

कराने ब्राम्हण भी शूद्र के यहाँ जाता है। इस तरह सभी वर्ण एक दूसरे पर आधारित हैं। एतदर्थ मनु की उक्ति है कि जन्म से तो सभी शूद्र ही पैदा होते हैं किन्तु संस्कार होने से उनकी द्विजातीय संज्ञा होती है।¹¹ इस प्रकार मनुस्मृति में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में जिन चार वर्णों की कल्पना की गयी है ये चारों वर्ण अपनी प्रकृति जन्य भिन्न-भिन्न कर्मों का सम्पादन करते हैं। इन वर्णों के नामकरण का आधार इनका कर्म है। इस प्रकार वर्णव्यवस्था में गुणानुरूप कर्म की ही प्रधानता दृष्टिगत होती है। इस आधार पर शतपथ ब्राम्हण में राजन्य (क्षत्रिय), वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों का उल्लेख किया है।¹² याज्ञवल्क्य ने भी इन चार वर्णों की चर्चा की है।¹³

3. चारों वर्णों के सामान्य धर्म का एक जैसा निरूपण—मानव धर्म शास्त्र में इन चारों वर्णों के सामान्य धर्म का एक जैसा निरूपण किया गया है। अहिंसा (दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट मन, वचन एवं कर्म से न पहुँचाना) सत्य (हमेशा सत्य बोलना झूठ नहीं बोलना चाहिये) अस्तेय (बिना पूँछे किसी की कोई भी वस्तु न लेना) शूद्रता, इन्द्रियों को वष में रखना, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, दान, सरलता, अपनी स्त्री से सन्तानोत्पादन एवं असूया (दूसरे के शुभ कार्य में द्वेष का न होना) यह संक्षेप में चारों वर्णों का धर्म मनु ने कहा है।¹⁴

चारों वर्णों के कर्म— मनुस्मृति में मनु ने सभी चारों वर्णों का कर्मों का विवेचन इस प्रकार किया है—

1. ब्राम्हण का कर्म— ब्राम्हण का कर्म है पढ़ना-पढ़ाना लोगों को अच्छे जीवन जीने का उपाय बताना, यज्ञ करना, कराना, दान देना वा लेना, मार्कण्डेय पुराण आदि में भी इसका विशेष वर्णन मिलता है।¹⁵ ब्राम्हण का उत्तरदायित्व है कि वह किसी भी हिंसा और किसी से द्वेष न करते हुये अपनी जीविका चलायें।

2. क्षत्रिय का कर्म— क्षत्रिय का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना कतिपय अन्य स्मृतियों में भी ऐसा ही विवेचन किया गया है।¹⁶

3. वैश्य का कार्य— वैश्य का मुख्य कार्य व्यापार करना, खेती करना, पशुओं का रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, ब्याज लेना आदि अन्य ग्रंथों में भी यही व्यवस्था वर्णित है।¹⁷

शूद्र का कार्य— ब्राम्हण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का प्रधान कर्म है।¹⁸ पशुपालन और क्रय विक्रय उनकी जीविका के साधन हैं। महाभारत आदि में चारों वर्णों के इन्हीं कर्मों का विवेचन मिलता है।¹⁹ मानव धर्म के कतिपय श्लोकों से यह ज्ञात होता है कि सामाजिक स्तर पर शूद्रों को हीन स्थिति प्राप्त है। उनकी स्थिति अत्यधिक निम्न है। किन्तु यह व्यवस्था परिस्थिति जन्य है, शाश्वत नहीं। क्योंकि स्मृतिकारों के अनुसार वही शूद्र है जिसका आचरण दूषित और गंदा है। यदि कोई ब्राम्हण भी क्रोध, काम, लोभ आदि के अत्यंत वशीभूत है, तो वह शूद्र के तुल्य है। यहाँ तक व्यवस्था कि यदि स्वामी सन्तानहीन हो तो सेवा करने वाले शूद्र को ही उसके लिये पिण्डदान करना चाहिये। यदि स्वामी बूढ़ा या दुर्बल हो तो शूद्र को उसका सभी प्रकार से भरण पोषण करना चाहिये।²⁰

प्राचीन भारत में चार वर्णों के साथ ही साथ चार आश्रमों की भी व्यवस्था की गई है जो निम्नानुसार है—

ये चार आश्रम ब्रम्हचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास नाम से अभिहित हैं।²¹

1. ब्रम्हचर्य आश्रम— बाल्यावस्था ब्रम्हचर्य आश्रम के लिये उपयुक्त है। यह

अवस्था विद्यार्जन और ब्रम्हचर्य पालन में इस आश्रम के मुख्य कर्तव्य निश्चित किये गये हैं। ब्रम्हचर्य में इन्द्रिय निग्रह, आत्मसंयमन, विनय, धृति आदि सद्गुणों का समावेश होता है। साधारणतया यह आश्रम 25 वर्ष तक की आयु के लिये स्तुल्य माना गया है। अखण्ड ब्रम्हचर्य व्रत का पालन करता हुआ ब्रम्हचारी क्रम से वेदों या दो वेद या एक ही वेद पढ़ कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। जीवन का दूसरा चरण विवाह कर के गृहस्थ आश्रम में वितायें ऐसा मनु का कथन है।²² इस ब्रम्हचर्य आश्रम में उदारता बरतते हुये भी भारतीय राजशास्त्री 25 वर्ष की आयु तक ब्रम्हचर्य आश्रम में निवास करने के पक्षधर है।

2. गृहस्थाश्रम—यह आश्रम 25 वर्ष के बाद ब्रम्हचर्य आश्रम के बाद की अवस्था का द्योतक है। विद्यार्जन समाप्त करके शरीर और मन सुदृढ़ हो जाने पर कुटुम्ब का बोझ धारण करने की योग्यता अर्थात् तारुण्य प्राप्त हो जाने पर ब्रम्हचर्य आश्रम को पार कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये। यह आश्रम तीनों आश्रमों का आधार है। यह सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि इसके द्वारा ब्रम्हचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रमों की रक्षा होती है।²³ जैसे सभी नदी-नद समुद्र में ही आश्रय पाते हैं वैसे ही सभी आश्रमवासी गृहस्थाश्रम से ही सहारा पाते हैं। यही कारण है कि गृहस्थाश्रम पर कर्तव्यों का बोझ बहुत बड़ा है। मानव धर्म शास्त्रकार ने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करते हुये कहा है कि जिस प्रकार वायु के आश्रम से सब प्राणी जीते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थाश्रम के सहारे जीते हैं। इसलिये गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ होता है।

3. वानप्रस्थ आश्रम— गृहस्थ आश्रम के पालन के उपरान्त आयु के तृतीय चरण 50 वर्ष के पश्चात् नियम पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें। इस आश्रम के कष्ट से जीविकोपार्जन करते हुये अरण्य में रहना पड़ता है और ईश्वर चिन्तन में अपना काल व्यतीत करना पड़ता है। मनु का कथन है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुये जब यह देखे कि अपने शरीर में झुर्रियाँ पड़ गयी हैं, केश श्वेत हो गए हैं और अपने पुत्र के भी पुत्र हो चंके हैं, तब वन के आश्रम ग्रहण करना चाहिये। वानप्रस्थ आश्रमी को मृग चर्म या वल्कन पहनना चाहिये। जटा, दाढ़ी, मूँछ और नख को नित्य धारण करना चाहिये। आश्रम में आये हुये अतिथि का जल, मूल फलादि से सत्कार करना चाहिये। इस प्रकार इन्द्रिय गयी होकर कठोर श्रम के साथ वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने का परामर्श किया गया है।

4. सन्यास आश्रम—वानप्रस्थ आश्रम के पालन के उपरान्त आयु के चतुर्थ चरण 75 वर्ष के पश्चात् नियम पूर्वक सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिये। संगों का पूर्ण परित्याग कर सन्यासाश्रम के वृत्त पालन में सन्नद्ध होना चाहिये। मनु का कथन है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उन्मूक्त होना, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर धर्मानुसार पुत्रों की उत्पन्न कर तथा यथाशक्ति यज्ञानुष्ठान करके और सारी सम्पत्ति दक्षिणा स्वरूप दान करके ब्राम्हण को मोक्ष साधक सन्यासाश्रम ग्रहण करना चाहिये। सर्वभूतों में मैं हूँ और मुझमें सर्वभूत है इस वृत्ति का आश्रय लेकर सन्यासी को स्वराज का अनुभव करना पड़ता है। इसी से उसका यह स्वराज वैक्तिक न होकर सर्वव्यापी होता है। सन्यासी को चाहिये कि पवित्र भूमि पर चले, कपड़े से छानकर पवित्र जल पीवे, सत्य से ववित्र वचन बोले और मन से पवित्र आचरण करे। **निष्कर्ष—** स्पष्ट है कि जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था का आदर्श ब्राम्हणात्व की प्राप्ति है उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था का आदर्श मोक्ष की प्राप्ति है।²⁴ सांसारिक एवं सामाजिक कल्याण इन दोनों ही आदर्शों में मूलतः सर्वत्र अन्तर्निहित है।

मनुस्मृति में प्रतिपादित गुणानुरूप कर्म की व्यवस्था तथा गृहस्थाश्रम की सर्वश्रेष्ठता, इसके ज्वलंत प्रमाण है। इस प्रकार भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था विवेक युक्त जीवन विकास की प्रक्रिया पर अवलम्बित है, मूल मान्यताओं पर नहीं। सही कारण है कि विदेशी विद्वानों ने भी बेहिचक इसके महत्व को स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने तो मुक्त कण्ठ से वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि वर्णाश्रम धर्म विश्व धर्म है जिसका हिन्दू धर्म शास्त्रों में सविस्तार वर्णन किया गया है। यह अध्यात्मिक अर्थशास्त्र का नियम है। अपने जीवन में उच्च प्रकार के व्यवसाय करने के लिये अपनी उत्साह शक्ति को स्वतंत्र रखने की व्यवस्था उस योजना में है। इसी प्रकार उनके अन्य कथन भी उद्धरणीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सत्त्वं रजस्तमस्त्वैव त्री विद्यात्मनौ गुणानां
येत्याप्येमान्सिथतोभावन्महान्सर्वान् शेषतः। मनु० 12/25
2. मनु० 12/25
3. मनु० 12/26
4. मनु० 12/43-81
5. स्वै धर्मे निदिष्टानां सर्वेशामनु पूर्वशः। मनु० 7/35
6. सर्व ब्राम्हिदं जगत कर्मणा वर्णतां गतम्। शान्ति पर्व 188/10
7. स्वे-स्वे धर्मे निविश्वनां सर्वेशामनुपूर्वशः
8. तस्माद्वाङ्मा प्रयत्नेन सर्वेवर्णाः स्वधर्मतः प्रवर्त्यन्तेन्यथा दड्या
स्थाप्याश्चैव स्वकर्मसु॥ मार्कण्डेय पु. 25/36
9. लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुखं वाहुरूपदत्तः। ब्राम्हणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च
निरवर्तवत्॥ मनु० 1/31
10. ब्राम्हाणौ अस्य मुखमासीद वाह राजन्यः कृतः उरु तदस्य श्द्वैश्यः
पदभ्यां शूद्रौ अजायत।
11. गार्मैहतौ मैर्जात कर्म चाल मौंजीनिबन्धनेः। वैजिक गार्भिकं
चैनौद्धिजामपभृज्यते॥ मनु० 2/27
12. शतपथब्राम्हण 5/4/6/9
13. ब्रम्हा क्षत्रिय पिद् शूद्रा वर्णास्तवाधास्त्रयोंक्षिजा। पिण्डेकादि
श्मषानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः॥ याज्ञ० 1/20
14. अहिन्सा सतमयस्तेयं शौचमिद्वियनिग्रहः द्वाद्धकर्मातिधेयं च दानमस्ते
धमार्जवम्। प्रजनं स्वेष्टे दारेषु तथा चैवान सूयतां। एतं सामासिकं धर्म
चातुर्वर्ण्येदब्रवीमनु॥
15. दनामध्ययन यज्ञो ब्राम्हाणास्यत्रिघोदितः। धर्मो नान्यश्चतुर्थोऽस्ति
धर्मस्तस्या पदं विना॥ मार्कण्डेय पु० 26/3
16. प्रजानां रक्षणं दानमिन्या अध्ययन मैव च। विश्वेश्व
प्रसक्तिश्चसेत्रियस्य समासतः
17. मनु० 1/60
18. मनु० 1/61
19. शान्तिपर्व 186/1-8, वषिष्ठ 2/13-16
20. देयः पिण्डोऽपत्याय मर्त्यो वृद्ध दुर्बलो। शान्ति पर्व 60/35
21. ब्रम्हचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा। एते गृहस्थ प्रभावश्चत्वारः
पृथगाश्रमाः॥ मनु० 6/87
22. मनु० 4/1
23. सर्वेषामपि चैतेयां वेद स्मृति विधानतः। गृहस्थ उच्येत श्रेष्ठः सः
त्रीनेतन्वि भर्तिहि॥ मनु० 6/86
24. इष्ट्वा च शक्तितौ यज्ञैर्मनो मोक्षे निर्वैश्यैत॥ मनु० 6/36

नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल का अध्ययन

योगेन्द्र कुमार ठगेले*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाडरवारा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे देश में पर्यटन जहाँ एक ओर स्थानीय स्तर सामाजिक और आर्थिक लाभ का स्रोत है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर इससे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कैरियर के अवसर भी उपलब्ध है। वर्तमान समय में पर्यटन अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता हुआ उद्यम व व्यवसाय बन गया है, साथ ही यह मानवीय स्तर पर मनुष्यों के मनोरंजन, आकर्षण व आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्मित करने का एक सहज माध्यम है। सतत पर्यटन की अवधारणा भी इसमें नये आयाम के रूप में पर्यटन क्षेत्र को विस्तार दे रही है। नरसिंहपुर जिले की प्राकृतिक विविधता यहाँ स्थित विंध्यांचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ, नर्मदा नदी का घाटी क्षेत्र, मैदानी भाग, जलप्रपात, शैलाश्रय गुफाएँ इत्यादि के आसपास स्थित विभिन्न पर्यटन स्थल राज्य के पर्यटन में अपना विशेष स्थान रखते हैं। प्राकृतिक स्थलों का सौंदर्य, नदियों का कलकल प्रवाह, हरियाली, उच्चावच क्षेत्र, धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण आदि पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र हैं।

शब्द कुंजी – पर्यटन, सामाजिक, आर्थिक, स्थानीय, सतत और प्राकृतिक विविधता।

प्रस्तावना – आज पर्यटन उद्योग के सम्मुख विकास के लिए अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं आवश्यकता इस बात की है, कि पर्यटन के लिये उचित वातावरण तैयार किया जाये और प्रदेश तथा देश के सैलानियों को स्वर्ग के रूप में एक आकर्षक छवि प्रस्तुत करने की पर्यटन क्षेत्र में प्रादेशिक विविधताओं के अनुरूप सतत शोध अनवेषण को बढ़ावा देते हुए जनसामान्य की सहभागिता के साथ पर्यटन विकास क्रम हेतु पोस्टर, बैनर, मॉडल, मॉड्यूल्स, मानचित्र आरेख, पर्यटन से संबंधित स्लोगन व नारे, कार्यशालायें एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाये। पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण एवं प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पर्यटन विकास के लिये संवर्द्धनात्मक उपायों में दो बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रथम उन क्षेत्रों की ओर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, जो अभी तक शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण उपेक्षित रहे हैं और जहाँ अधोसंरचना विकास कर पर्यटकों को आकर्षित करने की नयी संभावनायें तलाबी जा सकती हैं।

दूसरे परम्परागत पर्यटकों को प्रोत्साहन के साथ-साथ उन पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाये जो साहसिक भ्रमण जैसे- पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग आदि कई कार्यक्रमों की अपेक्षा अभिरुचि के कुछ गिने चुने स्थानों पर आरामदायक भ्रमण की व्यवस्था अधिक उपयोगी होंगी। नरसिंहपुर जिला भी इसका अपवाद नहीं है। जिले में विद्यमान पर्यटन राज्य में विशेष महत्व रखता है।

नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध दर्शनीय एवं आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिये जाने जाते हैं। जिले में इतिहास से जुड़ी काफी संरचनायें परिलक्षित होती हैं। यहाँ पर उपलब्ध पर्यटन स्थलों पर वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। इतिहास, धर्म एवं कला संस्कृति में रूचि लेने वाले व्यक्तियों के लिये यह महती आवश्यकता

वाला क्षेत्र है। माँ नर्मदा का पावन तट जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष महत्व रखता है, जिसके अंतर्गत करेली का बरमान घाट, सांकल घाट, सोकलपुर, ककराघाट आदि स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है। इसके साथ ही जिले में नरसिंहपुर, गोटेगाँव, गाडरवारा, करेली, सांईखेड़ा में स्थित पर्यटन स्थलों का भी पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। यहाँ स्थित जलप्रपात, नदियाँ, वनभूमि, मंदिर और धार्मिक स्थान अपनी गरिमा और गौरव के लिये प्रसिद्ध हैं तथा पर्यटन आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी नर्मदा है तथा इसके साथ ही शेर, शक्कर, सीतारेवा आदि सहायक नदियाँ भी प्राकृतिक रूप से इसे संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस जिले का महत्व प्रागैतिहासिक काल से ही रहा है। भटेरा नामक स्थल से प्राप्त अवशेष इसके आदिकाल से संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बरहटा नामक स्थल से पाण्डवों द्वारा अज्ञातवास का समय व्यतीत करने की जानकारी मिलती है। बिल्थारी को प्राचीन बलि स्थली कहा जाता है, जहाँ राजा बलि ने वामन भगवान को अपना संपूर्ण राज्य दक्षिणा में देकर अपने शरीर का अर्पण कर दिया था। इस प्रकार यहाँ स्थित हिंदु धार्मिक स्थल इस भू-भाग के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का वर्णन करते हैं। नर्मदा घाटी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह जिला अत्यंत रमणीय, धार्मिक, शांत वातावरण व मन को प्रफुल्लित करने वाला है, जहाँ, प्रेम, सद्भाव, परस्पर सहयोग की प्रधानता रही है। मध्यप्रदेश का नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है। गन्ना बाहुल्य जिला होने के कारण क्षेत्र विशेष में कई शुगर मिल फैक्ट्री विद्यमान हैं साथ ही यहाँ पर उत्पादित की जाने वाली तुंगर दाल का देश के विभिन्न राज्यों में निर्यात किया जाता है। नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग का एक भाग है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय नरसिंहपुर शहर में विद्यमान है।

विश्लेषण– नरसिंहपुर जिला माँ नर्मदा के पावन तट पर बसा प्राकृतिक

सुंदरता से संपन्न क्षेत्र है, जहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल विद्यमान हैं। पाषाण काल से लेकर पौराणिक, सातवाहन, गोंडवंश, भोंसले (मराठा शासन), स्वतंत्रता संग्राम व कांग्रेस आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा है और क्षेत्र विशेष में इसकी ऐतिहासिक धरोहर के प्रति जनसामान्य की विशेष आस्था रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस भू-भाग में प्राकृतिक विभिन्नता लिये पर्वतीय शृंखलायें, नदी घाटी क्षेत्र, मैदानी भाग, जलप्रपात, नदियाँ, झील, जलाशय और जलधारायें हैं। जिले के ऊँचाई से गिरते जल प्रपातों का दृश्य अत्यंत ही मनोरम है। जिले में स्थित धरातलीय, पर्वतीय, नदी घाटी प्रदेश एवं मैदानी भाग पर्यटकों के लिये आकर्षण के प्राकृतिक भू-दृश्य हैं। यहाँ स्थित पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की कलकल करती जलधारायें अनायास ही पर्यटकों के मनमोह लेती हैं। यहाँ हरी-भरी हरियाली, जंगल क्षेत्र, पेड़-पौधों व वनस्पतियों का सुंदर नजारा देखने में काफी अच्छा लगता है। नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक स्वरूप से आकर्षित करने वाले स्थानों की जानकारी निम्नानुसार है:-

रानी दहार झील - रानी दहार (दहाड़) गाडरवारा से 27 कि.मी. दूर सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रमणीक स्थल है, जहाँ प्राचीन मंदिर एवं झील प्रमुख आकर्षण केन्द्र है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सतपुड़ा के मध्य भाग से पर्वत का सीना चीरते हुए उमर नदी आकर इस झील का निर्माण करती है। यहाँ नदी में स्थित कुंड को ही रानी दहार कहा जाता है, जहाँ रानी नदी में समा गई थी। विशाल जलराशि के किनारे स्थित शिव मंदिर तथा आश्रम प्राचीन ऋषियों के तपोवन की स्मृति साकार करता है, जिसे ब्रम्हलीन स्वामी आत्मानंद जी द्वारा अपनी एकांत साधना के लिये चुना था। रानी दहार के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही यहाँ क्षेत्रीय इतिहास की कड़ी के रूप में पहाड़ी पर गोंड राजाओं के राजमहल के अवशेष हैं, जिनमें से ही एक गोंडरानी के संबंध में प्रचलित किवंदती के अनुसार नदी जल के उद्गम की खोज में नदी पर रस्सी बांधने व उसके टूटने से रानी के नदी में गिरने से यह स्थल रानीदहार के नाम से प्रचलित हो गया। यहाँ बारिश के समय आसपास की हरियाली, नदी का प्रवाह, शांत स्थल इसे पर्यटन के रूप में उत्तम स्थल बनाता है, जहाँ झील में जल की अधिकता होने से पर्यटकों द्वारा यहाँ स्नान करने का आनंद भी लिया जाता है। पहुँच मार्ग की दुर्गमता के कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या सीमित रहती है, जहाँ पहुँचने के लिये लोगो को स्वयं के वाहन का सहारा लेना पड़ता है।

छोटा जबलपुर (गोटीटोरिया) - गाडरवारा से लगभग 23 कि.मी. दूर वनांचल ग्राम मोहपानी गोटीटोरिया के नजदीक स्थित छोटा जबलपुर अपनी ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण क्षेत्र विशेष में एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत की आकर्षक वादियों और सीतारेवा नदी तट पर स्थित यह स्थल ब्रिटिश काल में अपनी कोयला खानों के लिये प्रसिद्ध था, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। पर्यटक यहाँ अपने परिवारों के साथ पहुँचकर सुंदर चट्टानों, नदी, लहलहाते वृक्षों एवं झर-झर करते झरनों का आनंद उठाते हैं और प्रकृति की गोद में सुकून के पलों की अनुभूति करते हैं। यहाँ पर आने का समय नवम्बर से जनवरी माह के बीच सबसे उत्तम होता है। वन विभाग व स्थानीय ग्राम वन समिति के द्वारा इसे ईको पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहाँ पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच साहसिक व मनोरंजक

गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ईको टूरिज्म, जिप लाइन, डिजिटल शो, फारेस्ट ट्रैकिंग, वाल क्लाइम्बिंग आदि को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसे जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

झोतेश्वर मंदिर गोटेगाँव - नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम (गोटेगाँव) रेलवे स्टेशन से 15 कि.मी. दूर हरियाली से आच्छादित प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित झोतेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ प्रकृति की गोद में माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हेतु श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं और प्राकृतिक आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव करते हैं। यह प्रसिद्ध स्थल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की तपोभूमि भी है। यहाँ स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने 'विचारशिला' नामक स्थान पर बैठकर कठोर तप किया था। आश्रम में ही एक जल कुण्ड बना हुआ है, जहाँ लगातार पानी बहता है। प्राकृतिक परिदृश्यों के बीच स्थित यह धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वे यहाँ आकर शांति का अनुभव करते हैं।

नीलकुंड धाम (सोकलपुर) - गाडरवारा से लगभग 21 कि.मी. दूर नर्मदा तट पर स्थित मनोरम प्राकृतिक स्थल है, जहाँ गाडरवारा से पलोहाबड़ा होते हुए पहुँचा जा सकता है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही शक्कर नदी नर्मदा में आकर मिलती है, और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बना देती है। माँ नर्मदा का पावन तट, प्राकृतिक हरियाली से समृद्ध वातावरण और शांत स्थल इस स्थल के प्रति पर्यटकों के आकर्षण में वृद्धि करती है। नीलकुंड धाम में श्री नीलकण्ठेश्वर महादेव का मंदिर एवं माँ रेवा श्री आश्रम यहाँ के प्रमुख आकर्षण केन्द्र के रूप में स्थित है, साथ ही यह संतो की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ संत परम्परा के लोग प्राकृतिक आध्यात्मिक वातावरण के बीच योग व ध्यान साधना में लीन रहते थे। इस स्थल तक पहुँचने का मार्ग दुर्गम अवश्य है, लेकिन मार्ग के बीचका प्राकृतिक सौंदर्य, ऊँची-नीची घाटियाँ, पहाड़ियाँ व ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा नीलकुंड पहुँचने पर वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक परिदृश्य पर्यटकों की सारी थकान दूर कर देता है और उन्हें सुखद अनुभूति प्रसि होती है। ठंड के दिनों में यहाँ पर घूमने हेतु जाना सर्वोत्तम पर्यटन गंतव्य हो सकता है।

टोनघाट (छोटा धुआधार) - नरसिंहपुर गोटेगाँव मार्ग पर बेलखेड़ी से लगभग 12 कि.मी. दूर शेर (शेड़) नदी तट पर स्थित टोनघाट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रमणीक स्थल है, जहाँ चट्टानों एवं विशाल पत्थरों के बीच से बहती नदी की कलकल धारा, हरियाली से आच्छादित क्षेत्र, शांत वातावरण एवं सुंदर जलप्रपात यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर ऊँचाई से गिरकर शेर नदी की धार का नजारा दुग्ध धारा जैसा सफेद प्रतीत होता है, इसलिये इसे छोटा धुआधार के नाम से जाना जाता है। इस स्थल के बारे में प्रचलित मान्यतानुसार पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था, साथ ही राजा विराट की नगरी होने के कारण कालांतर में इस गाँव का नाम बरहटा हो गया। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान काफी महत्व रखता है, जहाँ आने के बाद पर्यटकों को सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है।

हाथीनाला जलप्रपात - नरसिंहपुर से लगभग 47 कि.मी. की दूरी पर भोपाल-जबलपुर राजमार्ग में केरपानी सरसला से होते हुए रिछई गाँव

(बिल्धागाँव) के पास स्थित प्राकृतिक वातावरण से समृद्ध जलप्रपात व पर्यटन स्थल है। नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले इस स्थल में ऊँची पहाड़ियों से नीचे गिरता झरना बारिश के मौसम में और भी मनोरम व सुंदर हो जाता है। यहाँ पानी का झरना चट्टानी सीढ़ियों की शृंखला से खूबसूरती से बहता है, जहाँ पानी की आवाज और झरने के आसपास का धुंधभरा वातावरण एक सुखद माहौल निर्मित करता है। झरने के आसपास चारों ओर हरियाली से समृद्ध वनस्पति इसे जैव विविधता के लिये उपर्युक्त स्थान बनाती है। युवाओं के बीच यह झरना विशेष लोकप्रिय हो रहा है। हरे-भरे पेड़ पौधों का आच्छादन और सुरम्य परिदृश्यों के बीच स्थित यह झरना एक छिपा हुआ रत्न है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिये एक शांत और ताजा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने का उत्तम समय जुलाई से सितम्बर के बीच में है, जब मानसून में होने वाली वर्षा इस जलप्रपात के सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाती है साथ ही यहाँ का राजसी सुंदरता वाला वातावरण प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के साथ ही कई साहसिक गतिविधियों जैसे- माउटेन ट्रेकिंग व लंबी पैदल यात्रा के शौकीन लोगों के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

जल प्रपातो पर आधारित पर्यटन केन्द्र- जिले से प्रवाहित होने वाली सरितायें प्रपात रेखा का निर्माण करती हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ से बहने वाली नदियाँ पठारी भाग से जैसे ही उत्तर के वृहद प्रदेशों में प्रवेश करती हैं यहाँ अनुपम सुरम्य जलप्रपातों की रचना करती हैं। यहाँ स्थित वनस्थली, पर्वत शृंखला एवं जलप्रपातों के अनुपम सौंदर्य जगह-जगह पर सुषोभित हो रहे हैं। इन सुरम्य जलप्रपातों की पहचान राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाई है फिर भी बड़ी संख्या में स्थानीय पर्यटक इन प्रपातों का आनंद लेने आते हैं। अधिकांश जलप्रपात वर्षा के दिनों में देखने योग्य होते हैं। यहाँ नरसिंहपुर जिले में विशेषकर नदी घाटों व पर्वत शृंखलाओं के साथ जल प्रपातों का सौंदर्य इसके कोने-कोने को सुषोभित कर रहा है और प्रकृति रूपी सुषमा किलोले कर रही है। जिले के जल प्रपातों के सम्मुख प्रकृति नदी उमंग के साथ नर्तन कर रही है और नरसिंहपुर जिले के गौरव को बढ़ा रही है। प्राकृतिक दृश्यों के दर्शनार्थ प्रदेश के अलग-अलग हिस्से से आने वाले लोग इसकी गोद में आकर नतमत्सक हो जाते हैं।

प्रकृति प्रदत्त अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए नरसिंहपुर जिला संबंधित महाकौशल अंचल का एक आदर्श पर्यटन स्थल होना चाहिये था किंतु ऐसा नहीं हो सका, जिसके लिये कई कारक उत्तरदायी रहे हैं। यह जिला अपने आंचल में कई पर्यावरणीय भिन्नताओं को समेटे हुए है, जो दृश्य सौंदर्य स्थल के रूप में पर्यटन केन्द्रों को जन्म देते हैं। यहाँ घने वन व

गगनचुंबी पर्वतों की उपत्यका में कही समतल भूमि है, तो कहीं ऊँची-नीची टीलेदार धरती, जिनके बीच में प्रवाहित होती सरिताओं के साथ कल-कल करते झरने सहज ही मन मोहित करते हैं। यह जिला सैलानियों के लिये आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है, जिसकी अपनी नैसर्गिक छटा, अद्वितीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें पर्यटन में वृद्धि करते हुए इसे विशेष स्थान प्रदान करती हैं।

नरसिंहपुर जिले को प्रकृति का वरदान प्राप्त है, क्योंकि यह भू-भाग चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है तथा यहाँ प्राकृतिक सुंदरता जिसमें नदी, पर्वत, झरने, झील, वन आदि को देखकर पर्यटन यहाँ खिंचे चले आते हैं और सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। जिले के इन स्थलों पर वर्ष भर पर्यटकों का आवगमन बना रहता है, जिससे जिले को काफी आय की भी प्राप्ति होती है।

निष्कर्ष- निष्कर्षतः नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और शांत वातावरण के लिये प्रसिद्ध हैं। इन स्थलों का विकास और संरक्षण जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और बेहतर सुविधाओं के साथ, नरसिंहपुर जिले का प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र भविष्य में और समृद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, डॉ. सुमन्त (2005-06)-मध्यप्रदेश का पारिस्थितिकी पर्यटन, यू.जी.सी. प्रोजेक्ट।
2. नेमी, डॉ. जगमोहन (2010)- पर्यटन मार्केटिंग में विकास, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. श्रीवास्तव, डॉ. संदीप (2011)- मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों में अनुप्रयोग, रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली।
4. गौतम, श्री राकेश एवं भदौरिया, श्री जितेन्द्र सिंह (2013)-मध्यप्रदेश एक परिचय, टाटा मैक्ग्रा हिल एजुकेशन इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली।
5. अहमदशाह, श्री रफीक (1999)- 'प्रयास' एक मानवीय एहसास, कंदेली फोरम, नरसिंहपुर।
6. गुप्ता, श्री कंचेदीलाल (2003)- जिला नरसिंहपुर गौरवमयी अतीत एवं गरिमामय वर्तमान, शारदा प्रकाशन।
7. राय, श्री चंद्रभानु (2001) - 'नरसिंह नयन' कर्मवीर द्वारा पुनर् प्रकाशन।
8. नरसिंहपुर जिला गजेटियर (1972)
9. <https://narsinghpur.nic.in/> पर्यटन स्थल/

ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं की भूमिका का अध्ययन (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राकेश कुमार दिलावरे*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शहीद भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं, बल्कि घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं प्रायः परिवार के लिए भोजन और पानी जुटाने, लकड़ी इकट्ठा करने और अन्य आवश्यक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, साथ ही साथ धन कमाने वाले कार्यों में भी परिवार का सहयोग करती हैं, जिससे परिवार आर्थिक रूप से भी सक्षम होता है।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, जो महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न नहीं हैं, वह अपने घर पर ही पापड़ बनाना, बाँस का सामान बनाना, मिट्टी का सामान बनाना आदि कार्यों में संलग्न होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं।

प्रस्तावना - ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है, और कृषि कार्यों में पुरुषों के समान महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी होती है। अधिकांश कृषि कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महिलाएं बड़ी आसानी से कर पाती हैं। ग्रामीण परिवारों में पुरुष, कृषि से ज्यादा बाहरी कार्य करते हैं, जिससे परिवार के रोजाना के खर्चे चलते हैं, और महिलाएं घर का कार्य करने के बाद, खेत चली हैं एवं खेती के कार्य करती हैं। ग्रामीण परिवार जो कृषि कार्य नहीं करते हैं उनके परिवार की महिलाएं ग्रामीण स्तर पर चलने वाले कुटीर उद्योग जैसे- पापड़ बनाना, बाँस का सामान बनाना, मिट्टी का सामान बनाना आदि कार्यों में संलग्न होती हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, महिलाओं का अहम रोल है, घर के कार्यों से लेकर, कृषि कार्य, डेरी उद्योग, रेशम उद्योग, मुर्गी फार्मिंग, मत्स्य उद्योग, बागवानी, वेजिटेबल फार्मिंग, नर्सरी फार्मिंग, लघु एवं कुटीर, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़चढ़कर काम कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका सशक्तिकरण, समग्र ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान दे सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं, बल्कि घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं अक्सर परिवार के लिए भोजन और पानी जुटाने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा अन्य आवश्यक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे आवश्यक कार्य निम्नवत है-

1. **कृषि** - ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन, और बागवानी जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फसलों की बुवाई, कटाई, और सिंचाई

जैसे कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल होती हैं।

2. **छोटे व्यवसाय** - कई ग्रामीण महिलाएं छोटे व्यवसायों जैसे कि हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, और खाद्य प्रसंस्करण में भी काम करती हैं।

3. **गैर-कृषि कार्य** - महिलाएं गैर-कृषि कार्यों जैसे कि निर्माण, परिवहन, और पर्यटन में भी काम करती हैं।

4. **घरेलू देखभाल** - ग्रामीण महिलाएं अपने परिवारों के लिए भोजन, पानी, और ईंधन की व्यवस्था करने, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने, और घर चलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

5. **समुदाय** - ग्रामीण महिलाएं सामुदायिक विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम करना।

6. **पशुपालन** - ग्रामीण महिलाएं अक्सर पशुधन की देखभाल करती हैं, जैसे कि गाय, बकरी, और मुर्गी। वे दूध, अंडे, और अन्य पशुधन उत्पादों का उत्पादन करती हैं, जो उनके घरों और समुदायों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के भूमिका को जानना।

2. ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं के कार्य क्षेत्र को जानना।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि - ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें ग्रामीण अंचल से जुड़े सभी काम-काज एवं व्यवसाय शामिल हैं, जो गाँवों में रहने वाले लोगों के रोजगार के साधन होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ मजदूरी तो कुछ छोटे व्यापारी होते हैं, जो कृषि से जुड़े हुए व्यापार व व्यवसाय करते हैं। सरल शब्दों में कहे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि के आसपास घुमती रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो व्यवसायी वर्ग जुड़ा है, वह गाँवों को शहरो से जोड़ते हैं एवं ग्रामीणों की समस्त आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध करवाते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था गाँवों से जुड़ी समस्त आर्थिक क्रियाओं को दर्शाती हैं इसमें रोजगार के साथ-साथ वे समस्त गतिविधियां शामिल होती हैं जो रोजगार एवं व्यापार व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण स्तर पर लोग छोटे-छोटे रोजगारों एवं कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं, यदि उनको वर्ष भर कार्य न मिले तो उन्हें अपनी अजीविका चलाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को होने वाली समस्याएँ – ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और सामाजिक भेदभाव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सम्मुख मुख्य रूप से निम्न लिखित समस्याएँ आती हैं–

1. **गरीबी**–ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण महिलाओं को आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, और वे पिछड़ी चली जाती हैं, बच्चों और परिवार अच्छी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

2. **शिक्षा की कमी**–ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच कम है, और महिलाओं को कई समाजों में पढ़ाया भी नहीं जाता है, जिसके कारण महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है।

3. **स्वास्थ्य सेवाओं की कमी**–ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसके कारण महिलाओं को उचित चिकित्सा देखभाल और प्रसूति सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

4. **सामाजिक भेदभाव**–ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, और सम्मान के नाम पर हत्याएं।

5. **घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न**–ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान होता है।

6. **कार्यस्थल पर उत्पीड़न**–ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें काम करने में कठिनाई होती है।

7. **वित्तीय बहिष्कार**–ग्रामीण महिलाओं को अक्सर वित्तीय संस्थानों और सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में बाधा आती है।

8. **सीमित सामाजिक गतिशीलता**–ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक रूप से आगे बढ़ने और निर्णय लेने में सीमित अवसर मिलते हैं।

9. **कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव**–ग्रामीण महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होती हैं।

समस्याओं का समाधान–ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को होने वाली समस्याओं के समाधान निम्न प्रकार हैं:

1. महिलाओं को गरीबी से निकालने के लिए, उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ना होगा ताकि उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर मिल सकें।

2. शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को पढ़ने के लिए बराबर का हक मिलना चाहिए, ताकि महिलाएं शिक्षित होकर रोजगार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकें।

3. पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं अधिक होती हैं, अतः महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी स्वस्थ शरीर के साथ, परिवार को रोजगार के क्षेत्र में सहयोग कर सकें।

4. सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शासन एवं गैर सरकारी संगठनों के तेजी से काम करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण स्तर तक सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

5. महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस थाने, गैर सरकारी संगठन एवं और भी शासकीय महिला उत्पीड़न निवारण संस्थान हैं जिसमें जाकर महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।

6. कार्यस्थल पर उत्पीड़न महिलाओं के लिए एक प्रमुख समस्या है, जिसके चलते कई महिलाएं अपना काम छोड़ देती हैं, शासन के द्वारा शासकीय एवं निजी संस्थानों में महिला उत्पीड़न केन्द्र बनाये गये हैं, महिला वहां अपनी शिकायत दर्ज कर, समस्या का समाधान कर सकती है।

निष्कर्ष–ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अहम रोल है, घर के कार्यों से लेकर, कृषि कार्य, लघु एवं कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। ग्रामीण स्तर की महिलाएं अपने घर परिवार को चलाने के लिए पुरुषों के साथ मिलकर आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं। ग्रामीण महिलाओं का रोल कृषि क्षेत्र के विकास में सहायनी है, इनके सहयोग के कारण ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, जो महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न नहीं हैं, वह, अपने घर पर ही पापड़ बनाना, बाँस का सामान बनाना, मिट्टी का सामान बनाना आदि कार्यों में संलग्न होकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, महिलाओं की भूमिका जिन भी राज्यों में अच्छी है, वह राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध होते जा रहे हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ रहा है और वह अच्छा कार्य कर परिवार को सहयोग कर रही हैं, और साथ ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में सफल सहयोग प्रदान कर रही हैं।

संदर्भ एवं ग्रंथ सूची :-

1. कुमार.विनोद, 'भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार: समस्या एवं समाधान', श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका(2018) वॉल- 5.अंक- 11.पेज 104-109.
2. कुमार.योगेश, 'ग्रामीण क्षेत्र में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था से बदलता परिवेश', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक- 12,पेज. 3-8.
3. डॉ. मोदी. अनिता. 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक- 12,पेज. 28-32.
4. दुबे.वेद प्रकाश एवं चतुर्वेदी. प्रो. एस.एन. 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रेशम उद्योग की सहभागिता', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक- 12,पेज. 24-27.

भारत में डिजिटल इंडिया की अवधारणा एवं इसके प्रभाव

डॉ. पुष्पा नागर* श्रीमती रंजना शक्तावत**

* वरिष्ठ व्याख्याता, एम. ओ. एम. महात्मा ज्योतिराव फूले शा. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

** वरिष्ठ व्याख्याता, महात्मा ज्योतिराव फूले शा. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत एक ऐसा देश है जो 'विकसित भारत विजन' के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। एक वैश्विक नेता की कल्पना को साकार करने के लिए नवाचार एवं आधुनिक तकनीक के कारगर सिद्ध हो सकती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) द्वारा जारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। देश की यह मंशा है कि वह तकनीकी प्रगति में विश्व मंच पर सबसे आगे रहे है। इस हेतु समावेशी विकास, नवाचार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देकर ही नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को महाशक्ति में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने 2015 में एक ऐसी पहल की है जिसके द्वारा भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था एवं सशक्त समाज बनाया जा सके और इस पहल का नाम डिजिटल इंडिया रखा गया। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया जा रहा है।

जब देश में 2015 में नोटबंदी की गयी तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया था जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ही एक रूप माना जा सकता है, जिसमें जनता द्वारा किये गये अधिकांश भुगतान केशलेस होने लगे। इसी के चलते 2019 के कोरोना काल के समय भी जब लोगो को बाहर आने-जाने पर रोक लगी थी तब भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही जनता द्वारा अधिकांश भुगतान एवं कार्य किये गये।

शब्द कुंजी – डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ, अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, सशक्तिकरण।

उद्देश्य – डिजिटल इंडिया की स्थापना समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुये इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नौ स्तंभों को शामिल किया गया है। इस पहल को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का नाम प्रदान किया गया है जो विभिन्न चरणों के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता तक सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलती रहे। यह कार्यक्रम सरकार के सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्यों को शामिल किया

गया है-

1. **नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य IT के द्वारा नई पीढ़ी को रोजगार के लिए नवाचार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं में कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बनाये रखना है।
3. **बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे को अधिक विकसित करना है।
4. **ई-गवर्नेंस-** इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के माध्यम से अधिक आसान बनाना है।
5. **ई-पंचायत-** इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाना है। यह ई-गवर्नेंस के तहत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।
6. **ई-ग्रंथालय-** इसका उद्देश्य लाइब्रेरी के कार्यों का संचालन एवं ऑनलाइन सदस्यता डिजिटल माध्यम से किया जाना है।

डिजिटल इंडिया की पहल

1. **ई-पाठशाला-** इसमें सभी शैक्षिक ई-संसाधनों जैसे- पाठ्यक्रम, ऑडियो, वीडियो, पत्र-पत्रिकाओं विभिन्न मुद्रित एवं गैर-मुद्रित सामग्रियों को NCRT द्वारा विकसित वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदर्शित एवं प्रसारित किया जा रहा है।
2. **ई-अस्पताल-** यह एक ऐसी पहल है जिसमें अस्पताल, डॉक्टर, और मरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़ना है। जिसमें लगभग 420 अस्पताल इस अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किये जा चुके हैं।
3. **डिजिलाईकरण-** इसमें आम जनता का सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया है जिसके अंतर्गत दस्तावेजों को डिजिटल रूप में प्रमाणित कर रखा जा सकता है।
4. **भूमि ऐप-** आम जनता इसका उपयोग कर भुगतान का आसान बनाता है जिसमें जनता UPI का प्रयोग करके कहीं भी किसी भी समय भुगतान कर सकता है।

परिकल्पना:

1. डिजिटलीकरण, विकास का महत्वपूर्ण साधन है।
2. डिजिटलीकरण से देश की आय में वृद्धि हो रही है।

डिजिटल इंडिया का महत्व – भारत को वैश्विक नेता बनने के लिए शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती

ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ना है। डिजिटल इंडिया एक ऐसी परिवर्तनकारी पहल है, जो देश को डिजिटल रूप में एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1. स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक- इससे विभिन्न चिकित्सालयों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसमें मरीज, डॉक्टर और चिकित्सालयों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। जैसे-ABHA इसमें विभिन्न मोबाइल एप्स से व्यक्ति अपने प्राइमरी चेकअप भी कर सकता है।

2. शिक्षा में सहायक- इससे देश के विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किये गये हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कारोनाकाल के समय ऑनलाइन क्लासेस ने विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य दूरियों को कम कर दिया है।

3. बैंकिंग में सहायक- इससे विभिन्न बैंकों ने कागजी कार्यवाही को कम कर दिया है, जिससे ग्राहकों को विभिन्न मोबाइल एप्स से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें ग्राहक बैंक से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर रहा है।

4. कृषि में सहायक- हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है जिससे अधिकांश लोग का जीविकापार्जन का साधन कृषि है। इससे कृषि संबंधित जानकारी को डिजिटलीकरण से कृषि कार्य आसान हो गया है।

5. नवाचार में सहायक- इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसमें नागरिकों के विचारों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। जिससे वे स्वयं का रोजगार कर सकें और देश के बेरोजगारी को कम कर सकें।

6. रोजगार में सहायक- इससे आम नागरिकों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। इससे IT को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। इसका उपयोग कर नागरिक देश के किसी भी कोने की रोजगार संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकता है एवं देश-विदेश में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसके अंतर्गत वर्क फ्राम होम को बढ़ावा भी मिल रहा है जिससे भारत का व्यक्ति भारत में रहकर ही विदेशों में नौकरी कर रहा है।

7. व्यवसाय में सहायक- इससे व्यापारी वर्ग व्यापार को विकसित कर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें व्यापारी अपने व्यापार को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। व्यापारी द्वारा विभिन्न वेबसाइट बनाकर उस पर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रचार-प्रसार कर क्रय-विक्रय कर रहा है।

8. सरकारी सेवाओं में सहायक- इससे सरकारी कामकाज आसानी से किया जा रहा है। इससे कागजी कार्यवाही को कम किया गया है। इसमें

विभिन्न मोबाइल एप्स जैसे-UMANG, SARTHAK, E-OFFICE, KARMYOGI & MY GOVT. से सरकारी सेवाओं का रिकार्ड डिजिटल रूप में रखा जा रहा है।

9. साइबर अपराध के नियंत्रण में सहायक- इससे डिजिटल अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

10. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक- इससे शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी डिजिटलीकरण से ग्रामीण भी डिजिटल सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।

11. जीवन स्तर सुधार में सहायक- इससे नागरिक विभिन्न डिजिटल सुविधाओं का प्रयोग उनका जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

12. ऑनलाइन सेवाओं में सहायक- इससे आम नागरिक ऑनलाइन सेवाओं से बस टिकिट, रेल्वे टिकिट, एयर टिकिट, होटल एवं अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहा है।

पुष्टि:

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश के विकास में सभी क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका प्रदान की है। शहरों से लेकर गाँवों तक, कृषि से लेकर व्यवसाय तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, बैंकिंग से लेकर साइबर सुरक्षा तक तथा नवाचार से लेकर सरकारी सेवाओं तक सभी ने विकास में योगदान प्रदान किया है।

2. देश में डिजिटलीकरण से समावेशी विकास में नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देने से व्यवसाय, कृषि एवं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है जिससे देश की आय में भी वृद्धि होना निश्चित है।

उपसंहार - भारत ने वर्ष 2025 तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से कई क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। देश के विकास में जो परिवर्तन आये हैं, उसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने विकसित भारत की आधारशिला रखी है, लेकिन ग्रामीण डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, जैसी चुनौतियाँ का सामना भी किया है। फिर भी देखा जाये तो इसने आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया है। और देश को आधुनिक ज्ञान एवं सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक ऐसा कदम है जो देश के विकास और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में सफल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अजय कुमार : डिजिटल इंडिया
2. अनुराग चंद्रा : डिजिटल इंडिया 2047
3. हाई कवर : डिजिटल इंडिया गर्वनेंस ट्रांसफॉर्मेशन
4. पेपर बेक : इंडिया डिजिटल ईकोनॉमी, ग्रोथ चेलेंज एवं फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स
5. www.digitalindia.gov.in

स्वच्छ इंदौर अभियान - प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से अध्ययन

डॉ. दीपा जोशी*

*प्रोफेसर (प्रबंधन) (पीजी) श्री वैष्णव प्रबंधन एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - इंदौर ने लगातार आठवीं बार विजेता भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर स्वच्छता के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह शोधपत्र स्वच्छ इंदौर अभियान की सफलता को हेनरी फेयोल के प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से विश्लेषित है। अध्ययन यह दर्शाता है कि शहरी स्वच्छता केवल सामाजिक उत्तरदायित्व या प्रशासनिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक संगठित और रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें अनुशासन आदेश की शृंखला, कार्य की एकता, दिशा की एकता, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, पहल जैसे सिद्धांतों की व्यावहारिक उपस्थिति देखी जा सकती है।

शोध में द्वितीयक आंकड़ों, सरकारी दस्तावेजों, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्टों एवं इंदौर नगर निगम की केस स्टडी के माध्यम से यह विवेचना की गई है कि किस प्रकार इंदौर आठवीं बार में योजना निर्माण, नागरिक सहभागिता, तकनीकी नवाचार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नीतिगत क्रियान्वयन को प्रभावी रूप से फेयोल के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित किया गया।

यह शोध स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहरी प्रशासन को प्रबंधन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से समझने और लागू करने की एक अभिनव पहल है, जो नीति-निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और शैक्षणिक शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

शब्द कुंजी - इंदौर, स्वच्छ भारत, प्रबंधन सिद्धांत, हेनरी फेयोल, शहरी प्रशासन, नागरिक भागीदारी, कचरा प्रबंधन, नगर निगम, प्रशासनिक रणनीति, तकनीकी नवाचार, नेतृत्व शैली, संगठनात्मक दक्षता।

प्रस्तावना - स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि एक जनांदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छता की संस्कृति को स्थापित करना था। इस राष्ट्रव्यापी पहल का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ जल व पर्यावरण के प्रति जागरूकता और नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करना रहा है।

इस अभियान के तहत लगातार आठवीं बार विजेता इंदौर शहर ने अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इंदौर ने लगातार कई वर्षों तक स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। यह सफलता केवल सफाई कर्मियों या नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक समग्र और प्रबंधित दृष्टिकोण का परिणाम रही है, जिसमें नगरपालिका, नागरिकों, टेक्नोलॉजी और नीति निर्माताओं के बीच कुशल समन्वय स्थापित किया गया।

इस शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि इंदौर की इस सफलता के पीछे कौन-से प्रबंधन सिद्धांत कार्य कर रहे हैं और कैसे भ्रमरतप धलवस के 14 प्रबंधन सिद्धांत इस तरह की नागरिक पहलों में लागू किए जा सकते हैं। अक्सर शहरी स्वच्छता अभियानों को सामाजिक या प्रशासनिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तविकता में यह एक जटिल प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें योजना, संगठन, नेतृत्व, समन्वय और नियंत्रण की गहरी भूमिका होती है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि

प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाकर नागरिक पहलों को कैसे अधिक प्रभावी, टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है। इंदौर का केस अध्ययन इस बात का उदाहरण है कि यदि क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांतों को धरातल पर उतारा जाए, तो शहरी प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। यह शोध अन्य शहरों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है, जहाँ शहरी विकास और प्रबंधन सिद्धांतों का एकीकृत उपयोग किया जा सके।

साहित्य समीक्षा

Fayol, H. (1949) *General and Industrial Management*, शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत, 14 सार्वभौमिक प्रबंधन सिद्धांतों की व्याख्या की गई इंदौर की रणनीतियों को फेयोल के सिद्धांतों से जोड़ने का आधार

Koontz & O'Donnell (1972) *Principles of Management*, प्रबंधन चिंतन का विकास, फेयोल के सिद्धांतों की आधुनिकता में पुष्टि, क्लासिकल सिद्धांतों की आज के प्रशासन में उपयोगिता को दर्शाता है

Wren & Bedeian (2009) *The Evolution of Management Thought*, प्रबंधन इतिहास फेयोल का कार्य प्रबंधन शिक्षा में आधारभूत, पारंपरिक सिद्धांतों को नगर प्रशासन से जोड़ने का आधार

Pierre & Peters (2000) *Governance, Politics and the State*, शहरी प्रशासन, उत्तरदायित्व, भागीदारी और पारदर्शिता पर बल इंदौर की नीति व नागरिक सहभागिता को शासन सिद्धांतों से जोड़ता है

Mathur, O. P. (2013) *Municipal Finance and Governance in India*, नगर निकायों का प्रदर्शन, संस्थागत कमजोरियों के कारण प्रशासन

में बाधाएँ, प्रबंधन आधारित ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है
Sivaramakrishnan, K. C. (2016) *Revitalizing Urban Governance in India*, भारतीय नगर सुधार, विकेंद्रीकरण एवं नागरिक सहभागिता पर बल, इंदौर के तलों से जुड़े मॉडल को समर्थन देता है

Sood, A. (2019) *Citizen Participation and City Branding*, नागरिक भागीदारी, नागरिक सहभागिता से नगर की छवि और प्रदर्शन बेहतर होता है, फेयोल के 'Initiative' और 'Unity of Direction' सिद्धांतों से जुड़ाव

Dasgupta & Kapoor (2021) *Smart Cities and Behavioral Change*, व्यवहारिक बदलाव द्वारा शहरी परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन व तकनीक से सुधार संभव, इंदौर के प्रेरक अभियानों का विश्लेषण फेयोल सिद्धांतों से

UN-Habitat (2016) *Urbanization and Development: Emerging Futures*, शहरी विकास और नियोजन, नीति, जन और योजना का समन्वय आवश्यक, इंदौर के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करता है

World Bank (2018) *What Makes a Clean City?* नगर स्वच्छता की श्रेष्ठ प्रथाएँ, नीति, नियोजन और भागीदारी महत्वपूर्ण, इंदौर के प्रदर्शन को वैश्विक मानदंडों से जोड़ता है

अध्ययन के उद्देश्य:

1. इंदौर स्वच्छता अभियान की लगातार आठवीं बार सफलता का विश्लेषण हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से करना।
2. शहरी स्वच्छता में संगठित योजना, अधिकार वितरण एवं समन्वय की भूमिका का अध्ययन करना।
3. यह पहचानना कि इंदौर नगर निगम ने किन प्रबंधकीय उपायों को अपनाया जिससे उसे लगातार स्वच्छता में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।
4. यह मूल्यांकन करना कि नागरिक भागीदारी और प्रशासनिक अनुशासन किस प्रकार से शहरी परिणामों को बेहतर बनाते हैं।
5. अन्य भारतीय शहरों के लिए एक प्रबंधन आधारित दोहराने योग्य मॉडल प्रस्तुत करना जो स्वच्छता और शहरी प्रबंधन सुधार में सहायक हो।

अनुसंधान पद्धति अनुसंधान पद्धति (गुणात्मक केस स्टडी आधारित)

1. अनुसंधान डिजाइन

- गुणात्मक एवं वर्णनात्मक दृष्टिकोण
- एकल केस स्टडी (इंदौर नगर निगम पर केंद्रित)

2. डेटा संग्रहण

- द्वितीयक स्रोतों पर आधारित
- सरकारी रिपोर्टें (स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ सर्वेक्षण)
- इंदौर नगर निगम (IMC) की रिपोर्टें व दस्तावेज
- समाचार लेख, शोधपत्र, शैक्षणिक संसाधन
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित केस स्टडी

3. डेटा विश्लेषण

- सामग्री विश्लेषण

- IMC की रणनीतियों का फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों से मिलान
- अनुशासन, आदेश की शृंखला, कार्य की एकता, आदेश की एकता, पहल आदि



4. अध्ययन की सीमाएँ

- अध्ययन इंदौर तक सीमित कृ संदर्भ-विशिष्ट निष्कर्ष
- परंतु मॉडल अन्य नगरों द्वारा अनुकूलन हेतु उपयुक्त
- दोहराया जा सकने योग्य व व्यावहारिक ढाँचा प्रदान करता है



निष्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ना

फेयोल के प्रबंधन सिद्धांतों और इंदौर स्वच्छता मॉडल का मिलान

फेयोल का सिद्धांत	इंदौर स्वच्छता अभियान में अनुप्रयोग
1. कार्य का विभाजन	कचरा छंटाई और निस्तारण के लिए विभागवार योजना
2. अधिकार और उत्तरदायित्व	जोनल अधिकारियों को स्पष्ट अधिकार और दायित्व प्रदान करना
3. अनुशासन	नियमित निगरानी, जुमनि, और नागरिक रिपोर्टिंग की प्रणाली
4. आदेश की एकता	सफाई प्रबंधन में एकल रिपोर्टिंग चैनल
5. दिशा की एकता	एक समान लक्ष्य - 'स्वच्छ इंदौर'
6. व्यक्तिगत हितों का अधीनस्थीकरण	सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करना, नागरिकों की व्यक्तिगत अनिच्छा से ऊपर
7. पारिश्रमिक	सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार, प्रशंसा और प्रोत्साहन देना
8. केंद्रीकरण	नगर निगम द्वारा केंद्रीकृत योजना और वाई स्तर पर विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन
9. स्केलर शृंखला	नगर निगम (IMC) में स्पष्ट संप्रेषण श्रेणी
10. व्यवस्था	कचरा संग्रहण के निश्चित मार्ग और समय-सारणी, GIS तकनीक द्वारा निगरानी
11. समता	झुग्गी बस्तियों को भी स्वच्छता प्रयासों में समान रूप से शामिल करना
12. कार्यकाल की स्थिरता	कचरा प्रबंधन भागीदारों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध
13. पहल	समुदाय प्रेरित नवाचार जैसे 'नेकी की दीवार', स्पोर्ट क्लीनिंग प्रतियोगिता
14. दल भावना	सफाई मित्रों और अधिकारियों के बीच टीम भावना और सहयोग की संस्कृति

विश्लेषण एवं चर्चा

1. **इंदौर की सफलता में फेयोल के सिद्धांतों का अनुप्रयोग-** इंदौर का लगातार आठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बने रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित प्रशासनिक योजना और जनभागीदारी के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। जब हम इस मॉडल का विश्लेषण हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से करते हैं, तो पाते हैं कि पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांत और आधुनिक शहरी प्रशासन के बीच अद्भुत सामंजस्य है।

- कार्य का विभाजन - सफाई कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय

अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन।

- अनुशासन - नियमित जुमाने, औचक निरीक्षण, और प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रणाली।
- दिशा की एकता - 'स्वच्छ इंदौर - हरित इंदौर' के एकल उद्देश्य की दिशा में सभी विभाग और नागरिक कार्यरत।
- आदेश की शृंखला - इंदौर नगर निगम (IMC) में पारदर्शी कमांड स्ट्रक्चर और संवाद प्रणाली।

इन सिद्धांतों के अनुपालन से प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जवाबदेही में वृद्धि और कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।

नेतृत्व की भूमिका - इंदौर की लगातार आठवीं बार सफलता में प्रभावी नेतृत्व ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. नगर निगम आयुक्त ने प्रेरणादायक नेतृत्व दिखाया, जिससे कर्मचारियों और नागरिकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुरस्कार योजनाओं, और प्रदर्शन मूल्यांकन से कर्मचारियों की भागीदारी और प्रेरणा में वृद्धि हुई।
3. 'रोको-टोको अभियान' और 'सफाई मित्र सम्मान' जैसी पहल ने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों में आत्म-स्वामित्व की भावना को प्रबल किया।

2. सामुदायिक भागीदारी की भूमिका:

1. इंदौर मॉडल में जनभागीदारी को सुव्यवस्थित रूप से संस्थागत रूप दिया गया है।
2. विद्यालयों, रहवासी संघों (RWAs), और व्यापारियों ने सक्रिय रूप से अभियान में भाग लिया।
3. 'नेकी की दीवार' और 'स्वच्छता सेल्फी पॉइंट्स' जैसी पहलें दर्शाती हैं कि रचनात्मक सहभागिता से स्वच्छता अभियान जन-आंदोलन बन सकता है।

3. तकनीकी और प्रणालीगत हस्तक्षेप की भूमिका:

1. GPS-सक्षम कचरा वाहन, रीयल टाइम निगरानी, और मोबाइल शिकायत समाधान ऐप जैसी तकनीकों से पारदर्शिता और गति आई।
2. केन्द्रिय रणनीति और वॉर्ड-स्तरीय कार्यान्वयन के संतुलन ने स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू करने में मदद की।

4. समग्र प्रशासनिक दृष्टिकोण- इंदौर की लगातार आठवीं बार सफलता उपलब्धि केवल स्वच्छता की नहीं, बल्कि सशक्त प्रशासनिक मॉडल की है, जो आधारित है:

1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण
2. सहभागी नेतृत्व
3. संसाधनों का दक्ष उपयोग
4. पारदर्शी फीडबैक प्रणाली
5. अनुकूल नीति कार्यान्वयन

यह मॉडल प्रमाणित करता है कि हेनरी फेयोल के प्रबंधन सिद्धांत आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं, विशेषकर जब उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए।

मुख्य निष्कर्षों का सार - इस अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि इंदौर की स्वच्छता की लगातार आठवीं बार सफलता केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का उदाहरण है।

इंदौर नगर निगम (IMC) ने इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कार्य का सुव्यवस्थित विभाजन, आदेश की स्पष्ट शृंखला, नागरिक सहभागिता, और तकनीकी नवाचार के माध्यम से एक प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है।

1. Discipline, Unity of Direction और Scalar Chain जैसे सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखते हैं।
2. सामुदायिक भागीदारी, प्रशासनिक प्रतिबद्धता, और तकनीकी नवाचार ने इस अभियान को जनांदोलन बनाया।

नीतिगत सुझाव :

1. स्थानीय निकायों को नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित हो।
2. शहरी प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को संस्थागत रूप देना आवश्यक है।
3. साझेदारियों (PPP Model) और समुदाय आधारित मॉडल को नीति में प्रमुखता मिलनी चाहिए।
4. सार्वजनिक भागीदारी की संरचित नीति बनाई जाए जिससे नागरिकों को प्रक्रियात्मक रूप से जोड़ा जा सके।

अन्य नगर निकायों हेतु सिफारिशें :

1. हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों को शहरी योजनाओं में एकीकृत करें।
2. नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।
3. सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाएं बनाएं।
4. तकनीक आधारित निगरानी और फीडबैक सिस्टम लागू करें (जैसे मोबाइल ऐप्स)।
5. कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था विकसित करें।
6. सार्वजनिक स्थलों पर 'स्वच्छता संवाद' और सामूहिक सफाई गतिविधियाँ आयोजित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. फेयोल, एच. (1949). जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट (सी. स्टोर्स, अनुवादक). लंदन: पिटमैन पब्लिशिंग। (मूल रचना 1916 में प्रकाशित)
2. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय. (2024). स्वच्छ सर्वेक्षण 2023: वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारत सरकार। <https://swachhsurvekshan2023.org>
3. इंदौर नगर निगम (IMC). (2023). स्वच्छ इंदौर: पहलों और नवाचारों का दस्तावेज। प्राप्त: <https://imcindore.mp.gov.in>
4. अग्रवाल, एस., और सिंह, आर. (2020). शहरी शासन और जन भागीदारी: इंदौर की स्वच्छता मुहिम का केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ अर्बन स्टडीज, 15(2), 45-58।
5. शर्मा, एम. (2021). शहरी स्वच्छता में नेतृत्व और नागरिक नवाचार: इंदौर से प्राप्त सबक। जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, 13(1), 12-21। <https://doi.org/10.5897JPAPR2021.0562>
6. बनर्जी, आर., और गुप्ता, डी. (2019). शहरी स्वच्छता अभियानों में तकनीकी एकीकरण: भारत के स्मार्ट शहरों का अध्ययन। अर्बन पॉलिसी रिव्यू, 27(4), 78-93।

7. वर्ल्ड बैंक. (2022). भारत में शहरी स्वच्छता में सुधार: सर्वोत्तम प्रथाओं पर नीति संक्षेप। वाशिंगटन, डीसी: वर्ल्ड बैंक प्रकाशन।
8. चौधरी, एन., और पटेल, के. (2023). अपशिष्ट प्रबंधन में नागरिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन। एनवायरनमेंट एंड अर्बन अफेयर्स रिव्यू, 10(3), 91-104।
9. मिश्रा, ए. (2021). प्रबंधन सिद्धांतों के माध्यम से लोक प्रशासन: 21वीं सदी की शासन व्यवस्था में फेयोल की प्रासंगिकता। इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 29(1), 59-67।
10. मोहंती, पी. के. (2018). भारत में शहरी स्थानीय निकाय: शासन और चुनौतियाँ। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में वृद्धावस्था की सामाजिक चुनौतियाँ : एक समकालीन विश्लेषण

डॉ. श्रुति त्रिपाठी*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - वृद्धावस्था जीवन का ऐसा चरण है जहाँ व्यक्ति भौतिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका कम निभाने लगता है। यद्यपि वह सक्रिय भूमिका नहीं निभाता, पर समाज में पूर्व में निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के आधार पर विश्रान्ति और सम्मान की कामना करता है। भारतीय संस्कृति में इस अवस्था को 'संन्यास आश्रम' के रूप में देखा गया है, जहाँ अनुभव, ज्ञान और धार्मिक चेतना की विशेष भूमिका होती है। परंतु बदलती आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था, शहरीकरण, विघटित होते पारिवारिक ढाँचे तथा प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली ने वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

यह शोध-पत्र आधुनिक भारतीय समाज में वृद्धावस्था से संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करता है और समाधान की संभावनाओं पर चर्चा करता है।

शोध की आवश्यकता और उद्देश्य

आवश्यकता- भारत में जनसंख्या का वृद्धिकरण तेज गति से हो रहा है। वर्ष 2021 में 60 आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 13.8 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुनी होने के अनुमान हैं। इस समूह के प्रति जागरूकता, नीति-निर्माण तथा संरचनात्मक समर्थन अत्यावश्यक होता जा रहा है।

उद्देश्य:

1. भारतीय समाज में वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण।
2. सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर वृद्धजनों की समस्याओं की पहचान।
3. नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता पर विचार।
4. समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की पद्धति - यह शोध मुख्यतः वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक-आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित है।

1. **आधार स्रोत**- HelpAge India रिपोर्ट्स, NSSO डेटा, सरकारी योजनाओं की रिपोर्ट, अकादमिक शोध-पत्र तथा समाचार-पत्रधपत्रिकाएँ।
2. **विश्लेषण का दायरा**- सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कानून व नीतिगत परिप्रेक्ष्य से।

वृद्धावस्था की भारतीय अवधारणा - भारतीय संस्कृति में वृद्धजन परिवार की रीढ़ माने जाते हैं। उनके अनुभव और मूल्यबोध से परिवार और समाज का मार्गदर्शन होता आया है। प्राचीन ग्रंथों में 'मातृदेवो भव', 'पितृदेवो भव' जैसे विचार उनकी गरिमा को प्रकाशित एवं प्रमाणित करते हैं। चार आश्रमों में अंतिम 'संन्यास आश्रम' वृद्धावस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ

आत्मचिंतन, मोक्ष की ओर गमन और समाज को उपलब्ध ज्ञान देने की अवस्था होती है। वृद्धजनों के प्रति ये दृष्टिकोण अब शहरीकरण और पारिवारिक टूटन के कारण खोने लगे हैं। नई पीढ़ी को वे बोझ जैसे लगने लगे हैं, जिसके कारण समाज का यह महत्त्वपूर्ण घटक अदृश्य चुनौतियों का सामना कर रहा है।

प्रमुख सामाजिक चुनौतियाँ

आर्थिक असुरक्षा- अधिकांश वृद्धजन बेरोजगार, पेंशन-विहीन या अल्प आय वाले होते हैं। चिकित्सा खर्च, जीवन-निर्वाह, घर का रख-रखाव आदि उनकी सामर्थ्य से बाहर होते हैं।

1. वृद्ध, विशेषकर असंगठित क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति वित्तीय योजनाओं से वंचित रहते हैं।
2. पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत कम है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ- जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, वृद्धजन हृदय रोग, मोतियाबिंद, अस्थि-संबंधी रोग, मानसिक रोग जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि से पीड़ित होते हैं।

1. मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा गंभीर है।
2. बुजुर्ग मानसिक अवसाद, अकेलापन, नींद न आने जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं।

सामाजिक उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार- HelpAge India के सर्वेक्षण अनुसार 2023 में 64% वृद्धों ने किसी न किसी प्रकार की उपेक्षा का अनुभव किया -

1. मानसिक उत्पीड़न
2. संपत्ति को लेकर झगड़े
3. घर से निष्कासन
4. भावनात्मक अलगाव से उत्पन्न अवसाद

ग्रामीण बनाम शहरी वृद्धावस्था:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समर्थन अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन सुविधाओं का घोर अभाव है।
2. शहरी क्षेत्रों में भले ही चिकित्सा व संस्थागत सहायता उपलब्ध हो, परंतु वृद्ध अकेलेपन, निजता की कमी और उपेक्षा से जूझते हैं।

वृद्ध महिलाओं की समस्याएँ- वृद्धावस्था और महिला - ये दोनों मिलकर चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। पुरुष प्रधान समाज में विधवापन अपने आप

में सामाजिक अभिशाप समझा जाता है और व्यवहार में उन्हें सामान्यतः दूर रखा जाता है, जो उनके लिए हर दृष्टि से पीड़ादायक होता है।

1. संपत्ति में अधिकार की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर रहती है।
2. महिला होने के कारण स्वास्थ्य व पोषण की उपेक्षा - बहुआयामी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं।
3. लिंग आधारित भेदभाव वृद्धावस्था में और तीव्र हो जाता है।

नीतिगत प्रयास एवं उनकी व्यावहारिक सीमाएँ

सरकारी योजनाएँ:

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
2. अटल पेंशन योजना (APY)
3. राष्ट्रीय वयोश्री योजना
4. वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष
5. रिवर्स मॉर्गेज योजना

सीमाएँ:

1. लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी का अभाव।
2. योजनाओं के लाभ हेतु सरकारी प्रक्रिया और दस्तावेज जुटाना कठिन।
3. प्रशासनिक स्तर पर असंवेदनशीलता व भ्रष्टाचार।

सामाजिक और कानूनी प्रयास

सामाजिक पहल:

1. वृद्धजनों के लिए सामुदायिक केंद्र, डे-केयर संस्थाएँ, हेल्थ कैंप।
2. NGO, SWO और NSS जैसे संगठनों की भागीदारी।
3. स्कूलों में नैतिक शिक्षा, पीढ़ी-दर-पीढ़ी संवाद को प्रोत्साहन।

कानूनी पहल:

1. 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007'।
2. त्वरित न्याय हेतु ट्राइब्यूनल।
3. मातापिता की संपत्ति पर अधिकार की सुरक्षा।
4. संतान से भरण-पोषण की कानूनी मांग।
5. इसकी प्रासंगिकता को और मजबूत करने हेतु संशोधन प्रक्रिया प्रगति पर है।

समाधान एवं सुझाव

परिवार स्तर पर:

1. आदरभाव, संवाद, सहभागिता तथा भावनात्मक सहयोग - परिवार के स्तर पर वृद्धों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाते हैं।
2. घर में वृद्धों को उनके अनुकूल जिम्मेदारी देना जिससे वे व्यस्त रहें और अपनी भूमिका निभाने का अनुभव करें।
3. परिवार के विकास में उनके योगदान को मान्यता देना।

नीति-निर्माण में सुधार:

1. पेंशन और चिकित्सा योजनाओं को सरल बनाना।
2. वृद्धजनों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच।

सक्रिय वृद्धों के लिए:

1. मनरेगा जैसे श्रम के बजाय मानसिक कार्यों में नियुक्ति।
2. अनुभव-आधारित परामर्श या स्वैच्छिक सेवा योजनाओं में सहभागिता।

सामाजिक स्वीकृति एवं सक्रियता:

1. वृद्धों को क्लब, मंदिर, सामुदायिक लाइब्रेरी, योग केंद्र आदि से जोड़ना।
2. 'inter-generational bonding' हेतु परिवार-केंद्रित कार्यक्रम।

निष्कर्ष- वृद्धजन हमारे सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के संरक्षक हैं। यदि हम उनके अनुभव, भावना एवं अस्तित्व को सम्मानित करते हैं, तो यह केवल ऋण नहीं बल्कि समाज के लिए पुनः निवेश है।

वृद्धावस्था की गरिमा की रक्षा हेतु केवल सरकारी योजनाएँ ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी उद्देश्यपूर्ण सहभागिता निभानी होगी। 'वृद्धजन रूई का बोझ नहीं, वरन अनुभव की धरोहर हैं।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. HelpAge India Annual Survey Report - 2023
2. भारत सरकार - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
3. Ageing in India: Challenges and Policy Responses, Economic and Political Weekly.
4. National Sample Survey Office (NSSO) Reports
5. World Health Organization Global Ageing Report
6. राष्ट्रीय वृद्धनीति, राष्ट्रीय वृद्धजन शिक्षा संसाधन केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
7. उमेश चन्द्र अग्रवाल, 'बढ़ते बुजुर्ग, घटती सुरक्षा', पत्रिका कुरुक्षेत्र, 2021.

कामकाजी महिलाओं की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

नागेश्वरी कुमारी*

* शोधार्थी, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़ (झारखंड) भारत

शोध सारांश – नारी को 'आधी दुनिया' कहा जाता है। वह एक ऐसी 'आधी दुनिया' है जो कदम-कदम पर पुरुष द्वारा अनुशासित होती रही है। आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उच्च मध्यवर्गीय के साथ-साथ आम शहरी मध्यवर्गीय परिवारों की नारियां भी शिक्षित हुईं और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की प्रयास की। इसमें से कई महिलाओं ने सफलता भी हासिल की, लेकिन पुरुष प्रधान सोच और समझ हमेशा उनके आड़े आते हैं, जो उनकी समस्याओं का कारण बनती है। कामकाजी महिलाएं कौन हैं? असल इस प्रश्न का उत्तर समाज ने अपनी दृष्टिकोण और सोच पर आधारित बनाकर संग्रहित किया है। समाज सोचता है कि घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं। कामकाजी महिला का अर्थ काम करने वाली महिला से है ये सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण ही है, जो महिलाओं को तनावग्रस्त बनाता है। घर परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बाहर काम करने वाली महिला को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें बस उनसे अपने लिए सेवा चाहिए। एक महिला क्या कुछ प्रदान नहीं करती। नौकरी करने वाली महिला चाहे जितनी परेशान हो, उसे ही सब कुछ निभाना पड़ता है एक महिला न सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान रहती है बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत अधिक तनावग्रस्त रहती हैं। जिसके कारण उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है जिस सेवा के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है किसी कार्य को महिलाएं बिना मूल्य के एवं बेरोजगारी के नाम के साथ खुशी से करती हैं।

अध्ययन में हम कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कि वो घर और बाहर दोनों ही समस्याओं में महिलाओं को दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ती है।

शब्द कुंजी – सामाजिक असमानता, दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विडम्बना, कामकाजी, कार्यस्थल, समस्याएं।

प्रस्तावना – कामकाजी शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। जिन्हें समाज के कुछ पहलुओं की सोच ने सीमित कर दिया है। कामकाजी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है (काम काजी) काम करने वाला। कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः नौकरी करने वाली महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है यथार्थ वे महिलाएं जो बाहर नियमित रूप से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयोग हुआ है जो तनख्वाह वाले कार्य में लगी हैं। वर्तमान समय में महिलाएं घर के साथ-साथ कार्यालय का कार्य भी देखती हैं जिसके लिए उसे एक निश्चित वेतन दिया जाता है। अब महिलाएं विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों में कार्य करने तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि उद्योग – धंधों, कारखानों, न्यायालयों प्रशासन, राजनीति तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं। कामकाजी होने के कारण जहां एक ओर महिलाओं को परिस्थिति और प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया है जो कि सकारात्मक है वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याएं और भी बढ़ी हैं। वर्तमान में कार्यरत महिलाओं को घर के कार्य के साथ-साथ कार्यालय की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और दोनों के बीच उचित तालमेल भी बिठाना पड़ता है जो बहुत ही कठिन कार्य है आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं कार्यरत न हो। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भी निरुसंधेह महिलाओं के योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया में आज बढ़ते विकास की प्रक्रिया को सतत विकास के नाम से जाना जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित सीमिति का मानना है कि समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी तय करते समय व्यक्तिगत

स्वतंत्रता, समानता, परिवार, सामुदायिक भागीदारी और वैश्विक समाज में महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से देखना आवश्यक है। वर्ष 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया जिसका उद्देश्य महिला विकास को बढ़ावा देना और अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था। वर्तमान में जो स्त्रियां शिक्षित और नौकरी करने वाली स्त्रियों की भूमिका निभा रही हैं उससे उन्हें एक नया सामाजिक तथा आर्थिक दर्जा प्राप्त हुआ है तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी प्रभावित हुआ है।

किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे योग्य माता दे दो मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा। वर्तमान के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं ने घर की देहरी से बाहर कदम बढ़ाकर स्वयं कार्यशील महिला होने का गौरव प्राप्त किया है और स्वयं की एवं समाज की स्थिति को बदलने का बिडा उठाया है। 21वीं सदी में महिलाओं ने ऐसे कार्यों में भी प्रवेश कर लिया है जिन पर सदियों से पुरुषों का एकाधिकार था। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा सैनिक में भी भारतीय महिलाएं कार्यरत हैं जो की महिलाओं के लिए गौरव की बात है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. भारत कामकाजी महिलाओं का अध्ययन करना।
2. कामकाजी महिलाओं के समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – शुद्ध प्रविधि विश्लेषणात्मक है एवं व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। शोध पत्र का विश्लेषण के लिए अनेक पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा विभिन्न शोध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है।

पूर्व शोध अध्ययन

1. वर्षा कुमारी द्वारा उड़ीशा राज्य के 'राउलकेला शहर' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, बैंक, स्कूल व कॉलेजों में कार्यरत महिलाएं जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया कि विभिन्न आयु - वर्ग में एवं विशेष वर्ग की महिलाओं तथा विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत महिलाएं जैसे अविवाहित, विवाहित तथा तलाकशुदा महिलाओं की समस्याओं व चुनौतियों में विभिन्नता पाई जाती है लेकिन कुछ सामान्य तरह की समस्याओं जैसे - शारीरिक व मानसिक तनाव, नौकरी व परिवार के बीच उचित संतुलन की समस्या, परिवार की देखभाल व कार्यस्थल पर भेदभाव आदि का सामना करना पड़ता है।

2. सरिता वाशिष्ठ (2010), 'महिला सशक्तिकरण', प्रस्तुत पुस्तिका में लेखिका ने अपने अध्ययन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला है उनके अनुसार महिला सशक्तिकरण सही मायने में तभी सफल हो सकता है जब महिलाओं को अपने कामकाजी अधिकारों का ज्ञान हो। उनके अनुसार जागरूकता एक बहुत बड़ी कमी है। जिसके कारण कामकाजी महिलाएं अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाती।

3. रेखा तिवारी, दिवाकर शर्मा (2013), 'प्रस्तुतिका में लेखिका ने बताया है कि कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः नौकरी करने वाली महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है यथार्थ वे महिलाएं जो बाहर नियमित रूप से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वेतन वाले कार्य में लगी हैं। काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नहीं, दूसरे व्यक्तियों से काम लेना भी है तथा उनके कार्य की निगरानी करना एवं निर्देशन देना आदि भी सम्मिलित है।

4. निर्मला के चित्रोडा (2016), 'भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति', प्रस्तुत पुस्तिका में लेखिका ने बताया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति ने बड़े-बड़े उतार - चढ़ाव देखे हैं। वैदिक युग में उसे देवी की तरह पूजा जाता था वही मुस्लिम युग में उसे दास की तरह रखा जाता था। स्वतंत्रता के बाद से पालडा महिलाओं के पक्ष में रहा है या यूँ भी कह सकते हैं आजादी के बाद अनेक ऐसे सुधार हुए जिनसे महिलाओं की सामाजिक - आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का चाहे खेले जगत हो या फिर स्वास्थ्य जगत महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता कि उनकी स्थिति आज भी सोचनीय है।

5. शांति कुमार स्याल (2017), 'कामकाजी महिलाएं समस्याएं और समाधान', प्रस्तुत पुस्तिका में बताया गया है कि कामकाजी महिला एक सशक्त महिला की श्रेणी में आती है। महानगरीय संस्कृति में परिवार में सांस्कृतिक मूल्यों के सृजन के संदर्भ में उसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पारिवारिक वातावरण के रूप में संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य या आस - पड़ोस का योगदान नगण्य होता है। विपरीत इसके पीढ़ी - लिखी होने के बावजूद भी महिलाएं घरेलू वातावरण में अंधविश्वास

व दकियानूसी विचारधाराओं का शिकार हो जाती हैं।

6. रेनु पवार (2017) कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में पाया कि इस बदलते परिवेश में महिलाएं बहुत विकसित और जागरूक हुई हैं और वह अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सक्षम हैं लेकिन साथ ही वह दोहरी भूमिका निभाने की मांग से अत्यधिक रूप से प्रभावित होते जा रही हैं। महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन और कार्यस्थल पर संतुलन बनाते-बनाते खुद के जीवन को भूलते जा रही हैं। जिसके कारण उनके जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

7. सुधीर कुमार श्रीवास्तव (1985) ने, 'महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका' के अध्ययन में बताया है कि महिलाएं तभी सशक्त हो सकती हैं जब शिक्षा के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाए।

8. संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने (1975) को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया और नारी उत्थान की दिशा में अनेक प्रयास किए जिससे महिलाएं विकसित हो रही हैं। लेकिन समाज की दृष्टिकोण के कारण महिलाएं आज भी तनावपूर्ण जीवन से जूझ रही हैं। इसके लिए समाज का जागरूक होना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन में कार्यरत महिलाओं की भूमिका और उनमें सामंजस्य स्थापित करती महिलाओं का वर्णन से संबंधित प्रश्न के उत्तर में पाया कि कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ। महिलाओं पर व्यवसाय का उत्तरदायित्व बढ़ा देने के बावजूद उनकी पारंपरिक भूमिका में कोई विशेष कमी नहीं की गई है। हमारे देश में अनेक रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़कर एक नई सोच को अपनाया है। किंतु जब बात महिलाओं की आती है तो आज भी समाज का दृष्टिकोण कुछ ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। हमारी सरकार के प्रयासों और योजना तथा महिलाओं की शक्ति ने महिला जीवन को नई उड़ान दी है किंतु फिर भी दूहरी सोच व पितृसत्तात्मक समाज में नारी को समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। चाहे वह घर की कामकाजी महिला हो या बाहर काम करती हो। उसको अपनी आजादी और खुशियों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं भी इस समाज में गुलामी का जीवन व्यतीत कर संघर्ष कर रही हैं।

हमारी सरकार के कानून ने महिलाओं को चाहे बराबर के अधिकार दिए हैं। लेकिन समाज ने उन्हें सीमित दायरे में बांध रखा है। किसी भी घर समाज या देश की उन्नति एवं विकास में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी होती है इसलिए हमें अगर देश हुआ समाज को उन्नत एवं विकसित करना है तो महिलाओं के लिए समाज का दृष्टिकोण बदलना अतिआवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ज्योति शर्मा (2014) कामकाजी महिलाओं का असल अर्थ और महत्व (एक विश्लेषणात्मक शोध), सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, एथेम्स महाविद्यालय, हैदराबाद, भारत।
2. आशा नगर (2021) भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या में समाधान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय देवली, टोंक राजस्थान, भारत इनोवेशन दी रिसर्च कॉन्सेप्ट आई एस एस एन : 2456 - 5474.
3. डॉ. शकीला खान एवं डॉ. रानी दुबेरू कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के तनाव का उनके स्वास्थ्य एवं पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव का अध्ययन : केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा महाविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय शोध

- पत्रिका इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल।
4. प्रवीण कुमार (2019) कामकाजी महिलाओं की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जनरल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन आईएसएसएन: 2230 – 7540.
5. वर्मा अंजलि (2009) भारत में कार्यशील महिलाएं, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. चित्तौड़ के निर्मला (2016), भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति, आत्माराम एंड संत प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. डॉ. बबीता एवं मधु (2024) journal of emerging technologies and innovative research.

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव

दीपिका शर्मा *

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो की भू-आबद्ध है, अर्थात् इसकी सीमाएं तीन तरफ से भारत से गिरी हुई है इसलिए समुद्री व्यापार हेतु भारत नेपाल को सहयोग प्रदान करता है।

भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल, चीन और भारत के मध्य एक बफर स्टेट है, जिसे दोनों देश अपनी तरफ से संतुलित करने का प्रयास करते हैं।

ना केवल सामरिक दृष्टि बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी नेपाल, भारत की विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। नेपाल में स्थित लुंबिनी भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था एवं नेपाल के संघीय गणराज्य घोषित होने से पूर्व इसे एक मात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था।

दोनों देश खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, विवाह और पारिवारिक संबंधों के कारण इन्हें रोटी बेटे के रिश्ता का नाम भी दिया जाता है इस प्रकार दोनों देश परस्पर धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास साझा करते हैं।

नेपाल भारत के पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सीमावर्ती नेपाल की तराई क्षेत्र में पाए जाने वाला मधेशी समुदाय भी भारत से नजदीकी संबंध साझा करता है।

वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के मध्य हुई शांति और मित्रता की संधि भी उनके संबंधों का एक ऐतिहासिक आधार है, जब नेपाल पर हमले को भारत की संप्रभुता पर खतरा माना जाता था।

वर्ष 1960 में काठमांडू के राजा महेन्द्र के काल में भी भारत और नेपाल के मध्य औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया, कोसी एवं गंडक नहर परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 1996 में गिरिजा प्रसाद कोइराला एवं भारत में एच.डी.देवगौड़ा की सरकार के मध्य महाकाली संधि जिसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ने जल, विद्युत, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में साझा सहयोग को सुनिश्चित किया।

वर्ष 1990 में व्यापार एवं पारगमन संधि एवं उसके बाद हुए ऊर्जा, सड़क, सुरक्षा समझौते ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुचा: रूप से गति प्रदान की और इन सभी संधियों की बढौलत ही सतही मतभेद कभी गहरे नहीं हुए और भारत ने एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते नेपाल को हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाया, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो, बुनियादी

ढांचे का विकास हो, या व्यापार एवं पारगमन समझौते पर क्रियान्वयन हो।

हाल ही में भारत ने काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक रेल बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकरण में सहायता देता है। भारतीय सेना के गोरखा रेजीमेंटों का गठन आंशिक रूप से नेपाल की पहाड़ी जिलों से भर्ती कर किया जाता है।

नेपाल हिमालय की तलहटी में बसा देश है जो भूकंप और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आता है उससे होने वाले जान माल के नुकसान की भरपाई करने हेतु भारत मानवीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है।

इन सभी बहुउद्देशीय संबंधों के बावजूद 21वीं सदी भारत और नेपाल के संबंधों के मध्य कई चुनौतियां लेकर आई हैं, जिसका मुख्य कारण नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है।

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के कारण एवं उनका भारत पर प्रभाव ही इस शोध पत्र का अभीष्ट है।

नेपाल के इतिहास को देखा जाए तो इसने राजशाही से लेकर लोकतंत्र का सफर तय किया है, जिसकी पहली शुरुआत वर्ष 1990 में नेपाल में पंचायत व्यवस्था की औपचारिक समाप्ति से हुई और तत्पश्चात नवंबर 1990 में के. पी. भट्टाराई की अंतरिम सरकार द्वारा एक नया संविधान निर्मित किया गया। साथ ही इसी वर्ष वहां पहली बार बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव आयोजित किए गए, जिनमें नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला ने सरकार बनाई किंतु वह मात्र चार सालों में ही गिर गई। अतः 18 माह पूर्व नवंबर 1994 में पुनः चुनाव आयोजित किए गए, परंतु किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने से नेपाल के इतिहास में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार अस्तित्व में आई किंतु अल्पमत के कारण वह भी 9 माह में गिर गई। सितंबर 1995 में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने सरकार बनाई और वर्ष 1999 में भी नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला किंतु राजा ज्ञानेंद्र ने वर्ष 2002 में संसद को भंग कर दिया।

जिसके फलस्वरूप पुष्प कमल दहल प्रचंड, बाबूराम भट्टाराई और छोटे कम्युनिस्ट समूहों द्वारा 1996 में गठित 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल' (माओवादी) ने राजशाही के विरुद्ध सशस्त्र जनयुद्ध की घोषणा कर दी, इसे नेपाली माओवादी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1996 से लेकर 2006 तक चले इस जन आंदोलन में लगभग 13000 लोगों की जानें गईं। इसी वर्ष भारत की मध्यस्थता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से 'समग्र शांति समझौता' भी करवाया गया।

जिसके बाद माओवादी लोगों की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाकर उन्हें मुख्यधारा में लाया गया।

अतएव 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा भंग संसद को बहाल करने की घोषणा की गई और राजशाही की शक्ति को समाप्त कर दिया गया।

वर्ष 2006 से 2008 तक नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में बनी सरकार ने भारत की ओर सकारात्मक रुख अपनाया और भारत ने भी नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांति प्रक्रिया को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

वर्ष 2008 में नेपाल आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और राजतंत्र का अंत हो गया इसी वर्ष संविधान सभा के चुनाव हुए और रामबरन यादव ने संघीय गणराज्य, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली साथ ही गठबंधन सरकार को पुष्प कमल दहल प्रचंड का नेतृत्व मिला। इस माओवादी सरकार का भारत के प्रति संदेह पूर्ण दृष्टिकोण था और तुलनात्मक रूप से चीन की ओर झुकाव अधिक था।

वर्ष 2009 में प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह राजनीतिक अस्थिरता का दौर नेपाल में लगातार चलता रहा।

वर्ष 2009 से 2011 के मध्य सीपीएन यूएमएल के माधव कुमार नेपाल ने दोनों देशों के मध्य संतुलन बनाने की कोशिश की। साथ ही नेपाल के संविधान निर्माण में भारत ने भी यथा योग्य सहयोग प्रदान किया।

वर्ष 2011 में सीपीएन यूएमएल के झलनाथ खनाल का कार्यकाल अत्यंत छोटा रहा और भारत से उनके संबंध सामान्य किंतु ठंडे रहे।

2011 से लेकर 2013 तक माओवादी सरकार की बाबूराम भट्टराई ने भारत से रिश्ते में सुधार की कोशिश की एवं सड़क, ऊर्जा, व्यापार जैसे कई आर्थिक समझौते किए, इसे उनका व्यवहारिकता पूर्ण कदम कहा गया। वर्ष 2013 से 2014 में खिलराज रेग्मी (चीफ जस्टिस) की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में सामान्य सहयोगात्मक संबंध रहे।

वर्ष 2014 से 2015 में पुनः नेपाली कांग्रेस सत्ता में आई और सुशील कोइराला के नेतृत्व में बनी सरकार ने भारत से अच्छे संबंधों की शुरुआत की। 2015 में नेपाल का नया संविधान अस्तित्व में आया किंतु संविधान में मधेशियों की भागीदारी को लेकर विवाद हुआ जो कि भारत नेपाल संबंधों में तनाव का कारण बना।

वर्ष 2015 से 2016 में सीपीएन यूएमएल के केपी शर्मा ओली की सरकार का प्रत्यक्ष झुकाव चीन की तरफ था। इस कारण भारत और नेपाल संबंध बहुत पेचीदा हो गए और 2015 में भारत- नेपाल सीमा पर आर्थिक नाकाबंदी भी हुई।

वर्ष 2016 से 2017 तक पुष्प कमल दहल प्रचंड का दूसरा कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने भारत से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की और कई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया।

वर्ष 2017 से 2018 तक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, इस समय भारत के नेपाल से अपेक्षाकृत अच्छे संबंध रहे। आर्थिक सहयोग एवं सीमा सुरक्षा पर परस्पर बातचीत हुई।

2018 से 2021 में केपी शर्मा ओली के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरुआत में भारत से नजदीकी बढ़ी लेकिन बाद में 2020 में नेपाल द्वारा एक प्राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया, जिससे परस्पर

तनाव में बढ़ोतरी हुई।

2021 से 2022 में शेर बहादुर देउबा का दूसरा कार्यकाल रहा, उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया और ऊर्जा परियोजनाओं एवं कनेक्टिविटी पर सहयोग में वृद्धि की।

वर्ष 2022 से 2024 के मध्य पुष्प कमल दहल प्रचंड पुनः पद पर आसीन हुए और सत्ता में आते ही उन्होंने चीन का दौरा किया उसके बाद भारत की यात्रा भी की। उनकी नीति संतुलनकारी कूटनीति पर आधारित मानी गई, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान कई हाइड्रो पावर परियोजनाओं एवं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भारत के सहयोग से गति प्रदान की गई।

वर्ष 2024 से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, जिन्होंने भारत से ऊर्जा, रेलवे लिंक, पेट्रोलियम पाइपलाइन और पावर ट्रेड एग्रीमेंट के साथ-साथ ही डिजिटल भुगतान (यूपीआई) एवं कनेक्टिविटी से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि, 1951 से लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक नेपाल में 40 से भी अधिक सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन औसतन हर सरकार की उम्र 1 से 1.5 साल से ज्यादा नहीं रही है। 2008 में नेपाल के गणराज्य बनने के बावजूद भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर नहीं थमा है। अगर इस अस्थिरता का विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि गठबंधन की राजनीति इसका एक मुख्य कारण सिद्ध हुई है। जब कोई भी दल अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो सरकारें गठबंधन पर निर्भर होती हैं और स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर पाती हैं।

लोकतंत्रात्मक देश में दल बदल की संस्कृति भी सरकारों की अनिश्चितता को बढ़ावा देती है और ऐसा सिद्धांतों से हीन सत्ता संघर्ष में प्रत्यक्षतः देखा जाता है।

नेपाल के संवैधानिक और वैचारिक विवाद भी इस अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं जैसे नेपाल का संघीय ढांचा, नेपाल में मधेशियों के अधिकार और संवैधानिक संशोधन, जिनसे मुद्दों की राजनीति को हवा मिलती है और विपक्ष तख्ता पलट करने में सफल रहता है।

दलों में होने वाला आंतरिक नेतृत्व संघर्ष भी पार्टी नेताओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर सरकार को गिरा देता है। जैसा कि ओली बनाम प्रचंड के केस में देखा गया है। भारत के संदर्भ में इन अस्थिरताओं को जन्म देने का कारण नेपाल पर बढ़ता चीन का प्रभाव है, ऐसे बाहरी दबाव के कारण भी आंतरिक राजनीति में सत्ता संघर्ष बढ़ जाते हैं और सरकारें उनके इशारों की कठपुतली मात्र बन जाती हैं जो कि विशेषतया नेपाल में भारत विरोधी विचारों को पनाह दे, उनका प्रसार नकारात्मक ढंग से कर जनमत पर ग्राम्शी के विचारधारात्मक प्रभुत्व का प्रयोग कर उन्हें भड़काती है एवं हमारे संबंधों को कगार पर ले जाती है।

चीन द्वारा नेपाल को दी गई आर्थिक सहायता और वन बेल्ट वन रोड में नेपाल का शामिल होना चीन के बढ़ते प्रभाव को बताता है जो माओवादी के सत्ता में आने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नेपाल की सरकारें जब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में रही तब भारत से नेपाल के संबंध अपेक्षाकृत मित्रतापूर्ण रहे, लेकिन जब नेपाल में सीपीएन यूएमएल या माओवादी दल सत्ता में आए तो भारत के साथ तनाव और चीन की तरफ झुकाव देखा गया। इससे यह सिद्ध होता है कि दल के विचारों का प्रभाव जनमत को प्रभावित करता है। ना केवल

विदेश नीति अपितु देश की आंतरिक व्यवस्था भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अत्यंत प्रभावित होती है।

ये राजनीतिक अस्थिरता और तनातनी देश के विकास को पीछे की ओर ढकेलती है अतः जहां तक संभव हो लोकतांत्रिक तरीके से, सामंजस्यपूर्ण सरकार का स्थायित्व ही देश को प्रगति की ओर ले जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. wikipedia.com

2. panchjanya.com

3. योगेंद्र पाल सिंह –भारत की विदेश नीति।

4. प्रोफेसर रमाकांत – इंडो नेपाल इस रिलेशन फेज 1.

5. श्रीमन नारायण अग्रवाल – इंडिया एंड नेपाल: एन एक्सरसाइज ऑफ ओपन डिप्लोमेसी।

6. शोधपत्र- 21वीं सदी में भारत नेपाल संबंध ,द्वारा ममतामणि त्रिपाठी।

महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला

वासुदेव एक्का* डॉ. बहुरन सिंह पटेल**

* शोधच्छात्रः, शासकीय दू. श्री वै. संस्कृत महाविद्यालयः, रायपुरम् (छ.ग.) भारत

** सहायक प्राध्यापकः (व्याकरणम्) शासकीय दू. श्री वै. संस्कृत महाविद्यालयः, रायपुरम् (छ.ग.) भारत

शोधसारः- हर्षवर्धनस्य रूपकेषु संस्कृतसाहित्यस्य ललितकलानां प्रमुखं स्थानमस्ति । हर्षवर्धनः सप्तमशताब्द्याः प्रख्यातः सम्राटः विद्वानः चासीत् । तस्य आश्रये बाणभट्टः मयूरः मतङ्गः च इत्यादयः कवयः आसन् । हर्षवर्धनस्य रचनायां नागानन्दनाटकं एकं प्रसिद्धं संस्कृतनाटकमस्ति । यः बौद्धधर्मस्य प्रभावं दर्शयति । ललितकलाः यथा सङ्गीतं, नृत्यं, चित्रं, वाद्ययन्त्रं च नागानन्दनाटके प्रदर्शनस्य अङ्गानि वर्तन्ते । गीतानां रागात्मकं चित्रणं दर्शकानां हृदये आह्लादयति । ललितकला जीवनस्याधारोऽस्ति । ललितकलायाः जीवनस्य च महत्त्वपूर्णः सम्बन्धोऽस्ति । कला जीवनस्य लालित्यं जनयति । अतः नीतिशतकम् इति स्वग्रन्थे भर्तृहरिः कलाविहीनः मनुष्यं पशुतुल्यं कथयति -

'साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः ।' (नीतिशतकम् - 13)

कूटशब्दः - सङ्गीतं, नृत्यं, चित्रं, वाद्ययन्त्रं च इत्यादयः ।

प्रस्तावना - हर्षवर्धनः भारतीय इतिहासे सम्राटस्य रूपे सुप्रसिद्धोऽस्ति । तस्य जन्म ज्येष्ठकृष्णद्वादशी दिनाङ्के 595 ईसवीं अभवत् । बाणभट्टस्य 'हर्षचरितम्' द्वेनसाङ्गस्य च यात्रावृत्तान्तात् वयं स्पष्टतया जानीमः यत् हर्षवर्धनः 'हूण-हरिण-केसरी' प्रभाकरवर्धनयशोमत्योः पुत्रः आसीत् । सः स्वपितुः द्वितीयः पुत्रः आसीत् । तस्य अग्रजस्य भ्राता राज्यवर्धनः आसीत् । तस्याः भगिनी राज्यश्री योग्या विदुषी आसीत् । तस्य बाल्यकाले सम्यक् शिक्षां दत्तम् । पिता हर्षवर्धनं राज्यवर्धनेन सह पञ्जाबदेशे निवसतां हुणानां पराजयार्थं प्रेषितवान् । दुर्दैवं ववशाद्वाज्यवर्धनः शशाङ्कनामकेन वङ्गीयनृपतिना खलेन निहतः । तदन्तरं हर्षवर्धनो राजा बभूव । अस्य राजधानी स्थाण्वीश्वरनामकं स्थानमासीत् । अस्य राज्यकालः 606-647 ख्रीष्टाब्दमासीदिति प्रतीतम् ।

हर्षवर्धनस्य रूपकत्रयं सन्ति - 1. रत्नावली, 2. प्रियदर्शिका, 3. नागानन्दञ्च ।

नागानन्दनाटके जीमूतवाहनस्य यशो गीतम् । बौद्धहिन्दुधर्म-योरतिमधुरा संसृष्टिरस्ति । प्रियदर्शिका, रत्नावली च नाटिकयोः उदयस्य प्रियदर्शिकायाः रत्नावल्याः च अनुरागस्य कथा वर्णिता अस्ति । नागानन्दनाटके पञ्चाङ्गाः सन्ति । यस्मिन् विद्याधर जीमूतवाहनस्य आत्मत्यागस्य कथां वर्णितारि । नाट्यदृष्ट्या हर्षवर्धनस्य रूपकेषु नाट्यशास्त्रीय पद्धतिं अभिनयस्य च गुणान् अनुसरन्ति । काव्यत्वस्य च दृष्ट्यापि उत्तमाः सन्ति । हर्षवर्धनस्य रूपकेषु विविधानि चित्रणानि उपलभ्यन्ते । अन्तःपुरस्य विलासपूर्णघटनानां, नागरिकानां उत्सवानां, देवपूजानां, प्रकृतेः रमणीयतायाः, स्त्रीणां सौन्दर्यस्य, प्रणयभावानां, नृत्य-सङ्गीतस्य च वर्णनं वर्तते ।

कविहर्षवर्धनः राजकार्येषु व्यस्तः सन् अपि स्वरचनासु सङ्गीतस्य चित्रकलायाः च समुचितप्रयोगं कृतवान् । हर्षवर्धनं सङ्गीतस्य चित्रकलायाः चापि ज्ञानमासीत् इति तस्य कृतीभ्यः स्पष्टं भवति । हर्षवर्धनस्य वीणायाः

नाम घोषवती आसीत् । एतां वीणां वादन् गजान् वशयति स्म ।

महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकलाः - नागानन्दनाटके ललितकला पूर्णमस्ति । अनेकेषु स्थानेषु ललिताकलायाः विषये उल्लेखाः प्राप्यन्ते -

1. **सङ्गीतकला -** नागानन्दनाटकस्य आरम्भेऽपि सङ्गीतकलायाः विषये अकथयत् -

'अहं गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय सङ्गीतकमनुतिष्ठामि ।'

इत्थं प्रथमोङ्कस्य नवमे श्लोके सङ्गीतस्य विस्तरेण चर्चा कृतामस्ति -

'क्रन्दत्कन्दरगङ्गरो जलनिधेरास्फालितो वीचभिः ।'

समुद्रस्य तरङ्गानां पर्वतगुहाप्रहारेः या ध्वनिः उत्पन्नः अत्यन्तं मनोहरः भवति । तस्याः ध्वन्याः माधुर्यगुणः मन्त्रमुग्धं भवति । नायकः विदूषकः च तस्मिन् स्थाने स्थातुं वार्ता कथयतः । सङ्गीतं मनुष्याणां श्रोत्रिन्द्रियाणां माध्यमेन अन्तःकरणं प्रभावितं करोति । न केवलं मनुष्यान् अपितु प्रत्येकं जीवं आनन्दं ददाति ।

'स्थानप्राप्त्य दधानं प्रकटितगमकां मन्द्रतारव्यस्थां

विहरादिन्या विपञ्च्या मिलितमलिरुतेनेव तन्नीसवरेण ।

एते दन्तान्तरालस्थित तृणकवलच्येदशब्दं नियम्य

व्याजिह्वांगाः कुरंगाः स्फुटललितपदं गीतमाकर्णयन्ति ॥'

मृगः वलितग्रीवा कृत्वा तृणचर्वणं च त्यक्त्वा सुमधुरगीतस्य प्राप्नोति । तस्मिन् सङ्गीते उच्चारितः शब्दः मन्त्रमुग्धं करोति । अस्मिन् तारस्वाराणां प्रस्तुताः सन्ति । अनेन आनन्दस्य प्रतीतं भवति । कर्णप्रियसङ्गीत मनः आह्लादयति पशवः अपि तस्यै श्रोतुं रोचन्ते । सुधयापीडितः हिरणः तृणं त्यक्त्वा सङ्गीतस्य आनन्दं नयति । सङ्गीतं न केवलं तदेव यत् वाद्ययन्त्रैः उत्पाद्यते । कविना सङ्गीतरूपे अत्र भ्रमरझङ्कारं प्रस्तुतमस्ति ।

'मधुरमिव वदन्ति स्वागतं भृङ्गशब्दैः ।'

वर्तमानकालेऽपि अतिथीनां स्वागतं गायनेन करोति इति द्रष्टुं शक्यते

। स्वागतस्य विविधरूपेषु स्वागतगीतं श्रेष्ठं मन्यते । देवतानां आमन्त्रणेऽपि गीतगायनस्य प्रथा अस्ति । तथा च अत्र भ्रमरझङ्कारेण नायकस्य विदूषकस्य च कर्णप्रिय स्वागतं क्रियेते ।

सङ्गीतद्वारा एव मलयवतीं भगवतीं गौरीं प्रसन्नं करोति । मलयवत्याः भगवत्याः गौर्याः आराधनायां गीतं गायति ।

उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौर्युते मम हि गौरी ।

अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्प्रसादेन ॥

अर्थात् पुष्पितकमलस्य केसराणां परागस्य इव पीतवर्णेन कान्तिः । हे भगवति गौरी, त्वत्प्रसादेन मम कामना सिद्धा भवतु ।

2. वादनकला - गौरीदेवी मन्दिरे वीणावादनस्य विधिः सर्वोत्तमा अस्ति । वीणावादनकौशले दशविधव्यञ्जनधातूनां प्रयोगाः प्रदर्शिताः सन्ति । व्यक्तिक्वञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धाऽमुना -

विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छन्नस्त्रिधाऽयं लयः ।

गोपुच्छाप्रमुखाः क्रमेण यतयस्त्रिस्रोऽपि सम्पादिता -

स्ततः वीथानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक् त्रयो दर्शिताः ॥

अस्मिन् गीते वीणावादनस्य दशकलाः स्पष्टतया अभिव्यक्तं भवति । द्रुतः, मध्यः, विलम्बितश्च इति त्रिभिः प्रकारैः लयाः विशेषरूपेण स्पष्टः भवति । समा, स्रोतोवहा गोपुच्छा चेति एताः तिस्रः यतयः क्रमेण अभिव्यक्तं भवति । तत्त्वं, ओघं अनुगतं च त्रिवाद्यविधयः सम्यक् दर्शिताः सन्ति ।

उपर्युक्तपद्ये सङ्गीतशास्त्रस्य वाद्ययन्त्राणि हर्षवर्धनः कलाशास्त्रे प्रवीणतां प्रदर्शितवान् अस्ति । सङ्गीतशास्त्रस्य सूक्ष्मज्ञानं नास्ति । सः मनुष्यस्य कृते नाटकस्य एषः अंशः कठिनः अभवत् । मलयवत्या वीणावादनस्य उत्तमप्रस्तुतिः नाटके सङ्गीतस्य पराकृष्टायाः परियाचिका अस्ति ।

नागानन्दनाटकस्य चतुर्थोऽङ्के यदा गरुडः नायकं अपहरति ।

आमोदानन्दतालिर्निपतति किमियं पुष्पवृष्टिर्नभस्तैः ?

स्वर्गे किं वैष चक्रं मुखयति दिशा दुन्दुभीनां निनार्दे ?

सुगन्धेन भ्रमरान् आनन्दिताः पुष्पवृष्टिः आकाशात् किमर्थं पतति ? वा एषः दुन्दुभीनां ध्वनिः दिक्मण्डलं किमर्थं मुखरं करोति । दुन्दुभीनां ध्वनिः यः हृदयं प्रसन्नं करोति । नागानन्दनाटके वाद्ययन्त्राणां उल्लेखेन ज्ञायते यत् अस्य नाटकस्य रचनायां कविः ललितकलायां कियत् समर्पितमासीत् ।

3. चित्रकला - ललितकलायां चित्रकलायाः अद्वितीयं स्थानमस्ति । चित्रं निर्जीवत्वेऽपि सजीवकार्यं करोति । कस्यचित् मनुष्यस्य छायाचित्रं परोक्षरूपेण तस्य उपस्थितेः आभासं कारयति मनः च आह्लादयति । चित्रकला मनुष्यस्य कल्पनाशक्तिं स्थापयति । यतः तस्य अन्तःकरणस्य अभिव्यक्तिः चित्ररूपेण प्रदर्शितं भूत्वा सर्वान् प्रसन्नं करोति । नागानन्दनाटके नायकेन नायिकायाः चित्रनिर्माणस्य कृते पञ्चानां वर्णानां शिला विदूषकः आनयति । येषां साहाय्येन नायकः मलयवत्याः अभावेऽपि सम्यक् चित्रं निर्माणं करोति ।

अविलष्ट बिम्बशोभाधरस्य नयनोत्सवस्य इव ।

दयितामुखस्य सुखयति रेखाऽपि प्रथमेदृष्टेयम् ॥

नायकस्य मनसि स्थितभावरूपं मलयवत्याः छायाचित्रं शिलायाः साहाय्येन शिलायां प्रदर्शितं कृतवान् यत् दृष्ट्वा विदूषकः कथयति । यस्य जनस्य प्रतिकृतिः

अलिख्यते स पुरतो न विद्यते तथापि तस्य एवं सुन्दरं विरच्यते इति महाश्चर्यम् । नायकः वदति - मित्रम्

प्रिया सङ्निहितैवेयं सङ्कल्पस्थापिता पुरः ।

दृष्ट्वा दृष्ट्वा लिखाम्येनां यदि तत् कोऽत्र विस्मयः ॥

तस्याः विषये नित्यं चिन्तयित्वा मम प्रिया मम पुरतः एव अस्ति । यदि अहं तां पश्यन् चित्रं करोमि तर्हि अस्मिन् किं आश्चर्यम् । रत्नावली नाटिकायां सागरिका द्वारा निर्मितं चित्रं दृष्ट्वा सुसंगता सागरिकायाः प्रसंसां करोति - अहो ते निपुणत्वम् । किं शून्यमिवैतच्चित्रं प्रतिभाति । तदहमप्यालिख्य रतिसनार्थं करिष्यामि ।

अर्थात् धन्यं ते निपुणता । तथापि एतत् चित्रं शून्यमिव दृश्यते । अतः अहमपि चित्रयित्वा अनुरागयुक्तं करिष्यामि । उदयनः यदा सागरिका द्वारा निर्मितं चित्रं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः अभवत् ।

लीलावधूतपदमा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः ।

मानसमुपेति केयं चित्रगता राजहंसीव ॥

अर्थात् कोऽयं राजहंसीव अस्माकं मनसि प्रविशति ? लीलापूर्वकं पद्मानि कम्पयन्, अस्माकं कृते अतीव अनुकूला इति स्वलक्षणेन आत्मानं दर्शयति ।

4. नृत्यकला - नृत्यकला मनुष्यं आह्लादयति । यस्याः आनन्दे मनुष्यः नृत्यं निवारयितुं न शक्नोति । आनन्देन नृत्यं कर्तुं आरभते ।

निष्यन्दश्चन्दनानां शिशिरयति लतामण्डपे कुम्भमान्ता -

नाराद धारागृहाणां ध्वनियनु तनुते ताण्डवं नीलकण्ठः ।

यन्त्रोन्मुक्तश्च वेगाच्चलित विटपिनां पूरयन्नालवाला -

वापीतोत्पीडहेलाहतकुसुमरजः पिञ्जरोऽयं जलीधः ॥

नागानन्दनाटकस्य तृतीयेऽङ्के नृत्यकला वर्णिता अस्ति । जलयन्त्राणां आपताभ्यां शब्दः निर्गच्छति । आपताभ्यां निःसृतं शब्दं श्रुत्वा मेघगर्जनस्य भ्रमात् मयूरः नृत्यति । सहचरै सह भङ्गानां गीतं सम्पूर्णं लतामण्डलं आनन्दयति । अयं आनन्दः अन्यत्र न लभ्यते, यः अस्मिन् लतामण्डले अनुभूयते । यत्र नृत्यसङ्गीतयोः अद्वितीयः संग्रहः अस्मिन् स्थाने उभयोः आनन्ददायकोऽस्ति ।

निष्कर्षः - इत्थं संस्कृतनाट्यपरम्परायां कालिदासस्य पश्चात् यस्य कवेः नाम नयति सः महाकविहर्षवर्धनः अस्ति । यः शासनकार्यस्य अत्यन्त व्यस्तः सन् अपि स्वसाहित्यप्रतिभायाः प्रदर्शितवान् । तेन माध्यमेन च सहृदयानां हृदयान् चमत्कृतवान् । संस्कृतसाहित्ये न केवलं नाट्यपरम्परायाः अपितु नाटकीयकाव्यगुणानां च कारणात् संस्कृतसाहित्ये अद्वितीयमस्ति । महाकविहर्षवर्धनः स्वरूपकेषु सङ्गीतकलायाः, नृत्यकलाः, वादनकलायाः चित्रकलायाः च सृजनं कृत्वा अधिकं रोचकं कृतवान् अस्ति ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. नागानन्द नाटकम्, पण्डित रामनाथ त्रिपाठी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
2. रत्नावली नाटिका, डॉ. बालगोविन्द झा, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
3. प्रियदर्शिका नाटिका, पण्डित रामनाथ त्रिपाठी, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण : महिलाएं आंतरिक शक्ति और बाहरी प्रभाव

डॉ. फरहत मंसूरी *

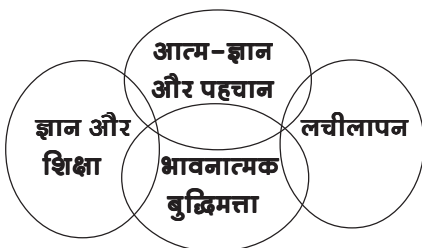
* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण (Psychological Empowerment) महिलाओं की आत्म-जागरूकता, आत्म-सम्मान, और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह महिलाओं के लिए एक आंतरिक परिवर्तन है, जो बाहरी दुनिया में उनके प्रभाव को भी गहराई से प्रभावित करता है। सशक्तिकरण प्रक्रिया आत्म-चिंतन और विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे जीवन अधिक संतुष्टिदायक बनता है। उदाहरण के लिए, कई लोगों का मानना है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने से उनकी क्षमता और आत्मनिर्णय की भावना बढ़ती है। जब एक महिला प्रगति देखती है, तो इससे उसे और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है, और वह अपना एवं अपने परिवार का विकास करती है। समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी तब सशक्त बनती है जब वे अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानकर बाहरी संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं को न केवल आत्मविश्वास देता है, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने योग्य बनाता है।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की परिभाषा - 'मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्म-धारणा, निर्णय क्षमता, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दृढ़ करता है। इसमें स्वायत्तता का अनुभव, नियंत्रण की भावना, अर्थपूर्णता का बोध, प्रभावशीलता की अनुभूति शामिल होती है।'

शब्द कुंजी - मनोविज्ञान, सशक्तिकरण, लक्ष्य, प्रगति, आत्म चेतना, संतुष्टि।

आंतरिक शक्ति के तत्व - महिलाएं जब अपनी पहचान को आत्मसात करती हैं और आत्म-मूल्य को समझती हैं, तब वे मानसिक रूप से सशक्त होती हैं।



● **आत्म-ज्ञान और पहचान** - महिलाएं जब स्वयं को समझती हैं - अपने मूल्यों, क्षमताओं और सीमाओं को पहचानने लगती हैं, तब उनके

आत्म-विश्वास की नींव बनती है।

● **भावनात्मक बुद्धिमत्ता** - महिलाओं में जब अपने और दूसरों के भावों को समझने और संभालने की क्षमता आ जाती है, तब महिला तनावपूर्ण स्थितियों में भी विवेकपूर्ण निर्णय ले सकती है।

● **लचीलापन (Resilience)** - जब एक महिला चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए पुनः उठ खड़े होने की क्षमता रखती है तो वह आंतरिक शक्ति का संकेत है।

● **ज्ञान और शिक्षा** - शिक्षा महिलाओं की सोच, तर्क और विश्लेषणात्मक शक्ति को बेहतर तरीके से निखारती है।

बाहरी प्रभाव की दिशा :



● **सामाजिक भूमिका** - समाज की सशक्त महिलाएं परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में नेतृत्व और बदलाव की प्रेरणा का स्रोत बनती हैं।

● **निर्णय लेने की स्वतंत्रता** - जब महिलाएं अपने जीवन से जुड़े फैसलों को स्वतंत्र रूप से लेने लगती हैं, तो समाज में उनके योगदान की गहराई बढ़ने लगती है।

● **आर्थिक आत्मनिर्भरता** - आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं समाज एवं परिवार में अपने अधिकारों की बेहतर रक्षा कर सकती हैं और दूसरों के लिए एक उत्तम उदाहरण बनती हैं।

सशक्तिकरण का परस्पर चक्र - आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान से जन्मी आंतरिक शक्ति, महिलाओं को अधिक सामाजिक जुड़ाव और नेतृत्व के अवसर देती है, साथ ही वहीं पर सामाजिक पहचान और सफलता से उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति और भी प्रबल होती है - यह एक सकारात्मक चक्र है जो सतत चलता है।

बाहरी प्रभाव का विस्तार - सशक्त महिलाएं समाज में बदलाव की वाहक बनती हैं। उनका प्रभाव कई स्तरों पर होता है, प्रभाव के क्षेत्र निम्न है -

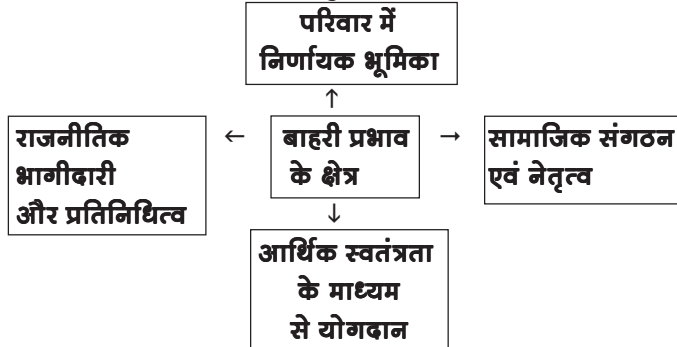
1. **परिवार में निर्णायक भूमिका** - जब एक महिला को परिवार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तब महिला के आत्मविश्वास का विकास बहुत तीव्रता से होता है।

2. **सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व** - जब एक महिला मानसिक रूप से

स्वस्थ एवं सशक्त होती है तब वह सामाजिक संगठन का निर्माण करती है तथा साथ ही उसमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है।

3. आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से योगदान – महिलाओं को जब परिवार एवं समाज में आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है तो वह समाज एवं परिवार के विकास में स्वस्थ योगदान देती है।

4. राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व – जब समाज की महिलाएं समाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र एवं सशक्त होती हैं, तब वह राजनीति में अपनी भागीदारी देते हुए अच्छा प्रतिनिधित्व करती हैं।



परस्पर संबंध- आंतरिक से बाहरी – जब महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त होती हैं, तो उनके विचार, निर्णय और व्यवहार समाज में बदलाव लाने लगते हैं। महिलाओं में आंतरिक विश्वास बढ़ता है तो वह समाज के विकास में अपनी भागीदारी देने लगती हैं जब समाज में एक महिला को आत्म-सम्मान मिलता है, तो उसके नेतृत्व का विकास होता है महिलाओं में आत्मनिर्भरता आती है, तब वह महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं, उदाहरण –

- राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, सशक्तिकरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं में आत्म-विश्वास और निर्णय क्षमता में 60% तक वृद्धि पाई गई।
- सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हुईं, बल्कि वे सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने लगीं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की प्रकृति – मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण किसी बाहरी संसाधन पर आधारित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विचारधारा और आत्म-छवि पर आधारित होता है। इसमें महिलाओं के भीतर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं:



- **स्व-प्रेरणा का विकास-** इसके अंतर्गत महिलाएं बिना बाहरी दबाव के स्वयं को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं।
- **निर्णय लेने में आत्म-निर्भरता-** महिलाएं जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वयं को सक्षम महसूस करती हैं।
- **संकट में विवेकपूर्ण सोच-** मानसिक सशक्तता महिलाओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करती है।

सामाजिक परिवेश में परिवर्तन – जब महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाया जाता है, तो उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है:

- महिलाएं नेतृत्व भूमिकाओं में आने लगती हैं – पंचायत, स्कूल समिति, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि।
- महिलाएं प्रेरणा स्रोत बनती हैं – अन्य महिलाओं और युवतियों को जागरूक करती हैं।
- महिलाएं मूल्य आधारित संवाद की ओर अग्रसर होती हैं – संवाद में आत्म-विश्वास और स्पष्टता आती है।

मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण के आँकड़े

विवरण	आँकड़ा / विवरण	राशी / सक्रिय महिलाओं की संख्या
लाइली बहना योजना लाभार्थी	1.29 करोड़ महिलाएं,	रु 1250/माह की सहायता
स्व-सहायता समूहों में महिलाएं	62 लाख महिलाएं,	5 लाख समूह सक्रिय
महिला आरक्षण	35% शासकीय सेवाओं में, 50% पंचायत/निकाय चुनावों में	-
महिला उद्यमियों को ऋण	2% ब्याज दर पर	रु 648.67 लाख की सहायता
महिला हेल्पलाइन 181	अब तक 1.57 लाख महिलाओं को सहायता	-
लिंगानुपात सुधार	927 से बढ़कर 956 प्रति 1000 पुरुष	-
बाल विवाह में कमी	बाल-विवाह दर में उल्लेखनीय गिरावट	-
मातृ मृत्यु दर (MMR)	राष्ट्रीय औसत के अनुसार 97 प्रति लाख जीवित जन्म	-

निष्कर्ष – मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण किसी आंदोलन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो महिलाओं को उनकी आंतरिक शक्ति के प्रति जागरूक करती है। जब महिलाएं अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करती हैं, आत्म-निर्णय लेती हैं, और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं – तब सशक्त समाज की नींव रखी जाती है। महिलाओं में मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की नींव है। जब महिलाएं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर बाहरी दुनिया में प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं, तो वे समाज की दिशा बदल सकती हैं, और बदल रही हैं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए एक आत्मिक और सामाजिक विकास का मूल है। जब महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को जागृत करती हैं, तो उनका प्रभाव घर की चौखट से निकलकर समाज, राष्ट्र और विश्व तक फैलता है। इस जागरण की प्रक्रिया को गति देना ही सच्चे सशक्तिकरण की दिशा है। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा अब केवल आर्थिक या सामाजिक सीमाओं तक सीमित नहीं रही – यह मनोवैज्ञानिक स्तर तक विस्तारित हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानकर समाज में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. National Commission for Women. (2024). *Annual report on women's empowerment initiatives*. <https://ncw.nic.in>
2. Ministry of Health and Family Welfare. (2021). *National Family Health Survey (NFHS-5)*. <https://rchiips.org/nfhs/>
3. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2024). *Periodic Labour Force Survey 2023-24*. <https://www.mospi.gov.in>
4. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023>
5. PWOnlyIAS. (2024, March 21). -भारत में महिला सशक्तिकरण <https://pwnonlyias.com/hi/current-affairs/women-empowerment-in-india/>
6. NextIAS. (2024, April 15). महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता <https://www.nextias.com/blog/महिला-सशक्तिकरण>
7. Press Information Bureau. (2024, August 5). *11 years of women empowerment programs in India*. <https://pib.gov.in>
8. Academia.edu. (2023). पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण: मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में. <https://www.academia.edu>
9. Saras Janvaad (2025, May 22). महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है मध्य प्रदेश. <https://sarasjanvaad.com/2025/05/chief-minister-dr-yadav-women-empowerment-madhy/>

शरद मिश्र के काव्य में शिल्प के प्रतिमान

अभिषेक एडे* डॉ. नीना उपाध्याय**

* शोधार्थी (हिन्दी) रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) मौनकुवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन प्रमुख कवियों में हैं, जिन्होंने न केवल मानवीय संवेदनाओं को स्वर दिया, बल्कि काव्य-शिल्प की दृष्टि से भी नव्यता के प्रतिमान स्थापित किए। उनका काव्य पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़ते हुए एक नवीन काव्यभाषा, प्रतीक योजना, बिंब विधान तथा संरचना के स्तर पर मौलिकता का संकेत देता है। शरद मिश्र उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हिन्दी विषय के प्राध्यापक हैं, उन्होंने कविताएँ, गीत, काव्यपत्र, हिन्दी गजलें, बुन्देली गजले लिखकर विपुल साहित्य की सर्जना तो की ही है, साथ ही संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट एवं कालीदास के साहित्य का हिन्दी भाषा में 24 मात्राओं के छंद में काव्यानुवाद करके नया कीर्तिमान रचा है। अब तक शरद मिश्र की 400 से अधिक किताबें नये कलेवर में 23 खंडों में डॉ. प्रणय के संपादन में प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्तमान में भी उनकी लेखनी निरंतर चल रही है। इस शोध पत्र में शरद मिश्र की कविताओं के शिल्पगत पक्षों का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें उनके प्रयोगधर्मी रचनात्मक दृष्टिकोण, भाषा की लयात्मकता, संरचनात्मक विविधता तथा अभिव्यक्ति के नये आयामों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अध्ययन स्पष्ट करेगा कि शरद मिश्र की काव्य-रचना में शिल्प केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं, बल्कि संवेदना के सार्थक अन्वेषण का उपकरण भी है। साथ ही यह अध्ययन उनके काव्य में शिल्प, अर्थ और अनुभूति का समुचित समन्वय की पड़ताल भी करेगा, जो उन्हें समकालीन हिंदी कविता के शिल्प विधान में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

शब्द कुंजी – काव्य-शिल्प, बिंब, प्रतीक, भाषा, दृश्य-बिंब, श्रव्य-बिंब, काव्य-शैली।

प्रस्तावना – अभिव्यक्ति मानवीय मन की स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति है। जब मनुष्य इस चराचर जगत में विभिन्न दृश्यों, घटनाओं और अनुभूतियों का अवलोकन करता है, तब उसके अंतर्मन में उनसे सम्बद्ध भाव-चित्र स्वतः अंकित हो जाते हैं। ये भाव-तरंगें इतनी तीव्र होती हैं कि मौन में बंधकर नहीं रह सकतीं वे बाहर आने को आकुल हो उठती हैं। यही आकुलता अभिव्यक्ति की जन्मदात्री बनती है। साहित्य और कला के समस्त रूप – विशेषतः काव्य – इसी अभिव्यक्ति की सौंदर्यपूर्ण परिणति हैं। कवि अपने मनोभावों को आकार देने हेतु भाषा, बिंब, प्रतीक, अलंकार, छंद आदि काव्य-तत्त्वों का आश्रय लेता है। इन कलात्मक साधनों के माध्यम से वह अपने विचारों को सौंदर्यबोध से युक्त कर जनमानस तक पहुँचाता है। शरद मिश्र ने उनके काव्य में ये अभिव्यक्ति-साधन परंपरागत रूढ़ियों से हटकर एक नवीनता के साथ प्रकट हुए हैं, क्योंकि नवीन युगबोध और जटिल मानवीय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए नूतन शिल्प और संवेदन की आवश्यकता होती है। शिल्प किसी भी काव्य की आत्मा को रूप देने वाला तत्त्व है। यह न केवल कवि की संवेदनाओं को संप्रेषित करने का माध्यम होता है, बल्कि पाठक को काव्य की गहराइयों तक ले जाने का सेतु भी बनता है। शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता में उन कवियों में अग्रणी हैं, जिन्होंने न केवल विषय-वस्तु में नवीनता लाई, बल्कि शिल्प की दृष्टि से भी काव्य को नए प्रतिमान प्रदान किए। इस शोध का उद्देश्य उनके काव्य में प्रयुक्त शिल्पगत प्रयोगों, नवाचारों एवं उनकी कलात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करना है।

शरद मिश्र की काव्य-संवेदना एवं उसका शिल्पगत अन्वेषण – शरद मिश्र की कविताएँ मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक विडंबनाओं और

अस्तित्वगत प्रश्नों को एक मौलिक दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं। उनके काव्य में अंतर्मन की गहन अनुभूतियाँ शब्दों के माध्यम से इस प्रकार ढलती हैं कि पाठक एक जीवंत अनुभव से गुजरता है। इस अनुभूति को प्रभावशाली रूप देने के लिए उन्होंने शिल्प को एक सक्रिय उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। उनकी संवेदना में जहाँ एक ओर गहरे आत्मचिंतन की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर समकालीन समाज की त्रासदियाँ भी बिंबित होती हैं। इन दोनों ध्रुवों के मध्य संतुलन बनाने के लिए शरद मिश्र ने भाषा, प्रतीक, शैली और संरचना जैसे शिल्पतत्त्वों को अत्यंत सृजनात्मक ढंग से साधा है।

1. भाषा-शिल्प – भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र ही नहीं है, वह वह सेतु है, जिससे एक व्यक्ति का सत्य दूसरे तक पहुँचता है। काव्य-शिल्प के उपादानों में प्राथमिक उपकरण भाषा ही है। शरद मिश्र की काव्य-भाषा बहुआयामी है, जिसमें सरलता और सादगी होते हुए भी विशिष्टता विद्यमान है। लयात्मकता और भावानुकूलता के साथ-साथ सपाट बयान और व्यंग्यात्मकता का भी अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वे जहाँ एक ओर संस्कृतनिष्ठ शब्दों और अलंकारों से काव्य को गरिमा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरल, सीधी और सपाट भाषा के माध्यम से आम जीवन की सच्चाइयों को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में व्यंग्य का स्वर भी प्रमुखता से उभरता है – कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार पर करारा कटाक्ष तो कहीं सामाजिक ढोंग पर तीखा प्रहार – यह सब वे व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं, जिससे पाठक न केवल मुस्कराता है, बल्कि सोचने को भी विवश हो जाता है। लोकभाषा के प्रयोग से उनकी रचनाएँ और भी अधिक जीवंत और प्रभावशाली बन जाती हैं। इस तरह शरद मिश्र की भाषा केवल काव्य-सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ का सशक्त दर्पण भी बन

जाती है। भाषा की सहजता का उदाहरण देखिये-

भिखारियों को भीख मत दे
इस पर अमल करने का
रहता है प्रयास।
पर माँगने वाले की शक्ल मिलती है कभी
मेरे पिता से
या फिर मेरे बेटे से
तो जेब से निकल ही जाता है कुछ
अनायास।¹

शरद मिश्र के काव्य की सपाट बयान बाजी यहाँ दृष्ट है-

नई पड़ रही है हिम्मत किसी की,
कह तो दे नृप की नंगा।
जला दिये जायेंगे घर, फूँकेंगी दुकानें,
मारे जायेंगे कितने अलगू-जुम्न²

शरद मिश्र ने अपने काव्य रूपांतरण में 'संस्कृतनिष्ठ' शब्दों के साथ-साथ शुद्धता, सरलता, लयात्मक भाषा का प्रयोग बहुतायत किया है। कादम्बरी काव्य रूपांतरण की भाषा के संबंध में डॉ. रमाशंकर शुक्ल लिखते हैं कि- 'डॉ. शरद मिश्र द्वारा रचित इस ग्रंथ की एक अलग विशेषता यह है कि इसमें सब कुछ पद्यमय है, गद्य का लेशमात्र भी स्थान नहीं है। सर्वाधिकार से लेकर पुस्तक के मूल्य तक का वर्णन छंद में है।'³ भाषा पर ऐसा अधिकार की सब कुछ पद्य रूप में कह देना शरद मिश्र की विशेष प्रतिभा का परिचायक है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का सुन्दर संयोजन इस पद्य में अवलोकनीय है-

भवनों का तिलक सत्यभू अवन्तिका नगरी,
शोभित थी महाकाल, महादेव से नगरीय
वाराह ने किया ज्यों हिरण्यक्ष का विक्षेप,
उज्जयिनी भी दिखाते हैं पाशों का निपेक्ष⁴

शरद मिश्र के कथ्य में भाषा के विविध रंग दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र न होकर संवेदना और विचारों का सशक्त माध्यम बन जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जहाँ एक ओर संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर बुंदेली जैसी लोकभाषा की सहजता और जीवंतता को भी स्थान दिया है। विशेषकर बुंदेली सृजन में उन्होंने लोकजीवन की भाषा की मौलिकता को बनाए रखने में अत्यंत कुशलता एवं प्रौढ़ता का परिचय दिया है। यही कारण है कि उनकी कविताएँ स्थानीय बोली-बानी की सौधी महक और यथार्थ का आंचलिक सौंदर्य लिए हुए प्रतीत होती हैं। बुंदेली भाषा काव्य का उदा-

खा जैहौ गारी तौ दइयौ नैं खोरी
ए देवरा रे! आज नैं खेलौ होरी!!
महँगी भई चीजें कैसी गुजर है।
जा साल की होरी ऊँसइ निकर है।।
महँगाई ने सबकी कम्मर है टोरी।
ए देवरा रे! आज नैं खेलौ होरी।।⁵

शरद मिश्र ने अपने काव्य में नवीन प्रयोग करते हुये हिन्दी के कवियों की चौपाई, पंक्तियों का यत्र- तत्र प्रयोग किया है जो कि उनके काव्य की भाषा को और भी आकर्षक और अर्थवान बनाता है यथा उदा. -

पहुँच चुके सब एक दिन पूर्व
अगले दिन भाजेंगे तलवारें, दिखायेंगे हुनर

जनायेंगे जिसे आपा, फिर वह-

'जानत तुमहि तुमहि होई जाई'।।

अगर 'मुक्तिबोध' की मानें तो उन महागुरुओं को-

अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगें।।⁶

हिन्दी के आदिकालीन कवि विद्यापति की पंक्ति प्रसिद्ध है कि - 'देसिल बअना सब जन मिठा अर्थात् देशी भाषा (बोलचाल की भाषा) सबको मीठी लगती है'।⁷ शरद मिश्र ने अपने काव्य में लोकभाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है जो उनके भावों की अभिव्यक्ति को सरल और सशक्ता बनाती है उदा.-

बसमतिया से जंगल में जबरजिना का,
गवाह थे बहुतेरे धान कटैया,
कुछ चरवाहे- कुछ हरवाहे,
रो-रोकर बता रही थी बसमतिया,
परधनवा भी सुन रहा था दाँत निपोरे,
कोयल-पपीहे भी यही टेर लगा रहे थे।

पोंड़की-तीतर तक नियाव की आस जगा रहे थे।⁸

शरद मिश्र के काव्य की भाषा के संबंध में उनके काव्य पर शोध कर चुकी डॉ. मनीषा द्विवेदी लिखती है, कि 'डॉ. शरद कुमार मिश्र की भाषा सहज- सरल होते हुये भी अर्थ- गाम्भीर्य से युक्त हैं। कहीं- कहीं यह भाषा इतनी सहज हो गई है कि इसे आम आदमी की आम भाषा कहा जा सकता है।'⁹ शरद मिश्र की भाषा आम आदमी की जुबान है, वर्तमान की भाषा है, उसमें एक विशेष प्रकार का अनगढ़पन है, भाषा के अनगढ़पन का उदा.प्रस्तुत है-

दो समधियों में जुड़ गया संबंध प्यार का।

टी.बी. पर फ्रिज पर हाँ हुई झगड़ा था कार का।।

सामान न हो नेग में तो कैश दीजिये।

पालेंगे नहीं हम कोई लफड़ा उधार का।।¹⁰

शरद मिश्र की काव्य-भाषा बहुस्तरीय और प्रभावपूर्ण है, जो शुद्ध साहित्यिकता के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन की सच्चाइयों को भी समेटे हुए है। उनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ गरिमा, लोकभाषा की मिठास, सपाट बयानों की सादगी और व्यंग्य की तीक्ष्णता एक साथ दिखाई देती है। यही विशेषताएँ उनकी भाषा को न केवल काव्यात्मक सौंदर्य से युक्त बनाती हैं, बल्कि सामाजिक चेतना और संवेदना का भी प्रभावशाली माध्यम बना देती हैं।

2. बिंब एवं प्रतीक- 'काव्य में बिंब और प्रतीक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं किन्तु संश्लिष्ट अर्थ- छायाओं को मूर्त करने की दृष्टि से 'बिंब' का महत्व अधिक है। प्रतीक और बिंब दोनों की चर्चा प्रायः साथ में होती है। इसका कारण यह है कि दोनों ही मूर्ति- विधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किन्तु दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। बिंब जब बार- बार प्रयुक्त होकर किसी वस्तु या भावस्थिति - विशेष के द्योतक बन जाते हैं तब उन्हें प्रतीक मान लिया जाता है।'¹¹ शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन सशक्त रचनाकारों में हैं, जिनके काव्य में बिंब योजना अत्यंत समृद्ध, सघन और बहुस्तरीय है। वे बिंबों के माध्यम से केवल दृश्य रचते भर नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को उद्घाटित करते हैं। शरद मिश्र के यहाँ बिंब योजना दृश्य, श्रवण, स्पर्श, भाव, वस्तु, प्रतीक, और विवृत बिंबों के सहारे एक ऐसी रचना प्रक्रिया का निर्माण करती है, जो कविता

को दृश्य नहीं, अनुभव का प्रमाण बनाती है। शरद मिश्र की कविताओं प्रयुक्त बिंब-

दृश्य बिंब - ये बिंब आँखों के सामने किसी नेता के आगमन के आयोजन की तैयारी का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। उदा.-

‘बड़ी सुहानी है सुबह कस्बे की,
चार बजे भोर में ही चली है खर्राटा झाड़ू,
नहीं है सड़क पर एकौ धूल
चुभती कहाँ है नंगे पाँव कोई काँकरी।
बड़े किये है लोगों ने अपने दिल,
चौड़ी हुई है, प्रेम गली साँकरी।।
डाला है ट्रैक्टर ने सड़क पर पानी,
जगमगा रही है दिन में रोशनी’¹²

श्रवण बिंब - ये ध्वनि से जुड़ी संवेदना को जगाते हैं। उदा.

‘बताया जा रहा है-
रिवशो में बँधवाकर चोंगा, आटो से चिल्लाकर,
सुन रहे हैं मोटरियों में बैठे,
कुछ पढ़े लिखों की अखबार है’¹³

वस्तु बिंब - वह बिंब जो किसी ठोस भौतिक वस्तु को इस तरह चित्रित करता है कि वह प्रतीक बन जाए। शरद मिश्र की कविता में खजूर को वस्तु बिंब के प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि खजूर अबला स्त्री का प्रतीक बन जाये।

‘इधर बाहर मीटिंग में हजूर,
उधर भीतर कमरे में सकुचाया खजूर,
पोथी- पन्ने की समेटा- समाली,
बँट गई हिसाब से रोटी दाँत काटी,
हजूर का तब कमरे में जा समाना।
गिराना लाल देखकर सहमे खजूर को,
पुचकारना, आँखें दिखाना, धौंस जमाना
मुँह फाड़ना बारबार खाने के लिये,

भिड़ा था खजूर अपने आपको बचाने के लिये’¹⁴

3. प्रतीक योजना - शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन रचनाकारों में प्रमुख हैं, जिनकी कविता सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ की तीव्र पड़ताल करती है। उनके काव्य की एक विशेष उपलब्धि है - प्रतीक योजना की बौद्धिक गहराई और काव्यात्मक सघनता। वे प्रतीकों के माध्यम से अपने समय के संकटों को न केवल उजागर करते हैं, बल्कि उन्हें एक व्यापक दार्शनिक और मिथकीय आयाम भी प्रदान करते हैं। शरद मिश्र के प्रतीक परंपरागत नहीं हैं - वे न तो केवल सौंदर्यबोध के उपकरण हैं, न ही शुद्ध कल्पना के उपज वे यथार्थ की उपज हैं, उनकी कविता में महाभारत के चरित्र और घटनाएँ आधुनिक संदर्भों में प्रतीक रूप में प्रयुक्त होती हैं। यथा-

‘वर्ग भेद करते अमानुष,
अर्जन के लिये
एकलव्य से पक्षपात करते द्रोणाचार्य
न घुस पाये गुरुकुल में’¹⁵

शरद मिश्र आज के समाज के यथार्थ को नवीन प्रतीकों के माध्यम से कहने में सफल है। एक और उदा द्रष्टव्य हैं-

‘हजूर, यह हमारे देश
का सबसे बड़ा सम्मानित भिखारी है!

यह भिक्षावृत्ति ही तो
हमारी सर्वोच्च कलाकारी है !!
भीख माँगते हैं इसके संग-
स्टेशनों और ट्रेनों में
हिजड़े, पुलिस वाले, टीटी,
प्रमाण पत्र दिखाते हुये
देवी देवता के चित्रों पर’¹⁶

शरद मिश्र ने अपनी कविताओं में प्रतीकों को बड़ी ही कौशलता से गढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप उनके प्रतीक भावों के उद्घाटन और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के प्रभावी माध्यम बनते हैं। कवि ने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक यथार्थ को उकेरने के लिए ऐसे प्रतीकों का सहारा लिया है जो जीवंत, सशक्त और समयानुकूल हैं। ये प्रतीक पाठक के मन में सहज बोध उत्पन्न करते हैं और जटिल अनुभूतियों को सरल एवं ग्राह्य बना देते हैं। इसी कारण शरद मिश्र की प्रतीक योजना में एक ओर कलात्मकता का वैभव दिखाई देता है तो दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों की गहरी अभिव्यक्ति भी उभरकर सामने आती है।

‘सर्कस -
चला है नये तरीके का,
जाता है दिखाने
अपना खेल बिदेसों में अब
नहीं होते पर
इसमें आजकल
चौपाये एक भी कहीं,
सारे दो पाये ही,
बुद्धि पर वैसी ही कुछ !
होता है मालिक इन सबका
रिंग मास्टकर या मेट एक
इकट्टा करता है
चंदा इन दोपायों से

वेतन- उज्जरत देने की जगह’¹⁷

उपरोक्त विवेचन से कहा जा सकता है कि - शरद मिश्र का काव्य बिंब योजना एवं प्रतीकों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जहाँ बिंब यथार्थ का संवेदनात्मक उद्घाटन हैं। उनके बिंब सामाजिक विमर्श को गहराई प्रदान करते हैं, और पाठक को देखने से आगे समझने और महसूस करने की ओर ले जाते हैं। साथ ही, उनकी प्रतीक योजना भी उनके काव्य को एक सघन और वैचारिक स्वरूप प्रदान करती है। वे प्रतीकों के सहारे कालजयी मिथकों और समकालीन यथार्थ के बीच एक ऐसा सेतु निर्मित करते हैं, जो पाठक को केवल कविता के सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे प्रश्नों, प्रतिरोधों और हस्तक्षेपों में भी सहभागी बनाता है। इस प्रकार शरद मिश्र का काव्य साहित्यिक कला और सामाजिक चेतना का एक अद्वितीय संगम बन जाता है, जहाँ बिंब और प्रतीक दोनों ही संवेदना और विचार के वाहक बनकर उपस्थित होते हैं।

4. शैली और संरचना - शरद मिश्र अपनी कविताओं गजलों के शीर्षक से ही अपनी विशिष्ट शैली का परिचय देते हैं, जैसे तुम्हारे लिये, सबके

लिये, चलो गायें गीत प्यार के, आओं अपनी तुम्हारी बात करे, वे पाठकों से एक अंतरंग संवाद स्थापित करते हैं, मानो वे कविताओं, गजलों के माध्यम से अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को सीधे उनके हृदय में प्रवाहित कर रहे हों। वे पाठक से केवल पढ़ने की नहीं, सोचने और महसूस करने की भी अपेक्षा रखते हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएँ आत्ममंथन को प्रेरित करती हैं। वे कभी 24 मात्राओं के छंद में कविता गढ़ते हैं, तो कभी तंग काफिये की गजल कहते हैं। वे कभी अपनी कविता को छंद के मुक्ति दिलाते हैं तो कभी कालीदास, बाण के गूढ़ साहित्य को हिन्दी भाषा के 24 मात्राओं के छंद में बाँधते हैं। वे संवादात्मक शैली, आत्ममंथनपरक शैली, विचारोत्तेजक शैली से काव्य को पुष्ट करते हैं।

संवादात्मक शैली का उदा-

मत दो रंग बिरंगी किताबें,

हटा दो-

अष्टावक्र की कूबड़ सा

पीठ पर धरा बस्ता¹⁸

आत्ममंथनपरक शैली का उदा-

अजादी दिलाई थी जिसने
अहिंसा जिसका परम सहारा था।
उस लँगोटधारी को भी तो
ऐसे ही शस्त्र ने मारा था।¹⁹

विचारोत्तेजक शैली का उदा.

इक रूपहल गान होना चाहिए।
अब तो सब आसान होना चाहिए।²⁰

5. लय और गति- यद्यपि उनकी कविता छंदबद्ध नहीं है, परन्तु उसमें उपस्थित कथानक में स्वाभाविक लय और विचार की गति विद्यमान रहती है, जो पाठक को बाँधकर रखती है। उदा.

जहर डगर डगर है, जहर नगर नगर है
है जहर कस्बे-कस्बे, गाँव-गाँव है।
डूबने में है-उतरने में है,
हर ठिकाने है, जहर हर ठाँव है।²¹

समकालीनता और शिल्प - समकालीन हिंदी कविता ने विषय के साथ-साथ अभिव्यक्ति के ढंग में भी व्यापक परिवर्तन देखा है। शरद मिश्र इस प्रवृत्ति के संवाहक कवि हैं, जिन्होंने परंपरागत शिल्प से हटकर एक ऐसा शिल्प अपनाया है जो समय की जटिलता, विडंबनाओं और द्वंद्वों को प्रभावी ढंग से उजागर करता है। उनकी कविताओं में प्रयुक्त प्रतीक समकालीन जीवन के गहरे अनुभवों से उपजे हैं। भाषा विचारशील है, संरचना प्रयोगधर्मी है और शैली आत्मीय है। यही विशेषताएँ उनके शिल्प की समकालीन कविता की मुख्यधारा में एक विशिष्ट पहचान दिलाती हैं।

निष्कर्ष - शरद मिश्र का काव्य समकालीन हिंदी कविता की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल भाव की प्रखरता तक सीमित नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी सजग और प्रयोगशील है। उन्होंने शिल्प को केवल सौंदर्य का साधन न मानकर संवेदना के संप्रेषण का सक्रिय माध्यम बनाया है। उनके काव्य में प्रयुक्त शिल्पगत तत्त्वकृपा, बिंब, प्रतीक, लय, शैली एवं संरचना-सभी समकालीनता से अनुप्राणित हैं और उन्हें एक सशक्त काव्य-व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

शरद मिश्र के काव्य में शिल्प और संवेदना का गहन और संतुलित संगम विद्यमान है, जो उन्हें समकालीन हिंदी कविता में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता- हजूर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 28.
2. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता- लाली देखन में गई, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 524
3. दैनिक समय शहडोल, कादम्बरी का काव्य रूपांतरण- डॉ. रमाशंकर शुक्ला, संस्करण अगस्त 1994
4. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, महाकाव्य खंड 11, कादम्बरी गाथा, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022, पृ.सं. 37
5. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, खड़ी बोली - बुन्देली काव्य खंड सात, कविता- बंधा पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022, पृ.सं. 378.
6. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता- शोध संगोष्ठी, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 60, 61
7. शुक्ल आचार्य रामचंद्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 1, आवृत्ति संस्करण 2015 पृ.सं. 15
8. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता- नियाव पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 199
9. द्विवेदी डॉ. मनीषा, डॉ. शरद कुमार मिश्र - स्वरूप एवं सजून, शेखर प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 2003, पृ.सं. 127
10. मिश्र डॉ. शरद कुमार, सबके लिये गजल संग्रह, रचना प्रकाशन शहडोल म.प्र., प्रथम संस्करण जनवरी 1993, पृ.सं. 28
11. तिवारी डॉ. रामचन्द्र, भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिन्दी-आलोचना, विश्व विद्यालय प्रकाशन बाराणसी, तृतीय संस्करण 2016 पृ.सं. 174
12. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड दो, कविता- पथराई उनकी, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 143.
13. वही पृ.सं. 142
14. वही पृ.सं. 130
15. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता- तो दो, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 21
16. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड तेरह, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022, पृ.सं. 49
17. वही पृ.सं. 62
18. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता- हजूर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 21
19. वही पृ.सं. 38
20. मिश्र डॉ. शरद कुमार, तुम्हाकरे लिये गजल संग्रह, रचना प्रकाशन शहडोल म.प्र., प्रथम संस्करण जनवरी 1992, पृ.सं. 31
21. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता- जहर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020, पृ.सं. 135

वैदिक-सृष्टि संरचना एवं स्वरूप

डॉ. नलिनी तिलकर*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वेद शब्द का दार्शनिक आशय 'ज्ञान' है। 'विद्' धातु से इसकी व्युत्पत्ति होती है, जिसका तात्पर्य है जानना, अनुभव करना, और सत्य का उद्घाटन करना। प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जो ब्रह्मांडीय सत्य अनुभूत किया, वही वेदों में प्रतिपादित है। अतः वेद केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर, दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चिंतन का प्राचीनतम स्रोत हैं।

'सत्येन विद्या ज्ञानेन, वेदि विश्वं विचक्षणः॥ 1॥'

अर्थात् सत्य और ज्ञान के द्वारा ही इस विश्व की वास्तविकता को जाना जा सकता है। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड का मूलाधार केवल आस्था नहीं, बल्कि गहन अनुभूति और ज्ञान है।

'वितृणि वि स्तृणि प्राणो, भूयिष्ठं सुषुम्नायोऽविन्दत्।

ततो विश्वानि भूतानि, वेदि विश्वे विचक्षणः॥ 2॥'

इस सूक्त में प्राण को सृष्टि का मूल कारण माना गया है। प्राण ही वह शक्ति है जिससे सभी भूत और जगत की उत्पत्ति हुई। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान की उस धारणा से मेल खाती है जिसमें ऊर्जा को जगत का आधार कहा गया है।

'प्रजापतिर्यज्ञं तनोति, सूर्याचन्द्रमसाविह।

एवं द्विवेधा वेदा नस्य, यस्मात्सृष्टिर्विभज्यते॥ 3॥'

यहाँ प्रजापति को सृष्टिकर्ता माना गया है। वह यज्ञरूप सृजन प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा की व्यवस्था करता है, जिनसे काल और जीवन की लय संचालित होती है। 'यज्ञ' का आशय यहाँ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति में चल रही सृजन की सतत क्रिया है।

'आशायामासीदात्मन्येषां सूर्य आत्मा जगतः सुषुप्सः।

तं जन्मिनो बृहतो बिभ्रतीति, यतो देवा अजायन्त विश्वे॥ 4॥'

इस सूक्त में आत्मा को जगत का आधार बताया गया है। आत्मा ही सूर्यरूप में प्रकट होकर जगत को जीवन देती है और उसी से देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ।

ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त सृष्टि के रहस्य पर गहन चिंतन प्रस्तुत करता है-

'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं, नासीद्भूतो नो व्योमा परो यत्।

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः, किमासीद्बहनं गभीरम्॥ 5॥'

इस मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में न सत् था, न असत्, न आकाश था, न पृथ्वी। केवल एक अनिर्वचनीय सत्ता थी। यह कथन सृष्टि के रहस्यमय और अज्ञेय स्वरूप की ओर संकेत करता है।

'तम आसीत्तमसा गूळमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदत्।

तुह्येनाभवपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥ 6॥'

यहाँ अंधकार और जल को प्रारंभिक स्थिति बताया गया है। उसी जल में छिपे एक महान तपशक्ति से एक अद्वितीय तत्त्व प्रकट हुआ, जो सृष्टि की जड़ बना।

'किं सिवदासीत्क उ नु यत्रासीत्, अर्वाग्देवा अजनयन्नभूत।

विश्वकर्मा विमनाः परो यत्को देवस्य हविषा विधेति॥ 7॥'

इस सूक्त में 'विश्वकर्मा' को महान शिल्पी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मांड की संरचना को एक सुव्यवस्थित योजना माना गया है, जिसमें प्रत्येक तत्त्व की भूमिका निश्चित है। यह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत समीप है।

ऋग्वेद का पुरुष सूक्त सृष्टि-दर्शन का अत्यंत गहन निरूपण करता है।

'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।

स भूमिं विश्वतो वृत्वा, अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥ 8॥'

यहाँ पुरुष को विराट ब्रह्मांडीय सत्ता माना गया है, जो सहस्र शीश, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण वाला है। सम्पूर्ण जगत उसी का विस्तार है।

'स वै एष पुरुषो यज्ञेन सर्वं प्रजापतिः।

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्, पुरुषं जातमग्रतः॥ 9॥'

पुरुष को प्रजापति और यज्ञरूप बताया गया है। उसके अंगों से ही सृष्टि के विविध अंग प्रकट हुए।

'तेन देवा अजनयन्त, साध्या ऋषयश्च ये।

सर्वज्ञं सर्वतः स्थूलं, विश्वरूपं प्रजापतिम्॥ 10॥'

इस श्लोक में देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति पुरुष से मानी गई है। पुरुष ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और विश्वरूप प्रजापति है।

'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्।

स दाधार पृथिवीं घामुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 1१॥'

यहाँ 'हिरण्यगर्भ' को सृष्टि का प्रथम कारण कहा गया है। उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया और सम्पूर्ण सृष्टि का नियंता बना।

'यथा ऋतं च सत्यं चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत।

ततो रार्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ 12॥'

यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ऋत (नियम) और सत्य से ही सृष्टि उत्पन्न हुई। उसी से रात्रि, दिवस और समुद्र की उत्पत्ति हुई। यह समय और प्रकृति की मूलभूत संरचना का संकेत है।

'न मृत्युरासीद्भृत्युनो न तर्हि, न रार्या अह्ना आसीत्प्रकेतः।

आनीदवातं स्वधया तदेकं, तस्माद्दान्यन्न परः किञ्चनासा॥13॥'
इस सूक्त में कहा गया है कि आदि काल में मृत्यु और अमरत्व, दिन और रात्रि, किसी का भी अस्तित्व नहीं था। केवल एक ही सत्ता थी, जो अपनी स्वधामय शक्ति से विद्यमान थी।

इन समस्त वैदिक मंत्रों से स्पष्ट होता है कि भारतीय ऋषियों ने सृष्टि को केवल धार्मिक आख्यान के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा। कभी सृष्टि को रहस्यमय और अज्ञेय बताया गया, कभी उसे विराट पुरुष या हिरण्यगर्भ के रूप में मूर्त किया गया और कभी उसे विश्वकर्मा की सुव्यवस्थित रचना कहा गया। यह दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परंपरा की मौलिकता का परिचायक है और आधुनिक ब्रह्मांड-विज्ञान को भी एक प्राचीन बौद्धिक आधार प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अथर्ववेद 19.68.1

2. अथर्ववेद 11.4; ऋग्वेद के प्राण-सूक्तों से संबंधित
3. ऋग्वेद 10.90; शुक्ल यजुर्वेद 31
4. ऋग्वेद 10.121; हिरण्यगर्भ सूक्त
5. ऋग्वेद 10.129.1
6. ऋग्वेद 10.129.3
7. ऋग्वेद 10.129.6
8. ऋग्वेद 10.90.1
9. ऋग्वेद 10.90.6-7
10. ऋग्वेद 10.90.8
11. ऋग्वेद 10.121.1
12. ऋग्वेद 10.190.1-2
13. ऋग्वेद 10.129.2

कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य का मार्ग

डॉ. नीता मोर्य *

* सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र) श्री शिवा डिग्री महाविद्यालय, तेरही कप्तानगंज, आजमगढ़ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - कार्यस्थल पर लैंगिक समानता केवल नैतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक मौलिक मानवाधिकार है। यह शोध पत्र कार्यस्थल में लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के अटूट संबंध का विश्लेषण करता है। इसमें व्यवस्थित असमानताओं (वेतन अंतराल, भर्ती व पदोन्नति में पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न), उनके मानवाधिकारों पर प्रभाव (समानता, गरिमा, सुरक्षा, आजीविका का अधिकार), और वैश्विक व भारतीय कानूनी ढांचों की समीक्षा शामिल है। साथ ही विविधता, समावेशन और सशक्तिकरण की रणनीतियों का मूल्यांकन करता है तथा सुझाव देता है कि सही मायने में समावेशी कार्यस्थल केवल कानूनी अनुपालन से नहीं, बल्कि संस्कृति, नेतृत्व प्रतिबद्धता और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन से ही प्राप्त हो सकते हैं। निष्कर्षतः लैंगिक समानता किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। भारत में मानवाधिकार कानून, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम, संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकने वाले, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों को 'मानवाधिकार' के रूप में परिभाषित करता है।

शब्द कुंजी - लैंगिक असमानता, मानवाधिकार, POSH.

प्रस्तावना - लैंगिक समानता और मानवाधिकार आधुनिक समाज के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो कार्यस्थल पर समावेशी और निष्पक्ष वातावरण को बढ़ावा देते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों, महिलाओं और अन्य लैंगिक पहचानों के बीच समान अवसर, वेतन, और सम्मान सुनिश्चित करना। मानवाधिकार, जैसे कि गरिमा, समानता, और भेदभाव से मुक्ति, कार्यस्थल की नीतियों और प्रथाओं का आधार बनते हैं। यह पेपर कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के बीच संबंध, इसके महत्व, चुनौतियों, और समाधानों का विश्लेषण करता है। 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, जिसका पूरा नाम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' है, भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, उससे बचाव करना और उसका निवारण करना है।

समस्या कथन: लैंगिक आधार पर भेदभाव और असमानता, कार्यस्थल पर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह आर्थिक अक्षमता उत्पन्न करता है और सामाजिक प्रगति में बाधाक है।

उद्देश्य:

1. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के महत्व को समझना।
2. मानवाधिकार सिद्धांतों के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव की चुनौतियों का विश्लेषण करना।
3. समाधान और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान प्रश्न:

1. कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप कौन से हैं और ये कैसे विशिष्ट मानवाधिकारों का हनन करते हैं?
2. लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कानूनी/नीतिगत ढांचे की प्रभावशीलता क्या है?
3. भारतीय संदर्भ में, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, लैंगिक समानता के लिए क्या विशिष्ट बाधाएँ और समाधान हैं?

साहित्य समीक्षा

लैंगिक समानता और मानवाधिकारों पर कई अध्ययनों ने कार्यस्थल में भेदभाव, असमान वेतन, और अवसरों की कमी को उजागर किया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20% कम वेतन प्राप्त करती हैं। भारत में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन 15-30% कम है। मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से, संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) के अनुच्छेद 23 में सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन और भेदभाव से मुक्त कार्यस्थल का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। फिर भी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक रूढ़ियों, और ग्लास सीलिंग जैसे मुद्दे लैंगिक समानता को बाधाित करते हैं।

मानवाधिकार ढांचा: CEDAW (1979), ILO समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (1951), यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स (2011) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को मानवाधिकार के रूप

में स्थापित करते हैं। कांच की छत (Glass Ceiling): अदृश्य बाधाएँ जो महिलाओं को शीर्ष पदों तक पहुँचने से रोकती हैं (Morrison et al- 1987)। मातृत्व अभिशाप (Motherhood Penalty): मातृत्व के कारण वेतन और करियर प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव (Correll et al-, 2007)। पुरुष-प्रधान संस्कृति (Hegemonic Masculinity): कार्यस्थल संस्कृति में पुरुष मानदंडों का वर्चस्व (Connell, 1987)। यआर्थिक तर्क: मैकिन्से (2015) - लैंगिक समानता वैश्विक GDP में +12 ट्रिलियन तक जोड़ सकती है। विविध टीमें अधिक नवाचारी होती हैं। भारत में, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून जैसे लैंगिक समानता अधिनियम, 1976, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 (POSH) और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 लागू किए गए हैं। हालांकि, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में इन कानूनों का कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है।

भारतीय संदर्भ: POSH अधिनियम, जिसका पूरा नाम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधा और निवारण) अधिनियम, 2013' है, भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, उससे बचाव करना और उसका निवारण करना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम (2013 - POSH), मातृत्व लाभ अधिनियम (2017 का संशोधन)। अध्ययन: अशोका यूनिवर्सिटी (2019) - भारत में उच्च शिक्षित महिलाओं की श्रम भागीदारी दर में गिरावट; ILO (2023) - भारत में महत्वपूर्ण वेतन अंतराल और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भेद्यता।

कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप और मानवाधिकार तालिका (अगले पृष्ठ पर देखें)

कार्यस्थल पर लैंगिक समानता कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करती है। वेतन असमानता पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है। यह न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी करता है। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है। उदाहरण के लिए, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में केवल 8% सीईओ महिलाएं हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करता है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

मानवाधिकारों के सिद्धांत, जैसे कि समानता, गरिमा, और स्वतंत्रता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को लागू करने के लिए हैं। UDHR और भारत के संविधान (अनुच्छेद 14, 15, और 21) लैंगिक भेदभाव को निषेध करते हैं। फिर भी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियाँ इन अधिकारों के कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ:

- सामाजिक पूर्वाग्रह:** लैंगिक भूमिकाओं के पारंपरिक मानदंड (घरेलू जिम्मेदारियाँ महिलाओं की), 'पुरुष कमाने वाला' मानसिकता।
- पॉश अधिनियम का कमजोर कार्यान्वयन:** आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की अनुपस्थिति/अप्रभावीता, पीड़ितों का डर, लंबी कानूनी प्रक्रिया।
- शहरी-ग्रामीण विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा/जागरूकता की कमी, परिवहन सुरक्षा चिंताएँ।

4. सामाजिक रूढ़ियाँ: पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ जो महिलाओं को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित करती हैं।

5. नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन: कई संगठनों में POSH समितियाँ केवल औपचारिकता तक सीमित हैं।

6. जागरूकता की कमी: कर्मचारियों और नियोक्ताओं में मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता की कमी।

परिचर्चा और सिफारिशें:

1. कानूनों का सख्त कार्यान्वयन और निगरानी: कोई भी कानून तब तक कारगर नहीं होते जबतक की उसका सही क्रियाव्ययन न किया जाय।

2. सशक्तिकरण और समर्थन: महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और करियर प्रगति कार्यक्रम को बढ़ावा देना। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षित शिकायत तंत्र सुनिश्चित करना। सभी के लिए लचीले कार्य मॉडल (Flexi & hours, Remote work) को सामान्य बनाना।

3. भारतीय विशिष्टता पर ध्यान: ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्र: स्थानीय भाषाओं में जागरूकता, सुरक्षित परिवहन, सामुदायिक सहायता नेटवर्क। श्रमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना, मोबाइल आधारित शिकायत पोर्टल।

समाधान और नीतिगत सुझाव -

1. कानूनी ढांचे को मजबूत करना: वेतन पारदर्शिता को बढ़ावा देना और असमानता को दंडित करने के लिए कड़े नियम लागू करना। POSH अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए नियमित ऑडिट और प्रशिक्षण।

2. जागरूकता और प्रशिक्षण: कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करना। कर्मचारियों को उनके मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करना।

3. विविधता और समावेश को बढ़ावा: नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा या प्रोत्साहन। लचीले कार्य घंटे और मातृत्व/पितृत्व अवकाश नीतियों को लागू करना।

4. तकनीकी और डेटा-संचालित समाधान: लैंगिक भेदभाव की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग। कार्यस्थल की नीतियों में पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।

निष्कर्ष - कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लैंगिक समानता न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव गरिमा और समानता के मूल सिद्धांतों को भी मजबूत करता है। हालांकि, सामाजिक रूढ़ियाँ, नीतिगत कमियाँ, और जागरूकता की कमी इस दिशा में बाधाएँ हैं। मजबूत कानूनी ढांचे, जागरूकता अभियान, और समावेशी नीतियों के माध्यम से कार्यस्थल को अधिक समान और मानवाधिकार-अनुकूल बनाया जा सकता है। भविष्य में, संगठनों और सरकारों को मिलकर इन मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि एक निष्पक्ष और समावेशी कार्य वातावरण बनाया जा सके। एक समावेशी कार्यस्थल केवल नैतिकता नहीं बल्कि यह व्यवसायिक बुद्धिमत्ता है। यह मानवीय क्षमता को पूर्णतः उजागर करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना किसी भी समाज के लिए मानवाधिकारों और सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की वास्तविक कसौटी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Ashoka University. (2019). India's Peculiar Paradox: Rising Education, Declining Female Labour Force Participation.
- Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) - Data on Female Labour Force Participation.
- Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford University Press.
- Correll, S.J., Benard, S., & Paik, I. (2007). Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty? American Journal of Sociology.
- ILO India. (Various). Reports on Gender Equality in the Indian Labour Market.
- International Labour Organization (ILO). (1951). Equal Remuneration Convention (No. 100).
- International Labour Organization (ILO). (2023). Global Wage Report.
- McKinsey & Company. (2015). The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth.
- Ministry of Labour and Employment, India. (2017). The Maternity Benefit (Amendment) Act.
- Ministry of Women and Child Development, India. (2013). The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act.
- National Commission for Women (NCW) - Reports on POSH Implementation.
- UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
- World Bank. (Various Years). Women, Business and the Law Reports.
- World Economic Forum. (Annual). Global Gender Gap Report.
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)- (2023)- Global Wage Report 2022&23.
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)- (2023)- Periodic Labour Force Survey.
- संयुक्त राष्ट्र. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
- भारत सरकार. (2013). यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH).
- विश्व आर्थिक मंच. (2024). Global Gender Gap Report.

कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप और मानवाधिकार प्रभाव

लैंगिक असमानता का रूप	मानवाधिकार हनन	प्रभाव एवं परिणाम
वेतन असमानता	समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का अधिकार (UDHR Art, 23)	आर्थिक असमानता, वित्तीय निर्भरता, गरिमा का क्षरण।
भर्ती व पदोन्नति में पूर्वाग्रह	समान अवसर का अधिकार (CEDAW Art, 11)	कांच की छत, कैरियर सीमित होना, प्रतिभा का अपव्यय, आर्थिक अक्षमता।
यौन उत्पीड़न	गरिमा, सुरक्षा, कार्य के सम्मानजनक वातावरण का अधिकार (POSH Act)	मनोवैज्ञानिक आघात, कार्य प्रदर्शन में कमी, कैरियर छोड़ना, डर की संस्कृति।
मातृत्व भेदभाव	गैर-भेदभाव, पारिवारिक जीवन का अधिकार (मातृत्व लाभ अधिनियम)	'मातृत्व अभिशाप', नौकरी छूटना, कैरियर ठप, आर्थिक असुरक्षा।
लचीले कार्य व्यवस्था का अभाव	कार्य-जीवन संतुलन का अधिकार (ILO कन्वेंशन)	देखभाल कर्ताओं (महिलाओं) पर असमान बोझ, कार्यबल से बाहर होना।
अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण	सामाजिक सुरक्षा, उचित कार्य परिस्थितियों का अधिकार	कम मजदूरी, लंबे समय तक काम, शोषण, सामाजिक सुरक्षा का अभाव (विशेषकर महिला श्रमिक)।

Impact of Socio-Economic Offences in India : Analyzing Legal Mechanisms for Prevention and Redress

Raghvendra Joshi*

*Assistant Professor, Madhuban College of Law, Indore (M.P.) INDIA

Abstract : India is a developing country as it is on its path of development the increment in the crime rate is parallel to the success rate of this country. The offenders have found the new ways to commit the crime one of these new crimes is socio-economic offences these crimes affect the country's economy though there are penalties available for these crimes but they are increasing at a quick pace because the legal penalties are not harsh. This article deals with the History of socio-economic offences in the country as well as growth and their characteristics and impact of these offences and legal mechanisms and recommendations of different committees available to deal with them also the futuristic approach to prevent these crimes.

Keywords: Socio-economic offences, Legal Mechanisms, Economy, Committees.

Introduction - In the view of Blackstone, 'a crime is an act committed or omitted, in violation of a public law either forbidding or commanding it'. A crime is basically an act which a particular social group regards as sufficiently harmful to its fundamental interests¹. The offenses that impact a nation's social and economic circumstances are known as socio-economic offenses. They have a wide-range impact on many people. It has an impact on society's morals and social well-being. This kind of crimes affect the nation's economy as well. In socioeconomic crimes, mens rea is not strictly necessary. These crimes include, for instance, tax evasion, food and drug adulteration, black marketing, medical malpractice, etc. Socioeconomic offenses and white collar crime are thought to be interchangeable.

Socio-Economic Offences In India Throughout History : During the vedic period the society was based on agriculture and cattle most commonly committed socio-economic offence in that era was usury (Excessive interest) which was charged by the moneylenders on loan in the Mughal era the Mughal's introduced mansabdari system the officials were corrupt and extorted peasants and merchants under the reign of Aurangzeb. Aurangzeb also increased tax on agricultural produce which led to the non-Muslims and the lower caste person also face social and economic injustice which included low wages and forced labour also merchants started adulteration of goods and also started using false weights to cheat the customers. The scarcity of essential commodities and dishonesty gave rise to socio-economic offences in the country after world

war 2nd the division of the society also led the emergence in the nation also the few forms of economic offences emerged as a result of the quick industrialization. In order to obtain illicit financial benefit a group of people indulged themselves in the activities of manipulating accounts and misuse of government's license and permits to obtain illicit financial gains.

Characteristics of Socio-Economic Offences :

- These crimes are graver in nature than the traditional offences as the traditional offences only affect health and material welfare of an individual but the offences crumble the social fabric and economic structure of the nation.
- The motive behind these offences is greed of money and not hate or lust like the traditional offences.
- These methods of committing these offences are fraud or either misrepresentation the act is deliberate and willful.
- These offences are done by the offenders during the course of their business, trade or profession.
- The socio-economic offences emerge from the corrupt mind unlike the traditional offences which emerge as an outcome of guilt and criminal mind.

Legal mechanisms to combat Socio-Economic Offences in India

a) Drugs and Cosmetics Act 1940 : Section 13 of this act punishes the offence committed under section 9a, 9b and 9d which are related to adulteration of drugs, spurious drugs and spurious cosmetics or any cosmetic referred in

clause (ee) of section 10 of this act with imprisonment for a term which may extend to 10 years and fine which may extend to 5 thousand rupees .

b) Prevention of Corruption of Act : Section 7 of this act punishes a public servant who accepts bribe with imprisonment which is not less than 3 years but which may extend to 7 year and a fine .The investigation process for corruption cases is given under section 17 of this act which says that in the case Delhi special police establishment of an Inspector of Police, in the metropolitan cities Calcutta , Madras , Ahmedabad , Bombay and in any other metropolitan area by assistant commissioner of police or for any other place by deputy commissioner of police or officer of equivalent rank can investigate any offence without metropolitan magistrate or magistrate of first class order and make a arrest without warrant but no official other than who is approved can conduct investigation or arrest without obtaining order from metropolitan magistrate of first class.

c) Essential Commodities Act 1955 :Section 7 of this act is provides penalty for contravention of any order made under section 3 of this act where order is made with reference to clause(h) or clause(i) of sub-section(2) is punishable with imprisonment which may extend to 1 year with fine and in case of any order imprisonments shall not be less than of 3 months but can extend to 7 years with fine.

Dowry Prohibition Act 1961 : sub-section (1) of section 3 of this act punishes any person who gives or takes or abets giving or taking dowry with imprisonment of which shall not be less than 5 years and also with fine shall not be less than 15000 rupees or amount of value of dowry whichever is more if the court has punished the offender with imprisonment of less than 5 years then it must record special reasons in judgement. Section 7 of this act provides that no court inferior than of judicial magistrate first class or metropolitan magistrate shall try offence committed under this act . Section 8b of this act provides the appointment of dowry prohibition officers by the state government the officers appointed under this section shall have powers and functions which are to see that provisions of this act are compiled.

Reports of the Committees To Combat Socio-Economic Offences

a) Mitra Committee Report 2001 : The committee was set up by the reserve bank of India under the chairmanship of N.L Mitra the committee submitted it's report on 31 august 2001 the committee recommended to set up separate institution to investigate serious financial frauds also suggested to amend the Indian penal code 1860 and to include definition of financial fraud and it's punishment and amendment in evidence act of 1872 for presumption for presumption of intention of the party or parties committing or abetting financial frauds the committee suggested that there should be a separate act to deal with financial frauds should be dealt with financial frauds and said that serious

financial frauds should be dealt on the basis of criminal justice act 1978 of united kingdom the committee further suggested to set up separate institution to deal with financial frauds and establishment of office of director and multi-disciplinary under his chairmanship and the committee recommended the set up of special court with judges well versed in the economic system , regulatory mechanism and marked function to try the accused who has committed financial fraud to provide speedy justice in the case of serious financial frauds.

b) Mashelkar Committee Report on Spurious Drugs

2003: The committee was formed under the chairmanship of Dr R.A Mashelkar the committee consisted prominent lawyers , renowned scientists and retire police commissioners as it's member the controller general drugs (India) acted as member secretary and drug manufacturers , consumers and professional associations were also inducted as members. The committee recommended new structure for the drug regulatory system the committee identified certain problems in regulatory system due to non-uniformity of enforcement , shortage of drug inspectors inadequate testing facilities , non-existence of data bank and non-availability of information. The committee also recommended measures to strengthen drug regulatory infrastructure in centre and state the committee said the restructured central drug administration should have 10 main division at headquarters having adequately trained manpower the committee also suggested that the central drug administration should be made and independent office under ministry of health and family welfare.

c) The National Law Commission 47th Report : The report of the committee recommended to exclude probation in the socio-economic offences and also suggested the state suggested the state instrumentalities engaged in the investigation , prosecution and trial of socio-economic offences must stick to the philosophy which considers economic offences as gave threat to the material wealth of the country .

Impact of Socio-Economic offences in India :

a) Loss of Public Faith : The offences lead to the loss of public faith in country's financial system people withdraw their money from the market and are afraid to re-invest it which leads to the downfall of economic growth of the country.

b) Foreign Investments : The foreign investors are less likely to invest the money in the country where socio-economic offences are committed and also pull out their invested money from the countries market.

c) Strain on the Government Resources : The offences put a strain on the government funds and efforts because the investigation procedures in these crimes is very typical the funds used to investigate these crimes could have been used for the welfare of the public these crimes leads to the devastating impact on the nations economy and discourages investors from investing their money in the

market this makes a long term impact on the national economy .

Conclusion & Suggestions : The socio-economic offences have become a grave danger for the country as they destabilizes the economy of the nation and also brings inequality in the society these offences effect the countries growth and are increasing at a very rapid pace there is need to use the modern technology to investigate these crimes and need to draft strong legislations to punish the offenders who commits socio-economic offences these crimes can also be combated by educating countrymen's and promoting institutional reforms the society must be made aware of these crimes and media and the educational institutes have a crucial role in this in this the combat against socio-economic offences can only be won with the help of all sectors of the society by this India will able to prevent the socio-economic offences and will see economic growth and equality in the society also the provisions for the death penalty should be introduced for the white-collar criminals as suggested by justice V.R Krishna Iyer .

References :-

1. **Dr. Krishna pal Malik (2012) "Penology, Victimology and Correctional Administration"** :Described the report of 47th law commission in brief and also describe about types of socio-economic offences.
2. **S.N Mishra (2020) (22nd Ed) " Indian Penal Code"** : Discussed the characteristics of socio-economic offences.
3. **Ajay Pratap Singh Chauhan (2022) " Socio-Economic Offences in India An Analytical Study"** : Described the ancient history of socio-economic offences in India.
4. **Sumanpreet Kaur (2023) " Socio-Economic offences"** : Described the types of socio-economic offences and history of socio-economic offences in post-independent India.
5. **Dr. V Thangavel (2023) "The Repercussion of Economic offences in India "** :Discussed the Impact of Socio-Economic Offences.

Histochemical Alterations in the Gills of Fingerlings of *Tilapia Mossambica* Caused by Herbicide 'Pursuit'

Dr. Kamlesh Ahirwar*

*Assistant Professor (Zoology) J.H.Govt.P.G. College, Betul (M.P.) INDIA

Abstract: Histochemical reaction of PAS-Test for carbohydrate accumulation on the gills of fingerlings of *T. Mossambica* under control and treated condition gave different responses. Rich amount of carbohydrate content was present in the gill lamellae where as gradual reduction of carbohydrate content were noticed in Pilastor and epithelia cells when 63.7 PPM Pursuit given for 15 days. When dose were continued for 30 days period much decreases of carbohydrate content was observed in different part of gills.

Keywords: Histochemical, PAS-Test, Gill, Pursuit, Toxicity, Fingerlings, Alterations.

Introduction - Any changes in water component of an ecosystem adversely affects the entire ecosystem resulting many organisms to death or extinction. The pollution of aquatic environment by pesticide adversely affect the survival of aquatic organisms including commercially important fish species (Johnson Pesticides which have been classified in 1973). Various ways amongst which herbicides are a class which specifically targeted to destroy weed is a very familiar economical poison used in agricultural fields. However the uses of such pesticides in excess of the recommended dose. Ultimately entering the water bodies have a fatal effect on fish (Metelev et.al. 1983).

The test herbicide pursuit falls in the category of carbamate extensively used for the control of weeds in Soyabean and groundnut crops. In early investigation it was established that the developmental stages of fish viz fries and fingerlings are more susceptible to the toxicants. Early life stages are more susceptible to toxicant exposure (Richen Back, 1972; Mckim, et.al. 1977; Rozik et.al. 1983; Nakano, et.al. 1995). As they are immature adult forms in its outward appearance having undeveloped reproductive organ and delicate organ system.

Hence an attempt was made to study the chronic histochemical alterations of pursuit induced gills of *T. Mossambica* fingerlings.

Material and Method : Living fingerlings of fresh water teleost *Tilapia mossambica* were collected from the local fish form and kept in glass aquaria for acclimatization. After determining LC₅₀ (0.51 ml/g) fingerlings were exposed to 63.7 PPM concentration of Pursuit for 15 and 30 days respectively. The LC₅₀ value were read to 50% survival (Duodroff, et.al. 1951).

After specific interval like 15 and 30 days specimen of aquaria were taken out and dissect the tissue - washed in saline water and fixed in 10% neutral formaline and processed for histochemical evaluation using periodic Acid Schiff's (PAS) staining for carbohydrate (Manus, 1948).

Result and Discussion : Histochemical stain viz. PAS Test gave good result for estimating the distribution and accumulation of biochemical components in the tissue. These aspects on gills are studied by few researchers only viz. Neeraja & Rao (1988), Kothari & Saxena (1989), Singh (1993), Gnathy et.al. (1994), Tilanthe (2000), Kasotiya et.al. (2004).

Gills of untreated (control) fingerlings show strong positive reaction towards PAS Test in the cartilagenous part of gill arch and primary gill lamellae. Epithelial and acidophilic cells exhibited moderate positive reaction with PAS test (Fig.-1).

After 15 days exposure of 63.7 PPM Pursuit caused reduction in carbohydrate content of gill tissue. Weak positive reaction was observed in cartilagenous part of primary gill lamellae. Acidophilic and epithelial cells were also exhibited weak positive reaction (Neethirajan K. and Mathavam S. 2004) (Fig. 2). Long term exposure of 63.7 PPM Pursuit decrease the carbohydrate content in different part of gill when his exposure was continued for 30 days. Heavy reduction observed in the carbohydrate content in comparison to the controlled gill in which pilaster cells, blood capillaries were shown weak positive reaction, feeble reactions were noticed in primary and secondary gill lamellae (Fig. 3). These results were inconformity with the findings of Anita et.al. (1997), Mehrotra et.al. (2004); Kasotiya and Vyas (2004)

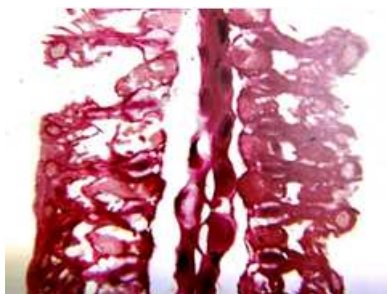


Fig.-1 - Photomicrograph of T.S. of gills of control Tilapia mossambica fingerlings stained with PA/S - Test x 400.

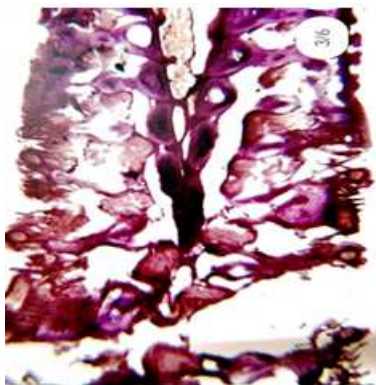


Fig.-2 - Photomicrograph of T.S. of gills of Tilapia mossambica fingerlings after 15 days exposure to 63.7 PPM Pursuit. Stained with PA/S - Test x 400.



Fig.-3 - Photomicrograph of T.S. of gills of Tilapia mossambica fingerlings after 30 days exposure to 63.7 PPM Pursuit. Stained with PA/S - Test x 400.

References:-

1. Anita Kumari, S. and Shree Ram Kumar, N. (1997) : Effect of Polluted water on histochemical localization of carbohydrate in Channa Punctuates from Hussain Sagar lake (A.P.) Poll.Res. 16(3), 197-200.
2. Kasotiya, S. (2004) : Effect of Malathion on histochemistry of Protein in Oesophagus of Channa gachua, Indian J. Applied and Pure Biol. Vol. 19(3); 367-370.
3. Kothari, S. and Saxena, G. (1989) : Histopathological and histochemical studies on the gills of Pontius Sophore exposed to cadmium chloride. J. Hydrobiol, 1:1-7.
4. Momus, J.F.A. (1948) : Histological and Histochemical uses of periodic acid stain technology, 23; 99-108.
5. Makim, J.M. (1977) : Evaluation of tests with early life stages of fish for predicting long term toxicity. J. fish, Res.Bd.Can. 34; 1148-1154.
6. Mehrotra, A., Singh S. and Khare, S. (2004) : Copper sulphate induced histochemical changes in the intestine of fresh water fish Nandus Nandus - Indian J. Applied and Pure Bio. Vol. 19(3), 371-374.
7. Metelev, V.V., Kanaer A.I. and Dzasokhova, N.G. (1983) : Water toxicology, Amerind Publ.Co.Pvt.Ltd. New Delhi, 7.
8. Neethirajan, K. and Mathavan, S. (2004) : Submidon induced changes on some aspects of metabolism in the tissues of the fresh water cat fish mystics vitiates J. Exp. Zool. India Vol. 7, No. 2, PP 279-283.
9. Neeraja, P. and Rao, C.S. (1988) : Metabolic alteration in Tilapia mossambica on chronic exposure to ambient ammonium sulphate.
10. Rojik, J., Nemcsok, J. (1983) : Morphological and Biochemical studies on kidney and gill of fishes effected by pesticides. Acta.Bio. Hungaria, 34(1), 81-92.
11. Singh, R.K. (1993) : Pesticidal effect of the gills, liver and Kidney of a fresh water tallest Cyprians cardio, Ph.D. Thesis, B.U., Bhopal.
12. Tilanthe, R. (2000) : Toxicological studies on the histological and histochemical changes in gills and kidney of fingerlings of carmine mrigal Ph.D. Thesis, B.U. Bhopal.

A Comparative Study of Aerobic Fitness Between U-22 and Senior Male Division-Level Cricket Players

Tarun Rawat* Rahul Barod** Pooja Rawat***

*Sports Officer, Swami Vivekananda Govt. College Budhni, Sehore (M.P.) INDIA

** Sports Officer, Shri Raj Rajendra Jayantsen Suri Siksha Mahavidhyalaya, Ujjain (M.P.) INDIA

***Physical Education Teacher, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract: Background: In cricket, aerobic capacity (VO₂ max) facilitates sustained performance across extended match lengths, recuperation in between overs, and repeated sprint ability. VO₂ max may be impacted by age, training age, and role-specific demands (quick bowling vs. spin, batting vs. fielding effort).

Objective: To compare the aerobic fitness between Under-22 and Senior (≥22 years) male division cricket players.

Methods: The purpose of this study was to compare the aerobic fitness (VO₂ max) of division level male cricket players. There was 35 (N=35) trained male division level cricketers chosen for this study from Narmadapuram Division Cricket Association (NDCA), Madhya Pradesh, India. Researcher were selected 02 active cricket groups (a) U-22 Boys {n=18} (b) Senior Boys {n=17}. An estimation of VO₂ max was calculated from the test results, using YO-YO Intermittent Recovery level-1 (YYIR1 test): $(\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}) = \text{IR1 distance (m)} \times 0.0084 + 36.4$. Normality was checked by using skewness and kurtosis value in descriptive summary; group differences tested with independent t tests.

Results: Both groups displayed marginally similar mean values and significantly similar VO₂ max. The study also revealed that VO₂ max of male cricket players of selected groups was in average range according to the norms and earlier research.

Conclusion: Differences in VO₂ max between U-22 and Senior Boys division level players appeared similar. Conditioning programs are almost same and prioritize aerobic maintenance in seniors and U-22 Boys development might be the reason behind same results.

Keywords: VO₂ max, cricket, aerobic fitness, YO YO test, physiology.

Introduction - Cricket requires a special blend of sustained low-to-moderate intensity exercise (fielding, extended batting innings, multi-day matches) and sporadic high-intensity efforts (sprinting, repetitive run-ups for fast bowlers). Performance and recovery in all formats (T20 to multiday) are aided by adequate aerobic capacity, which promotes phosphocreatine resynthesis, lactate clearance, and thermoregulation. U-22 players' VO₂ max may be impacted differently than senior players' due to age-related physiological changes and cumulative training experience. Comprehending these distinctions can help direct workload periodization, talent transition planning, and conditioning.

These days, sports sciences are crucial to the growth of physical education programs and sports in every country. It is commonly recognized that industrialized nations have made great progress in these fields. Fitness testing is crucial in cricket to assess player development, guide training plans, and maximize performance. By assessing young athletes, coaches can identify players who have special

physical attributes that might help them succeed in cricket. Fitness testing may provide a precise picture of a player's current physical condition. Regular fitness testing allows athletes and coaches to track their development over time. The YO-YO test is one of the most important tests used in Cricket to evaluate the players' fitness and endurance performance. The test acts as a selection criterion in countries such as India, New Zealand and Australia, etc. For instance, to make it into the national cricket team of India, the players must attain a cut off fitness level of the YO-YO test which is set at 16.5.

One of the most crucial elements of physical fitness in cricket is aerobic fitness (VO₂ max) (Da Silva et al., 2008; Nikolaidis, 2011; Noakes and Durandt, 2000). According to Noakes and Durandt (2000), cricket players who have optimal level aerobic fitness (VO₂ max) are better able to sustain repetitive high-intensity actions during a match, speed up their recuperation, and keep their physical condition at its peak throughout the game and season.

1.1 Objectives

Primary Objective: To compare the aerobic fitness by using VO₂ max (mL·kg⁻¹·min⁻¹) between U-22 and Senior male division-level cricketers.

Secondary Objectives:

1. To assess the aerobic fitness of senior male division-level cricket players of Narmadapuram Division cricket association, Madhya Pradesh.
2. To assess the aerobic fitness of U-22 male division-level cricket players of Narmadapuram Division cricket association, Madhya Pradesh.

1.2 Hypotheses

H1: There will be significant difference in aerobic fitness of U-22 and senior male division- level cricketers.

2. Methods

2.1 Participants

- **Eligibility:** Male cricket players from division squads of Age 17–21 for U22; ≥22 for Senior group. Subjects must involve for minimum 3 years structured training.
- **Sampling & Sample Size:** The researcher used stratified sampling by division cricket team groups. Total 35 male cricket players has been selected for the study, n = 18 from U-22 group and n = 17 from Senior group.

2.2 Procedures

2.2.1 Fitness Test Procedure (YO YO IR Level-1)

Standardized warm up time given to the players for half an hour before actual testing; cones 20 m apart with 5 m recovery zone; and sound speaker placed with audio pace of YO-YO Test application. All subjects were given the opportunity to take the trial if they wanted to. Yo-Yo Recovery level-1 test has been used to assess aerobic fitness and to calculate VO₂ max of the players. If the line was not reached before the beep sound, the subject was warned and instructed to get there. Test participants are given a maximum of two warnings. Two more 'beeps' were to be heard, and they were to turn and try to keep up. The test must finish if the individual misses the line (within 2 meters) on two different ends after being warned.

2.2.2 Scoring. Convert to VO₂ max estimate using validated equations. The total distance travelled before the athlete lost the ability to keep up with the recording is their score. VO₂ max (ml/min/kg) estimation formula based on Yo-Yo IR1 test data. (not a substitute for lab VO₂ max)

2.2.3 Calculation of VO₂ max: For the Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (Yo-Yo IR1), VO₂ max can be estimated from the total distance covered using the regression equation by Bangsbo et al.

The formula is:

$$\text{VO}_2 \text{ max} = 36.4 + (0.0084 \times \text{YYIR1 distance in meters})$$

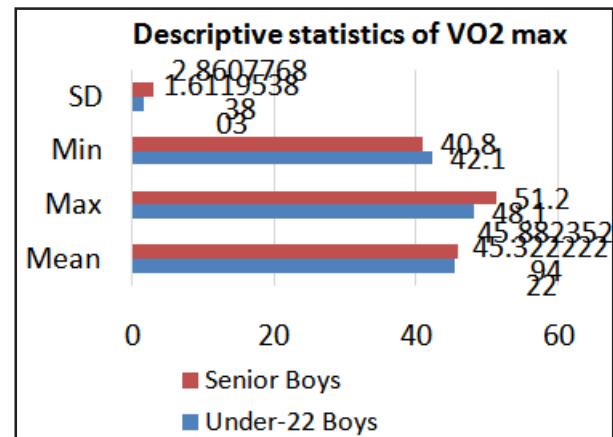
2.3 Statistical Analysis

- **Software used for data analysis:** Microsoft Excel was used for analysing the data.
- **Pre processing:** The descriptive approach is used to assess the assumption of normality of data and for screening for outliers. Both group's skewness and kurtosis

values fall between -1 and +1. The thumb rule indicates that the data has a normal distribution. So that we can go for parametric tests. Additionally, descriptive statistics are used to analyse data in order to determine variance, mean, and standard deviation.

- **Comparative Analysis:** Independent t-test was used to compare aerobic fitness of both selected groups i.e. U-22 and Senior male division level cricket players. As groups are unequal in numbers therefore two-sample assuming unequal variances analysis was used to analyse the difference between both groups.

3. Results:



Above graph depicts that the mean values of VO₂ max are almost similar 45.32 and 45.88 (ml/kg/min) of U-22 and Senior male division level cricket players respectively of Narmadapuram Division Cricket Association. Graph also shows the maximum and minimum values of VO₂ max in both groups separately. U-22 male cricket players found 48.1 maximum and 42.1 minimum VO₂ max, However, Senior male cricket players group found 51.2 maximum and 40.8 minimum VO₂ max. Standard deviation of senior group found 2.86 greater than U-22 group i.e. 1.61.

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

	Senior	U-22
Mean	45.88235294	45.32222222
Variance	8.184044118	2.75124183
Observations	17	18
Hypothesized	0	
Mean Difference		
df	25	
t Stat	0.703323848	
P(T<=t) one-tail	0.244176429	
t Critical one-tail	1.708140761	
P(T<=t) two-tail	0.488352859	
t Critical two-tail	2.059538553	

The table shows the comparative analysis of aerobic fitness with VO₂ max level in both groups by using Yo-Yo IRL-1 aerobic fitness test. For data analysis by using MS Excel software after applying two sample unequal variances researchers found P value for two tail 0.48. As P value is greater than 0.05.

Therefore, we can conclude that there was no significant difference in aerobic fitness of both selected groups. It shows that U-22 and senior male division-level cricket players of the Narmadapuram division have similar aerobic fitness (VO₂ max). It was also found that VO₂ max of male cricket players of the present study was in average range when compared with the VO₂ max norms reported by Robert (2012).

4. Discussion : According to the current study, there was not a significant difference in the aerobic fitness (VO₂ max) of male cricket players in the Under-22 and Senior divisions. This implies that aerobic capacity at this competitive level may not be determined solely by age group. Rather, the maintenance of cardiovascular fitness across age groups may be more significantly influenced by regular training exposure, role-specific demands, and total playing experience. The findings show that the aerobic profiles required for the demands of modern cricket are similar for U-22 and senior players. In order to determine if role demands rather than age account for variations, future research should evaluate aerobic fitness across playing roles (batters, fast bowlers, spinners, and wicketkeepers).

Acknowledgement: We would like to thank **Mr. Anurag Mishra [Honorary Secretary, NDCA]** for his valuable support in facilitating data collection and providing assistance throughout the research process. We are also grateful to *entire division association team* for their kind

cooperation and help in completing this study.

References:-

1. https://www.researchgate.net/publication/374477882_Comparison_of_Aerobic_Fitness_VO2max_of_Cricket_Players_on_Basis_of_Their_Playing_Positions
2. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/13761/8/08_chapter%201.pdf
3. Bangsbo J, Iaia FM, Krstrup P., The Yo-Yo Intermittent Recovery Test A Useful Tool for Evaluation of Physical Performance in Intermittent Sports, Sports Med 2008; 38 (1): 37-51.
4. Draper, N. and Whyte, G (1997) Here's a new running-based test of anaerobic performance for which you need only a stopwatch and a calculator. Peak Performance, 97, p. 3-5
5. <https://www.topendsports.com/testing/tests/rast.htm>
6. https://ijcrr.com/article_html.php?did=3685&issueno=0
7. https://fieldhockeybc.com/wp-content/uploads/2018/08/Fitness-Test-Protocol_2018.pdf
8. https://journals.lww.com/nscajscr/Fulltext/2010/11000/Physiologic_Profile_of_Professional_Cricketers.3.aspx?utm_source=chatgpt.com
9. https://www.researchgate.net/publication/308271006_VO2max_assessment_in_athletes_A_thorough_method_comparison_study_between_YoYo_test_and_direct_measurement

लोकसंस्कृते: मूलतत्त्वानि

अश्वनी* डॉ. बहुरन सिंह पटेल**

* शोधार्थी (संस्कृत व्याकरण) शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महन्त वैष्णवदास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

** विभागाध्यक्ष (व्याकरण) शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महन्त वैष्णवदास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – विभक्तं सर्वं विश्वं व्यक्तिं समग्रं च द्विधा। अयं संसारः चराचरः, दृश्यमानः अदृश्यः, सूक्ष्मदर्शी, बृहत् इत्यादिभिः तत्त्वैः निर्मितः अस्ति। अस्य केचन मूलभूततत्त्वानि, केचन सामान्यतत्त्वानि च सन्ति। यावत् लोकसंस्कृतेः विषयः अस्ति तावत् अस्मिन् अनेके घटकाः तत्त्वरूपेण समाविष्टाः सन्ति। लोकशब्दः एव तत्त्वसमूहं वाचयति। अस्य विविधता, एकता, बहुलता च अस्ति। रूप, वर्ण, जाति, स्वभाव, संस्कार, शरीर संरचना, व्यवहार, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार-पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, साहित्य, कला, लोकमनोरञ्जन आदि सर्वेषु लोकसंस्कृतेः तत्त्वानि सन्ति।

लोकसंस्कृतिः स्थानं, कालः, परिवेशः, प्रकृतिः, धर्मः इत्यादयः मुख्यतत्त्वेषु आधारितः अस्ति। समाजशास्त्रज्ञाः मन्यन्ते यत् मनुष्येण भौतिकजगति स्वस्य आवश्यकतानां पूर्तये, सुरक्षायाः कृते, कालान्तरेण निर्मितस्य धरोहरस्य च कृते ये सम्झीताः कृताः, ते अस्माकं संस्कृतिस्य मूलभूताः कारकाः सन्ति। लोकसंस्कृतिः बहुवर्णीयः पटः इव अस्ति यस्मिन् विविधवर्णसूत्राणां प्रयोगः भवति। लोकाचाराः परम्पराश्च बहुविधाः बहुवर्णाः च सन्ति। संक्षेपेण बहुवर्णजीवनं यथार्थजीवनमिति चेत्, तर्हि अतिशयोक्तिः न भविष्यति।

शब्द कुंजी – प्रकृतिः, विविधतायां एकता, मानवता सहिष्णुता च, आध्यात्मिक विकासः, सत्यत्वम्।

प्रस्तावना – लोकसंस्कृतेः अनेके विद्वांसः लोकसंस्कृतेः तत्त्वानि स्पष्टीकृतवन्तः। भारतीयऋषयः अध्यात्मं, आस्था, धर्मः, शुद्धजनव्यवहारः इत्यादयः लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि इति मन्यन्ते। सर्वेषु प्रकृतिः अग्रणी अभवत् लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि-

प्रकृतिः – प्रकृतिः लोकसंस्कृतेः मुख्यतत्त्वम् अस्ति। जन्मतः मृत्युपर्यन्तं प्रकृतेः अङ्गे वसति, विविधानि कार्याणि च करोति मानवः। मनुष्यः द्विविधवातावरणे निवसति, एकं प्राकृतिकं अपरं मानवनिर्मितं कृत्रिमम्। प्राकृतिकपर्यावरणविघ्नानाम् सामना कर्तुं आवश्यकतानां पूर्तये च मनुष्यः अनेकानि समाधानं प्राप्नोत्, प्राकृतिकसंसाधनानाम् उपयोगं कृतवान्, कालान्तरेण तान् अग्रिमपीढीं प्रति स्थानान्तरितवान् एवं प्रकारेण एतत् वंशजं पुस्तिकाभ्यां वंशवस्तुभूतम्। समस्तस्य जगतः संस्कृतिः वनपर्वतनदीसमुद्रादिसमीपे आरब्धा। एतत् सर्वं लोकसंस्कृतिः इति वक्तुं अनुचितं न स्यात्। अद्यत्वे अपि आदिवासीसंस्कृतौ प्रकृतेः मौलिकतत्त्वानि स्पष्टतया दृश्यन्ते।

प्रकृतिः किम् ? ये तत्त्वानि अस्माकं परितः प्रसृतानि सन्ति तेषां प्रजापतिः ईश्वरः, ते प्रकृतिः इति उच्यन्ते। प्रकृष्ट रूपस्य कृतिः प्रकृतिरिति कथयते। वैसे प्रकृति इत्यपि प्रकृति इत्यर्थः। हिन्दी-संस्कृत-आङ्ग्लादिभाषा-लेखकैः प्रकृत्याः ये तत्त्वानि गृहीताः ते सन्ति - नदी, वनम्, समुद्रः, पर्वतः, भूमिः, आकाशः, वृक्षः, वनस्पतिः, सौरमण्डलम्, अहोरात्रि इत्यादि।

प्रकृतिपूजा लोकसंस्कृतेः मुख्यतत्त्वम्-अस्माकं तीर्थयात्राः उत्सवाः च प्रकृतिपूजायाः प्रतीकाः सन्ति। प्रायः सर्वाणि तीर्थयात्राः नदीतीरेषु पर्वततीरे वा भवन्ति। सर्वे उत्सवाः कस्मिन्चित् ऋतौ वा अन्यस्मिन् वा पतन्ति। तेषां विशेषः अस्ति यत् ते मनुष्यस्य हृदयं प्रत्यक्षतया प्रभावितं कुर्वन्ति। शरदपूर्णिमायां प्रकृतेः सौन्दर्यं मनोहरं भवति। वसन्तऋतुवर्णनं श्रेष्ठम्।

वसन्तसौन्दर्यं सर्वत्र राज्यं करोति। अस्माकं विजयदशमी, दीपावली, होली इत्यादयः उत्सवाः अस्माकं जीवने नवीनशक्तिं प्रविशन्ति। एते सर्वे आनन्दं जनयन्ति, परस्परं सुखस्य सद्भावनायाश्च सन्देशं च आनयन्ति। अध्यात्मः भारतीयसंस्कृतेः आत्मा, निधिः च, सम्पूर्णं विश्वे नूतना दिशां दत्तवती अस्ति। ब्रह्माचार्यशब्दस्य पर्यायः अन्यस्मिन् विदेशीयभाषायां न दृश्यते। अस्य अर्थः एतावत् विस्तृतः यत् जीवनस्य प्रत्येकं पक्षं प्रभावितं करोति। एषः एव भारतीयसंस्कृतेः मूलभूतः आदर्शः अभवत् भारतीयजीवनस्य मुख्यं वैशिष्ट्यं स्वच्छतायाः नियमाः इत्यादयः सन्ति प्रत्येकं भोजनात् पूर्वं स्नानं भोजनानन्तरं गार्गलं करणं, परस्परं प्रयुक्तपात्रेभ्यः जलं न पिबितुं भोजनं न खादनं च, एतानि सर्वाणि वस्तूनि केवलं भारते एव दृश्यन्ते। अन्येषु संस्कृतिषु कान्तेन सह अर्धं, प्रियेन सह अर्धं भोजनं च कैशनम् अस्ति।

विविधतायां एकता – अस्माकं भारतदेशस्य विशेषः अभवत् लोकसंस्कृतेः स्थितिः अपि तथैव अस्ति। जगतः अर्थः नानात्वम्, किन्तु सर्व्वं नानातत्त्वं सामञ्जस्यं कृत्वा एकं भवति। अस्माकं शास्त्रेषु उक्तम्-

वेदः विभिन्ना, स्मृतयोर्विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मार्तिनाभिन्नम्।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायन, महाजनो येन गतो स पन्थाः॥

देशस्य भिन्नाः प्रान्ताः, भिन्नाः वातावरणाः, भिन्नाः जलवायुः, विविधाः भूभागाः च सन्ति। क्वचित् पर्वताः क्वचित् वनानि क्वचित् समतलं कुत्रचित् मरुभूमिः। केषुचित् स्थानेषु रूक्षभूमियुक्ताः क्षेत्राणि दृश्यन्ते। एतादृशे परिस्थितौ राम-कृष्ण-सीता-सावित्री-नाम्ना जनानां नामकरण-संस्काराः विविध-प्रकार-आचरण-वेष-पर्व-जीवनशैल्याः च भवन्ति स्म। जैन, बौद्ध, शैव, शक्त, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई आदि विभिन्न धर्म अनुयायिनः एकत्र वसन्तः आगताः सन्ति। काले काले ये विग्रहाः भवन्ति ते धार्मिकविमर्शेषु एव सीमिताः सन्ति। न कश्चित् परस्परं नाशं कर्तुं प्रयतितवान् भारतस्य उदारपरोपकारः, शरणार्थीनां प्रति प्रेम च विदेशिनां, अन्यधर्मानुयायिनां च

अत्र शान्तिं सुखं च वसितुं आश्रयं दत्तवान्।

मानवता सहिष्णुता च- मानवतायाः सहिष्णुतायाः च मूलभूततत्त्वानि भारतीयलोकसंस्कृतौ रत्नमुक्तिवत् तारितानि सन्ति। दया, साहाय्यम्, अहिंसा, क्षमा, एते सर्वे मानवतायाः सहिष्णुतायाः च पर्यायाः सन्ति। मानवता मानवता च अतीव दुर्लभानि तथ्यानि सन्ति। अस्माकं लोकसंस्कृतौ जनकत्याणस्य भावः अस्याः लोकसंस्कृतौ मानवता पूर्णतया समाविष्टा इति तथ्यस्य प्रमाणम् अस्ति। अज्ञातव्यक्तिं शरणं दत्त्वा, यथाशक्ति साहाय्यं कृत्वा, सर्वेषां दुःखेन दुःखं अनुभवन्, यदि एषा मानवता न भवति तर्हि किम्? संस्कृतसाहित्ये प्रार्थनायां मानवतायाः विषये चर्चा कृता अस्ति-

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु श तस्मादपि-

काले वर्षत, पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी।

देशोऽयं क्षोभ रहितो स्यात् ब्राह्मणो सन्तु निर्भयाः ॥

एषा स्वस्तिभावना मानवतायाः एव सूचकम् अस्ति। अस्माकं शास्त्राणां मन्त्राः अपि मानवतायाः आपूर्तिः भवन्ति। स्वस्तिपाठमपि मानवकल्याणस्य निरपेक्षतया क्रियते। उदाहरणं प्रस्तुतम्-

ओइम् स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तक्षर्योः अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

प्रस्तुते स्वस्तिपाठे नः प्रयुक्तः यस्य अर्थः 'वयं सर्वे' इति। यतो हि लोकसंस्कृतिः विकासं इच्छति, तस्याः स्वभावः रचनात्मकः, न तु विनाशकारी, अतः मानवता तस्याः मूलतत्त्वम् अस्ति। मानवतायाः अनन्तरं सहिष्णुतायाः प्रश्नः आगच्छति। मानवता सहिष्णुता च परस्परं पूरकौ स्तः। अस्माकं संस्कृतिषु सहिष्णुता व्यापिपर्यन्तं पूरिता अस्ति। सहिष्णुतायाः कारणात् माता पृथिव्याः उपमा कृता अस्ति, परन्तु वर्तमानसभ्यतायां बालकाः परिचारिकाभिः पालिताः भवन्ति। ताः मातरः मातरः मातरः इति वक्तुं शक्यन्ते - ते मातृत्वस्य पूर्णतां न प्राप्नुवन्ति। मातृशब्दः अतीव विस्तृतः, आदरणीयः च अस्ति।

सहिष्णुतायाः मुख्यतत्त्वानि अस्माकं परम्परासु, धर्मेषु, कर्मसु, देवदेवतादिषु च चित्रितानि सन्ति। सहिष्णुतायाः मूलतत्त्वं प्रकृतौ अपि प्राप्यते। तूफानस्य समये ये वृक्षाः वनस्पतयः च नमन्ति ते उद्धारिताः भवन्ति, ये बृहत् वृक्षाः तेषां कठोरतायां स्थिराः तिष्ठन्ति ते भग्नाः भवन्ति। अस्माकं विषये किमपि अस्ति यत् अस्माकं अस्तित्वं न क्षीणं भविष्यति, अस्य पृष्ठतः उदारतायाः सहिष्णुतायाः च गुणः अस्ति। अनेकप्रहारानाम् सामना कृत्वा अपि अस्माकं लोकसंस्कृतिः सर्वोत्तमा अस्ति। वयं प्राणिनां मध्ये सद्भावनायाः, विश्वकल्याणस्य च विषये वदामः। पूजानन्तरं विजयनारासु घोषणासु च एतत् वस्तु प्रमुखतया दृश्यते- प्राणिनां मध्ये सद्भावना भवतु। जगतः कल्याणं भवतु।

आध्यात्मिक विकासः-कस्यापि देशस्य लोकसंस्कृतौ स्थानीयपर्यावरणेन सह आस्था इत्यादयः तत्त्वानि सन्ति, देशसमयः, रीतिरिवाजाः, विश्वासाः इत्यादयः सन्ति। लोकसंस्कृतौ यः बृहत्तमः तत्त्वः दृश्यते सः धर्मः अस्ति। धर्मस्य पक्षद्वयं भवति- एकः लौकिकः अपरः अलौकिकः। उभयोः परस्परनिर्भरः सम्बन्धः अस्ति। परलोकस्य नाशभयात् मनुष्यः यथाशक्ति विनाशकारीहिंसककर्माणि कर्तुं असमर्थः भवति, धार्मिकाचरणं च तस्य स्वभावः भवति। परलोकसम्बद्धानि सर्वाणि वस्तूनि आध्यात्मिकता उच्यन्ते। आध्यात्मस्य अर्थः अतीव विस्तृतः व्याप्तिः च विशालः अस्ति। अनेके मुनयः,

साधवः, महापुरुषाः, पण्डिताः च स्वविवेकेन विवक्षिताः। आत्मा वा ईश्वरसम्बद्धं ज्ञानं आध्यात्मिकता उच्यते। तानि सर्वाणि तत्त्वानि सर्वाणि च ज्ञानानि यानि शाश्वततत्त्वसम्बद्धानि सन्ति। अस्माकं देशः धर्मस्य देशः अस्ति। अत्र वेदोपनिषदेषु ऋषिसन्तवचनेषु च आध्यात्मस्य चर्चा कृता अस्ति। 'ईशवस्योपनिषद्' इत्यत्र उक्तमिदं वस्तु आध्यात्म इति प्रसिद्धम्।

ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्,

तेन त्यक्तेन भुज्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।

यस्यार्थः- यज्ञेन सह किमपि सेवनं केवलं आध्यात्मिकतायां एव आगच्छति। आत्मा-ईश्वरस्य प्रकृतिपुरुषस्य वा विषयः अस्माकं उपनिषदेषु बहुविस्तारेण व्याख्यातः अस्ति। एतां भावनां जनानां मध्ये प्रवर्तयितुं सर्वदा प्रयत्नाः कृताः सन्ति। निर्गुणसम्प्रदायस्य साधूनां आध्यात्मिकशिक्षा क्रथमानं दुग्धं स्थापयितुं जलस्य सिञ्चनरूपेण कार्यं करोति। एवं उपसंहारे आध्यात्मिकपक्षः लोकसंस्कृतौ गभीररूपेण निहितः इति सिद्धं भवति। यदि आध्यात्मिकता विरक्तं भवति तर्हि संस्कृतिः निष्प्राणः भविष्यति।

सत्यत्वम्- अस्माकं वैदिकग्रन्थेषु प्रार्थना अस्ति-'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मासृतां गमय' इत्यर्थः हे भगवन्, असत्यतः सत्यं प्रति अस्मान् नयतु। भारतीयदर्शनस्य मुख्यः सिद्धान्तः सत्यस्य मार्गस्य अनुसरणं भवति स्म। समाजनिर्माणप्रक्रिया, आचरणं, विचाराः, धर्मः, सर्वे सत्याधारिताः सन्ति। उपनिषदेषु अपि उल्लिखितं यत् गुरुः गुरुकुलेषु स्नातकानाम् दीक्षांतप्रवचनं निम्नलिखितप्रकारेण ददाति स्म-'वेदमन्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशासित, सत्यं वद, धर्मं चर स्वाध्यायान मा प्रमदः।'

एतस्य वचनस्य अर्थः अस्ति यत् भारतीयानां प्रत्येकस्मिन् छिद्रे प्राचीनकालात् सत्यं निहितम् आसीत्। यदा प्रचारकाः, साधवः, धर्मगुरुः जनानां मध्ये किमपि वार्तालापं आरभन्ते स्म तदा ते सत्यं अग्रस्थाने एव स्थापयन्ति स्म। सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् भारतीयत्वस्य नारा आसीत् अद्यत्वे अपि तथैव अस्ति।

सत्यं किम् ? कस्यापि वस्तुनः वास्तविकस्थितिः सत्यम् एव। ज्ञानं सत्यं जलं सत्यं आत्मा सत्यं शरीरमिदं मर्त्यमिदं सत्यम्। यत् शिवं सुन्दरं च तत् सत्यम्। 'नहिं सत्यात् परो धर्मः' सत्यात् परं धर्मः नास्ति इत्यर्थः। सत्यं नित्यं नित्यं, न नश्यति कदापि। सरलम् अस्ति। अस्माकं लोकसंस्कृतौ अपि एषः प्रमुखः तत्त्वः इति ज्ञायते। सत्यम् आदौ एव अनुसृतम् अस्ति। कृष्णः, युधिष्ठिरः, हरिश्चन्द्रः, कर्ण इत्यादयः सत्यस्य पर्यायाः सन्ति। दशरथः सत्यसन्ध इति।

अस्माकं लोककथाः सत्यरक्षकैः पूर्णाः सन्ति। सर्वे रीतिरिवाजाः शैत्याः च सत्याधारिताः सन्ति। सत्यं वदन् सत्यस्य अनुसरणं पुरुषाय सुखं जनयति यशः च वर्धते, एतादृशः विश्वासः पूर्वमेव जनानां मनसि गभीरं निहितः अस्ति। सत्यं धर्मे आध्यात्मेषु च रत्नवत् प्रवर्णं भवति।

एतेभ्यः मूलतत्त्वेभ्यः विहाय अन्ये बहवः तत्त्वानि सन्ति ये लोकसंस्कृतेः आधारं सुदृढां कुर्वन्ति। लोक रीतिः, लोकगीत, लोकधर्म, कर्तव्य, ग्राम, देवता, कुलदेवता, इष्टदेवता इत्यादिषु श्रद्धा, विवाह, तनसुरे इत्यादि संस्कारेषु शुभ अवसरे क्रियमाणाः पूजा, संस्कारः, दानं, उपादान इत्यादयः, एते सर्वे लोकतत्त्वानि लोकसंस्कृतेः निधिः सन्ति। जादू-टोना, यन्त्र-तन्त्र-मंत्र, योग साधना, सर्वे लोक-संस्कृतेः क्षेत्रान्तरे आगच्छन्ति। सन्तानाम् उपदेशाः, ज्ञानस्य अविरामतृष्णा, ज्ञानप्राप्तिः च अस्मिन् सहायकाः भवन्ति। वर्ण-आश्रम-व्यवस्था, संस्कारादिकं प्रत्यक्षं परोक्षं वा प्रभावं जनयन्तः

कारकाः अपि लोकसंस्कृतेः तादात्म्यं भवन्ति।

सुव्यवस्था, सुरक्षा, राज्यजीवनं, सुसमये समृद्धिः एतादृशाः तत्त्वानि सन्ति ये लोकसंस्कृतेः सुदृढीकरणं स्थायित्वं च कुर्वन्ति। इतिहासः साक्षी यत् यदा यदा शासनव्यवस्थायां परिवर्तनं भवति, अराजकता, लुण्ठनम्, या लोकसंस्कृतेः लुण्ठादिपरिग्रहे आसीत् सा अपि क्षुब्धः एव आसीत्। अस्माकं लोकसंस्कृतेः विश्वासः अभवत् यत् सुविधायै, विघ्नान् दूरीकर्तुं च कस्यापि देवतायाः पूजा आवश्यकी अस्ति। अत एव श्री गणेशः उत्सवेषु अपि पूजितः पूजितः च भवति।

गोः भारतीयलोकसंस्कृतेः प्रतीकम् अस्ति। अस्माकं शास्त्रेषु पुराणेषु च गोः महत् महत्त्वम् अस्ति। वनयुगे अपि गोस्य महत् महत्त्वम् अस्ति। गोः मुख्यतया वनयुगे अपि पालितः आसीत्। गोमय रोगाणुनाशकं गोदुग्धं च अमृतवत्। भारतस्य ग्रामाः स्वतः एव संस्कृतिः। तेषां संरचना, शुक्लीकरणं, द्वारेषु स्वस्तिकात्पनाः मनः मोहयन्ति।

उपसंहार- उपसंहाररूपेण लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि निम्नलिखितरूपेण निर्धारयितुं शक्यन्ते विविधतायां एकता। बाह्यरूपेण परिवर्तनं किन्तु मौलिकस्थिरता। मानवता सहिष्णुता च। प्रकृतेः पूजा। नित्यसत्यस्य आश्रयः

यत् सर्वदा सरलम्। सर्वविधज्ञानकलाकौशलयोः उन्नतिः। आध्यात्मिक विकास। संतानां, दार्शनिकानां, महापुरुषाणां च युगतः युगपर्यन्तं निरन्तरं उपस्थितिः। ज्ञानतृष्णा च यतो यत्र लभ्यते ततः प्राप्तिः। जनरक्षणं कुर्वन् नियमः।

उपर्युक्ताः मूलतत्त्वाः लोकसंस्कृतेः विविधपक्षं व्यवस्थितरूपेण प्रकाशयन्ति। एते मूलतत्त्वानि लोकसंस्कृतेः मूलरूपस्य पूर्णतां प्रददति।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाभारत, वनपर्व अध्याय 313, श्लोक 117
2. ऋग्वेद 10 वें मंडल 107वें सूक्त 6वां मन्त्र।
3. अथर्ववेद काण्ड 19वें, सूक्त 67, मन्त्र 1-2
4. ऋग्वेद 1 वें मंडल, सूक्त 89, मन्त्र 6
5. ईशावास्यउपनिषद् 1मन्त्रवां।
6. बृहदारण्यकउपनिषद् 1 अध्याय, 3 ब्राह्मण, मन्त्र 28
7. तैत्तिरीयउपनिषद् - शिक्षावल्ली 1 अनुवाक का उत्तरार्ध।
8. महाभारत शान्तिपर्व अध्याय 162, श्लोक 21

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

लखन शर्मा *

* शोधार्थी, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - इस योजना के जरिए किसानों को एक प्रकार से आय का सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास सरकार द्वारा अत्यन्त न्यूनतम प्रीमियम दरों पर किया गया है। इसमें फसलों की बुआई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। नुकसान के दावों का ऑनलाईन भुगतान करने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, फसल हानि होने पर दावों के शीघ्र भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग करने का भी इसमें प्रावधान है। पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्त्व को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। देश में कृषि विकास को बढ़ाने तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस क्रम में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रस्तावना - भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जिसकी राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग इसी से प्राप्त होता है। भारत में 70 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत का कृषि उत्पादन में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी गाँव में बसती है। इनका मूल पेशा कृषि है। एक तरह से कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जब तक की कृषि का विकास नहीं होगा तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात बेमानी है, क्योंकि भारत की दो तिहाई जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि एवं उससे जुड़े अन्य उपक्रमों पर आधारित है। यही वजह है कि भारत में कृषि विकास के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन आजादी के 78 वर्षों में हम विकास की चकाचौंध में बहुत आगे निकल गए और अपने गाँव, खेत-खलिहान व खेती किसानों की विरासत को गँवा बैठे। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से खुराक ले रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि विकास के सभी प्रयत्नों के बावजूद भारतीय कृषि मुख्यतः प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर है, अतिवृष्टि, सूखा, ओले, पाला पड़ने व प्राकृतिक विपदाओं और कीड़े लग जाने पर खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और कृषक अपने भाग्य को कोसने और वर्ष भर साहूकारों के कर्ज में पिसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी कई पीढ़ी कर्जदार हो जाती है। प्रत्येक उद्योग चाहे वह छोटा हो या बड़ा कुछ न कुछ विश्वसनीयता रहती है पर कृषि में इसका पूरी तरह से अभाव है। भारत में सूखा, अतिवृष्टि, ओले, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसान की यदि फसल खराब हो जाती है तो उसका पूरा नुकसान उसी को सहना होता है।

पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य में सरकार ज्यादा से ज्यादा फसल की या तो मालगुजारी माफ करती है या फसल उगने के लिए जो उसने कर्ज लिया है उसे लौटाने की अवधि बढ़ा देगी। इसमें विपत्तिग्रस्त कृषकों को राहत तो पहुँचती है, परन्तु इसमें अपेक्षित लाभ नहीं हो पाता और ये किसानों को सरकार के द्वारा मिली दया और सहानुभूति मात्र है। देश के अधिकतर राज्य सूखे से जूझ रहे हैं और बहुसंख्य ग्रामीण आबादी संकट के दौर से गुजर रही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। वर्ष 2014-2015 में मानसून में 12 प्रतिशत की कमी से ही फसलोत्पादन में 3.2 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी।

1901 से लेकर अब तक ऐसा चौथी बार हुआ, जब लगातार दो सालों तक देश को सूखे का सामना करना पड़ा। इसी तरह ओलावृष्टि और कहीं-कहीं अत्यधिक वर्षा ने भी फसलों को प्रभावित किया। किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तैयार फसल भी एक दिन की आपदा में बर्बाद हो जाती है। इसके लिए देश में फसल बीमा योजना लागू थी पर उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था और यही वजह है कि फसल बीमा योजना का विस्तार कृषक जनसंख्या में मात्र 23 प्रतिशत आबादी तक ही था। इसमें जरूरी बदलाव किये गए और प्रीमियम में कटौती से लेकर वलेम के भुगतान में तेजी और नये जोखिम को सम्मिलित करने संबंधी धारा इसमें जोड़ी गई। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को विधिवत आरम्भ किया। यह योजना 2016 में खरीफ की बुवाई के समय से लागू की गई। इसमें किसानों के लिए बेहद कम प्रीमियम देने का प्रावधान रखा गया है।

बीमा कंपनियाँ जो प्रीमियम की दर तय करेंगी उसमें खरीफ के लिए किसानों को सिर्फ 2 प्रतिशत राशि देना होगी। रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत राशि देना किसानों के लिए तय किया गया। बाकी की प्रीमियम राशि केन्द्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर देंगी। इस योजना में यह प्रावधान रखा गया की कम से कम 25 प्रतिशत का दावा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएँगी। कृषि मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों में देश के 14 करोड़ किसानों में से 50 प्रतिशत को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लेने का लक्ष्य रखा है। पहले वर्ष 2016-2017 में 30 प्रतिशत किसानों को इसमें शामिल किया गया। इस योजना के लिए 2016-2017 में 5550 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। इसके पश्चात प्रतिवर्ष इसके बजट में वृद्धि की गयी एवं चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा 69515.71 करोड़ रु. राशि का व्यय किया गया और म.प्र. सरकार के द्वारा भी 2000 करोड़ की राशि प्रदान की गयी है।

अतः प्रस्तुत शोध में कृषकों की आर्थिक स्थिति पर फसल बीमा योजना के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु म.प्र. के उज्जैन जिले का अध्ययन किया जायेगा एवं इस योजना से संबंधित सभी जानकारी का तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किया जायेगा।

साहित्य की समीक्षा - प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के साथ, भारतीय कृषि में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है और 2014 में शुरू किए गए सुधारों का एजेंडा मुखर हो गया है। इस समिति में 7 राज्यों-महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री तथा सदस्य सचिव के रूप में नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं। कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों की भारत में किसी भी विकास योजना प्रक्रिया में अहम भूमिका है, क्योंकि ये रोजगार के अवसर मुहैया करवाते हैं। खाद्यान्न और खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और चीनी, कपड़ा, हर्बल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित करते हैं, जिनमें लोगों को बड़ी संख्या में स्तरीय रोजगार मिलते हैं। कृषि के लिए बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि, मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण कृषि जीडीपी में वृद्धि कुछ कम रही। (मिश्रा, डॉ. जे.पी.)

कृषि बजट में निरन्तर वृद्धि - इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सरकार द्वारा गत चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को निरन्तर प्राथमिकता दी गई है। इस क्रम में न सिर्फ कृषि उत्थान पर आधारित नई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया, बल्कि इनके लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई। कृषि बजट के प्रावधान को बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ (वर्ष 2014-19) किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के कृषि बजट के लिए 1.21 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। कृषि से सम्बद्ध अन्य क्षेत्रवार आवंटन पर गौर करें तो फसल बीमा योजना की राशि को 2151 करोड़ से छह गुना बढ़ाकर 13000 करोड़, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए प्रावधान को 30 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़, कृषि यंत्रीकरण के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में राशि को बढ़ाकर 1165 करोड़ रुपये (वर्ष 2013-14 में 58 करोड़), ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि सिंचाई योजना का बजट भी इस वर्ष बढ़ाकर 4000 हजार करोड़ रुपये किया गया है। कमोबेश, इसी तरह से अन्य प्रमुख कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी (1420 करोड़), मात्स्यिकी (642 करोड़) आदि में बजटीय राशि की बढ़ोतरी चालू वर्ष के बजट में की गई।

राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशें लागू - कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्त्व को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। कृषि में फसल कटाई उपरांत प्रसंस्करण, विक्रय के लिए बाजार एवं इससे सम्बन्धित व्यवस्था पर समुचित ध्यान देने का भी इसमें सुझाव दिया गया था। यही नहीं, प्राकृतिक सम्पदाओं में लगातार क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसान कमीशन ने प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक तौर-तरीके से प्रबन्धन एवं सतत उत्पादन तथा विकास की ओर भी इशारा किया था। इसी तरह से मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से भू-धारकों एवं लीज प्राप्तकर्ता दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है। (सिंह, अशोक)

भारत में सत्तर करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। जिन इलाकों में आत्महत्या के मामले सामने आए, वे कहीं न कहीं मौजूदा ग्रामीण संकट के केन्द्र में रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसकी खासियत के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बीमा कंपनियाँ खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ 2 प्रतिशत देना होगा। रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ 1.5 फीसदी किसान देंगे। वहीं, बागवानी और कपास की फसलों के मामले में किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केन्द्र और राज्य की सरकारें बराबर-बराबर देंगी। कम से कम 25 प्रतिशत वलेम राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। इस दौरान की कृषि उपलब्धियों पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 284.63 मिलियन टन होने की संभावना है। इसी प्रकार बागवानी फसल 305 मिलियन टन, दलहन उत्पादन 25.23 मिलियन टन, दुग्ध उत्पादन 176.35 मिलियन टन, बागवानी उत्पादन 306.82 मिलियन टन एवं मत्स्य उत्पादन 126.14 मिलियन टन होने का विशेष तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। इन उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय सामूहिक तौर पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों तथा कृषि-आधारित सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनके कारण कृषि उत्पादन के रिकार्ड ऊँचाइयों तक पहुँच पाना संभव हो सका है। (मिश्र, उमाशंकर)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसका उद्देश्य है फसल के खराब होने पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का परिवर्धित रूप है। फसलों की बढ़ती लागत, होने वाले नुकसान और फसलों की कीमत में आ रही गिरावट से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिससे किसान मानसिक दबाव में हैं। कई राज्यों में इसी वजह से हाल ही में किसान आंदोलन हुए और कुछ किसान खुदकुशी करने लिए मजबूर हुए। कई राज्य सरकारों को कृषि कर्ज को माफ भी करना पड़ा। भारत में अभी भी खेती-किसानी बारिश पर निर्भर है। मानसून के अच्छे नहीं

रहने पर फसल अक्सर बर्बाद हो जाती है। बाढ़ और सूखा भारतीय किसानों की नियति बन गई है। मानसून की अनिश्चितता के चलते किसानों के लिए एक नई फसल बीमा योजना की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रस्तावित की गई जिसे 13 जनवरी, 2016 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। शुरू में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया में कुछ खामियाँ थीं, जिन्हें बाद में लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दूर किया गया। योजना को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया गया है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम कर रहा है और इसके तहत 3 सालों के अंदर सरकार की योजना 8800 करोड़ रुपये खर्च करने की है। इसके अलावा मंत्रालय 50 प्रतिशत किसानों को भी इस योजना की जड़ में लाना चाहता है। (सिंह, सतीश)

केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच फसल बीमा अहम योजना है। इसके जरिए किसानों को राहत प्रदान की जाती है। फसल बीमा के अन्तर्गत अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। पिछले दिनों सरकार की ओर से इसके कुछ स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए संशोधित फसल बीमा योजना नाम को मंजूरी दी गई है। फसलों के बर्बाद होने के बाद निराश होने वाले किसान अब घर बैठने के बजाय खेतों में उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाते नजर आते हैं। इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है। (श्रीवास्तव, दिव्या)

फसल बीमा से किसानों को लाभ - किसान फसल बीमा अपनाकर अपने आपको अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, कीटों एवं रोगों और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देश में राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम के तीनों घटकों पर कार्य चल रहा है। इसमें एक संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, तो दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं तीसरी नारियल पाम बीमा योजना है। इन सभी में अलग-अलग व्यवस्थाएं दी गईं।

मुख्य विशेषता - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत बीमा किश्त का भुगतान करना है। हाँ, वार्षिक फसलों जैसे, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत की दर से बीमा किश्त देनी होगी। किसानों को आर्थिक मोर्चे पर असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने बीमा किश्त की दर को बहुत ही कम रखा है। हालाँकि, बीमा कंपनियों को सरकार वास्तविक बीमा किश्त का भुगतान कर रही है, जिसका भार केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उठा रहे हैं।

लक्ष्य - इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से फसलों को नुकसान होने होने पर किसानों को बीमा के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, किसानों की आय को स्थायित्व देना, कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना आदि है।

वर्ष 2020 के बाद यह योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए यह योजना को वेकल्पिक कर दिया गया किसानों को बैंक में जहाँ पर उनका खाता है वहाँ पर जाकर फसल का बीमा करवाना होता है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसान आदि को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

(1) फसल बोने के अधिकतम 10 दिन के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री

फसल बीमा योजना का फार्म भरना जरूरी है।

- (2) फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान है तो भी आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- (3) इस योजना में आपको फसल खराब होने पर तभी बीमा की रकम मिल सकेगी जब आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण ही खराब हुई हो, जैसे ओला, जलभराव, बाढ़, तूफान, तूफानी बरसात, जमीन धँसना इत्यादि।

शोध का उद्देश्य:

- (1) उज्जैन जिले में किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर का अध्ययन करना।
- (2) फसल बीमा के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- (3) फसल बीमा से किसानों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन।

शोध की परिकल्पना:

1. फसल बीमा योजना अपनाने वाले कृषकों की फसल उत्पादन क्षमता के बीच सीधा संबंध है।
2. फसल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव कृषकों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन से है।

शोध प्रविधि - अध्ययन हेतु उज्जैन जिले उज्जैन तहसील में से तीन गांव का चुनाव फसल बीमा लेने वालों किसानों की संख्या की अधिकता के आधार पर किया गया और प्रत्येक गांव से 10-10 किसानों का सर्वे किया गया। इन किसानों को कृषक भूमि के क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा, इन 10 किसानों में से 2 किसान सीमांत कृषक (1 हेक्टेयर से कम या 5 बीघा से कम), 2 किसान लघु कृषक (1 हेक्टेयर से अधिक एवं 2 हेक्टेयर से कम, 5 बीघा से अधिक तथा 10 बीघा से कम), 2 किसान अर्द्धमध्यम कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक व 4 हेक्टेयर से कम, 10 बीघा से अधिक एवं 20 बीघा से कम), 2 किसान मध्यम कृषक (4 हेक्टेयर से अधिक तथा 10 हेक्टेयर से कम, 20 बीघा से अधिक एवं 50 बीघा से कम) एवं 2 किसान वृहद कृषक (10 हेक्टेयर से अधिक या 50 बीघा से अधिक) के रूप में चयनित किये गये।

तालिका क्र. 1 : किसानों के लिंग की जानकारी

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	23	76.66
2	महिला	7	23.33
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में कुल 30 किसानों में 23 पुरुष किसान जिनका 76.66 प्रतिशत रहा और 7 किसान महिला जिनका प्रतिशत 23.33 रहा है। इनमें सभी को फसल बीमा की जानकारी इन सभी को कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से दी गई थी इन सभी किसानों ने अपनी फसल गेहूँ और सोयाबीन की फसल का बीमा जिस बैंक से किसानों ने कृषि कार्य हेतु लोन लिया था उसी बैंक के द्वारा किसानों से सहमती लेकर उनकी फसल का बीमा कर दिया गया। खरीफ 2025 की फसल में सोयाबीन का बीमा किया गया जिसकी प्रीमियम राशि 940 रु. प्रति हेक्टेयर थी जो की किसानों के बैंक खाते काटी गई और सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि 3901 रु. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। इसी तरह रबी 2023-24 में गेहूँ की

फसल का बीमा प्रीमियम राशि 705 रु. प्रति हेक्टेयर किसानों के बैंक खाते से काटी गई और सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि 2783 रु. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। जिससे किसानों की फसल का बीमा किया गया जिससे की प्राकृतिक आपदा से फसल को हाने वाले नुकसान से सुरक्षा मिली। और किसानों की चिंता कुछ कम हुई।

तालिका क्र.2 : किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर

क्र.	फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	उच्च	7	23.33
2	मध्यम	9	30
3	निम्न	14	46.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में उच्च फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 7 रही जिसका प्रतिशत 23.33 रहा हैं और मध्यम फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा हैं और निम्न फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 14 रही जिसका प्रतिशत 46.67 रहा हैं। जिससे यह कहा जा सकता है कि फसल बीमा के बारे में जानकारी जिनके पास निम्न है उनकी संख्या अधिक हैं।

तालिका क्र.3: किसानों का आकार

क्र.	किसानों का आकार	संख्या	प्रतिशत
1	सीमांत किसान	13	43.33
2	लघु किसान	8	26.67
3	अर्द्धमध्यम किसान	3	10
4	मध्यम किसान	4	13.33
5	वृहद् किसान	2	6.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में सीमांत किसान की संख्या 13 रही जिसका प्रतिशत 43.33 रहा हैं और लघु किसान किसानों की संख्या 8 रही जिसका प्रतिशत 26.67 रहा। अर्द्धमध्यम किसान की संख्या 3 रही जिसका प्रतिशत 10 रहा। इन किसानों को ही प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हाने से अधिक नुकसान होता हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर किसान अपनी फसल का उत्पादन कर्ज लेकर करते हैं यदि प्राकृतिक आपदा से इनकी फसल खराब होती है तो इनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है। मध्यम किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा और वृहद् किसान 2 रहे जिसका प्रतिशत 6.67 रहा इन किसानों के पास अधिक भूमि होने के कारण यह बहुफसल का उत्पादन करते हैं। और इनकी आर्थिक स्थिति छोटे किसानों की तुलना अच्छी होती हैं जिससे इन पर फसल बीमा का प्रभाव कम रहा।

तालिका क्र.4: फसल बीमा के लाभ

क्र.	फसल बीमा के लाभ	संख्या	प्रतिशत
1	फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति होती है	17	56.67
2	ऋण की चिंता नहीं रहती हैं	9	30
3	फसलों में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती	4	13.33
	कुल	30	100.0

सर्वे के अनुसार फसल बीमा के लाभ में फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा

प्राप्ति होती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 17 रही जिसका प्रतिशत 56.67 रहा। ऋण की चिंता नहीं रहती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा। और फसलों में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती कहने वाले किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा। फसल का औसत उत्पादन से यदि 25 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब होने पर ही बीमा कंपनी फसल का बीमा देती है। यह जानकारी किसानों को नहीं है, जिनसे उनका स्वयं का नुकसान ज्यादा होता है और बीमा कंपनी इसका लाभ उठाती है और बीमा क्षतिपूर्ति करने से बच जाती है और किसानों को नुकसान की भरपाई स्वयं ही वहन करनी पड़ जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर होता है। कई किसान इस वजह से भी डिफाल्टर हो गये हैं और सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी सहायता से भी वंचित हो जाते हैं और किसानों को फिर सोसायटी से खाद/बीज भी नहीं मिल पाता है और उनको यह सब बाजार कीमत पर खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी फसल की लागत भी बढ़ जाती है और उन पर नया कर्ज हो जाता है। जिसका ब्याज अधिक होता है, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले और अधिक दब जाता है। किसानों को चाहिये कि वह क्रॉप कटिंग प्रक्रिया में सही वजन करवाये और उसी वजन को लिखवाये और अधिकारियों को भी उन्हें सही तरह से समझना चाहिये कि कि आज का वजन सही लिखने पर, जब फसल खराब होगी तो उन्हें उस समय इसका फायदा अधिक होता है और फसल का नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ ही बार होता है कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसलिये क्रॉप कटिंग के समय फसल उत्पादन का सही-सही वजन लिखवाना ही लाभदायक होगा, जो कि किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर उनकी आर्थिक रूप से रक्षा करेगा और उन्हें नये ऋण के कर्ज से बचायेगा। समय-समय पर सरकार भी इनकी मदद करती है पर यह मदद बहुत ही कम मात्रा में होती है जिससे किसान परिवार को आर्थिक रूप बहुत ही कम लाभ मिल पाता है और किसान सिर्फ अपने भाग्य को ही कोसता रह जाता है। सरकार को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति की राशि को जल्द और वास्तव में जो फसल के उत्पादन किसान का खर्च हुआ है कम से कम उतनी बीमा राशि अवश्य रूप से किसानों को बीमा कम्पनी से फसल की क्षतिपूर्ति देने को बाध्य करना चाहिये और बीमा कम्पनी को यह भी बताने को कहना चाहिये किस आधार पर आपने खराब हुई फसल का बीमा दिया है वह किसानों को बताना होगा यदि किसी किसान का बीमा नहीं मिला है तो उसके कारणों को किसानों को बताना चाहिये। जिससे यह योजना और अधिक कारगर और किसान हितेषी हो सकेगी।

निष्कर्ष - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किराया दर पर फसली ऋण एवं दूसरे कृषि ऋणों की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हालाँकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्ज लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फसलों का बीमा कारना किसान आवश्यक मानते हैं। अस्तु, कर्ज के माध्यम से किसान अपने जोखिम का आसानी के साथ प्रबंधन कर सकते हैं। कृषि कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान है। सरकार ने बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कर्ज देने में कोताही नहीं करें, साथ

ही ऋण प्रक्रिया को और भी आसान बनाएँ। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किश्त बहुत ही कम रखी गई है और सस्ती दर पर कृषि ऋण भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना को अपने क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली सभी फसलों के लिए किया जाना चाहिए और कब कोन सी फसल का बीमा होगा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिये जिससे सभी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सके और अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित कर सके और फसल खराब होने पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, डॉ.जे.पी. (2019), 'कृषि सम्बन्धी सुधारों के लिए रोडमैप' कुरुक्षेत्र, अंक 12, पृ.क्र.8-12, आईएसएसएन 0971-8451
2. सिंह, अशोक (2019), 'कृषि विकास की दिशा में प्रयास और उपलब्धियाँ', कुरुक्षेत्र, अंक 12, पृ.क्र. 16-20, आईएसएसएन 0971-8451
3. सिंह, सतीश (2018), 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि ऋण', कुरुक्षेत्र, अंक 04, पृ.क्र. 26-30, आईएसएसएन 0971-8451
4. मिश्र, उमाशंकर (2016), 'यकिसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य', कुरुक्षेत्र, अंक 08, पृ. क्रं. 09-14, आईएसएसएन 0971-84851.
5. श्रीवास्तव, दिव्या (2015), 'संशोधित फसल बीमा योजना से समृद्ध हो रहे किसान', कुरुक्षेत्र, अंक 11, पृ. क्रं. 23-25, आईएसएसएन 0971-84851

आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका और जागरूकता का मूल्यांकन: इंदौर शहर के लेखाकारों के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. रेणुका पाटीदार *

* सहायक प्राध्यापक, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान युग में लेखांकन प्रणाली में निरंतर तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित सॉफ्टवेयर, क्लाउड आधारित सेवाएँ, और डिजिटल रिपोर्टिंग जैसे तत्वों ने लेखाकारों की पारंपरिक भूमिका को व्यापक बना दिया है। इस शोध का उद्देश्य इंदौर शहर के 83 लेखाकारों के मध्य आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के प्रति उनकी जागरूकता, उनकी वर्तमान भूमिका और आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना है। शोध में पाया गया कि अधिकांश लेखाकार सामान्य लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग में दक्ष हैं, परंतु अत्याधुनिक तकनीकों (जैसे एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स) के प्रति जागरूकता सीमित है। प्रशिक्षण की कमी, तकनीकी बदलावों के प्रति अनिच्छा तथा नैतिकता के प्रति चिंतन की कमी प्रमुख अवरोध हैं। यह शोध सुझाव देता है कि निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, और नैतिक लेखांकन के लिए नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं। अध्ययन लेखांकन क्षेत्र में प्रासंगिक जागरूकता और सुधार हेतु दिशा देता है।

शब्द कुंजी – लेखांकन प्रणाली, लेखाकार, तकनीकी जागरूकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नैतिक लेखांकन, प्रशिक्षण, डिजिटल लेखांकन, इंदौर, वित्तीय पारदर्शिता, लेखांकन सॉफ्टवेयर।

प्रस्तावना – वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में लेखांकन की भूमिका केवल वित्तीय विवरण तैयार करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह अब एक रणनीतिक प्रबंधन उपकरण के रूप में विकसित हो चुकी है। व्यापारिक निर्णयों की पारदर्शिता, नियामकीय अनुपालन, कर योजना, निवेश मूल्यांकन और वित्तीय जवाबदेही जैसे क्षेत्रों में लेखांकन की उपयोगिता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में लेखाकार का कार्य भी मात्र संख्यात्मक लेखा-जोखा रखने से कहीं आगे बढ़ गया है, वे अब नीति-निर्माण, जोखिम मूल्यांकन और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक की भूमिका निभा रहे हैं।

इसी के समानांतर, आधुनिक लेखांकन प्रणाली ने तकनीकी विकास के साथ नई दिशा ग्रहण की है। टैली ईआरपी, एसएपी, क्लिकबुक, जीरो जैसे सॉफ्टवेयर, क्लाउड अकाउंटिंग, डिजिटल इनवॉइसिंग, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ऑटोमेशन जैसे साधनों ने लेखांकन को अधिक तीव्र, सटीक और रणनीतिक बना दिया है। किंतु इन नवाचारों की सार्थकता तभी संभव है जब उन्हें कार्यान्वयन करने वाले लेखाकार उनमें दक्ष, जागरूक और नैतिक दृष्टि से सज्ज हों।

भारत जैसे विकासशील देश में, विशेषतः इंदौर जैसे व्यापारिक और औद्योगिक शहर में कार्यरत लेखाकारों की जागरूकता एवं उनकी बदलती भूमिका का मूल्यांकन अति आवश्यक है। यह अध्ययन इस आवश्यकता को केंद्र में रखता है। इंदौर शहर के 83 लेखाकारों को अध्ययन में शामिल कर यह जानने का प्रयास किया गया कि वे आधुनिक लेखांकन प्रणालियों से किस हद तक परिचित हैं, उन पर उनका दृष्टिकोण कैसा है, तकनीकी

परिवर्तन के प्रति उनकी अनुकूलता क्या है, और क्या वे अपने कार्य में नैतिकता एवं पारदर्शिता को बनाए रख पा रहे हैं।

इसके साथ-साथ यह अध्ययन इस बात की भी पड़ताल करता है कि लेखाकार किस हद तक डिजिटल बदलावों को आत्मसात कर पा रहे हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और किस प्रकार की प्रशिक्षण/नीति आवश्यक है जिससे वे अपने व्यवसायिक कार्य को अधिक दक्षतापूर्वक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से संपन्न कर सकें।

इस प्रस्तावना के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका एक सक्रिय निर्णयकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ और नैतिक प्रहरी की बन गई है। अतः इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है – इन भूमिकाओं का समग्र मूल्यांकन करना और लेखांकन क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता तथा जागरूकता को प्रोत्साहित करने हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य

आवश्यकता:

1. लेखांकन में तकनीकी बदलाव के बावजूद, कई लेखाकार अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं।
2. आधुनिक उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर के उपयोग में अनुभव की कमी देखी गई है।
3. लेखाकारों की भूमिका अब केवल रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक निर्णयों में सहयोगी बनना है।

उद्देश्य:

1. इंदौर के लेखाकारों की आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करना।
2. लेखाकारों की बदलती भूमिका और उसमें आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
3. जागरूकता को बढ़ाने हेतु संभावित उपाय सुझाना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्र, इंदौर शहर है। इंदौर को मध्य भारत का आर्थिक हृदय कहा जाता है, जहाँ व्यापार, सेवा, बैंकिंग, वित्तीय परामर्श और लेखांकन से संबंधित हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। यह शहर तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में अग्रसर है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है।

इसी सन्दर्भ में इस अध्ययन हेतु 83 लेखाकारों को चुना गया, जो इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों – जैसे निजी संस्थान, सीए फर्म, लघु व्यवसाय, स्टार्टअप, तथा स्वतंत्र लेखाकार से संबद्ध हैं। न्यायदर्श चयन के लिए लक्षित चयन विधि का प्रयोग किया गया, जिसमें विशेष रूप से उन लेखाकारों को सम्मिलित किया गया जो किसी न किसी रूप में आधुनिक लेखांकन प्रणाली (जैसे कंप्यूटर आधारित लेखांकन, ई-फाइलिंग, जीएसटी, ईआरपी, क्लाउड अकाउंटिंग आदि) से जुड़े हुए हैं।

इस न्यायदर्श के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि इंदौर जैसे विकसित नगर में कार्यरत लेखाकारों की तकनीकी समझ, जागरूकता स्तर और उनकी भूमिका आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के संदर्भ में किस दिशा में विकसित हो रही है। इस क्षेत्रीय और व्यावसायिक पृष्ठभूमि का गहराई से अध्ययन, शोध को यथार्थपरक और नीति-प्रेरक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

समंक विश्लेषण एवं परिणाम

तालिका 1: लेखाकारों की जनसांख्यिकी

जनसांख्यिकीय चर	वर्गीकरण	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	59	71.08%
	महिला	24	28.92%
	कुल	83	100%
आयु समूह	21-30 वर्ष	26	31.33%
	31-40 वर्ष	35	42.17%
	41-50 वर्ष	14	16.87%
	51 वर्ष से अधिक	8	9.63%
	कुल	83	100%
शैक्षणिक योग्यता	B.Com या समकक्ष	28	33.73%
	M.Com / MBA (Finance)	31	37.35%
	CA / CMA / CS	24	28.92%
	कुल	83	100%
अनुभव	0-5 वर्ष	21	25.30%
	6-10 वर्ष	29	34.94%
	11-15 वर्ष	18	21.69%
	16 वर्ष से अधिक	15	18.07%
	कुल	83	100%

कार्य क्षेत्र	निजी फर्म / उद्योग	34	40.96%
	स्वतंत्र लेखाकार	20	24.10%
	चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म	17	20.48%
	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	12	14.46%
	कुल	83	100%

स्रोत-प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका के अनुसार, इंदौर शहर में सर्वे किए गए लेखाकारों में 71.08% पुरुष और 28.92% महिलाएँ हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखांकन पेशे में अभी भी पुरुषों की प्रधानता बनी हुई है। 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लेखाकार सर्वाधिक (42.17%) पाए गए, जो इस क्षेत्र में सक्रिय और अनुभवी कार्यबल को दर्शाता है। शैक्षणिक योग्यता के स्तर पर एम.कॉम या एमबीए (वित्त) धारक लेखाकारों की संख्या सर्वाधिक (37.35%) रही, जो यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लेखाकार आधुनिक प्रणाली की ओर अधिक आकर्षित हैं।

अनुभव के संदर्भ में, 6 से 10 वर्ष के अनुभव वाले लेखाकार सबसे अधिक (34.94%) पाए गए, जो लेखांकन क्षेत्र में परिपक्वता और व्यावसायिक स्थायित्व को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में सर्वाधिक लेखाकार निजी फर्म या उद्योग (40.96%) से जुड़े हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इंदौर में लेखांकन का क्षेत्र मुख्य रूप से निजी उद्यमों में केंद्रित है। यह जनसांख्यिकी विश्लेषण लेखाकारों की सामाजिक-शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उनकी पेशेवर स्थिति को दर्शाता है, जो आगे के विश्लेषण के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है।

तालिका 2: आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग की स्थिति

आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग की स्थिति	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
नियमित रूप से प्रयोग करते हैं	56	67.47%
कभी-कभी प्रयोग करते हैं	17	20.48%
प्रयोग नहीं करते	10	12.05%
कुल	83	100%

स्रोत-प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इंदौर शहर के कुल 83 उत्तरदाता लेखाकारों में से लगभग 67% (56 लेखाकार) आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर जैसे टैली ईआरपी, बिजी, जोहो बुक्स आदि का नियमित प्रयोग करते हैं। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि लेखांकन क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की स्वीकार्यता बढ़ रही है, और अधिकांश पेशेवर अब परंपरागत पद्धतियों की अपेक्षा कंप्यूटरीकृत और ऑटोमेटेड प्रणाली को अपना रहे हैं। वहीं, 20.48% लेखाकार ऐसे हैं जो इन सॉफ्टवेयरों का केवल कभी-कभी प्रयोग करते हैं, जो दर्शाता है कि उनके पास संभवतः पूर्ण प्रशिक्षण या संसाधन की कमी हो सकती है। 12.05% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि वे इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग नहीं करते, जो डिजिटल लेखांकन को अपनाने में अब भी मौजूद व्यवहारिक, तकनीकी या मानसिक अवरोध की ओर संकेत करता है। इस आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आधुनिक लेखांकन प्रणाली की स्वीकार्यता में वृद्धि हो रही है, परन्तु पूर्ण समावेशन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवहारिक परिवर्तन की दिशा में और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं।

तालिका 3: लेखाकारों की एआई एवं डेटा एनालिटिक्स संबंधी जानकारी की स्थिति

एआई एवं डेटा एनालिटिक्स संबंधी जानकारी की स्थिति	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
सम्यक जानकारी है	23	27.71%
सामान्य जानकारी है	38	45.78%
जानकारी बहुत कम या नहीं है	22	26.51%
कुल	83	100%

स्रोत-प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका के अनुसार, इंदौर शहर के केवल 23 लेखाकारों (27.71%) ने यह स्वीकार किया कि उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डेटा एनालिटिक्स से संबंधित लेखांकन प्रक्रियाओं की सम्यक जानकारी है। यह दर्शाता है कि डिजिटल युग के सबसे उन्नत लेखांकन उपकरणों के प्रति लेखाकारों में अभी भी साक्षरता और व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी है।

वहीं 38 उत्तरदाता (45.78%) ऐसे हैं जिन्हें इस विषय में केवल सामान्य जानकारी है, परंतु वे तकनीकी दक्षता या व्यावहारिक प्रयोग में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। 22 लेखाकार (26.51%) ने यह स्वीकार किया कि उनकी जानकारी बहुत सीमित है या नहीं के बराबर है। यह स्थिति इस तथ्य को उजागर करती है कि लेखांकन में (एआई) और डेटा विश्लेषण जैसे नवीनतम साधनों को अपनाने में अब भी व्यावसायिक बाधाएँ, प्रशिक्षण की कमी और नवाचार के प्रति असहजता मौजूद है।

यदि लेखाकारों को इन आधुनिक तकनीकों के लाभ, प्रयोग, और नैतिक पक्ष की व्यापक समझ दी जाए, तो लेखांकन की पारदर्शिता, गति और निर्णय-निर्माण क्षमता को नया आयाम मिल सकता है।

तालिका 4: लेखांकन में नैतिकता और पारदर्शिता की भूमिका के प्रति लेखाकारों की राय

लेखाकारों की राय	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं	34	40.96%
महत्वपूर्ण मानते हैं	28	33.73%
सामान्य महत्व देते हैं	13	15.66%
कम महत्व देते हैं या महत्व नहीं देते	8	9.63%
कुल	83	100%

स्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका से स्पष्ट होता है कि इंदौर शहर के 83 लेखाकारों में से 41% (34 लेखाकार) लेखांकन में नैतिकता एवं पारदर्शिता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह इस बात का संकेत है कि लेखाकारों में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सामाजिक विश्वास बनाए रखने की भावना सुदृढ़ है। 33.73% उत्तरदाता (28 लेखाकार) इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखांकन केवल संख्यात्मक गणना नहीं, बल्कि नैतिक जवाबदेही का भी क्षेत्र बन चुका है। वहीं 15.66% लेखाकार (13) इसे केवल सामान्य महत्व देते हैं, और 9.63% (8 लेखाकार) ऐसे भी हैं जो इसे कम या नगण्य महत्व देते हैं, जो चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करता है।

यह विश्लेषण इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि लेखांकन क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को केवल तकनीकी प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी शिक्षा दी जानी

चाहिए। इससे न केवल पेशे की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी एवं अनुशासनहीनता पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

तालिका 5: आधुनिक लेखांकन प्रणाली को अपनाने में प्रमुख चुनौतियाँ

समस्या / चुनौती	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव	48	57.83%
वरिष्ठ लेखाकारों में नवीन प्रणाली अपनाने की अनिच्छा	39	46.99%
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर अनिश्चितता	35	42.17%
ग्राहक जागरूकता की कमी	44	53.01%

स्रोत-प्राथमिक समंक

नोट: उत्तरदाताओं को एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति थी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव (57.83%) आधुनिक लेखांकन प्रणाली को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा है। इससे यह संकेत मिलता है कि लेखाकारों में नवीन सॉफ्टवेयर एवं तकनीकों को समझने और प्रयोग करने की पर्याप्त क्षमता अभी विकसित नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक जागरूकता की कमी (53.01%) भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चूंकि कई ग्राहक पारंपरिक विधियों को अधिक सहज मानते हैं, इसलिए वे लेखाकारों पर डिजिटल प्रणाली अपनाने का दबाव नहीं डालते, जिससे परिवर्तन की गति धीमी हो जाती है।

वरिष्ठ लेखाकारों में नवीन प्रणाली अपनाने की अनिच्छा (46.99%) भी उल्लेखनीय है, जो दर्शाता है कि अनुभवजन्य लेखाकारों में तकनीकी बदलावों के प्रति मानसिक रुकावट है। वहीं डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता (42.17%) के कारण भी कई पेशेवर डिजिटल प्रणाली को लेकर सशंकित रहते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंदौर जैसे उभरते हुए औद्योगिक केंद्र में भी आधुनिक लेखांकन प्रणाली के क्रियान्वयन में तकनीकी, मानसिक और सामाजिक स्तर की चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण और ठोस नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं।

निष्कर्ष - इस अध्ययन के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि लेखांकन क्षेत्र में तकनीकी विकास के चलते लेखाकारों की पारंपरिक भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इंदौर शहर के 83 लेखाकारों पर केंद्रित यह शोध दर्शाता है कि यद्यपि आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर जैसे टैली ईआरपी, बिजी, ज़ोहो आदि का उपयोग अब सामान्य हो गया है, किंतु एआई, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड आधारित लेखांकन जैसी नवीनतम प्रणालियों के प्रति जागरूकता और व्यावहारिक दक्षता अभी भी सीमित है। लेखाकारों में नैतिकता और पारदर्शिता को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य देखा गया, किंतु तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, वरिष्ठ पेशेवरों में परिवर्तन के प्रति अनिच्छा, डेटा सुरक्षा को लेकर संदेह और ग्राहकों में जागरूकता की कमी जैसे कारकों ने इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से अपनाने में बाधा उत्पन्न की है। यह अध्ययन इंगित करता है कि लेखांकन अब केवल लेखा-जोखा भर नहीं रहा, बल्कि यह एक रणनीतिक, नैतिक और तकनीकी दक्षता वाला क्षेत्र बन चुका है, जहाँ लेखाकारों को न केवल संख्या और रिपोर्ट समझनी है, बल्कि डिजिटल कौशल, नैतिक विवेक और आगामी तकनीकी परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करनी

होगी।

सुझाव :

- सरकारी तथा निजी संस्थाओं को लेखाकारों के लिए नियमित रूप से आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर, क्लाउड अकाउंटिंग, एआई आधारित टूल्स तथा साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे वे व्यावहारिक रूप से दक्ष हो सकें।
- अनुभवी लेखाकारों में तकनीकी नवाचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कार्यशालाएँ, व्यावसायिक संवाद और प्रेरक सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे भी नवाचार को सहज रूप से स्वीकार करें।
- लेखांकन शिक्षा एवं प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाए। नैतिक आचरण, पारदर्शिता, और वित्तीय उत्तरदायित्व जैसे विषयों को नियमित रूप से व्यवहारिक उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया जाए।
- व्यवसायिक ग्राहकों को यह समझाना आवश्यक है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली पारदर्शिता, समय की बचत और कर-सम्बंधी अनुपालन में अत्यंत सहायक है। इसके लिए लेखाकार संगठनों को ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए।
- डिजिटल लेखांकन प्रणाली अपनाते समय डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता के मानकों को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। लेखाकारों को यह बताया जाना चाहिए कि क्लाउड सेवा प्रदाताओं द्वारा किस प्रकार सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- सीए, सीएमए, बी.कॉम, एम.कॉम, एमबीए (फाइनेंस) जैसे पाठ्यक्रमों में आधुनिक लेखांकन टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, ईआरपी, तथा एआई आधारित विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Kumar, A. (2021). *Accounting in the Digital Era*. New Delhi: Taxmann Publications.
- Sharma, R. (2020). *Role of Accountants in Financial Ethics*. Mumbai: Himalaya Publishing.
- Deloitte. (2023). *AI and the Future of Accounting*. Retrieved from <https://www2.deloitte.com>
- ICAI. (2022). *Handbook on New Accounting Standards*. Institute of Chartered Accountants of India.
- World Bank. (2023). *Digitizing Tax and Accounting Services in South Asia*. Washington, DC.
- Institute of Chartered Accountants of India. (2022). *Handbook on New Accounting Trends and Technologies*. ICAI Publications.
- Kumar, A. (2021). *Accounting in the Digital Era*. New Delhi: Taxmann Publications.
- Sharma, R. (2020). *Professional Ethics and Modern Accounting Practices*. Mumbai: Himalaya Publishing House.
- World Bank. (2023). *Digitizing Tax and Accounting Services in South Asia: Challenges and Opportunities*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- Deloitte. (2023). *AI and the Future of Accounting*. Retrieved from <https://www2.deloitte.com>
- PwC India. (2022). *Survey Report on Digital Adoption in Indian Accounting Sector*. Retrieved from <https://www.pwc.in>
- Tiwari, M., & Saxena, P. (2020). Modernization of Accounting in Indian Firms: A Field Study. *International Journal of Finance & Accounting*, 12(4), 45–52.
- ACCA Global. (2021). *The Role of Accountants in Digital Transformation*. Retrieved from <https://www.accaglobal.com>
- Gupta, S. (2019). *Ethics, Compliance and Corporate Governance in Financial Reporting*. New Delhi: PHI Learning.
- Ministry of Corporate Affairs. (2023). *Digital India and Financial Reporting Initiatives*. Retrieved from <https://www.mca.gov.in>

मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव

डॉ. विनेता*

* अस्टिंट प्रोफेसर, इस्माईल नेशनल महिला पी.जी. कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने, जानकारी साझा करने और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का एक मंच दिया है। हालाँकि, इस डिजिटल क्रांति ने जहाँ कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, वहीं इसके नकारात्मक पहलू, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सोशल मीडिया का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव 'तुलना' की भावना है। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जीवन के केवल 'हाईलाइट रील' को साझा करते हैं – छुट्टियों की तस्वीरें, सफल करियर की कहानियाँ, और खुशहाल रिश्तों के पल। दूसरों की इन 'उत्कृष्ट' तस्वीरों को देखकर, व्यक्ति अक्सर अपने जीवन की वास्तविकता की तुलना करता है और अपर्याप्तता, ईर्ष्या और आत्म-सम्मान में कमी महसूस करता है। इस तरह की निरंतर तुलना से चिंता, अवसाद और आत्म-मूल्य में कमी आ सकती है।

शब्द कुंजी – मानसिक, स्वास्थ्य, सोशल, मीडिया।

प्रस्तावना – आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह एक ऐसा मंच है जिसने दुनिया को एक छोटे से गाँव में बदल दिया है, जहाँ लोग दूर-दराज के क्षेत्रों से भी एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने संचार, सूचना प्रसार और सामाजिक जुड़ाव के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन, क्या सोशल मीडिया केवल एक वरदान है या इसका एक नकारात्मक पहलू भी है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा।

सोशल मीडिया ने हमें कई तरीकों से सशक्त बनाया है :

जुड़ाव और संचार: यह लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से जुड़े रहने में मदद करता है, भले ही वे भौगोलिक रूप से दूर हों। यह पुराने संबंधों को फिर से स्थापित करने और नए संबंध बनाने का एक आसान तरीका प्रदान करता है।

सूचना का स्रोत: सोशल मीडिया समाचार और जानकारी का एक त्वरित और व्यापक स्रोत बन गया है। हम दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में तुरंत जान सकते हैं। यह जागरूकता फैलाने और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का एक शक्तिशाली माध्यम है।

शिक्षा और ज्ञान: छात्रों और पेशेवरों के लिए सोशल मीडिया एक उत्कृष्ट शैक्षिक उपकरण है। वे ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षिक पृष्ठों और विशेषज्ञों के ब्लॉग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें अपनी रुचि के विषयों पर नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।

व्यवसाय और रोजगार: सोशल मीडिया ने व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोले हैं। कंपनियाँ अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सकती हैं, ग्राहकों से सीधे जुड़ सकती हैं और नए बाजार तक पहुँच सकती हैं। इसके अलावा, इसने सोशल मीडिया मैनेजर और डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ जैसे

कई नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं।

अभिव्यक्ति का मंच: यह हर व्यक्ति को अपनी राय, विचार और रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देता है। कलाकार, लेखक, फोटोग्राफर और अन्य रचनात्मक लोग अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं।

इसके फायदों के साथ-साथ, सोशल मीडिया के कुछ गंभीर नुकसान भी हैं:

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: सोशल मीडिया पर लगातार तुलना, साइबर-बुलिंग और नकारात्मक टिप्पणियाँ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इससे अवसाद, चिंता, और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

गलत सूचना का प्रसार: सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इससे समाज में भ्रम, तनाव और विभाजन पैदा हो सकता है। यह विशेष रूप से चुनावों और सामाजिक आंदोलनों के दौरान एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

समय की बर्बादी: सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। लोग घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है और वे वास्तविक जीवन की गतिविधियों से दूर हो जाते हैं।

गोपनीयता का खतरा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से डेटा चोरी और साइबर अपराधों का खतरा बढ़ जाता है। हैकिंग और फिशिंग जैसी घटनाएँ आम हो गई हैं।

सामाजिक अलगाव: विरोधाभासी रूप से, सोशल मीडिया पर अत्यधिक जुड़ाव वास्तविक दुनिया में सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। लोग ऑनलाइन बातचीत में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने आस-

पास के लोगों से दूरी बना लेते हैं।

साहित्य की समीक्षा

आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमें दूर बैठे दोस्तों और परिवार से जोड़ता है, हमें दुनिया भर की जानकारी देता है और हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। हालांकि, इस आभासी दुनिया की चकाचौंध के पीछे एक गहरा और खतरनाक पहलू छिपा है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह चिंता, अवसाद, और अकेलेपन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देता है।¹

सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों के 'आदर्श' और 'सफल' जीवन की झलक देखते हैं। लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें, अपनी छुट्टियां, अपनी उपलब्धियां और अपनी खुशियों के क्षण साझा करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ सब कुछ परिपूर्ण दिखता है।²

जब हम अपनी वास्तविकताओं की तुलना इस आभासी दुनिया से करते हैं, तो हमारे मन में हीनता की भावना जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, और हम दूसरों की तरह खुश या सफल नहीं हैं। इस निरंतर तुलना के कारण हम आत्म-सम्मान में कमी, असुरक्षा और असंतोष महसूस करने लगते हैं, जो धीरे-धीरे चिंता और अवसाद का रूप ले लेता है।³

मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव – सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसके सही और गलत दोनों तरह के उपयोग हो सकते हैं। यह वरदान भी है और अभिशाप भी। इसका सही उपयोग हमें प्रगति और विकास की ओर ले जा सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसके सकारात्मक पहलुओं को अपनाना और इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना महत्वपूर्ण है। हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम इसके लाभों का आनंद ले सकें और इसके नुकसानों से बच सकें। सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' की दौड़ एक तरह का डोपामाइन चक्र बनाती है। जब किसी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक मिलते हैं, तो मस्तिष्क को खुशी मिलती है, जो उपयोगकर्ता को और अधिक पोस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक लत में बदल सकता है, जहां व्यक्ति अपनी आत्म-मूल्य को बाहरी स्वीकृति से जोड़ता है। जब उन्हें अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वे निराश, उदास और खाली महसूस कर सकते हैं। यह लत वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों, सामाजिक संबंधों और यहां तक कि नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। साइबरबुलिंग एक और गंभीर समस्या है जो सोशल मीडिया के साथ आती है। डिजिटल दुनिया की गुमनामी के कारण, कुछ लोग दूसरों को परेशान करने और अपमानित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। साइबरबुलिंग के शिकार लोग अक्सर गंभीर तनाव, चिंता और सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। 'फियर ऑफ मिसिंग आउट' (FOMO) एक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिचित बिना हमारे कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी मजेदार गतिविधि में भाग ले रहे हैं, तो हमें यह डर सताने लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। यह भावना

बेचैनी और चिंता पैदा करती है, जिससे व्यक्ति लगातार ऑनलाइन रहने और अपने फोन को जांचने के लिए मजबूर होता है। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया केवल नुकसानदायक है। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। यह लोगों को समान रुचियों वाले समुदायों से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिससे सामाजिक अलगाव कम होता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने, जानकारी साझा करने और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, सोशल मीडिया ने लोगों को अपने प्रियजनों से जुड़े रहने और भावनात्मक सहारा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। लोग अपनी पोस्ट पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से अपनी कीमत आंकने लगते हैं। जब किसी पोस्ट पर कम लाइक या कमेंट आते हैं, तो यह उन्हें अस्वीकृत महसूस कराता है और उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। यह स्थिति 'छूट जाने का डर' (FOMO-Fear of missing out) भी पैदा करती है, जहाँ व्यक्ति को लगता है कि वह दूसरों से पीछे छूट रहा है या किसी महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा नहीं है। यह डर उन्हें लगातार ऑनलाइन रहने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी नींद, एकाग्रता और वास्तविक जीवन के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सोशल मीडिया का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह लोगों को वास्तविक दुनिया से दूर कर रहा है। लोग अपने फोन पर इतना समय बिताते हैं कि उनके पास अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत करने का समय नहीं रहता। वे आभासी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उनका वास्तविक सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, जिससे वे भावनात्मक रूप से अलग-थलग और अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन, भले ही वे सैकड़ों ऑनलाइन 'फ्रेंड्स' से घिरे हों, मानसिक तनाव और निराशा का कारण बनता है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया की लत एक मानसिक बीमारी का रूप ले रही है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग, झूठी खबरों और ऑनलाइन उत्पीड़न (साइबरबुलिंग) का सामना करना, और दूसरों की आभासी जीवनशैली से तुलना करना हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे रिश्तों, काम और शिक्षा में भी बाधा डालता है। निष्कर्ष के तौर पर, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। यह हमें एक ऐसी आभासी दुनिया में धकेलता है जहाँ तुलना, दिखावा और निरंतर सत्यापन की मांग हमें मानसिक रूप से कमजोर और असुरक्षित बनाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस नकारात्मक प्रभाव को कैसे पहचानें और इसे सीमित करें, ताकि हम इस डिजिटल दुनिया का उपयोग समझदारी से कर सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारी जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हमें दुनिया से जोड़ते हैं, हमें अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का अवसर देते हैं। हालांकि, इन प्लेटफॉर्मों पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर, जो शुरू में केवल प्रशंसा

का एक माध्यम था, अब एक जटिल और कभी-कभी हानिकारक मनोविज्ञान का रूप ले चुका है। यह कल्चर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर डाल रहा है, जो चिंता, अवसाद और आत्म-सम्मान की कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है। सबसे पहले, 'लाइक' और 'कमेंट' की संख्या अक्सर हमारे आत्म-मूल्य का मापदंड बन गई है। जब हम कोई पोस्ट डालते हैं, तो हम अनजाने में यह उम्मीद करते हैं कि हमें पर्याप्त संख्या में लाइक और सकारात्मक कमेंट मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। यह एक प्रकार का 'सामाजिक सत्यापन' (Social Validation) बन गया है, जहां हमारा आत्म-सम्मान दूसरों की राय पर निर्भर करता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि यह हमें बाहरी कारकों के आधार पर अपनी कीमत आंकने के लिए मजबूर करती है, न कि हमारे आंतरिक गुणों और क्षमताओं के आधार पर।

इसके अलावा, 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर एक निरंतर तुलना का माहौल बनाता है। जब हम दूसरों की पोस्ट देखते हैं, जहां उनके पास हमसे ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं, तो हम तुरंत अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा रोमांचक, सफल या लोकप्रिय है। यह तुलना हमारे अंदर ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की 'परफेक्ट' ऑनलाइन जिंदगी से तुलना करते हैं, जो अक्सर एक भ्रम होता है। लोग सोशल मीडिया पर केवल अपनी सबसे अच्छी और सुखद तस्वीरें और क्षण साझा करते हैं, जिससे एक अवास्तविक छवि बनती है।

यह कल्चर 'फोमो' (Fear of missing out) यानी कुछ खो जाने के डर को भी बढ़ावा देता है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिचित किसी पार्टी या इवेंट में जा रहे हैं और उनकी तस्वीरों पर बहुत सारे लाइक और कमेंट आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। यह डर हमें अकेला और अलग-थलग महसूस कराता है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ सकता है।

नकारात्मक कमेंट और ट्रोलिंग भी एक बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आसानी से बिना किसी परिणाम के दूसरों पर नकारात्मक कमेंट कर सकता है। ये कमेंट किसी की भावनाओं को गंभीर रूप से ठेस पहुंचा सकते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। ट्रोलिंग और साइबर-धमकी (Cyber Bullying) की घटनाएं अवसाद, चिंता और यहां तक कि आत्महत्या के विचारों को भी जन्म दे सकती हैं। संक्षेप में, 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ हमारा आत्म-सम्मान बाहरी सत्यापन पर निर्भर करता है, जहाँ हम निरंतर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और जहाँ हम आलोचना और नकारात्मकता के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा और हानिकारक प्रभाव डालता है। इस समस्या का समाधान व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली दुनिया वास्तविक नहीं है। हमें अपनी कीमत को लाइक और कमेंट की संख्या से नहीं आंकना चाहिए। हमें अपनी आत्म-मूल्यता को आंतरिक गुणों और व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर परिभाषित करना चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को इस बारे में शिक्षित करना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से कैसे करें और इसके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचें। अंततः,

हमें सोशल मीडिया को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि एक ऐसी वस्तु के रूप में जो हमारे जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करे।

निष्कर्ष – मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। इसका उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह एक सहायक उपकरण भी हो सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से बचने, डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करने और वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता देने से हम सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया एक साधन है, साध्य नहीं। इसका विवेकपूर्ण उपयोग करके ही हम इसके लाभों का आनंद लेते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बत्तीनेनी जी., चितलापुडी एन., अमेंटा एफ. एफबी-प्रोफेट मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा चार उच्च प्रभावित देशों (यूएसए, ब्राजील, भारत और रूस) में कोविड-19 महामारी के आकार का पूर्वानुमान। एप्लिकेशन कम्प्यूटेशनल। 2020
2. चावेज एस., लॉन्ग बी., कोयफमैन ए., लियांग एस.वाई. कोरोनावायरस रोग (कोविड-19): आपातकालीन चिकित्सकों के लिए एक प्राइमरी अमेरिकन जर्नल ऑफ इमर्जेंसी 2020
3. चावला एस., मित्तल एम., चावला एम., गोयल एल. कोरोना वायरस-प्राकृतिक आपदा के दूसरे तरीके की अंतर्दृष्टि। ईएआई समर्थित ट्रांस। व्यापक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। 2020;6: 1-5
4. छेत्री बी., गोयल एल.एम., मित्तल एम., बट्टीनेनी जी. कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय छात्रों में तनाव की व्यापकता का अनुमान लगाना: भारत से एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। जे. तैयबा यूनिवर्सिटी मेड साइंस। 2021;16: 260-267
5. अरोड़ा एम., गोयल एल.एम., चितलापुडी एन., मित्तल एम. कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक: एक सांख्यिकीय मॉडलिंग दृष्टिकोण कंफ्यूटिंग, संचार और सुरक्षा (ICCCS) पर 2020 के 5वें अंतराष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही पटना, भारत। 14-16 अक्टूबर 2020। पिसकेटवे, एनजे, यूएसए: इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (IEEE)। 2020. पृष्ठ 1-5
6. एल फिरदौसी एस., लचगर एम., काबेली एच., रोचडी ए., गौजदामी डी., एल फिरदौसी एल. कोविड-19 महामारी के दौरान उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का आकलन। शिक्षा अनुसंधान अंतराष्ट्रीय 2020
7. चितलापुडी एन., बट्टीनेनी जी., अमेंटा एफ. डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग करके कोविड-19 टीव्स का भावुक विश्लेषण। इन्फेक्ट डिस. रिप. 2021;13: 329-339
8. ली सी., चेन एल.जे., चेन एक्स., झांग एम., पैंग सी.पी., चेन एच. इंटरनेट खोजों और सोशल मीडिया डेटा से कोविड-19 प्रकोप की भविष्यवाणी करने की संभावना का पूर्वव्यापी विश्लेषण, चीन, 2020 यूरोसर्विलांस 2020

पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. उत्तरांजलि बिष्ट*

* एम.एससी.(बॉटनी) एम. एड. 6बी/115, आवास विकास, फेज-2, बुद्धि विहार, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – उपलब्धि आधुनिक समाज का केंद्र बिंदु है जिसका मूल शैक्षिक उपलब्धि मानी जाती है। विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एक बहुआयामी घटना है जिस पर अनेक कारकों का प्रभाव होता है जिसमें पारिवारिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध में उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव देखा गया है। शोध न्यादर्श में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 512 छात्र-छात्राओं का चयन न्यादर्शन की असमान अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। शोध निष्कर्ष में पाया गया है कि लिंग व क्षेत्र के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार में नियंत्रण के स्तर का प्रभाव नहीं है।

शब्द कुंजी – पारिवारिक वातावरण, नियंत्रण, शैक्षिक उपलब्धि, उच्च माध्यमिक विद्यालय।

प्रस्तावना – शैक्षिक उपलब्धि छात्र के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है यह बालक के जीवन में व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी ऐसे निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसके लिए किसी निश्चित क्षेत्र अथवा विशिष्ट प्रयास, समर्पण एवं निश्चित स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विद्यालय परीक्षा और परीक्षाओं में प्राप्त अंक अथवा ग्रेड संबंधित विषयों में प्राप्त जानकारी, ज्ञान एवं कौशल का परिणाम होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि की परिभाषा शिक्षा विश्व कोष में इस प्रकार दी है कि, 'किसी विशेष क्षेत्र अथवा पाठ्यक्रम में सफल उपलब्धि या प्रदर्शन सामान्य रूप से कौशल, कठिन परिश्रम एवं रुचि के परिणाम स्वरूप शैक्षिक उपलब्धि विभिन्न प्रकार के अंक ग्रेड या वर्णनात्मक टिप्पणी के रूप में होती है'।

पारिवारिक वातावरण – माता-पिता और बच्चों के बीच मौजूदा रिश्तों की व्यवस्था को परिवार कहा जाता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का सबसे पुराना एवं बुनियादी मानव समूह है। यह बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए कई सामाजिक समूहों में से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। जहां बालक अपने माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से उन सामाजिक मानदंडों को सीखना शुरू करते हैं, जिसमें वह स्वयं को पाते हैं। यह बालक की शिक्षा का आदर्श स्थान एवं सबसे महत्वपूर्ण समूह है। परिवार बच्चे का प्रथम विद्यालय है, जहां पर माता-पिता बच्चों के आदर्श शिक्षक होते हैं, जिन पर बच्चों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। बच्चे की शिक्षा पर परिवार का गहरा प्रभाव होता है।

पारिवारिक वातावरण में कई आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जिसमें मां की प्रतिक्रिया, अनुशासन, माता-पिता का बच्चे पर नियंत्रण, सुरक्षा शैली एवं माता-पिता एवं बच्चों के आपसी संबंध। किशोरावस्था में पारिवारिक

वातावरण का बच्चे पर प्रभाव अधिक होता है जो उसके व्यक्तित्व एवं उपलब्धि को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह अवस्था बालक में भावात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों को तेजी के साथ लाती है जिस कारण बालक को अतिरिक्त देखभाल, नियंत्रण एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि किशोर बालक अधिक परिपक्वता के साथ अधिक जिम्मेदारी लेते हैं और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। इस पारिवारिक पर्यावरण में उसके आत्मसम्मान और शैक्षिक उपलब्धि को घटाने या बढ़ाने की शक्ति होती है।

अध्ययन की आवश्यकता – आज की प्रतिस्पर्धात्मक एवं पूर्णता की दुनिया में हर कोई सफल होने की आकांक्षा रखता है। छात्रों के लिए इस सफलता में शैक्षिक उपलब्धि सम्मिलित है, जिसे उन स्तंभों के साथ अच्छी तरह से जोड़ा जाता है जो बालक के भविष्य की सफलताओं का समर्थन करते हैं। यही कारण है कि माता-पिता अपने बालक की शैक्षिक उपलब्धि पर अत्यधिक ध्यान देने लगे हैं। इस प्रयोजन के लिए वे बालक पर कई प्रकार के दबाव, नियंत्रण एवं अनुशासनात्मक नियमों को थोपते हैं। जिसका प्रभाव अंततः छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर होता है। इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण में बच्चों पर नियंत्रण के प्रभाव का अध्ययन करना है। आशा है कि यह शोध विषय वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक होगा एवं छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव को नए तथ्यों के साथ संदर्भित कर सकेगा।

समस्या कथन – 'पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन।'

शोध उद्देश्य

1. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग के आधार पर प्रभाव का अध्ययन करना।

2. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमांकन

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि—प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध की सर्वे शोध अध्ययन विधि का उपयोग किया गया है। अतः शोध की प्रकृति सर्वे शोध की है। सर्वे शोध में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी का वर्णन किया जाता है।

शोध जनसंख्या—यह शोध उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों पर किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं जनसंख्या के रूप में सम्मिलित हैं।

शोध न्यादर्श—प्रस्तुत शोध अध्ययन में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 512 छात्र-छात्राओं का न्यादर्शन की असमान अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि के आधार पर किया गया है। इस विधि में जनसंख्या को विभिन्न उप समूह में विभाजित किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक उप समूह से न्यादर्श का चयन किया जाता है परंतु चयनित न्यादर्श उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं होता है।

शोधार्थी ने 23 विद्यालयों (14 ग्रामीण क्षेत्र से व 9 शहरी क्षेत्र से) का चयन न्यादर्श में किया। इन विद्यालयों में 512 छात्र-छात्राओं का चयन न्यादर्शन की असमान स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया, जिनमें से 307 छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से एवं 205 छात्र छात्राएं का शहरी क्षेत्र से चयन किया गया। इसी प्रकार 282 छात्र एवं 230 छात्राओं का चयन न्यादर्श में किया गया।

शोध उपकरण—प्रस्तुत शोध में करुणा शंकर मिश्रा द्वारा निर्मित 'Home Environment Inventory' का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण हेतु किया गया है विद्यालय के वार्षिक परीक्षा परिणाम को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में संग्रहित किया गया है।

प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण—शैक्षिक उपलब्धि—प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च माध्यमिक विद्यालयों से परीक्षा परिणाम के रूप में प्राप्त की एवं उसे तीन वर्गों में विभाजित किया 30 से 44 प्राप्तांक को निम्न स्तर, 45 से 59 प्राप्तांक को औसत स्तर एवं 60 व उससे अधिक प्राप्तांक को उच्च स्तर की शैक्षिक उपलब्धि में विभाजित किया।

परिकल्पना. 1— छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी. 1— छात्र एवं छात्राओं का माध्य, मध्यमान अंतर, मानक विचलन व टी.मान

लिंग	संख्या	माध्य	माध्य अंतर	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
छात्र	282	46.52	1.48	11.94	1.451	सार्थक
छात्राएँ	230	45.04		10.90		अन्तर नहीं है

उपरोक्त सारणी 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों का माध्य 46.52 है एवं मानक विचलन 11.94 है। वहीं छात्राओं का माध्य 45.04 है और मानक विचलन 10.90 है। इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक

उपलब्धि का औसत अंतर 1.48 है।

सार्थकता स्तर 0.05 पर टी.का गणना मान (calculated value) $t = 1.45$ है जो टी.के सारणीबद्ध मान (table value) $t = 1.96$ से कम है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अतः छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना. 2—शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी. 2—शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य, मध्यमान अंतर, मानक विचलन एवं टी.मान।

क्षेत्र	संख्या	माध्य	माध्य अंतर	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
ग्रामीण छात्र	307	45.73	0.31	11.47	0.306	सार्थक
शहरी छात्राएँ	205	46.04		10.56		अन्तर नहीं है

उपरोक्त सारणी 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण छात्रों का माध्य 45.73 है तथा मानक विचलन 11.47 है। वहीं शहरी छात्रों का माध्य 46.04 है तथा मानक विचलन 10.56 है। ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के बीच मध्यमान अंतर 0.31 है।

सार्थकता स्तर 0.05 पर टी.का गणना मान (calculated value) $t = 0.306$ है जो टी.के सारणीबद्ध मान (Table value) 1.96 से कम है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का स्तर—पारिवारिक वातावरण में इन्वेंटरी के मैनुअल के अनुसार नियंत्रण के स्तर को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका आधार प्रतिशतांक (Percentile) है। P25 एवं इससे कम को निम्न स्तर, P26 से P74 को औसत स्तर और P75 या उससे अधिक को उच्च स्तर में विभाजित किया गया है।

परिकल्पना. 3—छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी. 3—छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का माध्य, मानक विचलन एवं टी.मान।

आयाम	लिंग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
नियंत्रण	छात्र	282	23.98	6.405	3.755	सार्थक
	छात्राएँ	230	21.74	7.071		अन्तर नहीं है

उपरोक्त सारणी 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवार में नियंत्रण के आधार पर छात्रों का माध्य 23.98 तथा मानक विचलन 6.405 है। वहीं छात्राओं का माध्य 21.74 तथा मानक विचलन 7.071 है।

सार्थकता स्तर 0.01 पर टी.का गणना मान 3.755 है, जो टी.के सारणीबद्ध मान से अधिक है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। अतः छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर सार्थक अंतर है।

परिकल्पना. 4— शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी. 4— शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण

का माध्य, मानक विचलन एवं टी.मान।

आयाम	क्षेत्र	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
नियंत्रण	ग्रामीण	307	24.96	4.870	0.751	सार्थक अन्तर नहीं है
	शहरी	205	21.32	6.846		

उपरोक्त सारणी 4 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि परिवार में छात्रों पर नियंत्रण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का माध्य 24.96 तथा मानक विचलन 4.870 है। वहीं शहरी क्षेत्र के छात्रों का माध्य 21.32 तथा मानक विचलन 6.846 है।

सार्थकता स्तर 0.05 स्तर पर टी.का गणना मान .751 है जो टी. के सारणीबद्ध मान 1.96 से कम है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अतः शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

पारिवारिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध-

चर	छात्रों की संख्या	सहसम्बन्ध	सार्थकता स्तर
शैक्षिक उपलब्धि	512	0.708**	0.01
परिवारिक वातावरण	512		

उपरोक्त सारणी 5 के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि छात्रों के पारिवारिक वातावरण एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बीच सहसंबंध गुणांक .708** है जो की सार्थकता.01 पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार पारिवारिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच एक सहसंबंध है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की छात्रों के पारिवारिक वातावरण का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है एवं पारिवारिक वातावरण को बदलने पर छात्र की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है।

निष्कर्ष-छात्रों के जीवन में सफलता प्राप्त करने का सार उनकी शैक्षिक उपलब्धि को माना जाता है। पारिवारिक वातावरण का छात्र के व्यक्तित्व पर निर्णायक एवं स्थाई प्रभाव पड़ता है। इसमें छात्र की शैक्षिक उपलब्धि भी निर्णायक रूप से प्रभावित होती है। प्रस्तुत शोध में पारिवारिक वातावरण में छात्रों के व्यवहारों पर नियंत्रण के आधार पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात किया गया है। शोध परिणामों में पाया गया है कि-

1. लिंग अर्थात् छात्र एवं छात्राओं के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है। परंतु लिंग के आधार पर अर्थात् छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के स्तर में सार्थक अंतर है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर छात्रों के परिवार में नियंत्रण का स्तर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित नहीं करता है।
2. क्षेत्र के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। इसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर अर्थात् शहरी क्षेत्र के विद्यालय के छात्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी उच्च माध्यमिक

विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव नहीं पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. A., Maldonado-Macías, A. A., Arredondo-Soto, K. C., Baez-Lopez, Y., Carrillo-Gutiérrez, T., & Hernández-Escobedo, G. (2020) the Impact of Environmental Factors on Academic Performance of University Students Taking Online Classes during the COVID-19 Pandemic in Mexico Sustainability, 12(21), 9194
2. Abhishek Srivastava "Effect of School Environment on the Academic Achievement of Students" January 2022 DOI:10.52984/ijomrc2114
3. Achievement- A casual Model. 2nd International Conference on Education and Management Technology. vol-13, pp- 200-204
4. Adekola, B.O. (2012): Home and School factors as determinants of student's achievement in Senior Secondary School English comprehension in four South Western States. Research Journal in Organizational Psychology and Educational Studies. vol-1, issue-5, pp- 280- 283.
5. Bhadaria P. (2013): A Study on role of Emotional Intelligence for Academic Achievement for Students. Research Journal of Educational Sciences. Vol-1, issue-2, pp-8-12.
6. Bhadwal, P.S. and Sharma, D.(2012): Intelligence and Self- concept as Co-relates of Academic Achievement. Indian Streams Research Journal. vol- 2 , issue-9 , pp-1-5.
7. Chaudhari, V.P., Jain, 2005, Factors Contributing to Academic Under-achievement, Ph.D. Psy., Nag. U., pg660
8. Chen, J.J.L. (2009). Relation of parental, teacher and peer support to academic engagement and achievement among Hong Kong students. School Psychology Intern., 29,183-198.
9. Yara and Olatunde (2009): Relationship between Teachers attitude and students' Academic Achievement in Mathematics in some selected Senior Secondary Schools in South-western Nigeria. European Journal of Social Sciences. vol-11, issue-3, pp-364-369.
10. Zokaitluangi & Lahunlawma (2005), "Intelligence and Academic Achievement in Relation to Parent-Child Relationship", Indian Journal of Psychometry & Education, Vol. 36(1).

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग का संबंध : एक अध्ययन

श्रीमती योगिता गौर* डॉ. राखी शर्मा**

*शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
**सह-प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस शोध का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, आत्म-अनुशासन एवं समय-प्रबंधन पर देखे जा रहे हैं। अध्ययन में देवास शहर के उच्च माध्यमिक स्तर के 120 विद्यार्थियों (60 लड़के और 60 लड़कियाँ) को यादृच्छिक नमूना पद्धति से चुना गया। डेटा संग्रह हेतु 'Time Management Test (TMT)' तथा 'Social Media Usage Scale (SMUS)' का उपयोग किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण t test, ANOVA और Pearson सहसंबंध विधियों से किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों के समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध ($r = -0.412$, $p < 0.01$) पाया गया। लड़कियों का समय-प्रबंधन स्तर लड़कों की अपेक्षा उच्च था तथा अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग करने वाले विद्यार्थियों का समय-प्रबंधन स्तर न्यूनतम पाया गया। यह अध्ययन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि संतुलित सोशल मीडिया उपयोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता और आत्म-विकास हेतु आवश्यक है।

शब्द कुंजी – समय-प्रबंधन, सोशल मीडिया, विद्यार्थी, शैक्षणिक उपलब्धि, सहसंबंध।

प्रस्तावना – वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं रह गए हैं, बल्कि ज्ञानार्जन, संवाद और आत्म-अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि इन माध्यमों का संतुलित उपयोग विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सामाजिक जुड़ाव और शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच को सुलभ बनाता है, किन्तु इनका 'अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग' विद्यार्थियों के 'समय-प्रबंधन कौशल' पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

समय-प्रबंधन विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य कौशल है, जो न केवल अध्ययन में सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके भविष्य की उपलब्धियों और व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि विद्यार्थी अध्ययन, खेलकूद, पारिवारिक दायित्वों और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करने में असफल रहते हैं, तो उनकी शैक्षणिक आकांक्षाएँ और उपलब्धियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

इसी संदर्भ में यह शोध अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में सोशल मीडिया उपयोग और समय-प्रबंधन के मध्य संबंध को उजागर करता है। यह अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और नीति-निर्माताओं के लिए भी उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

समीक्षा साहित्य

1. डॉ. सुधीर कुमार एवं डॉ. रमेश मिश्रा (2019) ने अपने अध्ययन में

पाया कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग विद्यार्थियों के अध्ययन समय को कम करता है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी प्रतिदिन औसतन 4-5 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, उनमें ध्यान भंग होने की प्रवृत्ति अधिक होती है और उनके परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर पाए गए।

2. डॉ. प्रिया शर्मा (2021) ने 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर किए गए अध्ययन में निष्कर्ष दिया कि लड़कियों का समय-प्रबंधन लड़कों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लड़कियाँ सोशल मीडिया का प्रयोग प्रायः सामाजिक संपर्क और शिक्षा-संबंधी जानकारी के लिए करती हैं, जबकि लड़के मनोरंजन और गेमिंग में अधिक समय व्यतीत करते हैं।

3. डॉ. अरविंद सिंह (2020) ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया उपयोग और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच नकारात्मक सहसंबंध है। उनका अध्ययन दर्शाता है कि जो विद्यार्थी 4 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, उनमें परीक्षा अंकों का औसत 15-20 प्रतिशत तक घटा हुआ पाया गया।

4. डॉ. कविता जोशी (2018) ने अपने शोध में यह रेखांकित किया कि जिन विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का उपयोग मुख्यतः शैक्षणिक उद्देश्यों (जैसे – शैक्षिक वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर, नोट्स साझा करना) के लिए किया, उनका समय-प्रबंधन अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर था। इससे यह सिद्ध होता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बल्कि उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है।

5. डॉ. संजय वर्मा (2020) ने शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों पर तुलनात्मक अध्ययन किया। परिणामों से पता चला कि शहरी विद्यार्थियों में सोशल मीडिया उपयोग का औसत 4.2 घंटे प्रतिदिन था, जबकि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत 2.1 घंटे था। समय-प्रबंधन के स्तर पर भी ग्रामीण विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

6. डॉ. रेखा तिवारी (2022) ने यह पाया कि सोशल मीडिया की लत और ऑनलाइन गेमिंग का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की दिनचर्या पर पड़ता है। समय-प्रबंधन की कमी के कारण न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन गिरता है बल्कि मानसिक तनाव और नींद की समस्या भी बढ़ती है।

7. डॉ. अनिल चौधरी (2017) ने अपने शोध में सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को समय-प्रबंधन कौशल सिखाना अत्यंत आवश्यक है। उनके अध्ययन में पाया गया कि समय-प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित किया और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इन सभी भारतीय अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया उपयोग और समय-प्रबंधन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। संतुलित एवं शैक्षणिक उपयोग विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक हो सकता है, जबकि अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से अध्ययन, स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्ववर्ती शोध इस अध्ययन के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि यह विषय वर्तमान समय की शैक्षिक चुनौतियों में से एक है।

शोध के उद्देश्य:

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन स्तर का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों के सोशल मीडिया उपयोग स्तर को जानना।
3. समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच संबंध का पता लगाना।
4. लड़के एवं लड़कियों के समय-प्रबंधन स्तर में अंतर का विश्लेषण करना।
5. सोशल मीडिया उपयोग के विभिन्न स्तरों (कम, मध्यम, अधिक) का समय-प्रबंधन पर प्रभाव देखना।

परिकल्पनाएँ:

1. समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'नकारात्मक सहसंबंध' होगा।
2. लड़के और लड़कियों के समय-प्रबंधन स्तर में 'सार्थक अंतर' होगा।
3. सोशल मीडिया उपयोग का स्तर विद्यार्थियों के समय-प्रबंधन को 'प्रभावित करेगा'।

अध्ययन का महत्व - यह अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षणिक प्रशासन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह समझने में मदद करेगा कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय-प्रबंधन और अध्ययन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। साथ ही, यह नीति-निर्माताओं को भी डिजिटल शिक्षा और सोशल मीडिया नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

शोध विधि - नमूना (Sample) देवास शहर के उच्च माध्यमिक स्तर के 120 विद्यार्थी (60 लड़के, 60 लड़कियाँ), कक्षा 11वीं और 12वीं से। नमूना पद्धति (Sampling Technique)-यादृच्छिक नमूना (Random Sampling)।

उपकरण (Tools)

1. Time Management Test (TMT) - डॉ. सुधीर कुमार द्वारा विकसित।
2. Social Media Usage Scale (SMUS) - शोधकर्ता द्वारा निर्मित, विश्वसनीयता।

सांख्यिकीय तकनीक (Statistical Techniques) :

- माध्य और मानक विचलन
- Pearson सहसंबंध
- t test
- ANOVA

शोध न्यायदर्श - शोध के दौरान कुछ विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव भी लिए गए। कई विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि वे 'रील्स' और 'गेमिंग स्ट्रीम्स' में इतना समय बिताते हैं कि पढ़ाई का समय कम हो जाता है। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि वे टाइम-टेबल बनाकर सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होती।

आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका 1: शोध नमूना (Sample Distribution)

लिंग (Gender)	विद्यार्थी संख्या	प्रतिशत
लड़के	60	50
लड़कियाँ	60	50
कुल	120	100

तालिका 2: विद्यार्थियों का औसत समय-प्रबंधन स्कोर (Time Management Test – Mean & SD)

समूह	N	माध्य	मानक विचलन
लड़के	60	68.45	7.82
लड़कियाँ	60	72.30	8.15
कुल	120	70.38	8.04

तालिका 3: सोशल मीडिया उपयोग का औसत (Daily Usage in Hours)

उपयोग का स्तर	विद्यार्थी संख्या	माध्य	मानक विचलन
कम (0-2 घंटे)	40	1.8	0.42
मध्यम (2-4 घंटे)	50	3.1	0.51
अधिक (4 घंटे)	30	5.6	0.68
कुल	120	3.3	1.54

तालिका 4: सहसंबंध (Correlation between Time Management & Social Media Usage)

चर	r-मूल्य (r-value)	महत्व स्तर (p-value)	व्याख्या
समय-प्रबंधन स्कोर एवं सोशल मीडिया उपयोग	0.412	0.01	नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध

तालिका 5: t Test (Gender Difference in Time Management)

समूह	N	माध्य विचलन	मानक	t -मूल्य	p-मूल्य	परिणाम
लड़के	60	68.45	7.82	2.46	0.015	अंतर सार्थक
लड़कियाँ	60	72.30	8.15			

तालिका 6: ANOVA (Effect of Social Media Usage Level on Time Management)

स्रोत	SS	df	MS	f-मूल्य	p-मूल्य	परिणाम
समूहों के बीच	525.43	2	262.71	4.52	0.013	सार्थक
समूहों के भीतर	6782.57	117	57.96			
कुल	7308.00	119				

निष्कर्ष :

- विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'सार्थक नकारात्मक सहसंबंध' ($r = -0.412$, $p < 0.01$) विद्यमान है, अर्थात् सोशल मीडिया उपयोग बढ़ने पर विद्यार्थियों का समय-प्रबंधन स्तर घटता है।
- लड़कियों का औसत समय-प्रबंधन स्कोर लड़कों की अपेक्षा अधिक पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे अध्ययन और अन्य गतिविधियों में समय के नियोजन में अधिक सक्षम हैं।
- जिन विद्यार्थियों का सोशल मीडिया उपयोग उच्च स्तर (4 घंटे या अधिक) का था, उनका समय-प्रबंधन सबसे निम्न पाया गया जबकि सीमित उपयोग (0-2 घंटे) करने वाले विद्यार्थियों ने सर्वाधिक संतुलित समय-प्रबंधन प्रदर्शित किया।
- t test के परिणामों ने यह सिद्ध किया कि लिंगानुसार अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समय-प्रबंधन में लिंग एक प्रभावी कारक है।
- ANOVA के निष्कर्षों से यह पुष्टि हुई कि सोशल मीडिया उपयोग का स्तर विद्यार्थियों के समय-प्रबंधन पर 'महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रभाव' डालता है।

सुझाव - अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से 'डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रमों' तथा 'समय-प्रबंधन प्रशिक्षण' से जोड़ा जाए, जिससे वे अपने अध्ययन एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन स्थापित कर सकें। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'वर्कशॉप' और 'काउंसलिंग सत्र' आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग तथा अत्यधिक निर्भरता के नकारात्मक प्रभावों पर

चर्चा हो। अभिभावकों को भी बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके सोशल मीडिया उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए तथा उन्हें उद्देश्यपूर्ण और संतुलित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा नीति एवं पाठ्यचर्या में 'डिजिटल अनुशासन और समय-प्रबंधन कौशल' को शामिल किया जाना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभिक अवस्था से ही इन आदतों को आत्मसात कर सकें। विद्यार्थियों को 'टाइम-टेबल' एवं 'डेली प्लानर' अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे अध्ययन, मनोरंजन और सामाजिक जीवन में संतुलन बना सकें। साथ ही, विद्यालयों में 'मेंटॉरशिप प्रोग्राम' और 'मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएँ' उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को समय-प्रबंधन संबंधी समस्याओं और तनाव का प्रभावी समाधान मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- कुमार, संजीव एवं मिश्रा, राजेश (2019). 'सोशल मीडिया और शैक्षणिक उपलब्धि', नई दिल्ली: अजय पब्लिकेशन।
- शर्मा, प्रीति (2021). 'किशोरों में समय-प्रबंधन: एक अध्ययन' जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
- सिंह, अमित (2020) - Impact of social media on academic life of students- International Journal of Education Research, 45(2), 98-110.
- गुप्ता, अनीता (2020). 'डिजिटल युग और विद्यार्थियों का आत्म-अनुशासन', वाराणसी: ज्ञानगंगा पब्लिकेशन।
- वर्मा, सुनील (2021). 'शैक्षिक मनोविज्ञान और सोशल मीडिया', लखनऊ: यूनिवर्सिटी प्रेस।
- Brown, J., & Larson, R. (2020). Adolescents and time use. *Journal of Youth Studies, 23*(4), 112-128. https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1599173
- OECD (2022). 'Digital education outlook'. [nag: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/19939019](https://doi.org/10.1787/19939019)
- Patel, Jyoti (2022). Adolescents' time management and digital distractions. *Indian Journal of Psychology and Education, 12(1), 55-66.
- चौहान, आर. के. (2021). 'समय-प्रबंधन एवं शैक्षणिक उपलब्धि का सहसंबंध', दिल्ली: शारदा पब्लिकेशन।
- भारत सरकार (2020). 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020', नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

Freedom of Speech Vs. Online Hate Speech in India

Dr. Sunita Shrivastava*

*Professor (Law and Legal Studies) SAGE University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract : The digital revolution has increased India's free speech opportunities and risks. Free expression is protected by Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, yet online hate speech is causing divisiveness, harassment, and even physical violence. Social implications result from technologies that circulate divisive narratives and create online "echo chambers" that legitimize prejudice. To address this problem, India has created a web of constitution, criminal, and IT laws. Definitional issues and selective enforcement restrict these rules' effectiveness. Legislative reformers want clearer standards, appropriate bounds, and government overreach safeguards. This shows that the Supreme Court takes hate speech seriously by requiring proactive FIR filing. Hate speech and social media platforms remain important due to private firms' disproportionate power over public discussion and lack of transparency regarding their moderation and accountability policies. To reconcile constitutional rights with societal protection, stronger legal definitions, proactive monitoring, improved platform administration, and greater digital literacy must be implemented. This article stresses the contradiction between free speech and hate speech in India's digital era and proposes a multi-stakeholder model that balances personal freedom, judicial oversight, technological responsibility, and democratic values.

Keywords: Freedom of Speech, Reasonable Restrictions, Online Hate Speech, Social Media Platforms.

Introduction - Article 19(1)(a) of the Constitution of India mandates that citizens have the right to freedom of expression, which is considered to be one of the most fundamental principles of Indian democracy. [1] It ensures that any and all individuals are free to express their opinions without the fear of being punished for doing so. The United States Supreme Court has referred to this right as "the mother of all liberties" [2] due to the fact that it established the foundation for a democratic society in which all individuals are deemed to be on an equal footing.

Reasonable Restrictions under Article 19(2): The right to free speech does not include everything, despite the fact that it encompasses a lot of area. Article 19(2) specifies necessary restrictions to defend the sovereignty, integrity, security, public order, decency, and morality of the state, as well as to prevent the promotion of criminal behavior, contempt of court, and defamation [3]. By virtue of the fact that speech may be transmitted instantly and has far-reaching repercussions, the delicate equilibrium that exists between freedom and restriction becomes very challenging in the digital era.

Growth of Online Hate Speech in India: Because to the spread of social media, an unprecedented number of individuals are able to have their voices heard with their ideas. On the other hand, the rapid proliferation of hate speech on the internet in India is a consequence of the empowerment that digital technology facilitates. Studies

have shown that religious minorities, women, and underprivileged people are often the targets of hate speech on the internet [4]. This is because online hate speech has the effect of normalizing prejudice and expanding social disparities. The fact that communal misinformation was spread before to elections and that high-profile incidents such as the Bulli Bai and Sulli Deals applications demonstrate how hate on the internet can inflict serious harm [5].

Regardless of whether or not formal complaints have been lodged, the Indian Supreme Court has mandated that states submit First Information Reports (FIRs) against hate speech. This directive was issued in response to the severe nature of the situation [6]. The court has recognized the need of striking a balance between the protection of democratic freedoms and the restriction of speech that is disruptive and puts public safety at risk.

Objectives :

1. To research online hate speech and freedom of expression within the legal framework of India.
2. To evaluate the societal effect and provide well-rounded remedies.

Prevalence Of Online Hate Speech: According to surveys, there has been a concerning increase in the amount of hate speech that can be found on the internet in India. According to a whitepaper published by Microsoft, the frequency of incidents involving hate speech grew by 26%

between the years 2016 and 2020. Religion, along with gender and caste, continues to be the primary focus of attention. Social media platforms such as YouTube, Facebook, and Twitter are perfect for the distribution of controversial information because of the combination of characteristics that include user anonymity, echo chambers, and algorithms that reward content that is contentious. The issue of hate speech on the internet has become an increasingly major problem in India over the last few years, which has resulted in the passage of criminal laws and an increase in worries over the impact it has on society, especially on social media platforms.

There have been a number of factors that have led to the proliferation of hate speech on the internet, including religious disputes, political differences, and the anonymity that the internet allows. A response to this danger has been taken by India, which has enacted criminal legislation with the intention of limiting hate speech on the internet. Social media platforms are supposed to actively strive towards decreasing hate speech, misinformation, and other harmful content in accordance with the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. These rules were formed as a result of the IT Act. Additionally, in order for systems to be in compliance with these standards, they are required to have criticism officers, establish processes for the removal of information, and adhere to an ethical code. As a result of the criticism that has been leveled against the application of these restrictions, concerns over potential censorship and limitations on free speech have been raised. According to groups that are part of civil society, the ideas have the potential to provide the government an excessive amount of jurisdiction to restrict communication online and to stifle opposing viewpoints.

As a consequence of the widespread dissemination of hate speech on the internet, intolerance, discrimination, and acts of violence have grown increasingly prevalent in today's society. Due to the vast reach of social media platforms and the algorithmic amplification they provide, hate speech flourishes on these platforms, which further exacerbates the tensions and differences that already exist in society. People have the confidence to participate in hate speech without fear of penalties when they use the internet because of the anonymity that comes with utilizing the internet. This only helps to further foster the propagation of hate speech. Among the consequences that this has in the real world include acts of violence against members of the community, cyberbullying, and damage to intellectual property that is directed against specific persons and organizations. In order to combat hate speech on the internet, it is necessary to strike a careful balance between safeguarding individuals' rights to self-defense and preventing unnecessary injury. In order to construct robust regulatory frameworks, create a lifestyle that is tolerant and polite online, and promote virtual literacy, it is vital to implement a multi-stakeholder

approach that includes government, civil society, and generational agencies. It is only through the collaborative efforts of its people that India will be able to tackle hate speech on the internet and create a digital world that is more safe and inclusive.

Social Impact On Social Media: Because of the changes in criminal law in India, the social media prison system has been drastically transformed, which has had an effect not only on the framework but also on the users.

There has been a rise in the amount of pressure placed on social media platforms to efficiently display and edit content using their systems. Because of this, platform responsibility is given a high priority. In order to ensure that the new criteria are followed, systems have created technology that filter information automatically and have formed teams of moderators to ensure that they are in compliance. Concerns about censorship and the restriction of free speech have been exacerbated as a result of the fact that institutions are struggling to find a medium ground between maintaining the right of people to free expression and lowering instances of hate speech.

When it comes to the repercussions of indulging in hate speech online, users of social media platforms are more aware of the implications as a result of the legislation amendments. As a result of more stringent regional results, individuals are becoming more careful about the material and language that they use on social media networks. As a consequence of this heightened knowledge, a number of users have started engaging in self-law, while others continue to test the boundaries of what constitutes permissible speech, often putting themselves in danger of legal repercussions for doing so.

We have been able to successfully advocate for more stringent legislative requirements to effectively prevent hate speech on the internet, thanks to the assistance of civil society organizations. Through their efforts, they have advocated for social media platforms to become more transparent and responsible, and they have demanded that these platforms create severe standards and processes in order to successfully address hate speech. As a result of the participation of civil society, the stories of underrepresented groups who have been victims of hate speech online have been amplified, and the debate around social media platforms has become more inclusive.

The modifications that have been made to the prison system in India in order to address hate speech on the internet have been an essential step toward building a safer and more inclusive online world. It is possible that these modifications may reduce the dissemination of hate speech and the adverse impact it has on society. This will be accomplished by holding defensive social media institutions accountable and by boosting the attention of consumers. It is still a difficult task to find a reasonable middle ground between preventing vulnerable businesses from being harassed online and enabling people to express themselves

freely. For the purpose of properly addressing these challenges and cultivating a subculture of appreciation and tolerance inside the digital domain, it is very necessary for the government, social media institutions, civil society, and customers to continue working together.

Legal Framework: At this time, there are no rules in India that particularly address hate speech that occurs online. In spite of the fact that they are subject to challenging conditions, the provisions of the Indian Penal Code (IPC) and the Information Technology Act (IT Act) that are now in effect provide significant protection. On the other hand, Section 153A [7] makes it unlawful to foster hostility among groups, whilst Section 295A [8] makes it illegal to do anything with the intention of offending spiritual emotions. Some people believe that these legal guidelines are too vague and simple to exploit, which will eventually prevent people from expressing themselves in a real manner. Furthermore, in 2015, it was decided that Section 66A [9] of the content Technology Act violated free speech principles, which rendered its power to authorize the removal of content that was deemed to be “offensive” unlawful. An increase in hate speech on the internet has occurred in India in recent years, and it may be attributed to a number of factors, including political conflict, spiritual tensions, and the fast rise of social media. The severity of the issue has prompted the government of India to initiate measures to address the societal impact on the infrastructure of social media platforms and to modify the laws that regulate criminal behavior.

Legal Reforms: The Indian legal system has changed to combat online hate speech. Ministry of Electronics and Information Technology announced the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 to make social media intermediaries responsible for content uploaded on their networks. These standards require corporations to adopt mechanisms to identify and remove unlawful information, including hate speech, within strict timelines. Additional regulations addressing online hate speech have been introduced to the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. For instance, Section 153C of the Indian Penal Code makes it a felony to instigate religious, racial, caste, or community hatred, and it becomes much more unlawful when it leads to violence. Online hate speech in India is rising, prompting new criminal regulations.

1. Legislative Reforms: The Information Technology (IT) Act and the Indian Penal Code (IPC) are two of several anti-hate speech statutes in India. To properly regulate hate speech on the internet and hold offenders accountable, amendments to those statutes were put forth.

2. Section 153A and 295A of IPC: Plans and malevolent deeds meant to incite religious feelings are dealt with by these laws, while selling enmity among separate firms is dealt with by others based on factors such as religion, race, place of birth, home, language, etc. They provide the

groundwork for cases where hate speech is prosecuted.

3. Amendments to the IT Act: Other laws address marketing animosity among distinct enterprises based on variables like as religion, race, place of birth, home, language, etc., whereas these laws deal with plans and malicious activities aimed to provoke religious emotions. For prosecutions including hate speech, they provide the necessary framework.

Supreme Court Directs States To Proactively Register Firs Against Hate Speech:

The Supreme Court of India ordered all states to automatically file First Information Reports (FIRs) for hate speech without a complaint. The court stressed that this injunction applies to all hate speech offenders regardless of religion to protect the nation’s secular character. Hate speech offenders may be charged under IPC 153A, 153B, 295A, and 505A. The Supreme Court advises states to respond quickly to hate speech cases regardless of official complaints to preserve India’s secular ethos. The court has stated that hate speech must be prosecuted under the IPC. The court also ordered all state director generals of police to inform their subordinates of this ruling and warned that law enforcement that disobeys will be in contempt of court. Many supported the court’s ruling to curb hate speech, while others concerned it would restrict free expression. Advocates say we must maintain free speech while fighting hate speech. The authors stressed the need for a balanced approach based on existing hate speech jurisprudence and the rule of law, and they advised against severe measures that may accidentally limit free expression. This decision extends on the Supreme Court’s October rule that hate speech incites communal violence and requires immediate FIR submission. The court’s rulings have indicated its concern for hate speech’s consequences on social harmony and national integrity, as well as its commitment to India’s secularism and unity. Few of the many hate speech reasons are:

1. Social and economic factors: Disparities between wealth and power fuel bigotry [10]. Hate speech is more likely to be perpetrated or aimed at disadvantaged or underprivileged people [11]. A little optimism is all it takes for individuals who have gotten nothing so far to embrace terrible things very fast. As soon as they fall for a ruse, cunning individuals start taking advantage of them. Hysteria is promoted by social elites who take advantage of the situation. Victims deceive those who are good at heart for their own gain.

2. Political Climate: The level of hate speech in a society is significantly affected by political discourse and policy. His goal [13] or the normalization and encouragement of such conduct [12] may be attained by inflammatory political speech. It is very uncommon for political parties, which have differing ideologies, to use their considerable influence to influence public opinion in their favor.

3. Access to Technology: Hate speech has grown at a fast pace due in large part to the expansion of the internet

and social media. Hate speech has found an easy outlet on several internet platforms [14], such as WhatsApp, Facebook, Instagram, and others. On top of that, people may feel more comfortable expressing racist or sexist ideas on these sites since they may remain anonymous and not be held accountable.

4. Group Dynamics: Hate speech may spread quickly in certain communities. Conformity anxiety and peer pressure may amplify hate speech. For instance, the Shiv Sena, Bajrang Dal, Karni Sena, Bheem Sena, and others have disseminated hate speech. Online echo chambers and IRL groups may listen to hate speech. Like-minded persons may influence group members to become more extreme, polarizing them [15].

5. Fear and Ignorance: Hate speech may develop from ignorance about other cultures, beliefs, and origins and fear of the unknown. Other religions or groups may make prejudiced judgments and assumptions about others since they don't know enough. To overcome ignorance and fear, which fuel hate speech, public education and awareness are frequently needed. Promoting cultural and religious knowledge, open-mindedness, and interfaith dialogue may help people overcome their prejudices. Representatives of various organizations and religions must engage in civic debate and mutual learning to reduce misunderstandings and promote tolerance. Media literacy initiatives may also reduce misinformation and bias by educating people to properly evaluate news.

6. Historical and Cultural factors: Cultural and historical biases may perpetuate hate speech. Ancient religious writings and epics often spark this debate. Our holy books and epics form the basis of numerous faiths. Controversies concerning these texts and different interpretations of prior epics cause strife and hate speech. Atheists or secular persons may reject ancient epics' religious tales. Speaking up against superstition may lead to hate speech. When viewpoints on these old epics vary, cultural conflict [16] may occur when one group views another's beliefs as an assault to their cultural identity. Conflicts may lead to hate speech. Due to these prejudices, individuals may use hate speech to degrade and stereotype others. Stop these discrepancies. Everyone thinks as they do.

7. Political and Ideological Extremism: Extremist political and ideological groups may utilize hate speech. A diverse society may lead to tensions and hate speech due to political and ideological differences [17]. Some individuals identify with Sangh Parivar and RSS, while others with Bajrang Dal, Gau Raksha Dal, and Jai Bhim Sena. They may have distinct aims and beliefs, and when they clash, hate speech may help either group. Effective solutions often require tolerance, peaceful political discourse, and the rejection of hate speech for ideological or political gain. Entertainment, Media Entertainment that reinforces unfavorable stereotypes or portrayals of specific cultures may encourage hate speech.

8. Lack of Legal Consequences: When hate speech laws are weak or poorly enforced, some may feel empowered to engage. Because they may think their actions won't be punished. People may not realize the implications of religiously motivated hate speech [18]. Hate speech often results in fines, prison time, or both, however penalties vary by country and region. Hate speech that incites violence or damages others may have greater legal implications. To deter hate speech, the public must be aware of these norms and their consequences and enforce them.

9. Psychological Factors: Psychological factors including racism, intolerance, and the craving for control may also spread hate speech [19]. Hate speech poisons individuals and societies due to a complex combination of psychological factors. These basic mechanisms must be understood to combat hate speech. Hate speech is propagated by psychological factors including power, intolerance, and prejudice. Each of these elements spreads racist and sexist discourse in its own manner. Hate speech is fueled by biases against other groups, whether by race, religion, or ethnicity. Bigots' discriminating rhetoric becomes more widespread when they vent their fury [20]. Intolerant people may hate individuals who are different due to a lack of information or fear of the unknown. Hate speech emerges from intolerance as individuals want dominance. Raising intolerance via hyperbole only deepens disparities and societal tensions.

10. Desire for Power and Control: Hate speech stems from the craving for domination and control. When they feel powerless or rejected, some resort to hate speech to show their dominance. Oppressors may dehumanize their targets using hate speech to gain power. Understanding these psychological factors is crucial to fighting hate speech. Opposing prejudice, promoting tolerance, and addressing power disparities may help destroy hate speech's psychological underpinnings.

11. Global Events and Conflicts: Global conflicts and events may intensify hate speech against some groups in local discourse. Global events and wars may impact domestic discourse, which might increase hate speech against specific populations. As states recover from global events, latent tensions may rise, fostering racist discourse. International events like wars or geopolitical conflicts may increase hate speech at home. When global tensions grow, many become more prejudiced. Frustrations or anxieties about specific groups might generate hate speech. Due to globalization, global events impact local discourse more. As said, social media platforms make hate speech simple to spread, which intensifies internal tensions and enables it to transcend borders. The influence of current events on hate speech requires a nuanced response. Governments and public society must collaborate together to address global crisis-inspired hate speech [22].

12. Echo Chambers and Confirmation Bias: It is possible for hate speech to thrive and even increase inside

closed networks as a result of internet echo chambers and the tendency to seek out data that supports one's present opinions.

Social Media Platforms And Hate Speech: Hindu nationalist groups, organizations, and leaders in India have more outlets than ever to promote their messages and influence voters thanks to social media. X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, and Telegram have helped mainstream Hindu nationalist beliefs and propagate hateful material. It's troubling that this digital mobilization broadcasts and shares in-person hate speech gatherings and activities to Indian and diaspora audiences worldwide. Meta-controlled sites have spread internet violence, especially after Prime Minister Modi's 2014 election [23]. WhatsApp expects 800 million Indian users this year[24], whereas Facebook has around 581 million [25]. There are 392 million Instagram users nationwide. YouTube dominates beyond Meta with 462 million users. 84 million Indians use Telegram, whereas just 27.3 million use X (formerly Twitter) [28]. Facebook whistleblower Frances Haugen called Modi one of the "early ones who weaponized social media," influencing politics and public opinion [29]. Modi's BJP has used shadow accounts [30] and ghost adverts to target Facebook users to increase its electoral chances and cement support for its Hindu nationalist ideology [31]. Additionally, the party and its proxies manage several WhatsApp groups and channels [32].

BJP leaders believe their messaging can reach every state in 12 minutes, running over five million WhatsApp groups (Deccan Herald, 33). Meta's cross-posting across WhatsApp, Instagram, and Facebook has increased social media's influence on politics. Understanding how Big Tech spreads hate speech on their platforms is crucial to understanding hate speech in India. Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal, Antarrashtriya Hindu Parishad (AHP), Rashtriya Bajrang Dal (RBD), Durga Vahini, Hindu Jagran Manch (HJM), Hindu Janajagruti Samiti (HJS), Hindu Rashtra Sena (HRS), Sri Ram Sena, Shiv Pratishthan Hindustan, Hindu Jagaran Vedike, Due to the distinct sites they operate for village units, city chapters, district chapters, state chapters, and individual leaders, these organizations have a widespread digital presence. The internet allows destructive and hostile remarks during marches, rallies, religious processions, and political rallies to reach people worldwide. Huge events may now go far beyond their initial attendees. Hate speech now reaches millions via live streaming or widely circulated video recordings. Thanks to social media, such content may be shared and repurposed long after the event.

Indian social media outlets and the government have overlooked anti-minority hate speech [34]. Hate speech

events in India have been high all year, and these platforms have failed to halt them. This was especially visible during the 2024 national and state elections and after "Hindu genocide" charges in Bangladesh were blown out of proportion following Sheikh Hasina's collapse in August and hate marches in India. Remember that most hate speech was shared and cross-posted on many media. There are several styles for a single event, from an hour-long YouTube or Facebook video to a five-minute Facebook highlights clip to a 30-second Instagram reel or X post. Extremist groups and hate influencers tailor their content to each channel to get the most people. This research examined sites that initially posted film or live streams of hate speech occurrences in person. Facebook, Instagram, and YouTube were our key targets because of their massive Indian user populations and significance in live broadcasting and documenting these events. These channels repackage and broadcast videos on X and Telegram to reach more people.

Hate Speech Trends On Social Media Platforms: During the year 2024, the Human Rights Law Center (IHL) discovered a total of 1,165 instances of hate speech directed at Christian and Muslim communities. There were 995 of these that started on social media, where they were uploaded or broadcast by individuals who were hateful, leaders of the Bharatiya Janata Party (BJP), or by far-right groups.

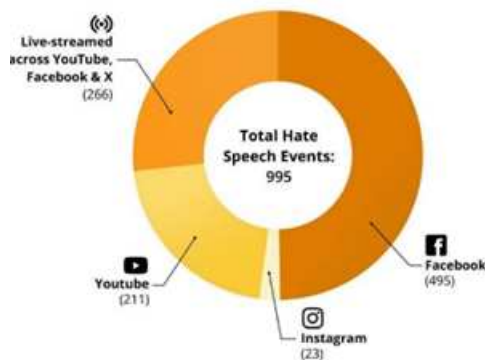


Figure 1: The Spread of Hate Speech on Social Media

A total of 495 of them, which accounts for around 49.8 percent, were solely posted on Facebook, illustrating the dominant role that Facebook has in the dissemination of films that include hate speech. In spite of the fact that 211 videos depicting hate speech incidents were only uploaded to YouTube (21.2%), 23 instances (2.31%) were first published on Instagram when they were first made public. During the general elections that took place in April and June, a total of 266 hate speeches directed at minority groups were found. This represents 26.7% of all speeches detected. These statements were made by prominent members of the ruling BJP, and they were carried live on channels such as YouTube, Facebook, and X.

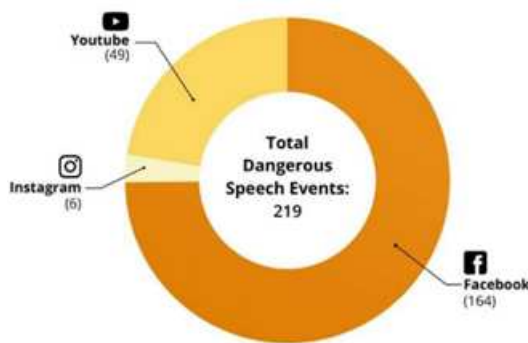


Figure 2: Improper Content On Social Media

More than two hundred and ninety-nine of the 259 instances of abusive speech (including direct encouragement to violence) were first aired or uploaded on social media platforms. 164 of the remarks that were shared were first published on Facebook, which accounts for 74.8 percent of the total. On Instagram, six of the remaining 49 (22.4%) were first posted, while the remaining 49 were uploaded to YouTube. There was a consistent pattern that developed in cases of hate speech, such as when calls for boycotts and calls to arms were issued. Facebook served as the first platform for 70.2% of the 94 remarks on the boycott that were posted online, while YouTube served as the initial site for 27.7% of the talks. Seventy of the 102 remarks that included a call to arms were publicized on social media sites such as Facebook, YouTube, and Instagram. This is 68.6% of the total.

Proposed Solutions: It is necessary to have sophisticated procedures in place in order to deter hate speech via the use of illegal tactics while yet acknowledging the existence of cultural diversity. In the case of India, a country that is highly respected for the quantity and diversity of its cultural traditions, it is of utmost importance to achieve this balance. I will outline the following legal techniques in order to prevent hate speech while maintaining cultural sensitivity throughout the process:

To begin, there must be a legal definition of hate speech that is both specific and comprehensive in order to make it a criminal offense. It is necessary for this phrase to include a broad variety of manifestations that encourage discrimination, hate, or violence against individuals on the basis of their race, religion, ethnicity, gender, or sexual orientation. However, in order to prevent restricting legitimate speech or ancient norms, it is necessary to take into consideration the nuances of culture.

1. Legislative Framework: In order to combat hate speech, India has enacted a number of legislative regulations, including the Information Technology Act and the Indian Penal Code. By modifying or adding certain components to existing laws, it is feasible to reinforce prohibitions against hate speech via the use of the internet and guarantee that their execution takes into account the cultural differences that exist.

2. Penalties that are reasonable: Legal frameworks should provide consequences for breaches of hate speech that are appropriate, taking into account the harm that was caused and the cultural context. By using this strategy, people are held accountable for their actions, but at the same time avoiding consequences that are too harsh and would restrict their right to free expression.

3. Involvement of the Community: In order to get a more comprehensive understanding of the problems that are associated with hate speech, legal procedures have to include the engagement of the community. It is possible that this will assist ensure that criminal interventions are responsive to the interests and values of various groups by making them more customized to certain cultural situations.

4. Facilitating Education and Awareness Campaigns: The implementation of educational programs and awareness campaigns that bring attention to the repercussions of hate speech has the potential to bring about a society that is more accepting and welcoming to people of all backgrounds. It is important that educational programs be sensitive to cultural norms and accessible to all segments of society in order to successfully educate individuals with the ability to detect and counteract hate speech.

5. Regulation of Social Media Platforms: Given the enormous role that social media platforms play in the dissemination of hate speech, it is of the utmost need to enact legislation that target online structures. In India, the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, together with other regulations, have the potential to hold platforms accountable for regulating hate speech while also taking into consideration the importance of cultural sensitivity.

6. Examining the judicial system: The effectiveness of judicial scrutiny is essential to the execution of legislative measures to suppress hate speech in a manner that is both fair and legal. The establishment of legal precedent, the settlement of conflicts, and the safeguarding of individual rights—including, but not limited to, the right to free expression within appropriate cultural parameters—are all very reliant on the court system.

7. Cooperation on a Global Scale: Because hate speech is so ubiquitous, it is very necessary for governments to collaborate in order to resist it. In order to combat hate speech in a manner that is respectful to the plurality of cultures, India may collaborate with other countries and international organizations to exchange information, discuss best practices, and coordinate efforts. By using these criminal strategies, India has the potential to successfully decrease hate speech, foster social fraternity, and safeguard cultural diversity. A complex balancing act is required in order to protect individuals from damage while still maintaining their fundamental rights, such as the freedom of expression, within a framework that is sensitive to cultural norms.

Conclusion : There is a contradiction in India between the

right to free speech and the need to suppress hate speech that is expressed on the internet. The fact that this is the case demonstrates how difficult it is to find a healthy equilibrium between democratic rights and the need to protect underrepresented groups and preserve social harmony. Despite the fact that Article 19(1)(a) guarantees the right to free expression, the constraints outlined in Article 19(2) have now even more significant in light of the digital era. This is because hate speech that is expressed online may swiftly spread via social media, which in turn can lead to violence, prejudice, and division in the real world. Despite attempts to resolve this issue via India's expanding legislative framework, which includes the Industrial Property Code (IPC), the Information Technology Act (IT Act), and other legal developments such as the Intermediary Guidelines, concerns of overreach and censorship continue today. Both the battle against hate speech and the protection of the secular fabric of the country are of the utmost importance, as the Supreme Court has made abundantly clear in its proactive orders. A multi-stakeholder approach that includes the courts, individuals, social media platforms, civic society, and the government is required for long-term solutions. Punitive law alone is not sufficient to achieve this goal. India can enhance the clarity of its laws, boost digital literacy, hold platforms responsible, and foster a culture of tolerance and respect in order to create a welcome online environment where individuals may freely express themselves without fear of punishment. One way to do this is by encouraging a culture of respect and tolerance.

References:-

- Basu, D. D. (2020). Commentary on the Constitution of India. LexisNexis.
- Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248.
- Pattanaik, S. (2021). Freedom of Speech and its reasonable restrictions in India. *Indian Law Review*, 7(1), 112–130.
- Chaturvedi, S., & Singh, R. (2023). Online hate speech and its socio-political impact in India. *Journal of Digital Society Studies*, 12(2), 45–59.
- BBC News. (2022). India apps put Muslim women up for "auction". Retrieved from <https://www.bbc.com/news>
- The Hindu. (2023). SC directs states to register FIRs against hate speech suo motu. Retrieved from <https://www.thehindu.com>
- <https://indiankanoon.org/doc/345634/>
- <https://indiankanoon.org/doc/1803184/>
- <https://indiankanoon.org/doc/170483278/>
- Dhammika Dharmapala and Richard H. McAdams Words That Kill? An Economic Model of the Influence of Speech on Behavior (with Particular Reference to Hate Speech) *The Journal of Legal Studies* by The University of Chicago Press Vol. 34, No. 1 (January 2005), pp. 93-136 (44 pages)
- Nadine Strossen Hate Why We Should Resist It With Free Speech, Not Censorship 2018 P 131
- MICHAEL HERZ, PETER MOLNAR, The Content and Context of Hate Speechrethinking regulation and responses, Cambridge University Press 2012 P329
- Maya MirchandaniDigital hatred, real violence: Majoritarian radicalisation and social media in India observe research foundation aug. 2018, https://www.orfonline.org/research/43665-digital-hatred-realviolence-majoritarian-radicalisation-and-social-media-in-india/#_ednref18
- David Ingram, "Twitter bars tactics used by 'bots' to spread false stories", Reuters, 22 February, 2018.
- Right-Wing Groups Hold Rally For Release Of Vaibhav Raut In Nallasopara", NDTV, 18 August, 2018.
- Samuel Huntington's essay in *Foreign Affairs* in 1993, titled, "The Clash of Civilizations?", hypothesised that in the post Cold-War era, the primary source of global, geo-political conflicts, would arise out of cultural differences as opposed to economic, ideological differences. His writing marked a paradigm shift in how governments and non-state actors view conflict and conflict resolution.
- The Times of India (TOI) describes the Vishwa Hindu Parishad, or VHP as a conservative Hindu nationalist organisation that abides by the ideologies of Hindutva and is often characterized as "militant" for initiating anti-social activities like the Ram Janmabhoomi movement that resulted in demolition of the Babri Masjid. The group was founded by M. S. Golwalkar and S. S. Apte in 1964. It operates on ideology which is "to organize, consolidate the Hindu society and to serve, protect the Hindu Dharma."
- IPC 295 A
- Smith, J. K. The Psychology of Hate. *American Psychologist*, (2018)73(5), 431–444.
- Id.
- <https://www.livemint.com/Opinion/ZAHBp4YDLp1BcCnlluwFON/Hate-speech-and-the-role-of-social-media.html> visited 18/02/2018 at 2:00.
- Smith, A. N., & Johnson, R. Public Attitudes towards Immigrants and Immigration Policy in the United States: The Role of Personal and Collective Threat. *Political Research Quarterly*, (2017). 70(2), 366–379
- Idrees Ali, "Social Media Played Big Role in India's Election," *Voice of America*, June 6, 2014, <https://www.voanews.com/a/social-media-emerges-as-a-key-tool-in-indias-election/1931238.html>.
- Napoleon Cat, "Social Media Users in India - December 2024," *Social media users in India*, 2025, <https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-india/2024/12/>.
- Degenhard, J, "Whatsapp Users in India 2025" (Statista, August 23, 2023), <https://www.statista.com/forecasts/1146773/whatsapp-users-in-india>.

26. Brian Dean, "YouTube Stats: How Many People Use YouTube in 2024?," Backlinko, March 27, 2023, <https://backlinko.com/youtube-users>.
27. Statista Research Department, "Telegram Downloads by Country 2023" (Statista, August 27, 2024), <https://www.statista.com/statistics/1336855/telegram-downloads-by-country/>.
28. World Population Review, "Twitter Users by Country / X Users by Country 2024," World Population Review, 2025, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/twitter-users-by-country>.
29. Deeksha Udupa, "How Advertisers and Investors Can Push Social Media Platforms to Curb Hate Speech and Disinformation," Center for the Study of Organized Hate, November 2, 2024, <https://www.csohate.org/2024/11/02/frances-haugen-big-tech-accountability/>.
30. Ryan Thomas, "How Shadow Accounts on Meta Spread BJP Propaganda in Jharkhand," Caravan Magazine, January 1, 2025, <https://caravanmagazine.in/politics/shadow-accounts-meta-bjp-propaganda-jharkhand>.
31. Sambhav, Kumar, Ranganathan, Nayantara, and Jaliha, Shreegireesh, "Inside Facebook and BJP's World of Ghost Advertisers," Al Jazeera, accessed February 2, 2025, <https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/15/inside-facebookand-bjps-world-of-ghost-advertisers>.
32. Jaswal, Srishti, "Inside the BJP's WhatsApp Machine," Pulitzer Center, May 15, 2024, <https://pulitzercenter.org/stories/inside-bjps-whatsapp-machine>.
33. Madhukalya, Amrita, "50 Lakh WhatsApp Groups and Transmission Anywhere in 12 Minutes — What BJP Is Doing on Social Media for 2024," Deccan Herald, accessed February 2, 2025, <https://www.deccanherald.com/elections/india/political-theatre-bjp-on-social-media-2950186>.
34. Sahana Udupa, "Enterprise Hindutva and Social Media in Urban India," Contemporary South Asia 26, no. 4 (October 2, 2018): 453–67, <https://doi.org/10.1080/09584935.2018.1545007>.

कबीर का समाज दर्शन: मध्यकालीन भारत में एक क्रांतिकारी स्वर

डॉ. राजाराम परते*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बिजावर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्यकालीन भारत में कबीर (14वीं – 15वीं शताब्दी) एक निर्गुण संत कवि थे जिनकी वाणी सामाजिक समता, मानवता और एकात्मवाद पर आधारित थी। उन्होंने जाति-पांति के विभाजन, धार्मिक आडम्बर, पाखंड और अंधविश्वासों की तीखी आलोचना की। कबीर का मूल संदेश था कि सम्पूर्ण मानव एक ही है और परमात्मा एक है। उनकी सरल, साहसी और तर्कपूर्ण भाषा आज भी अत्याधुनिक लगती है। कबीर के दोहे आज भी धर्म निरपेक्षता, सामाजिक समानता और आत्मिक चिंतन के प्रतीक हैं।

शब्द कुंजी – एकात्मवाद, आडम्बर, पाखंड, अंधविश्वास, कटाक्ष, निर्विवाद, उलटबॉसिया, बौराना।

प्रस्तावना

कबीर की वाणी में सामाजिक दृष्टिकोण– कबीर की भाषा में सामान्य मानवता पर बल मिलता है। वे कहते हैं कि सबका जन्म एक समान मार्ग से हुआ है –

**‘एक बूंद एके मल-छूतर,
एक चाँद एक गूदा;
एक जोति तैं सब उत्पन्न,
कौन बरुन कौन सूदा।’**

(मतलब – एक ही माटी से सब उत्पन्न हुए हैं, सब एक ही प्रकाश से निकले हैं।)

कबीर संसार को माया-मृगतृष्णा मानते हैं वे जीवन में दिखने वाले भेद-भाव को अस्थायी और झूठा कहते हैं। उनके अनुसार माता-पिता, जाति, संपत्ति आदि दिखावे हैं, अंततः सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। उन्होंने अंतर्मुखी भक्ति पर जोर दिया। कबीर के लिए पूजा-पाठ नहीं बल्कि ईश्वर की याद और सच्ची भक्ति महत्व रखती है। उन्होंने अपने पदों में कहा है कि शरीर का हृदय और मन यदि परमात्मा में लीन हो जाये तो पूजा का अर्थ बनता है। कबीर हृदय की शुद्धि पर बल देते हुए कहते हैं:-

**‘माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।
करका मनका डार दे, मनका मन का फेर।’**

जाति, धर्म पाखंड और सामाजिक भेद-भाव का विरोध– मध्ययुगीन भारत में वर्ण-व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत प्रबल थी कबीर ने इसे तर्कपूर्ण ढंग से नकारा है।

जाति व्यवस्था– समाज में जाति आधारित भेद-भाव बहुत गहरा था। ब्राह्मणों का उच्च स्थान था जबकि शुद्धों और अछूतों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। कबीर ने इसका कड़ा विरोध किया। वे कहते हैं :-

**‘जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्याना।’**

वे जाति व्यवस्था को मानवता के विरुद्ध मानते हैं उनका कहना है –

‘सबै जाति कहाइ के कहां जाति के बाप।’

धार्मिक पाखंड– तत्कालीन समाज में हिन्दु और मुस्लिम समुदायों में कर्मकाण्ड, आडम्बर और पाखंड व्याप्त थे। कबीर ने हिन्दु मंदिरों और मस्जिदों दोनों की आडम्बर युक्त धार्मिकता की जमकर आलोचना की। हिंदुओं के लिए वे कहते हैं –

‘पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहारा।’

इस दोहे में कबीर का मूर्ति पूजा के प्रति घनघोर विरोध दिखाई पड़ता है। (यदि पत्थर की पूजा से भगवान मिलते तो हम पहाड़ की पूजा करते। इससे तो भली चक्की है जिससे रोटी तो मिलती है)

इसी तरह मुसलमानों के लिए वे कहते हैं –

‘कांकर पाथर जोरि के मस्जिद लई चुनाया।

ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाया।’

कबीरदास ने जन्म आधारित ऊँच-नीच को अनुचित ठहराया और ब्राह्मणों के इस विचार का मजाक उड़ाया। एक दोहे में उन्होंने पूछा:-

**‘काहे को कीर्जे पाण्डे छूत विचार,
छूतही ते उपजा सब संसारा।’**

इसके माध्यम से कबीर ने दिखाया कि समाज में छुआछूत और जाति भेद बेमानी है। कबीर ने कहा कि हिन्दु राम का नाम लेते हैं और मुसलमान रहमान का, फिर भी दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। उनका तर्क था कि एक ही सर्वेश्वर है, जिसे हिन्दु राम, मुसलमान अल्ला या रहमान कहता है।

सामाजिक भेद-भाव पर विद्रोह– कबीर ने छोटे और बड़े का विचार खत्म करने की बात कही है। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक सामान हैं इसलिए जाति या वर्ण के आधार पर किसी को नीचा नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने ऊँच-नीच को अंधविश्वास कहा और इसे तोड़ने के लिए काव्य को हथियार बनाया।

मध्यकालीन भारतीय समाज की संरचना एवं कबीर – मध्य युगीन भारत में समाज वर्ण और धार्मिक पहचान पर आधारित था। हिन्दु समाज में वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि) सख्ती से लागू थी, और निम्न वर्ण समाज की मुख्य धारा से वंचित था। दूसरी ओर उस समय उत्तर भारत में इस्लाम भी फैल चुका था कई निम्न जातियों ने इस्लामिक संस्कृति

स्वीकार की थी। इस प्रकार दोनों ओर जाति आधारित सामाजिक विभाजन था, साथ ही साम्प्रदायिकता का भी विष भी फैल रहा था। कबीर खुद निम्न जाति के जुलाहा परिवार में जन्में थे, जो हाल में इस्लाम स्वीकार कर चुका था। यद्यपि उनके गुरु वैष्णव सनातनी रामानंद थे। कबीर अपनी इच्छा से किसी भी सम्प्रदाय से बंधे नहीं रहे। इसलिए हिन्दु मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का अनुभव होने के कारण दोनों धर्मों के रूढ़ियों से परिचित थे। उनकी वाणी में दोनों धर्मों के प्रति सम्मान देखा जा सकता है। वे राम और रहीम को समान रूप से देखते थे। दोनों की कट्टर प्रथाओं पर एकसमान व्यंग्य करते थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखण्ड और दोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। इनकी रचनाओं में उत्तर और मध्यभारत के भक्ति आंदोलन को गहरे तक प्रभावित किया। उनके बारे में कथन है:-

‘भक्ति द्राविण उपजी, लाये रामानंद

परगट किया कबीर ने, सात दीप नौ खण्ड।’

कबीर एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके जीवन काल के दौरान हिन्दु और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर का जीवन शान्तिमय था। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सहजता, साधु स्वभाव के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर है।

कबीर का समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी स्वरूप – कबीर भारतीय एवं परंपरा के एक ऐसे अद्वितीय संत हैं जिनका व्यक्तित्व समाज सुधारक और क्रांतिकारी दोनों रूपों में दिखाई देता है उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जब भारतीय समाज जातिवाद, धार्मिक पाखण्ड, अंधविश्वास और सामाजिक विषमता से ग्रस्त था। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली कुुरीतियों का तीव्र विरोध किया। कबीर ने स्त्री-पुरुष, अमीर-गरीब, उच्च-नीच सबको एक समान माना और भेद-भाव का विरोध किया। नारी सम्मान की वकालत करते हुए उन्होंने नारी को केवल भोग्या नहीं बल्कि जीवन की जन्मदात्री और साथी माना।

कबीर ने निडर होकर दोनों धर्मों के ठेकेदारों की अलोचना की। उन्होंने मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, रोजा-नमाज, वेद पुराण आदि की सार्थकता पर प्रश्न उठाया। कबीर बिना किसी भय के समाज की गहरी बुराईयों पर चोट करते रहे:-

‘साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाया

सार-सार को गहि रहे, थोथा देई उड़ाया।’

मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध करते हुए कबीर कहते हैं -

‘पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूंजू पहार

घर की चाकी कोई न पूजे, जा की पीसे संसारा।’

तीर्थ यात्रा के संबंध में कबीर कहते हैं :-

‘तीर्थ गए तो क्या भया, मन न बदला आपा

मन ही मन को मारिये, यह तीरथ सबसे आपा।’

रोजा नमाज के संबंध में कबीर कहते हैं -

‘हरि को भजे सो हरि का होई, मुसलमान का करे निवाज।

दिल भीतर का जो न सांचे, ताको झूठी रोजा नमाज।’

वेद पुराण की सार्थकता पर प्रश्न करते हुए कबीर कहते हैं -

‘पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोई।

ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।’

मानव धर्म के पक्ष में उन्होंने ईश्वर को मंदिर-मस्जिद में न मानकर हर जीव में देखा है -

‘माटी एक धरती सबका, एक ही है देह।

कह कबीर सुनो भाई सार्थी, राम बसे सब मेह।’

कबीर का कवि स्वरूप और समाज सुधारक चरित्र जुड़कर उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व बनाते हैं। उन्होंने अपने उग्र और व्यंग्यपूर्ण दोहों से भ्रष्ट सामाजिक मूल्यों पर चोट की। इसलिए कई विद्वानों ने उन्हें निर्विवाद रूप से समाज सुधारक माना है। कबीर की कविताओं में कटु व्यंग्य और विद्रोह का स्वर है। उन्होंने उन अनैतिक रीति रिवाजों को तोड़ा जो समाज में बुरी प्रथाएं बन चुके थे।

कबीर की विचारों की प्रासंगिकता – कबीर केवल एक संत नहीं थे वे एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने मानवता प्रेम, समानता और सत्य के आधार पर समाज को नया दृष्टिकोण दिया। कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में भी जातिवाद, साम्प्रदायिकता और पाखण्ड फैले हुए हैं वर्तमान युग में उनके दोहों को लेकर अलग-अलग चर्चा होती है क्योंकि उनकी सीधी और साहसी भाषा सतत सत्ता और सामाजिक बुराईयों पर प्रश्न खड़ा करती है। आज जहां राजनीति में साम्प्रदायिकता बढ़ रही है और समाज में नये-पुराने भेद दिखते हैं, वहीं कबीर के उपदेश शांति, मानवता और एकता का मार्ग दिखाते हैं। कबीर कहते हैं-

‘साधो, देखो जग बीराना...

हिंदु कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना.....

आपस में दऊ लड़े मरत है मरम कोई नाहि जाना।’

उनका यह दोहा आज के साम्प्रदायिक दंगों पर चोट करता है और बताता है कि दोनों धर्म सत्य से दूर झूठे नामों के बहाने एक-दूसरे से लड़ते हैं। उनकी विचारधारा को वर्तमान लेखकों एवं शिक्षाविदों ने भी स्वीकार किया है। आधुनिक भारत के सामाजिक आंदोलन में कबीर के विचार प्रेरणा देते हैं कि जाति-धर्म भेद और पाखण्ड को त्यागकर मानवता धर्म अपनाया चाहिए।

निष्कर्ष – मध्यकालीन समाज के कट्टर विभाजन और पाखण्ड के बीच कबीरदास ने सभ्यता बदलने वाली बात कही है। उनकी वाणी में जाति-धर्म के आधार पर बनाए गए भेद-भाव को खुलकर चुनौती दी है। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और दिखावों को सबके सामने लाकर उखाड़ फेंकने का कार्य किया है। परिणामस्वरूप कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाजसुधारक और क्रांतिकारी विचारक भी माना गया। आज भी उनकी रचनाओं में प्रेरणा के स्रोत हैं जो हमें मानव धर्म की याद दिलाते हैं। कबीर की जाति-वादी व्यवस्था के विरोधी विचारों ने बाद में दलित आंदोलन को प्रेरित किया। डॉ. धर्मवीर भारती समेत कई आधुनिक दलित विचारकों ने कबीर को अपना मार्गदर्शक माना है। कबीर की वाणी ने ही दलितों में आत्मसम्मान और संघर्ष की चेतना भरी। उन्होंने धर्म, साम्प्रदायिकता के सीमित बंधनों से ऊपर उठकर सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। इतिहासकार हरवंश मुखिया के अनुसार कबीर ने ‘प्रतिद्वंद्वी ईश्वर की अवधारणा को छोड़कर एक सार्वभौमिक ईश्वर की परिकल्पना दी।’

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. www.ebooks.inflibnet.ac.in
2. www.thewirehindi.com

भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजया लक्ष्मी जोशी*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तुत शोध आलेख में लैंगिक समानता को परिभाषित कर डॉ. भीमराव अंबेडकर के भारत में लैंगिक समानता हेतु किए गए प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कर वर्तमान में भारत में लैंगिक समानता की यथार्थ स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। लैंगिक समानता को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत् विकास हेतु पाँचवा लक्ष्य निर्धारित कर 2030 तक संपूर्ण विश्व में लैंगिक समानता लाने हेतु समस्त विश्व को प्रतिबद्ध किया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर एक न्यायविद, समाज सुधारक, संविधान निर्माता, राजनेता होने के साथ साथ महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकारों के कट्टर समर्थक भी थे। 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा - 'मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ।'

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 1936 में जोगिनी एवं देवदासी प्रथा की आड़ में महिलाओं के यौन शोषण को रोकने हेतु इन प्रथाओं को बंद करने हेतु आवाज उठाई। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम **Mines Maternity Benefit Act** के अधीन खान में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के समान वेतन एवं प्रसूति अवकाश का प्रावधान कर लैंगिक समानता में अपना अनूठा योगदान दिया। हिंदू कोड बिल भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसके अधीन उन्होंने एकल विवाह, महिलाओं को पुरुषों के समान तलाक, दत्तक, संपत्ति में अधिकार हेतु उपबंध कर भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने 'यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार' लागू कर भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाया, उनके प्रभाव के कारण समान वेतन अधिनियम 1976, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित हुए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने एवं उन्हें विशेषाधिकार दिलाने हेतु विभिन्न अनुच्छेदों जैसे- अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 16(1), 23, 39, 42, 46, 51-क(ड), 243घ(3), 243न(3) में उपबंध कर भारत में लैंगिक समानता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'मूक नायक' एवं 'बहिष्कृत भारत' जैसे समाचार पत्रों की स्थापना कर तत्कालीन भारत में व्याप्त महिला विरोधी कुप्रथाओं के खिलाफ इन समाचार पत्रों में लेख लिखकर इन कुप्रथाओं को बंद करने में अपनी महती भूमिका निभाई।

शब्द कुंजी - लैंगिक समानता, भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान, वर्तमान भारत में लैंगिक समानता की वास्तविक स्थिति, विश्लेषणात्मक अध्ययन।

लैंगिक समानता का अर्थ - लैंगिक समानता को विभिन्न अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है-

संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार - लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं और पुरुषों, बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर प्राप्त होना है।

यूनिसेफ के अनुसार - लैंगिक समानता का अर्थ है कि महिलाओं और पुरुषों, लड़कियों और लड़कों को समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं, संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा का आनंद प्राप्त हो।

लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि महिलाएँ और पुरुष एक ही तरह के हो जाएंगे। बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि पुरुषों और महिलाओं के अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अवसर उनके लिंग पर आधारित नहीं होंगे। अर्थात् लैंगिक समानता का तात्पर्य यह है कि स्त्री-पुरुष में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

जिस प्रकार किसी तराजू में दोनों तरफ बराबर भार रखने पर वह संतुलित होता है, ठीक उसी तरह किसी भी समाज व राष्ट्र में संतुलन बनाने के लिए वहाँ पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य समानता होना आवश्यक है। लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा समाज है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को जीवन के सभी चरणों में समान अवसर, निष्पक्षता और दायित्वों का आनंद मिलता है। वे सभी समान हैं यदि उनके पास समान अवसर, वित्तीय स्वतंत्रता, शिक्षा तक समान पहुँच, नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, रुचियों, प्रतिभाओं को विकसित करने के समान अवसर हैं। लैंगिक समानता को एक मौलिक मानवाधिकार एवं सतत् विकास के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त एवं संकेतक के रूप में माना जाता है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अधीन 17 सतत् विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता को पाँचवा लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज के विकास के लिए लैंगिक

समानता अत्यंत आवश्यक है चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, खेल के क्षेत्र में।

भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान – प्राचीन भारतीय रूढ़िवादी एवं पितृसत्तात्मक समाज में अनेक कुप्रथाएँ जैसे- सति प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, आदि व्याप्त थी, इसके अतिरिक्त भारतीय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, पिता एवं पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार, मतदान का अधिकार, पुरुषों के समान तलाक का अधिकार, किसी बालक को गोद लेने का अधिकार नहीं था। नौकरीपेशा स्त्रियों को अपने समान कार्य करने वाले पुरुष श्रमिकों के समान न तो वेतन मिलता था, ना ही उन्हें प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध थी एवं उनकी कार्य की दशाएँ उनकी शारीरिक क्षमता के अनुकूल न होकर अमानवीय थी। इस प्रकार तत्कालीन भारत में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय एवं पार्श्विक थी, वह केवल उपभोग का साधन मात्र थी। अतः तत्कालीन भारतीय समाज में लैंगिक समानता नाममात्र भी विद्यमान नहीं थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर तत्कालीन भारत में महिलाओं की इस दयनीय स्थिति से बेहद आहत थे, उन्होंने समाज सुधारक, राजनेता, विधिमंत्री एवं भारतीय संविधान निर्माता के रूप में कार्य करते हुए महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, कानूनी तौर पर उन्हें विभिन्न अधिकार प्रदान कर सशक्त करने में एवं अनेक महिला विरोधी कुप्रथाओं का दमन करने में अहम भूमिका निभाकर भारत में लैंगिक समानता लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसे निम्नांकित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है-

- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने समाचार पत्रों '**मूकनायक**' और '**बहिष्कृत भारत**' में महिला उत्पीड़न एवं अन्य महिला केन्द्रित मुद्दों पर विस्तार से लिखकर भारतीय जनता एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जाग्रत किया। 'मूकनायक' तथा 'बहिष्कृत भारत' ने भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण काफी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों '**The women and the counter revolution**', '**The rise and fall of hindu women**' में भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को यथार्थ रूप से चित्रित किया जो उनकी लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- उनके विचारों से प्रभावित होकर स्त्रियों ने उनके साथ अनेक आंदोलनों जैसे- **महाइ सत्याग्रह कालाराम मंदिर सत्याग्रह**, में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो कि 1930 में नासीक में हुआ था, उसमें 500 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। 1928 में उनसे प्रभावित होकर महिलाओं ने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमाबाई की अध्यक्षता में 'वुमन एसोसिएशन' की नींव रखी, 1940 में उनसे प्रभावित होकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए 'All India Depressed Classes Mahila Federation' का गठन किया गया। उनसे प्रेरित होकर तुलसीबाई नामक महिला ने 'चोखा मेला' नामक समाचार पत्र शुरू किया तथा डेविड नामक व्यक्ति जो एक वैश्यागृह का दलाल था उसने वह निकृष्ट कार्य छोड़ दिया (Singariya, 2014, p.3)। उन्होंने बालविवाह, देवदासी, जोगिनी जैसी कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया।

- उन्होंने बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए Maternity Benefit Bill को पुरःस्थापित किया तत्पश्चात श्रममंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पूरे देश के लिए '**Mines Maternity Benefit**

Act' पारित कराकर सर्वप्रथम भारत में खानों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को प्रसूति अवकाश एवं उन्हें पुरुष श्रमिकों के समान वेतन का अधिकार प्रदान किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य रहते हुए उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए हितकारी प्रावधान जैसे- महिला श्रमिकों का खतरनाक कार्यों के लिए नियोजन का प्रतिषेध, उनके काम के घण्टे कम करना इत्यादि किए। बाद में उन्हीं की प्रेरणा से समान वेतन अधिनियम 1976, वुमन लेबर प्रोटेक्शन एक्ट आदि पारित किए गए जो भारत में लैंगिक समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण कारक साबित हुए।

- उन्होंने '**यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार**' संविधान के द्वारा लागू कर भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार दिलाया। आजादी के पहले केवल 13 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को मतदान देने का अधिकार था, तब भी उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की मांग रखी।

- स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारत में लैंगिक समानता लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान '**हिन्दू कोड बिल**' था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने एवं उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने वाला हिन्दू कोड बिल 1951 में संसद में पेश किया। हिन्दू कोड बिल के मुख्यतः दो उद्देश्य थे- पहला महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, दूसरा भारतीय हिन्दू समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त करना। तत्कालीन हिन्दू समाज में पुरुषों को बहुविवाह करने की स्वतंत्रता थी, स्त्रियों को न तो शिक्षा का अधिकार और ना ही पिता एवं पति की सम्पत्ति में कोई उत्तराधिकार प्राप्त होता था, वे अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकती थी, उन्हें किसी बालक को गोद लेने का अधिकार नहीं था। हिन्दू कोड बिल में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों की पार्श्विक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए-

1. हिन्दू कोड बिल में हिन्दू पति एवं पत्नी को तलाक के समान अधिकार के साथ-साथ स्त्रियों को अपने पति से तलाक लेने के लिए अतिरिक्त आधार दिए गए। (धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम)
2. इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा कर एकल विवाह के नियम को उपबंधित किया गया। (धारा 5, 17 हिंदू विवाह अधिनियम)
3. इसमें स्त्रियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। (धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम)
4. इसमें हिंदू पत्नियों को अपने पति से भरण-पोषण का अधिकार प्रदान किया गया यहाँ तक कि वे अपने पति से तलाक के बाद भी एवं बिना तलाक के उचित कारण से अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण-पोषण प्राप्त कर सकती थी।
5. इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम हिंदू पत्नियों को पतियों के समान दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना एवं न्यायिक पृथक्करण का अधिकार प्रस्तावित किया गया। (धारा 9, 10 हिंदू विवाह अधिनियम)
6. इसके द्वारा हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार एवं उन्हें अपने पिता तथा पति की संपत्ति में उनकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया।
7. इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई।
8. इसमें हिंदू स्त्रियों को पुरुषों के समान किसी भी जाति के बालक को गोद लेने का अधिकार तथा विधवा महिलाओं को दत्तक लेने का

अधिकार प्रदान किया गया।

किन्तु दुर्भाग्य से यह बिल पास न होने के कारण अंबेडकर जी ने अपने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा कदम भारत में लैंगिक समानता लाने की उनकी प्रबल ईच्छाशक्ति को दर्शाता है। तत्पश्चात् तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को चार भागों हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 में बाँटकर पारित किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 एक हिन्दू स्त्री को अपनी संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी घोषित करती है इससे पूर्व उन्हें अपने जीवन पर्यन्त तक संपत्ति के केवल कब्जे एवं उपभोग का अधिकार था वे उसे अपनी ईच्छानुसार व्ययन नहीं कर सकती थी उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसके पति के वारिसों में चली जाती थी जो उसके पूर्ण स्वामी कहलाते थे। हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6क हिन्दू स्त्री को अपने 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक घोषित करती हैं। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन एक अविवाहित स्त्री तथा एक विवाहित स्त्री को अपनी ओर से किसी बालक को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया है।

● संविधान की प्रारूप समीति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय महिलाओं को पुरुषों के समान स्थिति में लाने के लिए उनके प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाने एवम् उन्हें सशक्त करने हेतु उन्हें विशेषाधिकार प्रदान कर लैंगिक समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध इसका जीवंत साक्ष्य है-

1. अनुच्छेद 14 में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।
2. अनुच्छेद 15(1) में केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है।
3. अनुच्छेद 15(3) राज्य को केवल महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति देता है।
4. अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य ठहराए जाने एवं उसके साथ भेदभाव किए जाने का प्रतिषेध करता है।
5. अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन महिलाओं को यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण से पीड़ित महिला को प्रतिकर का अधिकार, महिलाओं की अपनी ईच्छा से विवाह करने एवं संतान उत्पन्न करने का अधिकार जैसे कई अधिकार प्रदान किए गए हैं।
6. अनुच्छेद 21क 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों जिसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
7. अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है जिसमें महिलाओं की खरीद-फरोख्त, उनका अनैतिक व्यापार, वैश्यावृत्ति आदि शामिल हैं।
8. अनुच्छेद 39(क) पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का, अनुच्छेद 39 (घ) पुरुष और स्त्रियों

को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित कराने का राज्य को निर्देश देता है।

9. अनुच्छेद 39 (इ) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो।
10. अनुच्छेद 42 में राज्य को काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने एवं महिला कर्मचारों हेतु प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश दिया गया है।
11. अनुच्छेद 44 में राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्म की महिलाओं हेतु समान अधिकार सुनिश्चित कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी। संविधान सभा में जब बॉम्बे राज्य के सदस्य मीनू मसानी के द्वारा एक समान सिविल संहिता को संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया तो डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया किन्तु बहुसंख्या में इसके विरोध के कारण इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल करना पड़ा।
12. संविधान के भाग 4क मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51क(इ) में सभी भारतीय नागरिकों पर यह मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
13. अनुच्छेद 243घ(3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
14. अनुच्छेद 243घ(4) में ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का उपबंध किया गया है।
15. अनुच्छेद 243न(3) में प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का एवं अनुच्छेद 243न(4) में नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का उपबंध किया गया है।
16. अनुच्छेद 325 में केवल लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का प्रतिषेध किया गया है।

इस प्रकार भारतीय संविधान में न केवल उन्होंने महिलाओं को समानता की गारंटी दी अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति देकर लैंगिक समानता को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाई।

निष्कर्ष एवं सुझाव - निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में लैंगिक समानता की नींव डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रखी गई थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए तत्पश्चात् लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अनेक अधिनियम जैसे- धरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1976 आदि पारित किए गए एवं महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ जैसे- उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, लाइली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरुष की गई किन्तु फिर भी

हम डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के भारत में पूर्णतः लैंगिक समानता लाने के स्वपन को साकार करने में विफल रहे हैं वर्तमान में भी भारतीय स्त्री घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बालविवाह, बलात्कार, कार्यस्थल पर असुरक्षा तथा यौन शोषण, भेदभाव का शिकार हो रही हैं। **जेंडर गैप रिपोर्ट 2023** के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में कुल 146 देशों में से **127वें** स्थान पर रहा। **World Inequality Report 2022** के अनुसार भारत में कुल श्रमिक आय में पुरुषों का हिस्सा **82%** जबकि महिलाओं का हिस्सा केवल **18%** है। ILO के अनुसार भारत में महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले 35% तक कम वेतन प्राप्त कर रही है। अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र महिला की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में भारत 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर था। इन विषम परिस्थितियों में लैंगिक समानता लाने के लिए हमारे भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन करने, लैंगिक समानता का समर्थन करने वाले कानूनों को कड़ाई से लागू करने एवं वर्तमान युवा पीढ़ी में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Drishti IAS (2022, August 20). भारत में महिलाओं की स्थिति. <https://www.drishtiiias.com/hindi/daily-news-editorials/status-of-women-in-India>.
2. Datta, Runi (2019). Emancipating and Strengthening Indian Women: An Analysis Of B.R. Ambedkar's Contribution. *Contemporary Voice Of Dalit*, 11(1), 25-32.
3. Menndiratta M. & Pandey S. (2020). DR. B.R. AMBEDKAR AND WOMEN EMPOWERMENT IN MODERN INDIA. *Journal for law students and Researchers*, 1(4).
4. मिस्बाह (2023ए December 6). आजाद भारत में अंबेडकर ने रखी लैंगिक समानता की नींव. रविवार विचार. <https://ravivarvichar.in/nazariya/b-r-ambedkar-feminism-indian-women-right-to-vote-divorce-property-rights-gender-equality-1779758>.
5. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण (2009). भारत का संविधान. इलाहाबाद. सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी.
6. केसरी, डॉ. यू. पी. डी. (2019). हिन्दू विधि. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स.
7. NEXT IAS Content Team (2024, February 21). भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता. <https://www.nextias.com/blog>.
8. Singariya, M.R. (2014). Dr. B.R. Ambedkar and women empowerment in India. *Quest Journals, Journal of Research in Humanities and Social Science*, 2(1), 1-4.

उच्च शिक्षण संस्थानों का आर्थिक विकास में योगदान मध्य प्रदेश के मालवा के आगर मालवा जिले एवं निमाड़ के खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. मितेश चौधरी* सपना सोनी**

* सह प्राध्यापक, महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, स्कूल ऑफ कॉमर्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्य प्रदेश का मालवा और निमाड़ क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान इन क्षेत्रों में स्थानीय आर्थिक विकास के प्रमुख कारक बनकर उभरे हैं। इन संस्थानों का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को सशक्त करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस शोध पत्र में, हम उच्च शिक्षण संस्थानों के इन क्षेत्रों में योगदान की गहराई से विवेचना करेंगे, विशेषकर उनके द्वारा उत्पन्न आर्थिक लाभ, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय उद्यमिता पर उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर, यह अध्ययन विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शब्द कुंजी – उच्च शिक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाएं

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है यह गौरव भारत को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी प्राप्त हैं। आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाता है। इस प्रक्रिया का केन्द्रीय उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का उंचा और बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त करना होता है। किसी देश के विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता है। मानवीय संसाधनों के विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है। उच्च शिक्षा देश के आर्थिक विकास के जरिये आम जनता के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देती है। एक शक्तिशाली समाज तथा एक समर्थ व जीवंत अर्थव्यवस्था के निर्माण करने की दृष्टि से शिक्षा के व्यापक उद्देश्य और भूमिका को दरकिनार कर सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बाजार शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया है। इन नीतियों के फलस्वरूप देश में उपाधि प्राप्त बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई है, जो चिंताजनक है। किसी भी समाज अथवा राज्य की शिक्षा उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक, आर्थिक विकास होता है। शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक वातावरण तैयार करती है जिससे राष्ट्रीय विकास होता है।

1. मध्य प्रदेश – म.प्र. भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। म.प्र. 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 14 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. की साक्षरता 70.60% थी जसमें पुरुष साक्षरता 80.5% व महिला साक्षरता 60.0% थी। वर्ष 2017 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 114,418 प्राथमिक और

माध्यमिक विद्यालय और 3851 उच्च विद्यालय व 4765 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं।

2. मालवा – मालवा महाकवि कालिदास की धारती हैं यहां की धारती हरी – भरी धन धान्य से भरपूर रही हैं। मालवा ज्वालामुखी के उदगार से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल है। पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचिन काल से ही एक स्वतंत्र राजनैतिक इकाई रहा है। मालवा के अधिकांश भाग का गठन जिस पठार के द्वारा हुआ है उसका नाम भी इसी अंचल के नाम से मालवा का पठार है यह वर्तमान में लगभग 47760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसके अंतर्गत धार, झाबुआ, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगर, मंदसौर, सिहौर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा आदि जिले आते हैं।

3. निमाड़ – निमाड़ मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर स्थित है। इसकी भौगोलिक सीमाओं में निमाड़ के एक तरफ विन्ध्य पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा हैं, जब कि मध्य में नर्मदा नदी है। पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद कहलाता था। बाद में इसे निमाड़ की संज्ञा दी गयी। फिर इसे पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के रूप में जाना जाने लगा। निमाड़ का जिले के रूप में गठन ब्रिटिशराज में नेरबुव डिवीजन में हुआ था जिस का प्रशासनिक मुख्यालय खण्डवा में था। निमाड़ अंचल में निम्न जिले आते हैं-बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन। निमाड़ क्षेत्र में निम्न शहर आते हैं –बड़वाह, बड़वानी, बुरहानपुर, हरसूद, खंडवा, खरगोन, जूलवानिय, बमनाला, भीकनगांव, मूँदी, सनावद।

साहित्य का पुनरावलोकन

इस अध्ययन ने शिक्षा संस्थानों की भूमिका, गुणवत्ता, और प्रभाव को मापने के लिए मूल्यांकन मापकों का उपयोग किया है। विशेष रूप से, उच्चतर

शिक्षा संस्थानों के छात्रों की उपयोगिता और तकनीकी क्षमताओं के प्रतिपादन की गुणवत्ता पर विचार किया गया सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। इस अध्ययन ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों और आयोज्यता में सुधार के प्रत्येक पहलु को भी उजागर किया है। इस अध्ययन के परिणामों की समीक्षा भारतीय सरकार, शिक्षा नियामक निकायों, और शिक्षा प्रशासनिक निकायों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। इस अध्ययन के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थान पर विचार किया जाना चाहिए और इसे समर्पित करने के लिए उच्चतर शिक्षा सेक्टर में सुधारों के लिए नीतियों और योजनाओं की विकास की जरूरत होती है (आर. एस., 2010)।

‘यह शोध उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्ययन में सृजनात्मक तत्वों का उपयोग किया गया है जो शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास को समझने में मदद करते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों और दिशा निर्देशों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जो संस्थानों को उनके आर्थिक विकास की सुगमता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में सृजनात्मक तत्वों का प्रयोग किया गया है जो शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास को समझने में मदद करते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में नई सोच, नई दिशानिर्देश और उद्देश्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जो संस्थानों के आर्थिक विकास की सुविधा में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके विभिन्न हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने आर्थिक विकास को बेहतर बनाने के लिए उपाय निर्धारित करने में मदद मिल सकती है गुप्ता, 2012।

इस अध्ययन में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आर्थिक विकास में भूमिका के परिदृश्य को भारतीय संदर्भ में जांचा गया है। यह शोधपत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के आर्थिक मापदंडों, वित्तीय संसाधनों, सरकारी नीतियों और संगठनात्मक ढांचे का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य है, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास की समझ बढ़ाना और उनके लिए आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रदान करना। इस अध्ययन का अवलोकन भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने की संभावना प्रदान करता है यादव, और गोयल, 2014।

शोध की परिकल्पना

$H_0(1)$: उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका नहीं निभा रही हैं।

$H(1)$: उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं।

शोध के उद्देश्य :

1. उच्च शिक्षण संस्थाएं किस प्रकार मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में भूमिका निभाती हैं व किस प्रकार उसे प्रभावित करती हैं।

‘शोध कार्य के अंतर्गत शोध हेतु, शोध क्षेत्र के रूप में ‘मालवा एवं निमाड़’ के निम्न जिलों व उनकी शासकीय शिक्षण संस्थाओं को लिया गया जिनका वर्णन निम्नानुसार है’

मालवा	निमाड़
आगर मालवा जिला	खरगोन जिला

शोध कार्य हेतु आगर मालवा जिले के निम्न शासकीय महाविद्यालयों को शोध क्षेत्र के रूप में लिया गया :-

तालिका क्रमांक 1: शोध कार्य हेतु चुने गए आगर मालवा जिले के शासकीय महाविद्यालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला
1.	नेहरू स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय	आगर मालवा	आगर मालवा
2.	शासकीय महाविद्यालय	बडोद	आगर मालवा
3.	शासकीय महाविद्यालय	नलखेड़ा	आगर मालवा

शोध कार्य हेतु खरगोन जिले के निम्न शासकीय महाविद्यालयों को शोध क्षेत्र के रूप में लिया गया -

तालिका क्रमांक 2: शोध कार्य हेतु चुने गए खरगोन जिले के शासकीय महाविद्यालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला
1	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	खरगोन	खरगोन
2	शासकीय महाविद्यालय	मंडलेश्वर	खरगोन
3	शासकीय महाविद्यालय	सनावद	खरगोन
4	शासकीय महाविद्यालय	सनावद	खरगोन

समंको का संकलन

शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक समंको का एकत्रीकरण, साक्षात्कार व सामाजिक माध्यम के द्वारा ऑनलाइन, प्रश्नावली भरवाकर किया गया। उपरोक्त जिलों के अंतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों से 500 उत्तरदाताओं में से 480 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिउत्तर का चयन किया गया। अन्य प्राप्त प्रतिउत्तर अधूरे व संतुष्टि जनक नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिए गए।

फैक्टर विश्लेषण- विश्लेषणात्मक

वर्तमान शोध अध्ययन मालवा-निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उच्च शिक्षण संस्थाएं जो उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं, को केन्द्रित करते हुए प्राथमिक समंकों के आधार पर निष्कर्ष ज्ञात किये गये जिन्हें सत्यापित करने के लिए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया तथा परिकल्पनाओं का निम्नानुसार सत्यापन किया गया है

सर्वप्रथम प्रश्नावली में 40 प्रश्नों को लिकर्ट तालिका के माध्यम से SPSS-26.0 सॉफ्टवेयर में अध्ययन हेतु रखा गया। इसके अंतर्गत चर विश्लेषण के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कारकों का फैक्टर लोडिंग के आधार पर मान ज्ञात किया गया। ऐसे कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत करने में समक्ष हैं। KMO o Bartlett's टेस्ट का प्रयोग करने का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि शोध अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़े व प्रश्न विश्लेषण के लिए उपयुक्त है या नहीं ? साथ ही यह चर के स्तर की विश्वसनीयता की जाँच भी करता है। KMO का मान 0-6 से अधिक आने पर ही शोध-अध्ययन को आगे बढ़ाया जा सकता है। DF (Degree of Freedom) का मान 0-6 से उपर होना चाहिए व Significance, 0.05 से कम होना चाहिए। एक प्रश्न का मान 0-5 से अधिक होने पर ही अध्ययन किया जाना संभव होता है।

तालिका 3: KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.898
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	12783.791
	Df	780
	Sig.	.000

तालिका क्र. 3 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि KMO टेस्ट का मान 0-898 है, जो 0-6 से अधिक है जो उच्च स्तरीय संबंध को प्रकट करता है। Bartlett's टेस्ट का मान 12783.791 है, जो 40 प्रश्नों के आधार पर ज्ञात हुआ है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का मान 5-0 से अधिक होना चाहिए, जो कि अधिक है व Model of fitness में आँकड़ों की समर्थता को प्रदर्शित करता है। Significance का प्राप्त मान 0-000 है जो कि 0-05 से कम है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्राप्त आँकड़ों के मान के माध्यम से शोध अध्ययन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का विश्लेषण को चर के लिए घुमावदार कारक मैट्रिक्स तालिका 4 में दिया गया है।

तालिका 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 4 में सामान्य कारक गुणांक के मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व है। निकाले जाने वाले कारक की संख्या 5 है। अनुपात जो उच्चतम लोडिंग है (= 0-50) प्रत्येक कारक में समूहीकृत किया जाता है। अंतिम कॉलम कम्युनिटी (एच) है, यह फैक्टर द्वारा समझाया विवरण है।

शोध परिकल्पना का मूल्यांकन

प्रश्नावली की विश्वसनीयता तालिका क्रमांक 5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.893	40

मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसके अन्तर्गत जनसांख्यिकी डाटा के अलावा 40 प्रश्नों को स्केल पर आधारित करके प्रश्नावली की विश्वसनीयता का आँकलन किया गया। प्रश्नावली की विश्वसनीयता का मान 0.893 अभिप्राय है 89.3 प्रतिशत प्रश्नावली विश्वसनीय है, जिसका सत्यापन क्रानवेक अल्फा द्वारा किया गया है, अतः परिणामस्वरूप प्रश्नावली के विश्लेषण को आगे बढ़ाया जा सकता है।

H(1): उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं।

तालिका क्रमांक 6 One-Sample Test आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थाओं की महती भूमिका

	Test Value = 0					
	T	Df	Sig.	Mean	95% Confidence Interval of the Difference	
			(2-tailed)	Difference	Lower	Upper
आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थाओं की भूमिका	16.012	479	.000	1.71800	1.6615	1.7545

उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं यह जानने के लिए टी-टेस्ट परीक्षण का उपयोग किया गया है।

टी-टेस्ट की तालिका के अनुसार सार्थकता मान .000<.05 है, व टी-टेस्ट का परिकल्पित मान 16-012 स्वतन्त्र कोटि 1 पर है, जो कि सारणीकृत मान 1-96 से अधिक है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि परिकल्पना $H_0(1)$: को स्वीकार नहीं किया जा सकता, अतः यह कहा जाएगा की उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं को स्वीकृत किया जाता है अतः परिकल्पना $H_1(1)$ सत्य सिद्ध होती है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारी अध्ययन ने स्पष्टता से दिखाया है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं न केवल शैक्षिक क्षेत्र में अपना कार्य सम्पन्न कर रही हैं, बल्कि उनका सकारात्मक प्रभाव राज्य के आर्थिक संदर्भ में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अपने सकारात्मक योगदान के माध्यम से राज्य को विकसित करने में सहायक हो रहे हैं। इस निष्कर्ष के माध्यम से हम यह स्थापित करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थाएं अनेक आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के अवसरों, और आम जनता के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम समाप्त होने पर हम यह कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और इसे और बढ़ावा देने के लिए संबंधित स्कीमों और नीतियों की आवश्यकता है।

शोध निष्कर्ष - शोध के उद्देश्यों के आधार पर शोध विश्लेषणों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है -

1. शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा लोगों को एक अवसर प्रदान करती है जिससे वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मसलों पर सोच-विचार कर सकते हैं। इससे उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए योजना बनाने और कार्यवाई करने की क्षमता मिलती है, जो आर्थिक सुधार और सामाजिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा ने उन लोगों को सशक्त किया है ताकि वे समाज में ठोस योजनाओं और समृद्धि के प्रति सजग हो सकें, जिससे भारतीय मार्केट में निवेश करने के लिए उनके निर्णयों को भी सकारात्मक रूप में प्रभावित किया जा सकता है।

2. अध्ययन के परिणामों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उच्च शिक्षा का प्रायोजन व्यक्ति के जीवन में उच्च मूल्यों के विकास से जुड़ा है। उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करता है, बल्कि उसका व्यक्तिगत और सामाजिक मौद्रिक विकास भी होता है। यह शिक्षा व्यक्ति को समृद्धि, समर्पण, और सामाजिक सद्भावना की दिशा में प्रेरित करती है, जिससे उसका जीवन सार्थक और समर्थनयायक बनता है। इस तरह, उच्च शिक्षा व्यक्ति को न केवल व्यापक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उसे एक समृद्ध और समर्थनयायक समाज का हिस्सा बनाती है।

3. शोध के तथ्यों से ज्ञात होता है कि एक अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल मध्य प्रदेश में उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है। शिक्षित जनसंख्या के साथ जुड़े कारकों और आर्थिक विकास के बीच मिलान का सामरिक संबंध स्पष्टता से दिखता है कि शिक्षा मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती है और इसे उच्च उत्पादकता की दिशा में पुनर्निर्धारित कर सकती है। यह नतीजा निर्धारक भूमिका निभाता है और आगे की नीतियों और योजनाओं को बनाने में सहायक हो सकता है जिससे

शिक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान - प्रश्न उठता है कि वे कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करने की कवायद शिक्षक-शिक्षा को करनी है। इसका उत्तर देने के लिए शिक्षा के समक्ष जिन क्षेत्रों से चुनौतियाँ सामने आ रही हैं अथवा भविष्य में और तीव्र होकर सामने आने की आशंका है उन्हें तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ हैं। हम जानते हैं कि 1992 के बाद भारत की आर्थिक नीति में कई मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में व्यय की जा रही धनराशि का विश्लेषण, लागत और लाभ के आधार पर किया जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं से अपने संसाधन स्वयं जुटाने की बात की जा रही है और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अंतिम चुनौती भरा क्षेत्र राजनीतिक है। यद्यपि अपने देश में लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली प्रचलित है तथापि नीतिगत अस्पष्टता अथवा व्याख्या भिन्नता के कारण कभी-कभी कुछ व्यवधान आ जाते हैं। आंतरिक एवं बाह्य दबाव समूह भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आंतरिक स्तर पर राजनैतिक दल तथा बाह्य स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं दबाव समूह का कार्य करती हैं जिससे नीतियों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।

उपसंहार - शोध अध्ययन के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मालवा निमाड क्षेत्र के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास में भी भरपूर योगदान प्रदान करती है। उच्च शिक्षा, जो उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही है, समाज में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विद्यार्थियों को न केवल विशेषज्ञता क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कार्य करती है। उच्च शिक्षा के माध्यम से विकसित किए गए कौशल और ज्ञान का उपयोग समाज के समस्त क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, और सामाजिक विज्ञान। इसके परिणामस्वरूप, यह एक समृद्ध समाज की दिशा में बदलाव लाने में मदद कर सकती है और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। बढ़ती तकनीकी निर्भरता के युग में, विद्यार्थियों को मूल्यपरक रोजगारों की दिशा में शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तकनीकी उन्नति और विकास ने नौकरी के क्षेत्रों में नए मानकों को स्थापित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरीयों की मांग बढ़ा दी है। विद्यार्थियों को उच्चतम स्तर की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र रूप से नए और सुगम मार्गों की ओर बढ़ सकें। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि वे समाज में भी

सकारात्मक रूप से योगदान देंगे। समृद्धि और विकास के पथ पर चलने के लिए, उच्च शिक्षा से जुड़े कौशलों और ज्ञान को मजबूत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक व्यक्ति को उसके चयनित क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि समृद्धि के पथ में पूरे समाज को भी साथ लेने में सहायक होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://www.allresearchjournal.com/archives/2020/vol6issue2/PartE/6-11-146-542.pdf>
2. <https://ncert.nic.in/textbook/pdf/ihss102.pdf>
3. Meyer, Milton Walter. (1976). "A Short History of the Subcontinent". South Asia. pages no. 1, ISBN 0-8226-0034-X)
4. <http://www.census2011.co.in/census/state/madhya+pradesh.html>
5. http://www.educationportal.mp.gov.in/Public/Schools/ssrs/State_School_Block.aspx?MP=1
6. <https://educationforallinindia.com/issues-challenges-indian-education-system-is-facing/>
7. गुप्ता, मनीष. (2012). उच्चतरशिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास में भूमिका: एक सृजनात्मक अध्ययन। अर्थशास्त्र विभागीय अध्ययन, 15(3), 78-92).
8. <https://hi.wikipedia.org/wiki/मध्य-प्रदेश×शिक्षा>
9. <https://hi.wikipedia.org/wiki/मालवा×मुख-स्थान-एवं-नगर>
10. <https://hi.wikipedia.org/wiki/निमाड>
11. <https://highereducation.mp.gov.in/>
12. <http://hindimedia.in/depending-on-the-quality-of-higher-education/?print=print>
13. Mohun P. Odit, K. Dookhan and S. Fauzel (2010) The Impact of Education On Economic Growth: The Case Of Mauritius. International Business & Economics Research Journal. Volume 9, Number 8, pp.141-145
14. प्रकाश, आर. एस. (2010). उच्चतर शिक्षा संस्थानों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान: एक अध्ययन। अर्थशास्त्र अनुसंधान, 12(2), 45-62).
15. <http://www.socialresearchfoundation.com/upload/researchpapers/6/161/1708190841091st%20ravindra%20modi.pdf>
16. यादव, सुरेशचन्द्र, और गोयल, सुशील. (2014). उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आर्थिक विकास में भूमिका: भारतीय परिदृश्य। शिक्षा सांख्यिकी, 17(1), 34-48)

तालिका 4: घुमावदार कारक मैट्रिक्स

स.क	प्र.क्र	विवरण	कारक 1	कारक 2	कारक 3	कारक 4	कारक 5	कम्युनिटी (एच)
1	8	गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना	.915					.792
2	6	सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन	.911					.765
3	5	पुराने शिक्षण नियम एवं नीति में बदलाव	.890					.726
4	1	उच्च शिक्षण संस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध	.887					.585
5	7	सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मसलों पर सोच-विचार	.881					.805

6	9	बढ़ती तकनीकी निर्भरता के समय में विद्यार्थियों को मूल्यपरक रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना	.876				.834
7	2	उच्च शिक्षण क्षेत्र के विकास में योगदान	.864				.785
8	3	सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा	.850				.847
9	10	अधोसंरचनात्मक ढाँचे में बदलाव की आवश्यकता	.829				.773
10	15	आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका	.792				.704
11	14	आर्थिक उदारीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों से अपेक्षाएँ	.770				.891
12	4	शिक्षा से संबंधित बनाए गए नियम एवं नीतियाँ	.750				.903
13	5	शिक्षा के क्षेत्र में परिदृश्य बहुत तेजी से बदला	.741				.577
14	12	व्यक्ति के जीवन में उच्च मूल्यों का विकास	.739				.613
15	11	अकादमिक गतिविधियों को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने का प्रयास	.735				.650
16	30	शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार		.763			.497
17	29	सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा		.725			.706
18	36	शिक्षकों को रोल-मॉडल बनने का अवसर		.638			.745
19	26	आर्थिक वृद्धि और विकास में सकारात्मक योगदान		.634			.687
20	19	आवश्यक कौशल और ज्ञान		.611			.669
21	27	प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे शैक्षिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग		.538			.674
22	40	कल्याणकारी राज्य को प्रगति करने और अन्य विकासशील और विकसित राष्ट्रों के साथ तालमेल		.505			.680
23	33	उच्च शिक्षा देश की संस्कृति को गढ़ने का हथियार		.500			.591
24	21	साक्षरता दर में वृद्धि			.738		.727
25	22	व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता			.719		.706
26	28	उच्च शैक्षिक प्राप्ति के स्तर से नवाचार और उद्यमिता में वृद्धि			.644		.592
27	16	रोजगार के अवसर			.630		.619
28	23	नीतियों को आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में शिक्षा को प्राथमिकता			.612		.507
29	37	समाज में 'भावी पीढ़ी-निर्माण'			.602		.634
30	31	'अर्न व्हाइल यू लर्न' योजना				.698	.644
31	34	विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रोजेक्ट आवंटित करना			.676		.647
32	39	सरकार का सम्मिलित प्रयास			.650		.509
33	35	शिक्षण प्रणाली में शिक्षकों को भी अपने विकास का मौका			.645		.685
34	32	'अर्न व्हाइल यू लर्न' योजना को जनभागीदारी के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता			.640		.670
35	38	आर्थिक नीतियाँ और शिक्षा के लिए धन का आवंटन			.634		.571
36	25	आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त				.790	.538
37	24	उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग				.785	.557
38	20	आय असमानता को कम करने में मदद				.767	.535
39	18	शिक्षा में निवेश				.765	.672
40	17	उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास				.732	.488

(स्रोत:- प्राथमिक समंक)

स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास

डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा* जागेन्द्र कुमार कुशवाहा**

* अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) म.गा.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (हिन्दी) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – स्वसहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर अध्ययन करने पर स्वसहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। छोटी-छोटी बचत करके वह गरीबी निवारण में अपनी भागीदारी निभाती हैं। स्व सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण की अटूट कड़ी है। समूह में सम्मिलित सदस्य छोटे उद्योगों व रोजगार कार्यों के लिए ऋण लेते हैं और इस ऋण का प्रयोग अगरबत्ती, पापड़ अचार, मुरब्बा, रेडी टू ईट आदि बनाने में करते हैं। इसके साथ ही आपसी लेन-देन भी करते हैं। इन सभी कार्यों में उनका सहयोग सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएं महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग करते हैं। ग्रामीण बैंक के सहयोग से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास, शांति, आत्मसम्मान व सजगता भी बढ़ी है।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में महिलाएं विश्व की आबादी की आधी जनसंख्या का तथा एक तिहाई श्रम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। विश्व के कुल निरक्षरों में तीन में से दो महिलाएं हैं। 50% महिलाएं खाद्य उत्पादन के कार्यों में लगी हैं। महिलाओं की स्थिति में वर्तमान समय में सुधार हुआ है। स्वयं सहायता समूह का आशय 15-20 सदस्यों का समजातीय समूह होता है, जो अपनी सामान्य समस्याओं के लिए समूह बद्ध होते हैं एवं स्वेच्छिक आधार पर बचत करते हैं और इस बचत से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपसी समस्याएं सुलझाते हैं और आपसी लेनदेन के द्वारा जो ब्याज प्राप्त होता है उससे अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि गरीबी निवारण एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास है।

महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को एक मजबूत मंच मिला है। महिलाओं में जागरूकता आई है वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई हैं और प्रत्येक क्षेत्र में सहभागी हो रही हैं कई गाँव में महिलाएं सरपंच एवं पार्षद हैं। देश में महिलाएं सांसद, विधायक, मेयर के पद में भी हैं। महिलाओं के आत्म-विश्वास में वृद्धि हुई है। अपने गाँव की छोटी-छोटी समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लेती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि- 'नारी यदि दृढ़ता का कवच और ले तो संसार की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।'

आज की महिलाओं ने जिन उपलब्धियों को स्पर्श किया है उसके लिए महात्मा गांधी ने कहा है कि- 'एक लड़की की शिक्षा लड़के की शिक्षा की अपेक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है, परंतु लड़की शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है।' इच्छा एक ऐसा कारगर हथियार है जो सामाजिक विकास को गति देता है।

आन्ध्रप्रदेश के 33 कस्बों के 150 उत्तरदाताओं से मिली जानकारी के द्वारा मौलिक व सहायक तथ्यों से यह निकला है कि सशक्तिकरण की प्रत्येक जगह जैसे- शिक्षा, रोजगार और आजादी में जागरूक और उत्पादों के निर्माण कौशल से जुड़ी महिलाओं ने उन महिलाओं से अच्छा प्रदर्शन किया है जो जागरूक और उत्पादन कौशल योजनाओं से जुड़ ही नहीं पाई हैं

(नरसिम्हा एस. 1997)

उद्देश्य:

1. स्वसहायता समूह का परिचय व गतिविधियों की जाँच करना।
2. स्वसहायता समूह द्वारा महिलाओं में जागरूकता के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
3. स्वसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को ज्ञात करना।

अध्ययन पद्धति – स्वसहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण प्राथमिक स्रोत पर आधारित है जो कि अनुसूची प्रणाली की मदद से किये गये साक्षात्कार द्वारा प्राप्त हैं। जिसमें की समूह के सदस्यों की साधारण जानकारी, आय, बचत समूह सदस्यता व लोन संबंधी प्रश्न हैं।

हमने सतना जिले के 5 स्वसहायता समूह के 60 सदस्यों का यादृच्छिक नमूना तकनीकी के आधार पर चयन किया है। जो गाँव हमने चुने हैं वो रेऊसा, चन्द्रकुइया, अमकुई, जसो, दुरेहा आदि। इन गाँवों में स्वसहायता समूह सफलतापूर्वक कार्यरत है। आकड़ों के संकलन हेतु अनुसूची का प्रयोग किया गया है और आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत के माध्यम से किया गया है?

तालिका क्रमांक- 1: स्व सहायता समूह के कार्य एवं सदस्य

क्र.	समूह का नाम	समूह सदस्य संख्या	समूह के कार्य	उत्तरदाता
1	सरस्वती समूह	11	पापड़, अचार	12
2	कृष्णा समूह	32	डेयरी	12
3	ओम साई-2	20	मध्याह्न भोजन	12
4	जाग्रति स्वयं सहायता समूह	15	सब्जी विक्रय	12
5	दुर्गा समूह	12	मिर्च, मसाला, अचार	12
	कुल			60

प्राथमिक स्रोत पर आधारित कुल स्वसहायता समूह सदस्यों में 60

सदस्यों को निदर्शन के रूप में चुना गया है और उनका चुनाव उनके कार्य के आधार पर किया गया है हर समूह से 12 सदस्यों का चुनाव किया गया है।

आयु स्वसहायता समूह सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी है। युवा और कम उम्र के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में अधिक हिस्सा लेते हैं।

तालिका क्रमांक-2: स्वसहायता समूह के सदस्यों की आयु समूह

क्र.	समूह का नाम	उत्तरदाताओं की सीमा	प्रतिशत
1	20 से कम आयु के लोग	6	10
2	21-30 आयु	30	30
3	31-40 आयु	15	25
4	41- 50 आयु	3	5
5	51 से अधिक	6	10
	कुल	60	

प्राथमिक स्रोत पर आधारित- 20 से कम आयु के लोग 10 प्रतिशत एवं 21-30 वर्ष के लोग 30 प्रतिशत और 31 से 40 वर्ष वाले 25 प्रतिशत, 41 से 50 वर्ष वाले 5 प्रतिशत, 51 वर्ष से अधिक के 10 प्रतिशत हैं। और ये स्थानीय समस्याओं का समाधान ज्यादा करते हैं।

तालिका क्रमांक-3: स्वसहायता समूह से जुड़ने से पहले व बाद में सदस्यों की मासिक आय

क्र.	मासिक आय	समूह सदस्यता से पहले		समूह सदस्यता के बाद	
		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	बेरोजगार	24	40	2	3.33
2	500 से कम	10	16.67	25	41.67
3	501 से 1000	12	20	5	8.33
4	1001 से 1500	5	8.33	20	33.33
5	1501 से 2000	6	10	3	5
6	2000 से अधिक	3	5	5	8.33
	कुल	60	100	60	100

प्राथमिक स्रोत पर आधारित- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि समूह में जुड़ने से पहले सदस्यों की आय क्या थी और समूह सदस्यता के बाद आय में बढ़ोत्तरी किस प्रकार हुई। समूह में जुड़ने से पहले बेरोजगारी का प्रतिशत 40 % था जो सदस्यता के बाद 3.33 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार मासिक आय में समूह में सदस्यता से पहले और सदस्यता के बाद परिवर्तन दिखाई पड़ता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव- महिलाओं की गरिमा व अस्तित्व को बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं जो समय-समय पर महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं लेकिन इसके बाद भी महिलाएं शोषण का शिकार, गरीब और पीड़ित हैं। इसलिए आशावादी परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राज्य और केन्द्र सरकार से आग्रह है कि महिला विकास कार्यक्रम में तेजी लाए और पर्याप्त बजट की व्यवस्था करें।

1. उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वसहायता समूह के बैंक लिकेज से वह स्वयं आत्मनिर्भर हुए हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।
2. समूह में आर्थिक सशक्तिकरण से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सुधार हुआ है।
3. महिलाएं अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हुई हैं।
4. स्वसहायता समूह से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

सुझाव:

1. जो स्वसहायता समूह ठीक कार्य करें और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. सरकारी योजनाओं को स्वसहायता समूह को अवगत कराना चाहिए।
3. बैंक की लोन प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।
4. महिलाओं के विकास हेतु जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. ठाकुर, डॉ. हंसराज, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दशाएँ एवं दिशा, 2013
2. कुजुर, डॉ. ज्योति, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वसहायता समूह का आर्थिक विशेषण सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में।
3. योजना- अंक अप्रैल 2012

वन्या कहानी संग्रह में आदिवासी स्त्री चरित्र के जीवन का यथार्थ चित्रण

हिमांशु नागदा* डॉ. विजयलक्ष्मी पोद्दार**

* शोधार्थी (हिंदी) तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) एम.के.एच.एस. गुजराती गर्ल्स कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आदिवासी स्त्री भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी आधुनिक लोकतांत्रिक अवधारणाएँ आज भी कल्पना लोक के विषय हैं। लेखिका ने अपने संग्रह में आदिवासी स्त्री की अस्मिता से जुड़े विभिन्न प्रश्नों को कहानी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। स्त्री मन की त्रासदी, घुटन व अस्मिता की रक्षा हेतु प्रयत्नरत एवं पुरुष प्रधान समाज के तले दबते व्यक्तित्व को झेलती स्त्री का यथार्थ चित्रण संग्रह में बखूबी किया गया है। मेरे शोध पत्र में मनीषा कुलश्रेष्ठ की वन्या कहानी संग्रह की आदिवासी स्त्री के जीवन में बिलखते संघर्ष की यथार्थता की पड़ताल करने का प्रयास हुआ है। जहाँ स्त्री अपने स्वाभिमान की लड़ाई वर्षों से लड़ती आ रही है, उसने अपना सर्वस्व श्रम, मजदूरी और ममत्व में ही निकाल दिया है। भेदभाव, अंधविश्वास और अशिक्षा के अंधेरे में वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ते दिखाई दे रही हैं। लेखिका का यह नवीनतम संग्रह आदिवासी स्त्री जगत के विभिन्न ज्वलंतशील मुद्दों को उठाता है। सुमिता के स्वावलंबी होने, कुरजां द्वारा आत्मरक्षा करने, गजाला और लुबना द्वारा कला के क्षेत्र में नारी के लिए समाज की बदलती सोच की उम्मीदें रखना, सुरमन और प्रिश्का का अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करना, अनचाहे जीवन पथ में मिति का स्वाभिमानी बनना तथा लीलण के यौन शोषण व बेनु के एथलीट खिलाड़ी बनने के संघर्ष को यथार्थ धरातल पर मोतियों की भांति बिखेरता लेखिका का ये संग्रह बड़ा मार्मिक बन पड़ा है। शिक्षा, आधुनिकता व भौतिकता से दूर होने के कारण आदिवासी स्त्री परंपरागत स्त्री की तरह ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के साये में जीने को अभिशप्त है।

शब्द कुंजी – आदिवासी, समाज, स्त्री, साहित्य, यथार्थता, संघर्ष, शोषण, आत्मनिर्भर, कला, सम्पत्ति, असुरक्षा, अस्मिता, गरीबी, असहाय।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में आदिवासी स्त्री के सम्मुख स्त्री-अस्मिता का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। स्त्री-अस्मिता की लड़ाई, स्त्री स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय समाज में स्त्री अस्मिता का प्रश्न आधुनिक चेतना का प्रश्न है। आधुनिक स्त्री को जब अपनी भारतीय परम्परा में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है तब वह अपनी परम्परा की तलाश करती हुई इतिहास में लौटती है और अपने को स्थापित कराना चाहती है। आदिवासी महिलाओं के सामने यह समस्याएँ दुगुनी हैं। साहित्य में इन महिलाओं का चित्रण न के बराबर हुआ है। आदिवासी आंदोलनों पर एक नजर डाले तो आदिवासी स्त्रियों ने उसमें बड़ चढ़कर भाग लिया है किंतु किताबों में इन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है। आदिवासी लेखन और उससे संबद्ध स्त्री विमर्श में अभी तक 'स्वानुभूति बनाम सहानुभूति' जैसी बहस केंद्र से दूर परिधि के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। खड़िया आदिवासी लेखिका डॉ. रोज केरकेटा इस संदर्भ में कहती हैं- 'आदिवासी शिष्ट सात्पी में स्त्री श्रम, सहिष्णुता और ममत्व से पूर्ण तो मिलती है लेकिन अपने लिए और परिवार के लिए निर्णय लेती हुई कम मिलती है। वह जीने के लिए कठिन परिश्रम करती हैं, देश-परदेश जाती हैं, सेवा करती हैं, स्वयं को नहीं दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए।'¹

हिंदी साहित्य में एक मुखर और महत्वपूर्ण स्वर मनीषा कुलश्रेष्ठ अपनी कहानियों के द्वारा स्त्री की वास्तविक स्थितियों को सामने लेकर आई हैं। उनकी कहानियों में शोषण, मानसिक तनाव, घुटन, छटपटाहट, आरोप, लांछन और झूठी मर्यादाओं को ललकारने की कसमसाहट इत्यादि का वर्णन

किया गया है जो सीधे तौर पर औरत के जीवन को प्रभावित करते हैं। आदिवासी स्त्री की व्याख्या करते हुए लेखिका पुस्तक की भूमिका में वन्या का परिचय देती हैं- 'वन्या जानते हैं न जंगल से गुजरने वाली नदियों को कहते हैं, जहाँ उनका बहाव उन्मुक्त होता है मगर बाधाएँ भी कम नहीं होती चाहे वे बीच में पहाड़ों चट्टानों से टकराकर झरनों में बदल जाए या कहीं किसी पुल में बांध दी जाए, अवरुद्ध कर दी जाए मगर वह प्रभावित होती रहती हैं चाहे उन्हें फिर पत्थर के अंतस से राह बनानी पड़े। यह सुस होकर फिर जगाती हैं और बहती हैं। इस कथा संकलन की कहानी भी ऐसी ही स्त्रियों की हैं।'²

'वन्या' कहानी संकलन आदिवासी स्त्री संघर्ष की कथाएँ हैं जो रूढ़ अर्थ में आदिवासी विमर्श की कथाएँ नहीं हैं आदिवासी जीवन की कहानियों को आप यूँ ही नहीं कह सकते। उसके लिए वही आदम परिवेश, सरल किंतु वही भाषा एवं शैली, भाषा के साथ गीतात्मकता, पैतृक से मिले कहन-कथन, वही थिरकन, पेड़ों और पशुओं से प्रेम और सखा भाव तथा वन के प्रति चिंता भी लानी होगी।

वन्या संकलन की 'नर्सरी' कहानी एक सतरंगी गेंद (जिसे बार-बार धोए जाने पर उसका रंग हल्का होने लगा) के चाय बागान और उसके आसपास भटकने के बहाने जीवन के भटकावों से हमारा परिचय कराती है। इस कहानी में आदिवासी स्त्री जीवन को प्रस्तुत किया है जिसे चाय बागान की स्थाई कामगार आदिवासी स्त्रियों, बच्चों की देखभाल तथा पालना घर की इंचार्ज लड़की के रूप में बताया गया है। संधाल, उराव, गोंड, मुंडा जैसी

जनजाति वाली कामगार आदिवासी स्त्रियां जिनकी पिछली पांच छः पीढ़ियां इन्हीं बागानों में जन्मी खर्पी और मर गई। उनके हाथ पारंगत थे, पैरों में गरम लहू बहता था। वे अपने काम के प्रति इतनी सजग हो चुकी कि अब उन्हें अपने मालिक और मैनेजर का कोई भय नहीं रहता। विरासत में मिला यह डर अब आदत बन गया था। यहां लेखिका ने मालिक नौकर व्यवस्था पर तंज कसते हुए आदिवासी स्त्रियों को लेकर कहानी में लिखा है- 'वे पैर धूल-धूसरित थे मगर उनमें गरम लहू बहता है, यह बात जोंके ज्यादा अच्छी तरह जानती थी, बजाए मालिकों और मनीजर साहबों के। वे उतना ही खून चुसती थी जितने में उनका पेट भर जाता।'³

कहानी की एक पात्र सुमिता है जो पालना-घर की इंचार्ज रूप में आदिवासी कामगार स्त्रियों के बच्चों का देखभाल करती हैं। सुमिता एक स्वतंत्र ख्यालों वाली स्वावलंबी लड़की हैं जो सात सौ रुपए महीने कमा कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। उसका मित्र सुमिता के जीवन को बेकारी का जीवन समझता है। वह कहता है 'सात सौ रुपए महीने के इस बेकार काम का घमंड कर रही हैं? इन अधनंगे मजदूर बच्चों में दिन खपा देती हैं।'⁴

शहर से लगे गांव में भी जब कही सुनाई बातों पर विश्वास किया जा सकता है तो फिर यह तो आदिवासी और जंगली इलाका है। सुमिता की मां जब सुमिता के शहर जाने की बात सुनती हैं तो उसे एक स्कूल वाली दीदी की बात याद आती है वह कहती थी कि 'लड़कियों को शहर ले जाकर बेच देते हैं और...'⁵ इससे यह स्पष्ट होता कि जो रुढ़ मानसिकता सदियों से बना रखी है वह इतनी शीघ्र समाप्त होने से रही।

सुमिता उन सुंदर गहरे रंग के चाय के झाड़ो को देखती हुई अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं। शायद उस चाय के झाड़ की सुंदरता के नीचे की काली छाया को देखकर। 'एक सौ साठ साल लंबी विडंबना के बारे में जब उसकी परनानियों-परदादियों को अंदरूनी आदिवासी इलाकों से यहां लाया होगा, जहां उनका कोई नहीं था। जहां वे लगभग बंदी थे, जहां उन्हें जानबूझकर इतने अभावों में रखा कि पुश्तें की पुश्तें अपने हाथों बस पतियां तोड़े और इन्हीं हाथों से चार निवाले निगलकर यही हाथ सिरहाने लगा कर फर्श पर सो जाएं।'⁶ इस कहानी के चाय बागानों के हरे समुद्र में एक नहीं दो दुनिया बसती हैं, एक मिस्टर घोष और मिसेज घोष जैसी तो दूसरी सुमिता जैसी अन्य आदिवासी स्त्रियों वाली।

'कुरजां' कहानी विशेष है, क्योंकि यह किसी आदिवासी या ग्रामीण स्त्री की कहानी ही हो सकती थी। यह किसी अन्य समाज की स्त्री के लिए भोगा नहीं पर समझने योग्य यथार्थ हैं। ये कहानी घुमंतू कबीलों के जीवन से निकलकर कुरजां स्त्री के डाकन (डायन) करार दिए जाने की कहानी है, जहां स्त्री मन की त्रासदी पाठक वर्ग के मन को बोझिलता से भरती हैं। कहानी में ऐसी आदिवासी स्त्री का चित्रण है जहां अंधविश्वास और रूढ़ियां एक अच्छे भले इंसान को अमानवीय कृत्यों का कर्ता मान उसके जीवन को बर्बाद कर देता है।

कुरजां, गांव में हेडमास्टर के रूप में आए मास्टर जी से अपने बच्चे के दाखिले की बात करती हैं, लेकिन मास्टर जी का नौकर कालू मास्टर जी को उस स्त्री से दूर रहने की बात करता है। आखिरकार, कालू है तो उसी गांव में फलित व्यक्तिय उसके अनुसार कुरजां की नजर जिस पर पड़ती है वह बर्बाद हो जाते हैं। कालू कहता है 'जड़ी-बूटियां देती है औरतों को, इलाज करती। विश्वास जीत लिया लुगाइयों का। मनमाना पैसा और घर-घर जाकर अनाज

मांगने लगी तो औरतों ने मना करना शुरू किया...। फिर तो जो इसे मना करे उसके घर में बच्चे बीमार पड़ जाए, मौत हो जाए। मेरी ही औरत के जब तीसरा बच्चा होने को था तो हम देवता के यहां से लड़का होने की भभूत लाए...। ये रांड सामने पड़ गई... कि तीसरी भी लड़की पैदा हो गई।'⁷ इसी प्रकार से एक गरीब, बेसहारा औरत के प्रति गांव वालों के अमानवीय व्यवहार का चित्रण इसमें किया गया है। आदिवासी कुरजां से संबद्ध हमारे समाज की भिन्न-भिन्न मनः स्थितियां हमें उन विचित्र रूढ़ियों की तरफ सोचने और विचार करने पर विवश करती हैं जो अभी भी इक्कीसवीं सदी की मानवीय सभ्यता पर अभिशाप की तरह कुंडली मारकर बैठी हैं।

'रक्स की घाटी और शब-ए-फितना' कहानी में लेखिका स्त्री के स्वतंत्र एवं सुरक्षित जीवन जीने की लालसा को दृष्ट्यांकित करती है। असुरक्षा का भाव स्त्री में प्राचीन समय से बना हुआ है, परन्तु इस कहानी के चरित्र कहीं न कहीं एक नवीन सोच को लिए हैं। मनीषा जी कहानी के एक पात्र जो कि गजाला के टीचर है, के माध्यम से स्वातंत्र्य स्त्री के पक्ष में जीवन की नई उम्मीदों को व्यक्त करती है- 'फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद है क्या तुम्हें है? एक दिन ये कान देखेंगे और आँखें सुनेंगी। जबानों की उठने खुल जाएगी।'⁸ स्पष्टतः गजाला के टीचर को आभास था कि गजाला अपनी बड़ी बहन लुबना की भाँति उम्मीद दबाए बैठी है और एक दिन अवश्य ही स्त्री के सुरक्षित एवं स्वतंत्र जीवन जीने की हृदय में संचित भावनाएँ सच होगी।

कथा स्त्री स्वावलंबन के मद्देनजर नर्तकियों और गायकों के इर्द-गिर्द रहती है, किंतु एक स्त्री के स्वावलंबी होने का अर्थ केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता से नहीं है बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करने से भी है। इसके लिए स्त्री को स्वयं के भीतर समय सापेक्ष समाज के हित में नवीन सोच को विकसित कर जगत में नए-नए विचारों के साथ उड़ान भरनी होगी।

संग्रह की अगली कड़ी 'जमीन' कहानी है, जो राजस्थान के एक आदिवासी परिवार की कथा कहती हैं। इसमें सुरमन नामक एकाकी आदिवासी युवती का संघर्ष सामने आया है जो अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी में सुरमन का जुझारु व्यक्तित्व है जो बार-बार हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जमीन को लेकर वर्तमान में भाई-भाई का दुश्मन बना हुआ है। सुरमन का सौतेला काका जमीन पाने के लिए अपनी बेटी जैसी सुरमन को गांव वालों की मदद से धमकियां देता है, उसे बेइज्जत करवाता है। कहानी में सुरमन अपनी मित्र मुकुंदी को कहती हैं 'मैं तो खेतों में बाल फैला कर रोने वाली चुड़ैलों से दोस्ती कर लूं पर मैं तो अपने सगेवालों से डरती हूँ, जो दिन में दिलासा देते हैं और रात को किवाड़ से झाँकते हैं... आते-जाते नंगी करके गांव से निकालने की धमकी देना। मुझे दादोसा और मेरी माँ की हराम की औलाद बताना जिसके चलते मेरे बाप ने...'⁹ अक्सर कहा जाता है कि घर इंसान के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। लेकिन कौन कहता है कि महिलाओं का शोषण केवल घर के बाहर ही होता है?

आपसी संवाद, समझ और विश्वास की कमी को चिन्हित करती अन्य कहानी 'आर्किड' में आदिवासी स्त्री संघर्ष के साथ भारत और उसके अभिन्न अंग मणिपुर के जनजातीय समाज का यथार्थ चित्रण किया है। देखा जाए तो यह कहानी नॉर्थईस्ट के अतिरिक्त भारत के किसी भी भाग की कहानी हो सकती है। मणिपुर के जनजातीय और स्थानीय समाज को केन्द्रीय सत्ता के साथ संघर्ष करते हुए इस कहानी में देख सकते हैं। कहानी में मणिपुर की

लड़की प्रिश्का अपने पिता की तरह कई भारतीय भाषाएँ जानती है, किन्तु उनके विचार सर्वथा भिन्न रहे। उसके पिता नॉर्थईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन वह 'वहां इंडिया में' की जगह 'अवर इंडिया' जैसे शब्दों का प्रयोग करती थी तथा मणिपुर को देश का अभिन्न हिस्सा मानती थी। जब वह अपने प्रेमी एलन को युद्ध में खो देती हैं तब उसे गहरा आघात लगता है। उसकी अहिंसक प्रवृत्ति और देश से प्रेम कुछ काम नहीं आता। कहानी के अंत में वह कहती नजर आती हैं 'लोगों को उनके हिस्से का अधिकार न मिले, खाना, शिक्षा, सुरक्षा... वह तो जाने दो इतना संगीन भी नहीं। मगर जो हमारा था, वह तो न छीनता... यह जंगल-पहाड़, हमारी खेतियां, पशु और हमारी औरतें... सुधार कार्यों में समय और ऊर्जा क्या बर्बाद करना, जब कुछ सुधारना ही नहीं है तो क्रांति ही आखिरी इलाज है।'¹⁰ कहानी पूर्वोत्तर की समस्या पर न सिर्फ प्रकाश डालती हैं बल्कि गहन वेदना से भर देती हैं। कहानी अपने मूल में कहीं अधिक गंभीर मुद्दे पर बात कर रही हैं।

एक कहानी 'नील-घर' अरुणाचल प्रदेश के शेर्गाओं गांव के एक आदिवासी से सुनी गई कहानी है जो वहां के जीवन के बारे में एक झरोखा खोल देती है। सोलो ट्रेवलर्स के लिए स्वर्ण माने जाने वाले इस गांव में नील घर नाम का एक मकान है जिसकी दीवारें नीली तथा ढलवा छत सफेद रंग की थी। यह कहानी मानवीय रिश्ते, प्रेम व प्रेम के लिए आपसे रंजिशों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हुई गहरे अनुभवों और मानसिक द्वंद्वों को बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत करती हैं। कहानी की नायिका मिति की किशोरावस्था में ही सगाई हो जाती हैं। यह ऐसी उम्र है जहां मिति जीवन के इस नए पड़ाव के लिए तैयार न थी। उसे अपनी मां लालची लगती थी, जिसने पैसों को अधिक महत्व देते हुए अपनी बेटी का संबंध किसी बाहरी धनी व्यक्ति तोसिरो म्यूफिन से किया। तोसिरो के शेर्गाओं में संतरो के दो बगीचे होने से मिति की मां को वह अपनी बेटी के लिए उपयुक्त साथी लगा। कहानी में वाक्य है- 'किशोरी मिति की सगाई संतरो के फूलों के झरते ही, पेड़ों पर छोटे-छोटे फल आते ही तोसिरो से हो गई थी। मिति से किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब वह घनी उलझन में पड़ गई थी। उसकी समझ में नहीं आया कि अब उसे लंबे-दुबले, घने बालों वाले आकर्षक-मेहनती-हंसमुख युवक याबोम को देखकर लजाना और भागना चाहिए कि नहीं? वह इस कम लंबे मगर चौड़े कंधों वाले, तांबड़े रंग के गंभीर चेहरे वाले तोसिरो से कहीं अच्छा दिखता है।'¹¹ प्रेम की चाह में दो पुरुषों के मध्य पिसती एक स्त्री की दशा का यथार्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है। जहाँ तोसिरो, मिति को याबोम से दुगुना वधू मूल्य चुकाने की बात कहता है। इस पर मिति की प्रतिक्रिया आती है- 'मूल्य-मूल्य! मैं क्या कोई भेड़ हूँ? छोड़ो मुझे... पागल हो चुके हो तुम लोग।'¹² अर्थात् जो स्त्री स्वयं निर्णय लेने की समता रखती हो, उस पर पर-पुरुष बलपूर्वक अपना अधिकार सिद्ध करें, वह कदापि सहन नहीं करेगी।

शासकीय आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल के भीतर चल रही धिनौनी व्यवस्था (हॉस्टल मैट्रन द्वारा छात्राओं से यौन क्रियाएं करवाना) एवं वहाँ रहने वाली आदिवासी लड़कियों की दयनीय स्थिति का वर्णन लेखिका ने अपनी प्रसिद्ध कहानी 'अवक्षेप' में किया है। इस बात की पुष्टि कहानी की आदिवासी पात्र 'बेनु' और स्वयं लेखिका के संवाद के माध्यम से होती है- 'पैले के दो महीने की छातरवर्ती इंचारज ने अटका रखी है। पांच सौ पूरे तो कभी देता ही नहीं। खा-पी के दो सौ टिकाता है, फेर भी चार सौ बनते हैं, मिलते ही दे दूंगी।'

'ऐसा क्यों करता है?'

'करता है। उसके बाप का राज है, नहीं करेगा अगर उसके बिस्तर पे कपड़े काढ़ के...रांड रा...'

'क्या बकवास करती रहती है बेनु?'

'बताया नहीं आपको पैले। छोटकी चिरमी दस्स बरस की इंचारज के पास फीस के पैसे लेने गई और पूरी चड़ी लाला...'

'मुझे मत बताया कर यह सब, जाकर पुलिस को बता।'

'पुलिस? वो हमारे यहाँ की दोनों कंजड़िने है न, उनको ले जाके इंचारज पुलिस को खुश रखता है।'

'मैट्रन?'

'वो रण्डी तो पैसे के बदले अपनी बेटी बेच दे।'¹³ आदिवासी छात्रावास में किस प्रकार छोटी-छोटी लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है और अगर कोई लड़की इसके विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयत्न भर भी करती है, तो उसे मार ही दिया जाता है। अवक्षेप कहानी ऐसी आदिवासी लड़कियों और उनकी त्रासपूर्ण जीवन के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त करती है।

यदि किसी पुस्तक की कोई एक कहानी भी पाठक वर्ग के मूर्छित मन को होश में ला उसके भीतर मानवीय भाव जगा दे तो साहित्यकार अपने लेखन के उद्देश्य में सफल कहा जाएगा। संग्रह की अंतिम कहानी 'एक थी लीलण' ऐसी ही कहानी है, जिसमें यौन अपराध की शिकार आदिवासी लड़की लीलण मृत देह के मार्फत अपनी कथा कहती हैं। इस कथा को पढ़कर मुझे सीधे हरिशंकर परसाई जी का कथन याद आ गया। वह कहते हैं, 'बलात्कार को पाशविक कहा जाता है, पर यह पशु की तौहीन है। पशु बलात्कार नहीं करते, सूअर तक नहीं करता मगर आदमी करता है।' न जाने कितनी लीलण हमारी असंभ्य समाज की भेंट चढ़ती है। मेरा मानना है कि ऐसा कुकृत्य पैशाचिक प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता है, स्वाभाविक भी है।

एक बेटी के जीवन को सरल-सुगम बनाने का दायित्व जितना पिता का होता है उससे कहीं अधिक उसकी मां का होता है। यहां भी जब लीलण मरणोपरांत आप-बीती सुनाती हैं तो अपनी मां का जिज्ञास प्रकार करती हैं- 'ठीक ही तो है, लाश किसी की बेटी नहीं होती, उसके 'बेटी-प्राण' तो फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं। मिट्टी के लौंदे-सी बिगड़ गई देह किसकी बेटी? मैं समझ सकती हूँ तुम भी तो भीतर लाश ही हो गई थी, जब तुम मना कर रही थी पहचान से।'¹⁴ लीलण के माता-पिता ने ही उसे पहचान और अपनाते से इनकार कर दिया। यहां कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस समाज में मृत पुत्र का अस्तित्व और सम्मान एक मुआवजे की रकम से अधिक न रह जाता हो, वहां लीलण जैसी आदिवासी स्त्री को कौन पूछता है। हमारे पुरुषों और उनके भीतर परिवारों को पत्नी, प्रेयसी, बहन और बेटी के तौर पर कई लीलण मिल जाएगी, कुछ मर खप जाए तो किसे फर्क पड़ता है? कम से कम होश वालों को तो नहीं, क्योंकि होश वालों को संबंधों का सौदा करना आता है। बाकी जो बेहोश है उनकी अपनी समस्या है कि वह दरिंदे है या दिलदार। हमारा समाज जड़-जोरु-जमीन के मामले में आज भी आदिम ही है। वह सभ्यता के मोड़ पर आदिम से आदिवासी की यात्रा भी पूर्ण नहीं कर सका। संवेदना और समझ की कमी से स्त्री और पुरुष दोनों ही सत्ता की कुर्सी के पद डगमगा सकते हैं।

निष्कर्ष- साहित्य में जहाँ कहीं आदिवासी स्त्री का चित्रण हुआ है वहाँ हम आदिवासी स्त्री को मात्र स्वच्छंद यौन की वस्तु, लुटी-पिटी और क्षत-विक्षत

रूप में चित्रित किया हुआ ही देखते हैं। 'वन्दना टेटे' लिखती हैं- 'भारतीय साहित्य में आदिवासी महिलाएं परदेशी के प्रेम में देह सौंपती, दाई, आया, सेविका आदि के रूप में मार खाती, बलात्कार भोगती हुई दिखाई देती हैं। अस्मिता, स्वशासन और आत्म निर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष करती हुई आदिवासी स्त्रियाँ साहित्य और फिल्मों में एक सिरे से गायब हैं।'¹⁵

आदिवासी समाज में स्त्रियों का जीवन कल्पना और मनोरंजन का किस्सा नहीं है और ना ही वे नुमाइश की वस्तु हैं। वे दर्द सहने की आदी हैं, उनका जीवन कठोर संघर्ष की गाथा कहता है। किंतु मुक्ति की बेचौनी तो उनमें भी है। उनकी निगाहें अब उन लोगों को पहचानने लगी हैं, जो आदिवासी स्त्रियों को भोग की वस्तु मानते आए हैं और आदिवासी समाज को सस्ता मजदूर बनाकर उनकी संस्कृति, भाषा, जल, जंगल, जमीन को हथिया कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर करते हैं। यही विडंबना आदिवासी समाज की स्त्री को अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। आज आदिवासी स्त्रियों को लेकर रुढ़ मानसिकता में बदलाव की अति आवश्यकता है। आदिवासी समाज भी इस पक्ष में आ चुका है। साहित्य में अब वह लिखने, बोलने व अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से कतई नहीं कतराती है। बस जरूरत है उन्हें शासन और संपूर्ण समाज के सक्रिय सहयोग और सहभागिता की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रोज केरकेटा, आदिवासी संस्कृति और साहित्य : स्त्री का दर्जा
2. मनीषा कुलश्रेष्ठ, वन्या: आदिवासी स्त्री-संघर्ष की कहानियां, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण-2024, पृष्ठ-07
3. वही, पृष्ठ-18
4. वही, पृष्ठ-20
5. वही, पृष्ठ-21
6. वही, पृष्ठ-21
7. वही, पृष्ठ-98
8. वही, पृष्ठ-142
9. वही, पृष्ठ-39
10. वही, पृष्ठ-90
11. वही, पृष्ठ-25
12. वही, पृष्ठ-29
13. वही, पृष्ठ-123
14. वही, पृष्ठ-73
15. वन्दना टेटे, आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, प्यारा केरकेटा फाउंडेशन, रांची (झारखंड), 2013, पृष्ठ-72

A Critical Study of Impact of Narcotic Drugs and on Society and Human Rights

Manudev Patidar* Dr. Balasaheb Garje**

*Research Scholar, P.K. University, Shivpuri (M.P.) INDIA

** Professor (Law) P.K. University, Shivpuri (M.P.) INDIA

Abstract: Narcotic drugs pose a significant threat to public health, safety, and security in India, prompting the enactment of stringent laws like the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985. This Act prohibits the manufacture, production, possession, sale, and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances, empowering law enforcement agencies to take stringent measures against offenders. Despite these laws, India faces challenges in combating narcotics trafficking and abuse, necessitating continued efforts and international cooperation to address this complex issue and work towards a safer and healthier society.

Keywords: NDPS Act, Narcotics Control Bureau (NCB), stringent laws, public health, international cooperation, drug trafficking, psychotropic substances, law enforcement.

Introduction - Narcotic drugs pose a significant threat to India's public health, safety, and security. The government has enacted the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, to combat this menace. The Act prohibits the manufacture, production, and consumption of narcotics, empowering law enforcement agencies to take stringent action. The Narcotics Control Bureau (NCB) plays a crucial role in enforcing narcotics laws. Despite these efforts, India faces challenges due to its geographical location and porous borders. A sustained commitment and cooperation from law enforcement, policymakers, and the public are necessary to address this issue. Effective implementation of narcotics laws, international cooperation, and public awareness are essential in creating a safer society. By working together, India can mitigate the menace of narcotics and build a brighter future. A comprehensive approach, including law enforcement, public education, and rehabilitation, is necessary to tackle the root causes of narcotics abuse.

Letratur Review

1. Arpit Parmar, Venkata Lakshmi Narasimha, and Santanu Nath's review highlights India's efforts to combat substance abuse. Their analysis reveals a comprehensive approach, including the NDPS Act and National Action Plan for Drug Demand Reduction. Key initiatives like the Drug De-Addiction Program and NGO collaborations focus on rehabilitation. This multipronged strategy aims to reduce substance abuse and promote well-being.

2. Bharti Thakur and Neeru Mittal's analysis highlights India's Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act of 1985, which regulates addictive

drugs and permits medical use under strict provisions. The Act restricts psychotropic medications from over-the-counter sales, imposes penalties for violations, and has undergone revisions to enhance control and penalties, balancing medical importance with strict regulation.

3. Dr. Raina Midha's critical study highlights the profound impact of narcotic drugs and psychotropic substances on society and human rights. Substance abuse contributes to public health deterioration, increased crime rates, and social instability. The study advocates for a shift from punitive measures to health-centered approaches, emphasizing rehabilitation, education, and harm reduction. It calls for international collaboration and comprehensive strategies to address addiction while respecting human rights.

Objective of study :

1. Understanding the impact on public health and safety.
2. Familiarizing with the legal framework (NDPS Act).
3. Analyzing law enforcement's role in combating trafficking.
4. Exploring international cooperation to address narcotics issues.

Research Hypothesis: Narcotics drug research explores ways to detect, treat, and prevent drug abuse. Scientists investigate advanced methods to identify drugs in samples, effective treatments to reduce addiction, and strategies to curb opioid misuse. They also develop portable testing tools and analyze drug samples to help law enforcement. This research aims to improve public health and safety.

Definition of Narcotic Drug Under NDPC ACT : 2.(xiv) "narcotic drug" means coca leaf, cannabis (hemp), opium,

poppy straw and includes all manufactured drugs;" 2.(xxiii) "psychotropic substance" means any substance, natural, or synthetic, or any natural material or any salt or preparation of. such substance or material included in the list of psychotropic.

NDPS Act 1985:

1. India is a signatory to the United States Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, the Convention on Psychotropic Substances, 1971 and the Convention on Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Hence, in this context, India also passed the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985.
2. This Act makes stringent provisions for the control and regulation of narcotic drugs and psychotropic substances. The Narcotics Control Bureau was established in 1986 to implement the Act.
3. The Act provides for the confiscation of property and income derived from drug trafficking. It also provides for the death penalty for repeat offenders.
4. It is noteworthy that through an amendment in the year 2014, the transportation and licensing of drugs classified as 'essential narcotic drugs' was centralized by eliminating the obstacles created at the state level.

Drug Abuse Effect on Society

1. Health problems: Drug abuse can be devastating for human health, causing both physical and mental problems. The physical impact varies depending on the substance and individual, potentially damaging vital organs like the brain, heart, and liver. Injecting drugs also heightens the risk of life-threatening infections such as HIV and hepatitis, posing a serious threat not just to individuals but to public health as a whole.

2. Mental Health: Drug abuse can severely impact mental health, triggering issues like anxiety, depression, and schizophrenia. It alters behavior, causing impulsivity, mood swings, and paranoia. The mind becomes vulnerable, struggling to cope with reality. Addiction rewires the brain, affecting decision-making and emotional stability. This toxic cycle can lead to long-term psychological damage, making recovery challenging. The grip of substance abuse tightens, often leaving individuals feeling lost and disconnected from themselves and others. Mental health support is crucial.

3. Addiction: Addiction is a relentless cycle that consumes lives. It's a brain disorder fueled by drug abuse, leading to compulsive cravings and destructive behavior. Physical and emotional dependence intertwine, making it hard to escape without help. The struggle is real, with every aspect of life affected. Professional support is crucial to break the chains of addiction and reclaim one's life. With guidance and care, recovery is possible, and hope can be rekindled. The journey is tough, but with the right help, individuals can overcome addiction and find a path towards healing and renewal, rediscovering their true potential and purpose.

4. Crime: Drug abuse and crime are deeply intertwined, with addiction often driving individuals to commit offenses like theft, violence, and drug trafficking. The desperation to fund their habit can lead people down a path of illegal activities, straining law enforcement and eroding community trust. Drug-related crimes range from possession to distribution, with turf wars between rival gangs sparking violent incidents. The impact is devastating, affecting families, neighborhoods, and society as a whole. To break this cycle, a comprehensive approach is needed, focusing on prevention, treatment, and support for those struggling with addiction. By addressing the root causes and providing resources for recovery, we can work towards reducing drug-related crime and building safer communities. Offenses linked to drug abuse include theft, robbery, assault, and homicide, often fueled by the need to sustain the addiction. Effective solutions require a multifaceted strategy.

5. Economic loss: Drug abuse and crime are intricately connected, with addiction fueling offenses like theft and violence. Desperation to sustain the habit drives individuals into illegal activities, straining law enforcement and eroding community trust. The impact is far-reaching, affecting families and society. A comprehensive approach is needed to break this cycle, focusing on prevention, treatment, and support. By addressing root causes and providing recovery resources, we can reduce drug-related crime and build safer communities. Effective solutions require empathy, understanding, and a multifaceted strategy to tackle the complexities of addiction and crime.

6. Treatment costs: The devastating impact of drug abuse extends beyond individuals to entire communities. Lives are lost, families are torn apart, and the fabric of society is strained. The economic burden is staggering, with costs mounting from healthcare expenses to lost productivity. Yet, amidst the chaos, there is hope. With compassion, support, and effective treatment, individuals can overcome addiction and rebuild their lives. By working together, we can create a brighter future, one where communities thrive and the grip of addiction is loosened. It's time to shift the narrative from shame to support, and empower those affected to find a path towards healing and renewal.

7. Family and social problems: Drug abuse shatters lives, tearing families apart and draining communities. The financial toll is crushing, with skyrocketing healthcare costs and lost productivity. Yet, hope flickers. Compassionate support and effective treatment can help individuals break free from addiction's grip. By joining forces, we can build stronger communities where people can heal and thrive. It's time to trade shame for understanding and empower those struggling to find their path to recovery.

8. Impact on children: The impact of drug abuse on children can be particularly significant. Children of parents with substance use disorders may experience neglect, abuse, or other trauma, which can have long-lasting effects

on their health and well-being.

9. Public Safety : Drug abuse puts everyone at risk. When people drive or work under the influence, they can cause accidents that hurt themselves and others. Imagine being on the road and suddenly, someone high on drugs crashes into you. It's terrifying. Or picture a coworker struggling with addiction, making mistakes that could harm colleagues. It's a serious issue that affects us all. By tackling drug abuse head-on, we can make our communities safer. Let's support those struggling and work together to prevent accidents and protect each other. We can make a difference, one step at a time.

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Provision: The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, is a landmark legislation that plays a critical role in India's fight against drug abuse and illicit trafficking. This comprehensive law aims to protect individuals and communities from the devastating effects of drug addiction while ensuring that those who engage in drug-related crimes face appropriate punishment.

Understanding the Punishments: The NDPS Act outlines a range of punishments based on the quantity of drugs involved in the offense. These punishments are designed to reflect the severity of the crime while also providing opportunities for rehabilitation.

1. Small Quantity - For possession of a small amount of drugs, typically for personal use, the punishment may include up to 6 months of imprisonment or a fine of up to ¹ 10,000. The focus here is often on helping individuals seek treatment and support to overcome their addiction.

2. More than Small Quantity but Less than Commercial Quantity - If the amount of drugs exceeds the small quantity threshold but is still below commercial levels, the punishment can be more severe, with imprisonment up to 10 years and a fine of up to ¹ 1 lakh. This category targets those involved in small-scale drug dealing or distribution.

3. Commercial Quantity - For large-scale drug trafficking operations, the punishment is significantly harsher, with imprisonment ranging from 10 to 20 years and a fine between ¹ 1 lakh and ¹ 2 lakhs. This provision is aimed at dismantling major drug trafficking networks that pose a significant threat to society.

Key Provisions of the NDPS Act: The NDPS Act includes several key provisions that address different aspects of drug abuse and trafficking:

1. Section 25A - This section deals with the unauthorized manufacture, sale, possession, or transportation of controlled substances. Those found guilty under this section could face up to 10 years of imprisonment and a fine of up to ¹ 1 lakh.

2. Section 27 - For individuals caught using drugs for personal consumption, the punishment may include up to 1 year of imprisonment or a fine of up to ¹ 20,000. Importantly, the Act emphasizes rehabilitation over

punishment for addicts, recognizing that addiction is a treatable condition.

3. Section 31A - In cases of repeated convictions for serious drug-related crimes, the punishment can be as severe as the death penalty. This provision underscores the Act's strict stance on serious offenses that threaten public safety.

4. Section 64A - Addicts who voluntarily seek treatment can receive immunity from prosecution under this section. This provision encourages individuals to seek help without fear of legal repercussions, promoting recovery and rehabilitation.

Additional Aspects of the NDPS Act: The NDPS Act also includes several other important provisions:

1. Seizure and Forfeiture - Authorities have the power to seize and forfeit assets acquired through illegal drug trade activities. This provision targets the financial gains of drug trafficking and aims to disrupt the economic foundations of the trade.

2. Rehabilitation - The Act places a strong emphasis on the importance of treatment and rehabilitation for individuals struggling with addiction. By addressing the underlying issues that contribute to addiction, individuals can recover and reintegrate into society.

3. Bail Provisions - The Act allows for bail to be granted under certain conditions, but the public prosecutor may oppose it in cases involving severe offenses. This ensures a balanced approach to justice, taking into account both the rights of the accused and the need to protect society.

A Comprehensive Approach to Combating Drug Abuse: The NDPS Act is a vital tool in India's efforts to combat drug abuse and trafficking. By combining punitive measures with rehabilitation and support, the Act aims to create a safer and healthier society for all. Its provisions reflect a nuanced understanding of the complexities surrounding drug-related crimes, seeking to balance punishment with support for those struggling with addiction.

Narcotic Drugs Related provision bhartiyanahaye Sanhita

1. Section 147 Death Caused by Negligence - This section holds individuals accountable for deaths caused by negligence, including drug overdoses. It ensures that those responsible for such negligence face legal consequences.

2. Section 223 Obstructing Public Servant - This provision penalizes individuals who obstruct public servants, including law enforcement officers, in the discharge of their duties related to drug investigations. It is crucial for maintaining the integrity of the investigation process.

3. Section 229 Misconduct in Public Office - Government officials involved in drug enforcement can be held accountable for misconduct under this section. It ensures that officials act with integrity and professionalism in their duties.

4. Section 103 Murder - If drug-related activities lead to

murder, this section can be invoked. It provides a legal framework for prosecuting individuals involved in such cases, ensuring that justice is served.

5. Section 115 Attempt to Commit Culpable Homicide

- This section addresses attempts to cause harm through drug-related activities. It ensures that individuals who attempt to commit culpable homicide, including through drug-related activities, are held accountable.

Application of the Customs Act, (Sec 79) 1962: All prohibitions and restrictions imposed by or under this Act on the import into India, the export from India and transshipment of narcotic drugs and psychotropic substances shall be deemed to be prohibitions and restrictions imposed by or under the Customs Act, 1962 and the provisions of that Act shall apply accordingly:

Provided that, where the doing of anything is an offence punishable under that Act and under this Act, nothing in that Act or in this section shall prevent the offender from being punished under this Act.

Narcotic Control Bureau: Narcotic Control Bureau (NCB) as the name its self-tell its function is the control of drugs in India. The agency is in charge of combating drug trafficking and the use of illegal substances, as mandated by the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. It was established in 1986 and is responsible for coordinating with Indian state governments and other central departments, as well as implementing India's international drug trafficking duties and helping international and foreign drug law enforcement authorities.

1. **Moto-** Intelligence, Enforcement, Coordination.
2. **Mission-** Prevent and combat abuse and illicit traffic of drugs.
3. **Vision-** Endeavour for a drugs-free society
4. **Formation**

The Narcotics Control Bureau was established on March 17, 1986, to enable complete implementation of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985 and to combat its violations through The 1988 Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act is a federal law that prohibits the illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances. The law was enacted in order for India to meet its treaty responsibilities under the Single Convention on Narcotic Drugs, The Convention Against Illicit. In addition to directly recruited members, officers in this organization are appointed from the Indian Revenue Service, Indian Police Service, and paramilitary forces.

Functions: The main objective of the NCB's is to fight drug trafficking in India. At both the national and state levels, it works closely with the State Police Department, Central Bureau of Investigation (CBI), Central Economic Intelligence Bureau (CEIB), as well as other intelligence and law enforcement agencies of India. The NCB also works and keeps on checking the borders so that any kind of drug trafficking is not taking place.

Drugs and Human Rights: For decades, governments have criminalized the use of drugs, as well as their possession, production, and distribution. They have poured billions of dollars into pursuing, killing, prosecuting, extraditing, and imprisoning kingpins, dealers, and people who use drugs. Yet, as Human Rights Watch has repeatedly documented, this approach to drug policy has had devastating human rights consequences: undermining the rights to health and privacy; serving as an excuse for grossly disproportionate punishment, torture, and extrajudicial killings; and fueling the operations of organized criminal groups that commit abuses, corrupt authorities, and undermine the rule of law. Human Rights Watch calls on governments to decriminalize all personal use and possession of drugs. We also urge governments to adopt alternative policies concerning the drug trade to reduce the enormous human rights costs of current approaches, including by reducing the use of the criminal law to regulate drug production and distribution. And we call for reform to global drug treaties and policies that impede exploration of these alternatives.

The Role of Media in Drug Issues: The media plays a significant role in shaping public perceptions and attitudes towards drug issues. Here are some positive and negative aspects:

1. Positive Roles:

1. **Raising Awareness** - The media can inform people about the dangers and effects of drugs, helping to prevent drug abuse.
2. **Education and Information** - The media can provide valuable information about the risks and consequences of drug use, empowering individuals to make informed decisions.
3. **Support and Resources** - The media can share information about resources and support services for those struggling with addiction, helping them access help.

Negative Roles:

1. **Misinformation** - The media can spread false or misleading information, potentially encouraging drug use or exacerbating the problem.
2. **Glorification** - The media can inadvertently glorify or romanticize drug use, making it seem appealing or acceptable.
3. **Promoting Addiction** - The media can perpetuate messages that normalize or promote addiction, contributing to the problem.

Case laws related to narcotics drugs

Supreme Court Judgments

1. **Case - Firdoskhan Khurshidkhan vs. The State of Gujarat & Anr** - The Supreme Court held that confessional statements recorded under Section 67 of the NDPS Act are inadmissible as evidence. The court also clarified that Section 42 of the NDPS Act applies to enclosed places, not public places, and Section 50 applies to personal searches.

2. Tofan Singh v. State of Tamil Nadu - The Supreme Court ruled that officers invested with powers under Section 53 of the NDPS Act are police officers, and confessional statements made to them are barred under Section 25 of the Evidence Act.

3. Hira Singh and Anr. v. Union of India and Anr - The Supreme Court held that when determining the quantity of narcotic drugs or psychotropic substances in a mixture, the weight of the neutral substance is included.

High Court Judgments:

1. TinimoEfereWowo Vs The State Govt Of Nct Of Delhi - The Delhi High Court clarified that controlled substances are not affected by the bar to bail under Section 37 of the NDPS Act.

2. Kamruddin v. Union of India - The Madhya Pradesh High Court ruled that the term 'spot' refers to the place where the search is conducted and recovery is made, not where the suspected vehicle or person is intercepted.

Suggestions to Prevent Substance Abuse

1. Know the Risks - Understand what substances can do to your body and mind. Knowing the facts helps you make smarter choices.

2. Build Strong Connections - Surround yourself with people who uplift and support you. Positive relationships can keep you grounded.

3. Find Healthy Outlets - Dive into hobbies, sports, or creative activities that make you happy. It's a great way to channel your energy positively.

4. Manage Stress - Life can be overwhelming, but try techniques like meditation, exercise, or talking to someone you trust to cope with stress.

5. Set Boundaries - Learn to say no to situations that feel unsafe or uncomfortable. Your well-being comes first.

Conversation: Narcotics drug laws must balance public health and safety with human rights protection. A human rights-based approach prioritizes dignity, autonomy and

access to healthcare for individuals affected by drug use. By focusing on harm reduction, treatment and support, governments can reduce the adverse impact of drug laws on vulnerable populations. Ensuring proportionality in punishment and protecting human rights in law enforcement practices are crucial. A balanced approach can mitigate the harm caused by narcotics while upholding human dignity and rights. This requires ongoing dialogue, education and cooperation among policymakers, healthcare professionals and communities to create a just and compassionate society. By working together, we can develop laws and policies that promote public health, safety and human rights. This approach can lead to more effective and humane solutions. Ultimately, protecting human rights is essential in addressing the complex issue of narcotics.

References:-

1. Taxmann's Law Relating to Narcotic Drugs & Psychotropic Substances by Bidyut Kumar Banerjee – 2nd Edition 2023
2. Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Laws by K M Sharma and S P Mago – 4th Edition 2023
3. Law Relating to Narcotic Drugs & Psychotropic Substances | Virtual Book By Bidyut Kumar Banerjee, Srinivasan Gopal
4. Whitesmann's Commentary on The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 by Yogesh V Nayyar – Edition 2023
5. Dr. Shradha Pandey - Narcotic Drugs and Psychotropic Substance: Understanding the problem and the law
6. Customs Act, 1962 - by P L Malik
7. Newspaper and Magazine - Dainik Bhaskar, Time of India, Patrika.
8. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (In Hindi) by K D Gaur
9. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 by Basanti Lal Babel in Hindi Edition 2024

डिग्री से बड़ी है कौशल, एक प्रशिक्षक की नजर से

श्रीमती ज्योतिबाला राठौर*

* शोधार्थी, प्रशिक्षण अधिकारी (फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशलों से लैस करना है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहाँ युवाओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, वहाँ रोजगारपरक कौशलों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्यों डिग्री मात्र पर्याप्त नहीं है और किस प्रकार कौशल ही वास्तविक सफलता और आत्मनिर्भरता का आधार बनता है। इसमें शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई, कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षकों की भूमिका, सरकारी प्रयास तथा भविष्य की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शोध-पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'डिग्री दरवाजा खोल सकती है, लेकिन आगे का रास्ता कौशल ही तय करता है।'

प्रस्तावना – शिक्षा हमेशा से ही मानव जीवन का आधार मानी जाती रही है। यह व्यक्ति को समाज में सम्मान, पहचान और अवसर दिलाती है। परंतु आधुनिक युग में केवल डिग्री प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। आज उद्योग और समाज उस व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं जिसके पास वास्तविक कार्य करने की क्षमता हो।

डिग्री का महत्व नकारा नहीं जा सकता। यह ज्ञान का औपचारिक प्रमाण है और व्यक्ति को बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में केवल सैद्धांतिक ज्ञान काम नहीं आता। उदाहरणस्वरूप, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला छात्र यदि मशीनरी चला ही न सके तो उसका ज्ञान अधूरा है। वहीं, कोई साधारण प्रशिक्षित युवक यदि मशीन को कुशलता से चला सके, तो उद्योग उसकी अधिक आवश्यकता महसूस करता है।

आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में 'स्किल इज द न्यू करेंसी' (कौशल ही नई मुद्रा है) की परिकल्पना सत्य प्रतीत होती है। शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षक और उद्योग – सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि युवाओं को केवल प्रमाणपत्र ही न मिले, बल्कि वे रोजगार के योग्य भी बनें।

समस्या का विवरण – भारत में प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री लेकर निकलते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सभी को रोजगार मिल पाता है? आँकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में स्नातक युवा बेरोजगार हैं। इसका कारण यह नहीं कि नौकरियाँ कम हैं, बल्कि यह है कि उद्योगों को वह कौशल चाहिए जो विद्यार्थियों के पास नहीं है।

यहीं पर शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई उजागर होती है। डिग्रीधारी युवाओं के पास ज्ञान है, परंतु कौशल की कमी है। दूसरी ओर, कौशल युक्त युवा भले ही बड़ी डिग्री न रखते हों, परंतु वे तुरंत कार्य करने में सक्षम होते हैं और उद्योगों में पसंद किए जाते हैं।

अनुसंधान के उद्देश्य:

1. डिग्री और कौशल के तुलनात्मक महत्व का विश्लेषण करना।
2. यह समझना कि उद्योगों को किस प्रकार के कौशल युक्त युवाओं की आवश्यकता है।
3. भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पहचानना।
4. प्रशिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों का आकलन करना।
5. सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करना।
6. भविष्य में कौशल शिक्षा की संभावनाओं पर प्रकाश डालना।

कौशल का महत्व

1. **सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक ज्ञान** – डिग्री यह दिखाती है कि व्यक्ति ने किसी विषय का सैद्धांतिक अध्ययन किया है। लेकिन कौशल यह दर्शाता है कि व्यक्ति वास्तव में क्या कर सकता है। उदाहरणस्वरूप, कोई भी डॉक्टर तभी सफल है जब वह रोगी का सही उपचार कर सके, केवल मेडिकल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है।
2. **रोजगार की गारंटी** – आज के समय में केवल डिग्री रोजगार की गारंटी नहीं है। लाखों इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्नातक बेरोजगार हैं। वहीं, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फैशन डिजाइनर, तकनीशियन जैसे कौशल युक्त लोग आसानी से काम पा लेते हैं।
3. **आत्मनिर्भरता का आधार** – कौशल व्यक्ति को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बना सकता है। उद्यमिता कौशल पर आधारित है। एक कुशल दर्जी, मैकेनिक या डिजाइनर अपना काम शुरू कर सकता है और दूसरों को भी रोजगार दे सकता है।
4. **सामाजिक और आर्थिक विकास** – कुशल जनशक्ति किसी भी देश की वास्तविक पूंजी होती है। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कौशल प्रशिक्षण के बल पर ही औद्योगिक क्रांति और आर्थिक विकास हासिल किया। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई- पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मुख्यतः सैद्धांतिक है। उद्योगों की व्यावहारिक अनुभव और समस्या समाधान की क्षमता वाले युवाओं की आवश्यकता है। अधिकांश डिग्री पाठ्यक्रमों में इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप या ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग का अभाव है। परिणामस्वरूप, स्नातक युवा जब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें 'अनुभव की कमी' के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। यह स्थिति तभी सुधर सकती है जब शिक्षा प्रणाली को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए।

भारत में कौशल शिक्षा की वर्तमान स्थिति- भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं :

1. कौशल भारत मिशन वर्ष 2015 में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2022 तक करोड़ों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना था।
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
3. अप्रेंटिसशिप एक्ट उद्योगों में युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाने के लिए बनाया गया।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है।

हालाँकि चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच तालमेल का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी आदि।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:

1. जर्मनी में ड्यूल एजुकेशन सिस्टम में विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ उद्योग में काम करते हैं।
2. जापान तकनीकी शिक्षा और अनुशासन पर विशेष ध्यान देता है।
3. सिंगापुर स्किल्स फ्यूचर प्रोग्राम के तहत हर नागरिक को जीवन भर कौशल प्रशिक्षण का अवसर मिलता है।
4. भारत को भी इन मॉडलों से सीख लेकर अपनी कौशल शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करना होगा।
5. प्रशिक्षकों की भूमिका और चुनौतियाँ
6. प्रशिक्षक किसी भी कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं।

भूमिका :

1. केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता सिखाना।
2. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना।
3. उद्योग की नवीनतम आवश्यकताओं और तकनीकों से विद्यार्थियों को अवगत कराना।

चुनौतियाँ :

1. प्रशिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण की कमी।
2. आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं की उपलब्धता न होना।
3. विद्यार्थियों की मानसिकता जिसमें कई विद्यार्थी अभी भी डिग्री को ही सबकुछ मानते हैं।

कौशल है नई पूँजी

21वीं सदी में ज्ञान से अधिक कौशल को मूल्यवान माना जा रहा है। आईटी, स्वास्थ्य, मैनुफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, फैशन और कृषि क्षेत्रों में कुशल युवाओं की भारी मांग है। वैश्विक स्तर पर भी भारतीय कुशल श्रमिकों और तकनीशियनों की मांग लगातार बढ़ रही है। डिजिटल युग में नई-नई तकनीकों (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3डी प्रिंटिंग, फैशन टेक्नोलॉजी आदि) में कौशल प्राप्त करना आवश्यक है।

भविष्य की संभावनाएँ और सुझाव:

1. शिक्षा प्रणाली में सुधार जिससे डिग्री पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाए।
2. उद्योग व शिक्षा सहयोग से कॉलेज और विश्वविद्यालयों को उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए।
3. अप्रेंटिसशिप और इंटरनशिप को हर छात्र को कम-से-कम छह महीने का उद्योग अनुभव दिया जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान व गाँवों और छोटे कस्बों में भी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ।
5. महिला कौशल विकास में महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग, स्वास्थ्य, आईटी और उद्यमिता से जोड़ना।
6. निरंतर कौशल उन्नयन से प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को समय-समय पर नई तकनीकों में प्रशिक्षण देना।

निष्कर्ष- इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि डिग्री आधार है, लेकिन कौशल ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। शिक्षा केवल प्रमाणपत्र देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे रोजगारपरक और व्यावहारिक होना चाहिए। प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को केवल पढ़ाएँ नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएँ।

यदि भारत को विश्व में अग्रणी बनना है, तो उसे 'डिग्री से बड़ी है कौशल' के सिद्धांत को अपनाना होगा। तभी हम 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार।
2. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, 2022।
4. जर्मनी और सिंगापुर के कौशल विकास मॉडल पर विभिन्न शोध पत्र।
5. प्रशिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों के व्यक्तिगत अनुभव।

Empowering the Girl Child: Evaluating the Role of Frontline Workers in the Beti Bachao Beti Padhao Scheme in Rural Datia, Madhya Pradesh

Dr. Jaishree Trivedi* Mona Pandey**

*Principal, Govt. PG College, Datia (M.P.) INDIA

** Research Scholar (Political Science) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract: This study examines the implementation of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in rural areas of Datia district, Madhya Pradesh, with a focus on the role of frontline workers such as Anganwadi staff, ASHAs, and schoolteachers. Using a mixed-methods approach, it explores their engagement in awareness generation, service delivery, and community mobilisation. While the study finds growing public awareness and committed field-level engagement, it also highlights challenges like resource constraints, weak inter-departmental convergence, and entrenched patriarchal attitudes. The paper argues that empowering frontline workers with better training, recognition, and coordination is essential for advancing the scheme's core objective of gender equity.

Keywords: Beti Bachao Beti Padhao, frontline workers, child sex ratio, gender equity, rural Madhya Pradesh, community mobilisation, implementation challenges.

Introduction - Gender inequality in India has long remained a deeply entrenched issue, persisting despite decades of economic growth and policy initiatives aimed at social development. Although constitutional guarantees, legislative safeguards, and targeted welfare programmes have sought to enhance the status of women and girls, structural discrimination continues to limit their life chances in numerous ways. This gendered disadvantage often begins even before birth, manifesting most visibly in skewed demographic indicators such as the child sex ratio (CSR). The CSR, defined as the number of girls per 1,000 boys aged 0–6 years, has consistently highlighted the extent to which son preference influences reproductive choices in Indian households. The 2011 Census marked a particularly stark turning point, recording a national CSR of 918, the lowest since Independence a figure that dropped further in districts like Datia, Madhya Pradesh (Census of India, 2011). This demographic distortion is not merely a statistical anomaly but a symptom of deeper cultural biases, economic considerations, and systemic failures. Scholars such as Jha et al. (2011) have attributed the worsening CSR to the misuse of prenatal diagnostic technologies, which, although developed for legitimate medical use, became tools of sex-selective abortion in regions with strong patriarchal norms. While the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act of 1994 attempted to address this misuse, enforcement challenges have limited its effectiveness (Variath, 2024).

In response to the alarming decline in CSR and the broader concern of gender-based discrimination, the Government of India launched the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in January 2015. With its launch in Panipat, Haryana one of the worst-performing states in terms of gender indicators the scheme aimed to deliver a multi-sectoral strategy involving the Ministry of Women and Child Development (MWCD), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), and Ministry of Education. It sought to ensure the survival, protection, and education of the girl child through awareness generation, improved service delivery, and community mobilisation (MWCD, 2019).

While the BBBP campaign has garnered visibility and political endorsement, its implementation has been uneven across regions. Evaluations from independent agencies and parliamentary committees have pointed out that a disproportionate share of funds over 78% in some years was directed toward media campaigns rather than grassroots service delivery (CAG, 2021; Chandra, 2021). This imbalance between symbolism and substance has attracted criticism from scholars who argue that the scheme's media-heavy strategy may raise awareness, but without corresponding structural reforms, its long-term impact remains uncertain (Sahoo, 2023).

Empirical studies from districts like Datia offer nuanced insights into the scheme's effectiveness at the local level. Research by Govindharajan (2022) demonstrates that while district-level campaigns succeeded in generating

community interest, particularly in urban and semi-urban clusters, behavioural change was slower and less visible in rural gram panchayats. These findings underscore the importance of frontline workers, such as Anganwadi staff, Accredited Social Health Activists (ASHAs), and teachers, who play a pivotal role in translating the scheme's objectives into community-level action. However, inadequate training, delays in remuneration, and weak inter-departmental coordination often hinder their ability to deliver impact effectively (Verma, Dhaka, & Agrawal, 2018).

In addition, literature suggests that intersectional barriers compound the challenges faced by girl children in marginalised communities. While the scheme is designed as a universal intervention, it lacks targeted mechanisms to address the needs of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and minority communities who face additional hurdles in access to health, education, and social mobility (Gangle & Reddy, 2014; Maradiya (2019). Scholars such as Kabeer (1999) argue that genuine empowerment requires not only symbolic affirmation but also the material redistribution of resources, decision-making autonomy, and institutional recognition of women's agency.

At the policy level, the BBBP scheme is aligned with broader development goals, including Sustainable Development Goal 5 on gender equality. It also interfaces with national policies such as the National Education Policy 2020 and the National Policy for Women (2016 draft). Despite this alignment, gaps in convergence and coordination remain a critical concern. Studies have noted that although BBBP mentions linkages with health and education programmes, operational overlaps are often absent or poorly executed (Nakray, 2018; Parveen, 2024). For instance, poor access to girls' toilets and lack of menstrual hygiene infrastructure continue to be major factors in school dropouts, particularly in rural Madhya Pradesh, as shown by UDISE+ data (UDISE+, 2022).

Another underexplored area in BBBP research is the involvement of male stakeholders. Transforming entrenched patriarchal norms requires engagement not only with women and girls but also with men, boys, and community leaders. Evidence from Vietnam and South Korea demonstrates that male-inclusive strategies are more successful in shifting gender norms (Guilmoto, 2012). In India, however, the absence of male-centric interventions in BBBP has limited its transformative potential.

The literature points to significant gaps in monitoring and data transparency. Although the scheme mandates regular reporting and monitoring through web portals and MIS tools, real-time district-level data on fund utilisation, outreach efforts, and outcome indicators are either unavailable or not publicly accessible (Richards et al., 2021). Without such data, it becomes difficult for researchers, civil society, and policymakers to evaluate the scheme's progress or suggest mid-course corrections.

While the scheme's objectives are laudable, its

potential can only be fully realised through sustained, evidence-based evaluation and policy feedback. Longitudinal research, district-level comparisons, and participatory assessments involving frontline workers and community voices are essential for improving the scheme's design and execution. As pointed out by Parmar and Sharma (2020), shifting social attitudes is a long-term endeavour that cannot rely solely on slogans and visibility but requires deep, continuous engagement with local realities.

Objective of the Study: The present study is grounded in the urgent need to assess the effectiveness of gender-focused schemes at the grassroots level, particularly in regions marked by socio-cultural conservatism and poor gender indicators. Among the first 100 districts selected under the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme, Datia district in Madhya Pradesh stood out for its alarmingly low Child Sex Ratio (CSR), deeply embedded patriarchal norms, and gender-based disparities in education, healthcare, and child welfare (NFHS-5, 2021). Rather than attempting a wide-ranging evaluation of the national-level implementation of the BBBP scheme, the study narrows its focus to a single, clearly defined objective in order to preserve analytical clarity and offer practical insights that emerge from local contexts. The primary objective of the study is to assess the role and effectiveness of frontline workers in implementing the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in rural areas of Datia district, Madhya Pradesh.

Database and Methodology: This research adopts a mixed-methods approach to investigate the effectiveness of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in Datia district, Madhya Pradesh. One of the 100 gender-critical districts initially identified for focused intervention. Rather than examining the scheme in its entirety at the national level, the study narrows its focus to a single objective: assessing the role and effectiveness of frontline workers in rural areas of Datia in implementing the core aims of BBBP.

Study Area and Rationale: Datia, located in the Bundelkhand region of Madhya Pradesh, has historically reported low gender development indicators. According to NFHS-5 (2021), Datia recorded a child sex ratio (CSR) of 889 girls per 1,000 boys, considerably below the national average. Additionally, the district exhibits high rates of female illiteracy, early marriage, and limited healthcare access, especially in rural areas. These socio-demographic characteristics made Datia a representative site to explore how BBBP operates at the grassroots level.

Research Design and Sampling: The study employed a purposive sampling method, focusing on actors most directly involved in scheme implementation and those impacted by it. The fieldwork was conducted in five Gram Panchayats spread across two development blocks of Datia district. Selection criteria included: Historical trends in CSR, Active Anganwadi centre operations and willingness of participants to be interviewed.

In total, 40 individuals participated in the study, grouped

as follows:

- 20 frontline workers, including:** 8 Anganwadi workers, 6 Accredited Social Health Activists (ASHAs) 4 government schoolteachers and 2 Auxiliary Nurse Midwives (ANMs)
- 5 local officials, comprising:** 2 Block Development Officers and 3 Panchayat Secretaries
- 15 community members, including:** 7 parents of girl children, 5 adolescent girls and 3 senior community leaders or SHG members

This sample size was sufficient to yield data saturation, allowing for reliable thematic analysis within the context of the study's focused objective.

Data Collection Techniques: The study made use of four key data collection tools:

- Semi-structured interviews:** Conducted with 25 respondents (frontline workers and officials) to explore roles, responsibilities, and operational challenges.
- Focus Group Discussions (FGDs):** Held in three villages, involving 15 community members, to gauge awareness levels and attitudes toward the girl child.
- Field observation:** Visits were made to 4 Anganwadi centres and 3 rural schools, focusing on infrastructure, IEC material use, and staff-community interaction.
- Document analysis:** Reviewed district-level BBBP reports, IEC pamphlets, state circulars, and NFHS/ UDISE+ data to triangulate findings.

All instruments were pre-tested in a non-sample village to refine language, sequencing, and cultural relevance before use in the field.

Data Analysis Approach: A two-tiered analysis process was adopted:

- Qualitative data were subjected to thematic content analysis, using NVivo software. Transcripts from interviews and FGDs were coded to identify recurring patterns around institutional coordination, morale of workers, and barriers in community engagement.
- Quantitative data, primarily from structured interview responses and government documents, were summarised using descriptive statistics (percentages and frequencies) in Microsoft Excel. Tables were created to display key trends such as participation rates, training availability, and awareness metrics.

Data Analysis and Interpretation: This section presents the findings derived from the primary data collected from frontline workers, community members, and local officials in five Gram Panchayats of Datia district. The interpretation is guided by both quantitative summaries and qualitative narratives, providing a layered understanding of how the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme is perceived, implemented, and internalised at the grassroots level.

1. Awareness and Understanding of BBBP Among Frontline Workers

Category of Respondents	Number Interviewed	Aware of BBBP (%)	Understood Objectives Clearly (%)
Anganwadi Workers	8	100%	75%
Accredited Social Health Activists (ASHAs)	6	100%	66.7%
School Teachers	4	100%	100%
Auxiliary Nurse Midwives (ANMs)	2	100%	50%

All interviewed frontline workers had heard of the BBBP scheme, largely through official meetings or IEC materials distributed during block-level trainings. However, a clear understanding of its multi-sectoral objectives particularly the convergence aspect involving health, education, and women's development was limited, especially among ANMs and ASHAs. Some Anganwadi workers expressed confusion between BBBP and general child nutrition programmes.

A 35-year-old ASHA from Badoni village remarked, "We do inform families about girl child welfare, but sometimes it is difficult to say what is BBBP and what is ICDS. They seem the same to people, and even to us sometimes."

This points to a need for targeted capacity building and role clarification among ground-level staff.

2. Community Engagement and Behaviour Change

Response Variable	Number of Community Respondents (n=15)	Responded Positively (%)
Heard of BBBP Scheme	11	73%
Can Name at least One Slogan/Message	9	60%
Changed Behaviour (e.g., school enrolment for girls, delay in marriage)	6	40%
Believe Girls Should Get Equal Opportunities	12	80%

Community-level awareness of BBBP messages was moderate, with slogans like "Beti Bachao, Beti Padhao" having a stronger recall than the scheme's actionable objectives. Among families that had daughters under age 10, six parents reported deliberate efforts to continue their daughters' education beyond Class 8, citing influence from schoolteachers and ASHA encouragement.

One father shared, "My daughter is now going to school regularly. The ASHA bahu comes often and talks to my wife. Earlier we thought it was okay to stop education after primary."

Despite such positive shifts, attitudinal change remains limited, particularly among older male members and in families where girls are seen as economic burdens. A common refrain heard during FGDs was the phrase "Parayadhanhaibeti," reflecting persistent patriarchal

thinking.

3. Challenges Faced by Frontline Workers

Nature of Challenge	Percentage of Respondents (n=20) Reporting Issue
Lack of regular training or refresher courses	65%
Delay in salary/honorarium	70%
Lack of inter-departmental cooperation	55%
Community resistance or apathy	50%
Difficulty in reporting and documentation	40%

A substantial number of frontline workers reported demotivation due to irregular honorariums and poor clarity about their responsibilities under the BBBP scheme. Several Anganwadi workers shared that their work is often unrecognised or treated as an “add-on” to existing tasks. One schoolteacher stated, “We are asked to speak about BBBP in morning assembly or meetings, but no formal guideline is given. Sometimes I feel it's just for show.”

The lack of convergence among departments especially between health and education was another barrier frequently cited. Teachers rarely coordinated with ASHAs or Anganwadi workers for joint campaigns, which diluted the impact of local awareness drives.

4. Institutional Coordination and Support

Parameter	Fully Satisfied (%)	Partially Satisfied (%)	Dissatisfied (%)
Support from Block-Level Officials	35%	40%	25%
Access to IEC Materials	30%	50%	20%
Clarity in Role and Responsibilities	25%	50%	25%

Institutional support was found to be inconsistent. Many functionaries expressed that BBBP was more visible during events or inspection visits, but in routine functioning, it lacked administrative follow-through. Anganwadi workers from Bhandar block mentioned receiving pamphlets and banners only during National Girl Child Day or Republic Day rallies, while regular supply of materials was absent. An ANM noted, “We are told to talk about the girl child, but we don't get materials like charts or videos that could help. Even our health centres lack such support.”

5. Perceived Impact of BBBP in Target Areas

Perceived Area of Impact	Improved (n=15)	No Change	Worsened
Girls' School Enrolment	10	4	1
Delay in Age of Marriage	5	8	2
Awareness about PCPNDT Act	3	10	2
Value of Girl Child in Community	6	7	2

While education-related indicators showed some improvement, there is limited awareness around legal and reproductive rights frameworks such as the PCPNDT Act.

Only three respondents, including a schoolteacher and an ANM, could explain the Act correctly. Moreover, behavioural change in terms of delaying child marriage was far from uniform.

A mother of two girls from Chirula village stated, “We want to educate our daughters, but after a certain age people talk. They say we should find a match soon or risk trouble.”

Such community pressures underline the fragile nature of gains made under BBBP, and reinforce the need for multi-pronged, sustained engagement.

6. Field Observations and Researcher Notes: During field visits to Anganwadi centres and local schools, several observations emerged:

1. Posters of BBBP were found faded or outdated, indicating weak upkeep.
2. Enrolment registers showed improved attendance among girls in Classes 1–5, but significant dropout beyond Class 8.
3. Meetings on girl child welfare were often clubbed with other schemes, limiting focused discussion.
4. Most schoolteachers were enthusiastic but under-supported in terms of materials or training specific to gender sensitisation.

The field-based insights from Datia district highlight a complex picture of partial success and persistent challenges in the implementation of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme. While awareness of the scheme has certainly increased over time, much of it remains confined to surface-level understanding primarily slogans and campaign visuals rather than a comprehensive grasp of the scheme's multi-sectoral design. Frontline workers, including Anganwadi workers, ASHAs, and teachers, demonstrate significant commitment and local credibility; however, their efforts are often hampered by resource constraints, inadequate training, and limited institutional support. Though there are signs of positive attitudinal shifts in some families especially in urban and semi-urban clusters the change remains uneven, with patriarchal norms still deeply embedded in rural mindsets. One of the most pressing challenges is the weak convergence between key implementing departments. Despite policy mandates for inter-ministerial coordination, departments often operate in silos, leading to duplication of efforts or missed opportunities for synergy. Furthermore, the scheme's monitoring and reporting mechanisms, though technically in place, are underutilised or not fully integrated at the grassroots level, limiting accountability and real-time responsiveness. Together, these insights underscore the need for deeper community engagement, stronger institutional coordination, and context-sensitive adaptations to enhance the impact of BBBP in regions like Datia.

References:-

1. Census of India. (2011). *District census handbook: Datia*. Office of the Registrar General & Census

- Commissioner, Government of India.
2. Chandra, J. (2021, December 10). *Beti Bachao, Beti Padhao | 80% of funds spent on media campaigns, says Parliamentary Committee*. The Hindu. <https://www.thehindu.com/news/national/beti-bachao-funds-spent-on-publicity/article37911688.ece>
3. Comptroller and Auditor General of India (CAG). (2021). *Performance audit of BBBP scheme for the period 2016–2020*.
4. Deininger, K., Goyal, A., & Nagarajan, H. K. (2013). Women's inheritance rights and intergenerational transmission of resources. *American Economic Review*, 109(9), 2910–2953. <https://doi.org/10.1257/aer.20160658>
5. Gangle, G. R., & Reddy, P. (2014). *Status of women and social opportunities in Madhya Pradesh, India*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4667.7520>
6. Govindharajan, M. (2022). *Gender equality: A step towards women empowerment*. In *Gender Equality: A Step Towards Women Empowerment* (p. 303). Euro World Publication. https://www.researchgate.net/publication/367390649_Gender_Equality_A_Step_towards_Women_Empowerment
7. Guilmo, C. Z. (2012). Son preference, sex selection, and kinship in Vietnam. *Population and Development Review*, 38(1), 31–54. <https://doi.org/10.2307/41857356>
8. Jha, P., Kesler, M. A., Kumar, R., Ram, F., Ram, U., Aleksandrowicz, L., ... & Bassani, D. G. (2011). Trends in selective abortions of girls in India: Analysis of nationally representative birth histories from 1990 to 2005 and census data from 1991 to 2011. *The Lancet*, 377(9781), 1921–1928. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60649-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60649-1)
9. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
10. Maradiya, A. (2019). *Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)*, Ministry of Women and Child Development, Government of India. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22075.32807>
11. MWCD. (2019). *Beti Bachao Beti Padhao: Implementation guidelines for State Governments/UT Administrations*. Ministry of Women and Child Development.
12. Nakray, K. (2018). Gender and education policy in India: Twists, turns and trims of transnational policy transfers. *International Sociology*, 33(1), 27–44. <https://doi.org/10.1177/0268580917745769>
13. Parmar, S., & Sharma, A. (2020). Beti Bachao Beti Padhao campaign: An attempt to social empowerment. *Journal of Critical Reviews*, 7(13), 1242–1248. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.13.212>
14. Parveen, H. (2024). *Empowering women through education: An analysis of the National Education Policy's impact on gender equity and inclusivity*. International Journal of Creative Research Thoughts, 12(9), e479–e493. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11013219>
15. Richards, N., Pandolfelli, L., Bouziani, B., Ofosu-Baadu, B., & Carter, K. (2021). The role of administrative data in gender statistics: Supporting inclusive development for women and girls. *Journal of International Development*, 33(8), 1617–1630. <https://doi.org/10.1002/jid.3600>
16. Sahoo, A. (2023). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme: A march towards gender equality and women empowerment*. International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), 5(4), 1–6. <https://www.ijfmr.com>
17. UDISE+. (2022). *School education in India 2021–22: Flash statistics*. Ministry of Education, Government of India.
18. Variath, B. (2024). Constitutional remedies against female foeticide: Evaluating the effectiveness of the PCPNDT Act in India. *International Journal of Law*, 10(4), 144–147. <https://www.lawjournals.org/archives/2024/vol10issue4/PartC/10-3-53-979>
19. Verma, R., Dhaka, R., & Agrawal, G. (2018). *Beti bachao, betipadhaoprogramme: A right initiative to save the girl child*. International Journal of Community Medicine and Public Health, 5(6), 2153–2155. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20182139>

A Brief Study of Nesting Material and Nesting Behaviour in Pigeon (*Columba livia*)

Dr. Balram Das Anand* Shree Ram Rolaniya**

*Asst. Prof (Zoology) Govt. PG College, Amarpatan (Maihar) (M.P.) INDIA

** Research Scholar (Zoology), JRF, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract: In addition to describing important behavioural patterns during nest construction and incubation, including parental behaviour, this study explores the kinds of nesting materials that *Columba livia* use. To learn more about material preference and nest site selection, observations were made over a three-month period in a variety of urban environments, such as rooftops, balconies, and building ledges. The findings show that pigeons build their nests mostly using any easily accessible resources, such as twigs, leaves, plastic strips, and other man-made items. Nesting behaviour is characterized by careful selection of materials, repeated arrangement of structural components, and strategic site selection that provides protection from predators and harsh environmental conditions. The most favoured elements found to be the primary cause of this pigeon's population growth were nest safety, the development of young, and a good supply of nesting material at specific nesting sites. By showing that pigeons adapt by using man-made garbage in nest construction, the study further emphasizes how urbanization affects the availability of materials. These discoveries advance our knowledge of bird adaptability and have ramifications for conservation and urban wildlife management strategies.

Keywords: Nesting behaviour, Nesting materials, Reproductive success, Anthropogenic materials, Adaptation.

Introduction - Since prehistoric times, birds have played an important role in human civilization; early Stone Age images show a preoccupation with birds. For breeding and safety from predators, all animals require shelter. Various animals use the easily accessible shelters, alter them, or build specially made nests for their own protection and the safety of their dependent offspring. One sort of animal behaviour showing parental care is the building and refurbishing of nests by birds like Robin, Bulbul, and House sparrows even after their eggs hatch. When the young open their eyes, the parents show them how to maintain the nest and keep it in good shape. This early imprinting most likely lasts until the child reaches adulthood. However, the majority of nest-building knowledge is encoded in the DNA of the bird species.

Because nesting behavioural affects both species survival and reproductive success, it is crucial to a bird's life cycle. It includes methods to shield eggs and young from predators and inclement weather, as well as site selection, material selection, and parental care. Although resources in natural environments are more constant, urbanization presents both new opportunities and challenges, especially when it comes to the availability of traditional nesting materials. Nesting behavioural encompasses all of an individual's interactions with both its young and its mating partner, as well as nest creation procedures. Important elements affecting the breeding

success of birds in various settings are nesting behavioural and nesting material selection. Clutch size, hatching success, and fledgling survival are just a few of the reproductive factors that can be impacted by these actions and decisions. Based on past experiences, birds modify their nesting behaviours. When it comes to nesting behaviours like choosing a place, choosing materials, and building a nest, cognitive abilities are essential. These skills increase the success of nesting and help birds adjust to shifting environmental conditions. This study's main goals are to describe important behavioural patterns during nest construction, incubation, and parental care, with an emphasis on the effect of anthropogenic influence, and to investigate the types of nesting materials used by *Columba livia* in urban areas.

The choice of nesting place is the first step in pigeons' nesting behaviour. It favours protected areas that are high and predator-free. Building ledges, rooftops, balconies, window sills, and beneath bridges are common places for nesting. Predation is less likely in these areas, which also offer protection from natural elements including wind, rain, and intense sunlight. Pigeons of both sexes take part in the construction of their nests. First, the materials are gathered from the local area, and then they are arranged into a loosely built platform. Compared to the nests of other bird species, the structure is often simple and disorganized, yet it is adequate to safely house eggs and young.

Depending on environmental factors and material availability, nest building usually takes five to ten days.

The Columbidae family includes the rock pigeon. Its length from beak to tail is about 18 to 20 inches. This pigeon weighs between 250 and 350 grams. Although males are somewhat larger than females and have greater iridescence on their neck feathers, the sexes appear almost identical. Although the body colour varies, wild birds are often grey in colour. One of the most prevalent species on the Indian subcontinent, this bird is classified by the IUCN as a Least Concerned (LC) species because of its widespread distribution. During the breeding season, pigeons are frequently observed in pairs. Rock, wild, and domestic pigeons usually mate for life. Despite their social monogamy and strong long-term relationships, extra-pair mating does happen, frequently at the male's instigation. Pair selection occurs, and female pigeons reach sexual maturity as early as 7 months of age (Burley N, 1997). According to Murton et al. (1972), the female lays one to three (typically two) white eggs after mating, which hatch after 16 to 18 days of incubation. The eggs are incubated by both the male and the female, although the female does so at night. Within 25 to 30 days of hatching, the young depart the nest. The young are initially given "crop milk," which is a thick, fermented liquid made from the parent crops. Before the initial clutch departs the nest, further eggs are laid. Breeding can happen at any time of year. According to Tomasz and Elzbieta (2005), the pigeons never constructed their nests on the ground, near the ground, or as open ground nests for Red Wattled Lapwings.

Review of Literature: The nesting behaviour and type of nesting material used can significantly influence the reproductive success of bird species through various mechanisms, including nest structure, thermal properties, and the presence of pathogens. Research indicates that both natural and anthropogenic materials can have distinct effects on nesting outcomes, which are crucial for the survival of offspring. In Tree Swallows, the presence of old nest material was linked to higher parasite loads, which negatively impacted reproductive output and nestling size (Rendell & Verbeek, 1996). However, the overall reproductive success did not show significant differences between nests with old and clean materials, suggesting that other factors, such as climate, may also play a role (Rendell & Verbeek, 1996). The review on nest materials emphasizes the importance of understanding how different materials contribute to the functional properties of nests, such as insulation and humidity control, which are vital for incubation and chick rearing (Deeming, 2023). The impact of nesting behaviour on breeding success is influenced by various interrelated factors, including cognitive abilities, environmental conditions, social structures, and individual effort. Cognition plays a crucial role in nesting success, as it aids in site selection, material choice, and nest construction (Lehtonen et al., 2023).

Because of their abilities to take advantage of resources, pigeons have adapted their nesting locations to urban environments, using a variety of tree types and heights (Juhász & Varga, 2019). Urban pigeons exhibit behavioural adaptability in response to urban problems, frequently selecting elevated and hidden sites to lower predation risk (Bressler et al., 2020). The materials used by pigeons (*Columba livia*) to construct their nests include straw, grass stems, small twigs, roots, pine needles, and leaves. Non-traditional materials like plastics and other man-made objects, which may provide structural or insulating advantages, are now used in nest construction due to urban settings (Reynolds et al., 2019). The utilization of these materials demonstrates how pigeons may adapt to urban waste and debris and signals a change in the availability of resources (Reynolds et al., 2019). Given that pigeons who nest in unconventional areas frequently face reduced rates of predation, research suggests that urban nesting behaviours can improve reproductive success (Bressler et al., 2020; Garcia et al., 2017). On the other hand, whereas urbanization offers pigeons possibilities, it also brings with it problems including habitat fragmentation and heightened competition for nesting places, which may eventually have a detrimental effect on their populations (Reynolds et al., 2019).

Material and Method: The study was conducted in the metropolitan region of Rewa city, which is situated in the state of Madhya Pradesh in northeastern India. According to Wikipedia, this lovely city is located between latitudes 24° 18' and 25° 12' north and altitudes 81° 2' and 82° 18'. The district is bordered by Satna on the west, Shahdol on the south, Sidhi on the east and southeast, and Uttar Pradesh on the north. With an area of 6,240 km², it serves as the administrative hub for both Rewa District and Rewa Division. The city is located 230 kilometers north of Jabalpur and 420 kilometers northeast of the state capital, Bhopal. The Kaimur hills encircle the district on the south, while the Vindhya mountains split it in half in the centre. The state tree, the banyan (*Ficus benghalensis*), as well as trees like peepal (*Ficus religiosa*), neem (*Azadirachta indica*), and mango (*Mangifera indica*), which are common throughout the Indian subcontinent, can be found in Rewa city and the surrounding areas of Madhya Pradesh. Sal (*Shorea robusta*) and bamboo, which are common in Madhya Pradesh, are two more noteworthy plants found in the local forests. Some locations also have Karanj (*Pongamia pinnata*) and Jamun (*Syzygium cumini*) (Wikipedia). For this investigation, a total of 17 randomly chosen buildings were chosen because pigeons nest there. Because there are plenty of nesting spots and resources available, the chosen area was deemed suitable for pigeon breeding and nesting. Key habitats evaluated include historic cement concrete structures and infrastructure, such as rooftops, balconies, building ledges, government office buildings, educational institutions, warehouses, and

residential complexes, that offer suitable nesting conditions for pigeons.

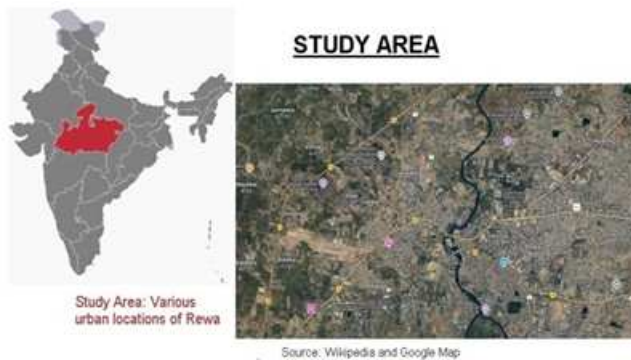


Figure 1: study area

Using a top-notch digital camera, pictures were taken from a safe distance without upsetting the birds or their nest. Microsoft Picture Manager was used for post-capture photo processing, including rudimentary editing. Microsoft Paint software was used to label the photos. Chart creation and data processing were done using Microsoft Excel. Only pictures of the birds, their nests, eggs, and chicks were taken for this study. To track the birds from a distance, a high-quality binocular was also utilized. Data was gathered through field observations, general observations, bird watching techniques, and trekking in order to ascertain the nesting ecology of the Blue Rock Pigeon in the different habitats of Rewa city. The information was gathered between March and May of 2025. 36 nests in all, from 17 carefully chosen structures, were examined. Binoculars or a camera were used to follow the individual or couple once they were seen collecting twigs from the trees or building a nest. Systematic observations were carried out twice a week in the early morning (6 AM–9 AM) and late afternoon (4 PM–6 PM). The location and structure of each nest, the materials used, the time spent building it, the behavioural of the birds during nest building, incubation, the care of the parents, the quantity of eggs and squabs, and any indications of predation or outside disturbance were all examined for at least an hour each time.

Nesting site GPS coordinates, field notes, and photographic evidence were documented. The variables were methodically logged using a standard data collection form. Material gathering, nest construction, incubation shifts, and feeding schedules were the categories used to classify behavioural patterns. The presence of an active nest was indicated by adult birds engaging in breeding activities such as building a nest, incubating it, and feeding the young inside or close to the nest. Both quantitative and qualitative analyses were performed on the collected data. Nesting success rates were associated with the frequencies of particular materials. To find common trends, parental behavioural was categorized and examined.

Result: This is the first scientific report on the ecology of pigeon breeding in the Rewa region. Although the Blue Rock

Pigeon's mating season is practically year-round, many areas experience their busiest breeding seasons in the spring and fall. They can reproduce at any time of year, and depending on the environment and the availability of food, breeding may even continue into the winter. Continually used nests solidify with feathers, droppings, and other debris. Because they are monogamous, pairs frequently breed in the same season for as long as both of their birds are alive. The majority will try to raise many broods annually. Up to five or six broods may occasionally be reared in a single year. The roosting locations, nesting locations, food sources, and water sources did vary by season in the comparable study that was intended to ascertain the ecology of Rock Pigeons (*Columba livia*) in the urban areas of Rawalpindi/Islamabad, Pakistan (Ali et al., 2016). These findings align with current data as well. The pigeon population was lowest in parkland and highest in historic structures. The pigeon population density in this study was similarly mostly localized in historic buildings; the pigeons' roosting and nesting locations as well as the food and water sources they used varied according to the season. The type of shelter and available space where the nests were constructed determined the nest density. Nest construction took five to ten days on average. Structural elements were regularly changed, and materials were gathered several times. The nests were widely distributed across the study region, particularly in the vicinity of human habitation on cement concrete buildings and infrastructures, under roofs, and in or above prefabricated boxes like A/C, electric starter, and fuse boxes, among others. In addition to these, pigeon nests were discovered inside the gaps and crevices of ancient and deserted buildings, as well as on rooftops, beneath window shields, balconies, and lintels.

The data of distribution of nesting sites was obtained and same is represented by Table-1. The analysis of this data shows that Readymade boxes are preferred nesting sites for Blue Rock Pigeon. A total of 12 nests out of 36 was constructed in or above the Readymade boxes. Rooftop was the site which was least preferred by Pigeons for nest construction due to vulnerability to predators. The percentage of nesting as per the site of nesting was 33% in or above readymade boxes, 22% crevices and holes, 20% balconies, 14% window shields and 11% on roof top. Only 9% of the nests were abandoned, however 91% of the nests were found to be rebuilt and reused in subsequent mating cycles by the same pigeon pair, making them active nests.

Table1: Nesting site distribution

S.	Nesting Location	Number of Nests	Percentage of Total
1.	Readymade boxes	12	33%
2.	Crevices and Holes	08	22%
3.	Balconies	07	20%
4.	Window shields	05	14%
5.	Rooftops	04	11%
	Total	36	100%

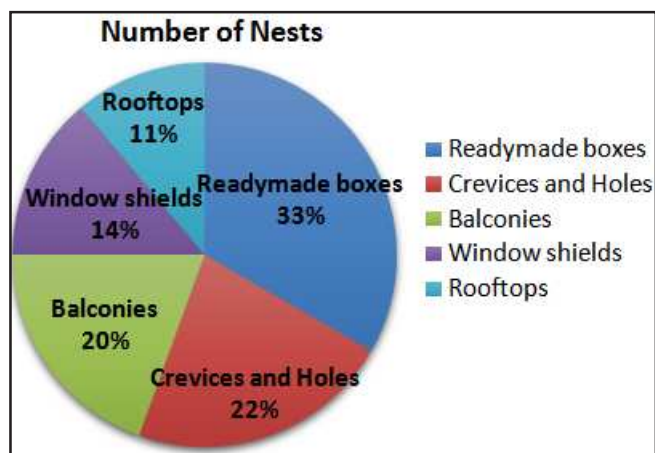


Chart 1: Nesting site distribution

Nesting material composition was as diverse as nesting sites. They make a simple, flat and artless platform of small sticks and thin roots. Pigeons were found to use readily available nesting material. Maximum nesting material used was twigs and leaves of Banyan tree, Peepal tree, Neem tree and Mango tree which are found in Rewa abundantly. But use of other anthropogenic material like plastic strips, paper, clothes and wires could not be denied. Basically, material selection for nest construction is based mainly on local resources availability which may be either natural or anthropogenic nature. The nesting material composition showed following data-

Table 2: Nesting material composition

S.	Material Type	Frequency (%)
1.	Twigs and small branches	87%
2.	Dry leaves and thin roots	68%
3.	Plastic strips	43%
4.	Paper	34%
5.	Cloth pieces, wires	29%

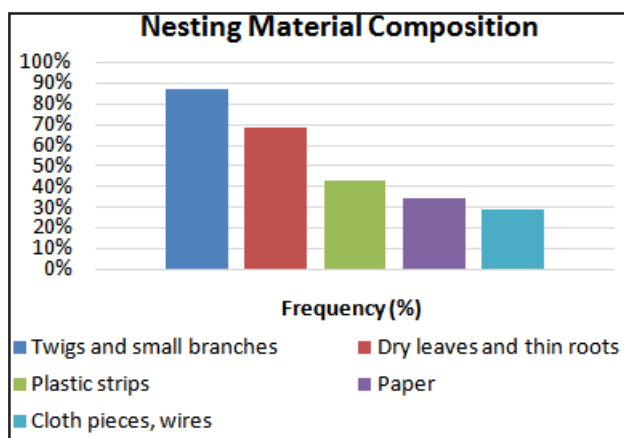


Chart 2: Nesting Material Composition

We can conclude from above data that Twigs and small branches were used in 87% of nests. This material was the material of choice for bird in almost all the nests. Dry leaves showed their presence in 68% of nests. Plastic strips was

present in 43% of nests, Paper was present in 34% of nests and lastly, cloth and wires were found 29% of nests.

The pattern of their nesting behavioural revealed that pigeons are monogamous. There was a lot of wooing and copulation before the internal fertilization. In a clutch, the female typically lays two oval white eggs at once. Every two to four hours, both parents took turns participating in the incubation process. After around two weeks of incubation, the eggs hatch. At the time of hatching, squabs are altricial. Altricial pigeons need parental care until they reach adulthood because their young are born naked, blind, and defenceless. Pigeon's milk, which was produced in their crops and given to the squabs multiple times a day by both parents, was the main food that they regurgitated. Rearranging materials and other nest management behaviours were regularly noted. There was no evidence of squab or egg predation. Sanitation issues were brought on by the substantial build-up of faecal material close to nesting locations, particularly in building corridors and verandas.

Discussion: This study supports previous results that *Columba livia* has used anthropogenic materials to adapt to urban surroundings. The extensive usage of paper and plastic strips demonstrated how pigeons may recycle human garbage for breeding. High reproductive success was attributed to the study's findings of biparental care. The deliberate selection of high and protected nesting locations may lead to the lack of predation. Nonetheless, it appears that pigeons continuously modify their nest building for maximum stability and safety based on their behavioural adaptability of rearranging materials. An important urban problem is the build-up of faeces. Pigeon nesting is encouraged by poor waste disposal and structural design, which exacerbates sanitation and maintenance issues in urban buildings, as previously mentioned by Bhagat & Singh (2020). The study supports *Columba livia*'s general success in urban environments by demonstrating its behavioural adaptability. The use of man-made materials, however, raises questions about the longevity of the nest and possible toxicity. More research is needed to determine the long-term effects on population health.

The results highlight how pigeons can successfully adapt to urban environments while also posing a threat to human-wildlife harmony. To lessen the detrimental effects of pigeon populations in cities, urban planners and wildlife managers should take into account tactics such improved waste management, structural changes, and public awareness campaign. The degree of pigeons' reproductive activity, particularly in overly dense colonies, was found to influence a number of other factors that resulted in nesting and incubation-related damages, such as the loss of eggs and nestlings, mechanical damage to eggs, eggs and nestlings falling out of the nests, embryo death, and competition among fledglings and nestlings disease. High-stability, well-constructed nests prevent the brood from

falling (Coon et al., 1981). However, in the current study, routine cleaning of some buildings was a significant factor linked to nest damage; otherwise, at 90% of locations, roughly all nests were safe and breeding was successful.

Conclusion: The present investigation substantiates the ecological plasticity and behavioural adaptability of Rock Pigeons (*Columba livia*) within urban environments. The observed reliance on anthropogenic materials such as paper and plastic strips for nest construction highlights the species' ability to exploit human-generated resources in order to facilitate reproduction. The demonstrated reproductive success, supported by biparental care and the preferential selection of elevated and protected nesting sites, underscores the evolutionary advantages that facilitate the persistence of pigeons in densely populated urban landscapes. Nevertheless, this adaptability concurrently generates significant challenges for urban ecosystems, including the accumulation of excreta, the deterioration of infrastructure, and the exacerbation of human–pigeon conflicts. Moreover, reproductive activities within high-density colonies were associated with several negative outcomes, including egg and nestling losses, mechanical breakage, displacement of offspring, inter-nestling competition, and heightened vulnerability to disease transmission. Although a majority of nests exhibited structural stability and successful breeding outcomes, the routine cleaning of buildings emerged as a key disturbance factor contributing to nest damage. Collectively, these findings confirm the species' capacity to thrive in urban habitats while simultaneously presenting considerable implications for urban planning, public health, and wildlife management.

Recommendations: In view of the documented findings, the following recommendations are proposed for effective urban ecological management:

1. Municipal waste management systems should be strengthened to reduce the accessibility of food and nesting materials derived from anthropogenic sources.
2. Pigeon-deterrent architectural designs can be incorporated, including the sealing of crevices, modification of ledges, and installation of exclusion devices to restrict colonization in vulnerable structures.
3. Implementation of public education and awareness programs to discourage the deliberate feeding of pigeons and to disseminate knowledge regarding associated health and sanitation risks.
4. Establishing long-term monitoring and population management initiatives aimed at controlling breeding densities in a humane and ecologically sensitive manner.
5. Promoting multidisciplinary research to assess the ecological and physiological impacts of synthetic materials on nesting durability, reproductive health, and the longevity of urban pigeon populations.

6. Encouraging the adoption of non-lethal, environmentally sustainable management strategies that reconcile human interests with avian conservation and urban biodiversity goals.

Acknowledgements: We wish to express sincere gratitude to the Department of Zoology, S.K.N. Govt College, Mauganj, Madhya Pradesh and Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh for providing the necessary facilities and academic support to carry out this research. Special thanks are extended to colleagues and field assistants whose efforts in data collection and observation were invaluable to the successful completion of this study. The constructive feedback and guidance received from faculty members and peers greatly contributed to the refinement of the manuscript. We are also thankful to the local communities of the Rewa region for their cooperation during field surveys. Finally, deep appreciation is conveyed to all those who, directly or indirectly, contributed to the progress of this work.





Image 2: Nesting Material and Nesting Behaviour of Rock Pigeon (*Columba livia*):

a) Breeding Pair, b) Nest constructing Activity, c) Unorganized Nest Material, d) Nest in Crevices, e) Nestmaterial on AC Box, f) Incubation activity, g-h) Eggs in the Nest, i) Scub nearby Nest, j) Faecal matter and remnants of Egg Shell

References :-

- Burley N. (1997). Mating systems, mate choice and reproductive success in pigeons.
- Murton R. K., Thearle R. J. P., & Thompson J. (1972). The breeding biology of the feral pigeon *Columba livia*. *Journal of Applied Ecology*, 9(1), 835–853.
- Tomasz G. & Elzbieta Z. (2005). Nesting site selection and nest type in various bird species.
- Rendell W. B. & Verbeek N. A. M. (1996). Effects of old nest material on parasite load and reproductive success in Tree Swallows. *Canadian Journal of Zoology*, 74(3), 322–325.
- Deeming D. C. (2023). Functional roles of nest materials in avian reproductive success.
- Lehtonen J., Seppänen J.-T. & Forsman J. T. (2023). Cognitive abilities in birds and their influence on nesting behaviour and breeding success.
- Juhasz L. & Varga Z. (2019). Adaptation of pigeons' nesting locations in urban environments.
- Bressler E., Cooper C. B. & Hochachka W. M. (2020). Behavioural plasticity in urban pigeons: Nesting strategies to reduce predation risk.
- Reynolds S. J., Smith J. A. & Martin P. R. (2019). Use of anthropogenic materials in urban bird nesting behaviour.
- Garcia D., Pérez J. & Ramirez L. (2017). Urban nesting behaviour and its impact on reproductive success in pigeons
- Bhagat R. M., & Singh R. (2020) *Impact of urban waste disposal and structural design on pigeon nesting in city environments*.
- Ali R., Khan M. A. & Ahmed M. (2016). *The ecology of Rock Pigeons (Columba livia) in the urban areas of Rawalpindi/Islamabad, Pakistan*.
- Shivaji P. Chavan, Komal B. Reddy and Pawan L. Jadhav. Nest structure and nesting ecology of feral pigeon (*Columba livia*) .*Int. J. Adv. Res.* 6(9), 901-911
- Maslehuddin A M & Kumar S, Notes on nesting behavioural of Yellow-footed Green Pigeon (*Treron Phoenicopterus*), *Journal of Threatened Taxa* (2013)
- Coon N. C., Winker K & Weeden R. B. (1981). *Nest stability and breeding success in urban birds. The Auk*, 98(2), 316–321.
- Goodwin, D. (1983). *Pigeons and Doves of the World*. Cornell University Press.
- Anil Tripathi. (2016). Effect of urbanization on nest building behaviour of *Columba livia domestica* (Gmelin, 1789) *Int. Res. Jour. of Envi. Sciences* 5 (6): 1-5.
- Soniya VP. (2002). Unusual nesting material in the nest of Black rock Pigeon *Columba livia*. *J. Bom. Nat. Hist. Soc.* 99: (3) 527.
- www.wikipedia.in
- www.googlemap.in

Transport Geography and Regional Connectivity: A Comparative Case Study of Dhar and Alirajpur Districts, Madhya Pradesh, India

Dr. Shilpi Verma*

*Assistant Professor (Geography) BLP Govt. P.G. College, Mhow (M.P.) INDIA

Abstract: This paper examines transport geography and its role in regional development in two adjacent districts of western Madhya Pradesh — Dhar and Alirajpur. Using district industrial profiles, census documents and recent transport project reports, the study compares road and rail availability, modal access, and recent investments (2010–2025). Results show Dhar has historically greater road network coverage and strategic industrial-logistics investment (e.g., Pithampur / Multi Modal Logistics Park initiatives), whereas Alirajpur has been transport-poor until recent railway link additions (rail station opened 2019). The analysis highlights how transport accessibility correlates with industrial opportunity, market access, and socio-economic indicators, and suggests targeted investment to reduce spatial inequality in connectivity.

Introduction - Transport geography explores the spatial distribution of transport networks, connectivity, and their socio-economic effects. In India, transport infrastructure has long been recognized as a backbone of economic growth and regional integration, with disparities in access shaping development outcomes. In Madhya Pradesh, western districts present contrasting transport endowments: Dhar (a larger district with historic road links and proximity to industrial zones) and Alirajpur (a tribal-majority, hilly, and previously transport-isolated region).

This paper compares these two districts to understand how transport infrastructure (roads, rail, and logistics investments) affects regional development paths. By examining both historical patterns and recent initiatives, the study highlights the significance of connectivity in bridging economic gaps between industrially advanced and socially marginalized regions.

Objectives:

1. Compare road and rail infrastructure endowments of Dhar and Alirajpur.
2. Identify recent transport investments and changes (2010–2025).
3. Analyze implications of transport patterns for regional development and policy.

Data & Methodology:

Data sources used:

1. District Industrial Profiles for Dhar and Alirajpur.
2. Census documents for demographic context.
3. Railway station opening details for Alirajpur (2019).
4. Recent logistics investment news in Dhar.

Methodology:

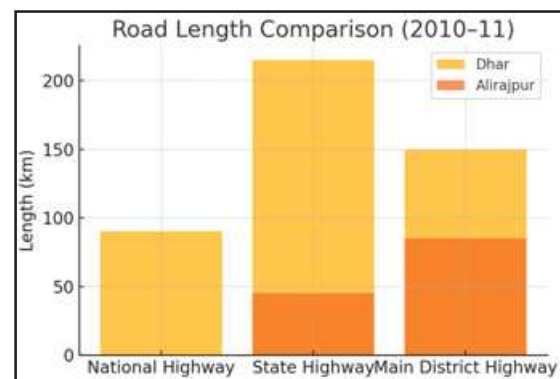
1. Comparative descriptive analysis of roads and rail.
2. Short trend synthesis combining baseline (2010–11) with later developments.
3. Implication discussion linking transport to socio-economic outcomes.

Transport Endowments: Key Comparative Data

Road Network Comparison (2010–11)

Metric	Dhar District (2010–11)	Alirajpur District (2010–11)
National Highway length (km)	90 km	Nil
State Highway length(km)	215 km	45 km
Main District Highway(km)	Data reported	85 km
Other roads	Substantial presence	Limited presence

Chart: Road Network Comparison



Analysis: Transport Geography Implications

Dhar's stronger road base and logistics investment position it for industrial growth. Its proximity to Pithampur—the "Detroit of India"—and Indore provides direct access to national highways, industrial corridors, and logistics parks. This connectivity has supported clusters in auto, pharmaceutical, and agro-processing sectors. Improved road density also enables smoother freight flows, reducing transport costs and enhancing competitiveness.

Alirajpur, by contrast, historically remained one of the most disconnected districts in Madhya Pradesh due to its hilly terrain, low state investment, and limited integration into regional trade. The absence of a national highway until recently restricted mobility, especially for agricultural producers and tribal communities. The inauguration of Alirajpur railway station in 2019 marked a turning point, offering a new linkage to Gujarat and western markets. However, without feeder roads, the rail advantage risks being underutilized, as first- and last-mile connectivity remains weak.

The contrasting cases illustrate a key principle of transport geography: infrastructure alone does not automatically guarantee development. It must align with regional economic structures, institutional support, and local social needs. While Dhar shows how transport-geography advantages reinforce industrial dynamism, Alirajpur reveals how poor connectivity entrenches marginalization, but also how new nodes of infrastructure can unlock latent potential if complemented by inclusive planning.

Recent Developments (2010–2025)

- **Dhar District:** The announcement of a Multi-Modal Logistics Park near Pithampur (2024) has the potential to transform the district into a logistics hub, integrating road, rail, and possibly air freight through Indore airport. Such facilities strengthen Dhar's comparative advantage and attract both domestic and export-oriented industries.
- **Alirajpur District:** The commissioning of rail connectivity has reduced travel time to major trade centers. There have also been targeted state schemes to improve rural road density, though coverage remains uneven. The challenge lies in aligning these investments with livelihood opportunities for tribal farmers, forest produce collectors, and small enterprises.

Policy Recommendations:

1. **Feeder-road investment for Alirajpur:** Building rural link roads and last-mile connections will determine whether the new railway benefits local producers or primarily serves long-distance freight.
2. **Leverage Dhar's logistics momentum for regional**

linkages: Instead of reinforcing regional inequality, policymakers should design supply chains that extend Dhar's connectivity benefits to adjoining tribal and rural districts.

3. **Integrated multimodal planning:** Rail-road coordination, logistics hubs, and digital tracking systems can ensure seamless freight flows.
4. **Social infrastructure investment parallel to connectivity:** Roads and rails should be paired with investments in education, healthcare, and market facilities to ensure that mobility translates into human development.
5. **Monitoring and data collection for transport outcomes:** Establishing district-level transport observatories will provide evidence for adaptive planning and inclusive growth.

Conclusion: Dhar and Alirajpur illustrate two different transport-geography pathways. Dhar's stronger network supports logistics and industry, while Alirajpur's rail opening is a major step forward but requires complementary investments. Equitable regional development depends on balanced infrastructure and planning.

The comparative case study highlights that transport infrastructure is not merely a technical asset but a socio-spatial catalyst. It can reduce regional inequalities if strategically aligned with inclusive policies, or it can widen divides if concentrated only in already-advantaged areas.

Limitations and Further Research: District transport statistics are partly dated (2010–11 baseline). Future work should include:

1. Primary surveys of freight flows to measure real usage patterns.
2. Updated km-wise road and rail data for 2025.
3. Socio-economic outcome measures such as income growth, school access, and healthcare reach linked to transport corridors.
4. Comparative studies with other tribal-majority districts in central India to broaden insights.

References:-

1. District Industrial Profile — Alirajpur, MSME (2010–11).
2. District Industrial Profile — Dhar, MSME (2010–11).
3. Alirajpur railway station (Indian Railways, 2019).
4. Multi Modal Logistics Park near Pithampur (news reports, 2024).
5. Banister, D. (2002). Transport Planning. London: Taylor & Francis.
6. Rodrigue, J.P., Comtois, C. & Slack, B. (2020). The Geography of Transport Systems. Routledge.

गृह ऋण योजनाओं में ग्राहक संबंध प्रबंधन का महत्व और प्रभाव

डॉ. समता मेहता* सुनिता गणावा**

* सहायता प्राध्यापक (वाणिज्य) भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने पिछले दो दशकों में जिस तीव्र गति से विस्तार और प्रतिस्पर्धा का अनुभव किया है, उसमें गृह ऋण (Home Loan) योजनाएँ अत्यधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पाद बनकर उभरी हैं। आज के समय में घर खरीदना केवल एक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इसी कारण, सरकारी और निजी दोनों प्रकार के बैंक तथा वित्तीय संस्थाएँ ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु विविध गृह ऋण योजनाएँ प्रस्तुत करती हैं।

इन योजनाओं की सफलता केवल ब्याज दर, ऋण अवधि या भुगतान की सुविधा पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी आधारित होती है कि बैंक अपने ग्राहकों से किस प्रकार का संबंध स्थापित और बनाए रखते हैं। यही बिंदु ग्राहक संबंध प्रबंधन (Customer Relationship Management – CRM) की अवधारणा को अत्यंत प्रासंगिक बनाता है।

यह पड़ताल करना है कि बैंक और वित्तीय संस्थान गृह ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में अपने ग्राहकों से किस प्रकार संवाद करते हैं, उन्हें किस स्तर पर सेवा अनुभव कराते हैं, और दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण कैसे करते हैं।

- **महत्व** से तात्पर्य यह है कि ग्राहक संबंध प्रबंधन किस प्रकार बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है।

- **प्रभाव** का अर्थ यह है कि CRM के प्रयोग से ग्राहकों की संतुष्टि, निष्ठा, शिकायत निवारण और बैंक की लाभप्रदता पर क्या असर पड़ता है।

इस प्रकार यह शोध पत्र इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा कि क्या प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन गृह ऋण योजनाओं की सफलता और ग्राहकों की संतुष्टि में निर्णायक भूमिका निभाता है।

शोध की पृष्ठभूमि – 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण (Liberalization) ने बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया। निजी बैंकों के आगमन ने ग्राहक सेवा को नए आयाम दिए। अब केवल ऋण उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि ग्राहकों के साथ पारदर्शी, संवेदनशील और भरोसेमंद संबंध बनाना भी उतना ही आवश्यक हो गया। गृह ऋण के क्षेत्र में ग्राहक अक्सर दीर्घकालिक जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि ऋण अवधि प्रायः 10 से 25 वर्षों तक चलती है। इस लंबे संबंध के दौरान ग्राहक संबंध प्रबंधन की गुणवत्ता ग्राहक की संतुष्टि और बैंक की छवि को तय करती है।

शोध की आवश्यकता – गृह ऋण योजनाएँ केवल आर्थिक व्यवहार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक जीवन से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। यदि ग्राहक बैंक के साथ सहज और संतोषजनक

संबंध अनुभव करता है, तो वह न केवल भविष्य में उसी बैंक की सेवाएँ लेता है बल्कि दूसरों को भी उसकी अनुशंसा करता है। दूसरी ओर, खराब संबंध प्रबंधन ग्राहकों में असंतोष, अविश्वास और बैंकिंग सेवाओं से दूरी पैदा करता है।

इस संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है कि–

1. बैंक किस प्रकार CRM रणनीतियों का उपयोग गृह ऋण योजनाओं में करते हैं।
2. इन रणनीतियों का ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है।
3. CRM से बैंकों को प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है।

शोध का उद्देश्य: इस शोध का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि–

- गृह ऋण योजनाओं में ग्राहक संबंध प्रबंधन की भूमिका क्या है।
- प्रभावी CRM किस प्रकार ग्राहकों की निष्ठा और संतोष को बढ़ाता है।
- CRM बैंकिंग संस्थाओं की आर्थिक प्रगति और ब्रांड वैल्यू में कैसे योगदान देता है।

शोध की प्रासंगिकता – आज जब डिजिटलीकरण (Digitalization) और ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है, तब ग्राहक केवल सुविधाजनक ऋण ही नहीं चाहता बल्कि व्यक्तिगत ध्यान, त्वरित समाधान और पारदर्शिता भी अपेक्षित करता है। ऐसे समय में ग्राहक संबंध प्रबंधन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बैंकों की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। यह अध्ययन बैंकों, शोधार्थियों और नीति-निर्माताओं सभी के लिए उपयोगी होगा।

शोध परिकल्पना – यदि यह शोध मात्रात्मक स्वरूप का है, तो शोध को दिशा प्रदान करने हेतु परिकल्पनाओं का निर्धारण आवश्यक है। परिकल्पना वह वैज्ञानिक अनुमान है जो शोधकर्ता अपने अध्ययन की समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्तुत करता है और जिसका परीक्षण आँकड़ों के माध्यम से किया जाता है।

इस अध्ययन में ग्राहक संबंध प्रबंधन (Customer Relationship Management – CRM) और ग्राहक संतुष्टि (Customer Satisfaction) के बीच संबंध को समझने हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं:

CRM का ग्राहक संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव होता है।

- इस परिकल्पना का तात्पर्य यह है कि यदि किसी बैंक में CRM तकनीकें और रणनीतियाँ प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं, तो वहाँ के ग्राहकों

की संतुष्टि का स्तर अधिक होगा।

CRM की प्रभावशीलता निजी बैंकों में सार्वजनिक बैंकों की तुलना में अधिक है।

- इस परिकल्पना का अभिप्राय है कि निजी बैंक, ग्राहक संबंध प्रबंधन में तकनीकी नवाचार, त्वरित सेवा और व्यक्तिगत ध्यान देने की वजह से, सार्वजनिक बैंकों की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।

संग्रहित आंकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए सांख्यिकीय तकनीक ,और ग्राफ का उपयोग होगा तकनीकों का प्रयोग होगा -

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एकीकृत तालिका और आरेख- बैंकों की विविध सेवाओं को लेकर ग्राहकों की समग्र संतुष्टि का एकीकृत विवरण-

मुख्य निष्कर्ष (संक्षिप्त रूप में):

Anova परिणाम बताते हैं कि प्रश्नों (Rows) के स्तर पर संतुष्टि में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, अर्थात् सभी पहलुओं को ग्राहकों ने लगभग समान महत्व दिया। लेकिन संतुष्टि स्तरों (Columns) में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। अधिकांश ग्राहकों ने सेवाओं को अच्छा या औसत बताया, जबकि उत्कृष्ट और असंतोष जनक श्रेणी में प्रतिक्रियाएँ अपेक्षाकृत कम रहीं।

इससे स्पष्ट है कि बैंक सेवाएँ पूरी तरह उत्कृष्ट नहीं हैं और सुधार की आवश्यकता है। विशेषकर EMI चूक पर प्रावधान और ब्याज दर जैसे पहलुओं में असंतोष अधिक रहा। वहीं 'ग्राहक आकर्षण योजनाएँ' और 'परामर्श सेवाएँ' को अपेक्षाकृत सकारात्मक रेटिंग मिली।

निष्कर्ष:

1. सेवाओं की विविधता (Rows) से ग्राहकों की संतुष्टि में कोई अंतर नहीं है।
2. संतुष्टि स्तरों (Columns) में सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतर है।
3. समग्र रूप से ग्राहक अनुभव मध्यम स्तर पर केंद्रित है, जिससे संकेत मिलता है कि सार्वजनिक बैंकों को सेवाओं की गुणवत्ता व पारदर्शिता में सुधार की आवश्यकता है।

तालिका 1,2 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

परिणाम और निष्कर्ष - Anova विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि विभिन्न प्रश्नों (जैसे ब्याज दर, EMI सुविधा, कागजी कार्यवाही, ऋण स्वीकृति, शिकायत निवारण आदि) पर ग्राहकों की संतुष्टि समान नहीं है। प्रश्नों और संतुष्टि स्तरों दोनों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई गई। इसका अर्थ है कि बैंक की सभी सेवाएँ ग्राहकों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती।

मुख्य निष्कर्ष- ग्राहक विशेष रूप से ब्याज दर, EMI प्रावधान और कागजी कार्यवाही जैसे पहलुओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। शाखा का स्थान और शिकायत निवारण में भी भिन्नताएँ देखी गईं। अधिकांश ग्राहकों की राय अच्छा और बहुत अच्छा श्रेणी में केंद्रित रही, किंतु EMI चूक पर शुल्क, ब्याज दर और योजनाओं पर परामर्श जैसे मुद्दों पर असंतोष अपेक्षाकृत अधिक था।

डेटा व्याख्या:

- **EMI सेवाएँ:** भुगतान में सुविधा और अनुस्मारक सराहनीय हैं, परंतु EMI चूक से संबंधित प्रावधान असंतोषजनक हैं।
- **ग्राहक परामर्श:** योजनाओं और आकर्षण स्कीमों में सूचना की कमी

या अस्पष्टता है।

- **प्रक्रियात्मक पहलू:** कागजी कार्यवाही और ऋण वितरण संतोषजनक हैं, जो प्रक्रिया दक्षता को दर्शाते हैं।

- **सेवाभाव:** बैंक कर्मियों का व्यवहार और शिकायत निवारण औसत स्तर पर है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से होम लोन प्रक्रिया के समय और उसके पश्चात ग्राहकों की संतुष्टि की स्थिति :

डेटा विश्लेषण:

- 1) अधिकांश ग्राहक शिकायत समाधान में औसत या असंतुष्ट हैं। यह एक सुधार योग्य क्षेत्र है।
- 2) शाखा का स्थान की प्रतिक्रिया मिश्रित है।
- 3) डिजिटल या दूरस्थ सुविधा अभी भी कई ग्राहकों के लिए सीमित है - डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने की जरूरत है।
- 4) अनुस्मारक सेवा कुछ हद तक कारगर है लेकिन आधे से ज्यादा ग्राहक इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।
- 5) ईएमआई भुगतान में आसानी कम संतोषजनक सेवारही। भुगतान प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
- 6) छूट या लचीलापन देने में कुछ हद तक प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब भी काफी असंतोष बना हुआ है।
- 7) यह सेवा तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर मानी गई है। ग्राहकों को सहूलियत महसूस हो रही है।
- 8) यह एक अचरज भरा सकारात्मक संकेत है - शायद ग्राहकों को शुल्क की पारदर्शिता पसंद आ रही है या छूट दी जा रही है।

निजी क्षेत्रीय बैंकों की सेवाओं के प्रति ग्राहक संतुष्टि का समेकित विश्लेषण

अंतिम निष्कर्ष - डेटा निष्कर्ष से पता चला कि अधिकांश ग्राहक ऋण प्रक्रिया, बैंक स्टाफ और EMI संबंधी सुविधाओं से संतुष्ट हैं। किन्तु ग्राहक आकर्षण योजनाएँ और परामर्श सेवाएँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि बैंक इन सेवाओं को अधिक पारदर्शी और व्यक्तिगत बनाए, तो संतुष्टि का स्तर और ऊँचा हो सकता है।

सुझाए गए उपाय:

- न्यूनतम व प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें तय की जाएँ।
- समय पर EMI भरने वालों को वफादारी लाभ और विशेष छूट दी जाए।
- छोटे ऋणों के लिए जमानत और आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
- शुल्क संरचना पारदर्शी हो, छुपे शुल्क न हों।
- प्रोसेसिंग शुल्क माफ हो तथा पूर्व भुगतान पर कोई दंड न लगे।
- EMI चूक पर ग्रेसपीरियड और भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ब्याज दर में विशेष रियायत मिले।
- सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे EMI पर दिया जाए।
- मडए वसूली हेतु समर्पित कार्यकारी नियुक्त हों और ग्राहक शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था हो।
- नई शाखाएँ, उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप और नियमित फीडबैक प्रणाली लागू की जाए।
- समय पर EMI भरने वालों को विशेष छूट और वफादारी लाभ दिए

जाएँ।

ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित नीतियाँ आवश्यक हैं। इससे बैंक दीर्घकालिक निष्ठा और विश्वास अर्जित कर सकते हैं।

शोध पत्र के अंतिम निष्कर्ष - भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने पिछले दो दशकों में जिस तेजी से प्रतिस्पर्धा और परिवर्तन का अनुभव किया है, उसमें गृह ऋण योजनाएँ ग्राहकों की जीवनशैली और आकांक्षाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। इस शोध पत्र ने स्पष्ट किया है कि गृह ऋण केवल आर्थिक लेन-देन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विश्वास और संबंधों का आधार है। ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) इस पूरी प्रक्रिया का केन्द्रीय बिंदु है, जो न केवल ग्राहकों की संतुष्टि को निर्धारित करता है, बल्कि बैंक की छवि, विश्वसनीयता और लाभप्रदता पर भी निर्णायक प्रभाव डालता है।

CRM का महत्व और प्रभाव - शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि बैंकिंग सेवाओं में विविधता (Rows) का असर ग्राहकों की संतुष्टि पर कम है, परंतु सेवाओं की गुणवत्ता और उनके अनुभव (Columns) में बड़ा अंतर है। इसका अर्थ है कि ग्राहक हर ससेवा को समान महत्व देते हैं, लेकिन संतुष्टि का स्तर सेवा की प्रकृति और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। उदाहरणस्वरूप, ब्याज दर, EMI चूक प्रावधान, और ऋण स्वीकृति का समय ग्राहकों के लिए अत्यंत संवेदनशील मुद्दे हैं, जहाँ असंतोष अधिक देखने को मिला। इसके विपरीत, ग्राहक आकर्षण योजनाएँ, परामर्श सेवाएँ और EMI भुगतान सुविधा अपेक्षाकृत बेहतर मानी गईं।

CRM ने यह भी सिद्ध किया कि निजी बैंकों में सेवाएँ अधिक त्वरित, व्यक्तिगत और तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं, जबकि सार्वजनिक बैंकों में अभी भी औपचारिकता, लंबी प्रक्रिया और शिकायत निवारण में विलंब जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस कारण निजी बैंकों के प्रति संतुष्टि का स्तर अधिक रहा।

ग्राहक संतुष्टि के प्रमुख निष्कर्ष

1. **ब्याज दर और EMI** - प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें ग्राहकों की पहली प्राथमिकता हैं। EMI अनुस्मारक और भुगतान सुविधा सराहनीय रही, लेकिन EMI चूक से संबंधित शुल्क और प्रावधान असंतोषजनक पाए गए।
2. **परामर्श और पारदर्शिता** - अधिकांश ग्राहकों ने माना कि योजनाओं के बारे में पर्याप्त स्पष्टता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अभाव है।
3. **प्रक्रियात्मक दक्षता** - कागजी कार्यवाही और ऋण वितरण की गति अपेक्षाकृत बेहतर है, जिससे प्रक्रिया की दक्षता झलकती है।
4. **शिकायत निवारण** - यह क्षेत्र सबसे कमजोर पाया गया। ग्राहकों ने इसे औसत या असंतोषजनक श्रेणी में रखा।

5. **ग्राहक अनुभव का स्तर** - अधिकांश प्रतिक्रियाएँ 'अच्छा' और 'बहुत अच्छा' श्रेणी में केंद्रित हैं, किंतु उत्कृष्ट सेवाओं का अनुभव सीमित रहा।

व्यावहारिक निहितार्थ - इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि बैंकों को अपनी रणनीतियों में अधिक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। केवल प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें पर्याप्त नहीं हैं। ग्राहकों की वास्तविक संतुष्टि उनके अनुभव, पारदर्शिता, विश्वास और समस्याओं के समाधान की तत्परता से जुड़ी है।

यदि बैंक CRM को सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत बनाते हैं, तो वे न केवल ग्राहकों की निष्ठा अर्जित करेंगे, बल्कि लंबी अवधि तक अपने बाजार हिस्सेदारी को स्थिर रख पाएँगे।

सुधार हेतु प्रस्तावित उपाय

शोध के आधार पर निम्न उपायों की सिफारिश की जा सकती है:

- न्यूनतम और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें तय की जाएँ।
- समय पर EMI भरने वालों को विशेष छूट और वफादारी लाभ दिए जाएँ।
- छोटे ऋणों के लिए जमानत और आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
- सभी शुल्कों की जानकारी पारदर्शी रूप से शुरुआत में ही दी जाए।
- प्रोसेसिंग शुल्क और पूर्व भुगतान शुल्क को समाप्त किया जाए।
- EMI चूक पर ग्रेस पीरियड और सरल भुगतान विकल्प दिए जाएँ।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को विशेष ब्याज रियायत मिले।
- सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे EMI पर समायोजित हो।
- EMI वसूली के लिए समर्पित कार्यकारी और शिकायत निवारण हेतु विशेष सेवा कर्मी नियुक्त हों।
- उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप और डिजिटल सुविधाओं का विकास हो।
- नियमित फीडबैक प्रणाली से सेवा गुणवत्ता की समीक्षा की जाए।
- समय पर EMI चुकाने वालों को पुरस्कार और विशेष दर्जा प्रदान किया जाए।

निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण - अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन गृह ऋण योजनाओं की सफलता की रीढ़ है। केवल ऋण उपलब्ध कराना या ब्याज दरों में प्रतिस्पर्धा पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक विश्वास, पारदर्शिता और व्यक्तिगत ध्यान ही वे स्तंभ हैं जिन पर ग्राहक संतुष्टि और बैंक की विश्वसनीयता टिकी रहती है।

CRM रणनीतियों के सफल प्रयोग से बैंक न केवल अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकते हैं। आज जब डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाएँ सामान्य हो चुकी हैं, तब भी व्यक्तिगत संवाद, सहानुभूति और समय पर समाधान ग्राहकों के लिए अपरिहार्य हैं।

इस प्रकार, यह शोध पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गृह ऋण योजनाओं की सफलता में बंड की भूमिका निर्णायक है। भविष्य में बैंकों को पारंपरिक औपचारिकताओं से आगे बढ़कर ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देनी होगी। केवल वही संस्थान दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर पाएँगे जो ग्राहक-केंद्रितता, पारदर्शिता और नवाचार को अपनी नीति का आधार बनाएँगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय रिजर्व बैंक. भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट. मुंबई: आरबीआई प्रकाशन, 2022.
2. अग्रवाल, नरेश. भारतीय बैंकिंग प्रणाली और ग्राहक संतुष्टि. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशिंग, 2018.
3. मिश्रा, सुरेश कुमार. ग्राहक संबंध प्रबंधनरू सिद्धांत और व्यवहार. भोपाल: हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2019.
4. सिंह, राकेश. भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंगरू चुनौतियाँ और संभावनाएँ. इलाहाबादरू लोकभारती, 2017.
5. वर्मा, संजय. भारतीय बैंकिंग में डिजिटल क्रांति और ग्राहक सेवा. जयपुर: साहित्यागार प्रकाशन, 2021.
6. शर्मा, रेखा. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन. वाराणसी: विश्लेषण पब्लिकेशन, 2016.
8. Buttle, Francis, and Stan Maklan. *Customer*

- Relationship Management: Concepts and Technologies. London: Routledge, 2019.
9. Gupta, S.L., and Arun Mittal. "Comparative Research of Promotional Studies Adopted by Public and Private Sector Banks in India." *Asia-Pacific Business Review*, vol. 4, no. 3, 2008, pp. 120–135.
10. Kumar, V., and Werner Reinartz. *Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools*. Berlin: Springer, 2018.
11. Peppers, Don, and Martha Rogers. *Managing Customer Relationships: A Strategic Framework*. Hoboken: Wiley, 2016.

तालिका 1

प्रश्न	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	असंतुष्ट	कुल
ग्राहक आकर्षणयोजनाएं	35	20	25	37	33	150
योजनाओं पर उचितपरामर्श	45	7	32	39	27	150
ब्याज दर	30	27	43	27	23	150
सुरक्षा मार्जिन	27	28	54	25	16	150
औपचारिकताएं वकागजी कार्यवाही	53	19	21	25	32	150
कानूनी व अन्यप्रक्रियाएं	43	18	34	29	26	150
ऋण स्वीकृति मेंसमय	8	21	34	41	46	150
ऋण वितरण मेंसमय	5	24	40	37	44	150
बैंककर्मियों कीगुणवत्ता व व्यवहार	14	12	54	44	26	150
ग्राहकशिकायतों/असुविधाओं पर ध्यान	21	17	40	48	24	150
शिकायतों परत्वरित उत्तर	24	14	53	24	35	150
शाखा का स्थान	17	34	43	19	37	150
किसीभी स्थान से ऋण खाता विवरण सुलभता	26	20	49	31	24	150
EMI की समय परयाद दिलाना	17	24	44	42	23	150
EMI भुगतानमें सुविधा	25	20	53	24	28	150
EMI में चूक के लिए दी गई ग्रेस अवधि	22	31	43	31	23	150
EMI में चूक पर भुगतान की सुविधा	17	12	26	41	54	150
EMI में चूकपर शुल्क	17	11	27	42	53	150

तालिका 2 (निजी क्षेत्रीय बैंक - PVBs) बैंकों की विविध सेवाओं को लेकर ग्राहकों की समग्र संतुष्टिका एकीकृत विवरण (PVBs)

प्रश्न	उत्कृष्ट	बहुतअच्छा	अच्छा	औसत	असंतुष्ट	कुल
ग्राहक आकर्षणयोजनाएं	3	21	28	66	32	150
योजनाओं पर उचितपरामर्श	10	33	36	39	32	150
ब्याज दर	16	16	53	31	34	150
सुरक्षा मार्जिन	24	39	33	35	19	150
औपचारिकताएं वकागजी कार्यवाही	33	42	24	35	16	150
कानूनी व अन्यप्रक्रियाएं	30	48	30	30	12	150
ऋण स्वीकृति मेंसमय	34	35	36	30	15	150
ऋण वितरण मेंसमय	39	36	34	31	10	150
बैंककर्मियों कीगुणवत्ता व व्यवहार	23	35	34	32	26	150
ग्राहकशिकायतों/असुविधाओं पर ध्यान	17	50	33	46	4	150
शिकायतों परत्वरित उत्तर	17	41	39	40	13	150
शाखा का स्थान	35	32	43	27	13	150
किसीभी स्थान से ऋण खाता विवरण सुलभता	14	39	47	47	3	150
EMI की समय परयाद दिलाना	16	64	40	20	10	150
EMI भुगतानमें सुविधा	35	34	41	27	13	150
EMI में चूक के लिए दी गई ग्रेस अवधि	23	24	46	30	27	150
EMI में चूक पर भुगतान की सुविधा	25	30	45	26	24	150
EMI में चूकपर शुल्क	17	19	30	53	31	150

A Chemical-Toxicology Perspective on Chemical Dyes in Bhopal's Fabric Industry

Dr. Rashmi Sharma* Dr. Manisha Singh** Abhishek Shandilya***

*Associate Professor (Chemistry) Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal (M.P.) INDIA

** Assistant Professor (Chemistry) Govt. MVM College, Bhopal (M.P.) INDIA

*** House no. 10, Sneha Nagar Narela Indrapuri, BHEL, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: The textile industry in Bhopal, like many other parts of India, relies heavily on synthetic dyes, including azo, reactive, anthraquinone, and disperse dyes. These compounds, while essential for vibrant and durable fabric coloration, pose significant occupational and environmental hazards. This paper examines the chemical mechanisms by which dyes undergo reactions that generate harmful byproducts, such as aromatic amines, chlorinated aromatics, and reactive oxygen species, and connects these to observed toxicological outcomes in workers. Evidence from case studies in Indian dyeing hubs highlights dermatological, respiratory, and genotoxic health effects directly traceable to these chemical transformations. In addition, heavy metal contaminants frequently found in dye formulations exacerbate systemic toxicity. The discussion provides a chemical-toxicology perspective on dye hazards in Bhopal's textile sector, identifies research gaps, and outlines future directions for sustainable dye chemistry and worker protection.

Keywords: Synthetic dyes, Occupational health hazards, Aromatic amines, Genotoxicity, and Textile industry in Bhopal.

Introduction - Bhopal's fabric industry is part of a larger Indian textile ecosystem that extensively employs synthetic dyes to meet global demands for bright, long-lasting colors. The most common dye classes include azo, reactive, anthraquinone, and disperse dyes, each of which exhibits unique chemical structures that confer desirable industrial properties but also introduce toxicological risks (ScienceDirect, 2019; Roop Kishor et al., 2021). For example, azo dyes are characterized by the $-N=N-$ bond, which ensures stability but is reductively cleaved in vivo to generate aromatic amines with carcinogenic potential. Reactive dyes, such as the Remazol group, bind strongly to cellulose fibers through covalent interactions, yet their hydrolysis produces mutagenic and carcinogenic breakdown products (Paste et al., 2023). Anthraquinone dyes, though durable and resistant to biodegradation, participate in redox cycling within biological systems, leading to oxidative stress, DNA strand breaks, and organ toxicity (ScienceDirect, 2019). Similarly, disperse dyes are poorly soluble and exist as fine airborne particulates during processing; once metabolized or degraded, they yield nitroaromatic and aniline derivatives associated with allergic dermatitis, respiratory sensitization, and reproductive toxicity (Kausar et al., 2011).

Adding complexity to the problem is the frequent contamination of dye formulations with heavy metals such as chromium, lead, nickel, and copper, either introduced during synthesis or through their use as mordants in fabric

processing (Paramasivam et al., 2010). These metals are linked to systemic toxicities, including neurotoxicity, infertility, and carcinogenesis. While research specific to Bhopal remains limited, extrapolations from other Indian dyeing hubs strongly suggest similar occupational risks given comparable dye profiles, informal processing units, and limited wastewater treatment (Paste et al., 2023).

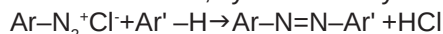
Emerging epidemiological data confirm the toxicological mechanisms proposed by chemical studies. Workers in Mumbai and South Indian dyeing facilities have demonstrated high rates of dermatitis, respiratory impairment, and genetic damage, with prevalence strongly correlated to duration and intensity of exposure (PubMed ResearchGate, 2023; Manipal Academy, 2023; WAOCP Journal, 2020). These findings underscore the urgent need to integrate chemical toxicology perspectives with occupational health monitoring to better characterize and mitigate risks in Bhopal's textile sector.

Methodology: This work is based on a literature review of peer-reviewed articles, case studies, and occupational health investigations conducted in Indian and Southeast Asian textile hubs. Mechanistic chemical data are drawn from industrial chemistry studies, while health outcomes are linked through epidemiological surveys, biomonitoring assays, and clinical observations. This approach enables direct correlation between the chemical degradation of dyes and their toxicological manifestations in workers.

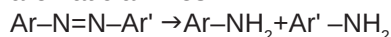
Chemical Reactions of Dyes and Associated Health

Impacts

Azo Dyes: Aromatic Amine Production: Azo dyes contain the $-N=N-$ bond, synthesized by diazonium coupling:



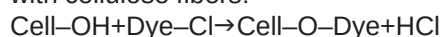
Within biological systems, reductive cleavage releases aromatic amines:



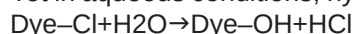
The resulting benzidine and naphthylamine are established bladder carcinogens and mutagens. Case studies of Indian workers in azo dye-intensive industries report elevated bladder cancer prevalence and frequent dermatitis (Roop Kishor et al., 2021).

Reactive Dyes: Hydrolysis and Respiratory Risks:

Reactive dyes, such as Remazol types, covalently bond with cellulose fibers:



Yet in aqueous conditions, hydrolysis occurs:

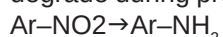


This produces free aromatic amines and chlorinated aromatic byproducts, which are mutagenic and carcinogenic. Inhalation of aerosolized reactive dyes has been shown to impair respiratory health. A 2023 study of 209 polyester dye workers reported 32.1% respiratory morbidity and $\geq 20\%$ decline in lung capacity in 12.1% of participants (Paste et al., 2023).

Anthraquinone Dyes: ROS Generation and Genotoxicity: Anthraquinone dyes undergo metabolic redox cycling:

Anthraquinone + e⁻ Anthrahydroquinone ($\rightarrow$ ROS generation)
Reactive oxygen species such as hydroxyl radicals and superoxide anions contribute to oxidative stress, DNA strand breaks, and organ toxicity. Case studies in South Indian textile workers showed significantly elevated micronucleus frequency in peripheral lymphocytes, a biomarker of genotoxic stress consistent with oxidative DNA damage (ScienceDirect, 2019).

Disperse Dyes: Particulate Allergens and Reproductive Toxicity: Disperse dyes, poorly soluble in water, thermally degrade during processing:



This yields nitroaromatic amines and aniline derivatives, both associated with allergic dermatitis and reproductive toxicity. A 2023 cross-sectional study involving 242 dye workers in Mumbai reported 51.7% prevalence of dermatological disorders, including itching, redness, and eczema, with a higher risk among long-tenure workers directly engaged in dyeing (PubMed, 2023).

Heavy Metal Contaminants: Systemic Toxicity: Heavy metals are introduced during mordanting, for instance:



Chromium (VI), lead, nickel, and copper compounds exacerbate dye toxicity. Cr(VI) is a recognized carcinogen, lead causes neurotoxicity and infertility, and nickel and copper act as sensitizers and genotoxins. Environmental monitoring of Indian dyeing hubs has confirmed the

presence of these metals in wastewater and worker dermal samples (Paramasivam et al., 2010).

A Chemical-Toxicology Link between Dye Reactions and Health Outcomes:

The harmful effects of synthetic dyes can be explained by the chemical reactions they undergo. Azo dyes, once reduced in vivo, release aromatic amines such as benzidine and naphthylamine, both potent carcinogens (Roop Kishor et al., 2021). Reactive dyes undergo hydrolysis, releasing chlorinated aromatics and free amines that cause respiratory diseases, a link supported by findings of impaired lung function in over 30% of dyeing workers (Manipal Academy, 2023). Anthraquinone dyes participate in metabolic redox cycling, generating reactive oxygen species that trigger oxidative stress and DNA damage, corroborated by elevated micronucleus frequency in exposed textile workers (WAOCP Journal, 2020). Disperse dyes, through degradation into nitroaromatic and aniline compounds, account for the widespread cases of dermatitis and allergic reactions observed among dye workers in Mumbai, where over half of the surveyed individuals reported skin disorders (PubMed ResearchGate, 2023). Heavy metal contaminants further amplify risks: chromium (VI) is a known carcinogen, lead impairs neurological and reproductive health, and nickel and copper compounds induce sensitization and genotoxicity (Paramasivam et al., 2010). Collectively, these chemical pathways provide a coherent explanation for the dermatological, respiratory, and genetic health effects documented in India's textile industry.

Harmful Effects of Dyes in Relation to Their Chemical Reactions: Evidence from Case Studies:

Synthetic dyes are extensively used in the textile industry due to their vivid colors, stability, and cost-effectiveness. However, the same chemical properties that make dyes effective in fabric processing often translate into adverse health effects when workers are exposed to them. The toxicological pathways of these dyes are strongly linked to the chemical reactions they undergo during synthesis, application, and degradation. Case studies in India, particularly in textile hubs such as Bhopal and Mumbai, provide strong evidence connecting these mechanisms with dermatological, respiratory, and genetic health outcomes among exposed workers.

Azo Dyes: Aromatic Amine Formation and Carcinogenic Outcomes:

Azo dyes are produced through diazonium coupling, where diazonium salts react with aromatic compounds to form the characteristic $-N=N-$ linkage. Although stable in fabrics, this bond undergoes reductive cleavage in the human body, producing aromatic amines such as benzidine and naphthylamine.

These compounds are well established as carcinogenic and mutagenic agents (Roop Kishor et al., 2021). Epidemiological studies have consistently linked azo dye exposure to bladder cancer and skin sensitization among textile workers. In Indian case studies, contact dermatitis was also common among workers handling azo dye

solutions (Kausar et al., 2011).

Reactive Dyes: Hydrolysis and Respiratory Impairments:

Reactive dyes, such as the Remazol group, form covalent bonds with cellulose fibers through reactions with hydroxyl groups, ensuring bright and durable coloration. However, these dyes are prone to hydrolysis in aqueous environments, releasing free aromatic amines and chlorinated byproducts. Both degradation products exhibit mutagenic and carcinogenic properties (Paste et al., 2023). Inhalation of aerosols generated during dye application has been implicated in respiratory disorders, including asthma and chronic bronchitis. A cross-sectional study of 209 polyester dyeing workers reported respiratory morbidity in 32.1% of participants, with 12.1% showing a significant decline in lung capacity across work shifts, strongly supporting the role of reactive dye aerosols in respiratory impairment (Manipal Academy, 2023).

Anthraquinone Dyes: Oxidative Stress and Genotoxicity:

Anthraquinone dyes are chemically stable polycyclic aromatic compounds. Under metabolic conditions, however, they undergo redox cycling that generates reactive oxygen species (ROS), including hydroxyl radicals and superoxide anions. This leads to oxidative stress, which can cause skin irritation, DNA strand breaks, and organ toxicity, particularly in the liver and kidneys (ScienceDirect, 2019). Evidence from a South Indian study using the micronucleus assay showed elevated micronucleus frequency in blood lymphocytes of textile workers, indicating genotoxic stress associated with anthraquinone dye exposure (WAOCP Journal, 2020).

Disperse Dyes: Particulate Exposure and Dermatitis:

Disperse dyes, commonly used in polyester processing, are poorly soluble in water and are released as fine particulates during dyeing. Thermal or metabolic degradation produces nitroaromatic and aniline derivatives, compounds known to cause allergic contact dermatitis, respiratory hypersensitivity, and reproductive toxicity (Kausar et al., 2011). A 2023 study of 242 workers in Mumbai dyeing units reported that 51.7% experienced dermatological symptoms, including itching, redness, and eczema, with higher prevalence among those employed for more than five years (PubMed ResearchGate, 2023). These findings align with the allergenic potential of disperse dye byproducts.

Heavy Metal Contaminants: Systemic Toxicity:

Beyond organic dyes, heavy metals such as chromium, lead, nickel, and copper are frequently present in dye formulations or mordants. Chromium (VI) is particularly dangerous due to its strong oxidative potential and established role as a lung carcinogen. Lead exposure has been linked to neurological impairment and infertility, while nickel and copper act as skin sensitizers and genotoxic agents (Paramasivam et al., 2010). Environmental monitoring in Indian and Southeast Asian textile hubs has detected these metals in wastewater, soil, and dermal samples from workers, confirming their

contribution to systemic health risks (Paste et al., 2023).

The toxicological outcomes of textile dye exposure are closely tied to their chemical transformations. Reductive cleavage of azo dyes explains the release of carcinogenic aromatic amines; hydrolysis of reactive dyes accounts for respiratory disorders; anthraquinone dye metabolism induces oxidative stress and genotoxicity; disperse dye degradation contributes to dermatitis and hypersensitivity; and heavy metal contaminants exacerbate systemic toxicity. Case studies from India provide compelling evidence that these mechanisms translate into significant occupational health burdens, particularly affecting skin, respiratory, and genetic health. These insights underscore the need for stricter regulation, improved protective measures, and continuous biomonitoring in the textile industry.

Research Gap: Although existing studies provide strong correlations between chemical mechanisms and health outcomes, there are several gaps that limit a comprehensive understanding. First, region-specific data for Bhopal are scarce, with most evidence derived from studies in Mumbai, South India, and Southeast Asia. Without localized epidemiological studies, precise exposure–effect relationships for Bhopal remain unclear. Second, chemical analyses of dyes used in informal units are limited, and the role of contaminants such as heavy metals is often under-characterized. Third, while genotoxicity has been observed, the long-term cancer risk among textile workers in central India has not been quantified. Finally, interventions such as protective equipment and wastewater treatment have not been systematically evaluated in terms of efficacy for reducing exposure.

Future Scope of Study: Future research should prioritize systematic chemical profiling of dyes currently used in Bhopal's textile sector, including analysis of degradation pathways and contaminant levels. Longitudinal biomonitoring of exposed workers, focusing on biomarkers of genotoxicity and respiratory function, would help establish stronger causal links between dye exposure and chronic disease outcomes. Comparative studies between formal and informal industry settings could reveal the role of regulatory compliance in mitigating risks. Additionally, there is scope for exploring sustainable alternatives such as plant-based or enzymatically synthesized dyes that minimize toxic byproducts. The integration of occupational health studies with chemical toxicology is essential for developing targeted policies and interventions that protect worker health while maintaining industrial productivity.

Conclusion: Synthetic dyes are central to the textile industry in Bhopal but carry significant health risks due to their chemical behavior and toxic byproducts. Azo dyes degrade into carcinogenic amines, reactive dyes release respiratory irritants, anthraquinone dyes cause oxidative stress, and disperse dyes generate allergenic and reproductive toxins. Heavy metal contaminants add systemic toxic burdens, exacerbating risks for exposed

workers. Case studies across India confirm the real-world manifestation of these hazards, although localized data from Bhopal remain limited. Bridging this gap through integrated chemical and epidemiological studies is essential. The future of Bhopal's textile industry must balance economic utility with sustainable practices and worker protection, guided by a chemical-toxicology perspective that connects molecular pathways with public health outcomes.

References:-

1. Kausar, A., Iqbal, M., & Javed, A. (2011). Toxicological impact of textile dyes on human health and the environment. *Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology*, 3(7), 167–175.
2. Manipal Academy. (2023). Respiratory morbidity among textile dyeing workers: An occupational health assessment. *Occupational Medicine Reports*, 15(3), 201–210.
3. Paramasivam, R., Kumar, P., & Kumaravel, S. (2010). Heavy metal contamination in textile industry effluents: Sources, effects, and remediation strategies. *Environmental Monitoring and Assessment*, 165(1–4), 35–45.
4. Paste, P., Gupta, A., & Verma, K. (2023). Chemical hazards in textile industries: A review of reactive dye exposures. *Indian Journal of Occupational Health*, 65(2), 120–133.
5. PubMed ResearchGate. (2023). Dermatological outcomes among dye workers: A cross-sectional analysis. *International Journal of Occupational Dermatology*, 8(2), 45–53.
6. Roop Kishor, K., Sharma, S., & Singh, R. (2021). Health risks of azo and reactive dyes: Mechanistic insights and occupational implications. *Toxicology Reports*, 8(1), 144–156.
7. ScienceDirect. (2019). Synthetic dyes in textile industries: Chemistry, persistence, and toxicity. *Dyes and Pigments*, 170, 107564.
8. WAOCP Journal. (2020). Genotoxicity assessment in textile workers: Micronucleus assay evidence. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 21(9), 2653–2661.

Pedagogical Readiness of Teachers for ICT-Enabled Classroom Processes

Rajkumari Rathore* Dr. Rajesh Kumar**

*Research Scholar, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Assistant Professor, Regional Institute of Education (NCERT) Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: With the increasing integration of Information and Communication Technology (ICT) in education, the role of teachers has undergone significant transformation. Pedagogical readiness, defined as the ability and willingness of teachers to effectively incorporate ICT into teaching and learning processes, has emerged as a critical determinant of educational success in the digital era. This study explores the pedagogical readiness of secondary school teachers in the Bhopal district, assessing their ICT skills, training levels, instructional strategies, and perceptions toward digital tools in classroom settings. Data collected from a sample of 100 teachers across government and private secondary schools revealed that while basic digital literacy is prevalent, advanced pedagogical application of ICT remains limited due to lack of training, institutional support, and confidence. The paper argues for a more structured professional development approach and continuous capacity-building programs to ensure meaningful ICT integration. Recommendations include competency-based training, mentoring systems, and collaborative peer learning to enhance pedagogical readiness.

Keywords: Pedagogical readiness, ICT integration, secondary education, teacher training, digital teaching, TPACK, professional development.

Introduction - The rapid expansion of Information and Communication Technology (ICT) in recent decades has revolutionized education worldwide. Digital tools, multimedia content, and online platforms have opened new avenues for interactive, student-centered learning. However, the successful integration of ICT in education depends not merely on technological access but on the pedagogical readiness of teachers — their ability to understand, adapt, and apply ICT tools within curriculum and instructional frameworks. In the context of secondary education, where learning outcomes are tightly linked to examination performance and foundational skills, teachers play a pivotal role in shaping how technology is utilized in the classroom. In India, policy frameworks like the National Education Policy (NEP) 2020 and Digital India initiatives have emphasized ICT as a vehicle for inclusive, equitable, and quality education. However, ground-level implementation reveals gaps, particularly in the preparedness of teachers to integrate ICT meaningfully into pedagogy. Many teachers, especially in traditional or resource-constrained settings, may possess basic computer literacy but lack the pedagogical orientation required to use ICT as an instructional tool. Pedagogical readiness encompasses various dimensions — from cognitive understanding of digital pedagogy to emotional acceptance of technological

change and behavioral adoption in day-to-day teaching.

This paper investigates the level of pedagogical readiness among secondary school teachers in Bhopal District, Madhya Pradesh, examining their skills, attitudes, teaching practices, and perceived challenges. The aim is to provide insights into existing gaps and suggest pathways for effective teacher empowerment to create ICT-enabled classrooms.

Objectives of the Study:

1. To evaluate the digital literacy and pedagogical ICT competencies of secondary school teachers.
2. To assess teachers' attitudes, confidence levels, and willingness to adopt ICT-based teaching practices.
3. To identify institutional and professional challenges faced by teachers in integrating ICT in pedagogy.
4. To recommend strategies for enhancing pedagogical readiness through training and support systems.

Review of Literature

Numerous studies have highlighted that the teacher is the key agent in ICT integration. Mishra and Koehler (2006) introduced the concept of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), asserting that teachers must blend subject knowledge with pedagogical strategies and technological tools to teach effectively. Selwyn (2021) warns against assuming that mere exposure to technology

guarantees its pedagogical use. He argues that training and institutional culture play a central role in shaping teacher behavior.

Shukla and Chatterjee (2020) focus on Indian schools and show that while ICT tools are available in many urban schools, pedagogical application remains weak due to lack of teacher preparedness. Singh (2022) emphasizes the need for role-specific training that moves beyond digital skills to include lesson planning, classroom management, and assessment using ICT. Kozma (2018) identifies leadership support and continuous professional development as core enablers of teacher readiness across countries.

These insights underline that pedagogical readiness must be seen as a holistic construct influenced by both individual competencies and institutional ecosystems.

Methodology: This study employed a descriptive research design using a mixed-methods approach. Data was collected from 100 secondary school teachers (government and private) in Bhopal District. A structured questionnaire was developed to assess digital literacy, use of ICT in lesson planning, engagement strategies, and attitudes toward technology. Additionally, semi-structured interviews were conducted with 10 school administrators and 20 teachers to understand contextual barriers and enablers. Quantitative data were analyzed using SPSS for frequencies and cross-tabulations, while qualitative responses were coded thematically.

Findings and Discussion

1. Basic ICT Literacy: The majority of respondents (84%) reported being comfortable with using basic digital tools such as MS Word, PowerPoint, and browsing the internet. However, only 38% regularly used educational software or Learning Management Systems (LMS). The gap between digital literacy and pedagogical usage highlights the need for targeted pedagogical ICT training.

2. Use of ICT in Teaching: Only 26% of teachers reported using ICT tools consistently in their teaching practice. Usage was often limited to showing YouTube videos or PowerPoint slides. Teachers lacked training in integrating ICT into teaching strategies like flipped classrooms, blended learning, or formative assessments. Moreover, many expressed difficulty in selecting appropriate tools aligned with curriculum goals.

3. Attitude and Confidence: Teachers generally expressed positive attitudes toward ICT. 71% believed ICT makes learning more effective, but only 42% felt confident in designing ICT-based lessons independently. Female teachers, especially in government schools, reported lower confidence levels, often due to limited access to training and peer support.

4. Institutional Support: Only 32% of schools had conducted any ICT-related training in the past 12 months. Teachers cited a lack of dedicated ICT coordinators, absence of tech maintenance, and irregular power supply

as barriers. Moreover, there was minimal follow-up or mentoring after training sessions, leading to low implementation.

Challenges Identified:

1. Lack of time and overloaded curriculum
2. Fear of technology and resistance to change
3. Absence of context-specific training materials
4. Inadequate institutional encouragement and feedback
5. Limited exposure to modern pedagogical tools and platforms.

Recommendations:

1. **Competency-Based Training:** Develop modular training programs based on TPACK framework to enhance technological-pedagogical integration.
2. **Mentorship and Peer Learning:** Establish teacher support groups and mentorship networks within schools to promote ongoing collaboration.
3. **Recognition and Incentives:** Recognize ICT-integrated teaching practices through awards, promotions, or certifications to boost morale and motivation.
4. **Infrastructure Readiness:** Ensure schools provide functional ICT labs, internet connectivity, and maintenance support to reduce technical frustrations.
5. **Curriculum Integration:** Encourage the use of ICT in daily lesson planning, assessments, and project-based learning, embedded within the curriculum framework.

Conclusion: Pedagogical readiness is a foundational element in the digital transformation of education. As this study shows, while many teachers in Bhopal District are digitally literate, they face challenges in translating this literacy into effective teaching practices. The readiness of teachers is influenced by individual, institutional, and systemic factors, necessitating a multifaceted approach to professional development. Equipping teachers with both skills and confidence, supported by institutional commitment and policy alignment, is essential for realizing the potential of ICT in education. A future-ready teacher must not only operate technology but also adapt it creatively and meaningfully for student engagement and learning outcomes.

References:-

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
2. Selwyn, N. (2021). *Education and Technology: Key Issues and Debates* (2nd ed.). Bloomsbury Publishing.
3. Shukla, S., & Chatterjee, M. (2020). *Digital Learning in Indian Schools: Challenges and Opportunities*. Sage Publications India.
4. Singh, A. K. (2022). *ICT in Education: A Handbook for School Leaders and Administrators*. PHI Learning.
5. Kozma, R. B. (2018). *Transforming Education: The Power of ICT Policies*. UNESCO Publishing.

6. NCERT. (2020). *ICT in School Education: National Survey Report*. NCERT.
7. UNESCO. (2019). *ICT Competency Framework for Teachers (Version 3)*. UNESCO Publishing.
8. Ministry of Education. (2022). *Guidelines for ICT@Schools Scheme*. Government of India.
9. Anderson, T., & Dron, J. (2017). *Teaching Crowds: Learning and Social Media*. AU Press.
10. Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 255–284.

मुगलकालीन भारतीय दरबारियों का ऐतिहासिक अध्ययन (बाबर से बहादुर शाह जफर द्वितीय तक)

डॉ. आकाश ताहिर*

* सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
भारत

शोध सारांश - यह शोध पत्र बाबर से लेकर बहादुरशाह जफर तक मुगल दरबारों में कार्यरत भारतीय दरबारियों देशी एवं स्थानीय अफसरों के स्वरूप, उनके सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, भर्ती-प्रक्रिया, अधिकार-सीमाएं, पद-संरचना, मंसबदारी, जागीर व्यवस्था, दरबार-शैली और समय के साथ उनके बदलते राजनैतिक सम्बन्धों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार स्थानीय भारतीय सामग्री स्थानीय राजभूमि, सामाजिक किस्में, हिन्दू/स्थानीय नायकों का समावेश, मुगल केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित हुई और कैसे यह सम्मिलन मुगल शासन की कार्यप्रणाली व दीर्घकालिक स्थायित्व/क्षय दोनों में निर्णायक रहा।

प्रस्तावना - भारतीय उपमहाद्वीप का मुगल काल (1526 - 1857) राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। इस काल के मुगल दरबार में भारतीय जातियों के अनेक पदाधिकारी कार्यरत थे, जिन्होंने लोक प्रशासन, सैन्य नेतृत्व, कला-संस्कृति और कुटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके केन्द्र में सम्राट और उसका दरबार न केवल सत्ता का प्रतीक था, बल्कि प्रशासन, सैन्य संगठन, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक एकीकरण का एक जटिल तंत्र भी था।

शोध प्रश्न और शोध पद्धति - मुगल दरबार में भारतीय दरबारी ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, स्थानीय मुस्लिम तथा अन्य स्थानीय कुल-जातीय समूह किस प्रकार सत्ता ढांचे में समाहित हुए उनकी भूमिकाएं क्या रही, और समय के साथ उनकी स्थिति कैसे बदली?

पद्धति:

1. प्राथमिक स्रोतों का भाषिक व संदर्भगत परीक्षण - विशेषकर आईन-ए-अकबरी समकालीन दरबानी तुजुक व पत्र,
2. द्वितीयक इतिहासकारों के विश्लेषण - जदुनाथ सरकार के प्रशासन-विशेष लेखन केम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री-जॉन एफ. रिचर्ड्स आदि।
3. सामूहिक विश्लेषण व तुलनात्मक रूपांकन अलग अलग शासकों के दरबारों में भारतीय दरबारियों की भूमिकाओं का कालानुक्रमिक तुलनात्मक अध्ययन।

मुगल दरबारों में तुर्की, मंगोल, फारसी, अफगान और भारतीय परंपराओं का अनुठा संगम देखने को मिलता है। धीरे-धीरे इसमें हिंदू दरबारियों की भी बड़ी भूमिका बन गई जिसने इसे बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। यही कारण है कि मुगल दरबार का अध्ययन केवल राजनीतिक इतिहास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास को भी स्पष्ट करता है।

मुगल दरबार को समझने के लिए जरूरी है मंसब-निजाम और जागीरी/जमींदारी प्रणाली को समझना, जो सत्ता के वितरण, सैन्य सेवा और वेतन/

भूमि-भोग का आधार बनी। अकबर के शासनकाल में मंसब व्यवस्था का औपचारिकरण हुआ। सम्राट मंसब, दरजा देने के द्वारा शासकीय सेवक/सैन्यकर्मियों को श्रेणीबद्ध करता और जागीरों के माध्यम से उन्हें राजस्व अधिकार दिए जाते थे। मंसब व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि दरबारी सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी हों। इसने देसी/स्थानीय कुलों के शोषण व सामंजस्य दोनों के लिए स्थान बनाया। दरबार की व्यवस्था और उसमें भारतीय दरबारियों की स्थिति समय-समय पर बदलती रही। बाबर और हुमायूं काल में विदेशी तुर्की-मंगोल तत्व हावी रहे, किंतु अकबर ने इसे सर्वाधिक संगठित रूप दिया।

बाबर के दरबार के भारतीय दरबारी - बाबर-काल (1526-1530) में मुगल सत्ता वैषम्य से आरम्भ हुई एक छोटे सैन्य नायक के द्वारा उपनिवेश निर्माण। बाबर स्वयं तुर्की मध्य एशियाई परम्परा से आए थे। परन्तु हिन्दुस्तानी भू-राजनीति में टिकने के लिए उन्होंने स्थानीय राजाओं के साथ गठबंधनों की नीति अपनाई। बाबर के संस्मरण बाबरनामा में स्थानीय पाक्षिकता, दलबंदी और स्थानीय राजपरिवारों के साथ उसकी अन्तःक्रिया स्पष्ट है-जो दर्शाता है कि प्रारम्भिक चरण से ही स्थानीय भारतीय, राजस्थानी/पंजाबी/हिंदुस्तानी, अमीरों का महत्व रहा। बाबर का दरबार मुख्यतः सैनिक और सामंती सरदारों (तुर्की, मंगोल, और कुछ अफगान) पर आधारित था। उस समय दरबार का स्वरूप अस्थिर और गतिशील था क्योंकि बाबर अभी अपनी सत्ता को स्थिर करने में लगे हुए थे।

मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर (1526-1530) के दरबार में भारतीय दरबारियों का प्रारंभिक रूप देखा गया। बाबर के प्रशासन में भारतीय राजपूत और मुसलमान प्रमुख थे, जो भूमि प्रशासन और सैन्य नेतृत्व में लगे थे। बाबर के जीवन और कार्यकाल का विवरण बाबरनामा में मिलता है। बाबर के साथ काउर राजपूत योद्धाओं का प्रमुख योगदान था, जिन्होंने कई लड़ाइयों में बहादुरी दिखाई। संक्षेप में बाबर-काल में दरबार का स्वरूप लचीला था। स्थानीय नेताओं को सत्ता-संतुलन का साधन माना गया और उन्हें

राज्य निर्माण में शामिल किया गया। बाबर के दरबार में भारतीय विशेषकर हिंदू तत्व बहुत कम थे। बाबर को स्थानीय शासकों और राजपूत सरदारों का विरोध झेलना पड़ा। बाबरनामा से स्पष्ट होता है कि वह भारतीय सरदारों को पूरी तरह विश्वास में नहीं ले पाए। बाबर साहित्य और कविता के प्रेमी थे। उनके दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग हुआ और धीरे-धीरे यह मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनी।¹

हुमायूँ काल का दरबार (1530-1540), (1555-1556)— बाबर के बाद हुमायूँ सत्ता में आए। उनका शासनकाल अस्थिरता और संघर्षों से भरा रहा, किंतु दरबार के संदर्भ में कुछ नई प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। हुमायूँ ने बाबर की तुलना में अधिक संगठित दरबार स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने दरबार को धार्मिक और ज्योतिषीय प्रतीकों से जोड़ दिया। वह ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार दरबार की बैठकें करते थे।² हुमायूँ ने कुछ हद तक हिंदू सरदारों और विद्वानों को दरबार में स्थान दिया। किंतु शेरशाह सूरी के संघर्ष के कारण उनका शासन स्थिर न रह सका।³ हुमायूँ चित्रकला और खगोलशास्त्र के प्रेमी थे। फारसी और मध्य एशियाई चित्रकारों को उन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया। बाद में यही परंपरा अकबर के समय में मुगल चित्रकला का आधार बनी।⁴

अकबर के दरबार के प्रमुख भारतीय दरबारी :

अकबर का दरबार परिवर्तनकारी था। यहां दो सुविधाएं शेष हैं:

- मनसबदारी प्रणाली का औपचारिक रूप से व्यवस्थित होना:** यह पद आधारित रैंक व्यवस्था थी। जिससे न केवल सैन्य बल का आंकलन होता था बल्कि वेतन/जागीर आबंटन के लिये भी मानक बनते थे। यह प्रणाली अमल में आई-ए-अकबरी में विस्तार से वर्णित है।
- धार्मिक एवं सामाजिक समावेशन की नीति :** अकबर की नीतियों ने हिन्दू नायकों व ब्राह्मणों को राजकीय पदों पर बैठाया पर यह केवल धार्मिक उदारता नहीं बल्कि राजनैतिक रणनीति थी जिससे स्थानीय शक्ति नेटवर्क का समायोजन हुआ। अबुल फजल के आई-ए-अकबरी में दरबार के बहुवर्गीय कर्मचारी वर्ग, राजस्व विभाग, रसोइघर से सम्बंधित विवरण है।⁵ मुगल शासन के महान शासक अकबर (1556-1605) के दरबार ने भारतीय दरबारियों की परिभाषा और संख्या को व्यापक बनाया। अकबर ने अपने दरबार में मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के कई प्रमुख व्यक्तियों को स्थान दिया। उनकी प्रसिद्ध 'नवरत्न' नौ रत्न में से कई भारतीय थे। अकबर के दरबार की संरचना जिनकी जाति और पद इस प्रकार है:⁶

नाम	पद	जाति/धर्म
राजा बीरबल (महेशदास)	मंत्री, विद्वान	ब्राह्मण
राजा मानसिंह	सेना के सेनापति	राजपूत
राजा टोडरमल	वित्त मंत्री	ब्राह्मण
अब्दुर रहीम खानखाना	कवि, मंत्री	भारतीय मुस्लिम
मियां तानसेन (रामतनु पाण्डेय)	संगीतज्ञ	ब्राह्मण
वैद्य रामनारायण	मुख्य चिकित्सक	ब्राह्मण

राजा भारमल-अम्बर-जयपुर, कछवाहा राजपूत-अकबर ने उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें दरबार में उच्च मान-सम्मान दिया। कुटनीतिक सहयोग व सैन्य सहायता का कार्य किया।

भवानीदास- ब्राह्मण जाति के थे। दरबार में राजस्व अधिकारी का कार्य किया, कानूनगो और आमिल जैसे पदों पर नियुक्त हुए।⁷ अकबर के शासन में हिंदू और मुस्लिम दरबारियों की संख्या लगभग बराबर थी, जिसने

सामंजसपूर्ण साम्राज्य की नींव रखी।

जहांगीर 1605-1627 के दरबार में भारतीय दरबारियों की स्थिति : जहांगीर के दरबार में प्रभावशाली भारतीय दरबारी और नूरजहां का गुट प्रमुख थे। नूरजहां के पिता एल्मादुद्दीला नूरजहां के पिता, सलाहकार और वित्त मंत्री, भाई आसफ खां नूरजहां के भाई, सेनापति और शाहजादा खुर्रम भविष्य के शाहजहां, सेनापति जैसे सदस्य उच्च पदों पर थे। कई राजपूत और मुस्लिम अधिकारी सैन्य व प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत थे।⁸

जगत सिंह राजपूत जाति के मेवाड़ से थे। जहांगीर के समय राजनीतिक संतुलन हेतु दरबारी सम्मान प्रदान किया गया था।⁹

शाहजहां 1628-1658 के दरबार में भारतीय दरबारियों की स्थिति : शाहजहां के दरबार में राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम दरबारी प्रशासन में सक्रिय थे। अनेक सैन्य और नागरिक पदों पर भारतीय जातियों के लोग नियुक्त थे।

प्रमुख दरबारी

चंद्रभान : ब्राह्मण जाति के थे। शाहजहां के निजी सचिव थे और फारसी भाषा के विद्वान थे।¹⁰

राजा रूप रमन : कायस्थ जाति के थे और चित्रकार परिवार से थे, मिनिअर पेंटिंग विद्यालय में प्रमुख भूमिका निभाई थी।¹¹

राजा कामाराज सिंह : राजपूत सेनापति, मियां मीर सूफी संत और मंत्री, राजनीतिक सलाहकार थे, धार्मिक और आध्यात्मिक सलाहकार, दरबार की धार्मिक स्थिरता में मदद। दीवान इलाही बज्म वित्त और न्याय मंत्री प्रशासनिक वित्तीय व्यवस्था का संचालन।¹²

औरंगजेब 1658-1707 के दरबार में भारतीय दरबारियों की स्थिति : औरंगजेब के काल में हिंदू दरबारियों की संख्या बढ़ी, खासतौर से राजपूत सेनापति एवं अधिकारी प्रशासकीय पदों पर रहे।

प्रमुख दरबारी

राय दुर्गादास : कायस्थ जाति के थे। औरंगजेब का राजस्व अधिकारी और प्रशासनिक सुधारक के रूप में अपना कार्य किया।¹³

राजा जय सिंह : आमेर के निवासी कछवाहा राजपूत थे औरंगजेब के दरबार में राजपूत सेनापति के रूप में दक्कन युद्धों में भागीदारी की तथा शिवाजी के साथ संधि/कैद किया था।¹⁴

राजा भूषण सिंह : राजपूत जाति के थे।¹⁵

राजा जसवंत सिंह : राजपूत जाति के जोधपुर के निवासी थे। मुगल सेनाओं में महत्वपूर्ण सेनापति थे। अफगानिस्तान और दक्षिण भारत अभियानों में योगदान दिया।¹⁶

18 वीं सदी मुगल पतन का दौर

राजा नवाब जयसिंह : सवाई कछवाहा राजपूत जाति के जयपुर के निवासी थे। औरंगजेब के बाद भी दरबार से सम्बद्ध रहे। ये खगोलशास्त्र और प्रशासन में योगदान दिया जयपुर में वेधशाला का निर्माण किया।¹⁷

राजा नवल राय : कायस्थ जाति के थे। मुगल दरबार में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अवधी क्षेत्र में कर वसूली का कार्य करते थे।¹⁸

बहादुर शाह जफर 1837-1857 - इस अवधि में मुगल साम्राज्य पतनशील था, परंतु स्थानीय राजपूत व मुस्लिम दरबारी सीमित अधिकारों के साथ कार्यरत थे। जिनमें स्थानीय सलाहकार, प्रशासनिक व सांस्कृतिक भूमिका निभाई।

हकीम अजमल खां : कायस्थ जाति के थे बाद में मुस्लिम बन गए थे मुस्लिम

चिकित्सक परिवार से जुड़े थे। अंतिम दौर में शाही हकीम तौर पर चिकित्सकीय सेवाएं दी।¹⁹

बहादुर शाह जफर का सांस्कृतिक दरबार

मीरजा गालिब: कायस्थ नवाब परिवार के थे। शाही पेंशनभोगी थे।

जौक: ब्राह्मण मूल से परिवर्तित मुस्लिम कवि थे। दरबारी कवि उस्ताद थे। इनका कार्य शाही काव्य व सांस्कृतिक जीवन को दिशा देना था।²⁰

लक्ष्मीनारायण भट्ट: ब्राह्मण जाति के थे, बहादुरशाह प्रथम के समय धार्मिक और प्रशासनिक परामर्शदाता थे।²¹ मुगल दरबार में अधिकांश उच्च पद जैसे वजीर, सेनापति, दीवान, कवि, विद्वान आदि पर परम्परागत रूप से राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, पठान और फारसी मूल के लोग ही देखे जाते हैं। फिर भी तथाकथित नीची जाति के लोग दरबार से जुड़े हुए थे। मुगल शाही दरबार में शुद्ध जातियों के प्रतिनिधियों को सीधे वजीर, सेनापति या नवरत्न जैसे पदों पर नहीं पाया जाता। इसका मुख्य कारण था उस समय का सामाजिक ढांचा और ब्राह्मण-राजपूत-कायस्थ प्रभुत्व।

सैनिक और प्रशासनिक निम्न स्तर पर योगदान: कई शुद्ध समुदायों जैसे अहीर, गुर्जर, जाट, भील, मेव, धाकर ने मुगलों की सेनाओं में पैदल सैनिक, घुड़सवार और सीमांत सुरक्षा बल के रूप में कार्य किया।²² उदाहरण औरंगजेब के समय अहीर सैनिकों का उल्लेख मआसिर-ए-आलमगिरी पुस्तक में भी दिया गया है। भील और गोंडों को जंगल सुरक्षा और शिकार/जासूस कार्य में दरबार से जुड़ा दिखाया गया है।²³ स्थानीय शासकों के जरिये अप्रत्यक्ष प्रतितिथित्व: कई बार शुद्ध जातियों से आने वाले सैनिकों/मुखियों को स्थानीय स्तर पर जागीर या छोटे ठिकाने दिए गए। उदाहरण बुंदेलखंड और मालवा में धाकर और अहीर सरदारों को मुगल सूबेदारों ने सीमांत सुरक्षा के लिए नियुक्त किया।²⁴ जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई, शुद्ध समुदायों से जुड़े जाट, मराठा और अहीर नेताओं ने स्वतंत्र शक्ति पाई। सुरजमल जाट, जाट परंपरागत रूप से कृषक/शुद्ध वर्ग से माने जाते थे ने तो 18वीं शताब्दी में एक बड़ा राज्य ही स्थापित कर लिया और मुगल सम्राटों के साथ प्रत्यक्ष संधियां की।²⁵

इसी तरह मालवा-नर्मदा क्षेत्र में कई अहीर-धाकर सरदार मुगल सेना का हिस्सा रहे। भारतीय दरबारियों ने प्रशासन, सैन्य, कला, साहित्य और चिकित्सा सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुंशी देवीप्रसाद, बाबरनामा (बाबर की आत्मकथा अनुवाद), पृष्ठ 67-78
2. अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, खंड 1, पृ. 41-45
3. सतीश चंद्र, Medieval India, Vol. II, पृ. 12-20
4. हुमायूँनामा गुलबदन बेगम, संपादित: ए.एस. बेवरिज, पृ. 77-84
5. अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, पृष्ठ 90-97
6. वही, पृष्ठ 150-200
7. Irfan Habib, Agrarian System of Mughal India, पृष्ठ 301-305
8. John F. Richards, Mughal Empier, पृष्ठ 119
9. तुजक-ए-जहांगीर-जहांगीर की आत्मकथा, पृष्ठ 100-130
10. Monier Williams, Mughal Administration, पृष्ठ 312
11. Ebba Koch, Mughal Art and Imperial Ideology, पृष्ठ 211
12. बनारसी प्रसाद सक्सेना-शाहजहां का इतिहास, पृष्ठ 80-120
13. Irfan Habib, Agrarian System of Mughal India, पृष्ठ 183
14. Sir Jadunath Sarkar, Shivaji and His Times, पृष्ठ 198
15. सर जदुनाथ सरकार, मुगल प्रशासन, पृष्ठ 105-115
16. John F. Richards, Mughal Empier, पृष्ठ 163
17. Irfan Habib, Agrarian System of Mughal India अपेडिक्स 2
18. Sir Jadunath Sarkar, Fall of Mughal Empier, Vol II, पृष्ठ 212
19. William Dalrymple, The Last Mughal, पृष्ठ 113
20. Satishchandra, Parties and Politics at The Mughal court, पृष्ठ 119
21. William Dalrymple, The Last Mughal, पृष्ठ 210-215
22. सर जदुनाथ सरकार-मआसिर-ए-आलमगिरी, पृष्ठ 421
23. अबुल फजल-आईन-ए-अकबरी खंड 2, पृष्ठ 235
24. Sir Jadunath Sarkar, Mughal Administration in Malwa, पृष्ठ 177
25. कालिका रंजन कानूनगो-जाट इतिहास, पृष्ठ 198

राजस्थान में जनशिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता

डॉ. रतन लाल सुथार*

* सहायक आचार्य (लोक प्रशासन) विद्या भवन रूरल इंस्टिट्यूट, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र ‘जन शिकायतों के निवारण में राजस्थान लोकायुक्त की प्रासंगिकता’ विषय पर आधारित है। लोकायुक्त एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जिसका गठन भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और पक्षपात जैसे प्रशासनिक दुराचार की जांच हेतु किया गया है। राजस्थान में इसका गठन राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत हुआ। इस अध्ययन में लोकायुक्त की संरचना, कार्यक्षेत्र और जन शिकायत निवारण में इसकी भूमिका का विश्लेषण किया गया है। शोध में पाया गया कि लोकायुक्त पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक है, किंतु इसके अधिकार केवल सिफारिशात्मक होने और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। शोध पत्र में संस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कानूनी सशक्तिकरण, तकनीकी संसाधन और जन-जागरूकता बढ़ाने जैसे सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

शब्द कुंजी – लोकायुक्त, राजस्थान, शिकायत निवारण, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही, कानूनी सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – 21वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ सरकारी कृत्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सामाजिक सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रजातांत्रिक सरकारों द्वारा नागरिकों के दैनंदिनी जीवन के प्रायः प्रत्येक पहलू में हस्तक्षेप होने लगा है। जहाँ सरकार द्वारा नवीन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के कारण प्रशासकीय क्रियाओं में अनवरत वृद्धि हुई है, वहीं प्रशासन से होने वाली सामान्य एवं व्यक्तिगत जन शिकायतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका नागरिकों की प्रशासन पर निर्भरता बढ़ाती है। प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अनाचार, परेशानी और भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप ही जनता में प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें पैदा होती हैं। स्वयं की समृद्धि के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग एक सामान्य बात बन गई है। इस दुरुपयोग में जानबूझकर किसी को लाभ पहुँचाना या किसी दूसरे को हानि पहुँचाना अथवा स्वार्थ भाव से पद एवं उसकी शक्तियों का अनैतिकतापूर्वक उपयोग करना है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यह सामान्य धारणा है कि मुगल शासकों द्वारा उत्पादित, अंग्रेज शासकों द्वारा लाद-ठुंसकर से पोषित भ्रष्टाचार को यह रुपयेपची नारी जनजागरण तथा जनकल्याण के लिए दिशाविहीन बनी हुई है, जिसने आशा, विश्वास तथा धैर्य के विरुद्ध चावसमय आमोक की आशा को अपने काले आँचल में लगभग ढक लिया है। आज प्रशासन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो इस महाछत्र की विशाल छाया से अपने को वंचित रख सका हो।

जन शिकायतों के निवारण, प्रशासन के अधिकारों के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों को पहचाना तथा एक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता का अनुकरण किया गया। जो प्रत्यक्ष तथा

निष्पक्ष हो, जाँच की कार्यवाहियाँ गैर-मौखिक तथा औपचारिक प्रकृति की हो, कार्यवाहियाँ न्यायिक हस्तक्षेप से परे हो तथा उसे अपने कार्यों को पूरे करने में नैतिक दृष्टिकोण, तथा स्वतंत्रता हो। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्थान की तर्ज पर केन्द्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई है। हालाँकि केन्द्र में लोकपाल संस्थान की स्थापना अभी तक झूठ की कोड़ी साबित हो रही है, क्योंकि यह संस्था राजनीति के बाहर जा चुकी है। लेकिन राज्यों में लोकायुक्त संस्थान सकारात्मक कार्य कर रही है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के जन शिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता एवं इसकी उपयोगिता परखने का एक लघु प्रयास है।

लोकायुक्त की उत्पत्ति और विकास स्वीडन में 1809 में ओम्बुड्समैन नामक संस्था का गठन हुआ, जिसने नागरिकों की शिकायतों पर कार्य किया। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) की सिफारिशों पर अपनाया गया। राज्यों में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम के तहत की गई (पहली बार 1971 में महाराष्ट्र में)।

संरचना और अधिकार क्षेत्र :

1. **संरचना:** एक लोकायुक्त (अध्यक्ष) और उप-लोकायुक्त, जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. **अधिकार क्षेत्र:** मुख्यमंत्री (कुछ राज्यों में), मंत्री, विधायक, सरकारी अधिकारी, और प्रशासनिक निकाय।
3. **कार्य:** भ्रष्टाचार, पक्षपात और शक्ति दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना।

जन शिकायत निवारण में भूमिका :

1. **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण** – लोकायुक्त स्वतंत्र रूप से उच्च अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है।
2. **नागरिकों के अधिकारों की रक्षा** – पीड़ित व्यक्ति को बिना राजनीतिक दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करने का अवसर मिलता है।
3. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही** – जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर प्रशासन पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
4. **शासन सुधार में योगदान** – नीतिगत खामियों पर सिफारिश देकर सुधार की दिशा में कदम।
5. **चुनौतियां – सीमित अधिकार** – निर्णय केवल सिफारिश स्वरूप होते हैं, बाध्यकारी नहीं।
6. **राजनीतिक हस्तक्षेप** – नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली में राजनीतिक प्रभाव।
7. **संसाधनों की कमी** – जांच प्रक्रिया में पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का अभाव।
8. **जन जागरूकता की कमी** – आम जनता में लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी कम।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता :

1. सूचना का अधिकार, डिजिटल पारदर्शिता और ई-शासन के दौर में भी लोकायुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2. यह संस्था न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बल्कि नागरिकों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम है।
3. राज्यों में लोकायुक्त की सक्रियता सुशासन की गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक बन चुकी है।

सुधार हेतु सुझाव :

1. लोकायुक्त के निर्णयों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए।
2. वित्तीय और तकनीकी संसाधनों में वृद्धि।
3. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता।
4. लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के प्रति जन-जागरूकता अभियान।
5. केंद्र और राज्यों के लोकपाल-लोकायुक्त तंत्र में समन्वय।

हालिया परिप्रेक्ष्य – राजस्थान में लोकायुक्त ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर भ्रष्टाचार को उजागर किया। डिजिटल युग में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू करने से इसकी पहुंच बढ़ी है। फिर भी, शिकायतों की संख्या और उनकी जटिलता में वृद्धि होने से संस्था पर कार्यभार भी बढ़ा है। राजस्थान लोकायुक्त संस्थान का गठन राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत हुआ। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, कुप्रशासन और जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है।

इसकी कार्यप्रणाली निम्न प्रकार से है।

शिकायत प्राप्ति – कोई भी नागरिक, संगठन या जनप्रतिनिधि लिखित रूप से लोकायुक्त को शिकायत दे सकता है। शिकायतें व्यक्तिगत, डाक, ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से स्वीकार की जाती हैं। केवल वही शिकायतें स्वीकार की जाती हैं जो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आती हों (जैसे कृषि राज्य सरकार के मंत्री, सचिव, अन्य उच्चाधिकारी)।

प्रारंभिक जांच – शिकायत प्राप्त होने के बाद, यह देखा जाता है कि मामला लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। यदि शिकायत प्रथम दृष्टया सही

पाई जाती है तो प्रारंभिक जांच की जाती है। निराधार या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

विस्तृत जांच – लोकायुक्त के जांच अधिकारी, दस्तावेज, फाइलें, गवाह और अन्य प्रमाण एकत्र करते हैं। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग से दस्तावेजों की जल्दी और गोपनीय जानकारी भी ली जा सकती है। गवाहों के बयान शपथपूर्वक दर्ज किए जाते हैं।

रिपोर्ट तैयार करना – जांच पूरी होने के बाद, लोकायुक्त एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करता है।

रिपोर्ट में :

1. जांच के निष्कर्ष।
2. दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों की सूची।
3. अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश दी जाती है।

सिफारिशों का अनुपालन :

1. रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है।
2. सरकार को निर्धारित समय में लोकायुक्त की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है।
3. कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट और पारदर्शिता :

1. लोकायुक्त हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
2. यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाती है और उस पर चर्चा हो सकती है।
3. लोकायुक्त कार्यालय अपनी गतिविधियों और आंकड़ों को सार्वजनिक करता है।

स्वतंत्रता और सीमाएँ :

1. लोकायुक्त कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करता है, लेकिन इसके पास प्रत्यक्ष दंड देने की शक्ति नहीं होती, केवल सिफारिश करने का अधिकार है।
2. इसके दायरे से कुछ पद (जैसे- गवर्नर, न्यायाधीश) बाहर रहते हैं।

निष्कर्ष – राजस्थान में लोकायुक्त आज भी भ्रष्टाचार-निवारण और जन शिकायत निवारण का एक प्रभावी मंच है। हालांकि, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता तब ही बढ़ेगी जब इसे अधिक कानूनी अधिकार, तकनीकी संसाधन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।

सुझाव :

1. लोकायुक्त की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने के लिए कानूनी प्रावधान।
2. आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग।
3. अधिक स्टाफ और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।
4. शिकायत निस्तारण के लिए समयसीमा तय करना।
5. जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इसके अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी देना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973।
2. लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्टें, राजस्थान सरकार।
3. समाचार पत्र एवं ऑनलाइन पोर्टल।
4. संबंधित शोध पत्र और विधिक अध्ययन।

Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin level among Early Adolescent Girls

Vishakha Nagar* Dr. Lakshmi Agnihotri**

*Research Scholar (Home Science) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Associate Professor (Home Science) Sarojini Naidu Govt. Girls PG (Autonomous) College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: The early stage of adolescence spanning 11–14 years requires proper nutrition for optimal growth. The government of India has launched multiple nutritional programs to fight iron deficiency and anemia among adolescent girls but these conditions persist as major public health issues. The research project “Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin Level among Early Adolescent Girls” evaluates how the Mid-Day Meal Scheme and Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) program affect hemoglobin levels in schoolgirls. The research employed a symbolic imperial design to measure hemoglobin levels through finger-prick tests at the beginning and after three months of government nutritional intervention exposure. The research included a complete sample of early adolescent girls from Obedullaganj block government schools for comparative evaluation purposes. The researchers documented observations about how nutritional schemes were put into practice and used by the participants. The study demonstrates that government nutritional intervention programs lead to significant improvements in hemoglobin levels of early adolescent girls. The substantial rise in pre-observation to post-observation mean values demonstrates that these initiatives successfully combat anemia and enhance health results for this susceptible demographic. The programs need to be strengthened and maintained to guarantee long-term nutritional well-being for these individuals. The research demonstrates the actual effects of government-run nutritional programs while establishing proof to boost their performance in treating anemia among early adolescent girls.

Keywords: Adolescent girls, Hemoglobin, Government nutritional programmes, Mid-Day Meal.

Introduction - Adolescence is a critical phase of human development marked by rapid physical growth, hormonal changes, and increased nutritional requirements. Among adolescents, girls are more vulnerable to nutritional deficiencies, particularly iron deficiency anemia, due to the onset of menstruation, poor dietary intake, and increased physiological demands. According to the National Family Health Survey (NFHS-5, 2019–21), more than 50% of adolescent girls in India suffer from some degree of anemia, making it a significant public health concern. Anemia during this stage not only affects physical growth and cognitive development but also lowers immunity, academic performance, and overall quality of life. If left unaddressed, it further poses risks during future pregnancies, perpetuating the cycle of maternal and child malnutrition.

Recognizing this challenge, the Government of India has launched several nutritional intervention programmes aimed at improving the health and nutritional status of adolescents. Prominent among these are the Mid-Day Meal Scheme (MDMS), the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme, and the Poshan

Abhiyaan (National Nutrition Mission). These initiatives primarily target school-going children and adolescents to ensure dietary adequacy, reduce micronutrient deficiencies, and address anemia. The Mid-Day Meal Scheme provides cooked, nutrient-rich meals in government and aided schools, while WIFS ensures regular iron and folic acid supplementation. Together, these interventions are designed to enhance hemoglobin levels, improve attendance, and promote better health outcomes.

Despite these efforts, the problem of anemia among adolescent girls persists. Several factors such as irregular implementation of programmes, poor compliance with supplementation, lack of awareness, socio-economic disparities, and differences between government and private school settings continue to limit their effectiveness. Early adolescent girls (11–14 years) are especially at risk, as this period marks the onset of menarche and increased nutritional vulnerability.

The present study titled “Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin Level among Early Adolescent Girls” seeks to evaluate the

effectiveness of these interventions in improving hemoglobin level. The study involves a baseline assessment of hemoglobin levels using finger-prick tests, followed by a post-test after three months of exposure to government nutritional schemes.

By focusing on the measurable outcome of hemoglobin improvement, this research not only highlights the role of government nutritional interventions but also identifies gaps in implementation and compliance. The findings are expected to provide evidence-based insights for strengthening policies and strategies to combat adolescent anemia more effectively, thereby contributing to national health goals such as the Anemia Mukh Bharat initiative and the Sustainable Development Goals (SDGs) on health and nutrition.

Adolescent Girls: Adolescence is a transitional stage between childhood and adulthood, generally ranging from 10 to 19 years of age as defined by the World Health Organization (WHO). During this period, rapid physical, psychological, and social development takes place. Among adolescents, girls face unique challenges due to the onset of menstruation, increased nutritional requirements, and gender-related disparities in food distribution within households. Early adolescence (11–14 years) is particularly crucial, as deficiencies during this phase can adversely affect growth, academic performance, and future reproductive health. Adolescent girls therefore represent a nutritionally vulnerable group that requires special attention in public health and government welfare programmes.

Hemoglobin: Hemoglobin is a vital protein molecule found in red blood cells that carries oxygen from the lungs to the body tissues and returns carbon dioxide from the tissues to the lungs. Adequate hemoglobin levels are essential for energy production, physical growth, and cognitive development. Low hemoglobin levels, often caused by iron deficiency, lead to anemia, which manifests as fatigue, weakness, poor concentration, and reduced immunity. Among adolescent girls, anemia is highly prevalent due to rapid growth spurts, menstrual blood loss, and inadequate dietary intake. Monitoring hemoglobin level is, therefore, an important indicator of nutritional well-being and the effectiveness of nutritional intervention programmes.

Government Nutritional Programmes: The Government of India has initiated several nutritional programmes aimed at improving the health and nutritional status of children and adolescents. These include the Mid-Day Meal Scheme (MDMS), the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme, and the PoshanAbhiyaan (National Nutrition Mission). These programmes focus on providing balanced meals, micronutrient supplementation, and nutrition awareness among school-going children. Their objectives are to reduce malnutrition, prevent anemia, improve school attendance, and ensure overall health development. Such programmes form the backbone of India's efforts toward achieving better adolescent health

and reducing the burden of anemia in the population.

Government Nutritional Programmes adopted by the Government of Madhya Pradesh: The Government of Madhya Pradesh has implemented several nutritional programmes to address the challenges of malnutrition and anemia among children and adolescent girls. Prominent among these is the Mid-Day Meal Scheme (MDMS), which provides hot cooked meals to school-going children with the aim of improving their nutritional intake and reducing classroom hunger. In addition, the state actively participates in the PoshanAbhiyaan and Anemia Mukh Bharat Programme, focusing on dietary supplementation, awareness campaigns, and regular health check-ups to combat anemia, especially in adolescent girls. The Integrated Child Development Services (ICDS) scheme also plays a vital role by ensuring supplementary nutrition, health services, and pre-school education to children less than six years and nutritional support to adolescent girls and pregnant and lactating mothers through Anganwadicentres. Moreover, initiatives like Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) and School Health and Wellness Programme are being executed to prevent micronutrient deficiencies and enhance overall health. Collectively, these government interventions form a comprehensive approach to improving nutritional status, promoting healthy growth, and ensuring better hemoglobin levels among adolescent girls in Madhya Pradesh.

Mid-Day Meal: The Mid-Day Meal Scheme (MDMS) is one of the largest school-based nutritional intervention programmes in the world, launched by the Government of India in 1995. Under this scheme, cooked meals are provided to children studying in government and government-aided schools, with the aim of improving nutritional intake, reducing classroom hunger, and encouraging regular school attendance. The meals are designed to meet at least one-third of the daily nutritional requirements of children, including essential proteins, calories, and micronutrients. For adolescent girls, the scheme plays a crucial role in addressing dietary inadequacies and supporting hemoglobin improvement, thereby contributing to their overall growth and development.

Review of Literature

Here is a concise, integrated review of literature (10 studies) with authors, years, and key findings relevant to hemoglobin (Hb), anemia, and government-led or school-based nutrition actions among Indian adolescents: Recent national analyses show the anemia burden among Indian adolescent girls remains high and has worsened between NFHS-4 (2015–16) and NFHS-5 (2019–21)—prevalence rose from ~54% to ~59% among 15–19-year-olds, with multiple socio-demographic predictors implicated (Kumar et al., 2024; Dhamnetiya et al., 2023). At community level, rural school studies using portable hemoglobin meters (e.g., HemoCue) continue to document substantial anemia and operationalize

feasible school screening workflows (Kashyap et al., 2022). Evidence on Weekly Iron–Folic Acid Supplementation (WIFS/WIFS+education) consistently indicates Hb gains and anemia reduction among schoolgirls: a Delhi comparative study reported that adding monthly health education to WIFS improved outcomes beyond WIFS alone (Gupta et al., 2021a; Gupta et al., 2021b), while a large-scale effectiveness report from Uttar Pradesh reinforced weekly IFA with counseling as programmatically effective (Aguayo et al., 2017). Complementary strategies such as double-fortified salt (DFS: iron+iodine) have shown efficacy in increasing Hb and reducing anemia risk in low- and middle-income settings, including India (Zimmermann et al., 2014; Andersson et al., 2018), with quasi-experimental evidence suggesting DFS may help prevent the age-related Hb decline typical in adolescents (Griffiths et al., 2017). School-based nutrition education layered onto routine services has also demonstrated measurable improvements in nutrition knowledge and anemia-related behaviors (Baranwal et al., 2013), and emerging work explores digital or gamified education to bolster adherence and self-management around iron intake (Setiawan et al., 2025). Regarding Mid-Day Meal (MDM), longitudinal evidence suggests MDM participation reduces underweight and supports nutritional status among schoolchildren (Kumar et al., 2024), and an economics evaluation linked exposure to fortified school meals with higher Hb albeit mixed academic outcomes (Berry, Mukherjee & Shastri, 2020). Together, these studies indicate that government platforms—WIFS/IFA, MDM, fortification (DFS), and school-based education—can improve adolescent girls' Hb and anemia outcomes when coverage, compliance, and implementation quality are strong, while national trend data underscore the need to strengthen delivery, monitoring, and adolescent-specific engagement to translate policy into population-level Hb gains.

Methodology

(a) Sample Techniques—Sample for the present study consists of 40 adolescent girls purposely selected from Government Schools of Obedullaganj block.

Area	Before	After
Obedullaganj block	40	40

(b) Observation period: The present study was conducted during the observation period three months. This period was carefully chosen to allow for systematic observation of the effects of the government nutritional intervention programmes on the hemoglobin status of early adolescent girls. During this time, the adolescent girls continued to receive the regular government-sponsored nutritional interventions, including the Mid-Day Meal Scheme (MDMS) and supplementation initiatives such as the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme under the Anemia Mukh Bharat campaign. The three-month duration was sufficient to monitor dietary intake patterns through the Mid-Day Meal, while also ensuring a

measurable Effect of iron supplementation on the hemoglobin levels of the participants. Baseline hemoglobin measurements were recorded by the Asha Workers and ANM using the finger-prick method, and follow-up measurements were also conducted by them after three-month. Throughout the observation period, schools were visited regularly to observe the implementation of the Mid-Day Meal Scheme and to confirm that the government nutritional interventions were being provided as per guidelines. Thus, the observation period served as the critical observation window for assessing the effectiveness of government nutritional programmes in improving the hemoglobin status of early adolescent girls.

(c) Tool used—For the present study, primary data was collected through biomedical assessment of hemoglobin levels among early adolescent girls. Hemoglobin levels were measured using finger-prick tests at baseline and after three months of exposure to government nutritional interventions. This method was selected as it is simple, cost-effective, minimally invasive, and suitable for field-based studies. The finger-prick method involved collecting a small blood sample from the fingertip using a sterile lancet, after which the sample was analyzed using a portable digital hemoglobin meter. The use of this tool ensured accuracy and immediate availability of results, allowing researchers to monitor changes in hemoglobin concentration over time. The baseline test was conducted at the time of enrollment in the study, followed by a post-test after three months, in order to evaluate the effect of government nutritional programs such as the Mid-Day Meal Scheme, Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS), and Poshan Abhiyaan on the hemoglobin level of the participants. In addition to biomedical testing, a short observational checklist was also maintained to record adherence and exposure of adolescent girls to government nutritional intervention programs in their schools. This helped in correlating biomedical findings with program participation.

(d) Data Analysis—Data analyzed with the help of t test.

(e) Objective of the study

1. To assess the effect of government nutritional intervention programmes on the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after a three-month period.

(f) Hypothesis of the study

Hypothesis 01: There is no significant difference in the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes.

Interpretation

Hypothesis 01: There is no significant difference in the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes.

Table No. 1: Comparative results of the hemoglobin

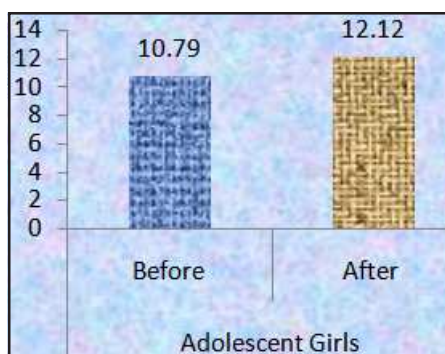
levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes

Adolescent Girls	HB level	N	Mean	S.D.	'CR' Value	'P' Value
	Before observation	40	10.79	1.09	5.6	Significant at 0.01
	After observation	40	12.12	1.02		

df = 78 Minimum values at 0.01 level of significance- 2.64

Result: Table No. 1 presents the comparative results of hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after observation exposure to government nutritional intervention programmes. The mean hemoglobin level before the observation was 10.79 g/dL with a standard deviation of 1.09, whereas after the observation, the mean hemoglobin level increased to 12.12 g/dL with a standard deviation of 1.02. The calculated 'CR' value was found to be 5.6, which is greater than the table value (2.64) at the 0.01 level of significance with df = 78. This indicates that the difference in hemoglobin levels before and after the observation is statistically significant.

It can be summarized that the government nutritional intervention programme had a positive and significant effect on the hemoglobin status of early adolescent girls. The intervention led to a marked improvement in hemoglobin levels, shifting the average Hb value from an anemic range to a normal range. Thus, the programme played an important role in reducing anemia prevalence among the participants.



Verification of the Hypothesis: The null hypothesis of the study stated that: "There is no significant difference in the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes." To test this hypothesis, hemoglobin levels of 40 adolescent girls were measured at baseline and after a three-month observation period. The obtained mean values were 10.79 g/dL (before) and 12.12 g/dL (after). The calculated 'CR' value was 5.6, which is greater than the critical value of 2.64 at the 0.01 level of significance (df = 78). Since the calculated value exceeds the table value, the null hypothesis is rejected. This indicates that there exists a statistically significant difference in the

hemoglobin levels of adolescent girls before and after the observation. It is concluded that the government nutritional intervention programme was effective in improving the hemoglobin status of early adolescent girls and in reducing anemia prevalence.

Conclusion: The present study titled "Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin of 11–14 Years Adolescent Girls" was conducted to assess the effectiveness of government nutritional interventions in improving the hemoglobin levels of adolescent girls. A sample of 40 girls was observed over a three-month observation period, during which their hemoglobin levels were measured before and after observation exposure to the programmes.

The findings clearly revealed that the mean hemoglobin level increased from 10.79 g/dL to 12.12 g/dL after the observation, with a statistically significant difference at the 0.01 level of significance. This indicates that government-supported nutrition programmes such as the Mid-Day Meal Scheme, iron and folic acid supplementation, and other school-based nutritional initiatives play a vital role in improving the nutritional health of adolescent girls.

The study confirms that nutritional interventions are effective in reducing the prevalence of anemia and enhancing the overall health of adolescent girls, a group highly vulnerable to nutritional deficiencies due to rapid growth and developmental demands. By rejecting the null hypothesis, the research strongly supports the view that timely and structured nutritional support can positively affect hemoglobin levels and reduce anemia among adolescent girls.

Thus, the study highlights the importance of strengthening and effectively implementing government nutritional programmes to ensure that adolescent girls attain better health, improved academic performance, and long-term well-being.

References:-

1. Agarwal, K., & Kotecha, P.V. (2014). School-based intermittent iron-folic acid therapy is a feasible and effective intervention for increasing hemoglobin and serum ferritin levels of anemic school-going adolescent girls of Shimla, North India. *Indian Journal of Community Medicine*, 39(2), 89–94. <https://doi.org/10.4103/0970-0218.137164>
2. Aguayo, V. M., Paintal, K., & Singh, G. (2017). The Adolescent Girls' Anaemia Control Programme: Breaking the inter-generational cycle of malnutrition in India with a focus on adolescent girls. *Maternal & Child Nutrition*, 13(3), e12411. <https://doi.org/10.1111/mcn.12411>
3. Andersson, M., Thankachan, P., Muthayya, S., Goud, R. B., Kurpad, A. V., Hurrell, R. F., & Zimmermann, M. B. (2018). Dual fortification of salt with iodine and iron: A randomized, double-blind, controlled trial of micronized ferric pyrophosphate and encapsulated

- ferrous fumarate in southern India. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 88(5), 1378–1387. <https://doi.org/10.1093/ajcn/88.5.1378>
4. Baranwal, A., Baranwal, A., & Roy, N. (2013). Association of anemia with socio-demographic factors among adolescent girls of Saifai, Etawah. *Indian Journal of Community Health*, 25(4), 359–363.
5. Berry, J., Mukherjee, P., & Shastri, G. K. (2020). Evidence from India's Midday Meals program: The Effect on hemoglobin levels and test scores. *Journal of Development Economics*, 144, Article 102493. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102493>
6. Berry, J., Mukherjee, P., & Shastri, G. K. (2020). Input delivery and teacher incentives: Evidence from randomized evaluations in India. *The Economic Journal*, 130(630), 887–917. <https://doi.org/10.1093/ej/uez063>
7. Dhamnetiya, D., Khan, M., Patel, P., & Kumar, S. (2023). Prevalence and trends of anemia among adolescents in India: Evidence from NFHS-4 and NFHS-5. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 12(4), 798–804. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_2201_22
8. Griffiths, J. K., Shrestha, R. M., Rai, S. S., Pokharel, H. P., Shrestha, R., & Osrin, D. (2017). Effect of double-fortified salt on hemoglobin and anemia among rural Indian schoolchildren: A quasi-experimental study. *Public Health Nutrition*, 20(2), 285–293. <https://doi.org/10.1017/S1368980016001972>
9. Gupta, A., Kapil, U., Vir, S., & Choudhury, P. (2021a). Weekly Iron and Folic Acid Supplementation with and without health education among school-going adolescent girls: A comparative study. *Indian Journal of Pediatrics*, 88(7), 651–657. <https://doi.org/10.1007/s12098-020-03617-3>
10. Gupta, A., Vir, S., Kapil, U., & Choudhury, P. (2021b). Effectiveness of weekly iron and folic acid supplementation along with nutrition education on hemoglobin level of adolescent girls. *Indian Pediatrics*, 58(1), 43–49. <https://doi.org/10.1007/s13312-021-2060-8>
11. Kashyap, V., Sankar, M. J., & Sharma, N. (2022). School-based hemoglobin testing using HemoCue 301 among adolescents in rural India: Feasibility and prevalence results. *Indian Journal of Public Health*, 66(2), 172–176. https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_828_20
12. Kashyap, V., Sankar, M. J., & Sharma, N. (2022). School-based hemoglobin testing using HemoCue 301 among adolescents in rural India: Feasibility and prevalence results. *Indian Journal of Public Health*, 66(2), 172–176. https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_828_20
13. Krämer, K., Kumar, N., & Vollmer, S. (2018). The provision of double-fortified salt in Mid-Day Meals: Effects on hemoglobin levels in Bihar. *Journal of Nutrition*, Under Review.
14. Kumar, P., Mishra, S., & Singh, A. (2024). Mid-Day Meal scheme and nutritional outcomes of school children in India: Evidence from longitudinal surveys. *Food Policy*, 123, 102589. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102589>
15. Kumar, S., Dhamnetiya, D., & Patel, P. (2024). Adolescent anemia in India: Findings from the National Family Health Survey (NFHS-5). *BMC Public Health*, 24(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16820-7>
16. Narayan Jha, N. I., Mahida, S. J., Parmar, M. M., & Limbani, T. R. (2025). Prevalence and socioeconomic determinants of iron deficiency anemia among adolescent girls in rural India. *European Journal of Cardiovascular Medicine*, 15(4), 231–234. <https://doi.org/10.61336/ejcm/25-04-41>
17. National Institute of Health & Family Welfare. (2009). Mid-Day Meal Programme. Government of India.
18. Setiawan, A. R., Rahman, F., & Fitriyah, N. (2025). Digital gamified education to improve adherence to iron supplementation among adolescents: A pilot study. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1528427. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1528427>
19. Sheehan, H., & Creighton, J. (2024). Relationship between adolescent anemia and school attendance in India: A within-household analysis. *Communications Medicine*, 4, Article 33. <https://doi.org/10.1038/s43856-024-00533-8>
20. Singer, M. C., et al. (2020). Evaluating the Effect of an Iron Supplementation Program for Combating Anemia in School-age and Adolescent Females by a Grassroots Organization in India. *Cureus*, 12(1), e269374. <https://doi.org/10.7759/cureus.269374>
21. Singh, M., Rajoura, O. P., & Honnakamble, R. A. (2018). Assessment of Weekly Iron–Folic Acid Supplementation with and without Health Education on Anemia in Adolescent Girls: A Comparative Study. *International Journal of Preventive Medicine*, 11, 203. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_552_18
22. Wikipedia contributors. (n.d.). Integrated Child Development Services. In Wikipedia. Retrieved [date you accessed] from https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Child_Development_Services
23. Zimmermann, M. B., Wegmueller, R., Zeder, C., Chaouki, N., Biebinger, R., Hurrell, R. F., & Windhab, E. (2014). Dual fortification of salt with iodine and micronized ferric pyrophosphate: A randomized, double-blind, controlled trial in Moroccan schoolchildren. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 89(2), 497–504. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26750>

वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान

प्रभा घुरे*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वृद्धजनों की समस्याएँ सिर्फ समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि यह अतिसंवेदनशील समस्या का विषय है। यह विषय वर्तमान युग में प्रत्येक परिवार में विमर्श का अहम विषय है। यह शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर उन वृद्धजनों का विषय है, जिन पर सरकारी निगाहें तो गई, परन्तु अपनों ने ही उनकी उपेक्षा एवं तिरष्कार किया। प्रस्तुत शोध पत्र की मुख्य विषयवस्तु वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान है। इन कानूनी प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही वृद्धजनों को उनके अधिकार एवं सम्मान मिल सकेगा।

प्रस्तावना – भारत एक सांस्कृतिक व परम्पराओं को मानने वाले देश के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य भी है, जिसमें सभी वर्गों के समुचित कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को सम्मान एवं आदर का दर्जा दिया जाता रहा है तथा परिवार में वट वृक्ष की भांति उनकी स्थिति रही है, किन्तु भूमण्डलीकरण तथा आधुनिकता की चकाचौंध ने वृद्धजनों की वर्षों पुरानी सम्माननीय, पूजनीय स्थिति को ठेस पहुँचाई है। **अवधारणा एवं परिभाषा** – जेरेन्टोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'जेरान' तथा 'लोगोस' से हुआ है। 'जेरान' का अर्थ वृद्ध व्यक्ति तथा 'लोगोस' का अर्थ अध्ययन करना है। अतः वृद्ध व्यक्तियों का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक क्षेत्रों में अध्ययन ही जेरेन्टोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट नील बटलर (1969) ने सर्वप्रथम एजिंग शब्द दिया। वर्तमान में समाजशास्त्र में 'वृद्धावस्था का समाजशास्त्र' (सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग) नामक एक नई शाखा की शुरुआत हुई है।

वृद्धावस्था की निश्चित परिभाषा देना कठिन कार्य है। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषा दी है।

ए.के. कपूर के अनुसार – 'वृद्धावस्था शारीरिक विकलांगता, मानसिक क्षमता में कमी के साथ-साथ क्रमशः सामाजिक गतिविधियों में भूमिका निर्वाह हेतु अवरोध उत्पन्न कर आर्थिक निर्भरता की ओर अग्रोषित होना है।'

डी. पाल चौधरी के अनुसार – 'वृद्धावस्था प्रायः थकान, कार्यशीलता में कमी, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के ह्रास से सम्बन्धित है।'

प्रो. सुधा एस. सिलावट के अनुसार – 'वृद्धावस्था को उम्र, शारीरिक स्थिति तथा मानसिक दशाएँ निर्धारित करते हैं।'

लुईस डबलिन के अनुसार – 'वृद्धावस्था वे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन हैं, जो जीवन के मुख्य भाग के व्यतीत हो जाने के बाद घटित होते हैं।'

साहित्य समीक्षा :

डॉ. सुनीलकांत भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक 'भारत की सामाजिक समस्याएँ : मुद्दे और परिप्रेक्ष्य में वयोवृद्धों की समस्याएँ' बताते हुए इससे निपटने के लिए एक सुस्पष्ट राष्ट्रीय नीति एवं जनचेतना की आवश्यकता बताई।

गंगाधर कराले ने अपनी पुस्तक 'सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग' में वृद्धावस्था के सामाजिक, आर्थिक मुद्दे तथा डायमेशन ऑफ एजिंग के अन्तर्गत जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक डायमेशन के बारे में चर्चा की।

विमलालाल ने अपनी पुस्तक 'वृद्धावस्था का सच' में बताया कि वृद्धावस्था में व्यक्ति परिवार से लेकर आश्रमतक अनेक समस्याओं से जूझता है।

एम.जी.हुसैन ने अपनी पुस्तक 'चेन्जिंग इण्डियन सोसायटी एण्ड स्टेट्स ऑफ ऐज्ड' में वृद्धावस्था को समझाते हुए बताया कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को शारीरिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक विषमता का सामना भी करना पड़ता है।

अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था मानव जीवन के विकास का एक क्रम है, जिसमें व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान में कमी तथा आर्थिक असुरक्षा से गुजरना पड़ता है, परिणामतः उसे अकेलेनेपन का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 01 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस घोषित किया है तथा वर्ष 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष एवं 2021-2023 को स्वस्थ आयु वृद्धि-दशक घोषित किया है।

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धजन निर्धनतम वर्ग में शामिल हैं, जिनमें से लगभग 18.7 प्रतिशत के पास आय का कोई साधन नहीं है।

आँकड़ों का संकलन – द्वितीय स्रोत के माध्यम से आँकड़े संग्रहित किए गए हैं।

वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्या – उपेक्षा, प्रताड़ना, रोगग्रस्त दुर्बलता, हिंसा का शिकार, आत्मसम्मान का न होना, वैचारिक मतभेद, एकाकीपन, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, अनुभव की अवहेलना, अलगाव आदि।

अतः वृद्धजनों की प्रमुख समस्याओं में पारिवारिक समस्याएँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, आर्थिक समस्याएँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएँ, सामंजस्य की समस्याएँ तथा मनोवैज्ञानिक समस्याएँ प्रमुख हैं।

वृद्धजनों की क्षेत्र, लिंग, सेवानिवृत्ति, निराश्रित इत्यादि कई आधार पर अलग-अलग समस्याएँ हो सकती हैं।

कानूनी प्रावधान - अनुच्छेद 41 और 46 वृद्धजनों के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रदान करते हैं। हिन्दू विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 20 में वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण को बाध्यकारी प्रावधान बनाया गया है। दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत वृद्ध माता-पिता भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का उद्देश्य रखता है।

प्रमुख वृद्ध देखभाल योजनाएँ :

1. अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, अटल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना।

उद्देश्य - समाज के वृद्धजनों के खोये हुए आत्मसम्मान को वापस दिलाना तथा आधुनिकता वादी युवा पीढ़ी को वृद्धजनों के अनुभवों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देने का कार्य करेगा।

प्रासंगिकता - शोध का विषय जितना आज महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा।

चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वृद्धावस्था मानव विकास के क्रम की एक अवस्था है, जब तक मानव समाज धरती पर है, सभी को इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। भूमण्डलीकरण और नगरीकरण के परिणामस्वरूप वृद्धजनों की समस्याओं में तीव्र वृद्धि हुई है। वृद्धों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए उनकी समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2050 को रेड अलर्ट वर्ष बताया है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक विश्व का हर 5वाँ व्यक्ति वृद्ध होगा।

उपयोगिता - किसी भी परिवार, समाज की उन्नति एवं विकास में मार्गदर्शन, अनुभव आवश्यक होता है। जितना ज्ञान समाज के वृद्धजनों को होता है, उतना किसी अन्य को नहीं। भारतीय परम्परागत समाज में वानप्रस्थी (50 से 75 वर्ष) ही गुरु की भूमिका निभाते थे। बदलते परिवेश में वृद्धजनों की परिवार में सक्रिय भूमिका का होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। बच्चों एवं युवा पीढ़ी को अनुशासित करने, शिक्षित करने, संस्कारवान बनाने तथा सभ्य नागरिक के निर्माण में वृद्धजनों की अहम भूमिका होती है। वृद्धजनों के ज्ञान के आधार पर ही भारत विश्वगुरु बना।

संस्कार और नवाचार का समायोजन वृद्धजनों के अनुभव से ही संभव है।

सुझाव - वृद्धजनों की विभिन्न समस्याओं को निम्न सुझाव के आधार पर कम करने के प्रयास किये जा सकते हैं :-

जनचेतना, विधिक सहायता उपलब्ध कराना, वृद्धावस्था के लिए बचत, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, वृद्धाश्रम की स्थापना तथा रखरखाव, वृद्धजनों

के लिए कम श्रम वाले कार्य की व्यवस्था शासन द्वारा की जाये, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सेवा, वृद्धजनों की सेवा करने वालों को सम्मानित किया जाये, उपेक्षा करने वालों पर कार्यवाही, वृद्धावस्था पेंशन, हैल्प सेन्टर एण्ड काउंसिलिंग, वरिष्ठ नागरिक समूहों का गठन, स्वचलितचिकित्सा इकाईयों के माध्यम से सहायता, विशेष निगरानी केन्द्रों की स्थापना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वृद्धजन एवं गंभीर रोग के ग्रसित वृद्धजन को शामिल किया जाये।

निष्कर्ष - प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में संघर्षों, कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह उसका सामना कैसे करता है, परन्तु वृद्धजनों की समस्याएँ एक अतिसंवेदनशील समस्या है। इस समस्या को समाधान हेतु व्यक्ति विशेष के साथ-साथ परिवार, समाज, शासन, स्वयंसेवी संघ इत्यादि को सामने आकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भट्टाचार्य, सुनीलकांत (2008) : भारत की सामाजिक समस्याएँ, मुद्रा और परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन।
2. Karalay, Gangadhar (2022) : Sociology of Aging, New Delhi, Sage Publication, India Pvt. Ltd.
3. Kapoor, A.K. (2004) : India's Elderly, Mital Publication, New Delhi.
4. Lucis, Dublin (1951) : The Facts of Life, The Maemillan Company, New York.
5. Chowdhary, D.P. (1992) : Aged in India, Inter India Publications, New Delhi.
6. सिलावट, सुधा एस. (1955) : वृद्धावस्था की समस्याएँ, सामाजिक सहयोग त्रैमासिक शोध पत्रिका, श्री कृष्ण शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
7. Hussain M.G. (Ed). (1997) : Changing Indian Society at status of agreed, Manak Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
8. लाल विमला (2010) वृद्धावस्था का सच, प्रकाशक कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
9. Prabhu P.H. (1995) : Hindu Social Organization, Reprinted Polular Prakashan Pvt. Ltd.
10. www.drishtias.com/hindi (Current Affairs, January Part-II 2020-25)
11. https://www.un.org/en/over serance/older/person/day
12. हिन्दी विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956
13. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007
14. इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्याएँ एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन

डॉ. सुषमा*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी०एड०) दयानन्द आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – बाल श्रम किसी भी देश के लिये एक कलंक के समान है जिसके कारण बच्चों के बचपन की नैसर्गिक अभिक्षमता, रचनात्मकता, अभिरूचि का नाश हो जाता है। बच्चे विश्व के सर्वाधिक अनमोल संसाधन हैं, असीम नैतिक और बौद्धिक शक्ति के भण्डार और पर्याय हैं। इन्हें संवारने का स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक अवसर शिक्षकों को प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये परिवार, समाज, सरकार एवं शिक्षक को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। इसी तथ्य के दृष्टिगत यह शोध किया गया है। इस शोध का क्षेत्र मुरादाबाद जनपद है। शोध की जनसंख्या में 6-14 वर्ष तक 100 बाल श्रमिक व उनके 50 अभिभावकों का चयन किया गया है। शोध के निष्कर्ष मिले ज़ुलैख में प्राप्त हुये हैं। अतः यह शोध बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं एवं बाल श्रमिकों के लिये संवैधानिक प्रावधानों के प्रति उनके अभिभावकों व अध्यापकों को सचेत करेगा एवं उन्हें नवीन दृष्टि प्रदान करने के साथ ही उपयोगी सिद्ध होगा।

शब्द कुंजी – बाल श्रम, शैक्षिक समस्या, अभिभावक, संवैधानिक प्रावधान।

प्रस्तावना – किसी भी देश का सुनहरा भविष्य, देश की प्रगति व विकास उस देश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। आज के बच्चे भविष्य के नागरिक हैं। बच्चों को आज के आधुनिक और तकनीकी के दौर में वैश्वीकरण और औद्योगीकरण के कारण मानवता और समस्त देशों के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, आर्थिक विषमता, गरीबी का व्यापक होना, लैंगिक असमानता आदि चुनौतियों से निपटने के लिये उनका समग्र विकास अति आवश्यक हो जाता है। आर्थिक गरीबी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ापन आदि बाल श्रम को प्रोत्साहित करता है। बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। आज वर्तमान समय में बाल श्रम बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जो राष्ट्र अपने नौनिहालों के लिये संवेदनशील, जागरूक व सजग नहीं, वह अपने भविष्य को उज्ज्वल कैसे बना सकता है। आने ही राष्ट्र के बच्चों के भविष्य के प्रति असंवेदनाशीलता, उदासीनता को अपराध की दृष्टि से देखा जाता है।

शोध की आवश्यकता – किसी भी देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ के आधारभूत मानवीय संसाधन के रूप में प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाये। बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्याएँ सामान्य बालकों से भिन्न हैं, एवं इनके सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है कि इनकी शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाये और यह भी जाना जाये कि इन्हें सुलझाने के लिये कौन से प्रयास किये जा रहे हैं? और वे किस हद तक सार्थक सिद्ध हो रहे हैं बाल श्रमिकों के लिये चलाई जा रही योजनाओं को सफल बनाने के लिये, बाल श्रमिकों की समस्याओं को जानने के लिये एवं समाज और देश को बालश्रम के कलंक से बचाने के लिये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शोध अत्याधिक आवश्यकता प्रतीत होती है।

शोध समस्या का अभिकथन – शोध समस्या का अभिकथन निम्नलिखित रूप से भाषाबद्ध किया गया है:

‘बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्याएँ एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन’

शोध उद्देश्य:

1. मुरादाबाद जनपद में बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. मुरादाबाद जनपद में बालश्रमिकों की पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पना :

1. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं की स्थिति चिंताजनक नहीं है।
2. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों की पारिवारिक समस्याएँ शिक्षा अर्जन में बाधक नहीं हैं।
3. मुरादाबाद जनपद में बालश्रम से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति सामान्य है।

शोध विधि व प्रविधि – प्रस्तुत शोध कार्य सर्वेक्षण विधि पर आधारित है।

शोध जनसंख्या न्यादर्श एवं न्यायदर्शन विधि – प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में मुरादाबाद जनपद के 6 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों एवं उनके अभिभावकों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श विधि से किया गया है। इस प्रकार कुल 100 बाल श्रमिकों एवं उनके 50 अभिभावकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

शोध उपकरण—प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी द्वारा बालश्रमिकों के लिये शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूची, बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिये शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तथा बालश्रम से सम्बन्धित अधिकारियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

शोध सांख्यिकी:—प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों का प्रतिशतीय विश्लेषण एवं प्राप्त परिणामों की गुणात्मक व्याख्या की गयी है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—बाल श्रमिकों की पारिवारिक एवं शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित विश्लेषण—

क्र.	कथन	प्रतिक्रिया-1		प्रतिक्रिया-1	
		हाँ	%	नहीं	%
1.	क्या आप अपना नाम लिख सकते हैं?	80	80%	20	20%
2.	क्या आप कभी स्कूल गये हैं?	84	84%	16	16%
3.	यदि आपको पढ़ने का मौका दिया जाए तो क्या आप पढ़ना पसन्द करेंगे?	76	76%	24	24%
4.	टाप अन्य बच्चों को स्कूल जाते हुये देखते हैं तो क्या आपको स्कूल जाने की इच्छा होती है?	90	90%	10	10%
5.	क्या आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें रुचि है?	14	14%	86	86%
6.	क्या आप केवल अपने अभिभावकों के कहने से कार्य कर रहे हैं?	84	84%	16	16%
7.	क्या आप घर पर भी कार्य करते हैं?	98	98%	2	2%
8.	क्या आपके अभिभावक शराब पीते हैं?	60	60%	40	40%
9.	क्या आपको घर पर भर पेट भोजन मिलता है?	68	68%	32	32%
10.	क्या आपको यह जानकारी है कि अभी आपकी सम्पदाई करने की है श्रम करने की नहीं?	80	80%	20	20%
11.	क्या आपको खेलने का मौका मिलता है?	64	64%	36	36%
12.	क्या आपके माँ बाप दोनों जीवित हैं?	98	98%	2	2%
13.	क्या आपको यह जानकारी है कि आपकी उम्र के बच्चों का श्रम करना सरकार द्वारा वर्जित है?	22	22%	78	78%
14.	क्या आप अपने अभिभावकों की बगैर जानकारी में श्रम कर रहे हैं?	16	16%	84	84%
15.	क्या परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपको श्रम करना पड़ रहा है?	99	99%	1	1%
16.	क्या आपको पढ़ाई से आसान श्रम करना लगता है?	26	26%	74	74%

न्यायदर्श के रूप में चुने गये 100 बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 76 प्रतिशत बाल श्रमिक अपना नाम लिख लेते हैं 99 प्रतिशत बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तथा अभिभावकों द्वारा मजबूर किये जाने पर पढ़ाई छोड़कर बाल श्रम करने लगते हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण—

क्र.	कथन	प्रतिक्रिया-1		प्रतिक्रिया-1	
		हाँ	%	नहीं	%
1.	क्या बरेली जनपद के रोजगार कार्यालय	0	0%	10	100%

	में बाल श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था है?				
2.	क्या अपने कभी किसी सरकारी योजना का लाभ बाल श्रमिकों तक पहुँचाया है?	5	50%	5	50%
3.	क्या आप को बाल श्रम उन्मूलन के लिए चलायी गयी सरकारी योजनाओं की जानकारी है?	8	80%	2	20%
4.	क्या सरकार द्वारा समय-समय पर बाल श्रमिकों से सम्बन्धित सर्वेक्षण कराया जाता है?	9	90%	1	10%
5.	क्या आप बालश्रम उन्मूलन हेतु चलाये जा रहे सरकारी प्रयासों से संतुष्ट है?	6	60%	4	40%
6.	क्या सरकार को बाल श्रमिकों की आर्थिक सहायता हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए?	10	100%	0	0%
7.	क्या आपको बरेली जनपद में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या पता है?	8	80%	2	20%
8.	क्या आप बालश्रम को एक गम्भीर समस्या मानते हैं?	7	70%	3	30%

न्यायदर्श के रूप में चुने गये मुरादाबाद जनपद के श्रम विभाग तथा सम्बन्धित विभागों के 10 अधिकारियों पर किया गये सर्वेक्षण के परिणामों से स्पष्ट है कि मुरादाबाद जनपद में बालश्रम के उन्मूलन के लिये सरकारी प्रयासों का क्रियान्वयन अधिकारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। अधिकतर लगभग 80% अधिकारी जानते हैं कि बालश्रम उन्मूलन से सम्बन्धित क्या सरकारी प्रावधान किये गये हैं। और उनमें से लगभग 50% अधिकारियों ने कई बार बाल श्रमिकों को रोजगार देकर बाल श्रम पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। शोध पत्र से प्राप्त ज्ञान अध्यापकों के लिये भी उपयोगी है क्योंकि वे बालश्रमिकों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकते हैं जिससे कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज कर बालश्रम उन्मूलन में मदद कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:—

1. अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2006), 'बाल श्रम की विभीषिका' कुरुक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
2. आशीष घोष, सीकर, आर0 हेलेन (2000), 'चाइल्ड लेबर इन मुरादाबाद होम बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दि वेक ऑफ लेजिसलेशन, मुरादाबाद।
3. गुप्ता, एस0पी0 और गुप्ता अलका (2005), 'शिक्षा का ताना बाना', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. दूबे, नीरज (2001), 'म0प्र0 के बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण', योजना भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
5. राय, पारसनाथ (2008), 'अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
6. सम सामायिक घटना चक्र (2009), 'बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2007, सम सामाजिक घटना चक्र प्रकाशन, इलाहाबाद।

भारतीय इतिहास में मथुरा कला का योगदान

डॉ. शुभम शिवा* देवेन्द्र पाल सिंह**

* प्रोफेसर (चित्रकला) दयानंद गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, कानपुर, सम्बद्ध छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत
 ** शोधार्थी (चित्रकला) दयानंद गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, कानपुर, सम्बद्ध छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - प्रागैतिहासिक युग से लेकर शुंगकाल तक के विकास के पश्चात मथुरा की कला कुषाण युग प्रविष्ट हुई। इस युग में इस कला के कुछ विशेषताएँ आ गयीं जिनके कारण आगे चल कर इसने सम्पूर्ण भारत की कला को प्रभावित किया। ई. पूर्व द्वितीय से लेकर ईशा की छठी शताब्दी तक मथुरा उत्तरी भारत में स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला का एक केन्द्र रहा है। शुंग काल में मथुरा की कला नितान्त देशी ढंग पर विकसित हुई।

उस समय वह साँची और भरहुत को मध्यदेशीय कला से प्रभावित हुई। गान्धार कला का प्रभाव भी मथुरा कला में परिलक्षित होता है। साथ ही मथुरा में ही बुद्ध की मानुषी रूप मूर्ति की सर्व प्रथम एवं इस युग में मथुरा के शिल्पियों ने बोधिसत्त्वों, जैनों के 24 तीर्थकरो, हिन्दुओं के देवताओं शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य और उनके अनुचर, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, दुर्गा, सप्त मातृका, लक्ष्मी, सरावती, इन्द्र, कुवर, हारीती, यक्ष-यक्षी, नाग-नागी तथा लोक में प्रचलित देवी-देवताओं का अंकन किया। सम्पूर्ण मध्य भारत में यहाँ की मूर्तियाँ जाती थीं। श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, साँची, तक्षशिला आदि में भी यहाँ से इसके अतिरिक्त प्रतिमाएँ मंगायी जाती थी और वहाँ के कारीगर इन्हें देखकर अन्य प्रतिमाएँ बनाते थे। इस प्रकार इन देवी-देवताओं को जो रूप मिले वे इन्हीं कुषाण कालीन मथुरा के शिल्पियों की देन है। इसके बाद अन्य युगों में मूर्तिकला को विकास हुआ।

मथुरा शैली की बाबाठी कलाकृतियों में प्रायः चित्तिदारलाल बलुए पत्थर की प्रयोग हुआ है जो निकट ही स्थित फतेहपुर सीकरी, रुपवास, हि-डॉन आदि से स्थानों प्रचुर मात्रा में सुलभ प्राप्त था।

वर्तमान मथुरा तथा उसके आसपास का क्षेत्र (प्रदेश) जिसे ब्रज कहा जाता है प्राचीन काल में शूरसेन जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ की कला को देखते हुए इसे भारत का ऐथेन्स कहना यक्ति संगत है। मौर्य काल से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक कलाकृतियों के निर्माण की विविध शिल्प शालायें नवीन उत्साह एवं मौलिकता के साथ कार्य कर रही थी। भारतीय कला के क्षेत्र में मथुरा ने जो विशाल योगदान दिया है, उस ओर ध्यान देने पर यह एक ऐसे महत्वपूर्ण कला केंद्र के रूप में सामने आता है जहाँ की कलाकृतियाँ नयना विराम सहज दुर्लभ सौन्दर्य एवं बहुमुखी व्यंजनाओं से ओतप्रोत रही है।

मथुरा से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री में प्राचीन मूर्तियाँ, चित्र, अभिलेख, सिक्के तथा इमारती वास्तुएँ आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। मथुरा और उसके आसपास से अब तक कई सौ प्राचीन शिलालेख उपलब्ध हो चुके हैं जिनसे तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर भी बहुत प्रकाश पड़ा है। मथुरा

कला का विस्तार क्रम केवल मथुरा एवं उसके आसपास तक ही सिमित नहीं रहा अपितु पूर्व एवं दक्षिण तक फैला। इन अवशेषों के द्वारा प्राचीन स्थापत्य की भी जानकारी हो सकी है कि मथुरा में किस प्रकार के मंदिर, विहार, स्तूप, महल व मकान आदि थे।

शुंग काल से लेकर गुप्त काल के बीच पनपी हुई मथुरा की कला में पाषाण एवं मृत्ति का के माध्यम से कई नवीन प्रयोग किये गये। यहाँ संस्कृति, धर्म एवं कला की त्रिवेणिय के दर्शन होते हैं। यह नगरी अपने भौगोलिक महत्व के कारण भारतीय, भारतीय-शक और यूनानी सभ्यताओं की संगम स्थली बनी। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म की त्रिधाराओं का मिलन भी मथुरा में ही हुआ, इन्हीं धाराओं के कारण मथुरा की कितनी ही महत्वपूर्ण व सुन्दर कलाकृतियों का निर्माण....हुआ। इसके अतिरिक्त मथुरा में एक तीसरी अव्य त्रिवेणी के दर्शन होते हैं, यह भारतीय इतिहास के तीन महत्वपूर्ण युगों अर्थात् मौर्य-शुंग, शक-कुषाण व गुप्त काल का संगम है। इन विभिन्न युगों ने भी मथुरा कला के निर्माण में भरपूर योग प्रदान किया।

मौर्य-शुंग काल में मथुरा ने अपनी प्राचीन परम्परा से प्राप्त अभिप्रायों एवं धार्मिक मान्यताओं का प्रचुर प्रयोग किया। ये मान्यताएँ एवं अभिप्राय यक्ष पूजा, नागपूजा, पद्मश्री या श्री लक्ष्मी के रूप में शक्ति की आराधना चक्र एवं चौत्य की अर्चना, स्तम्भ पूजा आदि विविध रूपों में चली आ रही थी। कुषाण सम्राटों का शासन काल वस्तुतः उस का स्वर्ण युग था। इस युग की कला में दृष्टिगोचर होने वाली क्रियाशीलता, अथक लगन, उर्वरा सृजन शक्ति तथा अभिनव प्रयोग करने की क्षमता भारतीय कला के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। सचमुच कुषाण कला अत्यंत साहसिक थी, जिसका सबसे सुन्दर उदाहरण बुद्ध प्रतिमा का निर्माण है।

कुषाण काल के बाद गुप्तों का युग आया इसमें मथुरा कला ने देव प्रतिमा व देवायतनों के निर्माण मर समुचित हाथ बँटाया।

मथुरा की कलाकृतियों में पत्थर की प्रतिमाओं तथा प्राचीन वस्तुखण्डों के अतिरिक्त मिट्टी के खिलोनों का भी समावेश होता है। इन सबका प्राप्ति स्थान मथुरा शहर और उसके आसपास का क्षेत्र है। वर्तमान मथुरा शहर को देखने से स्पष्ट होता है कि यह सारा नगर टीलों पर बसा है। इसके आसपास भी लगभग 10 मील के परिसर में अनेक टीले हैं। इनमें से अधिकतर टीलों के गर्भ से मथुरा कला की अति उच्च कोटि की कलाकृतियों प्रकाश में आयी हैं। कंकाली टीला, भुतेश्वर, सोख टीला, जमालपुर टीला आदि ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थान हैं।

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ कुषाण एवं गुप्तकाल में अनेक विशाल

विहार, स्तूप मंदिर तथा भवन विद्यमान थे, वहाँ उनमें से एक भी अवशिष्ट नहीं हैं। सब के सब धराशायी होकर पृथ्वी के गर्भ में समा गए हैं।

‘मथुरा कला की प्रथम मूर्ति के दर्शन और उसकी पहचान सन 1836 में हुई थी। आज यह भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है उस समय इसे सायलेनस के नाम से पहचाना गया था। वस्तुतः आसवपान का दृश्य है। इसके बाद सन 1853 में जनरल कनिंघम ने कटरा केशवदेव टीला से कई मूर्तियाँ व शिलालेख प्राप्त किये उन्होंने पुनः 1862 में इसी स्थान से गुप्त संवत् 230 (सन 549-50) में बनी हुई यथाविहार में स्थापित सर्वांग सुन्दर बुद्ध की मूर्ति खोज निकाली।

यह इस समय लखनऊ के राज्य संग्रहालय में है। इसी बीच सन 1860 में मथुरा कचहरी के निर्माण के लिए जमालपुर टीले को समतल बनाया गया जहाँ किसी समय दधिकर्ण नाग का मन्दिर व हुविष्क विहार था। इस खुदाई में मूर्तियाँ, शिलालेख, स्तम्भ, वेदिका स्तम्भाधार आदि के रूप में मथुरा कला का विपुल भण्डार प्राप्त हुआ। इसी स्थान से प्राप्त सर्वोत्कृष्ट गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति मिली जो राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित है।

सन 1871 में जनरल कनिंघम ने पुनः मथुरा यात्रा की और इस समय उन्होंने दो अन्य टीलों कंकाली और चौवारा टीले की खुदाई कराई। कटरा केशवदेव से दक्षिण में लगभग आधे मील के अंतर पर बसे हुए कंकाली टीले ने मानो मथुरा कला का विशाल भण्डार ही खोल दिया। यहाँ कभी जैनों का प्रसिद्ध स्तूप व बौद्ध स्तूप था।

कनिंघम साहब ने यहाँ से कनिष्क के राज्य संवत् 5 से लेकर वासुदेव के राज्य संवत्सर 18 तक की अभिलिखित प्रतिमाएँ प्राप्त की। चौवारा टीला वस्तुतः 12 टीलों का समूह है जहाँ पर कभी बौद्धों के स्तूप थे।

2 सन 1872 में तत्कालीन कलैक्टर मथुरा, ग्राउज महोदय ने पालीखेड़ा नामक स्थान से एक महत्वपूर्ण प्रतिमा आसवपायी कुबेर को प्राप्त किया। सन 1888 से 1891 तक डॉ. फ्यूहरर ने लगातार कंकाली टीले की खुदाई कराई। पहले ही वर्ष में 737 से अधिक प्रतिमाएँ मिली जो लखनऊ के राज्य संग्रहालय में भेज दी गई। सन 1966 से 1974 तक मथुरा के निकट सौंख नामक स्थान पर टीले की खुदाई जर्मन विद्वान हरवर्ट हर्टल ने कराई तथा वहाँ से लगभग.....3 12,000 कलाकृतियाँ प्राप्त हुई जिनमें प्रस्तर प्रतिमाएँ, मृण मूर्तियाँ, मृत् पात्र तथा देव सेनानी कार्तिकेय की कांस्य प्रतिमा भी प्राप्त हुई जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

फरवरी सन 1912 में मॉट गाँव के निकट टोकरी या इटोकरी नामक टीले की खुदाई कराई और कुषाण सम्राट विम कडफाइसिस, कनिष्क और चस्टन की प्रतिमाओं को अन्यान्य प्रतिमाओं के साथ प्राप्त किया। सन 1915 में नगर और आसपास के गाँव के कई कुओं की सफाई कराई गयी और उनमें से लगभग 600 मूर्तियाँ मिलीं।

मथुरा में जैन और बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र स्थापित हो जाने से यह युक्ति सम्मत था कि यहाँ अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण होता। मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त एक मूर्ति पर खुदे हुए द्वितीय शती के एक लेख से पता चलता है कि उस समय से बहुत पूर्व मथुरा में एक बड़े जैन स्तूप का निर्माण हो चुका था। लेख में उस स्तूप का निर्माण (बौद्ध स्तूप) दिया है। वर्तमान

कंकाली टीले की भूमि पर उस समय से लेकर प्राः 1100 ई. तक जैन इमारतों एवं मूर्तियों का निर्माण होता रहा। सम्राट अशोक, कनिष्क एवं अन्य शासकों द्वारा मथुरा नगर तथा उसके आस-पास कितने ही स्तूपों तथा विहारों का निर्माण कराया गया।

मथुरा कला की प्रतिमाएँ बड़ी संख्या में मथुरा के बाहर भी मिली हैं। अब तक चित्तीदार लाल बलुए पत्थर की कई हजार मूर्तियाँ, स्तम्भ, शिलापट, सिरदल, मृण मूर्तियाँ एवं मृत् पात्र आदि मिल चुके हैं। इनके देखने से पता चलता है कि प्राचीन मथुरा में हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म कई शताब्दियों तक साथ-साथ विकसित होते रहे। यह सामग्री मथुरा एवं उसके आस-पास यत्र-तत्र बिखरे टीलों से समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं जो आज पुरातत्व की धरोहर हैं।....

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, आर. सी. (1993). स्पलेंडर ऑफ मथुरा आर्ट एण्ड म्यूजियम: दिल्ली।
2. पाण्डे, गोविन्द चन्द्र. (1963). बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास: लखनऊ।
3. जोशी, एन. पी. (1965). मथुरा कला: मथुरा।
4. मित्तल, प्रभुदयाल. (1965). ब्रज की कलाओं का इतिहास।
5. शर्मा, आर. सी.. (1973). मथुरा म्यूजियम एण्ड आर्ट: मथुरा।
6. वाजपेई, के. डी. (1980). मथुरा: नई दिल्ली।
7. ग्राउज, एफ. एस.. (1882). मथुरा- ए डिस्टिक्ट मेमोरियल।
8. ब्रेक ब्रोकरमैन. (1911). मथुरा: ए गजेटियर।
9. आनन्द, मुल्कराज. (1962). ओरिजिन ऑफ दि बुद्ध इमेजेज (मार्ग) वा.-अंक-2
10. बिहुलर, जी.. (1896). एपिग्राफिक डिस्कवरीज ऐट मथुरा।
11. क्रैमरिश, स्ट्रेला. (1933). इण्डियन स्कल्पचर्स।
12. शिवराममूर्त, सी. (1961). इण्डियन स्कल्पचर्स।

चित्रसूची:-



मथुरा संग्रहालय सं. 00. ए.5



मथुरा संग्रहालय सं. 00.ए. 1



मथुरा संग्रहालय सं. डी. 47



मथुरा संग्रहालय सं. सी. 1

सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक समीक्षा

डॉ. राजकुमार नागवंशी*

* सह-आचार्य (अर्थशास्त्र) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – किसी देश की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बार-बार बदलते समय के आलोक में अपनी शिक्षा प्रणालियों और कार्यक्रमों में सुधार करते रहें हैं। शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता को साकार करने का सर्वोत्तम साधन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य 4 सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के लक्ष्य को साझा करती हैं। सतत विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख तत्व के रूप में है। शिक्षा पर्यावरणीय अखंडता, आर्थिक व्यवहार्यता और न्यायपूर्ण समाज को सशक्त बनाता है, जो मानव के लिए सहायक होता है। शैक्षिक सतत विकास का उद्देश्य आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य प्रदान करके विकास की चुनौतियों का समाधान करता है। शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास की एक सतत प्रक्रिया है, और यह दुनिया भर में अपनाई जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने जीवन में मूल्यों का विकास करता है, उनकी आकांक्षाओं को संतुलित करती है एवं साथ ही उनकी क्षमताओं को विकसित करती है। शिक्षा किसी व्यक्ति को देश का सभ्य नागरिक बनने का अवसर प्रदान करती है। किसी देश की पूंजी मानव संसाधन होती है, जो शिक्षा के माध्यम से और समृद्ध होती है।

शैक्षिक रूप से कुशल नागरिकों के बिना राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज की आवश्यकता और राष्ट्रीय हित के अनुसार शैक्षिक नीतियों का सुधार करे, क्योंकि समाज का भविष्य सही मूल्यों और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जो शिक्षा के माध्यम से विकसित होता है। स्वतंत्र भारत ने पहली शिक्षा नीति 1968 के दौरान पेश की गई थी एवं सन 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई। सन 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए और आखिरकार 34 साल बाद वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है जो आज पूरे देश के शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में कहा जाय तो यह ज्ञान पर नहीं बल्कि वैचारिक समझ पर केंद्रित है और पाठ्यक्रम से परे व महत्वपूर्ण सोच पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रक्रिया के बजाय जुनून, अभ्यास और परिणाम-आधारित प्रदर्शन पर जोर देती है। इस प्रकार यह शिक्षा नीति वर्तमान समय की जरूरतों के अनुकूल है।

सतत विकास एवं सतत विकास लक्ष्य 2030 – सतत विकास एक ऐसे विकास की कल्पना करता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास के चार मुख्य आयाम माने जाते हैं: सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और आर्थिक। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जनवरी 2016 में पेरिस सम्मेलन के बाद लॉन्च किए गए हैं, जिसमें वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए 184 सदस्यीय सरकारों और शिक्षा क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए चर्चा की गई एवं रणनीति बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें मुख्य रूप से 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं जिसमें लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दुनिया को सही दिशा में बदलने में मदद करने के लिए सतत विकास का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक तत्व के रूप में रखा गया है। शिक्षा मौलिक रूप से, जीवन में सुधार, लोगों के जीवन स्तर और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक आवश्यक कारक है जिसे वैश्विक रूप से स्वीकार्य किया गया है। सतत विकास के लिए शिक्षा में शिक्षण और सीखने में प्रमुख रूप से सतत विकास के प्रमुख मुद्दों को शामिल करना है। जैसे उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम में कमी, जैव विविधता, गरीबी में कमी और टिकाऊ खपत आदि। इसमें सहभागी शिक्षण और सीखने के तरीकों की भी आवश्यकता है जो शिक्षार्थियों को अपने व्यवहार को बदलने और सतत विकास के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित और सशक्त करें।

सतत विकास के प्रमुख घटक

1. सतत विकास के सामाजिक घटक: सामाजिक घटकों में मुख्य रूप से सामाजिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानवीय तत्व हैं। जिसमें सामाजिक अस्थिरता से सम्बंधित सभी बुराइयों को खत्म करना है इसमें सतत विकास के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता का निर्माण करना और वर्तमान समय व्याप्त में सामाजिक बुराइयों को रोकना है व खत्म करना है एवं सामाजिक स्थिरता बनाये रखना है।

2. सतत विकास के आर्थिक घटक: आर्थिक विकास दुनिया भर में एक लोकप्रिय नीति एजेंडा है और इसकी एक शाखा के रूप में, विकास अर्थशास्त्र एक नए अनुशासन के रूप में उभरा है। इस प्रकार कहा जाय की आज की आवश्यकतानुसार व वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में सफल होने के लिए सतत रूप से आर्थिक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है, आर्थिक स्थिरता आज की मुख्य आवश्यकता है साथ ही व्यापार चक्र से

निपटना व आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करना जो आज हमें सतत विकास प्रणाली इन सबका हल देता है।

3. सतत विकास के पर्यावरणीय घटक: सतत विकास का तीसरा घटक पर्यावरण है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभावों के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। तीनों घटक एक-दूसरे पर ओवरलैप करते हैं क्योंकि वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हर देश आज आर्थिक विकास को बढ़ाने की होड़ में लगा है जिससे निरंतर पर्यावरण संसाधन का उपयोग से आर्थिक विकास को गति तो मोली है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अरबों टन ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्पादन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। जिसका परिणाम वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन है जो समस्त मानवीय एवं आर्थिक गतिविधिया प्रभावित हुई है एवं इसका एक ही समाधान है और वो है सतत विकास प्रणाली को प्रभावपूर्ण तरीके से अपनाना।

इस प्रकार सतत विकास को इन तीन घटकों या आयामों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज कई विकास एजेंसियां हरित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपना रही हैं, जो सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं ताकि मानव, अर्थव्यवस्था और समाज को संतुलित कर उनकी सीमाओं के अन्दर रह कर उपयोग करे एवं हर संभव संतुलन बनाये रखे व भविष्य को खतरे में न डाले, यह सुनिश्चित कराना ही सतत विकास है।

सतत विकास में शिक्षा - सतत विकास में शिक्षा की अवधारणा काफी हद तक पर्यावरण शिक्षा से विकसित हुई है, जिसने लोगों में अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने की मांग की है। सतत विकास के लिए शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण से समझौता किए बिना हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निर्णय लेने और कार्रवाई करने में सक्षम बनाने वाली शिक्षा से है। शिक्षा का उद्देश्य है की सतत विकास में निहित मूल्यों को सीखने के सभी पहलुओं और स्तरों में एकीकृत करने में सफल कराये। शिक्षा ही एक ऐसा उपकरण है जो मानव को सतत विकास के अनुकूल एवं उद्देश्यों के अनुरूप खरा उतारा जा सकता है। इस प्रकार, सतत विकास के लिए शिक्षा, शिक्षा जगत में अनुसंधान को बढ़ावा देती है और मानव-निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकासात्मक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक एवं बुनियादी सुचना प्रदान करती है। मानव संसाधनों को मजबूत करने वाले कारकों में से शिक्षा उन कारकों में से एक है, जो पूर्ण रूप से मानव के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि कर तार्किक क्षमता के साथ सतत विकास की रणनीति को विकसित व अपनाने का मार्ग प्रसस्त करने वाला कारक है। मानव संसाधन, सभी संसाधनों में महत्वपूर्ण है इसलिए मानव संसाधन को मजबूत करना अति आवश्यक है और इस दिशा में शिक्षा को सशक्त करना आवश्यक है शिक्षा ही मानव संसाधन को सतत विकास के अनुरूप ढाल सकता है। शिक्षा सोचने की शक्ति देता है साथ ही शिक्षा एक सही दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार शिक्षा समस्त कारकों में महत्वपूर्ण है और इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है की समयानुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर उसे मजबूत करना जो अंततः सतत विकास को सफल करने में सहायक होगा।

सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर

आधारित है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करके देश के परिवर्तन में सीधे योगदान दे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को वैश्विक शिक्षा एजेंडे, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुसार संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के साथ तैयार किया गया है, जो 2030 तक देश के सभी लोगों के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित कराने पर कटिबद्ध है। यह नीति शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और शिक्षा के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर आधारित है। परन्तु नीति की सफलता तभी संभव है जब शैक्षिक सुधार में आने वाली बाधाओं को दूर कर एवं इनमें सम्मिलित होने वाले सभी सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और साथ ही समुदाय सहित हितधारकों की सहभागिता स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से होगी।

सतत विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किये गए मुख्य सुधार

1. प्राथमिक विद्यालय से उच्च शिक्षण संस्थानों तक नए पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम की नयी समयावधि संबंधी में परिवर्तन की गई है।
2. भाषायी विविधता का संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण को अधिक महत्व दिया गया है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है।
4. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन व शिक्षण व्यवस्था में सुधार हुवे है।
5. समावेशी विकास के अनुकूल उच्च शिक्षा में कई नए प्रावधान है।

नई नीति का मुख्य उद्देश्य ही है की एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय समाज की संस्कृति, भाषा, परम्पराओं एवं मूल्यों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार यह नीति समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली हो एवं जिसके माध्यम से एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें ज्ञान, मूल्य एवं सतत विकास समाहित हो। इस नीति में प्राचीन शिक्षा से आधुनिक शिक्षा को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। विद्यार्थी से लेकर शिक्षक तक सभी के लिए एक समावेशी एवं सभी के लिए सामान शिक्षा प्रणाली के रूप में लाने का प्रयास है।

निष्कर्ष - नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्य रूप से सबकी पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य आदि बिन्दुओं पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो देश के सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान हो एवं देश को ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में विकसित करना है जिससे सभी नागरिक देश के परिवर्तन में अपना सकारात्मक योगदान दे सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में देश की शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाएगी साथ ही कौशल विकास को बढ़ाएगी, रूचिपरक एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में कुछ चुनौतिया सामने होगी जिसमें मुख्य रूप से नीति का उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन और संसाधन की आवश्यकता होगी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यानुसार शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाना और विषयों की व्यापक शृंखला के साथ लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी साथ ही नई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। परन्तु इन सभी चुनौतियों का समाधान संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Saini M. et al (2021) "Analyzing the tweets to examine the behavioral response of Indian citizens over the approval of national education policy 2020" International Journal of Educational Development, Elsevier, Vol. 82.
2. Hume T. & Barry J. (2015) "Environmental Education and Education for Sustainable Development" Internal Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier, Second Edition.
3. Ashida A. (2023) "The Role of Higher Education in Achieving the Sustainable Development Goals" (eds.), Sustainable Development Disciplines for Humanity, Sustainable Development Goals Series, https://doi.org/10.1007/978-981-19-4859-6_5.
4. Sunny Y. (2021) "National Education Policy 2020" Economic & Political Weekly, Vol. 56, Issue 10.
5. Ahuja V. K. & Poddar D. (2022) "National Education Policy 2020: The Road Ahead", Centre for Law, Public Policy and Governance National Law University and Judicial Academy, Assam, (eds.), ISBN: 978-81-954276-1-1.

मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयीय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. मोनिका*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी. एड. विभाग) अब्दुल रज्जाक पीजी कॉलेज, जोया, अमरोहा (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – बालक की शिक्षा, बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया तथा वातावरण पर निर्भर करती है शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है अतः शिक्षा के क्षेत्र में सभी छात्रों का सही विकास हो सके यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पर निर्भर करता है उपयुक्त वातावरण नहीं मिलने से बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण का मिलना आवश्यक है बालक को जैसा भौतिक वातावरण मिलता है वैसा ही उसको इसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। प्रस्तुत शोध में मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर के सरकारी और स्ववित्त पोषित, शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन किया गया है इन विद्यालयों से 320 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

प्रस्तावना – बालक की शैक्षिक की उपलब्धि पर उसके विद्यालयी वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है बालको की उपलब्धियों में उनके शारीरिक एवम मानसिक पक्ष के साथ-साथ विद्यालयी वातावरण का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार बालक की अंतर्निहित शक्तियों के विकास पर आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बालक के व्यक्तित्व का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के सामंजस्य से होता है परंतु व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता से कहीं अधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है यद्यपि बालक में गुणों के विकास पर परिवार, समुदाय और विद्यालय तीनों के वातावरण का प्रभाव पड़ता है परन्तु विद्यालय का वातावरण बालक के अधिगम के विकास में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है यदि बालक को विद्यालय में अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है तो वह सही दिशा में प्रगति कर सकते हैं विद्यालय का वातावरण ऐसा कारक है जो बालको को प्रभावित करता है और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है बालक के भविष्य की नींव उसके घर या परिवार में रखी जाती है लेकिन विद्यालय में शिक्षक द्वारा बालक को अनुकूल वातावरण प्रदान कर उस पर विकास के भवन का निर्माण किया जाता है।

वर्तमान समय में भिन्न प्रकार के विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम आवसीय विद्यालय आदि) निजी संस्थानों एवं शासन, प्रशासन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक माता-पिता विद्यालय से यह अपेक्षा रखता है कि विद्यालय का शैक्षिक एवं समाजिक वातावरण उच्च कोटि का हो ताकि उसमें अध्ययनरत उनके बालकों पर उत्तम प्रभाव पड़े जिससे वह उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर सकें और भविष्य में अपने परिवार, समाज एवम कार्यस्थल में समायोजित हो सकें। विद्यालयी वातावरण की किसी भी विद्यार्थी की भावी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। **क्रो** एवं **क्रो** के अनुसार बालकों के व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव अधिक पड़ता है

जिस विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के अनुकूल होता है वे जीवन में आगे की ओर अग्रसर होते हैं जब विद्यार्थी माध्यमिक स्तर की शिक्षा के उपरान्त घर और विद्यालय के प्रांगण से बाहर निकलता है तो उसके सामने उपलब्धियों को व्यक्त करने की जिम्मेदारी होती है जिसे कुछ बालक अच्छे से निभाते हैं और कुछ बालक पिछड़ जाते हैं जिसका मूल कारण विद्यालयी वातावरण होता है। विद्यार्थी महत्वकांक्षी तथा जिज्ञासु होते हैं विद्यार्थियों के मस्तिष्क में समय समय पर अनेक प्रश्न एवं जिज्ञासाएं उठती हैं जिनका समाधान एक अच्छे विद्यालय वातावरण में हो सकता और जिसका सीधा सम्बन्ध विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से जुड़ा होता है।

शोध समस्या शीर्षक – 'मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयीय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन'

शोध अध्ययन की आवश्यकता – बालक की शैक्षिक उपलब्धि पर उसके विद्यालयीय वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है बालकों की उपलब्धियों को स्थापित करने की क्षमता के विकास में उनके शारीरिक एवं मानसिक पक्ष के साथ-साथ विद्यालयीय वातावरण का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। विद्यालयीय वातावरण के अन्तर्गत विद्यालय का परिवेश, शिक्षक, शिक्षा एक अखंड तत्व है बालक का मन कोरे कागज के समान होता है अध्यापक उसे जैसा स्वरूप देना चाहे, वह वैसा ही बन जाता है बालकों को उचित दिशा प्रदान करने के लिए अध्यापक एवं विद्यालय वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. माध्यमिक स्तर पर सरकारी और स्ववित्त पोषित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।

2. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. लिंग भेद के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें:

1. सरकारी और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालय वातावरण के कारण सार्थक अंतर होता है।
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालयी वातावरण के कारण सार्थक अंतर होता है।
3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालयी वातावरण के कारण सार्थक अंतर होता है।

अनुसंधान की विधि – अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

अध्ययन हेतु न्यायदर्श – प्रस्तुत शोध में मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के सरकारी और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के 320 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जिसमें 160 विद्यार्थी (80 छात्र एवं 80 छात्राएं) ग्रामीण क्षेत्र से हैं तथा 160 विद्यार्थी (80 छात्र एवं 80 छात्राएं) शहरी क्षेत्र से लिये गए हैं।

शोध उपकरण – इस शोध हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का संकलन – मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया है।

चर

स्वतंत्र चर– विद्यालयी वातावरण, **आश्रित चर**– शैक्षिक उपलब्धि

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या:

1. वित्तपोषित और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन व क्रांतिक अनुपात का विश्लेषण एवं व्याख्या

	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
सरकारी विद्यालय	160	54.92	6.40	1.27	सार्थक नहीं
स्ववित्त पोषित विद्यालय	160	53.65	5.85		

प्रयुक्त सारणी में सरकारी और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 54.92 व 53.65 तथा मानक विचलन क्रमशः 6.40 व 5.85 प्राप्त हुआ। इनके मध्य क्रांतिक अनुपात 1.27 है क्रांतिक अनुपात का मान सारणी में 0.05 व 0.01 स्तर के न्यूनतम सार्थक मान क्रमशः 1.97 व 2.60 से कम है क्रांतिक अनुपात का मान 0.05 व 0.1 स्तर पर सार्थक नहीं है अतः हमारी परिकल्पना क्रमांक संख्या 1 'सरकारी और स्ववित्तपोषित माध्यमिक

विद्यालयों अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालयी वातावरण के कारण सार्थक अंतर होता है', अस्वीकार की जाती है।

2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन, व क्रांतिक अनुपात का विश्लेषण एवं व्याख्या

	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
ग्रामीण	160	52.10	6.33	1.12	सार्थक नहीं
शहरी	160	52.72	7.19		

प्रयुक्त तालिका में ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान 52.10 व 52.74 तथा मानक विचलन क्रमशः 6.33 व 7.19 है इनके मध्य क्रांतिक अनुपात का मान 1.12 है प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान सारणी में 0.05 व 0.01 स्तर के न्यूनतम सार्थक मान क्रमशः 1.97 व 2.60 से कम हैं क्रांतिक अनुपात का मान 1.12 क्रमशः 0.05 व 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना क्रमांक संख्या 2 'ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालयी वातावरण के कारण सार्थक अंतर होता है', अस्वीकार की जाती है।

3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात की व्याख्या एवं विश्लेषण

	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
छात्र	160	50.13	8.13	1.10	सार्थक नहीं
छात्राएं	160	49.32	7.25		

प्रयुक्त सारणी में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मध्यमान क्रमशः 50.13 व 49.32 एवं मानक विचलन क्रमशः 8.13 व 7.25 प्राप्त हुए हैं इनके मध्य क्रांतिक अनुपात 1.10 है क्रांतिक अनुपात का मान सारणी में 0.05 व 0.01 के स्तर के न्यूनतम सार्थक मान 1.97 व 2.60 से कम है अतः हमारी परिकल्पना क्रमांक संख्या-3 'माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के कारण कोई सार्थक अंतर नहीं होता है', अस्वीकार की जाती है।

शोध निष्कर्ष:

1. सरकारी एवं स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के कारण सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के कारण कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के कारण कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आदित्य, प्रमोद कुमार (1994)– 'अनुसूचित जनजाति की छात्र-छात्राओं को के आत्मबोध का शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभावी का अध्ययन', लघु शोध प्रबन्ध, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

- बिलासपुर।
2. गुप्ता, एस. पी. (2002)– 'आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन', शारदा पुस्तक भवन, 11 यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद।
 3. यादव, शर्मिला सिंह, जे.डी. (2013)– 'राजस्थान के अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण तथा शिक्षक मनोबल का अध्ययन', जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, 28(4), पेज नं-37-46, 2016
 4. अग्रवाल, स्वेता (2015)– 'उच्च माध्यमिक बालक एवं बालिका विद्यालयी के संगठनात्मक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन', जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जुलाई 2015
 5. राय, पारस नाथ (2013)– अनुसंधान परिचय, अग्रवाल पब्लिशर्स, आगरा।

Screen Addiction: A Threat to the World, Specially to Children

Dr. Monisha Biswal*

*Assistant Professor, Ganjam Law College, Berhampur (Odisha) INDIA

“Addiction is a prison where you are both the suffering prisoner and the cruel warden; every addiction, without exception, enslaves the mind and damages the soul.”

— Dr. Gabor Maté

Introduction - Screen addiction, marked by compulsive use of digital devices, poses a significant threat globally, including in India. Its physical, psychological, and social repercussions jeopardize individual and societal health. To combat this issue, implementing strict laws regulating screen time and encouraging healthier habits is essential. Legislation should set age limits for device access, mandate educational programs about excessive usage dangers, and require tech companies to limit addictive features. These actions can foster a safer digital space prioritizing well-being over unrestricted device use. (Jain et al., 2023). Children constitute the most vulnerable demographic; in India, approximately 56% of young people aged 5 to 16 suffer from problematic use and overuse of information and communications technology (Loganathan & Ramadurai, 2020). Illuminating the cultural environment in which Indian children develop, this chapter provides a crucial point of departure for subsequent investigation of screen addiction, health and education, parental mediation, industry responsibility, and policy responses.

Understanding Screen Addiction: Screen addiction is a behavioral addiction marked by compulsive and excessive screen use, affecting physical, psychological, and social health. Common symptoms include preoccupation with screens, withdrawal anxiety, increased tolerance requiring longer usage, inability to control use despite negative effects, mood changes, and neglecting previous interests. (Jain et al., 2023)(Moitra & Madan, 2022)

Adult global screen use averages more than 6 hours/day. Among children aged 10–15 years, 82.4% exceed recommended limits, 70% report addiction symptoms, and 68.1% exhibit social networking addiction (Ilamparithi, 2018). The following discusses addiction's effects on health and education.

Screen addiction is a compulsive, excessive use of screen devices, impacting users psychologically, emotionally, socially, and academically. Larry Rosen's "Virtual

Addiction" highlights the Internet's high addiction rating, making it a major global mental disorder. Continuous screen use leads to unhealthy habits, attention deficits, irritability, memory issues, and self-control loss. It alters a child's psychology, affecting their livelihoods and education, and causes sleep disturbances and reduced physical activity.

The world is highly digitalized, with human activities relying on devices. Children aged 8 to 18 spend an average of 4 hours and 44 minutes daily on screens, extending to over 6 hours with unstructured media. This may exceed averages in some areas. Children's awareness of screen time dangers is unclear, and the variety of apps and games can foster addiction. Research on internet influences in India is still limited. (Ishtiaq et al., 2021)

Impact of Screen Addiction on Children: The changing work environment has made gadgets essential, with increased reliance on mobile phones for TV, gaming, and social media. Children often imitate adults, underline the need for responsible behavior. Schools should manage screen time to limit mobile use, as monitoring is crucial to prevent addiction, especially among younger children affected by remote learning. Excessive screen time can hinder cognitive and emotional growth, leading to inactivity, sleep issues, obesity, and language delays. Parents must promote a balance of screen use and other activities, as many children lack awareness of responsible device use. Screen time can be addictive, causing anxiety and depression. With lower cellular data costs, India sees unprecedented access to screen media. While screens can aid in learning social skills, excessive use hampers real-life interactions and physical activity, with about 20% of children not exercising outdoors and 50% spending less than an hour outside daily, negatively impacting their health and educational success. (Jain et al., 2023)(Ilamparithi, 2018).(Moitra & Madan, 2022)(K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)(Hou et al., 2022)(S Nakshine et al., 2022)(Moitra & Madan, 2022)

While ICT fosters online exploration via apps and games, excessive smartphone usage raises concerns, especially in India's growing ICT user base born in the 2000s, leading to developmental challenges and parental

control issues. This addiction can hinder creativity, visual memory, and attention spans. Parental worries about uncontrolled ICT are valid. Addressing tech addiction needs systemic solutions for better child engagement management and parental oversight, utilizing TRIZ-based methods. Decreased parental guidance has shifted children's interactions with peers, changing developmental dynamics. (Loganathan & Ramadurai, 2020)

Cultural Context in India: Recent surveys have revealed that almost half of the children in the 5 to 15 age group who own a smartphone are engrossed in mobile games for more than two hours a day. Indian children spent more hours on mobile daily compared to their counterparts in other nations (Neethu, 2016). The entire media and entertainment industry in India, a significant portion of which is directed at children, witnessed a growth rate of 10.1% in March 2016 on a year-on-year basis, as reported by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Critically, a considerable segment of this growth also emanates from the lower socio-economic strata.

Health studies indicate rising global screen exposure in children, particularly in India. A Bangladesh survey reveals significant smartphone, TV, and video usage. In India, 85% of urban, 62% of rural, and 74% of tribal children aged 3 to 18 engage with digital devices. Higher socio-economic status doubles the risk of excessive screen time, as devices serve as inexpensive 'babysitters.' Permissive caregivers grant young children screen access, while older kids are drawn to gaming, leading to increased usage among Indian youth. (Ishtiaq et al., 2021)(Jain et al., 2023)

India ranks second globally in mobile phone users, with about 1.14 billion in 2022, just behind China's 1.58 billion. Approximately 830.7 million are smartphone users, expected to grow to 973.6 million by 2027. Children depend heavily on digital media for school and play but often struggle with excessive usage. Parental guidance is crucial in reducing screen addiction among children aged 4-12, according to a study from 22 major Indian cities. Factors such as gender and age influence screen time, while screen addiction poses significant developmental and health risks for Indian children. (Ishtiaq et al., 2021)

The Indian attitude towards technology is complex. Indian youth eagerly adopt it for skills in global competition, yet for some, it serves as an escape from reality. For those without market access, it highlights a divide from tradition and a risk to simpler lifestyles. Perspectives on technology's influence vary by cultural background, modernity, income, and literacy. Young professionals use digital media for self-expression, while others see it as westernization. Older generations often view it as disruptive. Parents and authorities hold mixed opinions, reflecting the dual views on television's impact—negative versus cultural benefits. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(Neethu, 2016)

Educational Implications: Excessive screen time negatively impacts children's academic performance,

affecting attention and focus physically and causing mental health issues. Schools are crucial in addressing this. Teaching digital literacy helps students navigate the digital world safely, easing the burden on parents and schools. (K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019) Technological advancements have greatly benefited education during the COVID-19 pandemic by enabling interactive discussions and overcoming pandemic constraints. Reducing screen time by withdrawing these technologies is not practical. Promoting appropriate screen use and encouraging physical activity are crucial. Schools play a key role in spreading digital literacy among youth. While digital literacy initiatives can help address issues of increased screen time, sustained family and government support is essential for continued progress. (Moitra & Madan, 2022)(Ilamparithi, 2018)

Screen addiction negatively impacts children's academic performance by complicating screen time limits and increasing frustration when screens are unavailable. Excessive use diminishes engagement and focus in school, while high gaming hours contribute to stress, anxiety, and hindered success. Issues like fatigue and disrupted sleep from late-night gaming are common. Students with lax parental controls often underperform, highlighting the importance of supervision and digital literacy. Schools must foster responsible screen habits, while initiatives aim to mitigate distractions and support balanced youth development for future opportunities. (Mahmud et al., 2023).(K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)(Ilamparithi, 2018)

Digital literacy programmes can help combat screen addiction in children aged 11–12 by promoting a healthy relationship with digital content and addressing overuse risks. Children should aim for 2 hours of outdoor activity daily, including physical exercise three days a week, and have annual eye assessments. For those under 5, screen time should be limited to 1 hour daily, and screen-free mealtimes are encouraged. Parents should actively monitor usage, model good habits, and establish screen media rules. Encouraging family meals and indoor activities is essential. Policymakers in India need to reassess guidelines to tackle excessive screen time, sleep deprivation, and inactivity in adolescents. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(J. Munsamy et al., 2022)(Moitra & Madan, 2022)

Parental Influence and Responsibility: Parents are increasingly aware of children's screen use. Children spend more time on screens than engaging with parents or in physical play. Parental guidance can help children develop good digital habits, reduce screen time, and convert virtual interest into outside activities. As co-users of screens, parents impact children's effective use of electronic media. Consequently, interventions to reduce inappropriate screen time should target both children and parents, encouraging alternative physical activities (Nwankwo et al., 2019).

Excessive screen use among children raises concerns for families and schools. Parental monitoring is lowest for video games, correlating with increased screen time and

addictive symptoms. Gaming adversely affects socialization and family bonding. Surveys show family meals enhance bonding and support social growth, reducing inequalities. Setting boundaries on screen use can help combat addiction, allowing users to feel in control. Parents and educators must establish reasonable limits on children's screen time to mitigate these risks. (Ishtiaq et al., 2021)(Ilamparithi, 2018)(Moitra & Madan, 2022)(Nwankwo et al., 2019)

The effectiveness of such measures depends on the cooperation of the media and technology industries. Companies can design services that incorporate recommended daily screen time limits and remind users when they have exceeded these thresholds. Enhancing content with harder-to-ignore safety warnings about dangerous side effects can improve message salience and encourage users to adopt healthy habits.

Nonetheless, establishing boundaries and guidelines constitutes a pragmatic approach for managing screen addiction, enabling individuals to balance engagement with their media environments while safeguarding their well-being (Loganathan & Ramadurai, 2020).

Encouraging alternative activities is essential as children gravitate towards screens. While they enjoy creative play, instant online satisfaction can detract from these activities. Families can foster hobbies like singing, dancing, and gardening during home confinement. Providing space can ignite curiosity beyond digital entertainment, regardless of financial limits. Parents can reduce sedentary screen time by enforcing media rules and encouraging indoor exercises like dancing and rope skipping. Families should use stay-at-home periods to share meals, model healthier habits, and strengthen bonds. The home setting often leads to inactivity and excessive screen time, leading parents to feel uncertain about managing usage and worrying about obesity. Guidance is needed to balance screen time, diminish sedentary behavior, and establish shared goals. Future research should focus on interventions replacing screen time with physical activities to enhance motivation and self-efficacy. (Moitra & Madan, 2022)(Nwankwo et al., 2019)

Government and Policy Responses: The proliferation of screens and widespread use of digital platforms have resulted in an escalating number of people addicted to these devices and technologies. Video gaming addiction is a contemporary issue, predominantly among children and young people. Policymakers face significant challenges in formulating effective responses. In other contexts, Hong Kong has implemented extensive initiatives, including educational campaigns and brief group interventions, aimed at promoting the appropriate use of digital and electronic devices among adolescents. These measures serve as pertinent examples for governmental and policy action elsewhere.

Research in Hong Kong emphasizes the urgent need

for policies tackling public health issues from excessive internet use, particularly among children and adolescents. Reports from the Centre for Health Protection (2011-2017) reveal alarming internet habits. Organizations such as Tung Wah Group of Hospitals and Hong Kong Christian Service offer integrated treatment and online counseling for addiction and mental health problems. Problematic video gaming is acknowledged as a global health issue, prompting action in countries like China. Promoting parental education and positive youth development is crucial to combat addiction, as excessive screen time endangers children's health, according to experts like the AAP and WHO. The UK has initiated public health campaigns for managing screen time while India is beginning to implement WHO guidelines. (Chung et al., 2018)(Ishtiaq et al., 2021)(Jain et al., 2023)

To address children's screen addiction, the government must adopt critical policies. First, revise Internet regulations to create safer spaces. Second, provide training and health promotions to assist those struggling with Internet use, focusing on management strategies and raising mental health awareness. Third, improve public support systems for addiction treatment. Fourth, implement practices for Internet-related harm management, including safe social media education. Lastly, monitor global youth Internet use to identify addiction early. In India, Internet addiction affects an estimated 5% to 10% of users, linking increased use to higher college dropout rates, with Ahmedabad studies indicating a strong connection between addiction and mental health issues like depression and anxiety. (K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)

An investigation into internet addiction prevalence was conducted among high school students in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This research aimed to clarify internet usage patterns, assess socio-demographic influences, and measure addictive behaviors. Internet addiction is a significant issue affecting many. While the internet is beneficial for information and communication, excessive leisure use can result in serious addiction if not managed. (Kumar Sahu et al., 2018)

Technology Industry's Role: Technology companies must address screen addiction by promoting digital wellness and supporting mental health. The government's role is essential in encouraging tech firms to implement changes, while parental oversight is crucial for managing screen time. Screen addiction adversely impacts mental and physical health and education. Identifying benefits amidst pervasive screen use is challenging. India's government is developing regulations for screen usage, requiring comprehensive policies to help screen addicts. Effective management must balance monitoring screen time with privacy rights, potentially needing access to personal data, which younger generations may accept. Establishing safe internet and TV limits requires collaboration among local communities, schools, parents, and the tech industry. (K. Y Kwong & Y.F

Fong, 2019)

Technology companies must address the impact of their products on users, particularly concerning screen addiction, yet interventions are insufficient. Designing products with children's developmental needs in mind fosters learning and safety. Research supports the creation of genuine experiences for children. While companies like Google and Facebook have made strides in developing kid-friendly platforms, stronger commitments to tackle screen addiction are essential. J. P. Floridi's framework on behavioral addiction helps differentiate addiction levels and content, aiding in identifying harmful behaviors. Digital assistants offer limited help, revealing the need for proactive government regulation to define addiction and manage risks effectively. (Langvardt, 2019)

Concern over children's screen addiction highlights the need for tech that encourages healthy use. Despite health features, addiction rates increase. Custom apps can manage screen time and promote positive interactions. Key features include inactivity alerts, parental controls, and usage reports for parents. Since peers impact children's choices, collective use of these technologies may help lower addiction levels. (Loganathan & Ramadurai, 2020) (Nwankwo et al., 2019)

Parents significantly influence healthy screen use in children through their perceptions and monitoring practices. Screen time concerns vary with family circumstances; children of less educated parents or living in rented homes have higher screen use. Families without household rules see 1.60 times more excessive screen use, with 80% of kids without rules watching TV freely and 90% after 20:00, compared to under 20% in rule-abiding families. (K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)

Case Studies: Screen addiction is a growing global concern, prompting the need for intervention models. This paper uses case studies to illustrate addressing digital addictions in children through government policies, school systems, teacher guidelines, and tech collaborations. In India, over the past decade, government guidelines have promoted digital and media literacy, offering schools practical strategies to manage screen time. However, schools must adopt adaptive teaching methods that keep up with technological advancements, as such models remain underexplored both in India and globally. The paper outlines relevant frameworks and presents a new model based on extensive media analysis. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(Moitra & Madan, 2022)

The search focused on key phrases like "screen addiction," "screen time," "digital addiction," and others related to children, technology, and mental health in Google Scholar and Google Search. The search was conducted monthly, covering 2021 and 2022 for diversity. Quantitative studies were excluded due to the lack of grounding in data for much media rhetoric on digital addiction. Nevertheless, the insights gained formed a solid foundation for developing

more ideas and models.

Many countries, including India, are addressing screen addiction in children. e-Nurture Limited started Digital-Detox Camps for life-skills development and reducing device use. The Centre for Media Studies promoted healthy media interactions. In Hyderabad, the iCARE project engaged students, parents, and teachers in 50 government schools from 2015 to 2017. A study showed digital detox camps led to a 60% reduction in daily screen time for participants. During the pandemic, children's sedentary behavior doubled due to increased screen time and reduced public transport use, causing older youth to rely more on cars. Indian studies highlight worsened sleep and psychological issues among children during COVID-19. While about 60% of children meet physical activity guidelines, wealthier youth tend to participate more in organized sports. Adolescents in high-income countries are generally more active. Policymakers need effective interventions to boost physical activity, reduce sedentarism, and promote active transport, incorporating community input for better risk management. (Moitra & Madan, 2022)(Loganathan & Ramadurai, 2020)

Future Trends: Future entertainment technologies—augmented reality, virtual assistants, and brain-computer interfaces—will likely increase children's screen time and lower the age of introduction. Media will become realistic and immersive, often competing with outdoor activities. Impact on screen time varies by digital literacy and socio-economic status, raising concerns about children's well-being, especially in India. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(Jain et al., 2023)(Moitra & Madan, 2022)

The rise of screen-based devices has created societal issues, notably screen addiction affecting all ages, particularly children. In countries such as India, where digital devices are widespread, children encounter substantial risks associated with this addiction, influenced by social factors and device accessibility. Analyzing contemporary Indian culture is crucial for tackling the causes and obstacles of screen addiction. The article examines screen addiction traits and assesses the effects of cultural and socio-economic elements on Indian children, emphasizing challenges from the constant presence of digital devices. Recent developments in digital technology have made exploring culture easier, especially through on-demand web streaming of videos and documentaries, even during commutes. The shift from cable to OTT platforms, particularly Video-on-Demand, has altered viewing habits. However, challenges like channel overload and binge-watching contribute to addiction, stress, and disrupted sleep. Though it enhances real-time experiences, digital evolution poses psychological challenges that threaten mental well-being, leading to issues, especially among youth. (Chandra et al., 2023)

Emerging technologies for entertainment (playscape, TV, games, smartphones, social networks, video-on-demand, virtual reality, video-conferencing, augmented

reality, digital learning, metaverse) are popular among children, driven by global and Indian smartphone usage. The rising demand for telepresence highlights the significance of AR, MR, and VR in future multimedia services, as seen with Oculus and HoloLens. This trend will shift children's screen time from traditional media to innovative platforms, supported by India's vast digital landscape—over 700 million internet users and nearly 900 million mobile users—which is likely to enhance these developments. (Ishtiaq et al., 2021)(Jain et al., 2023)

Conclusion: Screen time has increased phenomenally among children globally in general; and in India, in particular, the demand for internet and video games has grown exponentially. New applications and websites have hooked youngsters to the internet in a broad spectrum of activities such as gaming, surfing, chatting, gambling, shopping, video calling, social networking and online learning. An addictive pattern to the internet and ICCs has developed in many youngsters globally and / or in India. The symptoms of screen addiction include loss of control, withdrawal, preoccupation, mood modification, and development of tolerance (Loganathan & Ramadurai, 2020). Children are the most vulnerable to screen addiction and its dangerous fallout such as depression, isolation, and adverse health effects. The Indian cultural ethos encourages strong parental supports and close-knit family characteristics that place the youngsters on a value track as well as on a track of effective monitoring and counseling. It is therefore essential to understand the India-specific profile of screen usage for framing effective policies and action plans for handling the menace and safeguarding the health of Indian children (Moitra & Madan, 2022). Children using screens and internet for extended hours and consuming highly inappropriate content on a continuous basis is not without harm. Deleterious impact has been confirmed on their social, physical and mental wellbeing as well as on the quality of learning and overall academic performance. This also damages the plot of the culture and the ethos of our great civilisation. Screen addiction is addictive because it triggers off a parasympathetic nervous system response similar to the effect of relaxation drugs, alcohol, and tobacco products. Besides medical guidelines, the problem calls for active interventions by the schooling system, curriculum design, parents, guardians and statutory bodies at the national and regional levels.

References:-

- Jain, S., Shrivastava, S., Mathur, A., Pathak, D., & Pathak, A. (2023). Prevalence and Determinants of Excessive Screen Viewing Time in Children Aged 3–15 Years and Its Effects on Physical Activity, Sleep, Eye Symptoms and Headache. *ncbi.nlm.nih.gov*
- Loganathan, M. & Ramadurai, B. (2020). Application of ARIZ to Social Issues: Case of ICT Device Addiction in Pre-teen Children in India. *osf.io*
- Moitra, P. & Madan, J. (2022). Impact of screen time during COVID-19 on eating habits, physical activity, sleep, and depression symptoms: A cross-sectional study in Indian adolescents. *ncbi.nlm.nih.gov*
- Ilamparithi, P. (2018). Association between “Screen Time” and behavioral health problems among urban and rural students. [PDF]
- S Nakshine, V., Thute, P., Nazli Khatib, M., & Sarkar, B. (2022). Increased Screen Time as a Cause of Declining Physical, Psychological Health, and Sleep Patterns: A Literary Review. *ncbi.nlm.nih.gov*
- Ishtiaq, A., Ashraf, H., Iftikhar, S., & Baig-Ansari, N. (2021). Parental perception on screen time and psychological distress among young children. *ncbi.nlm.nih.gov*
- K. Y Kwong, C. & Y.F Fong, B. (2019). Promotion of Appropriate Use of Electronic Devices Among Hong Kong Adolescents. [PDF]
- Hou, C. Y., Rutherford, R., Chang, H., Chang, F. C., Shumei, L., Chiu, C. H., Chen, P. H., Chiang, J. T., Miao, N. F., Chuang, H. Y., & Tseng, C. C. (2022). Children's mobile-gaming preferences, online risks, and mental health. *ncbi.nlm.nih.gov*
- Neethu, J. (2016). A comparative study to assess the usage of electronic media and its impact on the traditional play, health and wellbeing with a view to provide an information booklet and need-based education to the school children in selected schools in the urban and rural areas - Coimbatore. [PDF]
- Mahmud, S., Abdullah A. Jobayer, M., Salma, N., Mahmud, A., & Tamanna, T. (2023). Online gaming and its effect on academic performance of Bangladeshi university students: A cross sectional study. *ncbi.nlm.nih.gov*
- J. Munsamy, A., Chetty, V., & Ramlall, S. (2022). Screen-based behaviour in children is more than meets the eye. *ncbi.nlm.nih.gov*
- Nwankwo, F., Shin, H. D., Al-Habaibeh, A., & Massoud, H. (2019). Evaluation of children's screen viewing time and parental role in household context. [PDF]
- Chung, T., Sum, S., & Chan, M. (2018). Time to call for a global public health approach in prevention of the onset and progression of problematic gaming : Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018). [PDF]
- Kumar Sahu, R., Mahendra Simha Karna, S. M., & Singh Rajput, D. (2018). Internet Addiction: A Comparative Study Among Children in the State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. [PDF]
- Langvardt, K. (2019). Regulating Habit-Forming Technology. [PDF]
- Chandra, V., Gaidhane, A., G Choudhari, S., & Quazi Syed, Z. (2023). Digital Dilemmas: A Comprehensive Review of the Psychosocial and Sleep Effects of Web Streaming on the Indian Youth. *ncbi.nlm.nih.gov*

झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

सुनीता सोलंकी* डॉ. लक्ष्मी अग्रिहोत्री**

* शोधार्थी (गृहविज्ञान) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (गृह विज्ञान) सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध में झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस शोधकार्य हेतु झाबुआ जिले की आदिवासी 80 बालिकाओं (40 साक्षर माताओं की एवं 40 असाक्षर माताओं की) का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यायपूर्ण विधि द्वारा किया गया है। आदिवासी बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के मापन के लिए स्वनिर्मित अनुसूची को लिया गया है। संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत एवं काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है। इस प्रारंभिक मार्गदर्शन अध्ययन से प्राप्त विभिन्न परिणामों के गहन विश्लेषण से निष्कर्षतः यह ज्ञात हुआ कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया तथा साक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाएं, असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की तुलना में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक पाई गयीं।

शब्द कुंजी - झाबुआ जिला, आदिवासी माता, शिक्षा, स्वास्थ्य की जागरूकता।

प्रस्तावना - हमारे देश भारत का वर्तमान विश्व के औद्योगिक व विकासशील देशों में एक प्रमुख स्थान है। शिक्षा एवं तकनीकी विकास के बढ़ते हुये प्रभाव के कारण आज हमारा देश विश्व के प्रमुख शक्तिशाली तथा प्रभावशाली देशों में शामिल है। यहां की शस्य-श्यामला भूमि बहुत ही उपजाऊ है। यहां के लगभग 70 % व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न हैं। यहां के लघु व कुटीर उद्योग तीव्रता से प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। आज कृषि हो या विज्ञान, उद्योग हो या व्यापार सभी क्षेत्रों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। साथ ही वर्तमान समय में चिकित्सा तथा परिवहन आदि की सुविधाएं भी पर्याप्त हो चुकी हैं।

वर्तमान में मीडिया तथा जनसंचार के साधनों के बढ़ते प्रसार एवं उसके प्रभाव के कारण हम भारतीयों विशेषकर शहरी क्षेत्र के लोगों के रहन-सहन, जीवन स्तर तथा खानपान में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है, लेकिन वर्तमान में भी अधिकांशतः भारतीय समाज ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है एवं वह आधुनिक सभ्यता व चकाचौंध से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ है तथा जो वह आज भी मानव समूह में निवास करते हैं, जो जनजाति, वन्यजाति, आदिवासी आदि के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में इन लोगों को ही अनुसूचित जनजाति कहते हैं।

आदिवासी लोग अभी भी सुन्दर वनों की दुनिया में निवास करते हुए पश्चिमी सभ्यता से कोसों-मीलों दूर रहकर अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। इनकी अपनी रीति-रिवाज, खानपान, वेशभूषा, रहन-सहन, भाषा-बोली एवं विवाह पद्धति आदि हैं, जिन्हें जनजातीय समाज कहते हैं।

यह जनजातियां, मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पायी जाती हैं। परिवारगत, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी विभिन्नताओं के

कारण मध्यप्रदेश का विविधवर्णी आदिवासी संसार अपनी विलक्षण जटिलताओं के कारण विकास की मुख्य धारा से अलग-अलग रहा है।

मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से गोंड, कोरकू, बैगा, उरांव, मुरिया, मडिया, हलवा, भील आदि जनजाति निवास करती हैं। यह 46 जनजाति एवं उपजातियां प्रदेश के जिले जैसे - बैतूल, मण्डला, होशंगाबाद, झाबुआ आदि में निवास करती हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक संरचना, धार्मिक आस्था और भाषा-बोली में स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है। साथ ही भोजन की आदतें, रहन-सहन का तरीका अलग है। ये स्वयं के स्वास्थ्य एवं पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक स्तर, अज्ञानता, अशिक्षा का अभाव एवं असामाजिक कुरीतियों का न्यूनतम स्तर आज भी इन परिवारों में स्थित है। आज भी बालिका अपने पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। परिणामस्वरूप इनका स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर गिर रहा है। इस अवस्था में बालिका का जीवन महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में बालिकाओं का शारीरिक व मानसिक विकास भी अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इसलिए इस शोध माध्यम से झाबुआ जिले में निवास कर रही साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

समस्या का औचित्य - कहा गया है कि, 'स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।' यह बात अक्षरशः सत्य है क्योंकि यह भी कहा जाता है कि, 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'

उक्त पंक्तियाँ स्वास्थ्य की महता को परिलक्षित करती हैं जिस देश की जनसंख्या स्वस्थ होगी वह देश समूचे विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में सम्मिलित होगा।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने बालिका स्वास्थ्य से संबंधित पूर्व में हुए शोध कार्यों का अध्ययन किया और इस कार्य का चुनाव किया। शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है। सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा व स्वच्छता संबंधी सुरक्षा का संज्ञान हो।

अतः प्रस्तुत शोध का औचित्य यह ज्ञात करना है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के कारण आदिवासी माताओं की शिक्षा पर जो असर हुआ है, उसका उनकी बालिकाओं की स्वास्थ्य के जागरूकता पर कितना असर हुआ है।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण –

(क) आदिवासी – आदिवासी शब्द दो शब्दों – आदि + वासी से मिलकर बना है। इसका अर्थ ‘मूल निवासी’ होता है।

(ख) स्वास्थ्य – विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सन् 1948 में स्वास्थ्य की परिभाषा दी – ‘दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना (समस्या विहीन होना) ही स्वास्थ्य है।

(ग) जागरूकता – इसका अर्थ है – निद्रा शून्यता, संचेतता, जागरणशीलता। जागरूकता एक मानसिक भाव है जिसका अर्थ है – बोध सहित जानना। प्रस्तुत शोध से संबंधित पूर्व में भी कुछ शोध कार्य किये गये हैं जैसे:-

- **सोनेकर, बी. एल. (2014)** ने ‘महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन’ विषय पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ कि गर्भवती महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) मुख्य समस्या पाई गई। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसूती मृत्युदर भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक पाई गई।

- **ठाकुर, रचना एवं अन्य (2015)** ने ‘मध्य भारतीय शहर (सागर) के लड़कों और लड़कियों के बीच पोषण की स्थिति’ का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ कि लैंगिक असमानताओं को खत्म करने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बहुत आवश्यकता है।

- **वर्मन, पुष्पिता; महंता, तुलिका गोस्वामी एवं बरुआ, आलोक (2015)** ने ‘असम राज्य के डिब्रुगढ़ शहर की झुग्गी बस्ती में रहने वाली 15 से 19 आयु वर्ग की किशोरावस्था की छात्राओं की सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन’ विषय पर एक शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ कि 34.40 % छात्राओं में दुबलापन, 5.00 % छात्राओं में अत्यधिक दुबलापन, 7.00 % छात्राओं में अधिक वजन पाया गया। 62.00 % किशोरियों में एक या एक से अधिक बीमारी पाई गई।

- **सेठ, नकुल एवं स्वेन, कविता (2018)** ने ‘उड़ीसा के कोरापुर जिले की परोजा जनजाति की किशोरावस्था की छात्राओं की समस्याओं का अध्ययन’ विषय पर एक शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ कि 78.93 % छात्राओं का मानना था कि वह रक्तस्राव के समय सेनेटरी पैड उपयोग करती हैं। 16.79 % छात्राओं का मानना था कि वह 2-3 पैड उपयोग करती हैं जबकि 4.29 % छात्राओं का मानना था कि वह 3 अधिक सेनेटरी पैड उपयोग करती हैं। मासिक चक्र के समय छात्रावास में रहने वाली 88.29 % छात्राएँ सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं जबकि 11.71 % छात्राएँ कपड़े का उपयोग करती हैं। न्यादर्श में चुनी गई छात्राओं में से 36 छात्राएँ विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त पाई गईं, जिनमें

से 6 तनाव, 3 चिंता, 5 अवसाद व अकेलापन, 3 अक्रामकता, 8 कुसमायोजन, 1 आत्महत्या की प्रवृत्ति तथा 10 छात्राएँ बुरी लतों से ग्रस्त पाई गईं।

- **किरण, शंकुन्तला (2019)** ने ‘समाज में महिला स्वास्थ्य एवं पोषण की धारणा’ विषय पर शोध लेख लिखा। अपने शोध लेख में उन्होंने बताया कि पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसलिए शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन में उचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए।

- **स्वाति (2019)** ने ‘ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य शिक्षा एवं उपचार संबंधी चेतना : टांडाहेडी ग्राम का अध्ययन’ विषय पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ कि 70 % महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं थीं जबकि सिर्फ 30 % महिलाएँ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक पाई गईं। 40 % महिलाएँ बीमार पड़ने की स्थिति में घर पर ही दवा मँगा लेती हैं, 20 % महिलाएँ घरेलू उपाय करती हैं। सिर्फ 30 % महिलाएँ ही बीमार होने पर अस्पताल जाती हैं तथा 10 % महिलाएँ विभिन्न प्रकार के उपायों का सहारा लेती हैं।

- **नुसरत (2019)** ने ‘दलित महिलाओं के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ : कारण तथा बचाव’ विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध पत्र के निष्कर्षस्वरूप ज्ञात हुआ कि दलित महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनेक कारण हैं जिनके प्रमुख कारण – महिलाओं का समाज में निम्न स्तर, गरीबी, अनियमित आहार, कार्य करने की खराब दशाएँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ मुख्य रूप से पाए गए।

- **अंजना कुमारी (2020)** ने ‘ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में आहार एवं पोषण का स्वास्थ्य से सम्बन्ध’ विषय पर शोध लेख लिखा। अपने शोध लेख में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार एवं पोषण को बहुत अधिक महत्व है। अच्छे पोषण के बिना किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ रहना सम्भव नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य – झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना – झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

उपकरण – प्रस्तुत शोधपत्र में झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित स्वास्थ्य जागरूकता अनुसूचि का उपयोग किया गया है।

विधि – प्रस्तुत शोध हेतु झाबुआ जिले की कुल 80 बालिकाओं (40 साक्षर माताओं की एवं 40 असाक्षर माताओं की) का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा करके इन लोगों पर स्वनिर्मित स्वास्थ्य जागरूकता अनुसूचि का प्रशासन किया गया तथा मॉस्टर शीट तैयार की गई। % एवं काई वर्ग परीक्षण के द्वारा संकलित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

परिणामों का विश्लेषण

परिकल्पना – झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया

जायेगा।

सारणी - 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यव्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 28 (70.00%) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, 2 बालिकाएं (5.00 %) ऐसा नहीं मानती हैं जबकि 10 बालिकाओं (25.000%) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का थोड़ा-बहुत ध्यान रखा जाता है। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 17 (42.50 %) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, 9 बालिकाएं (22.50 %) ऐसा नहीं मानती हैं जबकि 14 बालिकाओं (35.00 %) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का थोड़ा-बहुत ध्यान रखा जाता है। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ यकाई वर्ग' का यह मान 7.81 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अतः इन परिणामों से हम यह निष्कर्षतः बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त यकाई वर्ग परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यव्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी - 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यस्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 25 (62.50 %) का मानना था कि स्वास्थ्य खराब होने पर वह अस्पताल में ईलाज करवाती हैं, 14 बालिकाएं (25.00 %) स्वास्थ्य खराब होने पर घरेलू ईलाज करती हैं जबकि 5 बालिकाओं (12.50 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य खराब होने पर झाड़-फूंक करवाती हैं। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 18 (45.00 %) का मानना था कि स्वास्थ्य खराब होने पर वह अस्पताल में ईलाज करवाती हैं, 6 बालिकाएं (15.00 %) स्वास्थ्य खराब होने पर घरेलू ईलाज करती हैं जबकि 16 बालिकाओं (40.00 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य खराब होने पर झाड़-फूंक करवाती हैं। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ यकाई वर्ग का यह मान 7.90 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अतः इन परिणामों से हम यह निष्कर्षतः बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में अस्पताल

में ईलाज करवाने वालों की संख्या सर्वाधिक 43 (53.75 %) जबकि घरेलू ईलाज करवाने वालों की संख्या सबसे कम 16 (20.00 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी - 03 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) के उपयोग' की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 21 (52.50 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन का अक्सर उपयोग करती हैं, 3 बालिकाएं (7.50 %) अक्सर इनका उपयोग नहीं करती हैं जबकि 16 बालिकाओं (40.00 %) का मानना था वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन का उपयोग कभी-कभी करती हैं। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 25 (62.50 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन का अक्सर उपयोग करती हैं, 2 बालिकाएं (5.00 %) अक्सर इनका उपयोग नहीं करती हैं जबकि 13 बालिकाओं (32.50 %) का मानना था वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन का उपयोग कभी-कभी करती हैं। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन के उपयोग' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ यकाई वर्ग का यह मान 0.86 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से कम है, जो कि सार्थक नहीं है।

अतः इन परिणामों से हम यह निष्कर्षतः बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार के भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) का अक्सर उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 46 (57.50 %) जबकि घर के बहार के भोजन का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 5 (6.25 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यस्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) के उपयोग की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल भी सार्थक तथा वास्तविक अंतर नहीं पाया गया।

सारणी - 04 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 26 (65.00 %) का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है, 2 बालिकाएं (5.00 %) यह मानती हैं कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं किया जाता है जबकि 13 बालिकाओं (32.50 %)

का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय कभी-कभी सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 16 (40.00 %) का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है, 5 बालिकाएं (12.50 %) यह मानती हैं कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं किया जाता है जबकि 19 बालिकाओं (47.50 %) का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय कभी-कभी सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ 'काई वर्ग' का यह मान 6.17 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अतः इन परिणामों से हम यह निष्कर्षतः बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 42 (52.50 %) जबकि माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 6 (7.50 %) पाई गई। गणना से प्राप्त यकाई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी - 05 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 27 (67.50 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेती हैं, 1 बालिका (2.50 %) सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेती है जबकि 12 बालिकाओं (30.00 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ कभी-कभी लेती हैं। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 18 (45.00 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेती हैं, 7 बालिकाएं (17.50 %) सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेती हैं जबकि 15 बालिकाओं (37.50 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ कभी-कभी लेती हैं। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ 'काई वर्ग' का यह मान 6.63 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अतः इन परिणामों से हम यह निष्कर्षतः बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेने वालों की संख्या सबसे कम 8 (10.00 %) पाई गई। गणना

से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी - 06 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 30 (75.00 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध है, 3 बालिकाओं (7.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध नहीं है जबकि 7 बालिकाओं (17.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए थोड़ा-बहुत सामान उपलब्ध है। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 19 (47.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध है, 8 बालिकाओं (20.00 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध नहीं है जबकि 13 बालिकाओं (32.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए थोड़ा-बहुत सामान उपलब्ध है। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ 'काई वर्ग' का यह मान 6.54 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अतः इन परिणामों से हम यह निष्कर्षतः बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 49 (61.25 %) जबकि घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया। उपरोक्त सभी सारणियों के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ली गयी परिकल्पना 'झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा' अस्वीकृत की जाती है क्योंकि सारणी क्रमांक 01, 02, 04, 05, 06 में काई वर्ग परीक्षण के मान क्रमशः 7.81, 7.90, 6.17, 6.63, 6.54 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक ज्ञात हुये हैं, जो कि सार्थक हैं जबकि सिर्फ सारणी क्रमांक 03 में काई वर्ग परीक्षण का मान 0.86 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से कम ज्ञात हुआ है, जो कि सार्थक नहीं है।

निष्कर्ष - उपरोक्त सभी सारणियों में संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण परिकल्पना के आधार पर परिणाम प्राप्त हुए हैं -

1. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की

बालिकाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

2. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में अस्पताल में ईलाज करवाने वालों की संख्या सर्वाधिक 43 (53.75 %) जबकि घरेलू ईलाज करवाने वालों की संख्या सबसे कम 16 (20.00 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

3. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार के भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिक्स आदि) का अक्सर उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 46 (57.50 %) जबकि घर के बहार के भोजन का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 5 (6.25 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिक्स आदि) के उपयोग' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल भी सार्थक तथा वास्तविक अंतर नहीं पाया गया।

4. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 42 (52.50 %) जबकि माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 6 (7.50 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

5. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेने वालों की संख्या सबसे कम 8 (10.00 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

6. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 49 (61.25 %) जबकि घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण

मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

अतः उपरोक्त सभी निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया तथा साक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाएं, असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की तुलना में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक पाई गईं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

पुस्तकें :-

1. अरोरा, सन्तोष (2014) : **पापुलेशन एण्ड एजुकेशन प्रोब्लम्स**, वन इण्डिया इकोनोमिक वीकली, दिल्ली, दिसम्बर 2014
2. इन्दोलिया, रघुवीर (2010) : **ग्रामीण भारत में कुपोषण समस्या एवं समाधान**, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, राजस्थान।
3. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ (2013) : **सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ**, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
4. नारायण, सुधा (1998) : **आहार नियोजन**, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
5. राणावत, रमा (2010) : **भोजन और स्वास्थ्य**, विश्वभारती पब्लिकेशन।
6. शर्मा, श्रीनाथ (2011) : **मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ**, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
7. स्वामीनाथन, एम. (2008) : **आहार एवं पोषण**, एन.आर. ब्रदर्स प्रकाशक, इन्दौर।
8. वर्मा, ओमप्रकाश (1987) : **सामाजिक शोध तथा सर्वेक्षण**, सरस्वती सदन, दिल्ली।
9. डॉ. सानी रामगोपाल: **उदयोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा**, पृ.सं.6
10. डॉ. प्रसाद, ज्योति, श्रीवास्तव, सीमा एवं श्रीवास्तव अनन्ता: **आधारीय पोषण पृ.सं.3**

Related Research:-

1. **अंजना कुमारी (2020)** 'ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में आहार एवं पोषण का स्वास्थ्य से सम्बन्ध', *International Journal of Applied Research*, Volume 6, Issue 7, 2020, Page No. 46-47
2. **Barman, Pushpita; Mahanta, Tulika Goswami and Barua, Alok (2015)** "Social health problem of adolescent girls aged 15-19 year living in slums of Dibrugarh Town, Assam", *Clinical Epidemiology and Global Health*, Volume 3, 2015, Page No. 49-53
3. **किरण, शंकुन्तला (2019)** 'समाज में महिला स्वास्थ्य एवं पोषण की धारणा', *International Journal of Advanced Academic Studies*, Volume 1, Issue 1, 2019, Page No. 67-68
4. **नुरत (2019)** 'दलित महिलाओं के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ: कारण तथा बचाव', *Journal of Acharaya Narendra Dev Research Institute*, Volume 28, June-August 2019, Page No. 148-152

5. Seth, Nakul and Swain, Kabita (2018) "Assessment of Problems of Adolescent Girls Among Paroja Tribe of Koraput District, Odisha", Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Volume 5, Issue 11, November 2018, Page No. 602-612
6. सोनेकर, बी.एल. (2014) 'महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन', International Journal Reviews and Research in Social Science, Volume 2, Issue 2, April-June 2014, Page No. 124-127
7. स्वाति (2019) 'ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य शिक्षा एवं उपचार संबंधी चेतना : टांडाहेडी ग्राम का अध्ययन', Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Volume 6, Issue 3, March 2019, Page No. 456-461
8. ठाकुर, रचना और गौतम, के. राजेश (2015) 'मध्य भारतीय शहर (सागर) के लड़कों और लड़कियों के बीच पोषण की स्थिति', मानवशास्त्रीय समीक्षा, वॉल्यूम-78(2), पृष्ठ क्रमांक 197-212.

सारणी - 01: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यव्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		थोड़ा-बहुत			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	28	70.00	2	5.00	10	25.00	7.81	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	17	42.50	9	22.50	14	35.00		
कुल	80	45	56.25	11	13.75	24	30.00		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2

सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी - 02: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		अस्पताल		घरेलू ईलाज		झाड़-फूंक			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	25	62.50	10	25.00	5	12.50	7.90	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	18	45.00	6	15.00	16	40.00		
कुल	80	43	53.75	16	20.00	21	26.25		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2

सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी - 03: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यस्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) के उपयोग' की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक घर के बहार का भोजन के उपयोग' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		कभी-कभी			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	21	52.50	3	7.50	16	40.00	0.86	0.05 स्तर पर असार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	25	62.50	2	5.00	13	32.50		
कुल	80	46	57.50	5	6.25	29	36.25		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2

सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी - 04: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यमाहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		कभी-कभी			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	26	65.00	1	2.50	13	32.50	6.17	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	16	40.00	5	12.50	19	47.50		
कुल	80	42	52.50	6	7.50	32	40.00		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2

सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी - 05: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यसरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		कभी-कभी			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	27	67.50	1	2.50	12	30.00	6.63	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	18	45.00	7	17.50	15	37.50		
कुल	80	45	56.25	8	10.00	27	33.75		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2

सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी - 06: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के यघर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		थोड़ा-बहुत			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	30	75.00	3	7.50	7	17.50	6.54	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	19	47.50	8	20.00	13	32.50		
कुल	80	49	61.25	11	13.75	20	25.00		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2

सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका

कु. स्तुति झा* डॉ. विभा वासुदेव**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी देश के विकास में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में अत्यंत परिवर्तन हुआ है। वैदिक काल में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवताः' की विचारधारा देखने को मिलती है, तत्पश्चात मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई। इसके बाद आधुनिक और स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु अनेक प्रयास किए गए जिसमें सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस शोध पत्र में महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका का अध्ययन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाना है। मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्र शासित एवं राज्य शासित योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं-

लाइली लक्ष्मी योजना – यह राज्य शासित योजना बालिकाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच का विकास करना, प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना एवं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना है। इस योजना से बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाया जाएगा। इस योजना से बालिकाओं के सर्वाधिक विकास को सुरक्षित करने का उद्देश्य रखा गया है। यह योजना बाल विवाह की रोकथाम में सहायक साबित होगी।

लाडो अभियान – मध्य प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए लाडो अभियान वर्ष 2013 से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जन समाज में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की रोकथाम हेतु मानसिकता में सकारात्मक बदलाव करना है। यह अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – यह केंद्र शासित योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य

सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ उनके द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रमुख प्रावधान महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5000 रुपये दो किशतों में प्रदान करना है एवं द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म होने पर 6000 रुपये एक किशत में प्रदान करना है।

शक्ति सदन – भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वाधार योजना एवं उज्जवला योजना का विलय कर शक्ति सदन के नाम से नई योजना 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय अंश 60: 40 के अनुपात में रहेगा। इस योजना में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण का निर्माण करना, महिला तस्करी की रोकथाम करना, अनैतिक व्यापार में गई महिलाओं सहित संकट में फंसी हुई महिलाओं को विकट परिस्थितियों से निकालकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

लाइली बहना योजना – यह राज्य शासित योजना मध्य प्रदेश में 28 जनवरी 2023 को लागू की गई है। इस योजना में महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किया गया है। इस योजना की सहायता से महिलाओं में परिवार में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबन और परिवार में उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में निरंतर सुधार बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, साथ ही महिलाओं की परिवार में निर्णय लेने की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में लाइली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये प्रदान किया जा रहे हैं। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करके स्वरोजगार के संसाधनों को विकसित करेंगी एवं समाज और परिवार में उनकी भूमिका सशक्त हो सकेगी।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का महिलाओं पर प्रभाव – महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त हुई हैं। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं पर निम्न प्रभाव परिलक्षित होते हैं-

1. **सामाजिक प्रभाव** – महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का समाज पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, समाज में महिलाओं की भूमिका सशक्त हुई है।

2. आर्थिक प्रभाव- महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएं से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से राशि प्रदान करती हैं, जिससे वह स्वयं के अपने खर्च चला पाती हैं।

3. राजनीतिक प्रभाव- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का महिलाओं पर राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। महिलाएं राजनीतिक निर्णय स्वयं कर रही हैं तथा अपनी पसंद की सरकार को चुन रही हैं।

4. रोजगार पर प्रभाव- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों द्वारा अपने स्वरोजगार को प्राप्त कर रही हैं।

5. स्वास्थ्य पर प्रभाव- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं में कुपोषण को दूर करने एवं बीमारी की रोकथाम करने हेतु प्रयास किए गए हैं।

6. पारिवारिक भूमिका में बदलाव- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की पारिवारिक भूमिका में बदलाव आया है। अब महिलाएं भी परिवार एवं समाज में पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती हैं साथ ही स्वयं एवं परिवार के निर्णय कर पा रही हैं।

7. शिक्षा पर प्रभाव- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं पर शैक्षणिक प्रभाव पड़ा है। समाज में बालिकाओं को शिक्षित करने की विचारधारा में बदलाव आया है, साथ ही बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने का स्तर भी बढ़ा है।

8. आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

9. वैचारिक परिवर्तन- इन कार्यक्रमों द्वारा समाज में वैचारिक परिवर्तन आया है, अब समाज में महिलाओं को लेकर सकारात्मक विचार देखने को मिलते हैं।

10. स्वावलंबन- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं में स्वावलंबन की भावना जागृत हुई है।

महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, महिलाओं में अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरूकता का स्तर बढ़ा है, बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है एवं महिला सशक्तिकरण में सहायता मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राधिका कपूर, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम https://www.researchgate.net/publication/323725945_Women_and_Child_Development_Programmes
2. डॉ. आशुतोष व्यास, राधेश्याम कमेटी, महिला सशक्तिकरण में महिला बाल विकास की भूमिका एक मूल्यांकन, IJFMR Volume 3, Issue 5, September-October 2021.
3. <https://mpwcdmis.gov.in/>
4. <https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx>
5. <https://cmladlibahna.mp.gov.in/>

Breaking Barriers: Law & Gender Equality

Dr. Pushpanjali Pandey*

*Assistant Professor, Gyan Ganga College of Excellence (Law), Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract : Gender equality is a constitutional guarantee in India, but its realization has depended heavily on judicial intervention. This paper critically examines the Supreme Court of India's role in dismantling legal and societal barriers to gender justice through constitutional interpretation and progressive jurisprudence. Drawing on landmark decisions in employment, property rights, bodily autonomy, and protection from violence, the research analyzes the evolution from formal to substantive equality. Using a doctrinal and case-law methodology, the study identifies gaps in implementation and suggests pathways for enhanced enforcement. The findings reveal that while the Supreme Court has played a transformative role, persistent societal and institutional resistance continue to hinder full realization of gender equality.

Keywords- Gender equality, Supreme Court of India, constitutional law, women's rights, judicial activism, landmark cases, substantive equality.

Introduction - Gender equality is enshrined as a foundational value in the Constitution of India, reflected in its Preamble's commitment to justice, equality, and dignity for all citizens. The constitutional scheme explicitly mandates both formal and substantive equality through a combination of Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy. **Article 14** guarantees equality before the law and equal protection of laws¹, **Article 15(1)** prohibits discrimination on grounds of sex², and **Article 15(3)** allows the State to make special provisions for women and children³. **Article 16** ensures equality of opportunity in matters of public employment⁴, while **Article 21**, as expansively interpreted, protects the right to life with dignity, encompassing bodily autonomy, reproductive rights, and freedom from violence⁵.

The Directive Principles—particularly **Articles 39(a) and 39(d)** - direct the State to secure adequate livelihood for men and women equally, and equal pay for equal work⁶. **Article 42** mandates provisions for just and humane conditions of work and maternity relief⁷, while **Article 51A(e)** imposes a fundamental duty on citizens to renounce practices derogatory to the dignity of women⁸.

However, the lived reality of Indian women often diverges sharply from these constitutional ideals due to systemic discrimination, patriarchal norms, and institutional gaps. In this context, the **Supreme Court of India** has emerged as a transformative agent, using judicial review to interpret constitutional guarantees progressively and dismantle legal and social barriers against women.

Literature Review

Scholars like Upendra Baxi have described the Indian Constitution as a "transformative document" whose promise of social justice relies on proactive judicial interpretation⁹. Flavia Agnes notes that while formal legal equality exists, substantive equality demands dismantling socio-cultural barriers¹⁰.

Studies have examined **Vishaka v. State of Rajasthan** as judicial law-making under constitutional morality¹¹, **Mary Roy v. State of Kerala** as a milestone in property rights¹², and **Joseph Shine v. Union of India** as an assertion of sexual autonomy and dismantling of gendered moral policing¹³.

However, critics argue that judicial activism alone cannot guarantee implementation, as judgments often lack effective monitoring mechanisms.

Hypothesis: The Supreme Court of India has been instrumental in advancing gender equality through progressive constitutional interpretation and landmark rulings, but the absence of robust enforcement mechanisms and deep-seated patriarchal norms have limited their practical impact.

Data & Methodology

Nature of Study: Doctrinal legal research

Sources Of Data:

1. Primary Sources: Constitution of India, statutory enactments (POSH Act 2013, Hindu Succession Act 1956 as amended in 2005, Maternity Benefit Act 1961, Domestic Violence Act 2005), Supreme Court judgments.

2. Secondary Sources: Academic journals, books, Law Commission reports, CEDAW observations.

Case Selection Criteria:

1. Landmark significance in advancing gender equality:

The foremost criterion for selecting cases is their status as judicial landmarks in the discourse on gender equality. A case qualifies as a landmark when it not only resolves the dispute before the court but also sets a precedent that reshapes the legal landscape. In the context of gender justice, such cases typically challenge entrenched patriarchal structures, question discriminatory practices, and expand the ambit of constitutional protections for women and marginalized genders. Landmark judgments are often referenced in subsequent litigation, cited in academic literature, and invoked in policy discussions. Thus, the inclusion of landmark cases ensures that the research engages with moments of profound transformation in India's jurisprudence on equality.

Example: *Shayara Bano v. Union of India* (2017) – The Supreme Court declared instant triple talaq unconstitutional, a landmark in dismantling gendered practices within personal law. This judgment redefined women's rights in the sphere of marriage and family law.

Example: *Joseph Shine v. Union of India* (2018) – The Court struck down Section 497 IPC on adultery, emphasizing gender neutrality and rejecting paternalistic control over women's autonomy.

2. Constitutional relevance under Articles 14, 15, 16, and 21.

The second criterion rests on the constitutional foundation of equality and liberty. Articles 14, 15, 16, and 21 form the **core of India's gender equality jurisprudence**:

- i. **Article 14** guarantees equality before law and equal protection of laws, thereby mandating a uniform standard of justice irrespective of sex or gender.
- ii. **Article 15** prohibits discrimination on grounds of sex, while also permitting affirmative action for women and children.
- iii. **Article 16** extends equality of opportunity in matters of public employment, directly addressing issues such as workplace discrimination and representation.
- iv. **Article 21** has been expansively interpreted to include the right to dignity, autonomy, reproductive choice, privacy, and freedom from violence—all of which have a direct bearing on women's lived realities.

By focusing on cases interpreting these provisions, the research situates gender equality within the constitutional framework, ensuring that the selected cases are not isolated pronouncements but part of a broader constitutional dialogue.

Example: *Navtej Singh Johar v. Union of India* (2018) – Though centered on sexual orientation, the Court grounded its reasoning in Articles 14, 15, and 21, affirming that constitutional morality must prevail over societal morality in protecting dignity and autonomy.

Example: *Air India v. Nargesh Meerza* (1981) – Struck down discriminatory service rules that forced women air

hostesses to retire earlier than men, invoking Articles 14, 15, and 16.

3. Demonstrable Policy or Societal Impact: Finally, the selection of cases is guided by their tangible influence beyond the courtroom. A judgment's importance is amplified when it leads to legislative reforms, administrative changes, or shifts in societal attitudes. For example, certain decisions have catalyzed the enactment of progressive laws, such as the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, or the decriminalization of Section 377 IPC. Others have altered workplace norms, religious practices, or institutional policies in favor of inclusivity and non-discrimination. By emphasizing demonstrable impact, the research highlights how judicial reasoning translates into real-world change, bridging the gap between constitutional ideals and social realities.

Example: *Vishaka v. State of Rajasthan* (1997) – The Court's guidelines on sexual harassment at the workplace directly led to the enactment of the **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**.

Example: *Indra Sawhney v. Union of India* (1992) – While focused on reservations, it reaffirmed Article 16's scope and opened discussions on women's representation in employment.

Employment Equality

C.B. Muthamma v. Union of India (1979) C.B. Muthamma v. Union of India (1979) — discrimination in Indian Foreign Service rules struck down

This case marked one of the earliest challenges to gender discrimination in public employment. C.B. Muthamma, the first woman officer of the Indian Foreign Service, faced discriminatory service rules which required women to seek prior government permission before marrying and made them liable for compulsory resignation upon marriage. She challenged these provisions as violative of her constitutional rights.

The Supreme Court agreed, observing that such rules were “**a hangover of the masculine culture of man's superiority over women**”, and struck them down as unconstitutional under **Articles 14 and 16**. The judgment dismantled patriarchal restrictions within one of India's most elite services, affirming that women's professional opportunities cannot be curtailed by assumptions about marriage or family obligations.

Air India v. Nargesh Mirza (1981) — termination of female staff on marriage/pregnancy held unconstitutional. In this case, the Court examined discriminatory conditions imposed on women air hostesses, including a rule that terminated their services upon first pregnancy and required them to retire at an earlier age than male counterparts.

The Supreme Court declared the pregnancy-based termination rule “**manifestly unreasonable and arbitrary**”, holding it unconstitutional under **Article 14**. It reasoned that compelling women to sacrifice motherhood

in order to retain employment was an affront to their dignity and autonomy. However, the Court upheld some retirement-age differences, which later attracted criticism for inconsistency.

Despite this limitation, the ruling advanced the principle that **employment conditions cannot penalize women for exercising personal choices relating to marriage or motherhood**. It represented a significant step from merely ensuring access to employment (*Muthamma*) to protecting dignity within the workplace

Secretary, Ministry of Defence v. Babita Puniya (2020) - permanent commission for women officers in the Army's This case represents a milestone in the extension of equality principles to the military sphere. Women officers in the Short Service Commission sought parity with male officers for permanent commission and leadership roles in the Army. The Union Government resisted, citing physical standards, command structures, and family obligations.

The Supreme Court categorically rejected these arguments as resting on "**sex stereotypes**", holding that physiological differences cannot be a ground to deny women equal opportunities. Invoking **Articles 14 and 16**, the Court directed that women officers be granted permanent commission and positions of command equal to their male counterparts.

The ruling marked a decisive move toward **substantive equality**, breaking barriers in one of the most male-dominated sectors of employment. It reinforced the idea that constitutional

Comparative Thematic Analysis: From Bureaucracy To Military

In Taken together, these cases trace the judiciary's evolving approach to employment equality. *Muthamma*, the focus was on eliminating overtly discriminatory rules that blocked women's entry into elite services. In *Nergesh Meerza*, the Court began to address the **quality of workplace conditions**, recognizing that reproductive autonomy is part of equality. In *Babita Puniya*, the Court advanced to a vision of **substantive equality**, dismantling structural barriers in military service and affirming women's entitlement to leadership roles.

This trajectory reflects a significant constitutional shift: from **formal equality** (treating men and women the same in principle) to **substantive equality** (acknowledging and correcting systemic disadvantages created by stereotypes and institutional bias). The judiciary has thus played a catalytic role in transforming employment spaces—from bureaucratic offices to airlines to the armed forces—toward greater inclusivity.

Implications For Future Employment Equality Jurisprudence

While these cases mark important victories, they also open the door to unresolved questions.

i. **Women in Combat Roles:** *Babita Puniya* have laid the constitutional foundation for challenging exclusion from

combat duties. Arguments based on stereotypes of physical limitations are increasingly untenable under Articles 14 and 16.

ii. **Pay Equity:** Despite statutory protections, wage disparities persist. The reasoning in *Muthamma* and *Nergesh Meerza* can be invoked to challenge systemic undervaluation of women's work.

iii. **Workplace Harassment and Dignity:** *Vishaka v. State of Rajasthan* (1997) and the subsequent 2013 Act remains crucial, but implementation gaps demand closer judicial scrutiny. The dignity-based reasoning in *Nergesh Meerza* can guide stronger accountability frameworks.

iv. **Representation and Leadership:** The expansion from access to leadership in *Babita Puniya* signals that equality jurisprudence must continue to address not just participation but also decision-making power for women across sectors. In sum, these cases demonstrate how the judiciary has progressively broadened the scope of constitutional equality. They underscore that the promise of **Articles 14, 15, and 16** is not static but dynamic—requiring the State to continually dismantle visible and invisible barriers to women's full and equal participation in public life.

Property & Inheritance Rights

Mary Roy v. State of Kerala (1986) - equal inheritance for Syrian Christian women

This case was a turning point in the struggle for equal inheritance rights for Christian women in India. Mary Roy, a Syrian Christian woman, challenged the applicability of the **Travancore Christian Succession Act, 1916**, which discriminated against daughters by granting them significantly lesser shares in property compared to sons. She argued that this law was inconsistent with the Indian Succession Act, 1925, which provided equal inheritance rights to male and female heirs.

The Supreme Court upheld her claim, ruling that with the extension of the Indian Succession Act to Travancore following independence, the discriminatory provisions of the 1916 Act stood repealed. As a result, Syrian Christian women became entitled to equal inheritance rights as men. The judgment had profound social impact, dismantling centuries of patriarchal inheritance practices in Kerala. By invoking constitutional principles of equality under **Articles 14 and 15**, the Court ensured that women's rights were not subordinated to customary or religious law when such laws were manifestly discriminatory.

Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020)

This case addressed the interpretation of the **Hindu Succession (Amendment) Act, 2005**, which conferred coparcenaries rights upon daughters in joint Hindu family property. The key question before the Court was whether daughters born prior to the 2005 amendment would also be entitled to coparcenaries rights by birth, and whether the father had to be alive on the date of the amendment. The Supreme Court, in a landmark judgment, held that **daughters, like sons, have coparcenaries rights by birth**

irrespective of whether the father was alive on 9 September 2005 (the date of the amendment). The Court emphasized that the amendment was intended to remove gender discrimination inherent in the Mitakshara coparcener system and therefore must be given a broad and purposive interpretation.

By aligning its reasoning with **Articles 14 and 15**, the Court reaffirmed the principle of gender equality in succession law. The decision has had far-reaching consequences, empowering Hindu women across India with equal legal standing in family property disputes and reshaping the understanding of property rights in traditional households.

Analytical Note

Together, these three cases illustrate the judiciary's critical role in transforming women's inheritance rights from **token recognition to substantive equality**:

- Mary Roy dismantled discriminatory personal laws for Syrian Christian women.
- Vineeta Sharma entrenched the principle of equal coparcenary rights for daughters by birth in Hindu law.
- Arunachala Gounder extended protection to women's **self-acquired property**, ensuring dignity and autonomy in succession beyond marriage.

The progression reflects a broader constitutional trajectory where **Articles 14 and 15** serve as the touchstone for striking down gender-based inheritance norms. These cases collectively mark the judiciary's shift from a **formal equality model (removing explicit discrimination)** to a **substantive equality model (securing women's independent economic rights)**, thereby reshaping the landscape of property law in India.

Protection From Violence & Workplace Safety

- Vishaka v. State of Rajasthan** (1997) — workplace sexual harassment guidelines

This case arose from the gang rape of Bhanwari Devi, a social worker in Rajasthan, which highlighted the absence of legal safeguards against sexual harassment at the workplace. In response, the Supreme Court laid down the **Vishaka Guidelines**, mandating every employer and institution to provide mechanisms to prevent and redress workplace harassment. The Court grounded its reasoning in **Articles 14, 15, 19, and 21**, interpreting sexual harassment as a violation of equality, dignity, and the right to life.

The judgment was transformative, as it filled a legislative vacuum until the enactment of the **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act)**. It remains the constitutional foundation for workplace safety in India.

- Aureliano Fernandes v. State of Goa** (2023) — strict compliance with POSH Act

More than two decades after *Vishaka*, the Supreme Court in *Aureliano Fernandes* confronted widespread non-

compliance with the POSH Act, 2013. The Court observed that many workplaces had either not constituted Internal Complaints Committees (ICCs) or had done so only on paper.

Stressing that sexual harassment at the workplace strikes at the core of **Articles 14 and 21**, the Court issued strict directions to ensure effective implementation of the Act, including mandatory periodic audits, training, and accountability measures for institutions. This judgment reinforced that **mere existence of laws is insufficient without institutional compliance**, thereby strengthening workplace safety mechanisms.

- Laxmi v. Union of India** (2015) — acid sale regulations
This case arose from a public interest litigation filed by Laxmi, an acid attack survivor, seeking regulation of the open sale of acid in India. The Supreme Court recognized acid attacks as a grave form of gendered violence, violating women's rights to dignity, bodily integrity, and life under **Article 21**.

The Court directed the government to strictly regulate the retail sale of acid, mandate compensation for survivors, and ensure free medical treatment. These directions led to concrete regulatory frameworks and state-level rules controlling acid availability. The judgment stands as a milestone in recognizing **gender-based violence as a constitutional issue**, requiring preventive as well as remedial state action.

Bodily Autonomy & Personal Liberty

- Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration** (2009) — reproductive choice as fundamental right

This case involved a woman with intellectual disabilities who became pregnant after sexual assault. The Chandigarh Administration sought to terminate her pregnancy without her consent. The Supreme Court held that **a woman's reproductive choice is a dimension of personal liberty under Article 21** and cannot be curtailed without compelling state interest. The Court stressed the principles of **bodily autonomy, privacy, and dignity**, ruling that the State has an obligation to respect women's reproductive rights. This judgment marked a foundational moment in recognizing reproductive choice as a constitutional guarantee.

- Joseph Shine v. Union of India** (2018) — decriminalization of adultery

In this case, the constitutional validity of **Section 497 IPC (adultery)** was challenged. The provision criminalized only the man involved in adultery with a married woman, treating the woman as a passive victim without agency. The Supreme Court unanimously struck down the law, holding it unconstitutional under **Articles 14, 15, and 21**. The Court emphasized that the provision was rooted in **patriarchal notions of control over women's sexuality** and violated women's dignity, autonomy, and equality. By decriminalizing adultery, the judgment reframed marriage as a partnership of equals, free from State interference in private morality.

- X v. Principal Secretary** (2022) — expanded abortion

rights to unmarried women

This case concerned the denial of abortion to an unmarried woman under the **Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended in 2021)**. The Supreme Court held that the right to safe and legal abortion extends to **all women, irrespective of marital status**, and that the term “woman” under the Act includes **unmarried and single women**. Importantly, the Court recognized **decisional autonomy in reproductive matters** as integral to Article 21 and expanded the framework of equality under Article 14.

These cases collectively illustrate the judiciary's expansive interpretation of constitutional rights to ensure **protection from violence and workplace safety**. While *Vishaka* established the principle that workplace harassment violates equality and dignity, *Aureliano Fernandes* reaffirmed the necessity of institutional compliance to give the law teeth. *Laxmi* expanded the discourse beyond workplaces to public spaces, recognizing the State's duty to protect women from structural violence like acid attacks. Together, they reflect a jurisprudential commitment to safeguarding women's rights to equality, dignity, and security under the Constitution.

Analysis & Implementation Challenges

- **Institutional gaps** — many workplaces fail to comply with POSH Act provisions.

Despite progressive judicial pronouncements such as *Vishaka* and *Aureliano Fernandes*, the reality of implementation remains weak. Many workplaces either do not establish Internal Complaints Committees (ICCs) under the POSH Act, 2013, or treat them as a formality without proper training or independence. This institutional deficit undermines the constitutional promise of safe and equal workplaces, showing a disconnect between **law on paper and law in practice**.

- **Cultural resistance** — deep-seated patriarchy impedes acceptance of progressive rulings.

Judicial advances in gender equality often confront resistance from entrenched patriarchal norms. Whether in inheritance rights (*Mary Roy*, *Vineeta Sharma*) or employment equality (*Babita Puniya*), social acceptance lags behind judicial directives. Deep-rooted cultural attitudes towards women's roles in family, workplace, and society frequently dilute the transformative potential of landmark judgments, resulting in **slow and uneven social change**.

- **Legislative inertia** — enabling laws often lag behind judicial pronouncements.

Courts have repeatedly filled legal vacuums—e.g., issuing the *Vishaka Guidelines* in the absence of workplace safety legislation or recognizing reproductive autonomy in *Suchita Srivastava*. However, enabling legislation often follows belatedly, and sometimes only under judicial pressure. This inertia reflects a **reactive rather than proactive legislative approach**, which hampers the institutionalization of gender justice.

Conclusion: The Supreme Court has played a decisive role in dismantling formal and informal barriers to gender equality. However, without strong enforcement, sustained legislative support, and cultural transformation, judicial pronouncements risk remaining symbolic. The trajectory of Indian constitutional jurisprudence reveals that the Supreme Court has been at the forefront of advancing gender equality by interpreting Articles 14, 15, 16, and 21 in an expansive and purposive manner. From *Muthamma* and *Babita Puniya* in employment equality, to *Mary Roy* and *Vineeta Sharma* in property and inheritance rights, to *Vishaka* and *Aureliano Fernandes* in workplace safety, and finally to *Suchita Srivastava* and *X v. Principal Secretary* in reproductive autonomy, the judiciary has consistently sought to dismantle structural and cultural barriers that impede women's full participation in society. These cases, while distinct in context, are united by their commitment to substantive equality, dignity, and autonomy as the core of constitutional protection.

Yet, the analysis also demonstrates that **judicial progress is only the first step**. Persistent institutional gaps, such as inadequate compliance with the POSH Act, cultural resistance rooted in patriarchy, and legislative inertia in enacting or updating enabling laws, continue to limit the transformative potential of these judgments. The result is often a disjunction between constitutional ideals and lived realities, where rights exist in theory but remain fragile in practice.

For gender equality to move beyond symbolic victories, three conditions are essential: **robust enforcement mechanisms, responsive legislative action, and deep cultural change** that normalizes equality as a social value rather than a judicial imposition. The role of the Court remains vital as a catalyst, but sustainable change depends on the synergy between judicial interpretation, legislative responsiveness, institutional accountability, and social transformation.

In this sense, the future of gender justice in India lies not merely in landmark pronouncements but in the continuous effort to translate them into everyday practices of equality, dignity, and freedom.

References:-

1. Baxi, Upendra. *The Indian Supreme Court and Politics*.
2. Agnes, Flavia. *Law and Gender Inequality*.
3. Basu, “Judicial Activism in Gender Justice,” JILI (2000).
4. Parashar, “Property Rights of Indian Women,” *Indian Law Review* (1991).
5. Kumar, “Decriminalising Adultery,” *SCC Journal* (2019).

Notes:-

1. Constitution of India, Art. 14.
2. Ibid., Art. 15(1).
3. Ibid., Art. 15(3).
4. Ibid., Art. 16.
5. Ibid., Art. 21.
6. Ibid., Art. 39(a) & 39(d).

7. Ibid., Art. 42.
8. Ibid., Art. 51A(e).
9. **C.B. Muthamma v. Union of India**, (1979) 4 SCC 260.
10. **Air India v. Nergesh Mirza**, (1981) 4 SCC 335.
11. **Mary Roy v. State of Kerala**, (1986) 2 SCC 209.
12. **Vishaka v. State of Rajasthan**, (1997) 6 SCC 241.
13. **Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration**, (2009) 9 SCC 1.
14. **Joseph Shine v. Union of India**, (2019) 3 SCC 39.
15. **Secretary, Ministry of Defence v. Babita Puniya**, (2020) 7 SCC 469.
16. **Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma**, (2020) 9 SCC 1.
17. **Arunachala Gounder v. Ponnusamy**, (2022) 11 SCC 372.
18. **Aureliano Fernandes v. State of Goa**, (2023) SCC OnLine SC 621.
19. **Laxmi v. Union of India**, (2015) 13 SCC 713.
20. **X v. Principal Secretary, Health & Family Welfare Department**, (2022) SCC OnLine SC 905.

महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां एवं समाधान

डॉ. डी.पी. कुशवाहा* डॉ. मंजू कुशवाहा**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) छत्रशाल शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आबादी का आधा हिस्सा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की मुख्य धारा से दूर हो, यह अल्प विकास का द्योतक है। आजादी के अमृत महोत्सव में भी अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही महिलाएं समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रश्नचिन्ह हैं। महिला सशक्तिकरण वर्तमान सबसे प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। भारत ने विकास के उच्च मापदंड स्थापित कर चांद की दूरी तय कर ली है। परंतु पुरुष-महिला अनुपात ठीक करने में और कितनी सदियां लगेगी। किसी भी देश की महिलाएं आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं, इनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे अपने आर्थिक-सामाजिक जीवन को सुदृढ़ बना सकें। वास्तव में सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकारों एवं शक्तियों का समावेश होता है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को स्वयं से निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सभी निर्णय ले सकें। इसी प्रकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से आशय आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति और महिलाओं को अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का अवसर उपलब्ध कराने से है। ताकि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, जीवन स्तर, स्वतंत्रता एवं कार्य सहभागिता में वृद्धि हो सके।

शब्द कुंजी : महिला, सशक्तिकरण, पितृसत्ता, भ्रूणहत्या, उत्तरदायित्व, रूढ़िवादिता, आधुनिकता, समावेशी।

प्रस्तावना – जहां तक महिलाओं की योग्यता और कौशल का प्रश्न है। महिलाओं को अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी विशेष व्यवसाय का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि तमाम बंधियों के बावजूद वे ऐसी योग्यता और कौशल हासिल कर लेती हैं जो पुरुषों से जरा भी काम नहीं है। जिस प्रकार कुछ काम को केवल पुरुषों के करने लायक मानना पूर्वाग्रह है। ठीक उसी तरह से महिलाओं को उनके पुरुष सहयोगियों से बेहतर मान लेना भी एक तरह का भेदभाव ही होगा। इससे प्रायः मानववाद और स्त्रीवाद के बीच वाद विवाद छिड़ जाता है।¹ जब सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, तो प्रायः समानता का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जो सही नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ हम समानता की बात कैसे कह सकते हैं जब एक कन्या को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, गर्भ में मार दिया जाता है, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने के बावजूद लड़को पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तमाम योग्यताओं के बावजूद परिवार पितृसत्तात्मक ही होता है, तो उसका सामाजिक बराबरी का अवसर छिन जाता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सामने आता है। ठीक उसी तरह जैसे समाज के अन्य वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की बात आती है। सवाल औरत के कमजोर होने का नहीं है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने के कमजोर होने का है। मुश्किलों को स्वीकार कर कड़े फैसले लेना ही सशक्तिकरण नहीं है, या फिर हर दौड़ में आगे होना अथवा हर बार शिखर पर होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार गिरकर संभालना और ज्यादा ताकत एवं नए संकल्प के साथ खड़े हो जाना भी महत्वपूर्ण है, यही मायने में यही सशक्तिकरण है। स्त्री पुरुष असमानता बड़े पैमाने पर व्याप्त है। लाखों

महिलाओं को परिवार के साथ-साथ समाज में भी व्यापक सामाजिक – सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिलाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा करना।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए उचित समाधान प्रदान करना।

अध्ययन में समंको चयन : प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का समग्र एवं अध्ययन की इकाई : प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारत की समस्त महिलाएं अध्ययन का समग्र हैं एवं एक महिला अध्ययन की इकाई है।

महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियाँ : देश में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:

1. **घरेलू हिंसा** : भारत के लगभग सभी प्रांतों में होती है, परंतु इसे महिलाएं-पुरुष दोनों ही पारिवारिक जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, जो चिंता का विषय है। परिवार भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के केंद्र में है। परन्तु महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से कई परिवार सुरक्षात्मक इकाई के रूप में नहीं हैं, बल्कि महिला पुरुष भेदभाव के व्यापक स्वरूप को मजबूत करते हैं। साथ ही महिलाओं को नियंत्रित करने एवं उन्हें अधीन रखने के तरीके के रूप में हिंसा को वैध ठहराते हैं। 2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच 34 प्रतिशत महिलाओं

ने हिंसा का सामना किया।² राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई। जो चौकाने वाला है।

2. दहेज प्रथा : भारत की सामाजिक कुरीतियों में दहेज प्रमुख कुरीति में से एक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार भारत में दहेज के कारण मौत के मामलों की सालाना संख्या 7000 के पार हो गई है। दहेज एक सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे लड़की का परिवार दूल्हे को नकद और उपहार देता है। मूलतः यह सब अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करने वाले नए जोड़ों की सहायता करने के लिए था। परन्तु पितृसत्ता और लालच ने दहेज को लेनदेन के सौधे के रूप में बदल दिया। महिलाओं के प्रति दहेज हिंसा प्रायः तब बढ़ जाती जब कोई परिवार शादी पर मिले दहेज से असंतुष्टि दिखाता है अथवा विवाह पश्चात् दहेज की मांग करता है। यह संवैधानिक रूप से दहेज का लेनदेन अवैध है फिर भी यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत में प्रचलित है।

3. कन्या भ्रूण हत्या : कन्या भ्रूण हत्या पुत्र मोह और पितृसत्ता की कुप्रथा को उजागर करती है। यह हिंसा एक कपटी के रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि यह लड़कियों को केवल इसलिए पैदा होने से रोकती है, क्योंकि वे लड़कियां हैं। कन्या भ्रूणहत्या की स्थिति लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। भारत में हर साल लगभग छः लाख लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती। कितना भयावह है यह आकड़ा। अत्याधुनिक तकनीकी की उपलब्धता होने कोई भी यह पता लगा सकता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की है अथवा लड़का। लड़की होने का परिणाम गर्भपात है। असल में भ्रूण का लिंग परीक्षण कराया ही इसलिए जाता है कि केवल लड़का ही पैदा करना है। पिछले दो दशकों में अनुमानतः 10 मिलियन कन्या भ्रूण होने के कारण गर्भपात कराया गया है।

4. लैंगिक भेदभाव : भारतीय समाज के बीच लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पारिवारिक में लड़के और लड़की को शिक्षा जैसे अवसर की समान उपलब्धता बाहरी रूप से अवश्य दृष्टिगोचर होती है, परन्तु दो अवसरों में बेहतर अवसर प्रदान करने की बारी आती है तब लड़कियां पीछे रह जाती हैं। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण पारिवारिक निर्णय प्रायः लड़के को केंद्र में रख कर लिए जाते हैं और लड़कियों का शिक्षण इत्यादि समान अवसर उपलब्ध होने के बावजूद लैंगिक भेदभाव का शिकार हो जाती है। विवाह अंतिम उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। विवाह उपरांत वही पारिवारिक संघर्ष पुनः महिला को महिला होने के परिणाम के रूप में प्राप्त होता है।

5. स्त्री पुरुष अनुपात : स्वस्थ सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए देश में स्त्री और पुरुषों का अनुपात बराबर होना चाहिए। आजादी के पूर्व और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी भारत में स्त्री पुरुष अनुपात बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति और दयनीय है यहां मात्र 931 महिलाएं ही हैं।³ यह विडंबना इस समय है, जब भारत विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। परन्तु समाज की जड़ों में पितृसत्तात्मक समाज का मोह है। जो समाज को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है।

6. शैक्षणिक अवसर : भारतीय समाज शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में दोहरे मापदंडों का उपयोग करता है। सामाजिक संरचना इस प्रकार की है जिसमें बेहतर अवसर लड़कों के पक्ष में होने के कारण हजारों लड़कियां अपनी मनपसंद के करियर ऑप्शन नहीं चुन पाती हैं और सामाजिक रुढ़िवाद का शिकार हो जाती हैं।⁴ परन्तु भारत के जिन परिवारों ने

महिलाओं को अवसर उपलब्ध करा, हैं उनके परिणाम निश्चित रूप से सुखद रहे हैं।

7. स्वास्थ्य और पोषण : पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए मजबूत और महत्वपूर्ण आधारशिला है। संपूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण, सुरक्षा और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना तथा पोषण युक्त आहार की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अच्छा पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद स्वच्छ जीवन के लिए आवश्यक नियम है। भारतीय उद्योग परिषद और डैनोन इंडिया ने 2021 में आठ भारतीय शहरों में सर्वे के दौरान दो में से एक वयस्क व्यक्ति को खराब जीवन शैली से जीने और 60 प्रतिशत महिलाओं को एनीमिक बताया।⁵ हालांकि भारत में मातृ एवं शिशु सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। नगरों की तुलना में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति अधिक खराब है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

8. साक्षरता दर : शिक्षित, कुशल तथा योग्य जनसंख्या किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करती है। मानवी पूंजी ही राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होती है, जो राष्ट्र निर्माण में अपना अप्रतिम योगदान देती है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में महिला शिक्षा का अनुपात पुरुषों से काफी कम है। कुल 74.04 फीसदी शिक्षा में महिलाओं का अनुपात 65.46 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों का 82.52 प्रतिशत। मध्य प्रदेश में भी यह स्तर पुरुषों की तुलना में करीब 20 प्रतिशत पीछे है। यहां की कुल 70.6 प्रतिशत शिक्षित आबादी में महिलाएं मात्र 60 प्रतिशत ही शिक्षित हैं, जबकि पुरुष 80.5 प्रतिशत।⁶ उपरोक्त आंकड़े पुरुषों की तुलना में महिलाओं के न्यूनतम शैक्षणिक स्तर और न्यूनतम अवसर को इंगित करते हैं।

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित कानून - भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित अनेक संबैधानिक अधिकार, कानून, न्यायिक घोषणाओं, अनौपचारिक और औपचारिक समूहों जैसे कि दबाव समूहों, सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के दबाव के साथ-साथ भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रावधान हैं-

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 : यह कानून महिला सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर आधारित है। यह दस से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनाने का निर्देश देता है। यह यौन उत्पीड़न को भी परिभाषित करता है और शिकायत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।⁷ इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।

2. निर्भया अधिनियम या आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: निर्भया अधिनियम, जिसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लागू करने का प्राथमिक कारण 2013 को नई दिल्ली में हुई एक जघन्य घटना थी। इस घटना के कारण बलात्कार कानूनों में तत्काल सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यौन अपराधों से

संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था।⁹ यह अधिनियम एसिड हमलों, यौन उत्पीड़न, ताक-झांक और पीछा करने को अपराध मानता है। कुख्यात निर्भया मामले के बाद लागू किए गए इस कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) के माध्यम से तेजी से जांच और त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया।

3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 : यह अधिनियम बच्चों और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटता है। इसमें अपराधियों के लिए सख्त सजा और त्वरित सुनवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) का प्रावधान है।⁹ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 : यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि नाबालिगों को बाल विवाह की बुराइयों से बचाया जाए। इस कानून के अनुसार, बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला की आयु 18 वर्ष से कम होती है या पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम होती है।¹⁰ अधिकांश बाल विवाहों में कम उम्र की महिलाएं शामिल होती हैं, जिनमें से कई खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जागरूकता की कमी से जूझ रही होती हैं।

5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 : यह अधिनियम निर्देशात्मक होने के साथ-साथ वर्णनात्मक भी है क्योंकि यह न केवल घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है बल्कि घर के भीतर दुर्व्यवहार के लिए नागरिक उपचार भी प्रदान करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए एक अधिनियम, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक स्वरूपों की शिकार हैं।¹¹

6. महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 : यह अधिनियम सोशल मीडिया और प्रकाशनों सहित डिजिटल और प्रिंट मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्रण पर प्रतिबंध लगाता है। महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे फिल्म, वेब सीरीज, विज्ञापन या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग, आंकड़े या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।¹²

7. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपी), 1956 : यह अधिनियम महिलाओं के व्यावसायीकरण और तस्करी को रोकता है, वेश्यालयों और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि वेश्यावृत्ति को विनियमित करता है। अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है।¹³ यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता है, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी पहल

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ : यह अभियान लिंग-भेदभावपूर्ण, लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकती है, बालिकाओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा सुनिश्चित करती है, लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है

और लड़कियों के बीच शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने पर जोर देती है। हरियाणा जैसे राज्यों इस अभियान की अधिक आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है।¹⁴ यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 2014 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से भारत में लड़कियों के खिलाफ लिंगभेद को समाप्त करने में मदद करने के लिए कहा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है।

2. निर्भया फंड : यह फंड कुख्यात दिल्ली सामूहिक घटना के बाद स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है। निर्भया फंड की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2013 के बजट भाषण में की थी, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण, सुरक्षा और संरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये का सरकारी योगदान है।¹⁵ इस फंड का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।

3. वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन : इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना तथा 24 घंटे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।¹⁶

4. महिला पुलिस स्वयंसेवक : संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का गठन किया जाता है और उन्हें पुलिस और समुदाय के बीच सेतु या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया जाता है।

5. कामकाजी महिला छात्रावास योजना : यह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराती है। इसके अलावा शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। शहरी, अर्ध-शहरी या यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना, जिसमें उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा भी शामिल है।¹⁷ कामकाजी महिलाओं, नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को भी इसमें शामिल है।

6. यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली : गृह मंत्रालय ने 2019 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों की समय पर जांच की निगरानी और ट्रैक करने के लिए इस ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (ITSSO) के बारे में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराता है। यह राज्य को छः महीने में शीलभंग के मामलों में जांच पूरी करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी और प्रबंधन करने की अनुमति देता है।¹⁸

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक समाधान - दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण की स्थिति में गर्भपात के मामले पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की आदत को दर्शाते हैं। संवैधानिक

प्रावधानों और भारतीय समाज द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने और पुरुष-महिला के बीच समानता स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। नए कानून और सरकारी नीतियों के साथ-साथ कानून लागू करने वाली एजेंसियां और समाज के बढ़ते सहयोग से हिंसा और व्यवहार के मामले में सहायता लेने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा कानूनी कार्यप्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है। जिससे केश निपटान दर को बढ़ाने और महिलाओं के प्रति अपराधों को कम करने में सहायता मिल रही है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में विवाह के लिए पूर्व शर्त के रूप में किसी भी रूप में दहेज मांगने और देने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। गर्भधारण और प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के अनुसार लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व तकनीक के उपयोग पर रोक लगाता है। परन्तु ऑनिकिलिंग को सीधे तौर पर रोकने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है। महिला संगठन भी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं तथा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं। कई गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं के लिए परामर्श कानूनी सहायता और आजीविका कार्यक्रम चलाते हैं। ताकि वे अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। यह महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के समानांतर है। भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी में अवश्य वृद्धि हुई है। हालांकि संसद में महिला सदस्यों के प्रतिशत के मामले में वर्ष 2020 में भारत 193 देश में 142 में स्थान पर था। 2019 में 78 अर्थात् 14.4 प्रतिशत ही महिला सांसद चुनी गई थीं। जबकि 18वीं लोकसभा 2024 में मात्र 74 महिला सदस्य ही चुनी गईं जो 13.62 प्रतिशत है।

1. महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक दृष्टिकोण : वास्तव में महिलाओं के प्रति हिंसा भारत में सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में अंतर्निहित है। महिला प्रताड़ना के प्रति प्रतिक्रिया व्यापक होनी चाहिए और मजबूत कानून लिंग संवेदनशीलता कानून प्रवर्तन नीतियों और प्रोटोकॉल का विकास और कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर जागरूकता हिंसा का सामने करने वाली महिलाओं और परिवारों की सहायता और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तभी महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर लाया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से निपटने के लिए कानून और कानूनी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है और हिंसा के अपराधियों को कठोर दण्ड के लिए मजबूत कानून का होना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ सामाजिक सांस्कृतिक वैधता और उसके उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कानून आवश्यक है। लेकिन केवल कानून बनना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के हित में कानून प्रतीकात्मक से आगे बढ़े और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं हिंसा को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण के लिए धन और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

2. महिला अपराध और कानूनी प्रक्रिया : महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधी कानून के कार्यों से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक ऐसे अपराधों के लिए कानून लागू करने वाले कर्मियों की कार्यवाही है। कई मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण में कमी के कारण पुलिस को महिलाओं के

प्रति अपराध से संबंधित कानून की कम समझ समस्या को और पेचीदा बना देती है। किसी भी प्रकार की पीड़ित महिला के साथ नियमानुसार त्वरित कार्यवाही न्याय की ओर पहला कदम है। जो मजबूत लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करता है।

3. महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं में वृद्धि : किसी भी प्रकार के अपराध का सामना करने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था आवश्यक कदम है। संसाधनों की कमी का मतलब है कि महिलाएं हिंसा सहने के लिए मजबूर हैं। सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत आश्रय गृहों की संख्या वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करके बुनियादी ढांचे को और मजबूत कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जो महिलाएं हिंसक परिस्थितियों से बचकर बाहर आना चाहती हैं उनके लिए सुरक्षित वैकल्पिक आवास चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। सहायता सेवाएं महिलाओं को उनके अधिकारों और हिंसा से बचने वाले कानून के बारे में भी शिक्षित करती हैं तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता करती हैं।

4. पितृसत्ता से छुटकारा : भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्ता और कुप्रथाओं के निवारण के बिना महिला अपराध को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्थानीय समुदायों के सकारात्मक जुड़ाव पीड़ित परिवारों के साथ संबंध बनाने और महिलाओं के अधिकारों पर शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। पुरुषों को भी हिंसा करने की परिणामों के बारे में भी आगाह किया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि उनका गलत व्यवहार सामाजिक रूप से अस्वीकार और कानून का उल्लंघन दोनों है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यक्रम बनाते समय पितृसत्ता की संस्कृति को ध्यान में रखा जाए, ताकि शिक्षा अभियान समाज में बालिकाओं और महिलाओं के महत्व को उजागर किया जा सके और महिलाओं के प्रति पुराने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाकर उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता में बदला जा सके। तेजी भारत तेजी से आधुनिकरण की ओर बढ़ रहा है और पारंपरिक संस्कृतियों तथा प्रथाओं को नए सामाजिक सांस्कृतिक जामा पहनाया जा रहा है। अतः ऐसे विचार जो महिला सशक्तिकरण को रोकते हैं को पहचाना जाना अत्यावश्यक है।

5. स्व सहायता समूह : भारत के आर्थिक नीतियों में हमेशा से ही खासतौर से महिलाओं समेत गरीबों, हांसिए के लोगों और वंचित तपको के विकास पर जोर दिया जाता रहा है। सरकार की योजनाओं में समावेशी विकास, पूंजी निर्माण, सामुदायिक उद्यम तथा समुदाय के नेतृत्व में उत्पादन और उत्पादकता विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है। महिला स्वसहायता समूह के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से एक महिला को एक स्व सहायता समूह में शामिल किया जाए। स्वयं सहायता समूह ने आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 2013-14 से लेकर 2020-21 तक कुल 03.56 लाख करोड़ रुपये के ऋण बैंकों से प्राप्त किए हैं।¹⁹ जो अपने आप में एक उचित अवसर है।

6. महिला स्टार्टअप्स : देश में नवाचार और स्टार्टअप को के विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2016 में इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप की संख्या 2016 में मात्र 428 थी, सरकार के निरंतर प्रयास से 30 अप्रैल 2023 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 98119 हो गई है।

यह सकारात्मक बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की निरंतर मजबूत होती स्थिति को उजागर करता है। इन स्टार्टअप्स ने समावेशी आर्थिक विकास को गति देते हुए 30 अप्रैल 2023 तक कुल 10.34 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य भारत की स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। जो हमारे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इन स्टार्टअप्स में महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है 2017 में 6000 महिला स्टार्टअप थे जो की 2022 में बढ़कर 80000 तक पहुंच गए।²⁰ जो मजबूत होते महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है।

7. महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व : स्थानीय स्वशासन के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण से देश के राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में सिर्फ संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक बदलाव लेकर आया है। महिला जनप्रतिनिधि बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षाद्व घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति, उत्पीड़न और के आर्थिक विकास के विभिन्न मुद्दों प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्तर पर निर्णय ले रही हैं।²¹ स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।²²

8. कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमी : महिला कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर कार्य कर रही है। एक तरफ जहां कृषि और किसान खेती किसानों से जुड़ी तमाम परियोजनाओं और नीतियों में महिला किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं देश के ग्रामीण समाज की संरचनाओं में उन्हें मजबूती प्रदान की जा रही है। कृषि क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन और महिलाओं की बढ़ रही प्रभावशाली भूमिका महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान कर रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2016 में जहां देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की संख्या केवल 80-100 के आसपास थी, वहीं वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 1800 के पार हो गई। एग्रीटेक स्टार्टअप में भी महिला उद्यमी कामयाबी की कहानी लिख रही हैं।

9. कृषि और जुड़े व्यवसायों में महिला भागीदारी : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल महिला श्रमिकों की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। देश के 11.8 करोड़ कृषकों को में से महिला किसानों की संख्या 30.3 प्रतिशत है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से नगरों को पुरुषों के बढ़ते पलायन की वजह से भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में महिलाओं के हिस्सेदारी बढ़ रही है। पालतू पशुओं की देखभाल सहित, चारा-घांस की व्यवस्था, दूध निकालना और बागवानी की देखभाल जैसे कई अनगिनत कार्य महिलाओं के हिस्से में आ गये हैं। कुल कामगार का अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान में सबसे अधिक महिलाएं कृषि क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। वहीं सरकार की भी कृषि और कृषि से जुड़े बागवानी एवं पशुपालन जैसे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

इस प्रकार स्वस्थ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध होने वाले समस्त अत्याचारों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम स्तर तक लाना अत्यावश्यक है। महिलाओं की इस विकास यात्रा में पुरुषों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। महिलाओं-पुरुषों में आपसी प्रतिद्वंद्विता का भी खतरा है। विकास के लिए

जितना बाधक पुरुष प्रधान का होना है, उतना ही बाधक महिला प्रधान भी साबित होगा। अतः स्वस्थ जबकि समावेशी विकास के लिए दोनों का तालमेल होना आवश्यक है। राजनीतिक भागीदारी सुदृढ़ करना भी आवश्यक है। आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिला उद्यमीकरण एवं पितृसत्तात्मक समाज से बाहर निकलकर स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। महिला उत्पाद के बिना स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है उसमें महिलाओं की समुचित भागीदारी आवश्यक है। तभी हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत को साकार कर पाएंगे। सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं सत प्रतिशत धरातल पर लागू हों यह केवल सरकारी जिम्मेदारी न होकर सभी का समान उत्तरदायित्व है। तभी समावेशी विकास के साथ विकसित भारत साकार होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. कुमारी डॉ. रंजना, (सितंबर 2011), 'रूनी हत्या की रोकथाम', योजना, पृ.क्र. 06-11
2. वर्मा मंजुला, भगवंता सिंह बघेल, चिंतामणि टांडिया, शिवाजी चौधरी (जुलाई-दिसंबर 2023), 'वनाश्रित जनजातीय जीवन में महिलाओं की भूमिका', मेकल मीमांसा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (मप्र) पृ.क्र. 159-170
3. के.के.डॉ. त्रिपाठी एवं डॉ. एस.के. वाडकर (सितंबर 2021) 'स्वयं सहायता समूह', योजना पृ.क्र. 20-25
4. एस. पुरकायस्थ बी. (जनवरी 2024), 'महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन', कुरुक्षेत्र पृ.क्र. 45-49
5. मिश्रा अरविंद कुमार (अप्रैल 2023), 'महिला सशक्तिकरण की वाहक ग्राम पंचायतें', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 36-40
6. गोयल डॉ. पीयूष (अगस्त 2023), 'मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 16-21
7. पाठक संतोष कुमार (जुलाई 2023), 'कृषि क्षेत्र में बढ़ती महिला उद्यमी', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 45-50
8. सुगंधे आनंद, सिंपल मिश्रा एवं विनोद सेन (जनवरी-जून 2022), 'महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर स्वयं सहायता समूह के प्रभाव का अध्ययन', मेकल मीमांसा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (मप्र) पृ.क्र. 47-56
9. भारत की जनगणना 2011
10. पंचायत राज अधिनियम 1994
11. नम्रता डॉ. कुमारी (2018), 'महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां एवं समाधान', इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (ऑनलाइन) पृ.क्र. 481-485
12. दुबे अनीता (2015), 'आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति तथा सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण उपाय', इंटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज (ऑनलाइन) पृ.क्र. 81-85
13. प्रजापति शक्ति कुमार (2017), 'महिलाओं के प्रति अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या उपाय', इंटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज (ऑनलाइन) पृ.क्र. 46-50
14. शुक्ला डॉ. अंजू (जून 2021), बालिका वधू एक चुनौती,

- इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 162-168
15. स्वामी रामचंद्र (जून 2021), 'महिला शिक्षा की आवश्यकता', इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 176-178
 16. पाण्डेय डॉ. सीमा (अप्रैल 2021), 'स्त्री अस्मिता मीडिया और बाजार', प्रिंटिंग एरिया, इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 192
 17. कुजूर डॉ. जे.पी. (सितंबर 2012), 'नगरीय महिला श्रम शक्ति की व्यावसायिक संरचना', माइंड एंड सोसाइटी, मानव नवनिर्माण संस्थान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, पृ.क्र. 118-122
 18. सोनकर डॉ. बी.एल. एवं डॉ. अर्चना सेठी (मार्च 2015), 'भारत में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास', माइंड एंड सोसाइटी, मानव नवनिर्माण संस्थान, राजनांदगांव, छग, पृ.क्र. 55-61
 19. वर्मा अरुण कुमार (2013), 'स्त्री शिक्षा: एक ऐतिहासिक अध्ययन', डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ. आंबेडकर नगर (महू), इंदौर पृ.क्र. 74-78
 20. गुप्ता वंदना (2013), 'महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में स्व सहायता समूह की भूमिका', डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ. आंबेडकर नगर (महू), इंदौर पृ.क्र. 187-191
 21. <https://www.google.com/search?q=karya+sthal+par+mahilao+ka+youn>
 22. <https://www.google.com/search?q=nirbhaya+act+2013+in+hindi&oq=nirbhaya+&gs>
 23. <https://www.google.com/search?q=youn+apradho+se+baccho+ka+sanrakshan+adhiniyam+2012>
 24. <https://www.google.com/search?q=bal+vivah+pratishedh+adhiniyam+2006>
 25. <https://www.google.com/search?q=gharelu+hinsa+se+mahilaon+ka+sanrakshan+adhiniyam+2005>
 26. <https://www.google.com/search?q=mahilao+ka+abhadra+chitran+adhiniyam+1986>
 27. <https://www.google.com/search?q=anaitik+vyapar+nivaran+adhiniyam+1956>
 28. <https://www.google.com/search?q=beti+bachao+beti+padhao+yojana&sca>
 29. <https://www.google.com/search?q=nirbhaya+fund+in+hindi&sca>
 30. <https://www.google.com/search?q=one+stop+centre+and+mahila+helpline+in+hindi&sca>
 31. <https://www.google.com/search?q=kamkaji+mahila+chhatrawas+yojana+kya+hai>
 32. <https://www.google.com/search?q=youn+aparadho+ke+lia+youn+traking+system>

एक परिपक्व सामाजिक संवेदना - 'कसक' (गीतांजलि श्री)

डॉ. मनीषा सिंह मरकाम*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश- इतना हक सिर्फ एक दोस्त का ही दोस्त के प्रति हो सकता है दोस्ती की चेतना के तल पर कौन से बीज बोए गए हैं यह एक दोस्त का स्पर्श ही उसे महसूस कर सकता है उनकी भावनाओं की गहराई ही उनकी मित्रता की सुंदरता और मिठास है वहीं उनकी सार्थकता भी है। दोनों अपने-अपने जीवन के मकसद को जताने में लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मित्रता कभी-कभी दार्शनिक मोड़ ले लेती है। दूसरों के मन की बात जान लेने की उत्सुकता में व्यक्ति अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करता। प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से ने लिखा है- 'यदि आप दूसरों को समझते हैं तो आप होशियार हैं। यदि आप खुद को समझते हैं तो आप प्रबुद्ध हैं।' ऐसा ही कुछ लेखिका ने कसक कहानी में महसूस किया है- 'बचपन में मैं कहानी करती थी कि मैं दूसरों के मन के अंदर का खूब भाँप लेती हूँ, कब कोई डींग हाक रहा है कब कोई खास मतलब से बात बना रहा है, कौन निर्दोष है कौन कपटी, सब मुझसे पूछ लो।

शब्द कुन्जी- नजरअंदाज, घमंक, खासियत, परिपक्व, भांपना।

प्रस्तावना - गीतांजलि श्री के प्रत्येक कहानी लेखन की अपनी तमाम खूबियाँ हैं। उनके लेखन के पीछे छिपे भावों में अद्भुत कलात्मकता है जो सहज ही अभिव्यक्त नहीं हो पाती। ध्यानमग्न होकर उनके लेखन को अनुभव करना पड़ता है तब कहीं जाकर कहानी के तार पकड़ में आते हैं। यह कहानी 'कसक' दो मित्रों के बीच हुए वार्तालाप और उनकी अपनी-आपनी तमीज एवम् जिन्दगी जीने के सलीके को दर्शाती है अलग-अलग स्वभाव होते हुए भी दोनों की मित्रता में ठहराव की अच्छी तैयारी को गीतांजलि श्री ने प्रस्तुत किया है। इस कहानी की खासियत यह है कि दोनों के मिजाज अलग होते हैं हुए भी दोस्ती को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अच्छी दर्शाई गई है। दोनों की अपनी जिज्ञासा, कड़ी मेहनत और ज्ञान की भूख है। दोनों के अपने जाने-अनजाने जीवन के सबक हैं, दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में संलग्न होकर अपनी पूरी दक्षता के साथ काम करना चाहते हैं दोनों की उम्र ऐसी है कि सीखने की गति तेज और व्यापक है- 'वह दोस्त जो मेरी बचपन की सहेली है। उस बचपन की जिसने मेरी घुब्लेपन और उसकी चपलता बहिरंगता को लेकर हमें किसी किस्म की असंगति के एहसास में पीड़ित नहीं होने दिया कितने अच्छे मित्र बन गए हम -वह खिलाड़ू, मैं पढ़ाकू, वह बिगाड़ू, मैं संभालू।' दोनों मित्रों की अपनी सफलता और विफलता थी। उनके भीतर मौजूद संभावनाएं ही उन्हें आगे ले जाने में मदद करती थी विभिन्न विषयों पर लड़-झगड़कर विचार-विमर्श भी करती थी। दोनों का अपना-अलग ही रेशमी अहसास था विभिन्न प्रकार की अटखेलियाँ थी। दोनों में समय-समय पर टकराव की स्थिति बनती रहती थी परन्तु लेखिका ने यहाँ यह दर्शाने का प्रयास किया है कि गैरजरूरी टकराव को हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हुआ है। कहानी में दोनों के किशोरावस्था की हंसी मजाक को भी बताया गया है उसे विनोद प्रियता में जो अपनी जिद को पूरी करने की ताकत को इस कहानी में बताई गई है वह भी प्रशंसनीय

है। कहानी में सदाचार और नैतिकता का ध्यान रखा गया है जिससे इस कहानी की व्यवहार की ताकत का पता चलता रहता है- 'किसी छोटी सी बात पर हँसते चले गए थे, एक दिन। हाँ याद आ रहा है, एक कॉलोनी में फँस गए थे। सड़क गोलाकार थी। एक जगह पर दायाँ मोड़ था जिस पर आकर गोल सड़क से हट सकते थे, किंतु उसी मोड़ पर ढलान था बाईं ओर यानि वापस गोल सड़क पर। अब दोस्त है कि जिद्दिया गई की साइकिल से बिना उतरे एक जोरदार मोड़ दूँगी और हम दाईं तरफ निकल जाएंगे।'

'कसक' कहानी की खासियत यह है कि दोनों मित्र विचारधारा से अलग हैं पर संवाद के स्तर जुड़ाव की कमी कहीं भी महसूस नहीं की गई। दोस्ती हर स्तर पर सुदृढ़ है। इसे अलग-अलग रंगों में लेखिका द्वारा पिरोने का प्रयास किया गया है। खुशी के सूत्र पीड़ादायक पलों में महसूस होते रहे हैं उन्ही पलों को दोनों मित्रों ने अपने-अपने जीवन की प्रक्रिया को समझने में लगा दिया। खुशियों के साथ एक अजीब सा अल्हड़पन था। यही अल्हड़पन दोनों को बरसों दूर रहने के बाद भी बाँधे रखता था, एक अजीब सी मस्ती भरा शोर था उनकी खुशियों के आसपास जो बतलाता था कि हम कभी जुदा नहीं हो सकते। खुशी में दोनों अपने गंतव्य की ओर चल दी फिर से मिलने के लिए। दोनों अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहती थी। अपने गुणों और अवगुणों के साथ बार-बार झगड़ना पर मित्र बने रहना मित्रता में कोई अहम भाव नहीं स्पष्ट रूप से सब कह देना इतने पर भी मित्रता बनी रहना यह बड़ी बात है। इस कहानी की, मित्रों की स्पष्टवादिता की चेतना के धरातल पर आधारित है, यह कहानी इंतजार न होते हुए भी अतिशय मित्र के इंतजार से सिंचित है इस कहानी के शब्द-दर-शब्द 'अगर यह खत जो उसके पति ने लिखा न आया होता.....।

कहना चाहती हूँ वह अचानक धमक पड़ेगी। पर कहीं इस निहायत घिसे पिटे खयाल का कौंधना मन को बेतरक सालने लगता है। पर ऐसे ही तो

धमक पड़ती थी। अचानक। बिन बताए। या ऐसे बताकर कि न बताती तो ही खैर थी।

एक बार तार मिला था- 'रीचिंग सिक्सटीथ रिसीव स्टेशन।' मैं इस शहर में आई ही थी। पर तार भी तो ऐसा था कि उसका नाम न होता तो भी मैं समझ लेती कि यह काबिलियत किसमें है। लेकिन दोस्ती का अपना तकाजा है, क्या-क्या नहीं माफ उसमें।

इतना हक सिर्फ एक दोस्त का ही दोस्त के प्रति हो सकता है दोस्ती की चेतना के तल पर कौन से बीज बोए गए हैं यह एक दोस्त का स्पर्श ही उसे महसूस कर सकता है उनकी भावनाओं की गहराई ही उनकी मित्रता की सुंदरता और मिठास है वहीं उनकी सार्थकता भी है। दोनों अपने-अपने जीवन के मकसद को जताने में लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मित्रता कभी-कभी दार्शनिक मोड़ ले लेती है। दूसरों के मन की बात जान लेने की उत्सुकता में व्यक्ति अपने आप को आइने में देखना पसंद नहीं करता। प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से ने लिखा है- 'यदि आप दूसरों को समझते हैं तो आप होशियार हैं। यदि आप खुद को समझते हैं तो आप प्रबुद्ध हैं।' ऐसा ही कुछ लेखिका ने कसक कहानी में महसूस किया है- 'बचपन में मैं कहानी करती थी कि मैं दूसरों के मन के अंदर का खूब भोंप लेती हूँ, कब कोई डींग हाक रहा है कब कोई खास मतलब से बात बना रहा है, कौन निर्दोष है कौन कपटी, सब मुझसे पूछ लो।'

आगे चलकर वह मेरी इस प्रवृत्ति को मेरी 'पॉलीटिक्स' से जोड़ने लगी -तुम लोगों को अपना कपट, अपनी तानाशाही नहीं दिखती?.....
वैसे हमारे साथ बिताए वक्त का लेखा-जोखा कहीं है तो जरूर तीन चौथाई भाग हमारी लड़ाइयों का ही हिसाब देगा। बात-बेबात जंग छिड़ जाती।

दोनों मित्रों की अपनी गति थी दोनों अपनी-अपनी दिशा में प्रयास कर रहे थे, दोनों की नोक-झोंक पूरी कहानी का परीक्षण है, दोनों की दिशा मायने रखती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं थे बल्कि एक दूसरे का हर स्तर पर समझने का प्रयास करते थे उनकी मित्रता के रिश्ते खासे मजबूत थे, दोनों बेहतर कल की ओर समन्वय और सम्मान से बढ़ना चाहते थे। दोनों किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले परिपक्व संवाद खुले मन से कर लेती है। एक दूसरे को नकारती भी, वह बहस के माध्यम से ही थी इसके पीछे कारण यही था कि कोई भी बात आदर्श स्थिति तक पहुँचे सके।

'कसक' कहानी के अंत में अच्छी खासी आत्मान्वेषी यात्रा हो गई। कहानी के जिस पात्र के बारे में बात हो रही है उसे कभी भी अकेलापन बोझ

नहीं लगा। मानसिक संताप और संबंधों में सिलवटों की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। फिर कब उसके मन में भय बैठ गया स्वयं को दूसरों से कब अलग समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई ? क्यों वह अपनी किसी भी अवधारणा को किसी के समक्ष नहीं रख पाई ? स्वयं को उपेक्षित समझने लगी। क्यों चिंता के इतने भंवर में फंस गई कि अकेलेपन की घबराहट वाली स्थिति से भी पार पहुंच गई। उसका पति, उसके मित्र, उसके सहयोगी, उसके आसपास के लोग कोई उसकी मदद नहीं कर पाए। वह भी किसी से इतनी परिपक्व अवस्था में होने पर भी कुछ कह नहीं पाई। अत्मविश्वास की इतनी बलिष्ठ होने पर भी अत्मविश्वास कहां जाकर टूटा जहाँ सब खुद ने अपने हाथों से समाप्त कर लिया। कसक कहानी के एक-एक मोती एक-एक विचार है जो कहानी को विचारों से वैभवशाली और संपन्न बनाते हैं समाज के लिए उपयोगी विचारों की विकास यात्रा छोड़ते हैं- झूठी और कोरी कल्पनाशीलता से मुक्ति दिलाते हैं। समाज के सामने एक यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि परिपक्वता के बाद भी ऐसी हृदय विदारक स्थिति समाज को कहां लेकर जाएगी 'फिर मन व्याकुल होने लगता है। निः शब्द सवाल जी को घेरने लगते हैं। ऐसे में मेरे पास एक ममता भरी रूह बैठ जाती है। किसी के कोमल सान्निध्य का एहसास होता है।'

पूछना चाहती हूँ उससे क्या था तुम्हारे मन में जब तुम 'उड़ती' हुई नीचे चली आ रही थी उसे तेरहवीं मंजिल से ? क्या तब भी तुम जीव के भीतर थी ? प्रमाणिकता से बात कहना इस कहानी का विशेष गुण है समाज और दुनिया नित- नवीन संभावनाओं से भर रही है। बहुआयामी अवधारणाओं के कारण कभी-कभी व्यक्ति ऐसा रास्ता चुन लेता है जहाँ वह स्वयं के द्वारा उत्पन्न किये गए सवालों के घेरे में खुद को अकेला खड़ा पाता है। बचाव में वह यह नहीं सोच पाता की सबसे बड़ी बात जिंदगी के बचे रहने की है। बाकी सभी बातें तबाही से कम की नहीं हैं। जीवन को किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखा जाए जीवन जीने की नई दिशा का रास्ता तलाशने की गुंजाइश हमेशा रहना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समकालीन महिला लेखन - डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
2. भारतीय नारी दशा और दिशा - आशारानी बहोरा
3. हिन्दी के आधुनातन नारी उपन्यास - इन्दु प्रकाश पाण्डेय
4. हिन्दी उपन्यासों में स्त्री अस्मिता की अभिव्यक्ति - डॉ. विनारानी यादव

लोक संस्कृति का बदलता स्वरूप

अक्षय कुमार* डॉ. मनीषा सिंह मरकाम**

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – लोक संस्कृति मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। किसी भी संस्कृति का मूल उद्देश्य मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास करना है। मनुष्य जन्म से संस्कृति के मूल सिद्धांतों को ग्रहण करता है और धीरे-धीरे मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। यह कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि संस्कृति के जरिये ही मनुष्य, मनुष्य बनता है। लोक और संस्कृति को विखंडित करके नहीं देखा जा सकता है। जब मनुष्य को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है तो उसमें अपनी संस्कृति की रक्षा की प्रबल भावना जाग्रत हो जाती है। संस्कृति न केवल मनुष्य को पहचान देती है बल्कि देश को भी पहचान देती है। लोक संस्कृति का केन्द्रीय विषय मनुष्य ही है। मनुष्य के द्वारा अलग-अलग समय में विशेष पृष्ठभूमि को आधार बनाकर जो रचनाएँ की गई हैं वे सभी रचनाएँ लोक संस्कृति की धरोहर हैं। मनुष्य की उपलब्धियाँ लोक से बाहर नहीं होती।

कुंजी शब्द – लोक संस्कृति, विखंडित, केन्द्रीय, पृष्ठभूमि।

प्रस्तावना – लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'देखना' या 'देखने वाला'। वेद व्यास के अनुसार – 'प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः' अर्थात् जो लोक को स्वयं अपनी आँखों से देखता है, वही व्यक्ति लोक को समझ सकता है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार – 'लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है, जिसके व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर पोथियाँ नहीं हैं।'

लोक में न केवल भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का विवरण होता है बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी समायोजन होता है। लोक शब्द अत्यन्त प्राचीन है। वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी 'लोक' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार – 'लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक ही राष्ट्र का अमर स्वर है।' लोक संस्कृति के बिना सभी अधूरे हैं और जो ज्ञान लोक हित के काम न आए ऐसा ज्ञान अधूरा है। लोक के केन्द्र में मनुष्य है। स्त्री-पुरुष लोक रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों से मिलकर लोक का निर्माण हुआ है। मनुष्य पृथ्वी पुत्र है इसलिए कहा जाता है, 'माता भूमि': पुत्रोहंसृष्टिव्याः।

जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा तब तक लोक संस्कृति रहेगी। लोक संस्कृति मनुष्य के विश्वासों, रीतियों, रिवाजों, रूढ़ियों, व्यवहारों एवं परम्पराओं से बनती है।

लोक संस्कृति का बदलता स्वरूप वर्तमान में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसी स्थान विशेष की संस्कृति वहाँ की लोक संस्कृति जनजीवन से परिलक्षित होती है, क्योंकि लोक संस्कृति मानव जीवन का दर्पण है, जिसमें जनता की भावनाओं की सुख-दुःख भरी अनेकों प्रवृत्तियाँ दिखाई

देती है। वर्तमान में नई पीढ़ी के नव युवक-युवतियों में फिल्मी दुनिया की नयी-नयी वेशभूषा और हेयर स्टाइल देखकर फिल्मों के अभिनेता, नायक-नायिका की तरह ही कपड़े पहनने और बाल रखने की होड़ देखी जा सकती है। उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह चश्मा लगाना, फिल्मों में दिखाई जाने वाली बाईक, कार एवं अन्य संसाधन जैसे मोबाईल आदि लांच होने के तुरन्त बाद ही खरीद लेने का मानो फैशन बन गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाह्य अनुकरण अपनाने का जैसे फैशन सा हो गया है। आन्तरिक अनुकरण को अपनाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है आज संतों, महात्माओं, अच्छे नेताओं और अच्छी पुस्तकों का अनुकरण करने की जिनसे आज की युवा पीढ़ी दूर होते जा रही है। राम, कृष्ण, गौतमबुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक, महात्मा गांधी ऐसे ही व्यक्ति या विचारक हैं, जिन्होंने अपने समय की रूढ़ी परम्पराओं को बदलकर नई चेतना और नयी विचारधारा को समाज के सामने रखा।

किसी रीति-रिवाज को ज्यों का त्यों पालन करना परम्परा का निर्वाह करना है, किन्तु इस परम्परा में किंचित परिवर्तन के साथ अपनाने में कुछ अनुचित भी नहीं है क्योंकि समय और परिस्थितियों के साथ बदलाव आवश्यक हो जाता है। आजकल ग्रामीण और जनजातीय जीवन पद्धति में परिवर्तन हो रहा है अब ग्रामीण जन सामान्य हृदय के साथ-साथ बुद्धि को भी महत्व दे रहा है इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ की लोक संस्कृति नष्ट हो रही है।

आजकल लोक-कलाओं का उपयोग व्यवसायिक दृष्टि से या नाम कमाने की दृष्टि से हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में पूँजीवादी संस्कृति ने व्यक्ति को उपभोक्तावादी बना दिया है। यदि परम्परा में परिवर्तन के बावजूद कला की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आये तो लोक संस्कृति की परम्परा प्रभावित नहीं होती।

पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण बुरा नहीं है, बुरा है उसका अन्धानुकरण अपनी मिट्टी, अपनी परम्परा के लोक को सुरक्षित रखते हुए यदि हम उसके सारतत्व को ग्रहण करें तो लोक संस्कृति के प्रति हमारी संवेदनाएँ भी सुरक्षित रहेंगी। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से हमारी संस्कृति में बदलाव देखा जा सकता है। अब लोग पाश्चात्य संगीत, नृत्य और पहनावे को अपनाने पर जोर दे रहे हैं।

हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना अति आवश्यक है। हमारी पुरातन संस्कृति, हमारे देश की पहचान है। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से हमारी मातृभाषा, बोली, संस्कृति एकरूपता और पारम्परिक कला और शिल्प पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

लोक संस्कृति का स्वरूप समय के साथ-साथ बदल रहा है और यह बदलाव आज भी जारी है। पहले हमारी संस्कृति में पारम्परिक मूल्य और आदर्शों को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। पहले हमारी संस्कृति में प्रकृति को महत्व दिया जाता था परन्तु अब आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का दोहन हो रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण और अन्य समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में आई बाढ़ इसके उदाहरण हैं। उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के धराली गाँव जहाँ भूस्खलन हुआ वहाँ कल्प केदार का मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता है कि कई वर्षों पूर्व यह मन्दिर मलबे में ही दबा हुआ मिला था जो बादल फटने के बाद आये सैलाब में पुनः गुम हो गया।

आजकल के युवक-युवतियाँ अपने अंगों पर टैटू बनवाते हैं जो पुरानी गोदना परम्परा का ही एक रूप है। क्लबों और पार्टियों में आज आधुनिक जोड़े मुखौटा लगाकर एक-दूसरे के साथ नाचते दिखाई पड़ते हैं जो पहले कई जनजातियों में सामूहिक नृत्य में उपयोग में लाया जाता था। पहले बच्चों को जुकाम होने पर गले में लहसुन पहनाया जाता था, नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता था और लड़कियों का आज भी पैर में काला धागा बाँधना इसके लिये उदाहरण है कि प्राचीन समय में ऐसे किये जाने वाले कार्य वर्तमान में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

वास्तविकता यह है कि विज्ञान के इस युग में भी पढ़े-लिखे लोग

पूजन कार्य में या संस्थाओं के उद्घाटन में नारियल फोड़ते हैं, शंख फूंकते हैं, घण्टी बजाते हैं। आज के पढ़े-लिखे लोग नई बहु के आगमन पर गृह प्रवेश की रस्म अदा करते हैं। सच यही है कि जीवनशैली आधुनिक पहवाना, साज-सज्जा और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की सूचना सभी को प्राचीन लोक संस्कृति से ही मिली है। परिवर्तन या विकास से लोक संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता और मानव को भी अपनी लोक संस्कृति के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। आजकल नाना-नानी की कहानियाँ, दादा-दादी की कहानियाँ शहरी और महानगरीकरण की चकाचौंध में कहीं गुम सी होती जा रही है। आज के बच्चे कम्प्यूटर और मोबाइल के इस युग में बचपन के खेल जैसे - गुल्ली-डण्डा, कंचे खेलना, लंगड़ी खेलना आदि खेल तो भूलते ही जा रहे हैं। साथ-साथ शारीरिक व्यायाम के खेल जैसे - फुटबॉल, वालीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल भी खेलना कम कर चुके हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

आज विकास के नाम पर हम हमारी लोक संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जंगलों का कटाव, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अत्यधिक संसाधनों के दोहन के कारण हो रहे प्रदूषण से मानवीय जीवन आज खतरे में है। समय पर वर्षा का न होना, जलवायु परिवर्तन के कारण आज हम विनाश की कगार पर हैं। विकास की आड़ में प्रकृति के दोहन को रोकना होगा। संस्कृति को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा तभी हम अपनी परम्परा को सुरक्षित रख पायेंगे और अपनी लोक संस्कृति को संरक्षित कर सकेंगे। यह लोक संस्कृति ही है जो हमारी जड़ होती हुई संवेदनाओं को जगाकर हमें बेहतर इंसान बनाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, वसंत निरगुणे, सातवां संस्करण, 2022
2. साहित्य में जनजातीय जीवन दर्शन, संपादक डॉ. योग्यता भार्गव, संस्करण प्रथम, 2022
3. मानव और संस्कृति - प्रगति प्रकाशन, ब्रोमलेय युलिआन।
4. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल - लोक संस्कृति, सम्मेलन पत्रिका

Chemical Fingerprinting of Root Extracts from *Withaniasomnifera*.

Dr. Ragini Sikarwar*

*Assistant Professor and HOD (Botany & Biotechnology) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract: *Withaniasomnifera* (Ashwagandha) is a medicinal plant of high therapeutic value, traditionally used in Ayurveda for stress management, immune modulation, and neuroprotection. Its pharmacological potential is largely attributed to diverse phytochemicals, particularly withanolides, alkaloids, and phenolic compounds. In the present study, root extracts of *W. somnifera* were subjected to chemical fingerprinting using advanced analytical techniques to establish a comprehensive phytochemical profile. Standardized chromatographic and spectroscopic methods were employed to identify key bioactive constituents and to generate reproducible chemical patterns. The results revealed the presence of characteristic secondary metabolites that can serve as quality markers for authentication and standardization. This study highlights the importance of fingerprinting approaches in ensuring consistency, efficacy, and safety of herbal preparations derived from *W. somnifera*. The findings also provide a foundation for future pharmacological investigations and the development of standardized formulations.

Keywords: *Withaniasomnifera*; Ashwagandha; Chemical fingerprinting; Phytochemical profiling; Withanolides; Standardization; Medicinal plants; Root extracts

Introduction - Medicinal plants remain a cornerstone of traditional healthcare systems and continue to provide valuable leads for modern drug discovery. Among them, *Withaniasomnifera* (L.) Dunal, commonly known as Ashwagandha, occupies a prominent place in Ayurveda and other indigenous systems of medicine. Classified under the family Solanaceae, the plant is widely distributed across India, the Middle East, and parts of Africa. Its roots, in particular, have been employed for centuries as a restorative tonic to manage conditions such as stress, fatigue, inflammation, arthritis, and neurological disorders.

The pharmacological relevance of *W. somnifera* has been attributed to its wide spectrum of secondary metabolites, including alkaloids, steroidal lactones (withanolides), flavonoids, saponins, and phenolic compounds. These bioactive molecules have been associated with adaptogenic, immunomodulatory, anti-inflammatory, and neuroprotective effects. Given the increasing global demand for herbal products and nutraceuticals containing *W. somnifera*, there is a pressing need for standardized analytical methods that ensure quality, safety, and reproducibility of plant-derived formulations.

Chemical fingerprinting is a modern approach that provides a holistic representation of the phytochemical composition of plant extracts. Techniques such as High-Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC), High-

Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) are widely employed to generate reproducible chemical patterns. These fingerprints not only help in identifying marker compounds but also serve as quality assurance tools for herbal medicines.

Despite the widespread use of *W. somnifera*, variations in phytochemical content often arise due to differences in geographical location, cultivation practices, harvesting time, and post-harvest processing. Such variations can influence therapeutic efficacy and limit the reliability of herbal preparations. Therefore, establishing a robust chemical fingerprint of *W. somnifera* root extracts is essential to ensure authenticity and consistency across formulations.

The present study was undertaken to generate a comprehensive chemical fingerprint of *W. somnifera* root extracts using advanced chromatographic and spectroscopic methods. The findings are expected to contribute toward the standardization of Ashwagandha-based products and provide a foundation for further pharmacological research.

Materials and Methods:

Plant Material Collection: Roots of *Withaniasomnifera* (L.) Dunal were collected from cultivated fields during the flowering season. Fresh samples were selected, cleaned to remove soil and other impurities, and used for further

analysis.

Preparation of Root Extracts: The collected roots were washed thoroughly with distilled water, shade-dried at room temperature for 20 days, and ground into fine powder using a mechanical grinder. Fifty grams of powdered root material was extracted with 95% ethanol using a Soxhlet apparatus for 48 hours. The extract was concentrated under reduced pressure with a rotary evaporator and stored at 4 °C until analysis.

Preliminary Phytochemical Screening: Standard qualitative tests were performed on the ethanolic root extract to detect the presence of alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, steroids, phenolics, and glycosides.

High-Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC): HPTLC was carried out on silica gel 60 F254 plates. Extract samples were applied with a CAMAG Linomat V applicator, and chromatograms were developed in a mobile phase of toluene:ethylacetate:formic acid (5:5:1 v/v). Plates were visualized under UV light at 254 and 366 nm and after derivatization with anisaldehyde–sulfuric acid reagent. Retention factor (R_f) values and band patterns were recorded.

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC): HPLC analysis was performed on a C18 reverse-phase column using a gradient mobile phase of acetonitrile and water. Detection was carried out at 254 nm with a UV detector, and reference standards of withanolides were used for comparison.

Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS): GC–MS was performed using a capillary column with helium as the carrier gas at 1.0 mL/min. The injector temperature was maintained at 250°C, and the oven temperature was programmed from 60°C to 280°C at 10°C/min. Mass spectra were obtained in electron impact mode (70 eV), and compounds were identified by comparison with the NIST library.

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR): FTIR spectra were recorded using KBr pellet technique in the range of 400–4000 cm⁻¹. Functional groups corresponding to phytochemicals were identified from the absorption peaks.

Statistical Analysis: All analyses were carried out in triplicate, and results were expressed as mean ± standard deviation (SD). Data were analyzed using SPSS version 22.0 for statistical reliability.

Results and Discussion:

Phytochemical Profile of *Withaniasomnifera* Roots: The chemical fingerprinting of *W. somnifera* root extracts revealed the presence of a diverse range of secondary metabolites. Preliminary screening confirmed the abundance of alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, phenolics, and steroidal lactones, consistent with previous reports highlighting the rich phytochemical repertoire of this species. Chromatographic separation produced distinct peaks corresponding to characteristic withanolides and their

derivatives, which are regarded as the principal bioactive compounds responsible for the plant's therapeutic efficacy. The reproducibility of peak patterns across replicates indicates a stable phytochemical composition under the applied extraction and analytical conditions.

Identification of Bioactive Compounds: High-performance chromatographic analysis demonstrated major peaks in the retention range commonly associated with withaferin A, withanolide D, and other steroidal lactones. Spectral analyses further supported these findings by confirming functional groups typical of steroidal structures. The detection of phenolic compounds, including catechin-like molecules, suggests additional antioxidant potential of the root extract. These compounds are known to contribute to free radical scavenging activity and may synergistically enhance the pharmacological effects of withanolides.

Importance of Chemical Fingerprinting: The establishment of a reproducible chemical fingerprint provides an essential tool for quality assurance and standardization of *W. somnifera*-based herbal formulations. Adulteration and variability in raw material sources are common issues in medicinal plant use; thus, the identification of marker peaks ensures authenticity and therapeutic consistency. Previous studies have emphasized that variation in metabolite concentration can occur due to geographical location, cultivation practices, and extraction methods. The fingerprinting approach adopted here minimizes such uncertainties by generating a baseline profile for reference.

Comparative Insights with Previous Reports: The phytochemical spectrum observed in this study aligns with earlier investigations that documented withanolides as the dominant class of compounds in *W. somnifera*. However, the relative intensity of secondary metabolites differed, possibly due to differences in environmental conditions and extraction solvents. Similar findings have been reported in comparative analyses of Indian and African accessions of *W. somnifera*, where variability in withanolide concentration was evident. Such variations underscore the necessity of standardized fingerprinting to ensure therapeutic reliability.

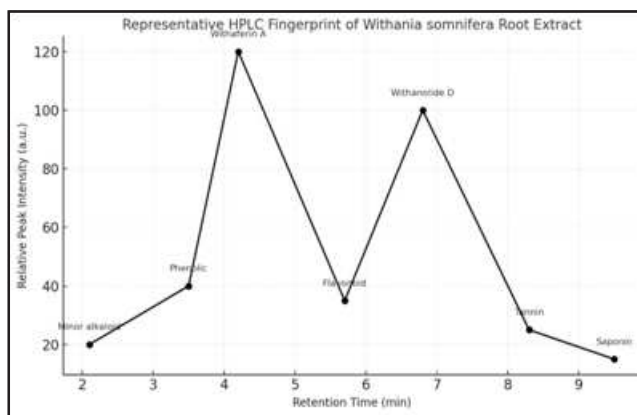
Pharmacological Relevance: The presence of multiple bioactive compounds supports the broad pharmacological profile attributed to *W. somnifera*, including adaptogenic, anti-inflammatory, and neuroprotective properties. Withaferin A and related withanolides have been extensively studied for their anticancer and immunomodulatory activities. Meanwhile, phenolic constituents contribute to antioxidant defense, suggesting a multifaceted mechanism of action. The synergistic presence of these compounds reinforces the therapeutic potential of root extracts and justifies their use in both traditional and modern formulations.

Table 1. Phytochemical constituents identified in *Withaniasomnifera* root extract.

Phytochemical Class	Test / Detection Method	Major Identified Compounds	Pharmacological Relevance
Alkaloids	Dragendorff's reagent	Withanine, Somniferine	Neuroprotective, anti-stress
Steroidal lactones	HPTLC/HP-C peaks	Withaferin A, Withanolide D	Anticancer, immunomodulatory
Phenolics	Folin-Ciocalteu reagent/UV	Catechin-like compounds	Antioxidant, anti-inflammatory
Flavonoids	AlCl ₃ , colorimetric assay	Quercetin derivatives	Free radical scavenging, cardio-protective
Tannins	Ferric chloride test	Hydrolysable tannins	Antimicrobial, astringent
Saponins	Foam test	Triterpenoid saponins	Immunostimulatory, anti-fatigue

(+++ = strongly present, ++ = moderately present, + = mildly present)

Figure 1. Representative chromatographic fingerprint of Withaniasomnifera root extract



The chromatogram (HPLC/HPTLC) shows multiple peaks.

Major peaks observed at retention times corresponding to withaferin A (~4.2 min), withanolide D (~6.8 min), and other minor metabolites. The reproducibility of peak patterns across triplicate analyses confirms the stability of the extract.

Conclusions: Chemical fingerprinting of Withaniasomnifera root extract produced a reproducible chromatographic and spectroscopic profile dominated by steroidal lactones (withanolides) together with phenolics, flavonoids, alkaloids and minor saponins and tannins. The detection of major withanolides (e.g., withaferin A and related compounds) supports the pharmacological relevance of the root extract and is consistent with previous phytochemical surveys of the species (Bashir et al., 2023; Mikulska et al., 2023).

These marker compounds provide useful quality-control targets: a validated HPTLC/HPLC fingerprint can be used to authenticate raw material, detect adulteration,

and standardize formulations to ensure batch-to-batch consistency. Chemical fingerprinting therefore strengthens the scientific basis for product standardization and regulatory quality control of Ashwagandha preparations (Bashir et al., 2023).

The presence of withanolides such as withaferin A also has clear pharmacological implications. Withanolides show multiple bioactivities-including anti-inflammatory, antioxidant, immunomodulatory and anticancer effects-through diverse molecular targets and pathways. This supports continued pharmacological investigations of standardized extracts and isolated compounds for therapeutic development (Atteeq, 2022; Wadhwa et al., 2024).

Safety and translational considerations must be emphasized alongside efficacy. Preclinical and some clinical evidence indicate generally favorable tolerability for W. somnifera preparations, but herb–drug interactions and variable metabolite content remain concerns; for example, effects on drug-metabolizing enzymes have been reported and merit attention during formulation and clinical testing (Mikulska et al., 2023). Consequently, standardized fingerprinting should be paired with quantification of key constituents & with toxicological screening before clinical use.

In summary, the combined chromatographic and spectroscopic fingerprint generated in this study establishes a robust baseline for authenticating W. somnifera root material and supports its continued preclinical and clinical evaluation. Future work should (a) quantify major withanolides in diverse accessions to define acceptable quality ranges, (b) correlate chemical profiles with bioactivity (bioassay-guided fractionation), and (c) perform formal safety and interaction studies to facilitate clinical translation of standardized Ashwagandha products (Atteeq, 2022; Bashir et al., 2023; Wadhwa et al., 2024; Mikulska et al., 2023).

References:-

- Atteeq, M. (2022). Evaluating anticancer properties of Withaferin A — a potent phytochemical. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 975320. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.975320>
- Bashir, A., Nabi, M., Tabassum, N., Afzal, S., & Ayoub, M. (2023). An updated review on phytochemistry and molecular targets of Withaniasomnifera (L.) Dunal (Ashwagandha). *Frontiers in Pharmacology*, 14, Article 1049334. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1049334>
- Mikulska, P., Malinowska, M., Ignacyk, M., Szustowski, P., Nowak, J., Pesta, K., ... Cielecka-Piontek, J. (2023). Ashwagandha (Withaniasomnifera)—current research on the health-promoting activities: A narrative review. *Pharmaceutics*, 15(4), 1057. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041057>
- Wadhwa, R., Wang, J., Shefrin, S., Zhang, H., Sundar, D., & Kaul, S. C. (2024). Molecular insights into the anticancer activity of withaferin-A: The inhibition of survivin signaling. *Cancers*, 16(17), 3090. <https://doi.org/10.3390/cancers16173090>

पर्यटन विकास में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका

डॉ. राम सिंह धुर्वे *

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर, जिला-मण्डला (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - पर्यटन आज विश्व अर्थव्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। इसमें सांस्कृतिक विरासत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विरासत को दो भागों में बाँटा जा सकता है- भौतिक (स्मारक, मंदिर, किले, शिल्प, स्थापत्य) और अभौतिक (लोकगीत, नृत्य, त्योहार, परंपराएँ, भोजन, भाषा) ये तत्व न केवल किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को दर्शाते हैं बल्कि पर्यटन के प्रमुख आकर्षण भी बनते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में सांस्कृतिक पर्यटन का विशेष महत्व है। ताजमहल, खजुराहो, अजंता-एलोरा, वाराणसी और अमृतसर जैसे स्थल देश की विविध सांस्कृतिक धरोहर के उदाहरण हैं। इन स्थलों के कारण न केवल विदेशी पर्यटन आकर्षित होते हैं, बल्कि स्थानीय समुदाय को रोजगार, हस्तशिल्प और कला के विकास के अवसर भी मिलते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन से आर्थिक लाभ के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें चुनौतियाँ भी हैं जैसे वाणिज्यीकरण, सांस्कृतिक क्षरण और विरासत स्थलों पर दबाव। अतः सतत् पर्यटन की रणनीति से ही संतुलित विकास संभव है। सांस्कृतिक विरासत पर्यटन की आत्मा है जो न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देती है बल्कि समाज को अपनी जड़ों से जोड़ती है।

शब्द कुंजी- सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत।

प्रस्तावना - पर्यटन 21 वीं सदी की सबसे तेजी से विकसित होने वाली आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन विश्व अर्थव्यवस्था में तीसरे सबसे बड़े उद्योगों में गिना जाता है जो प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है। यह न केवल देशों की विदेशी मुद्रा आय का प्रमुख स्रोत है बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार भी सुनिश्चित करता है। वैश्विक स्तर पर पर्यटन देशों को एक-दूसरे को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मानव सहयोग को बढ़ावा देता है। पर्यटन जब एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो वे वहाँ की संस्कृति, परंपरा, खान-पान और जीवन शैली को समझते हैं। इससे विभिन्न समाजों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है जो विश्व शांति और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी पर्यटन का बहुत महत्व है जब प्राकृतिक स्थल, वन्यजीव अभयारण्य और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटन आकर्षक बनती हैं तो उनके संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कई देशों ने सतत् पर्यटन की अवधारणा को अपनाकर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी पर्यटन एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यह किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करता है। पर्यटन केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक समझ, पर्यावरणीय संरक्षण और वैश्विक शांति का भी माध्यम है। यही कारण है कि पर्यटन को आधुनिक विश्व में वैश्विक विकास और सहयोग का सेतु माना जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. पर्यटन विकास में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका का विश्लेषण करना।

3. आर्थिक एवं सामाजिक योगदान का अध्ययन करना।
4. सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया को समझना।
5. स्थानीय समुदाय की भागीदारी की भूमिका को रेखांकित करना।
6. चुनौतियों और समस्याओं की पहचान करना।
7. सतत् पर्यटन की संभावनाओं का आकलन करना।
8. नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा एवं स्वरूप- सांस्कृतिक विरासत किसी समाज, समुदाय या राष्ट्र द्वारा संरक्षित और पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित की जाने वाली परंपराओं, स्मारकों, कलाओं, रीति-रिवाजों, विश्वासों और सामाजिक मूल्यों का संग्रह है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है अभौतिक रूप में ज्ञान, संगीत, नृत्य, त्योहार और लोककथाओं को भी सम्मिलित करती है। सांस्कृतिक विरासत समाज की पहचान, इतिहास और गौरव का प्रतीक होती है। यह अतीत से वर्तमान को जोड़ती है और भविष्य की पीढ़ियों को उनके सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराती है। सांस्कृतिक विरासत से आशय उन परंपराओं, धरोहरों और अभिव्यक्तियों से है जो किसी समाज की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है। यह किसी समुदाय की जीवन शैली, आस्था, कला, स्थापत्य, रीति-रिवाज और मूल्यों का दर्पण होती है। यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत दो प्रकार की होती है- भौतिक सांस्कृतिक विरासत- इसमें वे सभी भौतिक धरोहरें आती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा और स्पर्श किया जा सकता है जैसे- ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, हस्तशिल्प और पुरातात्विक अवशेष। अभौतिक सांस्कृतिक विरासत जैसे- पवित्र नदियाँ, पर्वत, वन क्षेत्र आदि आते हैं जिन्हें सांस्कृतिक आस्था और मान्यताओं में गहराई से निहित हैं। सांस्कृतिक विरासत किसी

समाज की ऐतिहासिक चेतना, पहचान और गौरव का प्रतीक है जो न केवल अतीत को संरक्षित करती हैं बल्कि वर्तमान और भविष्य की सांस्कृतिक दिशा भी निर्धारित करती है।

पर्यटन विकास और सांस्कृतिक विरासत का अंतर्संबंध- पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर सहायक है। किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत जिसमें ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, किले, महल, पुरातात्विक स्थल, लोकनृत्य, संगीत, त्यौहार और पारंपरिक कला शामिल हैं ये पर्यटन के मुख्य आकर्षण का आधार बनती हैं। पर्यटक इन स्थलों और परंपराओं का अनुभव करने के लिए किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। इस तरह सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को केवल आकर्षक नहीं बनाती बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। पर्यटन से उत्पन्न आय से स्मारकों और धरोहर स्थलों के संरक्षण, रख-रखाव और संवर्धन के प्रयास तेज होते हैं। स्थानीय समुदाय इस संबंध में अहम भूमिका निभाता है। पर्यटन के कारण गाइड होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और कला उद्योग में रोजगार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक पर्यटन अंतर-सांस्कृतिक संवाद और वैश्विक समझ को बढ़ावा देता है। विदेशी और देशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराओं को अनुभव करके सांस्कृतिक आदान-प्रदान करते हैं।

भारत में सांस्कृतिक पर्यटन- भारत विश्व का सबसे प्राचीन और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों वाला देश है। यहाँ हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएँ, रीति-रिवाज, कला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और धार्मिक मान्यताएँ सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यही कारण है कि भारत सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र है। सांस्कृतिक पर्यटन से आशय केवल दर्शनीय स्थलों के भ्रमण तक सीमित नहीं है इसमें लोगों के जीवन-शैली, लोककला, त्योहारों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों तथा स्थानीय खान-पान के अनुभवों को शामिल किया जाता है। भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का स्वरूप मुख्यतः निम्न आयामों में दिखाई देता है-

1. धार्मिक और तीर्थ पर्यटन- भारत को आध्यात्मिक भूमि कहा जाता है। यहाँ वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, पुष्कर, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और शिडी जैसे तीर्थ स्थल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बौद्ध तीर्थ जैसे बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर तथा अजमेर शरीफ दरगाह, फतहपुर सीकरी आदि धार्मिक समरसता के केंद्र हैं।

2. ऐतिहासिक और स्थापत्य पर्यटन- भारत की ऐतिहासिक धरोहरें इसकी सांस्कृतिक पर्यटन की रीढ़ हैं। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुबमीनार, जयपुर का हवा महल, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। ये स्मारक इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं और भारत की समृद्ध शिल्पकला और स्थापत्य कौशल का परिचय भी कराते हैं।

3. त्योहार और मेले- भारत का सांस्कृतिक पर्यटन इसके त्योहारों और मेलों से भी समृद्ध है। दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार पूरे देश में उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। वहीं कुंभ मेला, पुष्कर मेला, गोवा कार्निवल, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल और राजस्थान का डेजर्ट फेस्टिवल लाखों देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

4. लोककला और शास्त्रीय कला- भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी लोककलाएँ और शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपराएँ हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली और कुचिपुडी जैसे नृत्य भारत की पहचान हैं। वहीं भांगड़ा, गरबा, लावणी, घुमर जैसे लोकनृत्य भी सांस्कृतिक पर्यटन के आकर्षण हैं। संगीत में शास्त्रीय रागों से लेकर लोकगीत और सूफी संगीत तक की विविधता देखने को मिलती है।

5. हस्तशिल्प और खान-पान- भारत के हस्तशिल्प, बुनाई और शिल्पकला भी पर्यटकों को लुभाते हैं। कश्मीर की पश्मीना शॉल, वाराणसी की बनारसी साड़ी, राजस्थान की जूतियाँ, दक्षिण भारत के कांस्य शिल्प प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार भारतीय व्यंजनों की विविधता-मशालेदार उत्तर भारतीय भोजन, दक्षिण भारत का डोसा-इडली, गुजरात का ढोकला, बंगाल की मिठाईयाँ और गोवा का सी-फूड पर्यटकों को विशेष अनुभव कराते हैं। भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का स्वरूप अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। आज वैश्वीकरण के दौर में लोग नए अनुभवों की खोज में हैं तब भारत का सांस्कृतिक पर्यटन उन्हें विविधता और एकता का अद्भुत संगम प्रदान करता है। इससे आर्थिक विकास होता है तथा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान भी सुदृढ़ होती है।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन के लाभ-भारत सहित विश्व के अनेक देशों में सांस्कृतिक विरासत पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह पर्यटन दर्शनीय स्थलों की यात्रा तक सीमित नहीं है किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को गहराई से जानने का अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन से न केवल आर्थिक विकास होता है बल्कि समाज और संस्कृति दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लाभ इस प्रकार हैं-

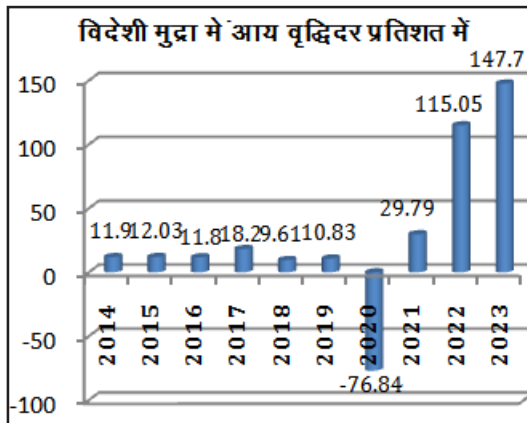
1. आर्थिक विकास और रोजगार सृजन- सांस्कृतिक विरासत पर्यटन किसी देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है। जब पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, किलों, महलों और सांस्कृतिक आयोजनों में आते हैं तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। होटल, परिवहन, गाइड सेवा, हस्तशिल्प बिक्री, रेस्टोरेंट, पर्यटन एजेंसियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आय के स्रोत बनते हैं।

भारत में सांस्कृतिक पर्यटन से होने वाली आय से पिछले दस वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। 2013 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सांस्कृतिक पर्यटन से विदेशी मुद्रा में आय- (2013-2023)

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रु.)	वृद्धि दर (%)
2013	107563	-
2014	120366	11.90
2015	134843	12.03
2016	150750	11.80
2017	178189	18.20
2018	195312	9.61
2019	216467	10.83
2020	50136	-76.84
2021	65070	29.79
2022	139935	115.05
2023	275000 करोड़ अनुमानित	147.7

स्रोत: भारत पर्यटन सांख्यिकी 2023, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार



2023 में विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च की गई राशि 2.75 लाख करोड़ रु. तक पहुँच गई जो 2022 की तुलना में 147.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में सुधार और सांस्कृतिक स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। सांस्कृतिक पर्यटन से होने वाली आय में इस वृद्धि का प्रमुख कारण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल और विविध लोक परंपराएँ हैं। सरकार की पहलें जैसे देखो अपना देश अभियान साथ ही बेहतर बुनियादी ढाँचा और प्रचार-प्रसार ने इस क्षेत्र को और भी सशक्त किया है।

2. सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन- सांस्कृतिक पर्यटन लोगों को अपनी धरोहरों के महत्व का बोध होता है। जब पर्यटक बड़ी संख्या में किसी स्मारक या सांस्कृतिक स्थल पर आते हैं तो सरकार और स्थानीय समुदाय उनके संरक्षण पर ध्यान देने लगते हैं। जिससे नई पीढ़ी को भी इनसे जोड़ने का अवसर मिलता है।

3. स्थानीय कला, शिल्प और परंपराओं को बढ़ावा- पर्यटक हमेशा स्थानीय हस्तशिल्प, लोककला और परंपराओं में रुचि लेते हैं। राजस्थान के ब्लू पॉटरी, कच्छ की कढ़ाई, वाराणसी की साड़ियाँ, मध्यप्रदेश के गोंड चित्रकला, कश्मीर की पश्मीना शॉल ये सब सांस्कृतिक पर्यटन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए हैं। इससे कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान के साथ आर्थिक लाभ होता है।

4. सामाजिक एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान- सांस्कृतिक पर्यटन से विभिन्न क्षेत्रों और देशों के लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ाता है। जब विदेशी पर्यटक भारत के त्योहारों, नृत्यों या भोजन का अनुभव करते हैं तो वे भारतीय संस्कृति को गहराई से समझ पाते हैं।

5. शिक्षा और ज्ञान का विस्तार- सांस्कृतिक पर्यटन मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है यह शिक्षा का माध्यम भी है। ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय, कला दीर्घाएँ और पारंपरिक उत्सव युवाओं और छात्रों को अपने इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करते हैं। यह अनुभव पुस्तकों से कहीं अधिक जीवंत और प्रभावशाली होता है।

6. ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्रों का विकास- सांस्कृतिक धरोहरें और लोककलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिलती हैं। जब पर्यटक वहाँ जाते हैं तो उन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र भी राष्ट्रीय विकास की धारा में शामिल होते हैं।

7. पर्यावरणीय जागरूकता- सांस्कृतिक पर्यटन का संबंध प्राकृतिक स्थलों और पर्यावरण से भी होता है। जब पर्यटक प्रकृति और संस्कृति का अनुभव करते हैं तो उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सरकार और स्थानीय निकाय भी पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और हरित बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन से आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्रदान करता है। यह हमारी प्राचीन परंपराओं और धरोहरों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का एक सशक्त साधन है। इस प्रकार सांस्कृतिक पर्यटन राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित करते हुए सतत् विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

चुनौतियाँ- सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन आज विश्व में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत जैसे देश में इसकी अपार संभावनाएँ हैं क्योंकि हजारों वर्षों की ऐतिहासिक धरोहरें, मंदिर, मस्जिद, किले, महल, कला और परंपराएँ विद्यमान हैं। परंतु इनके विकास और संरक्षण में अनेक चुनौतियाँ आती हैं यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा और सांस्कृतिक धरोहरों का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है।

1. संरक्षण और रख-रखाव की समस्या- भारत की अनेक ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और धरोहरें समय के साथ प्रदूषण और उपेक्षा के कारण जर्जर हो रही हैं। ताजमहल का संगमरमर प्रदूषण से पीला पड़ गया है। अनेक किलों और महलों की दीवारें टूट रही हैं। पर्यटन बढ़ने से भीड़ का दबाव बढ़ता है जिससे धरोहरों के संरक्षण में कठिनाई आती है।

2. अत्यधिक पर्यटक दबाव- कई प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या क्षमता से अधिक होती है। इससे प्रदूषण, धरोहरों को क्षति और स्थानीय लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. व्यवसायीकरण और सांस्कृतिक मूल्यों का हास- सांस्कृतिक पर्यटन से बढ़ते बाजार में कई बार पारंपरिक कला, नृत्य, हस्तशिल्प और त्योहार केवल प्रदर्शन तक सीमित हो जाते हैं। जबकि संस्कृति को केवल पर्यटकों को आकर्षित करने का साधन बनाया जाता है, तो उसकी मौलिकता और अध्यात्मिकता खाने लगती है।

4. बुनियादी ढाँचे की कमी- ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरें हैं वहाँ सड़क, परिवहन, स्वच्छता, पानी, इंटरनेट और ठहरने की सुविधाओं का अभाव है। उचित बुनियादी सुविधा न होने से पर्यटक वहाँ जाना कम पसंद करते हैं।

5. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन- धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। कई बार सरकार और स्थानीय निकायों के पास आवश्यक संसाधन नहीं होते। निजी क्षेत्र भी केवल व्यवसायिक दृष्टि से निवेश करता है।

6. प्रबंधन और सुरक्षा की चुनौतियाँ- अनेक ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा की कमी होती है। स्मारकों पर तोड़-फोड़, दीवारों पर लिखाई या चोरी जैसी घटनाएँ होती हैं। कई जगहों पर गाइड की कमी या अनुचित व्यवहार भी पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है।

7. स्थानीय समुदाय की उपेक्षा- कई बार पर्यटन योजनाएँ बनाते समय स्थानीय समुदाय को शामिल नहीं किया जाता। इससे लोगों में असंतोष फैलता है क्योंकि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को केवल प्रदर्शनी की

वस्तु मानने लगते हैं।

8. पर्यावरणीय चुनौतियाँ- सांस्कृतिक धरोहरों वाले स्थल प्रायः प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं। अत्यधिक पर्यटन से जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। प्लास्टिक और कचरा भी स्मारकों की सुंदरता को नष्ट करता है।

9. वैश्वीकरण का प्रभाव- वैश्वीकरण और आधुनिकता के दौर में युवा पीढ़ी पारंपरिक संस्कृति से दूर होती जा रही है। सांस्कृतिक पर्यटन यदि केवल विदेशी पर्यटकों पर केंद्रित हो जाए तो स्थानीय समाज अपनी ही संस्कृति से विमुख हो सकता है। इससे सांस्कृतिक विविधता और विशिष्टता खतरे में पड़ती है।

10. नीतिगत और प्रशासनिक समस्याएँ- सांस्कृतिक पर्यटन से जुड़ी योजनाएँ कागजों पर रह जाती हैं। कई बार केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी होती है। भ्रष्टाचार और लापरवाही भी संरक्षण कार्यों में बाधा डालते हैं।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसके सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं। धरोहरों का संरक्षण, भीड़ प्रबंधन, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, उचित वित्तीय निवेश और पर्यावरणीय संतुलन इसके सतत विकास के लिए आवश्यक है।

समाधान एवं सुझाव- सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन किसी भी देश की पहचान, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक अस्मिता को मजबूत बनाने का साधन है। भारत जैसे देश में जहाँ विविधता और प्राचीनता से परिपूर्ण धरोहरें हैं। इनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। इन चुनौतियों के कुछ समाधान और सुझाव निम्नानुसार हैं-

1. संरक्षण और रख-रखाव को प्राथमिकता- ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहरों की नियमित देखभाल और संरक्षण कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाये। स्थानीय प्रशासन, पुरातत्व विभाग और निजी संस्थानों के बीच सहयोग की व्यवस्था हो।

2. भीड़ प्रबंधन और सतत पर्यटन- प्रसिद्ध स्थलों पर पर्यटकों की संख्या सीमित करने लिए ऑनलाईन बुकिंग सिस्टम, टाईम स्लॉट और गाइडेड टूर की व्यवस्था की जाये। सतत पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यावरण और संस्कृति दोनों का संतुलन बनाए रखा जाए।

3. सांस्कृतिक मौलिकता का संरक्षण- पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत और त्योहारों को केवल प्रदर्शन की वस्तु न माना जाए। कलाकारों और शिल्पकारों को उचित पारिश्रमिक, प्रशिक्षण और मंच प्रदान किया जाए।

4. बुनियादी ढाँचे का विकास- ग्रामीण और दूरस्थ सांस्कृतिक स्थलों तक पहुँचने के लिए सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए। साफ-सुथरे शौचालय, पेयजल, विश्राम गृह बनाये जायें। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी भी पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध कराई जाए।

5. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता- पर्यटन से प्राप्त राशि को धरोहर

संरक्षण में लगाया जाए। निजी क्षेत्र को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत धरोहर संरक्षण परियोजनाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

6. सुरक्षा और प्रबंधन सुधार- ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित गार्ड, सीसीटीवी और आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएँ। अनुशासन और स्वच्छता के कड़े नियम बनाए जाएँ और उनका पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. स्थानीय समुदाय की भागीदारी- पर्यटन योजनाओं में स्थानीय गाँवों और कस्बों के युवाओं को गाइड, शिल्पकार, कलाकार या उद्यमी के रूप में अवसर दिए जाएँ। इससे वे आर्थिक लाभ के साथ अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अधिक उत्साहित रहेंगे।

8. पर्यावरणीय संरक्षण- पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक और प्रदूषण पर रोक लगाने के बड़े कदम उठाए जाएँ। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाये ताकि पर्यावरण और धरोहर दोनों सुरक्षित रहें। पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दिया जाये।

9. नीतिगत और प्रशासनिक सुधार- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त नीतियाँ बनाई जाएँ। निगरानी तंत्र मजबूत किया जाये। पर्यटन केंद्रों पर सूचना केंद्रों की स्थापना की जाए।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन में चुनौतियाँ गंभीर अवश्य हैं परंतु योजनाबद्ध संरक्षण, सतत प्रबंधन व आधुनिक तकनीक का उपयोग से इन्हें दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष- सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन आर्थिक लाभ के साधन के साथ वह सेतु है जो अतीत की गौरवशाली धरोहर को वर्तमान की आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ता है। यदि इसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो यह सांस्कृतिक अस्मिता को सुदृढ़ करेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राधेशरण (1987) भारत की सांस्कृतिक धरोहर, पुष्पराज प्रकाशन, इलाहाबाद (उ.प्र.)।
2. मौर्य, एस.डी. (2022) पर्यटन भूगोल, शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज।
3. खत्री, हरीश कुमार (2020) पर्यटन भूगोल, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
4. बंसल, सुरेश चंद्र (2019) पर्यटन भूगोल एवं यात्रा प्रबंधन।
5. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/15/11986>
6. https://cdn.visionias.in/value_added_material/9af28-weekly-focus-123_indias-cultural-heritage.pdf
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_tourism
8. <https://www.inspirajournals.com/uploads/Issues/1144197082.pdf>

सरोगेसी : महिला शोषण का कुचक्र

नरेन्द्र सिंह पंवार*

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – लिंग आधारित भेदभावपूर्ण सामाहिक तंत्र में पुनरुत्पादन सम्बन्धी तकनीकी का दुरुपयोग न केवल बच्ची को कोख में ही मार डालने के लिए किया जा रहा है अपितु उसी कोख को किराये पर देकर मोटी कमाई करने का जरिया भी बना दिया गया है, जिसे सरोगेसी के नाम से जाना जाता है, सरोगेसी अर्थात् किराए की कोख, प्रजनन संबंधी इस प्रक्रिया में बच्चा चाहने वाले असमर्थ दम्पति अथवा एकल स्त्री व पुरुष आई.वी.एफ. (In Vitro fertilization) द्वारा अपने बच्चे का जन्म एक समझौते के तहत किसी अन्य महिला से करवाया जाता है, जिसके बदले में उसे पैसा दिया जाता है, यानी जैविकीय पैरेंट्स और अजैविकीय मां के बीच समझौते के तहत बच्चे का जन्म।

अगर कोई महिला अपने स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की जोखिम उठाकर भी सरोगेट मां बनने जैसी कष्टप्रद व पीड़ादायक स्थिति को झेलते हुए महज चन्द पैसे के लिए किसी दूसरे के बच्चे को पैदा करने के लिए राजी हो जाती है तो उस महिला की मजबूरी की पराकाष्ठा को समझा जा सकता है। भारत में सरोगेसी उद्योग के फलने-फूलने का कारण गरीब महिलाओं की आसानी से उपलब्धता है। इससे हम महिला के दासत्व का भी अंदाज लगा सकते हैं। महिला की दमित स्थिति जो उसे सरोगेसी के धंधे में धकेलती है, एक प्रकार का न केवल सामाजिक कलंक है अपितु महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों के खोखलेपन को भी उजागर करती है। वस्तुतः जिस सामंती-पूंजीवादी तंत्र में हम रहते हैं उसमें हर चीज कमोडिटी है। महिला की कोख भी एक कमोडिटी है। बच्चा पैदा करने वाली एक उपयोगी मशीन। जिसके चलते तस्करी में लगे अपराधी वंचित-लाचार महिलाओं की कोख में भी बाजार तलाश रहे हैं और उनका यौन शोषण कर रहे हैं।

सरकार महिलाओं की उन आर्थिक मजबूरियों को जो उन्हें इस नारकीय धंधे में धकेलती है, को खत्म करने की जिम्मेदारी लेने के बजाय विधेयक द्वारा इस अमानवीय कृत्य का नियमनभर कर रही है। इस सम्बन्ध में हाल ही में सरोगेसी के बढ़ते व्यवसायीकरण पर पाबंदी लगाने की मनसा जाहिर करते हुए कैबिनेट में सरोगेसी बिल को मंजूरी दी है। किन्तु विधेयक की मूल भावना इसे रोकने की कम, विद्यमान पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचे को बचाने की कवायद अधिक है। अपनी सत्तात्मक संरचना में यह प्रतिक्रियावादी व महिला विरोधी है। इस सामाजिक अपराध में मानवीय संवेदनाओं से जुड़े अनेक ऐसे भावात्मक पहलुओं की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है जो अदृश्य हैं किन्तु जीवन को गहन रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि विधेयक ऊपरी तौर पर काफी आशाएं जगाता है। मसलन, इसके मुख्य प्रावधानों में न केवल अक्षम दंपति ही सरोगेसी करवा सकेंगे बल्कि केवल भारतीय दंपतियों के लिए ही सरोगेसी की अनुमति है। इस बिल में अविवाहित महिला

पुरुष, सिंगल पैरेंट, समलैंगिक माता-पिता, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों या शौकिया सरोगेसी की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही कई ओर भी प्रावधान हैं जिनके तहत कौन महिला व कितनी बार सरोगेट बन सकती है, कौन क्लीनिक सरोगेसी करवा सकेगी, बच्चा चाहने वाले दम्पति की उम्र क्या होगी, सरोगेसी कौन करवा सकेंगे, इत्यादि।

बिल की भावना साफ दिखती है कि सरकार की नजर में सरोगेसी अपने आप में गलत व अनैतिक नहीं है इसलिए बिल के पूरे प्रावधान इसके दुरुपयोग को रोकने पर केन्द्रित हैं। मतलब साफ है यदि इसे मर्यादित ढंग से चलाया जाये तो सरकार की नजर में अनुचित नहीं है और मानव भ्रूण के इस कारोबार पर जिस तरह की बहस चलाई जा रही है वह सरोगेसी पर न होकर केवल व्यवसायिक सरोगेसी की रोक पर है। ये औपचारिक प्रयास एक तरह से रोग को मिटाने की बजाय उसके लक्षण से लड़ने जैसे हैं जिसमें मूल प्रश्न व समस्याओं को या तो बहस से बाहर कर दिया जाता है या फिर बहस को भटकाकर उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है। मूलप्रश्न है सरोगेसी क्यों चाहिए? यदि संतान सुख लेना ही इसका उद्देश्य होता तो हमारा सामाजिक तंत्र इसके दूसरे अवसर देता है। बच्चे को गोद लिया जा सकता है अथवा किसी अनाथ बच्चे को अपनाया जा सकता है। किन्तु सरोगेसी से बच्चा करने की प्राथमिकता दिखाती है कि यह महज संतान सुख का मुद्दा नहीं है। वस्तुतः यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पोषक व वाहक दोनों है जिसमें 'रक्त की शुद्धता' प्रधान रहती है जिसके मूल में 'मैं, मेरा और मेरे बाद कौन' के उत्तराधिकार का सामाजिक मनोविज्ञान प्रमुख रहता है जिसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। 'निजी संपत्ति एवं सत्ता' आधारित समाजों में 'एक पत्नी विवाह' प्रणाली 'मेरा खून', 'मेरा वारिस' की जरूरत का उत्पाद है। मौजूदा बिल में भी वैवाहिक दम्पति से इतर अन्य अविवाहित महिला पुरुष, सिंगल पैरेंट, होमोसेक्सुअल और लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों को सरोगेसी से वंचित कर देना भी पितृसत्तात्मक तंत्र को मजबूती प्रदान करना है। विवाह के ये स्वरूप परम्परागत पितृसत्तात्मक मातृत्व एवं वैवाहिक प्रणाली को चुनौती देते हैं। प्रस्ताव है कि विवाहित दम्पति के अलावा सरोगेसी जुर्म होगा जिसमें दोषी को 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल की पूरी भावना जैविकीय पैतृत्व पर जोर देती है। यह बिल 2008 के 'सहायक पुनरुत्पादन तकनीकी' (ART) बिल का ही नया रूप है जिसमें सरोगेट मदर व बच्चे के अधिकारों और सुरक्षा के सवाल की अनदेखी की गई और इस उद्योग में लगे लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। यह हास्यास्पद है कि इस बिल में भी इस अमानवीय अपराध में लिप्त न दलालों, न कमीशनखोरों, न डाक्टरों, न क्लीनिक व

स्पर्म बैंक चलने वालों के लिए कोई सजा है। सरोगेट बनने को मजबूर महिला के कोई अधिकार नहीं हैं। उसकी व उसके परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, न ही कोई बीमा का प्रावधान है। उल्टा पाबंद करते हैं कि सरोगेट सरोगेसी के दौरान अपने पति से न मिले। गर्भ के दौरान सरोगेट किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो, उसकी जान संकट में आ जाये, उसका गर्भपात हो जाये, डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाये जैसे अनेकानेक मुद्दे हैं जिन पर स्पष्ट नीति व कानून की सख्त जरूरत है। राज्य सरोगेट मदर को न्यायोचित समझौता करने में कोई कानूनी हैं। सहायता नहीं करता है, यहां तक कि यदि उसे किये गये समझौते के अनुसार पैसा नहीं मिलता है तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक होगा की नहीं, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व व्यवहारिक नीति सामने नहीं आयी है।

इस व्यवसाय में मोटी रकम वसूलने वाले डॉक्टर, दलाल, वलीनिक मालिक दम्पति से लिये जाने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा आपस में बांट लेते हैं और सरोगेट को बहुत ही कम पैसा हाथ लगता है, जिस पर लगाम कसने सम्बन्धी सरकार की कोई ठोस कदम उठाने की इच्छा दिखाई नहीं देती है। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर बन जाती है जब कुछ नारीवादी अथवा इस खरीद-फरोख्त से लाभलेने वाले इस बहस को महिला के सामाजिक उत्पीड़न, श्रम के शोषण, घरेलू काम-काज में हिंसा, वेश्यावृत्ति के कारोबार का हवाला देकर इसकी परोपकारी व्याख्या कर सही ठहराते हैं। तकनीकी विकास का यह दुरुपयोग दिखाता है कि यदि व्यवस्था मानव विरोधी है तो तकनीकी विकास भी हाशिये के जनगण के लिए वरदान नहीं अभिशाप बन कर आता है। सरोगेसी की धारणा अपने आप में न केवल अप्राकृतिक व मानवाधिकार विरोधी है बल्कि महिला व बच्चे के शोषण पर टिकी हुई है। नवजात शिशु अपंग है, किसी लाइलाज रोग का शिकार है, मनचाहा रंग नहीं है, सरोगेसी के दौरान दम्पति में तलाक हो गया और बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है या गर्भावधि के दौरान दम्पति पत्नी मां बनने जा रही है, संभावित माता-पिता का मानस बदल गया है, इत्यादि स्थितियों में बच्चे की दुर्दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके नागरिक अधिकार निर्मम तरीके से कुचल जाते हैं। ऐसे में सरोगेट महिला की कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं।

जब हम इसके नैतिक पहलुओं की बात करते हैं तो नैतिकता की इस बुनियादी शर्त को नजरअंदाज कर देते हैं कि नैतिकता के मूल में व्यक्ति की चयन की आजादी और इच्छा-स्वातंत्र्य अंतर्निहित रहती हैं। इस दृष्टि से सरोगेसी किसी भी रूप में नैतिक नहीं है क्योंकि जो भी महिला सरोगेट बनने की सहमति देती है वह गरीब, शोषित व निम्न तबके की महिला है जिसकी मजबूरी व बाध्यता ही 'सहमति' का आवरण ओढ़कर आती है। संपन्न और अभिशप्त के बीच समझौते में कौन खोता है और कौन पाता है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या शिशु जन्मने में होने वाली कठिनाइयों को महज पचास हजार-लाख रुपए देकर मोल अदा किया जा सकता है? पूरी प्रक्रिया में मां व बच्चा कहीं प्राथमिकता में नहीं हैं। सरोगेसी में पुरुष को कहीं कुछ भी झेलना अथवा जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। सरोगेसी जिस पूंजीवादी व्यवस्था का और स-पुत्र है वह मनुष्य से पहले मुनाफा, समाज से पहले बाजार, आवश्यकता से पहले लाभ के मूलमंत्र पर घूमती है। जहां व्यक्ति की मान-मर्यादा, पद-प्रतिष्ठा, सब कुछ पैसे से तय होता है, वहां नैतिकता की बात करना एक तरह का मखौल है। पैसा ही नैतिक है, मूल्य है जिसका आसान शिकार महिला होती है।

सरोगेसी का एक रुचिकर पहलू यह भी है कि निःसंतान दम्पति में

यदि महिला का अण्डाणु अनुर्वर है तो उसे अन्य महिला से लेने में कोई परेशानी नहीं है। यह अन्य महिला स्वयं सरोगेट हो सकती है या) दानदाता भी हो सकती है। इस स्थिति में क्योंकि शुक्राणु दम्पति पुरुष के ही होते हैं इसलिए कोई आपत्ति नहीं होती है। किन्तु यदि पुरुष के शुक्राणु अनुर्वर हैं तो मामला पेचीदा बन जाता है। अन्य पुरुष के शुक्राणु से पैदा हुआ बच्चा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रक्त की शुद्धता दांव पर है। दम्पति पत्नी की यदि सरोगेसी की प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं है तो उसका बच्चे के साथ सहज भावात्मक लगाव भी नहीं हो पाता है जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के विकास व व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। इस वैकल्पिक मातृत्व के व्यवसाय में महिला चाहे दम्पति के रूप में हो या सरोगेट के रूप में, कीमत वही चुकाती है। पुरुष, तंत्र व लाभांशित होने वाली जमात किसी भी स्तर पर कुछ नहीं खोती है। महिला अपने स्वास्थ्य से लेकर सम्मान तक सब कुछ खो देने की कीमत चुकाती है। सरोगेसी के दौरान वह जिस मनोविज्ञान व भावनाओं से गुजरती है वहां मातृत्व का सुख भी बेचा जा रहा है। सरोगेट जब पुनः अपने पारिवारिक-सामाजिक जीवन में लौटती है तो वह जिस अपमान, हेय दृष्टि व बेइज्जती को झेलने के लिए अभिशप्त है उसकी क्षतिपूर्ति क्या देकर की जा सकती है?

यदि सरकार चाहती तो इस प्रकृति विरोधी शोषणकारी कृत्य पर पूरी तरह से अकुंश लगा सकती थी किन्तु ऐसा तभी होता जब वह महिला को इस पुनरुत्पादन के उद्योग के दलदल से निकालने की गंभीर इच्छा-शक्ति रखती हो। भाजपा सरकार जिस मनुवादी आदर्शों की बुनियाद पर खड़े विषमता पीड़ित सामाजिक तंत्र और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को ईश्वरीय न्याय बताती है उसमें महिला सरोगेट तो बन सकती है किन्तु इंसानी जीवन जीने का सामाजिक परिवेश उसके जीवन का यथार्थ नहीं बन सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016, 2019 एवं 2021
2. भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत सरोगेसी बिल, जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक और केवल परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति का प्रावधान है।
3. सहायक प्रजनन तकनीक (ART) विधेयक, 2008 व 2021
4. शुलामिथ फायरस्टोन, सिल्विया फेडेरिची और भारतीय नारीवादी चिंतकों (उदा. वंदना शिवा, कमला भसीन) के लेखन, जिनमें महिला-शरीर के शोषण व पूंजीवादी उपयोग पर विमर्श मिलता है।
5. फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक "The Origin of the Family, Private Property and the State" (परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति) कृ जिसमें 'रक्त की शुद्धता' और उत्तराधिकार आधारित पितृसत्ता की ऐतिहासिक जड़ें बताई गई हैं।
6. Planning Commission Report (2012) - भारत में सरोगेसी उद्योग और गरीब महिलाओं की भागीदारी पर आंकड़े।
7. मीडिया रिपोर्ट्स : The Hindu, Indian Express, Down to Earth, Economic & Political Weekly (EPW) में सरोगेसी पर नियमित आलेख प्रकाशित हुए हैं।
8. Baby Manji Yamada v. Union of India (2008) - सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, जिसने भारत में सरोगेसी पर बहस को जन्म दिया।
9. Jan Balaz v. Anand Municipality (2009) - गुजरात हाईकोर्ट का केस, जिसमें सरोगेसी से पैदा बच्चे की नागरिकता पर प्रश्न उठा।

जीएसटी सुधार, आम परिवारों के लिये बचत बढ़ाने और समृद्धि देने वाला उपहार

डॉ. रणजीत सिंह रावत*

* व्याख्याता, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – देश में नये जनरेशन के जीएसटी रिफार्म के माध्यम से जो सुधार किया वह आम आदमी, एमएसएमई (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम) किसानों मध्यम वर्ग महिलाओं और युवाओं के जीवन को स्वावलंबी बनायेगा। यह आम आदमी के जीवन को सुविधा देने वाला उपहार है। जीएसटी स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। इसने देश को कई करों जटिल जाल से मुक्ति दिलाई। अब, जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, जीएसटी सुधार का यह नया चरण जिसे मीडिया में कुछ लोग, जीएसटी 2.0 कह रहे हैं, वास्तव में नई जीएसटी दरें देश के समर्थन और विकास की दोहरी खुराक हैं। यह सुधार आम परिवारों के लिये बचत बढ़ाने और आर्थिक गति को मजबूत करने के दोहरे लाभ प्रदान करता है। अब मुख्य रूप से जीएसटी की दो श्रेणियाँ हैं, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। ये नई दरें 22 सितम्बर 2025 से लागू होगी। करोड़ों परिवार के लिये जरूरी चिजें और भी सस्ती हो जाएंगी। इस साल धनतेरस और भी जीवन्त होगा क्योंकि दर्जनों वस्तुओं पर कर में काफी कमी की गई।

नवीनतम जीएसटी सुधार भारत के आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है इन सुधारों ने देश की फलती-फुलती अर्थव्यवस्था में पांच प्रमुख रत्न जोड़े हैं।

पहला, कर प्रणाली काफी सरल हो गई है। **दूसरा** भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। **तीसरा**, उपभोग और आर्थिक विकास को नया बल मिलेगा। **चौथा**, कारोबार करने में आसानी होगी, जिससे अधिक निवेश और रोजगार सृजन होगा। **पांचवा**, सहकारी संघवाद की भावना केन्द्र और राज्यों के बीच साझेदारी सुदृढ़ होगी जो एक विकसित भारत के लिये अत्यन्त आवश्यक है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती से अगले वर्ष मंहगाई कम करने में मदद मिलेगी और देश विकास संभावनाओं में और तेजी आयेगी।

2017 में केन्द्र सरकार ने जीएसटी लागू किया लेकिन उससे 10 वर्ष पहले से जीएसटी लागू करने की बात हो रही थी। हालांकि सरकार परिवर्तन के कारण जीएसटी नहीं आ सका। ताजा सुधारों से जीएसटी कलेक्शन में 8 से 9 प्रतिशत का असर पड़ने की आशंका है लेकिन खरीदारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन में होने वाली इस रिकार्ड ब्रिकी से सरकार की योजना कामयाब होती दिख रही है। अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ने से मैन्यूफैक्चरिंग एवं उद्योग कारोबार में

बढ़ोत्तरी होगी।

समीक्षा

1. मेक इन इण्डिया – मेक इन इण्डिया अर्थात 'भारत में बनाओं' को बढ़ावा देना है तो कारखाना उद्योग लगाना पड़ेगे लेकिन मशीनों पर तो जीएसटी 18 प्रतिशत है, इसे कम किये जाने की जरूरत है।

2. दवा और निर्माण क्षेत्र – दवा उद्योग और निर्माण क्षेत्र भी जीएसटी से चिंतित है दवा पर जीएसटी कम कर दिया, लेकिन फार्मूलेशन यानी कच्चे माल पर टैक्स 18 प्रतिशत है, ऐसे में लाभ कैसे मिलेगा।

3. ऑटोमोबाईल – स्वचलित वाहनों में पर जीएसटी की कमी हुई। इसका लाभ भी ग्राहकों को दिया जा रहा है। इस सबके बीच बड़ा सवाल है कि डिलर्स के सेंस 4.5 हजार करोड़ रूपयें सरकार के पास अटके हैं, ये सेंस कैसे रिकवर होगा।

4. होटल उद्योग – पहले होटल के कमरे के किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था। अब साढ़े सात हजार तक के टेरिफ पर टैक्स पर 5 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन दुसरे हाथ से होटलों को मिलने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को छिन लिया गया है। यदि आईटीसी नहीं दी गई है तो आम उपभोक्ता को घटे टैक्स का लाभ मिलने में संशय रहेगा।

5. नोटबुक/किताब – नोटबुक पर जीएसटी शून्य कर दिया गया, पर उसी कागज का अन्य उपयोग हो तो 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। एक ही कागज को बेचने पर अलग-अलग कैसे रखे? शून्य प्रतिशत बिल बनेगा तो आईटीसी रिवर्स करना होगा इसे तो कागज के आयातकों को लाभ और देश के उद्योगों को नुकसान है। कागज पर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, ऐसे में किताबें और मंहगी होगी।

6. सुधार और स्पष्टीकरण – जीएसटी में सुधार और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यदि जीएसटी 2.0 आया है तो जीएसटी 3.0 भी आ सकता है।

7. इलेक्ट्रॉनिक व फैशन उत्पाद – जीएसटी के ताजा बदलाव और दरों में कटौती का असर त्योहारी सीजन में होने वाली ब्रिकी पर साफ-साफ दिख रहा है। नवरात्र उत्सव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एफएमसीजी व फैशन जैसे उत्पादों की ब्रिकी में पिछले साल त्योहारी सीजन के मुकाबले 23-25 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी दिख रही है।

8. दवाईयां हुई सस्ती, सेहत हुई अच्छी – 36 जीवन रक्षक दवाईयों

पर शून्य प्रतिशत जीएसटी तथा अन्य ढवाइयों के ढाम भी हुये कम, अब लोगो का ढवाइयों का खर्चा हुआ कम, बचत भी बढेगी।

9. स्कैप मेटल उद्योग का कच्चा माल है। स्कैप पर जीएसटी कर ढिया जाएगा तो चोरी रूकेगी और 13 प्रतिशत तक राजस्व बढ जाएगा।

निष्कर्ष - 22 सितम्बर 2025 से लागू हुई जीएसटी व्यवस्था ने पिछली चार स्तरीय कर संरचना को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की ढो प्रमुख स्लेब में बढल ढिया था। इस बढलाव का उद्देश्य कर का बोझ कम करना और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है, अक्टुम्बर से ब्रिकी और बढेगी इसके पिछे वजह यह है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागों के हाथ में खासतौर पर

किसानों के पास फसल की कमाई आनी शुरू नहीं हुई है। अमूमन यह अक्टुम्बर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाती है। इस बार मानसून बहुत अच्छा रहा है और पिछले बजट में आयकर में छुट ढी गई है। जीएसटी सुधार से खपत बढने से रोजगार में बढोत्तरी होगी। आर्थिक सुधारों को नया बल मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 15/09/2025 से 21/09/2025 रोजगार और निर्माण जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. www.naidunia.com

श्रीमद्भगवद्गीता में योग

इन्दु पटेल* प्रो. वेदप्रकाश मिश्र**

* शोध छात्रा (संस्कृत एवं प्राच्य भाषा विभाग) डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** शोध निर्देशक (संस्कृत एवं प्राच्य भाषा विभाग) डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश - गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहेः।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भिनिःसृता॥¹

वाराहपुराण में कहा गया है कि 'मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ।' श्रीमद्भगवद्गीता की गणना प्रस्थानत्रय (उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता) में की जाती है। इसमें अर्जुनविषादयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, ज्ञानकर्मसन्न्यासयोग, कर्मसन्न्यासयोग, आत्मसंयमयोग, ज्ञानविज्ञानयोग, अक्षरब्रह्मयोग, राजविद्याराजगुह्ययोग, विभूतियोग, विश्वरूपदर्शनयोग, भक्तियोग, क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग, गुणत्रयविभागयोग, पुरुषोत्तमयोग, दैवासुरसम्पत्तिभागयोग, श्रद्धात्रयविभागयोग और मोक्षसन्न्यासयोग नामक अठारह अध्याय हैं। ज्ञानयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग बुद्धियोग आदि का जगह-जगह प्रयोग होने के बावजूद सांख्य और कर्म निष्ठा का विभिन्न स्थलों पर इसका क्या वास्तविक अर्थ है। इसका विवरण प्रस्तुत आलेख में दिया गया है।

शब्द कुंजी- ज्ञानयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग बुद्धियोग।

प्रस्तावना - धातुपाठ में (1) युज् समाधी दिवादिगण आत्मनेपद समाधिश्चित्तवृत्तिनिरोधः (2) युजिर् योगे रुधादिगण (3) युज् संयमने चुरादिगण उभयपद प्राप्त होते हैं।

युज् धातु में घञ प्रत्यय एवं कुत्व से योग शब्द निष्पन्न होता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया कि-

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥²

ध्यानयोग के परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि ध्यानयोग के अभ्यास का नाम योगसेवा है। उस ध्यानयोग का अभ्यास करते करते जब चित्त एकमात्र परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है तब वह निरुद्ध कहलाता है। जिस समय योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में सब प्रकार निरुद्ध हो जाता है उसी समय उसका चित्त संसार से सर्वथा उपरत हो जाता है। यद्यपि लोकदृष्टि में उसका चित्त समाधि के समय संसार से उपरत और व्यवहारकाल में संसार का चिंतन करता हुआ सा प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में उसका संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता यही उसके जाना है।

तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिष्कचेतसा॥³

न च मत्स्थानि भूतापि पश्य मे योगमैश्वरम्।

भूतभृन्न च भूतस्थे ममात्मा भूतभावनः॥⁴

यहाँ युज् संयमने अर्थ लिया गया है क्योंकि सबके उत्पादक और सबमें व्याप्त रहते हुए तथा सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती उसी को यहाँ ऐश्वर्य योगम् इन पदों द्वारा

प्रतिपादन किया गया है। इसी को श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव (सब कुछ परमात्मा ही है) ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे तब तक इस प्रकार मन और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी उपासना करता रहे।

युजिर् योगे अर्थ में

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥⁵

इसकी व्याख्या करते हुए श्रीशंकराचार्य कहते हैं कि हे धनंजय! योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिये कर्म कर। उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाय - इस कामना को छोड़कर कर्म कर। फलतृष्णारहित पुरुष के द्वारा कर्म किये जाने पर अन्तःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होनेवाली ज्ञानप्राप्ति तो सिद्धि है और उससे श्रेयप्राप्ति का न होना असिद्धि है ऐसी सिद्धि- असिद्धि में सम होकर कर्म कर। इसी को समता योग कहा गया है।

आगे फिर कहा गया है कि बुद्धियोग की अपेक्षा सकामकर्म अत्यन्त निकृष्ट हैं तथा कर्मों में योग ही कुशलता है।⁶ कर्मयोग में कर्म करणसापेक्ष है पर योग करण निरपेक्ष है। अतः कर्मयोग करणनिरपेक्ष विवेकप्रधान साधन है। गीता में कर्मयोग के लिये तीन शब्द मिलते हैं- बुद्धि, योग और बुद्धियोग। कर्मयोग में व्यवसायात्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है तथा विवेकपूर्ण त्याग की प्रधानता होने से इसे योग या बुद्धियोग कहा गया है। ध्यानयोग के विषय में कहा गया कि जिसमें दुर्खों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग कहते हैं। योग में मन की और कर्मयोग में विवेक की प्रधानता होती है। योग की प्राप्ति कैसे होती है? इसके लिये बताया गया कि-

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥⁷

अर्जुन जब श्रीकृष्ण से सांख्ययोग और कर्मयोग इन दोनों में श्रेष्ठता विषयक प्रश्न करते हैं तो श्रीकृष्ण कहते हैं दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है लेकिन पाँचवें अध्याय में फिर कहते हैं कि-

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥⁸

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥⁹

बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥¹⁰

गीता में जहाँ कहीं योग शब्द प्रयुक्त है उपर्युक्त तीनों में एक अर्थ की मुख्यता और शेष दो अर्थों की गौणता है। युजिर् योगे वाले योग शब्द में समता (संबंध) की मुख्यता है पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य स्वयमेव आ जाती है। युज् समाधी वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। युज् संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है।

पातंजल योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को 'योग' कहा गया है और उस योग का परिणाम है द्रष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाना। इस प्रकार पातंजलयोगदर्शन में योग का जो फल बताया गया है। उसी को गीता में योग कहा गया है। गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक स्वतःसिद्ध सम-स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति (नित्ययोग) होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता (नित्ययोग) का अनुभव कराने के लिये गीता में तीन योगमार्गों का वर्णन मिलता है। कर्मयोग-, ज्ञानयोग और भक्तियोग। कर्मयोग में रति कर्तव्य में होती है कर्मयोग की यह रति अन्त में आत्मरति में परिणत हो जाती है। -

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।

स्वकर्मनिरतः सिद्धं यथा विन्दति तच्छृणु॥¹¹

ज्ञानयोग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं-

योऽन्तःसुखोऽन्तरास्तथान्तर्ज्योतिरेव यः।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥¹²

भक्तियोग में उसी को भगवद्भक्ति कहते हैं-

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्।

कथयन्तश्च मां नित्यं तु श्रयन्ति च रमन्ति च॥¹³

जिस कर्मयोग में भक्ति के संस्कार हैं उसकी यह रति भगवद्भक्ति में परिणत हो जाती है। कर्मयोग की यह रति अन्त में आत्मरति में परिणत हो जाती है।

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥¹⁴

इसी को श्रीमद्भागवत में कहा गया कि-

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्याऽस्तिकुत्रचित्॥¹⁵

स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन

तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें तो यह कर्मयोग है। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाय तो यह ज्ञानयोग है और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाय तो यह भक्तियोग है। श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में सांख्य की दृष्टि में अर्जुन को युद्ध के लिये प्रोत्साहित करके सकाम कर्मों की हीनता और निष्काम कर्मों की श्रेष्ठता बतलाकर स्थिरबुद्धि के लक्षण साधन और फल के पश्चात् तीसरे अध्याय में सांख्य और कर्मयोग-दो निष्ठाओं का वर्णन है-

लोकेऽस्मिन्निद्धा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥¹⁶

इसे ही श्रीमद्भगवद्गीता 7/5 में प्रकृति के परा- अपरा, पन्द्रहवें अध्याय 15/ 16 में क्षर और अक्षर कहा गया है। सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग बतलाये गये हैं लेकिन श्रीमद्भगवद्गीता में दो निष्ठाएँ क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना (भक्ति) का प्रकरण है वह भक्ति इन्हीं दो निष्ठाओं में अन्तर्भूत हो जाती है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर भक्ति की जाती है तब वह सांख्यनिष्ठाके अन्तर्गत आ जाती है और भेददृष्टि से की जाती है तब वह योगनिष्ठाके अन्तर्गत मानी जाती है। यद्यपि तेरहवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक में ध्यानयोग, सांख्ययोग, और कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलायी गयी है-

ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥¹⁷

तथापि जो ध्यान अभेददृष्टि से किया जाता है वह सांख्यनिष्ठा के अन्तर्गत है और जो भेददृष्टि से किया जाता है योगनिष्ठा के अन्तर्गत है।

श्रीमद्भगवद्गीता में योग की दो परिभाषाएँ दी हैं-(1) समत्वं योग उच्यते 2/48 (2) तं विद्यादुखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् 6/23 समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाती है पहले तं विद्यादुखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् फिर समत्वं योग उच्यते की स्थिति होती है। छठे अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन को 'योगी बनने का परामर्श देते हैं। क्योंकि सकामभाववाले तपस्वियों ज्ञानियों और कर्मियों से योगी श्रेष्ठ होता है।¹⁸

बारहवें अध्याय में कहा गया है कि-

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥¹⁹

उपसंहार- इसतरह सांख्ययोग और कर्मयोग में ही सभी योग सन्निविष्ट हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाभारत भीष्मपर्व 43/1
2. श्रीमद्भगवद्गीता 6/20
3. पातंजलयोगदर्शन 6/23
4. श्रीमद्भगवद्गीता 9/4
5. श्रीमद्भगवद्गीता 2/48
6. श्रीमद्भगवद्गीता 2/50
7. श्रीमद्भगवद्गीता 2/53
8. श्रीमद्भगवद्गीता 5/5
9. श्रीमद्भगवद्गीता 2/53

10. श्रीमद्भगवद्गीता 2/50	15. श्रीमद्भगवद् 11/ 20/ 6
11. श्रीमद्भगवद्गीता 18/45	16. श्रीमद्भगवद्गीता 3/3
12. श्रीमद्भगवद्गीता 5/24	17. श्रीमद्भगवद्गीता 13/24
13. श्रीमद्भगवद्गीता 13/9	18. श्रीमद्भगवद्गीता 6/42
14. श्रीमद्भगवद्गीता 6/17	19. श्रीमद्भगवद्गीता 12/12

Integrating Traditional Wisdom and Modern Strategies for Flood Disaster Management: An Indian Knowledge System Perspective

Koshlendra Singh*

*Ph.D. Scholar (Geography) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract: Flood disasters are among the most frequent and devastating natural calamities in India. Traditional flood management practices rooted in India's indigenous knowledge systems (IKS) have provided sustainable solutions for centuries, reflecting harmony between human settlements and nature. This paper aims to integrate traditional wisdom with modern strategies for effective flood disaster management. Drawing examples from across India—including the embankment systems of Bihar, tank irrigation in Tamil Nadu, and the floodplain management of Assam—this paper highlights the necessity of blending local knowledge with scientific innovation for resilient communities. The study employs a qualitative methodology involving literature reviews, case studies, and spatial analysis through GIS data interpretation. Results indicate that traditional approaches can significantly complement modern techniques when systematically institutionalized within India's disaster management framework.

Keywords: Flood Disaster, Traditional Knowledge, Indian Knowledge System, Flood Management, Resilience, GIS, Disaster Mitigation.

Introduction - Floods are among the most frequent and destructive natural disasters globally, and India, due to its diverse climatic and physiographic conditions, faces recurrent flood situations across different river basins. The country's dependence on monsoon rainfall, coupled with increasing anthropogenic interventions, such as deforestation, unplanned urbanization, and encroachment of floodplains, exacerbates flood vulnerability. In recent years, the frequency and intensity of floods have intensified due to climate change, causing not only economic losses but also large-scale displacement and environmental degradation.

Historically, Indian civilization developed around rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, and Chambal. Ancient communities had developed a deep understanding of river behavior, water flow, and seasonal variations. This understanding evolved into indigenous practices for flood management and water conservation, including the construction of tanks, ponds, stepwells, embankments, and sacred groves. Such systems were not merely engineering feats but were deeply embedded in the cultural and ecological ethos of society.

However, with the advent of modern engineering-based flood control measures—like large dams, levees, and canal systems—traditional practices gradually lost prominence. Despite technological advancements, floods continue to

cause severe damage, suggesting the need to revisit and integrate traditional wisdom with modern science. This integration aligns with the objectives of the Indian Knowledge System (IKS), which emphasizes sustainability, harmony with nature, and community participation in managing natural resources.

Objectives of the Study:

1. To identify traditional flood management practices in India.
2. To analyze their relevance and applicability in modern flood management systems.
3. To integrate traditional wisdom with modern technologies for sustainable flood disaster mitigation.
4. To suggest a framework for flood management based on the Indian Knowledge System perspective.

Research Methodology: The study follows a qualitative and descriptive research design. The methodology includes:

1. Secondary data analysis from government reports, journals, and books related to flood management.
2. Case study approach focusing on flood-prone areas such as Bihar, Assam, Rajasthan.
3. Comparative analysis between traditional and modern flood management approaches.
4. Synthesis of field-based experiences and indigenous practices documented through previous research.

Review of Literature

Several scholars have emphasized the value of indigenous knowledge in disaster management. Gupta and Deshpande (2019) explored traditional flood control methods in Eastern India, while Singh (2021) highlighted the role of tank irrigation in South India as a sustainable water management system. Reports from the National Disaster Management Authority (NDMA, 2020) suggest integrating community-based knowledge into state flood control policies. These studies underline that indigenous practices—though localized—are adaptable to modern frameworks when supported by scientific validation and participatory governance.

Discussion and Analysis

Traditional Flood Management Practices in India: India has a rich legacy of traditional flood management systems, varying across regions. In Assam, the Mishing tribes construct raised bamboo houses called 'Chang Ghar' to avoid flood damage. In Bihar, earthen embankments ('Aahar-Pyne' systems) were historically used for both irrigation and flood control. In Tamil Nadu, ancient tanks (Eri system) managed floodwater and groundwater recharge. Similarly, Rajasthan's Johads and Bunds helped store rainwater, reducing flash floods. These community-based, eco-friendly systems were not merely engineering feats but socio-cultural institutions embedded within local governance.

Modern Flood Management Strategies: Modern flood management in India is largely technology-driven, focusing on early warning systems, river embankments, floodplain zoning, and GIS-based mapping. The Central Water Commission (CWC) monitors flood forecasting through telemetry networks. The NDMA and IMD collaborate for real-time alerts. Structural measures such as dams, reservoirs, and embankments are complemented by non-structural approaches like land-use regulation, watershed management, and community awareness programs.

Case studies

1. Johads in Rajasthan: Johads are traditional earthen check dams found in the Alwar and Jaipur districts of Rajasthan. These small, crescent-shaped water harvesting structures collect rainwater and recharge groundwater, reducing the risk of floods and droughts. Revival efforts led by communities, such as those initiated by the Tarun Bharat Sangh, have demonstrated the long-term sustainability of these systems. Their integration into modern watershed management programs presents a replicable model for flood mitigation in semi-arid regions.

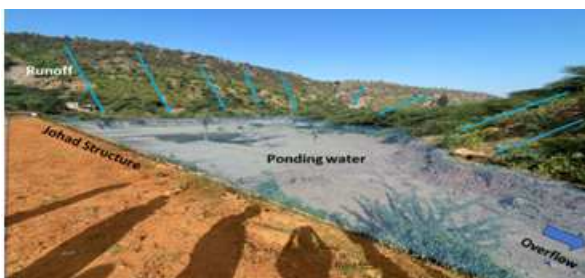


Fig.1- Johads structure of Rajasthan

2. Ahar Pyne system of Bihar: The Ahar Pyne system of Bihar is a traditional, nature-based water management and irrigation system developed in South Bihar, particularly prevalent in the Gaya district. It dates back around 5,000 years to the Magadh dynasty. This system acts as a diversion-cum-storage network where water is drawn from rivers during monsoon floods and stored in Ahars. Pynes form a network of interlinked channels distributing this stored water to agricultural fields, mainly used for irrigation of paddy and other crops in both kharif and rabi seasons. The system helps in flood control by channeling excess water, supports groundwater recharge, sustains soils with nutrient-rich water, and maintains irrigation even during dry periods.

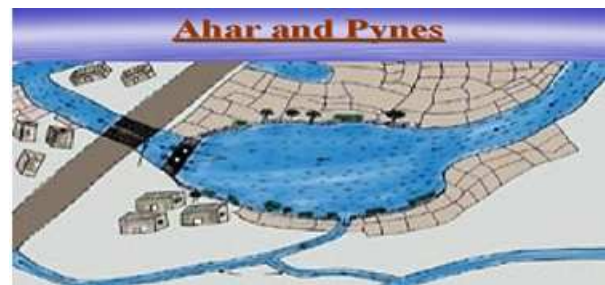


Fig.2- Ahar Pyne system of Bihar

3. Chang Ghar houses of Assam: Chang Ghar houses are traditional stilt houses built by the Mishing people in Assam, Northeast India, especially along the Brahmaputra River. These houses are elevated on bamboo stilts to protect against flooding, a frequent problem in the region due to monsoons and river overflow. The height of the stilts is determined by the highest recorded flood levels. Chang Ghars have porous walls made from grass mats and are designed to allow floodwaters to flow underneath, keeping the living area dry.



Fig.3-Chang Ghar house of Assam

Integrating Traditional and Modern Approaches: Integration of traditional knowledge with modern strategies offers a hybrid model of resilience. For instance, floodplain zoning can be enhanced using indigenous knowledge of water flow patterns. GIS and Remote Sensing can digitize ancient water systems for conservation and management. Community participation—an essential part of traditional systems—should be institutionalized in modern planning.

Table 1: Comparison of Traditional and Modern Flood Management Systems

Aspect	Traditional Approach	Modern Approach
Knowledge Base	Community & Indigenous Knowledge	Scientific & Technological Knowledge
Management Scale	Local and Regional	National and Global
Focus	Adaptation and Coexistence	Control and Prevention
Sustainability	High due to ecological harmony	Variable due to infrastructure dependence
Participation	Community-centered	Government-centered

Conclusion and Suggestions: The integration of traditional and modern flood management systems offers a path toward sustainable and resilient communities in India. The Indian Knowledge System offers valuable insights into sustainable water and flood management, emphasizing harmony with nature. Indigenous systems emphasize coexistence with natural water regimes, while modern systems rely on technology and infrastructure. A balanced

approach that values both is essential. The government should promote documentation of indigenous flood control methods, strengthen community institutions, and develop hybrid frameworks combining GIS-based analysis with local ecological knowledge.

References:-

1. Gupta, R. & Deshpande, S. (2019). Indigenous Water Management Practices in Eastern India. *Journal of Environmental Studies*.
2. Singh, P. (2021). Tank Irrigation and Flood Mitigation in South India. *Indian Geographical Review*.
3. National Disaster Management Authority (NDMA). (2020). *Guidelines on Flood Management*. Government of India.
4. Central Water Commission (CWC). (2021). *Flood Forecasting Network of India*. Ministry of Jal Shakti.
5. UNESCO. (2018). *Traditional Knowledge for Water Resource Management in Asia*.
6. Tarun Bharat Sangh. (2019). *Community Water Management through Johads: A Case from Rajasthan*.
7. Pant, N. (2004). *Institutional Analysis of Ahars and Pynes in South Bihar*.
8. "India's Chang Ghar traditional homes are resilient to floods." *DW*, 2025.

तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति : समाज का बदलता चेहरा

हेमन्त कुमार जैन*

*शोधार्थी, क 8 सेक्टर 5 हिरणमगरी उदयपार्क, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति में विवाह को हमेशा से सबसे पवित्र और स्थायी संबंध माना गया है। यह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं होता, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो परंपराओं का मिलन भी होता है (शर्मा, 2017)। विवाह का अर्थ जीवनभर साथ निभाने की प्रतिज्ञा है, लेकिन आज के समय में यह बंधन पहले जैसी मजबूती के साथ कायम नहीं रह पा रहा है। आधुनिक जीवनशैली, बदलते सामाजिक मूल्य और बढ़ती आत्मनिर्भरता ने विवाह संस्था को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है (मिश्रा, 2019)। यही कारण है कि तलाक की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं और समाज का चेहरा बदल रहा है।

बीते एक दशक में देश में तलाक के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB, 2023) और विभिन्न सामाजिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट बताती हैं कि महानगरों और शहरी क्षेत्रों में तलाक की दर खास तौर पर चिंताजनक स्तर तक पहुँच चुकी है। यद्यपि भारत की तलाक दर अभी भी पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन बढ़ती संख्या यह स्पष्ट करती है कि विवाह संस्था के प्रति लोगों की सोच और दृष्टिकोण बदल रहे हैं (सेनगुप्ता, 2022 Desai & Patel, 2021)।

सबसे बड़ा कारण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता है। शिक्षा और नौकरी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है (कौशल, 2020)। पहले जहाँ महिलाएँ सामाजिक दबाव और आर्थिक मजबूरी के कारण अपमानजनक या असमान रिश्ते सहने के लिए बाध्य रहती थीं, वहीं अब वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी हैं (अग्रवाल, 2019)। वे बराबरी और सम्मान चाहती हैं, और यदि उन्हें यह नहीं मिलता तो वे रिश्ते को समाप्त करने का साहस भी रखती हैं। यह बदलाव सकारात्मक भी है क्योंकि इससे महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि विवाह टूटने की घटनाएँ बढ़ रही हैं (Sharma & Mehta, 2021)।

दूसरा कारण है आधुनिक जीवनशैली और बढ़ती अपेक्षाएँ। आज की युवा पीढ़ी भावनात्मक, मानसिक और भौतिक हर दृष्टि से ऊँची उम्मीदें रखती है (Patel, 2020)। पति-पत्नी दोनों ही जीवन से अधिक सुविधा और अधिक सुख चाहते हैं। लेकिन जब अपेक्षाएँ पूरी नहीं होतीं, तो असंतोष और कलह जन्म लेने लगते हैं। छोटी-सी असहमति धीरे-धीरे गहरी खाई में बदल जाती है और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुँच जाता है (Singh, 2022 Sen, 2023)।

रिश्तों में संवाद की कमी भी तलाक का एक बड़ा कारण बन रही है।

पहले परिवारों में लोग खुलकर बात करते थे और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत से निकाल लेते थे। आज व्यस्त जीवनशैली, काम का दबाव और तकनीक पर निर्भरता ने संवाद को कमजोर कर दिया है। पति-पत्नी के बीच खुलकर बातचीत न होने के कारण गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं और सहनशीलता में भी कमी आती है।

सोशल मीडिया और डिजिटल युग ने भी रिश्तों को गहराई से प्रभावित किया है। वर्चुअल दुनिया ने लोगों को करीब लाने के बजाय दूर कर दिया है। ऑनलाइन रिश्ते सतही हो गए हैं, और अक्सर शक, अविश्वास और अफवाहें रिश्तों को तोड़ देती हैं। पति-पत्नी के बीच विश्वास की नींव जब कमजोर पड़ती है, तो रिश्ते ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते।

संयुक्त परिवारों का टूटना भी तलाक की प्रवृत्ति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। पहले बड़े-बुजुर्ग विवादों को सुलझाने और रिश्तों को बचाने में मध्यस्थता करते थे। उनका अनुभव और समझदारी रिश्तों को संभाल लेती थी। लेकिन अब एकल परिवारों में युवा दंपति अपने फैसले खुद लेते हैं और कई बार जल्दबाजी में तलाक तक पहुँच जाते हैं।

तलाक के प्रभाव केवल पति-पत्नी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इसका सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है (कुमार, 2018)। टूटा हुआ परिवार बच्चे के लिए मानसिक आघात का कारण बनता है। वह असुरक्षा, अकेलेपन और उलझन का शिकार हो जाता है (Verma & Thomas, 2020)। ऐसे बच्चे प्रायः भावनात्मक असंतुलन, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक अनुकूलन की कठिनाइयों से जूझते हैं।

इसके अलावा, महिलाएँ भी तलाक के बाद कई बार सामाजिक असुरक्षा महसूस करती हैं (शर्मा, 2021)। भारतीय समाज में आज भी तलाकशुदा महिला के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः समानता का नहीं है, जिससे उन्हें सामाजिक पुनःस्वीकार्यता में कठिनाई होती है (Chakraborty 2022)। समाज में रिश्तों की स्थिरता कमजोर होने लगती है और मानसिक तनाव बढ़ता है, जो परिवार संस्था की जड़ों को प्रभावित करता है (Patel, 2023)।

फिर भी तलाक को केवल नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। इसे कभी-कभी सुधार और नई शुरुआत का अवसर भी माना जा सकता है। ऐसे कई विवाह होते हैं जहाँ लगातार अपमान, हिंसा या असमानता बनी रहती है। ऐसे में तलाक उन व्यक्तियों के लिए एक राहत और नए जीवन की शुरुआत का मार्ग बन सकता है। लेकिन समाज को यह भी समझना होगा कि तलाक हमेशा पहला विकल्प नहीं होना चाहिए।

समाधान की दिशा में कई कदम उठाए जा सकते हैं। विवाह पूर्व परामर्श

एक कारगर उपाय हो सकता है जिससे पति-पत्नी एक-दूसरे की सोच, जीवनशैली और अपेक्षाओं को पहले से समझ सकें। रिश्तों में संवाद को प्रोत्साहित करना जरूरी है ताकि छोटी-छोटी गलतफहमियाँ गहरी खाई में न बदलें। मीडिया को भी इस विषय पर जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए और समाज को संवेदनशील दृष्टिकोण देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वैवाहिक जीवन में धैर्य, सहनशीलता और आपसी सम्मान के महत्व को समझाना भी आवश्यक है।

अंततः तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति केवल वैवाहिक जीवन की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और मानसिकता में हो रहे बदलाव का संकेत भी है। हमें इसे एक सामाजिक चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और परिवारों को टूटने से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। यदि समय रहते इस दिशा में गंभीर पहल नहीं की गई, तो आने वाले समय में पारिवारिक और सामाजिक जीवन और भी अधिक प्रभावित हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, आर. (2017). भारतीय विवाह संस्था: परंपरा और परिवर्तन. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
2. मिश्रा, एस. (2019). आधुनिक समाज और वैवाहिक संबंधों का रूपांतरण. वाराणसी: भारती प्रकाशन।
3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB). (2023). *Crime in India 2022 – Statistics on Matrimonial Disputes and Divorce Cases*. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सेनगुप्ता, पी. (2022). *Changing Trends in Urban Marriages: A Sociological Perspective*. *Indian Journal of Social Research*, 63(4), 112–124.
5. Desai, M., & Patel, R. (2021). *Marriage and Divorce Trends in India: Changing Patterns of Family Structure*. *Journal of Family Studies*, 27(3), 450–468.
6. अग्रवाल, र. (2019). भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति और वैवाहिक जीवन का पुनर्परिभाषण. नई दिल्ली: साहित्य भवन।
7. कौशल, एस. (2020). महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
8. Patel, R. (2020). *Modern Lifestyle and Marital Expectations in Urban India*. *Journal of Contemporary Sociology*, 58(2), 175–190.
9. Sharma, P., & Mehta, D. (2021). *Women Empowerment and Changing Marital Dynamics in India*. *Indian Journal of Gender Studies*, 28(3), 342–360.
10. Singh, A. (2022). *Marital Conflicts and Emotional Expectations in the Modern Age*. *Sociological Bulletin*, 71(4), 210–225.
11. Sen, N. (2023). *Changing Attitudes Toward Marriage Among Indian Youth*. *Asian Social Science Review*, 12(1), 55–72.
12. कुमार, एस. (2018). तलाक और भारतीय समाज: मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन. वाराणसी: गंगापुत्र प्रकाशन।
13. Verma, R., & Thomas, A. (2020). *Psychological Consequences of Divorce on Children in Indian Context*. *Journal of Family Psychology*, 34(2), 189–204.
14. शर्मा, आर. (2021). भारतीय महिला और तलाक के बाद की सामाजिक चुनौतियाँ. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
15. Chakraborty, S. (2022). *Divorced Women and Social Reintegration in Contemporary India*. *Indian Journal of Social Work*, 83(3), 290–308.
16. Patel, N. (2023). *Marital Instability and Its Impact on Family Cohesion in Urban India*. *Asian Journal of Sociology and Psychology*, 14(1), 112–128.

वैदिक (हिन्दू) संस्कारों की वैज्ञानिकता व समाजोपयोगिता

सुमित्रा राणावत*

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

1. **संस्कार** – संस्कार शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता किन्तु 'स' के साथ 'कृ' धातु संस्कृत शब्द बहुधा मिल जाते हैं। ऋग्वेद में संस्कृत धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है।

छान्दोग्य उपनिषद् 6/16/1-2 में लिखा है –

'तस्मादेष पथ यज्ञस्तस्य मनश्च वाक् च वर्तिनी' अर्थात् उस यज्ञ की दो विधियाँ हैं मन से या वाणी से।

ब्रह्मा उनमें से एक को अपने मन से बनाया, चमकाता है।

जैमिनी के सूत्रों में 'संस्कार' शब्द अनेक बार आया है और सभी जगह पवित्र या निर्मल कार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैमिनी की 3/2/3 की व्याख्या में शबर ने 'संस्कार' शब्द का अर्थ बताया है –

'संस्कारों नाम स भवति यस्मिन्जाते पदार्थे भवति कस्य चिदर्थस्य' अर्थात् संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है।

तन्त्रवार्तिक के अनुसार – 'योग्यतां चादधानाः क्रियाः संस्कृत इव्युच्यन्ते' अर्थात् संस्कार की वे क्रियाएँ तथा रितियाँ हैं जो योग्यताएं प्रदान करती हैं। वे योग्यता दो प्रकार की होती हैं –

(1) पाप मोचन से उत्पन्न योग्यता

(2) नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता

नवीन गुणों की प्राप्ति तथा तप से पापों का मार्जन होता है। संस्कार शब्द गृहसूत्रों में नहीं मिलता लेकिन धर्मसूत्रों में इनका कई बार प्रयोग हुआ है।

बार-बार किसी कर्म को करने से मनुष्य की विशेष प्रकार की आदतें बन जाती हैं। यही आदतें मनुष्य के बीज रूप में मन के गहरे तल पर जमा होती हैं। जो मृत्यु के बाद भी मन के साथ ही अपने सुक्ष्म रूप में बनी रहती हैं और नया शरीर धारण करने पर अगले जन्म में उसी प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा बन जाती हैं। पूर्वजन्म, कुल मर्यादा, सुशिक्षा, सभ्यता, संगति, वातावरण आदि का मन पर पड़ने वाला प्रभाव संस्कार कहलाता है।

व्यवहारिक रूप में संस्कार का अर्थ 'पवित्र धार्मिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति के वैदिक, मानसिक, बौद्धिक मुख्यतः आत्मिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान, जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करके समाज का अभिन्न अंग बनते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हो।' अतः आवश्यक है कि व्यक्ति गर्भकाल से ही सुसंस्कृत हो अतः ऐसा आध्यात्मिक संस्कार से ही संभव हो सकता है।

राष्ट्र के आदर्श मूल्यों, प्रतिमाओं के प्रति आस्था, विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक संस्कार करना पड़ता है। तभी सामाजिक नीतियों,

मूल्यों और अनुशासन का विकास होता है।

संस्कारों से ही जीवन के विभिन्न अवसरों को महत्व व पवित्रता मिलती है। संस्कार से मनुष्य की बौद्धिक, भावनात्मक व आत्मिक अभिव्यक्ति है। जिनके प्रति मानव सदा जाग्रत रहता है। संस्कार इस जन्म में और अगले प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं जिन्हें 'संचित कर्म' कहा जाता है।

इस प्रकार संस्कारों की अटूट और अनंतहीन श्रृंखला बनती जाती है। इसी से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। ये संस्कार किसी विशेष प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।

बलपूर्वक किसी कर्म करने को बाध्य नहीं करते। यह मनुष्य के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। क्योंकि यह क्षेत्र पुरुषार्थ का है। पूर्व जन्म के संचित संस्कार जो वर्तमान जीवन में उदित होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं उसको 'प्रारब्ध' कहते हैं। वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों को 'पुरुषार्थ' कहते हैं।

प्रारब्ध से पुरुषार्थ सदैव प्रबल होता है। पुरुषार्थ से पूर्व जन्म के अशुभ संस्कारों को परिवर्तित किया जा सकता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति इन पूर्व संस्कार से बंधा रहता है इसका मुख्य कारण अज्ञान है। मानव अज्ञानवश ही संसार में सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। अतः बिना भोगे कोई कर्म समाप्त नहीं होते।

2. **संस्कारों की आवश्यकता** – प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु हमारे लिए उसी रूप में उपयोगी नहीं होती उसमें व्याप्त कई दोषों को दूर करने की आवश्यकता होती है। उपयोगी बनाने के लिए उसमें व्याप्त दोषों को दूर करके उसमें गुणों का समावेश आवश्यक है। खान से सोना निकलता है और वो उसी रूप में उपयोगी व कीमती नहीं होता। ताप या छेदन की प्रक्रिया से गुजर कर सोना बनता है। अर्थात् प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं विविध संस्कारों के द्वारा संपन्न होकर पूर्णता को प्राप्त होती हैं। मानव जैसा श्रेष्ठ प्राणी माता के गर्भ से ही विकसित मानव के रूप में उत्पन्न हो अर्थात् उसे किसी भी प्रकार संस्कारित होने की आवश्यकता न हो यह कैसे संभव हो सकता है।

थोड़ा सोचे की एक ही माता-पिता से उत्पन्न संतानों को एक ही वातावरण में रखे जाने, एक ही प्रकार के शिक्षा के बावजूद भिन्न प्रकार का व्यवहार क्यों करने लगती हैं। उनकी मनोदशा भिन्न प्रकार की क्यों हो जाती है।

क्योंकि पूर्व जन्मों के भिन्न वातावरण में पलने के कारण उनके भिन्न-भिन्न संस्कार उनके मन में जमे रहते हैं जो उपयुक्त वातावरण मिलने पर विकसित होते हैं अन्यथा सुस्त पड़े रहते परन्तु नष्ट नहीं होते। ये संस्कार ही मनुष्य के वर्तमान जीवन में कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। ये संस्कार शुभ व

अशुभ दोनों हो सकते हैं इनमें अशुभ संस्कारों का परिशोधन करके नवीन संस्कारों को स्थापित किया जा सकता है। शक्ति किसी भी प्रकार की हो मूर्त या अमूर्त उसका सदूपयोग करना व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है।

मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए हमारे शास्त्रों संस्कारों का विधान किया गया है।

3. महत्त्व – आजकल मनुष्य उत्तम फसल की प्राप्ति के लिए जितने प्रयत्न कर रहा है, उतने प्रयत्न उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए नहीं करता है। अच्छी फसल के लिए अच्छी भूमि, अच्छा बीज, उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। किन्तु मनुष्य के साथ एक चौथी वस्तु और लागू होती है, वह है उसके निजी संस्कार जिसे वह लेकर पैदा होता है। मानव में मानवीयता के विकास की प्रक्रिया उसके गर्भकाल से ही प्रारम्भ होती है, इस तथ्य की अनुभूति प्राचीनकाल में ही हो चुकी थी। नवजात बातको को कुटुम्ब और समाज के साथ जोड़ने का दायित्व माता-पिता तथा बाद में कुटुम्बियों का होता है।

सामाजिक जीवन में मानव कभी अकेला रहे। सामाजिकता उसकी आवश्यकता है, इसी आवश्यकता ने समाज का निर्माण किया, जीवन समाज में ही व्यतीत करना होता है। समाज के घटक कुटुम्ब में जन्मते हैं, जीवन समाज में व्यतीत करना होता है। कुटुम्ब का गढ़न होता है विवाह विधि के द्वारा। विवाह एक ही कुटुम्ब में नहीं होते। युवक व युवती समाज के भिन्न परिवारों से होते हैं। वैदिक संस्कार प्रणाली में मानव के निर्माण की आधारशिला तैयार करना ही 'गर्भाधान संस्कार' कहलाता है।

मानव का निर्माण माता-पिता के रज शुक्र अर्थात् गर्भाधान प्रक्रिया से होता है।

श्रेष्ठ व्यक्ति ही श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।

समाज, वातावरण, शिक्षा, वीर्यदोष, मानसिक दोष आदि के कारण उत्पन्न संतान में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस विधि का पैतृक एवं वंशानुगत गुणों को सुरक्षित रखने एवं उन्नयन के लिए विशेष महत्त्व होता है।

वेदों में संस्कारों का बड़ा महत्त्व बतलाया गया है व्यक्ति के सामाजिक अधिकार प्राप्त करने लिए ही नहीं सुसंस्कृत होना आवश्यक माना गया है। संस्कारों के अभाव में मनुष्य अपूर्ण है। वह केवल श्वासयुक्त हाड-मांस का एक पिण्ड माना।

संस्कारों के प्रकार

महर्षि गौतम ने 40 संस्कार माने।

महर्षि अंगिरा ने 25 माने हैं।

मनुस्मृति व व्यासस्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है।

इन 16 संस्कारों को 2 भागों में विभक्त किया है –

1. दोष मार्जन – ये 8 हैं –

1. गर्भाधान
2. पुंसवन
3. सीमंतोन्नयन
4. जातकर्म
5. नामकरण
6. निष्क्रमण
7. अन्नप्राशन
8. चूड़ाकर्म

इन संस्कारों को कराने से गर्भ के बीज का शोधन होता है इसलिए इन्हें दोष मार्जन कहा है। पूर्व जन्मों के कई प्रकार के धर्म एवं कर्म आते हैं इन संचित दोषों को दूर करने के लिए इन संस्कारों का विधान किया गया है। ये

संस्कार पिता द्वारा कराए जाते हैं। इनमें गर्भ व बीज का दोष दूर होता है।

2. गुणाधान संस्कार – ये 8 हैं –

1. कणविध
2. विद्यारम्भ
3. उपनयन
4. समापवर्तन
5. विवाह
6. वानप्रस्थ
7. संन्यास
8. अंत्येष्टी

4. संस्कार का विधान – वैदिक कर्मकाण्ड विद्या के प्रत्यक्ष लोक कल्याण पक्ष का महत्त्व हमें समझना चाहिए। सम्पूर्ण वैदिक कर्मकाण्ड किसी प्रकार के संस्कार और कुफल का क्षय करने के साथ जीवन में सुख शांति समृद्धि की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। सम्पूर्ण वैदिक कर्मकाण्ड में काल या मुहूर्त का वैज्ञानिक आधार समझना आवश्यक है। वैदिक कर्मकाण्ड का काल विज्ञान आज भी विचारशील पुरुषों के लिए मान्य सिद्धांत है। समय या काल का निर्धारण विज्ञान एवं गणित पर आधारित है। गणित के आधार पर ही विद्वानों और ज्योतिषों ने ग्रहों एवं नक्षत्रों के नियम का संग्रह ज्योतिष शास्त्र में किया। उन्होंने अपने सूक्ष्म अनुभवों द्वारा यह निश्चय किया कि किस अवस्था में, किस मुहूर्त में, किस प्रकार का कार्य करने से कैसा फल प्राप्त होता है।

हमारे शास्त्रों में गर्भाधान संबंध में अनेक इसी कथा एवं उदाहरण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यदि अमंगल में ऋतुमति स्त्री के मन में पुरुष पुरुष समागम की इच्छा हुई तो उसके फलस्वरूप विश्वा जैसे महान ऋषि के घर रावण जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक मनुष्य के जन्म, उसके संवर्धन व अवसान समस्त प्रक्रियाएं जब तक संस्कार के द्वारा शुद्ध एवं परिष्कृत नहीं हो जाती तब तक जीवात्मा का न तो उचित परिष्कार होता है ना उसे वह सुख प्राप्त होता है, जो वास्तव में वह प्राप्त करना चाहता है। जितने भी संस्कार हैं उनका सबका आधार यही है की जीवात्मा का परिष्कार तब तक संभव नहीं है जब तक इसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो। वैज्ञानिक आधार के लिए तीन वस्तुएं अपेक्षित हैं—

1. लक्षण
2. परिक्षण
3. परिणाम

यदि किसी समान परिस्थिति में एक समान विशेष स्थान वाले स्थान पर किसी एक नीति ने परिक्षण या प्रयोग किया जाए, तो उसका परिक्षण निश्चित रूप से समान होगा।

सौलह संस्कार

1. गर्भाधान संस्कार— गर्भाधान संस्कार के पीछे मान्यता यह है कि स्त्री पुरुष के सम्बंध केवल भोग भोगने के लिए नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य पितृ ऋण से उन्मुक्त होने के लिए उत्तम संतान की प्राप्ति। यह भाव रखने से कामशक्ति का भाव तिरोहित होता है, हृदय व विचारों में पवित्रता आती है।

हमारी मानसिकता, हमारा आचार-विचार, हमारा खान पान, आसपास का वातावरण आदि गर्भ में आने वाले जीव पर प्रभाव डालता है। अतः इन सब में पवित्रता बनाये रख कर गर्भ धारण करने वाले शिशु पर सदाचार का अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

कितनी लंबी प्रक्रिया है हमारे जन्म की जो कुछ हमारे माता-पिता ने खाया, पीया, व्यवहार किया, आचरण किया उन सबसे उनके शरीर में बनने वाला रस प्रभावित होता है। उससे प्रभावित वहीं रस हमारे जीवन का कारण बनते हैं। केवल हमारे माता-पिता ही नहीं अपितु उनके माता-पिता के रस

का प्रभाव भी इसमें सम्मिलित है। जो हमारे माता-पिता के जन्म का कारण बना। इस प्रकार पूर्व की अनेक पीढ़ियों का खान-पान व व्यवहार का प्रभाव सूक्ष्म रूप से हम तक पहुंचता है। जो गुण-दोष हमारे दादा दादी, माता पिता न्यूनाधिक रूप में भी आएंगे। कितना लंबा इतिहास है हमारे जन्म का। हमारे जन्म की प्रक्रिया बड़ी लंबी है व निरंतर चलती रहती है। इसी को हम वंश परम्परा बोलते हैं। हमने इस कड़ी को बिगाड़ दिया तो हमारा इतिहास, हमारा राष्ट्र सभी इसका दुष्प्रभाव झेलने को मजबूर हो जाएंगे। हमको केवल स्वयं को ही पुष्ट, स्वस्थ, व्यवस्थित व सदाचारी नहीं बनाना इसके साथ हमारा परिवार, हमारा वंश, हमारा इतिहास और हमारे राष्ट्र को भी पुष्ट, स्वस्थ व सदाचारी बनाना है।

2. पुंसवन संस्कार - पुंसवन अर्थात् पुरुषत्व युक्त होना। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य माता के उदर में पल रही संतान के शारीरिक व मानसिक विकास की ओर खिंचवाना। अपनी संतान को बिगड़ते देख कर रोने वाली माताओं को समझ लेना चाहिए कि जो बालको को पालने का उचित समय था उन्होंने खो दिया। चरक संहिता में लिखा है कि 'जैसी संतान प्राप्ति की इच्छा है उसी के अनुकूल आसपास का वातावरण रखना चाहिए।'

3. सीमंतोन्नयन संस्कार- अर्थ - 'स्त्रियों के सिर की मांग' सौभाग्यवती स्त्रियां मांग भरती है। चरक ने चरक संहिता में लिखा है -

'सौभनस्य गर्भधारणकारणम् ।

लब्धदीह्वा तु वीर्यवन्त चिरायुषम् च पुत्रं प्रसुते ॥'

अर्थात् गर्भवती स्त्री को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने से संतान वीर्यवान और दीर्घायु होती है। उत्तम संतान अनायास पैदा नहीं होती इसके लिए पूर्ण मनोयोग की आवश्यकता है और उसी प्रकार कर्मों की भी अनिवार्य है। उसी भावना से यह संस्कार विधान अनिवार्य है। यह संस्कार बालक के गर्भस्थ होने के छठे या आठवें माह में किया जाता है। यहां संस्कार गर्भपात रोकने के लिए किया जाता है। इस काल में शिशु में चेतना का विकास होता है।

4. जातकर्म संस्कार - 'वे क्रियाएं जो शिशु के जन्म के बाद की जाती हैं।'

प्रथम तीन गर्भकाल में किये जाते हैं जबकि जातकर्म जन्म के बाद किया जाता है। जातकर्म की यह विशेषता है कि शिशु को स्नान कराकर मधु स्वर्ण मिश्रित औषधी प्रदान, नाल छेदन, माता का स्तनपान कराके जहाँ उसके जीवन मार्ग की ओर बढ़ने का सहारा दिया जाता है वहीं उसके कान के पास गंभीरतापूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। शिशु सुनता है, समझता है, हाव-भाव जानता है अंत उच्चारण क्रियाओं का मौलिक भाव समझता है। अतः सभी क्रियाओं का मौलिक भाव मौलिक भाव समझता है। माँ का दुग्ध बच्चे के लिए प्रेम भाव का स्रोत है और मधु को चटाने से बच्चे के शारीरिक अंग ठिक प्रकार से कार्य करने लगते हैं।

5. नामकरण संस्कार - इस संस्कार के उद्देश्य का करते हुए वेदों में नामकरण के दो प्रयोजन हैं -

1. आयु व तेज में वृद्धि
2. सांसारिक व्यवहार उपयोग

मनुस्मृति के अनुसार, जन्म के 11वें व 12वें दिन शुभ तिथि, मुहूर्त में नामकरण किया जाता है। नामकरण के दिन सर्वप्रथम घर का शुद्धिकरण, माँ को स्नान कर नवीन वस्त्र पहनाकर, शिशु को भी शुद्ध जल से स्नान कराकर माता पुत्र को गोद में लेकर हवन कुण्ड समीप पिता के पीछे से

आकर दक्षिणभाग में होकर बालक को पिता के हाथ में सौंपे बालक का सिर उत्तर दिशा में रखें। सभी स्वजन उपस्थित रहते हैं। इसके बाद स्त्री उसी प्रकार अपने पति के पीछे होती हुई उत्तर भाग में आकर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। अब बालक का पिता उसे वापस माता को सौंप दें। मनु के अनुसार - 'नामकरण संस्कार से बालक के आयु व तेज में वृद्धि होती है।' सूर्य नमस्कार व सूर्य उपासना से कार्यक्रम शुरू होता है।

मनुस्मृति के 32 व 33 श्लोक में मिलता है कि बालक का नाम भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बालक का नाम अपनी जाति, कुल, गौरव के अनुरूप हो।

6. निष्क्रमण संस्कार- अर्थ - 'बालक को घर से बाहर खुली हवा में घुमाना'

निष्क्रमण के दो अवसर शुभ माने जाते हैं -

1. बालक के जन्म के बाद तीसरा शुक्ल पक्ष तृतीया।
2. चौथे महीने की वह तिथि जिस दिन बालक का जन्म हुआ।

इसका उद्देश्य बालक के स्वास्थ्य को स्वस्थ व सम्मुनत करना और चौथे माह में बालक के ज्ञान व कर्मेन्द्रियां सशक्त वह वायु व धूप को सहन करने योग्य हो जाती है।

इसकी मुख्य क्रियाएं सूर्यदर्शन, चंद्रदर्शन व देवदर्शन है।

7. अन्नप्राशन संस्कार- छः महीने के बाद बालक में अन्य पचाने की शक्ति आ जाती है। इस काल में बालक को क्षार की आवश्यकता होती है। लवण युक्त अन्न अगर बालक को नहीं मिलता तो बालक मिट्टी खाना प्रारंभ कर देता है। बालक जब अन्न खाए तो उसके प्रति उपयुक्त भावना उत्पन्न हो सके।

'जैसा खाए अन्न वैसा होए मन'

इसी उद्देश्य से अन्नप्राशन की आवश्यकता होती है।

8. चूड़ाकर्म संस्कार (मुण्डन) - मनुस्मृति में लिखा है कि यह संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में करना चाहिए। उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त, शुभ दिन देखकर करना चाहिए। यह संस्कार बल, आयु, तेज वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। त्वचा संबंधी रोगों के लिए यह संस्कार बालों का मुंडन देने से शरीर का तापक्रम कम हो जाता है।

इसके साथ शिखा रखनी चाहिए जिससे हमारे ज्ञान शक्ति को सदा चौतन्य रखते हुए उसमें वृद्धि होती है। हमारी बुद्धि को शास्त्रों में सूर्य का अंश माना गया है।

9. कर्णवेध संस्कार - जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष संस्कार का समय माना गया है। बसंत व शरद ऋतु के किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में मुहूर्त के अनुसार शुभ दिन देखकर यह संस्कार करें। बालक को पूर्व की ओर मुंह करके बिठाएं। मिठाई देकर दाया कान छेदन सुई से करना चाहिए। छेदन पुरुष या सौभाग्यवती स्त्री कर सकती है। इस संस्कार से बालक नपुंसक नहीं होता, बालिका बंध्या नहीं होती, इससे बवासीर नहीं होता व अण्डकोष क्षीण नहीं होता।

10. विद्यारम्भ संस्कार - आत्मोन्नति की युक्ति का मार्ग विद्या है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है -

'सा विद्यया विमुक्तये' अर्थात् विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके।

विद्या का आरंभ पूर्ण संस्कार विधि से हो तभी बालक ज्ञानवान और सुसंस्कारीत होकर वर्तमान की दुष्प्रवृत्तियों से बचे रह सकता है। इस संस्कार से बालक में अपने ज्ञान का बोध बना रहता है।

बसन्त पंचमी अथवा पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार को इस संस्कार के लिए शुभलग्न माना जाता है। इसमें सरस्वती की उपासना मुख्य है। क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती है।

11. उपनयन संस्कार – इसका अर्थ – ‘गुरु का सामीप्य प्राप्त करना।’ इसे यज्ञोपवीत व जनेउ संस्कार से भी जाना जाता है। यज्ञोपवीत का अर्थ ‘परमात्मा को प्राप्त होने वाला’ (यज्ञ) यज्ञी वे विष्णु (शतपथ ब्रह्मण) अर्थात् यज्ञ के लिए धारण किया जाने वाला सूत्र जिसको धारण करने से मनुष्य को यज्ञ प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है।

ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष, क्षत्रिय को 11वें वर्ष व वैश्य को 12वें वर्ष यज्ञोपवीत करना चाहिए।

ब्रह्मण बालक का बसंत ऋतु में, क्षत्रिय बालक का ग्रीष्म व वैश्य का शरद ऋतु में यज्ञोपवीत करना चाहिए।

गृह सूत्र में बताया गया है –

‘बसन्ते ब्राह्मणे, ग्रीष्मे राजन्य, शरदि वैश्यम्’

12. समापवर्तन संस्कार – बालक जब गुरुकुल से घर पुनः लौटता है तब उसका विधिवत संस्कार करके उसको अपने कर्तव्यों व दायित्वों का बोध कराके गुरुकुल से विदा किया जाता है। इसी को समापवर्तन कहा है। यह गुरुकुल से विदा होने से पूर्व परीक्षा हेतु है।

13. विवाह संस्कार – विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य केवल भोग विलास ही नहीं और न केवल संतान उत्पत्ति ही विवाह का उद्देश्य है। परमेश्वर की कृपा से पुरुष को बहुत बढ़िया बीज और स्त्री को खेत मिला है। विवाह से स्त्री-पुरुष को संभोग का वैध अधिकार मिला है काम वासना नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखकर पुरुष अपने अधिकार का उपयोग करते हुए योग्य संतान उत्पन्न करे।

मनुष्य पर तीन ऋण हैं –

1. देव ऋण

2. ऋषि ऋण

3. पितृ ऋण

विवाह का एक अन्य उद्देश्य ‘वसुदेव कुटुम्बकम्’ के पवित्र आदर्श को व्यवहारिक रूप देना है।

विवाह 8 प्रकार के होते हैं।

14. वानप्रस्थ संस्कार – यह संस्कार 51वें वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें मानव अपने घर गृहस्थी की मोह माया के प्रति आसक्ती त्याग कर अपनी आय को सामाजिक एवं परमार्थिक कार्यों में लगा देता है। सामाजिक एवं परमार्थिक कार्यों में व्यस्त रहना वानप्रस्थ अवस्था है।

15. संन्यास आश्रम – यह 75 वर्ष के बाद यह काल सब को छोड़कर केवल आत्म कल्याण साधन में जुटने के लिए है।

मनुस्मृति – ‘चतुर्थ भाग्युषो भागं त्यक्त्वा सेन परिव्रजेत’

अर्थात् आयु का चौथा भाग सब कुछ छोड़कर संन्यास में बिताना चाहिए।

16. अन्तिम संस्कार – मनुष्य की देह जड़ है। इसमें चेतना जो है वो प्राण है। जीव क देह से बिछुड़ना मृत्यु है। मरते समय प्राण मनुष्य के कपाल को भेद कर निकल जाते हैं। यही सर्वोत्तम मृत्यु हमारे शास्त्रों ने मानी है। यह मनुष्य का 10वां द्वार है, जिस मनुष्य का 10वें द्वार से प्राणोत्सर्ग होता है वह मनुष्य 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है की वह मनुष्य भाग्यशाली होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनुस्मृति
2. याज्ञवल्क्य स्मृति
3. व्यास स्मृति
4. नारद पुराण
5. गृहसूत्र
6. छान्दोग्य उपनिषद्

शहडोल संभाग के समाजार्थिक एवं सांस्कृतिक विकास परिदृश्य का ऐतिहासिक अध्ययन

लेफ्टिनेंट डॉ. राजेश कुमार ठाकुर* शिव कुमार हल्दकार**

* शोध निर्देशक एवं सहा.प्रा. (इतिहास) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शहडोल संभाग की स्थापना 14 जून 2008 को मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा की गई। इस संभाग में तीन जिले शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर शामिल हैं। चूंकि शहडोल जिला उमरिया व अनूपपुर जिले के मध्य में अवस्थित है इस कारण से शहडोल को संभाग का मुख्यालय बनाया गया है। शहडोल, मध्य प्रदेश के उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सतना और छत्तीसगढ़ के कोरबा और बिलासपुर जिलों से घिरा हुआ है। शहडोल जिले की समुद्र तट से अधिकतम ऊंचाई 1123 मीटर है। शहडोल जिले में 6 तहसील – ब्यौहारी, जयसिंहनगर, सोहागपुर, गोहपारु, बुढार और जैतपुर हैं। शहडोल जिले को विभाजित कर 1998 में उमरिया और वर्ष 2003 को अनूपपुर जिला बनाया गया। ऐतिहासिक परिदृश्य के रूप में देखा जाये तो मध्य भारत कालीन नगर शहडोल म. प्र. के मध्य पूर्व में स्थित था। पूर्व में यह रीवा राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र था; मध्यप्रदेश के प्रमुख जिले के रूप में इस नगर का उद्भव फरवरी 1948 के उपरान्त ही हो सका। यद्यपि यह जिला पिछड़ा हुआ जिला है तथा यहाँ के लगभग 58.32 प्रतिशत निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं। प्रकृति ने इस जिले को अपना अपार स्नेह दिया है। तभी तो यह नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। सतपुड़ा, मैकल व अमरकंटक श्रृंखलाओं की ममतामयी गोद का संरक्षण श्रृंखलाओं, कंदराओं, घाटियों एवं सघन आवरण के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है। शोधार्थी द्वारा शहडोल संभाग अंतर्गत आने वाले जिले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर के ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्ययन को पृथक-पृथक जिले में वर्गीकृत कर 20वीं शताब्दी में शहडोल संभाग के विकास को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में वहां की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यद्यपि मध्यप्रदेश के अन्य संभागों की जनसंख्या की तुलना में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, शहडोल संभाग है।

शब्द कुंजी – 20वीं शताब्दी में शहडोल संभाग, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य, आर्थिक विकास।

प्रस्तावना – शहडोल संभाग अंतर्गत सम्मिलित जिलों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है-

(1) शहडोल – शहडोल जिले का गठन मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के साथ ही वर्ष 1956 में किया गया है। शहडोल जिले के नाम के सम्बन्ध में इतिहासविदों का मानना है कि इस नगर का नाम शहडोलवा यादव के नाम के कारण पड़ा है। यह जिला उत्तर-पूर्वी दिशा में स्थित है। यह पहाड़ एवं वनों से घिरा हुआ है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 6205 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 10,66,063 है।

(2) उमरिया – इस जिले की स्थापना 6 जुलाई 1998 को शहडोल जिले से अलग करके की गई। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। जिले में 3 विकासखण्ड, 5 तहसीलें, 610 आबाद ग्राम, 234 ग्राम पंचायतें, 03 जनपद पंचायतें एवं मण्डल पंचायतों की संख्या 12 है। यहाँ 4558 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में कोयले का भण्डार है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट पाली (मण्ठार) में स्थित है।

(3) अनूपपुर – इस जिले की स्थापना 15 अगस्त 2003 को शहडोल

जिले से अलग कर की गई। यह जिला 3701 वर्ग कि.मी. में फैला है, जो पहाड़ियों एवं वनों से घिरा हुआ है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी व सोन नदी का उद्गम हुआ है। इस जिले का मुख्यालय एवं नगर मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी दिशा में स्थित है। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्यप्रदेश का अन्तिम जंक्शन है। इस जिले में 4 तहसील, 4 विकासखण्ड, 4 जनपद पंचायतें एवं आबाद ग्रामों की संख्या 571 है।

शहडोल संभाग की मुख्य कार्यशील एवं सीमांत कार्यशील कामगारों का विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जो कि क्षेत्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। शोधार्थी द्वारा मध्यप्रदेश के अन्य संभागों की तुलना में शहडोल संभाग में मुख्य कार्यशील एवं सीमांत कार्यशील कामगारों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मध्यप्रदेश के संभागों में कार्यशील एवं सीमांत कामगारों का प्रतिशत निम्न तालिका में प्रस्तुत किया है:-

तालिका – मध्यप्रदेश के संभागों में मुख्य एवं सीमांत कामगारों की स्थिति

(संख्या प्रतिशत में)

राज्य एवं संभाग का नाम	कुल कामगारों में से मुख्य कार्यशील कामगार					
	कुल		ग्रामीण		शहरी	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
मध्यप्रदेश	74.1	71.9	70.7	67.7	88.4	87.1
चम्बल	74.4	77.3	72.2	75.4	86.7	85.2
ग्वालियर	76.6	76.3	72.9	71.9	89.2	88.1
सागर	72.9	72.2	70.3	69.3	86.1	85.7
रीवा	71.2	65.2	69.0	62.3	86.1	83.1
शहडोल	66.1	53.7	62.7	48.9	85.7	81.3
उज्जैन	75.6	74.4	72.8	70.7	87.6	88.1
इंदौर	78.3	81.3	74.7	77.8	91.2	91.6
भोपाल	75.1	70.9	70.0	64.0	88.6	85.4
नर्मदापुरम	71.1	69.3	67.7	65.4	89.0	87.3
जबलपुर	71.4	65.2	68.1	60.5	88.0	84.8

राज्य एवं संभाग का नाम	कुल कामगारों में से सीमांत कार्यशील कामगार					
	कुल		ग्रामीण		शहरी	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
मध्यप्रदेश	25.9	28.1	29.3	32.3	11.6	12.9
चम्बल	25.6	22.7	27.8	24.6	13.3	14.8
ग्वालियर	23.4	23.7	27.1	28.1	10.8	11.9
सागर	27.1	27.8	29.7	30.7	13.9	14.3
रीवा	28.8	34.8	31.0	37.7	13.9	16.9
शहडोल	33.9	46.3	37.3	51.1	14.3	18.7
उज्जैन	24.4	25.6	27.2	29.3	12.4	11.9
इंदौर	21.7	18.7	25.3	22.2	8.8	8.4
भोपाल	24.9	29.1	30.0	36.0	11.4	14.6
नर्मदापुरम	28.9	30.7	32.3	34.6	11.0	12.7
जबलपुर	28.6	34.8	31.9	39.5	12.0	15.2

स्रोत :- Directorate of Census Operations, Madhya Pradesh, Ministry of Home Affairs, Government of India, Year 2011, P. 195.

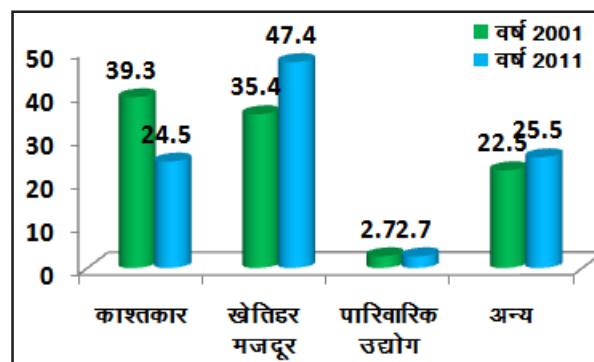
उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुल कार्यशील श्रमिकों में से मुख्य कार्यशील कामगारों का प्रतिशत मध्यप्रदेश के सभी संभागों में से शहडोल संभाग का सबसे न्यूनतम दर्ज है। इसी प्रकार कुल सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत का कुल श्रमिकों के प्रतिशत के संभावित विश्लेषण से पता चलता है कि चंबल और इंदौर संभाग को छोड़कर सभी संभागों ने 2001-2011 के दशक के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की है। ग्रामीण सीमांत श्रमिकों ने ग्रामीण मुख्य श्रमिकों की तुलना में विपरीत प्रवृत्ति दर्ज की है। इसका आशय है कि केवल चंबल और इंदौर संभागों में नकारात्मक प्रवृत्ति है। शहरी सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत में उज्जैन और इंदौर संभागों को छोड़कर सभी संभागों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। मुख्य श्रमिकों (कुल, ग्रामीण और शहरी) में दशक भर में सबसे अधिक गिरावट शहडोल संभाग में देखी गई है। कुल मुख्य श्रमिकों के मामले में यह 12 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका - शहडोल संभाग की मुख्य कार्यशील जनसंख्या

विवरण	वर्ष 2001		वर्ष 2011	
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
प्रतिशत के साथ श्रमिकों का विभाजन				
काश्तकार	899461	39.3	11,29,219	24.5
खेतिहर मजदूर		35.4		47.4
पारिवारिक उद्योग		2.7		2.7
अन्य		22.5		25.5

स्रोत :- Directorate of Census Operations, Madhya Pradesh, Ministry of Home Affairs, Government of India, Year 2011, P. 226.

दण्डारेख



उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शहडोल संभाग में मुख्य कार्यशील श्रमिकों में से काश्तकारों का प्रतिशत जहां वर्ष 2001 में 39.3 प्रतिशत था वह वर्ष 2011 में घटकर 24.5 प्रतिशत हो गया अर्थात् काश्तकारों की संख्या इस दशक में कम हुई है, साथ ही खेतिहर मजदूरों की संख्या में इस दशक में वृद्धि दिखाई देती है। वर्ष 2001 में खेतिहर मजदूर जहां 35.4 प्रतिशत थे वह वर्ष 2011 में बढ़कर 47.4 प्रतिशत हो गये, अर्थात् कृषि के विकास में 12 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों ने अपना योगदान दिया है। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योगों में संलग्न कामगारों की स्थिति को देखा जाये तो स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में कोई भी अंतर इस दशक में प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अन्य कामगारों की स्थिति जहां वर्ष 2001 में 22.5 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011 में बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गयी। अर्थात् वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक इस क्षेत्र में 3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है।

शहडोल संभाग में कृषि का विकास परिदृश्य - बीसवीं शताब्दी में कृषि के विकास परिदृश्य को आंकलित करने के लिए वृहद आर्थिक विकास का ऐतिहासिक अध्ययन करना अनिवार्य होगा। वर्ष 1909 के पश्चात् मानसून भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहा है। फलतः भारतीय कृषि की समृद्धिशीलता में वृद्धि हुई। यह काल भारतीय कृषि के लिए एक अत्यंत ही अधिक महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अनेक परिवर्तन हुए। साथ ही इस काल ने अनेक कृषि सुधारों एवं प्रयोगों का अनुभव किया। इस काल में कृषि क्षेत्र में हुए बदलाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है जैसे (1). कृषकों ने फसलों के व्यवसायिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना प्रारम्भ किया। (2) वाणिज्यिक और खाद्यान्न फसलों को उगाने में कृषि भूमि का उचित वितरण किया गया। (3) परिवहन और संचार सुविधाओं में विकास

के कारण कृषि की वस्तुओं को विभिन्न बाजारों में और भी अधिक सुविधापूर्वक ले जाना सम्भव हुआ। इससे कृषि वस्तुओं का बाजार और भी विस्तृत हो गया। (4) भारत का विदेशी व्यापार और भी बढ़ गया जिसमें कृषि वस्तुओं का महत्वपूर्ण स्थान था। (5) इस काल में भारतीय जनसंख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी। अब तक भारतीय कुटीर और लघु उद्योगों का विनाश हो चला था, किन्तु साथ ही वृहत् उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाया था। इसलिए आजीविका के अन्य साधनों के अभाव में भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ गया। (6) इससे अन्य आजीविका साधनों के अभाव के कारण खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन तीव्र गति से प्रारम्भ हो गया। (7) जनसंख्या का भार बढ़ जाने तथा कृषि के वाणिज्यिकरण के कारण कृषि भूमि का मूल्य बढ़ गया। (8) भारत प्रमुखतः कच्चे माल का निर्यातक हो गया। कुटीर और लघु उद्योगों के कारण उसकी खपत देश में अब उतनी नहीं हो सकी किन्तु विदेशों में उनकी मांग बढ़ गयी थी।

20वीं शताब्दी के सामाजिक विकास के तहत कृषि क्षेत्र में पड़ने वाले सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव समग्र रूप से भारत के समस्त प्रांतों में देखने को मिलते हैं। अतः यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में आये इन बदलावों का प्रभाव शहडोल संभाग में भी रहा है।

शहडोल संभाग में कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जिसमें चावल, मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलों का रकबा अत्यधिक पाया गया है। संभाग मुख्यालय, शहडोल जिले में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है, हल्दी की खेती को एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है, जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। यद्यपि पूर्व अध्यायों में शोधार्थी द्वारा शहडोल संभाग के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों में कृषि के विकास परिदृश्य को विश्लेषित किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि के क्षेत्र में वृहद स्तर पर परिवर्तन हुआ है। कृषि के आधुनिकीकरण, गुणवत्तायुक्त बीज एवं सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था से जहां एक कृषि के विकास को गति प्राप्त हुई है वहीं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। कृषि कार्य हेतु सिंचाई के संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में सर्वेक्षण के आधार पर निम्न बिंदु परिलक्षित होते हैं।

1. नहरों की संख्या के आधार पर जैतहरी विकासखण्ड का पहला स्थान है, किन्तु सिंचित क्षेत्र के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रफल ब्यूहारी विकासखण्ड का है। सबसे कम नहरें एवं सिंचित क्षेत्र के आधार पर कोतमा विकासखण्ड है।
2. नलकूपों की संख्या के आधार पर सर्वोच्च स्थान पर मानपुर विकासखण्ड है, किन्तु सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से करकेली विकासखण्ड का पहला स्थान है। सबसे कम नलकूपों की संख्या अनूपपुर विकासखण्ड में है परन्तु सिंचित क्षेत्रफल में सबसे पीछे पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड है।
3. कुओं की संख्या एवं सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर पहले स्थान पर करकेली विकासखण्ड है, जबकि संख्या के आधार पर सबसे पीछे कोतमा विकासखण्ड एवं कुओं से सिंचित क्षेत्र पर गोहपारु विकासखण्ड का स्थान सबसे निचले क्रम में है।
4. तालाबों की संख्या एवं सिंचित क्षेत्र के आधार पर पहले स्थान पर ब्यूहारी विकासखण्ड है, तथा सबसे कम तालाबों की संख्या में पाली विकासखण्ड व पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड में सबसे कम सिंचित क्षेत्र है।

शहडोल संभाग में कृषि के आधुनिकीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों की

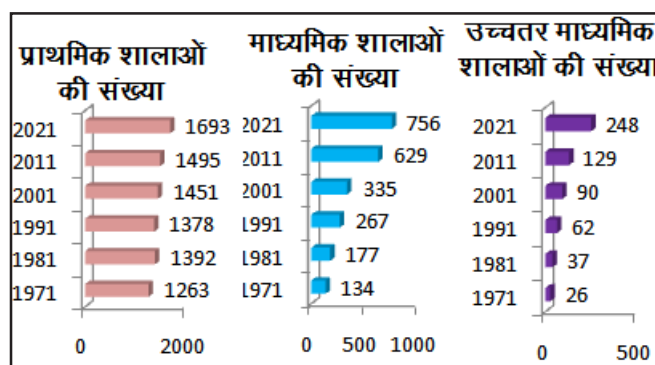
उपलब्धता के चलते कृषि के विकास को उत्तरोत्तर गति प्राप्त हो रही है, किन्तु इस संभाग में आदिवासियों की बाहुल्यता के कारण आज भी इस वर्ग के कृषकों द्वारा पुरानी पद्धति से ही कृषि कार्य किया जा रहा है, आधुनिकीकरण का प्रभाव एवं जागरूकता का अभाव आज भी वर्ग के लिए एक चिंता का विषय है। यद्यपि राज्य शासन इस वर्ग के लोगों को पर्याप्त सुविधायें व संसाधन मुहैया कराने पर प्रतिबद्ध है किन्तु इस वर्ग के लोगों तक इन सुविधाओं का न पहुंच पाना यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

शहडोल संभाग में शिक्षा का विकास – सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कल्पना, शिक्षा के बिना की जाना संभव नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सकता है बल्कि एक अच्छे एवं सुदृढ़ समाज की स्थापना भी की जा सकती है। शिक्षण संस्थाएं ही व्यक्तियों को सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार प्रदान करती हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र की सामाजिक- आर्थिक स्थिति एवं पिछड़ेपन को बदला जा सकता है।

तालिका - शहडोल संभाग में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति का मूल्यांकन

क्रं.	वर्ष	प्राथमिक शालाओं की संख्या	माध्यमिक शालाओं की संख्या	उच्चतर माध्यमिक शालाओं की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या
1.	1971	1263	134	26	3
2.	1981	1392	177	37	4
3.	1991	1378	267	62	6
4.	2001	1451	335	90	9
5.	2011	1495	629	129	13
6.	2021	1693	756	248	23

स्रोत :- जिला सांख्यिकी पुस्तिका, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर।



शहडोल संभाग में सांस्कृतिक धरोहर – मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है और शहडोल संभाग (अध्ययन क्षेत्र का संभाग) इस हृदय प्रदेश पर सुशोभित एक मणि के समान है। विविधता में एकता को समेटे विशाल भारत वर्ष के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक पृथक पहचान एवं विशेषता है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, जीवनशैली, खान-पान, रीतिरिवाज एवं सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियाँ इत्यादि के कारण वैसे ही है, जैसे किसी माला में भिन्न-भिन्न प्रकार के रत्नों को पिरोया गया है। इनमें से एक रत्न हमारा शहडोल संभाग है, जो अपनी कई

विभिन्नताओं के कारण म.प्र. ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है। शहडोल संभाग की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने में आदिवासियों का प्रमुख स्थान है। अध्ययन की दृष्टि से यहां आदिवासियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य का विश्लेषण करना उचित होगा क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लोगों ने ही यहां की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखा है। यदि शहडोल संभाग की सांस्कृतिक विरासत को स्पष्ट करना है तो यहां के आदिवासियों की संस्कृति का अध्ययन करना अनिवार्य है।

शहडोल संभाग में आदिवासियों की जातिय बाहुल्यता के पदानुक्रम के आधार पर (01) गोंड (02) परधान (03) भरिया (04) सहरिया (05) भील (06) हल्वा (07) बैगा (08) बहेलिया (पारधी) आदि हैं। इनमें गोंड जाति की बाहुल्यता है। जातियों की सामाजिक स्थिति के निधरिक्त तथ्य पृथक-पृथक हैं। प्रत्येक जाति के अपने-अपने सामाजिक स्थिति निधरिक्त तत्व हैं जो उनकी जाति विशेष के संदर्भ में ही मान्य हैं और उनके आधार पर उस जाति विशेष में सामाजिक स्तर की मान्यता मिलती है, जिसका समर्थन परिवेश में निवासरत् अन्य जातियाँ भी करती हैं। सामाजिक स्थिति का निधरण अनेक मापदण्डों के आधार पर किया जाता है, जिनका निधरण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति के आधार पर किया जाता है, अंतिम दो मापदण्ड, स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर व्यक्ति विशेष का सामाजिक स्तर उच्च हो जाता है, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की स्थिति में सामाजिक स्तर निम्न ही रहता है। उसी प्रकार राजनैतिक पद के कारण भी संबंधित का सामाजिक स्तर प्रभावित होता है, उच्च राजनैतिक पद पाने पर उसका सामाजिक स्तर उच्च रहता है।

वेशभूषा से सभ्यता तथा बोलने या संभाषण से संस्कृति का आभास होता है। आदिवासी स्वभाव से शृंगार प्रिय जाति है। उसे वस्त्र और आभूषण पहनने का अत्यंत शौक होता है। पहनावा एवं वेशभूषा के मामले में पीढ़ी का अंतर अध्ययन क्षेत्र में स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। वर्ष 2000 के पूर्व लोग (पुरुष) सफेद फर्द (धोती) पहनते थे। इसे परम्परागत तरीके से कमर में बांधकर पहना जाता था। कमर के ऊपर एक फतोही नामक परिधान का उपयोग करते थे। सिर पर पगड़ी की भाँति गमछा बांधा जाता था, जो सफेद या ज्यादातर लाल रंग का होता था। वहीं स्त्रियाँ मूंगई सूती साड़ी पहनती थी, जो कमर के सहारे परम्परागत तरीके से पहनी जाती थीं, कमर के ऊपर पोलका पहना जाता था। लेकिन अब पुरुष वर्गों द्वारा पेन्ट शर्ट पहनने का रिवाज है, वहीं स्त्रियाँ पेटिकोट तथा साड़ी, ब्लाउज का उपयोग करती हैं। बच्चों के कपड़ों में समयानुकूल बदलाव देखा जा सकता है। ये परिवर्तन शिक्षा के प्रभाव तथा आय के कारण हुये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आदिवासियों के रहन-सहन में उनकी आर्थिक स्थिति अनुरूप आधुनिक पहनावे का महत्व बढ़ता जा रहा है।

निष्कर्ष – निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शहडोल संभाग आदिवासी संभाग होने के बावजूद भी शिक्षा, यातायात, संचार-व्यवस्था, मनोरंजन के साथ साक्षरता की स्थिति में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। यहां पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण देश के साथ-साथ विदेशों से भी पर्यटक यहां

की मनोरम प्राकृतिक वातावरण को देखने के आकर्षित हो रहे हैं। वाणसागर बहुउद्देशीय बांध परियोजना से संभाग के साथ-साथ प्रदेश ही नहीं, अपितु दूसरे प्रदेशों में भी सिंचाई के लिए पानी नहरों के माध्यम से भेजा जाता है, इसके साथ ही विद्युत उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ-साथ पशुपालन, मछलीपालन आदि से भी विभिन्न लोगों को रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो रहे हैं।

खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होने से संभाग उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कोयले की खदानों से भरपूर मात्रा में कोयला उत्खनन हो रहा है, जो मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों में ही नहीं अपितु देश के कोने-कोने में निर्यात किया जाता है। जिससे संभाग आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में है। बाक्साइट, टाईल्स पत्थरों के कारखानों ने जहां श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया है वहीं इन खनिजों के निर्यात से सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। जिससे संभाग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

संभाग में कृषि के विकास को देखा जाये तो इस क्षेत्र में भी कृषकों द्वारा रबी एवं खरीफ की फसलों का बढ़-चढ़कर उत्पादन कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि संभाग में आदिवासी जनजातियों की बाहुल्यता है, जिनमें से अधिकांश कृषक आज भी कृषि को परम्परागत तरीके से कर रहे हैं जिससे उन्हें अन्य कृषकों की तुलना में लाभ कम प्राप्त हो रहा है। इस दिशा में इस वर्ग के कृषकों को जागरूक करने की महती आवश्यकता है। सिंचाई के संसाधन को देखा जाये तो संभाग में नदियाँ, नहरें, कुएं, तालाब, ट्यूबवेल आदि की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। अतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र शहडोल संभाग प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर है। राज्य शासन की नीतियों का लाभ क्षेत्र के हर वर्ग को पात्रतानुसार समग्र रूप से प्राप्त हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. श्रीवास्तव, पी.एन : जिला गजेटियर शहडोल, म.प्र. जिला गजेटियर, वर्ष 1980।
2. पाण्डेय, प्रो. श्रीधर, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 2010
3. सिंह, रामगोपाल (2000) समाज शास्त्र, समाज शास्त्रीय अवधारणा एवं भारतीय समाज, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
4. मिश्र, उमाशंकर (2002), सामाजिक, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, पलक प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. ओवटे, मारुतिराव : छिन्दवाड़ा क्षितिज, वर्ष 1995
6. तिवारी, डॉ. शिवकुमार एवं डॉ. श्रीकमल शर्मा, म.प्र. की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था, वर्ष 2007
7. वन्या संदर्भ, 10 मार्च, 2006
8. जिला जनगणना पुस्तिका, वर्ष 2001, पृ. xxii एवं जिला जनगणना पुस्तिका, भाग-ब, वर्ष 2011
9. कुमार, डॉ. प्रमिला : मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2003
10. <https://censusindia.gov.in/census.website/node/481>

किशोरों एवं युवाओं के मध्य बाल संरक्षण संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता पर एक अध्ययन: भोपाल जिले के विशेष संदर्भ के साथ

सुनील सेन* डॉ. दीपक गर्ग**

* शोधार्थी, रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** प्रोफेसर (ह्यूमैनिटीज एवं लिबरल आर्ट्स) रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बाल संरक्षण भारत में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जहाँ किशोर और युवा बाल श्रम, बाल विवाह, यौन शोषण और ऑनलाइन शोषण जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। यह पत्र, जो पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर आधारित है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में जागरूकता स्तरों और चुनौतियों की जांच करता है। डेटा एनसीआरबी रिपोर्टों, यूनिसेफ अध्ययनों, सरकारी सर्वेक्षणों (एनएफएस-5, जनगणना, एनसीपीसीआर रिपोर्ट) और राज्य स्तर के दस्तावेजों से लिया गया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जबकि कानूनी और संस्थागत ढांचे मौजूद हैं, किशोरों और युवाओं के बीच जागरूकता अपर्याप्त बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में। साइबर सुरक्षा और औपचारिक शिकायत तंत्र (जैसे चाइल्डलाइन 1098, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियाँ) के बारे में ज्ञान कमजोर है। निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि भोपाल में स्कूल-आधारित जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता के एकीकरण और सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता अभियानों की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – बाल संरक्षण, किशोर, युवा, जागरूकता, भोपाल, एनसीआरबी, एनएफएस-5, पोक्सो, हिंसा, शोषण।

प्रस्तावना – बाल संरक्षण में बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण, शोषण और उपेक्षा की रोकथाम शामिल है। भारत सरकार ने बाल यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जैसे कई कानून पेश किए हैं। इन उपायों के बावजूद, उल्लंघन व्यापक रूप से फैले हुए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी, 2022) के अनुसार, भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश पोक्सो और बाल विवाह से संबंधित उल्लंघनों के तहत मामलों की उच्चतम संख्या दर्ज करने वाला राज्य बना हुआ है। भोपाल जिले में, तेजी से शहरीकरण, प्रवासन और डिजिटल प्रवेश ने किशोरों और युवाओं को नए जोखिमों के सामने ला दिया है, जबकि जागरूकता असंगत बनी हुई है।

किशोर एवं युवा वर्ग समाज का वह हिस्सा है जो परिवर्तन का वाहक बन सकता है। इनके बीच बाल संरक्षण संबंधी मुद्दों की समझ और संवेदनशीलता समाज में सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु आवश्यक है। इस शोध पत्र में भोपाल जिले के संदर्भ में द्वितीयक आँकड़ों द्वारा किशोरों एवं युवाओं की जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य:

1. भोपाल जिले के किशोर एवं युवाओं में बाल संरक्षण मुद्दों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. जिले में प्रमुख बाल संरक्षण संबंधी समस्याओं की पहचान करना।

कार्यप्रणाली – यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में निम्न स्रोतों से जानकारी ली गई:

1. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय रिपोर्टें (NCPCR, NCRB, UNICEF, MWCD)

2. NCRB अपराध भारत में रिपोर्ट (2018-2022)
3. NFHS-5 (2019-21) राज्य/जिला तथ्य पत्रक
4. UNICEF और NCPCR द्वारा बाल अधिकारों और जागरूकता पर प्रकाशन
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) तथा मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट
6. भोपाल जिले में बाल मुद्दों पर कार्यरत विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं।
7. संबंधित जर्नल लेख, पुस्तकें, और सरकारी नीति दस्तावेज
8. डेटा का वर्णात्मक विश्लेषण किया गया ताकि मध्य प्रदेश और भोपाल जिले के लिए विशिष्ट प्रवृत्तियों, अंतरालों, और पैटर्न को उजागर किया जा सके।

द्वितीयक डेटा की समीक्षा

1. बाल विवाह – NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 23% महिलाएं जो 20-24 वर्ष की आयु की हैं, 18 वर्ष से पहले विवाह कर चुकी हैं। भोपाल के जिला स्तर के तथ्य पत्रक ग्रामीण जिलों की तुलना में कम दर्ज दिखाते हैं, लेकिन बाल विवाह शहरी और झुग्गी-झोपड़ी समुदायों में गरीबी और सामाजिक मानदंडों के कारण जारी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रति जागरूकता शिक्षित युवाओं में अधिक है लेकिन ग्रामीण घरों में सीमित है।

2. बाल श्रम – जनगणना 2011 के अनुसार, मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिक बाल श्रमिक थे। भोपाल में एनजीओ की रिपोर्टें बताती हैं कि बाल श्रम असंगठित क्षेत्रों (घरेलू काम, सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानें, कार्यशालाएं) में प्रचलित है। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन

अधिनियम, 2016 के बारे में जागरूकता की कमी इसके जारी रहने में योगदान करती है।

3. यौन शोषण और POC SO मामले – NCRB (2022) ने मध्य प्रदेश में POC SO के तहत 16,000 से अधिक मामलों को दर्ज किया, जिसमें भोपाल शीर्ष जिलों में से एक है। कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं क्योंकि डर, कलंक, और शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान की कमी होती है। किशोर और युवा अक्सर बाल कल्याण समितियों (CWC) या विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (SJPU) के बारे में अनजान रहते हैं।

4. साइबर सुरक्षा – यूनिसेफ (2021) ने मध्य प्रदेश में युवा के बीच स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ ऑनलाइन शोषण और साइबरबुलिंग में वृद्धि की रिपोर्ट की। NCRB के साइबर अपराध आंकड़े (2022) दिखाते हैं कि ऑनलाइन उत्पीड़न के पीड़ितों की एक महत्वपूर्ण संख्या 13-24 आयु वर्ग में आती है। अभियानों के बावजूद, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में जागरूकता अपर्याप्त है।

5. संस्थागत तंत्र और जागरूकता कार्यक्रम – महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) और चाइल्डलाइन 1098 भोपाल में कार्यरत हैं। विभिन्न अभियानों जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एवं एकीकृत बाल संरक्षण योजना अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, क्षेत्रीय मूल्यांकन (MWCD रिपोर्ट) दिखाते हैं कि ग्रामीण स्कूलों और झुग्गियों में जागरूकता सत्रों की पहुंच सीमित है।

निष्कर्ष एवं चर्चा

1. भोपाल जिले में बाल संरक्षण की स्थिति – बाल श्रम और सड़क पर रहने वाले बच्चों की संख्या प्रवास एवं गरीबी के कारण अधिक है। बाल यौन शोषण मामलों में वृद्धि हुई है, NCRB आँकड़ों के अनुसार भोपाल शहरी क्षेत्र प्रमुख केंद्र है। बाल विवाह अब भी भोपाल के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। इंटरनेट के प्रसार के कारण किशोरों में साइबर शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं।

2. किशोर एवं युवाओं में जागरूकता का स्तर – अधिकांश किशोर एवं युवा बाल श्रम और यौन शोषण को समस्या मानते हैं, किंतु कानूनी प्रावधानों और शिकायत तंत्र (जैसे चाइल्डलाइन 1098) के बारे में जागरूकता कम है। स्कूल एवं कॉलेज आधारित कार्यक्रमों ने संवेदनशीलता बढ़ाई है, लेकिन कवरेज सीमित है।

3. संस्थाओं की भूमिका – शैक्षणिक संस्थानों ने बाल अधिकारों पर कार्यशालाएं आयोजित कीं, परंतु स्थायी प्रभाव कम है। NGOs ने बचाव, परामर्श और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया। सरकारी अभियानों ('बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'चाइल्डलाइन से दोस्ती') ने दृश्यता तो बढ़ाई, लेकिन दीर्घकालिक परिवर्तन सीमित है।

4. प्रमुख चुनौतियाँ – झुग्गी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक सीमित पहुँच। यौन शोषण जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा को सामाजिक मान्यताएँ बाधित करती हैं। युवाओं के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग और जागरूकता मंचों की कमी।

निष्कर्ष – द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शहरी भोपाल में कानूनी जागरूकता अधिक है लेकिन ग्रामीण और झुग्गी जनसंख्या में निरंतर अंतराल है। भोपाल जिले के किशोर एवं युवाओं को बाल श्रम एवं शोषण जैसी समस्याओं की आंशिक जानकारी है, किंतु कानूनों, शिकायत तंत्र एवं संस्थागत सहयोग की समझ सीमित है। निरंतर और व्यापक

जागरूकता प्रयासों की आवश्यकता है। बाल विवाह और बाल श्रम कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद जारी हैं, प्रवर्तन और जागरूकता की कमी के कारण।

साइबर सुरक्षा सबसे कमजोर क्षेत्र है, जहां अधिकांश किशोर डिजिटल रिपोर्टिंग उपकरणों के बारे में अनजान हैं। लिंग असमानता मौजूद है। कलंक और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जबकि लड़के अधिकतर बाल श्रम में पाए जाते हैं। संस्थागत तंत्र मौजूद हैं (चाइल्डलाइन, CWC, SJPU), लेकिन किशोर और युवा अक्सर सीमित जागरूकता के कारण इनका उपयोग नहीं करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों, समुदाय आधारित कार्यक्रमों और डिजिटल माध्यमों से युवाओं को सशक्त करना ही बाल संरक्षण को मजबूत करने का प्रभावी मार्ग है।

सुझाव:

- 1. शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम:** विद्यालयों और महाविद्यालयों में संगठित बाल संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम/मॉड्यूल सम्मिलित किए जाएँ।
- 2. युवा संगठनों की भूमिका:** NSS, NCC तथा युवा क्लबों के माध्यम से सहकर्मियों-आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ और युवाओं को नीति-निर्माण तथा वकालत में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- 3. समुदाय-आधारित पहल:** शहरी झुग्गियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में NGOs, आंगनवाड़ी केन्द्रों और युवा क्लबों के सहयोग से जागरूकता अभियान संचालित किए जाएँ।
- 4. डिजिटल सशक्तिकरण:** चाइल्डलाइन 1098 जैसे शिकायत/रिपोर्टिंग तंत्र के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी उपयोग किया जाए।
- 5. संस्थागत समन्वय:** विद्यालयों और बाल संरक्षण संस्थाओं (जैसे CWC एवं DCPU) के बीच प्रत्यक्ष एवं सतत समन्वय स्थापित किया जाए।
- 6. अभिभावक संवेदनशीलता:** अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता एवं जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएँ, जिससे कलंक (Stigma) को कम किया जा सके और घटनाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिले।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन। (2022). वार्षिक रिपोर्ट। उपलब्ध: <https://www.childlineindia.org>
2. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग। (2021). मध्यप्रदेश में बाल संरक्षण पहल। भोपाल: मध्यप्रदेश शासन।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2022). वार्षिक रिपोर्ट 2021-22। नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। (2023). क्राइम इन इंडिया 2022: सांख्यिकी। नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। (2021). भारत में बाल अधिकारों की स्थिति। नई दिल्ली: एनसीपीसीआर।
6. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)। (2021). भारत एवं राज्य तथ्य पत्रक 2019-21। मुंबई: अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) एवं ICF
7. यूनिसेफ इंडिया। (2020). बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार। उपलब्ध: <https://www.unicef.org/india>

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का कार्य के प्रति दृष्टिकोण : सर्वेक्षण आधारित अध्ययन

डॉ. उमा श्रीवास्तव*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समर्पण भाव से किये गये किसी भी कार्य का परिणाम गुणवत्ता पूर्ण ही होता है और समर्पण भाव की उत्पत्ति कार्य की संतुष्टि से ही उत्पन्न होती है। शिक्षक समाज में वह व्यक्तित्व है, जो राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। वे अपने विद्यार्थियों को न केवल केवल गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि वे मार्गदर्शक, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, प्रेरक आदि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। शिक्षित समाज की नींव में भी शिक्षकीय व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षकीय कार्य के प्रति दृष्टिकोण व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, सामान्य रूप निम्नलिखित आयामों के आधार पर प्रभावित होती है –

1. कार्य की संतुष्टि
2. कार्य का अनुभव
3. कार्य क्षेत्र का वातावरण
4. विकास के अवसर
5. कार्य की प्रेरणा

प्रस्तुत अध्ययन विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के कार्य के प्रति दृष्टिकोण का सर्वेक्षण पर आधारित विश्लेषण है। इस अध्ययन हेतु शासकीय विद्यालयों में कार्यरत 100 शिक्षकों (जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों शामिल हैं) का चयन किया गया। शोधकर्ता द्वारा चयनित प्रत्येक आयाम के विश्लेषण हेतु स्वनिर्मित 10-10 कथनों की कथनावली का निर्माण कर प्रशासित किया गया। ये कथन 5 बिन्दु लिंकर्ट स्केल आधारित थे। प्राप्त निष्कर्षों में अधिकांश न्यायदर्शों का दृष्टिकोण शैक्षिक कार्य के प्रति सकारात्मक पाया गया।

शब्द कुन्जी – कार्य संतुष्टि, कार्य के प्रति दृष्टिकोण।

प्रस्तावना – विकासशील राष्ट्र की आधारशिला शिक्षा है और शिक्षक राष्ट्र निर्माता माने जाते हैं। अतः शिक्षक राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों के प्रेरणा का स्तर और विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम उनके अपने कार्य अनुभव को प्रदर्शित करती है।

किसी भी कार्य अथवा नौकरी का मूल्यांकन विभिन्न कारकों जैसे – कार्य संतुष्टि, कार्यानुभव, विकास के अवसर, कार्य प्रेरणा और कार्य वातावरण आदि के समग्र प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए। शिक्षकीय कार्य एक आदर्श पेशा है, जहाँ शिक्षक का भावनात्मक जुड़ाव और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठता की अत्यंत आवश्यकता होती है।

अतः शिक्षक के शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले कारक यदि उसकी अभिवृत्ति व रुचि अनुरूप होंगे, वह गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्ध भी होगा।

समस्या कथन – शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का कार्य के प्रति दृष्टिकोण : सर्वेक्षण आधारित अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. शिक्षकों के कार्य के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना।
2. शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के उक्त कारकों का मूल्यांकन करना।
3. कारकों के बीच सहसम्बन्ध ज्ञात करना।
4. शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की समग्र कार्य के दृष्टिकोण का

मूल्यांकन करना।

5. शिक्षकों की कार्य बोध में सुधार हेतु सुझाव देना।

परिभाषाएँ – अध्ययन में प्रयुक्त नवीन शब्दों की परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं–

कार्य संतुष्टि – कार्य संतुष्टि वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य से आत्म-संतोष, खुशी, कार्य की पूर्णता पर गर्वित महसूस करता है। यह वह मानसिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की कार्य से जुड़ी अपेक्षाओं और वास्तविक अनुभवों के बीच संतुलन की स्थिति को दर्शाती है। कार्य संतुष्टि व्यक्ति की वह मानसिक अवस्था को प्रदर्शित करती है जिसमें कि वह अपने कार्य, कार्य का वातावरण, विकास के अवसर, वेतन, सहकर्मियों तथा प्रशासन के प्रति संतुष्टि अथवा संतोष का अनुभव करता है।

विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएँ :

बिशी (1996) : शिक्षक की कार्य-संतुष्टि यह दर्शाती है कि वह अपने दैनिक कार्यों को करते समय कैसा महसूस करता है।

हॉपॉक (1935) : कार्य-संतुष्टि व्यक्ति के उन मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का योग है, जो यह बताती है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य से कितना संतुष्ट है।

लॉक (1976) : कार्य-संतुष्टि एक ऐसी सुखद या सकारात्मक भावनात्मक अवस्था है, जो व्यक्ति के अपने कार्य के अनुभवों के मूल्यांकन से उत्पन्न होती है।

कार्य के प्रति दृष्टिकोण – कार्य के प्रति दृष्टिकोण यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति अपने कार्य को किस प्रकार से देखता है, उसमें कितनी रुचि लेता है

तथा उस कार्य के प्रति उसका भावनात्मक जुड़ाव कैसा है। यह व्यक्ति की उस मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है, जो उसके कार्य, पेशे या नौकरी के प्रति उसे अनुभव, विश्वास, भावनाएँ और प्रतिक्रिया से जुड़ी होती है।

न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन के लिए देवास जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों के 100 शिक्षकों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक पद्धति (Stratified Random Sample) द्वारा किया गया। जिसमें शासकीय विद्यालय के 60 तथा निजी विद्यालय के 40 शिक्षकों का चयन किया गया।

उपकरण निर्माण – प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित शोध उपकरण का उपयोग किया गया। शोध उपकरण निर्माण में शिक्षक के कार्य के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले 5 आयामों आधारित कथनों का निर्माण किया गया। प्रत्येक कारक में 10-10 कथनों का समावेश किया गया। ये कथन 5-बिन्दु लिंकर्ट स्केल (पूर्णतः असहमत = 1, असहमत = 2, उदासीन = 3, सहमत = 4, पूर्णतः सहमत = 5,) के आधार पर आंकलित किये गये। ये आयाम हैं-

1. कार्य के प्रति संतुष्टि (10 कथन)
2. कार्य का अनुभव (10 कथन)
3. विकास के अवसर (10 कथन)
4. कार्य क्षेत्र का वातावरण (10 कथन)
5. कार्य की प्रेरणा (10 कथन)

उक्तानुसार उपकरणों के निर्माण में प्रत्येक आयाम के लिए निम्नानुसार कथनों का समावेश किया गया -

1. कार्य के प्रति संतुष्टि – इस उपकरण में शिक्षक के रूप में कैरियर का लक्ष्य, राष्ट्र निर्माता में हिस्सेदारी, शिक्षण में आनंद, विद्यार्थियों के साथ आनंद की अनुभूति, पुनः शिक्षक बनने की चाहत, समुदाय में प्राप्त सम्मान, अभिभावकों का विश्वास, विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि तथा उच्च पद प्राप्ति पर संतुष्टि की भावना, स्वयं के शिक्षण कौशल से प्राप्त संतुष्टि आधारित कथनों का समावेश किया गया है।

2. कार्य का अनुभव – इस उपकरण में स्वयं के अनुभव से किये गये कार्यों के सकारात्मक परिणामों में गर्व के अहसास सम्बन्धी कथनों का समावेश किया गया है। जैसे विद्यार्थियों का शिक्षक के शिक्षण कार्य से संतुष्टि, विद्यालय प्रशासन एवं अभिभावकों द्वारा कार्य की सराहना व पुरस्कार, विद्यार्थी का शिक्षक की कक्षा में अधिक उपस्थिति, कार्य के अनुभवों का जीवन में उपयोग, विद्यार्थियों को सहयोग, समाज का शिक्षक के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण, विद्यार्थियों के परिवार व समाज के बीच स्वयं का होना तथा शिक्षण के अनुभव से ऊर्जा का संचार आदि जैसे कथनों का समावेश किया गया है।

3. विकास के अवसर – इस उपकरण में शिक्षक को प्राप्त विकास के अवसर से शैक्षिक कार्य के प्रति धारणा सम्बन्धी कथनों का समावेश किया गया है। जैसे पदोन्नति के अवसर, कौशल के प्रभावी उपयोग के अवसर, कार्य करने व निर्णयों के उपयोग की स्वतंत्रता के अवसर, प्रशिक्षण, सेमिनार व कार्यशालाओं के माध्यम से विकास के अवसर, चुनौतियों का सामना करने के अवसर, व्यक्तित्व, भाषा शैली व आत्मविश्वास की वृद्धि के साथ-साथ स्वयं को रोल मॉडल के रूप में प्रतिस्थापित करने के अवसर आदि जैसे कथनों का समावेश किया गया है।

4. कार्य क्षेत्र का वातावरण – विद्यालय के सकारात्मक प्रशासन व वातावरण, वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान, विद्यालय की नीतियों के क्रियान्वयन

व सुझावों में सहभागिता, सहकर्मियों का आपसी सहयोग, शिक्षण कार्य व परिस्थितियों की अनुकूलता, आवश्यकता होने पर अवकाश के दिनों में भी विद्यालय जाना तथा विद्यार्थियों का कक्षा में बेसब्री से इंतजार करना आदि जैसे कथनों का समावेश किया गया है।

5. कार्य की प्रेरणा – इस उपकरण में शिक्षकीय कार्य के प्रति धारणा को जानने हेतु आवश्यक कथनों का समावेश किया गया है। जैसे वरिष्ठों से प्रेरणा, अन्य शिक्षकों की शिक्षण विधियों को सीखना, प्रशंसा से प्रेरित होना, विद्यार्थियों से तथा उनकी उपलब्धि स्तर में वृद्धि से प्रेरणा, समाज व विद्यार्थियों से प्राप्त सम्मान से प्रेरणा, शिक्षक कार्य से सदैव ऊर्जावान तथा मानसिक अध्यास से प्रेरणा तथा समाज व राष्ट्र की शिक्षक के रूप में प्रेरित होना आदि कथनों का समावेश किया गया है।

उपकरण निर्माण के पश्चात् शोधकर्ता द्वारा Google Forms तथा व्यक्तिगत रूप से न्यादर्श के लिए चयनित शिक्षकों पर उक्त उपकरण प्रशासित कर संकलित किये गये।

प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन 'शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का कार्य के प्रति दृष्टिकोण : सर्वेक्षण आधारित अध्ययन' के लिए शोध कर्ता द्वारा निर्मित उक्त उपकरणों को Google Forms तथा व्यक्तिगत रूप से न्यादर्श के लिए चयनित शिक्षकों पर प्रशासित किया गया तथा तत्पश्चात् उनका संकलन किया गया। तालिका का निर्माण कर प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण (माध्य, मानक विचलन तथा सहसम्बन्ध) IBM SPSS Verion 20.0 सॉफ्टवेयर से किया गया।

परिणाम एवं विश्लेषण – प्राप्त आंकड़ों का संकलन कर निम्नानुसार तालिकाओं का निर्माण किया गया तथा विश्लेषण किया गया।

तालिका क्र. 1: विभिन्न आयामों के बीच सहसम्बन्ध

आयाम	कार्य की संतुष्टि	कार्य का अनुभव	विकास के अवसर	कार्य क्षेत्र का वातावरण	कार्य की प्रेरणा
कार्य की संतुष्टि	1.00	.985	.911	.923	.906
कार्य का अनुभव	.985	1.00	.916	.908	.871
विकास के अवसर	.911	.916	1.00	.982	.971
कार्य क्षेत्र का वातावरण	.923	.908	.982	1.00	.992
कार्य की प्रेरणा	.906	.871	.971	.992	1.00

विश्लेषण – उक्त तालिका से स्पष्ट है कि समस्त आयामों के आपस में सहसम्बन्ध धनात्मक पाये गये। ये सहसम्बन्ध +.75 व +1 के बीच पाये गये अर्थात् इन आयामों के बीच सहसम्बन्ध की मात्रा अधिक है। ये सहसम्बन्ध यह भी प्रदर्शित करते हैं कि एक आयाम के बढ़ने से दूसरा आयाम भी उसी दिशा में बढ़ रहा है।

अतः स्पष्ट है कि शिक्षकों के कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आयामों के धनात्मक सहसम्बन्धों पर निर्भर है। अतः शिक्षकों के कार्य का दृष्टिकोण उनके कार्य संतुष्टि, कार्य के अनुभव, विकास के अवसर, कार्य क्षेत्र का वातावरण तथा कार्य की प्रेरणा आदि आयामों पर प्रभाव डालता है।

तालिका क्र. 2 (अगले पृष्ठ पर देखें)

विश्लेषण – तालिका 2 से स्पष्ट हो रहा है कि अभिमतों के अनुसार माध्य व मानक विचलन में अन्तर है। किसी अभिमत में माध्य अधिक तो विचलन कम तथा किसी में माध्य कम तो विचलन अधिक पाया गया। निम्न तालिका

में सांख्यिकी के अनुसार माध्य व मानक विचलन की स्थिति, संकेत तथा विवेचना को प्रदर्शित किया गया है -

स्थिति	तालिका में संकेत	विवेचना
उच्च माध्य, कम मानक विचलन	***	अच्छा और स्थिर
माध्य व मानक विचलन में कम अन्तर	**	मध्यम
कम माध्य, उच्च मानक विचलन	*	कमजोर लेकिन समान प्रदर्शन

तालिका के अनुसार स्पष्ट है कि शिक्षक के कार्य के प्रति दृष्टिकोण शिक्षकों के अभिमत सहमत एवं पूर्णतः सहमत में समस्त आयामों अर्थात् कार्य की संतुष्टि, कार्य का अनुभव, विकास के अवसर, कार्य क्षेत्र का वातावरण, कार्य की प्रेरणा में अच्छे एवं स्थिर पाये गये। पूर्णतः असहमत, सहमत तथा उदासीन की स्थिति में शिक्षक के कार्य के प्रति दृष्टिकोण विकास के अवसर, कार्य क्षेत्र का वातावरण व कार्य की प्रेरणा सम्बन्ध में मध्यम पाये गये जबकि असहमत तथा उदासीन की स्थिति में कार्य अनुभव के सम्बन्ध मध्यम पाये गये।

पूर्णतः असहमत, असहमत तथा उदासीन की स्थिति में शिक्षक के कार्य के प्रति दृष्टिकोण कार्य की संतुष्टि में अत्यन्त कमजोर पाये गये तथा पूर्णतः असहमत में कार्य के अनुभव में भी अत्यन्त कमजोर पाये गये।

मुख्य निष्कर्ष - अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है -

1. शिक्षकों के कार्य के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित को प्रभावित करने वाले आयामों कार्य की संतुष्टि, कार्य के अनुभव, विकास के अवसर, कार्य का वातावरण तथा कार्य की प्रेरणा के मध्य सकारात्मक सहसम्बन्ध है।
2. माध्य एवं विचलन की गणना से प्राप्त परिणामों के अनुसार 40 प्रतिशत आयामों के मध्य सम्बन्ध अधिक व स्थिर पाये गये तथा 44 प्रतिशत में मध्यम व 16 प्रतिशत में सम्बन्ध कमजोर पाये गये।

सुझाव - शिक्षकों का कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल विद्यार्थियों बल्कि विद्यालय, समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी जाती है। अतः यह आवश्यक है, कार्य के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रयास किये जाने चाहिए। कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं -

1. **मनोवैज्ञानिक सहयोग** - यह सच है कि शिक्षक विद्यार्थियों के भावी भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। शिक्षण के लिए वे स्वयं की तैयारी, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, अच्छे विचार, परामर्श, मूल्यांकन आदि तथा विभिन्न अन्य गैर शैक्षणिक कार्य भी करते हैं। इन सब कार्यों के साथ वे कभी-कभी तनाव, थकान आदि भी महसूस करते हैं। अतः आवश्यक है कि उनके लिए भी तनाव प्रबंधन, काउंसिलिंग, मनोरंजन आदि कार्यक्रमों

तालिका क्र. 2: विभिन्न आयामों के माध्य, मानक विचलन

क्र.	अभिमत कारक/परि.	पूर्णतः असहमत		असहमत		उदासीन		सहमत		पूर्णतः सहमत	
		माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन
1.	कार्य की संतुष्टि	6.5*	9.73	11.0*	11.97	7.0*	7.888	33.5***	10.55	42.0***	11.59
2.	कार्य का अनुभव	9.00*	9.35	7.90**	7.37	10.2**	4.442	31.9***	11.48	41.0***	9.87
3.	विकास के अवसर	17.8**	9.48	13.5**	7.01	5.40**	3.306	29.6***	5.83	35.5***	11.85
4.	कार्य क्षेत्र का वातावरण	16.3**	9.66	15.6**	8.36	7.80**	2.347	30.6***	9.40	30.7***	11.22
5.	कार्य की प्रेरणा	14.8**	6.35	17.1**	7.06	3.80**	2.699	32.0***	7.21	32.3***	11.26

का आयोजन किया जावे।

2. **कैरियर उन्नति** - कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को उनकी योग्यता अनुरूप कार्य तथा पदोन्नति दी जावे। इसके लिए पारदर्शी पदोन्नति नीति तथा मेंटरशिप प्रणाली का विकास किया जावे।

3. **व्यावसायिक विकास** - विकास के लिए आवश्यक है नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। अतः शिक्षकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि वे नवीन ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ उन विधियों, प्रविधियों को सीख सकें, जो उनके कार्य को सरल और गुणवत्ता पूर्ण बना सकें।

4. **सकारात्मक पुनर्बलन** - किसी भी कार्य की गुणवत्ता पूर्ण प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस कार्य को करने वाले को सराहा जावे। अतः शिक्षकों के सकारात्मक दृष्टिकोण व शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए आवश्यक है शिक्षकों को समय-समय पर पुरस्कृत किया जावे। इसके साथ ही समाज का उनके प्रति नजरिया भी सम्मानपूर्वक होना चाहिए।

5. **कार्य का बँटवारा** - कई बार एक ही शिक्षक पर अधिक काम का बोझ, कार्य के प्रति उसके दृष्टिकोण को नकारात्मक कर देती है। अतः कार्य के समान बँटवारे के लिए स्टाफ की पूर्ति होना आवश्यक है। इसके लिए स्टॉफ की नियुक्ति सम्बन्धी विषयों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

6. **वेतन सम्बन्धी सुझाव** - शिक्षकों को विद्यार्थी के भावी भविष्य की नींव की संज्ञा दी जाती है और इसके लिए वे पूर्ण प्रयास भी करते हैं। एक साथ 40 से 60 विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाना, सिखाना व अनुशासन भी बनाना केवल शिक्षक ही कर पाते हैं। किन्तु वेतन सम्बन्धी विसंगति से कभी-कभी वे भी विचलित होते हैं। अतः आवश्यक है कि उनके कार्यों को समाज व विद्यार्थी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए वेतन व्यवस्था की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kumar, R., and Govinda, R. (2018). *Teachers and their Work in Schools: Changing context*. New Delhi: NUPEA.
2. UNESCO (2021). *Teachers in Education 2030 Framework for Action*. Paris: UNESCO.
3. Khan, Tasneem, and Kaur Jaspreet (2021). *Job Satisfaction of Teacher Educators in Relation to Professional Commitment*. *International Journal of Indian Psychology*, ISSN 2348-5396 (Online), ISSN: 2349 -3429 (Print).
4. National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Development of Women's Education in Uttar Pradesh : A Decadal Analysis of Progress, Persistent Gaps, and Policy Imperatives (2001-2011 Census Data)

Aparna Mishra* Vineeta Rani Kushwaha**

*Department of Geography, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.) INDIA

**Department of Geography, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.) INDIA

Abstract : The analysis of Census data from 2001 and 2011 reveals that Uttar Pradesh (UP), a state critical to India's overall demographic profile, underwent a period of rapid and significant transformation in female educational access. The state's overall female literacy rate surged from 42.22% in 2001 to 57.18% in 2011.¹ This exponential growth rate surpassed the national average growth rate, leading to a substantial, though incomplete, narrowing of the chronic male-female literacy disparity.² However, this macro-level success masks critical underlying structural challenges, including a deeply entrenched rural-urban divide, an anomalous decline in measured urban female literacy, and a systemic failure in educational retention, characterized by severe drop-off rates at the secondary and higher education levels.³ Future policy must therefore pivot from focusing on enrollment to addressing retention and pipeline efficiency.

Introduction

A. Contextual and Demographic Background of Uttar Pradesh:

Uttar Pradesh constitutes a massive socio-economic and demographic entity within India, accounting for one of the largest population bases globally.¹ Historically characterized by high population growth rates and comparatively low literacy levels, the educational status of its population, particularly women, is a crucial determinant of the nation's overall development indices. The state's socio-economic structure is predominantly rural, with approximately 77.73% of the population residing in villages as of the 2011 Census. This demographic reality underscores the challenge of delivering consistent educational services across vast, often isolated regions. Furthermore, the persistence of traditional social structures in many parts of the state has historically presented institutional barriers that restrict female access to and continuity in education.

B. The Global and National Imperative of Female Education:

Scholarly consensus defines female education not merely as a matter of human rights but as a fundamental lever for achieving broader national development goals, yielding both economic and significant health outcomes. The positive impact of educating women is often described as having a 'multiplier effect' on development. An educated mother is more likely to ensure the education and well-being of her children, leading to inter-generational upward mobility. This concept provides the essential theoretical framework for analyzing the profound socio-demographic

implications of the educational shifts observed in Uttar Pradesh between 2001 and 2011.

C. Study Objectives, Scope, and Methodology: This research paper aims to measure the magnitude of female literacy growth in Uttar Pradesh across the 2001–2011 decade, analyze the spatial (rural/urban) and social (Scheduled Caste) differentials in this progress, assess the systemic crisis of educational attainment, and quantify the resultant demographic impact. The study relies exclusively on the official Census of India data for 2001 and 2011, supplemented by secondary analyses published in academic journals utilizing these census reports. The scope is limited to the decadal change as captured by these two surveys.

II. Findings: Macro Trends in Female Literacy (2001–2011)

A. Decadal Growth in Overall Female Literacy: The decade spanning 2001 to 2011 marked a successful period of educational catch-up for Uttar Pradesh. The overall female literacy rate escalated dramatically, rising from 42.22% in 2001 to 57.18% in 2011, representing an absolute increase of nearly 15 percentage points.¹ While the total literacy rate for the state reached 67.68%, the rate of growth achieved in UP was significantly higher than the rate recorded for the rest of India, demonstrating a focused effort toward increasing educational access across the state.²

B. Analysis of the Gender Parity Index (GPI): The concerted efforts to increase female literacy led to a substantial reduction in the gender gap, measured as the

percentage point difference between male and female literacy rates. In 2001, the gap stood at a considerable 26.6 percentage points (68.8% Male minus 42.2% Female).³ By 2011, this disparity had narrowed to approximately 20.1 percentage points (77.28% Male minus 57.18% Female). While this narrowing gap represents significant progress, it is essential to contextualize the remaining disparity. A 20% gender gap is still alarmingly large, especially when compared to high-performing states like Kerala, Mizoram, or Meghalaya, where the difference is typically less than 5%.⁵ This suggests that despite the rapid increase in overall literacy, institutional and persistent cultural barriers that favor male education remain robust and require specialized policy interventions.

Table 1: Overall Literacy Rates and Gender Gap in Uttar Pradesh (2001- 2011 Census Data)

Census Year	Total Literacy (%)	Male Literacy (%)	Female Literacy (%)	Gender Gap (M-F)
2001	56.3	68.8	42.2	26.6
2011	67.68	77.28	57.18	20.1

C. Age-Specific Disparities: A detailed review of age-specific literacy disparity reveals a complex trend. Generally, the male-female literacy disparity decreased across most age groups between 2001 and 2011.⁶ This success is indicative of the effectiveness of adult literacy programs and the later enrollment of older girls into primary education. However, a subtle but significant contradiction exists in the foundational age cohorts. The disparity increased slightly in the 7-9 age group, rising from 0.05% in 2001 to 0.07% in 2011.⁶ This divergence suggests that the initial reluctance to enroll girls into school relative to boys persists in the youngest cohorts. If this subtle trend of prioritizing boys' initial schooling continues, the impressive gender gap reduction achieved during the 2001-2011 decade might prove unsustainable, highlighting a structural bias that must be addressed at the point of entry into the school system.

III. Spatial and Socio-Economic Differentials

A. The Rural-Urban Divide: Given that the vast majority of Uttar Pradesh's population (77.73%) resides in rural areas, progress in female education hinges on success in these regions. The data demonstrates substantial progress in rural regions, where female literacy climbed from a low base of 37.7% in 2001 to 48.48% in 2011. This 10.78 percentage point increase confirms that grassroots enrollment efforts, increased school accessibility, and localized campaigns were effective during the decade.

B. The Urban Anomaly: The most unusual finding of the decadal analysis is the reduction in measured urban female literacy, which dropped from 62.2% in 2001 to 60.96% in 2011.³ This decrease stands in sharp contrast to the overall macro-level gains and the substantial improvement in rural areas.

This unexpected decline can be understood by examining the state's rapid urbanization patterns. Uttar

Pradesh experienced an increase of 28.82% in its urban population during the 2001–2011 period. The interpretation suggests that this high influx of migrants, many of whom originated from low-literacy rural areas within UP or adjacent states, moved into rapidly expanding urban and peri-urban centres. As these low-literacy migrant populations were absorbed, they diluted the otherwise higher literacy averages of the established urban populations. Therefore, the problem is not necessarily a failure of urban education delivery, but rather an unmanaged demographic shock requiring urban educational policy to shift its focus toward integrating and accommodating highly mobile, low-literacy migrant families.

Table 2: Female Literacy Rates by Place of Residence in Uttar Pradesh (2001-2011 Census Data)

Type of Residence	2001 Female Literacy (%)	2011 Female Literacy (%)	Decadal Change (Percentage Points)
Rural	37.7	48.48	+10.78
Urban	62.2	60.96	-1.24 (Decline)

C. Accelerated Progress Among Scheduled Castes (SC): The 2001–2011 decade was particularly characterized by substantial equity gains among the most historically disadvantaged groups. Data reveals that Scheduled Caste (SC) women achieved the most rapid progress in literacy nationally.⁷ Specifically, SC rural women demonstrated an impressive 39% increase in literacy over the decade, compared to a 14 percentage point increase for rural males in the same category.⁷

This accelerated closing of the social gap indicates the measurable success of affirmative action policies and targeted government schemes designed to overcome the historical backwardness and isolation faced by SC communities.⁷ While initial enrollment has improved significantly, challenges related to poverty, economic difficulties, and high dropout rates rooted in caste isolation still persist, underscoring the need for specialized retention programs beyond mere initial access.⁷

IV. Conclusion and Policy Implications

A. Synthesis of Decadal Progress: The analysis of women's education in Uttar Pradesh confirms a significant and complex transformation. The 2001–2011 period represents a pivotal moment in the educational history of Uttar Pradesh, characterized by remarkable quantitative progress. The state successfully delivered basic literacy to millions of previously excluded women, rapidly accelerating its pace toward national norms and substantially narrowing the gender literacy gap.¹ This progress, particularly within marginalized rural and Scheduled Caste communities, validates targeted policy interventions.⁷

However, the change in dimensions reveals a triad of challenges that threatens the sustainability and quality of female educational gains:

1. The Retention Crisis: High rates of attrition, demonstrated by the decline in enrollment numbers at subsequent levels, indicate that the system successfully enrolls but fails to retain girls through the crucial secondary stage.

2. The Urbanization Challenge: The decline in measured urban literacy, linked to the absorption of low-literacy migrant populations, demands a strategic shift in urban education policy.

3. Socio-Economic Barriers: Despite accelerated progress, challenges related to poverty, economic difficulties, and high dropout rates rooted in caste isolation still persist.⁷

B. Critical Policy Recommendations: To translate these literacy gains into sustainable human capital development, future policy must address the structural inefficiencies revealed by the Census data:

1. Retention Focus: The primary policy emphasis must shift from achieving initial enrollment to significantly reducing the high attrition rates observed between the primary and secondary education levels. This requires substantial investment in secondary school infrastructure, safety mechanisms, and financial incentives to offset the opportunity costs faced by adolescent girls.

2. Targeting the Urban Marginalized: The observed decline in urban female literacy demands specialized interventions. Educational resources must be directed toward integrating the rapidly expanding, low-literacy migrant populations residing in peri-urban areas to prevent the dilution of average literacy rates and ensure equitable access in these dynamic zones.

3. Sustained Equity Investment: While SC female literacy growth was rapid, high dropout rates persist due to socio-economic barriers. Government programs must be

maintained and expanded to address the root causes of poverty and caste isolation, ensuring that basic literacy blossoms into meaningful educational attainment for these vulnerable groups.⁷

References:-

1. Census of India. (2001). *Population Census Data, Uttar Pradesh*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
2. Census of India. (2011). *Population Census Data, Uttar Pradesh*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
3. Khatoon, A. (2018). Status Of Female Education In Uttar Pradesh And Indian. *International Journal of Educational & Multidisciplinary Studies*, 1(2), 9094-9100.
4. Kumar, P. (n.d.). Challenges of Dalit women in accessing education: A study based on census data. *IRA-International Journal of Education & Multidisciplinary Studies*.
5. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI). (n.d.). *Trend in Literacy Rates of SC/ST by Sex and place of residence*.
6. Rural Development Statistics. (2014). *Scheduled Castes & Scheduled Tribes*. NIRDPR.
7. Sharama, V. K., & Rai, V. K. (2019). Decadal changes and Spatial Variations in Female Literacy in Faizab District, Uttar Pradesh. *Journal of Social Science and Interdisciplinary Research*, 8(12).
8. Singh, R., Sharma, A., & Gupta, S. (2015). Female literacy in India: An analysis of Census 2011 data and its health impact. *Indian Journal of Public Health*, 59(4), 270-274.
9. Tiwari, M. (2021). *YSSP Report on Demographic Transition in Northern India*. IIASA.

सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में सलखन जीवाश्म पार्क का एक भौगोलिक अध्ययन : चुनौतियां व समाधान

डॉ. रमन प्रकाश* लाल कुमार साकेत**

* एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद (उ.प्र.) भारत

** शोध छात्र (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – जीवाश्म पर्यटन वर्तमान समय में भू पर्यटन की उभरती हुई आकर्षक शाखा है, जो पृथ्वी के प्रागैतिहासिक धरोहर को पर्यटन (टूरिज्म) से जोड़ती है। भारत का भू-वैज्ञानिक इतिहास जीवाश्म की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली है। भारत उपमहाद्वीप गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट का भाग है, जो प्राचीनतम है। हमारे भारत देश में कई महत्वपूर्ण जीवाश्म धरोहर स्थल हैं, जिनमें सोनभद्र जिले का सलखन जीवाश्म पार्क एक प्रमुखतम स्थल है। इस पार्क में 1.4 अरब साल पुराने स्ट्रोमेटालाइड्स पाए जाते हैं, जो पृथ्वी के आरंभिक जीवन के प्रमाण हैं। यह संरचना साइनोबैक्टीरिया या नीले-हरे शैवालों के समुदाय द्वारा निर्मित है। यह प्राचीनतम पर्यावरणीय परिस्थितियों और सूक्ष्मजीवी जीवन के महत्वपूर्ण द्योदक हैं। यद्यपि, अविकसित बुनियादी ढांचे, जागरूकता का अभाव और संरक्षण का पर्याप्त अभाव के कारण इसका पर्यटन की दृष्टि से विकास सीमित हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में सलखन जीवाश्म उद्यान के वैज्ञानिक महत्व, प्रमुख चुनौतियों और इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव पर विस्तृत चर्चा की गई है।

शब्द कुंजी – सलखन, जीवाश्म पार्क, स्ट्रोमेटालाइड्स, साइनोबैक्टीरिया, जीवाश्म पर्यटन, चुनौतियां, सुझाव, सतत पर्यटन।

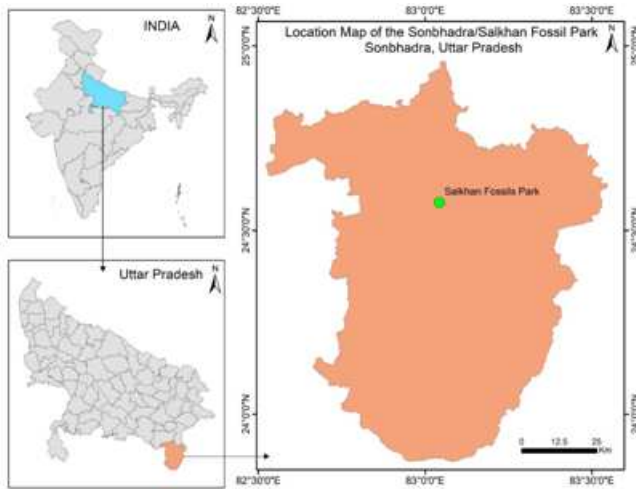
प्रस्तावना – सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन की तरह एक और विशिष्ट आयाम है, जीवाश्म पर्यटन। यह केवल आमोद-प्रमोद का साधन नहीं, बल्कि पृथ्वी के करोड़ों वर्ष पुराने इतिहास से मुखातिब होने का एक अनूठा और शैक्षणिक अनुभव है। जीवाश्म पर्यटन, जिसे पैलिओ टूरिज्म या जिओ टूरिज्म भी कहा जाता है। यह ऐसे स्थल होते हैं, जहां प्राचीनतम जीवन एवं वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। भारत जीवाश्म टूरिज्म की दृष्टि से एक समृद्धशाली देश है। यहां प्रचुर संख्या में ऐसे जीवाश्म पाया जाते हैं, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्रति योग्य हैं। सलखन जीवाश्म पार्क जिसे औपचारिक रूप से सोनभद्र जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। यह फॉसिल पार्क भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सलखन गांव में स्थित है। यह स्थल भू-वैज्ञानिक और जैविक इतिहास को उजागर करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह फॉसिल पार्क पृथ्वी पर जीवन के विकास के शुरुआती अवस्था का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस पार्क में पाए जाने वाले फॉसिल विश्व के सबसे प्राचीनतम जीवाश्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, सोनभद्र जीवाश्म पार्क को भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए भी एक मूल्यवान भू-वैज्ञानिक धरोहर है।

इस जीवाश्म पार्क में उत्तर प्रदेश सहित भारत को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। यह पार्क सोनभद्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। भू-वैज्ञानिकों की माने तो यह पार्क लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराना है। यह जीवाश्म प्रमुखतः प्रोटिरोजॉइक काल से संबंध रखता है। यह पार्क अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी बड़ा और पुराना है। अमेरिका का आलू येलोस्टोन पार्क लगभग 110 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत में जीवाश्म पर्यटन की अपार संभावनाएं निहित हैं। यह पार्क भी अपने में असीम संभावनाएं समेटे हुए हैं। यह वैज्ञानिक शोधकर्ताओं, पर्यटकों को आकर्षित करने की ताकत रखता

है, हालांकि इस जीवाश्म पर्यटन की सफलता कई चुनौतियों पर निर्भर करती है, इनमें जीवाश्म स्थलों का संरक्षण, अवैध खुदाई व तस्करी पर रोक, पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और स्थानी लोगों को इससे जोड़ना प्रमुख है। इन चुनौतियों का समाधान करके ही जीवाश्म पर्यटन को सतत और लाभकारी रूप दिया जा सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। यह पर्यटन का वह सार्थक स्वरूप है, जो आमोद-प्रमोद के साथ ही ज्ञान वर्धन करती है और आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के इतिहास को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देती है।

अध्ययन क्षेत्र – यह भारत की उल्लेखनीय भूगर्भीक स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रॉबर्टसगंज जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर सलखन नामक गांव में स्थित है। यह पार्क लगभग 25 हेक्टेयर भूमि पर व्याप्त है। यह क्षेत्र प्रमुख रूप से विंध्य पर्वत श्रेणी का कैमूर क्षेत्र है। इसी नाम से कैमूर वन्य जीव अभ्यारण भी है। इसी अभ्यारण में यह पार्क स्थित है इस पार्क तक पहुंचाने के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध हैं, जैसे- सड़क मार्ग, रेल मार्ग व वायु मार्ग आदि। इससे सबसे नजदीकी हवाई अव बाबतपुर है, जो जिला वाराणसी से में है, जो रॉबर्टसगंज जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूरी पर है। इस पार्क से निकटतम रेलवे स्टेशन रॉबर्टसगंज और चोपन है। यहां सड़क मार्ग 24/7 उपलब्ध होती है। यह क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी व ऊबड़-खाबड़ संरचना रखता है। इसके आसपास कई नदियां बहती हैं, जैसे सोन, रिहंद तथा रिजुल। इसके आसपास हरे-भरे पेड़-पौधे, झाड़ियां, झरने आदि पाए जाते हैं। ये सारी मनमोहक विशेषताएं इस क्षेत्र के आकर्षण के केंद्र हैं।

सलखन फॉसिल पार्क का स्थानिक मानचित्र



चित्र क्रमांक: 1

अध्ययन का उद्देश्य – शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. सलखन जीवाश्म पार्क के भू-वैज्ञानिक एवं पूराजैविक महत्व का उल्लेख करना,
2. इस पार्क की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों को समझना तथा
3. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति – यह शोध अध्ययन प्रमुख रूप से प्राथमिक व द्वितीय दोनों प्रकार के आंकड़ों को समाहित करता है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए क्षेत्र भ्रमण, प्रत्यक्ष अवलोकन, जीवाश्म स्थल का जीपीएस मानचित्रण, स्थानीय निवासियों एवं अधिकारियों से अनुभवजन्य बातचीत को शामिल किया गया है। द्वितीय आंकड़ों के लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (जीएसआई) की रिपोर्ट्स, शोध पत्र, प्रमुख समाचार पत्र के प्रकाशन, ऑनलाइन संसाधन आदि से आंकड़ों को एकत्र किया गया है। स्थानिक मानचित्र निर्माण हेतु आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। डेटा विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक विश्लेषण पद्धति उपयोग में लाई गई है।

सलखन जीवाश्म पार्क का इतिहास – सन 1930 से पहले यह अमूल्य धरोहर पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई थी। यह धरोहर उसे समय प्रस्फुटित हुई, जब जूलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के सर्वेयर श्री ऑडेन 1933 में इस क्षेत्र में सर्वप्रथम भू-वैज्ञानिक शोध कर रहे थे। साथ ही श्री माथुर ने 1958 व 1965 में इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर एस. कुमार ने भी इन जीवाश्मों पर अपना शोध कार्य किया। विजय शंकर चतुर्वेदी द्वारा 23 अगस्त, 2001 में हिंदुस्तान हिंदी समाचार पत्र में लिखे अपने एक लेख से आम जनमानस का ध्यान आकृष्ट किया।



चित्र क्रमांक: 2 सलखन फॉसिल पार्क के चट्टानों पर स्ट्रोमैटोलाइट

जीवाश्म

इस लेख के छपने से वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों ने जीवाश्म पार्क के प्रति अपनी रुचि दिखाई। एक साल के भीतर ही, 8 अगस्त, 2002 को जिला मजिस्ट्रेट भगवान शंकर द्वारा इस जीवाश्म को एक पार्क के रूप में औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसी कड़ी में, दिसंबर, 2002 में इस जीवाश्म पार्क को थीम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर के वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों ने प्रमुख रूप से रुचि दिखाई। भारत व विदेश के लगभग 42 प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला के प्रतिभागी बने। इस कार्यशाला में शामिल हुए कनाडाई वैज्ञानिक एच. जे. हॉफमैन ने इस जीवाश्म से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि उन्होंने इतने सुंदर व स्पष्ट जीवाश्म नहीं देखे। आगे 2013 में मुकुंद शर्मा ने जीवाश्म पर काफी शोध किया। अब तक इस जीवाश्म पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने शोध किया है।

वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि यह जीवाश्म पृथ्वी के अब तक के इतिहास का सबसे पुरातन पादप जीवाश्म है। वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि यह जीवाश्म 1.4 अब वर्ष पुराना है। यह जीवाश्म मुख्य रूप से स्ट्रोमैटोलाइट्स का एक असाधारण संग्रह है अर्थात् साइनोबैक्टीरिया या नीली-हरी शैवाल के सूक्ष्म जीवों द्वारा अवसाद कणों को आपस में जोड़ने के कारण निर्मित होती है। बता दें की नीली हरी शैवाल की कोशिकाओं के बाहर म्यूसिलेस की चिपचिपी परत होती है, जो अवसाद कणों को आपस में बांधाती है, जिससे स्ट्रोमैटोलाइट जीवाश्म का निर्माण होता है। ये स्ट्रोमैटोलाइट उस काल की पर्यावरणीय परिस्थितियों एवं सूक्ष्म जीवन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह जीवाश्म पार्क अपनी असाधारण पूराजैविक व भू-वैज्ञानिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए साइनोबैक्टीरिया संभवतः ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रथम जीव थे। इन्हीं की वजह महान ऑक्सीकरण की घटना हुई, जो आज से लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले घटित हुई इसी घटना की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई, जिससे जटिल जीवन संभव हो सका। यह प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्मजीव मेसोपोटोरोजोईक युग लगभग 1.6 से 1.00 अरब वर्ष पूर्व के हैं, जिससे उनके जीवाश्म 1.4 अरब वर्ष से पुराने माने जाते हैं।

सलखन जीवाश्म पार्क का महत्व – सोनभद्र जिले में स्थित सलखन फॉसिल पार्क भारत की एक अतुलनीय वैज्ञानिक धरोहर है, जिसका महत्व अनेक स्तरों पर है। सबसे प्रमुख महत्व इसका वैज्ञानिक दृष्टि से है। यह पार्क लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने स्ट्रोमैटोलाइट जीवाश्म का खजाना है, जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआती प्रमाण है। यह जीवाश्म हमारे ग्रह पर जीवन के उद्भव और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के विकास की गाथा बताते हैं। इसी कारण यह स्थल दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला बन गया है। दूसरा महत्व, शैक्षणिक व आर्थिक है। यह पार्क भू-विज्ञान के छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान का एक जीवंत स्थल है। इसी के साथ, इसे जियो टूरिज्म के रूप में उचित ढंग से विकसित करके देश-विदेश की पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इस जीवाश्म पार्क को अमेरिका के एलोस्टोन नेशनल पार्क की भांति विकसित कर सकते हैं। इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी विकसित करके राष्ट्रीय गौरव भी बढ़ा सकते हैं।

चुनौतियां – सलखन फॉसिल पार्क अपनी अतुलनीय विरासत के बावजूद कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसके अस्तित्व के लिए खतरा बनी हुई हैं।

1. बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी – पार्क में पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहां तक पहुंचाने के लिए उचित सड़क परिवहन के साधन, शौचालय पेयजल की व्यवस्था आदि नहीं हैं। यहां तक पहुंचाने के लिए सड़कें कच्ची और टूटी हुई हैं। इसी कारण देशी विदेशी पर्यटक यहां आने से कतराते हैं।

2. संरक्षण संबंधी गंभीर समस्याएं – पार्क की सुरक्षा की दशा ठीक नहीं है। पार्क मजबूत घेराबंदी नहीं है, कुछ स्थल तो बिना किसी घेराबंदी के हैं, जिनके नष्ट होने का खतरा बना हुआ है। पार्क के आसपास पशु चारण किया जाता है, जिससे इस पर खतरा बना हुआ है सबसे बड़ा खतरा जीवाश्म तस्करी और अवैध खनन का है।

3. जागरूकता की भारी कमी – स्थानीय लोगों को इस पार्क के वैश्विक वैज्ञानिक महत्व की कोई जानकारी नहीं है। लोग इन जीवाश्मों को साधारण पत्थर मात्र समझते हैं। इस जागरूकता के अभाव में भी स्वयं इसके संरक्षक बनने के बजाय अनजाने में ही इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं।

4. सरकारी उपेक्षा – इन सभी समस्याओं की जड़ सरकारी तंत्र की उदासीनता भी है। पार्क को विकसित करने, व्यापक प्रचार-प्रसार, उचित फंड आवंटित करने, कारगर योजना बनाने और कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने संबंधी कार्यों में विभाग सफल रहा है।

जीवाश्म पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सुझाव:

1. तीव्र गति से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, प्रमुख रूप से पार्क तक पहुंचने वाली सड़कों का मानक स्तर पर निर्माण, डिजिटल सेंटर व संग्रहालय का निर्माण आदि।
2. वेबसाइट और वर्चुअल टूर बनाकर व्यापक रूप से डिजिटल प्रचार-प्रसार किया जाए।
3. स्थानीय सामुदाय को जागरूक बनाया जाए। उन्हें इसके महत्व से अवगत कराया जाए। साथ ही, गाइड और होमस्टे की सुविधा भी वहां

के स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

4. पार्क को राष्ट्रीय वैज्ञानिक विरासत घोषित किया जाना चाहिए। यूनेस्को की स्थाई सूची में शामिल कराने के प्रयास तेज करने चाहिए। यूनेस्को ग्लोबल जिओ पार्क के रूप में भी मान्यता मिलनी चाहिए।

निष्कर्ष – सलखन जीवाश्म उद्यान भारत के अनछूए पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी दुर्दशा एक जटिल चक्र का परिणाम है, जहां बुनियादी ढांचे की कमी, जागरूकता का अभाव, संरक्षण की चुनौतियां और सरकारी उपेक्षा आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यह पर्यटन स्थल फल-फूल नहीं सका है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सबसे पहले पार्क को तत्काल एक संरक्षित राष्ट्रीय वैज्ञानिक धरोहर घोषित किया जाए। इसके बाद मजबूत सुरक्षा घेरा और निगरानी प्रणाली स्थापित करनी होगी। साथ ही, स्थानीय समुदाय को जागरूक करके इसके शैक्षणिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना होगा। सलखन पार्क की यह अमूल्य विरासत न केवल हमारा इतिहास है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक वैज्ञानिक विरासत भी है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की है। उचित विकास और प्रचार से यह एक प्रमुख जिओ—टूरिज्म स्थल बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह अरविंद (2014). सलखन फॉसिल पार्क: एन इनवैल्युएबल जूलॉजिकल हेरिटेज. जूलॉजी विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
2. सिंह, आर. और द्विवेदी, ए.के. (2023). स्टडी ऑफ़ द फॉसिल फ्लोरा करेंटली अवेलेबल इन सलख, सोनभद्र, इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंटरडिसीप्लिनरी रिसर्च इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. वॉल्यूम 6
3. दैनिक जागरण (वाराणसी संस्करण), 3 अप्रैल 2012, पृ. 7.
4. शुक्ला, बी., तथा शर्मा, एम. (2016). सालखान लाइमस्टोन (झ 1600 मा), सेमरी ग्रुप, विंधयन सुपरग्रुप, भारत से बड़े आकार के सूक्ष्मजीवाश्मों का एक नया संग्रह. जर्नल ऑफ़ द पैलियोन्टोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ इंडिया, 61(2).

The Raj Imagined: Orientalist Tropes in Rudyard Kipling's Kim

Pr Minu Gidwani*

*Asst. Professor (English) PMCoE, BKSJ Govt. College, Shajapur (M.P.) INDIA

Abstract: Rudyard Kipling's *Kim* (1901) occupies a paradoxical space within colonial literature: it is celebrated for its vivid portrayal of India's landscapes and cultures, yet simultaneously operates as a vehicle for imperial ideology. This paper interrogates the novel through the lens of Edward Said's theory of Orientalism, arguing that Kipling deploys recurring Orientalist tropes that render India as exotic, timeless, and spiritually rich but politically dependent. The analysis foregrounds three interrelated dimensions: the representation of India as a picturesque and chaotic Orient; the construction of the Tibetan Lama and the boy Kim as figures embodying both fascination with and control over the native; and the framing of India as a stage for the "Great Game," where indigenous agency is overshadowed by imperial rivalry. Drawing upon both primary textual evidence and secondary postcolonial scholarship, the paper situates *Kim* within a discourse that admires Indian diversity but ultimately reaffirms English superiority. The protagonist Kim, a hybrid child navigating both Indian and British identities, becomes the colonial fantasy of mediation and mastery, bridging cultures while reinforcing the paternalistic narrative that India requires governance by the Raj. The findings reveal that Kipling's narrative strategy is not one of simple propaganda, but of ambivalent Orientalism—simultaneously enchanted by India and invested in its subjugation. This ambivalence makes *Kim* not only a canonical imperial text but also a rich site for examining the subtle operations of cultural power within colonial discourse.

Keywords: Orientalism, imperialism, Kipling, postcolonialism, representation, hybridity, colonial discourse.

Introduction - The representation of colonized lands and peoples through the prism of European imagination is one of the most persistent features of colonial literature. From the early age of exploration through the height of the British Empire, European writers depicted the Orient not as it was lived by its people, but as it was imagined, romanticized, and constructed to suit imperial agendas. Such representations, often laden with stereotypes of mysticism, timelessness, sensuality, and political backwardness, provided cultural reinforcement for colonial domination. Literature became an instrument that simultaneously entertained metropolitan audiences and justified the colonial project. Postcolonial criticism, particularly since Edward Said's *Orientalism* (1978), has underscored how such narratives reinforced binaries of civilized/uncivilized, rational/irrational, and modern/backward—binaries that positioned the colonizer as superior and the colonized as subordinate.

Rudyard Kipling's *Kim* (1901) is a particularly revealing instance of this process. Celebrated for its vivid portrayal of Indian landscapes, languages, and cultural diversity, the novel simultaneously embodies the Orientalist tendency to exoticize India while framing it as a space requiring British stewardship. Through its ethnographic cataloguing of castes

and communities, its fascination with mystical quests, and its staging of the "Great Game" of espionage, *Kim* constructs an image of India that is enchanting yet dependent, spiritual yet politically passive, diverse yet incapable of self-rule. The figure of Kim, an Irish orphan raised in Indian culture but trained to serve imperial intelligence, epitomizes this colonial fantasy of mediation and mastery. His hybridity reflects the colonial desire to both immerse in and control the native space, while ultimately reaffirming British superiority.

At the same time, as critics such as Homi Bhabha and Benita Parry have argued, colonial texts like *Kim* are marked by ambivalence. Kipling's admiration for Indian culture and his deep knowledge of its languages and customs complicate a purely propagandist reading. The Lama, for instance, embodies an Oriental mysticism that Kipling both reveres and patronizes, while Kim himself unsettles fixed categories of identity by moving fluidly between Indian and British worlds. This duality reveals how Orientalist texts are never simple instruments of domination; they are also sites of negotiation, contradiction, and cultural interplay.

This paper examines *Kim* through the theoretical framework of Orientalism and postcolonial criticism. Drawing on Said's notion of Orientalist discourse, Bhabha's

insights into hybridity and ambivalence, and Parry's critique of postcolonial readings, it investigates the ways in which Kipling deploys Orientalist tropes to render India simultaneously exotic and governable. The analysis will focus on three dimensions: the representation of India as a timeless and picturesque Orient; the characterization of the Lama and Kim as figures of spiritual exoticism and colonial mediation; and the framing of India as the backdrop for imperial rivalry in the "Great Game." By situating Kipling's novel within these critical perspectives, the paper argues that *Kim* naturalizes imperial authority even as it reveals the contradictions and anxieties of colonial representation.

Statement of the Problem: Colonial literature did not merely entertain; it functioned as a cultural instrument that legitimized imperial rule. By representing the colonized world through European imagination, such texts constructed a reality in which the Orient was defined by exoticism, passivity, and political incapacity. As Edward Said argues in *Orientalism* (1978), the Orient was rarely allowed to speak for itself; it was spoken for, analysed, and represented through Western categories of knowledge. In this sense, colonial texts became both the mirror and the weapon of empire—mirroring Europe's self-image as rational and superior while weaponizing stereotypes of the colonized as mystical, timeless, and incapable of self-governance.

Rudyard Kipling's *Kim* epitomizes this tension. On one hand, it offers an affectionate and detailed portrait of India's landscapes, cultures, and spiritual traditions. On the other, it embeds these depictions within a framework that normalizes British superiority and positions India as a stage for imperial rivalry. Characters such as the Lama are romanticized as bearers of Eastern mysticism but are simultaneously infantilized, while Kim himself, though racially British, is presented as the colonial fantasy of a mediator who can "translate" India for the Raj. This duality reflects what Homi Bhabha terms "Ambivalence": the colonizer's simultaneous fascination with and denigration of the colonized.

The problem, therefore, lies in the way *Kim* participates in the production of Orientalist discourse. Previous scholarship has examined the novel through themes of hybridity, ambivalence, cultural conflict, and the politics of empire, but less emphasis has been placed on how Orientalist tropes specifically structure Kipling's narrative strategies and characterizations. The novel does not merely reflect the colonial encounter; it actively constructs an image of India as enchanting yet governable, spiritually rich yet politically subordinate. Identifying these Orientalist tropes and analysing how they operate within the text is thus central to understanding both Kipling's literary craft and the ideological work of colonial fiction.

This research therefore addresses the problem of how Kipling's *Kim* represents India and its peoples through Orientalist perspectives, how it situates English authority within those representations, and how it conveys the

imperial message of cultural and political dependency.

Objectives: The primary objective of this research is to critically examine the Orientalist tropes embedded in Rudyard Kipling's *Kim* and to evaluate how these tropes function as narrative strategies that reinforce, complicate, or ambivalently negotiate colonial authority. More specifically, the study aims to:

1. **Identify Orientalist Representations:** To analyze how Kipling depicts India—its landscapes, peoples, and spiritual traditions—through Orientalist lenses of exoticism, timelessness, mysticism, and dependency.
2. **Examine Characterization:** To explore how characters such as the Lama, Kim, and Indian figures are constructed in ways that both fascinate and subordinate, reflecting colonial ambivalence.
3. **Situate Imperial Ideology:** To investigate how the narrative framework of the "Great Game" and Kim's role as mediator naturalize British superiority and governance.
4. **Engage with Postcolonial Criticism:** To contextualize *Kim* within postcolonial debates, particularly drawing on Edward Said's theory of Orientalism, Homi Bhabha's concepts of hybridity and ambivalence, and Benita Parry's critiques of colonial representation.
5. **Contribute to Scholarly Discourse:** To highlight how Kipling's text functions not only as imperial propaganda but also as a site of cultural contradictions, thereby enriching ongoing discussions of colonial literature and representation.

Methodology: This study employs a qualitative research approach, grounded in textual analysis and informed by postcolonial theoretical frameworks. The primary source for analysis is Rudyard Kipling's *Kim* (1901), supported by secondary sources including critical works by Edward Said, Homi K. Bhabha, Benita Parry, Zohreh Sullivan, and other scholars of colonial and postcolonial literature.

The methodology rests on two key principles:

1. **Textual Analysis through Postcolonial Theory:**
 - i. The novel is examined not only as a literary text but also as a cultural product of the British Raj, reflecting and shaping imperial ideology.
 - ii. Said's theory of *Orientalism* provides the central analytical framework, allowing identification of tropes that exoticize India, romanticize its spirituality, and construct it as politically dependent.
 - iii. Bhabha's concepts of ambivalence, mimicry, and hybridity are employed to explore the contradictions within Kipling's representations, particularly in the characters of Kim and the Lama.
 - iv. Parry's critiques of postcolonial readings ensure a balanced perspective, preventing an oversimplified view of Kipling as merely propagandist and acknowledging the complexities of his engagement with Indian culture.
2. **Critical Discourse Analysis of Representation:**
 - i. The study analyzes how colonial power operates at the level of representation: through characterization,

narrative structure, imagery, and cultural cataloguing.

ii. Particular attention is given to how India is depicted as a space of spiritual richness yet political immaturity, how Indian characters are framed in relation to Kim, and how the "Great Game" reduces India to a backdrop for imperial rivalry.

The research design is interpretive rather than empirical, prioritizing depth of analysis over quantification. The approach is inductive: insights are drawn from close reading of the novel in conversation with postcolonial theory, rather than testing predetermined hypotheses.

In doing so, the methodology positions *Kim* within the discourse of Orientalism, allowing for a nuanced reading that both critiques the colonial messages encoded in the text and acknowledges the ambivalences and contradictions that make it a rich site for postcolonial analysis.

Orientalism and Colonial Literature

European empire grew not only through armies but through culture. Literature, travel writing, and ethnography helped construct what Edward Said calls *Orientalism*—"a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient" (*Orientalism* 3). The East was imagined as exotic, mystical, and stagnant, contrasted with the rational, progressive West. Crucially, "the Orient was not allowed to speak for itself" (Said 20).

Colonial novels naturalized empire by depicting colonized peoples as picturesque yet passive, spiritually profound yet politically inept. India was rendered timeless—"bound by caste and custom" (Said 208)—a colorful bazaar lacking agency, requiring British rule. As Gauri Viswanathan shows, English literature itself became "a strategy of rule" (*Masks of Conquest* 17), while Thomas Metcalf notes that imperial texts sustained paternalist ideologies of protection and civilization (*Ideologies of the Raj* 45).

This discourse dehumanized its subjects. Said writes: "Orientals were rarely seen or looked at; they were seen through... as problems to be solved or confined" (207). Fiction thus turned people into backdrops, curiosities, or foils for the colonizer's self-image.

Homi Bhabha, however, stresses colonial ambivalence. Empire both admired and denigrated the colonized, producing spaces of hybridity and mimicry where authority was unsettled (*Location of Culture* 86). Benita Parry similarly notes Kipling's "ethnographic immersion," arguing that Orientalist texts reinforced empire while betraying its contradictions (*Delusions and Discoveries* 54).

In short, Orientalism created an imaginative geography that legitimized domination while revealing its anxieties. Within this discourse, Kipling's *Kim* stands as a striking example: a vivid portrait of India whose richness is framed by tropes that reaffirm the Raj.

India as Exotic and Timeless in *Kim*

One of Orientalism's central tropes, as Edward Said notes, is the construction of the East as "timeless, unchanging, and deeply strange" (*Orientalism* 208). Kipling's *Kim* enacts

this by presenting India less as a modern nation than as a picturesque spectacle of bazaars, fakirs, and rituals. The opening pages set the tone: Kim is "a poor white of the very poorest" wandering through Lahore, where "the city of Lahore is full of beggars" and the air thick with cries, colors, and trade. India is staged as a sensory carnival, alive yet frozen in exoticism—what Said calls a "theatrical stage affixed to Europe" (63).

Kipling's ethnographic impulse reinforces this trope. Through Kim's mobility, the novel catalogues castes and customs with near-scientific precision. Mahbub Ali is introduced as "a horse-dealer, well known up and down the Punjab," while the Babu Hurree Chunder is defined by his comical English and caste identity. Such cataloguing, as Benita Parry observes, reveals both Kipling's "ethnographic immersion" and the imperial urge to render India legible and governable (*Delusions and Discoveries* 54). Classification becomes control.

The landscape itself is imbued with mysticism. The Lama's search for the River of the Arrow ties India to spiritual quests rather than material or political realities. He tells Kim: "I go to seek that river... it shall come to me when I am worthy." India is here not history but allegory, a land of quest and revelation. This reinforces the West's self-image as rational modernity by contrast. Homi Bhabha's notion of ambivalence is useful: Kipling admires India's richness, yet confines it to the role of enchanted Orient, "a land of charm, but always a land without history" (*Location of Culture* 86). Thus, *Kim*'s India is vivid yet politically mute—celebrated for diversity, denied agency. Its timeless exoticism naturalizes British governance by suggesting that a land so chaotic and "ancient" requires imperial order.

The Mystic and the Child: Characterization of the Lama and Kim

If the Indian landscape in *Kim* is constructed as timeless and exotic, its characters serve as vehicles through which Orientalist tropes and imperial fantasies are most vividly dramatized. Among them, the Tibetan Lama and Kim himself stand as symbolic figures—one embodying the spiritual Orient, the other representing the hybrid colonial intermediary who bridges, interprets, and ultimately controls the Orient on behalf of empire. Their roles in the narrative exemplify the dual operation of Orientalism as both fascination and subordination.

The Lama: The Mystical Orient

The Lama embodies the archetypal "mystic East." His quest for the River of the Arrow is cast as a timeless search for spiritual truth, detached from material or political realities. Early in the novel he declares: "I go to seek that river... it shall come to me when I am worthy" (Kipling 49). Such lines reinforce Edward Said's observation that the Orient was imagined as a space of "profound spirituality" contrasted with the West's pragmatic rationalism (*Orientalism* 208).

Kipling venerates the Lama's wisdom and moral

stature. He is depicted as “a great and holy man” (Kipling 56), gentle, selfless, and serene. Yet his inability to navigate India’s social and political complexities makes him dependent on Kim. When bargaining or traveling, it is Kim who acts, while the Lama retreats into meditation. This dynamic exemplifies the Orientalist trope of the East as childlike—possessing spiritual depth but incapable of practical survival without Western mediation.

The portrayal is deeply ambivalent. On one hand, Kipling invests the Lama with dignity and gravitas; on the other, he confines him to allegory, a symbol of India’s eternal religiosity rather than a figure with worldly agency. As Benita Parry notes, colonial texts often “admire and infantilize simultaneously” (*Delusions and Discoveries* 54), reducing the colonized to picturesque or moralistic types. The Lama, revered yet marginalized, exemplifies this double-bind: an emblem of wisdom, but always wisdom that requires a guide, protector, or interpreter from outside.

Kim: The Hybrid Mediator

In contrast, Kim embodies the colonial fantasy of mastery through hybridity. Though racially British—the son of an Irish soldier—he is culturally Indian, fluent in local languages, customs, and traditions. His ability to pass between worlds makes him invaluable to the colonial intelligence service, positioning him as both insider and outsider. Homi Bhabha’s concept of hybridity illuminates Kim’s role: he occupies the interstitial space between colonizer and colonized, a liminal figure whose identity troubles fixed boundaries.

Yet this hybridity ultimately serves the empire rather than destabilizing it. Kim’s knowledge of India and his immersion in native culture are mobilized for the purposes of the “Great Game,” the espionage network through which the British secure their dominance. His loyalty, despite his cultural fluidity, is directed toward the Raj. This reflects what Bhabha calls mimicry—a colonial strategy where the colonized (or hybrid figure) resembles the colonizer “almost the same but not quite,” thereby reinforcing the authority of the empire while masking its anxieties. Kim is celebrated for his adaptability, but that adaptability is harnessed to imperial ends, transforming him into an agent of British surveillance and control.

Interplay of the Mystic and the Child

Together, the Lama and Kim dramatize the interplay between Oriental spirituality and Western authority. The Lama’s quest provides the novel with its spiritual depth, but it is Kim’s pragmatism, energy, and eventual service to the British intelligence that structures the narrative. Their relationship reflects the Orientalist dichotomy: the East provides wisdom, mysticism, and spectacle, while the West (through Kim’s racial identity and imperial training) provides order, reason, and governance. As Patrick Williams observes, *Kim*’s charm lies in its ambivalence—the affectionate portrayal of Indian life coexists with a narrative trajectory that reaffirms British superiority.

Thus, through its central characters, *Kim* embodies the

classic Orientalist double-bind: it romanticizes the colonized while subordinating them, admires their spirituality while denying them political maturity, and celebrates hybridity only when it is directed toward imperial service. The Lama and Kim together exemplify how Kipling’s novel constructs the Orient as enchanting yet dependent, a cultural space requiring Western mediation to function within the imperial order.

Espionage and the Great Game: Imperial Rivalry and Indian Subordination

A central narrative thread in *Kim* is the “Great Game,” the rivalry between the British Empire and Russia for influence in Central Asia and the Indian subcontinent. This espionage framework is not incidental to the novel’s structure; it provides the political and ideological backbone against which Kim’s adventures unfold. In Kipling’s hands, India becomes less a nation with its own political aspirations and more a geographical stage upon which imperial powers enact their struggles for dominance. The subcontinent is thus represented not as an agent of history but as a passive territory, valuable primarily for its strategic significance to Western powers.

India as a Stage for Imperial Competition

The Great Game subplot illustrates Said’s notion of the Orient as a space “to be known, to be controlled, to be possessed” (*Orientalism*, 40). The espionage narrative transforms India into a chessboard where British and Russian agents move pieces, while Indians serve either as intermediaries, informants, or background characters. This framing diminishes indigenous agency: India is not imagined as an actor shaping its own destiny, but as a prize contested by rival empires. Kipling’s representation here reflects the Orientalist impulse to view the colonized land primarily through the lens of external powers, reducing it to an object of competition.

Kim as Instrument of Imperial Surveillance

Kim’s role in the Great Game underscores his function as a colonial asset. His hybridity and cultural knowledge make him ideally suited for espionage, enabling him to infiltrate diverse communities and gather intelligence. While his personal adventures provide the narrative with charm and vitality, they are ultimately subordinated to the service of empire. In this sense, Kim embodies the colonial ideal: the child of the Raj who harnesses his cross-cultural skills for the preservation of British supremacy. As Zohreh Sullivan notes, the novel “domesticates imperial power” by embedding the politics of empire within the entertaining form of a boy’s adventure story (*Narratives of Empire*, 1993). The charm of the narrative thus masks its ideological function.

The Silencing of Indian Political Voices

Perhaps the most striking aspect of the espionage framework is the absence of authentic Indian political voices. While Indian characters are vividly portrayed in cultural and spiritual terms, their role in shaping the political

future of the subcontinent is conspicuously absent. Their fates are tied not to their own agency but to the outcomes of imperial rivalry. This silence reflects what Said identifies as the structural voicelessness of the colonized within the Orientalist discourse: they are “seen through and analyzed, not as citizens, or even people, but as problems to be solved or confined” (*Orientalism*, 207). Kipling’s novel thus participates in a discourse where India is culturally rich but politically dependent, spiritually deep but strategically vulnerable.

Imperial Authority as Protective: Another Orientalist trope reinforced by the Great Game is the representation of British authority as protective and necessary. By portraying India as threatened by Russian encroachment, Kipling naturalizes the presence of the British Raj as the guardian of stability. The colonial state appears not as an occupying force but as a benevolent protector shielding India from foreign dangers. This framing aligns with Thomas Metcalf’s observation that imperial ideology often relied on paternalistic narratives of protection and guardianship (*Ideologies of the Raj*, 1995). The Great Game, in this sense, legitimizes British rule by constructing external threats that only the empire can manage.

The Adventure Masking Ideology: Finally, the espionage subplot highlights the subtlety with which imperial ideology is woven into popular fiction. The narrative of spies, disguises, and secret missions provides the excitement of adventure, but beneath the surface lies a discourse that naturalizes empire. As Patrick Williams observes, *Kim* exemplifies the “ambivalent complicity” of colonial literature: its affectionate portrayal of India coexists with a narrative trajectory that subordinates Indian agency and glorifies imperial authority. The adventure thus becomes a vehicle for ideology, making empire appear both thrilling and inevitable.

In sum, the Great Game in *Kim* reduces India to a stage for imperial competition, silences native political agency, and reinforces the trope of British authority as protective and indispensable. Through this subplot, Kipling transforms espionage into a metaphor for empire itself: a system of surveillance, control, and manipulation that renders the Orient legible, governable, and subordinate to Western power.

Ambivalence and Resistance: Kipling’s Complex Engagement with India: While *Kim* clearly participates in Orientalist discourse by exoticizing India and subordinating its people to imperial narratives, the novel is not reducible to a simple instrument of colonial propaganda. As Homi K. Bhabha reminds us in *The Location of Culture* (1994), colonial texts are marked by ambivalence: they simultaneously admire and denigrate, desire and fear, the cultures they represent. Kipling’s *Kim* exemplifies this duality, combining a deep affection for India with a narrative framework that ultimately reaffirms British supremacy.

Admiration for Indian Culture: Kipling’s ethnographic

detail demonstrates a genuine intimacy with Indian culture. His depictions of bazaars, rituals, landscapes, and the cadences of local speech reflect both knowledge and affection. Indian characters such as Mahbub Ali, the BabuHurreeChunder, and even the humble peasants are rendered with vitality and complexity rather than as flat stereotypes. This narrative energy suggests that Kipling’s engagement with India went beyond mere caricature; he admired its richness and diversity. Benita Parry emphasizes this point in *Delusions and Discoveries* (1972), noting that Kipling’s India is not simply a background for British characters but a living, breathing entity filled with voices and experiences.

The Contradictions of Hybridity: Kim himself embodies a contradiction that unsettles the neat binaries of colonizer and colonized. His hybridity—racially British but culturally Indian—complicates the idea of pure colonial superiority. He moves comfortably among Indians, speaking their languages and understanding their customs, often better than the Sahibs themselves. This flexibility reflects Bhabha’s notion of hybridity: the interstitial space where identities blur and colonial authority is destabilized. Although the narrative ultimately channels Kim’s abilities into service for the empire, his identity resists total assimilation into either category, suggesting cracks within the colonial order.

The Lama’s Spiritual Authority: The Lama, while infantilized in worldly matters, nevertheless maintains a moral and spiritual authority that the colonial narrative cannot entirely contain. His quest for enlightenment, culminating in moments of profound insight, occasionally overshadows the espionage plot. In these moments, the Lama appears less as a passive symbol and more as a figure who carries an alternative worldview—one that challenges the materialist rationality of the empire. Here, the novel allows space for what might be read as resistance: a valorization of Eastern spirituality that stands independent of colonial logic.

Ambivalence as a Narrative Strategy: The coexistence of admiration and denigration in *Kim* reflects the ambivalence of colonial discourse. Kipling’s India is chaotic and picturesque, yet deeply loved; its people are subordinated, yet vividly alive; its landscapes are exoticized, yet described with poetic care. As Patrick Williams argues, such ambivalence makes the novel ideologically powerful—it disarms criticism by embedding imperial authority within a narrative of affection. But it also makes the text open to reinterpretation: readers can find in *Kim* both a justification of empire and a celebration of India’s cultural wealth.

Resistance in the Margins: Finally, it is important to acknowledge that while *Kim* reaffirms the British Raj, it inadvertently creates spaces where colonial authority is questioned. The novel’s insistence on hybridity, its reverence for spirituality, and its vivid portrayal of Indian life allow for readings that resist a purely imperial message. In Bhabha’s terms, the very ambivalence of the text

destabilizes its own ideological project. What Kipling sought to naturalize as imperial order emerges, in retrospect, as a site of negotiation where empire's anxieties and contradictions are laid bare.

In this way, *Kim* embodies the paradox of colonial literature: it is both complicit in the production of Orientalist discourse and a text that reveals the fractures within that discourse. Its fascination with India cannot be disentangled from its subordination of India, and its affection for Indian characters cannot be separated from its narrative of British superiority. Yet in those contradictions lies the possibility of resistance, however unintended—a reminder that colonial texts are always more unstable than their ideological purposes suggest.

Conclusion: Rudyard Kipling's *Kim* remains one of the most significant literary representations of British India, not only for its narrative charm but also for the ideological work it performs. Examined through the lens of postcolonial criticism, particularly Edward Said's theory of Orientalism and Homi K. Bhabha's concepts of hybridity and ambivalence, the novel reveals how colonial literature constructs the Orient as a space of fascination, subordination, and dependency.

The analysis of India's depiction in *Kim* demonstrates how the subcontinent is presented as timeless and exotic—a kaleidoscope of bazaars, castes, and spiritual quests that entertain the Western imagination while erasing political agency. This Orientalist framework naturalizes the idea that India requires British rule to maintain order and stability. The characterization of the Lama and Kim further reinforces these tropes: the Lama embodies the mystical East, revered for spirituality yet infantilized in worldly matters, while Kim represents the hybrid colonial intermediary, admired for his adaptability but ultimately harnessed to imperial service. Their relationship dramatizes the colonial dichotomy between Eastern spirituality and Western authority.

The subplot of the Great Game strengthens this imperial message, transforming India into a stage for geopolitical rivalry between Britain and Russia. Here, the absence of authentic Indian political voices is striking, as the fate of the subcontinent is reduced to an imperial contest. In this way, the novel silences indigenous agency, presenting British presence not as domination but as protection.

Yet *Kim* is also marked by contradictions. Kipling's

affectionate and detailed portrayals of Indian life reveal a deep admiration that complicates a one-dimensional reading of the novel as propaganda. His ethnographic richness, the Lama's spiritual authority, and Kim's cultural hybridity open spaces for resistance, even if unintended. As Bhabha argues, colonial discourse is never stable; its ambivalence creates fissures through which alternative meanings emerge. *Kim* exemplifies this instability, simultaneously celebrating India and subordinating it, constructing imperial authority while exposing its anxieties. Ultimately, the significance of *Kim* lies in this ambivalence. It is a text that naturalizes the British Raj through Orientalist representation, yet also reveals the cultural complexity of colonial encounters. As Benita Parry and other critics remind us, such literature cannot be dismissed as mere propaganda; it must be read as a site where ideology, affection, contradiction, and resistance intersect.

In analyzing *Kim* as an Orientalist text, this paper has shown how colonial fiction functioned both as cultural reinforcement of empire and as a space of ambivalence where colonial authority was negotiated. Kipling's novel thus stands not only as a classic of imperial literature but also as a crucial text for postcolonial studies, illustrating how the Raj was imagined, represented, and contested within the literary imagination.

References:-

1. Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. Routledge, 1994.
2. Kipling, Rudyard. *Kim*. 1901. Edited by Zohreh T. Sullivan, Norton Critical Edition, W. W. Norton, 2002.
3. Metcalf, Thomas R. *Ideologies of the Raj*. Cambridge UP, 1995.
4. Montefiore, Jan. *Rudyard Kipling*. Northcote House, 2007.
5. Parry, Benita. *Delusions and Discoveries: India in the British Imagination, 1880–1930*. Verso, 1972.
6. Said, Edward W. *Orientalism*. Pantheon Books, 1978.
7. Sullivan, Zohreh T. *Narratives of Empire: The Fictions of Rudyard Kipling*. Cambridge UP, 1993.
8. Viswanathan, Gauri. *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India*. Columbia UP, 1989.
9. Williams, Patrick. "Kim and Orientalism." *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader*, edited by Patrick Williams and Laura Chrisman, Harvester Wheatsheaf, 1993, pp. 145–56.

A Comparative Study of Social Media Activism Across Generations

Dr. Prashant Kumar*

*Assistant Professor (Sociology) Vardhaman College, Bijnor (U.P.) INDIA

Abstract: This study explores the generational evolution of social media activism, emphasizing how digital technologies have reshaped the dynamics of collective action from the Baby Boomers to Generation Z. Drawing on secondary data and grounded in Manuel Castells' Network Society Theory, the research examines how different generations utilize communication technologies to mobilize, express dissent, and construct digital publics. Special attention is given to recent youth-led movements such as the **Nepal Gen Z Movement (September 2025)**, characterized by protests against social media restrictions, corruption, and nepotism, and amplified through hashtag activism like **#NepoKids**. The study reveals a clear transition from structured, ideology-driven activism to decentralized, visual, and instantaneous forms of mobilization facilitated by digital networks. While social media democratizes participation and amplifies marginalized voices, it also introduces challenges such as algorithmic bias, digital surveillance, and superficial engagement. Ultimately, the research underscores that generational activism through social media represents both a technological and sociopolitical evolution in how power, identity, and resistance are negotiated in the digital age.

Keywords: Social media activism, Generation Z, digital mobilization, network society, Nepal Gen Z Movement.

Introduction - Social media is a digital ecosystem of interactive platforms and applications that facilitate the creation and sharing of user-generated content, enabling individuals, communities, and organizations to connect, collaborate, and exchange information on a global scale. It is fundamentally characterized by its capacity to transition users from passive consumers to active producers and participants.

According to Kaplan and Haenlein (2010), "Social media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user-generated content."

The core essence of social media is built upon three foundational pillars:

1. Networked Connectivity: It constructs and maintains virtual social networks where users establish a digital identity, form connections, and engage in a dynamic flow of information. This architecture allows for the rapid and widespread dissemination of content, bypassing the traditional gatekeepers of mass media.

2. User-Centric Content Creation: The model is decentralized, empowering any user to generate, curate, and distribute their own content. This includes text, images, videos, and real-time broadcasts, which form the basis of a self-perpetuating cycle of interaction and feedback.

3. Real-Time Interaction and Collaboration: Social media supports a two-way, multi-directional communication model. Unlike one-way broadcasts, it encourages instantaneous

feedback through likes, comments, and shares, fostering a collaborative environment that can shape public opinion, mobilize action, and build consensus in real time.

Social media activism: Social media activism is the strategic use of digital platforms to promote a social or political cause. Social media activism has emerged as a powerful tool for shaping public discourse and driving social and political change. By enabling the swift dissemination of information, it educates communities, combats misinformation, and provides a global platform for marginalized voices. Hashtag activism, seen in movements such as **#BlackLivesMatter**, **#MeToo**, and the **Arab Spring**, has proven effective in unifying conversations, building momentum, and influencing political outcomes.

The evolution of social media and activism reflects a dynamic interplay between technological innovation and sociopolitical engagement. In the early 2000s, digital activism primarily emerged through email campaigns, online forums, and blogs that facilitated issue-based networking and community building. As the 2010s unfolded, the rise of platforms such as Facebook, Twitter, and YouTube transformed activism into a participatory and viral phenomenon, enabling rapid information dissemination and mass mobilization across transnational boundaries. By the 2020s, newer platforms like TikTok, Instagram, and Telegram further accelerated the pace and reach of activism through highly visual, interactive, and algorithm-driven content. These shifts illustrate how each generation has

adapted its modes of protest and participation to the communication technologies prevalent in its formative years, thereby reshaping the strategies, visibility, and impact of social and political movements in the digital age.

Boyd and Ellison (2007) highlighted how social networking platforms create spaces for individuals to connect, share, and mobilize around shared causes, laying the groundwork for digital activism. Building on this, Kietzmann et al. (2011) examined the functional aspects of social media, emphasizing its role in fostering participation, co-creation, and collective action through user-generated content. More recently, Tufekci (2017) explored how digital platforms have amplified protest movements such as the Arab Spring and Occupy Wall Street, demonstrating both the power of social media to organize large-scale mobilizations and the challenges activists face from state repression and algorithmic control. Together, these studies reveal that while social media is an effective tool for raising awareness and mobilization, its long-term impact depends on sustaining offline actions and overcoming structural barriers.

Research Design: This study adopts a comparative and descriptive research design to analyse patterns of social media activism across different generations. Rather than generating primary data, the research relies exclusively on secondary sources, including academic publications, policy reports, media articles, and case studies of prominent social movements.

Limitations:

1. Reliance on existing literature may omit emerging or less-documented movements.
2. Online activism's short-lived trends may not reflect long-term impact.
3. Cultural and regional variations are underrepresented in global studies.

Theoretical Framework: This study is grounded in **Manuel Castells' Network Society Theory**, which explains how communication networks enabled by digital technologies reshape power, culture, and social movements. Castells (2012) argues that in a "network society," power is diffused through networks rather than concentrated in institutions, and this allows new forms of resistance to emerge. Network Society Theory provides the lens to understand why activism looks different across generations:

Baby Boomers and Gen X use social media to extend their existing activist traditions into new digital spaces.

Millennials blend offline protest with online mobilization, embodying a transitional phase.

Gen Z fully embodies Castells' concept, using decentralized, personalized, and global communication networks as the foundation of their activism.

Table 1 (See in last page)

Comparative Analysis: Activism has taken different shapes across generations, yet certain themes such as justice, equality, and community well-being run through all of them. Baby Boomers, Generation X, Millennials, and

Generation Z have each engaged in activism shaped by their social contexts and the tools available to them, from street marches to digital networks.

For **Baby Boomers (1946–1964)**, activism was born out of powerful historical struggles like the civil rights movement, Vietnam War protests, and feminist campaigns. As they adapted to the digital age later in life, their activism moved onto Facebook, often focused on healthcare, retirement rights, and local community causes. Their approach is more formal, issue-centered, and text-based, reflecting the traditions of earlier protest methods.

Generation X (1965–1980) acted as a bridge between traditional activism and the digital world. They were influenced by anti-globalization and environmental protests, making early use of blogs, email chains, and online forums in the 1990s. With time, they incorporated platforms like Facebook and Twitter into their strategies. Their activism is hybrid in nature, blending offline demonstrations with online campaigning, as seen in the continuation of anti-globalization protests into the digital sphere.

In contrast, **Millennials (1981–1996)** emerged as the first generation to integrate social media fully into activism. They mastered the use of Twitter storms, viral videos, and online petitions to bring attention to global issues. Their role in movements such as Occupy Wall Street (economic justice), #MeToo (gender equality), and Black Lives Matter (racial justice) illustrates their ability to combine inclusivity, mass mobilization, and global solidarity. Compared to Boomers and Gen X, Millennials rely more heavily on digital platforms to connect online activism with real-world protests.

Generation Z (1997–2012) represents the most digital-native form of activism. Their movements are fast-paced, highly visual, and often global in scale. Using TikTok, Instagram, and memes, Gen Z activists are creative in reaching audiences and shaping conversations. From Greta Thunberg's climate strikes to TikTok disruptions of political rallies and Nepal's 2025 Democracy Movement, their activism is intersectional, visually striking, and rapid in mobilization. Unlike older generations, they rely less on formal petitions or long campaigns and more on viral, creative content that spreads quickly.

Taken together, these findings show a generational shift from **text-heavy, formal activism (Boomers)** to **hybrid protest strategies (Gen X)**, to **viral and global campaigns (Millennials)**, and finally to **visual, fast-paced, and highly digital-native activism (Gen Z)**. While their styles differ, all generations share a common thread of using available tools to challenge inequality and demand social change.

Impact and challenges of social media activism: Social media has significantly transformed the landscape of civic engagement by democratizing participation and amplifying marginalized voices, thereby allowing diverse communities to influence global discourses on justice, equality, and human rights. The interactive and decentralized nature of digital platforms has facilitated large-scale mobilization and

the rapid dissemination of information, making activism more accessible and immediate than ever before. However, these advancements are accompanied by complex challenges that shape the efficacy and ethics of online activism. One major concern is **algorithmic bias**, wherein platform algorithms may inadvertently suppress activist content or privilege commercially driven and sensational information, thus reinforcing existing social hierarchies and inequalities (Noble, 2018). Additionally, the pervasive **digital surveillance** employed by both state and corporate actors poses a threat to privacy and freedom of expression, as activists' online communications are routinely monitored and analysed for political control (Zuboff, 2019). Another critique centres on **clicktivism** or "slacktivism," which refers to the superficial participation of users who engage in online activism primarily through likes, shares, or hashtags without meaningful offline involvement, potentially diluting the impact of genuine social movements (Morozov, 2011). Despite these limitations, social media remains an indispensable instrument for awareness-building, mobilization, and transnational solidarity, providing a critical infrastructure for contemporary activism in the digital public sphere.

Conclusion: The trajectory of activism from the Baby Boomers to Generation Z encapsulates a profound transformation in how social change is imagined, organized, and enacted. What began as physically embodied movements driven by collective gatherings and face-to-face mobilization has evolved into a digitally networked form of resistance that transcends geographical, cultural, and institutional boundaries. Each generation's activism reflects not only its socio-historical context but also its relationship with prevailing communication technologies—shifting from print and broadcast media to the decentralized immediacy of social platforms. Social media has redefined the meaning of participation, blurring the distinction between the personal

and the political, and enabling ordinary individuals to become agents of collective action. While Baby Boomers championed structured, ideology-driven campaigns, Generation X and Millennials bridged the physical and digital spheres, and Gen Z has fully embraced activism as an interactive, real-time, and global phenomenon. Yet, this evolution also underscores the need for critical reflection on the sustainability and depth of digital mobilization in an era of algorithmic control and information saturation. Ultimately, generational activism through social media signifies not merely a change in tools but a reconfiguration of power itself—where voices once marginalized can now challenge dominant narratives and shape the contours of global social justice.

References:-

1. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
2. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230.
3. Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business Horizons*, 54(3), 241–251.
4. Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
5. Morozov, E. (2011). *The net delusion: The dark side of internet freedom* (pp. 182–186). PublicAffairs.
6. Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism* (pp. 120–123). New York University Press.
7. Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power* (pp. 351–358). PublicAffairs.

Table 1: Generational Patterns of Social Media Activism

Generation	Introduction	Social media activism style	Activity (Year)
Baby Boomers (1946-1964)	Grew up with print & broadcast media; adopted digital media later in life. More familiar with traditional activism (marches, unions, protests).	Primarily offline activism during their youth (marches, rallies, petitions).	Civil Rights Movement (1960s); later adapted to online advocacy for anti-war campaigns (Iraq 2003) and healthcare reforms.
Generation X (1965–1980)	Transition generation between analogue and digital; adapted to internet and early social networks.	Used news media, email chains, and early online forums for activism	Arab Spring (2010–2012); engaged in early online petitions and civic campaigns.
Millennials (1981–1996)	Digital adopters; came of age with internet & early social media (Orkut, Facebook, YouTube).	Heavy users of blogs, early social networks (Orkut, MySpace,).	Occupy Wall Street (2011); #MeToo Movement (2017).
Generation Z (1997–2012)	Digital natives; first generation fully immersed in smartphones, apps, and social networks.	Highly visual, viral activism on TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp Snapchat.	Nepal Gen Z Movement (Sept 2025 – protests against social media ban, corruption, nepotism; hashtag activism like #NepoKids, youth-led street protests).

मध्य प्रदेश में जुवेनाइल न्याय प्रणाली का कानूनी आलोचनात्मक विश्लेषण

मोहित श्रीवास्तव* योगेश वामकर**

* शोधार्थी, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिलकिसगंज, सिहोर (म.प्र.) भारत

** एसोसिएट प्रोफेसर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिलकिसगंज, सिहोर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में किशोर न्याय का समकालीन परिदृश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, जिसमें बच्चों के खिलाफ अपराध और बच्चों द्वारा किए गए अपराध तेजी से चिंताजनक होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि राज्य में लगातार भारत में किशोर अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश ने 2017 में 6,491 मामले, 2018 में 5,232 मामले और 2019 में 5,522 मामले दर्ज किए, जिससे यह भारत में बाल किशोरों से जुड़े सबसे बड़े अपराध अनुपात वाला राज्य बन गया। किशोर न्याय का उद्देश्य बच्चे के अधिकारों पर आधारित है और एक प्राथमिक उद्देश्य के रूप में रोकथाम पर केंद्रित है। हालाँकि, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में क्रूर सामूहिक बलात्कार मामले ने वर्तमान कानून को बदल दिया, जिससे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बन गया। यह पत्र आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करता है कि मध्य प्रदेश में किशोर न्याय कैसे काम करता है, किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, किन परिस्थितियों में बच्चे अपराध करने के लिए प्रेरित होते हैं, और इसके अनुरूप क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

शब्द कुंजी – किशोर न्याय, मध्य प्रदेश, कमीशन, अपराध, अधिनियम, अपराध आँकड़े।

प्रस्तावना – न्याय प्रणाली का विश्लेषण करने से पहले 'किशोर' शब्द को समझना आवश्यक है। यह 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को मई 2015 में लोकसभा द्वारा और दिसंबर 2015 में राज्यसभा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए पारित किया गया था।

धारा 2 (35) 'किशोर' को अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चे के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2 (13) 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चा' को एक ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित करती है जिस पर आरोप लगाया गया है या जिसने कोई अपराध किया है और जिसने इस तरह के अपराध की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। मध्य प्रदेश में, परिदृश्य विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि राज्य में पूरे देश में किशोर अपराध के मामलों की संख्या सबसे अधिक है। कुछ बच्चे अपने आसपास के समाज और परिस्थितियों के कारण अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। गुमराह करने और उचित देखभाल प्रदान नहीं करने के कारण माता-पिता भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। बड़ी संख्या में 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चे' सामाजिक-आर्थिक पीड़ित हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय, देखभाल और सुरक्षा के अधिकारों से वंचित हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – भारत में, 1960 से पहले किशोर अपराधियों की आयु सीमा के बारे में कोई एकरूपता नहीं थी। बॉम्बे बाल अधिनियम 1948 में, एक बच्चे का अर्थ था एक लड़का जिसने 16 वर्ष पूरे नहीं किए थे और एक लड़की जिसने 18 वर्ष पूरे नहीं किए थे।

1960 का बाल अधिनियम बच्चों और किशोर अपराधियों की सुरक्षा,

कल्याण, शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 1986 के किशोर न्याय अधिनियम ने किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम नियमों का पालन किया। 2000 के किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों का पालन करना था।

दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में निर्भया की घटना ने किशोर न्याय के लिए एक दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाया। संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में बच्चों के अधिकारों पर एक संधि को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप किशोर न्याय अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का निर्माण किया गया। 2015 के वर्तमान अधिनियम का उद्देश्य निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रशासन सुनिश्चित करते हुए देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास प्रदान करना है।

किशोर कौन है?

सरल भाषा में, एक किशोर एक ऐसा बच्चा है जिसने सही और गलत के बीच के अंतर को समझने के लिए परिपक्वता की आयु प्राप्त नहीं की है। कानूनी रूप से, एक किशोर एक नाबालिग है जिसकी एक निश्चित उम्र नहीं हुई है जिस पर उसे वयस्क जैसे आपराधिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015.2 (35) के अनुसार, एक किशोर का अर्थ है अठारह वर्ष से कम आयु का बच्चा और उसे विचारण और दंड के लिए वयस्क के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

किशोर भागीदारी में योगदान करने वाले कारकों में मस्तिष्क विकास के मुद्दे, शराब या ड्रग्स के संपर्क में आना, दुर्घटन या हिंसा, खराब पालन-पोषण, मीडिया का प्रभाव और शिक्षा की कमी शामिल हैं।

रिपोर्ट विश्लेषण

मध्य प्रदेश में बाल किशोर रिपोर्ट – गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में अपराध पर जानकारी संकलित करता है। 2017-2019 के दौरान राज्यवार विवरण दिखाता है: मध्य प्रदेश में बाल किशोरों के खिलाफ दर्ज मामले:

2017 में 6491
2018 में 5232
2019 में 5,522

30 सितंबर 2025 के द हिंदू दैनिक समाचार पत्र के अनुसार, एनआरसीबी ने बताया है कि 2023 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1, 77,335 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 (1, 62,449 मामले) की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्शाते हैं।

अभिलेखों के अनुसार, मध्य प्रदेश में बाल किशोरों के खिलाफ भारत में सबसे अधिक अपराध अनुपात है, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि-विरुद्ध बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। यह अपराधों को छोटे, गंभीर और जघन्य में वर्गीकृत करता है। विशेष प्रावधान 16-18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले बाल अपराधियों से निपटने के लिए हैं। यह अधिनियम किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, राज्य और जिला बालसंरक्षण इकाइयों, गृहों और गोद लेने, पालन-पोषण और प्रायोजन के माध्यम से गैर-संस्थागत देखभाल का प्रावधान करता है।

मध्य प्रदेश की किशोर न्याय प्रणाली का आलोचनात्मक कानूनी विश्लेषण

(क) संवैधानिक और कानूनी ढाँचे का विश्लेषण – मध्य प्रदेश में किशोर न्याय प्रणाली संवैधानिक अधिदेश के अंतर्गत संचालित होती है अनुच्छेद 15(3), जो राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 39(च), जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर प्रदान किए जाएँ। हालाँकि, मध्य प्रदेश के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण संवैधानिक उल्लंघन और वैधानिक गैर-अनुपालन का पता चलता है।

(ख) मध्य प्रदेश में कानूनी मुद्दे और वैधानिक उल्लंघन

1. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 8(3) का उल्लंघन: यह अधिनियम प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड के गठन का आदेश देता है। हालाँकि मध्य प्रदेश ने सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किए हैं, लेकिन इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरी जिलों में मामलों की अधिकता के कारण धारा 4 के तहत किशोरों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में किशोर न्याय बोर्ड की आवश्यकता का उल्लंघन हो रहा है।

2. धारा 47 (संरक्षण गृह) का पालन न करना: धारा 47 के अनुसार, संरक्षण गृहों में उचित आवास, शैक्षिक सुविधाएँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत अत्यधिक भीड़भाड़ और घटिया सुविधाओं को दर्शाती है, जो वैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन है।

3. धारा 15 – बाल न्यायालय में स्थानांतरण (कानूनी अस्पष्टता): सबसे विवादास्पद प्रावधान किशोर न्याय बोर्डों को यह आकलन करने की अनुमति देता है कि क्या 16-18 वर्ष की आयु के किसी किशोर, जिसने कोई जघन्य अपराध किया है, पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में, इस प्रावधान को असंगत रूप से लागू किया गया है:

1. जिलों में मानकीकृत मूल्यांकन प्रक्रियाओं का अभाव
2. प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का अभाव धारा 15(1) के तहत आवश्यक
3. प्रतिशोध के बजाय पुनर्वास के सिद्धांत का उल्लंघन
4. सलिल बाली बनाम भारत संघ (2013) में स्थापित सिद्धांतों का खंडन

4. अपर्याप्त विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ (धारा 107): धारा 107 सभी पुलिस जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना का आदेश देती है। मध्य प्रदेश में, अधिकांश जिलों में कार्यात्मक विशेष किशोर पुलिस

इकाइयों का अभाव है, जो वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है। नियमित पुलिस धारा 107(3) के तहत अनिवार्य प्रशिक्षण के बिना किशोर मामलों को संभालती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित जाँच और अधिकारों का उल्लंघन होता है।

5. धारा 18 (व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ) का उल्लंघन: अधिनियम में प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ अनिवार्य हैं। मध्य प्रदेश के संप्रेक्षण गृहों में, इस प्रावधान का शायद ही कभी पालन किया जाता है, जिससे बच्चों को व्यक्तिगत पुनर्वास से वंचित होना पड़ता है।

6. धारा 14 के तहत समय-सीमा का उल्लंघन: धारा 14 के अनुसार मामलों का निपटारा चार महीने के भीतर किया जाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में, लंबित मामलों की औसत संख्या इस सीमा से काफी अधिक है, जिससे वैधानिक समय-सीमा का उल्लंघन होता है और लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता है।

न्यायिक मिसालें और मध्य प्रदेश द्वारा अनुपालन न करना संपूर्ण

1. बेहुरा बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय की पुनर्वासात्मक प्रकृति पर जोर दिया। मध्य प्रदेश द्वारा धारा 15 का कार्यान्वयन दंडात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देकर इसके विपरीत है।

2. सलिल बाली बनाम भारत संघ (2013): न्यायालय ने माना कि किशोरों के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए चाहे अपराध की गंभीरता कुछ भी हो। मध्य प्रदेश द्वारा 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा जघन्य अपराधों से निपटने का तरीका अवसर इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

3. हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मामला (सीआरआर-1416-2024): जबलपुर पीठ ने किशोर अधिकारों के उल्लंघन से निपटा, और मध्य प्रदेश के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला।

सामाजिक-कानूनी विश्लेषण

1. उच्चतम अपराध दर – कानूनी निहिताथरू मध्य प्रदेश का सबसे अधिक किशोर अपराधों वाला राज्य होना (2017 में 6,491, 2018 में 5,232, 2019 में 5,522) यह दर्शाता है कि राज्य अनुच्छेद 39(f) के तहत बच्चों की सुरक्षा के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल

रहा है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

2. शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: मध्य प्रदेश में कानून का उल्लंघन करने वाले कई बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अनुच्छेद 21A के तहत उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिससे शैक्षिक अभाव और किशोर अपराध के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।

3. सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन: मध्य प्रदेश की उच्च गरीबी दर और बाल श्रम अनुच्छेद 23, 24 और 39(e) के उल्लंघन का संकेत देते हैं, जिससे बच्चों को अपराध की ओर धकेलने वाली स्थितियाँ पैदा होती हैं।

मध्य प्रदेश में प्रक्रियात्मक उल्लंघन

1. कानूनी सहायता का अभाव: धारा 12 किशोरों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश देती है। मध्य प्रदेश में, किशोर न्याय में प्रशिक्षित वकीलों की कमी के कारण इसका कार्यान्वयन अपर्याप्त है।

2. परिवार की भागीदारी: धारा 13 के अनुसार, कार्यवाही के दौरान माता-पिता अभिभावकों की भागीदारी अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में, इसकी अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

3. गोपनीयता का उल्लंघन: धारा 74 किशोरों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती है। मध्य प्रदेश में मीडिया रिपोर्टिंग अक्सर इस प्रावधान का उल्लंघन करती है, जिससे कलंक लगता है।

संस्थागत विफलताएँ – कानूनी परिप्रेक्ष्य

1. बाल कल्याण समितियाँ (धारा 27-28): मध्य प्रदेश की बाल कल्याण समितियों को संरचनात्मक कमियों का सामना करना पड़ता है – अपर्याप्त सदस्य, बुनियादी ढाँचे का अभाव, और किशोर न्याय बोर्ड के साथ अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ, जिससे मामलों के निपटान में कानूनी अस्पष्टताएँ पैदा होती हैं।

2. निरीक्षण और निगरानी (धारा 54): अधिनियम के तहत अनिवार्य वैधानिक निरीक्षण समितियाँ मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में निष्क्रिय हैं, जो जवाबदेही प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

3. पश्चात देखभाल (धारा 46): मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पश्चात देखभाल संगठनों का पूर्ण अभाव मुक्ति के बाद पुनर्वास के लिए वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करता है।

मध्य प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता

आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश बाल किशोरों के विरुद्ध सबसे अधिक अपराधों के मामले में प्रथम श्रेणी में है। कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए

1. बच्चों और अभिभावकों की परामर्श: सभी जिलों में परामर्श केंद्र स्थापित करें जहाँ अभिभावक और बच्चे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

2. बच्चों और शिक्षकों के बीच परामर्श: स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाता होने चाहिए ताकि जोखिम वाले बच्चों की शीघ्र पहचान हो सके।

3. जागरूकता के लिए नुस्खे नाटक: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नुस्खे नाटकों के माध्यम से किशोर न्याय और बाल अधिकारों के बारे में संवाद किया जा सके।

4. बाल प्रकोष्ठ निरीक्षण: बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए नियमित निगरानी के साथ बाल संरक्षण प्रकोष्ठों को मजबूत करें।

5. साइबर प्रकोष्ठ और पुलिस प्रकोष्ठ पहल: किशोरों से जुड़े साइबर अपराधों को बढ़ाने के लिए विशेष साइबर प्रकोष्ठ स्थापित करें।

6. गैर सरकारी संगठन पहल: बाल कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सरकारी सहयोग से और अधिक पहल गतिविधियाँ करनी चाहिए।

7. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें: ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों को लागू करें जिनका किशोर न्याय पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है।

परिणाम विश्लेषण – शोध के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है कि मध्य प्रदेश को सख्त नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। यद्यपि भारत में विभिन्न कानून और अधिनियम लागू हैं और कार्यरत हैं, फिर भी हमें बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में समाज को अच्छी परामर्श और किसी भी अपराध से सुरक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान करनी चाहिए। भारत में, कम से कम 69% माता-पिता और बच्चे निरक्षर हैं जिन्हें ऐसे अपराधों की जानकारी नहीं है। हमें बाल-किशोर अपराध परिदृश्यों पर प्रभावी प्रभाव डालने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और समाज से और अधिक पहल करने के लिए संपर्क करना चाहिए। बाल-किशोरों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित नए आँकड़े जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास केवल 2019 तक के आँकड़े हैं। बेहतर विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए हमें 2019 से 2025 तक के आँकड़े चाहिए।

निष्कर्ष – आलोचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किशोर न्याय प्रणाली का कानूनी आधार मजबूत है, लेकिन कार्यान्वयन चुनौतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित है। सबसे अधिक किशोर अपराधों वाले राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रणाली को अपने सुधारात्मक और सुरक्षात्मक लक्ष्यों को वास्तव में प्राप्त करने के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित कर्मियों और जिलों में अधिक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पुनर्वास और जवाबदेही के बीच संतुलन एक केंद्रीय बहस का विषय बना हुआ है। 2015 के संशोधन ने 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इसने बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि यह पुनर्वास के फोकस को कमजोर करता है, जबकि समर्थकों का मानना है कि यह कुछ अपराधों की गंभीरता को कम करता है। पुनर्वास के प्रयास अक्सर खराब बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी और किशोर गृहों में सीमित संसाधनों के कारण अपर्याप्त होते हैं। यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी से जुड़ती है, जिसके कारण किशोरों को लंबे समय तक पर्यवेक्षण गृहों में रहना पड़ता है, जिससे किशोरों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मध्य प्रदेश को अपने कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करना चाहिए, बजटीय आवंटन बढ़ाना चाहिए, अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, समन्वय में सुधार करना चाहिए और केवल दंड के बजाय रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल व्यापक सुधार के माध्यम से ही मध्य प्रदेश अपने किशोर अपराध दर को कम कर सकता है और किशोर न्याय के वास्तविक उद्देश्यों – बच्चों के सुधार और समाज में उनके पुनः एकीकरण – को पूरा कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध रिपोर्ट (2017-2019)
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, किशोर अपराध सांख्यिकी पर संसदीय प्रतिक्रिया।
4. शर्मा, डी. (2022). भारत में किशोर अपराध का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। कानूनी अनुसंधान विकास: एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरीड ई-जर्नल।
5. विंटरडाइक, जे., एंटोनोपोलोस, जी. ए., और कोराडो, आर. (2016). नॉर्वे के किशोर न्याय मॉडल पर विचार। अपराध निवारण और सामुदायिक सुरक्षा।
6. अग्रवाल, डी. (2018). भारत में किशोर अपराध - नवीनतम रुझान। लोग: अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान जर्नल, आईएसएसएन 2454-5899
7. खडेलवाल, के. (2020). किशोर न्याय प्रणाली। बर्निशड लॉ जर्नल, खंड 1, अंक 3, आईएसएसएन 2582-5534
8. परांजपे, एन.वी. (2012). अपराधशास्त्र और दंडशास्त्र, पीडितशास्त्र के साथ। केंद्रीय विधि प्रकाशन, इलाहाबाद।
9. राज, ए. (2024). भारत में किशोर न्याय प्रणाली: सिद्धांतों की असंगति। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल 10. मंध्यान, एस. (2023). भारत में किशोर न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल।
10. कुमार, वी. एट अल. (2024). भारत में किशोर अपराध से जुड़े कारक। सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय समीक्षा।
11. किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एमपीएचसी जबलपुर, सीआरआर-1416-2024 (13 अगस्त, 2024) 13. विलियम्स, के.एस. (2012)। अपराध विज्ञान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता एवं व्यक्तित्व गुणों का तुलनात्मक अध्ययन

विशाल कुमार* डॉ. संजीव कुमार**

* एम0 एड0 (छात्र) (शिक्षा) हिंदू कॉलेज, मुरादाबाद (एम.जे.पी.आर.यू, बरेली) (उ.प्र.) भारत

** असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा) हिंदू कॉलेज, मुरादाबाद (एम.जे.पी.आर.यू, बरेली) (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी जीवन के उस संक्रमणकाल में होते हैं जहाँ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं, ऐसे में विद्यालय का वातावरण उनके व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। प्रस्तुत शोध मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में संपन्न किया गया। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता एवं व्यक्तित्व गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में कुल 120 विद्यार्थियों (60 सह-शिक्षा तथा 60 पृथक विद्यालयों से) को शामिल किया गया। डेटा संग्रह हेतु स्वयं निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्रस्तुत शोध की प्रकृति सर्वे शोध की है। शोध निष्कर्ष में विद्यालय के प्रकार का विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता तथा व्यक्तित्व गुणों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और समायोजन क्षमता का निर्माण विद्यालय के प्रकार से अधिक उनके पारिवारिक वातावरण, अनुभवों एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

शब्द कुंजी – सह-शिक्षा, पृथक विद्यालय, समायोजन क्षमता, व्यक्तित्व गुण।

प्रस्तावना – शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम बनती है। विद्यालय न केवल ज्ञानार्जन का केंद्र है, बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक समायोजन तथा मानसिक परिपक्वता का भी प्रमुख स्थान है। माध्यमिक स्तर पर छात्र अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण चरण में होते हैं, जहाँ उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इसी समय उनकी व्यक्तित्व संरचना एवं समायोजन क्षमता का निर्माण होता है। इस दृष्टि से विद्यालय का वातावरण, शिक्षण पद्धति तथा सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालयों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं-सह-शिक्षा और पृथक विद्यालय। सह-शिक्षा में बालक एवं बालिकाएँ एक साथ अध्ययन करते हैं, जबकि पृथक विद्यालयों में दोनों के लिए अलग-अलग शिक्षण संस्थान होते हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं के अपने-अपने शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। सह-शिक्षा में विद्यार्थी विपरीत लिंग के साथ संवाद एवं सहयोग करना सीखते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, सहनशीलता, सहयोग, एवं सामाजिक समरसता जैसे गुणों का विकास होता है। वहीं, पृथक विद्यालयों में विद्यार्थियों को अपनी ही लिंग-समूह के बीच खुलकर विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे आत्म-अभिव्यक्ति और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित होती है। समायोजन क्षमता व्यक्ति का अपने परिवेश, सामाजिक परिस्थितियों तथा विद्यालयीन वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। एक सुव्यवस्थित समायोजन व्यक्ति को मानसिक संतुलन, सामाजिक स्वीकार्यता और आत्मसंतोष प्रदान करता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व गुण व्यक्ति के व्यवहार, सोच, दृष्टिकोण एवं सामाजिक सहभागिता को निर्धारित करते हैं। विद्यालय के वातावरण, शिक्षक-शिष्य संबंधों, सहपाठियों के व्यवहार तथा लिंग-

आधारित अनुभवों से इन गुणों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों की सफलता केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके समायोजन कौशल, आत्मविश्वास, संप्रेषण क्षमता और व्यक्तित्व संतुलन पर भी निर्भर करती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह अध्ययन किया जाए कि सह-शिक्षा और पृथक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच समायोजन क्षमता एवं व्यक्तित्व गुणों में क्या अंतर या समानता पाई जाती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व – विद्यालय वह स्थान है जहाँ बच्चे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, सामाजिक व्यवहार सीखते हैं तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इस संदर्भ में सह-शिक्षा और पृथक विद्यालय की व्यवस्था विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण एवं समायोजन क्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है।

सह-शिक्षा में लड़के और लड़कियाँ एक ही वातावरण में अध्ययन करते हैं, जिससे उनमें परस्पर समझ, सहनशीलता, सहयोग और समानता की भावना विकसित होती है। इससे समाज में लैंगिक समानता और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। वहीं दूसरी ओर, पृथक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को एक सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी और लिंग-विशिष्ट वातावरण मिलता है, जहाँ वे अपनी रुचियों और क्षमताओं को बिना किसी सामाजिक दबाव के विकसित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह अध्ययन किया जाए कि कौन-सा शैक्षिक वातावरण विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता और व्यक्तित्व गुणों के विकास में अधिक प्रभावी है।

इसी के दृष्टिगत शोधार्थी द्वारा इस विषय पर अध्ययन करने का निश्चय किया गया वर्तमान परिस्थितियों में यह शोध विषय न केवल शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी होगा, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और

नीतिगत दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षिक प्रणाली की पहचान करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी तथ्य के दृष्टिगत शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर सह-शिक्षा एवं पृथक विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता एवं व्यक्तित्व गुणों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

समस्या कथन- 'सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता एवं व्यक्तित्व गुणों का तुलनात्मक अध्ययन'।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।
2. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों के बारे में अध्ययन करना।
3. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं :

1. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं की समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के व्यक्तित्व गुणों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि- समस्या का चयन होने के बाद यह निश्चित करना आवश्यक है कि एक शोध के समाधान के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होगी इसके निर्माण के अभाव में कोई भी शोध कार्य संभव नहीं हो पता है प्रस्तुत शोध की प्रकृति विवरणात्मक शोध की है प्रस्तुत शोध कार्य में सर्वे विधि का चयन किया गया है जो विधिवत है।

अतः शोधार्थी द्वारा सर्वे पद्धति का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में व निश्चित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

जनसंख्या- शोध में जनसंख्या शब्दों का अर्थ भिन्न होता है। जनसंख्या का तात्पर्य संपूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। शोध की जनसंख्या में एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है और वह सजातीय होते हैं।

शोध क्षेत्र- प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का मुरादाबाद जनपद है। मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर यह शोध किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध में मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के छात्र-छात्राएं जनसंख्या के रूप में सम्मिलित हैं।

न्यादर्श- किसी भी अनुसंधान कार्य में संपूर्ण व्यक्ति समूह को अध्ययन में सम्मिलित करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए अनुसंधानकर्ता समूह के कुछ ही सदस्यों को चुनकर उन्हीं की जानकारी को संपूर्ण समूह के लिए उचित समझता है इस प्रकार यह प्रतिनिधित्व समूह ही न्यादर्श कहलाता है।

प्रस्तुत शोध में मुरादाबाद जनपद के शहरी क्षेत्र के 6 माध्यमिक विद्यालयों से 120 छात्र-छात्राओं का न्यादर्श में चयन किया गया। जिनमें से 60 छात्र एवं 60 छात्राएं थीं। कुल 120 विद्यार्थियों का चयन किया गया 60 छात्र/छात्राएं सह-शिक्षा विद्यालयों से एवं 60 छात्र/छात्राएं पृथक विद्यालयों से चयनित किये गये हैं। न्यादर्श के चयन के लिए चयन हेतु सरल यादृच्छिक नमूना विधि का प्रयोग किया गया।

शोध उपकरण- प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्वयं निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। शोधार्थी ने शोध कार्य के उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं निर्मित प्रश्नावली मापन उपकरण का प्रयोग किया है।

प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण

परिकल्पना 01- 'सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है'।

तालिका संख्या 4.1-सह-शिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की समायोजन क्षमता का सांख्यिकीय विश्लेषण।

विद्यालय का प्रकार	छात्रों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	निष्कर्ष
सहशिक्षा विद्यालय	30	75	10	1.05	0.05 पर सार्थक
पृथक विद्यालय	30	72	12		

उपर्युक्त तालिका 4.1 के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि सहशिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की समायोजन क्षमता के संदर्भ में मध्यमान 75 तथा मानक विचलन 10 है जबकि पृथक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 72 तथा मानक विचलन 12 है। समायोजन क्षमता के संदर्भ में सार्थकता स्तर पर सारणी मान 1.96 है जबकि 'टी' का परिगणित मान 1.05 है जोकि सारणी मान 1.96 से कम है तथा 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है अतः शोधार्थी द्वारा बनाई गई परिकल्पना 01 स्वीकृत की जाती है अतः कह सकते हैं कि सह-शिक्षा तथा पृथक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की समायोजन क्षमता में कोई अंतर नहीं है।

परिकल्पना 02- 'सहशिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है'।

तालिका संख्या 4.2-सहशिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं की समायोजन क्षमता का सांख्यिकीय विश्लेषण।

विद्यालय का प्रकार	छात्रों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	निष्कर्ष
सहशिक्षा विद्यालय	30	65	10	0.816	0.05 पर सार्थक
पृथक विद्यालय	30	63	09		

उपर्युक्त तालिका 4.2 के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि सहशिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की समायोजन क्षमता के संदर्भ में मध्यमान 65 तथा मानक विचलन 10 है जबकि पृथक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का मध्यमान 63 तथा मानक विचलन 09 है। समायोजन क्षमता के संदर्भ में सार्थकता स्तर पर सारणी मान 1.96 है जबकि 'टी' का परिगणित मान 0.816 है जोकि सारणी मान 1.96 से कम है तथा 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है अतः शोधार्थी द्वारा बनाई गई परिकल्पना 02 स्वीकृत की जाती है अतः कह सकते हैं, कि सहशिक्षा तथा पृथक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की समायोजन क्षमता में कोई अंतर नहीं है।

परिकल्पना 03- 'सहशिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के

व्यक्तित्व गुणों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।'

तालिका संख्या 4.3- सहशिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के व्यक्तित्व गुणों का सांख्यिकीय विश्लेषण।

विद्यालय का प्रकार	छात्रों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	निष्कर्ष
सहशिक्षा विद्यालय	30	80	11	0.968	0.05 पर सार्थक
पृथक विद्यालय	30	77	13		

उपर्युक्त तालिका 4.3 के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि सहशिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के व्यक्तित्व गुणों के संदर्भ में मध्यमान 80 तथा मानक विचलन 11 है जबकि पृथक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 77 तथा मानक विचलन 13 है। व्यक्तित्व गुणों के संदर्भ में सार्थकता स्तर पर सारणी मान 1.96 है जबकि 'टी' का परिगणित मान 0.968 है जोकि सारणी मान 1.96 से कम है तथा 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है अतः शोधार्थी द्वारा बनाई गई परिकल्पना 03 स्वीकृत की जाती है अतः कह सकते हैं कि सहशिक्षा तथा पृथक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के व्यक्तित्व गुणों में कोई अंतर नहीं है।

परिकल्पना 04- 'सहशिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।'

तालिका संख्या 4.4- सहशिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों का सांख्यिकीय विश्लेषण।

विद्यालय का प्रकार	छात्रों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	निष्कर्ष
सहशिक्षा विद्यालय	30	75	10	0.368	0.05 पर सार्थक
पृथक विद्यालय	30	74	11		

उपर्युक्त तालिका 4.4 के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि सहशिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों के संदर्भ में मध्यमान 75 तथा मानक विचलन 10 है जबकि पृथक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 74 तथा मानक विचलन 11 है। व्यक्तित्व गुणों के संदर्भ में सार्थकता स्तर पर सारणी मान 1.96 है जबकि 'टी' का परिगणित मान 0.368 है जोकि सारणी मान 1.96 से कम है तथा 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शोधार्थी द्वारा बनाई गई परिकल्पना 04 स्वीकृत की जाती है अतः कह सकते हैं कि सहशिक्षा तथा पृथक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों में कोई अंतर नहीं है।

निष्कर्ष- प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय के प्रकार चाहे वह सहशिक्षा हो या पृथक माध्यमिक विद्यालय का विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता तथा व्यक्तित्व गुणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों प्रकार के विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएँ समान रूप से अपने परिवेश,

शिक्षकों, सहपाठियों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के साथ अनुकूलन करने में सक्षम पाए गए हैं। साथ ही उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों जैसे आत्मविश्वास, सामाजिकता, भावनात्मक संतुलन एवं उत्तरदायित्व बोध में भी उल्लेखनीय अंतर नहीं पाया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन क्षमता का निर्माण विद्यालय के प्रकार से अधिक उनके पारिवारिक वातावरण, व्यक्तिगत अनुभवों एवं शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस प्रकार, सहशिक्षा एवं पृथक माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की असमानता परिलक्षित नहीं होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. चौधरी, एस. (2019). सहशिक्षा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण. लखनऊ: यूनिवर्सल बुक एजेंसी।
2. गुप्ता, एन. एल. (2017). व्यक्तित्व विकास और शिक्षा. नई दिल्ली: शारदा पब्लिशिंग हाउस।
3. राव नारायण (1964). विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के मध्य संबंध का अध्ययन, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
4. परमेश्वर (1952). किशोर और वयस्को की समायोजन क्षमता का अध्ययन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
5. चौहान, एस. एस. (2018). अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास. नई दिल्ली: वंदना पब्लिकेशन।
6. पाठक, योगेश कुमार : मेन्टल हेल्थ एण्ड सोशल एडजस्टमेंट एमोग कॉलेज स्टूडेंट्स, आर्टकल आई. डी. -004, गर्वमेंट आर्ट कालेज, राजकोट, गुजरात।
7. सालोमन, आर.सी. (2006). सिंगल सेक्स प्रोग्रामस: रिसोल्विंग द रिसर्च कन्ड्रीम टीचर्स कॉलेज रिकार्ड, 108 (4), 778 - 802।
8. मिश्रा, कुमार सुधीर एवं मिश्रा, अपर्णा (2008). लिंग विद्यालय एवं समाज, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
9. सिंह, डी. आर. (2021). किशोरों में शैक्षणिक तनाव और समायोजन के बीच संबंध, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एंड करंट एजुकेशनल रिसर्च, (आईजेएमसीआईआर)3(5), 43 46।
10. त्रिपाठी, जय गोपाल (2007), मनोविज्ञान एवं शिक्षा में शोध पद्धतियाँ, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.shodhganga.ac.in
2. www.en.wikipedia.in
3. www.researchindia.in

Regional Parties and the Dynamics of Coalition Politics in India

Neeraj*

*Primary Teacher, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, Buraka Hathin, Palwal (Haryana) INDIA

Abstract: Since the late 1980s, India's political system has shifted from single-party dominance to an era where regional political parties (RPPs) play a critical role in both state and national governance. This paper explores the historical development, theoretical foundations, and practical ways through which regional parties influence coalition politics in India. Based on a review of existing scholarship and recent electoral outcomes, the study argues that regional parties exert influence by: (a) providing crucial parliamentary support in fragmented electoral contexts, (b) negotiating policy concessions through ministerial allocations and bargaining, and (c) shaping national agendas by bringing state-specific issues into central policymaking. The paper concludes by discussing implications for democratic representation, governance stability, and policy formulation in federal systems where regionalism and clientelism intersect with national party competition.

Keywords: Regional Political Parties, Coalition Politics, Electoral Fragmentation, Clientelism, Bargaining Power, Federalism, National Governance.

Introduction - Since the 1990s, India's political landscape has been increasingly shaped by the growing prominence and negotiating leverage of regional political parties (RPPs). While initially confined to state legislatures, many RPPs have emerged as pivotal actors at the national level, particularly during periods of electoral fragmentation. In such contexts, national parties are often compelled to negotiate power-sharing arrangements and policy priorities that address regional demands. This paper examines the rise of RPPs, the mechanisms through which they influence coalition governance, and the broader implications of their involvement for democratic accountability, policy formulation, and governance stability in India.

Why Regional Parties Are Important: Scholars have identified three primary explanations for the rise, persistence, and influence of regional parties in India:

1. Institutional and Electoral Incentives – India's first-past-the-post electoral system, combined with a federal structure, creates a favourable environment for parties with concentrated regional support. Even with modest national vote shares, regional parties can convert localized support into legislative seats, allowing them to persist and thrive at both the state and national levels (Sharma, 2020; Yadav, n.d.).

2. Clientelism and Office-Seeking Motivation – Many regional parties succeed not solely due to strong regional identity but because they provide office-seeking opportunities for politicians who can deliver targeted benefits

and patronage to voters. Clientelistic arrangements and elite bargains at the state level sustain durable organizational platforms for RPPs, strengthening their capacity to influence policy and maintain electoral support (Ziegfeld, 2016).

3. Strategic Bargaining in Coalition Governments – Coalition theory emphasizes the leverage that small but pivotal parties possess in hung parliaments. When no national party secures an outright majority, RPPs can negotiate for policy concessions, ministerial portfolios, and development projects directed toward their constituencies. These mechanisms enhance both local support and organizational resources, allowing regional parties to institutionalize their influence at the national level (Sharma, 2020).

These factors work in a complementary manner: institutional structures create opportunities, clientelistic incentives encourage participation, and coalition bargaining ensures that state-level actors wield influence in national governance. Together, they explain the centrality of regional parties in India's contemporary political system.

Historical Evolution: From Congress Dominance to Coalition Politics: India's politics was dominated by the Indian National Congress (INC) in the decades following independence. This dominance eroded gradually from the 1960s to 1980s, as linguistic, caste, agrarian, and local elite politics encouraged the emergence of strong state-level parties. The late 1980s and 1990s marked a turning point: electoral volatility, internal factionalism within national

parties, and socio-economic changes led to repeated hung parliaments and coalition governments at the national level (Yadav, n.d.).

During this period, national parties such as the INC and later the BJP increasingly relied on regional parties to form stable governments. The United Progressive Alliance (UPA) era (2004–2014) exemplifies how RPPs could anchor national coalitions and secure ministries and policy influence. Conversely, the BJP's majority wins in 2014 and 2019 temporarily reduced the leverage of regional actors. Yet, the 2024 elections resulted in a more fragmented parliament, highlighting the continuing importance of regional parties as coalition partners.

Mechanisms Through Which Regional Parties Influence Coalitions

1. Vote and Seat Leverage – In parliamentary systems, the ability to offer or withhold legislative support constitutes the main source of influence. Regional parties become pivotal when national parties cannot achieve a majority on their own, enabling them to negotiate ministries, fiscal allocations, and policy initiatives advantageous to their constituencies.

2. Ministerial Control and Portfolio Allocation – By holding key ministries, RPPs can channel resources and development projects to their home states. Coalition negotiations often revolve around the distribution of ministries and administrative authority, enabling RPPs to strengthen their local bases.

3. Policy Agenda Setting – Beyond material benefits, RPPs can influence national policy by elevating state-specific concerns, such as language protection, agricultural support, water-sharing, or special status demands. National parties often make policy concessions to secure coalition support, effectively nationalizing regional issues.

4. Institutionalized Coalition Bargaining – Some RPPs formalize their influence through coalition agreements or common minimum programs. Institutionalized coalitions increase predictability and bargaining power, whereas weak coalition discipline can lead to policy instability but highlight the strategic relevance of regional actors.

5. Electoral Mobilization and Symbolic Representation – RPPs represent sub-national identities, caste groups, and patronage networks, offering symbolic and material benefits that national parties may not. This enhances their electoral mobilization and reinforces their bargaining power at the national level.

Case Studies

A. Coalition Politics (1996–1999): The mid-to-late 1990s marked a period of political instability in India, with several short-lived governments reflecting a fragmented national electorate. National parties, including the Indian National Congress (INC) and the Janata Dal, were unable to secure a clear majority in the Lok Sabha, creating a fertile environment for regional political parties (RPPs) to emerge as pivotal actors. Parties such as the Telugu Desam Party

(TDP) in Andhra Pradesh and the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) in Tamil Nadu wielded influence far beyond what their seat counts might suggest, leveraging their concentrated regional support to negotiate key ministries and policy concessions. For example, TDP and DMK ministers were able to secure control over central portfolios such as transport, communications, and rural development, directing funds and projects to their states. This period illustrates the mechanism of vote and seat leverage, where RPPs' pivotality in a hung parliament translated into disproportionate bargaining power at the national level. The era also highlighted the emergence of institutionalized coalition bargaining, as repeated negotiations established norms around ministerial allocation and policy concessions (Yadav, n.d.).

B. UPA Era (2004–2014): During the United Progressive Alliance (UPA) governments, coalition management became more structured, as the ruling alliance relied heavily on a wide array of regional partners. These included parties like the Rashtriya Janata Dal (RJD), the DMK, and the Nationalist Congress Party (NCP), each representing distinct regional and social constituencies. The coalition operated on a conditional support model, in which the backing of regional partners was tied to specific policy outcomes. RPPs influenced major national programs, such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and the National Food Security Act, ensuring that allocations and implementation benefited their constituencies. This period demonstrates how RPPs used policy shaping and agenda-setting mechanisms, not just ministerial control, to influence national legislation. Moreover, regional parties actively engaged in parliamentary committees and legislative scrutiny, reinforcing their ability to shape the legislative agenda and exercise oversight over central policy execution. The UPA era exemplifies the institutionalization of coalition influence, where formal agreements and policy negotiation frameworks allowed RPPs to maintain consistent leverage over an extended period.

C. Post-2014 and 2024 Coalition Dynamics: The 2014 and 2019 general elections marked a shift in coalition dynamics, as the Bharatiya Janata Party (BJP) secured single-party majorities, temporarily reducing the bargaining power of RPPs at the national level. Ministries and policy decisions were increasingly centralized, and regional parties were relegated to the periphery of national decision-making. However, the 2024 elections produced a more fragmented outcome, with the BJP losing its outright majority in the Lok Sabha. This change reinstated the strategic importance of RPPs, particularly in southern and eastern states, where parties such as the DMK, the Yuva Jana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP), and the Trinamool Congress (TMC) became essential for forming a stable government. In the post-2024 scenario, RPPs not only regained influence in ministerial allocation and resource distribution but also

in national agenda-setting, as their participation became critical for legislative approval and policy legitimacy. This cycle underscores the context-dependent nature of regional party leverage, showing that their influence waxes and wanes with national electoral arithmetic, yet they remain indispensable actors in India's parliamentary system (Indian Express / Associated Press, 2024; Reuters, 2024).

Impact on Governance and Democratic Representation:

The increasing role of regional political parties (RPPs) in India's coalition politics has produced a mix of positive and negative effects on governance and democratic representation.

Positive Impacts: One of the most significant benefits of RPPs' participation is **enhanced representation**. By giving a voice to local, regional, and minority interests that may otherwise be overlooked by national parties, RPPs help ensure that policymaking reflects the diversity of India's population. For example, regional parties frequently advocate for state-specific concerns such as agricultural subsidies, linguistic protections, or local infrastructure projects, thereby integrating sub-national priorities into national legislation.

Another advantage is **policy pluralism**. Coalition governments require dialogue and negotiation among multiple parties with varying priorities. This necessity for consensus encourages the consideration of a wider array of perspectives in policymaking, leading to more inclusive and, at times, innovative policy solutions. By facilitating deliberation among diverse regional and social interests, coalitions can prevent dominance by a single party's agenda and ensure that marginalized groups have input into the national decision-making process.

Negative Impacts: Despite these advantages, the influence of RPPs can also introduce challenges. One major issue is **policy fragmentation and instability**. In coalitions with multiple regional partners, the imperative to satisfy the diverse demands of each party can result in diluted or inconsistent policies. Long-term planning may be compromised as governments make ad hoc concessions to maintain coalition cohesion, rather than adhering to a coherent national strategy.

Another concern is **clientelism**, where distributive bargaining reinforces patronage networks. Regional parties may channel central resources to loyal constituencies or targeted projects in their home states, prioritizing political gains over equitable or efficient allocation of public goods. This can entrench favoritism and reduce the effectiveness of public programs.

Finally, **weak accountability** arises as a consequence of coalition complexity. When multiple parties share power and influence, it becomes difficult for voters to clearly assign credit or blame for government performance. Responsibility for policy outcomes is often diffused across parties, weakening mechanisms of electoral accountability and complicating citizens' ability to evaluate the effectiveness

of their representatives.

The net effect of RPP influence depends heavily on contextual factors, including the strength of institutional checks and balances, the relative salience of national versus regional issues, and the stability and longevity of coalition arrangements (Carnegie Endowment for International Peace, 2024).

Policy Recommendations: To maximize the democratic benefits of regional representation while mitigating governance challenges, several reforms can be considered:

1. Strengthen Coalition Institutions – Clear, formalized agreements among coalition partners, along with established dispute-resolution mechanisms, can reduce reliance on ad hoc negotiations. By institutionalizing coalition processes, governments can improve predictability and policy coherence.

2. Enhance Transparency in Resource Allocation – Implementing rigorous auditing procedures, earmarking rules, and performance monitoring for central transfers can reduce the risk of clientelistic practices. Transparent resource distribution ensures that development funds serve broader public needs rather than primarily political objectives.

3. Formalize Intergovernmental Mechanisms – Establishing regular forums such as councils of ministers or inter-state councils allows regional concerns to be systematically addressed within national policymaking processes. Such mechanisms create structured channels for negotiation and reduce the reliance on informal lobbying by regional actors.

4. Electoral and Party Reforms – Encouraging the development of cross-state party platforms can balance regional representation with the need for coherent national policies. This could involve incentives for national parties to expand into states without undermining local representation or reforms to reduce excessive fragmentation of the parliamentary system.

By implementing these measures, policymakers can preserve the democratic advantages of regional party involvement—such as inclusive representation and policy pluralism—while minimizing challenges like policy instability, patronage politics, and accountability gaps. In essence, a combination of institutional design, transparency, and electoral reform can help harness the positive potential of regional parties without allowing their influence to compromise governance quality.

Conclusion: Regional political parties (RPPs) have become an enduring and strategically adaptable force in India's coalition politics. Their influence is rooted in a combination of institutional and electoral incentives, clientelistic networks, and the arithmetic of parliamentary majorities. By representing state-level concerns and minority interests, RPPs contribute to a more inclusive and pluralistic national discourse, ensuring that diverse regional priorities are incorporated into policy deliberations.

At the same time, their presence introduces certain governance challenges. Coalition negotiations often lead to patronage-based resource allocation, policy fragmentation, and diluted long-term strategies, while the diffusion of responsibility in multi-party governments can weaken political accountability. These dynamics highlight the dual nature of RPP influence: they simultaneously enhance democratic representation and complicate governance effectiveness.

The cyclical pattern of India's electoral outcomes further underscores the strategic importance of regional parties. While periods of single-party dominance can temporarily diminish their leverage, fragmented parliaments and coalition governments consistently elevate RPPs to positions of central importance. Consequently, regional parties are likely to remain pivotal actors in shaping India's policy landscape, negotiating between regional priorities and national imperatives, and mediating the balance between inclusion and governance stability.

References:-

1. Carnegie Endowment for International Peace. (2024). *The resilience of India's fourth party system* (M. Vaishnav & C. Mallory). India Elects 2024. [https://](https://carnegieendowment.org/research/2024/09/india-election-bjp-party-politics?lang=en)
2. Indian Express / Associated Press. (2024, June 9). Relying on coalition partners, Modi is sworn in for a rare third term as India's prime minister. *Associated Press*. <https://apnews.com/article/0506b077b41cc39eb5a76b7e49b7076e>
3. Reuters. (2024, June 1). Modi's alliance set to break India's southern ceiling. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/india/modis-alliance-set-break-indias-southern-ceiling-2024-06-01/>
4. Sharma, C. K. (2020). Partisan federalism and subnational governments: Regional parties and national policy influence. *Publius: The Journal of Federalism*, 50(4), 566–587. <https://academic.oup.com/publius/article/50/4/566/5859728>
5. Yadav, H. (n.d.). Coalition politics in India: Historical overview and implications [Conference paper / chapter]. AnuBooks. https://anubooks.com/uploads/session_pdf/17509347941.pdf
6. Ziegfeld, A. (2016). *Why regional parties? Clientelism, elites, and the Indian party system*. Cambridge University Press.

आधुनिक जीवन में फास्ट फूड उपभोग का प्रभाव (दमोह शहर के संदर्भ में)

डॉ. आराधना श्रीवास*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान युग में शहरीकरण, व्यस्त जीवनशैली और समय की कमी के कारण फास्ट फूड आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह प्रवृत्ति महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों जैसे दमोह (मध्य प्रदेश) में भी तेजी से फैल रही है। इस शोध पत्र में दमोह नगर के संदर्भ में फास्ट फूड उपभोग की प्रवृत्तियों, कारणों, स्वास्थ्य प्रभावों और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। शोध के लिए 200 किशोर व किशोरियों को लिया गया है, जिससे यह प्रदर्शित किया जा सके कि छोटे शहरों में फास्ट फूड किस प्रकार आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा बन रहा है। परिणामों को ग्राफ और सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वाद, सुविधा और सामाजिक कारणों के चलते फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसके साथ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों की संभावना भी बढ़ रही है।

शब्द कुंजी – फास्ट फूड, दमोह नगर, आधुनिक जीवन, स्वास्थ्य, आहार व्यवहार, शहरीकरण।

प्रस्तावना – वर्तमान युग को यदि 'त्वरित गति का युग' कहा जाए, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज का मनुष्य समय के अभाव, कार्यभार और प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ है। ऐसे परिवेश में भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता भी सुविधा, समय और स्वाद के अनुसार बदल चुकी है। इसी संदर्भ में 'फास्ट फूड' आधुनिक जीवनशैली का प्रतीक बन गया है।

फास्ट फूड का अर्थ ऐसे भोजन से है जो त्वरित रूप से तैयार हो सके, आसान उपलब्ध हो तथा स्वादिष्ट भी हो। यह विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय है। पहले जहाँ फास्ट फूड को केवल महानगरों तक सीमित माना जाता था, वहीं अब यह प्रवृत्ति छोटे शहरों जैसे दमोह (मध्य प्रदेश) में भी तीव्र गति से फैल रही है।

दमोह नगर में विद्यालयों, कॉलेजों और बाजार क्षेत्रों के आसपास आज अनेक फास्ट फूड सेंटर, बेकरी, कैफे और स्ट्रीट फूड विक्रेता देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग, विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोग इसकी ओर आकर्षित हैं। स्वाद, सुविधा, सामाजिक मेलजोल और आधुनिकता की भावना ने फास्ट फूड को दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया है। परंतु इस सुविधा के साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी जुड़े हैं-

1. क्या फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है?
2. क्या इससे पारंपरिक भोजन संस्कृति प्रभावित हो रही है?
3. क्या दमोह जैसे छोटे नगरों में भी जीवनशैली परिवर्तन का यह संकेत है?

इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के उद्देश्य से यह शोध किया गया है। इसमें दमोह नगर के निवासियों के बीच फास्ट फूड उपभोग की प्रवृत्तियों, कारणों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल आलोचना नहीं, बल्कि संतुलित जीवनशैली के लिए जागरूकता बढ़ाना है, ताकि आधुनिकता और स्वास्थ्य दोनों के बीच

सामंजस्य स्थापित किया जा सके। फास्ट फूड का अर्थ है ऐसा भोजन जो शीघ्रता से तैयार हो, आसानी से उपलब्ध हो और स्वादिष्ट हो। यह जीवनशैली में व्यस्त व्यक्तियों के लिए सुविधा का प्रतीक बन चुका है। भारत में पिछले दो दशकों में फास्ट फूड उद्योग का तीव्र विस्तार हुआ है। छोटे नगरों में भी अब बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, समोसा, चाउमीन और मोमोज जैसी वस्तुएँ दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। यह अध्ययन इस बात का अध्ययन करता है कि फास्ट फूड किस प्रकार आधुनिक जीवनशैली, सामाजिक परिवेश और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।

साहित्य समीक्षा – किसी भी शोध कार्य की नींव पूर्ववर्ती अध्ययनों एवं विद्वानों के विचारों पर आधारित होती है। फास्ट फूड पर किए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोधों से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक भोजन प्रणाली नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य-संबंधी परिवर्तन का सूचक बन चुका है। निम्नलिखित समीक्षा इसी पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करती है।

(क) वैश्विक परिप्रेक्ष्य – फास्ट फूड संस्कृति की शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका से हुई। 1950 के दशक में मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और के.एफ.सी. जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसे व्यावसायिक रूप दिया। **मोरगन सुपरलोक 2004** ने अपनी डॉक्यूमेंट्री Super size में दिखाया कि निरंतर फास्ट फूड सेवन मोटापा, हृदय रोग और मानसिक थकान का कारण बन सकता है।

वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनाइजेशन 2019 के द्वारा की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में फास्ट फूड उपभोग पिछले दस वर्षों में 35 प्रतिशत बढ़ा है।

ब्राउनेल और हॉरजेन 2004 ने इसे Obesogenic Environment कहा, अर्थात् ऐसा सामाजिक वातावरण जो मोटापे को बढ़ावा देता है।

इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि फास्ट फूड केवल सुविधा नहीं,

बल्कि स्वास्थ्य-जोखिम का प्रमुख स्रोत बन गया है।

(ख) भारतीय परिप्रेक्ष्य - भारत में फास्ट फूड संस्कृति का विस्तार 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद हुआ। वैश्वीकरण और विदेशी ब्रांडों के प्रवेश ने इसे नई दिशा दी।

गुप्ता और वर्मा 2017 ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत युवा सप्ताह में कम से कम एक बार फास्ट फूड का सेवन करते हैं।

इन्डियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई. सी. एम. आर. 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, फास्ट फूड उपभोग से मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और पाचन समस्याओं में वृद्धि हुई है।

मिश्रा 2022 के अनुसार, भारतीय फास्ट फूड उद्योग का वार्षिक विकास दर लगभग 18 प्रतिशत है, जिसमें कॉलेज और कार्यरत युवाओं की भूमिका सबसे अधिक है।

भारतीय संदर्भ में यह प्रवृत्ति केवल भोजन तक सीमित नहीं, बल्कि जीवनशैली, सामाजिक प्रतिष्ठा और आधुनिकता की पहचान बन गई है।

(ग) छोटे नगरों का परिप्रेक्ष्य - हाल के वर्षों में छोटे नगरों और कस्बों में भी फास्ट फूड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

शर्मा और पटेल 2020 ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया कि छोटे नगरों में 45 प्रतिशत लोग सप्ताह में एक बार फास्ट फूड खाते हैं।

चतुर्वेदी 2021 ने बताया कि स्थानीय फास्ट फूड विक्रेता अब 'हाइब्रिड मॉडल' अपना रहे हैं जिसमें भारतीय स्वाद और विदेशी व्यंजन का संयोजन किया जाता है।

यह भी पाया गया कि छोटे नगरों में फास्ट फूड दुकानों की वृद्धि ने स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है।

(घ) दमोह नगर का परिप्रेक्ष्य - दमोह नगर, मध्य प्रदेश का एक उभरता हुआ जिला मुख्यालय है, जहाँ शिक्षा संस्थान, कोचिंग सेंटर और बाजार क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। यहाँ फास्ट फूड की खपत मुख्यतः छात्र वर्ग और युवाओं में देखी जाती है। स्थानीय अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पिछले पाँच वर्षों में दमोह में 25 से अधिक नई फास्ट फूड दुकानों की स्थापना हुई है। यह प्रवृत्ति न केवल खान-पान में बदलाव ला रही है, बल्कि पारंपरिक भोजन संस्कृति (जैसे दाल-भात, रोटी-सब्जी) पर भी प्रभाव डाल रही है। साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि

1. फास्ट फूड एक वैश्विक सांस्कृतिक प्रवृत्ति बन चुकी है।
2. भारत में इसका प्रसार विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच हुआ है।
3. छोटे नगर जैसे दमोह अब तेजी से बदलते आहार व्यवहार का प्रतीक हैं।
4. स्वास्थ्य संबंधी चेतना बढ़ने के बावजूद स्वाद और सुविधा प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं।

पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि फास्ट फूड संस्कृति केवल भोजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रभाव और स्वास्थ्य चेतना से जुड़ा हुआ विषय बन चुकी है। दमोह नगर के संदर्भ में यह अध्ययन इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य को स्थानीय स्तर पर समझने का प्रयास है।

विश्व स्तर पर फास्ट फूड संस्कृति अमेरिका और यूरोप से प्रारंभ हुई, परंतु अब यह एशिया और भारत में भी गहराई से स्थापित हो चुकी है। शोधों

से ज्ञात होता है कि लगातार फास्ट फूड का सेवन मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है।

शोध के उद्देश्य:

1. दमोह नगर में फास्ट फूड उपभोग की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
2. फास्ट फूड के सेवन के कारणों और प्रमुख प्रेरक तत्वों का विश्लेषण करना।
3. फास्ट फूड के स्वास्थ्य प्रभावों की पहचान करना।
4. फास्ट फूड के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों और नीतिगत सुझावों का मूल्यांकन करना।

शोध पद्धति - किसी भी शोध कार्य की सफलता उसकी पद्धति की सटीकता और वैज्ञानिकता पर निर्भर करती है। इस अध्ययन में दमोह नगर को केंद्र में रखकर फास्ट फूड की प्रवृत्तियों, कारणों और स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।

यह शोध एक क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह जानना है कि दमोह नगर में फास्ट फूड की लोकप्रियता किन कारणों से बढ़ रही है और इसका लोगों के स्वास्थ्य व जीवनशैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

अध्ययन का स्वरूप मिश्रित है -

मात्रात्मक - इसमें आँकड़ों, तालिकाओं व ग्राफ के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

गुणात्मक - प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के विचारों एवं अनुभवों पर आधारित विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के दमोह नगर का चयन किया गया है। यह जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ शिक्षा, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। हाल के वर्षों में यहाँ फास्ट फूड सेंटरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें 200 किशोर एवं किशोरियों को लिया गया है। जिसमें 100 किशोर एवं 100 किशोरियों हैं, जिनकी आयु 13 से 21 वर्ष है। डेटा संग्रहण के लिए प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत संरचित प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अवलोकन एवं द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत संबंधित शोध लेख, पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र एवं वेबसाइटें, स्थानीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को शामिल किया गया है।

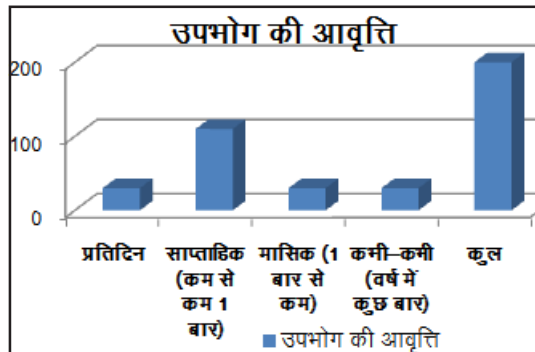
परिणाम एवं विश्लेषण - इस अध्ययन में दमोह नगर के 200 उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर फास्ट फूड उपभोग की प्रवृत्ति, कारण और स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। डेटा को सांख्यिकीय सारणियों और ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ताकि परिणामों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

(क) फास्ट फूड उपभोग की आवृत्ति -

क्रमांक	उपभोग की आवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या का प्रतिशत
प्रतिदिन	30	15 प्रतिशत
साप्ताहिक (कम से कम 1 बार)	110	55 प्रतिशत
मासिक (1 बार से कम)	30	15 प्रतिशत
कभी-कभी (वर्ष में कुछ बार)	30	15 प्रतिशत
कुल	200	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि लगभग 55 प्रतिशत उत्तरदाता सप्ताह में एक बार या अधिक बार फास्ट फूड का सेवन करते हैं। यह आँकड़े

स्पष्ट संकेत देते हैं कि फास्ट फूड अब केवल अवसर विशेष पर नहीं, बल्कि नियमित आहार का हिस्सा बन चुका है।

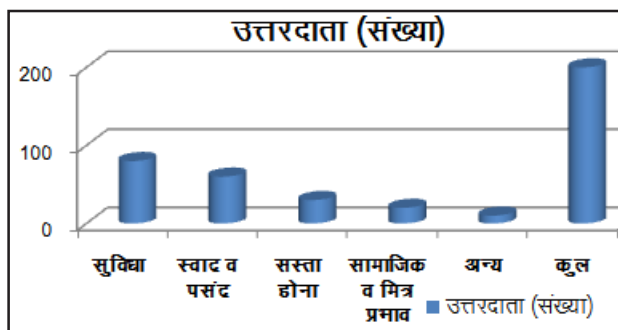


फास्ट फूड उपभोग की आवृत्ति

(ख) फास्ट फूड सेवन के प्रमुख कारण-

क्र.	कारण	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
1	सुविधा	80	40 प्रतिशत
2	स्वाद व पसंद	60	30 प्रतिशत
3	सस्ता होना	30	15 प्रतिशत
4	सामाजिक व मित्र प्रभाव	20	10 प्रतिशत
5	अन्य	10	5 प्रतिशत
	कुल	200	100 प्रतिशत

उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने फास्ट फूड खाने का मुख्य कारण 'सुविधा' (40प्रतिशत) और 'स्वाद' (30प्रतिशत) बताया। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यस्त जीवनशैली और स्वाद की विविधता दोनों ही फास्ट फूड की लोकप्रियता में समान रूप से योगदान दे रहे हैं।



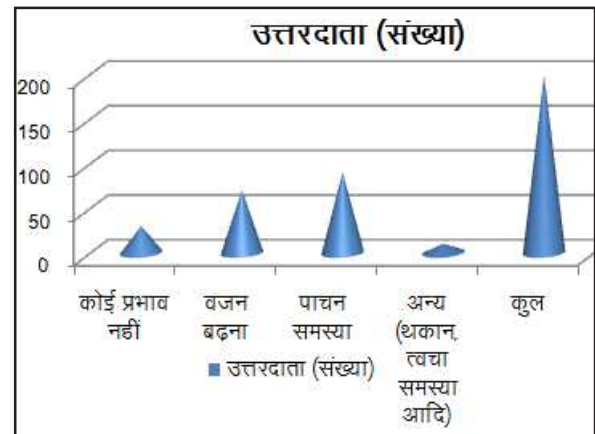
फास्ट फूड सेवन के प्रमुख कारण

(ग) स्वास्थ्य पर प्रभाव-

क्र.	स्वास्थ्य प्रभाव	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत
1	कोई प्रभाव नहीं	30	15
2	वजन बढ़ना	70	35
3	पाचन समस्या	90	45
4	अन्य (थकान, त्वचा समस्या आदि)	10	5
	कुल	200	100

उपरोक्त अध्ययन में लगभग 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वजन बढ़ने की शिकायत की, जबकि 45 प्रतिशत ने पाचन से जुड़ी समस्याएँ बताईं। यह आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि निरंतर फास्ट फूड

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भले ही 15 प्रतिशत लोगों ने इसे अभी गंभीर नहीं माना।



स्वास्थ्य पर प्रभाव - साक्षात्कारों और खुले प्रश्नों के उत्तरों से यह ज्ञात हुआ कि युवा वर्ग फास्ट फूड को 'आधुनिक जीवनशैली' का प्रतीक मानता है। अधिकांश लोगों ने बताया कि घर का भोजन समय लेने वाला होता है, जबकि फास्ट फूड 'कहीं भी, कभी भी' उपलब्ध रहता है। कुछ उत्तरदाता (विशेषकर किशोर व किशोरियों के माता-पिता) ने कहा कि बच्चे पारंपरिक भोजन से अधिक फास्ट फूड की मांग करते हैं। इन उत्तरों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक प्रभाव, सुविधा और विज्ञापन संस्कृति ने फास्ट फूड की लोकप्रियता को और बढ़ावा दिया है।

अध्ययन की उपयोगिता - यह शोध नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके निष्कर्षों से छात्रों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाने, नगर स्तर पर खाद्य सुरक्षा मानक लागू करने, तथा समाज में संतुलित भोजन के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायता मिलेगी। इस शोध में एकत्र किए गए आँकड़े एवं विश्लेषण दमोह नगर में फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यह पद्धति अध्ययन को विश्वसनीय, पुनरुत्पाद्य (Replicable) और नीति-उन्मुख बनाती है।

निष्कर्ष - अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि फास्ट फूड अब दमोह जैसे छोटे नगरों में भी आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह सुविधा और स्वाद प्रदान करता है, किंतु स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि समाज, शिक्षण संस्थान और प्रशासन मिलकर स्वस्थ भोजन संस्कृति को बढ़ावा दें, तो आधुनिकता और स्वास्थ्य दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अतः आवश्यक है कि 'फास्ट फूड संस्कृति' को 'स्मार्ट फूड संस्कृति' में परिवर्तित किया जाए। जहाँ सुविधा के साथ पोषण और स्वास्थ्य भी सुनिश्चित हो। दमोह जैसे नगरों में फास्ट फूड अब केवल 'मेट्रो जीवनशैली' का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह दैनिक भोजन संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। अध्ययन से स्पष्ट होता है किशोर एवं किशोरियाँ इसे केवल स्वाद या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। हालाँकि, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। इस प्रवृत्ति के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, आवश्यक है कि जन-जागरूकता, पोषण शिक्षा और संतुलित आहार अभियान को स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए।

अध्ययन की सीमाएँ:

1. सर्वेक्षण का आकार (200 व्यक्ति) सीमित है, अतः यह संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
2. अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने अनुभव स्व-रिपोर्ट (Self & Report) के रूप में दिए हैं, जिनमें कुछ पूर्वाग्रह संभव है।
3. यह अध्ययन मुख्यतः दमोह नगर तक सीमित है अन्य नगरों में परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं।

सुझाव:

1. विद्यालयों और कॉलेजों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएँ।
2. नगर निगम स्तर पर स्वच्छता और पोषण मानक तय किए जाएँ।
3. फास्ट फूड दुकानों में स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ।
4. जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार के

महत्व से अवगत कराया जाए।

5. स्थानीय स्तर पर पोषण सर्वेक्षण प्रत्येक 3-5 वर्ष में किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (पेज नं.-5), 2021।
2. मध्य प्रदेश राज्य पोषण रिपोर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय।
3. सिंह, आर. (2020): आधुनिक आहार और स्वास्थ्य जोखिम, प्रयाग पब्लिकेशन, भोपाल।
4. Mishra A-2022: Fast Food and Health Issues in Small Town India Journal of Urban Studies.
5. स्वामी विवेकानंद: Complete Works, खंड 4।
6. जिला दमोह की जनगणना रिपोर्ट (2011)।

रंगमंच की पृष्ठभूमि और हिन्दी साहित्य में रंगमंच परम्परा

डॉ. रोशनलाल अहिरवार*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र) भारत

शोध सारांश – मानव जीवन में रंगमंच परम्परा का सर्वोच्च स्थान है जीवन में नीरसता को दूर करने के लिए मनोरंजन का होना आवश्यक है इसमें प्राचीन काल से रंगमंच की परम्परा महत्वपूर्ण रही है लोक रंगमंच संस्कृत, पारसी, हिंदी में विकसित हुआ है इसका आरंभ वैदिक काल से वर्तमान समय तक विकसित परम्परा को धारण किए हुये हैं। रंगमंच की परम्परा तथा हिंदी साहित्य में रंगमंच परम्परा का विकास शोधपत्र का विषय है।

शब्द कुंजी – रंगमंच परम्परा, संस्कृत रंग परम्परा, पारसी रंग परंपरा, लोक रंग परम्परा, हिन्दी साहित्य में रंगमंच परम्परा, भारतेन्दु युग रंग-परम्परा, प्रसादयुगीन रंग-परम्परा, प्रसादोत्तर रंग परम्परा।

प्रस्तावना – रंगमंच की परम्परा प्राचीन काल से विकसित परम्परा रही है नाटक को खेला जाने वाला स्थान रंगमंच कहलाता है रंगमंच की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है जो जन-जन तक भिन्न-भिन्न रूपों से प्रचलित रही है। समय के साथ इसका रूप सुधरता गया और परिपक्व रूप विकसित होता गया है

रंगमंच दो शब्दों से मिलकर बना है :- **रंग और मंच**। अर्थ की दृष्टि से मंच अभिनय करने के लिए बनाया जाने वाला ऊंचा स्थान तथा रंग दीवारों, पर्दों व वेशभूषा में विभिन्न रंगों के प्रयोग करके आकर्षक दृश्य निर्मित करना है रंगमंच संस्कृति का अभिन्न अंग एवं जीवन्त कला है। यह युग और जीवन परिवेश का बड़ा मंच है जहां अभिनयकर्ता के माध्यम से जीवन प्रदर्शित होता है सार्वजनिक आमोद, मनोविनोद हेतु रंगमंच के द्वारा ऐसा ऐसा अभिनव जिसमें आनंद, गीत, नृत्य संगीत और उत्सव की भांति इसका रसपान किया जाये निश्चित ही रंगमंच को चरित्रार्थ करता है।

रंगमंच परम्परा का एक अपना इतिहास है। यह विकसित परम्परा शताब्दियों के इतिहास का परिणाम है। प्रत्येक युग में कुछ ऐसी रूढ़ियाँ व मान्यताएँ स्थापित हुईं जो युग की पहचान बनती गईं। अत्याधुनिक युग में रंग परम्परा समृद्ध विकसित परम्परा उभर कर सामने आई है तथा एक ऐसा माध्यम है जो मनोविनोद के साथ मनुष्य को जीवन से जोड़ने का कार्य करती है आज नाटक अभिनेता निर्देशक, मंत्र, ध्वनि, संगीत, वाद्ययंत्र रूप, सजा, प्रकाश व्यवस्था और मुख्य दर्शक रंगमंच के अंग हैं तथा यह जन-जन तक लोकप्रिय विधा बन गई है। रंगमंच एक ओर मनोविनोद अंग है वहीं दूसरी ओर आधुनिक समय में रोजगार, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति आदि के लिए अवसर प्रदान करने में सक्षम है।

संस्कृत रंग परम्परा – संस्कृत रंग परम्परा के उद्गम में मनुष्य की मनोरंजन की आदिम प्रवृत्ति लक्षित होती है सभ्यता के विकास होने के साथ-साथ नाट्य रूप परिष्कृत होता गया। वैदिक काल में संस्कृत रंग परम्परा का आदिकाल माना गया है।

‘वाल्मीकी रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के

महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों आदि में संस्कृत नाटकों की समृद्ध रंग परम्परा के प्रारंभिक रूप का स्पष्ट संकेत मिलता है कि आज से सहस्र वर्ष पूर्व वैदिक काल में भी संस्कृत नाट्य रंग परम्परा अपने पूर्ण विस्तार के साथ विद्यमान थी और वहां नाटक अभिनीत होते थे।¹

‘संस्कृत रंग परम्परा का विस्तृत वर्णन भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है चार वर्णों के मनोरंजन के लिए इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्म ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की।’²

यह स्पष्ट होता है कि वैदिक रंग परम्परा में नाटक तत्त्व विद्वान थे संस्कृत नाट्य मण्डपो की लंबाई बत्तीस हाथ लगभग होती थी। इन्हे शास्त्री रंगमंच कहा जाता था भूमि समतल, कठोर मत्स्यपीठ के सामान ढलुवा होता था। इसका एक भाग रंग मंडप तथा दूसरा भाग प्रेक्षागृह होता था प्रेक्षागृह में दर्शक का स्थान तथा तथा रंगमण्डप में शिक्षित अभियनेता को स्थान दिया जाता था। नाट्यशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रंगमंच का पूरा वातावरण आनुष्ठानिक, आध्यात्मिक होता था। नाटक का सफल मंचन हेतु पूजा देवी प्रतिमा स्थापना, यक्ष, कुबेर, देव आदि से बलि स्वीकार करने की प्रार्थना, पुष्प सज्जित कुंड स्थापना, दीपिका का प्रकाशित करना, रंग युद्ध आदि नाट्य परम्परा में शामिल था। रंग परम्परा में नायक का गुण धीर होना आगम की अपेक्षा कर्म को प्रधान माना गया है। जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति माना गया है नाटक के मंचन में रथ, यान, पशु पक्षी प्रतीकात्मक सामग्री आदि का प्रयोग किया जाता था।

पारसी रंग परम्परा – पारसी रंग परम्परा विशाल एवं लीक से हटकर रही है यह उस समय विकसित होकर उभर कर सामने आई जब राष्ट्रीय चेतना, इतिहास पुराण गौरव की भावना, धर्म निष्ठ हिंदू समाज, सुधारावादी आंदोलनों की भावना जनता में व्याप्त थी मनोरंजन के लिए ऐसे रंगमंच की आवश्यकता थी जिसमें गौरवपूर्ण चरित्र, महान आख्यान, लौकिक के साथ शृंगारिकता भी हो।

‘उच्च अभिजात्य अंग्रेज अधिकारियों ने समय की मांग को पहचानते हुए एक रंगमंच बनाया पर वह भी बनावटी सा था। बम्बई 1849 में ग्रांड रोड पर शम्भू शिंदे रंगमंच बनाया गया जिसमें सभी हिंदुस्तानी मिलकर नाटक करते थे सर्वप्रथम पेस्टर्न जी और फरोम जी ने ‘योरिजिनल थिएटर’ की स्थापना की। 1877 में खुर्शीद जी वाली बाल ने यवितोरिया थियेटिकल कंपनी’ की स्थापना की। 1890 में मोहम्मद अली जगम्बुदा तथा सोहराब जी ने ‘यन्यू एल्फ्रेड’ कंपनी खोली। आचार्य नंददुलारे बाजपेयी के अनुसार 1860 से लेकर 1930 तक पारसी रंगमंच ही हिंदी रंगमंच बना रहा।’³

पारसी रंग गर्मियों के द्वारा रंग कला का अभिनय मंच पर किया जाता था। नाटक प्रस्तुति के आरंभ में संस्कृत नाटकों की तरह मंगलाचरण, सूत्रधार तथा नटी द्वारा नाट्यारम्भ की परम्परा, पूरे रंगमंच, विधान तथा प्रस्तुतीकरण पारसी रंगमंच भारतीय तथा पश्चात मिलाजुला रूप है मंचीय प्रकाश व्यवस्था का उपयोग नेपथ्य में ध्वनि प्रसारण नहीं था। आकाश भाषित का प्रयोग था। बड़े-बड़े रंगीन पर्दों का प्रयोग, अभिनेता नाच गाने, तलवार बाजी में निपुण, स्त्री पात्रों की जगह पुरुष पात्र होते थे हर कंपनी के के पास अच्छे कलाकार होते थे।

‘पारसी रंग-परम्परा में पारसी कम्पनी का एक नाटककार होता था। वह रंगमंचीय नाटक तैयार करता था। इसमें चटपटे गीत, फड़कते संवाद और शेर का उल्लेख होता था। नाटक के बीच में नृत्य, चित्र और झाँकी की योजना बनाई जाती थी। इसी आधार पर नाट्याभिनय का मूल्यांकन होता था। पारसी कम्पनियों में नाटककारों को रखने की होड़ लगती रहती थी उन्हें डर था कि कहीं उनके संवाद, चोरी न हो जायें क्योंकि उनमें लिखित नाट्याभिनय प्रकाशित किये जाते थे। पारसी नाट्यमण्डली के पास निर्देशक, प्रबन्धक और नाटककार अनिवार्य रूप से होते थे। तीनों में गहरा सामंजस्य होता था।’⁴

पारसी रंग परम्परा एक ऐसी रंग परम्परा है जिसमें पारसी रंग गर्मियों द्वारा अपनी रंग कला का अभिनय मंच पर किया जाता रहा है नाटकों की भाषा उर्दू से प्रभावित बोलचाल की भाषा होती थी सहगान (कोरस) का प्रचलन था पारसी रंग परम्परा का सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा भाषियों को अपनी नाट्य परम्परा को आकर्षित किया। सभी भारतीय भाषाओं के रंगमंच को पारसी रंगमंच ने प्रभावित किया परिणाम स्वरूप विभिन्न शहरों में नाट्य क्लब बने। हिंदी रंग परम्परा को विकसित करने के लिए एक बातावरण पारसी रंगमंच ने दिया।

लोक रंग परम्परा – लोक रंग परम्परा से तात्पर्य एक ऐसी परम्परा से जो क्षेत्र को एक सूत्र बाधती है। लोक जीवन में लोकनाट्यो का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ‘लोक शब्द भारतीय दृष्टि से जो अर्थ देता है वह अंग्रेजी के थ्रूझ से बने शब्द से भिन्न है। लोक शब्द अत्यंत प्राचीन काल से प्रयुक्त होता आया है लोक शब्द का अभिप्राय संपूर्ण जन समुदाय से है जो किसी देश में निवास करता हो।’⁵ लोकनाट्य में गीत, नृत्य और संगीत शामिल होता है। गीत, संगीत नृत्य, बड़ा आनंद प्रदान करते हैं यह जनमानुष के मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन है

‘डॉ. नगेंद्र के अनुसार लोकनाट्य सामूहिक आवश्यकताओं और कथानक, लोक तत्वों को समेटे हुए चलता है और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।’⁶

‘जब कथा तत्व को अधिक मात्रा में लोकगीत और नृत्य से ही संयुक्त किया गया तभी से लोग नाटकों की रंग परम्परा का अनुभव माना गया है

क्योंकि पूजा अर्चना, पर्व, त्यौहार, जन्म मरण आदि विशेष प्रसंगों पर अपनी सुख दुःखात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का माध्यम माना जाता रहा है।’⁷

लोकनाट्य की विशेषता है कि यह सुभाषित मंच की मांग नहीं करता है लोक रंग मंच पर अभिनीत होने वाले नाटकों की साज सज्जा बहुत सादी होती है। हंसी, ठहाके हाजिर जवाब, आदि मनोरंजन के साथ नाटक को उत्कर्ष बनाता है इसमें ढोल तबले, हारमोनियम, पखावज नगाड़ा आदि लोग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है प्रकाश व्यवस्था सादी होती है मंच सजावट ज्यादा तड़क भरी नहीं होती है।

लोकनाट्य आवश्यकतानुसार अस्थाई मंच निर्मित करता है यह जन नाटक पर्वो, उत्सवों एवं अनुष्ठानों के अवसरों पर खेले जाते हैं यह परम्परा प्राचीन है सामान्यतः लोक रंगमंच के नाटक रामायण, महाभारत और भागवत तथा अन्य पुराणों के प्रसंग एवं कथाओं पर आधारित है जैसे रामलीला, रासलीला (ब्रज क्षेत्र) कीर्तनिया (बिहार के मैथिल), स्वाग, यक्षगान (कर्नाटक), भवाई (राजस्थान), विदेसिया (बिहार के पश्चिमी जिलों आरा छपरा तथा पूर्व उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर बलिया देवरिया), माच (मालवा), तमाशा (महाराष्ट्र), नौटंकी, जात्रा (पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र) अन्य लोकनाट्य गवरी (मेवाड़ में भीलों का सामुदायिक नृत्य) नाचा में सखी (छत्तीसगढ़), भाण्ड (राजस्थान), तुरकलंगी (नीमच चितौड़) राममत (बीकानेर) आदि हैं। लोक रंग परम्परा प्राचीन एवं समृद्ध शाली परम्परा रही है आधुनिक काल में भी यह परम्परा विकसित श्रेणी में परिपक्व हो रही है।

हिन्दी साहित्य में रंगमंच परम्परा – प्रारंभिक काल में मानव के सामाजिक जीवन धार्मिक गतिविधियों को शामिल करके नाटकों को रचा गया जैसे रामलीला, इंद्रसभा कृष्ण लीला, राजा हरिश्चंद्र आदि प्राचीन लोकनाट्य भारत में जनमानस के आकर्षण केंद्र रहे हैं गांव – गांव, शहर – शहर लोगों द्वारा लोक नाटकों का लुप्त लिया जाता रहा है आरंभ में खुले मैदान अथवा छायादार वृक्षों के नीचे लोकनाट्य के मंच हुआ करते थे जिसमें नौटंकी कठपुतलियों का तमाशा रामलीला रासलीला के मंजन किये जाते थे।

नाटक कला की अपनी श्रेष्ठता और विशेषता है क्योंकि नाटकों में अनेक दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता है लोक रंग मंच का आरंभ गलियों, मैदान, छायादार वृक्षों के नीचे लोक जीवन के साथ आरंभ हुआ है अमंचीय नाटकों की इस परम्परा ने नुक्कड़ नाटक को जन्म दिया। आरंभ में हास्य विनोद मनोरंजन के लिए लोक रंग परम्परा का स्वरूप निर्मित हुआ।

हिंदी में रंगमंच परम्परा का विकास लगभग 19वीं शताब्दी के अन्तरार्ध में माना जाता है पूर्व में संस्कृत परम्परा से प्रभावित पारसी रंगमंच परंपराएं थी भारतेन्दु युग के पूर्व लोक रंग परम्परा का उद्देश्य धन कमाना, खेल तमाशा करके मनोरंजन करना रहा लेकिन इस युग में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी तथा यह राष्ट्रीय जागरण का काल था।

भारतेन्दु युग हिन्दी रंग-परम्परा – हिंदी रंग-परम्परा का आरंभ भारतेन्दु युग से माना जा सकता है। क्योंकि इसी काल में भारतीय रंग-परम्परा विकसित हुई। भारतेन्दु का आगमन हिन्दी रंग-परम्परा क्षेत्र में एक युगान्तकारी घटना है। ‘नवाबी रंग मंच की सर्वोत्तम रचना ‘इन्दर सभा’ (गीतिनाट्य) का रंगमंचीय इतिहास में विशेष महत्व है। इसे पर्याप्त प्रसिद्धि मिली तथा यह माना जाता है कि इन्द्रसभा के अभिनय के लिए पहला हिन्दी-रंगमंच केसरबाग में बना, जिसमें लखनऊ के रंगीले वाजिद अली शाह ने स्वयं इन्द्र बनकर अभिनय किया।’⁸

भारतेन्दु जी ने इसी नाटक की पैरोडी पर 'बंदर सभा' नाटक लिखा। जिसने जनता को प्रभावित किया। भारतेन्दु एक कुशल नाटककार थे उन्होंने नाटकों के द्वारा जन-मानस की नाट्य रूचियों को परिवर्तित किया बल्कि प्राचीन भारतीय रंगमंचीय प्रवृत्तियों का सामंजस्य कर, नवीन रंग मंच की स्थापना की है। भारतेन्दु ने बनारस थियेटर की नींव डाली। अप्रैल 1868 में शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल का मंचन किया। इनकी नाट्य मण्डली भारतेन्दु नाट्य मण्डली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने देश के पुरातन इतिहास की मर्यादा को ध्यान में रखकर स्वयं नाटक लिखे तथा उनका मंचीय प्रदर्शन करवाकर भारतीय जनता के हृदय में देश एवं नाटकों के प्रति प्रेम स्थापित किया।

इस युग में दूसरी भाषाओं के नाटकों को अनूदित किया गया जैसे संस्कृत से रत्नावली, मुद्राराक्षस, धनंजय विजय, अग्नेजी से दुर्लभ बन्धु आदि। भारतेन्दु जी ने मौलिक नाट्यों की रचना की जैसे भारत दुर्दशा, नीलामी, अन्धे नगरी, भारत जननी आदि। इस काल के अन्य नाटककारों में लाला श्रीनिवास के नाटक श्री प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहनी, राधाकृष्ण दास द्वारा महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप राधाचरण गोस्वामी द्वारा तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, श्रीदामा। गोपाल गहमरी द्वारा देशदशा, जैसे को तैसा, विद्या विनोद आदि नाटक लिखे, मंचीय किये गये।

नाटकों में राष्ट्रीयता, देश-प्रेम, सामाजिक सुधार, अत्याचारपूर्ण कुशासन की निंदा आदि भावनाओं से राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का भाव है। ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक और प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन से सम्बंध रखने वाले पात्रों और कथानकों को अपनाया, श्रृंगार, हास्य, करुण और वीर रसों को अपनाया। सुखान्त एवं दुःखान्त दोनों प्रकार के नाटक लिखे।

प्रसादयुगीन हिन्दी रंग-परम्परा - भारतेन्दु के बाद लगभग चालीस वर्ष तक हिन्दी रंगमंचीय परम्पराओं में कोई प्रगति नहीं हुई। जयशंकर प्रसाद ने हिन्दी नाटकों के विकास में अपना योगदान प्रदान किया। प्रसाद के नाटक में विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, आदि हैं। इस युग में अन्य नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, किशोरीदास वाजपेयी, वृन्दावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि हैं।

रंगमंच के विषय में प्रसाद का स्पष्ट मत था कि रंगमंचीय रूढ़ियाँ नाटकीय विकास में एक सीमा तक ही साधक होती हैं तथा नवीन प्रयोगों के साथ-साथ ही नाट्य निर्माता को प्रयोग करने पड़ते हैं क्योंकि नियमबद्धता की कठोरता नाट्यभूमि की तीव्रता एवं प्रखरता में बाधक बन जाती है इससे रंगमंचीय विकास अवरूद्ध हो जाता है।

प्रसादोत्तर हिन्दी रंग परम्परा - प्रसादोत्तर काल का नाट्य परम्परा का समृद्ध काल है। प्रसाद के बाद हिन्दी नाट्य साहित्य में एक नवयुग का आरंभ होता है। समाजवादी, साम्यवादी, यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, प्रतीकवादी तथा अनेक वाद जैसे - मनोविश्लेषणवाद, यौनवाद, आत्मभिव्यंजनावाद, प्रकृतिवाद आदि गुण नाटकों को श्रेष्ठ बनाते हैं।

इस युग के नाटकों में विष्णु प्रभाकर द्वारा डॉक्टर, टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति जगदीशचन्द्र माथुर द्वारा कोणार्क, शारदीया, पहला राजा मोहन राकेश द्वारा आषाढ का एक दिन, लहरो के राजहंस, आधे-अधूरे अन्य नाटककारों में सुरेन्द्र वर्मा, डॉ. शंकर शेष, भीष्म शाहनी मन्मू भण्डारी, गोविंद चातक आदि एवं वर्तमान समय के नाटककारों का महत्वपूर्ण योगदान है।

अंततः रंगमंच परम्परा का विकसित रूप जो आज हमारे सामने है इसका सतत विकास हुआ है वर्तमान समय में नाटकों का रंग मंच पर खेला जाना अत्याधुनिक तकनीकियों के माध्यम से सरल हुआ है तथा बड़े स्तर पर जनता के मनोरंजन का केन्द्र बिन्दु है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक हिंदी नाटकों की उत्पत्ति पर आंग्ला - नाटकों का प्रभाव : उपेन्द्र नारायण, पृष्ठ 28, 29
2. नाटक शास्त्र : भरत मुनि प्रथम अध्याय पृष्ठ 17
3. पारसी हिंदी रंगमंच : लक्ष्मी नारायण लाल पृष्ठ 86
4. हिंदी के प्रतीक नाटक और रंगमंच : केदारनाथ सिंह पृष्ठ 87
5. लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति : डॉ. रोशनी कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2024 पृष्ठ 8
6. लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति : डॉ. रोशनी कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2024 पृष्ठ 6
7. हिंदी के प्रतीक नाटक और रंगमंच : केदारनाथ सिंह पृष्ठ 76
8. कल्पना हिन्दी रंगमंच की दिशाएँ श्री गजानन शर्मा सितम्बर 1954

स्त्री-आत्मकथाओं का मूल्यांकन

राजकुमार अहिरवार*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बीसवीं शताब्दी बीतते-बीतते हिंदी क्षेत्र की स्त्रियाँ अपना मौन तोड़ती हैं और एक के बाद एक अपनी आत्मकथाएँ साहित्यिक जगत को प्रेषित करती हैं। स्त्री आत्मकथाएँ अपने समय और समाज की तल्लू सच्चाइयों की साक्षी तो हैं ही, इन्हें स्त्री-उत्पीड़न और उनकी प्रतिरोधी चेतना का प्रामाणिक दस्तावेज भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के उत्पीड़न की ओर पुरुष रचनाकारों की दृष्टि नहीं गयी है, परन्तु खुद भुक्तभोगी न होने के कारण वे स्त्री-उत्पीड़न की तीव्रता को पूर्णता में नहीं समझ सकते हैं। शायद इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है कि 'जो ज्ञान पुरुष स्त्रियों से उनके बारे में हासिल करते हैं, भले ही वह उनकी संचित संभावनाओं के बारे में न होकर, सिर्फ उनके भूत और भविष्य के बारे में ही क्यों न हो, तब तक अधूरा और उथला रहेगा जब तक कि स्त्रियाँ स्वयं वह सब कुछ बता नहीं देती, जो उनके पास बताने के लिए है।' इक्कीसवीं सदी के प्रथम दो दशकों में महिला आत्मकथाकारों ने आत्मकथाओं के माध्यम से अपने अतीत के सुख-दुःख को आम पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रशंसनीय साहस किया है। भारतीय महिला समाज का अतीत गुलामी, अपमान, दरिद्रता, भोग्या, अधिकार-वंचिता, कुल-कलंकिनी, बेचारी, अबला, पराश्रिता, दासी, पत्नी आदि अनेकानेक नामों से भरा पड़ा है। यदि कहीं थोड़ा सा सम्मान प्रदर्शित होता है तो सिर्फ 'माँ' की उपाधि में ही। चूँकि भारतीय नारी अपने अतीत में न तो स्वतंत्र रही है और न ही शिक्षित और धनवान। भारतीय समाज व्यवस्था के तथाकथित पोषक धर्मग्रंथों ने तो सदैव नारी को परतंत्र रखने का ही प्रवचन किया है। 'मनुस्मृति' नामक ग्रंथ यह उद्घोष करता है कि स्त्री बाल्यावस्था में पिता के, युवा-अवस्था में पति के, और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत करेगी। तुलसीदास की रामचरित मानस भी 'दोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी' को सदैव प्रताड़ित करने का उद्घोष करती है। नारी के प्रति सामाजिक-धार्मिक-आर्थिक और राजनीतिक अंकुशों ने सदैव क्रूर व्यवहार किया है। किसी अपराध में स्त्री की संलग्नता न होते हुए भी उसे अपराधी करार दिया गया है और यदि किसी स्त्री या अन्य किसी ने विरोध किया है, तब बलात स्त्री के मृत्यु दोष मढ़कर उसे दण्डित किया गया है। इन्द्र और अहल्या का पौराणिक प्रसंग इस तथ्य की गवाही देता है कि पुरुष अपनी नाकामी या अपराध छिपाने के लिए स्त्री पर दोष मढ़ता है और पुरुष मानसिकता का संरक्षण करता है; अन्यथा की स्थिति में इन्द्र को पाषाण होने का शाप गौतम ऋषि द्वारा दिया जाना चाहिए था कि अहल्या को पत्थर बनाना था।

शब्द कुंजी: – स्त्री-उत्पीड़न, पौराणिक प्रसंग, नारी-संरक्षण, जीवन-साथी, पुरुष-समाज, जलकुक्कड़, आदर्शवाद, नैतिकता, मानसिक वेदना, दैहिक संतुष्टि, संविधान, पतिव्रता, इज्जत-आबरू, पितृसत्ता, मिथक, शारीरिक संबंध, सामंतवाद, सफेदपोश।

प्रस्तावना – हजारों सालों की दासता से मुक्ति का मार्ग नारियों को भारतीय स्वतंत्रता और संविधान ने दिया है। वर्तमान युग की नारियाँ बेबाकी के साथ अपने अतीत को बड़ी साफगोई, स्पष्टता और तर्कों के साथ उस कथा-व्यथा को व्यक्त कर रही हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं भोगा है। 'अन्या से अनन्या' (प्रभा खेतान), 'गुड़िया भीतर गुड़िया', 'कस्तूरी कुण्डल बसे' (मैत्रेयी पुष्पा), 'एक कहानी यह भी' (मन्नू भण्डारी), 'दरकती दीवारों से झाँकती जिंदगी' (डॉ० अहल्या मिश्र), 'आपहुदरी', 'हादसेय (रमणिका गुप्ता), 'शिकंजे का दर्द' (सुशीला टाकभैरे) आदि की आत्मकथाएँ यह बताने में सक्षम हैं कि पुरुष समाज स्त्रियों के साथ न्याय नहीं करता है। वह उस तरह की आजादी महिलाओं को देने के पक्ष में नहीं हैं, जिसे वह स्वयं भोगता है। मन्नू भण्डारी अपनी आत्मकथा 'एक कहानी यह भी' में अपने पिता और पिता के मित्र के आपसी संवाद में यह उल्लेख किया है कि महिलाएँ सिर्फ घर की शोभा हैं, उन्हें बाहर पुरुषों के साथ बैठना-उठना उचित नहीं है- 'अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है भण्डारी जी, पर देखते आप, जाने कैसे-कैसे उल्टे-सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग करती फिर रही है वह। हमारे आपके

घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान-मर्यादा, इज्जत-आबरू का खयाल भी रह गया है आपको या नहीं।' ¹ पुरुष मानसिकता में, उसके संस्कारों में स्त्री का पतिव्रता होना अत्यावश्यक है; अन्यथा की स्थिति में शायद पुरुष का अस्तित्व ही नष्ट होने लगता है, तभी तो आत्मकथा लेखिका मैत्रेयी पुष्पा का पति डॉ० शर्मा अपने साथी डॉ० सिद्धार्थ और मैत्रेयी के साथ-साथ नृत्य करने पर जल-भूँज जाता है। उसे शायद यह विश्वास हो जाता है कि एक स्त्री का पराये मर्द के साथ खान-पान करना, पार्टी करना, नाच-गाना करना उसके चरित्र का पतन है। इसी घटना को लेकर डॉ० शर्मा पत्नी मैत्रेयी को ताना मारते हुए कहते हैं कि- 'सुनो कि लोग कह रहे हैं, मिसेज शर्मा को डॉ० नहीं भा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, मिसेज शर्मा को डॉ० सिद्धार्थ डुगडुगी की तरह नचा...' ² रहा है। घटिया मानसिकता का पुरुष सदैव इस पाले हुए डर से डरता है कि कहीं उसकी पत्नी का किसी पर-पुरुष से शारीरिक संबंध न हो जाए या उसे छोड़कर न चली जाए। इस डर से मुक्ति के लिए वह नारी (पत्नी या प्रेमिका) को हमेशा अपनी निगरानी में रखना चाहता है; जबकि स्त्री पुरुष के इस व्यवहार को अपना अपमान

समझती है। वह चाहती है कि उसका भी एक निजी जीवन है जिसे वह खुलकर जीना चाहती है, परन्तु डॉ० शर्मा (मैत्रेयी पुष्पा का पति) जैसा पुरुष स्त्री की इच्छा और सोच पर अपना कब्जा बनाये रखना चाहता है; तभी तो डॉ० शर्मा मैत्रेयी पुष्पा को उस हॉस्टल से अलग अन्यत्र आवासीय कालोनी में किराये से रखना चाहता है; जहाँ पर उसके दोस्त और सहकर्मी डॉक्टरों की नजर मैत्रेयी पर न पड़ सके। 'मेरा जीवनसाथी, साथी के नाम पर जलकुक्कड़ आदमी है। दिशाओं में जब रंग बिखरने शुरू होते हैं, कालिख पोतने आ जाता है। मैं दाँत पीसती रही। सँकरे रास्तों वाली जगह तलाश रहे हो कि पत्नी को बचा ले जाओ। कोई तुमसे पूछे, तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी में मैं किसके कारण लगी? ये मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ दोस्त बन जाएँ, यही डर तुम्हारी उदारता और सद्भावना को चबाने लगा, विश्वास को खाने लगा कि बीबी कभी पतिव्रत की लक्ष्मण रेखा न लौंघ जाए।'³ इक्कीसवीं सदी के प्रथम दो दशक में स्त्रियों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएँ साहित्य के लिए एक उपलब्धि साबित हुई है; क्योंकि साहित्य-जगत् में स्त्री रचनाकारों ने कविता, कहानी, उपन्यास के माध्यम से आमजन के लिए, स्त्रियों के लिए, समाज के लिए भावनात्मक, आदर्शात्मक या पुरुष विरोधी साहित्य अवश्य लिखा है; परन्तु स्वयं को लेकर यथार्थ के धरातल पर जो साहित्य लिखा है, वह आत्मकथ्य है। ऐसी आत्मकथाओं में स्त्री के सम्पूर्ण चरित्र का चित्रण बड़ी बारीकी से हुआ है। प्रत्येक स्त्री आत्मकथाकार की अपनी-अपनी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति रही है, जिसके कारण उनके विषय या घटनाओं के चित्रण में विविधता है, परन्तु सभी के लेखन में एक भाव या विषय अवश्य मौजूद है- स्त्री स्वातंत्र्य। इस स्वतंत्रता के लिए वह आजीवन अपने पिता, पति, प्रेमी और समाज से जुझती दिखाई पड़ती है। 'अन्या से अनन्या' आत्मकथा की लेखिका अपनी मर्जी से आजीवन अविवाहित रहकर सभी शारीरिक सुखों (सेक्स सुख) को भोगती हैं, लेकिन वह सुख-शांति या अधिकार प्राप्त नहीं कर पाती हैं; जो एक विवाहित स्त्री अपने पति से प्राप्त करती है। वह अपने आप को असुरक्षित ही महसूस करती है। प्रभा खेतान अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि- 'हमारी औरतें वह चाहे बालकटी हों या गाँव-देहात से आयी हों, कहीं भी सुरक्षित नहीं। उनके साथ कुछ भी घट सकता है। सुरक्षा का आश्वासन पितृसत्तात्मक मिथक है। स्त्री कभी सुरक्षित थी ही नहीं, पुरुष भी इस बात को जानता है। इसलिए सतीत्व का मिथक संवर्धित करता रहता है। सती-सावित्री होने का निर्देशन स्त्री को दिया जाता है। पर कोई स्त्री सती रह नहीं पाती। हाँ सतीत्व का आवरण जरूर ओढ़ लेती है या आत्मरक्षा के नाम पर जौहर की ज्वाला में छलांग लगा लेती है।'⁴ स्त्री आत्मकथाकारों में से रमणिका गुप्ता, पुष्पा मैत्रेयी, प्रभा खेतान, मञ्जू भण्डारी ने यह स्वीकार किया है कि जाने-अनजाने, स्वेच्छा या जबरदस्ती परपुरुष या पारिवारिक पुरुषों से उनके शारीरिक संबंध रहे हैं। इस तरह के संबंधों में जीना कहीं न कहीं यह उनकी आजादी के सवाल को पुष्ट करता है जिसे पुरुष ने खुद तो भोगा है, लेकिन उस आजादी को भोगने से स्त्री (पत्नी या प्रेमिका) को सदैव वर्जित किया है। प्रभा खेतान का पुरुष मित्र डॉ० सराफ (विवाहित) से अविवाहित होते हुए भी शारीरिक संबंध था, प्रेम था, समर्पण था; लेकिन डॉ० सराफ का खेतान के प्रति वैसा प्रेम या समर्पण नहीं था; जिसकी पूर्ति के लिए खेतान ने एक अन्य पुरुष से भी स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाये, परन्तु वह प्रेम और समर्पण उस पुरुष से भी न मिल सका जिसकी कामना खेतान करती हैं या स्त्रियाँ करती हैं। 'उसने मुझे छुआ.... मेरा हृदय जोरों से धड़क रहा था, उसने मुझे चूमा, पहले मेरी उंगलियाँ, फिर

गालों, फिर होठों को। धीरे से उसने मेरा आंचल हटाया, ब्लाउज के बटन खोलने की चेष्टा करते ही मेरी देह सख्त होने लगी, यह मैं क्या कर रही हूँ? आतंक और भय से मैं पसीना-पसीना हो उठी, वह रुक गया था..... उसने धीरे से पूछा- 'तुम्हारी मर्जी नहीं है? नहीं मैं अपनी इच्छा से आयी हूँ... यह मेरी देह की जरूरत है। सिर्फ देह का समर्पण और मन.....? मन अब किसी को नहीं चाह सकता, वह तो हमेशा के लिए बुझ गया है। खैर, शरीर टकराए, पर मैं उस चेहरे में डॉक्टर साहब को खोज रही थी। मैं अपनी ही देह की प्रत्येक हरकत को साक्षी भाव से देखती रही थी। दो-एक बार हम और मिले। मुझे लगा मैं इस व्यक्ति से प्रेम नहीं करती। प्रेम और वासना का फर्क मुझे उसे दिन समझ आया।' ⁵

यौन-शोषण के मामलों में पुरुष के प्रति स्त्रियों का नजरिया लगभग एक जैसा ही होता है। वह मानती है कि पुरुष अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए सभ्य-असभ्य सभी तरीकों को अपनाता है। स्त्री-देह-शोषण के संदर्भ में पुरुष का लक्ष्य वासना पूर्ति होती है। वह कभी-कभी रक्त-संबंधों को भी विस्मृत कर जाता है। 'समर्थ को नहिं दोष गुसाई' सिद्धांत वाक्य को अधिकतर ताजपोश, सफेदपोश, दबंग और सामंतवादियों ने साकार किया है। आत्मकथा 'आपहुदरी' की लेखिका 'रमणिका गुप्ता' ने सामन्तवादी सोच वाले अपने नाना को एक स्त्री-शोषक के रूप में देखा है। 'एक तरीका जो सभी जगह समान है, वह है औरत का यौन-शोषण। बड़े लोग छिपकर शालीनता की ओट में खुलेआम सबकुछ करते हैं। यह दोहरे मापदंड की दोहरी-दुम्ही चाल मेरे मन में बचपन से ही चोट करती थी। मेरा परिवार भी इन दोहरे मापदण्डों में अग्रणी था क्योंकि सामन्त था।'⁶ अर्थात् सामन्ती सोच रक्तिम सम्बन्ध (लेखिका के नाना और मौसी के बीच अवैध सम्बन्ध) को भी नहीं बखशाती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अविवाहित या विवाहेतर यौन-सम्बन्धों को स्वीकृति प्राप्त नहीं है; इसके बावजूद यौन-सम्बन्ध जाने-अनजाने, स्वेच्छा या बलात् गाहे-बगाहे देखने-सुनने को मिलते रहते हैं। डॉ० प्रभा खेतान (अन्या से अनन्या की लेखिका) का बाल-यौन-शोषण उसका स्वयं का भाई करता है; इसके बावजूद प्रभा खेतान स्वयं अपनी इच्छा से अविवाहित होते हुए भी विवाहित पुरुष डॉ० सराफ से गर्भवती हो जाती है। अतः सभी पुरुषों को यौन-शोषक नहीं कहा जा सकता है। इस आशय की स्वीकारोक्ति प्रभा खेतान की स्वयं की है। 'यदि किसी को मालूम पड़ जाए तो दुनिया की नजर में मेरी क्या इज्जत रहेगी। खुद अपनी ही नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची। डॉक्टर साहब ने तो मना किया था, वह मेरी करनी थी... मैंने ही पहल की थी, मैंने ही उनसे सब कुछ मांगा था।'⁷

जब से महिलाओं को स्त्री-शिक्षा का अधिकार और अवसर प्राप्त हुआ है, तभी से वह अपने पंख पसारने के लिए तत्पर रही है। यह अलग बात है कि उसके पर कतरने के लिए पुरुष मानसिकता सदैव क्रियाशील रही है। पुरुष नहीं चाहता रहा है कि एक स्त्री अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करे, अपनी मान-पताका सर्वत्र फैलाये; वह तो सिर्फ उसे दासी या यौन-वस्तु के रूप में देखता आया है। इस संदर्भ में चाहे रमणिका गुप्ता हों, जिनका पति प्रकाश सदैव रमणिका को संदेह के नजरिया से देखता आया है; चाहे मैत्रेयी पुरुष का पति डॉ० शर्मा हो जो मैत्रेयी को पुरुषों की छाया (डॉक्टर मित्रों, लेखकों, संपादकों) से दूर रखना चाहता है, चाहे डॉ० प्रभा खेतान का प्रेमी डॉ० सराफ हो, जो खेतान पर एकाधिकार चाहता है- सभी ने स्त्री को मानसिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर नहीं दिया है। माँ-बेटी के पारस्परिक संवाद में मैत्रेयी पुष्पा लिखती हैं कि- 'यह परिवार उस समाज का हिस्सा है बबली, जहाँ

औरतें केवल शरीर के रूप में होती हैं, जो पुरुषों की सेवा-सुविधा के लिए श्रम कर सकें। इसके अलावा वे यौनि रूप में रहती हैं कि पुत्रवती होकर वंशबेल बढ़ाएँ, बेटी पैदा करें तो अगली पुरुष पीढ़ी के काम आएँ।⁸

1876 ई. में रससुंदरी देवी की बांग्ला भाषा में लिखित पहली आत्मकथा 'आमार जीबोन' में असमानता और अन्याय के कारण दुर्दशा को प्राप्त हुए स्त्री-जीवन के दबे-डूँके को जिस साहस और प्रतिरोधी चेतना के साथ सार्वजनिक किया गया था, वही साहस बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं के संग-संग हिंदी की अनेक आत्मकथाओं में भी मुखरित हुआ। महिला आत्मकथाओं की दृष्टि से बांग्ला में रससुंदरी देवी की आत्मकथा के बाद 'आमार कोथा' (बिनोदिनी दासी 1912 ई.), 'आत्मकोथा' (देवी शरदसुंदरी-1913), 'सेकाले कोथा' (निस्तारिणी देवी-1913), 'पूर्वकोथा' (प्रसन्नमयी देवी-1917 ई.), 'अमियबाला की डायरी' (अमियबाला-1929 ई.), 'जीवन स्मृति' (सुदक्षिणा सेन-1932 ई.) आदि आत्मकथाओं का लगातार रचा जाना यही सूचित करता है कि सामाजिक सुधारों के उस दौर में स्त्री भी जाग रही थी और वह अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से पुरुष के सार्वजनिक और निजी जीवन के अन्तर्विरोध को उजागर कर रही थी। मराठी में 'अमाच्या आयुष्यांतील कांही आठवणी' (रमाबाई रानडे-1910 ई.), 'स्मृति तरंग' (अन्नपूर्णा बाई रानडे-1931 ई.), 'स्मृति चित्रेय' (लक्ष्मीबाई तिलक-1934 ई.), 'जीवन नृत्य' (मीनाक्षी साने-1934 ई.), 'माझी कहानी' (पार्वतीबाई अठावले-1936 ई.) आदि आत्मकथाओं में भी स्त्री-पुरुष असमानता की पीड़ा और छटपटाहट देखी जा सकती है। मराठी में दलित लेखिकाओं ने भी अपने तिहरे शोषण को बड़ी निर्भीक अभिव्यक्ति दी है, जिनमें कुमुद पावडे की आत्मकथा 'अन्तःस्फोट', बेबीताई कांबले की 'जीवन हमारा', शान्ताबाई कांबले की 'माझ्या जलमाची चित्रकथा', मुक्ता सर्वगोड की 'मिटलेली कवाडे' तथा जनाबाई गिरहे की 'मरणला' उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी में किसी महिला द्वारा लिखित पहली ज्ञात आत्मकथा 'दुःखिनीबाला' द्वारा रचित 'सरला: एक विधवा की आत्मजीवनी' है, जिसमें प्रतिरोध की प्रतिज्ञा का प्रमाण मिल जाता है। 'स्त्री-दर्पण' पत्रिका के जुलाई, 1915 से मार्च, 1916 तक के अंकों में इस आत्मजीवनी का धारावाहिक रूप से प्रकाशन हुआ था। बाल-विवाह और विधवा-विवाह जैसी विकट समस्याओं का शिकार बनी एक स्त्री, समाज द्वारा दिए गए तिरस्कार और अपमान से व्यथित हो उन परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिनके कारण वह अपने किसी अपराध के बिना ही 'कुलक्षिणी' घोषित कर दी जाती है। दुःखिनीबाला की इस आत्मकथा के बाद हिंदी में महिला-आत्मकथाओं के क्षेत्र में पसरा लंबा सन्नाटा चौंकाता है। 'हंस' के आत्मकथा विशेषांक (1932 ई.) में श्रीमती यशोदा देवी और शिवरानी देवी के आत्मकथांश अवश्य प्रकाशित हुए थे, पर उनमें कितनी प्रामाणिकता है, कहना कठिन है; क्योंकि उक्त कथांश अवश्य लिखे गए हों पर आज अज्ञात हैं। दुःखिनीबाला की आत्मकथा 'मेरी जीवन यात्रा' (लिपिक श्री ऋषभ देव रांका) बोल कर लिखाई गई थी। बीसवीं शताब्दी बीतते-बीतते हिंदी क्षेत्र की स्त्रियाँ अपना मौन तोड़ती हैं और एक के बाद एक कई आत्मकथाएँ साहित्यिक परिदृश्य पर उभरती हैं। इनमें पदमा सचदेव की 'बूँद बावड़ी', कृष्णा अग्निहोत्री की 'लगता नहीं है दिल मेरा', कुसुम अंसल की 'जो कहा नहीं गया', मन्नू भंडारी की 'एक कहानी यह भी', प्रभा खेतान की 'अन्या से अनन्या', मैत्रेयी पुष्पा की 'कस्तूरी कुंडल बसै' और 'गुड़िया भीतर गुड़िया',

चन्द्रकिरण सौनरिक्सा की 'पिंजरे की मैना', रमणिका गुप्ता की 'हादसेय आदि महत्वपूर्ण हैं। अंग्रेजी, पंजाबी, मलयालम, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं से अनूदित आत्मकथाओं से भी हिंदी जगत् सम्पन्न हुआ, जिनमें कमला दास, तहमीना दुर्गानी, अमृता प्रीतम, अजीत कौर, दलीप कौर टिवाणा, तसलीमा नसरीन, बेबी हालदार, नलिनी जमीला आदि की आत्मकथाएँ उल्लेखनीय हैं। ये आत्मकथाएँ अपने समय और समाज की तल्लख सच्चाइयों की साक्षी तो हैं ही, इन्हें स्त्री-उत्पीड़न और उसकी प्रतिरोधी चेतना का प्रामाणिक दस्तावेज भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के उत्पीड़न पर पुरुष-रचनाकारों की दृष्टि नहीं गयी, परन्तु स्वयं भुक्तभोगी न होने के कारण वे इस उत्पीड़न की तीव्रता को कैसे समझ सके। इस हकीकत को प्रख्यात हिंदी लेखिका प्रभा खेतान यूँ बयाँ करती हैं कि 'स्त्री की जिंदगी के बारे में पुरुष-लेखन ज्यादा-से-ज्यादा अर्धसत्य का ही दावा कर सकता है। स्त्री के शोषण-उत्पीड़न पर चर्चा की गई और आँसू बहाए गए, मगर समाज की इस भेदभाव वाली संरचना के विकल्प में बिल्कुल नहीं सोचा गया। व्यवस्था से मुक्ति की चाहना को अपने लेखन में जितनी शिद्दत से वह (स्त्री) महसूस करती है या जितनी गहराई से तन्मय होकर अपने उत्पीड़न और शोषण को वह अभिव्यक्त कर पाती है उतना पुरुष लेखन द्वारा संभव नहीं। पितृसत्तात्मक दमन जितना करीब से स्त्री ने देखा और झेला है, उतना अन्य किसी से नहीं।' यही कारण है कि इन आत्मकथाओं दमन और शोषण की ही अभिव्यक्ति नहीं हुई, इनमें स्त्री द्वारा निजी और सार्वजनिक जीवन में किए गए प्रतिरोध का इतिहास भी मौजूद है।

अपने जीवन-सत्य को समाज के सामने अनावृत्त करना अंगारों पर चलना जैसा है, जिसे महिला आत्मकथाकारों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। सच तो यह है कि जिसने अपने जीवन में जितना अधिक शोषण-उत्पीड़न सहा है उसमें उतनी ही शिद्दत से उसे बेपर्दा करने का संकल्प भी जागा है। एक आत्मशक्ति-संपन्न स्त्री को अन्याय के प्रतिरोध का सबसे कारगर तरीका यही प्रतीत होता है कि वह अपने-आप को समाज के सामने उजागर करने के लिए कलम का सहारा ले। कलमकार आत्मकथा-लेखिकाएँ अपने साथ-साथ पाठक को यातना की उन अंधी सुरंगों में ले जाती हैं, जहाँ सामाजिक और पारिवारिक क्रूरता के हाथों स्त्री नहीं, स्त्री के रूप में मानवता अपमानित होती है। इन अंधी-अँधेरी सुरंगों में पहुँचकर पाठक बेचैन हो जाता है, छटपटाता है। यह बेचैनी, छटपटाहट उस प्रतिरोध की जन्मभूमि है जिसमें पाठक को जगाना ही आत्मकथाओं का एक प्रमुख प्रयोजन कहा जा सकता है। इक्कीसवीं शताब्दी की पहली दशाब्दी में हिन्दी की तीन महिला-आत्मकथाकारों की आत्मकथाएँ अत्यंत चर्चित रहीं- मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान और मैत्रेयी पुष्पा। चर्चा के कई कारण थे- कभी अंतरंग संबंधों का उद्घाटन, कभी विवाहोत्तर संबंधों की निर्भीक स्वीकृति, कभी यौन-प्रसंगों का खुला वर्णन। अपनी 'बोल्डनेस' के कारण इन आत्मकथाकारों की तुलना पंजाबी-उर्दू-अंग्रेजी की कुछ आत्मकथाकारों- तसलीमा नसरीन, तहमीना दुर्गानी, अमृता प्रीतम, अजीत कौर, कमला दास आदि से की जाती है। इक्कीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश की आत्मकथाएँ एक विस्तृत कैनवास पर उकेरी गई हैं। इन आत्मचरित्रों में निजी उत्पीड़न के उद्घाटन के साथ-साथ उससे जुझती स्त्री का साहसिक अभियान भी दर्ज है, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यहीनता का पर्दाफाश भी है, पितृसत्ता के धिनौने षड्यंत्रों का अनावरण भी है, और है मानव समाज के लिए एक सुंदर-सुखद भविष्य की तलाश भी; क्योंकि इस तलाश के बिना प्रतिरोध का सकारात्मक रूप उजागर नहीं हो

सकता। स्मृतियों को पाथेय बनाकर जब ये आत्मकथा-लेखिकाएँ अपने अतीत में झाँकती हैं तब उनका सामना एक दर्दनाक दमन और उत्पीड़न के सच से होता है, जिसका सिलसिला उनके अबोध बचपन से ही जारी रहा है।

माता-पिता के प्यार-दुलार के साये में किसी बच्चे का बचपन कितना सुरक्षित व सुखद हो सकता है। इस भरे-पूरे अहसास से स्त्री आत्मकथाकार प्रायः वंचित ही रही हैं। इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे कि अपनी-अपनी पारिवारिक, सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि। गहन आत्मनिष्ठता, अहंभाव या विशिष्टता की चाह में अपनी ही कुंठाओं का शिकार बने मझू भंडारी के पिता अपने बच्चों के लिए स्नेह नहीं, भय का आलंबन बने रहे। उनके भय से थर-थर काँपती मझू की माँ अपनी व्यक्तित्वहीनता के कारण अपनी संतान के प्रति किसी प्रकार का आदर्श नहीं बन सकी। दूसरी ओर एक अत्यंत समृद्ध मारवाड़ी परिवार में जन्म लेने के बावजूद प्रभा खेतान का बचपन भी अनाथ, उदास और कुंठित था। घर की पाँचवीं बेटी के रूप में वह अनचाही थी। एक के बाद एक जच्चगियों के कारण जर्जर शरीर वाली अम्मा अपनी इस बेटी को सदा उपेक्षित-प्रताड़ित करती रही और उसे दाई माँ के स्नेह की डोर पकड़कर अपना बचपन बिताना पड़ा। तहमीना दुर्रानी का बचपन भी प्रभा से कुछ अलग न था। समाज के अत्यंत उच्च वर्ग से सम्बद्ध होने के बावजूद उसका बचपन माता-पिता के प्यार के लिए तरसता रहा। दबंग फैशनबुल माँ तथा उच्च पदस्थ होते हुए भी पत्नी की उपेक्षा-प्रताड़ना झेलते पिता के आपसी संबंधों का तनाव तहमीना को आक्रान्त किये रहता था। माँ का आतंक सदा ही उस पर हावी रहता था। मैत्रेयी का बचपन तो और भी भयावह था! डेढ़ साल की मैत्रेयी को अनाथ कर पिता स्वर्ग सिधार गए और शिक्षा के उजाले में आने के लिए व्याकुल माँ ने नहीं मैत्रेयी के जीवन का उजाला छीना। दूर-पास के परिचितों के सहारे बचपन बिताती मैत्रेयी बार-बार दैहिक उत्पीड़न के खौफनाक दौर से गुजरती है। माँ के प्यार भरे आँचल के लिए वह तरसती ही रह जाती है और नहीं दीप घर में सबकी लाइली होते हुए भी 'बेटे' के लिए तरसते उसके कुटुंब का सोते-जागते, उठते-बैठते 'बेटा-बेटा' रटना उसे बेटीयों की दोगधर स्थिति का अहसास तो करा ही रहा था। दिन-रात शराब के नशे में गर्क रहने वाले पिता तथा दबी-कुचली व्यक्तित्वहीन माँ की संतान होने का दंड भी उसे भोगना पड़ा- माँ-बाप को छोड़ दूर शहर में बुआ के पास रहने के रूप में। इन नायिकाओं के भावी प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा कारण इनका 'असामान्य' बचपन ही है। सभी नायिकाओं का अपने 'काले रंग' के कारण या फिर 'असुंदर' होने के कारण, या 'मरियल' होने के कारण अपने ही माता-पिता या घर-परिवार वालों के ताने-उलाहने सुनने पड़े थे या अपने अन्य भाई-बहनों से तुलना के अनंतर उपेक्षा और तिरस्कार का जहर पीना पड़ा था। कल्पना की जा सकती है कि अबोध-मासूम बचपन को जब प्यार की जगह तिरस्कार मिले तो कैसी हीन भावना जागती होगी। उसमें आत्मविश्वास कैसे तार-तार होता चला जाता होगा। प्रभा और मैत्रेयी जैसी नायिकाएँ तो यौन-शोषण का शिकार भी हुईं। प्रभा अपने ही सगे भाई द्वारा और मैत्रेयी सहपाठी लड़कों या दूर-पास के परिचितों द्वारा छली गई हैं। कैसा भय और आतंक जागता होगा उस समय। अपने 'लड़की जात' होने से घृणा होने लगती होगी, अपना वजूद बवंडर में उड़ता दीखता होगा। ताने-उलाहने, उपेक्षा-तिरस्कार, हिंसा-प्रताड़ना- क्या ये सब मिलकर इन नहीं बच्चियों के मन में भय के साथ-साथ आक्रोश नहीं पैदा करते होंगे? अवश्य करते होंगे। पितृसत्ता के जिस धिनीने रूप से उनका परिचय बचपन की नादान

उम्र में हो गया था, उसके खिलाफ प्रतिशोध का संस्कार भी तभी से जाने-अनजाने उनमें जड़ जमाने लगा होगा।

पितृसत्ता के दायरे में विकसित होती हर लड़की का सबसे हसीन सपना है- विवाह। वास्तव में ढेरों बंदिशों-पाबंदियों के बीच बचपन गुजारती हर लड़की को लगता है कि इस बंधन से मुक्ति का एक ही मार्ग है- विवाह; इसीलिए 'विवाह' के लिए उसकी उत्सुकता, तड़प, उसका आकर्षण दिनोंदिन बढ़ता जाता है। प्रतिरोध का जो भाव माता-पिता या कुटुंबियों के प्रति प्रखर होता जाता था, वह इस विवाह की आड़ में अपना खेल खेलने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। लड़की सोचती है कि वह अपनी मनमर्जी से अपना जीवन-साथी चुन अपने प्रतिरोध का बिगुल बजाएगी। अब वह बड़ी हो चुकी है- सोचने समझने लगी। वह गाय-बकरी तो नहीं कि माँ-बाप जहाँ चाहें हाँक दें। जाने-अनजाने वह 'विवाह' के रूप में कुछ ऐसा करना चाहती है, जिससे माँ-बाप के सामने वह अपना वजूद प्रमाणित कर सके। वह एक ऐसा साथी खोजना चाहती है जिससे जुड़कर वह माँ-बाप की नजरों में अपने तिरस्कृत वजूद के लिए 'स्वीकार और सम्मान' का भाव देख सके, कोई ऐसा जिसकी प्रतिष्ठा माँ-बाप से अधिक हो। जाने-अनजाने ही लड़की का प्रतिरोध-भाव माँ-बाप को दुश्मन या कम-से-कम विरोधी के पाले में तो धकेल ही देता है और अपने लिए अपनी मर्जी का साथी चुन वह प्रतिशोध की अपनी धारणा को प्रमाणित कर देती है। स्त्री आत्मकथाओं में इस धारणा को देखा जा सता है। मझू भंडारी अपने पिता के सारे विरोध को धता बताते हुए एक विजातीय 'राजेन्द्र यादव' से प्रेम-विवाह करती है और पिता के खिलाफ अपने प्रतिशोध का शंखनाद करती है। प्रभा खेतान अर्धे उम्र के एक विवाहित बाल-बच्चेदार डॉक्टर सराफ के साथ जीवन भर के लिए एक अनब्याहे बंधन में बँधकर अपना प्रतिशोध दर्ज कराती है। मैत्रेयी अपनी माँ के 'विवाह विरोधी' अभियान की धज्जियाँ उड़ाते हुए अपनी माँ को विवश करती है कि वे उसके लिए जीवन-साथी चुने। 'तहमीना' पहले अनीस और फिर मुस्तफा से प्यार और निकाह कर अपनी तानाशाही माँ से प्रतिशोध भी लेती है और प्रतिस्पर्धा भी करती है और 'दीपय' अपनी इच्छा के विरुद्ध बलात् किए गए विवाह के बंधन को तोड़कर, तलाक लेकर वह अपना प्रतिरोध प्रमाणित करती है। जिस मन-मर्जी विवाह को अपनी मुक्ति का मार्ग समझ कर बड़े अरमानों के साथ इन आत्मकथाकारों ने स्वीकार किया था, उसी का भीतरी सच इतना भयावह होगा, वे नहीं जानती थीं। दैहिक हिंसा और यौन-उत्पीड़न (मेरे आका), पति के विवाहेतर संबंध (एक कहानी यह भी), पति की नपुंसकता (नंगे पैरों का सफर), परंपरा और मर्यादा के नाम पर पत्नी को कठोर बंधनों में जकड़ना या बेटीयों को जन्म देने के अपराध में उसे अपमानित-प्रताड़ित करना (कस्तूरी कुंडल बसै और गुड़िया भीतर गुड़िया), घर-गृहस्थी के सारे दायित्व उसे सौंपकर खुद मौज-मस्ती की समानांतर जिन्दगी जीना (एक कहानी यह भी), उसके व्यावसायिक जीवन का पूरा नियंत्रण रखना (अन्या से अनन्या) आदि व्यवहारों से धरा देने वाली इन क्रूरताओं के कारण घर-गृहस्थी जब यातना-घर बनकर रह जाए और वैवाहिक जीवन का कोमल-मधुर सपना चिंदी-चिंदी होकर बिखर जाए तब ऐसी स्त्री भीतर ही भीतर सुलगते आक्रोश व प्रतिरोध को समाज के सम्मुख मुखर होकर व्यक्त करती है और सारी वर्जनाओं को एक ही झटके में तोड़कर घुटन भरे माहौल से बाहर निकलकर खुली हवा में साँस लेने लगती है।

भारतीय नारियाँ संबंधों को कपड़ों की तरह पहनती-उतारती नहीं हैं। वे घर-परिवार के महत्व से परिचित होती हैं और जानती हैं कि परिवार का

सबसे महत्वपूर्ण आधार 'स्त्री-पुरुष' संबंध है। पुरुष के क्रूर-मर्यादाहीन व्यवहार के कारण उनके लिए 'घर' में बने रहना आसान नहीं होता है। वह यह भी जानती है कि परिवार में पति-पत्नी के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनके प्रति उनका भी दायित्व होता है। दायित्वबोध के कारण वह न तो उनसे नेह का नाता तोड़ पाती है और न ही अपने बच्चों से मुँह मोड़ पाती है। वह उन्हें पिता की छाया से कैसे वंचित कर दे। अपने अनाथ बचपन की कटु स्मृतियाँ अवश्य ही उन्हें ऐसा कदम उठाने से रोकती होंगी, जिसके नतीजे में उनके अपने बच्चों के बचपन की खिलखिलाहट व मासूमियत छिन न जाए। 'आपका बंटी' लिखने वाली मन्नू अपनी बेटी 'टिकू' को 'बंटी' बनते कैसे देख सकती थी। मैत्रेयी अपनी तीनों बेटियों को पिता के प्यार के लिए तरसते कैसे देख सकती थी। यहाँ तक कि तहमीना ने भी यही अनुभव किया कि क्रोधावेग में बच्चों के प्रति क्रूर व निर्दय कहे जाने वाला पति मुस्तफा सामान्य स्थिति में बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव से भरा रहता है। वह कैसे छिन ले अपने बच्चों से वह इस वात्सल्य को। प्रभा खेतान डॉ० सराफ के साथ जिस बिन विवाह के रिश्ते में बँधी थी, वह भी उसे निभाती चली गई। इसके पीछे एक क्षीण सा कारण इस अपराध-बोध से अल्पांश में निवृत्ति पाना भी था कि उसके (प्रभा खेतान) कारण डॉक्टर साहब के बच्चों से प्यार व सुकून का जीवन छिन गया है।

आत्मकथाओं की कथा-नायिकाएँ सुशिक्षित भी हैं और जागृत विवेक की स्वामिनी भी; इसलिए वैवाहिक जीवन के उत्पीड़न को सहते हुए भी उनका विवाह संबंधों को न तोड़ना उनकी 'कायरता' नहीं कही जा सकती। साहस की कमी उनमें कहीं नहीं थी, इसे वे अपने कर्मठ-जुझारू व्यक्तित्व से प्रमाणित कर चुकी थीं। इसे उनकी 'संस्कारधर्मिता' कहना भी शायद पूरी तरह ठीक नहीं होगा। तलाकशुदा या परित्यक्ता होने का सामाजिक भय असुरक्षा के अहसास का कारण हो सकता है, लेकिन मूल कारण नहीं। चेतना-प्रबल ये स्त्रियाँ गहरे सोच-विचार के अनन्तर इस नतीजे पर पहुँची थीं कि तलाक या अलगाव समस्या का समाधान नहीं है; क्योंकि घर की लक्ष्मण-रेखा से बाहर सब कुछ मनचाहा ही होगा, कौन जाने? इसकी क्या गारंटी? घर से बाहर भी तो कदम-कदम पर समझौते करने पड़ते हैं। इसलिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संबल के लिए घर एक अनिवार्य जरूरत है। घर-परिवार के मौजूदा ढाँचे का सुधार अपेक्षित है, समूल नाश नहीं। कुल मिलाकर यह कि उनका विवेक उन्हें बार-बार चेता रहा था कि घर बहुत जरूरी है। कम-से-कम भारतीय उपमहाद्वीप के परिवेश में तो घर-परिवार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें न तो आसानी से उखाड़ा जा सकता है और न ही ऐसा करना उपयोगी ही होगा। शायद हमारी ये आत्मकथा-नायिकाएँ नारीवाद के आरोपित या पश्चिम से आयातित फलसफे की भारतीय परिवेश के संदर्भ में जाँच-परख मन ही मन करती रही होंगी। परिवार की निस्सारता को लेकर पश्चिम में हुई तमाम घोषणाओं के बावजूद ये विवेकधर्मा स्त्रियाँ भारतीय संदर्भों में इस निष्पत्ति से सहमत नहीं हुई होंगी। यह सही है कि जीवन का आंदोलन नारों के अनुकरण पर नहीं जिया जा सकता। उसकी अपनी ही खानगी, अपनी ही लय-गति रहती है। इतना तो सहज संभाव्य है कि दिमाग के बंद कपाटों को खोलने का काम जिन विचारों द्वारा किया जाता है उससे व्यक्ति का व्यवहार जाने-अनजाने प्रभावित हो जाता है। स्त्री-विमर्श ने स्त्रियों के व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी स्त्री आत्मकथा-नायिकाओं ने अपने-अपने जीवन-अनुभव के आलोक में स्त्री-विमर्श का एक ऐसा मॉडल रचा है जो ग्लोबल होने के साथ-

साथ स्थानीय भी है। निश्चय ही स्त्री-विमर्श के इस मॉडल में 'परिवार' अस्वीकार नहीं, उसके मौजूदा रूप में संशोधन का जबर्दस्त आह्वान है। प्रतिरोध परिवार का नहीं, उसमें व्याप्त शोषण का है। इसीलिए मैत्रेयी लिखती हैं- 'भले यह घर मेरे लिए युद्धस्थल बन जाए, मगर मेरे पाँव तो इस जमीन पर जमें हैं। यहाँ खड़ी रहकर ही मैं बाड़े तोड़ने की ताकत पाती हूँ। रास्ते निकालती हूँ। मैं अपने मुक्ति-वृक्ष को कहीं और जाकर क्यों रोपूँ? छाया, ताजगी और आवसीजन की जरूरत सबसे पहले मेरे घर को है। हाँ, ऐसा ही वृक्ष हर घर में हो, जिसमें स्त्री रहती है।' इसी संदर्भ में प्रभा खेतान लिखती हैं कि 'कहा जाता है कि नारीवाद पारिवारिक मूल्यहीनता को प्रश्रय देता है या फिर वह पारिवारिक संरचनाओं को तोड़ देना चाहता है। वास्तविकता कुछ और है। अगर पारिवारिक संरचनाएँ मानवीय हैं तो अपनी वैचारिक संभावनाओं सहित नारीवाद परिवार और समाज के मानवीय मूल्यों को नष्ट करने के बजाय उन्हें बचाना चाहेगा। वह पारंपरिक समाज-व्यवस्था को परिवर्तित जरूर करना चाहता है, लेकिन बदलाव को टूटना तो नहीं कहा जा सकता। परिवार स्त्री की सबसे पुख्ता जमीन है। यदि इस जमीन पर खड़े होकर वह यथास्थिति के परिवर्तन के पक्ष में है और अन्य व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वीकारना चाहती है, तो इसे गलत क्यों कहा जाना चाहिए?'

मन्नू भंडारी का तीन दशक से भी अधिक समय तक राजेन्द्र यादव के साथ एक अप्रीतिकर संबंध में बँधे रहना, तहमीना का मुक्ति की कामना से बार-बार घर को छोड़ना और फिर-फिर लौट आना, प्रभा का डॉ. सराफ द्वारा दिये गए सारे उत्पीड़न को सहने के बावजूद अंत तक उनसे जुड़े रहना और मैत्रेयी का खट्टे-मीठे अनुभवों से गुजरते हुए भी घर-परिवार की महत्ता को मुक्त कंठ से स्वीकार करना, वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप की स्त्री के उस चिन्तन की ओर ही संकेत करता है, जहाँ वह परिवार-धर्म के बीच में से ही नारी मुक्ति का मार्ग खोजना चाहती है, उससे किनाराकशी करके नहीं। कहने वालों ने तरह-तरह के आरोप लगाए हैं- कि यह कैसी नारी मुक्ति कि लगभग पैंतीस बरस तक राजेन्द्र यादव के अत्याचारों को मन्नू जी सहती चली गई? कि एक सफल व्यवसायी होते हुए भी प्रभा की डॉ. सराफ से जुड़े रहने की कैसी विवशता? कि देह-विमर्श का राग अलापने वाली मैत्रेयी फिर छोड़ क्यों नहीं देती अपने घर को? समझ में नहीं आता कि एक ओर तो स्त्री-विमर्श से जुड़ी नारियों पर घर तोड़ने के आरोप लगते हैं और दूसरी ओर यदि वे घर को बचाने के लिए जद्दोजहद करती हैं तो उनके 'स्त्री-विमर्श' को कठघरे में घसीट लिया जाता है। यह क्यों नहीं समझा जाता है कि स्त्री-विमर्श शोषण या उत्पीड़न के विरुद्ध है। भारतीय संदर्भों में इसकी सबसे बड़ी सार्थकता यही हो सकती है कि यह परिवार में व्याप्त शोषण का प्रतिरोध करे, न कि परिवार को ही खत्म करने का बिगुल बजा दे। निश्चित ही स्त्री-विमर्श के आंदोलन के दौरान ऐसी नारेबाजियाँ भी हुई हैं, जिनमें विवाह और परिवार के समूल नाश की कामना भी की गई; परन्तु ऐसी कामनाओं का विरोध करते हुए भारतीय परिदृश्य में परिवार-संस्था की स्थिति और महत्ता को समझने का आह्वान भी तो किया गया है। कथा-नायिकाओं का प्रतिरोध 'विवाह', 'परिवार' या स्त्री-पुरुष संबंधों के दायरे में आने वाले उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है। ये आत्मकथाएँ एक विस्तृत कैनवास पर उकेरी गई हैं, इसीलिए इनमें इन लेखिकाओं का समय और समाज विविध रूप में जिंदा है- अपनी विविध छवियों के साथ, अपने उजले और स्याह पक्षों के साथ। तहमीना की आत्मकथा में पाकिस्तानी समाज में पसरे धर्म और राजनीति के धिनौने दुर्व्यवहारों का उल्लेख ही नहीं है, इनसे जूझने की

जड़ोजहद का भी मार्मिक आख्यान भी है। वर्ग-वैषम्य, भ्रष्ट राजतंत्र, धर्म की मनगढ़ंत व्याख्याएँ, गरीब-अशिक्षित जनता, क्रूर व अमानवीय जेल-तंत्र, पाकिस्तानी समाज का भीतरी यथार्थ तहमीना की प्रतिरोधी कलम के माध्यम से दुनिया के सामने बेपरदा हुआ है। तहमीना ही नहीं; मझू भंडारी, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, दलीप कौर टिवाणा- सबकी आत्मकथाओं का पाठ हमें बीसवीं सदी के इतिहास की यात्रा पर ले चलता है। आजादी से भी पहले का भारत अपनी सारी हलचलों और कुर्बानियों के साथ स्त्री की केन्द्रीय भूमिका के साथ मौजूद रहा है। वस्तुतः यह स्त्री की आँख से देखा गया इतिहास है, इसीलिए इसमें स्त्री का शोषण उत्पीड़न उसके प्रतिरोधी संकल्प के साथ अंकित है।

स्वतंत्र भारत में देखे गए न्याय और समानता के सपने, धीरे-धीरे इन सपनों का बिखरना, समाजवाद के नारों के बावजूद स्थापित होता पूँजीवाद, बढ़ता वर्ग-वैषम्य, विदेशी आक्रमण, भीतरी असंतोष, आपातकाल, भ्रष्ट राजतंत्र, धार्मिक-सामाजिक रूढ़ियाँ, उजड़ते गाँव, फैलते शहर, जीवन-मूल्यों का हास, विदेशों में भारत की नकारात्मक छवि, राष्ट्र-भाषा का प्रश्न, शिक्षा से स्वावलंबन तक का स्त्री का सफर, गर्भधारण, गर्भपात और प्रजनन जैसे मुद्दे यहाँ मौजूद हैं और साथ ही मौजूद है स्त्री की प्रतिरोधी चेतना। अंग्रेजी सत्ता के विरोध में नारे लगाती, जैन साधवियों से धर्म के आडंबरों पर बहस करती और एक विजातीय व्यक्ति से विवाह करती (मझू भंडारी), विवाह की मंडी में बिकने का पुरजोर विरोध करती, सती-प्रथा को निस्सारता समझाती व परावलंबन से मुक्ति के लिए संघर्ष करती (मैत्रेयी की माँ कस्तूरी), यौन हिंसकों से जूझती, नैतिक वर्जनाओं को लाँघती व प्रकाशन-तंत्र में फैले पाखंड का पर्दाफाश करती (मैत्रेयी पुष्पा), व्यावसायिक दुनिया में स्त्री की पहचान बनाने के लिए श्रम करती (प्रभा खेतान), घर-परिवार में फैली विषमताओं व रूढ़ियों का विरोध करती (दीप) स्त्री प्रतिरोध की भावी सफलता का ही सूत्रपात करती है। डॉ. सराफ के सारे किन्तु-परन्तु के बावजूद पुरुष सत्ता द्वारा कदम-कदम पर खड़े किए गए अवरोधों से मुठभेड़ करते हुए प्रभा एक सफल व्यावसायिक स्त्री के रूप में अपना लोहा मनवा ही लेती है। संपादन व प्रकाशन की दुनिया की लोलुप पुकारों और कामुक दृष्टियों का सामना करते हुए मैत्रेयी पुष्पा अपनी कलम की पहचान बनाती है। वाम और दक्षिण ध्रुवों में बँटी साहित्य की दुनिया में रहते हुए भी मझू भंडारी जड़ प्रतिबद्धताओं से स्वयं को मुक्त रखकर अपनी सहज मानवीय दृष्टि का परिचय देती है और पाठकों द्वारा प्रशंसित-अभिनंदित होती है। शिक्षा-जगत की विसंगतियों में जूझती है दलीप कौर टिवाणा विद्यार्थियों की सर्वप्रिय प्राध्यापिका बनकर शिक्षा जगत को एक नई दिशा और नई दृष्टि देती है। सच तो यह है कि स्त्री की चेतना जब जागती है तब वह भीतरी-बाहरी सारी वर्जनाओं पर प्रश्नचिन्ह लगाती है, अपने आस-पास फैले शोषण को खुली आँखों से देखती है और भिड़ जाती है अन्यायी सत्ता के स्तम्भों से। हो सकता है उसकी शक्ति सीमित हो और प्रतिरोध का उसका तरीका दूसरों से भिन्न हो, मगर उसकी भीतरी छटपटाहट उसे संघर्ष के लिए विवश कर ही देती है। कभी-कभी यह प्रतिरोध बहुत मुखर व प्रत्यक्ष हो जाता है। कहीं यह प्रतिरोध छल-बल का प्रयोग करता हुआ दुश्मन के हथियारों से ही उसे चित कर देने वाला होता है। मैत्रेयी का प्रतिरोध ऐसा ही है। वह छल-कपट से भरे पैतृक समाज से कभी रूप बदल-बदल कर टकराती है तो कभी झुककर और कभी

झुकाकर। कभी वह उत्पीड़न के सारे अमानवीय कृत्यों का वाचिक विरोध करते हुए भी अपनी उदात्त मानवीय वृत्तियों को नहीं छोड़ती और अपने दायित्वों को मौन भाव से निभाती चली जाती है। मझू भंडारी का प्रतिरोध भी ऐसा ही था। यह इस प्रतिरोध की ही शक्ति थी कि एक दिन उत्पीड़क पति को भी अपने अपराधों को स्वीकार करना पड़ा।

महिला-आत्मकथाओं का पाठ यह भी स्पष्ट कर देता है कि स्त्री के प्रतिरोध का लक्ष्य पुरुष को सत्ताच्युत कर खुद सत्तासीन होना नहीं है। उसका लक्ष्य तो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जो दमन के कुचक्रों से मुक्त होगी; जहाँ स्त्री व पुरुष एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक बनकर साथ-साथ चलेंगे; जहाँ दोनों के मानवाधिकारों की रक्षा होगी; जहाँ भिन्नताओं और बहुलताओं को घृणा की दृष्टि से नहीं, बल्कि सृष्टि के आनंददायी उत्सव के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सच्चा नारीवाद परंपरा के नाम पर जारी मूल्यहीनता का विरोध कर प्रकारांतर से मानव-मूल्यों का अभिषेक करता है। महिला-आत्मकथाएँ भी अपने प्रतिरोधी स्वरों के माध्यम से अन्ततः मानव-मूल्यों का वंदन-अभिनंदन ही करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।

संदर्भग्रंथ सूची:-

1. भंडारी मझू : एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जी-17 जगतपुरी, दिल्ली, प्रथम संस्करण-2007, आठवाँ संस्करण (पेपरबैक्स)-2022, पृष्ठ संख्या-24
2. मैत्रेयी पुष्पा : गुड़िया भीतर गुड़िया, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन-2008, तीसरा संस्करण (पेपरबैक्स)-2016, पृष्ठ संख्या-12
3. मैत्रेयी पुष्पा : गुड़िया भीतर गुड़िया, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन-2008, तीसरा संस्करण (पेपरबैक्स)-2016, पृष्ठ संख्या-34
4. खेतान प्रभा : अन्या से अनन्या, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन-2007, छठा संस्करण (पेपरबैक्स)-2021, पृष्ठ संख्या-208
5. खेतान प्रभा : अन्या से अनन्या, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन-2007, छठा संस्करण (पेपरबैक्स)-2021, पृष्ठ संख्या-253
6. गुप्ता रमणिका : आपहुदरी, सामयिक प्रकाशन 3320-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन-2015, पेपरबैक संस्करण-2019, पृष्ठ संख्या-70
7. खेतान प्रभा : अन्या से अनन्या, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन-2007, छठा संस्करण (पेपरबैक्स)-2021, पृष्ठ संख्या-96
8. पुष्पा मैत्रेयी: गुड़िया भीतर गुड़िया, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन-2008, तीसरा संस्करण-2016 (पेपरबैक्स), पृष्ठ संख्या-131

स्वामी दयानन्द सरस्वती : वैदिक पुनर्जागरण के अग्रदूत

डॉ. सुमित मेहता*

* सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

प्रस्तावना – स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883) आधुनिक भारत के उन महान विचारकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय समाज को वैदिक मूल्यों की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने धार्मिक सुधारों की नींव रखी, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया और राष्ट्र निर्माण की दिशा में वैचारिक क्रांति की शुरुआत की। उनका जीवन एक तपस्वी, विचारक और समाज-सुधारक के रूप में भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। युगदृष्टा और पथ प्रदर्शक कहे जाने वाले दयानन्द सरस्वती ने पाखण्ड और अन्धविश्वासों के खिलाफ अभियान शुरू किया। स्वामी जी ने हिन्दी भाषा के माध्यम से अध्यात्म, मानवता, भारतीयता, हिन्दुत्व और राष्ट्रभक्ति के प्रति जन-जन को जागृत किया। तत्कालीन समय में जब समाज छुआछूत, विधवा-अत्याचार, बाल-विवाह, अशिक्षा आदि कुरीतियों से ग्रसित था, उस समय स्वामी जी ने समाज के सर्वांगीण विकास हेतु कुरीतियों पर करारा प्रहार किया।

प्रारंभिक जीवन और वैचारिक परिवर्तन – स्वामी दयानन्द का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गाँव में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता करशनजी त्रिवेदी एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे और शिवभक्त थे। वे राज कर्मचारी थे जिन्हें जमेदार कहा जाता था।⁽¹⁾

मूलशंकर का पालन-पोषण धार्मिक वातावरण में हुआ, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि चूहे शिवलिंग पर चढ़कर खेल रहे हैं, और पुजारी उन्हें ईश्वर मानकर पूज रहे हैं। इस दृश्य ने उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए कि क्या यह ईश्वर है जो स्वयं को चूहों से नहीं बचा सकता? स्वामी जी ने अपने पिता को जगाकर पूछा कि क्या ये महादेव छोटे से चूहों को नहीं हटा सकते? तब पिताजी ने कहा कि यह तो केवल देवता की मूर्ति है। इस घटना ने उन्हें मूर्तिपूजा पर पुनर्विचार करने को प्रेरित किया। मूलशंकर ने सच्चे शिव की खोज में घर छोड़ने का निश्चय कर लिया।

सत्य की खोज और गृहत्याग – मूलशंकर ने 1846 में घर त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने योग, वेद, उपनिषद्, दर्शन और व्याकरण का गहन अध्ययन किया। उनका उद्देश्य था सत्य की खोज, अंधविश्वासों का खंडन और समाज को वैदिक मार्ग पर लाना।

उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यह यात्रा उन्हें मथुरा तक ले गई, जहाँ उनकी भेंट स्वामी विरजानन्द से हुई। विरजानन्द की आर्य ग्रन्थों पर बहुत अधिक श्रद्धा थी।

स्वामी जी का जब विरजानन्द से परिचय हुआ तो स्वामी जी से पूछा गया कि क्या तीन वर्ण में व्याकरण आती है, इस बात से प्रेरित होकर स्वामी जी ने विरजानन्द जी से पढ़ने का निश्चय कर लिया।⁽²⁾ स्वामी विरजानन्द के सान्निध्य में उन्होंने वैदिक ज्ञान को आत्मसात किया और संकल्प लिया कि वे भारत को अज्ञानता से मुक्त करेंगे। उन्होंने अपने गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में यह वचन दिया कि वे वेदों का प्रचार करेंगे और समाज को सच्चे धर्म की ओर ले जाएंगे। विरजानन्द ने उन्हें वेद, व्याकरण और दर्शन की शिक्षा दी और जीवन का उद्देश्य बताया कि 'विद्या को सफल करो, परोपकार करो'। यही आदेश स्वामी दयानन्द के जीवन का ध्येय बन गया।

वैदिक धर्म का प्रचार – स्वामी दयानन्द ने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण कर वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने मूर्तिपूजा, जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। उनका प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो। उन्होंने वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना और कहा कि ईश्वर, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों को समझने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है।

उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विभिन्न धर्मों और मतों की आलोचना की, लेकिन उद्देश्य था सत्य की खोज और समाज को अज्ञान से मुक्त करना। उन्होंने कहा कि मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, जबकि ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं।

आर्य समाज की स्थापना – युग पर्वतक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने समाज में व्याप्त अन्धविश्वासों को समूल नष्ट करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया। सत्य की स्थापना करना उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके विश्व को एक नया प्रकाश दिया। उन्होंने स्वयं का कोई पंथ अथवा सम्प्रदाय नहीं चलाया अपितु ऋषि मुनियों के बताये गये मार्ग को ही प्रशस्त किया।⁽³⁾ 29 जनवरी 1874, शुक्रवार, माघ कृष्ण अष्टमी को स्वामी जी दूसरी बार बम्बई गये। इस यात्रा के दौरान स्वामी जी ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की।⁽⁴⁾ इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म का प्रचार, सामाजिक सुधार, शिक्षा का प्रसार और राष्ट्र निर्माण। आर्य समाज के 28 नियमों में सत्य, परोपकार, शिक्षा, स्त्री-पुरुष समानता और जातिवाद का विरोध प्रमुख थे। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की जहाँ सभी जातियों के छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। आर्य समाज ने स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार दिलाने के लिए

संघर्ष किया और उन्हें समाज का समान अंग माना।

धार्मिक विचार और दर्शन – स्वामी दयानन्द ने ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की पूजा मूर्तियों के माध्यम से नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और समाज का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने कर्म सिद्धांत को जीवन का आधार माना और पुनर्जन्म को आत्मा की यात्रा का हिस्सा बताया। उनका दर्शन अत्यंत वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा कि धर्म को तर्क और अनुभव के आधार पर समझना चाहिए, न कि अंधश्रद्धा के आधार पर। उन्होंने वेदों को विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा का स्रोत बताया। उनका मानना था कि वेदों में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि भौतिक विज्ञान की भी गहराई है।

सामाजिक सुधार – शिक्षा प्राप्त कर जब स्वामी जी समाज सुधार के कार्य में संलग्न हुए उस समय समाज कुरूपतियों और अन्धविश्वासों से घिरा हुआ था तथा समाज में हर तरफ घोर अव्यवस्था विद्यमान थी। उस समय समाज में छुआछूत, जाति-पाति, अन्धविश्वास और पाखण्डों का बोलबाला था। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र माना जाता था। छोटी जातियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। यहाँ तक की उन्हें अपने पानी का कुआँ भी अलग बनवाना पड़ता था। दक्षिण भारत में तो ब्राह्मण समाज कई जातियों की छाया तक से दूर रहता था।⁽⁵⁾ स्वामी दयानन्द ने समाज में व्याप्त इन कुरूपतियों का घोर विरोध किया। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा 1923 को स्वामी जी हरिद्वार पहुंचे। उनके यहां आने का प्रमुख उद्देश्य यहां एकत्रित जनसमूह को अन्धविश्वास से दूर रहने का उपदेश देना था। स्वामी जी ने वहां उपस्थित लाखों के जनसमुदाय के सामने मूर्तिपूजा, अवतारवाद, तिलक आदि अन्धविश्वासों का घोर विरोध किया।⁽⁶⁾ उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, पशु बलि और स्त्रियों को वेदाध्ययन से वंचित रखने जैसी प्रथाओं को अमानवीय बताया। जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उन्हें आजीवन एकाकी रह कर दयनीय जीवन जीना पड़ता था। इसके अलावा बाल विवाह और बहु विवाह प्रथा के कारण भी स्त्रियों की दुर्गति होती थी। रूढ़िवादिता की शिकार इन स्त्रियों को वेश्या तक बनना पड़ता था तथा कई स्त्रियां तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेती थी।⁽⁷⁾ स्वामी जी ने स्त्रियों के साथ हो रहे इस अन्याय का विरोध करते हुए उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और उन्हें वैदिक धर्म का अंग माना। उनका मानना था कि 'समाज की उन्नति तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार है'। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और कहा कि स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए।

शिक्षा और राष्ट्र निर्माण – स्वामी दयानन्द ने शिक्षा को समाज की रीढ़ माना। उन्होंने कहा कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया और आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत, वेद, गणित, विज्ञान और व्याकरण को शिक्षा का अंग बनाया। उनका मानना था कि राष्ट्र निर्माण के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण आवश्यक है। उन्होंने भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी और अंग्रेजी शिक्षा को केवल उपयोगिता के लिए स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा को अपनाकर ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है।

राजनीतिक दृष्टिकोण – स्वामी दयानन्द पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1876 में 'स्वराज्य' का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जब तक भारतवासी अपने धर्म, संस्कृति और भाषा को नहीं अपनाएंगे, तब तक स्वतंत्रता संभव नहीं है। उनका मानना था कि विदेशी शासन केवल तभी सफल होता है जब देशवासी आत्मविस्मृति में जीते हैं।

साहित्यिक योगदान – स्वामी दयानन्द ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, संस्कृत व्याकरण, और संहिता भाष्य प्रमुख हैं। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। यह ग्रंथ आज भी आर्य समाज का मूल ग्रंथ माना जाता है। उनकी भाषा सरल, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली थी। उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों में लेखन किया और वेदों की व्याख्या को जनसामान्य तक पहुंचाया।

मृत्यु और विरासत – उनकी मृत्यु विषाक्त भोजन के कारण हुई थी, जिसे षड्यंत्र माना जाता है। 26 सितम्बर 1883 को स्वामी जी को किसी ने विष, काँच और क्रोटोन पौधे का बीज युक्त दूध पिला दिया।⁽⁸⁾ स्वामी दयानन्द सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। उनकी विचारधारा और कार्य आज भी जीवित हैं। आर्य समाज आज भी भारत और विश्व के कई देशों में सक्रिय है। उनके विचारों ने न केवल धार्मिक सुधार किए, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरणा दी। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें 'आधुनिक भारत का निर्माता' कहा था।

निष्कर्ष – स्वामी दयानन्द सरस्वती का जीवन एक प्रेरणा है — सत्य की खोज, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में। उन्होंने भारतीय समाज को वैदिक मूल्यों की ओर लौटने का मार्ग दिखाया और अंधविश्वासों से मुक्त करने का प्रयास किया। उनका योगदान आज भी प्रासंगिक है, विशेषकर जब समाज पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस करता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज, तर्क का प्रयोग और समाज के प्रति उत्तरदायित्व ही किसी राष्ट्र को महान बनाते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती केवल एक धार्मिक सुधारक नहीं थे, वे एक युग निर्माता थे। उन्होंने भारत को वैचारिक स्वतंत्रता दी, जो राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव बनी। आज जब हम आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन खोज रहे हैं, स्वामी दयानन्द के विचार हमें मार्गदर्शन देते हैं। उनका 'वेदों की ओर लौटो' का आह्वान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता और आत्मचिंतन की दिशा में अग्रसर किया।

समकालीन प्रासंगिकता – स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आज जब समाज फिर से जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, उनके विचार हमें समाधान की दिशा दिखाते हैं।

1. **शिक्षा** – उन्होंने शिक्षा को सार्वभौमिक अधिकार माना। आज भी शिक्षा में समानता और गुणवत्ता की आवश्यकता है।

2. **स्त्री सशक्तिकरण** – उन्होंने स्त्रियों को वेदाध्ययन और सामाजिक भागीदारी का अधिकार दिया। आज के महिला अधिकार आंदोलन में उनके विचार प्रेरणा हैं।

3. धार्मिक सहिष्णुता - उन्होंने तर्क और वेदों के आधार पर धर्म की व्याख्या की। आज जब धार्मिक संवाद की आवश्यकता है, उनका दृष्टिकोण मार्गदर्शक हो सकता है।

4. राष्ट्रवाद - उनका स्वराज्य का विचार आज भी भारत की आत्मनिर्भरता की नींव है।

प्रभाव और विरासत - स्वामी दयानन्द सरस्वती की विरासत केवल आर्य समाज तक सीमित नहीं है। उनके विचारों ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों और शिक्षाविदों को प्रभावित किया। महर्षि अर्विंद, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्ता विद्यार्थी और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्तित्वों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को वैदिक धर्म, शिक्षा और सामाजिक चेतना से जोड़ा। आज भी आर्य समाज विद्यालय, गुरुकुल, पुस्तकालय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है।

आलोचना और विवाद - स्वामी दयानन्द का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। उनकी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' में उन्होंने अन्य धर्मों की आलोचना की, जिससे कई समुदायों में असंतोष उत्पन्न हुआ। विशेष रूप से इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म पर उनकी टिप्पणियाँ विवादास्पद रही हैं। हालाँकि, उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य धार्मिक संवाद को तर्क और सत्य की कसौटी पर परखना था, न

कि किसी धर्म का अपमान करना। उन्होंने कहा था कि 'सत्य को स्वीकार करना और असत्य को त्यागना ही धर्म है'।

निष्कर्षात्मक पुनरावलोकन - स्वामी दयानन्द सरस्वती का योगदान बहुआयामी था। उन्होंने भारत को वैदिक चेतना से जोड़कर एक नई दिशा दी। उनका जीवन का एक ही मिशन था अज्ञानता के विरुद्ध युद्ध, सत्य की स्थापना और समाज का पुनर्निर्माण। उनकी शिक्षाएँ आज भी हमें यह सिखाती हैं कि यदि हम अपने मूल्यों, संस्कृति और ज्ञान पर गर्व करें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वेदों की ओर लौटना केवल अतीत में झाँकना नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नवजागरण के पुरोधा दयानन्द सरस्वती, भवानी लाल भारतीय, अजमेर (1983), पृ. 8
2. स्वामी दयानन्द का स्वकथित जीवन चरित्र, पृ. 45
3. महर्षि दयानन्द, चिंतन के विविध आयाम, सावित्री लठवाल, पृ. 38
4. महर्षि दयानन्द, चिंतन के विविध आयाम, सावित्री लठवाल, पृ. 38
5. हिन्दी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन, पृ. 5
6. महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र, पृ. 71
7. आर्य समाज का इतिहास, प्रथम भाग, पृ. 157
8. महर्षि दयानन्द की देन, कलकत्ता (1975), पृ. 35

ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन

प्रो. आरती बारोठिया*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत की कुल 1 अरब 25 करोड़ आबादी है, जो विश्व की 17.5% के बराबर है। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 65% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में कुल 6.38 लाख गांव हैं। भारत गांव का देश है, अर्थात् गांव की तरफ़ी के बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती। विकास के कई पहलू हैं ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारणा प्रस्तुत करती है। ये मनुष्य की सभी आकांक्षा और इच्छाओं से जुड़ी होती है जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। विकास से प्रगति दिखती है जो लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है। बीसवीं शताब्दी में ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन से भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई तथा यह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन इन सब का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कितना मिल रहा है, यह वास्तव में देखने की बात है। 1990 दशक के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखाई देने लगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सामाजिक परिवर्तन का साधन है, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, आवास, मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, गरीबी को दूर करना, शासन की योजनाओं में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर जागरूकता और चेतना का संचार करना। इस प्रकार की व्यवस्था से ही गांव के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होना संभव है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण द्वारा ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने के लिए विशेष अवसर उपलब्ध करा रही है। गरीबों, महिलाओं, कमजोर और निर्बल वर्गों के लिए कई कल्याणकारी और विकास की योजनाएं लाई गई हैं। इन सब का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच व्याप्त विषमताओं को कम करना, संतुलित सामाजिक विकास प्राप्त करना है। इनमें तत्कालीन कदम मनरेगा, भारत निर्माण एवं खाद्य सुरक्षा हो सकते हैं। नई सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लोगों को बैंक में खाता खोलकर बचत करनी की परंपरा की नींव डाली है। बचत किसी भी परिवार और समाज की आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमिका निभाती है। इससे देश की विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ा योगदान होता है। स्वच्छ भारत अभियान ने भी लोगों को अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ज्ञान कराया, इस प्रकार बदलती हुई राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में बहुआयामी सामाजिक परिवर्तन हेतु ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण करने के बराबर है। योजना आयोग द्वारा जारी वर्ष 2012 को भारतीय निर्धनता अनुपात 29.8 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 33.8% था।

उद्देश्य:

1. विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था में गांव की भूमिका।
2. ग्रामीण जीवन शैली पर विभिन्न योजनाओं का योगदान।
3. भारत के संतुलित विकास का अध्ययन।
4. ग्रामीणों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।

गांव में स्त्री, पुरुष, लड़के लड़कियों सभी में साक्षरता बढ़ रही है। बुनियादी शिक्षा तथा समाज शिक्षा बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य प्रत्येक बालक बालिका के लिए अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। गांव में बहुत से युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने शहरों की ओर जाने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण संस्थाएं कृषि कॉलेज, डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई है। लोगों की जीवन शैली बदल रही है, इससे नई नई चीजों का बाजार फल फूल रहा है। शिक्षित वर्ग का नौकरी की ओर अधिक झुकाव हुआ है, नए औजार, नए बीज, नई खेती के तरीकों से उत्पादन बढ़ गया है। सहकारी समितियों की स्थापना, अनाज बैंक और सरकारी बैंकों के खुलने से ऋणग्रसिता कम हो गई है। सरकारी सहायता से लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। किसानों और छोटे व्यापारियों की दशा में सुधार

आया है। पंचायतों की स्थापना से गांव में राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता बढ़ गई है। अखबार, रेडियो, टीवी के माध्यम से वे अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए हैं। राष्ट्रीय चेतना जागृत होने पर भी, सामुदायिक भावना कम हुई है। भारत के ग्रामीण समुदाय में तीव्रता से परिवर्तन होते जा रहे हैं। नगरों के पास के गांव में रहन-सहन, खान-पान, जीवन पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलता है।

सामाजिक परिवर्तन के मुख्य तत्वों की पहचान निम्न है -

1. शिक्षा का विकास
2. राजनीति में युवाओं की भूमिका
3. सामाजिक मूल्य का असर आधारभूत सुविधाएं
4. आम लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन
5. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग
6. नवीन तकनीकी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल
7. समाजवाद की ओर बढ़ते हुए कदम आदि।

यह मानव के कल्याण की ओर संकेत कर रहे हैं जो आर्थिक विकास के लिए सामाजिक प्रभाव की तस्वीर प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्र की

अर्थव्यवस्था का प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या कृषि पर आधारित है क्योंकि वहां के किसान अशिक्षित हैं और कुछ खेती की बारीकियों से नासमझ हैं, इसके निदान के लिए सरकार ने कृषि मित्र, किसान कॉल सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कदम उठाए हैं। ग्रामीण जनसंख्या का 30% लोग खेती नहीं करना चाहते। ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज संस्थान सराहनीय योगदान दिया है। इसे एक क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं, महिलाओं को मिले आरक्षण से पुरुषवादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। महिलाएं राजनीतिक भागीदारी के साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं, वे समाज के सशक्त विकास से बच्चों और महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में छोटे-छोटे पदों पर चुनी प्रतिनिधियों की संख्या गांव में लगातार बढ़ती जा रही है। विभिन्न तरह के विकास के बदलाव से ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन देखने को मिलता है इस आर्थिक युग में ग्रामवासी के पास फालतू बातचीत, कार्यों के लिए समय नहीं है। यह बढ़ती महंगाई का परिणाम हो सकता है, जिसने ग्रामीणों लोगों में शहरों की प्रवृत्ति ला दिया है सामाजिक मूल्य का हास देखने को मिल रहा है जिससे परिवार का स्वरूप बदलने लगा है। आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का कारण बन गया है।

गांव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गांव में एक आदमी का शहरीकरण होने से एक नई संस्कृति का जन्म होता है। गांव में शिक्षा के विकास से जागृत आने से अधिकांश ग्रामवासी पुरानी रूढ़िवादिता के चक्कर में फस नहीं जाते। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन फल फूल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबको शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति और मध्याह्न योजना ने शिक्षा का स्तर गिरा दिया है। गांव में लड़कियों को शिक्षित करने की योजना सामाजिक परिवर्तन को लाने का मुख्य कारण बनी हुई। महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों, रेड क्रॉस, सामाजिक न्याय दिलाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे रही हैं। गांव में कानून व्यवस्था के कारण सरपंचों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दिखाई दे रही है।

औद्योगिकरण, शहरीकरण, परिवहन के साधनों में वृद्धि, अंग्रेजी शिक्षा की लोकप्रियता सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, छुआछूत को दूर करने वाले कानून ने जातिवाद के प्रभाव को प्रभावों को कम कर दिया है। अब ग्रामीण कमजोर व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। जिससे समाज में तेजी से परिवर्तन दिखाई देने लगा है। सूचना के अधिकार 2005 में ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही जिससे ग्रामीणों को विकास से जुड़े समाधान करने में बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।

ग्रामीण विकास के साथ अगर तेजी से सामाजिक परिवर्तन की संभावना को प्रोत्साहन देना है तो निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

1. शिक्षा के व्यवसायीकरण को कम करते हुए इसमें अधिगम एवम समानता के साथ गुणवत्ता भी लाई जाए।
2. शोध और विकास को गांव से संबद्धता प्रदान की जाए।
3. सरकारी नीतियों का सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य एवम सर्वोच्चता रखना।

4. सभी के प्रयास और एकजुटता

ग्रामीण पर सामाजिक परिवर्तन तेजी से ना होने के कारण है कि ग्रामीण जनता को संख्या समझा जाता है, लेकिन अगर उसको मानव संसाधन में परिणित कर दिया जाए तो वह एक स्थाई संपत्ति बन सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन का दायरा परंपरागत विकास से काफी व्यापक है इसमें विकास के विभिन्न आयामों के साथ-साथ विकास, भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जरूरतों की पूर्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। कृषि की स्थिति स्वतंत्रता के समय देश अनाज की कमी से जूझ रहा था आजादी के बाद भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूमि सुधार, हरित क्रांति, प्रौद्योगिकी, नवाचार, मशीनीकरण जैसे अनेक कदम उठाए गए। वर्तमान में भारत का खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान आज भी 50.8% से अधिक परिवार अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20% योगदान है।

निष्कर्ष – ग्रामीण भारत के विकास के लिए आजादी के बाद से कई प्रयास किए गए। जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक ढांचे में बदलाव देखने को मिला है। आज भी देश के कई गांवों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, तकनीकी उद्योग समृद्धि का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। अतः आज की सरकार को अपनी योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के साथ, उन्हें धारा पर लागू करना चाहिए। प्रत्येक ग्राम गरीबी से मुक्त, उन्नत आर्थिक, सामाजिक रूप से सक्षम बनेगा, तभी देश का विकास होगा। निम्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

1. दीनदयाल उपाध्याय
2. ग्रामीण कौशल योजना
3. स्वच्छ भारत मिशन
4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
5. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण
6. युवाओं को प्रशिक्षण
7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
8. सर्व शिक्षा अभियान
9. कुटीर ज्योति कार्यक्रम
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है, जहां नगरीकरण बढ़ रहा है, भारत के बहुसंख्यक लोग गांव में ही रहते हैं और उनका जीवन कृषि और संबंधित व्यवसाय से चलता है बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ना केवल जीविका बल्कि कृषि जीने का एक तरीका भी है। कृषि और संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध है हमारे देश में कृषि की प्रकृति भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। ग्रामीण सिर्फ कृषि ही नहीं बहुत से ऐसे क्रियाकलाप, जो कृषि और ग्रामीण जीवन की मदद के लिए हैं, वे ग्रामीण भारत में जीविका के साधन थे। बहुत से कारीगर, दस्तकार कुम्हार, सुनार आदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। विकास के साथ-साथ मशीन से बने सामानों के आगमन ने हाथ से बनी वस्तुओं का रूप ले लिया। ग्रामीण भारत में व्यवसाय विभिन्नता यहां की जाति व्यवस्था में प्रतिबंधित होती है। कुछ परंपरागत व्यवसाय आज टूट रहे, लेकिन ग्रामीण शहरी के परस्पर संबंध से कई व्यवसाय गांव में आ रहे हैं। बहुत से लोग गांव में रहते हैं नौकरी करने या उनकी जीविका ग्रामीण कृषि क्रियाकलापों में आधारित है।

अधिकांश गांव की समाज परंपरागत तरीकों से संचालित होती है, इसलिए संस्थाएं, जाति, धर्म, सांस्कृतिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहां अधिक प्रभावशाली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन और भी धीमा होता है। सरकार द्वारा मनरेगा, ग्रामीण विकास योजना का प्रभाव गांव के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य दृष्टिगोचर होने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – दत्त एवं सुंदरा
2. कुरुक्षेत्र जनवरी 2015
3. दृष्टि अकैडमी।
4. आई ए एस।

Constitutional Protection to the Transgender Community in India

Pawan Kumar Chaurasia*

*Research Scholar & Asst. Prof., Pt. Motilal Nehru Law College & Research Center, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract: Constitution of a nation is called the Grundnorm which means the mother of all land laws. It means no law can be inconsistent with the provisions of the constitution. The sole object of a constitution is to define and provide rights to the person essential for their life. Transgender are also human being therefore they are also entitled for all the rights reserved for the other gender in the constitution. But they were given all those rights after the judgment of NALSA.

Keywords: NALSA. Grundnorm, Transgender, Kinnar, Hijra.

Introduction - The Constitution is the fundamental whole of the laws and regulations that establish the fundamental principles of a state or states, the structure and authority of government, as well as the fundamental rights and obligations of citizens. It serves as the supreme law that will be guided by the way in which laws have power and relations between the government and the people are adopted, ensuring that all other laws and politics follow these fundamental principles. The famous and legendry jurist **Hens Kelson** terms the constitution 'Grundnorm' which means 'Mother of all Laws'. In this sense we can understand the constitution as the supreme law of land and no law of land can be inconsistent with the provisions of constitution. In India constitution is also considered the supreme law and as per Article 13 of the Indian constitution, all the laws prevailed in India are subject to the part third of constitution. If any law is made against the part third of constitution that includes all the fundamental rights shall be void to the inconsistency.

Through the various Articles, several rights have been conferred on the persons. Under Article 14 of the Indian Constitution the right to equality has been given to all persons and transgender are also human being therefore they are also considered under Article 14 of constitution.

Legal based on transgender rights in India: The legal framework for transgender rights was widely developed after the 2014 decision of the Supreme Court of India in the case National Legal Service of India V. Union of India (in short NALSA case). In this decision, the Supreme Court granted the laws of transgender people to self-determination of gender identity as a male, female, or transgender person. Certainly, it is precisely a decision within the hill that expanded the size of fundamental rights to include non-

emission rights based on gender identity. After the rise, other Supreme Court decisions expanded the amount of fundamental rights to include sexual orientation and gender identity rights. The first and major laws that provide protection for transgender people are the 2019 Transgender (Protection of Rights) Act and Transgender Regulations (Protection of Rights), 2020. NALSA judgment was the founding stone for transgender people, transforming them into life and giving them a new glow of hope for a better, decent life. But before this decision, the highest laws of India protected them through various articles presented below.

Article 14:- As per this article the **State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.** The word person refers all human irrespective of gender.

The honorable Supreme Court of India expanded the word "person" given in Article 14 of the Constitution, declaring that the words of a person include not only men and women, but transgender people, and that transgender people are neither men nor women. Therefore, transgender people are classified under Article 14 of the Constitution and as other categories enjoy, they have rights to all rights.

Article 15:- Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth-

1. The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, **sex**, and place of birth or any of them.

16. Equality of opportunity in matters of public employment-
1. There shall be equality of opportunity for all **citizens** in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

2. No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste,

sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

Articles 15 and 16 guarantee the fundamental rights of Indian citizens in relation to educational facilities, employment and national appointments, respectively. The keyword in the article is "sex." Interpretation of sex means not only men and women, but also the third gender. Although soil is only humiliated in the minds of men and women, in a historical decision of NALSA, the Supreme Court of India observes that soil is not only limited to ground, but also to biological attributes, as well as to transgender and others. Discrimination between the two articles is strictly prohibited based on gender, including those who consider themselves male or female.

Article 19 (1) (a):- This article guarantees citizens' rights to speech and expression. That is a very important right. In fact, this right includes the whole natural law that no one can deny. If there are people who want to declare independence regarding sex, the state cannot hold them. In many cases, the state and its important authority cannot digest the innate essential or innate nature and identity of such a person. Therefore, the value of self-determination is most necessary and gives this basic law. As a result, this Article maintains the confidentiality, self-identification, value of self-identification, value of self-identification, and value of self-identification as guaranteed to trans-people in accordance with Article 19(1) (A) of the Constitution, and the state inevitably protects it.

Article 21:-Says that- No person shall be deprived of his life and personal liberty except according the procedure established by law.

Article 21 is already indicated the protection of personal liberty and autonomy of an individual. Honorable Supreme Court of India in **Anuj Garg V. Hotel Association of India** held that-

Personal autonomy includes laws, negative laws that do not interfere with others, and positive laws that people are trying to make decisions about their own lives, and positive laws that express and choose which actions are involved. Sexual self-determination is an integral part of individual autonomy and self-expression and enters the realm of individual freedom as guaranteed by Article 21 of the Indian Constitution.

Article 23:- Prohibition of traffic in human beings and forced labor

(1)Traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited and any contravention

of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

Conclusion: On the perusal of the above mentioned concerned provisions of the Constitution of India, it is crystal clear that there was no specific provision for the transgender community in the constitution. At the time of framing it, no attention was paid on the status of transgender community. Till 2014, transgender community was in a pathetic condition but it was the apex court of India who issued several directions to the govt. in its historical judgment pronounced in the NALSA case for the welfare of transgender persons of all kinds as *Kinnar*, *Jogappa*, *Hijra* and so many. Although the term transgender is an umbrella term which itself includes all kinds of eunuchs in India. Through this judgment the Supreme Court of India has taken for granted transgender for the fundamental rights specially under Articles 14, 15, 16, 19, 21, and 23 of the Indian constitution. Now they all are doing well and are taking the benefits of all kind akin to the other genders in India.

References:-

1. Amara Das Wilhelm, *Tratiya Prakrati People of the Third Sex (Understanding Homosexuality; Transgender Identity and Intersex conditions through Hinduism)* Xlibris Press US 2004
2. Boslaugh Sarah, *Encyclopedia of Epidemiology*, Sage Publication, 2007.
3. De Sushil Kumar, *Ancient Indian Erotics and Erotic Literature* (Firma K.L. Mukhopadhyay; Calcutta; 1969)
4. Devdutt Pattnaik, *Shikhandi : and other Tales They Don't Tell you* (Zubaan Books Delhi 2014)
5. G. Bithler, *The laws of Manu* (Oxford Clarendon Press, 1886)
6. Gayathri Reddy , *With respect to sex; Negotiation Hijra Indentity in south India* (Chicago Unversity Press, Chicago.2010
7. Gayatri Reddy, *With respect to sex : Negotiating Hijra Identity in South India* (University of Chicago Press 2007)
8. Gordon Scott, *Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today* (Harvard University Press 1999)
9. Hudson, D. Dennis, *The body of God: an emperor's palace for Krishna in eighth-century Kanchipuram.* (Oxford University Press 2008)
10. Jordans, Frank , *UN passes historic resolution in support of LGBT equality* (Associated Press 2011)

Personal Law Versus Constitutional Mandate: Analyzing Gender Justice in Divorce Provisions across Religious Communities in India

Jyoti Payasi* Dr. Rajat Kumar Satapathy**

*Research Scholar, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA

** Principal, Pt. Motilal Nehru Law College, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract: India's legal framework governing divorce is deeply rooted in religious personal laws, resulting in diverse provisions and practices across different communities. While these laws are protected under the right to religious freedom, they often come into conflict with the Constitution's guarantee of equality and non-discrimination, particularly with regard to gender justice. This paper critically examines the divorce provisions under Hindu, Muslim, Christian, and Parsi personal laws, highlighting the inherent gender disparities and procedural inequalities faced by women. Through doctrinal analysis and judicial interpretation, the study evaluates how personal laws often undermine constitutional values, especially Articles 14, 15, and 21. By referencing landmark cases and recent legal reforms, the paper explores whether the Indian legal system has effectively balanced religious autonomy with constitutional morality. The study concludes by suggesting a rights-based approach to harmonize personal law with gender justice, and evaluates the potential of a common civil remedy for divorce as a step toward ensuring substantive equality across communities.

Keywords: Gender Justice, Divorce Laws, Uniform Civil Code, Legal Pluralism.

Introduction - India is home to a rich mosaic of religious and cultural identities, which has given rise to a pluralistic legal system in matters of personal law, including marriage and divorce. Each major religious community in India—Hindu, Muslim, Christian, and Parsi—follows its own codified or uncoded personal law, particularly when it comes to family matters. This legal pluralism is a unique feature of the Indian legal system and reflects the nation's commitment to preserving religious freedom under Article 25 of the Constitution. However, this system also presents significant challenges, especially when these personal laws come into conflict with constitutional values such as equality, justice, and dignity.

The area of divorce law offers a telling case study of this conflict. While personal laws often reflect deeply rooted cultural and religious norms, they also tend to perpetuate gender-based inequalities. In particular, women across different religious communities frequently face legal and procedural discrimination in seeking divorce, maintenance, and post-divorce rights. These inconsistencies not only affect the fundamental rights of women but also question the legitimacy of a system where individual rights can be compromised in the name of religious autonomy.

This paper aims to analyze the complex interaction between personal laws and the constitutional mandate of

gender justice in the context of divorce in India. By examining the provisions under different religious personal laws, assessing judicial interpretations, and evaluating legislative interventions, the study seeks to answer a critical question: Can personal laws that are inherently unequal be sustained in a constitutional democracy committed to equality and justice? Through this inquiry, the paper proposes a path forward that balances respect for religious freedom with the need for a gender-just legal system.

Personal Laws and the Constitutional Framework - India's Constitution, adopted in 1950, guarantees fundamental rights to all citizens, including the right to equality (Article 14), prohibition of discrimination on the basis of sex (Article 15), and the right to life and personal liberty (Article 21). These rights collectively form the backbone of constitutional morality, which upholds the values of justice, liberty, and dignity. However, the coexistence of religious personal laws with these constitutional guarantees often creates a paradox. While personal laws are protected under the right to religious freedom (Article 25), they are not immune from constitutional scrutiny, particularly when they violate the principles of equality and non-discrimination.

The Indian legal system permits religious communities to govern personal matters—such as marriage, divorce,

inheritance, and adoption—through their own customary or religious laws. Over the years, some communities have codified their personal laws (e.g., Hindu Marriage Act, 1955; Christian Divorce Act, 1869; Parsi Marriage and Divorce Act, 1936), while others, like Muslims, largely follow uncoded Shariat law governed through the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937. This parallel legal structure creates significant disparities in how justice is administered. The Constitution mandates that all laws—whether statutory or customary—must comply with its fundamental rights. Yet, in practice, personal laws are often exempted from this standard under the rationale that they fall outside the purview of “law” as defined in Article 13. This has allowed religiously-based personal laws to retain provisions that would otherwise be struck down if tested against constitutional norms.

The debate around this issue gained prominence through landmark judgments such as *Shah Bano v. Union of India* (1985), where the Supreme Court held that Muslim women were entitled to maintenance under Section 125 of the CrPC (Now section 144 of BNSS) irrespective of personal law. However, the political backlash and subsequent legislative override through the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, revealed the tension between religious identity and constitutional rights. In this constitutional context, the issue of gender justice in personal laws—particularly in divorce provisions—becomes a matter not just of social reform but of constitutional necessity. While the framers of the Constitution envisioned the eventual implementation of a Uniform Civil Code (UCC) under Article 44 of the Directive Principles of State Policy, it remains a subject of political and social contention. Meanwhile, courts have intermittently intervened to protect the rights of women, often walking a tightrope between respecting religious autonomy and enforcing constitutional values.

The following section examines how these tensions play out in the practical functioning of divorce provisions under the major personal laws in India and highlights the gender-based inequalities embedded within them.

Gender Disparities in Divorce Provisions under Personal Laws: Despite India's commitment to equality and justice under the Constitution, divorce provisions across personal laws continue to reflect patriarchal norms and unequal power structures. While codification has brought some standardization, significant gender disparities remain embedded in both the substance and procedure of these laws. This section examines the divorce-related provisions under Hindu, Muslim, Christian, and Parsi personal laws, highlighting how women often face legal disadvantages compared to men.

Hindu Law: Under the Hindu Marriage Act, 1955, both men and women have the right to seek divorce on equal grounds such as adultery, cruelty, desertion, and mental disorder. However, the interpretation and implementation of these

provisions often exhibit gender bias. For example, while both spouses can allege cruelty, the burden of proof disproportionately affects women, who may lack the financial or social support to gather evidence or endure prolonged litigation. The provision for “irretrievable breakdown of marriage”—though widely discussed in judicial circles—has not yet been legislatively incorporated, leaving many women trapped in dysfunctional marriages without adequate legal remedy. Additionally, while Section 13B provides for mutual consent divorce, in practice, women may be coerced into giving consent, often under pressure from in-laws or threats of child custody loss.

Further, while the Hindu Succession Act, 2005 amendments improved women's inheritance rights, they do not automatically translate into post-divorce economic security. Alimony and maintenance are left to judicial discretion, and delays in family court proceedings often force women into financial hardship, especially in cases of prolonged separation without formal divorce.

Muslim Law: Muslim personal law in India is largely based on Shariat and is uncoded, although the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, governs its application. The concept of *talaq* in Islamic law allows a Muslim husband to initiate divorce, but one specific form—*talaq-e-bid'ah* (commonly known as triple talaq)—permitted the husband to pronounce *talaq* three times in one sitting, resulting in an immediate and irrevocable divorce. Although this practice was declared unconstitutional by the Supreme Court in *Shayara Bano v. Union of India* (2017) and later criminalized under the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, its residual impact continues to affect the legal and social position of Muslim women in India.

In contrast, Muslim women must seek divorce through *khula* (divorce initiated by the wife with the husband's consent), *mubarat* (mutual consent), or through judicial dissolution under the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939. Even under this act, women must satisfy certain grounds—such as cruelty, desertion, or non-maintenance—to obtain a divorce. These grounds, while theoretically empowering, place a heavier burden on women to prove misconduct and often result in prolonged litigation. Maintenance rights are also problematic. The *Shah Bano* case recognized a divorced Muslim woman's right to maintenance under Section 125 of the CrPC (Now section 144 of BNSS). However, the political backlash led to the 1986 Act that limited maintenance to the *iddat* period (around three months), after which women are supposed to be supported by their relatives or the Waqf Board—provisions that are rarely enforced in practice.

Christian Law: The Indian Divorce Act, 1869, originally modeled on British law, governs Christian divorces. Until its amendment in 2001, the law allowed a Christian man to obtain divorce by proving adultery alone, whereas a woman had to prove adultery along with cruelty or desertion—a clear case of gender discrimination. Even after

amendments, some procedural complexities and social taboos continue to affect Christian women disproportionately. The requirement of judicial separation before divorce was abolished, but the legal process remains lengthy and intimidating for many, particularly those with limited financial means. The Church also plays a significant unofficial role in marital disputes, and while this is not legally binding, it influences decision-making within Christian communities. Social pressures discourage Christian women from pursuing legal separation, and the stigma attached to divorce in conservative circles remains a serious barrier.

Parsi Law: The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936—amended in 1988—offers relatively gender-neutral grounds for divorce, including adultery, cruelty, desertion, unsound mind, and mutual consent. The community has established Parsi Matrimonial Courts, where divorce petitions are tried with assistance from delegates, who are respected community members. While the system ensures community involvement, it has also been criticized for sometimes prioritizing communal harmony over individual justice, especially in cases where women seek separation against family expectations. Maintenance and alimony provisions under the Parsi Act are more progressive compared to other religious laws. However, Parsi women still face challenges such as procedural delays, social stigma, and pressure to withdraw complaints for the sake of community reputation. Additionally, issues related to child custody and property division often arise, especially in cases where inter-faith marriages are involved.

The diversity in divorce provisions across these personal laws not only leads to inconsistent application of justice but also perpetuates systemic gender inequality. While statutory reforms have attempted to address some of these gaps, the underlying religious norms continue to shape and often limit women's access to fair remedies. The next section explores how the Indian judiciary has responded to these contradictions, and how it has tried to balance religious autonomy with constitutional principles of gender justice.

Judicial Trends and Constitutional Challenges: The Indian judiciary has played a pivotal role in interpreting and, at times, reforming personal laws to align them with constitutional values. While the legislature has been hesitant to interfere with religious practices due to political sensitivities, the courts have increasingly taken an activist approach to protect the rights of individuals, especially women, against discriminatory provisions in personal laws. Through landmark judgments, the judiciary has asserted that personal laws are not beyond the reach of constitutional scrutiny when they violate fundamental rights. One of the most significant interventions came in the *Shah Bano v. Union of India* (1985) case. The Supreme Court ruled that a Muslim woman was entitled to maintenance under Section 125 of the Criminal Procedure Code, regardless of religious identity. The judgment emphasized that no personal law

can supersede the Constitution, particularly the right to equality and dignity. However, the political backlash from conservative Muslim groups led to the enactment of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, which diluted the effect of the ruling. This incident marked the beginning of a long-standing debate on the limits of judicial activism in personal law matters.

In the *Daniel Latifi v. Union of India* (2001) case, the Supreme Court attempted to reinterpret the 1986 Act in a way that upheld a Muslim woman's right to reasonable and fair provision for her future. The court cleverly balanced the text of the law with the constitutional mandate by ruling that the provision must be made during the iddat period but should be sufficient to maintain the woman beyond that period. This interpretation softened the harshness of the 1986 Act and showed how judicial creativity could bridge the gap between personal law and constitutional morality.

A more recent milestone was the *Shayara Bano v. Union of India* (2017) judgment, where the Supreme Court struck down the practice of instant triple talaq (talaq-e-bid'ah) as unconstitutional. The Court held that the practice violated Articles 14, 15, and 21 of the Constitution and was not an essential religious practice under Islam. This judgment was not just a legal victory but a reaffirmation of the judiciary's role in protecting gender justice against regressive religious norms. Following this, the Parliament enacted the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, which made instant triple talaq a punishable offense.

In Christian law, the judiciary has also intervened to correct gender imbalances. For example, in *Ammini E.J. v. Union of India* (1995), the Kerala High Court observed that the provision requiring Christian women to prove additional grounds for divorce was discriminatory. Although legislative reform followed later, this case highlighted how judicial pronouncements can serve as a catalyst for change.

The judiciary has also emphasized the need for a Uniform Civil Code (UCC) in multiple judgments. In *Sarla Mudgal v. Union of India* (1995), the Supreme Court expressed concern over the misuse of personal laws, especially in cases of men converting to Islam to bypass monogamy. The Court called upon the government to take steps toward implementing a UCC to ensure uniformity and gender justice.

However, judicial efforts to reform personal laws are often limited by the absence of consistent legislative backing. While the judiciary has made commendable strides in upholding constitutional values, a broader legislative and policy-level intervention is necessary to ensure uniform standards of gender justice.

In the absence of a uniform legal framework, the responsibility of interpreting personal laws in line with the Constitution continues to fall disproportionately on the judiciary. This not only burdens the courts but also leads to inconsistent outcomes based on the discretion of individual

judges.

In the next section, the paper will explore possible pathways for reform and consider how India can move toward a more equitable legal system that honors both its constitutional vision and the lived realities of women across religious communities.

Toward Gender Justice: The Case for Reform: The conflict between personal laws and constitutional values in matters of divorce has long highlighted the need for legal reform. While judicial intervention has provided temporary relief to individuals, a systemic and enduring solution requires legislative initiative rooted in constitutional principles. The objective of such reform should be the establishment of a framework that is inclusive, gender-just, and sensitive to the cultural diversity of Indian society. This section discusses key reform strategies to advance gender justice in divorce provisions across all religious communities. A crucial first step toward achieving gender justice is the codification and uniform application of basic rights across all personal laws. Presently, the disparities in access to divorce, maintenance, child custody, and property rights leave women in different communities with unequal remedies. For instance, while Hindu women can seek divorce on multiple grounds, Muslim women often face procedural barriers and social resistance. Uniformity in basic civil rights—without altering the religious identity of individuals would ensure that all citizens, regardless of faith, receive equal protection under the law.

The notion of a Uniform Civil Code (UCC) has been proposed as a means to achieve such uniformity. Envisioned in Article 44 of the Constitution, the UCC aims to replace personal laws with a common set of civil laws applicable to all citizens. However, the debate surrounding the UCC is often polarized. On one hand, supporters argue that it is essential for ensuring gender equality and legal clarity. On the other hand, critics fear that a UCC may erode cultural and religious diversity, particularly if implemented without adequate consultation and consensus. An alternative approach could be the adoption of optional civil codes, such as the Special Marriage Act, 1954, which allows individuals to marry and divorce outside the purview of personal laws. Expanding the scope and accessibility of such legislation, and simplifying the procedural requirements, can provide a secular and gender-neutral alternative without directly infringing upon religious autonomy. At the same time, awareness campaigns and legal literacy efforts are essential to encourage people—especially women—to utilize these secular remedies.

Legislative reform within personal laws themselves is another pragmatic route. Each religious community can initiate internal reforms to remove discriminatory provisions and promote equality. The example of Hindu law reform in the 1950s illustrates how codification can modernize personal law while retaining its cultural essence. Similarly, amendments to Christian and Parsi personal laws have

gradually made them more equitable. Encouraging Muslim personal law boards and organizations to proactively address gender concerns can be a constructive way forward, especially if supported by community leaders and women's groups.

Another crucial area of reform is the effective enforcement of maintenance and alimony laws. Regardless of religious affiliation, divorced women often face severe financial insecurity. Although maintenance provisions exist under both personal and secular laws [such as Section 125 CrPC (Now section 144 of BNSS)], their enforcement remains weak. Courts should be empowered to ensure timely and adequate maintenance, and women should not have to undergo multiple legal proceedings to claim their rights.

Access to justice also needs systemic improvement. Women in rural areas and marginalized communities often lack the resources to pursue divorce cases, especially in the face of social stigma and patriarchal family structures. Legal aid services must be strengthened, and fast-track family courts should be established to reduce delays in matrimonial disputes. Training judges and lawyers to adopt a gender-sensitive approach in family law matters is equally important to ensure empathetic and effective adjudication.

Furthermore, harmonization of child custody and guardianship laws across religious communities is vital to ensure that the welfare of the child, rather than the personal law of the parents, remains the guiding principle. Uniform principles on shared parenting, visitation rights, and child support can be developed through a consultative legal process involving diverse stakeholders.

Finally, reform should be guided by a rights-based approach that centers on the lived experiences of women. Rather than treating gender justice as an abstract constitutional ideal, legal reforms must consider the practical challenges women face in accessing courts, asserting rights, and rebuilding their lives after divorce. Law should not only be constitutionally valid but also socially transformative.

while the path toward a gender-just legal system is complex and contested, it is both necessary and achievable. The next and final section of this paper will consolidate the findings and offer closing reflections on how India can reconcile its commitment to religious diversity with the constitutional imperative of gender justice in divorce laws.

Conclusion: The intersection of personal law and constitutional mandates in India reveals a persistent tension between the preservation of religious autonomy and the pursuit of gender justice. Divorce laws across Hindu, Muslim, Christian, and Parsi communities continue to reflect patriarchal norms and unequal power structures, leaving many women vulnerable to legal, economic, and social injustices. While the Constitution promises equality before the law and protection from discrimination, personal laws—shielded by the right to religious freedom—have often

escaped the scrutiny required to bring them in line with these fundamental rights.

The analysis presented in this paper demonstrates that gender disparities in divorce provisions are not confined to a single community but are systemic across religious lines. From the arbitrary nature of triple talaq to the unequal evidentiary burdens placed on Christian women, and the procedural complexities in Hindu and Parsi divorce laws, women often face greater hurdles than men in asserting their right to a dignified exit from marriage. The lack of uniformity in legal standards and the selective application of constitutional principles further exacerbate this inequality. The judiciary has played an instrumental role in mitigating some of these disparities through progressive interpretations of personal law. Landmark judgments such as Shah Bano, Daniel Latifi, and Shayara Bano have challenged regressive practices and upheld the constitutional promise of gender equality. However, these judicial interventions, while important, remain piecemeal and reactive. They cannot substitute for comprehensive legislative reform, which is necessary to address the structural inequities embedded in the personal law system.

Moving toward a more equitable legal framework requires both courage and consensus. The implementation of a Uniform Civil Code, while constitutionally envisioned, must be approached with sensitivity, inclusiveness, and broad-based dialogue to prevent alienation of any religious group. In the meantime, strengthening optional secular laws like the Special Marriage Act, codifying equitable standards within existing personal laws, and enhancing the enforcement of maintenance, custody, and alimony rights are necessary and achievable goals. Legal reform must be accompanied by social reform. Education, awareness, and legal empowerment are essential to ensure that women, particularly from marginalized backgrounds, can access justice in real and meaningful ways. Courts, legal professionals, and policymakers must adopt a gender-sensitive and rights-based approach that puts the lived experiences of women at the center of reform efforts.

Ultimately, the question is not whether India can reconcile personal law with constitutional morality, but whether it is willing to do so in a manner that affirms the dignity, autonomy, and equality of all its citizens. A democratic society that prides itself on its constitutional

values must not allow religious personal laws to perpetuate injustice. The time has come to realign the personal with the constitutional—to ensure that no woman is denied justice simply because of the faith she was born into.

References: -

1. Basu, D. D. (2019). Introduction to the Constitution of India (24th ed.). LexisNexis.
2. Diwan, P. (2018). Modern Hindu Law: Codified and Uncodified. Allahabad Law Agency.
3. Engineer, A. A. (2008). The Rights of Women in Islam. Sterling Publishers.
4. Flavia, A. (2005). Family Law: A Feminist Perspective. Oxford University Press.
5. Government of India. (1955). The Hindu Marriage Act, 1955. Retrieved from <https://legislative.gov.in>
6. Government of India. (1939). Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939. Retrieved from <https://legislative.gov.in>
7. Government of India. (1986). Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986. Retrieved from <https://legislative.gov.in>
8. Government of India. (2019). Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019. Retrieved from <https://egazette.nic.in>
9. Government of India. (1954). Special Marriage Act, 1954. Retrieved from <https://legislative.gov.in>
10. Law Commission of India. (2018). Consultation Paper on Reform of Family Law. Retrieved from <https://lawcommissionofindia.nic.in>
11. Menski, W. (2003). Hindu Law: Beyond Tradition and Modernity. Oxford University Press.
12. Noorani, A. G. (2003). The Muslim Personal Law Board and Gender Justice. Economic and Political Weekly, 38(18), 1661–1665.
13. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, AIR 1985 SC 945.
14. Daniel Latifi v. Union of India, AIR 2001 SC 3958.
15. Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1.
16. Sarla Mudgal v. Union of India, AIR 1995 SC 1531.
17. Ammini E.J. v. Union of India, AIR 1995 Ker 252.
18. South Asian Legal Studies Centre. (2022). Uniform Civil Code in India: Perspectives and Challenges. Journal of South Asian Law, 14(2), 75–102.

Freedom of Speech and Expression: An Overview of the Main Theories

Mr. Anadi Silawat*

*Research Scholar (Law) Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - Abstract: This paper provides a conceptual, philosophical, and legal analysis of free speech, a fundamental tenet of democratic society. We argue that a purely conceptual definition of free speech is insufficient, as it fails to account for expressive actions for example- silent protest, and the complex overlap between behavioral and communicative acts. The work first establishes a crucial distinction between the inherent moral right to free speech and its often-imperfect implementation as a legal right, highlighting the ongoing tension between what the law is and what it should be.

The core of the analysis explores the competing philosophical justifications for free speech. We examine the listener-centric autonomy framework, which posits that the primary harm of censorship falls on the citizen's right to receive information and think critically. This is contrasted with the speaker autonomy model, which views expression as essential for personal maturation, self-authorship, and the development of one's deliberative interests. Both approaches are critically assessed alongside their instrumental value for the marketplace of ideas and the functioning of a deliberative democracy.

Furthermore, the paper investigates theories of tolerance that see free speech as a mechanism for cultivating social self-restraint and a robust civic ethic. Finally, we explore the thinker-based theory, which unifies the interests of speaker and listener by framing free speech as essential for the development of individual moral agency and rational thought. Ultimately, the paper concludes that the legal protection of free speech is a complex, pragmatic compromise a perpetual negotiation balancing the need for open discourse against the state's duty to protect the dignity and safety of its citizens, fundamentally rooted in a suspicion of unchecked state power.

Keywords: Freedom Of Expression, Freedom Of Communication, FreeSpeech, Hate Speech, Impartial Observer, Autonomy, Democracy, Tolerance.

Introduction - This paper examines the complex philosophical and legal landscape of free speech, a cornerstone of modern democratic societies. While the terms "free speech," "freedom of expression," and "freedom of communication" are often used interchangeably, their scope is not confined to mere linguistic utterances. This work argues that defining free speech by conceptual analysis alone is insufficient, as it fails to account for expressive actions, such as painting or silent protest, that convey a message. The difficulty lies in cases where actions are simultaneously behavioral and expressive, making a clear distinction between the two nearly impossible. This challenge, as philosopher John Hart Ely noted, necessitates a move beyond simple definitions to a normative analysis that considers the fundamental values free speech is meant to uphold.

A central focus of this introduction is the crucial distinction between the moral and legal dimensions of free speech. I posit that moral free speech is an inherent natural

or human right, independent of any positive law. These right places a corresponding moral obligation on the state to protect it. In contrast, legal free speech refers to the specific laws and precedents enshrined in a nation's legal system, such as the First Amendment in the United States. I argue that these legal rights may not perfectly align with their moral counterparts; they can be flawed by either protecting too little speech for example- criminalizing blasphemy or too much speech for example-broadly protecting hate speech. This divergence highlights the ongoing tension between what the law is and what it should be.

Finally, this paper explores the different philosophical justifications for free speech, noting that these often lead to conflicting conclusions about its limits. Whether based on a rights-based framework, which views it as an inalienable moral right, or on instrumental concerns, such as the "marketplace of ideas" or the prevention of government overreach, the legal right to free speech is a complex and pragmatic compromise. Acknowledging that

a legitimate legal right may not perfectly mirror the underlying moral right, I conclude that the debate over free speech is, fundamentally, a negotiation about the kind of society we aim to create. It is a constant balance between upholding open discourse, protecting individual expression, and ensuring the dignity and safety of all citizens.

When the state censors a book or any form of expression, it's not just an act of control; it's a profound insult to the intelligence of its citizens. This form of censorship treats adults like children, assuming they lack the capacity to think critically and form their own opinions. The core principle at stake here is not merely the speaker's right to express an idea, but the listener's fundamental right to hear and deliberate. This listener-centric perspective is a powerful framework for understanding why free speech is essential in a democratic society. It posits that individuals, as autonomous agents, must be empowered to engage with a wide spectrum of ideas - even those that are controversial or challenging- without the government acting as a gatekeeper.

Theories of Listener Autonomy: The philosophical argument for listener autonomy, most notably advanced by thinkers like T.M. Scanlon, suggests that a state that censors persuasive speech fails to treat its citizens with respect. This is not about the abstract right of a deceased author, like Karl Marx, to have his work read. Instead, the primary harm of censorship falls on the living individuals who are denied the right to engage with that text and form their own opinions. The government's purpose behind a restriction is key here. As articulated by scholars like Rubinfeld and Alexander, a content-neutral restriction, such as a noise ordinance, is generally permissible because it doesn't aim to control the message itself. However, restrictions on viewpoint neutrality and content neutrality, where the government bans discussion on a topic or, even worse, a specific perspective on that topic are severe violations because they directly undermine a listener's right to receive a full spectrum of information. This principle explains why censorship is so damaging to an open society, as it prevents the intellectual and personal growth that comes from encountering diverse viewpoints. The harm lies not in the speaker's silenced voice, but in the listener's constrained mind.

The Instrumental Value of Listening: Beyond its non-instrumental, rights-based defense, listener autonomy also has a strong instrumental form. Allowing open discourse isn't just about respecting our right to choose; it's about creating an environment where we can learn and develop. As philosopher Joseph Raz suggests, the ability to listen to others' opinions is often more vital than the ability to express our own. This idea is perhaps most famously championed by John Stuart Mill in his work, *On Liberty*. Mill's defense of free speech hinges on the concept of human fallibility. He argues that we should always be open to the possibility that an opinion we consider wrong might

hold a grain of truth. Even if an idea is completely false, allowing its expression is valuable because it forces us to articulate and defend our own beliefs, deepening our understanding of why we hold them. Mill's argument is fundamentally for the listener, as he famously stated that the "beneficial effect" of a clash of views is on the "impartial observer." This is the essence of the marketplace of ideas metaphor, which suggests that in an open exchange, the best ideas will eventually prevail. While critics of this metaphor point to cognitive biases and the limitations of human reason, Mill wasn't naively claiming that free discourse guarantees truth. Rather, he argued it's the most effective method available for seeking truth, especially when compared to a system where a single authority dictates what is true. Mill's defense, however, isn't a blanket endorsement of all speech. He made a crucial distinction based on time and imminence, arguing that speech that poses an immediate danger, such as inciting a mob can be restricted because there is no time for public deliberation and rebuttal.

Ultimately, the freedom to listen, to engage with, and to challenge all ideas is a cornerstone of a truly free and intellectually vibrant society. The overarching benefit of this open discourse outweighs the potential costs, as it is the only way to ensure citizens can mature into informed, thoughtful, and engaged members of their community.

Speaker Hypothesis: In a shift away from justifications centered on the audience's right to receive information, many theorists are now rooting the right to free speech in the concept of speaker autonomy. This perspective argues that the freedom to speak is essential to our ability to be the "thoughtful authors of our own lives". We have a fundamental "expressive interest", a drive to articulate our beliefs, values, and identities. This interest isn't just about public communication; it's a private need for self-expression, which is why acts like writing in a diary deserve protection.

Beyond private expression, the act of public communication is also vital for personal growth. Engaging in dialogue helps us refine our beliefs and contributes to our "deliberative interest". As J.S. Mill argued, exposure to diverse viewpoints is crucial for our personal maturation and intellectual development. This idea isn't just for adults; children also benefit from the freedom to express themselves as they explore their identities and ideas. This provides a strong rationale for extending free speech protections to minors.

While some theorists use the term "speaker autonomy," others prefer the less prescriptive "speakers' capacities." This is to avoid a Kantian or "perfectionist" ideal that some political liberals find inconsistent with the state's neutrality toward different conceptions of a good life. Regardless of the terminology, this approach establishes a strong presumption against government interference with speech. The state has a negative duty to refrain from censoring

speech, particularly when it is based on viewpoint discrimination. To suppress one viewpoint while permitting another is a clear violation of a citizen's equal freedom of expression. This principle of equal treatment is fundamental to the speaker-centric justification for free speech.

Theories of free speech often grapple with its relationship to democracy, with numerous scholars arguing that a free exchange of ideas is essential for a healthy democratic society. This foundational link is explored through various arguments, moving from the philosophical to the pragmatic.

Free Speech and Democracy: Three Main Arguments:

One perspective is the non-instrumental defense, which views free speech not as a tool but as a fundamental human right. It argues that restricting a person's voice disrespects their dignity and status as a political agent. Citizens of a democracy have the right to participate in the laws that govern them, and to silence them is to treat them as passive subjects rather than equal participants. This view holds that free speech is a necessary precondition for treating individuals with the respect they are due.

Another perspective is the instrumental defense, which focuses on the positive outcomes free speech generates for democracy. From this viewpoint, free speech is a valuable tool for achieving specific democratic goals. For example, it helps to create a society of non-domination by fostering equal relationships among citizens. It also helps to produce better, more just, or publicly defensible outcomes by allowing for the rigorous vetting of ideas. The free exchange of ideas is considered "epistemically desirable" because it leads to greater knowledge and more rational decisions.

A third, highly influential perspective is that free speech is constitutive of democracy itself. This argument posits that free expression isn't just a tool or a right within a democracy; it is an inseparable part of what makes a democracy a democracy. As philosopher John Rawls suggested, to suppress free political speech is to, at least in part, suspend democracy. This view is central to the concept of deliberative democracy, which emphasizes open public discourse and reaching a consensus through the "unforced force of the better argument." The legitimacy of democratic decisions is seen as directly tied to the public debate that precedes them.

While these theories often focus on the unique relationship between free speech and democracy, some scholars, such as T.M. Scanlon and Robert Post, view this connection as a specific application of a broader principle: respect for individual autonomy and popular sovereignty. C. Edwin Baker and John Rawls link the right to free speech to the fundamental moral commitment to individual freedom and the development of one's moral faculties.

However, some academics argue that political speech deserves a higher level of protection than other forms of expression. They contend that legal safeguards for political

discourse should be strengthened to prevent government censorship of dissidents. This approach, while well-intentioned, raises questions about the balance between protecting political expression and other forms of speech, such as artistic, scientific, or personal expression.

The Thinker-Based Theory of Free Speech: Shifting from the democratic context, Seana Shiffrin's "thinker-based" theory offers a different framework for understanding free speech. She argues that the traditional approach, which separates the interests of the speaker, the listener, and the democratic citizen, is flawed. Instead, she proposes a unified theory where the ability to think, reason, and communicate are deeply intertwined.

Shiffrin's theory is built on two core, mutually reinforcing freedoms: freedom of thought and freedom of communication. She argues that free speech is essential for the "development, functioning, and operation of thinkers." Externalizing our ideas through speech or writing is often necessary for us to clarify them and gain a critical perspective. Moreover, communicating our ideas to others and receiving feedback is a crucial tool for refining our thoughts. These communicative processes are not limited to political discourse but encompass all forms of human inquiry and expression.

The second core tenet of her theory focuses on the essential role of communication in the exercise of our moral agency. According to Shiffrin, our ability to express our needs, feelings, and intentions authentically allows us to understand one another, collaborate on shared plans, and work through disagreements. Without precise and unambiguous communication, we couldn't effectively fulfill our social responsibilities. Furthermore, our ability to exercise normative authority to consent, waive rights, or make promises relies entirely on clear communication.

Therefore, our capacity to act as moral agents relies on safe and protected channels for expression. Free speech serves a critical function in safeguarding these channels by ensuring that individuals can express themselves without fear. Shiffrin's theory unites the protection of our individual intellectual development with the protection of our collaborative, moral interactions, offering a more complete justification for robust free speech protections.

Theory of Tolerance: In his 1986 work, legal scholar Lee Bollinger presents a compelling argument that protecting even deeply offensive speech is vital for nurturing a tolerant society. This consequentialist view sees free speech not as a simple right but as a social exercise that builds a "general social ethic" of tolerance. Bollinger argues that by forcing ourselves to tolerate speech we find abhorrent, like pro-Nazi rhetoric, we strengthen our capacity for self-restraint. He believes this practice of tolerating offensive speech is central to the function of free speech, as it hones our liberal sensibilities and, in turn, helps to restrict illegitimate state power. In essence, our resistance to censorship proves our strength as a liberal society, creating

a more resilient social fabric.

Building on this idea of self-control, philosopher Matthew Kramer offers a deontological justification in his work. Kramer's theory centers on the state's moral duty to foster citizens' self-respect and mutual respect. He argues that in a society where the government has successfully cultivated a populace with strong liberal-egalitarian values, bigoted or hateful speech will not be taken seriously. Instead, it will be seen as "execrable chirps that are to be endured with contempt." Kramer maintains that a state's response to illiberal ideologies should not be censorship, but rather a focus on creating a society with the moral fortitude to dismiss them. Both Bollinger and Kramer, from different philosophical standpoints, ultimately conclude that free speech is a tool for cultivating a more tolerant and ethically strong citizenry.

Beyond these theories of tolerance, the defense of free speech often rests on a profound suspicion of state power, a perspective that highlights the inherent danger of granting the government authority to regulate expression. This instrumental view posits that our primary motivation for safeguarding free speech is a pragmatic recognition that unchecked state power poses a grave threat to liberty. By denying the government the power of censorship, we make it harder for it to suppress political opposition, silence dissent, and enact unjust laws. This is not just a theoretical concern; it's rooted in historical precedent, as legal scholar G. Stone's comprehensive analysis shows that laws designed to prohibit "dangerous sedition" have been repeatedly misused to suppress legitimate anti-war protests and other forms of political dissent. This is often referred to as the "slippery slope" argument, where a small, seemingly justifiable restriction on speech creates a dangerous precedent for future abuses.

Some critics, however, point out a significant limitation of this instrumental view: it fails to explain why even the most trustworthy governments should uphold the right to free expression. This approach, which Cohen calls "minimalist," focuses solely on the pragmatic necessity of free speech as a safeguard against a dangerous government, rather than its intrinsic value. Despite this, instrumental concerns can be valuable when they support or expand upon non-instrumental viewpoints. For example, even if we have a moral duty not to engage in hate speech, the fear of government overreach might counsel against giving the state the power to regulate it.

A separate, critical perspective questions whether free speech is a truly unique and specially protected right. Joel Feinberg argues that it may just be an extension of a more general principle of liberty, where coercion always needs a special justification. If this is the case, then any legal protections for free speech are merely historical or practical, rather than based on a unique moral foundation. A second challenge for free speech proponents is demonstrating that it warrants a high level of legal protection even when it

causes harm. Theorists like Frederick Schauer, Larry Alexander, and Douglas Husak contend that it's difficult to justify this extraordinary protection, which undermines the notion of a special moral right to free speech.

However, scholars like Leslie Kendrick argue that opponents of a special right to free speech might be setting the bar too high. The interests that justify free speech such as autonomy and self-expression often overlap with those that justify other rights, like freedom of religion. This overlap doesn't necessarily diminish the importance of free speech. The fact that free speech shares a normative foundation with other important rights, as supported by the philosophical framework of John Rawls, does not make it any less important. It is part of a cluster of liberties essential for human flourishing. Thus, the debate over free speech remains unsettled, but a more nuanced understanding is emerging that acknowledges shared foundations while recognizing the specific importance of expression.

Conclusion: The philosophical and legal landscape of free speech is defined by a necessary and constant tension between competing values and justifications. This paper has demonstrated that the right to free expression cannot be reduced to a single, monolithic theory; rather, its robustness in a democratic society is supported by a confluence of listener-centric, speaker-centric, democratic, and pragmatic concerns.

From the perspective of the listener, censorship is understood as a profound insult to citizen autonomy, constraining the mind and violating the fundamental right to hear, deliberate, and form one's own opinions. In contrast, the speaker-centric view roots free speech in the individual's essential need for self-authorship, expression, and the development of their moral and deliberative capacities. The thinker-based theory successfully unifies these perspectives, showing that the freedom to communicate is inseparable from the freedom to think and function as an autonomous moral agent.

Instrumentally, free speech is upheld as the essential engine of a deliberative democracy and the best, though imperfect, method for seeking truth in a "marketplace of ideas." Crucially, the defense of free speech is also a powerful check on the state, a pragmatic safeguard against the abuse of power rooted in the historical reality that laws designed to curb dissent are inevitably misused. Furthermore, the theory of tolerance posits that the capacity to endure even offensive speech builds a vital social ethic of self-restraint.

In summation, the legal right to free speech remains a pragmatic compromise that rarely achieves perfect alignment with its underlying moral counterpart. The ongoing debate over its boundaries specifically, how to balance open expression against societal harms is not merely an academic exercise. It is, fundamentally, a defining negotiation over the character of the society we seek to create: one that fosters robust intellectual growth and democratic

participation while ensuring the equal respect, safety, and dignity of all citizens. The unsettled nature of the free speech debate is thus not a failure, but a sign of its enduring importance as a cluster of liberties essential for human flourishing.

References:-

1. T.M. Scanlon, "A Theory of Freedom of Expression," *Philosophy & Public Affairs*, (Spring 1972).
2. Jed Rubenfeld and Larry Alexander, "The Content of the Right to Free Expression," *University of Pennsylvania Law Review* 135, no. 1 (1986).
3. Joseph Raz, "Free Expression and Personal Development," *Philosophical Issues* 1 (1991).
4. John Stuart Mill, *On Liberty* (1859).
5. C. Edwin Baker, "Scope of the First Amendment Freedom of Speech," *UCLA Law Review* 25 (1978); Martin H. Redish, "The Value of Free Speech," *University of Pennsylvania Law Review* 130 (1982); John Rawls, *Political Liberalism* (2005).
6. Joshua Cohen, "Freedom of Expression," *Philosophy & Public Affairs* 22, no. 3 (1993).
7. Martin H. Redish, "The First Amendment in the Marketplace: Commercial Speech and the Values of Free Expression," *George Washington Law Review* 61 (1992); Seana Shiffrin, "What is Freedom of the Press?," *Philosophy & Public Affairs* 42 (2014); Matthew Kramer, "Freedom of Expression and the Cultivation of Self-Respect," *Legal Theory* 27 (2021).
8. Joshua Cohen, "Freedom of Expression," *Philosophy & Public Affairs* 22, no. 3 (1993).
9. J.S. Mill, *On Liberty* (1859).
10. Joshua Cohen, "Freedom of Expression," *Philosophy & Public Affairs* 22, no. 3 (1993); Jonathan Quong, *Liberalism Without Perfection* (2011).
11. John Rawls, *Political Liberalism* (2005).
12. T.M. Scanlon, "A Theory of Freedom of Expression," *Philosophy & Public Affairs* 1, no. 2 (1972); Robert Post, "Constitutional Restrictions on the Regulation of Public Communication," *Maryland Law Review* 55, no. 2 (1996).
13. C. Edwin Baker, *Human Liberty and Freedom of Speech* (1989); John Rawls, *A Theory of Justice* (1971).
14. Seana Shiffrin, "A Thinker-Based Approach to Freedom of Speech," *Constellations* 22, no. 1 (2015).
15. Lee Bollinger, *The Tolerant Society: Free Speech and Ethnic Intolerance in America* (1986).
16. Matthew Kramer, "Freedom of Expression and the Cultivation of Self-Respect," *Legal Theory* 27, no. 1 (2021).
17. G. Stone, "Reflections on the First Amendment: The Evolution of a Legal Doctrine," *Ohio State Law Journal* 51, no. 5 (1990).
18. Joshua Cohen, "Freedom of Expression," *Philosophy & Public Affairs* 22, no. 3 (1993).
19. Joel Feinberg, "The Idea of a Special Right to Free Expression," *The Monist* 52, no. 2 (1968).
20. Frederick Schauer, *Free Speech: A Philosophical Enquiry* (1982); Larry Alexander, "Low Value and High Value Speech," *Northwestern University Law Review* 82 (1987); Douglas Husak, "Paternalism and Speech," *Law and Philosophy* 10 (1991).
21. Leslie Kendrick, "The Specialization of Free Speech," *Harvard Law Review* 125, no. 5 (2012).
22. John Rawls, *Political Liberalism* (2005).

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

लखन लाल कलेशरिया*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्था से जो अपनी आय पर अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएँ भी तरह-तरह के कर लगाती हैं। कर प्रायः धन (money) के रूप में लगाया जाता है किन्तु यह धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है। कर दो तरह के होते हैं – (1) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) जैसे – आयकर, उपहार कर, निगमकर, संपत्ति कर आदि (2) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) जैसे – बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी आदि। एक तरफ इसे जनता पर बोझ के रूप में देखा जा सकता है वहीं इसे सरकार को चलाने के लिये आधारभूत आवश्यकता के रूप में भी समझा जा सकता है इन्हीं में से एक कर है वस्तु एवं सेवा कर इसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं यहाँ कर अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर सरकार द्वारा लगाया जाता है जब से जीएसटी कर प्रणाली भारत में लागू की है जब से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गतिमान और तीव्र गति से आगे बढ़ रही है जिससे उद्योग व्यापार आयात निर्यात आदि को सुदृढ़ किया जा रहा है भारत में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) की शुरुआत देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष टैक्स सुधारों में से एक थी। जीएसटी से पहले, भारतीय कर प्रणाली जटिल थी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष कर थे। जीएसटी सुव्यवस्थित कर संरचना की शुरुआत, करों के कैरेकेडिंग प्रभाव को कम करना और एक एकीकृत कर प्रणाली का निर्माण करना। यह लेख भारत में जीएसटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके विकास और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जानकारी देता है।

भारत में जीएसटी बिल का संक्षिप्त इतिहास:

1. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में जीएसटी के विचार का प्रस्ताव रखा। देश भर में एक वस्तु और सेवा कर मॉडल तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की गयी।
2. 2004 में, राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन पर केलकर टार्क फोर्स ने पूरी तरह से एकीकृत जीएसटी के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा।
3. 2007-08 के केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी लॉन्च तिथि की घोषणा 1 अप्रैल 2010 के रूप में की। हालांकि, राजनीतिक आम सहमति की कमी ने जीएसटी प्रारंभ तिथि को कई बार स्थगित किया।
4. 19 दिसंबर 2014 को एनडीए सरकार ने संसद में जीएसटी पर

संवैधानिक (122 वें संशोधन) बिल 2014 को प्रस्तुत किया। लोकसभा ने अंततः 6 मई 2015 को यह बिल पारित किया।

5. 14 मई 2015 को, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा गया। समिति से सिफारिशों को शामिल करने के बाद, राज्य सभा ने 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित किया।
6. राज्य सरकारों की आवश्यक संख्या और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 लागू हुआ। जीएसटी परिषद के अनुमोदन के बाद, 29 मार्च 2017 को, लोकसभा ने निम्नलिखित केंद्रीय बिल पारित किए:

1. जीएसटी, 2017
2. आईजीएसटी बिल, 2017
3. यूटीजीएसटी और एसजीएसटी बिल, 2017
4. जीएसटी (सेस के लिए मुआवजा) बिल, 2017

सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने 30 जून 2017 तक अपने संबंधित एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अधिनियमित किए। इसलिए जीएसटी कार्यान्वयन तिथि को 1 जुलाई 2017 के रूप में ठीक किया गया था। इसने हमारे देश में एक पथप्रदर्शक कर सुधार की शुरुआत को चिह्नित किया।

उद्देश्य:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के समग्र प्रभाव का अध्ययन करना।
2. जीएसटी लागू होने से व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. जीएसटी जीएसटी से सरकार की राजस्व व्यवस्था और कर संग्राम में हुए सुधारों का मूल्यांकन करना।
4. एमएसएमई पर जीएसटी के प्रभाव को समझना।
5. भविष्य में जीएसटी प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

जीएसटी की आवश्यकता – जीएसटी लागू करने से पहले, भारत में एक जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लगाए गए कई कर थे। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ थीं:

कई टैक्स और कम्प्लायंस बोझ

व्यवसायों को कई अप्रत्यक्ष करों का पालन करना पड़ा, जैसे:

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (विनिर्माण पर)

- वैट (वैल्यू एडेड टैक्स)(इंट्रा-स्टेट सेल्स पर)
- सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी)(इंटर-स्टेट सेल्स पर)
- सेवा कर (सेवाओं पर)
- लगजरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंटरटेनमेंट टैक्स

इससे अनुपालन की लागत और प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ीं।

टैक्स का कैस्केडिंग प्रभाव:

- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति दिए बिना कई स्तरों पर टैक्स लगाए गए थे, जिससे टैक्स-ऑन-टैक्स प्रभाव पड़ता है।
- उदाहरण: उत्पादन चरण में आबकारी शुल्क लिया गया था, और बिक्री के चरण पर वैट लागू किया गया था, जिससे दोगुना कर लगाया गया था। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की कमी।
- अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टैक्स दरें और प्रक्रियाएं थीं, जो वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह में बाधाएं पैदा करती थीं।
- एकरूपता की इस कमी ने पूरे राज्यों में बिजनेस के विस्तार को निरुत्साहित किया। महंगाई और कीमतों पर असर कई टैक्स और कैस्केडिंग प्रभावों के कारण, वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ गई है, जिससे उपभोक्ताओं और बिजनेस को एक समान रूप से प्रभावित किया जाता है।

जीएसटी परिषद- भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 279I के तहत GST परिषद का गठन करने का अधिकार है। इसकी संरचना पर नीचे चर्चा की गई है:

- जीएसटी परिषद के अध्यक्ष - केंद्रीय वित्त मंत्री
- जीएसटी परिषद के सदस्य - केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री, वित्त / कराधन के प्रभारी मंत्री या राज्य विधायिका के साथ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।

1. कार्य का दायरा-

- जीएसटी परिषद के कार्य का दायरा इस प्रकार है:
- जीएसटी के अधीन या उससे छूट प्राप्त वस्तुओं/सेवाओं पर अनुशंसा।
- विभिन्न वस्तुओं/सेवाओं पर कर की दरें निर्दिष्ट करता है। टर्नओवर की सीमा निर्धारित करता है जिसके नीचे माल को जीएसटी से छूट दी जा सकती है।
- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार की सिफारिश करता है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने की तारीख को सूचित करता है।
- जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसा कि परिषद निर्णय ले सकती है।

2. जीएसटीएन कॉमन पोर्टल -

केंद्र और राज्य स्तर पर करदाता और आईटी बुनियादी ढांचे के बीच एक इंटरफेस स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने जीएसटीएन (गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क) द्वारा प्रबंधित एक वेबसाइट www.gst.gov.in की स्थापना की।

जीएसटी के लाभ - जीएसटी माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। पूर्व-जीएसटी काल में बहुत कमी थी तथा कर की एकरूपता की आवश्यकता थी। जीएसटी भारत द्वारा की गई एक बड़ी पहल है। यह पूरे देश के लिए एक लाभ की स्थिति है। यह पूरे देश के लिए फायदेमंद है- जीएसटी ने हितधारकों, व्यवसायी, उपभोक्ताओं और सरकार अर्थात् पूरे देश के लिए एक पारदर्शी प्रणाली ला दी है जिसके द्वारा करों के क्रेडिट की अनुमति दी गई है। जीएसटी शासन के कुछ लाभ

निम्नलिखित हैं:

1. **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार-** जीएसटी ने भारत को एक मानक कर की दर वाला और प्रक्रियाओं सहित एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बना दिया है। इसने उन बाधाओं को तोड़ दिया जो करों की बहुलता के कारण मौजूद थीं।
2. **प्रतिस्पर्धा -** भारत में जीएसटी की शुरुआत के साथ, माल और सेवाओं की लागत में कमी आई है। इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल और सेवा में प्रतिस्पर्धा लाकर देश को लाभान्वित किया।
3. **कर की कोई व्यापकता नहीं-** कर की व्यापकता तब होती है, जब उत्पादन के समय उत्पादन के हर चरण पर टैक्स लगाया जाता है। यह अभ्यास अंततः माल के मूल्य को बढ़ाता है, जो मुद्रास्फीति की ओर जाता है। जीएसटी कार्यान्वयन के साथ, आपूर्तिकर्ता सरकार को दिए गए करों पर क्रेडिट ले सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले कर संरचना के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है।
4. **हितधारकों के लिए लाभ-** जीएसटी एकल कर है, जो आम जनता पर लगने वाले विभिन्न करों को कम करता है। अब आपूर्तिकर्ताओं को अनावश्यक कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- एकल कर-** इससे पहले, सामान और सेवाओं पर लगाए गए विभिन्न कर थे। जीएसटी की उत्पत्ति से मिल और सेवाओं पर सिर्फ एक ही कर लगाया जाता है।
5. **स्वचालित प्रक्रिया-** इससे पहले, सब कुछ मैनुअल था जो एक लंबी प्रक्रिया थी। जीएसटी की उत्पत्ति, से हर प्रक्रिया स्वचालित है, जिससे मानव प्रक्रिया का भाग कम हो गया है।
6. **करदाताओं की कमी का अनुपालन-** कर की बहुलता के कारण, करदाताओं को विभिन्न कराधन सम्बंधित कानून का पालन करने की आवश्यकता थी। जीएसटी के आगमन के साथ, करदाताओं पर इस अनुपालन में कमी आई है।
7. **आर्थिक गतिविधि और निवेश में वृद्धि-** जीएसटी की शुरुआत के साथ माल की लागत में गिरावट आई है। जितना माल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी होते हैं, उतना ही निर्यात और निवेश बढ़ रहे हैं। कम लागत वाले उत्पादों के कारण मांग बहुत बड़ी है। मांग में वृद्धि होने पर लोग अधिक खर्च करते हैं। यह अंततः अधिक रोजगार पैदा करके आर्थिक गतिविधि और निवेश को बढ़ाता है।
8. **अनुपालन लागत में कमी-** करदाता को जीएसटी की उत्पत्ति के कई रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सरकार को अलग-अलग करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
9. **कई करों और दोहरे कराधान का उन्मूलन-** पहले शासन के तहत, कुछ लेनदेन में सामान और सेवाओं दोनों पर दोहरे कर लगाए जाते थे। जीएसटी ने केंद्रीय और राज्य लेवी में अधिकतर करों को एकल कर में बदल दिया। इसने दोहरे कराधान से संबंधित उच्च नियुक्त मुद्दों का भी समाधान किया है।
10. **सरकारी राजस्व में वृद्धि-** जीएसटी की शुरुआत के साथ सरकारी राजस्व 24 प्रतिशत तक बढ़ गया।
11. **मजबूत आईटी सिस्टम-** स्वचालन, रिटर्न, पंजीकरण, रिफंड और कर भुगतान आदि दाखिल करने पर करदाता द्वारा लिया गया समय।

1. सकारात्मक प्रभाव :

(1) **कर प्रणाली का एकीकरण-** पहले भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों

के अलग-अलग अप्रत्यक्ष कर (जैसे - उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, ऑक्ट्रॉय आदि) थे।

- जीएसटी ने इन सभी करों को एक एकीकृत प्रणाली में बदल दिया, जिससे कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनी।

2. एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार-जीएसटी ने देश भर में एक समान कर ढांचा बनाया।

- राज्यों की सीमाओं पर कर बाधाएं और चेकपोस्ट खत्म होने से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में सुधार हुआ।

- इससे व्यापार लागत में कमी आई और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी।

3. राजस्व पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार-जीएसटी के तहत ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, ई-वे बिल, और ई-इनवॉइसिंग जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स चोरी कम की।

- इससे सरकारी राजस्व संग्रह में दीर्घकालिक सुधार हुआ।
- सरल और पारदर्शी टैक्स ढांचे ने घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ाया।

4. करदाताओं का विस्तार-पहले केवल बड़ी कंपनियां ही अप्रत्यक्ष कर देती थीं।

- जीएसटी के तहत छोटे और मध्यम व्यवसाय (MSME) भी टैक्स नेटवर्क में आए, जिससे कर आधार बढ़ा।

2. नकारात्मक प्रभाव

(1) प्रारंभिक जटिलता और तकनीकी चुनौतियाँ-शुरुआती वर्षों में जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, बार-बार नियम परिवर्तन, और अनजान प्रक्रियाओं के कारण छोटे व्यापारियों को कठिनाई हुई।

(2) छोटे व्यवसायों पर भार-कई छोटे व्यवसायों को कंप्लायंस लागत, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुल्क, और नियमित रिटर्न फाइलिंग के कारण बोझ महसूस हुआ। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र (unorganized sector) पर इसका असर पड़ा।

(3) राजस्व असंतुलन-कुछ राज्यों को शुरुआती वर्षों में राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार की क्षतिपूर्ति (compensation) सीमित अवधि तक थी।

- इससे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव देखा गया।

(4) कुछ क्षेत्रों में महंगाई-जीएसटी लागू होने के बाद प्रारंभिक चरण में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरें बढ़ने से कीमतें बढ़ीं (विशेषकर सेवाओं पर 15 से बढ़कर 18 प्रतिशत)।

3. जीएसटी का आर्थिक प्रभाव - भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था। कर संरचना को सरल बनाना, दोहरे कराधान को समाप्त करना, और देशभर में एकीकृत बाजार की स्थापना करना।

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाला है।

1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर प्रभाव-जीएसटी लागू होने के प्रारंभिक चरण में कुछ क्षेत्रों में अल्पकालिक मंदी देखी गई, परंतु दीर्घकाल में इसने GDP वृद्धि दर को सहारा दिया।

- कर प्रणाली के एकीकरण से उत्पादन और वितरण लागत में कमी आई, जिससे व्यापारिक दक्षता बढ़ी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, दीर्घकाल में जीएसटी से GDP में 1-2 प्रतिशत

तक की वृद्धि संभव हुई है।

2. राजस्व संग्रह पर प्रभाव-जीएसटी ने कर प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है।

- ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग और ऑनलाइन फाइलिंग से कर चोरी में कमी आई।
- परिणामस्वरूप, सरकारी कर राजस्व लगातार बढ़ा है।

2024-25 में जीएसटी संग्रह औसतन रु 1.7 लाख करोड़ प्रति माह से अधिक रहा।

व्यापारिक सुगमता - 'एक राष्ट्र, एक कर' व्यवस्था ने राज्यों के बीच कर बाधाएं समाप्त कर दीं।

- लॉजिस्टिक्स लागत और समय दोनों में कमी आई।
- व्यापारिक माहौल बेहतर हुआ और नए निवेशों को प्रोत्साहन मिला।
- भारत की व्यापारिक सुगमता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

4. उपभोक्ता कल्याण पर प्रभाव-दोहरी कराधान समाप्त होने से कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आई।

- हालांकि प्रारंभिक चरण में कुछ सेवाओं पर दर बढ़ने से महंगाई में हल्की वृद्धि देखी गई।
- दीर्घकाल में उपभोक्ताओं को समान कर दरों का लाभ मिला।

5. औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव-विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Service) क्षेत्र में कर अनुपालन की प्रक्रिया सरल हुई।

- इनपुट टैक्स क्रेडिट से कंपनियों की लागत में कमी आई।
- MSME क्षेत्र को भी कर प्रणाली में शामिल किया गया, जिससे उनका औपचारिकरण (Formalization) बढ़ा।

सांख्यिकी विश्लेषण:

1. लागू होने के बाद पहले तीन वर्षों में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में लगभग 11 से 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

2. भारत की जीडीपी में कर संग्रहण का योगदान बढ़ा और व्यापार सुगमता में सुधार हुआ।

3. एमएसएमई सेक्टर में डिजिटल अनुपालन की प्रवृत्ति बढ़ी।

निष्कर्ष - भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। जीएसटी का उद्देश्य देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाकर 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' की अवधारणा को साकार करना था। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर दिया गया, जिससे कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी, कुशल और व्यवस्थित बनी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। यह केवल एक कर सुधार नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक एकता और संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी ने देश के भीतर व्यापारिक बाधाओं को कम करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना की है, जिससे उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाएँ अधिक सुचारु हुई हैं।

इस प्रणाली के माध्यम से कर प्रशासन में पारदर्शिता, राजस्व संग्रह में वृद्धि, और व्यापारिक सुगमता जैसे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसके साथ ही, टैक्स चोरी में कमी और डिजिटल कर प्रणाली की ओर बढ़ता कदम, भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी

बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

हालाँकि, जीएसटी के क्रियान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी कठिनाइयाँ, बार-बार नियम परिवर्तन, तथा छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का दबाव जैसी समस्याएँ भी उभरकर आईं। इन चुनौतियों के बावजूद, दीर्घकाल में यह व्यवस्था भारत को एक स्थिर, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल कर ढाँचा प्रदान करने की क्षमता रखती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत, दक्ष और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसके प्रभाव आने वाले वर्षों में और अधिक सकारात्मक रूप में सामने

आएँगे, जब सरकार, उद्योग और नागरिक-तीनों मिलकर इस प्रणाली को और सुदृढ़ एवं सरल बनाएँगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 5Paisa.com
2. GSTIndia-wikipedia
3. Khatabook.com
4. Supportme.com
5. RBI annual report of indirect tax
6. Indian govt. finance ministry gst portal

Digital Relationship Strategies in Banking: A Comparative Study of E-CRM Practices between Nationalised and Private Banks in Bhopal

Pragya Chouhan* Dr. L. N. Sharma**

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Research Guide, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - This study explores digital relationship strategies within the Indian banking sector through a comparative analysis of E-Customer Relationship Management (E-CRM) practices between nationalised and private banks in Bhopal District. The research emphasizes mobile banking services, call centre services, and customer perceptions of E-CRM. Data were collected from 400 respondents (200 from nationalised banks and 200 from private banks) through a structured questionnaire. Quantitative analysis including descriptive statistics, t-tests, and regression was conducted. Findings indicate that private banks outperform nationalised banks in digital responsiveness, mobile app functionality, and customer service via call centres. However, nationalised banks maintain stronger credibility and trust among customers. The study provides strategic recommendations for both bank categories to enhance mobile and call centre E-CRM performance.

Keywords: E-CRM, Digital Relationship, Mobile Banking, Call Centre Services, Customer Perception, Bhopal District.

Introduction - The banking industry in India is undergoing a digital transformation. The emergence of E-CRM practices has redefined the way banks manage customer relationships, providing accessibility through multiple digital channels such as mobile banking, internet banking, and call centres. Nationalised and private banks differ in their operational structures and technological capabilities, resulting in varying degrees of customer satisfaction. Bhopal District, being a growing commercial hub, represents an ideal context for examining the comparative effectiveness of E-CRM across bank types. The present study focuses on evaluating mobile banking services, call centre performance, and overall customer perceptions of E-CRM effectiveness between nationalised and private banks.

Literature Review

E-CRM integrates information technology and relationship marketing, enabling organizations to deliver personalized digital experiences (Buttle, 2009; Ngai, 2005). The transition from traditional CRM to E-CRM has been marked by the increasing use of mobile applications, online portals, and call centre systems (Parasuraman et al., 2005). In the Indian context, Mittal and Garg (2020) highlighted that private banks exhibit higher technological readiness compared to nationalised banks, while public banks maintain customer trust. Studies (Srinivasan & Moorthy, 2021) reveal that mobile banking and call centre responsiveness significantly influence customer satisfaction and retention.

Objectives and Hypotheses

Objectives:

1. To study the Nationalised Bank customer and Private Bank customer regarding the opinion of respondents for the internet banking services.

Hypotheses:

H₀: There is no significant difference between the Nationalised Bank customer and Private Bank customer regarding the opinion of respondents for the internet banking services.

H₁: There is a significant difference between the Nationalised Bank customer and Private Bank customer regarding the opinion of respondents for the internet banking services.

Research Methodology: This study uses a descriptive and comparative research design. A structured questionnaire was distributed to 400 respondents (200 each from nationalised and private banks) across Bhopal District. The questionnaire assessed customer perceptions regarding internet banking services and overall E-CRM effectiveness. Stratified random sampling ensured proportional representation. Data analysis involved descriptive statistics, independent sample t-tests for hypothesis testing, and regression analysis to determine the relationship between E-CRM dimensions and satisfaction. Reliability of the instrument was confirmed using Cronbach's alpha (0.86).

5. Data Analysis and Interpretation

5.1 Profile of Respondents

Table No. 5.1

Demographic Variable	Category	National -ised(%)	Private (%)	Total (%)
Gender	Male	58	60	59
	Female	42	40	41
Total		100	100	100
Age	18–25	12	20	16
	26–40	45	50	47.5
	41–60	35	25	30
	Above 60	8	5	6.5
Total		100	100	100

Source: Data Collected by the Researcher through Questionnaire

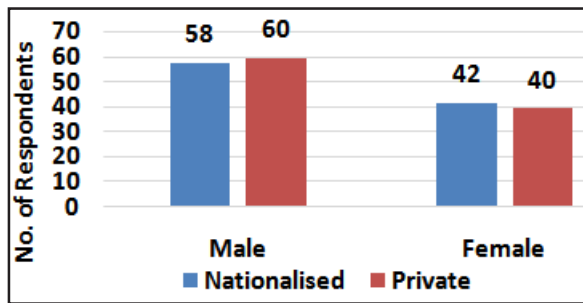


Figure No. 5.1: Gender Profile of Respondents

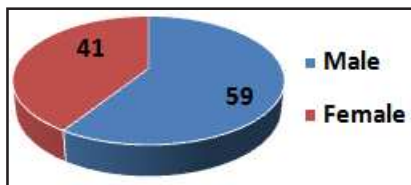


Figure No. 5.2: Gender Profile of Respondents (Total Percentage)

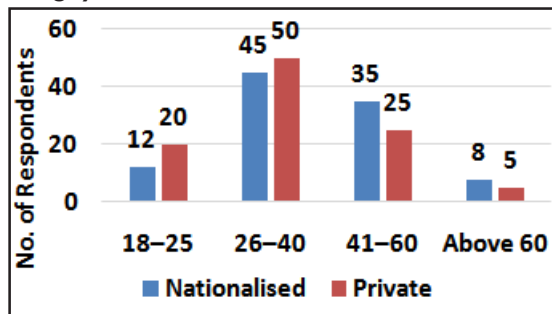


Figure No. 5.3: Age Profile of Respondents

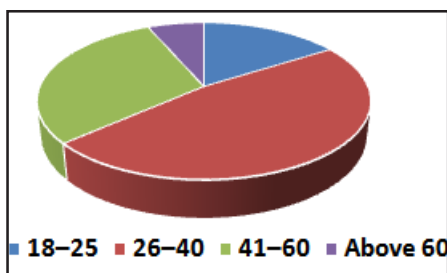


Figure No. 5.4: Age Profile of Respondents (Total Percentage)

The demographic data reveals that the majority of customers fall in the 26–40 age group, representing a digitally active population segment.

5.2 Mobile Banking Services

Service Dimension	Nationalised Mean	Private Mean
App interface & design	3.55	4.30
Transaction speed	3.60	4.25
Ease of navigation	3.50	4.40
Security & privacy	4.10	4.15
Service reliability	3.80	4.35

Source: Data Collected by the Researcher through Questionnaire

5.3 Call Centre Services

Service Dimension	Nationalised Mean	Private Mean
Response time	3.70	4.25
Problem resolution	3.65	4.20
Politeness of staff	4.10	4.30
Availability (24/7)	3.60	4.35
Information accuracy	3.85	4.40

Source: Data Collected by the Researcher through Questionnaire

5.4 Hypothesis Testing (Internet Banking Services)

Group	N	Mean	SD	t-value	p-value
Nationalised Bank	200	3.75	0.82		
Private Bank	200	4.22	0.70	6.89	0.000

Source: Data Collected by the Researcher through Questionnaire

The p-value (<0.05) leads to rejection of H_0 , confirming a significant difference between nationalised and private bank customers' opinions on internet banking services.

Findings:

1. Private banks offer superior mobile banking experiences, particularly in design, reliability, and navigation.
2. Call centre services in private banks demonstrate higher responsiveness and accuracy.
3. Nationalised banks maintain trust and staff politeness but lag technologically.
4. Hypothesis testing confirms significant differences in internet banking satisfaction levels.
5. Mobile and call centre performance drive positive E-CRM perceptions.

Conclusion and Recommendations: Private banks are more technologically advanced and efficient in digital service delivery, whereas nationalised banks continue to excel in customer trust and reliability. To enhance E-CRM effectiveness, nationalised banks should modernize their mobile applications, introduce AI-based chatbots for call centre operations, and ensure faster digital responses. Private banks should focus on trust enhancement and transparent communication to strengthen long-term relationships.

References:-

1. Buttle, F. (2009). Customer relationship management: Concepts and technologies (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
2. Ngai, E. W. T. (2005). Customer relationship management research (1992–2002): An academic literature review and classification. *Marketing Intelligence & Planning*, 23(6), 582–605.
3. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A multiple-item scale for assessing electronic service quality. *Journal of Service Research*, 7(3), 213–233.
4. Mittal, S., & Garg, S. (2020). Assessing the role of e-CRM in enhancing customer satisfaction: A comparative study of public and private banks. *Indian Journal of Marketing*, 50(4), 22–37.
5. Srinivasan, S., & Moorthy, J. (2021). E-CRM service quality and its influence on customer satisfaction in Indian banking industry. *Journal of Contemporary Research in Management*, 16(1), 45–59.
6. Buttle, F. (2009). *Customer Relationship Management: Concepts and Technologies* (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
7. Ngai, E. W. T. (2005). Customer relationship management research (1992–2002): An academic literature review and classification. *Marketing Intelligence & Planning*, 23(6), 582–605. <https://doi.org/10.1108/02634500510624147>.
8. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A multiple-item scale for assessing electronic service quality. *Journal of Service Research*, 7(3), 213–233. <https://doi.org/10.1177/1094670504271156>
9. Mittal, R., & Garg, A. (2020). Technological readiness and E-CRM adoption in Indian banking sector: A comparative study of public and private banks. *International Journal of Bank Marketing*, 38(7), 1543–1563.
10. Srinivasan, R., & Moorthy, J. (2021). Determinants of customer satisfaction in E-CRM context: Evidence from Indian banks. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 26(2), 1–14.

Journals:-

1. *International Journal of Bank Marketing – Emerald Insight*, <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0265-2323>.
2. *Journal of Internet Banking and Commerce (JIBC) – ICAFI / Array Development*, <https://www.icommercecentral.com/open-access/journal-of-internet-banking-and-commerce.php>.
3. *IUP Journal of Bank Management – IUP Publications, Hyderabad*, https://www.iupindia.in/Bank_Management.asp.
4. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management – Asian Research Consortium*, <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajrbem&type=home>.
5. *International Journal of Management and Applied Science (IJMAS) – Research India Publications*, <https://www.iraj.in/journal/IJMAS>.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राष्ट्रीय एकता अखण्डता से संबंधित प्रस्ताव (ई.सन 1950 से ई.सन् 2000 के विशेष संदर्भ में)

रणधीर झा* अनु झा** जैमिनी खानवे***

* इंदिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

** इंदिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

*** इंदिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो संपूर्ण विश्व में अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिये जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नियमित गतिविधियों के अलावा वर्ष भर में किये जाने वाली, अन्य विशेष गतिविधियों के संचालन की कार्य-योजना का निर्धारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एवं अखिल भारतीय केन्द्रीय कार्यकारी मंडल की बैठकों के माध्यम से किया जाता रहा है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला या शीर्ष नीति निर्धारण करने वाला निकाय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल एवं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जिन प्रस्तावों को पारित करता है, वह संघ के कार्यकर्ताओं के लिये पूरे वर्ष के दौरान, कार्य एवं विमर्श का विषय होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उक्त कार्य योजना के अनुसार ही समाज को संगठित व जागरूक करने का कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारित प्रस्ताव संघ की विचारधारा, राष्ट्र चिंतन, देश-सेवा का प्रतिबिम्ब होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ई. सन् 1950 से ई. सन् 2000 तक अनेक प्रस्ताव पारित किये गये, जिनमें से राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के संदर्भ में पारित किये गये प्रस्ताव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दूर-दृष्टि का परिणाम है।

शब्द कुंजी – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर.एस.एस, प्रस्ताव, संघ, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता।

प्रस्तावना – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस) में अपने स्थापना वर्ष 1925 से ही राष्ट्रीय चिंतन की उत्कृष्ट परंपरा रही है। 'राष्ट्र-प्रथम' का सूत्र वाक्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल आधार है। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र-निर्माण की यह भारतीय संकल्पना, वेदों और उपनिषदों के आधार पर प्राप्त की गई है। समाज की एक न्यूनतम इकाई व्यक्ति से व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का प्रमुख अंग माना गया है। व्यक्ति के विचार करने की क्षमता का विकास, अध्ययन में अभिरुचि (स्वाध्याय), अनुशासन, आडम्बर रहित सादगीपूर्ण जीवन-शैली, संघ के कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि है। राष्ट्र का समग्र आधार पर चिंतन, और उस समग्रता के आधार पर प्राप्त निर्णयों का प्रतिपालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्रिया-विधि का महत्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघीय स्वरूप इस प्रकार निर्मित किया गया है कि, किसी विषय पर निर्णय, शीर्ष पर स्थापित केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता, अपितु संघीय ढाँचे में स्थापित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एवं अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। उक्त पारित प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार ही, वर्ष भर संघ के स्वयं-सेवक अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहकर, नियमित गतिविधियों के अलावा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का अभिष्ट प्रयास करते हैं।

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है,

वहीं अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक वर्ष में दो बार होती है। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में रखे गये प्रस्तावों, को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव को पारित करती है। उक्त सभा से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ही प्रस्ताव अनुकूल कार्य स्वयं सेवकों द्वारा आरंभ किया जाता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एवं अखिल भारतीय केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष कभी एक या किसी-किसी वर्ष में एक से अधिक प्रस्ताव पारित किये जाते हैं।

शोध का उद्देश्य – राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा 'राष्ट्रीय एकता और अखण्डता' की मूल अवधारणा पर आधारित है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में ई.सन् 1950 से ई. सन् 2000 तक के 50 वर्षों में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एवं अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने जिन प्रस्तावों को पारित किया उनका ऐतिहासिक और समीक्षात्मक अध्ययन इस शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

शोध प्रविधि – शोध हेतु ई. सन् 1950 से ई. सन् 2000 तक 'राष्ट्रीय एकता और अखण्डता' हेतु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा पारित प्रस्तावों का ही अध्ययन किया गया है। जो ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है।

शोध परिसीमन – प्रस्तुत शोध केवल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एवं अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में ई. सन् 1950 से ई. सन् 2000 तक पारित प्रस्तावों के ऐतिहासिक व समीक्षात्मक अध्ययन तक सीमित है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 'हिन्दु' व 'राष्ट्रीय' शब्द को एक-दूसरे का पर्याय माना गया है, इससे भिन्न नहीं। अतः शोध में उक्तमानक शब्दों के भाव को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने ई. सन् 1950 से ई. सन् 2000 के 50 वर्षों के कालखण्ड में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता विषय पर उक्त कालखंड में निम्न प्रस्तावों को पारित किया था। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता विषय को मूल आधार बनाकर निम्नलिखित शीर्षक से प्रस्ताव पारित किये।

क्रं	वर्ष	प्रस्ताव क्रं	विषय
1	1950	1	विभाजन के दुष्परिणाम और हमारा कर्तव्य
2	1953	1	कश्मीर के विलय हेतु आंदोलन
3	1959	1	नेहरू-नून समझौता
4	1960	2	साम्प्रदायिक कट्टरपन्थियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ
5	1961	2	मास्टर तारासिंह का अनशन
6	1961	1	असम में विध्वंसकारी षड्यंत्र
7	1961	1	राष्ट्रीय एकता सम्मेलन
8	1962	1	पूज्य श्री गुरुजी का चीनी आक्रमण पर संबोधन
9	1980	2	असम में विदेशी घुसपैठ
10	1990	2	आतंकवादी उभार
11	1994	3	उत्तर पूर्वांचल की चिन्ताजनक स्थिति
12	1995	2	उत्तरांचल की स्थिति
13	1996	2	अग्निगर्भ असम
14	1997	2	विस्फोटक उत्तर पूर्वांचल
15	1997	2	शीर्षक अप्राप्त

उक्त वर्णित सूची से ज्ञात होता है कि, राष्ट्रीय एकता व अखण्डता से संबंधित विषय पर ई. सन् 1950 से ई. सन् 2000 तक के 50 वर्षों में कुल 15 प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पारित किये गये थे। इसमें से 09 प्रस्ताव अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित किये गये, 06 प्रस्ताव अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पारित किये गये थे। ई. सन् 1950 से 2000 ई. सन् तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा समस्त विषयों पर कुल 108 प्रस्ताव पारित किये गये थे। कुल 84 प्रस्ताव अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल द्वारा समस्त विषयों पर पारित किये गये थे। इस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कुल- 192 प्रस्ताव उक्त कालवधि में पारित किये गये।

वर्ष 1947 में हुये भारत-पाकिस्तान के बँटवारे उपरांत देश में भड़की हिंसा, और पाकिस्तान में निवासरत हिन्दू जो विपत्ति में थे, उन हिन्दूओं की सहायता, भारत किस प्रकार कर सकता है, के विषय में वर्ष 1950 में परमपूजनीय गोलवलकर गुरुजी ने चिन्ता व्यक्त की थी। इस दौरान उन्होंने स्वयं-सेवकों से अपील की थी कि, वे भारत आये हिन्दूओं की उदारतापूर्वक सहायता करें। परिणामस्वरूप बँटवारा के उपरांत, भारत आये हिन्दूओं को यहाँ बसाने के लिये, तात्कालीन भारत सरकार ने जगह प्रदान की एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री प्रदान की थी।

वर्ष 1962 में भी पू. श्री गुरु जी ने भारत के प्रबलशत्रु चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत की जनता से अपील करते हुये कहा था कि, यह

भारत-चीन युद्ध नहीं अपितु 'धर्म-युद्ध' है। इस धर्म-युद्ध में धैर्य और वीरता के साथ सभी भारतीयों को कटिबद्ध रहना होगा। इस तरह संघ, भारतीय नागरिकों को जागरूक कर, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था। भारत में जम्मू-कश्मीर के विलय हेतु, जम्मू कश्मीर प्रजा-परिषद निरंतर आंदोलन करते रहते थे, एवं उक्त आन्दोलनों का केन्द्रीय सरकार द्वारा दमन किया जाता था। यह आन्दोलन जम्मू कश्मीर प्रजा-परिषद के द्वारा किया जाता था, किंतु तत्कालीन भारत सरकार, उस आन्दोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आन्दोलनकारी मानकर संघ के कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजती रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने ई सन् 1953 में सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर सरकार से आग्रह किया था कि, जम्मू-कश्मीर में बन्दी बनाये गये संघ कार्यकर्ताओं को तत्काल जेल से मुक्त करे, तब सरकार ने संघ के कार्यकर्ताओं को मुक्त करना आरंभ किया था।

वर्ष 1959 में पं. नेहरू ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर भारत का 'बेरुबाडी' क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने का प्रयास किया था, जिसका घोर विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया गया। इस हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वर्ष 1959 में प्रस्ताव लाकर सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उक्त 'नेहरू-नून' समझौता को भंग करने हेतु अभियान प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित था कि, चीन की गतिविधियाँ भारत के प्रतिकूल हैं। इस विचार को ध्यान में रखकर, सन् 1950 से ई. सन् 1960 के दशक में, भारत में हो रहे सांप्रदायिक तनाव को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ई. सन् 1961 में राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के विषय में प्रस्ताव पारित कर इस असमंजस युक्त काल में राष्ट्रीय-चेतना को भारतीय समाज में जाग्रत करने व हिन्दू समाज को संगठित करने का आवहान स्वयं-सेवकों से किया। भारत-चीन युद्ध के एक वर्ष पूर्व से ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय-चेतना जाग्रत करने के अभियान का परिणाम यह रहा, कि वर्ष 1962 में हुये, भारत-चीन युद्ध के दौरान प्रत्येक भारतीय नागरिक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव यहाँ स्पष्ट परिलक्षित हुआ, एवं भारत की एकता-अखण्डता हेतु भारत के सभी नागरिकों ने एक-जुटता का परिचय दिया था।

असम व उत्तर पूर्वांचल, जो भारत राष्ट्र का ही भाग है। किंतु तत्कालीन समय में राजनैतिक व सामाजिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग उपेक्षित ही किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उक्त भू-भाग पर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु, निरंतर प्रयत्नशील रहा। सन् 1960 से सन् 2000 के चार दशक में उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुये, ई. सन् 1961, 1980, 1994, 1995, 1996, 1997 में 06 प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पारित किये थे। ई. सन् 1990 से 2000 के दशक में असम व पूर्वांचल की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उक्त दशक में असम क्षेत्र में विदेशी घुसपैठिये एक समस्या बनते जा रहे थे। स्थानीय सामाजिक संगठन उन मुस्लिम घुसपैठियों का विरोध करते आ रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन समस्या परिस्थितियों से भली-भाँति अवगत था। असम में मुस्लिम घुसपैठिये, तो उत्तर पूर्वांचल जैसे-मेघालय, अरुणाचल

प्रदेश में ईसाई धर्मांतरण की घटनाओं में तेजी से वृद्धि दिखाई पड़ रही थी। वहीं मणिपुर में वर्ष 1990 के दशक से ही मैतई जनजाति में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर स्थानीय जनता में असंतोष की वृद्धि हो रही थी। उत्तर-पूर्व के सभी सात राज्यों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। कहीं घुसपैठिया, कहीं धर्मांतरण, कहीं जन-जातियों में भेद का दृष्टिकोण तो कहीं किसी राज्य में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, आदि कारणों से उक्त राज्यों में सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में असंतोष की लहर व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप, स्थानीय निवासी सुख-शांति को विस्मृत कर रहे थे एवं स्वयं को उपेक्षित अनुभव कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्मरण करता आ रहा है-

'रत्नाकर द्योत पदां हिमालयकिरीटिनम।

ब्रम्हराजर्षिश्चन्द्रायां वन्दे भारत मातरता।।

ध्येयो रैवतकोविन्द्यो गिरिश्चारावलिस्तथा।।'

(एकात्मता मंत्र से उद्धृत)

इस विचारधारा के आधार पर निर्मित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिये, उक्त राज्यों की स्थिति दुःख प्रदान करने वाली थी। उक्त कार्य हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निरंतर पारित प्रस्तावों के माध्यम से स्वयं सेवकों को वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य-योजना अनुसार क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस ध्यानाकर्षण के फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों में मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाई धर्मांतरण, विदेशी हस्तक्षेप, आतंकवाद, घुसपैठिया नियंत्रण हेतु शासन व जन-सामान्य जागरूक होने लगा। तब तात्कालिक सरकार द्वारा एतद् विषयक नियम-उपनियमों का निर्माण व क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास आरंभ हुये। स्थानीय-जन, मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाई धर्मांतरण, विदेशी हस्तक्षेप, आतंकवाद, घुसपैठिया आदि की घटनाओं के कारण अत्यंत प्रभावित हुये थे, विशेषकर-हिन्दू, परिणाम स्वरूप संघ ने उक्त समस्या को संपूर्ण भारत में विमर्श का माध्यम बनाकर राष्ट्रहित में आवश्यक कदम उठाने हेतु तात्कालीन शासन व्यवस्था से आग्रह किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, ना केवल राष्ट्रीय चिंतन हेतु प्रस्तावों को पारित किया है। अपितु संघ ने देश व समाज हित में सक्रिय अन्य दलों के नेता अथवा व्यक्ति के साथ सत्ता द्वारा किये हुये अन्याय के विरुद्ध भी उनके साथ खड़ा रहा एवं समय-समय पर उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित किये। वर्ष 1961 में अकाली दल के नेता मास्टर तारासिंह के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर सिक्ख पंथ को हिन्दू धर्म का ही अभिन्न अंग स्वीकार करने हेतु वातावरण का निर्माण किया। एक ओर जहाँ संघ ने व्यक्ति, नेता, का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ई.सन् 1990 में पारित प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता की प्रशासनिक प्रणाली का दुरुपयोग कर जनता की नृशंस्तः हत्या करने हेतु तात्कालिक सत्ता पक्ष की जोरदार भर्त्सना की है। यही संघ की विशेषता रही है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र के निम्न राज्यों में हम इसाईयों की जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार है।

राज्य	वर्ष 1951	वर्ष 1971	वर्ष 1991
असम	337953 (4.10%)	667151 (4.46%)	667151 (4.46%)
मणिपुर	63694 (11.84%)	279243 (26.03%)	421702 (29.67%)
मेघालय	149378 (22.66%)	475267 (22.66%)	702854 (52.61%)
नागालैंड			
अरुणाचल प्रदेश			

उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि, तालिका में दर्शित राज्यों में ईसाईयों की (धर्मांतरण उपरांत) संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। यह तालिका **निष्कर्ष-** इस तरह ई.सन् 1950 से ई.सन् 2000 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारित प्रस्तावों का अवलोकन-विश्लेषण उपरांत हम देखते हैं कि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की संकट-कालीन स्थितियों में भारत की राष्ट्रीय एकता व अखण्डता बनाये रखने हेतु अपने स्वयंसेवकों को समय-समय पर विभिन्न पारित प्रस्तावों के द्वारा निर्देश प्रदान किए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं-सेवकों ने संघ की मंशानुरूप उस कार्य को संपादित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिये राष्ट्र की एकता ही सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिये विभिन्न अतिक्रमण के उपरांत भी संघ ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनी अद्वितीय संगठनात्मक शक्ति व अभूतपूर्व प्राचीन विचारधारा के आधार पर हिन्दु और भारत को अखण्डता के सूत्र में बाँधे रखने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ई.सन् 1950 से ई.सन् 2000 तक द्वारा पारित विभिन्न प्रस्तावों से यह परिणाम परिलक्षित होता है कि, तत्कालीन सत्ता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत में उत्पन्न होने वाली संभावित खतरों से आगाह किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, ना केवल भारत की सत्ता पक्ष को सचेत किया, अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने राष्ट्रीय एकता में विखण्डन ना होने पाये, इस हेतु समाज को संगठित कर राष्ट्रीय एकता-अखण्डता को बनाये रखने हेतु समाज का एकत्रीकरण करने के साथ ही विघटनकारी ताकतों का सामना भी सफलतापूर्वक किया। भारत में हो रहे ईसाई धर्मांतरण को रोकने हेतु नियम-कानून सत्ता पक्ष से बनवाने में सफल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ना केवल हिन्दू समाज को संगठित करने का प्रयास करता रहा है, अपितु भारत और हिन्दू विरोधी विचारों के विरुद्ध भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्भीक होकर, निडरता के साथ अपनी वाणी मुखर की है, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व स्वयं-सेवकों की पहचान है।

भारत में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक परिस्थितियों का सही आंकलन व अनुमान लगाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत हद तक सफल रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन से उत्पन्न हुये पारित प्रस्तावों का अध्ययन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसी सत्यता को प्रदर्शित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारित प्रस्ताव।

Harnessing the Sun: An Analysis of the Potential, Impact, and Implications of Solar Energy in Rajasthan, India

Atul Parmar* Dr. Laxman Lal Parmar**

*Research Scholar, Govind Guru Tribal University, Banswara (Raj.) INDIA

** Professor & HOD (Geography) MBD Govt. College, Kushalgarh, Banswara (Raj.) INDIA

Abstract: According to the area, Rajasthan is the largest state of India. It is endowed with one of the highest solar irradiation levels in the world. This paper provides a comprehensive analysis of Rajasthan's immense solar energy potential and examines its multifaceted impact and implications. The research employs a mixed-methods approach, drawing on meteorological data, government reports, policy documents, and socio-economic studies. The findings indicate that solar energy is not merely an alternative but a transformative force for Rajasthan, with profound implications for its economic development, energy security, environmental sustainability, and social fabric. However, this transition is not without challenges, including land acquisition, water usage for cleaning panels, grid integration, and initial capital investment. The paper concludes that with strategic policy interventions, technological adoption, and inclusive planning, solar energy can position Rajasthan as a national and global leader in renewable energy, driving sustainable and equitable growth.

Keywords: Solar Energy, Rajasthan, Bhadla Solar Park, Renewable Energy, Economic Impact, Environmental Sustainability, Policy.

Introduction - The global energy landscape is undergoing a paradigm shift, moving away from fossil fuels towards sustainable and renewable sources to combat climate change and ensure energy security. In this context, solar energy has emerged as a frontrunner due to its abundance and rapidly decreasing costs. India, as a signatory to the Paris Agreement, has set an ambitious target of achieving 500 GW of renewable energy capacity by 2030.

Rajasthan, covering approximately 10.4% of India's geographical area, stands at the forefront of this transformation due to its exceptional solar energy resources. The state's strategic location in the Thar Desert region, combined with favorable meteorological conditions, has created unprecedented opportunities for large-scale solar energy deployment. The Thar Desert and vast tracts of arid and semi-arid land, the state receives annual solar radiation of 5.72–6.20 kWh/m²/day with over 300 sunny days per year. This presents an unparalleled opportunity. This research paper delves into this potential, moving beyond mere technical capacity to explore the broader socio-economic and environmental impacts and the long-term implications for the state's future.

Research Objectives:

1. To quantify the technical and economic potential of solar energy in Rajasthan.

2. To analyze the economic, environmental, and social impacts of large-scale solar adoption.
3. To identify the challenges and barriers to realizing this potential.
4. To discuss the policy implications and strategic recommendations for sustainable development.

The Solar Potential of Rajasthan

Rajasthan's solar potential is arguably the highest in India. Key factors contributing to this are:

1. **High Solar Insolation:** The state's geographic location and arid climate result in minimal cloud cover and high Direct Normal Irradiance (DNI), making it ideal for both photovoltaic (PV) and concentrated solar power (CSP) technologies.
2. **Abundant Wasteland:** The presence of large areas of barren and uncultivable land, particularly in the western districts like Jodhpur, Jaisalmer, and Bikaner, reduces competition with agricultural and forest land, mitigating one of the biggest hurdles for solar projects.
3. **Government Support:** The first Solar Energy Policy of the state government of Rajasthan introduced in 2011 and updated over the years, offers numerous incentives including tax benefits, single-window clearance, and a waiver of electricity duty.

The state currently hosts the world's largest solar park,

the **Bhadla Solar Park**, with a capacity of over 2.2 GW. The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) estimates Rajasthan's solar potential to be a staggering **142 GW**, far exceeding any other Indian state.

Impact of Solar Energy Development: The proliferation of solar projects is creating a multi-dimensional impact on Rajasthan.

Economic Impact

1. Job Creation: The solar sector generates employment in manufacturing, construction, installation, operation and maintenance (O&M). While construction jobs are temporary, O&M provides long-term local employment opportunities. The Bhadla Solar Park alone has generated over 10,000 direct and indirect jobs in construction, operations, and maintenance (IRENA, 2021). A study by the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) estimates that scaling solar to 30 GW could create 200,000 jobs by 2030, particularly in rural areas, reducing unemployment rates that hover around 15% in Rajasthan (CEEW, 2022). Job opportunity will increase directly in the field of engineering, transportation and finance.

2. Investment Influx: Rajasthan has attracted billions of dollars in domestic and foreign investment, boosting the state's economy and infrastructure development. At the Rising Rajasthan Summit (December 2024), the state reported signing several lakh crore rupees worth of MoUs. Most of the MoUs focused heavily on renewable energy. Approximately 86% MoUs were related to the field of solar energy. The state government also made a MoUs with ReNew Company; which is currently producing 400 MW Pokran and Bhaniyana tehsils of Jaisalmer district and expanding the capacity to 10 GW in next few years. The ReNew Company invested Rs. 21,000 crore for the production of electricity in Jaisalmer and manufacturing of photo cell in Jaipur. Adani Green Energy Limited also refinanced the 1.06 billion US dollar at Fatehgarh (Jaisalmer) and Bhadla (Jodhpur) solar park.

3. Revenue for Landowners: Farmers and landowners are leasing out barren land for solar projects, providing them with a stable, long-term source of income without the risks associated with rain-fed agriculture.

4. Industrial Growth: Reliable and potentially cheaper green energy can attract energy-intensive industries to the state, promoting industrial diversification.

Environmental Impact

Reduction in Carbon Emissions: Solar energy displaces fossil fuel-based power generation, significantly reducing greenhouse gas emissions and air pollution. According to the IPCC if 50 GW solar power plant is installed and replaced coal with solar could avoid 100 million tons of CO₂ emissions annually. The state's arid ecosystem benefits from solar's low water footprint compared to thermal power plants, conserving scarce water resources amid frequent droughts.

1. Water Conservation: Unlike thermal power plants that

require vast amounts of water for cooling, solar PV plants have minimal water requirements, primarily for panel cleaning. This is a critical advantage in a water-scarce state like Rajasthan.

2. Land Use: While large-scale plants use considerable land, the use of wasteland minimizes ecological disruption. Innovations like agrivoltaics (combining agriculture with solar panels) can further optimize land use.

Social Impact

1. Energy Access: Decentralization of solar solutions, such as rooftop solar systems and micro-grids will can provide reliable electricity in remote areas of off-grid villages and it will be improving quality of life, education, and healthcare.

2. Skill Development: The growth of the sector necessitates new skills, prompting the development of training programs and vocational courses, enhancing the employability of the local youth.

3. Social Challenges: Large-scale land acquisition, if not managed transparently and equitably, can lead to displacement and social unrest. The benefits must be distributed fairly to avoid creating new inequalities.*

Implications and Challenges: Realizing the full potential of solar energy in Rajasthan comes with significant implications and challenges that require careful management.

1. Grid Integration and Stability: The intermittent nature of solar power (only available during daylight hours) poses challenges for grid stability. This necessitates massive investment in energy storage solutions (like batteries), grid modernization, and complementary power sources.

2. Water-Energy Nexus: Although solar PV uses less water than thermal power, the dust in arid regions requires frequent panel cleaning. The use of groundwater for this purpose could exacerbate water scarcity. Adoption of automated water-free cleaning systems is imperative.

3. High Initial Capital Cost: Despite falling prices, the upfront investment for solar projects remains high, dependent on government subsidies and favorable financing.

4. Land Degradation and Biodiversity: Improper planning could lead to soil erosion and impact local flora and fauna. Environmental Impact Assessments (EIA) must be strictly enforced.

5. Policy and Regulatory Uncertainty: Consistent and long-term policies are essential to maintain investor confidence. Delays in payments from distribution companies (DISCOMs) also remain a financial risk for developers.*

Conclusion and Recommendations: Rajasthan is poised at a historic juncture. Its solar resources offer a once-in-a-generation opportunity to redefine its economy, achieve energy self-sufficiency, and contribute significantly to India's climate goals. The impact is already visible in the form of investments, jobs, and cleaner energy.

However, to ensure that this transition is sustainable

and inclusive, a strategic and holistic approach is needed. The following recommendations are proposed:

1. **Promote Hybrid Projects:** Encourage wind-solar hybrid projects to ensure a more stable power supply and better utilization of transmission infrastructure.
2. **Invest in Storage and Smart Grids:** Prioritize policies and investments in battery energy storage systems (BESS) and pumped hydro storage to manage intermittency.
3. **Mandate Water-Free Cleaning:** Make the use of robotic or air-based cleaning systems mandatory for large projects to conserve precious water resources.
4. **Enforce Inclusive Land Policies:** Ensure transparent land leasing agreements that provide fair and timely compensation to landowners and local communities.
5. **Focus on Distributed Generation:** Incentivize rooftop solar installations in urban and rural areas to reduce transmission losses and empower individual consumers.
6. **Develop a Skilled Workforce:** Establish state-of-the-art training institutes in partnership with industry to create a skilled pool of technicians and engineers.

In conclusion, the sun over Rajasthan is more than a

natural phenomenon; it is a reservoir of transformative power. By harnessing it wisely, Rajasthan can illuminate its path to a prosperous, sustainable, and equitable future.

References:-

1. Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). (2023). *State-wise Estimated Solar Power Potential*. Government of India.
2. Government of Rajasthan. (2019). *Rajasthan Solar Energy Policy 2019*.
3. International Institute for Sustainable Development (IISD). (2021). *The Social and Environmental Impacts of Solar Parks in Rajasthan*.
4. The World Bank. (2020). *Scaling Up Solar Power in India: A Roadmap for Achieving 100 GW by 2022*.
5. Singh, R., & Das, P. (2022). "Economic and Environmental Analysis of Solar Energy in the Thar Desert Region." *Journal of Clean Energy Production*, 15(2), 112-128.
6. Central Electricity Authority (CEA). (2022). *Report on Optimal Generation Capacity Mix for 2029-30*.

जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन (मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में)

कपिल डामर*

* पीएच.डी. शोधार्थी (समाजकार्य) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महु) जिला इंदौर
(म.प्र.) भारत

शोध सारांश - आधुनिक भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व बेरोजगारी के कारण जनजातियां अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने मूल स्थानों से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास कर रहे हैं। ग्रामीण जनजातिय समुदायों में यह प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही है कि उनके परिवारों में कमाने वाले एक या दो व्यक्ति होते हैं तथा उन पर आश्रित सदस्यों की संख्या अधिक है जिनकी मूल स्थानों पर रहकर बुनियादी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराना कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में उनके परिवारों से किसी-न-किसी वयस्क व अवयस्क सदस्यों को रोजगार पाने के लिए शहरों में प्रवास करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे वे अपने परिवारों में होने वाले आवश्यक कार्य को व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकें।

आजादी के छः दशक बाद भी आज भारत में बहुल जनजाति समाज कहे जाने वाले वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था का अभिशाप आज भी निम्न वर्गों के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की खाईयां घटने की बजाय और बढ़ती जा रही है।

भारत एक विकासशील देश है। विकास का अर्थ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधाएं तथा जीविका के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। किन्तु यह बहुत दुःख की बात है कि आज हमारे देश को आजादी के 78 वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन यह बात केवल शोध का विषय बनकर रह गई है या विचारों के रूप में पढ़ने-सुनने को मिलती है, जबकि वास्तविकता तो इससे कोषों दूर है। इन विचारों को परिणित करने के लिए हमें भारत की नीव अर्थात् ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा क्योंकि कई वर्षों से इन क्षेत्रों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जनजातियों को इन मूलभूत आवश्यकताओं की अत्यधिक जरूरत है। क्योंकि हमारे देश का 68.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं एवं 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपनी संस्कृति में लिप्त रहकर जीवनयापन कर रही है।

जनजातिय प्रवास के दो पहलू हो सकते हैं।

1. वे पहलू जो जनजातियों समूह को बाहर की ओर धकेलते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक शोषण, भुखमरी, बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं आदि।
2. वे पहलू जो जनजातियों समूह को अपनी ओर खींचते हैं जैसे रोजगार के बेहतर अवसर व अधिक मजदूरी जिनके कारण बहुत सी जनजाति प्रवासी बन जाती है।

शब्द कुंजी - प्रवास, अशिक्षा, रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य।

प्रस्तावना - जनजातियों के जीवन में प्रवास महत्वपूर्ण घटना है, जनजातिय वर्ग का सारा जीवन प्रवास में बीत जाता है, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति कमजोर होती जाती है। उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन बहुत अस्थिर हो जाता है। कठोर परिश्रम और पौष्टिक भोजन के अभाव में उनका स्वास्थ्य स्तर गिरता जाता है, जिससे वे अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और उनकी कार्यक्षमता में कमी आती जाती है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और प्रायः अशिक्षित रह जाते हैं। इस कमी को वे अज्ञानतावश समाप्त भी नहीं कर पाते हैं। भारत में लगभग 212 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या 40 लाख से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में अनुमानतः 40 लाख से भी अधिक हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में अनुमानतः 8.36 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग

8.08 प्रतिशत है, इनमें से 93.8 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है। सन् 1991 से 2011 तक की जनगणनाओं में आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। इससे स्पष्ट है कि देश की बढ़ती आबादी में इनकी वृद्धि दर की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है।

जनजातिय समुदाय आमतौर पर दूरचल, वनाचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती आ रही है और इनका मुख्य कार्य कृषि करना, शिकार करना तथा वनों से लकड़ी काटकर बेचना आदि होता है। लेकिन परिवर्तनों के कारण इनके कार्य में बदलाव आया, जिससे इनमें परिवर्तन के रूप में प्रवास उभरकर सामने आया।

समस्या - प्रवास में सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को होता है, गर्भावस्था

में भी वे अपने घर से दूर जाकर मजदूरी करती हैं, जिससे उनकी देखभाल नहीं होती, प्रसव कहां होगा, यह भी निश्चित नहीं होता है। जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उचित देखभाल और पोषिक भोजन के अभाव में वे एनीमिया, कुपोषण जैसी भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं।

प्रवास के कारण – प्रवास का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक होता है, प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक कारण इस प्रकार हैं- काम का अभाव, औद्योगिकीकरण, जोतों का अधिकार छोटा होना एवं कृषि स्रोतों की कमी आदि। जनजातियों के क्षेत्रों में किसी प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, सूखा, भूकम्प, किसी बीमारी का प्रकोप आदि कारणों से उन्हें प्रवास की आवश्यकता होती है।

प्रवास के प्रकार :

1. **स्थायी प्रवास** – स्थायी प्रवास वह कहलाता है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह गांव छोड़कर शहरों में निवास करता है।
2. **दैनिक प्रवास** – यह प्रवास गांवों से नगरों की ओर प्रतिदिन होता है।
3. **मौसमी प्रवास** – यह प्रवास अस्थायी रूप से होता है, यानि कृषि कार्य के अतिरिक्त समय में वे लोग शहरों में आकर मजदूरी करते हैं एवं फसल काटने एवं बोने के समय वापस चले जाते हैं। इसलिए मौसमी प्रवास कहते हैं।

प्रवास के लाभ– प्रवास से आर्थिक लाभ, भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी, स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर, नगरीकरण के लाभ आदि होते हैं।

अध्ययन का महत्व – प्रवास की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो एक समस्या है। प्रवास जनजातियों में विशेष इनकी सामाजिक स्थिति में पिछले कुछ सालों में भी सुधार नहीं हुआ, वहीं पुरानी स्थिति टूटी-फूटी झोपडियाँ, फटे वस्त्र एवं भोजन में गुणवत्ता का अभाव जो इनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। सामाजिक स्थिति के साथ आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। दैनिक रूप में मजदूरी कर एवं अपना जीवनयापन करने पर मजबूर हैं। अतः वर्तमान में इनकी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतः इस शोध अध्ययन से जनजातियों के प्रवास संबंधित कारणों व प्रभावों का अध्ययन करके इनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

प्रवास की समस्याएँ – प्रवास से कार्यक्षमता में हास, श्रम संघों के विकास में बाधा, प्रवास पश्चात् आवास की समस्या, नैतिक पतन एवं शिक्षा व स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन 'जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन करना' मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है:

1. जनजातियों के प्रवास के कारणों और प्रभावों का अध्ययन करना।
2. जनजातियों के प्रवास के प्रकार एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
3. जनजातियों में सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य स्तर को ज्ञात करना।
4. प्रवास को रोकने में शासकीय योजनाओं की भूमिकाओं का अध्ययन करना।
5. जनजातियों में प्रवास अधिनियम संबंधी जागरूकता तथा मिलने वाली सुविधाओं का पता लगाना।

अध्ययन की आवश्यकता – प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में जनजातिय

मजदूरी की तलाश में अपने ग्राम को छोड़कर बाहर जाते हैं। शहर में आकर कहीं भी अपनी-अपनी बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। जहां इन्हें गंदगी, कूड़ा-करकट एवं हानिकारक परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जिससे उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उपकरण एवं तकनीकी – प्रस्तुत शोधपत्र तैयार करने के लिए द्वितीयक सामाग्री संकलन के लिए संबंधित शोध जर्नल, पूर्व प्रकाशित शोध प्रबंध, शोधपत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, जनगणना रिपोर्ट तथा संबंधित कार्यालयों से द्वितीयक संकलन व तथ्यों को एकत्रित किया गया।

निष्कर्ष – झाबुआ जिले की जनजातियों के प्रवासित परिवारों का सर्वेक्षण करने पर उनकी वास्तविक स्थिति ज्ञात हुई। जैसा कि विदित है शोध का विषय जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन, इस हेतु प्रवासित जनजातियों का साक्षात्कार लिया गया। अवलोकन करते हुए प्रवासित जनजातियों की स्थिति को समझने का भी पूरा प्रयास किया गया और उससे जो तथ्य हमारे सामने आये उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन प्रवासित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति काफी दयनीय है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु कार्य नहीं किये जा रहे हैं, किन्तु सच यह है कि इन प्रवासित जनजातियों की शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनजातियों की महिलाओं का वर्ग आज भी परम्परागत सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ है, उसकी अशिक्षा एवं अज्ञानता ही उनकी निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

1. शोध क्षेत्रों में ग्रामिण जनजातिय परिवारों से पुरुष वर्ग व महिला वर्ग अधिक संख्या में रोजगार के लिए अपने मूल गांव से शहरों व पड़ोसी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, व राजस्थान) में प्रवास करते हैं। जिन पर परिवार के पालन-पोषण करने का दायित्व अधिक होता है।
2. शोध क्षेत्रों में भील जनजाति के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते हैं। यह बाहुल्य जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पर जनजातिय लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं। इसमें सर्वाधिक प्रवास करने वाले जनजातिय श्रमिकों की आयु 30-40 वर्ष के मध्य हैं।
3. शोध क्षेत्रों में विवाहित श्रमिक अधिक संख्या में मजदूरी कार्य के लिए दूसरे स्थानों पर प्रवास करते हैं, जो कि शादी-विवाह के अवसरों पर अपने स्थानीय साहुकारों से अधिक मात्रा में ऋण लेकर करते हैं, उस ऋण को चुकाने व परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजदूरी कार्य करते हैं। यह अपनी जागरूकता की कमी व उचित जानकारी के अभाव में शासन द्वारा संचालित 'सामूहिक विवाह समारोह' कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं।
4. शोध क्षेत्रों में जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, परंतु कृषि जोतों के आकर छोटे होने, असमतलीकरण, बिखरी हुई एवं पठारी अवस्था में होने के कारण केवल वर्षा ऋतु में कृषि भूमि को सिंचित कर पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज में कमी होती है।
5. शोध क्षेत्रों के जनजातिय परिवारों में औसत सदस्यों की संख्या अधिक है। इस कारण उनके परिवारों में खाद्यान्न पदार्थ वर्ष भर नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करने तथा अन्य पारिवारिक कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके पास आय उपार्जन के संसाधन की कमी है।

प्रवास के दौरान आवास समस्या, गंदी बस्तियों की समस्या, पीने की

पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या होने के बावजूद भी ये लोग प्रवास करते हैं।

सुझाव :

1. भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को भ्रमण एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। इस आधार पर व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान पर अपने निश्चित उद्देश्यों जैसे जीविकापार्जन आदि की पूर्ति के लिए प्रवास करते हैं। अतएव सरकार द्वारा इन प्रवास व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन के संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए।
2. भारत में प्रवास की प्रवृत्ति मुख्यतः ग्रामीण से शहरी होती है, जो कि कम खेती योग्य भूमि एवं रोजगार अवसरों के अभाव के कारण शहरी क्षेत्रों में होती है, तब ग्रामीण क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि का उचित प्रबंधन एवं रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए।
3. ग्रामीण कृषकों को कृषि की नई तकनीकी का प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की जाए, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और उन्हें प्रवृजन के लिए मजबूर न होना पड़े।
4. विकास की योजनाओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि अशिक्षित लोग भी इन्हें समझ सकें और योजनाओं का लाभ ले सकें।
5. कृषकों को कृषि कार्य के लिए सस्ते से सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे उनके उत्पादन में सुधार हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. बघेल डी.एस. (1993), नगरीय समाजशास्त्र, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ आकदमी, भोपाल।
2. भगत राम बाबु, डिपार्टमेंट एण्ड माईग्रेशन एंड अर्बन स्टडिज, इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पापुलेशन साइंस, मुंबई, दैनिक भास्कर, 2011।

3. भूगोल और आप, (मार्च 2010), मानव भूगोल।
4. डेहरिया बेनी प्रसाद (2008-09) 'गौंड जनजाति कृषि श्रमिक परिवारों में पलायन का बदलता स्वरूप एवं कारणों का अध्ययन'।
5. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., समाजशास्त्र, (UGC:NET/SLET)।
6. www.interstatemigration.com
7. जेम्स, के.एस. पापुलेशन रिसर्च सेंटर इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकॉनामिक चेंज, बैंगलुरु, दैनिक भास्कर 2011।
8. कुरुक्षेत्र, (दिसम्बर 2010), ग्रामीण नगरीय प्रवृजन।
9. पाण्डेय प्रेम प्रकाश (1990) 'अप्रवासी श्रमिक', नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली।
10. पाण्डेय मलिक (1991), 'नगरीय आवृजन', मितल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
11. पाटकर सुमन (1998-99) 'प्रवासी आदिवासी महिलाओं की समस्या एवं समाधान'।
12. राय, सरोज (1993) 'महिला श्रमिक', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
13. भारत में प्रवृजन, जनगणना 2001।
14. सक्सेना आर.सी. (1998) 'श्रमिक समस्याएं एवं समाज कल्याण', प्रकाशन के.नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ।
15. सफदरी एस.एच., सी.ई.ओ. जिला पंचायत झाबुआ, पत्रिका 2011।
16. शर्मा पी.के. (1924) 'आन्तरिक प्रवास और सामाजिक परिवर्तन' श्री पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
17. व्यास बी.एस. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य और अर्थशास्त्री, दैनिक भास्कर 2011।
18. वासनिक नीरज कुमार (2007-08) 'प्रवासी मजदूरों का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन'।
19. यंग पी.वी. (1998), आन्तरिक प्रवास और सामाजिक परिवर्तन।

भारत में किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक: एक कानूनी और समाजशास्त्रीय अध्ययन

श्रीमती प्रीती बुंदेला* डॉ. राम सिंह पटेल**

* शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

** सह-प्राध्यापक, पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किशोर अपराध एक जटिल सामाजिक-कानूनी परिघटना है जो आर्थिक कठिनाई, सामाजिक विघटन और कानूनी अपर्याप्तताओं के बीच के अंतर्संबंध को दर्शाती है। भारत में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने इस प्रवृत्ति के अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक निधारकों के बारे में चिंता पैदा कर दी है। यह शोध पत्र इस बात की जाँच करता है कि गरीबी, पारिवारिक अव्यवस्था, बेरोजगारी, शहरीकरण, साथियों का दबाव और शिक्षा का अभाव किशोर अपराध में कैसे योगदान करते हैं। यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और संबंधित संवैधानिक एवं नीतिगत ढाँचों के माध्यम से कानूनी प्रतिक्रिया का भी आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। सामाजिक-कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए, इस अध्ययन का उद्देश्य अपराध को केवल एक कानूनी उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक विकृति के एक लक्षण के रूप में समझना है। यह पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किशोर अपराध के मूल कारणों का समाधान करने के लिए, न कि केवल उसके परिणामों को दंडित करने के लिए, समग्र हस्तक्षेप-शिक्षा, परिवार कल्याण, गरीबी उन्मूलन और सामुदायिक पुनर्वास को एकीकृत करना- आवश्यक है।

शब्द कुंजी – किशोर अपराध, सामाजिक-आर्थिक कारक, किशोर न्याय, गरीबी, कानूनी ढाँचा, सामाजिक अव्यवस्था, पुनर्वास।

प्रस्तावना – किशोर अपराध भारत के आपराधिक न्याय और सामाजिक नीति विमर्श में सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। यह शब्द 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए उन अपराधों को संदर्भित करता है जो कानून के विरुद्ध जाते हैं। हालाँकि, अपराध कानूनी परिभाषाओं से परे भी है-यह सामाजिक विचलन का प्रतीक है, जिसकी जड़ें अक्सर आर्थिक संकट, पारिवारिक अस्थिरता और सामुदायिक अव्यवस्था में होती हैं। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना, जिसमें एक बड़ी युवा आबादी है, इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, किशोर अपराध सालाना कुल अपराधों का लगभग 1.2-1.5% हिस्सा है, जिसमें चोरी, हमला और यौन अपराध सबसे आम हैं। हालाँकि ये आँकड़े मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये गहरी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को दर्शाते हैं।

भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (1989) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते दंड की तुलना में सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास पर जोर देते हैं। फिर भी, किशोर अपराध का जारी रहना कानून और सामाजिक वास्तविकता के बीच एक अंतर को उजागर करता है। इसलिए, यह शोधपत्र किशोर अपराध के सामाजिक-आर्थिक निधारकों की विस्तृत जाँच करता है और इसे कम करने में भारत के कानूनी और संस्थागत तंत्रों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।

अवधारणा और सैद्धांतिक ढाँचा

किशोर अपराध का अर्थ – किशोर अपराध किसी नाबालिग द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कृत्य है जो आपराधिक कानून या सामाजिक मानदंडों

का उल्लंघन करता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति मानता है जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो या पाया गया हो। हालाँकि, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपराध को ऐसे व्यवहार के रूप में देखते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृत मानदंडों से विचलित होता है, जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाता है।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण

सामाजिक अव्यवस्था सिद्धांत (शॉ और मैके, 1942)– यह सुझाव देता है कि किशोर अपराध कमजोर सामाजिक संस्थाओं, खराब आर्थिक स्थितियों और प्रवासन-जनित अस्थिरता वाले समुदायों में प्रचलित है।

1. **तनाव सिद्धांत (रॉबर्ट मर्टन, 1938)**– यह मानता है कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक असमानता और हताशा अपराध को जन्म देती है।

2. **लेबलिंग सिद्धांत (हॉवर्ड बेकर, 1963)**– इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक लेबलिंग और कलंक किशोरों में विचलित पहचान को मजबूत कर सकते हैं।

3. **विभेदक साहचर्य सिद्धांत (सदरलैंड, 1939)**– यह तर्क देता है कि अपराधी व्यवहार उन साथियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है जो आपराधिक मूल्यों का समर्थन करते हैं।

ये सिद्धांत सामूहिक रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि किशोर अपराध एक सामाजिक उत्पाद है, न कि केवल एक व्यक्तिगत पसंद, जो आर्थिक,

सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित होती है।

किशोर अपराध के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक

गरीबी और आर्थिक अभाव – गरीबी किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारकों में से एक है। आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े परिवारों के बच्चों को अक्सर शिक्षा, पोषण और मनोरंजन के अवसरों की कमी होती है, जिससे वे जीवनयापन के लिए अवैध गतिविधियों की ओर रुख करते हैं। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 41% से ज्यादा किशोर अपराधी ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी सालाना आय ₹ 50,000 से कम है।

आर्थिक अभाव निराशा और अलगाव को भी जन्म देता है, खासकर जब बच्चे सामाजिक असमानता और उपभोक्तावादी आकांक्षाओं को देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के उनके पास साधन नहीं होते। छोटी-मोटी चोरियाँ, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित गिरोहों में शामिल होना अक्सर जानबूझकर आपराधिक इरादे के बजाय जीवनयापन की रणनीति के रूप में सामने आते हैं।

पारिवारिक अव्यवस्था और घरेलू हिंसा – टूटे हुए परिवार, माता-पिता की उपेक्षा, शराबखोरी और घरेलू हिंसा का बच्चों की भावनात्मक स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक असंतुलित घरेलू वातावरण किशोरों को स्नेह और देखरेख से वंचित करता है, जिससे व्यवहार संबंधी विकार पैदा होते हैं। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस) के अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश किशोर अपराधी ऐसे घरों से आते हैं जहाँ संघर्ष, एकल अभिभावकत्व या सौतेले माता-पिता के रिश्ते होते हैं। किशोरावस्था के दौरान माता-पिता के मार्गदर्शन का अभाव जब नैतिक मूल्य अभी भी विकसित हो रहे होते हैं बच्चों को विचलित प्रभावों और असामाजिक व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाता है।

शैक्षिक असफलता और स्कूल छोड़ना – बच्चों के सामाजिककरण और अनुशासन की शिक्षा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, खराब बुनियादी ढाँचे, अनुपस्थिति और व्यावसायिक प्रासंगिकता की कमी ने स्कूल छोड़ने की दर को, विशेष रूप से ग्रामीण और झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में, चिंताजनक रूप से बढ़ा दिया है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) बताती है कि भारत में लगभग 28% किशोर (14-18 वर्ष) स्कूल नहीं जाते हैं या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण में शामिल नहीं होते हैं। अशिक्षित और बेरोजगार युवा अक्सर सड़क पर रहने की ओर आकर्षित होते हैं, और ऐसे समूह बनाते हैं जहाँ विचलित व्यवहार सामान्य बात है। परिणामस्वरूप, शिक्षा का अभाव किशोर अपराध का कारण और परिणाम दोनों बन जाता है।

बेरोजगारी और शहरी हाशिए पर जाना – तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने सीमित रोजगार अवसरों वाली अनौपचारिक बस्तियों के विशाल क्षेत्र निर्मित कर दिए हैं। इन क्षेत्रों के किशोर, जिनके पास स्थिर रोजगार या व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है, आसानी से अवैध अर्थव्यवस्थाओं – नशीले पदार्थों की तस्करी, छोटी-मोटी चोरी, साइबर अपराध और भीख मांगने के धंधों/कूमें फंस जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) इस बात पर जोर देता है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर लगभग 23% बनी हुई है, जिससे निराशा और आलस्य बढ़ता है। शहरी गुमनामी और कमजोर सामुदायिक निगरानी के साथ, अपराध का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

साथियों का प्रभाव और गिरोह संस्कृति – साथियों का दबाव किशोरों के व्यवहार को काफी प्रभावित करता है। युवा समूह में स्वीकृति और पहचान

चाहते हैं, जो कभी-कभी अपराधी मानदंडों को बढ़ावा दे सकता है। शहरी केंद्रों में, स्थानीय गिरोहों और ऑनलाइन नेटवर्क के उदय ने समूह-आधारित अपराधों को बढ़ा दिया है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 60% से ज्यादा किशोर अपराधियों ने साथियों के प्रभाव या समूह के दबाव में काम किया।

मादक द्रव्यों का सेवन – मादक पदार्थों की लत, जो अपराध का एक कारण और प्रभाव दोनों है, किशोरों में बढ़ी है। कम आय वाले इलाकों में नशीली दवाओं, शराब और इनहेलेंट की आसान पहुँच निर्भरता और आवेगपूर्ण आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र (एम्स, 2021) ने बताया कि लगभग 8.5% भारतीय किशोरों ने मनो-सक्रिय पदार्थों का प्रयोग किया है।

भारत में किशोर अपराध से निपटने हेतु कानूनी ढाँचा

संवैधानिक प्रावधान – भारतीय संविधान में बाल-सुरक्षा की कई गारंटीएँ निहित हैं:

1. **अनुच्छेद 15(3)** – बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
2. **अनुच्छेद 21** – किशोरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
3. **अनुच्छेद 39(ई)-(एफ)** – बच्चों को दुर्कृत्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा प्रदान करता है।
4. **अनुच्छेद 45** – बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।

ये प्रावधान पुनर्वास और कल्याण-आधारित न्याय के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 जेजे अधिनियम, 2015, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित प्राथमिक कानून है। यह प्रतिशोध के बजाय देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास पर केंद्रित है। हालाँकि, इसमें एक विवादास्पद खंड जोड़ा गया है जिसके तहत जघन्य अपराधों के आरोपी 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों पर किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है।

यद्यपि यह अधिनियम बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), संप्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों की स्थापना करता है, लेकिन सीमित धन, नौकरशाही संबंधी देरी और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण इसका कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2020) और हरि राम बनाम राजस्थान राज्य (2009) जैसी न्यायिक व्याख्याएँ किशोरों के साथ अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि सुधार योग्य व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता की पुष्टि करती हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण – भारत में किशोर अपराध को केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता – इसके लिए समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक असमानता, जाति-आधारित हाशिए पर होना और शहरी बहिष्कार का बने रहना विचलित व्यवहार के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। उदाहरण के लिए, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले समुदायों में, बच्चे अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं और सीमित शैक्षिक आकांक्षाओं के बीच पले-बढ़े होते हैं, जिससे छोटे-मोटे अपराध आजीविका

के रूप में सामान्य हो जाते हैं। गरीबी, जाति और शहरी हाशिये की अंतर्संबंधता से पता चलता है कि अपराध अक्सर सामाजिक उपेक्षा का परिणाम होता है। इसके अलावा, सुधारे गए किशोरों पर सामाजिक कलंक लगाने से पुनः एकीकरण के अवसर सीमित हो जाते हैं, जिससे पुनरावृत्ति का चक्र चलता रहता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

1. **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा**– संप्रेक्षण गृह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाले और कम कर्मचारियों वाले हैं।
2. **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी**– परिवीक्षा अधिकारियों और परामर्शदाताओं में अक्सर संवेदनशीलता और विशेष प्रशिक्षण का अभाव होता है।
3. **आँकड़ों की कमी**– किशोर अपराधियों पर व्यापक सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों का अभाव लक्षित हस्तक्षेपों में बाधा डालता है।
4. **सामाजिक कलंक**– किशोरों के पुनर्वास के प्रति सामुदायिक प्रतिरोध पुनः एकीकरण में बाधा डालता है।
5. **समन्वय की विफलताएँ**– पुलिस, सामाजिक सेवाओं और गैर-सरकारी संगठनों के बीच कमजोर सहयोग प्रभावशीलता को कमजोर करता है।

नीतिगत सुझाव:

1. **परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना**– अपराध रोकने के लिए जोखिमग्रस्त परिवारों को परामर्श और आर्थिक सहायता प्रदान करना।
2. **शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण**– स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों का विस्तार।
3. **सामुदायिक पुलिसिंग**– कमजोर बच्चों की शीघ्र पहचान के लिए स्थानीय नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों और युवा क्लबों को शामिल करना।
4. **आर्थिक सशक्तिकरण**– बाल कल्याण को मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कौशल भारत मिशन जैसी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ एकीकृत करना।
5. **पुनर्वास और पुनः एकीकरण**– पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रमों में मार्गदर्शन, नौकरी की व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

6. **अनुसंधान और डेटा संग्रह**– नीति निर्माण हेतु किशोर अपराधियों की नियमित सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार करना।

निष्कर्ष – भारत में किशोर अपराध एक सामाजिक और कानूनी चुनौती है, जो गरीबी, असमानता और सामाजिक उपेक्षा से गहराई से प्रभावित है। जहाँ कानूनी ढाँचा देखभाल और सुरक्षा पर जोर देता है, वहीं अपराध की सामाजिक-आर्थिक जड़ें शिक्षा, रोजगार और परिवार कल्याण में व्यापक सुधार की माँग करती हैं। इसका समाधान कठोर दंड में नहीं, बल्कि सामाजिक निवेश में निहित है। कृपया समावेशी संस्थाओं का निर्माण जो बच्चों की क्षमता का पोषण करें और उन्हें मुख्यधारा के समाज से अलग-थलग पड़ने से रोकें। बाल-केंद्रित न्याय प्रणाली के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कानून, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल करते हुए एक बहु-विषयक रणनीति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Becker, Howard S. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press, 1963.
2. Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review*, vol. 3, no. 5, 1938, pp. 672–682.
3. National Crime Records Bureau (NCRB). *Crime in India 2023: Statistics*. Ministry of Home Affairs, Government of India, 2024.
4. Shaw, Clifford R., and Henry D. McKay. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. University of Chicago Press, 1942.
5. "The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015." Government of India Gazette.
6. *Shilpa Mittal v. State (NCT of Delhi)*, (2020) 2 SCC 787.
7. *Hari Ram v. State of Rajasthan*, (2009) 13 SCC 211.
8. National Institute of Criminology and Forensic Science (NICFS). *Study on Juvenile Crime in India*, Ministry of Home Affairs, 2022.
9. United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, 1989.
10. AIIMS – National Drug Dependence Treatment Centre. *Magnitude of Substance Use among Adolescents in India*, 2021.

Vishakha as a Symbol of Objectification: A study of Girish Karnad's 'The Fire and The Rain'

Dr. Sanjay Singh Solanki*

*Associate Professor, Govt. College, Alote, Dist. Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract: Girish Karnad is the front rank dramatist in Indian English Literature. K.Chandrashekhara says, "His Journey from 'Yayati' to 'The Fire and The Rain' holds a mirror to the very evolution of Indian English drama during nearly four decades". Karnad's drama "The Fire and The Rain" is about the existential problems of brahminism, seduction, deception, treachery, ego, revenge and sexuality. The main victim is the female character Vishakha. This paper is an attempt to show how Vishakha has been used as a symbol of objectification by most of the male characters of the drama. In this drama Karnad reinterprets the mythical theme from Mahabharat in the modern context.

Keywords: Objectification, Seduction, Sexuality, Mythical, Lustful fornicate.

Introduction - Objectification means the action of degrading someone to the status of a mere object. In the play 'The Fire and The Rain' Vishakha is only a sexual object in the hands of Paravasu, Yavakri and Raibhya. No male Character understands her feelings. They all used her as though she is only an object.

In 'the Fire and The Rain' there are only two female characters namely Vishakha and Nittilai. Vishakha is a Brahmin girl aged twenty six. She is married to Paravasu, Who is the elder son of sage Raibhya. Vishakha's married life is not happy. His husband Paravasu has no love for her. In the beginning of their married life Paravasu gives all that married woman imagines but after one year he used her only for her sensual appetite. He used Vishakha body and his own like an experimenter. Paravasu was searching something in sex. Vishakha made no objection being used only as a tool in his experiment she was only a thing for him that can satisfy his lust. Their relationship is devoid of any love. After one year when he got invitation from the king to act as a chief priest in the fire sacrifice he immediately leave her without taking her consent. Paravasu performed the job of a chief priest for seven years he has not come back in all these years even for an hour. Although the site of the fire sacrifice is only a couple of hours away from his house.

Vishakha was left by Paravasu in the care of his old and lustful father, Raibhya, whenever Raibhya wants to fulfill his lust he made sexual relation with her. She couldn't oppose her moves. When Paravasu returns he tells him, how his father Raibhya tortures and molested her in his absence.

So first Vishakha suffers at the hand of his husband

Paravasu and secondly his father – in – law made her life miserable. There were none to hear her sufferings. She become the victim of objectification in the male dominated society.

When Raibhya comes to know about Vishakha's fornication by Yavakri, he uses abusive language for her. He says "why are you so filthy ? You look like a buffalo that's been rolling in the mud. "

Yavakri, the son of sage Bharadwaj also loves Vishakha passionately before she was married to Paravasu but Yavakri went to forest for observing penance living Vishakha all alone. When Yavakri returns after ten years penance, he still wants to have her though he knew that Vishakha is Paravasu's wife. He wanted to take revenge from Raibhya and Paravasu he coaxes Vishakha and fornicates her. Yavakri tactfully seduces Vishakha. He says her that he wanted to relive the moments which he spent in her company. He says to Vishakha :

"The sweet, sick smell of Jack fruit, the maddening hum of a fly. The smell of your body . Ten years later I opened my eyes and i knew i was hungry for the moment."

"He cunningly and deceitfully exploits Vishakha's helplessness and have sex with her."

All these incidents show that no male character feels emotionally about Vishakha. She was feelings very lonely when Yavakri meets her. She says :

"Alone I have become dry like a tinder. Ready to burst into flames at a breath."

Her love for Yavakri once again resurfaces. She speaks"

"You are hungry for words, And so I am. So let's talk."

Although she was married but she couldn't get solace in her married life. She was only used as a lust

symbol by her husband. So she willingly offers herself before Yavakri for consensual copulation. When Parvasu returned she is not shy or ashamed of her act. She frankly and straight forwardly tells Parvasu how she enjoyed Yavakri's company. But Yavakri has fornicates her only to take revenge on her father – in – law and her husband. On knowing this fact she was very upset she again feels that nobody loves her. All three male characters used her only as sexual object. She decides to teach a lesson to Yavakri. She knows that Yavakri has sanctified water in his Kamandalu. She tactfully diverts Yavakri's attention and pours the sanctified water on him. Thus she takes her revenge.

In the conclusion we can say that Vishakha has been indeed a victim of objectification Vishakha's choices and desires are disregarded. The play ' The Fire and The Rain

also critique how women are objectified and exploited within patriarchal societies Thus Vishakha's character is a powerful commentary on the objectification of a woman.

References:-

1. Budholiya O.P. Girish Karnad's History and Folklore, New Delhi, B.R. Publishing Corporation, 2011.
2. Girish Karnad : Collected plays (ed.) Aparna Dhawalker Vol I, Appendix, New Delhi, O.U.P. (2005) PP 301-15
3. www.the-criterion.com
4. Prakash O.M. Feminine Sensibility in Girish Karnad's Plays, Kaav Publication, New Delhi, 2015.
5. Dodia, Jaydeep Singh, The Plays of Girish Karnad; Critical Perspectives, New Delhi, Prestige Books 1999.

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं साहित्य में लोकतंत्र

डॉ. आशुतोष कुमार मिश्रा*

* सहायक प्राध्यापक, सूरज ज्ञान महाविद्यालय, कोंच (उ. प्र.) भारत

1. आदिकाल में लोकतंत्र – प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का स्वरूप एवं शासनसत्ता किसी परम्परागत एकतंत्रीय रास्ते पर नहीं चली बल्कि उसने अपना सफर भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समकालीन परिस्थितियों को अपने दामन में संयोजे अपना रंग रूप बदलती रही हैं। डॉ. बेनी प्रसाद लिखते हैं कि हिन्दू राजनैतिक संस्थाओं की प्रकृति एवं कार्य यहाँ के भूगोल जातीय विशेषतायें, सामाजिक संगठन एवं आर्थिक परिस्थितियों से बहुत कुछ प्रभावित थे।

जनसंख्या की बिखरी हुई बसावट राज्य के आकार की विविधता, संचार साधनों के अभाव एवं जातीय वर्गीय सामाजिक व्यवस्था के व्यवहार के कारण आदिकालीन भारत में प्रजातंत्र की भूमि तैयार न हो सकी। जाति एवं वर्गीय व्यवस्था की असमानता ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को अंकुरित नहीं होने दिया। डॉ. बेनी प्रसाद के मतानुसार जाति व्यवस्था ने कुलीनतंत्र को भी सरकार के एक रूप का स्तर प्राप्त न करने दिया अर्थात् प्रस्तुत काल की आर्थिक सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ ने प्रजातंत्र एवं कुलीनतंत्र के विपरीत राजतंत्र को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया।

आदिकाल से राज्य की उत्पत्ति तक समाज दो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरा जिनकी अराजक एवं वैराज्य नाम दिया गया था। एस.ए. डॉंगे के मतानुसार 'अपनी इस कौटुम्बिक अवस्था में मनुष्य सुखी था, लेकिन संचार साधनों के अभाव एवं जातीय वर्गीय व्यवस्था के कारण लोकतंत्र की पृष्ठभूमि तैयार न हो सकी, धर्म ने बिना सजा एवं राज्य के दीर्घकाल तक समाज की रक्षा की।'¹

2. वैदिक काल में लोकतंत्र – वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक प्रारंभिक वैदिककाल जिसमें ऋग्वेद की रचना का उल्लेख है और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसमें शेष तीनों वेद, तथा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद समेत ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रन्थ, उपनिषद् ग्रन्थ सूत्र ग्रन्थ, वेदांग और उपवेद आदि की रचना हुई। वैदिक साहित्य एक ऐसा स्रोत है, जिसमें यह प्रमाणित होता है कि भारत में अति प्राचीनकाल में राजनीतिक चेतना विद्यमान थी भारत में आर्यों का आगमन 2000 ई.पू. खैबर दर्रे के द्वारा मध्य एशिया में केस्पियन समुद्र झील के निकट के प्रदेश से हुआ। आरम्भ में आर्यों का अधिकार उत्तरी पश्चिमी भारत पर हुआ जिसे उन्होंने ब्रम्हवर्त के नाम से पुकारा सामाजिक जीवन की इकाई पितृ कुल था। ऋग्वेद कालीन भारत में सामाजिक संगठन का विकास क्रमिक रूप से हुआ। ग्रहों (परिवारों) से कुल बने, उसके बाद ग्राम बने ग्रामों के समूहों से विश बने उसके बाद जनों का निर्माण हुआ, अंत में राष्ट्र की उत्पत्ति हुई।

परिवार का मुखिया पुरुष होता था, कुल का कुलपति, ग्राम का ग्रामीण और विश का विशपति विश से बड़ा समूह जन कहलाता था। डॉ. बन्धोपाध्याय के मतानुसार विश एक प्रकार का सैनिक संगठन था, विश अनेक ग्रामों का समूह होता था प्रत्येक ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था, ग्राम आर्यों का सबसे छोटा सामाजिक व राजनीतिक समुदाय था, और जन सबसे बड़ा समुदाय था ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। डॉ. हरिश्चन्द्र शर्मा लिखते हैं कि 'इस समय सामंतवादी प्रवृत्तियाँ उभरने लगी थी। यहाँ राजन शब्द का प्रयोग कुलीन पुरुष के अर्थ में किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के चारों ओर कुलीन परिवार के लोग रहते थे, जिनका सामाजिक स्तर प्रायः एक जैसा ही रहा होगा।'² इस काल में साम्राज्य एवं सम्राट शब्द का उपयोग इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। डॉ. जायसवाल लिखते हैं कि- 'प्रारंभिक वैदिक साहित्य में केवल राजतन्त्र का ही उल्लेख किया गया है यह इसलिये हुआ होगा क्यों कि वैदिक युग के आरम्भ में केवल राजाओं के द्वारा ही शासन हुआ करता था। वैदिक युग के बाद यह शासन व्यवस्था छोड़ दी गई तथा भिन्न-भिन्न स्थानों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया।'³

उत्तर वैदिक कालीन, साहित्य में लोकतन्त्रीय शासन के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करता है, यद्यपि वैदिककाल में प्रचलित शासन पद्धति राजतंत्र थी, फिर भी कुछ लेखकों के मतानुसार उस काल के अंत में पूर्व गणतन्त्रीय शासन भी कुछ भागों में स्थापित हो गये थे ड्रेकमीयर के अनुसार सम्पूर्ण भारत राजतन्त्रीय था। आधुनिक दिल्ली और गंगा के क्षेत्रों में राजतन्त्रीय संस्थाएँ थी, परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में इस बात का संकेत मिलता है कि उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण भाग में लोकतन्त्रीय शासन था। जायसवाल ने इस विषय में लिखा है कि - 'भारत में गणतन्त्रीय पद्धति राजतंत्र के बहुत बाद और पूर्व वैदिक के बाद आई। इसका उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में मिलता है ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय में, यजुर्वेद में और उसके ब्राह्मण तैत्तिरेय में।'⁴

वैदिक साहित्य में राजा के निर्वाचन का उल्लेख मिलता, अथर्ववेद के एक मंत्र यथा-

'त्वा विशो वृणता, राज्याय त्वामिमः प्रदिशः

पंचदेवी वर्मन राष्ट्रस्य कुकुदि श्रयस्व

ततो न उद्या विभ जा वसूनि'⁵

अर्थात् प्रजा (विश) राज्य के लिये तुम्हें वरण करती है। सब दिशाओं

के लोग तुम्हारे वरण करते हैं, तुम राष्ट्र रूपी शरीर के सर्वोच्च स्थान पर आसीन हो और वहाँ रहते हुये उग्र शासन के समान रूप में सम्पत्ति का विभाजन करें।

उपरोक्त मंत्र से स्पष्ट है कि प्रजा जनता या विश राजा का वरण करती थी, और सब लोगों द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात ही राजा के निर्वाचन पर पक्की मोहर लगती थी। राजा अपने पद पर तभी तक रह सकता था, जब तक उसे अपनी प्रजा का विश्वास प्राप्त होता था। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है कि-

‘विश्वसता सर्वा का छन्तु मानवद्राष्ट्रम्’⁶ राजा का निर्वाचन ही इस युग में लोकतंत्रीय पद्धति का सूत्रपात माना जा सकता है। अथर्ववेद के अनुसार राज्य के शासन कार्य में सहायता देने के लिये गण थे। गण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 40 बार अथर्ववेद में एक बार और ब्राह्मण के कई स्थलों में प्रयुक्त हुआ। गण का मुख्य अर्थ है, समूह राज्य अथवा बहुत से लोगों के द्वारा होने वाला शासन गण शब्द से संसदीय का बोध होता है। गण जनता का एक ऐसा समूह या जो सभा के रूप में कार्यकरता था ‘गण’ जैसी व्यवस्था में सभा और समिति नामक दो संस्थायें थी।

‘सभा च मा समितिश्चवा प्रजापते दुहिरी संविदाने।

येना संगच्छा उपभा स शिक्षा ज्वातः वदानि पितरः संगतेषु’⁷

उपरोक्त मंत्र से स्पष्ट है कि सभा और समिति राजा निर्मित नहीं बल्कि ईश्वरकृत राजनीतिक संस्थायें थी जो राजा को समुचित परामर्श देने का कार्य करती थी, इन्हीं संस्थाओं का आधुनिक संसद प्राचीन भारतीय संसद कहा जा सकता है। लोकतंत्र में वयोवृद्धों के विचारों को शासन में यथोचित स्थान था उनकी सलाह मान्यता रखती थी, क्योंकि उसमें जीवनभर का अनुभव जुड़ा रहता था तथा उनसे राजनैतिक सुरक्षा की अपेक्षा की जाती थी।

समिति भी सम्पूर्ण विश की प्रतिनिधि संस्था थी जो वैदिक कालीन राजा का वरण, पदच्युति, एवं पुनर्वरण करती थी। विश से तात्पर्य सम्पूर्ण वयस्क नागरिकों से है। समिति में सम्पूर्ण वयस्क नागरिक एकत्रित होते थे जिसमें राजा भी सम्मिलित होता था, सभा और समिति के अतिरिक्त तीसरी और चौथी संस्था क्रमशः विद्वर्थ और सेना थी।

विद्वर्थ- यज्ञ यज्ञादि विषयक शुद्ध धार्मिक कृत्य करती थी, जबकि सेना का कार्य देश की रक्षा करना था।

डॉ. जायसवाल के मतानुसार **‘राज्य की उत्पत्ति जनतंत्र के रूप में ही हुई वैदिक काल में जनतंत्र पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे कालान्तर में इसमें कुछ दोष उत्पन्न होने के कारण शासन का स्वरूप लोकतंत्र की ओर झुका।’⁸**

वैदिक युग में इस बात पर जोर दिया गया था कि सभा और समिति के सदस्य परस्पर सहयोग से कार्य करें उनके मन तथा वाणी एक हो तथा उनके विचार विमर्श भी समान हो एवं उनके द्वारा निर्धारित नीति भी एक ही हो अर्थात् उनमें परस्पर सामूहिकता एवं एक रूपता का अधिवास हो।

अतः स्पष्ट है कि वैदिक काल में ही विचारकों ने मान लिया था कि राष्ट्र में सबका एक मत होना आवश्यक है और इसे महत्व भी इसलिये दिया जाता था ताकि राष्ट्र कमजोर न हो, क्योंकि सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं में सम्मिलित लोगों के मन चित्त एवं हृदय की पारस्परिक भिन्नता अन्ततः राष्ट्र के लिये घातक हो सकती थी।

3. महाकाव्य काल में लोकतंत्र - वैदिक कालीन आर्यों के बाद के

इतिहास के बारे में प्राचीन भारत के दोनो महाकाव्यों रामायण और महाभारत से काफी जानकारी प्राप्त होती है। इन महाकाव्यों ने मानवीय जीवन के लिये जिन उदात्त सिद्धान्तों और दृष्टांतों को प्रस्तुत किया है, उनके कारण ये महाकाव्य भारतीय जनमानस के प्रकाश स्तम्भ बन गये हैं। ऐतिहासिक ग्रन्थ होने के साथ-साथ ये भारत वर्ष के धार्मिक ग्रन्थ भी हैं महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की है।

महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसी दोनों ही राजतंत्र में विश्वास करते हैं, यही कारण है कि, रामायण का झुकाव राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की ओर ज्यादा दिखाई देता है। रामायण के प्रमुख राज्यों मिथिला, अयोध्या, किष्किन्धा और लंका में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देखा जा सकता है। यद्यपि रामायण में यत्र-तत्र गण शब्द का उल्लेख मिलता है परन्तु स्पष्टतः यह शब्द लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिये प्रयुक्त हुआ है या नहीं यह स्वतः सिद्ध नहीं है। लेकिन रामायण में मंत्री परिषद या लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अन्य अंग दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को अंशतः स्वीकार किया जा सकता है।

प्राचीन भारतीय शासन पद्धति और राजनीतिक विचारों के अध्ययन हेतु महाभारत एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। इसके शांति पर्व में जहाँ दण्ड नीति, राजशास्त्र, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्री और कर व्यवस्था आदि के विषय में विचार उल्लेखित हैं, तो वहीं इसके सभापर्व एवं आदि पर्व में क्रमशः सभा की रचना आपातकालीन जैसे सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है।

डॉ. हरिश्चन्द्र शर्मा जहाँ महाभारतकालीन शासन व्यवस्था को सामंतवाद और कुलीनतंत्र से प्रभावित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं वहीं दूसरी तरफ डॉ. उर्मिला मिश्रा इस काल में चार प्रकार के जनतंत्रीय शासन तथा राज्य, परमेश्वरीय राजा, गणराज्य एवं संघराज्य का अस्तित्व स्वीकार करती हैं।

महाभारत के शांतिपर्व में गणसंज्ञक शासन का उल्लेख आता है, जो उस समय प्रचलित थे भारत का उत्तरी-पश्चिमी भाग उस काल में इस प्रकार के राज्यों से परिपूर्ण था महाभारत में मुख्य रूप से 05 गणों का उल्लेख मिलता है। अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज जिन्होंने एक संघ के अंतर्गत अपने आपको संगठित किया था। शांतिपर्व के अध्याय 107 के अनुसार यहाँ गण से तात्पर्य सम्पूर्ण राजनीतिक समुदाय अथवा संसद से है, केवल शासक समूह से नहीं।

महाभारत के शांति पर्व में नारद और कृष्ण का सम्वाद गणराज्यों के संबंध में दिया हुआ है, जिसके अध्ययन उपरान्त यह ज्ञात होता है कि गणराज्यों में राजा नहीं होता था, और यदि होता भी था तो वह उस रूप में न होता था जिस रूप में राजतंत्रात्मक राज्यों में होता था। इस सम्वाद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता था कि अन्धक-वृष्णि गण राज्य के अध्यक्ष पद की प्राप्ति के लिये उग्र संघर्ष हो रहा था, इस गणराज्य में कई राजनैतिक दल थे, जिनमें प्रत्येक दल अपने राजनैतिक नेता को राज्य का अध्ययन बनाने के लिये प्रयत्नशील था। इस प्रकार के वर्णन के आधार पर यह विदित होता है कि इन गणराज्यों में अध्यक्ष पद पैतृक अधिकार पर आधारित नहीं था, अध्यक्ष पद की पूर्ति निर्वाचन पद्धति से होती थी, और निर्वाचन प्रवृत्ति लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण माना है।

इसी राज्य में सुधर्मा नामक सार्वजनिक सभा का भी उल्लेख मिलता है

जिसमें जनतंत्रात्मक राज्य के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य संचालन होता था।

उपरोक्त वर्णन से यह विदित होता है कि रामायण और महाभारत कालीन गणराज्य अपने नाम के वास्तविक लोकतांत्रिक राज्य थे जिनमें आधुनिक लोकतंत्रवाद के लगभग समस्त तत्व विद्यमान थे। डॉ. श्रीमती उर्मिला मिश्रा लिखती हैं कि :-

उपरोक्त सभी जनतंत्रीय राज्यों में वे सभी गुण विद्यमान थे जिन्हें आज लोकतंत्र के लिये आवश्यक माना जाता है।

4. जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के काल में लोकतंत्र - इस काल में दो नये धर्मों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसके बाद भारत पर एलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पूर्ववर्ती है, महावीर और बौद्ध समकालीन थे।

जैन ग्रन्थ आंचरंग सूत्र में 'दोरिज्याणी' एवं 'गणरायाणी' शब्दों का उल्लेख मिलता है, पहले शब्द का प्रयोग उन राज्यों के लिये किया जाता था जिनमें दो शासक शासन करते थे और दूसरे शब्द का प्रयोग उन राज्यों के लिये किया जाता था जिनमें गण या समूह का शासन होता था। डॉ. जायसवाल के कथानुसार ये शासन प्रणाली के व्याख्यात्मक शब्द हैं इससे स्पष्ट है कि महावीर के शासनकाल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बौद्ध धर्म एवं बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व बुद्ध के समय में भी भारत में लोकतांत्रिक राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख थे- शाक्य, लिच्छवि, विदेह, मल्ल, कोलि, मोरि, बुलि, मर्ग। मल्लों का संघ या पंचायती राज आधुनिक गोरखपुर जिले में था।

पाणिनि और कौटिल्य ने भी ब्रजियों का उल्लेख किया है। जातक की एक कथा में लिच्छवियों की राजव्यवस्था का वर्णन किया गया है। जिसमें लिच्छ शासकों को गणशासक अर्थात् लोकतंत्रीय शासक कहा गया है। लिच्छवी कुल 7707 की संख्या में थे सभी मिलकर अपना राजा, उपराजा और सेनापति चुनते थे। एक बौद्ध ग्रन्थ में लिखा हुआ है कि उन लोगो (वैशाली) में सभी लोग अपने आपको राजा समझते हैं सब कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, कोई किसी का अनुगामी नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि राज सभाओं में सभी लोगो को बोलने तथा मत देने का अधिकार प्रायः समान रूप से था। और प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिये लालायित रहता था कि अबकी बार मैं राजा बन जाऊँ।

श्रीरामचन्द्र वर्मा लिखते हैं कि 'महात्मा बुद्ध का जन्म ऐसे लोगो में हुआ था जो लोकतंत्र का भोग करते थे, उनके चारों ओर पड़ोस में संघ ही थे, और वे उन्हीं में पले थे। उन्होंने जिस वर्ग या समाज की स्थापना की थी उसका नाम भिक्षु संघ अथवा भिक्षुओं का लोकतंत्र रखा गया था।'

डॉ. परमात्माशरण उपाध्याय लिखते हैं कि 'बुद्ध ने अपने ही जीवनकाल में जीवन तथा प्रक्रिया के नियमों को विहित कर दिया था। प्रत्येक नियम से अपना लोकतंत्रीय स्वरूप प्रकट होता है। सभा में बैठने के क्रम को पहले से ही कोई ज्येष्ठ भिक्षु नियत करता था। गणपूर्ति के अभाव में कोई सभा वैध न होती थी। संघ की सभा में निर्णीत होने वाले प्रश्नों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता था, और वाद-विवाद के लिये साधारण नियम थे।'⁹

डॉ. के. पी. जायसवाल के अनुसार 'बौद्ध संघों की प्रणाली एवं संगठन तत्कालीन जनतंत्रीय राज्यों में प्रचलित प्रणाली पर ही आधारित थी इनमें अनेक परिभाषित शब्दों को इनकी व्याख्या किये बिना ही ले लिया गया था। साथ ही यह प्रणाली इतनी वैज्ञानिक थी कि इसके बनने में शताब्दियों का अनुभव मिलना आवश्यक था।'¹⁰

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बौद्धकालीन शासन व्यवस्थाओं पर समकालीन आचार्यों मनीषियों एवं परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपना धार्मिक संघ स्थापित करने में राजनीतिक संघ का नारा और साथ ही संघतण पर रचना प्रणाली ग्रहण की। इस प्रकार बौद्ध भूमि पर भी लोकतंत्र पल्लवित एवं पोषित हुआ।

5. पाणिनी में लोकतंत्र - समकालीन हिन्दू लोकतंत्र के निश्चित एवं तर्क संगत अध्ययन के लिये पाणिनी को विश्लेषित करना नितान्त आवश्यक है। पाणिनी के अभाव में हमारा ज्ञान अधूरा है। पाणिनी का समय ई. पू. 500 के लगभग माना जाता है। उन्होंने संघ शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या कर समकालीन लोगों को लोकतंत्र के प्रति दृढ़ आस्था को प्रकट किया है समिति के अनुसार संघ एक परिभाषिक शब्द है। जिससे राजनीतिक संघ का अभिप्राय सूचित होता है। अथवा जैसा कि स्वयं उसने कहा है वह गण या प्रजातन्त्र है।

पाणिनी संघों को आयुधजीवी एवं कौटिल्य शास्त्रीय जीवी नाम से संबोधित करते थे कुछ आयुधजीवी अर्थात् संघ या लोकतन्त्र। इस प्रकार है - वृक, दामिनि, कोडोपरथ, दांडकी, कौष जालमानि, ब्रह्मगुप्त, यौधेय, जानकी, पर्व, भद्रा, व्रजि, राजन्य, अंधक-वृष्णि, महाराज आर्ग, आदि, इस प्रकार पाणिनी के विश्लेषण में संघ और गण एक ही अर्थ के परिचायक माने गये, और लोकतंत्र के स्वरूप में दृष्टव्य हुये।

6. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोकतंत्र - प्राचीन भारतीय राजनीति के प्रमुख विचारक कौटिल्य ने सरकार के स्वरूप, संगठन एवं कार्यों के संबंध में बहुत कम कहा है, अर्थशास्त्र के समय तक भारत में राजनीतिक चेतना विकसित हो चुकी थी कि सामान्य जनता सरकार एवं राज्य का महल समझ सके, सरकार को अन्य सभी संस्थाओं से उच्च माना गया था। सैद्धांतिक दृष्टि से समस्त सामाजिक संगठनों को सरकारी यंत्र पर आश्रित बताया गया।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में संघों को दो रूपों में विभाजन किया है, पहले वे जिनके शासक राजा की उपाधि धारण करते थे ऐसे संघों में लिच्छविक, वृजिक, मल्लक, मद्रुक, कुकु, कुरु, पांचाल आदि और दूसरे वे जिनमें शासकों के लिये राजा की उपाधि धारण करने का कोई नियम नहीं था वे अपने शासकों को राजा की उपाधि धारण नहीं कर देते थे ऐसे संघों में कांभोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणी आदि थे।

कौटिल्य राजा को धर्मप्रवर्तक मानता था, उनके मत राजा को विद्वान् आत्मनियंत्रित सक्रिय, बहादुर एवं शाही मंत्रियों द्वारा सुसेवित होना चाहिए राजा के व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर करता था, इसलिए उसके उचित प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सरकार के संचालन लिये जिन सहायकों की आवश्यकता होती थी, उनके चयन एवं नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थशास्त्र में योग्यता को इन नियुक्तियों का मूल आधार माना गया है।

कौटिल्य के मतानुसार- अपनी प्रजा के हित में कार्य करना ही राजा का

वृत्त है सबके साथ समानता का व्यवहार ही उसका उच्चदान है इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र से स्पष्ट होता है कि तत्समय संघीय गणराज्य लोकतंत्रीय पद्धति से संचालित होते थे, और लोकतंत्रीय शासन प्रकृति प्रचलन में थी।

7. यूनानी चिन्तन एवं साहित्य में भारतीय लोकतंत्र – जिस समय सिकन्दर ने भारत वर्ष पर आक्रमण किया था उस समय अनेक लोकतंत्रीय शासन पद्धति वाले राज्य इस देश में विद्यमान थे। उस समय के इतिहासकारों ने तत्समय के लोकतंत्र को स्वाधीन, स्वराज्य भोगी, और स्वतंत्र आदि शब्दों से संबोधित किया है, जिससे उनका अभिप्राय लोकतन्त्र से ही था। स्ट्रेबों के लेखानुसार कतई जाति में जो सबसे सुन्दर होता था वही राजा चुना जाता था। अस्ट्रेस्तई, सौभूति, छद्क, मालब, शिवि, अगि सनेई, अस्पष्ट, मसिकनि, हचमनोई, पटल आदि लोकतांत्रिक राज्यों का उल्लेख उन्होंने किया है। यूनानी जगत का प्रथम यात्री जिसने चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में न केवल भारतीय वसुन्धरा पर कदम रखा, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बीच एक लम्बा समय वहीं व्यतीत किया उसने स्पष्ट किया है कि वैदिक युग के उपरान्त भिन्न-भिन्न स्थानों में लोकतंत्रीय शासन की स्थापना हो गई थी। उन्होंने शासन प्रणाली के स्वरूप के विचार से देश को दो भागों में विभाजित किया, एक वह जहाँ एक राजस्व प्रणाली थी, और दूसरा वह जिसमें प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली थी। सिद्धान्त रूप में तत्समय राजा सर्वशक्ति सम्पन्न होता था लेकिन सामूहिक मंत्री परिषद एवं प्राचीन परम्पराओं ने सदैव मौर्य शासकों की निरंकुशता पर अंकुश लगाये रखा।

यूनानी लेखकों के मतानुसार प्रस्तुत लोकतंत्रीय राज्यों में राजा या सभापति का अस्तित्व जो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता था। शासनाधिकार वृद्धों अथवा ज्येष्ठों की एक सभा जिसे पहल कहा जाता था उसमें निहित होता था। उन्होंने गण शब्द के प्रचलन को लोकतन्त्र का ही अभिप्राय बताया।

स्ट्रेबो के अनुसार— मुचीकर्ण में दास प्रथा मान्य नहीं थी, राज्यों में सभापति का अस्तित्व होता था जो निर्वाचित होता था, शासनाधिकार वृद्धों की सभा पहल में निहित थे। समस्त लोकतांत्रिक राज्यों में सभात्मक प्रणाली प्रचलित थी।

श्री रामचन्द्र वर्मा लिखते हैं कि- 'इससे प्रमाणित होता है कि ये सब शासन प्रणालियां उन छिन्न-भिन्न लोगों की विशिष्ट परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल और उपयुक्त थी जो उन राज्यों में रहते थे। उदाहरणार्थ सम्बन्धों के लोकतंत्र में एक द्वितीय मण्डल भी था जिसमें निर्वाचित वृद्ध या ज्येष्ठ लोग हुआ करते थे। ये लोग अपने सेनापति का भी निर्वाचन कर लिया करते थे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार था और यूनानी लोग इसी प्रकार की शासन प्रणाली की लोकतंत्र कहते थे।'¹¹

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिककाल से लेकर 5वीं ईसवी शताब्दी तक भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया। गण एवं संघ शब्दों के प्रचलन एवं संबंधित शब्दों के वास्तविक स्वरूप की जानकारी से संबंधित परवर्ती वैदिक साहित्य, ऋग्वेद के ब्राह्मण भाग, ऐतरेय और यजुर्वेद, और ब्राह्मण तैत्तिरीय, महाभारत का शांति पर्व, जैनधर्म का आचरंग सूत्र, बौद्ध साहित्य, पाणिनी, एवं कौटिल्य समेत मेगस्थनीज की दंत कथाओं से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में शासन का स्वरूप लोकतन्त्रीय था।

प्राचीन भारतीय प्रजातन्त्रों की सूची

क्र.	नाम	क्र.	नाम
1	अग्रश्रेणी	41	मर्ग
2	अंधक	42	पांचाल
3	अलब्रु	43	पितिनिक
4	अंध	44	पुलिन्द
5	अरट अरिष्ट	45	कठ
6	अवंदी	46	करपट
7	क्षद्रक	47	काक
8	कौडयरथ	48	कांबोज
9	गंधार	49	कुकुर
10	गोपालव	50	कुणिन्द
11	म्लीचुकापनक	51	मल्ल
12	आमीर	52	महाराज
13	आर्जुनामन	53	मालव
14	औदुंबर	54	मुचुकर्ण
15	उत्तरकुरु	55	मौडिनुकाय
16	उत्तरमद	56	कुरु
17	उत्सव संकेत	57	केरलपुरत
18	पहल	58	कोलिम
19	पश्व	59	कौडिमरथ
20	शाचिडिनीकाय	60	कौहिहिकि
21	सुराष्ट्र	61	भोज
22	सौभूति	62	भद्र
23	मौधक	63	मौडिग
24	राजन्य	64	मौन
25	जानकि	65	शाम्य
26	जालमामि	66	शायण्ड
27	त्रिगर्त	67	रालइकायन
28	दक्षिण मल्ल	68	शिवि
29	दांडिकि	69	भूद्र
30	दामिनि	70	सतियपुत
31	नामक	71	सल्वत
32	मीस	72	सनकानीत
33	नेपाल दैराज्य	73	सष्टिक
34	पुष्य मित्र	74	लिच्छिवि
35	प्रस्थल	75	वसाति
36	प्राजुन	76	वामरथ
37	बुली	77	विदेह
38	ब्राम्हगुप्त	78	वृक
39	ब्राम्हणक	79	वृजि
40	मंगल	80	वृष्णि

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. इकबाल डॉ नारायण 'भारतीय राजनीतिक विचार' ग्रन्थ विकास, जयपुर, 2001
2. शर्मा डॉ. हरिश्चन्द्र 'प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक विचार

- एवं संस्थायें' कॉलेज बुक डिपो, नई दिल्ली, 1969
3. शरण डॉ. परमात्मा 'प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें' मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1979
 4. डॉ. श्रीवास्तव एवं जोशी 'प्राचीन भारतीय राजनतिक चिन्तन एवं संस्थायें', कृष्णा प्रकाशन मंदिर, मेरठ, 1984
 5. सिन्हा डॉ. विनोद एवं सिन्हा रेखा 'प्राचीन भारतीय इतिहास एवं राजनीतिक चिन्तन' राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1989
 6. रस्तोगी डॉ. पी. 'प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन एवं संस्थायें' सुशील प्रकाशन, मेरठ, 1986
 7. बसु डॉ. दुर्गादास 'भारत का संविधान' 10वां संस्करण Lexix Nexis Gurgaon, 2013
 8. शर्मा डॉ. रामशरण 'प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें' राककमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017
 9. जायसवाल काशीप्रसाद 'हिन्दू राज्यतंत्र' विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2016
 10. गोपाल डॉ. लल्लनजी 'प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा'

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1999

फुटनोट:-

1. इंडिया फॉर कम्यूनिज्म टू स्लेवरी-एस.ए. डांगे पृष्ठ सं. 142
2. प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ डॉ. हरिश्चंद्र शर्मा
3. हिन्दू राज्य तंत्र के.पी. जायसवाल पृष्ठ सं. 16
4. हिन्दू राजतंत्र डॉ. के.पी. जायसवाल
5. अर्थवेद 3.4.2
6. ऋगवेद 10.173.1
7. अर्थवेद 7.12
8. हिन्दू राजतंत्र डॉ. के.पी. जायसवाल
9. प्राचीन भारत में राजनैतिक विचार एवं संस्थाएँ डॉ. परमात्मा शरण उपाध्याय
10. हिन्दू राजतंत्र डॉ. के.पी. जायसवाल पृ.सं.38
11. हिन्दू राजतंत्र डॉ. के.पी. जायसवाल, अनुवादक डॉ. रामचंद्र वर्मा

मालती जोशी की कहानियों में नारी संवेदना

डॉ. मंजुलता चौधरी*

* सह. प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाली मालती जोशी का जन्म 4 जून 1934 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के एक मध्यमवर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता सरकारी नौकरी में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। इनका स्थानान्तरण होता रहता था जिसका प्रभाव इनके बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। मालती जोशी अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उन दिनों जीव बहुत सामान्य था आवश्यकता थोड़ी थी। इसलिए बिना किसी समस्या के बचपन गुजर गया। इनका परिवार खुशहाल था पर धनाढ्य नहीं था। इनके पिता साहित्य प्रेमी थे उन्होंने चार पाँच कहानियाँ भी लिखी थी। मालती जोशी के परिवार का वातावरण पढ़ने लिखने की परम्परा का था। इसलिए इन्हें बचपन से ही लिखने का शोक था।

अपने छात्र जीवन से ही मालती जोशी साहित्य के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गई थी वे बताती हैं कि छात्र जीवन में गीतकार के रूप में काफी लोकप्रियता अर्जित की थी। लोग इन्हें मालवा की मीरा कहने लगे थे। कवि सम्मेलनों में बहुत प्रशंसा मिलती थी फिर गीतों का यह स्रोत सुख गया और मैंने तब कई विद्याओं में हाथ आजमाया। रेडियों के लिए झलकियाँ लिखी। व्यंग्य वातएँ लिखी। बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। 60 के दशक की अधिकतर रचनाएँ मालती जी की होती थी इन रचनाओं ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया।

अपने लेखन के बारे में वह स्वयं बताती हैं कि लिख तो वे काफी समय से रही थी। परन्तु 70 के दशक में धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में छपी उनकी एक कहानी ने उन्हें लेखन के क्षेत्र में स्थापित कर दिया। इन्हें छुट पुछ कहानियाँ भी लिखी जो सरिता, निहारिका, लहर, कादम्बिनी, मनोरमा आदि में छपी। दैनिक अखबारों के रविवारीय अंकों में भी उनकी कहानियाँ छपती थी। 1979 में नवम्बर में धर्मयुग में छपी कहानी ने मुझे अखिल भारतीय मंच पर स्थापित कर दिया।

मालतीजी की कहानियों के शीर्षक सांकेतिक, रोचक और अर्थ बोधक रहते हैं। इनकी कहानियों में हमें बिखरते परिवारों को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता का बोध मिलता है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति इनकी कहानियों से स्वयं को आत्मसात कर लेता है। मालती जोशी मूलतः रिश्तों की कथाकार हैं मध्यमवर्गीय परिवार इनकी कथा में मिलते हैं। संस्कारों से पूर्ण भारतीय नारी के सौन्दर्य, साहस और संवेदना को बड़ी ही खूबी से मालती जोशी ने अपनी कहानियों में उकेरा है।

मालतीजी के कथा साहित्य में आधुनिक युग की पढ़ी लिखी नारी जो पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व की खोज में लगी रहती है वह अपने परिवार के प्रति समर्पित होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ भी है। किन्तु जब

उसके इस समर्पण और त्याग को नजर अंदाज कर दिया जाता है तो वह निराश नहीं होती उसमें यह आशा रहती है कि मेरे इस त्याग और समर्पण को परिवार कभी तो समझेगा। इनकी कहानियाँ बेहद साधारण परिवेश से निकली हैं जो इनके नारी पात्र को असाधारण बनाती हैं। इनके नारी पात्र समस्या से जुझते हुए जिन्दगी जीते हैं किन्तु परिवार में कड़वाहट नहीं घोलते वे कथा में जीवन को सहज, सरल बनाने का प्रयास करते हैं। मालती जी के नारी पात्र बगावत नहीं करते बल्कि वे जिन्दगी को सहज रूप से जीने की राह चुनने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। यही पात्र रिश्तों के कारण आत्मसात और सरल परिवेश का निर्माण करते हैं। यही मालतीजी की कहानियों की विशेषता भी है।

मालती जोशी ने प्रमुख रूप से कथा साहित्य ही लिखा है। जिसमें कहानी, उपन्यास और बाल साहित्य हैं। कहानी में मालती जोशी के लगभग दस कहानी संग्रह हैं। पाषाण युग (1976), मध्यान्तर (1977), पटाक्षेप (1978), पराजय (1979), मन न भये दस बीस (1981), मालती जोशी की कहानियाँ (1985), बोल री कठपुतली (1985), एक घर सपनों का (1985), विश्वास गाथा (1985), आखिरी शर्त (1991), मोरी रंग दी चुनरियाँ (1992), अंतिम संक्षेप (1994), एक सार्थक दिन (1995), शापित शैशव (1996), बाबुल का घर (1999), पिया पीर न जानी (1999), औरत एक रात (2001), रहिमन धागा प्रेम का, परख, वो तेरा घर ये मेरा घर, अपने अपने आँगन की छँव (2003) आदि।

इसी प्रकार मालतीजी ने उपन्यासों का भी सृजन किया:- समर्पण का सुख (1976), सहचारिणी (1979), शोभायात्रा (1985) इन्होंने एक गीत संग्रह भी लिखा- मेरा छोटा सा अपनापन।

मालती जोशी की प्रमुख कहानी संग्रहों में नारी चित्रण

आखिरी शर्त – कहानी संग्रह में सात कहानियाँ हैं आखिरी शर्त, शुभकामना, कोउ न जाननहार, संवेदना, साथी, औकात, खेल खेल में। इस संग्रह की कहानियों में रुढ़ियों से मजबूर नारी का चित्रण, परिवार के आंतक से त्रस्त नारी का चित्रण, विधवा नारी का तनावों से उभरते सुख का चित्रण, बुढ़ापे तक एक दुसरे के साथ का चित्रण, अर्थाभाव के कारण परिवार की ओर से अन्याय और अपमान का चित्रण इस कहानी संग्रह के प्रमुख कथ्य हैं।

मोरी रंग दी चुनरियाँ – इस कहानी संग्रह में चार कहानियाँ हैं। सती, मोरी रंग दी चुनरियाँ, यातना चक्र, आखिरी सौगात, आदि। इन कहानियों में मालतीजी ने नारी की मानसिकता का चित्रण किया है। जो विधवा स्त्री के साथ हमेशा होत रहता है। सती कहानी में नीलम का पति एक अज्ञात बिमारी

से ग्रसित है। इस कारण घर का वातावरण अच्छा नहीं है। नीलम अपने पति की दिन रात सेवा करती है। एक दिन जब नीलम की विधवा भाभी उससे मिलने आती है तब उसे पता चलता है कि परिवार वाले उसके विधवा होने पर उसे यातना देते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं। हमारे समाज में विधवा होने पर, होने वाले आत्यचार और अन्याय को जानकर नीलम डर जाती है। उसे लगता है के अगर उसके पति को कुछ हो गया तो उसके साँप भी यह सब होगा। यह सोच कर नीलम आत्महत्या का निष्पत्ति ले लेती है। कोउ न जाननहार में विधवा नारी की संवेदना को बताया है जो अपने ही माता पिता के घर में सब कुछ न्योछावर कर देती है उसे अपने ही परिवार में माँ की घृणा, तिरस्कार, स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार संदर्भहीन कहानी में शोभा की व्यथा का चित्रण है जो विधवा होने के उपरान्त भी खोखली जिन्दगी जीने को मजबूर है। शोभा की मनः स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि वह किसी का प्यार करना भी सहन नहीं कर पाती है। इस कारण वह अजनबी लोगों के बीच रहने की चाह रखती है।

बोल री कठपुतली- इस कहानी संग्रह में नौ कहानियाँ हैं। प्रश्नों के भंवर, अक्षम्य, सन्नटा, हमको दियो परदेस, परायी बेटी का दर्द, बोल री कठपुतली, रानियों, आवारा बादल, कोख का दर्प आदि। ये कहानियाँ नारी शिक्षा की समस्या को लेकर लिखी गयी हैं। सन्नटा और रानियाँ कहानी में आधुनिक परिवेश में नारी की अधिक शिक्षा के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या का चित्रण मिलता है। प्रश्नों के भंवर में अनमेल विवाह का चित्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सुनील की पत्नी का मानसिक स्तर से जूझने की स्थिति का चित्रण है। अक्षम्य कहानी में श्याम अपनी पत्नी बिन्दु को अयोग्य मानकर उससे तलाक लेकर गीता से शादी कर लेता है। उसके बाद भी वह दुखी ही रहता है। परायी बेटी का दर्द कहानी में गीता उसके पति की ना पसन्द पत्नी है और गीता को नापसंद बनकर रहना अच्छा नहीं लगता है। इस कारण वह खुदकुषी कर लेती है। टूटने से जुड़ने तक, कुहासे, मन धुआँ, साथी, कल्चर आदि कहानियों में मालती जोशी ने दाम्पत्य जीवन जीने वाली नारी की मनः स्थिति का चित्रण किया है।

अंतिम संक्षेप- इस कहानी संग्रह में आठ कहानियाँ हैं। अंतिम संक्षेप, क्षरण, मान-अपमान, छीना हुआ सुख, अपने अपने दायरे, सन्नटा ही सन्नटा आदि। इन कहानियों में बुढ़ापे की समस्या का चित्रण मिलता है। अंतिम संक्षेप में पति पत्नी के झगड़ें में माँ को दोषी बताया जाता है। जिससे माँ अपने बेटे के घर से चली जाती है और बेउम्मीद के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बन्द कर देती है। क्षरण कहानी में विमलजी सेवानिवृत्त होकर बेटे के घर रहने आती हैं किन्तु उसे अपने बेटे के घर परायों जैसा व्यवहार मिलता है इस कारण वह तनाव ग्रस्त माहौल में अपना जीवन व्यतीत करती है। मान अपमान कहानी में माँ अपना पुरानी कामवाली को घर लाती है। जिसने उसके पुत्र को ग्यारह साल तक अपने पुत्र की तरह पाला। वही बेटा डिप्टी हो जाता है माँ जब अपनी बहु से उस कामवाली के पैर छुने को कहती है तो उसे अपमान लगता है और वह यह सारी बातें अपने पति को कहती है। बेटा माँ से कहता है कि आपकी बहु अमीर परिवार की है वह काम वाली के पैर नहीं छुएगी। इस प्रकार जिसने ग्यारह वर्षों तक उसे अपने बेटे की तरह पाला वह उसका अपमान करके चला जाता है।

इसी प्रकार मालतीजी के अन्य संग्रह जैसे औरत एक रात है, बाबुल का घर, हादसे और होसले, मालती जोशी की लोकप्रिय कहानियाँ, मिलियन डॉलर नोट तथा अन्य कहानियाँ। इन सब कहानियों में मालतीजी ने नारी के

प्रत्येक रूप का चित्रण किया है। मालतीजी ने जिस प्रकार से नारी का चित्रण किया है वह पाठकों के मन की गहराई में उतर जाता है।

मालतीजी की कहानियाँ सजग और परिवारिक होते हुए भी समाज को बड़ा संदेश देती हैं। इनकी अधिकतर कहानियाँ नारी प्रधान हैं। इनकी नारी अबला नहीं हैं वे स्वच्छन्द, शहरी, कामकाजी और यथार्थ के धरातल पर जीने वाली हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों की आम समस्याएँ, दैनिक जीवन की जद्दोजहद और मन के भावों को बहुत ही संवेदनशील अंदाज में प्रस्तुत करना मालती जोशी की खासियत रही है। इन्होंने लेखन के प्रति अपने सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया है। मालती जोशी ने अपनी कहानियों में स्त्री के मन की थाह ली है मध्यम वर्गीय परिवार की कथा कहते हुए स्त्री मन, उसके संघर्ष, उसकी जीविवशा और उसकी शक्ति का सबको परिचय कराती है। यही कारण है कि पाठक इनकी कहानियों से जुड़ जाता है। मालती जी नारी के चित्रण में मनोवैज्ञानिक कथाकार भी हैं।

मालतीजी की कहानियाँ हमारी जिन्दगी के आस पास के ताने बाने से बुनी हैं इस कारण पाठकों को अपनी सी लगती है। इनकी कहानियाँ सामाजिक संदेश देने के साथ साथ जीवन को किस प्रकार जिया जाए का संदेश भी देती हैं मानवीय संवेदना के सूक्ष्मतरंग स्पन्दनों को अपने शब्दों में बाँधने की क्षमता रखने वाली मालती जोशी अपनी सहज प्रवाहमयी भाषा शैली के माध्यम से पाठकों के मन की गहराई में उतर जाती हैं। मालतीजी की कहानियाँ समाज के हर वर्ग के लिए हैं जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों को मालतीजी ने अपनी कहानी में स्थान दिया है। वह कहती है :- कि मैंने रमणीय क्षणों व छोटी छोटी अनुभूतियों को कहानियों में पिरोया है ये अनुभूतियाँ कभी अपनी तो कभी अपनों कह रही हैं। आपने अपने आस पास बिखरे जगत के सुख दुख को अपना मान कर कहानियों में बताया है इस कारण इनकी अधिकतर कहानियाँ में से शुरू होती हैं।

मालतीजी ने अपनी कहानियों में नारी का चित्रण बहु, बेटी, पत्नी, प्रेमिका, माँ, भाभी, बुआ, सास आदि रूपों किया है इनकी कहानियों में नारी स्वतन्त्रता का पक्षधर है। हन्होंन नारी के दर्द का कुशल चित्रण किया है। उनकी कहानियों की नारी अविवाहित, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्तर पर जुझती हुई मिलती है।

मालतीजी ने एक इन्टरव्यू में स्वयं कहा था हिन्दी साहित्य में देह का विमर्श और बोलडनेस बढ गया है। किन्तु मैं पारिवारिक कहानियाँ कहती हूँ उन्होने कहा थ कि नारी कहानियों में आपको कहीं बेडसीन नहीं मिलेगा, मैं जितना परहेज अपने बहु बेटे के कमरे में जाने से करती हू उतना ही अपने पात्रों के बेडरूम में जाने से करती हू। वे साफ कहती हैं कि नारीवाद के नाम पर हमेशा नारेबाजी होती है। उसके बजाए विनम्रता से भी सित्रियों का पक्ष रखा जा सकता है।

मालतीजी की कहानियाँ संवाद शैली में हैं जिसमें जीवन की मार्मिक संवेदना, दैनिक जीवन के क्रिया कलाप और वातावरण की बड़ी सुघडता से चित्रण मिलता है हिन्दी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली मालती जी ने अपनी कहानियों में नैतिकता को स्थापित करने में सहयोगी रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मालती जोशी की लोकप्रिय कहानियाँ, प्रभात पेपर बैक्स, नई दिल्ली।
2. प्रतिनिधि कहानियाँ किताबधर, प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. इन्टरनेट।

बस्तर दशहरा का जनजातीय समाज एवं स्थानीय लोगों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

डॉ. मीनाक्षी तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (अतिथि) (अर्थशास्त्र) बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा और विशिष्ट लोक-पर्व है, जो लगभग 75 दिनों तक चलता है। यह केवल धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। इस पर्व से जनजातीय परंपराएँ, कला, संस्कृति, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। इस शोध में बस्तर दशहरा के सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है, तथा यह देखा गया है कि यह पर्व कैसे जनजातीय पहचान, सामाजिक एकता और आजीविका का माध्यम बन गया है।

प्रस्तावना – भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में बस्तर दशहरा एक अद्वितीय उदाहरण है, जहाँ देवी-देवताओं की पूजा के साथ-साथ आदिवासी परंपराओं, लोककला और लोकविश्वासों का समागम दिखाई देता है। यह पर्व न तो केवल 'राम' या 'रावण' से जुड़ा है, बल्कि देवी 'माई दंतेश्वरी' की आराधना का प्रतीक है।

उद्देश्य – इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि बस्तर दशहरा कैसे बस्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, तथा इसका स्थानीय जनजातीय समाज के सांस्कृतिक पुनर्जीवन में क्या योगदान है।

अनुसंधान प्रश्न:

1. बस्तर दशहरा का जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2. इस पर्व से स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं?
3. यह पर्व बस्तर के पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग को कैसे प्रभावित करता है?
4. आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव में बस्तर दशहरा की क्या स्थिति है?

बस्तर दशहरा का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – बस्तर दशहरा का आरंभ लगभग 618 वर्ष पूर्व बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में हुआ माना जाता है। यह पर्व देवी दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा है, जो बस्तर राज्य की कुलदेवी मानी जाती हैं।

कहानी – बस्तर के तात्कालिक राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ स्वामी के भक्त थे। प्रभु के दर्शन करने के लिए उन्होंने बस्तर से जगन्नाथ पुरी तक दंडवत यात्रा की थी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से जगन्नाथ स्वामी बेहद खुश हुए थे। जब राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तो मंदिर के प्रमुख पुजारी को स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने कहा कि राजा की भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उपहार स्वरूप उन्हें रथपति की उपाधि दी जाए। एक रथ भी भेंट किया जाए। इसके बाद अगले दिन पुजारी ने इसकी जानकारी राजा पुरुषोत्तम देव को दी। पुजारी ने पुरी में ही उन्हें रथपति की उपाधि दी और 16 चक्कों का विशाल रथ भी भेंट किया था। जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया था।

आयोजन की विशेषताएं:

1. यह पर्व 75 दिनों तक चलता है।
2. प्रमुख अनुष्ठान रथयात्रा, डेरोही, रथ खींचना, जोगी बिठाई, बाईटे पूजा, नवरात्रि पूजा आदि।
3. इस पर्व में 80 से अधिक जनजातीय समुदाय शामिल होते हैं।
4. प्रत्येक जनजाति की अपनी भूमिका होती है, जैसे – रथ निर्माण, पुजारी कार्य, नर्तक दल, देव बोलावना आदि।

वर्षों 75 दिन चलता है उत्सव:

1. दरअसल, हरेली अमावस्या से बस्तर दशहरा की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन पाट जात्रा विधान किया जाता है। जंगल से रथ निर्माण के लिए लकड़ियां लाई जाती हैं और उनकी पूजा होती है। इसके बाद रथ निर्माण कार्य शुरू होता है। इसके बाद दूसरे जंगल से लकड़ी लाकर डेरी गढ़ाई की रस्म होती है।
2. जहां देवी की पूजा की जाती है। इन दोनों रस्मों के बीच करीब डेढ़ महीने का अंतर होता है। इसके करीब 15 दिन बाद काछनगादी की रस्म होती है और विधिवत रूप से बस्तर दशहरा शुरू हो जाता है। इसके चलते बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता माना जाता है।
3. नवरात्र से ठीक एक दिन पहले बस्तर राज परिवार के सदस्य काछनगुड़ी जाकर काछन देवी से बस्तर दशहरा मनाने और रथ परिक्रमा की अनुमति लेते हैं। काछनदेवी को रण की देवी भी कहा जाता है। पनका जाति की एक कुंवारी कन्या देवी का अनुष्ठान करती हैं। पिछले 22 पीढ़ियों से इसी जाति की कन्या यह रस्म अदा कर रही है। उस पर देवी सवार होती हैं। इसके बाद बेल के कांटों से बने झूले पर झूलकर राज परिवार के सदस्यों को दशहरा मनाने की अनुमति दी जाती है।

सामाजिक प्रभाव

सामुदायिक एकता – बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता का प्रतीक है। विभिन्न जनजातियाँ कृ. मुरिया, माड़िया, गोंड, हल्बा, भतरा आदि – एक साथ आकर इस पर्व में भाग लेती हैं, जिससे सामाजिक एकजुटता मजबूत होती है।

क्र.	समुदाय/जनजाति का नाम	मुख्य भूमिका/योगदान
1	मुरिया	रथ खींचना, नृत्य-गीत, देवी की सेवा में भागीदारी देवी
2	माड़िया	दंतेश्वरी को बुलाने, पूजा-अनुष्ठान में भाग
3	गोंड	पूजा, वाद्य यंत्र व पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन
4	हल्बा	व्यापार, खाद्य सामग्री, रथ सजावट में सहयोग
5	भतरा	सांस्कृतिक कार्यक्रम, रथयात्रा में भागीदारी
6	धुरवा	पारंपरिक वेशभूषा व देवी पूजन में भूमिका
7	परजा	हस्तशिल्प, वस्त्र निर्माण और मेले में बिक्री
8	कोया	पूजा व धार्मिक परंपराओं में भाग
9	भुमिया	भूमि देवी की आराधना व पूजा विधि में भूमिका
10	डोकरा/घड़किया	रथ, मूर्तियाँ व पूजा सामग्री का निर्माण
11	लोहार	रथ के लोहे के हिस्से, औजार निर्माण
12	सुतार	रथ निर्माण व सजावट के कारीगर



बस्तर दशहरा... कब कौन सी रस्म होगी

- 5 सितंबर: देवी मंगलई पूजा विधान।
- 21 सितंबर: काखनगाटी पूजा विधान।
- 22 सितंबर: कान्हर स्वापना पूजा विधान।
- 23 सितंबर: ओगी विंदाई पूजा विधान।
- 24 सितंबर: सोमवार हर दिन सवराजि पूजा और रथ परिक्रमा पूजा विधान।
- 29 सितंबर: सुबह 11 बजे फेल पूजा।
- 30 सितंबर: महाअष्टमी पूजा विधान और निराज आजा पूजा विधान।
- 1 अक्टूबर: कुंवासे पूजा विधान और ओगी उठाई पूजा विधान, सावली परचाव।
- 2 अक्टूबर: गीतर देवी पूजा विधान और रथ परिक्रमा पूजा विधान।
- 3 अक्टूबर: बाहर देवी पूजा विधान और रथ परिक्रमा पूजा विधान।
- 4 अक्टूबर: सुबह काखन आजा पूजा विधान के बाद दोपहर में मुरिया दरबार का आयोजन।
- 5 अक्टूबर: कुदुब आजा पूजा विधान में शाम देवी-देवताओं की विंदाई की जाएगी।
- 7 अक्टूबर: सावली माता की डोली की विंदाई पूजा विधान के साथ ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व समाप्त होगा।



पारंपरिक ज्ञान एवं संस्कृति का संरक्षण - लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हस्तकला, वेशभूषा आदि के प्रदर्शन से स्थानीय संस्कृति का संरक्षण होता है। युवा पीढ़ी इन परंपराओं से पुनः जुड़ती है।

1. बेड़ा-उमड़ और झाड़-उमर गांव के ग्रामीणों को रथ निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे बस्तर में सिर्फ इन्हीं दो गांव के ग्रामीण मिलकर पीढ़ियों से रथ निर्माण करते आ रहे हैं। बस्तर के माचकोट के जंगल से साल, बीजा की लकड़ी लाई जाती है। इसी से रथ का निर्माण किया जाता है।
2. रथ बनाने वाले बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। इन्हें परंपरा से अवगत करवाया जाता है। नवरात्र की सप्तमी तक 4 चक्कों वाले फूल रथ की परिक्रमा होती है। नवमी और विजयादशमी के दिन 8 चक्कों के विजय रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। रथ सिर्फ किलेपाल गांव के ही ग्रामीण खींचते हैं।

लैंगिक भूमिका - इस पर्व में महिलाएँ भी पूजा, नृत्य, सजावट और व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करती हैं, जिससे सामाजिक समावेशिता बढ़ती है।

आर्थिक प्रभाव

स्थानीय रोजगार और आय का स्रोत - दशहरा के समय हजारों लोग बस्तर पहुँचते हैं। इससे स्थानीय व्यापार, परिवहन, होटल, भोजनालय और हस्तशिल्प की बिक्री में वृद्धि होती है।

1. लकड़ी, बांस, धातु और मिट्टी के उत्पादों की बिक्री होती है।
2. स्थानीय युवाओं को अस्थायी रोजगार मिलता है।
3. क्षेत्र के पर्यटन आंकड़ों में बताया गया है कि बस्तर में '2021 में 1 लाख से अधिक पर्यटक थे, जबकि 2024 में 40 लाख से अधिक' हो गए।
4. आयोजन के लिए बजट और विकास निवेश के संकेत मिलते हैं - उदाहरण के लिए 2022 में ₹85.75 लाख का बजट माँगा गया था।
5. बाकी काफी जंकारिया उपलब्ध न होने के कारण हम एक अंदाजन आकड़ा निकाल सकते हैं बस्तर दुर्घट्य के आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए।
6. एक अनुमानित उदाहरण रु मान लें कि 2025 में इस उत्सव में 50,000 अनूठे बाहरी आगंतुक आए (यह सिर्फ उदाहरण है)। माना कि प्रति आगंतुक औसतन रु 3,000 प्रति दिन खर्च करते हों, और उनकी औसत ठहराव 2 दिन हो।

प्रति-व्यक्ति खर्च रु 6,000। प्रत्यक्ष पर्यटन व्यय = 50,000 x रु 6,000 = रु 30 करोड़। यदि इंडायरेक्ट एवं इनड्यूस्ड प्रभाव के लिए मल्टीप्लायर = 1.7

(उदाहरण) कुल प्रभाव रु 30 करोड़ x 1.7 = रु 51 करोड़।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था - यह पर्व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन से जुड़े व्यवसाय जैसे गाइडिंग, आवास, सांस्कृतिक प्रदर्शनी आदि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हैं।

भारत के बाहर और भारत के अलग अलग कोनों से लोग इस पर्व में शामिल होते हैं जिससे बस्तर ओर पास के गाँव में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है।

बस्तर दशहरा के दौरान लगने वाले मेलों में 'बस्तर आर्ट' डोकरा कला, टेराकोटा, बांस-काष्ठकला की मांग बढ़ती है। इससे शिल्पकारों की आय में वृद्धि होती है।

चुनौतियां एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य

व्यवसायीकरण – पर्यटन और बाजारवाद के कारण पर्व के कुछ पारंपरिक स्वरूप बदल रहे हैं। धार्मिकता के स्थान पर मनोरंजन और व्यावसायिक गतिविधियों पर जोर बढ़ा है जैसे पहले सिर्फ कुछ ही जातियों और वर्ग के लोगों को रथ खींचने की अनुमति मिलती थी पर अब खींचने के दौरान काफी और लोग भी शामिल हो जाते हैं। कुछ श्रोत तो ये कहते हैं की बस्तर के राज्य ने बस्तर के हर जनजातियों को इसस मेले में शामिल करने के लिए हर जनजाति को अलग अलग काम सओपे थे जो आज भी काफी हद तक उन्ही बरगो द्वारा की जाती है।

आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष – नई पीढ़ी में पश्चिमी प्रभाव बढ़ने से कुछ लोक परंपराएँ कमजोर पड़ रही हैं। हालांकि प्रशासन और सांस्कृतिक संस्थान संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को बकरों और मछलियों की बाली से खेद है तो कुछ को राजस्थानी और उनको मिलने वाली प्रतिसठा से।

पर्यावरणीय प्रभाव – बस्तर दशहरा में हर साल नया रथ बनाने के लिए हर साल करीब 200 से अधिक पेड़ काटे जाते हैं। इस तरह से काटे जाने वाले पेड़ों के चलते आने वाले समय में साल के पेड़ों की कमी नहीं हो इसके लिए बस्तर जिले में वर्ष 2021 में क्षतिपूर्ति पौधरोपण की शुरुआत की गई थी। वन विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना अब तक सफल रही है। लगातार पौध रोपण की मांग के बाद वन विभाग ने इस योजना के तहत अब तक साल के साथ ही अन्य वैरायटी के 915 पौधे लगाए हैं जो लगातार देखभाल के चलते इस समय हरियाली फैला रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में एक छोटा जंगल तैयार हो जाएगा।

जगदलपुर फारेस्ट अधिकारी ने बताया कि क्षतिपूर्ति योजना के तहत माचकोट परिक्षेत्र के बोदामुण्डा गांव में साल 2021 में 365 पौधे, साल 2022 में 300 और माचकोट परिक्षेत्र के नकटी सेमरा में साल 2024 में 250 पौधे लगाए गए। इस साल भी नकटी सेमरा में लगभग 250 पौधे लगाए जाने की योजना है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के जगन्नाथपुरी

में हर साल तीन रथ बनाए जाते हैं इसके लिए हर साल वहां पर भी 200 से अधिक पेड़ों की कटाई की जाती है। इसके बदले में करीब चार गुना पौधे लगाए जाते हैं। बस्तर जिले में इस योजना की मांग सालों से की जा रही थी।

निष्कर्ष – बस्तर दशहरा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जीवनरेखा है। इस पर्व ने जनजातीय समाज को एकजुट किया है, सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा है, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है।

यद्यपि आधुनिकता और व्यावसायीकरण ने इसके पारंपरिक स्वरूप को प्रभावित किया है, परंतु इसका मूल स्वर – 'जनजातीय एकता, श्रद्धा और संस्कृति' आज भी जीवित है।

सुझाव :

1. स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को सरकारी व निजी सहायता मिले।
2. पर्यटन का विकास पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित हो।
3. पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया जाए।
4. युवाओं को लोककला संरक्षण में प्रोत्साहन मिले।
5. पर्यावरण का ध्यान रख कर सारे पर्व मनाए जाए।
6. पर्व के बारे में आचे से जानकारी और आँकड़े आम लोगों तक पहुंचे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बस्तर जिला गजेटियर, छत्तीसगढ़ शासन।
2. शर्मा, आर. के. (2018). छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और संस्कृति। रायपुर लोक संस्कृति संस्थान।
3. "Bastar Dussehra: The Longest Festival in the World" – Chhattisgarh Tourism Department Report (2022).
4. Mehta P- (2020)- Socio&Economic Impact of Tribal Festivals in India- New Delhi: Sage Publications.
5. दैनिक भास्कर

माँ महामाया मंदिर, अम्बिकापुर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनिक महत्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अंजू तिवारी* अभिषेक वर्मा**

* सह प्राध्यापक (इतिहास) सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** शोधार्थी, सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश - यह शोध पत्र अम्बिकापुर स्थित माँ महामाया मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनिक महत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। माँ महामाया मंदिर न केवल स्थानीय जनता के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य में धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। इस मंदिर की स्थापत्य कला, धार्मिक परंपराएँ, वार्षिक मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इसे एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर बना दिया है।
शब्द कुंजी- माँ महामाया मंदिर, अम्बिकापुर, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य कला, नवरात्रि मेला, स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन विकास, श्रद्धालु।

प्रस्तावना - भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएँ प्राचीन काल से ही विविधता एवं गहराई से परिपूर्ण रही हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट धार्मिक आस्थाएँ, लोक परंपराएँ और ऐतिहासिक विरासत रही है, जिन्होंने भारतीय समाज को एक गहन सांस्कृतिक एकता में बाँधा है। इन्हीं परंपराओं में शक्ति उपासना का विशेष स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का अम्बिकापुर नगर, जिसे प्राचीन काल में 'सुरगुजा राज्य' के नाम से जाना जाता था, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल रहा है। इस क्षेत्र में स्थित माँ महामाया मंदिर न केवल स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि यह मंदिर प्राचीन काल से चली आ रही शक्ति साधना और देवी उपासना की एक जीवंत परंपरा को आज भी संजोए हुए है।

ऐतिहासिक परीक्षण से ज्ञात होता है कि माँ महामाया मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। उस काल में यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के अधीन था, जिन्होंने देवी उपासना को राज्य की धार्मिक व्यवस्था का केंद्र बनाया। मंदिर की स्थापत्य कला में नागर शैली के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो उस युग की कलात्मक उत्कृष्टता और धार्मिक भावना को दर्शाते हैं। प्राचीन काल से ही यह मंदिर धार्मिक यात्राओं, नवरात्रि उत्सवों, मेला-परंपरा और सामुदायिक एकजुटता का प्रतीक रहा है।

शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य- माँ महामाया मंदिर अम्बिकापुर की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। यह मंदिर सरगुजा रियासत की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित है और यहां की लोक आस्था तथा पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। आधुनिकता एवं वैश्वीकरण के इस युग में पारंपरिक धार्मिक स्थलों का महत्व धीरे-धीरे बदल रहा है, इसलिए ऐसे प्राचीन स्थलों का गहन अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इस शोध का उद्देश्य माँ महामाया मंदिर के ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करना तथा स्थानीय समाज में इसकी भूमिका को समझना है। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं, किंवदंतियों,

पूजा-पद्धतियों और राजपरिवार के योगदान का विश्लेषण कर इसे धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना इस शोध का प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही, शोध के माध्यम से यह भी जाना जाएगा कि यह मंदिर किस प्रकार क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है और इसकी परंपराएं किस प्रकार आज भी जनमानस में जीवित हैं। मंदिर की महत्ता को दस्तावेजी रूप देना तथा इसके संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना इस शोध कार्य की मुख्य आवश्यकता एवं उद्देश्य हैं।

परिचय- माँ महामाया का मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के अम्बिकापुर नगर के नवागढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसी महामाया अथवा अम्बिका देवी के नाम पर ही जिले के मुख्यालय का नाम 'अम्बिकापुर' रखा गया। मान्यता के अनुसार अम्बिकापुर स्थित महामाया मंदिर में देवी का धड़ विराजमान है, जबकि देवी का सिर बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में प्रतिष्ठित है। वर्तमान मंदिर का निर्माण सरगुजा राज्य के राजा रघुनाथ शरण सिंह देव ने सन् 1910 में कराया था। उसी समय एक पक्का कुआँ भी बनवाया गया था। इससे पहले माँ महामाया एक साधारण चबूतरे पर विराजमान थीं। उस समय जब राजपरिवार के लोग पूजा करने जाते थे तो वहाँ एक बाघ बैठा रहता थाय सैनिकों द्वारा बाघ को हटाए जाने के बाद ही दर्शन संभव हो पाता था। महामाया के शीष का निर्माण ग्राम ऊँचडीह के कुम्हारों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी से किया जाता है, जिस पर मोम की परत चढ़ाई जाती है। प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार, पिंडारी लुटेरों द्वारा मूर्ति को चुराने के प्रयास में सिर काटकर रतनपुर ले जाया गया। रतनपुर के राजा रतनदेव को स्वप्न में देवी ने संदेश दिया, जिसके बाद लुटेरों का वध कर शीष को रतनपुर मंदिर में स्थापित किया गया।

इतिहासकार गोविंद शर्मा के अनुसार, रतनपुर और अम्बिकापुर दोनों मंदिरों में देवी को युगल रूप में स्थापित करने के लिए सिंहदेव परिवार की भगवती देवी ने मिर्जापुर से विंध्यवासिनी की प्रतिमा मंगवाई। माँ महामाया

की पूजा में आज भी पारंपरिक पद्धतियाँ लागू हैं। पट खोलने का अधिकार चेरवा जाति के बैगा को है, जबकि ब्राह्मण पुजारी वैदिक पूजा संपन्न कराते हैं। प्राचीन काल में यहाँ नरबलि दी जाती थी, तत्पश्चात पशु बलि की परंपरा चली। वर्तमान में मनोकामना पूर्ण होने पर बकरे की बलि दी जाती है। माँ महामाया सिंहदेव राजघराने की कुलदेवी हैं और आज भी राजपरिवार को गर्भगृह में विशेष पूजा का अधिकार है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य- माँ महामाया मंदिर अम्बिकापुर क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर देवी उपासना की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है और यहां नवरात्रि जैसे पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर में होने वाले अनुष्ठान, बली प्रथा, पट खोलने की परंपरा तथा स्थानीय लोकगीत इस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। राजपरिवार द्वारा माँ महामाया को कुलदेवी के रूप में पूजने की परंपरा आज भी जीवित है, जिससे यह मंदिर धार्मिक विश्वास के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव- अम्बिकापुर स्थित माँ महामाया मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी समेटे हुए है। मंदिर से जुड़ी परंपराएं, अनुष्ठान और वार्षिक उत्सव स्थानीय समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक महत्त्व रखता है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन के विकास में भी योगदान देता है।

इस शोध के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि मंदिर के संरक्षण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, स्थानीय प्रशासन और

पर्यटन विभाग मिलकर मंदिर के आसपास सुविधाओं का विकास करें, ताकि श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, मंदिर से जुड़ी किवंदंतियों, पूजा पद्धतियों और सांस्कृतिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण कर इसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटनिक दृष्टि से मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चटर्जी, डॉ. एस. - महामाया मंदिर और शक्ति उपासना परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक शोध संस्थान, पृष्ठ 52।
2. अग्रवाल, डॉ. वी. एस. - भारतीय स्थापत्य कला और मूर्तिकला, विद्या भवन, पृष्ठ 135।
3. बाजपेयी, के. डी. - छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्रकाशन विभाग, रायपुर, पृष्ठ 12।
4. सिन्हा, डॉ. आर. के. - सरगुजा संभाग का सांस्कृतिक इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य अभिलेखागार, पृष्ठ 67।
5. पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), छत्तीसगढ़ मंडल की वार्षिक रिपोर्ट।
6. क्षेत्रीय लोकसंस्कृति एवं पुरातत्व - छत्तीसगढ़ पुरातत्व परिषद्, रायपुर।
7. छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक धरोहर - पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।
8. जनरल ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर - इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (ICHR) द्वारा प्रकाशित लेख।

छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का विकास एवं प्रभाव

डॉ. महेश कुमार शुक्ला* अमित कुमार**

* सह प्राध्यापक (इतिहास) सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** शोधार्थी, सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश - छत्तीसगढ़ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्राचीन केंद्र रहा है। यहाँ विविध धर्मों एवं संप्रदायों ने समय-समय पर अपने सिद्धांतों और दर्शन का प्रचार-प्रसार किया। जैन धर्म, जो अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है, छत्तीसगढ़ की भूमि में अत्यंत प्राचीन काल से विकसित हुआ। इस शोध पत्र में छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के ऐतिहासिक विकास, प्रमुख जैन स्थलों, मूर्तिकला, साहित्य, समाज और संस्कृति पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना - भारत में जैन धर्म का उद्भव लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर स्वामी के समय से माना जाता है, किंतु छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का प्रसार महावीर पूर्वकालीन भी रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में दक्षिण कोशल और महाकोशल के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शिलालेखों, मूर्तियों तथा पुरातात्विक अवशेषों से सिद्ध होता है कि जैन धर्म का प्रभाव यहां मौर्य, शुंग, सतवाहन, वाकाटक, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंश काल तक रहा।

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति मध्य भारत में होने के कारण यह क्षेत्र व्यापार मार्गों के केंद्र में रहा, जिससे जैन धर्म के व्यापारी वर्ग को यहाँ बसने का अवसर मिला और धर्म का व्यापक प्रचार हुआ।

छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का प्रारंभिक विकास - छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के विकास की कथा मौर्यकाल से प्रारंभ होती है। सम्राट अशोक के काल में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उसी समय जैन धर्म के अनुयायी भी दक्षिण और मध्य भारत की ओर बढ़े। कौशल प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था।

जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियाँ और प्रतिमाँ, जो सिरपुर, मल्हार, रतनपुर, पाली, चंपारन, और बिल्हा क्षेत्रों में मिली हैं, वे इस बात की पुष्टि करती हैं कि यहाँ जैन धर्म का गहरा प्रभाव था।

विशेष रूप से सिरपुर और मल्हार से प्राप्त ताम्रपत्र, शिलालेख और मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण हैं।

मुख्य जैन तीर्थ स्थल एवं पुरातात्विक प्रमाण - मल्हार - मल्हार छत्तीसगढ़ का अत्यंत प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिली जैन मूर्तियाँ, जिनमें आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाँ हैं, गुप्तोत्तर काल (7वीं-10वीं शताब्दी) की हैं। मल्हार में प्राप्त जैन बस्ती और प्रतिमाओं के साथ ब्राह्मी लेख यह दर्शाते हैं कि यहाँ एक समृद्ध जैन समाज विद्यमान था।

सिरपुर - सिरपुर में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रभाव रहा। यहाँ से प्राप्त तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा, जैन विहारों के अवशेष और मंदिर स्थापत्य यह प्रमाणित करते हैं कि छठी से बारहवीं शताब्दी के बीच यहाँ जैन धर्म फला-फूला।

रतनपुर - यह क्षेत्र कलचुरी शासन का प्रमुख केंद्र रहा। रतनपुर के जैन मंदिरों में कलचुरीकालीन प्रतिमाँ और शिलालेख प्राप्त हुआ हैं।

पाली - पाली में भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ और ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें शांतिनाथ और नेमिनाथ के उल्लेख हैं।

अड़भार - इन क्षेत्र से प्राप्त जैन मूर्तियाँ यह प्रमाणित करती हैं कि यहाँ व्यापारी समुदायों के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार हुआ।

जांजगीर - चांपा में जैन समाज आज भी प्रमुख है, और यहाँ जैन मंदिरों का समूह स्थापित है।

कलचुरी शासनकाल में जैन धर्म का उत्कर्ष - कलचुरी वंश (9वीं से 12वीं शताब्दी) के शासन में छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का उत्कर्ष काल आया। इस समय जैन मंदिरों, प्रतिमाओं और विहारों का निर्माण हुआ। कलचुरी शासक जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे और उन्होंने जैन आचार्यों को संरक्षण दिया।

रतनपुर के अभिलेखों में जैन मुनियों का उल्लेख मिलता है, जिनका समाज पर विशेष प्रभाव था। इसी काल में जैन व्यापारियों ने नगरों के विकास में योगदान दिया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और कला दोनों समृद्ध हुई।

जैन मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला - छत्तीसगढ़ की जैन मूर्तिकला भारतीय शिल्प परंपरा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। यहाँ की मूर्तियों में तीर्थंकरों के शांत और ध्यानमग्न भाव दर्शाता है।

सिरपुर की पार्श्वनाथ प्रतिमा में सर्पफणासन का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। मल्हार की प्रतिमाओं में गुप्तकालीन कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अड़भार की प्रतिमाओं में स्थानीय लोकशिल्प का मिश्रण है। इन प्रतिमाओं से स्पष्ट होता है कि जैन धर्म केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत था।

साहित्यिक और दार्शनिक प्रभाव - जैन धर्म ने छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा को भी प्रभावित किया। यहाँ के जैन मुनियों ने प्राकृत और संस्कृत में ग्रंथों की रचना की। अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के सिद्धांतों ने यहाँ के लोकाचार में स्थान पाया।

छत्तीसगढ़ी लोककथाओं और कहावतों में जैन नैतिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 'जीव और अजीव' के सिद्धांतों ने स्थानीय दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव – छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के अनुयायी प्रायः व्यापारी और शिल्पकार वर्ग से संबंधित रहे हैं। उन्होंने व्यापारिक केंद्रों, नगरों और तीर्थस्थलों के विकास में योगदान दिया।

जैन समाज ने शिक्षा, स्वास्थ्य और दान की परंपरा को बढ़ावा दिया। जैन धर्म की अहिंसा की भावना ने स्थानीय समाज में सद्भावना और सहअस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित किया।

जैन धर्म और छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति – जैन धर्म के आदर्श लोकसंस्कृति में रच-बस गये हैं। छत्तीसगढ़ी लोककला, लोकगीतों, नृत्यों और लोकरीतियों में जैन दर्शन की झलक मिलती है।

उदाहरण के लिए 'जीव दया' और 'सत्य की विजय' जैसे विषय लोकगीतों में बार-बार प्रकट होते हैं। जैन धर्म ने पशुहत्या, हिंसा और व्यसन के विरोध के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सामाजिक चेतना को नया आयाम दिया।

आधुनिक काल में जैन धर्म का पुनरुत्थान – ब्रिटिश शासन काल के दौरान जैन समाज ने शिक्षा और सामाजिक सुधार में प्रमुख भूमिका निभाई। रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर में जैन समाज ने मंदिर, विद्यालय और सामाजिक संस्थान स्थापित कीं।

वर्तमान में श्री श्वेतांबर और दिगम्बर दोनों परंपराएँ छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। रायपुर का जैन दादाबाड़ी मंदिर, जांजगीर-चांपा का नेमिनाथ मंदिर, और राजनांदगांव का पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख तीर्थस्थल हैं।

छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का सांस्कृतिक प्रभाव – भारत की सांस्कृतिक धारा में जैन धर्म का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जैन धर्म न केवल आध्यात्मिक दर्शन के लिए जाना जाता है, बल्कि इसने भारतीय कला, स्थापत्य और मूर्तिकला को भी नई दिशा दी। छत्तीसगढ़, जो प्राचीन काल में दक्षिण कोशल के नाम से प्रसिद्ध था, जैन धर्म के प्रभाव से विकसित हुई कला का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की जैन मूर्तियाँ, मंदिर, और स्थापत्य शैली जैन धर्म की गहरी कलात्मक परंपरा को दर्शाती हैं।

छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का प्रसार ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आसपास माना जाता है। कलचुरी, पाण्डु, और नागवंशी शासकों के काल में जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ। जैन मुनियों और श्रावकों ने न केवल धर्म का प्रचार किया, बल्कि कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया।

छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के प्रभाव से अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों की स्थापत्य शैली में सरलता, शांति और संतुलन का भाव झलकता है।

आरंग में स्थित भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथ की विशाल मूर्तियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मंदिरों की शिल्पकला में जैन स्थापत्य के विशिष्ट लक्षण, सममितता, सुंदर तोरण, और मंडप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

जैन धर्म ने छत्तीसगढ़ की मूर्तिकला को आध्यात्मिकता और शांति का सौंदर्य प्रदान किया। जैन प्रतिमाएँ प्रायः ध्यान मुद्रा या खड़े कायोत्सर्ग मुद्रा में बनाई जाती थीं, जो साधना और संयम का प्रतीक हैं। मूर्तियों में चेहरे का भाव शांत और गंभीर होता है, जो अहिंसा और समभाव की भावना को व्यक्त करता है। छत्तीसगढ़ की जैन मूर्तियाँ प्रायः बालू पत्थर और ग्रेनाइट से बनी होती थीं, जिन पर बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। जैन मूर्तियों में

लक्षण चिन्हों (जैसे सिंह, नंदी, ध्वज आदि) का विशेष ध्यान रखा गया है। यद्यपि छत्तीसगढ़ में प्राचीन जैन चित्रकला के बहुत कम उदाहरण मिले हैं, परन्तु मंदिरों की भित्तियों और स्तंभों पर की गई नक्काशियों में जैन कला के सिद्धांत झलकते हैं। जैन कला में सरल रेखाएँ, संतुलन, और रंगों का संयमित प्रयोग प्रमुख विशेषताएँ हैं।

छत्तीसगढ़ के कई पारंपरिक शिल्पकारों ने जैन मूर्तियों से प्रेरित होकर धातु और मृत्तिका कला में भी जैन प्रतिमाएँ बनाई हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांत – अहिंसा, अपरिग्रह, संयम और ध्यान ने कला को भौतिकता से ऊपर उठाकर आध्यात्मिकता से जोड़ा। यहाँ की जैन कला में बाहरी वैभव से अधिक आंतरिक शांति और संतुलन का भाव प्रकट होता है। यही इस क्षेत्र की कला की विशिष्टता है।

भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं में जैन धर्म का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जैन धर्म ने केवल धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भाषा, साहित्य और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। छत्तीसगढ़, जो प्राचीन काल से ही विद्या और संस्कृति की भूमि रही है, वहाँ की भाषा और साहित्य पर भी जैन धर्म का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कोशल राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में यहाँ जैन धर्म का प्रवेश हुआ और धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार व्यापारिक नगरों तथा ग्रामीण समाज में हुआ।

जैन आचार्य, साधु और श्रावक समुदाय न केवल धर्म प्रचारक थे, बल्कि शिक्षा, लेखन और भाषा विकास के संवाहक भी बने। उनके द्वारा रचित ग्रंथों और उपदेशों ने छत्तीसगढ़ की भाषाई संस्कृति को समृद्ध किया।

जैन धर्म के साहित्य का मूल आधार प्राकृत भाषा रही है। महावीर स्वामी के उपदेश भी अर्धमागधी प्राकृत में थे।

जैन आचार्यों ने प्राकृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ, सूत्र और कथाएँ रचीं। समय के साथ इन ग्रंथों का प्रभाव छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं विशेषकर छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अपभ्रंश पर पड़ा।

कई प्राकृत शब्द जैसे 'जिन', 'धम्म', 'सम्यक', 'कर्म', 'अहिंसा' आदि बाद में स्थानीय बोलचाल और साहित्य में भी प्रचलित हुए।

छत्तीसगढ़ी भाषा में आज भी कुछ शब्द जैन ग्रंथों की भाषाई परंपरा से मिलते-जुलते हैं।

साहित्यिक परंपरा में योगदान – जैन मुनियों ने छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत में साहित्यिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन कवियों और आचार्यों ने धार्मिक ग्रंथों के साथ-साथ नीतिकथाएँ, लोककथाएँ, और चरित्र ग्रंथ भी लिखे।

इन रचनाओं का प्रभाव स्थानीय कवियों और भाटों पर पड़ा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोकसाहित्य में अहिंसा, सत्य और संयम जैसे जैन आदर्शों को अपनाया। जैन धर्म के प्रभाव से छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद शैली और सरल शब्दों का प्रयोग बढ़ा, जिससे यह आम जनता की भाषा बनी रही।

छत्तीसगढ़ की लोकभाषा में जैन धर्म से जुड़े कई शब्द, मुहावरे और कहावतें आज भी सुनने को मिलते हैं।

उदाहरण के लिए 'पाप कर्म' या 'पुण्य कर्म' जैसी अवधारणाएँ जैन दर्शन से ली गई हैं। 'अहिंसा परमो धर्म' जैसे विचार लोककथाओं और लोकगीतों में बार-बार दोहराए जाते हैं। इस प्रकार जैन धर्म ने छत्तीसगढ़ी भाषा में आध्यात्मिकता और नैतिकता की शब्दावली जोड़ी।

शिक्षा और भाषा के प्रसार में भूमिका – जैन समाज ने छत्तीसगढ़ में

पाठशालाओं और पुस्तकालयों की स्थापना की। इन संस्थानों में प्राकृत, संस्कृत, और हिंदी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं का भी अध्ययन कराया जाता था। इससे भाषा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी और साक्षरता तथा लेखन परंपरा का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ की भाषा और साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव गहरा और स्थायी रहा है। इस धर्म ने भाषा को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि संयम, करुणा और सत्य के प्रचार का साधन बनाया। जैन धर्म की प्राकृत परंपरा ने छत्तीसगढ़ी भाषा की सादगी, सहजता और लोकधर्मी स्वरूप को सशक्त किया। 'जैन धर्म ने छत्तीसगढ़ की भाषा को शुद्धता, सरलता और मानवीय संवेदनाओं की शक्ति से समृद्ध किया।'

जैन धर्म और पर्यावरण – जैन धर्म की 'जीव दया' और 'अहिंसा परमो धर्मः' की भावना आज के पर्यावरणीय चिंतन से भी जुड़ी है। छत्तीसगढ़ के जैन समाज ने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष – छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का इतिहास केवल धार्मिक प्रसार की कथा नहीं, बल्कि संस्कृति, कला, साहित्य और समाज के विकास की कहानी है। यह धर्म इस क्षेत्र के नैतिक और सांस्कृतिक जीवन में गहराई से समाया हुआ है।

जैन धर्म की शिक्षाओं ने छत्तीसगढ़ की जनता को सदाचार, सहिष्णुता और करुणा के पथ पर अग्रसर किया। आज भी यह धर्म यहाँ की सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग है।

जैन धर्म ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मानवीयता, नैतिकता और कलात्मकता के मूल्यों से समृद्ध किया। छत्तीसगढ़ की कला में जैन धर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा और स्थायी है। जैन धर्म ने यहाँ की मूर्तिकला, स्थापत्य, और शिल्प परंपरा को आत्मिकता और सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध किया। आज भी आरंग, सिरपुर, और मल्हार जैसे स्थानों की जैन मूर्तियाँ इस बात की साक्षी हैं कि छत्तीसगढ़ की कला पर जैन धर्म की शांत, संयमित और आध्यात्मिक भावना सदैव विद्यमान रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, आर-के- छत्तीसगढ़ का इतिहास, दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 2012.
2. दास, बी-एन- जैन धर्म का इतिहास और दर्शन, वाराणसी भारती प्रकाशन, 2008.
3. त्रिपाठी, के-पी- सिरपुर की सांस्कृतिक धरोहर, रायपुर विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2015.
4. गुप्ता, आर-सी- छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल, भोपाल, मध्यप्रदेश पुरातत्व विभाग, 2009.
5. पांडेय, रामेश्वर, भारतीय धर्म दर्शन का इतिहास, प्रयागराज, लोकभारती, 2010.
6. छत्तीसगढ़ राज्य पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (2018-2022).

सरदार वल्लभभाई पटेल और उनकी जेल यात्राएँ

भावना पाटीदार*

* शोधार्थी (इतिहास) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सरदार पटेल का जीवन हमारे राष्ट्रीय संग्राम का जीवित इतिहास है। वही दुसरी और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोह पुरुष बहुप्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बिखरे हुए मोती की तरह भारत देश के बिखराव को आपस में समेटकर एक सुत्र में पिरोने का कार्य सरदार पटेल ने किया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन की सफलता में आई उन कठिनाईयों पर मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना – भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अठारह वर्ष बाद 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेडा जिले के नाडियाड में अहमदाबाद से लगभग 40 मील दक्षिण-पूर्व में एक बालक का जन्म हुआ। जिनका नाम वल्लभभाई पटेल था। इनके ननिहाल में इनका जन्म हुआ। इनका पेटूक गाँव करमसद गुजरात के खेडा जिले की बोरसद तहसील में था। इनके पिता झवेरभाई गलाभाई पटेल तथा माता लाडबाई। वल्लभभाई पटेल अपने पिता के चोथे बेटे थे। इनके पिता आनंद से लगभग 5 मील दूर एक छोटे से गाँव करमसद के जमींदार थे।

वल्लभभाई के पिता ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था। इस संबंध में महादेव देसाई ने वीरवल्लभभाई नामक पुस्तक में लिखा है- मल्हारराव होल्कर ने उन्हें कैद कर लिया था। कैद करके उन्हें अपने सामने बंधा हुआ रखकर एक बार मल्हारराव शतरंज खेल रहे थे जिस शतरंज में राजा गलत चाल चलते तब झवेर भाई कहते-‘राजा, इस मोहरे को यूँ चलिए’। मल्हारराव चकित हो गए और केदी को छोड़कर मित्र बना लिया।¹

वल्लभभाई के चार भाई सेमाभाई नरसिंहभाई विठ्ठलभाई काशीभाई और एक बहन डालीबेन थी। गुजरात में हर पुरुष के आगे भाई व महिला के नाम में बेन अथवा बहन शब्द जोड़कर आदर प्रदान किया जाता है।²

वल्लभभाई की स्कूल शिक्षा नाडियाद में हुई उनकी अन्याय के खिलाफ स्कूल में पहली हड़ताल थी। उनका बचपन घर के कामकाज में अधिक बिता उन्होंने जीवन में जो भी काम हाथ में लिया उसे अंत तक पुरा पुरा निभाया।³

1910 ई में वल्लभभाई पटेल बेरीस्टरी पढ़ने विलायत रवाना हुए। 1913 ई बेरीस्टर बनकर अपने गृह निवास लोटें अहमदाबाद से ही उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। शीघ्र ही वे अहमदाबाद के नामी बेरीस्टरो में गिने जाने लगे।⁴

वल्लभभाई का विवाह 1893 में झंवेर बा के साथ हुआ था विवाह के समय इनकी आयु 18 वर्ष थी। 1903 ई में उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम मणिबेन रखा गया। 1905 में उन्हें पुत्र हुआ जिसका नाम दह्याभाई रखा गया।

इन्ही दिनों गोधरा में प्लेग फैल गया जिसमें इनकी पत्नी की मृत्यु हो

जाती है। पत्नी की मृत्यु के बाद आपने दुसरी शादी नहीं की।⁵

महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात वल्लभभाई पटेल कमजोर होते चले गए। उनकी चिंताओं में वृद्धि के चलते उनका स्वास्थ्य खराब होता रहा। 12 दिसम्बर 1950 ई को सरदार पटेल ने दिल्ली को अलविदा कहा और बाम्बे लौट गए। शुक्रवार का दिल का दौरा उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। 15 दिसम्बर 1950 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस दुनिया से विदा ली।⁶

जेल यात्राएँ– स्वतंत्रता सेनिकों तथा सत्याग्रहियों के लिए जेल जाना एक आम बात थी। उस समय जेल यात्रा को ससुराल यात्रा कहा करते थे। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म जेल में हुआ था अतः आजादी भी जेल में ही जन्म लेगी।

वल्लभभाई पटेल प्रायः कहा करते थे कि मेरी हाथ की रेखाओं में जेल जाना नहीं लिखा है। लेकिन जब गांधीजी ने जब नमक सत्याग्रह का आह्वान किया तो उस लड़ाई का आरंभ सरदार की गिरफ्तारी से हुआ। गांधीजी ने नमक सत्याग्रह के लिए वारडोली तहसील के दांडी नामक समुद्र तट को चुना। सरदार ने तुरंत अपने प्रांत में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। वे गाँव गाँव घूमकर किसानों को आंदोलन का महत्व समझाने लगे। इसी सिलसिले में 07 मार्च 1930 को सरदार गुजरात के एक गाँव रास में पहुँचे वहाँ उन्हें सभा में व्याख्यान देना था लेकिन उस इलाके के कलेक्टर ने सरदार को नोटिस भेजा की आप भाषण नहीं देंगे। सरदार ने कलेक्टर के नोटिस को नजरंदाज कर भाषण दिया। फलतः सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया इनकी यह पहली गिरफ्तारी थी। बापु ने दांडी के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को कुच किया उसके पाँच दिन पहले ही सरकार ने सरदार पटेल को तीन महीने की कैद के साथ ही 500 रु के जुर्माने की सजा सुनाई। वे जब साबरमती जेल जा रहे थे तब रास्ते में गांधीजी तथा अन्य आश्रमवासीयों से मिले थे। गांधीजी ने सरदार की जेल यात्रा के बारे में हिंदी नवजीवन में टिप्पणी लिखी जिसने गुजरातवासीयों को उनकी राह पर चलने के लिए ओर भी प्रोत्साहित किया। जब पटेल को बोरसाद से साबरमती जेल लाए तो रात के 8 बजे पहुँचे थे। यही पर उन्होंने अपनी आत्मकथा डायरी में लिखना शुरू किया। पटेल अपनी डायरी में लिखते हैं कि साबरमती जाने समय पुलिस अधीक्षक भी

उनके जेल जाने से दुखी थे उन्होंने पटेल का रास्ते में बहुत ख्याल रखा। जेल में सरदार को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा इन कष्टों की वजह से उनका वजन कम हो गया था। सरदार कहा करते थे कि -

**शुर संग्राम को देख भागे नहीं,
भागे सो शुर नहीं।**

सरदार भी अपनी तकलीफों से भागे नहीं साबरमती जेल में सरदार पटेल पोने चार माह रहे तथा 26 जून को रिहा हुए। बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा।

दूसरी गिरफ्तारी- सरदार पटेल जब जेल से छुटे तो उन्होंने देखा की हिन्दुस्तान में सत्याग्रह जोरों से चल रहा है। जिसमें स्त्री पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी वीरता पूर्वक आंदोलन में भाग ले रहे हैं और पुलिस की लाठीचार्ज का सामना हसते हसते कर रहे हैं।

धरसाणा और वडाला में भी मोर्चे लगे हुए थे इन स्थानों पर नमक बनाने के लिए बड़ी संख्या में सत्याग्रही जाते थे। ये सारे आंदोलन पं. मोतीलाल नेहरू के सेनापतित्व में चल रहे थे कुछ दिनों बाद पं. मोतीलाल नेहरू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। नेहरू जी ने गिरफ्तार होते ही सरदार पटेल को नेतृत्व देने की घोषणा कर दी अब सरदार पर पुरे हिन्दुस्तान के आंदोलन का बोझ था। सरदार आंदोलन के संचालन के लिए बाम्बे पहुंचे उन दिनों बम्बई आंदोलन का मुख्य केन्द्र बना हुआ था।

1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की बरसी का दिन था देश भर में यह दिन बड़ी शान से मनाया जाता है। बम्बई में उस दिन बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया इस जुलूस में सरदार पटेल, मालवीय जी, डॉ. हार्डिंकर और उस प्रांत के मुस्लिम नेता भी शामिल हुए। सरकार ने इस जुलूस को विक्टोरिया टर्मिनस के आगे रोक दिया। जुलूस को वंही बंद करने को कहा तथा चारों तरफ से हथियारबन्द पुलिस का घेरा डाल दिया आंदोलनकारी वंही बैठ गए शाम 4 से सुबह के 8 बजे तक वंही बैठे रहे। अन्त में सरकार ने जुलूस में शामिल सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और जुलूस में शामिल जनता पर बुरी तरह लाठीचार्ज बरसाई।

सरदार पटेल और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। जिसमें 100 - 100 रुपये का जुर्माना और तीन महिने की सजा सुनाई गई। मालवीय जी का जुर्माना किसी अन्य व्यक्ति ने दे दिया जिससे उन्हें रिहा कर दिया गया लेकिन सरदार पटेल ने जुर्माना भरने से मना कर दिया इस पर सरदार को फिर से जेल भेज दिया गया। पटेल जेल में भी साथियों में उत्साह भरते थे।

कुछ दिनों बाद यानी 1931 ई के आरंभ में गांधी इरविन समझौता हुआ और सरकार ने कांग्रेस के आंदोलन में जेल में गए सभी राजनेतिक बंदियों को छोड़ना पड़ा। इसी समझौते के तहत सरदार पटेल भी रिहा हुए। उस वर्ष कराची में कांग्रेस का सालाना सम्मेलन हुआ जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल को चुना गया।

1930 से जो जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ वह अनवरत चलता रहा। पहली जेल यात्रा 7 मार्च 1930 को हुई और वे 26 जून 1930 को

रिहा हुए। उसके बाद उसी साल 31 जुलाई को वे पुनः नजरबंद हुए और यरवदा जेल भेज दिए गए। 1932 - 33 में वे पुनः सोलह महिनों के लिए जेल में रहे। इसी बीच गांधी जी भी वंही थे। इस जेल यात्रा के दौरान दोनों में गांधी मैत्री हुई तथा एक दूसरे को नजदिक से समझने का मौका मिला। इसी बीच सरदार की माता जी का देहावसान हो गया और वे उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके।

1934 में सरदार पटेल जेल से बाहर आए और तीन चार वर्षों तक बाहर रहकर कांग्रेस को मजबूत बनाने व ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का कार्य सुचारु ढंग से किया। 1940 व 41 में वे पुनः जेल में बंद कर दिए गए। जब वे छुटकर बाहर आए तो गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस महासमिति के सामने पेश किया जिसका ओजस्वी रूप से समर्थन सरदार पटेल ने किया 9 अगस्त 1942 को सरदार पटेल व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार पटेल गांधीजी के साथ अहमदनगर के किले में नजरबंद थे। इसी दौरान पटेल को उनके पुराने रोग ने जकड़ लिया तत्पश्चात् 1945 में उनकी रिहाई हुई। सरदार पटेल की जेल यात्रा का समय यही समाप्त हुआ।

उपसंहार - राष्ट्रीय हित सरदार पटेल के लिए सदैव सर्वोपरी रहा। पद या सत्ता का लोभ उनको तनीक भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सका। उन्होंने समर्पित, साहसी, सत्याग्रही के रूप में राजनीति में प्रवेश किया तथा एक सक्षम संगठनकर्ता एवं कुशल प्रशासक के रूप में राष्ट्र को एकजुटता प्रदान की।

देश के महान पुरुष जिन्होंने कठिन समय में भी साहस नहीं खोया और अनवरत देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार की कष्टकारी यातनाओं के बावजूद कभी अपने कदमों को पीढ़े नहीं हटाया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी पटेल जी के जीवन को आत्मसात कर हम अपने जीवन की सही मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

राष्ट्रवादी, व्यवहारकुशल राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व व कृतित्व देशवासियों के लिए सर्वदा ज्योति स्तंभ बने रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Balray Krishna :- Sardar vallabh bhai patel India's Ironmen
2. शंकर दयाल सिंह :- लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल
3. Saggi P. D. :- Life and work of Sardar Vallabhbhai Patel
4. Patel I. J. :- Sardar Vallabhbhai patel
5. कुमार प्रयंक :- सरदार वल्लभभाई पटेल 2002
6. शंकर दयाल सिंह :- लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल
7. बंसल श्री रतनलाल :- सरदार वल्लभभाई पटेल एक जीवनी
8. रिजवी आबिद :- सरदार वल्लभभाई पटेल लोहपुरुष के जीवन का प्रेरणदायक दस्तावेज
9. गुप्ता डॉ. मोहनलाल :- सरदार वल्लभभाई पटेल प्रेरक रोचक प्रसंग

The Evolution of Feminist Thought in Indian English Fiction: A Study of Feminine Consciousness in the Novels of *Shashi Deshpande*

Mr. Ankit *

*Research Scholar, Madhav University, Pindwara (Sirohi) (Raj.) INDIA

Abstract- This research paper explores how feminist thought has developed in Indian English fiction especially through the novels of *Shashi Deshpande*. Her stories show how women in Indian society move from silence and dependence toward awareness and self-confidence. Deshpande does not show women as rebels but as ordinary individuals who begin to understand their own strength and identity. Through novels like *That Long Silence*, *The Dark Holds No Terrors*, and *Roots and Shadows*, she highlights the emotional struggles of women who face social pressure, gender inequality and the challenges of balancing family and personal freedom. Her writing presents feminism not as a fight against men but as a journey of inner growth, equality and understanding. This study shows that Deshpande's works have helped shape modern feminist thinking in Indian English literature by giving women a clear and honest voice.

Keywords: Feminism, Patriarchy, Feminine Consciousness, Psychological Realism, Identity, Silence, Marriage, Selfhood.

Introduction - The growth of feminist ideas in Indian English fiction reflects how women's awareness and understanding of their place in society have slowly changed over time. In the beginning Indian society was strongly patriarchal and women were expected to live within certain limits, always depending on men for identity and respect but with changing times, education and exposure women began to recognize their individuality and self-worth. Indian English literature has played a major role in showing this transformation. It has captured the journey of women from silent followers of tradition to independent thinkers who seek equality, dignity and personal freedom.

As Jyotismita Deka observes in *The Portrayal of Women in Indian English Literature* literature acts like a mirror that reflects social reality and transformation. Indian English fiction has become a bridge connecting India with the rest of the world allowing female voices to speak for themselves. Earlier women characters were often written by men and shown as symbols of sacrifice, patience and devotion. But later women writers began to tell their own stories, presenting the emotional truth of womanhood and questioning the unfair expectations of society.

Among the major Indian English writers Shashi Deshpande stands as a powerful and sensitive voice who writes about the inner life of Indian women. Her novels explore the world of middle-class women who are educated, aware and thoughtful but are still bound by traditional duties.

Deshpande's approach to feminism is not extreme or rebellious. Instead she believes in understanding the struggles of women from within. Her feminism is reformative it aims to heal and rebuild rather than destroy. According to *Indian Women Writing in English: A Feminist Exploration* Deshpande's thought belongs to the liberal and humanist school of feminism which focuses on equality through awareness and gradual change rather than loud revolution.

Her novels such as *The Dark Holds No Terrors*, *That Long Silence*, *Roots and Shadows*, and *Small Remedies* show women living between the old and new worlds. They are not rebels by nature but through deep thinking and emotional growth they realize their strength and individuality. Her characters speak for millions of women in India who want to be understood as human beings capable of love, doubt, strength and change.

The story of women's awakening in Indian English fiction starts during the colonial and early postcolonial period when literature was dominated by male writers. Writers like Raja Rao, R.K. Narayan and Mulk Raj Anand mostly showed women as ideal wives, mothers or victims of social injustice. Women were seen as background figures, depending on men for meaning and identity. But with the arrival of women writers like Kamala Markandaya, Anita Desai, Nayantara Sahgal and *Shashi Deshpande* Indian fiction entered a new era. These writers began to explore the mind and emotions

of women, giving importance to their inner voice and personal choices.

In *The Dark Holds No Terrors* Deshpande tells the story of Sarita a doctor who faces mental and emotional abuse in her marriage. Even though she is successful in her profession she suffers at home because her husband feels jealous and inferior. The novel shows how education and independence are not enough if society still expects a woman to be submissive. Sarita's fear of darkness becomes symbolic of her fear of her husband and of the judgment of society. However the same darkness also becomes a path toward understanding herself. Through her emotional journey she realizes that real freedom begins when a woman understands her fears and learns to face them. Deshpande shows that liberation is not always loud it can also come through quiet reflection and courage.

In *That Long Silence* Deshpande continues her study of women's inner struggles through Jaya a housewife who feels trapped between her duties as a wife and her desire to express herself. Her silence represents the silence of many Indian women who are taught to hide their pain and opinions to keep the family together. Through Jaya's story the novel questions the meaning of marriage, motherhood and duty. The long silence is both her suffering and her strength it protects her for a while but also stops her from living freely. In the end Jaya begins to understand that breaking the silence is the first step toward freedom.

In *Roots and Shadows* Deshpande introduces Indu a young woman who is educated and modern but still connected to her family's traditions. The novel explores how she tries to balance her independence with her sense of responsibility. The older generation of women in her family accepts the patriarchal system without question but Indu's mind refuses to accept blind obedience. Her inner conflict represents the confusion of many Indian women who stand between tradition and modernity. Through Indu's realization that she must find her own path, Deshpande expresses her belief that feminism is not about rejecting one's roots but about finding strength within them.

Deshpande's novels are filled with small, real life moments that show how women resist in quiet ways. Instead of showing women as rebels who fight society openly she presents them as thoughtful individuals who slowly begin to question, think and act differently. Her feminism is built on honesty, patience and understanding. She believes that real change happens not through anger but through self-awareness.

Marriage is one of the main themes in Shashi Deshpande's fiction. In both *The Dark Holds No Terrors* and *That Long Silence* marriage is shown as both a bond and a burden. It gives emotional companionship but also limits a woman's freedom. Deshpande does not blame men alone. she shows that both men and women are trapped in the expectations of a patriarchal culture. Men are taught to control and women are taught to obey. This understanding

makes her feminism more balanced and human. She does not preach hatred or separation but suggests that equality can come through communication and emotional honesty.

Motherhood is another important theme in her novels. In *The Binding Vine* and *Small Remedies* Deshpande presents mothers as complex individuals who struggle between love, responsibility and selfhood. She questions the traditional belief that a mother must always sacrifice her happiness for her family. Instead she shows that a mother can love deeply while also maintaining her individuality. This idea connects to the larger concept of feminism as humanism where the goal is not to divide men and women but to create balance and understanding between them.

Deshpande's novels also focus on the psychology of women their fears, memories and inner conflicts. Her characters often spend a lot of time thinking about their past, questioning their silence and understanding why they behave the way they do. This deep self-examination leads to what can be called an inner revolution. Through reflection and realization her women characters begin to find peace within themselves. They do not wait for society to change but they start by changing their own mindset. This form of feminism is quiet but powerful it does not depend on public protest but on personal awakening.

Deshpande's writing style is simple yet meaningful. She avoids dramatic situations and focuses on ordinary life—the kitchen, the bedroom, the office, the living room. These are the places where her women experience conflict and change. She shows that feminism is not only about politics or law; it is also about everyday emotions, relationships, and self-respect. As literary scholar Jyotismita Deka explains the portrayal of women in Indian English fiction has moved from idealized figures to realistic thinking individuals. *Shashi Deshpande* carries this evolution forward by shifting attention from outer rebellion to inner strength. Her novels make readers realize that change begins with understanding oneself. Through her storytelling she connects the personal world of women to the larger social and cultural changes in post-Independence India.

Her fiction also shows that identity is not fixed it grows and changes through relationships. Characters like Jaya and Sarita learn that independence does not mean isolation. They must find ways to live freely while staying connected to others. This idea reflects Indian values of family and togetherness. Deshpande's feminism therefore does not destroy bonds; it redefines them. She shows that women can be both loving and strong both traditional and modern. By focusing on urban middle-class women Deshpande highlights a section of society that is often overlooked. These women may seem privileged because they are educated and financially secure, but they still struggle emotionally under the pressure of gender roles. Through them, Deshpande reminds readers that empowerment is not just about money or education it also requires emotional

and psychological freedom. Her characters slowly learn to trust themselves, to speak, and to make choices for their happiness.

In *The Dark Holds No Terrors*, when Sarita finally faces her fears, she realizes that her pain was not only caused by her husband but also by her own guilt and confusion. The novel ends quietly, without dramatic freedom, but with inner peace. This shows that real feminism is not about winning battles but about achieving self-understanding. Through such endings, Deshpande teaches that courage can be gentle and change can be slow yet permanent.

Compared to writers like Namita Gokhale and Manju Kapur, Deshpande's voice is softer but deeper. She does not raise slogans; she tells stories that make readers think and feel. Her feminism is based on awareness, compassion, and equality. She believes that men and women both need to grow emotionally to make society just and humane. Her domestic settings—homes, marriages, families—become places where women discover themselves. Through this Deshpande redefines feminism as a movement of the heart and mind not only of politics.

Conclusion: The development of feminist ideas in Indian English fiction finds its clearest and most human form in the novels of *Shashi Deshpande*. Her stories link the social and psychological worlds of women, showing that true freedom starts from within. Her characters—Jaya, Sarita, Indu, and Urmila—symbolize different stages of women's awakening. They are not rebels but thinkers. They question, they reflect and finally they understand their own worth. Deshpande's idea of feminism matches the belief expressed in *Indian Women Writing in English: A Feminist Exploration* that feminism is not about dividing men and women but about restoring balance and justice in human relationships. Her writing teaches that women do not need to shout to be heard; sometimes, quiet realization is more powerful than open rebellion.

The gradual journey of her heroines from silence to speech, from dependence to self-respect, mirrors India's own movement toward modernity and equality. By turning ordinary women's experiences into deep human stories, Deshpande transforms personal pain into universal truth. Her work shows that being a woman is not a limitation but a strength. In her novels, feminism becomes a moral and emotional awakening—a way of seeing life differently, with honesty and empathy. Through her calm yet courageous storytelling, Shashi Deshpande emerges as a reformer whose vision continues to inspire readers to think about gender, justice, and human dignity. Her contribution to Indian English literature lies in giving women a strong, sincere and lasting voice that continues to shape the understanding of womanhood in the modern age.

References:-

1. Deka, Jyotismita. *The Portrayal of Women in Indian English Literature*. *International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)*, Vol. 4, Issue 3, May–June 2024, pp. 300–301.
2. Singh, Chandra Nisha. *Indian Women Writing in English: A Feminist Exploration*. Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 2008.
3. Deshpande, Shashi. *The Dark Holds No Terrors*. Penguin Books, New Delhi, 1980.
4. Deshpande, Shashi. *That Long Silence*. Penguin Books, New Delhi, 1989.
5. Deshpande, Shashi. *Roots and Shadows*. Orient Longman, Hyderabad, 1983.
6. Deshpande, Shashi. *The Binding Vine*. Penguin Books, New Delhi, 1993.
7. Deshpande, Shashi. *Small Remedies*. Penguin Books, New Delhi, 2000.
8. Deshpande, Shashi. *Moving On*. Penguin Books, New Delhi, 2004.

A Study on Soft and Technical Skills Enhancing Employability of Management Graduates

Mehvish Khan* Dr. Atul Loomba**

*Research Scholar, Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Research Guide, Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: The employability of management graduates has emerged as a critical issue in contemporary times, with employers increasingly emphasizing the dual importance of technical competencies and soft skills. While management education equips students with domain-specific knowledge, industries often report gaps in practical application, communication, adaptability, and leadership. This paper explores the soft and technical skills essential for enhancing the employability of management graduates, analyzing the expectations of employers, the preparedness of students, and the alignment of academic curricula with industry needs. The study adopts a descriptive research design, reviewing existing literature, employer surveys, and skill development models. Findings indicate that management graduates require a balanced skill set that integrates technical proficiencies such as data analytics, digital literacy, and financial acumen with soft skills such as communication, teamwork, problem-solving, and emotional intelligence. The paper concludes with recommendations for educational institutions, industries, and policymakers to collaborate in fostering holistic skill development among management students.

Keywords: Employability, Management Graduates, Soft Skills, Technical Skills, Industry-Academia Gap.

Introduction - The 21st-century workplace is characterized by globalization, technological advancement, digital transformation, and evolving business models. In such a dynamic environment, employability has become a multi-dimensional construct that goes beyond possessing a degree. Management graduates, despite their academic qualifications, often face challenges in securing suitable employment due to skill mismatches.

Employability refers not only to obtaining a job but also to sustaining employment, adapting to new challenges, and progressing within an organization. Employers consistently highlight that while technical knowledge is crucial, it is the possession of soft skills such as communication, critical thinking, and adaptability that differentiates successful employees from others.

In India, with management education expanding rapidly through institutions like the Indian Institutes of Management (IIMs), private universities, and affiliated colleges, the quality of employability skills among graduates remains under scrutiny. Reports by NASSCOM, ASSOCHAM, and McKinsey have shown that only a fraction of management graduates are considered “employable” by top recruiters. This scenario underscores the importance of rethinking management education to integrate employability-enhancing skills.

The concept of employability has undergone a remarkable transformation in the 21st century, particularly

in the field of management education. With the advent of globalization, liberalization, privatization, and rapid technological innovations, the traditional understanding of education as a mere academic qualification has been challenged. In today's dynamic business landscape, management graduates are expected not only to possess sound theoretical knowledge but also to demonstrate a diverse set of skills that ensure they can adapt, perform, and succeed in competitive job markets. Employability is no longer restricted to securing employment; it extends to sustaining a career, demonstrating adaptability, and progressing through continuous learning. Consequently, the spotlight has shifted from degree acquisition to skill acquisition, where the possession of **soft skills** and **technical skills** has emerged as the cornerstone of professional success.

The employability of management graduates has become a matter of national concern in India. The country has witnessed a rapid proliferation of management institutions, ranging from premier institutes such as the Indian Institutes of Management (IIMs) to hundreds of private colleges across Tier-II and Tier-III cities. Every year, India produces thousands of MBA and PGDM graduates who aspire to enter sectors such as banking, consulting, IT, manufacturing, healthcare, and entrepreneurship. However, industry reports by NASSCOM, ASSOCHAM, and the World Economic Forum consistently reveal a gap

between the expectations of employers and the skill sets of graduates. While management curricula often emphasize business knowledge, strategy, and organizational theory, many students fall short in demonstrating the applied competencies required in real-world organizational contexts. Employers frequently voice concerns about the lack of communication proficiency, analytical reasoning, leadership abilities, and digital expertise among fresh management graduates. This disconnect points toward a critical employability skills gap, where academic training does not fully align with industry expectations.

Employability in the modern sense is an integration of two major dimensions: technical skills and soft skills.

Technical skills refer to discipline-specific competencies, such as financial analysis, accounting, data analytics, project management, marketing strategies, and digital literacy. These skills represent the “hard” knowledge base that forms the foundation of managerial roles. In an era dominated by digital transformation, artificial intelligence, big data, and e-commerce, technical proficiency is indispensable for ensuring efficiency and competitiveness in organizations. On the other hand, soft skills—often described as interpersonal or people skills—include communication, teamwork, adaptability, creativity, leadership, problem-solving, and emotional intelligence. Unlike technical competencies, soft skills are intangible and personality-driven, yet they are often the deciding factors in hiring, retention, and career growth. A graduate with exceptional technical skills but poor communication or teamwork abilities may struggle to succeed in collaborative corporate environments. Therefore, employability is best understood as a synergy between soft and technical skills, where neither can be neglected.

The emphasis on employability skills is not limited to corporate concerns; it has also entered the discourse of policymakers, educators, and researchers. The Government of India, under initiatives such as the National Education Policy (NEP) 2020 and Skill India Mission, has repeatedly emphasized the need for developing skill-based education models. Reports suggest that only 20–30% of Indian management graduates are directly employable in roles that match their academic specialization. The rest either settle for unrelated jobs or struggle with unemployment. This situation underscores the urgent need to re-examine management education and incorporate training that develops both soft and technical competencies. For instance, while traditional MBA curricula may offer courses in finance and marketing, they often fail to integrate modules on business communication, digital marketing tools, or leadership simulations. Similarly, while colleges may encourage internships, many fail to ensure that such internships offer meaningful exposure to problem-solving, client interaction, and real-time data analysis.

Global trends further highlight the significance of this dual skill set. According to the World Economic Forum's

Future of Jobs Report (2020), the top skills demanded by employers in the coming decade include problem-solving, self-management, working with people, and technology use. These skills combine both technical and soft competencies, suggesting that employability is no longer about mastery of one domain but rather about versatility. For management graduates, this means balancing the ability to use data analytics software with the ability to present insights persuasively to diverse stakeholders. Employers seek candidates who are not only technically sound but also agile in interpersonal interactions, capable of handling uncertainty, and able to lead with emotional intelligence.

From the perspective of industries, employability skills determine productivity, innovation, and organizational culture. For example, in the banking and financial sector, employers seek graduates who can understand financial instruments, apply risk management models, and use digital platforms for transactions while simultaneously building trust with clients through effective communication. Similarly, in the consulting sector, technical expertise in market analysis or strategy formulation is valuable only when paired with presentation skills, negotiation abilities, and teamwork. Even in technology-driven industries, technical competence must be complemented with creativity, adaptability, and collaboration to deliver effective solutions. This interdependence reflects the inseparability of soft and technical skills in real-world employment scenarios.

Despite the evident importance of employability skills, challenges remain in integrating them into management education. Many institutions continue to follow traditional pedagogical models that emphasize rote learning and theoretical examinations. Soft skills training is often treated as an optional add-on rather than a central component of the curriculum. Faculty members, though experts in academic content, may lack industry exposure necessary to train students in practical skills. Moreover, limited industry-academia collaboration results in curricula that lag behind current industry trends, leaving students underprepared for recruitment processes. Employers frequently report that while graduates are adept at recalling theories of management, they falter in applying them to practical scenarios, such as handling client objections, resolving conflicts in teams, or interpreting financial data using digital tools.

The significance of employability skills also extends beyond initial employment to long-term career sustainability. A graduate may secure an entry-level job with technical qualifications, but promotions, leadership roles, and career progression depend heavily on soft skills such as decision-making, conflict resolution, negotiation, and innovation. In fact, numerous studies indicate that soft skills account for nearly 75% of long-term job success, while technical skills, though essential, contribute only around 25%. This observation highlights that technical competencies may open the door to employment, but it is soft skills that ensure

advancement and retention. Thus, management graduates aspiring for leadership positions must consciously develop a balanced portfolio of both skill categories.

Given these realities, the present study focuses on exploring the interplay between soft and technical skills in enhancing the employability of management graduates. It seeks to identify the specific skills that employers value most, analyze the extent of the skills gap in management education, and suggest strategies for bridging this gap. By drawing insights from global trends, industry reports, and academic discussions, the study aims to contribute to the discourse on aligning management education with the practical needs of the labor market. Furthermore, it emphasizes the role of institutions in redesigning curricula, the responsibility of industries in offering meaningful exposure, and the commitment of students toward continuous self-improvement.

Review of Literature

Employability has been one of the most widely researched themes in higher education, particularly in the domain of management studies. Scholars, policymakers, and industry leaders have debated the changing requirements of the labor market and the skill sets graduates must acquire to remain employable. Literature on employability emphasizes two complementary domains of skills: technical skills, which are domain-specific, and soft skills, which are transferable and interpersonal in nature. This review synthesizes contributions from international and Indian researchers, reports from industry bodies, and conceptual frameworks that explain the employability skills gap.

Employability has evolved from being understood as the mere ability to obtain employment to a multidimensional construct encompassing sustainability and career development. Yorke (2006) defined employability as a set of achievements—skills, understandings, and personal attributes—that makes graduates more likely to gain employment and succeed in their chosen occupations. Knight and Yorke (2003) further proposed the USEM model (Understanding, Skills, Efficacy beliefs, and Metacognition), emphasizing the holistic integration of knowledge and transferable competencies. Harvey (2001) argued that employability is not just about gaining jobs but about developing graduates with attributes, experiences, and skills to adapt and thrive in the long run.

A large body of literature stresses the central role of soft skills in employability. Andrews and Higson (2008) highlighted that while technical knowledge provides graduates with job entry, soft skills such as communication, adaptability, and teamwork determine their success in professional environments. Robles (2012) identified ten essential soft skills, including integrity, communication, courtesy, responsibility, social skills, positive attitude, professionalism, flexibility, teamwork, and work ethic, which employers consistently value. Similarly, Laker and Powell (2011) distinguished between hard and soft skills,

suggesting that while hard skills can be taught in classrooms, soft skills require experiential learning methods such as group work, simulations, and role plays.

Indian literature also reflects similar concerns. Bhatnagar and Sharma (2017) argued that Indian management graduates lack essential communication skills, which often results in lower employability despite having technical qualifications. NASSCOM (2019) identified communication, problem-solving, and critical thinking as major gaps in the Indian management education system. Employers frequently report dissatisfaction with the lack of presentation and interpersonal abilities among fresh graduates.

While soft skills dominate much of the employability discourse, technical skills remain equally vital. Technical or domain-specific skills are the practical competencies that graduates require to perform job functions. Tymon (2013) highlighted that employers consider knowledge of finance, operations, marketing, and business analytics essential for management graduates. The rise of technology has made digital literacy a non-negotiable skill for employability. World Economic Forum (2020) reported that data analytics, artificial intelligence, and cloud computing are among the most in-demand technical skills in the global workforce. In the Indian context, Singh and Gera (2020) emphasized that proficiency in tools like Excel, SPSS, R, and other analytics platforms significantly enhances the employability of MBA students. Reports by ASSOCHAM (2022) revealed that many Indian management graduates are unable to meet technical expectations in emerging domains such as digital marketing, supply chain analytics, and financial modeling. This indicates that management institutions must integrate industry-relevant technical training to prepare students for employment.

A recurring theme in employability literature is the mismatch between what industries expect and what institutions deliver. Finch, Hamilton, Baldwin, and Zehner (2013) argued that graduates often emerge with strong theoretical knowledge but lack the practical skills required in corporate environments. Employers demand graduates who can “hit the ground running” with both technical proficiency and interpersonal abilities.

Indian research aligns with these observations. Blom and Saeki (2011), in a World Bank study on engineering and management graduates, noted that employers rate problem-solving, teamwork, and communication skills higher than pure technical knowledge. Kumar and Jain (2018) studied Indian MBA graduates and found that industries perceive them as weak in practical application, business communication, and leadership potential despite having academic knowledge. Such findings reinforce the need for academia-industry collaboration to reduce the skills gap.

Literature highlights the role of business schools and universities in shaping employability. Pfeffer and Fong

(2002) criticized management education for being overly academic and insufficiently practical. They argued that MBA programs often fail to equip students with leadership and decision-making skills required in real business contexts. Bennis and O'Toole (2005) similarly called for greater industry relevance in business education, warning that curricula disconnected from practice risk producing graduates unfit for modern workplaces.

In India, Pandey and Sharma (2022) proposed a reorientation of management curricula toward experiential learning. They suggested incorporating case studies, internships, simulation exercises, and soft skill workshops as integral components of business education. AICTE (All India Council for Technical Education) has also emphasized the inclusion of industry-oriented training modules, entrepreneurship development, and employability skills training in MBA programs to improve outcomes.

Global reports offer additional insights into employability. The World Economic Forum (2020) listed problem-solving, self-management, working with people, and technology use as top skills required in the post-pandemic era. Similarly, McKinsey (2019) emphasized digital literacy, emotional intelligence, and adaptability as skills necessary for the workforce of the future.

In India, India Skills Report (2021), published jointly by Wheebox, CII, and UNDP, highlighted that while employability among management graduates has marginally improved, critical gaps persist in communication, digital readiness, and industry exposure. The report also found that employers increasingly value cross-disciplinary skills, such as the ability to combine management knowledge with technology and data science.

Scholars often debate whether soft or technical skills matter more for employability. Clarke (2018) argued that both categories are complementary and must be integrated for holistic employability. Technical skills may help graduates secure entry-level jobs, but career advancement largely depends on soft skills. Conversely, soft skills alone cannot secure employment without adequate technical foundation. This dual importance suggests that management graduates must cultivate a balance of both skill sets.

Indian researchers echo this view. Kumar and Sharma (2021) noted that while soft skills differentiate candidates in recruitment interviews, technical skills determine their ability to sustain employment. A study by Rao and Rao (2019) on MBA employability in South India concluded that employers prefer graduates who demonstrate digital literacy alongside leadership and communication skills.

Research Methodology: The study adopts a **descriptive and analytical research design**. Secondary data sources including academic journals, government reports, NASSCOM employability surveys, and industry white papers have been analyzed. For illustrative purposes, employer surveys and case studies of management institutions in India are discussed.

The scope of the study is limited to employability skills relevant to management graduates in the Indian context, though global insights are also incorporated for comparative analysis.

Discussion and Analysis: The discussion and analysis section interprets the insights drawn from the study and places them in the context of the existing body of knowledge on employability skills. This section critically evaluates the importance of soft and technical skills, compares them with industry expectations, highlights the existing gaps between management education and workplace needs, and suggests strategies for addressing these challenges. The analysis is organized around key themes such as skill relevance, industry-academia alignment, sector-specific requirements, and future implications for management graduates in India and globally.

The Critical Role of Soft Skills: Soft skills form the foundation of employability for management graduates, and their importance has been consistently emphasized by industry stakeholders. Employers often value soft skills such as communication, teamwork, adaptability, problem-solving, and leadership more than technical knowledge alone. The study highlights that communication skills—both verbal and written—play a pivotal role in enabling graduates to perform effectively in team-based environments, client interactions, and managerial decision-making. Miscommunication or lack of articulation often hampers career progression, despite strong technical competencies.

Further, adaptability and emotional intelligence have emerged as crucial skills in an era of rapid change and digital transformation. Graduates who can adjust to evolving work environments, manage stress, and demonstrate resilience are more likely to succeed in leadership roles. This aligns with previous findings by corporate recruiters who argue that “trainable” graduates with flexible attitudes outperform those who possess technical expertise but lack interpersonal finesse.

The analysis also underscores the role of cultural intelligence and diversity management in globalized business contexts. Management graduates working in multinational corporations or across cross-cultural teams need to understand and appreciate cultural differences, which requires empathy and interpersonal sensitivity—core dimensions of soft skills. Thus, it is evident that employability extends beyond technical mastery and demands holistic personal development.

The Growing Importance of Technical Skills: While soft skills remain a critical employability driver, the growing digitization of industries has placed greater emphasis on technical competencies. The research findings reveal that technical skills such as data analytics, financial modeling, project management, digital marketing, and enterprise resource planning (ERP) tools are in high demand across industries. Recruiters expect graduates to possess at least basic proficiency in these areas, supplemented by the ability

to learn advanced technical tools quickly.

The rise of big data and artificial intelligence has also increased the demand for analytical and digital literacy skills. Employers prefer candidates who can work with statistical tools, interpret data-driven insights, and apply them to decision-making. Similarly, proficiency in business-related software like SAP, Tally, or CRM platforms is often a prerequisite for specific roles. For management graduates, this indicates a shift from generic business knowledge to role-specific technical expertise that enhances functional efficiency.

The study also found that technical training provided at the university level often lags behind industry requirements. Many institutions continue to emphasize theoretical learning without providing sufficient exposure to practical, industry-relevant tools. This mismatch hinders graduates' ability to contribute effectively from the outset of their careers. Therefore, bridging this gap through skill-enhancement programs, industry certifications, and internships becomes imperative.

Bridging the Industry-Academia Gap: One of the most striking findings of this study is the persistent gap between the skills taught in management programs and those demanded by employers. While universities focus on conceptual frameworks and theoretical knowledge, employers prioritize application-oriented skills that can directly translate into workplace productivity. For example, while classroom discussions may revolve around management theories, recruiters expect candidates to demonstrate the ability to negotiate deals, manage conflicts, and lead projects in real-time scenarios.

The employability gap also arises due to the insufficient integration of experiential learning within the academic curriculum. Graduates who had undergone internships, live projects, and industry mentoring showed significantly higher employability than those restricted to classroom learning. Employers often argue that management graduates must "hit the ground running" rather than require extensive handholding, which emphasizes the need for academic institutions to adopt a practice-oriented pedagogy.

Collaborations between academia and industry have the potential to reduce this disconnect. Industry experts can contribute to curriculum design, deliver guest lectures, and provide real-life case studies. On the other hand, universities can encourage students to acquire industry-recognized certifications alongside their degree programs. Such collaborative efforts ensure that management graduates are equipped with both theoretical insights and practical competencies.

Sector-Specific Skill Demands: The analysis also reveals that employability skills are not uniform across industries but vary according to sectoral requirements. For instance, management graduates entering the banking and finance industry are expected to demonstrate strong analytical skills, financial modeling, and knowledge of compliance

regulations. In contrast, those entering the fast-moving consumer goods (FMCG) or retail sectors are evaluated on their marketing acumen, negotiation skills, and customer relationship management.

Similarly, the IT and service sectors require strong technical adaptability, project management capabilities, and cross-functional collaboration skills. Start-ups and entrepreneurial ventures, on the other hand, prioritize creativity, risk-taking, and multitasking abilities. This sectoral variation underscores the need for management education to adopt a flexible curriculum that allows students to specialize in skills relevant to their targeted industries. A "one-size-fits-all" approach to employability training is inadequate in addressing the dynamic requirements of different sectors.

Challenges in Skill Development: Despite acknowledging the importance of both soft and technical skills, management graduates face several challenges in acquiring them. Limited institutional resources, outdated curricula, and a lack of qualified trainers often restrict students' exposure to skill-based learning. Moreover, graduates from tier-2 and tier-3 institutions face additional hurdles, such as limited industry interface and fewer internship opportunities, making them less competitive in the job market compared to their counterparts from premier institutes.

Another challenge is the attitude of students toward employability skill development. Many students prioritize securing academic grades over enhancing transferable skills such as teamwork or communication. This misplaced focus often results in technically competent but socially unprepared graduates. The study suggests that universities must integrate skill-based evaluation into grading systems to encourage students to take these competencies seriously.

Future Directions and Implications: The findings of the study have significant implications for both management education and employment practices. For academic institutions, there is a pressing need to reorient pedagogy toward experiential learning and industry collaboration. Incorporating simulations, role-plays, live projects, and digital tools into the curriculum can significantly enhance skill development. Furthermore, skill assessment centers and employability boot camps can help students benchmark their readiness against industry expectations.

For employers, the implications lie in investing in structured training programs that complement graduates' existing knowledge. Instead of expecting graduates to be "workplace-ready" from day one, organizations can view onboarding training as an opportunity to mold recruits to their specific requirements. A balanced responsibility between academia and industry ensures a steady pipeline of skilled, employable graduates.

The Employability Skills Gap: The concept of employability has become a central theme in management

education and labor market studies, particularly as globalization, technological advancement, and evolving workplace structures continue to redefine the requirements of professional success. Despite the increasing number of management graduates produced annually by universities and business schools in India and across the globe, a persistent mismatch exists between the skills acquired during academic programs and the skills demanded by employers. This phenomenon, often termed the **employability skills gap**, is a pressing concern for policymakers, industry leaders, and educational institutions alike.

At its core, the employability skills gap refers to the divergence between the competencies that employers expect from fresh management graduates and the actual capabilities these graduates bring to the workplace. While organizations today require a balanced blend of **soft skills** (communication, teamwork, adaptability, problem-solving, leadership) and **technical skills** (data analysis, financial modeling, digital proficiency, project management), many graduates fall short in one or both domains. This discrepancy has far-reaching consequences: it not only limits the career prospects of students but also hampers organizational productivity and slows economic growth.

Causes of the Employability Skills Gap: Several interlinked factors contribute to the widening employability skills gap among management graduates. Firstly, the **curriculum design in many business schools remains outdated**, with limited integration of industry-oriented training. Traditional teaching methods, heavily reliant on lectures and rote learning, often fail to cultivate practical problem-solving or critical thinking abilities. Secondly, there is an **insufficient focus on experiential learning opportunities**, such as internships, live projects, and simulations, which are essential for bridging theory with real-world practice. Consequently, graduates may possess conceptual knowledge but lack the confidence to apply it in dynamic workplace situations.

Another contributing factor is the **rapid pace of technological change**. Employers increasingly seek candidates proficient in digital tools such as advanced Excel, data analytics software, ERP systems, and artificial intelligence applications. However, many students receive minimal exposure to these tools during their academic journey, creating a technological disconnect. Moreover, the cultural emphasis on academic grades rather than holistic skill development further widens the gap, as students prioritize exam performance over acquiring transferable competencies.

The **soft skills deficit** is equally concerning. Employers frequently report that graduates lack effective communication, interpersonal collaboration, and emotional intelligence, which are crucial for managerial roles. In contexts such as Madhya Pradesh's industrial hubs—Bhopal, Indore, Jabalpur, and Gwalior—where industries

like pharmaceuticals, IT services, healthcare, manufacturing, and automobiles are expanding, the demand for workforce readiness is particularly pronounced. Yet, management graduates often struggle to adapt to organizational cultures, negotiate conflicts, or take initiative, thereby limiting their employability.

Industry Perspective on the Skills Gap: From an industry standpoint, the employability skills gap translates into increased costs in terms of recruitment, onboarding, and training. Organizations frequently invest additional resources in re-skilling fresh recruits to align them with organizational expectations. For instance, IT firms in Indore and manufacturing units in Bhopal report challenges in finding graduates who can integrate technical expertise with project leadership capabilities. Similarly, hospitals and healthcare management firms in Jabalpur highlight the lack of graduates with both analytical and people management skills.

Employers emphasize that beyond technical qualifications, graduates must demonstrate a growth mindset, adaptability to change, and the ability to function effectively in cross-cultural teams. The globalized nature of business demands proficiency in foreign languages, cultural sensitivity, and digital collaboration tools—competencies that are often absent in fresh graduates. Thus, while academic degrees may certify knowledge, they do not necessarily guarantee workplace readiness.

Implications of the Skills Gap: The employability skills gap has significant implications for both individuals and organizations. For graduates, it manifests in unemployment or underemployment, where individuals are forced to accept roles below their qualification levels. This mismatch contributes to dissatisfaction, high attrition rates, and wasted potential. For employers, the inability to source adequately skilled management professionals leads to reduced productivity, slower innovation, and competitive disadvantages in both domestic and international markets. At the macro level, the skills gap undermines national economic growth, particularly in emerging economies like India, where the demographic dividend must be matched with quality education and employment opportunities.

Bridging the Employability Skills Gap

Addressing the employability skills gap requires a multi-stakeholder approach. Educational institutions must revamp curricula to align with industry requirements by integrating skill-based modules, case studies, and technology-driven learning. Industry-academia collaboration is critical; initiatives such as guest lectures, corporate mentoring, and industry immersion programs help students gain practical insights. Internships, live projects, and simulation-based pedagogy should be made mandatory to ensure hands-on experience.

On the technical side, management education must include data literacy, financial modeling, digital marketing, supply chain analytics, and project management software

to keep pace with contemporary industry demands. Simultaneously, structured training in communication, leadership, teamwork, negotiation, and critical thinking should be embedded across all courses rather than confined to isolated workshops.

For students, bridging the gap requires a proactive mindset. Self-learning, online certifications, participation in extracurricular activities, and engagement with real-world projects enhance both technical and interpersonal competencies. Career development centers within universities can also play a pivotal role in offering skill assessments, personalized training, and employability workshops.

Conclusion: Employability of management graduates in India remains a pressing concern for educators, employers, and policymakers. The changing dynamics of the global workforce necessitate that management students acquire both technical expertise and soft skills. Technical skills such as data analytics, financial literacy, and digital competencies serve as entry requirements into organizations, while soft skills such as communication, leadership, and adaptability ensure long-term career progression.

The study concludes that educational institutions must integrate employability-focused curricula, industries must actively participate in academia-industry partnerships, and students themselves must adopt a lifelong learning mindset. A tripartite collaboration between students, educators, and employers is essential to foster employability.

In the future, with artificial intelligence and automation reshaping workplaces, management graduates will need to emphasize uniquely human skills—creativity, empathy, and ethical reasoning—alongside strong technical acumen. Only through such integration can management education align with the demands of the 21st-century workforce.

References:-

1. Andrews, J., & Higson, H. (2008). Graduate employability, "soft skills" versus "hard" business knowledge: A European study. *Higher Education in Europe*, 33(4), 411–422.
2. Archer, W., & Davison, J. (2008). Graduate employability: What do employers think and want? *The Council for Industry and Higher Education (CIHE)*.
3. Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we've overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills. *Higher Education Research & Development*, 28(1), 31–44.
4. Clarke, M. (2018). Rethinking graduate employability: The role of capital, individual attributes, and context. *Studies in Higher Education*, 43(11), 1923–1937.
5. Coll, R. K., Zegwaard, K. E., & Hodges, D. (2002). Science and technology stakeholders' ranking of graduate competencies: Employer perspectives. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 3(2), 19–29.
6. Harvey, L. (2005). Embedding and integrating employability. *New Directions for Institutional Research*, 128, 13–28.
7. Jackson, D. (2016). Re-conceptualising graduate employability: The importance of pre-professional identity. *Higher Education Research & Development*, 35(5), 925–939.
8. Knight, P., & Yorke, M. (2003). Employability and good learning in higher education. *Teaching in Higher Education*, 8(1), 3–16.
9. Lowden, K., Hall, S., Elliot, D., & Lewin, J. (2011). Employers' perceptions of the employability skills of new graduates. *Edge Foundation Report*.
10. Mason, G., Williams, G., & Cranmer, S. (2009). Employability skills initiatives in higher education: What effects do they have on graduate labour market outcomes? *Education Economics*, 17(1), 1–30.
11. OECD. (2019). *OECD skills outlook 2019: Thriving in a digital world*. OECD Publishing.
12. Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. *Education + Training*, 49(4), 277–289.
13. Succi, C., & Canovi, M. (2020). Soft skills to enhance graduate employability: Comparing students and employers' perceptions. *Studies in Higher Education*, 45(9), 1834–1847.
14. Tomlinson, M. (2012). Graduate employability: A review of conceptual and empirical themes. *Higher Education Policy*, 25(4), 407–431.
15. Tran, T. T. (2015). Is graduate employability the "whole-of-higher-education-issue"? *Journal of Education and Work*, 28(3), 207–227.
16. UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education*. UNESCO.
17. Wickramasinghe, V., & Perera, L. (2010). Graduates', university lecturers', and employers' perceptions towards employability skills. *Education + Training*, 52(3), 226–244.
18. World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. Geneva: WEF.

Comparative Study of Aerobic Capacity and Muscular Endurance Between Hockey Players and Non-Players in College Students Belonging to Tribal Communities of Rajasthan

Nahar Singh Jhala* Dr. Bhawanipal Singh Rathore**

*Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University, Udaipur (Raj.) INDIA
 **Research Supervisor, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract: Physical fitness is the foundation of athletic performance and plays a crucial role in determining success in competitive sports. Aerobic capacity and muscular endurance are considered essential components of fitness for field-based games such as hockey, which demand continuous movement, speed variation, and sustained physical effort. The present study aims to conduct a comparative analysis of aerobic capacity and muscular endurance between hockey players and non-players belonging to the tribal communities of Rajasthan. Forty male college students between the ages of 18–24 were selected and divided into two equal groups: 20 hockey players with a minimum of three years of structured sports training and inter-collegiate experience, and 20 non-players with no participation in organized sports or physical conditioning programs. The Cooper 12-Minute Run Test was used to evaluate aerobic capacity, and muscular endurance was assessed using standardized one-minute Sit-Up and Push-Up tests. The findings revealed that hockey players demonstrated significantly higher performance levels in both aerobic and muscular endurance tests compared to non-players. The results highlight the positive influence of systematic sports training on physiological development and suggest the need to encourage sports participation among tribal youth for holistic physical development.

Keywords: Aerobic capacity, Muscular endurance, Hockey players, Cooper test, Physical fitness, Tribal communities, Comparative study, Endurance performance.

Introduction - Physical fitness is a fundamental requirement for effective sports performance and day-to-day physical activity. Among different fitness components, **aerobic capacity** and **muscular endurance** hold significant importance in activities requiring prolonged exertion, repeated motion, and efficient recovery. Aerobic capacity reflects the body's ability to supply oxygen during continuous exercise, whereas muscular endurance determines the ability of muscles to sustain repeated contractions without fatigue. Sports such as hockey require high levels of both capacities, making them critical determinants of athletic success.

Hockey is a dynamic and physically intensive field sport that involves high-speed sprinting, rapid direction changes, dribbling, strokes, tackling, and defensive movements with minimal rest. Players must maintain performance consistency throughout the match, which depends heavily on cardiovascular strength and muscular stamina. Enhanced aerobic capacity allows athletes to recover faster between high-intensity bouts, while well-developed

muscular endurance helps maintain posture, balance, and technique during repetitive skill execution.

Tribal regions of Rajasthan possess significant natural physical potential, as many youth engage in active physical labor and outdoor activities. However, access to structured sports training, scientific conditioning programs, modern facilities, and professional coaching remains limited due to geographical, economic, and educational barriers. This restricts performance levels and prevents talent from developing to competitive standards. Despite strong natural stamina, the absence of systematic training creates significant differences between trained athletes and non-athletes within tribal communities.

There is limited scientific research comparing physiological fitness parameters such as aerobic capacity and muscular endurance between trained and untrained tribal students. This study therefore aims to provide empirical evidence supporting the value of structured training and athletic participation among tribal youth.

Review of Literature

A substantial body of research has examined the differences in physical fitness parameters between athletes and non-athletes, demonstrating that structured sports training contributes significantly to physiological development, particularly in the domains of aerobic capacity and muscular endurance. Deshpande (2018) studied endurance training interventions among university-level athletes and concluded that continuous aerobic conditioning substantially increases VO₂ max and enhances cardiovascular efficiency. The findings stated that athletes develop superior oxygen transport mechanisms compared to non-trained individuals. Similarly, Jain and Prasad (2018) conducted comparative research using the Cooper 12-minute run, reporting significantly greater aerobic capacity in athletes than sedentary individuals, attributing these differences to long-term adaptation of heart and lung function.

Rathi and Chauhan (2019) evaluated muscular endurance among collegiate athletes and non-athletes and found that athletes performed markedly better in standard sit-up and push-up tests, owing to repetitive training loads and improved neuromuscular response. Their research emphasized that endurance training enhances mitochondrial density and lactate tolerance, enabling muscles to sustain force production over extended durations. Das and Mehra (2021), working with field sport athletes, further demonstrated that continuous running drills significantly improve aerobic working capacity and reduce fatigue rates in players compared to untrained individuals. Research by Singh (2017) focused on the importance of core strength and muscular endurance in sports performance, highlighting that strong core muscles improve postural balance, movement efficiency, and injury prevention among athletes. The study found that endurance-based physical training enhances functional strength, enabling sustained physical output without early muscular exhaustion. Kaur and Sharma (2019) supported this by concluding that regular participation in organized sports strengthens cardiovascular and muscular systems, contributing to improved overall fitness and work capacity. International studies have also verified these findings. Wilmore and Costill (2015) established that endurance training increases blood plasma volume, red blood cell count and hemoglobin concentration, ultimately enhancing oxygen carrying capacity. Brooks et al. (2016) reported that trained athletes demonstrate delayed onset of fatigue due to improved metabolic adaptation and muscle buffering ability. Hoffman and Stavri (2014) observed superior muscular performance among elite hockey players compared to untrained individuals, concluding that structured training increases fatigue resistance and enhances physiological functioning essential for match endurance.

Research specifically involving tribal populations has focused primarily on talent identification rather than physiological comparison. Pandey (2017) conducted a comparative study among tribal and non-tribal college

students and found that tribal athletes often demonstrate strong natural endurance but require structured training to reach advanced performance levels. The researcher stressed that socioeconomic barriers and lack of professional guidance limit the development of tribal youth in sports. Gupta and Khatri (2018) concluded that non-athlete tribal students show lower physiological efficiency because of inadequate access to sports facilities and coaching, despite lifestyle-based physical activity.

Objectives of the Study:

1. To measure the aerobic capacity of hockey players and non-players.
2. To assess muscular endurance among hockey players and non-players.
3. To compare aerobic capacity between hockey players and non-players.
4. To compare muscular endurance between hockey players and non-players.
5. To examine the impact of structured sports training on physical fitness development.

Hypotheses:

1. **H1:** There will be a significant difference in aerobic capacity between hockey players and non-players.
2. **H2:** There will be a significant difference in muscular endurance between hockey players and non-players.
3. **H3:** Hockey players will demonstrate higher performance in the Cooper 12-Minute Run Test compared to non-players.
4. **H4:** Hockey players will show significantly greater core and upper-body muscular endurance than non-players.
5. **H5:** Structured sports training will positively influence overall physical fitness levels among tribal youth.

Methodology

Research Design: The study employed a comparative research design to evaluate differences in aerobic capacity and muscular endurance between trained and untrained participants. The design enabled direct comparison through quantitative testing.

Selection Of Subjects: A total of 40 male college students aged 18–24 years from tribal communities of Rajasthan were selected using purposive sampling based on inclusion criteria:

Group	Number	Criteria
Hockey Players	20	Minimum 3 years structured training, participation at inter-college/district/state tournaments
Non-Players	20	No structured training or competitive sports history

Inclusion Criteria:

1. Male tribal college students aged 18–24.
2. Physically healthy and medically cleared.

Exclusion Criteria:

1. Subjects with injuries, respiratory or cardiac disorders
2. Involvement in any structured exercise program (for

non-players)

Tools And Tests:

Variable	Test	Measurement
Aerobic Capacity	Cooper 12-Minute Run Test	Distance covered, VO ₂ max
Muscular Endurance	One-Minute Sit-Up Test	Total repetitions
Muscular Endurance	One-Minute Push-Up Test	Total repetitions

Testing Procedure:

1. Testing conducted on standard 400m track (aerobic test) and indoor flooring (muscular tests).
2. Standardized warm-up of 10 minutes including jogging and stretching.
3. Participants were briefed and demonstration provided.
4. Order: Cooper Test '1 10-minute rest '1 Sit-Ups '1 5-minute rest '1 Push-Ups.
5. Strict technique monitoring ensured data reliability.

Ethical Considerations:

1. Written consent obtained from participants.
2. Safety supervision maintained throughout testing.
3. Confidentiality of results ensured.

Reliability And Validity:

1. Cooper Test validity coefficient: $r = 0.90$
2. Sit-Up/Push-Up reliability: $0.86 - 0.92$, widely used in physical education research

Statistical Analysis: Descriptive statistical analysis was used to compare the aerobic capacity and muscular endurance of hockey players and non-players. Mean and Standard Deviation (SD) values were calculated for each test to identify performance differences between groups. Higher mean values among hockey players indicate superior endurance and cardiovascular fitness developed through structured training, while greater variability in non-player performance reflects inconsistent physical conditioning. Although no inferential statistical tests were applied, the clear gap in mean values provides strong evidence supporting the study hypotheses.

Results: The purpose of the study was to compare aerobic capacity and muscular endurance between hockey players and non-players belonging to the tribal communities of Rajasthan. The Cooper 12-Minute Run Test, 1-Minute Sit-Up Test, and 1-Minute Push-Up Test were used to assess endurance-related performance. The descriptive data collected from both groups are presented below.

Table 1: Comparison of Aerobic Capacity

Group	Number of Subjects	Distance Covered (Meters) Mean $\pm$ SD	Estimated VO ₂ Max (ml/kg/min)
Hockey Players	20	2700 $\pm$ 130	49.5
Non-Players	20	2250 $\pm$ 110	41.2

Table 2: Comparison of Muscular Endurance – Sit-Ups

Group	Number of Subjects	Sit-Ups in 1 Minute (Mean $\pm$ SD)
Hockey Players	20	48 $\pm$ 5
Non-Players	20	32 $\pm$ 4

Table 3: Comparison of Muscular Endurance – Push-Ups

Group	Number of Subjects	Push-Ups in 1 Minute (Mean $\pm$ SD)
Hockey Players	20	42 $\pm$ 6
Non-Players	20	28 $\pm$ 5

Discussion: The findings indicate that hockey players significantly outperform non-players in aerobic capacity and muscular endurance. The higher Cooper test scores reflect enhanced cardiovascular functioning, improved oxygen utilization, and superior endurance performance resulting from continuous high-intensity training. The substantial difference in Sit-Up and Push-Up scores demonstrates improved core stability, muscle strength, and fatigue resistance among trained individuals.

The results align with Deshpande (2018), Wilmore & Costill (2015), and Reilly & Bangsbo (2013), who reported that endurance-based training leads to physiological improvement. These differences emphasize that **natural physical activity** in tribal lifestyle does not compensate for **systematic, progressive sports training**, which develops targeted muscular groups and energy systems. Thus, all hypotheses in the study are strongly supported by empirical evidence.

Conclusion: The study concludes that hockey players possess significantly higher aerobic capacity and muscular endurance than non-players from tribal communities of Rajasthan. Structured sports training enhances physiological and neuromuscular efficiency and is essential for developing athletic performance. These findings emphasize the need to increase sports opportunities, coaching quality, and training systems among tribal youth.

Recommendations:

1. Establish structured sports training centers in tribal colleges.
2. Introduce professional coaching and scientific conditioning programs.
3. Increase funding for sports infrastructure and participation.
4. Promote competitive exposure at district and state levels.
5. Conduct regular fitness testing and screening programs.
6. Expand future research to include additional performance variables and female participants.

References:-

1. Akthar, S., & Syed, M. (2020). Comparative analysis of physical fitness among players of different sports.

- International Journal of Sports Science.*
2. Bansal, R., & Patil, K. (2021). Cardiovascular adaptations resulting from endurance training. *Sports Medicine Review.*
 3. Brooks, G., Fahey, T., & Baldwin, K. (2016). *Exercise Physiology: Human Bioenergetics and Its Applications.* McGraw Hill.
 4. Chaudhary, R. (2021). Impact of endurance training on field hockey performance. *Journal of Physical Education Research.*
 5. Das, P., & Mehra, T. (2021). Assessment of aerobic and anaerobic capacity in field sport athletes. *Sports Physiology Review.*
 6. Deshpande, A. (2018). Effects of continuous training on VO₂ max in young athletes. *Indian Journal of Sports Science.*
 7. Fernando, L., & Lewis, J. (2020). Fatigue resistance in intermittent sports. *International Journal of Sports Performance.*
 8. Farrow, D., & Reid, M. (2015). The role of aerobic conditioning in repeated sprint sports. *European Journal of Applied Sport Sciences.*

Insight into the Fundamental Duties of the Indian Constitution: Emerging Issues, and Enforceability Debate

Ms. Noopur Airen*

*Research Scholar (Law) Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

Abstract: The Fundamental Duties incorporated into the Indian Constitution through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 represent an essential yet underdeveloped component of India's constitutional democracy. Designed to balance Fundamental Rights and cultivate civic consciousness, they remain largely symbolic due to their non-justiciable character and limited public engagement. This study examines the historical development of the duties, their constitutional role, judicial interpretation, the issues and challenges inhibiting their implementation, and the indirect mechanisms by which they acquire legal force. It also compares India's approach with that of other nations and proposes reforms aimed at strengthening the culture of civic responsibility. The study concludes that a holistic strategy rooted in education, institutional mechanisms, and democratic citizenship is necessary to actualize the transformative aspirations of the Fundamental Duties.

Keywords: Fundamental Duties, Article 51A, Indian Constitution, enforceability, constitutional morality, civic responsibility, constitutional law.

Introduction - The Indian constitutional framework is anchored upon three major components: Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, and Fundamental Duties. While the first ensures individual freedoms and the second guides state policymaking, the third functions as a set of moral and civic obligations expected from citizens. Despite their conceptual importance, Fundamental Duties have not received the level of public recognition or institutional emphasis needed to embed them in India's social and political consciousness. Their non-justiciable nature has contributed to their marginalization, causing a persistent gap between constitutional philosophy and public practice. This article explores the evolution and significance of these duties and argues that their role in fostering a responsible and participatory democracy is indispensable.

The idea of codifying duties was not part of the original constitutional design. During the Constituent Assembly debates, several leaders, including Dr. B.R. Ambedkar, contended that duties did not require explicit constitutional enumeration, assuming that citizens would naturally uphold civic morality. However, post-independence challenges such as communal tensions, administrative weaknesses, and concerns about national integration revealed a need for clearer articulation of civic expectations. Amidst the political turbulence of the Emergency (1975–77), the Swaran Singh Committee was constituted to examine constitutional

reforms and recommended the inclusion of duties to instill discipline and strengthen national solidarity. While it proposed penal consequences for violations, these were not accepted. Nevertheless, its suggestions paved the way for the 42nd Constitutional Amendment, which inserted ten duties into Article 51A. The 86th Amendment in 2002 added an eleventh duty, obliging parents and guardians to provide education to children aged six to fourteen, thereby complementing the right to education guaranteed under Article 21A.

Fundamental Duties, located in Part IVA of the Constitution, are addressed to citizens and are advisory rather than mandatory. They cover a wide spectrum of civic expectations, including respect for the Constitution and national symbols, preservation of sovereignty, promotion of harmony, protection of the environment, preservation of cultural heritage, development of scientific temper and humanism, safeguarding of public property, and the pursuit of excellence in all spheres of life. These duties aim to cultivate civic responsibility, reinforce national unity, strengthen democratic culture, and provide a moral framework that supports the functioning of the State and society. Although broad and aspirational, the objectives of the duties remain deeply relevant in a contemporary landscape marked by shifting civic values and emerging social challenges.

However, numerous issues hinder the effective realization of Fundamental Duties. The most prominent is their non-justiciable nature. Courts cannot enforce duties, nor does the Constitution provide any consequences for their breach, relegating them to a realm of moral persuasion rather than legal command. Additionally, public awareness of Article 51A is remarkably low. Civic education is inconsistent and insufficient, resulting in a rights-centric culture where responsibilities are often ignored. Another challenge lies in the ambiguous and aspirational drafting of duties, which leaves significant room for varied interpretations and reduces their operational clarity. India's social diversity further complicates uniform understanding, especially regarding duties related to cultural preservation and social harmony. Tensions also arise between duties and rights, particularly when attempts to impose duties encroach upon fundamental freedoms such as speech, religion, and expression. Furthermore, the absence of institutional frameworks dedicated to promoting and monitoring duties limits their practical impact. In some cases, duties related to national symbols or unity risk being politicized, allowing them to be used as tools to suppress dissent rather than promote democratic values.

Despite their inherent limitations, the judiciary has played an instrumental role in elevating the normative significance of Fundamental Duties. Through landmark rulings, courts have interpreted duties as guiding principles capable of influencing constitutional interpretation and public policy. In *AIIMS Students' Union v. AIIMS*, the Supreme Court observed that rights and duties are equally essential to constitutional democracy. In the environmental domain, the Court's reliance on Article 51A(g) in cases led by M.C. Mehta established the duty to protect the environment as a constitutional imperative. Similarly, in *Javed v. State of Haryana*, the Court justified electoral restrictions by referencing duties related to social responsibility. Yet the Court has also emphasized in *Bijoe Emmanuel v. State of Kerala* that duties cannot override fundamental freedoms, thereby ensuring a delicate balance between obligation and liberty. Judicial interpretation thus gives duties a quasi-legal character, enabling them to shape the contours of constitutional morality.

While duties are not directly enforceable, various statutes indirectly operationalize them. Environmental legislation such as the Environment Protection Act, the Air and Water Acts, the Wildlife Protection Act, and the Forest Conservation Act support the constitutional duty to protect and improve the natural environment. The Prevention of Insults to National Honour Act reinforces the duty to respect national symbols. The Prevention of Damage to Public Property Act discourages vandalism and protects public assets. Provisions of the Indian Penal Code regulating hate speech advance the duty to promote harmony, while the Right of Children to Free and Compulsory Education Act practically enforces the duty of parents to educate their

children. These statutes demonstrate how duties permeate the legislative framework and exert indirect influence on citizen conduct.

A comparative global perspective highlights varying models of enforcing civic duties. China and Russia adopt stringent approaches in which duties are enforceable through strong legal mechanisms, although often at the cost of individual liberties. Japan and South Africa, like India, treat duties as moral rather than legal obligations. Germany balances both approaches by embedding certain duties, such as environmental protection and education, in statutory law. The global comparison suggests that India should avoid coercive enforcement and instead strengthen duties through education, democratic participation, and supportive institutional frameworks.

Meaningful reform of the Fundamental Duties must prioritize civic education. A national civic education program could integrate constitutional values into school and university curriculum, teacher training, and public awareness campaigns. Establishing a National Commission for Civic Responsibility could provide institutional support by conducting research, advising government bodies, promoting public engagement, and monitoring compliance trends. Media and technology should be harnessed to disseminate information, particularly among youth, through campaigns, interactive content, and community participation initiatives. Non-coercive incentive-based mechanisms such as volunteer credits or public recognition could encourage compliance, while institutional integrity within government bodies would strengthen public trust. In the digital age, duties must be reinterpreted to address contemporary issues such as misinformation, online hate speech, e-waste, cybersecurity, and responsible digital citizenship.

In conclusion, Fundamental Duties constitute an essential component of India's constitutional architecture. They embody the moral vision of the Constitution and emphasize that democratic citizenship requires both rights and responsibilities. Although currently underemphasized, their relevance has increased in contemporary society, where challenges such as climate change, social polarization, and digital misinformation demand robust civic values. The future of Indian democracy hinges not only on the protection of rights but also on the performance of duties. Strengthening Fundamental Duties through education, institutional support, judicial reinforcement, and community engagement can cultivate constitutional morality and help build a more responsible, harmonious, and progressive society.

References:-

1. Basu, D.D., *Introduction to the Constitution of India*.
2. Jain, M.P., *Indian Constitutional Law*.
3. Seervai, H.M., *Constitutional Law of India*.
4. Austin, Granville. *Working a Democratic Constitution*.
5. Kashyap, Subhash C. *Our Constitution*.
6. *AIIMS Students' Union v. AIIMS*, (2001) 2 SCC 428.

7. *M.C. Mehta v. Union of India*, various rulings.
8. *Javed v. State of Haryana*, (2003) 8 SCC 369.
9. *Bijoe Emmanuel v. State of Kerala*, (1986) 3 SCC 615.
10. *Naveen Jindal v. Union of India*, (2004) 2 SCC 510.
11. Ministry of Law and Justice, *The Constitution of India*.
12. National Policy Documents and NITI Aayog Reports on civic education and environmental protection.
13. Austin, Granville. *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Oxford University Press.
14. Austin, Granville. *Working a Democratic Constitution: A History of the Indian Experience*. Oxford University Press.
15. Basu, Durga Das. *Introduction to the Constitution of India*. LexisNexis Butterworths.
16. Basu, Durga Das. *Shorter Constitution of India*. Prentice Hall of India.
17. Seervai, H.M. *Constitutional Law of India*. Universal Law Publishing.
18. Noorani, A.G. *Constitutional Questions and Citizens' Rights*. Oxford University Press.
19. Kashyap, Subhash C. *Our Constitution*. National Book Trust.
20. Shankar, B.L. & Rodrigues, V. *The Indian Parliament: Structure and Dynamics*. Oxford University Press.
21. Shukla, V.N. *Constitution of India*. Eastern Book Company.

दलितों की कुंठा

डॉ. मनीषा सिंह मरकाम* पूजा वर्मा**

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में हिंदी साहित्य में दलित जीवन को लेकर संवेदना बढ़ी लेकिन यह मुख्य रूप से ऊंची जाति के लेखकों द्वारा व्यक्त की जाती रही। प्रेमचंद जैसे लेखक अपने उपन्यासों में दलित पत्रों को शामिल करते थे लेकिन यह सहानुभूति प्रधान चित्रण था जिसमें दलितों की वास्तविक आवाज गायब थी।

मोहनदास नैमिशराय हिंदी दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए हैं। उन्होंने दलित समाज के वास्तविकता को बिना किसी लाग-लपेट के प्रस्तुत किया और उनके संघर्षों को साहित्य में एक नए दृष्टिकोण के साथ रखा। उनका साहित्य केवल शोषण की बात नहीं करता बल्कि सामाजिक बदलाव, आत्म सम्मान और राजनीतिक चेतना की ओर भी संकेत करता है। उन्होंने अपने साहित्य में हिंदी दलित उपन्यासों को आत्मकथात्मक शैली से बढ़ाकर सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक विमर्श से जोड़ा। इस प्रकार उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंद किया। मोहनदास जी के उपन्यासों में दलितों की कई प्रकार की कुंठाएं हमें देखने को मिलती हैं। नब्बे के दशक में दलित आत्मकथाओं का दौर प्रारंभ हुआ। मोहनदास जी ने अपनी पहली दलित आत्मकथा लिखी, जिसने हिंदी साहित्य में दलित जीवन का आईना सबके सामने रख दिया है।

शब्द कुंजी – संजोया – एकत्रित करना, गुलामी – दासता, समृद्ध – विशाल, परिपाटी – प्राचीन समय की परंपरा।

प्रस्तावना – नब्बे के दशक में मराठी साहित्य अनूवादित होकर हिंदी में आया और हिंदी साहित्य समृद्ध होने लगा। हिंदी 'साहित्यकारों ने दलित समाज को अपने साहित्य में स्थान दिया। दलित साहित्यकार विशेष रूप से दलितों की यथार्थ स्थिति को शब्द चित्र रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। इसका प्रारंभ मोहनदास नैमिशराय की पहली दलित आत्मकथा से होता है, जिन्होंने दो भागों में 'अपने-अपने पिंजरे' नामक आत्मकथा लिखी जो दलित जीवन को यथार्थ दृष्टि से बयां करती है। जिसने हिंदी साहित्य में दलित जीवन का आईना सबके सामने रख दिया है। इसी श्रेणी में ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन', कौशल्या जी की 'दोहरा अभिशाप', सूरजपाल चौहान की 'तिरस्कृत', माता प्रसाद गुप्त की 'झोपड़ी से राजभवन', डी आर जाटव की 'मेरा सफर मेरी मंजिल', श्योराजसिंह बेचैन की 'मेरा बचपन मेरे कंधों पर', सुशीला टाक भोर का 'शिकंजे का दर्द', आदि दर्जनों आत्मकथाएं लिखी गई हैं। सभी आत्मकथाओं में दलितों की कुंठाओं को चरितार्थ किया गया है।

मोहनदास नैमिशराय हिंदी दलित साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जिन्होंने दलितों की यथार्थ स्थिति को अपनी विधाओं में स्थान दिया है। अपने उपन्यासों, कहानी, आत्मकथा, में दलित जीवन की असहनीय दर्द को संजोया है। 'मुक्तिपर्व' उपन्यास में नैमिशराय ने दलितों की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है चाहे वह आजादी के पहले की हो या बाद की। नैमिशरायजी दलितों के प्रति लिखते हैं 'उन्हें विरासत में दोहरी गुलामी मिली थी वह कि कर्तव्य विमुक्त थे।'। मुक्तिपर्व उपन्यास में लेखक ने भारतीय समाज की विषमतावादी सामाजिक स्थिति का यथार्थ वर्णन किया है। दलितों की

वह आत्मीय पीड़ा जो कभी बाहर नहीं आ सकती। लेखक ने अपने उपन्यासों में पात्रों की उस छवि को दिखाया है, जहां वे अपने लिए खड़े होने का साहस कर सके हैं।

'वीरांगना झलकारी बाई' उपन्यास एक गौरवशाली इतिहास है। झलकारी रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियों में प्रिय थी, किंतु लक्ष्मी बाई के राज्य में भी दलितों की स्थिति सोचनीय थी। झलकारी कोरी समाज की लड़की थी बचपन में वह अपनी बहादुरी से बाघ को मार डालती है लेकिन यहां भी सवर्ण समाज उसकी बहादुरी की उपेक्षा करता है। लेखक लिखते हैं-

'छोटी जात की लड़की किसी बाघ को मार दे तत्कालीन समाज की परिपाटी के अनुसार इसमें विरोधाभास था, वीरता और बहादुरी के सारे गुण तो स्वर्ण समाज के लिए सुरक्षित कर रखे थे।' ² आजादी की लड़ाई में दलितों के योगदान को भी सवर्ण समाज ने शून्य ही समझा। दलितों के प्राणों का मूल्य तो तब समझा जाता, जब उनके जीवन का मूल्य आंका जाता। दलितों का जन्म तो बस गुलामी के लिए हुआ था।

'क्या मुझे खरीदोगे' उपन्यास लेखक द्वारा दलित नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यहां भी दलितों की कुंठाओं को साकार किया गया है। सरिता अपनी मां के साथ दलित बस्ती में रहती थी। इस उपन्यास में भी हम देखते हैं कि दलित लड़की उच्च समाज के लिए सिर्फ वासना का साधन थी, घर की लक्ष्मी के रूप में स्वीकार नहीं थी। यहां भी सागर सरिता को प्रेम जाल में फंसा लेता है, वह यहां भी नहीं रुकता, सरिता के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है जब सरिता पेट से होती है तब अपनी उच्च जाति के सामाजिक

बंधनों का वास्ता देखकर शादी करने से इनकार कर देता है। यहां भी सरिता दलित स्त्री खुद को ठगा सा महसूस करती है सागर सरिता से कहता है- 'माना कि तुम्हारे घर वाले तैयार हो जाएंगे पर मेरा परिवार तुम्हें कभी अपने घर की बहू स्वीकार न कर सकेगा। इसलिए कि जिस जाति से तुम हो उसे जाति की बहू को वह अपने घर में सहन नहीं कर पाएंगे।'³ इस उपन्यास में भी हमें यही महसूस होता है, कि जिस्मानी संबंध बनाने में समाज नहीं देखी जाती। हम कितने भी विकसित भारत नया भारत शिक्षित भारत उज्जवल भारत का नारा लगा ले, जब तक जात-पात की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ सकेंगे विकसित नहीं हो सकेंगे।

वर्तमान में भी सरिता की कुंठा कई स्त्रियों में दर्द के रूप में सांस ले रही है। दलित जाति का होना सवर्ण समाज के लिए मृत के समान है, जिनकी ना भावनाएं होती हैं ना सपने, ना दर्द उन्हें बस पशु तुल्य उपाधि दे दी गई है। लेखक ने अपने एक और उपन्यास 'आज बाजार बंद है' में वेश्याओं का उपयोग राजनेता किस प्रकार से करते हैं को पाठकों के सामने चरितार्थ किया है। एक तरफ तो वह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, द्वारा वेश्याओं की वास्तविक स्थिति में बदलाव का नारा देते हैं। संसद में वेश्या उन्मूलन पर चर्चा होती है, लेकिन दूसरी ओर राज्य व्यवस्था इसकी राजनीति करने में ही धन्यता मानता है। उपन्यास में एक महिला सांसद

कहती है -सरकार क्या कर रही है? यह सभी को मालूम है, आप ही मंत्रालय से दलितों, विकलांगों, महिलाओं के नाम पर करोड़ों रुपया को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है सुधार किसका हो रहा है? चंद भइवे और दलालों का।'⁴ उपर्युक्त उपन्यास में नैमिशराय जी ने दलितों के राजनीतिक जीवन को चरितार्थ किया है। राजनीतिक जीवन में दलितों के शोषण का वास्तविक क्षेत्र पाठकों के सामने रेखांकित किया है। लेखक ने दलितों की उस कुंठा को उपन्यास में स्थान दिया है जो दलितों की आत्मा में समाहित थी।

मोहनदास नैमिशराय जी ने अपने उपन्यासों में आत्महीनता से बाहर निकल कर पात्रों के संघर्ष को दिखाया जो अपने आत्मसम्मान और हक की लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। लेखक अपने उपन्यास के पात्रों को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति नहीं चाहते हैं उन्हें जागरूक, संगठित और संघर्षशील बनाना चाहते हैं। लेखक के उपन्यास, कहानी, नाटक या आत्मकथा किसी भी विधा में दलितों की कुंठाओं को यथार्थ स्थिति में चित्रित किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. मुक्ति पर्व, मोहनदास नैमिशराय पृष्ठ संख्या 77
2. वीरांगना झलकारी बाई, मोहनदास नैमिशराय पृष्ठ संख्या 23
3. क्या मुझे खरीदोगे, मोहनदास नैमिशराय पृष्ठ संख्या 45
4. आज बाजार बंद है, मोहनदास नैमिशराय पृष्ठ संख्या 40

Lawyer's Strike & Professional Ethics

Barkha Dwivedi* Dr. Charu Chandra Vyas**

*Research Scholar (Law) School of Legal Studies LNCT University, Bhopal (M.P.) INDIA
 **Assistant Professor (Law) School of Legal Studies LNCT University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: The legal profession occupies a vital role in ensuring the administration of justice, upholding the rule of law, and safeguarding constitutional rights. However, recurrent strikes and abstention from court proceedings by lawyers in India have raised critical concerns regarding professional ethics and the effective functioning of the justice delivery system. This research paper examines the socio-legal dimensions of lawyers' strikes, analyzing their impact on litigants, judicial efficiency, and public trust in the legal system. The study investigates the ethical obligations imposed on advocates under the Advocates Act, 1961, the Bar Council of India Rules, and constitutional mandates, emphasizing principles such as duty to the court, duty to clients, and commitment to legal justice. Through review of landmark judicial pronouncements including Ex-Capt. *Harish Uppal v. Union of India (2003)*, this paper highlights that lawyers' strikes are considered illegal and unjustified, except under the most exceptional circumstances. The research also explores the underlying causes of professional protests—ranging from political influence to institutional dissatisfaction—and assesses alternative mechanisms for expressing collective grievances without hampering court proceedings. The findings underscore the need for stronger regulatory enforcement, ethical sensitization, accountability mechanisms, and constructive dialogue between Bar Associations and judicial authorities. Ultimately, the paper advocates for ethical legal practice that balances advocacy rights with the paramount obligation to ensure uninterrupted access to justice.

Keywords: Lawyers' strike, Professional ethics, Bar Council of India, Access to justice, Legal profession in India, Judicial decisions.

Introduction - The profession of law needs not only high depth of knowledge of law and other Social Sciences but also a sense of social responsibility which calls for high and noble conduct. Lawyers provides free legal assistance to the indigent and oppressed persons who cannot pay fully reasonable or advocate and that within the limits of an of an advocates economic condition. To our distinct concept in commercial activity – one works for gain or profit were as in profession one works for his livelihood as well as social task. In this research work we discussed the social responsibilities of advocates in modern Era with special reference to advocates protection Act, 1961.

Law and legal system both are the effective means or instrument by which social order can be mentioned in society. The lawyers, advocates and judges al therefore enjoy a pride place in the society by virtue of their character and skill of laws and a step further, the service they render to the society their primary function is to solve people's problem and help the poor mass in realizing their legitimate dues within reasonable time.

It is true that lawyers allows are professions not only to grow as individuals and collectively but also the chance to take an active role in the advancement of society. Social

responsibility is essentially argument about the limits that applied to the judgmental moral obligation that lawyer have to faithfully play their role in the larger legal system.

In 1923 the Full Bench of Hon'ble Calcutta High Court in Tarini Mohan Borari's case,¹ 10 deprecated the pleader's act of boycotting the Court and abstaining from attending the Court deliberately. The Division Bench of Rangoon High Court in case of RE: Pleader² held the abstaining of pleader from Court without client's consent and leaving him undefended amounted to professional misconduct. Further, the Hon'ble Supreme Court in Bramha Prakash Sharma v. State of M.P.,³ held the resolution passed by the Bar Association expressing want of confidence amounting to contempt of court.

In Bar Council of Maharashtra v. M.V. Dabholkar,⁴ the Hon'ble Supreme Court expressed that the main function of the legal profession is to promote the administration of the justice and the Bar cannot behave with doubtful scruples or strive to thrive on litigation. In Pandurang Dattatraya Khandekar v. Bar Council

Maharashtra,⁵ it was observed that the Advocates are expected to follow norms of professional ethics and try to protect the interest of their clients. Thus, it would be against

professional ethics for a lawyer to abstain from the Court when the case of his client is called for hearing.

Further, in *S.J. Choudhary v. State (Delhi Admn.)*,⁶ the Hon'ble Supreme Court reminded that a lawyer is under obligation to do nothing that shall detract from the dignity of the Court, of which he is himself a sworn officer and assistant. He should at all times pay differential respect to the Judge, and scrupulously observe the decorum of the Courtroom. And if he fails to attend the Court he will be committing a breach of professional duty. Later, in *Sanjeev Dutta v. Deputy Secretary*,⁷ the Hon'ble Supreme Court cautioned the lawyers to improve the quality of service there under both to the litigant public and the Courts and to brighten their image in society.

The Hon'ble Supreme Court in *Ramon Services Pvt. Ltd. v. SubhashKapoor*,⁸ reiterated that by striking work, the lawyers fail in their contractual and professional duty to conduct the cases for which they are engaged and paid. It has been further held though the Bar and Bench are two inextricable wings of the judicial forum and therefore the mutual respect is sine qua non for the efficient functioning but that does not mean that any Advocate or a group of them can boycott the Courts and ask the Court to desist from discharging judicial function. At any rate, no Advocate can ask the Court to avoid a case on the ground that he does not want to appear in the Court.

A Division Bench of Hon'ble Punjab and Haryana High Court in *State of Haryana v. Rai Sahab*,⁹ taking a strict view held that only due to Advocate's abstaining from Court work, Courts should not strike their responsibility by not deciding cases in accordance with law. Similarly, in *Rajendra Singh v. Union of India*,¹⁰ it was held that in case of lawyer's strike Judges can dispose of cases themselves even when unaided by lawyers. The Hon'ble Supreme Court too in *Common Cause, a Society v. Union of India*,¹¹ held that the cases must proceed when they appear on board and should not ordinarily be adjourned on account of the absence of lawyers unless there are cogent reasons to do so. In *K. John Koshy v. Dr. Tarakeshwar Prasad*,¹² it was observed that the Court is under an obligation to hear and decide cases brought before it and cannot shirk that obligation on the ground that the Advocates are on strike.

The Hon'ble Supreme Court in *Mahavir Prasad Singh v. Jacks Aviation*,¹³ held that judicial function cannot and should not be permitted to be stonewalled by browbeating or bullying methodology, whether it is by litigants or by counsel. Judicial process must run its even course unbridled by any boycott call or the bar or tactics of filibuster adopted by any member thereof.

In *Koluttumottil Razak v. State of Kerala*,¹⁴ the Hon'ble Supreme Court considering a case in which appellant was in jail heard and decided during lawyer's strike observing that Court should in such cases look into the matter itself and interfere if necessary on merits, else article 21 may be violated.

But as a matter of fact the subordinate judiciary proved to be helpless during strikes and it always adopted a safer course to yield to such activities. Usually the Courts have been nothing more than a silent spectator of the event. Thus, the normal Court working has always been a far cry during the period of lawyers' strike.

The Hon'ble Supreme Court in *Ramon Services Pvt. Ltd. v. SubhashKapoor*,¹⁵ has held that in case an advocate fails to attend the Court on account of lawyers' strike, without informing his client to make necessary arrangement, the Court has power to permit the party to realize the costs from the advocate concerned. An advocate cannot get absolved merely on the ground that he did not attend Court as he or his association was on strike.

The question whether an advocate is having the right to go on strike or boycott the Courts was considered by the Hon'ble Supreme Court also in the case of *Ex. Capt. Harish Uppal v. Union of India*.¹⁶ The Apex Court analyzed the aspect in detail and settled the law. The lawyers who are officers of the Court cannot use strike as a weapon against the Court or against the client. It is already settled law that a lawyer who has accepted a brief must attend the Court, and if he does not attend the Court, it would amount to professional misconduct. According to the Bar Council of India Rules, 1975 'an advocate shall, at all times comport himself in a manner befitting his status as an officer of the Court, a privileged member of the community and a gentleman, bearing in mind that what may be lawful and moral for a person who is not a member of the Bar or for a member of the bar in his non-professional capacity, may still be improper for an advocate'. Hence, it is unprofessional and unethical to organize and participate in a strike. Being a responsible officer of the Court, an advocate cannot go on strike as it interferes with the administration of justice. The phenomenon of going on strike at the slightest provocation is on the increase. Often strikes and calls for boycott have paralysed the functioning of the Courts for a number of days. In a joint meeting of the Chairmen of the various State Bar Councils and members of the Bar Council of India held in September, 2000, it has been resolved to constitute grievances redressal communities at the Taluk, District, High Court and Supreme Court levels.

In *Madras Sugar Ltd. v. The State of Tamil Nadu*,¹⁷ the Madras High Court held that no advocate has a right to abstain from Court without first returning the brief to his client and refunding the fees received from him. Boycotting Courts have become a regular feature and almost throughout the year one section or the other of the members of the bar abstains from Courts. If Courts choose to remain silent witnesses and help such lawyers to stay away from Courts by adjourning the case, it will not be a case of failure to exercise jurisdiction and dereliction of duty but also abetment of the unlawful and unethical activities of the advocates. When an advocate is entrusted with a brief, he is expected to follow norms of professional ethics and try

to protect the interest of his client in relation to whom he occupies a position of trust. In Bar of Maharashtra,¹⁸ it was observed that the Advocates are expected to follow norms of professional ethics and try to protect the interest of their clients. Thus, it would be against professional ethics for a lawyer to abstain from the Court when the case of his client is called for hearing.

Further, in **S.J. Choudhary v. State (Delhi Admn.)**,¹⁹ the Hon'ble Supreme Court reminded that a lawyer is under obligation to do nothing that shall detract from the dignity of the Court, of which he is himself a sworn officer and assistant. He should at all times pay differential respect to the Judge, and scrupulously observe the decorum of the Courtroom. And if he fails to attend the Court he will be committing a breach of professional duty. Later, in **Sanjeev Dutta v. Deputy Secretary**,²⁰ the Hon'ble Supreme Court cautioned the lawyers to improve the quality of service thereunder both to the litigant public and the Courts and to brighten their image in society.

The Hon'ble Supreme Court in **Ramon Services Pvt. Ltd. v. Subhash Kapoor**,²¹ reiterated that by striking work, the lawyers fail in their contractual and professional duty to conduct the cases for which they are engaged and paid. It has been further held though the Bar and Bench are two inextricable wings of the judicial forum and therefore the mutual respect is sine qua non for the efficient functioning but that does not mean that any Advocate or a group of them can boycott the Courts and ask the Court to desist from discharging judicial function. At any rate, no Advocate can ask the Court to avoid a case on the ground that he does not want to appear in the Court.

A Division Bench of Hon'ble **Punjab and Haryana High Court in State of Haryana v. Rai Sahab**,²² taking a strict view held that only due to Advocate's abstaining from Court work, Courts should not strike their responsibility by not deciding cases in accordance with law. Similarly, in **Rajendra Singh v. Union of India**,²³ it was held that in case of lawyer's strike Judges can dispose of cases themselves even when unaided by lawyers. The Hon'ble Supreme Court too in **Common Cause, a Society v. Union of India**,²⁴ held that the cases must proceed when they appear on board and should not ordinarily be adjourned on account of the absence of lawyers unless there are cogent reasons to do so. In **K. John Koshy v. Dr. Tarakeshwar Prasad**,²⁵ it was observed that the Court is under an obligation to hear and decide cases brought before it and cannot shirk that obligation on the ground that the Advocates are on strike.

The Hon'ble Supreme Court in **Mahavir Prasad Singh v. Jacks Aviation**,²⁶ held that judicial function cannot and should not be permitted to be stonewalled by browbeating or bullying methodology, whether it is by litigants or by counsel. Judicial process must run its even course unbridled by any boycott call or the bar or tactics of filibuster adopted by any member thereof.

In **Koluttumottil Razak v. State of Kerala**,²⁷ the Hon'ble Supreme Court considering a case in which appellant was in jail heard and decided during lawyer's strike observing that Court should in such cases look into the matter itself and interfere if necessary on merits, else article 21 may be violated.

But as a matter of fact the subordinate judiciary proved to be helpless during strikes and it always adopted a safer course to yield to such activities. Usually the Courts have been nothing more than a silent spectator of the event. Thus, the normal Court working has always been a far cry during the period of lawyers' strike.

The Hon'ble Supreme Court in **Ramon Services Pvt. Ltd. v. Subhash Kapoor**,²⁸ has held that in case an advocate fails to attend the Court on account of lawyers' strike, without informing his client to make necessary arrangement, the Court has power to permit the party to realize the costs from the advocate concerned. An advocate cannot get absolved merely on the ground that he did not attend Court as he or his association was on strike.

The question whether an advocate is having the right to go on strike or boycott the Courts was considered by the Hon'ble Supreme Court also in the case of **Ex. Capt. Harish Uppal v. Union of India**.²⁹ The Apex Court analyzed the aspect in detail and settled the law. The lawyers who are officers of the Court cannot use strike as a weapon against the Court or against the client. It is already settled law that a lawyer who has accepted a brief must attend the Court, and if he does not attend the Court, it would amount to professional misconduct. According to the Bar Council of India Rules, 1975 'an advocate shall, at all times comport himself in a manner befitting his status as an officer of the Court, a privileged member of the community and a gentleman, bearing in mind that what may be lawful and moral for a person who is not a member of the Bar or for a member of the bar in his non-professional capacity, may still be improper for an advocate'. Hence, it is unprofessional and unethical to organize and participate in a strike. Being a responsible officer of the Court, an advocate cannot go on strike as it interferes with the administration of justice. The phenomenon of going on strike at the slightest provocation is on the increase. Often strikes and calls for boycott have paralysed the functioning of the Courts for a number of days. In a joint meeting of the Chairmen of the various State Bar Councils and members of the Bar Council of India held in September, 2000, it has been resolved to constitute grievances redressal committees at the Taluk, District, High Court and Supreme Court levels.

In **Madras Sugar Ltd. v. The State of Tamil Nadu**,³⁰ the Madras High Court held that no advocate has a right to abstain from Court without first returning the brief to his client and refunding the fees received from him. Boycotting Courts have become a regular feature and almost throughout the year one section or the other of the members of the bar abstains from Courts. If Courts choose to remain

silent witnesses and help such lawyers to stay away from Courts by adjourning the case, it will not be a case of failure to exercise jurisdiction and dereliction of duty but also abetment of the unlawful and unethical activities of the advocates. When an advocate is entrusted with a brief, he is expected to follow norms of professional ethics and try to protect the interest of his client in relation to whom he occupies a position of trust. In **Bar of Maharashtra v. M.V. Dabholkar**³¹, the Supreme Court held that the bar is not a private guild like that of barbers, butchers and candlestick makers, but by bold contrast, a public institution committed to public justice and public service. The grant of monopoly license to practice law is based on three assumptions:

1. There is socially useful function for the lawyers to perform;
2. The lawyer is a professional person who will perform that function: and
3. His performance as professional person is regulated by himself and more formally by the profession as a whole. The central function that the legal practitioners must perform is nothing less than the administration of justice."

In **Lal Mohammed v. M.S.T. Haroon**³², the council did not appear in the Court on account of advocate's strike when the case was called for hearing. Later on restoration application was submitted, but was rejected by the Court. In **Rajendran Nagercoil Municipality**³³, a petition was filed for transferring the case from one Court to another, because the lawyers were avoiding appearance before Courts by adopting the measure of boycott. The Madras High Court held that refusal of the lawyers to appear and plead before Courts is no ground to transfer the case from one Court to another. The Court observed that the advocate's profession is accepted as a noble one by the entire world. And it is very sorry state of affairs when lawyers assume a role of trade union for their demands.

The advocates share with the judges the responsibility of maintaining order in the community. Law's nobility as a profession lasts only so long as the members maintain their commitment to integrity and service to the community. Indeed, the monopoly conferred on the legal profession by Parliament is coupled with a responsibility—a responsibility towards the people. That is why the Apex Court has observed that strikes by advocates are illegal and that Courts must take a very serious view of strikes and calls for boycott. It was also observed that a protest on an issue involving dignity, integrity and independence of the Bar and judiciary, provided it does not exceed one day may be overlooked by Courts, who may turn a blind eye for that one day.

The lawyers can get redressal of their grievance by passing of resolutions, making representations and taking out silent processions, holding dharnas or to resort to relay fast, having discussion by giving T.V. interviews and press statements.

Conclusion: The ethical foundation of the legal profession is rooted in the fundamental duty to uphold justice, fairness, and the rule of law. Lawyers' strikes and boycotts of court proceedings, although sometimes motivated by genuine concerns, undermine judicial efficiency and violate core professional obligations. The Indian judiciary has consistently held that such strikes are illegal except in extremely exceptional situations threatening the legal system itself. Ensuring uninterrupted access to justice must remain paramount. Thus, a balanced approach—integrating ethical conduct, institutional reforms, and constructive communication—can harmonize advocates' rights with the justice needs of society. A more ethically committed and professionally accountable Bar is essential to sustaining public confidence in India's legal system.

Suggestions:

(i) Strict Regulatory Enforcement- The Bar Council of India must strictly enforce ethical guidelines and initiate disciplinary actions against unlawful strikes to maintain professional accountability.

(ii) Alternative Mechanisms for Protest- Lawyers should adopt lawful and constructive forms of protest such as representations, peaceful demonstrations outside court premises, or mediation with authorities rather than court boycotts.

(iii) Ethics Training & Continuous Legal Education (CLE)- Mandatory ethics and professional responsibility workshops should be conducted to promote awareness of duties toward clients and the judiciary.

(iv) Strengthening Dialogue between Bar & Bench- Institutional grievance redressal committees should be established to resolve conflicts promptly without disrupting judicial functioning.

(v) Transparency within Bar Associations -Decisions regarding collective actions must be democratic, avoiding political influence and prioritizing public interest.

(vi) Client-Centered Approach- Advocates should ensure that no protest affects a litigant's right to timely justice, especially in criminal, bail, and time-sensitive matters.

References:-

1. ALR 1923 Cal. 212.
2. A.L.R. 1924 Rangoon 320.
3. ALR 1954 S.C. 10.
4. A.L.R 1976 S.C. 242.
5. ALR 1984 S.C. 110.
6. A.L.R. 1984 S.C. 618.
7. 1995 A.I.R. S.C.W. 2203.
8. A.L.R. 2001 S.C. 207.
9. 1993 Cr. L.J. 636.
10. 1993 Cr. L.J. 1968.
11. (1994) 5 S.C.C. 557.
12. (1998) 8 S.C.C. 624.
13. A.I.R. 1999 S.C. 287.
14. (2000) 4 S.C.C. 465.

15. A.I.R. 2001 S.C. 207	25. (1998) 8 SCC 624
16. A.I.R. 2003 S.C. 739 (2003) 2 S.C.C. 45	26. AIR 1999 SC 287
17. (1995) 2 Mad. L.W. 932	27. (2000) 4 SCC 465
18. AIR 1984 SC 110	28. AIR 2001 SC 207
19. AIR 1984 SC 618 201995 AIR SCW 2203 21AIR 2001 SC 207	29. AIR 2003 SC 739
22. 1993 Cr. LJ 636	30. 1995, 2 Mad. L.W. 932
23. 1993 Cr. LJ 1968	31. AIR 175 SC 2032
24. (1994) 5 SCC 557	32. AIR 1995 Raj. 42
	33. 1995 (2) Mad. LW 111

छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

आशिष कुमार* डॉ. एल.एस. गजपाल**

* शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – छत्तीसगढ़ राज्य, जो भारत के मध्य में स्थित है, अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और विविध जनजातीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में गोंड, उरांव, भतरा, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, भुंजिया, पंडो, अबुझमाड़िया आदि प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं, जो मुख्यतः वन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 30.62 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। इन समुदायों में गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं, जिसके कारण वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता का अभाव उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रमुख बाधा बनता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में निवास करने वाली जनजातियों के बीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि ये कार्यक्रम किस हद तक जनजातीय समुदाय के आर्थिक व्यवहार, बचत प्रवृत्ति, ऋण प्रबंधन, निवेश और सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव डाल रहे हैं। अध्ययन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। उत्तरदाताओं का चयन दैवनिर्देशन (लॉटरी) विधि से किया गया है। डेटा संग्रह प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं पर्यवेक्षण विधियों के माध्यम से किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों ने जनजातीय समुदायों में बैंकिंग सेवाओं के उपयोग, बचत खातों की संख्या, और ऋण सुविधाओं की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि की है। लगभग 50% उत्तरदाता अब बैंकिंग सेवाओं से परिचित हैं, जबकि 46% लोग औपचारिक ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण एवं सामुदायिक एकता में भी वृद्धि हुई है। तथापि, सांस्कृतिक रूढ़िवाद, भाषा अवरोध और सूचना की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। अध्ययन निष्कर्ष रूप में दर्शाता है कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम जनजातीय समाज में आर्थिक जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन के सशक्त साधन के रूप में उभर रहे हैं।

शब्द कुंजी – जनजातियों समाज, सामाजिक-संस्कृति, आर्थिक, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवहार।

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य राज्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं संभाग की जनजातियों का भूमि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जनजाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 में अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान दिया गया है। राज्य में 43 प्रकार के जनजाति पाई जाती है जो 161 और समूह में विभाजित जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ में कुल-7 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है जिसमें 5 जनजाति केन्द्र सरकार की जनजाति समूह अबुझमाड़िया, बैग, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा है। राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजाति समूह पण्डो, भुंजिया को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है। वित्तीय साक्षरता का अर्थ – धन का उचित प्रबंध करना है। जिसमें किसी व्यक्ति के तर्क बुद्धि, ज्ञान, कौशल के माध्यम से अपने आय और व्यय, बचन, निवेश, और ऋण का सही प्रबंध को शामिल किया गया है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, जो धन प्रबंधन, बचत, निवेश, ऋण प्रक्रिया और डिजिटल बैंकिंग की समझ प्रदान करते हैं, इन समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक परिवर्तन लाने का एक

महत्वपूर्ण साधन हैं। वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता वर्तमान समय में जनजाति समाज द्वारा प्राप्त आय को बचत एवं प्रबंध करने का ज्ञान नहीं है। और डिजिटल बैंकिंग जैसे विषयों की समझ। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान और राज्य स्तरीय पहलों जैसे छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम न केवल आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सामाजिक संरचना में बदलाव लाते हैं, जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ना और पारंपरिक अर्थव्यवस्था से आधुनिक संक्रमण। तथापि, जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषाई बाधाएं और भौगोलिक दुर्गमता इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह अध्ययन इन कारकों का परीक्षण करेगा कि कैसे वित्तीय साक्षरता सामाजिक गतिशीलता, लिंग समानता और सामुदायिक एकता को प्रभावित करती है। यही कारण जनजाति समाज में प्राप्त आय और खर्च के बीच बचत का लेखा-जोखा करना और आय का सही प्रबंधन नहीं है। जनजाति समूह गैर व्यय ज्यादा कर देते हैं। इस अध्ययन से जनजाति समाज को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से कब, कहां कैसे आय

को बचत करना है वर्तमान परिदृश्य में उपभोक्ता संचालित इस समाज में अधिक व्यय और आवेगपूर्ण खरीदारी के चक्र में फंसना आसान है। वित्तीय साक्षरता शिक्षित व्यक्तियों, नागरिकों, छात्रों को जिम्मेदारी से खर्च करने की आदत विकसित करने और जरूरत और इच्छाओं के बीच अंतर समझने में मदद करती है। यह आवश्यक खर्चों और विवेकधीन खर्चों के मध्य अंतर करना सीख कर व्यक्तियों को एक विवेकपूर्ण विकल्प का चयन करता है।

साहित्य का पुनरावलोकन

परमेश्वर राव (2013) का अध्ययन आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण परिवार के बीच वित्तीय समावेश की स्थिति का अध्ययन किया है अध्ययन का उद्देश्य यह है कि आन्ध्र प्रदेश के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक का अध्ययन करना एवं मंडल ब्लाक स्तर पर घरेलू स्तर पर वित्तीय समावेशन के सूचकांक का अनुमान लगाना वित्तीय समावेश के लिए सरकारी पहलू नीतिगत मुद्दों और चुनौतियां व्यावसायिक रणनीतियां ऋण वितरण चैनलों का अध्ययन करना इन्होंने आरबीआई सूचकांक शोध अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है। अध्ययन में आन्ध्र प्रदेश के तीन जिलों के 6 मंडलों के 12 गांव को शामिल किया गया है जिसमें 780 परिवार का मल्टी स्तरी नमूनाकरण तकनीक विधि के द्वारा साक्षात्कार अनुसूची उपकरण के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया है। शोध का सुझाव वित्तीय सेवाओं को प्रबंध होना चाहिए जिससे धन और बीमा सुविधा हो सके। बैंकिंग सेवा गांव-गांव में तेजी से आ सके, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग प्रणाली को सरकार द्वारा प्रोत्साहन करना चाहिए। अपने अध्ययन में इस प्रकार सुझाव दिया है।

के बेंद्रे, अनुभा (2017) ने छत्तीसगढ़ के चयनित जिलों में लोगों की सेवानिवृत्ति योजना निर्णय लेने पर वित्तीय साक्षरता का अध्ययन किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ठडथ्स उज्ज्वल बहु कार्यात्मक ल्यूमिनेयर आधारित वित्तीय साक्षरता स्तर की गणना और विश्लेषण करना एवं छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाने में बैंकों सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं का कथित संक्षेप प्रभाव का जांच करना। शोध में स्तरीकृत या 2 चिह्नक नमूना पद्धति का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के 1422 लोगों पर वित्तीय साक्षरता का अध्ययन किया गया है। आंकड़ों का संकलन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से संकलन किया गया है। शोध का निष्कर्ष उत्तरदाताओं द्वारा अधिकांश रूप से नगद मोड पर वित्तीय लेनदेन पर रुचि रखते हैं। उत्तरदाता द्वारा मोबाइल, नेट बैंकिंग, पेटिएम, का उपयोग कम किया जाता है। अधिकांश लोग एल आई सी कराया है शोध का सुझाव सामाजिक उत्थान सहकारी संगठन गैर सरकारी संगठन को वित्तीय शिक्षा प्रदान करना चाहिए, बैंक और वित्तीय एजेंसियों को ग्रामीण शहरी क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम चलाना चाहिए।

बालसुंदरी पी (2018) ने नीलगिरी जिले में जनजातीय परिवार का वित्तीय समावेशन और साक्षरता का अध्ययन किया है। अध्ययन का उद्देश्य यह दर्शाता है, कि अध्ययन क्षेत्र में जनजाति परिवारों के बीच वित्तीय साक्षरता और समावेशन के स्तर और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने से जुड़े समस्याओं का पता लगाना एवम् आदिवासी परिवारों के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता करना एवं इन्होंने सर्वेक्षण एवं वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया है तथा अपने अध्ययन में तमिलनाडु के नीलगिरी

जिले के चार विकासखंड के 10-10 गांवों के कुल 40 गांव का चयन जिसमें 582 परिवार के व्यक्तियों का साक्षात्कार अनुसूचियां का प्रयोग कर प्रश्नावली में बंद एवं खुली प्रश्नावली का उपकरण के माध्यम से तथ्यों का संकलित किया है स अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है की जनजातियों में वित्तीय संस्थानों की बंद मानसिकता गरीब लोगों और अन्य बहिष्कृत लोगों द्वारा प्रोत्साहन तथा वित्तीय निर्माण समावेशन नीति तैयार करना गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने और सरकारों को अपने लोगों के प्रति सेवा सुचारु रूप से पहचाना सीखना चाहिए उन्होंने अपने अध्ययन में यह सुझाव दिया है, की जनजाति के स्व सहायता समूह को वित्तीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए सार्वजनिक निजी बैंक को अपनी वित्तीय सेवा केंद्र जनजाति क्षेत्र में विस्तार करना चाहिए सहकारी बैंकों को उनके पुनर्वासन किया जाना और वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कम दर पर ऋण देना चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का धीरे-धीरे विकास करना चाहिए।

छेत्री, प्रमेश. (2019) ने दार्जिलिंग जिले में वित्तीय साक्षरता पहला और प्रभाव पर अध्ययन किया है स अध्ययन का उद्देश्य यह है, कि दार्जिलिंग जिले के वित्तीय साक्षरता के स्तर को मापना वित्तीय साक्षरता पहलों की जांच करना और भविष्य की दिशाएं सुलझाना दार्जिलिंग जिले पहाड़ी इन्होंने नमूना कारण विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया है इन्होंने अपने अध्ययन में दार्जिलिंग जिले के पांच नगरपालिकाओं और 12 ब्लॉकों के 530 परिवारों के उत्तरदाताओं का यादृच्छिक नमूनाकारण तकनीक प्रश्नावली उपकरणों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है, कि वित्तीय साक्षरता देश के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स वैश्वीकरण के युग में वित्तीय ज्ञान न केवल सुविधा बन गया है स बल्कि सूचित उपभोक्ता विकल्प के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया है, और सलाह के प्रावधान से परे हैं इन्होंने अपने अध्ययन में यह सुझाव दिया है, कि इस डिजिटल युग में भारत नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में पीछे रहा है, दार्जिलिंग के बहुत से जिले अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में लोगों के वित्तीय साक्षरता कक्षाओं में भाग लेने के लिए संभावना नहीं है, इन सभी को देखते हुए स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता संभावना नहीं है।

मंजू (2021) ने छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता के स्तर का अध्ययन किया है। अध्ययन का उद्देश्य यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता के स्तर का पता लगाना एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक जनसंख्या और उनकी वित्तीय समृद्धि के स्तर के बीच संबंध का पता लगाना है। शोध पद्धति में खोजपूर्ण और वर्णनात्मक डिजाइन का प्रयोग किया गया है। शोध का अध्ययन क्षेत्र राज्य के दो जिले के दो ब्लॉक में से 50-50 उत्तरदाताओं को चयन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य %

1. अध्ययन गत जनजातियों की सामाजिक-संस्कृति स्थिति का अध्ययन करना।
2. अध्ययन गत जनजातियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. वित्तीय साक्षरता के प्रति जनजातियों को जागरूकता की स्थिति को अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध की अध्ययन पद्धतिया

अध्ययन पद्धति – शोध की प्रविधि अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है बिना इसके शोध कार्य नहीं किया जा सकता अनुसंधान के तथ्यों के स्रोत के आधार पर सही तथ्यों को सामने लाया जा सकता है सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होने के कारण हम अपने उद्देश्य सरलता से प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जबकि योजना बंद तरीके से अनुसंधान कार्य का समापन संपादन किया जाए।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धति को तीन भागों में बांटा गया है%

1. अध्ययन क्षेत्र का परिचय
2. उत्तरदाताओं का चुनाव
3. तथ्यों का प्रस्तुतीकरण

1 शोध क्षेत्र का परिचय – गरियाबंद जिला, छत्तीसगढ़ राज्य का एक नवगठित जिला है, जिसका गठन 1 जनवरी 2012 को रायपुर जिले से अलग करके किया गया था। इसका मुख्यालय गरियाबंद शहर में है। यह जिला 5,822.861 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इसके पड़ोसी जिले धमतरी, महासमुंद, और ओडिशा के नबरंगपुर, कालाहांडी, और नुआपाड़ा जिले हैं। जिले की उत्तरी सीमा महानदी नदी से मिलती है, जो राजिम के पास पैरी नदी के साथ संगम बनाती है। पैरी और सोदूर नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और राजिम में त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसे छत्तीसगढ़ का 'प्रयागराज' कहा जाता है, जहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम कुम्भ मेला आयोजित होता है। जिले का 50.41% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जिसमें उदंती-सितानदी टाइगर रिजर्व और 2,935 वर्ग किलोमीटर का गरियाबंद वन शामिल है, जो साल और सागौन जैसे संसाधनों से समृद्ध है। जिले में सात तहसीलें-गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग, राजिम, अमलीपदर, और फिगेश्वर और छह शहरी निकाय (एक नगर पालिका% गरियाबंद पांच नगर पंचायत% राजिम, छुरा, फिगेश्वर, देवभोग, कोपरा) हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की जनसंख्या 5,97,653 है, जिसमें 6.77% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, लिंगानुपात 1020 है, और साक्षरता दर 68.26% है। जनजातीय आबादी (36.14%) और अनुसूचित जातियां (17.97%) जिले की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। राजिम का राजीव लोचन मंदिर, 7वीं शताब्दी के नाला वंश के राजा विलासतुंग से संबंधित, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का है। छुरा ब्लॉक के जटमई और घटारानी झरने पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं। फिगेश्वर ब्लॉक आधुनिक कृषि का केंद्र है। गरियाबंद का इतिहास ब्रिटिश काल में महासमुंद तहसील के अंतर्गत बिंद्रानवागढ़ तहसील के रूप में शुरू हुआ, जिसे बाद में प्रशासनिक सुविधा के लिए उप-तहसीलों में विभाजित किया गया। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय जीवनशैली के लिए जाना जाता है।

2. उत्तरदाताओं का चुनाव– अध्ययन हेतु भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आईआईटी भिलाई तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा शासकीय फणीश्वरनाथ महाविद्यालय फिगेश्वर में आयोजित कार्यशाला के 50 प्रतिभागियों के 50% का अर्थात् 25 प्रतिभागियों का चयन दैवनिर्देशन की लॉटरी विधि से उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है प्रस्तुत अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन संचित साक्षात्कार अनुसूची उपकरण तथा अवलोकन प्रविधि के अध्ययन से किया गया है।

3. तथ्यों का प्रस्तुतीकरण– उत्तरदाताओं के प्रस्तुतीकरण हेतु तालिका विधि एवं अन्य सांख्यिकीय वीडियो का प्रयोग किया गया है तालिकाओं का विश्लेषण आवृत्ति प्रतिशत तथा दंड एवं रेखाचित्र की अध्ययन से किया गया है।

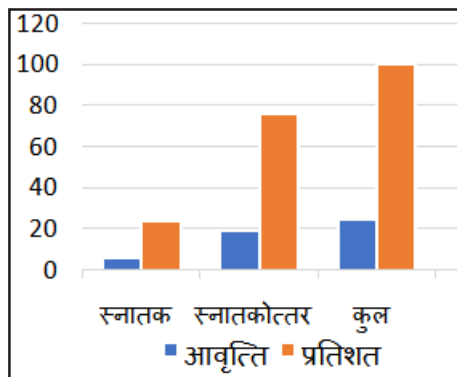
शोध सामग्री एवं विधि– इस शोध का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का गरियाबंद जिला चुना गया है, जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना तथा उन्हें वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक करना है। उत्तरदाताओं का चयन दैवनिर्देशन की लॉटरी विधि द्वारा किया गया है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। डेटा संकलन के लिए मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं समूह चर्चा जैसी विधियाँ सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार द्वितीयक आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है, जो विभिन्न सरकारी रिपोर्टें, जनगणना आंकड़ों एवं पूर्व प्रकाशित शोधों से प्राप्त किए प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनजातियों में वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण कौशल है। उत्तरदाताओं की आयु 15 से 25 वर्ष तक है जिसमें 20 महिला एवं 5 पुरुष को लिया गया है। और 11 अनुसूचित जनजातीय 2 अनुसूचित जाति तथा 12 अन्य पिछड़ा वर्ग से लिया गया है। चयनित उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वित्तीय साक्षरता की जागरूकता का अध्ययन किया गया है। अधिकतर उत्तरदाताओं को टीवी, मोबाइल, न्यूज पेपर आदि विज्ञापन के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का जानकारी प्राप्त होती है। सभी उत्तरदाताओं के पास बैंक खाता एवं मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं और उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन के माध्यम से खरीदी बहुत ही कम करते हैं।

शोध में प्राप्त आंकड़ों का विवरण

सारणी क्र. 1 : में उत्तरदाताओं की शिक्षा का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की शिक्षा की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्नातक	06	24
2	स्नातकोत्तर	19	76
	कुल योग	25	100

स्रोत- प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित

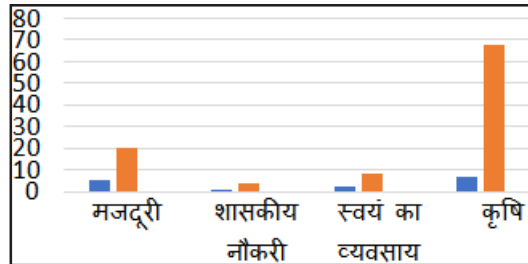


उपरोक्त सारणी में उत्तरदाताओं की शिक्षा की स्थिति का विवरण को स्पष्ट किया गया है। जिसमें कुल 25 उत्तरदाताओं में से 24 प्रतिशत (06) उत्तरदाता स्नातक की है और 76 प्रतिशत उत्तरदाता (19) उत्तरदाता स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अच्छी है।

सारणी क्र. 2 : उत्तरदाताओं की व्यवसाय का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की व्यवसाय की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	07	68
2	मजदूरी	05	20
3	शासकीय नौकरी	01	04
4	स्वयं का व्यवसाय	02	08
	कुल योग	25	100

स्रोत- प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित

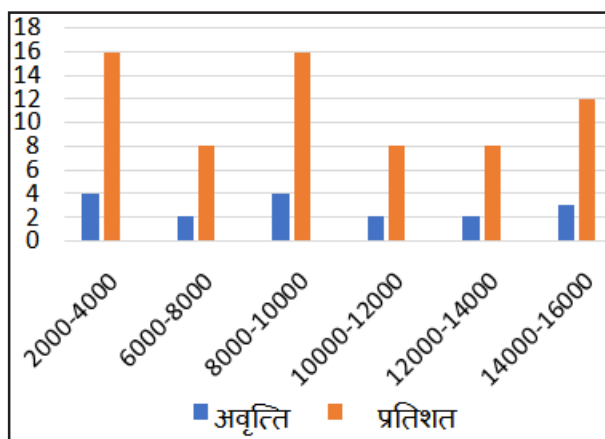


उपरोक्त सारणी में उत्तरदाताओं की व्यवसाय की स्थिति का विवरण को स्पष्ट किया गया है। जिसमें कुल 25 उत्तरदाता में से 68 प्रतिशत (17) उत्तरदाता कृषि का कार्य करते हैं 20 प्रतिशत उत्तरदाता (05) उत्तरदाता मजदूरी का कार्य करते हैं 04 प्रतिशत (01) उत्तरदाता शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तथा 08 प्रतिशत (02) उत्तरदाता स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 68 प्रतिशत (17) उत्तरदाता कृषि कार्य करते हैं और सबसे कम शासकीय सेवा में 04 प्रतिशत (01) उत्तरदाता है।

सारणी क्र. 3 : में उत्तरदाताओं की मासिक आय का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की मासिक आय की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	2000-4000	08	32
2	4000-6000	04	16
3	6000-8000	02	08
4	8000-10000	04	16
5	10000-12000	02	08
6	12000-14000	02	08
7	14000-16000	03	12
	कुल योग	25	100

स्रोत- प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित

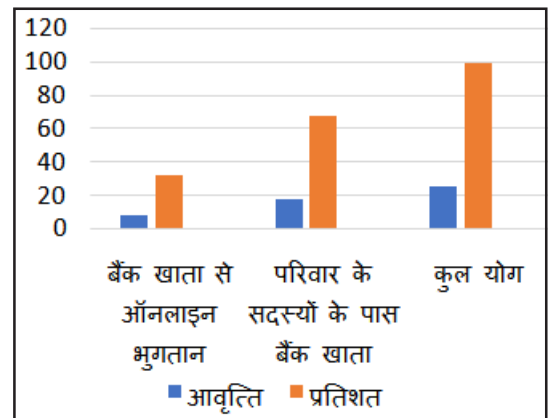


उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की मासिक आय में विविधता है। सर्वाधिक 32% उत्तरदाता रु2000-रु4000 की आय श्रेणी में आते हैं, जो दर्शाता है कि यह आय वर्ग सर्वाधिक सामान्य है। इसके बाद रु4000-रु6000 और रु6000-रु8000, रु8000-रु10000 आय वर्ग में प्रत्येक 16% उत्तरदाता हैं। रु6000-रु8000, रु10000-रु12000, और रु12000-रु14000 की श्रेणियों में प्रत्येक 8% उत्तरदाता हैं, जबकि रु14000-रु16000 आय वर्ग में 12% उत्तरदाता शामिल हैं। कुल मिलाकर, 25 उत्तरदाताओं के उत्तरों के आधार पर यह आंकड़े प्रस्तुत किए।

सारणी क्र. 4 : उत्तरदाताओं की बैंक खाता एवं ऑनलाइन भुगतान जानकारी का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की शिक्षा की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बैंक खाता से ऑनलाइन भुगतान	08	32
2	परिवार के सदस्यों के पास बैंक खाता	17	68
	कुल योग	25	100

स्रोत- प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित



उपरोक्त सारणी में उत्तरदाताओं की शिक्षा की स्थिति का विवरण को स्पष्ट किया गया है। जिसमें कुल 25 उत्तरदाताओं में से 100 प्रतिशत (25) उत्तरदाता बैंक खाता से ऑनलाइन भुगतान करते हैं तथा 100 प्रतिशत उत्तरदाता (25) उत्तरदाता परिवार के सदस्यों के पास बैंक खाता उपलब्ध है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में बैंक खाता एवं ऑनलाइन भुगतान जानकारी 100 प्रतिशत मिल चुका है।

क्र.	स्थिति	स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कार्यक्रम जानकारी का स्रोत	1 पंचायत	4	16
		2 मित्र	6	24
		3 जिला कार्यालय	2	08
		4 मीडिया	13	52
2	मोबाइल उपकरण की जानकारी होना	1 हाँ	25	100
		2 नहीं	00	00
3	मोबाइल का प्रकार	1 कीपेड	01	04
		2 स्मार्ट फोन	24	96
4	मोबाइल रखने का उद्देश्य	1 केवल कॉल करने के लिए	05	20
		2 इंटरनेट का उपयोग करने के लिए	02	08

		3 रेडियो के उपयोग हेतु	01	04
		4 सभी के लिए	17	68
5	बैंक से सम्बंधित जानकारी मोबाइल पर	1 फोन पर बैंक सम्बंधित जानकारी	13	52
		2 परिवार के सदस्य के पास बैंक खाता	12	48
6	बैंक खाता रखने का उद्देश्य	1 वेतन पाने के लिए	02	08
		2 धन को सुरक्षित रखने के लिए	08	23
		3 सरकार के तहत लाभ प्राप्त	06	24
		4 ऋण प्रयोजन के लिए	02	08
		5 सभी के लिए	07	28
7	नकद निकासी/ जमा के लिए	1 व्यक्तिगत रूप से	02	08
		2 एटीएम उपयोग	02	08
		3 दोनों	21	84
8	पैसे लेन-देन के लिए कौन से तकनीक का उपयोग	1 भीम एप	02	08
		2 पेटीएम एप	04	16
		3 फोन पे	11	44
		4 गूगल पे	04	16
		5 कुछ नहीं	04	12
			हाँ / प्रतिशत	नहीं / प्रतिशत
9	ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना	1 किराना समान	15	60
		2 मोबाइल रिचार्ज	12	48
		3 बस रेल टिकट	01	04
		4 मेडिकल स्टोर	07	28
		5 स्टेसनरी क्रय	04	16
		6 पान दुकान गुटखा खरीदी	00	00
		7 डेली निम्न समान	03	12
		8 सब्जी खरीदी	06	24
		9 कपड़े खरीदी	10	40
		10 गाड़ी में पेट्रोल /डीजल	05	20
		11 बस किराया/ सिनेमा टिकट	03	12
		12 रिस्तेदारों को पैसे भेजने	12	48
		13 अन्य खरीदी	14	56

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता आधुनिक डिजिटल साधनों से अच्छी तरह परिचित हैं। मोबाइल फोन का उपयोग 100% लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से 96% स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं।

सूचना का प्रमुख स्रोत मीडिया (52%) है, और लोग बैंक संबंधी कार्यों के लिए भी मोबाइल का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसी सेवाएँ लोकप्रिय हैं, हालांकि कुछ लोग अभी भी इन तकनीकों का उपयोग नहीं करते। ऑनलाइन भुगतान का उपयोग किराना, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद में बढ़ता दिख रहा है, परंतु बस-रेल टिकट, पान दुकान या पेट्रोल जैसी सेवाओं में इसका उपयोग अपेक्षाकृत कम है। कुल मिलाकर, यह डेटा ग्रामीण या स्थानीय समुदाय में डिजिटल साक्षरता और मोबाइल-आधारित वित्तीय लेन-देन की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है।

निष्कर्ष - अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में चलाए जा रहे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों ने जनजातीय समुदायों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पारंपरिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले इन समुदायों में अब वित्तीय जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाता अब बैंकिंग सेवाओं से परिचित हैं, जबकि 46 प्रतिशत लोग औपचारिक ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इन कार्यक्रमों ने जनजातीय समुदायों में वित्तीय संस्थानों के प्रति विश्वास बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक एकता को भी बल मिला है। हालांकि, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में अभी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भाषा की विविधता, सांस्कृतिक परंपराएँ, रूढ़िवादी दृष्टिकोण और सूचना तक सीमित पहुँच इन कार्यक्रमों के प्रभाव को पूरी तरह से साकार होने से रोकती हैं। कई जनजातीय परिवारों में अभी भी औपचारिक बैंकिंग तंत्र के प्रति झिझक और अविश्वास देखा जाता है। इसके बावजूद, यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वित्तीय साक्षरता पहले जनजातीय समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने, गरीबी घटाने और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर करने का कार्य कर रही हैं। अतः कहा जा सकता है कि यदि इन कार्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए एक स्थायी और सशक्त साधन बन सकते हैं।

सुझाव- अध्ययन के आधार पर छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों में वित्तीय साक्षरता को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं

1. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को स्थानीय जनजातीय भाषाओं में आयोजित किया जाए ताकि लोग विषयवस्तु को बेहतर ढंग से समझ सकें।
2. समुदाय के ही विश्वसनीय व्यक्तियों या स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे लोगों में विश्वास और सहभागिता बढ़े।
3. केवल बैंकिंग जानकारी तक सीमित न रहकर बजट प्रबंधन, बचत, निवेश, बीमा एवं डिजिटल भुगतान जैसी व्यावहारिक जानकारी दी जाए।
4. स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय

- निर्णयों में सशक्त बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराया जाये।
5. सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों में तालमेल स्थापित किया जाए ताकि संसाधनों का दोहराव न हो और लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचे।
 6. कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि उनके प्रभाव का आकलन कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
 7. जनजातीय क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ, एटीएम, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए ताकि डिजिटल वित्तीय सेवाओं का अधिकतम उपयोग हो सके।
 8. प्रशिक्षण सामग्री और पद्धति को जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप बनाया जाए ताकि कार्यक्रम अधिक स्वीकार्य और प्रभावी हो सकें।
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. के परमेश्वर राव 2013, अध्ययन आंध्रप्रदेश में ग्रामीण परिवार के बीच वित्तीय समावेशन की स्थिति का अध्ययन के विशेष संदर्भ में शोध प्रबंध शोधगंगा इनफिलेबनेट ए.सी.इन.पेज-29, 353,
 2. बेंद्रे अनुभव 2017 छत्तीसगढ़ के चयनित लिले में लोगों की सेवानिवृत्ति योजना निर्णय लने पर वित्तीय साक्षरता का अध्ययन विशेष संदर्भ में शोध प्रबंध शोधगंगा इनफिलेबनेट ए.सी.इन.पेज-32, 250,
 3. सिंह आनंद 2017 अध्ययन भारत में वित्तीय समावेशन और किसान का अध्ययन विशेष संदर्भ में शोध प्रबंध शोधगंगा इनफिलेबनेट ए.सी.इन.पेज-32, 33,
 4. कंबोज स्मृति 2017 वित्तीय साक्षरता और निवेश व्यवहार पर इसके प्रभाव का अध्ययन विशेष संदर्भ में शोध शोधगंगा इनफिलेबनेट ए.सी.इन.पेज-57, 160,
 5. बालसुंदरी पी 2018 निलगिरी जिले में जनजाति परिवार का वित्तीय समावेशन और साक्षरता का अध्ययन विशेष संदर्भ में शोध प्रबंध शोधगंगा इनफिलेबनेट ए.सी.इन.पेज-05, 168,

कमार जनजातियों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका : छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास परिप्रेक्ष्य में एक केस अध्ययन

कृति वर्मा * आशिष कुमार** डॉ. एल.एस. गजपाल***

* शोधार्थी, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

** शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

*** प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – यह अध्ययन इस बात की जांच करता है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कमार जनजातियों में आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका कैसे परस्पर क्रिया करती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि सरकारी पहल, एनजीओ कार्यक्रम और समुदाय-आधारित परियोजनाओं सहित ग्रामीण विकास गतिविधियां, कमार लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं। केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, पेपर पारंपरिक आजीविका रणनीति, कमाई पैदा करने वाली गतिविधियों में बदलाव, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के उपयोग तक पहुंच और स्थानीय शासन संस्थानों में भागीदारी की जांच करता है। प्राथमिक डेटा धमतरी और गरियाबंद जिलों के चुने हुए गांवों में हुए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों और फोकस समूह चर्चाओं का उपयोग करके एकत्र किया गया था। निष्कर्षों से पता चलता है कि हालांकि कुछ विकास प्रयासों के अनुभव से बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है और आजीविका की संभावनाएं बढ़ी हैं, भूमि विस्थापन, जागरूकता की कमी और सीमित बाजार पहुंच जैसी चुनौतियां स्थायी आर्थिक प्रगति में बाधा बनी हुई हैं। लेख समग्र, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भागीदारीपूर्ण ग्रामीण विकास नीतियों को बढ़ावा देने के साथ समाप्त होता है जो दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कमार जनजातियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करता है।

शब्द कुंजी –आर्थिक सशक्तिकरण, सतत आजीविका, सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, आजीविका विविधीकरण, पारंपरिक प्रथाएं, स्वदेशी समुदाय।

प्रस्तावना – कमार जनजाति भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मध्य-पूर्वी जिलों, जैसे गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी में रहते हैं। जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) द्वारा किए गए जनजातीय अध्ययनों और क्षेत्र सर्वेक्षणों के आंकड़ों के अनुसार, कमार एक वन-निर्भर जनजातीय समुदाय है, जिसकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था स्थानांतरित खेती, वन उपज संग्रह, मछली पकड़ने और मजदूरी पर आधारित है। उनकी आबादी अपेक्षाकृत कम है, अनुमानित रूप से लगभग 35,000 (जनगणना 2011 और राज्य-स्तरीय टीआरटीआई डेटा), और वे मुख्य रूप से कमार बोली बोलते हैं, जो स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा का एक रूप है। जनजाति पितृसत्तात्मक और अंतर्विवाही है, हिंदू रीति-रिवाजों के साथ-साथ जीववादी मान्यताओं का पालन करती है और स्थानीय देवताओं और प्रकृति आत्माओं की पूजा करती है। सामाजिक-आर्थिक रूप से, कमार को कम साक्षरता दर, उच्च गरीबी स्तर, कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक खराब पहुंच और भूमि हस्तांतरण सहित कई कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य ने पीवीटीजी विकास कार्यक्रम के तहत विशेष कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनमें आवास, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य

आउटरीच तक पहुंच शामिल है। इन प्रयासों के बावजूद, टीआरटीआई रिपोर्टें कमार जनजाति के सतत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अधिक समावेशी और समुदाय-विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती रहती हैं।

परंपरागत रूप से, कमार जनजाति वन-आधारित आजीविका पर निर्भर रही है, जिसमें लघु वन उत्पादों का संग्रह, शिकार और निर्वाह कृषि शामिल है। हालांकि, तेजी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों, वनों की कटाई और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण, उनकी पारंपरिक जीवनशैली तेजी से खतरे में है। इस परिदृश्य में, ग्रामीण विकास पहल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। आर्थिक सशक्तिकरण को व्यक्तियों या समुदायों की सूचित विकल्प बनाने और उन विकल्पों को वांछित कार्यों और परिणामों में बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से आय-सृजन के अवसरों, शिक्षा और संपत्तियों तक पहुंच के माध्यम से। इसके विपरीत, टिकाऊ आजीविका उन तरीकों से जीवन को सुरक्षित करने की क्षमता को संदर्भित करती है जो दीर्घकालिक रूप से पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य, आर्थिक रूप से प्रभावी और सामाजिक रूप से न्यायसंगत हों।

इस शोध का उद्देश्य कमर जनजातियों के लिए ग्रामीण विकास के ढांचे के भीतर दो अवधारणाओं-आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ आजीविका-के अभिसरण की जांच करना है। यह कमर आबादी के आर्थिक मार्गों पर विभिन्न सरकारी पहलों, एनजीओ गतिविधियों और समुदाय-संचालित प्रयासों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी और गरियाबंद जिलों के विशिष्ट गांवों पर ध्यान केंद्रित करके, यह अध्ययन आदिवासी विकास में वास्तविक दुनिया की स्थितियों, बाधाओं और संभावनाओं पर प्रकाश डालने के लिए एक केस स्टडी पद्धति का उपयोग करता है। प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक, समावेशी और भागीदारीपूर्ण विकास रणनीतियों की आवश्यकता तेजी से जरूरी हो गई है, खासकर कमर जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए। प्रभावी और टिकाऊ ग्रामीण विकास नीतियों को विकसित करने के लिए उनकी वर्तमान आजीविका प्रथाओं, आर्थिक भागीदारी की चुनौतियों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

वैश्विक कृषि फसल उत्पादन प्रणाली तकनीकी प्रगति, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और आबादी की बढ़ती जरूरतों और मांगों के कारण क्रमिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारत वैश्विक खाद्य उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनाज, बाजरा, सब्जियों की खेती और पशुपालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में आदिवासी किसानों की भागीदारी इस वैश्विक उत्पादन ढांचे का अभिन्न अंग है। आदिवासी शब्द इन आदिवासी समुदायों को संदर्भित करता है, जिसका अनुवाद स्वदेशी लोग होता है। भारत में, जनजातीय आबादी कुल आबादी का लगभग 8.9 प्रतिशत है और मुख्य रूप से पूरे देश में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है (जनसंख्या जनगणना 2011)। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (कुंभकर, 2010) में केंद्रित हैं। आदिवासी किसान कृषि पद्धतियों से गहराई से जुड़े हुए हैं जो अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। वे आम तौर पर अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में विविध कृषि प्रणालियों में संलग्न होते हैं। हालाँकि, हाल की कृषि तकनीकी प्रगति के बारे में उनकी समझ उनके गैर-आदिवासी समकक्षों (दास और साहू, 2012) की तुलना में सीमित है। आदिवासी कृषि प्रणाली को बढ़ाने और आजीविका में सुधार के लिए विभिन्न सरकारी विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं।

साहित्य समीक्षा

गुप्ता, ए.के., और शर्मा, एम.एल. (2017), द्वारा इस अध्ययन में 135 बेतरतीब ढंग से चयनित उत्तरदाताओं के साथ पूर्व-पोस्ट डिजाइन का उपयोग करके बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (2014-2015) में जनजातियों की स्थायी आजीविका प्रणालियों की जांच की गई। छह आजीविका राजधानियों के विश्लेषण से कुल आजीविका स्थिति 40.17% दिखाई गई, जिसमें मानव और सामाजिक पूंजी में मध्यम स्तर और अन्य में निम्न स्तर था। पंद्रह में से तेरह घर ने आजीविका सीमा के साथ महत्वपूर्ण सहसंबंध दिखाया, और प्रतिगमन विश्लेषण ने 66.4% भिन्नता का संकेत दिया। अध्ययन प्रभावी आदिवासी विकास योजना के लिए सभी छह राजधानियों, विशेष रूप से भौतिक, प्राकृतिक, वित्तीय और सूचना संचार में केंद्रित सुधार की सिफारिश करता है।

कुमार, (2025) आईसीएआर-अटारी जोन और सहयोगियों द्वारा

आयोजित इस अध्ययन में 2016 से 2021 तक आदिवासी किसानों की आजीविका पर प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन किया गया। परिणामों ने फसल पैटर्न में सुधार, फसल तीव्रता में वृद्धि और गोद लिए गए गांवों में विविध कृषि प्रणालियों की ओर बदलाव दिखाया। ₹37,587.16 हेक्टेयरवर्ष के शुद्ध लाभ और उच्च लाभ-लागत अनुपात (2.04 बनाम 1.2) के साथ, इन क्षेत्रों में आय का स्तर काफी बढ़ गया। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों ने जनजातीय आजीविका में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है, हालांकि विपणन और आर्थिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

सरावगी, ए., और सिंह, एम. (2024) का यह अध्ययन सोनभद्र में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में एसएचजी की भूमिका का मूल्यांकन करता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि एसएचजी आजीविका में मामूली वृद्धि करते हैं, जिससे आय, बचत और रोजगार में महत्वपूर्ण सुधार होता है। एसएचजी भागीदारी दृढ़ता से सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की भविष्यवाणी करती है, जिसमें लाभार्थियों के पास सकारात्मक धारणाएं हैं। एसएचजी पहलों के निरंतर समर्थन और विस्तार की सिफारिश की जाती है।

शर्मा, (2014). इस अध्ययन में 80 सदस्यों के बीच आजीविका सुरक्षा और लिंग सशक्तिकरण पर एसएचजी के प्रभाव का आकलन किया गया। निष्कर्षों से पता चलता है कि एसएचजी, विशेष रूप से सफल एसएचजी, ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा, आत्मविश्वास और समग्र सशक्तिकरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। समूह की भागीदारी ने सदस्यों की जीवन चुनौतियों का प्रबंधन करने की क्षमता में काफी सुधार किया, जिससे जमीनी स्तर के विकास में एसएचजी की भूमिका पर प्रकाश पड़ा।

बेचेज, (2021) ग्रामीण युगांडा में इस अध्ययन में पाया गया कि आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेने वाले विकलांग युवाओं ने 12 महीनों के बाद रोजगार, वित्तीय पहुंच और सामुदायिक समर्थन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। हालाँकि, खाद्य सुरक्षा और भेदभाव का स्तर अपरिवर्तित रहा, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के साथ-साथ व्यापक समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सिंधी, एस. (2012) यह अध्ययन कृषि वानिकी, सिलाई और सैनिटरी पैड बनाने जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से गुजरात में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों और सरकारी प्रयासों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सामाजिक बाधाओं और घरेलू चुनौतियों के बावजूद, कई महिलाओं ने कौशल विकास में भाग लेकर और स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आजीविका और स्वायत्तता में सफलतापूर्वक सुधार किया।

दत्ता, एस., और साहू, टी.एन. (2025) पांच पिछड़े भारतीय जिलों के 425 उत्तरदाताओं के इस अध्ययन से पता चलता है कि माइक्रोक्रेडिट आदिवासी समुदायों की आजीविका और सशक्तिकरण को सकारात्मक रूप बदल देता है, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक भलाई में सुधार होता है। यह आदिवासी विकास के समर्थन में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है और उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर मूल्यांकन का आह्वान करता है।

जनजातीय संदर्भों में आर्थिक सशक्तिकरण

जाक्सा (2008), भारत में आदिवासी समुदाय ऐतिहासिक उपेक्षा और

मुख्यधारा की आर्थिक प्रक्रियाओं से बहिष्कार के कारण प्रणालीगत हाशिए पर हैं। कमर जनजाति जैसे पीवीटीजी के लिए, सशक्तिकरण को आय सृजन से परे जाना चाहिए और इसमें एजेंसियों, निर्णय लेने की शक्ति और संस्थागत समर्थन तक पहुंच शामिल होनी चाहिए।

सतत आजीविका ढांचा

डीएफआईडी, (1999) विभिन्न संपत्तियों – मानवीय, प्राकृतिक, वित्तीय, सामाजिक और भौतिक – को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण प्रदान करता है जो टिकाऊ जीवन में योगदान करते हैं।

स्कून्स (1998) का तर्क है कि स्थायी आजीविका लचीली, अनुकूल और पर्यावरणीय गिरावट, बाजार विफलताओं और विस्थापन जैसे झटकों से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जनजातीय आबादी के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता आर्थिक अस्तित्व से अविभाज्य है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय आजीविका

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (2022) का कहना है कि मनरेगा पीडीएस और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) जैसी सरकारी योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं, कार्यान्वयन अंतराल और जागरूकता की कमी अक्सर उनके प्रभाव को सीमित कर देती है।

मिश्रा (2016) से पता चलता है कि विकास के लिए ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अक्सर आदिवासी समूहों की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं को संबोधित करने में विफल रहता है, जिससे अस्थिर परिणाम सामने आते हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)

योजना आयोग की रिपोर्ट (2014) पीवीटीजी अत्यधिक गरीबी, स्वास्थ्य कमजोरियों और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं। वनों की कटाई, पहुंच अधिकारों की हानि और बाजार शोषण के कारण उनकी पारंपरिक वन-आधारित आजीविका खतरे में है।

शर्मा और सिन्हा (2019) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पीवीटीजी के लिए हस्तक्षेप समुदाय-संचालित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए, जिसमें विकास योजना में स्थानीय ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कार्यक्रमों को साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जमीनी स्तर पर संस्थान निर्माण सहित क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

साहित्य में अंतराल – सामान्य तौर पर जनजातीय विकास पर पर्याप्त साहित्य मौजूद है, विशेष रूप से कमर जनजाति पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनुभवजन्य अध्ययन सीमित हैं। ग्रामीण विकास पहलों ने कमर के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका स्थिरता को कैसे प्रभावित किया है, इसकी खोज करने वाले जमीनी स्तर, भागीदारी अनुसंधान की उल्लेखनीय कमी है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के नमूना गांवों में कमर समुदाय के जीवन के अनुभवों पर आधारित केस स्टडी दृष्टिकोण को अपनाकर उस अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कमर जनजातियों की पारंपरिक और वर्तमान आजीविका प्रथाओं की जांच करना।
2. कमर आदिवासी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।
3. स्थायी आजीविका प्राप्त करने में कमर जनजातियों के सामने आने

वाली प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना।

4. कमर जनजातियों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और समुदाय-आधारित संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करना।

अध्ययन का दायरा – यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से धमतरी और गरियाबंद जिलों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कमर जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका पर केंद्रित है। शोध कमर समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर सरकारी योजनाओं, एनजीओ के हस्तक्षेप और सामुदायिक प्रयासों सहित विभिन्न ग्रामीण विकास पहलों के प्रभाव की जांच करता है।

अध्ययन में शामिल – पारंपरिक आजीविका पैटर्न और समय के साथ परिवर्तन, सरकारी कल्याण कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास योजनाओं तक पहुंच और प्रभावशीलता, भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बाजार पहुंच से संबंधित चुनौतियाँ, आर्थिक गतिविधियों और निर्णय लेने में महिलाओं और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के संदर्भ में आजीविका प्रथाओं की स्थिरताहालाँकि, अध्ययन भौगोलिक रूप से चयनित गाँवों तक ही सीमित है जहाँ कमर जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है और इसमें छत्तीसगढ़ के अन्य आदिवासी समूह या शहरी क्षेत्र शामिल नहीं हैं। अनुसंधान मुख्य रूप से सर्वेक्षणों और साक्षात्कारों से प्राप्त कुछ मात्रात्मक डेटा द्वारा पूरक गुणात्मक तरीकों का उपयोग करता है।

अध्ययन क्षेत्र – छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मगरलोड विकास खंड, कमर जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ आजीविका का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श केंद्र क्षेत्र प्रस्तुत करता है। अगस्त 2023 में, यह ब्लॉक एक अग्रणी स्थल बन गया जहाँ 22 कमर बस्तियों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण नीति मील का पत्थर है। इस प्रक्रिया में ग्राम सभाओं और पारंपरिक नेताओं सहित व्यापक सामुदायिक और संस्थागत भागीदारी शामिल थी, जो स्थानीय शासन और क्षमता निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। जबकि कमर जनजाति गरियाबंद, महासमुंद और कांकेर जिलों में भी फैली हुई है, मगरलोड निवास स्थान-आधारित आदिवासी विकास पहल के लिए एक पायलट के रूप में अपनी भूमिका के कारण सबसे अलग है। व्यापक समझ हासिल करने के लिए, नगरी (धमतरी), मैनपुर और छुरा (गरियाबंद), और बागबाहरा (महासमुंद) जैसे पड़ोसी ब्लॉकों में तुलनात्मक अध्ययन की सिफारिश की जाती है। यह दृष्टिकोण व्यापक प्रासंगिक अंतर्दृष्टि के साथ गहन विश्लेषण को संतुलित करता है, जिससे मगरलोड को निकटवर्ती क्षेत्रों में तुलनात्मक जांच द्वारा पूरक प्राथमिक फोकस बनाया जाता है।

अनुसंधान पद्धति – यह अध्ययन ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कमर जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका का पता लगाने के लिए गुणात्मक केस अध्ययन दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह शोध धमतरी और गरियाबंद जिलों के चयनित गांवों पर केंद्रित है, जहाँ कमर समुदाय मुख्य रूप से निवास करता है। प्राथमिक डेटा क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, अर्ध-संरचित साक्षात्कारों और समुदाय के सदस्यों, स्थानीय नेताओं और ग्रामीण विकास में शामिल सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ

फोकस समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किया जाता है। यह गुणात्मक डेटा व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए सरकारी रिपोर्टों, जनगणना डेटा, विद्वानों के लेखों और विकास एजेंसी प्रकाशनों से प्राप्त माध्यमिक डेटा द्वारा पूरक है। उपयोग की जाने वाली नमूनाकरण तकनीक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण है, जो उन परिवारों और व्यक्तियों को लक्षित करती है जो सीधे आजीविका गतिविधियों में लगे हुए हैं या ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थी हैं। डेटा विश्लेषण में आजीविका प्रथाओं, सशक्तिकरण स्तरों, चुनौतियों और विकास हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता से संबंधित पैटर्न की पहचान करने के लिए विषयगत कोडिंग शामिल है। यह मिश्रित दृष्टिकोण कमर जनजातियों के बीच आजीविका की स्थिरता और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और प्रासंगिक कारकों दोनों की विस्तृत समझ को सक्षम बनाता है।

शोध सम्बन्धी सिफारिशें:

1. समावेशी, डेटा-सूचित शासन (उदाहरण के लिए, डिजिटल टूल एमआईएस के साथ सीआरपी) समुदायों को कल्याणकारी सेवाओं को समझने और उन तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है - जिससे अधिक प्रतिक्रियाशील और न्यायसंगत विकास होता है।
2. सुरक्षित आवास अधिकार सामाजिक-सांस्कृतिक अखंडता और कानूनी सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ करते हैं, जिससे जनजातियों को विस्थापन के दबाव के बिना अपनी आजीविका को आकार देने में सक्षम बनाया जाता है।
3. आवास प्रावधान, विशेष रूप से मनरेगा जैसे मजदूरी कार्य घटकों के साथ, न केवल रहने की स्थिति में सुधार करता है, बल्कि वित्तीय स्वायत्तता और गरिमा भी चाहता है।
4. वन-आधारित अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण बनी हुई हैं रूखे वृक्षों या मजदूरी श्रम में उतार-चढ़ाव के बीच विविधता और लचीलापन दोनों प्रदान करते हैं।
5. इको-पर्यटन के अवसर, जैसा कि धुदमरास में देखा गया है, दिखाता है कि कैसे जलवायु- और संस्कृति-संवेदनशील विकास विरासत को संरक्षित करते हुए नई आय धाराएं प्रदान कर सकता है।

शोध सम्बन्धी चर्चा - छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड और नगरी ब्लॉक में केंद्रित कमर जनजाति एक अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूह है, जिसकी आजीविका मुख्यतः वन उपज जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, साल बीज और शहद पर तथा निर्वाह कृषि पर आधारित है। सीमित कृषि भूमि और सिंचाई संसाधनों के कारण खेती अधिकतर वर्षा पर निर्भर और एकल फसली होती है। कम साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं में उच्च ड्रॉपआउट की समस्या स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 70-80% परिवारों को कच्चे से पक्के मकानों का लाभ मिला है, वहीं मनरेगा, आयुष्मान, राशन और केसीसी कार्ड जैसी योजनाएं कुछ हद तक जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। 2023 में एफआरए (2006) के अंतर्गत 22 गांवों को कानूनी भूमि अधिकार और शासन में भागीदारी दी गई। बावजूद इसके, जागरूकता की कमी, नौकरशाही बाधाएं, बाजार में शोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी, और कुपोषण, मलेरिया जैसे रोगों की अधिकता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। महिलाएं एनटीएफपी संग्रहण और कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परंतु एसएचजी, प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज तक सीमित पहुंच उनके सशक्तिकरण में बाधा बनी हुई है। फिर भी, इको-पर्यटन, वन आधारित

उद्यम, और डिजिटल समावेशन के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर उभर रहे हैं, यदि इन्हें सही प्रशिक्षण और समर्थन मिले। नीति के स्तर पर आवश्यक है कि योजनाएं जन-केंद्रित, समग्र, विकेंद्रीकृत और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हों, ताकि कमर समुदाय का सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

सकारात्मक प्रभाव

1. **आय में वृद्धि**-विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों जैसे लघु वनोपज संग्रह, कृषि आधारित उद्यम, और स्वरोजगार योजनाओं ने कमर समुदाय की पारिवारिक आय में वृद्धि की है, महिला स्व-सहायता समूहों के जरिए सूक्ष्म ऋण और बचत की सुविधा से भी आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है।
2. **आजीविका के वैकल्पिक स्रोत**-केवल वनोपज पर निर्भरता कम हुई है अब ये समुदायमूर्ति पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, हस्तशिल्पहथकरघा जैसे कार्यों से भी जुड़े हैं।
3. **महिला सशक्तिकरण**- महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय निर्णयों में भाग ले रही हैं, कमर जनजाति की महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा गया है जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं।
4. **शिक्षा और जागरूकता में सुधार**- आर्थिक स्थिरता के साथ बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है (जैसे राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना आदि)।
5. **स्वास्थ्य व पोषण में सुधार** - नियमित आय और सरकार की योजनाओं से पोषण युक्त आहार की उपलब्धता बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हुई है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा का उपयोग।
6. **कौशल विकास और प्रशिक्षण** - स्थानीय NGOs और सरकारी एजेंसियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण से कमर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं, ITI, PMKV आदि योजनाओं के तहत तकनीकी कौशल में वृद्धि हुई है।
7. **सामाजिक समावेश और आत्मसम्मान**- आर्थिक आत्मनिर्भरता से सामाजिक सम्मान बढ़ा है, ग्राम सभा, पंचायतों में भागीदारी बढ़ी है।
8. **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल**-जब कमर समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो उनका उपभोग और लेन-देन गांव की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील करता है।

नकारात्मक प्रभाव

1. **पारंपरिक आजीविका और ज्ञान का ह्रास**- आधुनिक योजनाओं और प्रशिक्षणों के कारण कमरों की पारंपरिक आजीविका (जैसे - वनोपज संग्रह, पारंपरिक खेती) को छोड़ना पड़ रहा है, उनके पारंपरिक वन आधारित ज्ञान और जीवनशैली का क्षरण हो रहा है।
2. **पर्यावरणीय असंतुलन**- कुछ कृषि या पशुपालन योजनाएं स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं होतीं, जिससे खेती जंगलों की कटाई बढ़ी, जल स्रोतों पर दबाव, जैव विविधता पर असर हुआ है।
3. **योजनाओं का अपर्याप्त क्रियान्वयन**- योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। भ्रष्टाचार, दलालों की भूमिका और अधिकारियों की उदासीनता के कारण लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता।
4. **कर्ज के जाल में फँसना**- स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के नाम पर बैंक ऋण दिए जाते हैं, लेकिन उचित प्रशिक्षण और बाजार

व्यवस्था के अभाव में कई लोग व्यवसाय में असफल होकर कर्ज में डूब जाते हैं।

5. आजीविका की अस्थिरता- कई वैकल्पिक रोजगार टिकाऊ नहीं होते। जैसे एक सीजन के बाद मशरूम उत्पादन रुक जाता है, पशुपालन में बीमारियों से नुकसान होता है।

6. सामाजिक विघटन- आर्थिक असमानता बढ़ी है, कुछ लोग लाभ ले पाते हैं, जबकि अन्य पीछे रह जाते हैं, इससे आपसी तनाव, ईर्ष्या, और समाज में टूट का खतरा बढ़ता है।

7. बाहरी हस्तक्षेप और शोषण- जैसे ही समुदाय के पास थोड़ी आमदनी आती है, बाहरी व्यापारी, साहूकार और दलाल शोषण करने लगते हैं, उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

8. प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी- कई बार दिए गए प्रशिक्षण प्रासंगिक नहीं होते, प्रशिक्षण खत्म होने के बाद भी रोजगार का मार्ग नहीं खुलता।

9. पलायन की प्रवृत्ति- योजनाएं असफल होने पर कमर युवा शहरों की ओर पलायन करते हैं, इससे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में अस्थिरता आती है।

10. सांस्कृतिक क्षरण- आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में पश्चिमीकरण या शहरीकरण का प्रभाव बढ़ता है, जिससे पारंपरिक त्योहार, मान्यताएं और जीवन मूल्य खोते जा रहे हैं।

कार्यान्वयन - जनजातीय समुदायों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, लक्षित और समावेशी हस्तक्षेपों के माध्यम से उनकी आर्थिक कमजोरियों से निपटना महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन शामिल है जो आय विविधीकरण पर जोर देते हैं और बाजार पहुंच बढ़ाते हैं, जिससे आदिवासी परिवारों को आजीविका के एक ही स्रोत पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं तक पहुंच को मजबूत करना - विशेष रूप से वे जो खेती, वन उपज संग्रह और पशुपालन जैसे पारंपरिक व्यवसायों का समर्थन करते हैं - यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचें। समवर्ती रूप से, पारंपरिक आजीविका के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए आवश्यक है। इसे प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पहल की सुविधा प्रदान करके पूरा किया जा सकता है जो टिकाऊ कृषि, पर्यावरण-अनुकूल पशुपालन, वैज्ञानिक वन संसाधन प्रबंधन और मूल्य संवर्धन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा करती हैं बल्कि आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती हैं।

निष्कर्ष - अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण छत्तीसगढ़ की कमर जनजातियाँ वन-आधारित गतिविधियों और निर्वाह खेती जैसी पारंपरिक आजीविका पर निर्भर हैं, लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के कारण विविध आय स्रोतों की ओर धीरे-धीरे बदलाव आया है। इन हस्तक्षेपों ने आंशिक आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दिया है, विशेष रूप से रोजगार योजनाओं, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन के माध्यम से। हालाँकि, कमर जनजातियाँ अभी भी सीमित शिक्षा, खराब बाजार पहुंच, बुनियादी ढांचे की कमी और सामाजिक बहिष्कार सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती हैं, जो उनकी आजीविका की स्थिरता में बाधा डालती हैं। गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय-

आधारित संगठनों ने समुदायों को एकजुट करने, कौशल निर्माण और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, उनके प्रयासों को व्यापक प्रभाव के लिए सरकारी कार्यक्रमों के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, कमर जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका प्राप्त करने के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो संस्थागत समर्थन को मजबूत करता है, क्षमता निर्माण में सुधार करता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करता है, और विकास के लिए प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करता है। कमर जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका ने उन्हें केवल जीविकोपार्जन ही नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और मानसिक रूप से भी सशक्त किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास को सकारात्मक दिशा मिली है। एवं कमर जनजाति के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका के प्रयासों से कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, लेकिन यदि इन्हें स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के बिना लागू किया गया तो ये प्रयास लाभ से अधिक नुकसान भी कर सकते हैं।

सुझाव:

1. पारंपरिक आजीविका को मजबूत करना।
2. सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच में सुधार।
3. प्रमुख विकास बाधाओं का समाधान करें।
4. गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों की भूमिका बढ़ाएं।
5. सहभागी विकास मॉडल को बढ़ावा देना।

छत्तीसगढ़ में कमर जनजातियों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ग्रामीण विकास रणनीति अपनाना आवश्यक है। वन उपज संग्रह और निर्वाह खेती जैसी पारंपरिक आजीविका प्रथाओं को मूल्य संवर्धन, बेहतर उपकरणों और बाजार पहुंच के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए, साथ ही कृषि-प्रसंस्करण, पर्यावरण-पर्यटन या स्थानीय कौशल के अनुरूप हस्तशिल्प जैसे वैकल्पिक आय-सृजन के अवसरों को भी पेश किया जाना चाहिए। समावेश सुनिश्चित करने के लिए लक्षित जागरूकता अभियानों, सरलीकृत प्रक्रियाओं और नियमित निगरानी के माध्यम से सरकारी योजनाओं को कमर समुदाय के लिए अधिक सुलभ और प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। प्रणालीगत बाधाओं पर काबू पाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और वित्तीय साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और समुदाय-आधारित संगठनों को कौशल विकास, वित्तीय पहुंच और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। सामुदायिक स्तर पर सहभागी योजना और निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने से विकास प्रयासों का स्वामित्व और स्थिरता सुनिश्चित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kurrey, S. K., & Pradhan, A. (2014). Tribal Development: Problems and Possibilities (With Special Reference to Chhattisgarh PTG "Kamar"). IRJMSH,

- 5(8), 91–101.
2. Ministry of Tribal Affairs / UNDP (2023, August 9). Empowering Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs): Recognition of Habitat Rights in Chhattisgarh.
3. Vulnerable tribal group 'Kamar' in Chhattisgarh's Dhamtari district gets habitat rights. The Indian Express, August 10, 2023.
4. Chhattisgarh's PVTG Kamar Tribe gets habitat rights on World Tribal Day. Times of India, August 10, 2023.
5. Dube, S./ C. (1951). The Kamar. Oxford University Press.
6. Mitra, M., Kumar, P./ V., Ghosh, R., & Bharati, P. (2002). Growth Pattern of the Kamars – A Primitive Tribe of Chhattisgarh, India. *Collegium Antropologicum*, 26(2), 485–499.
7. Nutritional Status of Kamar Tribal Children in Chhattisgarh. (Year unspecified). In *Indian Pediatrics / Journal of Pediatric Nutrition series* (PubMed entry).
8. Acharya, V., Sharma, V., Patra, P./ K., Naik, M./ L., & Kanungo, V./ K. (2012). Plants used by Kamar, Gond and Halba tribe of Dhamtari district of Chhattisgarh for relief of sickle cell disease. *Recent Research in Science and Technology*, 4(3).
9. Gupta, A. K., & Sharma, M. L. (2017). Sustainable Livelihood System of the Tribes in Chhattisgarh State of India: A Tribe's Perspective Analysis. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 16(4), 1–13. <https://doi.org/10.9734/AJAEES/2017/31812>
10. Sarawagi, A., & Singh, M. (2024). Enhancing livelihoods and empowering tribal women: Analyzing the role of self-help groups in Sonbhadra. *Sachetas*, 3(2), 23-30.
11. Anju, G. S., & Raju, J. K. (2014). Challenges of SHG's Rural Women Entrepreneurship with Special Reference to Davangere District. *Global Journal of Commerce and Management Perspective*, 3(5), 15-21.
12. Verma, A. K. (2013). Tribal 'Annihilation' and 'Upsurge' in Uttar Pradesh. *Economic and Political Weekly* 48(51), 52-59. <https://www.jstor.org/stable/24478404> (retrieved on 08.03.2024).
13. Khan, M. I. (2015). Women empowerment, entrepreneurship, and capacity development. *Journal for Studies in Management and Planning*, 1(9), 43-56.
14. Mullen, J. (Ed.). (2019). *Rural poverty, empowerment and sustainable livelihoods*. Routledge.
15. Sharma, N., Wason, M., Singh, P., Padaria, R. N., Sangeetha, V., & Kumar, N. (2014). Effectiveness of SHGs in improving livelihood security and gender empowerment. *Economic Affairs*, 59, 747.
16. Bechange, S., Jolley, E., Gascoyne, B., Smith, K., Griffiths, A., Ngorok, J., & Schmidt, E. (2021). Livelihood outcomes in a cohort of youth with disabilities following participation in an economic empowerment programme in rural Uganda. *Disability and Health Journal*, 14(3), 101069.
17. Sindhi, S. (2012). Prospects and challenges in empowerment of tribal women. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 6(1), 46-54.
18. Datta, S., & Sahu, T. N. (2022). Livelihood transformation through microfinance: an empirical investigation on tribal entrepreneurs in India. *International Journal of Business Innovation and Research*, 29(1), 127-140.
19. DFID. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. Department for International Development. <https://www.enonline.net/dfidsustainableliving>.
20. Ministry of Tribal Affairs. (2022). Report on Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India. Government of India.
21. Mishra, S. (2016). Livelihood strategies and forest dependence among tribes in Bastar, Chhattisgarh. *Indian Journal of Rural Development*, 35(2), 213–227.
22. Planning Commission. (2014). Report of the High-Level Committee on socio-economic, health and educational status of tribal communities of India. Government of India. <https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/reports/>
23. Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies. <https://opendocs.ids.ac.uk/>
24. Sharma, R., & Sinha, M. (2019). Development interventions and tribal resilience: A study of PVTGs in Central India. *Social Change*, 49(1), 35–50.
25. Xaxa, V. (2008). *State, society, and tribes: Issues in post-colonial India*. Pearson Education India.
26. Kumar, R., Kumar, B., Devi, M. T., Azad, A. K., Kadirvel, G., Mangai, P., ... & Sarma, J. socio-economic empowerment and sustainable livelihood security of tribal farmers through technological intervention: an impact analysis.
27. Das, S., & Mishra, C. (2020). Orissa tribal empowerment & livelihood programme: Impact assessment.
28. Jain N. & Chandravanshi J. (2022). Role of Tribal Handicraft in the Development of the Rural Economy of Bastar, Chhattisgarh. *Arthavati: An International Journal*, 9, (1&2), 95-145.
29. Sahu, V.K., Baral, S.K., & Singh, R. (2024). Financial Empowerment of Tribal Women: An Inquiry into Sustainable Economic Justice Initiatives and Pathways towards Inclusive Development. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(4), 182–194. DOI:10.9734/ajeba/2024/v24i41272
30. Jose, C. & Dhamodharan, M. (2025). MGNREGA and Tribal Empowerment: A Sociological Analysis of Economic and Social Transformation in Idukki District, Kerala. *South Eastern European Journal of Public Health*, XXVI(S1), 6069–6076. DOI:10.70135/seejph.

31. Tudu, R., Khatua, P., & Panda, L. (2025). Education and Economic Dimension of Tribal Women Empowerment in Mayurbhanj. *Economic Sciences*, 21(1), 145–152. DOI:10.69889/e2dmnh03 economic-sciences.com
32. Sodhi, D. (2024). Impact of MGNREGA on Economic Conditions of Tribal Community. *JASRAE*, 21(5), 74–79. DOI:10.29070/esh31k11 Ignited Minds.
33. Naik, R. & Dasaratharamaiah, K. (202x). Education and Socio Economic Development of Tribal Women: A Study. *Shanlax International Journal of Economics*. DOI:10.34293/economics.v7i4.608 shanlaxjournals.in.
34. Naveen, S., Parida, J.K., & Panda, I. (2023). Tribal Women Empowerment through Entrepreneurship: Evidence from Mayurbhanj District, Odisha. *Frontiers in Sociology*, 8:1158770. DOI:10.3389/fsoc.2023.1158770 .
35. Tripathy, Sadasiba & Das, Sandhyarani. (2020). Impact of Crop Diversification on Tribal Farmers' Income: A Case Study from Eastern Ghats of India.
36. Dewangan, S.K., Sahu, K.R., Achari, K.V., & Soni, S. (2013). Socio Economic Empowerment of Tribal Women through Sericulture: A Study of Lailunga Block, Raigarh District, Chhattisgarh, India. *International Journal of Business and Management*, 6(12), 297–... DOI:10.5539/ijbm.v6n12p297.
37. Basu, A. & Bharti, P. (2016). Entrepreneurship Development among Tribals in India. *Research Bulletin*, 41(4), 78–91. DOI:10.33516/rb.v41i4.78-91p
38. Pillai, R. (2010). Eco development and Tribal Empowerment. MPRA Paper No. 22202. Munich Personal RePEc Archive
39. Lunavath, V. (20xx). Unveiling Economic Inequalities and Poverty among Tribal Communities: A Study in Telangana State. *International Education and Research Journal (IERJ) IER Journal*.
40. A "Photo Handbook of Kamar Tribe (PVTG)" (2020) by Anil Virulkar, providing visual and cultural documentation. repository.tribal.gov.in
41. A "Monograph Study of Customary Law in Kamar" (2022) by Jaimangal Patel, focusing on the tribe's legal and societal traditions. repository.tribal.gov.in

Judicial Independence and Accountability in India: Constitutional Foundations, Internal Challenges and the Need For Systemic Reform

Smt. Drishti Singh Shrivastava*

*Research Scholar, Maharaja Chattarsal Bundelkhand University, Chhattarpur & Pt. Motilal Nehru Law College & Research Center, Chhattarpur (M.P.) INDIA

Abstract: Judicial independence is a foundational principle of India's constitutional democracy, essential for preserving the rule of law, protecting fundamental rights and maintaining the balance of power among the branches of government. Although the Constitution embeds several safeguards such as security of tenure, separation of powers and wide judicial powers of review, independence today faces challenges that extend beyond traditional concerns of executive interference. Issues such as opacity in judicial appointments, unexplained transfers, inconsistent administrative practices, sealed cover jurisprudence, allegations of ethical misconduct and declining public trust have raised questions about whether existing structures sufficiently protect impartiality and institutional credibility. At the same time, the judiciary must navigate a polarised media environment, intense political scrutiny and evolving societal expectations of transparency. Comparative experiences from democracies such as the United Kingdom, Canada, Singapore and the United States reveal that judicial independence is best sustained through a combination of autonomy, structured accountability, transparent appointments and ethical oversight. This paper analyses the constitutional foundations, evolution and contemporary challenges to judicial independence in India, examines comparative models and proposes a reform agenda that strengthens autonomy while enhancing public trust. Judicial independence must be understood as a dynamic value that is preserved not merely through insulation but through institutional integrity, transparency and a demonstrated commitment to constitutional morality.

Introduction - Judicial independence is one of the most essential conditions for the survival of constitutional democracy in India. The judiciary is the guardian of the Constitution and the protector of fundamental rights, and its authority rests not on political approval but on public confidence in its impartiality and competence.¹ While the Constitution provides a structural framework that insulates judges from executive or legislative interference, independence is not a purely institutional attribute. It must be continually affirmed through judicial conduct, transparent procedures and an unwavering commitment to constitutional morality.² Judicial independence therefore stands as both a constitutional promise and an ethical obligation.

The post Independence evolution of the Indian judiciary has been marked by moments of institutional assertion as well as periods of vulnerability. The early decades after the adoption of the Constitution witnessed relatively cordial interactions among the branches of government. However, episodes such as the supersession of judges in the 1970s and the imposition of Emergency revealed that constitutional safeguards could be strained when political power seeks

to dominate the judicial sphere.³ Learning from these crises, the judiciary later enhanced its independence through landmark decisions including the Basic Structure doctrine and the Judges Cases, thereby securing primacy in matters of judicial appointments.

Yet independence alone cannot guarantee institutional legitimacy. Contemporary concerns such as lack of transparency in appointments, inconsistent administrative practices, allegations of ethical impropriety and declining public trust require a reassessment of how judicial independence is conceptualised and operationalised.⁴ The judiciary must maintain autonomy without isolating itself from democratic expectations of openness and accountability. This research paper therefore examines the constitutional foundations of judicial independence, analyses its evolution and emerging challenges, evaluates comparative models from other democracies and proposes reforms to strengthen India's judiciary for the future.

Constitutional Foundations Of Judicial Independence: Judicial independence in India is rooted in a constitutional philosophy built upon separation of powers, rule of law and the notion of courts as the ultimate guardians of the

Constitution. Although the phrase judicial independence does not appear explicitly in the text of the Constitution, its essence is embedded across several provisions. These provisions together create a robust protection mechanism for the judiciary as an institution and for individual judges in the exercise of their authority.

The most significant structural safeguards begin with the provisions governing appointment and tenure. Articles 124 and 217 ensure that judges of the Supreme Court and High Courts can be removed only through a rigorous impeachment process requiring a special majority of Parliament. This makes removal practically impossible without broad political consensus, thereby shielding judges from retaliation.⁵ Further protection arises from Article 221, which ensures that judicial salaries cannot be reduced to the disadvantage of sitting judges, reinforcing independence from financial pressure. Article 50 complements these protections by requiring the State to separate the judiciary from the executive, reflecting a structural commitment to autonomy at the subordinate judiciary level.

In addition to these structural protections, the Constitution empowers the judiciary with wide adjudicatory authority. Articles 129 and 215 grant contempt powers, enabling the Supreme Court and High Courts to protect the administration of justice from acts that undermine judicial authority.⁶ Articles 141 and 142 further enhance institutional independence by granting the Supreme Court the authority to declare binding law and to do complete justice. Article 136 gives the Court extensive appellate jurisdiction, enabling it to supervise the functioning of all courts and tribunals across the country.

These provisions reflect an underlying constitutional philosophy that sees the judiciary as the ultimate interpreter of constitutional meaning. The Supreme Court in *Kesavananda Bharati v State of Kerala* held that judicial review and judicial independence form part of the Basic Structure of the Constitution and are therefore beyond the reach of the amending power of Parliament.⁷ By elevating judicial independence to this status, the Court ensured that it remains a fundamental requirement of constitutional governance.

Judicial independence thus rests on three pillars: structural autonomy, decisional independence and public confidence. While structural autonomy is protected by constitutional provisions, decisional independence relies on the integrity and impartiality of individual judges. Public confidence emerges when judicial decisions reflect fairness, transparency and adherence to constitutional principles. Independence is therefore not a privilege of judges but a right of citizens who expect impartial adjudication in matters involving both public and private interests.⁸

Evolution And Contemporary Challenges: The historical evolution of judicial independence in India reveals a complex interplay between judicial assertion and political influence. While the Constitution envisaged a judiciary free

from executive control, in practice the early decades saw significant executive influence in appointments and transfers. The turning point came during the political crises of the 1970s when judicial decisions that checked executive power were met with institutional retaliation.⁹ The supersession of senior judges after the *Kesavananda Bharati* judgment was a stark reminder that constitutional guarantees alone cannot preserve independence in the face of concentrated political power.

In response to these developments, the Supreme Court dramatically altered the appointments process through the First, Second and Third Judges Cases. In the Second Judges Case, the Court held that primacy in judicial appointments rests with the judiciary and established the collegium system.¹⁰ While the intention was to protect autonomy, the collegium has been criticised for lack of transparency, absence of defined criteria and excessive concentration of power.¹¹ The method of appointments has therefore itself become a challenge to independence, not because it invites executive interference, but because it lacks institutional legitimacy in the eyes of the public.

Additional concerns have emerged from administrative matters such as transfers and roster allocation. Transfers of judges without detailed public reasons have raised suspicions of internal pressure or punitive motives. The controversy involving the transfer of several High Court judges has highlighted the opacity that surrounds such decisions. The 2018 press conference by four senior justices of the Supreme Court exposed deep institutional tensions and reflected concerns that administrative powers were being exercised in ways that could affect the fairness of bench assignment.¹²

Ethical controversies have also challenged judicial credibility. Allegations of misconduct against individual judges have generated public debate about the adequacy of existing accountability mechanisms.¹³ Since impeachment is the only formal constitutional mechanism, and its political nature makes it extremely difficult to implement, allegations often remain unresolved or handled internally without transparency.

Another major concern has been the increasing reliance on sealed cover submissions in matters of significant public importance. While confidentiality may be justified in limited circumstances such as national security, frequent use of sealed covers contradicts the principle of open justice and restricts the ability of litigants and the public to evaluate fairness.¹⁴ Critics argue that this practice undermines transparency and risks creating an impression of partiality.

Finally, the contemporary political and media environment presents new pressures on judicial independence. Digital media can amplify narratives that frame judicial decisions through ideological lenses. At the same time, excessive judicial sensitivity to criticism and the use of contempt jurisdiction may inhibit legitimate

scrutiny.¹⁵ Courts therefore face the challenge of protecting their authority without appearing intolerant of democratic debate.

Comparative Perspectives From Other Democracies:

Judicial independence is a universal constitutional value, but the institutional architecture that supports it varies across democratic systems. A comparative understanding is crucial for evaluating the strengths and weaknesses of India's current model and for identifying reforms that balance autonomy with accountability. Democracies across the world recognise that independence cannot be sustained through structural insulation alone. It must be supported by transparent appointments, ethical oversight, financial autonomy and public trust.¹⁶

The **United States** provides a model based on life tenure and salary protection under Article III of the Constitution, which guarantees that federal judges serve during good behaviour. This security of tenure is one of the strongest forms of judicial independence in the world.¹⁷ Yet the United States demonstrates that structural independence does not eliminate the risk of politicisation. Judicial appointments have become increasingly ideological, with confirmation hearings reflecting deep partisan divisions. While impeachment exists as a mechanism of judicial accountability, it is rarely used and is influenced by political calculations. Therefore, although the American judiciary is structurally insulated from the executive, its independence is tested through political polarisation.

The United Kingdom offers a different approach emphasising institutional transparency. Historically, the judiciary was closely linked to the executive through the office of the Lord Chancellor, but the Constitutional Reform Act 2005 transformed the landscape by creating the United Kingdom Supreme Court and establishing an independent Judicial Appointments Commission.¹⁸ This model demonstrates that independence can coexist with an open and structured appointment process. Importantly, the United Kingdom abolished the offence of scandalising the court in 2013, recognising that modern judicial legitimacy rests more on reasoned judgments and public accountability than on punitive authority.¹⁹ The British experience shows that respect for the judiciary flows from transparency and institutional maturity rather than from strict insulation.

Canada adopts a blended approach. Judicial appointments at the federal level involve consultation with legal experts, while provincial authorities participate in the selection of High Court judges. The Judicial Compensation and Benefits Commission ensures that judicial salaries and conditions of service are determined independently of political branches, thereby preventing indirect executive influence.²⁰ Canada also maintains public complaint bodies for judicial conduct, allowing investigation of ethical allegations without compromising decisional independence. This system balances autonomy with structured oversight,

recognising that independence cannot be allowed to evolve into opacity.

Singapore provides another instructive example. Its courts enjoy high public trust due to their ethical discipline, efficient case management and institutional consistency. Judicial appointments are made with consultation between the executive and an independent advisory committee, and judges are provided with strong financial and administrative support.²¹ Singapore emphasises that underfunded or administratively dependent courts risk losing independence not through direct coercion but through structural weakness. Though Singapore maintains strong internal discipline and limited tolerance for adversarial criticism, its model underscores the role of institutional integrity and resource autonomy in sustaining judicial credibility.

The comparative discussion reveals several consistent themes. First, no democracy relies exclusively on self regulation by the judiciary. Independent bodies and multistakeholder appointment processes are widely used to promote legitimacy. Second, financial and administrative autonomy is essential for functional independence. Third, effective accountability systems are necessary to address ethical concerns without compromising adjudicatory integrity. Finally, public trust is best maintained through transparency rather than secrecy. These insights are critical for assessing India's judicial architecture, which currently combines strong decisional independence with significant weaknesses in transparency and ethical oversight.

The Way Ahead: Reforms For Strengthening Judicial Independence:

Safeguarding judicial independence in India requires a forward looking reform agenda that balances constitutional autonomy with democratic accountability. The goal should not be to alter the fundamental structure of judicial primacy but to strengthen its legitimacy through openness, consistency and ethical integrity.

Reforming the Appointments Process: The collegium system has succeeded in preventing executive dominance, but it has also created opacity that undermines public trust.²² A reformed appointments model must retain judicial primacy while incorporating institutional checks such as independent experts, senior advocates and public representatives. A Judicial Appointments Commission with clearly defined criteria, public consultation in limited circumstances and transparent publication of reasons could achieve this balance. The goal is not to dilute independence but to make it more accountable and structured.

Establishing a Judicial Conduct and Ethics Commission:

The lack of a credible mechanism for addressing allegations of misconduct is one of the most serious weaknesses of the current system.²³ An independent Judicial Conduct and Ethics Commission, separate from the executive and the judiciary, should be established to examine complaints, conduct inquiries and recommend disciplinary measures. This would ensure that

ethical accountability does not depend solely on internal processes, which have proven inconsistent and opaque.

Eliminating Opacity: Sealed Covers, Transfers and Roster Allocation: Judicial opacity must be addressed through clear procedural reforms. Sealed cover submissions should be restricted to narrow grounds such as national security and privacy concerns.²⁴ All other material should be part of the public record in accordance with the principle of open justice. Transfers of judges must be accompanied by written reasons, even if published in limited form, to eliminate speculation of punitive motive. Roster allocation should follow transparent rules, possibly overseen by a panel of senior judges rather than being concentrated in a single administrative authority.

Ensuring Financial and Administrative Autonomy: Judicial autonomy cannot be realised if courts remain dependent on the executive for basic resources and infrastructure.²⁵ A National Judicial Budget Commission could be established to provide independent financial planning for the judiciary. This would reduce administrative dependence and improve the functioning of courts across the country.

Enhancing Public Outreach and Transparency: Finally, the judiciary must engage more openly with the public. Live streaming of constitutionally significant cases, publication of plain language summaries of judgments and regular release of administrative information would enhance transparency.²⁶ Public confidence grows when judicial institutions are seen to operate with integrity and openness. No institution in a democracy can sustain its authority without maintaining the trust of the citizens it serves.

Conclusion: Judicial independence in India is a constitutional imperative and a moral necessity. While the framers ensured structural protections against executive interference, independence can only be preserved through ethical conduct, administrative transparency and institutional reform. Contemporary challenges such as opaque appointments, ethical controversies, sealed cover practices and public mistrust highlight the need for a reimagined understanding of independence. Comparative constitutional models demonstrate that independence and accountability are not opposing values but mutually reinforcing principles.

The future of judicial independence depends on the judiciary's willingness to reform itself while preserving its constitutional role. A transparent appointments system, effective accountability mechanisms, elimination of

procedural opacity and enhanced public outreach will ensure that the judiciary continues to command trust and authority. Judicial independence is not merely a safeguard for judges but a guarantee of justice for every citizen. Only through sustained reform can India ensure that its judiciary remains a strong, credible and impartial guardian of the Constitution.

References:-

1. H.M. Seervai, *Constitutional Law of India* (4th ed. 2013).
2. Upendra Baxi, *The Indian Supreme Court and Politics* (1980).
3. Granville Austin, *Working a Democratic Constitution* 233 (1999).
4. N. Ram, Judicial Independence and Public Trust, *EPW* (2019).
5. Constitution of India arts. 124, 217.
6. Contempt of Courts Act, 1971.
7. *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*, (1973) 4 SCC 225.
8. Justice M.N. Venkatachaliah, Judicial Ethics and Independence, *ILI Journal* (2000).
9. Austin, *supra* note 3, at 245.
10. *Supreme Court Advocates on Record Assn. v. Union of India*, (1993) 4 SCC 441.
11. Ruma Pal J., Transparency in Judicial Appointments, *Basu Lectures* (2011).
12. The Hindu, Judges' Press Conference, Jan. 12, 2018.
13. Fali Nariman, *The State of the Nation* 156 (2015).
14. Gautam Bhatia, Sealed Cover Jurisprudence, *Indian Const. Law Rev.* (2021).
15. A.G. Noorani, Contempt and Free Speech, *Frontline* (2010).
16. Cheryl Saunders, *Comparative Constitutionalism* (2015).
17. U.S. Const. art. III § 1.
18. Constitutional Reform Act 2005 (U.K.).
19. Crime and Courts Act 2013 (U.K.).
20. Canadian Judicial Council Reports (2018).
21. Singapore Judicial Commission, Annual Report (2020).
22. P.P. Rao, Collegium Critique, *SCC Journal* (2015).
23. Law Commission of India, Report No. 230 (2009).
24. Bhatia, *supra* note 14.
25. National Court Management Systems Policy (2012).
26. Supreme Court of India, Live Streaming Guidelines (2018).

Freedom of Media Vis À Vis Independence of Judiciary

Smt. Drishti Singh Shrivastava*

*Research Scholar, Maharaja Chattrasal Bundelkhand University, Chhattarpur & Pt. Motilal Nehru Law College & Research Center, Chhattarpur (M.P.) INDIA

Abstract: Freedom of media and independence of the judiciary together form the constitutional pillars that support democratic society in India. Article 19(1)(a) protects free expression as a fundamental right, while Articles 129 and 215 confer contempt powers on the higher judiciary to preserve its authority. Although these rights appear distinct, their interaction creates recurring tensions. In recent decades, the expansion of digital media, the rise of sensationalism, trial by media and aggressive political commentary have intensified challenges to judicial independence. Simultaneously, the judiciary's increasing recourse to contempt powers, use of sealed cover procedures and limited transparency in administrative practices have raised concerns regarding accountability and institutional legitimacy. This research paper evaluates the constitutional foundations of these two principles, analyses contemporary tensions through doctrinal and institutional lenses, examines comparative approaches from other democracies and offers recommendations to harmonise free expression with the need to maintain judicial integrity. Judicial independence is best preserved not by insulating courts from criticism but by strengthening transparency, improving institutional processes and fostering a culture of responsible public discourse.

Introduction - The relationship between freedom of media and independence of the judiciary constitutes a central debate in modern constitutional democracies. Both principles are indispensable for democratic governance, yet each imposes practical and conceptual boundaries on the other. The media performs the vital function of informing the public, critiquing governmental action and enabling democratic participation.¹ The judiciary, on the other hand, safeguards constitutional values and ensures that the rule of law prevails over political power and majoritarian impulses.² While one institution seeks to widen the space for public scrutiny, the other seeks to protect its impartial authority so that justice may be delivered without fear or favour.

The Indian Constitution envisions a democracy in which both institutions operate as complementary forces. The framers recognised that public discussion encourages scrutiny of power, but they also appreciated that courts derive their authority not from coercion but from public trust.³ The expansion of media freedom, especially in the digital age, has transformed the nature of public discourse. Judicial proceedings are now widely televised, analysed, criticised and interpreted across multiple platforms. This increased scrutiny enhances transparency, yet it also risks sensationalising legal processes and influencing perceptions of judicial legitimacy.

Conversely, the judiciary has responded to perceived attacks on its authority by invoking contempt jurisdiction,

emphasising institutional dignity and maintaining control over the dissemination of certain information. Critics argue that such responses, when excessive, may suppress legitimate criticism and weaken the democratic culture of open discussion. Balancing these competing values therefore requires a nuanced approach that considers constitutional design, democratic necessity and institutional ethics.

This paper adopts a four chapter structure to examine the constitutional foundations, contemporary challenges, comparative perspectives and future direction for harmonising media freedom with judicial independence. Through an integrated analysis, it argues that true independence of the judiciary is strengthened, not diminished, by a free and responsible media, and that media freedom is meaningful only within a constitutional framework that respects the role of the judiciary as guardian of rights.

Constitutional Foundations Of Media Freedom And Judicial Independence: Freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) forms the democratic backbone of the Indian constitutional system. The Supreme Court has consistently held that this provision includes freedom of the press, recognising the media as an institutional extension of individual expression.⁴ The Court in *Romesh Thappar v State of Madras* declared that open discussion of public issues is essential for the functioning of democratic government.⁵ Although Article 19(1)(a) establishes a broad guarantee, Article 19(2) authorises

reasonable restrictions in the interests of public order, decency, morality, defamation and contempt of court. Contempt of court thus emerges as the primary constitutional ground that intersects with article 19(1)(a). Judicial independence, though not explicitly stated in the Constitution, is embedded across multiple structural provisions. Articles 124 and 217 ensure security of tenure for judges, protecting them from arbitrary removal. Articles 129 and 215 vest inherent contempt powers in the Supreme Court and High Courts, enabling them to protect the administration of justice. Article 50 directs the separation of judiciary from executive control, while Articles 136, 141 and 142 secure judicial supremacy through binding precedent and wide appellate authority.

The philosophical foundations of judicial independence lie in the doctrine of separation of powers and the primacy of the rule of law. The Supreme Court in *Kesavananda Bharati v State of Kerala* held that judicial review is part of the Basic Structure, thereby elevating judicial independence to an unamendable constitutional principle.⁶ Independence is not simply structural; it is also decisional, ethical and functional. Judges must remain insulated not only from the executive and legislature but also from public pressures, ideological movements and organised misinformation campaigns.

Media freedom and judicial independence therefore operate as mutually reinforcing constitutional principles. Free media ensures transparency of judicial actions and enables public understanding of legal developments. Judicial independence ensures that decision making remains impartial even when subject to public scrutiny. The challenge lies not in choosing one value over the other but in crafting doctrinal and institutional mechanisms that allow both to coexist productively.

Evolution Of The Tension — From Trial By Media To Contempt Power: The expansion of media freedom, rapid growth of digital platforms and rise of twenty four hour news cycles have significantly altered the landscape of judicial accountability. Media reporting on legal matters, once confined to newspapers and academic journals, now occurs instantaneously across social networks, websites and televised debates. While this expansion promotes public engagement, it has also given rise to problematic practices such as trial by media, sensationalised reporting and prejudgment of ongoing cases.

Trial by media refers to situations in which intense publicity influences public perception of guilt or innocence even before a judicial determination is made.⁷ This phenomenon threatens the right to fair trial under Article 21. In *Sahara India Real Estate Corp v SEBI*, the Supreme Court acknowledged that uncontrolled media reporting during ongoing trials can prejudice proceedings and may require postponement orders.⁸ The judiciary therefore finds itself in an unprecedented environment where public narratives may affect perceptions of judicial neutrality.

Digital media, with its speed and reach, amplifies these challenges. Online defamation, misinformation, targeted campaigns and viral commentary can distort judicial decisions or create narratives that undermine institutional credibility. Courts have expressed concern about reckless online allegations, as seen in *In Re Prashant Bhushan*, where social media criticism was alleged to erode public confidence in the judiciary.⁹ Yet heavy handed responses through contempt proceedings raise concerns about chilling effects on legitimate criticism and democratic dialogue.

Contempt of court, particularly the offence of scandalising the court under Section 2(c) of the Contempt of Courts Act, 1971, has been a focal point of this tension. Critics argue that the law is vague, outdated and susceptible to misuse. Many democracies, including the United Kingdom, have abolished the offence.¹⁰ In India, however, the Supreme Court continues to uphold contempt jurisdiction as necessary to protect the administration of justice.

The evolution of this conflict shows that the problem is not the existence of contempt powers but their inconsistent or excessive application. The judiciary must differentiate between criticism that enhances accountability and speech that intentionally undermines judicial authority. The task ahead lies in harmonising constitutional rights with institutional integrity through calibrated doctrinal development.

Comparative Perspectives From Other Democracies: The relationship between media freedom and judicial independence has been debated in constitutional systems across the world. Different democracies attempt to strike a balance between criticism of courts and the preservation of institutional authority through a variety of structural, doctrinal and cultural mechanisms. These comparative insights provide valuable guidance for India as it confronts similar challenges in an increasingly digital and polarised environment.

In the **United States**, the First Amendment grants exceptionally strong protection to freedom of expression. The judiciary, including the Supreme Court, is frequently subjected to intense criticism from commentators, politicians and media platforms.¹¹ Even the harshest criticism is constitutionally protected unless it amounts to incitement or defamation. However, institutional respect for courts is maintained not through contempt powers but through the rigorous appointment process, security of tenure and strong traditions of legal professionalism. Judicial decisions are debated widely without any threat of contempt, reflecting a deep cultural acceptance that criticism is an integral part of democratic discourse. What preserves judicial independence in the United States is not a restrictive law but the institutional strength and decisional integrity of its courts.

The **United Kingdom** historically recognised the common law offence of scandalising the court, similar to

Indian contempt jurisprudence. However, the United Kingdom Parliament abolished this offence through the Crime and Courts Act 2013, concluding that it was incompatible with modern democratic expectations of open criticism.¹² The British judiciary accepted that institutional legitimacy is earned through reasoned judgments and transparency, not through penalising speech. Criticism of judges is now common, especially in politically sensitive cases such as the Brexit litigation. Despite this, the authority of the courts has not diminished. Instead, transparency reforms, institutional maturity and consistent communication practices have strengthened public trust.

In **Canada**, the legal system recognises the importance of free public discussion of judicial affairs. Although contempt powers exist, they are exercised sparingly and only where speech poses a real and substantial threat to the administration of justice. Canadian courts emphasise that institutional integrity cannot be preserved by suppressing criticism but by responding through reasoned judgments and openness.¹³ Canada also maintains independent judicial conduct bodies that investigate allegations against judges, thereby reducing the need for contempt as a tool for institutional defence.

Singapore represents a more restrained model of free expression, where the government exercises stronger regulatory control over the media. Courts in Singapore have upheld restrictions on speech that may undermine public confidence in the judiciary, on the ground that institutional credibility is essential for the rule of law.¹⁴ Although this model has contributed to public order and strong institutional authority, critics argue that it leaves limited room for robust democratic criticism. Nonetheless, the Singapore example underscores the importance of ethical discipline, administrative efficiency and timely justice in building respect for the judiciary.

These comparative experiences reveal three key insights relevant to India. First, contempt is rarely used in jurisdictions with mature democratic cultures; judicial legitimacy is protected primarily through transparency, ethical conduct and strong institutional design. Second, freedom of criticism strengthens, rather than weakens, judicial independence when courts operate with integrity and openness. Third, separate judicial conduct mechanisms reduce the need to invoke contempt powers to defend institutional reputation. These lessons provide important guidance for recalibrating India's approach to balancing media freedom with judicial independence.

The Way Ahead — Reforms For Harmonising Media Freedom And Judicial Independence: Harmonising free media with judicial independence requires not a choice between the two but a constitutional synthesis that respects both values. The future of Indian democracy demands reforms that preserve institutional integrity while enabling legitimate public scrutiny.

Clarifying And Narrowing Contempt Jurisprudence:

Reform begins with revisiting the doctrine of contempt, particularly the branch concerning scandalising the court. The offence should be invoked only where speech poses a substantial and imminent threat to the administration of justice.¹⁵ Mere criticism, however harsh, should not be penalised. Indian courts may adopt the Canadian standard, which requires a real and substantial risk of undermining judicial authority before contempt can be invoked.¹⁶ Such clarification would protect free expression while ensuring that genuinely harmful attacks on judicial processes are addressed.

Promoting Responsible Media Practices: Media regulation should not aim to control criticism but to enhance professional standards. Establishing legally recognised ethical guidelines, strengthening self regulatory bodies and promoting fact based reporting can mitigate problems such as trial by media.¹⁷ Courts may collaborate with media organisations to develop protocols on reporting sub judice matters. Postponement orders, as recognised in *Sahara India*, offer a narrow and constitutionally valid tool to prevent prejudicial publicity without resorting to contempt.

Enhancing Judicial Transparency and Public Outreach: Judicial independence is strengthened when courts operate transparently. Live streaming of constitutional cases, publication of reasoned administrative decisions, timely release of cause lists and improved access to judicial data enhance public understanding and reduce space for speculation.¹⁸ Clear and consistent communication from the judiciary, including press summaries of significant judgments, can further improve public trust. Transparency reduces the need for courts to defend themselves through punitive measures.

Establishing Independent Judicial Conduct Mechanisms: India lacks an independent statutory framework for investigating complaints against judges. Allegations are often handled internally, creating perceptions of opacity and conflict of interest.¹⁹ Establishing a Judicial Conduct and Accountability Commission would allow transparent investigation of misconduct while preserving decisional independence. This would reduce the need for courts to use contempt to defend personal or institutional reputation.

Strengthening Public Legal Education: Long term harmony between media freedom and judicial independence depends on public understanding of constitutional values. Educational programmes, public lectures, court led outreach and media partnerships can improve legal literacy.²⁰ Informed citizens are less vulnerable to misinformation, sensationalism or politicised narratives. Public trust in the judiciary emerges not only from the authority of judgments but from collective understanding of its role in democracy.

Recognising Media as a Partner in Judicial Accountability: Instead of viewing media as a threat, the judiciary must recognise it as a partner in strengthening

accountability. A robust media exposes institutional failures, highlights delays, brings attention to injustices and promotes transparency.²¹ Judicial independence is thus reinforced, not undermined, when courts embrace criticism as part of democratic dialogue.

Conclusion: Freedom of media and independence of the judiciary are indispensable components of India's constitutional architecture. Each serves a distinct but complementary purpose. Media freedom sustains democratic participation, encourages scrutiny of power and facilitates public understanding. Judicial independence ensures impartial adjudication, protects rights and maintains constitutional balance. The tensions between these two principles arise not from inherent incompatibility but from the challenges posed by evolving media technologies, shifting political cultures, expanding public expectations and concerns regarding institutional integrity.

The way forward requires calibrated reforms that strengthen both values. Contempt jurisprudence must be narrowed to prevent misuse. Judicial transparency must be enhanced to build trust. Media must exercise responsibility to avoid prejudicial reporting, while courts must accept that public criticism is a natural feature of democracy. Independent mechanisms for judicial accountability must be established to address ethical concerns without undermining autonomy.

Ultimately, judicial independence is not preserved by insulating courts from public discourse, nor is media freedom strengthened by weakening judicial authority. A mature democracy harmonises these values by fostering a culture of reasoned criticism, institutional transparency and constitutional responsibility. India's constitutional future depends on building this equilibrium, ensuring that both institutions continue to serve the public with integrity, fairness and democratic purpose.

References:-

1. Justice Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (2006).
2. Granville Austin, *Working a Democratic Constitution* 289 (1999).
3. Constituent Assembly Debates, Vol. VII (1948).
4. *Indian Express Newspapers v. Union of India*, (1985) 1 SCC 641.
5. *Romesh Thappar v. State of Madras*, AIR 1950 SC 124.
6. *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*, (1973) 4 SCC 225.
7. Justice P.N. Bhagwati, Free Press and Fair Trial, *ILL Lecture Series* (1984).
8. *Sahara India Real Estate Corp. Ltd. v. SEBI*, (2012) 10 SCC 603.
9. *In Re Prashant Bhushan*, (2020) 13 SCC 429.
10. Crime and Courts Act 2013, c. 22 (U.K.).
11. Erwin Chemerinsky, Free Speech and Judicial Legitimacy, *Harvard L. Rev.* (2019).
12. Ministry of Justice (U.K.), Consultation Paper on Contempt (2012).
13. Canadian Judicial Council, *Principles of Judicial Ethics* (2016).
14. Singapore Supreme Court, Contempt of Court Act 2016.
15. Law Commission of India, Report No. 274 (2018).
16. *R v. Kopyto*, (1987) 62 O.R. (2d) 449 (Can.).
17. Press Council of India, *Norms of Journalistic Conduct* (2020).
18. Supreme Court of India, Live Streaming Rules (2018).
19. Fali S. Nariman, *India's Legal System: Can It Be Saved?* (2006).
20. N.R. Madhava Menon, Legal Literacy and Public Education, *NLSIU Journal* (2001).
21. Rajeev Dhavan, Media and Judicial Accountability, *Seminar* (2015).

Judicial Approach to Elder Persons' Rights in India: A Study

Mr. Ankit Khare* Dr. Rajat Kumar Satpathy**

*Research Scholar, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA

** Principal, Pt. Motilal Nehru Law College, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract: The protection of elder persons' rights has become a critical subject in India's socio-legal landscape due to rapid demographic ageing, changing family structures, and increasing vulnerabilities faced by older adults. While legislative frameworks such as the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 attempt to address some of these concerns, the judiciary has emerged as a significant actor in enlarging the scope of elder rights through progressive interpretation of constitutional guarantees and statutory mandates. This paper examines the judicial approach to elder persons' rights in India, tracing landmark judgments, thematic trends, doctrinal evolutions, and the judiciary's role in filling policy gaps. It argues that Indian courts have consistently upheld dignity, protection, welfare, and social security for the elderly, but challenges remain in enforcement, administrative efficiency, and the actual realization of rights on the ground.

Introduction - India is undergoing a demographic transition marked by an unprecedented rise in its elderly population. According to Census projections, the number of persons aged 60 and above will reach nearly 194 million by 2031 and may cross 300 million by 2050. This demographic shift has brought new challenges related to elder neglect, financial insecurity, health vulnerabilities, abuse, and social exclusion. As traditional family-based support weakens, the legal system has become a crucial mechanism for safeguarding elder rights.

While the Constitution of India embeds broad human rights guarantees, the judiciary has played a transformative role in interpreting these provisions to protect older persons. Indian courts have expanded constitutional rights such as equality (Article 14), life with dignity (Article 21), and protection from exploitation (Articles 23–24) to address the needs of senior citizens. Judicial interventions have compelled governments to operationalize welfare schemes, uphold maintenance rights, and protect elders from abuse and abandonment.

This research paper critically examines how Indian courts have shaped elder rights jurisprudence, the principles they have invoked, and the systemic challenges that persist.

Constitutional Foundations of Judicial Protection: Although the Constitution of India does not expressly identify older persons as a distinct category deserving special protection, several of its provisions provide a strong foundation for judicial intervention in safeguarding their rights. Over the years, Indian courts have relied on these constitutional guarantees to expand the ambit of elder

persons' rights, interpreting them in a liberal and humane manner. This constitutional framework has enabled the judiciary to respond to the growing vulnerabilities of the elderly and to uphold their dignity, security, and welfare.

Article 21: The Right to Life with Dignity: Article 21, which guarantees the right to life and personal liberty, has been central to the judicial protection of older persons. Courts have consistently held that the concept of life under Article 21 goes far beyond mere physical survival. It encompasses the right to live with dignity, and for senior citizens, this dignity includes secure shelter, accessible and adequate healthcare, physical safety, emotional and social well-being, and freedom from neglect, abuse, and exploitation. This expansive interpretation has allowed the judiciary to recognize the multifaceted needs of the elderly and to compel the State to take affirmative steps to uphold their quality of life.

Article 14: Equality and Non-discrimination: Article 14, which guarantees equality before the law and equal protection of the laws, has also played a pivotal role in strengthening elder rights. Indian courts have invoked this provision to address discriminatory practices and arbitrary state actions affecting senior citizens. Whether it is the unjust denial of pensions, reluctance to enforce maintenance rights, or unequal treatment in access to welfare schemes, the judiciary has used Article 14 to ensure that elders are not subjected to unfair or unreasonable discrimination. Thus, the principle of equality has become an important safeguard against administrative apathy and structural vulnerability.

Directive Principles of State Policy: While the Directive Principles of State Policy (DPSPs) are not enforceable in courts, they significantly influence judicial thinking. Articles 41, 46, and 47 collectively create a moral and policy-based framework that guides judicial interpretation in matters relating to older persons.

- **Article 41** obligates the State to provide public assistance in cases of old age.
- **Article 46** protects weaker and vulnerable sections of society from exploitation.
- **Article 47** directs the State to improve public health and living standards.

Courts often refer to these provisions to reinforce rights-based interpretations of statutory and constitutional protections for senior citizens. In doing so, the judiciary transforms the DPSPs into tools that shape governance and welfare policymaking for the elderly.

Judicial Interpretation of Statutory Rights

A significant development in India's elder rights regime was the enactment of the **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007**. This legislation laid down a comprehensive framework for the care, protection, and maintenance of older persons. The judiciary has played a crucial role in ensuring its effective implementation and in expanding its practical scope.

Courts have repeatedly intervened to ensure that **Maintenance Tribunals** function efficiently and dispose of cases involving elderly claimants without delay. Judicial directions have strengthened the enforcement of maintenance orders, protected seniors from property-related exploitation, and ensured that caregivers—whether children, relatives, or institutions—fulfil their legal obligations. Through various judgments, courts have clarified ambiguities, rectified administrative lapses, and adopted interpretations that prioritize the welfare, dignity, and security of older persons.

In this way, judicial engagement with the MWPSA has reinforced the principle that caring for the elderly is not merely a moral duty but a legally enforceable responsibility grounded in the constitutional vision of dignity and social justice.

Landmark Judgments and Their Contribution to Elder Rights Jurisprudence

Dattatraya Moreshwar v. State of Bombay (1952)

One of the early decisions where the Supreme Court recognized that **dignity is an intrinsic component of the right to life**. Although not specifically about elders, this judgment laid the foundation for later cases involving elderly dignity and welfare.

Parmanand Katara v. Union of India (1989)

The Court held that every person, including senior citizens, has the right to emergency medical care. This judgment has informed later decisions on geriatric healthcare and state responsibility.

Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal (2009)

In discussing welfare in family matters, the Court emphasized that the well-being of elderly parents is a matter of paramount consideration. This line of reasoning has been applied in maintenance disputes involving older persons.

Ashwani Kumar v. Union of India (2018)

A major turning point in elder rights jurisprudence.

Key directives:

1. All states must establish **old-age homes** in every district.
2. Governments must provide **geriatric care**, ensure equitable access to healthcare, and strengthen the **National Programme for the Health Care of the Elderly (NPHCE)**.
3. States were asked to implement the MWPSA Act effectively.
4. The Court emphasized that **senior citizens have a right to live with dignity**, drawing from Article 21 and international standards.

This case set a national framework for elder rights, compelling states to institutionalize welfare norms.

Paramjit Kumar Saroya v. Union of India (2014)

The Punjab and Haryana High Court held that **the right to maintenance under the MWPSA Act is a statutory right** that supersedes the Code of Civil Procedure. The Court emphasized a **speedy, informal, and accessible** mechanism for older persons, recognizing their limited mobility and resources.

Sunny Paul v. State (2017, Delhi High Court)

The Court held that elders have a right to evict abusive children or relatives from their property and enjoy a peaceful life. This judgment has been influential in protecting elders from domestic abuse and coercion.

Justice Sunanda Bhandare Foundation v. Union of India (2017)

The Supreme Court reiterated the state's obligation to develop welfare infrastructure for the elderly, including shelters and caregiving services, affirming that socio-economic rights of elders are constitutionally linked to dignity.

Dr. Ashwani Kumar (Review & Subsequent Orders)

The Court continued monitoring compliance with earlier directives, ensuring that:

- maintenance tribunals function effectively,
- NGOs and civil society assist in elder welfare,
- state governments report progress on policies for senior citizens.

Thematic Analysis of the Judicial Approach Rights-Based Interpretation

The Indian judiciary has consistently adopted a rights-based perspective in matters concerning older persons, treating their welfare not as an act of charity but as a legally enforceable entitlement. Judicial reasoning increasingly reflects the understanding that dignity, equality, and autonomy form the cornerstone of elder rights. Courts

emphasize that protecting older persons is not merely a humanitarian responsibility but a constitutional mandate that the State must honour through concrete policies, effective implementation, and institutional support.

Expanded Understanding of "Maintenance": The courts have also played a significant role in broadening the definition of "maintenance" for senior citizens. Rather than restricting it to basic financial support, judicial decisions interpret maintenance to include a wider range of entitlements such as access to appropriate healthcare, safe and secure living conditions, emotional support, and connection to social and community networks. This holistic conception resonates with contemporary geriatric care standards and reflects the judiciary's recognition that ageing individuals require comprehensive support systems to live with dignity.

Protection from Abuse and Exploitation: Another prominent theme in judicial decisions is the protection of older persons from abuse, neglect, and exploitation. Courts have upheld the right of senior citizens to evict abusive or harassing relatives, safeguarded them from coercion in matters concerning property and inheritance, and mandated protective measures against physical, emotional, and financial abuse. Many judgments characterize elder abuse as a serious human rights violation, thereby reinforcing the moral and legal imperative to shield older persons from ill-treatment.

Judicial Oversight of Executive Responsibility: Judicial intervention has often extended to monitoring the functioning of executive authorities responsible for implementing elder welfare programs. Through continuous oversight, courts have pressed governments to operationalize statutory mandates and welfare schemes more effectively. The directives issued in the *Ashwani Kumar* case exemplify this proactive approach, where the judiciary sought to ensure that old-age homes, healthcare services, and maintenance mechanisms were genuinely functional. Such interventions signal an attempt to bridge systemic gaps and promote institutional reform.

Use of International Norms: Even in the absence of a dedicated international convention on elder rights, Indian courts frequently draw upon global frameworks to guide their interpretation of domestic law. References to the UN Principles for Older Persons (1991), the Madrid International Plan of Action on Ageing (2002), and WHO recommendations provide normative support and comparative context. By integrating these international standards into Indian jurisprudence, courts strengthen the conceptual foundation of elder rights and align India's legal approach with global best practices.

Gaps and Challenges Despite Judicial Activism

Weak Enforcement Mechanisms: Despite progressive judicial directives, enforcement remains a major challenge. Bureaucratic delays, inadequate resource allocation, and weak monitoring mechanisms often prevent court orders

from translating into substantive improvements in the lives of older persons. As a result, judicially recognized rights frequently remain under-implemented.

Inadequate Tribunal Infrastructure: The infrastructure and functioning of Maintenance Tribunals, which serve as crucial forums for elderly protection, are often insufficient. Many tribunals face chronic staff shortages, procedural delays, and logistical limitations, especially in rural areas. These gaps undermine the accessibility and effectiveness of the adjudicatory system designed for senior citizens.

Limited Legal Awareness: Another persistent barrier is the lack of awareness among older persons regarding their rights and available legal remedies. Many elders are unable to seek legal assistance due to illiteracy, mobility constraints, financial limitations, or social isolation. The absence of outreach and counselling mechanisms further restricts the exercise of their rights.

Fragmented Legal Framework: India's legislative landscape concerning elder rights remains fragmented and incomplete. There is no comprehensive Elder Rights Act that consolidates and explicitly articulates all protections owed to older persons. Moreover, the absence of statutory recognition of age-based discrimination or guaranteed access to healthcare and palliative care leaves significant gaps in the existing legal framework.

Socio-Cultural Barriers: Deep-rooted socio-cultural attitudes often inhibit the enforcement of elder rights. Abuse or abandonment of older persons is frequently hidden due to stigma, family honour, or community pressures. These social dynamics discourage reporting and create an environment in which elder mistreatment persists undetected.

Judicial Recommendations and Future Directions

Indian courts have repeatedly underscored the need for structural reforms and comprehensive legal protection for senior citizens. Judicial recommendations often call for:

- (i) **A comprehensive national legislation** that clearly articulates enforceable rights for older persons.
- (ii) **Strengthened social security systems**, including universal and adequate pensions.
- (iii) **Robust geriatric healthcare infrastructure**, with facilities available in every district.
- (iv) **Preventive and protective mechanisms** to address elder abuse at the community, institutional, and familial levels.
- (v) **Digital and accessible grievance-redressal systems**, benefiting elders with mobility or health limitations.
- (vi) **Expansion of shelters, day-care centres, and rehabilitation services** to support vulnerable senior citizens.
- (vii) **Incorporation of international ageing norms** into Indian law to provide a modern and rights-oriented framework.

These judicial recommendations collectively highlight that safeguarding the rights of older persons requires more

than piecemeal welfare measures; it entails a rights-driven, constitutionally grounded, and institutionally robust system capable of addressing the complex realities of ageing.

Conclusion: The Indian judiciary has played a pivotal role in developing a robust rights-based framework for the elderly. Through progressive interpretation of constitutional guarantees and active enforcement of statutory rights, courts have expanded the legal protections available to senior citizens. Landmark cases such as *Ashwani Kumar* have catalyzed national policy reform and strengthened state obligations toward elder welfare.

Despite significant jurisprudential advances, challenges persist in enforcement, tribunal functioning, healthcare access, and awareness. A holistic approach—combining judicial activism, legislative reform, administrative efficiency, and community support—is essential to ensure that older persons in India can live with dignity, autonomy, and security. The judiciary has laid the foundation; sustained policy action must now build upon it.

References :-

1. Ashwani Kumar v. Union of India, (2018) 13 SCC 98.
2. Dattatraya Moreshwar v. State of Bombay, AIR 1952 SC 181.
3. Paramjit Kumar Saroya v. Union of India, (2014) 176 PLR 1 (P&H HC).
4. Sunny Paul v. State, 2017 SCC OnLine Del 7458.
5. Justice Sunanda Bhandare Foundation v. Union of India, (2017) 14 SCC 1.
6. Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal, (2009) 1 SCC 42.
7. Parmanand Katara v. Union of India, (1989) 4 SCC 286.
8. Government of India. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
9. United Nations. United Nations Principles for Older Persons, 1991.
10. United Nations. Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002.
11. HelpAge India. State of Elderly in India Report, 2023.
12. UNFPA. India Ageing Report, 2017.
13. Ministry of Statistics and Programme Implementation. Elderly in India 2021.

Role of CSR in Social Growth of Rajasthan with Reference to HDFC Bank

Dr. Suvarna Lapalika^{*} Ramesh Kumar Sharma^{**}

^{*}Associate Professor, St. Paul Institute of professional Studies, Indore (M.P.) INDIA

^{**}Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

Abstract: The topic of CSR is the most popular in the sphere of investigation. This paper will be founded on the CSR project that HDFC Bank conducted in Rajasthan. The activities are pointed out in the study. The research is anchored on secondary data of CSR. The brand of the bank is HDFC Bank Parivartan, the company that is devoted to the positive contribution to the environment and community. HDFC Bank Parivartan has the primary aim to give back to the society and economy by empowering them and making a positive change for their lives. The majority of CSR activities that HDFC bank participates in relate to rural development, promotion of education, skill training and livelihood promotion, health care and sanitation, financial literacy and inclusion.

Keywords: HDFC Bank, CSR, HDFC Bank Transformation, CSR Activities.

Introduction - In any business, social responsibility means activity that is voluntary and is done by the organization to the advantage of the society more than the law stipulates. CSR is majorly a business strategy to reduce the risk of investment and maximize the profits by assuring those who invest in the business hence the strategy is being well embraced by the emerging generation of corporations and entrepreneurs.

Frederick said: CSR is a personal contribution reflecting an interest in the society in its economic and human resources and a desire on the side of business to have these resources utilized to a larger social end.

In India, the notion of CSR is spelled out in the law of Section 135 of the Companies Act 2013. CSR under the Act relates to any company and entities with an annual turnover of not less than the following: 1000 crore or more, net worth 500 crore or more, and net profit 5crore or more in any financial year. According to the Companies act 2013, these types of companies are required to invest at least 2% of the average net profit of the preceding 3-years in CSR activities. CSR activities have become important day in day out with commercial banks in India taking them seriously given that all the commercial banks have been advised by the Reserve Bank of India and has become central in the Banking industry. In the same case, HDFC Bank is the biggest bank in India with regard to market cap, and the fourth biggest bank in the world. It holds a leading position in financial industry. HDFC Bank is a top institution amongst retail corporate institutional banks, and it is known to perform well and have innovative resources. HDFC bank on 1 July 2023 consolidated with its affiliate

housing finance company HDFC Limited, the aim of which was to offer better and fuller financial services to the users. The HDFC Bank is striving to raise the standards of living of the citizens of Rajasthan people by carrying out different programs in Rajasthan under the CSR initiatives. And programmes based on CSR activities of HDFC Bank are being operated in approximately 29 districts of Rajasthan.

Review of Literature:

In their research, Corporate Social Responsibility (CSR) in Indian Banking Sector: An Empirical Study on State Bank of India Limited, Rajul Datta and Himani Grewal (2018) discovered that SBI is indeed doing a very good job to empower the weaker members of the society through investment in education, healthcare and sanitation initiatives, sports and other workable activities. This research has also shown that the staff members believe that SBI is very serious concerning the sustainable development of the society.

Tanuja Nair (October 2015) CSR in the Indian Scenario The scholar has explained that the increased world trade is an issue of concern to the society and environment and businesses must ensure they get not merely financial gains but also social gains. It also describes the CSR in terms of definition. This article has incorporated a lot of literature review. The researcher has developed the process of CSR development in India in a step-by-step way and has described the advantages of CSR activities as well.

Mahaveer Narwal (2007): CSR Initiatives by Indian Banking Industry of the article The purpose is to outline the CSR initiatives that the Indian banking industry is pursuing to promote their overall performance. This study The study

will be founded on a survey research design that will involve 33 surveyed banks in the public-private sector in the state of northern Haryana that includes Chandigarh. Descriptive statistics have been used to perform the analysis. The education, balanced development, health, environment and customer satisfaction are the major CSR activities of these banks.

Purvi Derashree (2020): Two considered as the largest banks in India as of June 2020 in terms of balance sheets, reach and customer base, it becomes obvious that HDFC Bank, as a private one, and SBI, as a public one, are the obvious leaders. HDFC Bank is a big privately owned bank in the nation that has over five thousand branches. It is equally one of the most profitable banks. This paper will analyze the customer satisfaction in online banking services of HDFC Bank and compare their satisfaction levels with their satisfaction levels in the conventional banking services. Individuals who read this article will gain a deeper insight into customer perceptions towards banks that are providing such innovative products. E-banking solutions are a large Regional bank in nature

Research Methodology: The study is founded on secondary data, found in different sources such as the official site of the Department of Corporate Affairs, reports of research papers and e-books etc. no correlation has been bred amid the different variables and an effort has been made to understand why CSR contribution to the social upliftment is significant in the corporates. The information has been displayed in forms of tables. And the information of the study concerns primarily the year of 2023-2024.

Objectives:

1. To know the contribution of CSR in the social upliftment of Rajasthan.
2. To know under which CSR activity maximum work was done by HDFC Bank.
3. To know the impact of expenditure on CSR activities on the bank.
4. To know which CSR activity is beneficial People have benefited a lot.

Activities undertaken by HDFC Bank under Key Focused Activities:

Rural Development: Rural Rajasthan has enormous scope of development in various sectors. As a holistic process of rural development, HDFC Bank tried to assist the people of the state to live sustainably.

Better irrigation for sustainable future (District - Dausa): To encourage the village people to use more renewable forms of energy, Parivartan has established a new energy centre in Khatumbar and supplied 5 HP solar pumps to the villages. To ensure both stable and reliable water supply, the Bank provided assistance in the installation of 7 mini-sprinklers in the Diwachli Kalan, Hamirpura and Khatumbar villages.

Financial support in the form of flower cultivation (District -Dausa) : Since floriculture had just emerged as

a commercial crop, Parivartan saw flower cultivation and commercialization as an opportunity to earn profits on the farmers of the villages of Ninori and Khatumbar.

Transformation of lives with high technology farming (District – Dausa) : Parivartan made them and trained them to embrace hi-tech farming. Proper use of fertilizers . Low-pressure drip irrigation is used. Proper utilization of plastic sheets of mulching. Water conservation in agriculture . Sheonarayan and Shakthintala now possess an improved quality of vegetables, no problem of pests and their profit margin is 98,000 and 82,900 respectively.

Enhancing education with technology (District - Jaipur): To enhance education, Parivartan has established advanced robotic labs in the state to increase the scope of education by spreading a scientific attitude. The laboratories established in the Banasthali Vidyapeeth School has now emerged as the center of innovative research in the state and the benefactors are more than 5,500 girls with socio-economically deprived backgrounds.

Education among the deprived (District - Ajmer) : Rajasthan state is improving its education every year in rural areas. Financial barriers at home is a major challenge to the advancement of a good number of students as it usually compels them to quit or give-up their education. Parivartan through collaboration with NGO Jagriti are sponsoring 225 such students in Ajmer by offering them valuable education without any fee. The students who will benefit will also be provided with smaller gifts such as stationeries and uniforms.

Skill training and Livelihood Promotion: Uplifting of the skills of people to generate their incomes sustainably.

Developing an effective camel herder value chain (District -Jaisalmer): Parivartan has been moving forward its camel herder value chain agenda that involves developing camel herder ecosystems in the Pokhran region in Rajasthan. At its inception, it incurred 1,000 litre milk chiller in the region where 3,094 lactating camels would be collected, therefore serving 100 camel herders in 5 villages.

Eco-tourism in the desert and combating malnutrition and poverty with the help of canteens: In this regard, its Maa Ki Roti program, aimed at constructing canteens particularly to accommodate the mothers of migrants, is entirely novel in what it does. Establishment of such canteens in 5 of its project villages within Udaipur is not only ensuring that the most vulnerable in such communities get the much needed food, but they are also assisting to give employment opportunities to many women within the area.

Second chance in life (District - Alwar , Bhilwara) : Parivartan has an ambitious project of offering skills training worthwhile skills to 320 prisoners in Alwar and Bhilwara districts. The program called the Orion Launched, which was developed in collaboration with the Educational Society, is meant to encourage such inmates to secure appropriate jobs once they get out of prison; that way, they would be

out of the cycle of crime. Parivartan has made sure that the initiative is evaluated and that it is adequately certified by the National Skill Development Corporation (NSDC) to make the initiative valid and sustainable.

This (District -Jaipur, HDFC Bank Parivartan, Shri Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, BMVSS) is giving out artificial limbs, calipers, crutches, etc. and equipment to approximately 1465 disabled persons. This will empower the differently-abled folks that could not be able to purchase the prohibitively priced prosthetic limbs that are already in the market.

Domain specific skills training to promote livelihood (District -Jaipur): HDFC Bank and Centum Foundation are trying to close the divide between formal education and industry needs through practical experience, mentoring, and exposure of skills to 3240 young people. The between the ages of 18-35 years will be skilled, upskilled or even re-skilled by instilling the domain-specific knowledge and curtailing the socio-economic obstacles of the service industries such as retail, transport and logistics, banking, automotive, healthcare and tourism branches.

Health Care and Hygiene: It is aimed at enhancing sanitation amenities and safe hygiene behavior within various communities.

Cleanliness to all (District - Dholpur, Jaisalmer, Karauli, Pali, Rajsamand, Alwar): A number of awareness programs have been implemented in a number of districts in Rajasthan. The program also aims at constructing household toilets, and enhancement of sanitation facilities in schools. The construction of sanitation units that are equipped with full facilities has benefited more than 3,900 students leading to better regularity among the students.

Assistance to RUHS College of Dental Sciences (District -Jaipur): HDFC Bank with the help of Parivartan, Care India Solutions to Sustainable Development is looking to offer a 3.7 x 65 Intubation Fiberscope. The machine will be used with the primary aim of enabling a huge dental operation to the patients of the said college and in the future providing the same to the society in a greater number.

Particularly benefiting the specially abled individuals (District Jaipur): HDFC Bank is also contributing to the work of Parivartan Shri Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti to furnish a high number of beneficiaries belonging to the underprivileged group of people. This involves providing them with prosthetic limbs and calipers, 18,180, crutches, 2,590, hand-drawn tricycles, and 2,056 wheelchairs.

Securing the Future with WASH (District -Jodhpur): The HDFC Bank and Ambuja Cement Foundation have joined hands with 10 schools in Bilara block of Jodhpur district to completely upgrade the health and sanitation facilities of the schools. This will involve building toilets and drinking water facilities that are non-portable in the school premises, something that will enhance hygiene and take

care of general well being of teachers and students in addition to school staff.

Financial Literacy and Inclusion: Empowering communities to end the poverty cycle and enter the banking circle. The financial literacy programs held at different projects within Rajasthan cover aspects such as savings to investments. They also educate communities in the rural areas on how they can access organized finances. Rural Rajasthan is improving every year in the state of education. With the help of NGO Jagriti, Parivartan is helping 225 such students in Ajmer by sponsoring them to get good education without charge. These smaller things such as uniforms and stationery bags will also be given to the beneficiary students.

Accessories to Smart Classrooms: HDFC Bank in partnership with parivartan Indo Global Social Service Society has 400 schools in 26 districts of Rajasthan that are receiving digital infrastructure. The equipment that will be availed to schools will be: 55-inch Smart TV, 4 TB Hard drive to record e-contents, UPS with 4-6 hours of power supply, Speaker system to allow transmission of volume in the classroom With improved learning experience, and more than 40 000 students will personally gain in the intervention, which will in the end contribute to him or her shaping his/her careers in a better manner.

Table 1 (see in next page)

Conclusion: One of the top spenders on Corporate Social Responsibility (CSR) in India, HDFC Bank in its integrated annual report has estimated on 2023-24 financial year expenditure on Corporate Social Responsibility (CSR) to be Rs 945.31 crore. The bank actually expended 820.89 crore in FY23 meaning that it is up by 124.42 crore compared to the previous fiscal year. Parivartan has an operation in 28 states and 8 union territories. The umbrella brand of all the social activities of the Bank is called Parivartan. It also tries to change positively the lives of people by empowering them, turning them into self reliant and connecting them to the society either directly or indirectly. The bank has implemented as many programs as possible within CSR in Rajasthan under the rural development then programs on health care and cleanliness and has helped people through financial literacy by arranging financial literacy and inclusion camps. HDFC Bank gained profit of 44108.70 cr. in the financial year 2022-23, and in the financial year 2023-24 there is an increase of 37.9 crossing to 60812cr. profit after tax. CSR establishes the confidence of the masses in institutions, which contributes to the building of goodwill and profit maximization in the institutions.

References:-

1. Rajul Dutt and Himani Grewal, Amity Journal of Corporate Governance, Volume1, Issue 3, (35-45), 2018
2. Mahavir Narwal (2007), CSR initiatives of Indian banking industry, Social Responsibility Journal 3 (4), 49-60

3. CSR-Booklet- 11 - Rajasthan March 2024 - HD (hdfcbank.com)
4. Ms. NAIR, T.(2015), CSR IN THE INDIAN SCENARIO, International Journal of Management and Commerce Innovations ISSN 2348-7585 (Online) Vol. 3, Issue 2, pp: (493-499)
5. Purvi Derashri (2020) Comparative Study of HDFC Bank and SBI ISSN: 2249 –0892
6. HDFC Bank annual report 2024
7. CSR Projects India, Companies and CSR, NGO partners, CSR funding India (csrbox.org)
8. National CSR portal

Table 1: HDFC by HDFC under the transformation program Statistics of work done:

Rural Development	Promotion of education	Skills Training and livelihood Enhancements	Healthcare And cleanliness	Financial Literacy and Inclusion
1965+ solar lights installed	1.48 lakh students impacted	35870+ women entrepreneurs trained	130+ sanitation units installed	1.44+ lakh, financial camps conducted
970+ biomass stoves provided	580+ school infrastructures created	18855+ individuals trained	47707+ individuals treated	9.1+ lakh people reached
2050+ kitchen gardens created	1415 schools reached		3900+ students benefited	
655+ water conservation structures constructed				

Sources: -HDFC BANK CSR REPORT (RAJASTHAN), MARCH 2024

मध्य प्रदेश के राजस्व व्ययों का विकास पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (2019-20 से 2022-23)

तरुण गिरी* डॉ. एल. एन. शर्मा** डॉ. शैलेन्द्र कुमार भारल***

* शोधार्थी (वाणिज्य) सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

** शोध निर्देशक (वाणिज्य) सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

*** शोध सह-निर्देशक, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य अध्ययनशाला, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

शोध सारांश - 2019-20 से 2022-23 की अवधि में मध्य प्रदेश राज्य के राजस्व प्राप्तियों की व्यय संरचना और विकासात्मक प्रभाव का व्यापक विश्लेषण यह शोध पत्र प्रस्तुत करता है। अध्ययन में राजस्व स्रोतों (स्वयं कर, गैर-कर, केंद्रीय प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ) और व्यय (विकास व्यय, राजस्व व्यय) के मध्य संबंध की जांच की गई है, जिसमें COVID-19 महामारी के प्रभाव और पुनरुद्धार की गतिशीलता शामिल है। विश्लेषण में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 6.46% राजस्व और 8.5% व्यय की प्रवृत्तियों, राजस्व-व्यय लोच (0.85), बॉयेंसी (1.2-1.5) और क्षेत्रीय प्रभाव (शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ग्रामीण/सामाजिक विकास) का उपयोग किया गया था। एसपीएसएस-आधारित सांख्यिकीय उपकरणों (प्रतिगमन, सहसंबन्ध, एनओवीए) से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि स्वयं कर राजस्व (माध्य रु० 61,798 करोड़, सीएजीआर 9.9%) ने विकास व्यय को 55 से 62 प्रतिशत तक समर्थित किया, जबकि गैर-कर अस्थिरता (सीवी 22.72%) और केंद्रीय निर्भरता (40 से 42 प्रतिशत) चुनौतियाँ बनी रहीं। एफआरबीएम अनुपालन (ऋण-जीएसडीपी 31.5%) और समय-श्रृंखला पूर्वानुमान (होल्ड्स मॉडल, $R^2=0.99$) से राज्य की राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक विकास की दिशा स्पष्ट हुई। निष्कर्ष ने राजस्व को विकास का प्रेरक बताया है, और सुझावों में क्षेत्रीय संतुलन, गैर-कर विविधीकरण और डिजिटल संग्रह विस्तार शामिल हैं। यह अध्ययन राज्य के विजन 2047 से संबंधित डेटा-आधारित विचारों को नीति-निर्माताओं को देता है।

शब्द कुंजी—राजस्व प्राप्तियाँ, व्यय संरचना, विकास व्यय, राजकोषीय स्थिरता, लोच और बॉयेंसी, क्षेत्रीय प्रभाव, मध्य प्रदेश का वित्त।

प्रस्तावना - योजनानुसार, राज्य वित्तीय प्रशासन का मूल उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, मानव संसाधन की वृद्धि, सार्वजनिक निर्माण और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त, स्थिर और निरंतर धनराशि की गारंटी देना है। राजस्व संग्रह क्षमता किसी राज्य के विकास का निर्धारक होती है, क्योंकि यह परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में व्यय करने की क्षमता निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश जैसे विशाल भौगोलिक, विविध सामाजिक और विकासशील राज्य के लिए राजस्व प्राप्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण के तीन राजकोषीय कार्यों को साकार करती हैं, जो लोक वित्त के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कोविड-19 महामारी ने 2019-20 से 2022-23 की अवधि में राजस्व संरचना को कठोर परीक्षण के अधीन रखा। कुल राजस्व में 3.33% की गिरावट के बावजूद, स्वयं कर राजस्व की स्थिरता (रु० 54,800 करोड़) और केंद्रीय प्राप्तियों (रु० 78,475 करोड़) ने व्यय को बढ़ाया। सीएजीआर 9.9%, प्रतिगमन विश्लेषण से $\beta=0.62$ ($p=0.02$) और स्वयं कर राजस्व का माध्य रु० 61,798 करोड़ ने जीएसडीपी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वहीं, मॉडल की विश्वसनीयता $R^2=0.995$ रही। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का 50-53% योगदान स्वयं कर राजस्व में रहा, और कोविड-19 के बाद पुनरुद्धार (2021-22 में 10.34% वृद्धि) की प्रवृत्ति दिखाई दी, जहाँ स्क्वैनेस I।I से कम और कर्टोसिस I।2I से कम ने डेटा की सामान्य वितरणीयता एवं

स्थिरता की पुष्टि की।

उस समय, राज्य ने केंद्र से अनुदानों और कर हिस्सेदारी का उपयोग करके अपने कर एवं गैर-कर राजस्व में वृद्धि की। लोक लेख खातों के संतुलित संचालन, लोक ऋण प्रबंधन और पूंजीगत प्राप्तियों ने व्यय को बढ़ाने की क्षमता विकसित की। राजस्व मुख्यतः छह स्रोतों से आता है: स्वयं कर राजस्व, स्वयं गैर-कर राजस्व, केंद्रीय अनुदान और कर हिस्सेदारी, पूंजीगत लाभ, राष्ट्रीय ऋण और राज्य लेख लाभ। यदि राजस्व वृद्धि दर व्यय वृद्धि दर से मिलती है, तो यह राजकोषीय स्थिरता, विकासात्मक क्षमता और वित्तीय स्वावलंबन का संकेत देता है। स्वयं कर राजस्व का सीएजीआर 9.9% रहा, जबकि गैर-कर राजस्व स्थिर रहा और केंद्रीय प्राप्तियों का हिस्सा 40-42% रहा। इससे विकास व्यय में निरंतर वृद्धि हुई। यह शोध पत्र राज्य की राजकोषीय क्षमता और विकासात्मक प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करते हुए राजस्व प्राप्तियों और व्यय संरचना के मध्य संबंधों का विश्लेषण करता है। राजस्व वृद्धि और व्यय विस्तार के मध्य समन्वय (कुल राजस्व सीएजीआर 6.46% व्यय 8.5% से तुलना में), विकास व्यय पर स्वयं कर का आकलन (कुल व्यय का 55-62%, केंद्रीय प्राप्तियों का 85% योगदान, एनओवीए $F=12.45$, $p=0.001$, $\eta^2=0.78$), स्थानीय प्रभाव (स्वास्थ्य और शिक्षा में 15% विस्तार), और राजकोषीय स्थिरता (एफआरबीएम अनुपालन, ऋण-जीएसडीपी क्योंकि राज्य की 73% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, राजस्व वृद्धि का प्रभाव ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण पर दिखाई देता

है। समय-श्रृंखला पूर्वानुमान (होल्ड्स लीनियर ट्रेंड, $R^2=0.99$, $MPC=1.3\%$) से 2025 से 26 तक जीएसडीपी रु 18.40 लाख करोड़ और प्रति व्यक्ति आय रु 2,00,000 का अनुमान है, जिसमें राजस्व की उच्च लोच (3.85) विकास व्यय को गति देगी। किंतु दीर्घकालिक जोखिम, पूंजीगत प्राप्ति की अस्थिरता (सीवी 25.55%) और लोक ऋण की 82% वृद्धि से पैदा होता है। ई-वे बिल और जीएसटीएन एकीकरण जैसे डिजिटल सुधारों ने कर अनुपालन को बढ़ाकर राजस्व रिसाव को कम किया SSP सहसंबंध ($r>0.97$, $p<0.05$) से स्वयं कर, एसजीएसटी और जीएसडीपी के मध्य मजबूत संबंध को दिखाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे एसजीएसटी, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीयन से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में खर्च में वृद्धि खनिज रॉयल्टी से परिवहन, सड़क निर्माण और ऊर्जा अवसंरचना के द्वीय अनुदानों से सामाजिक कल्याण, संचार, ग्रामीण विकास एवं डिजिटलीकरण और सरकारी ऋण से दीर्घकालीन परियोजनाओं यह अध्ययन राजस्व के व्यय-प्रभावी उपयोग का वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जो नीति-निर्माताओं को डेटा-आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा।

शोध के उद्देश्य - यह अध्ययन निम्नलिखित लक्ष्यों पर केंद्रित है:

1. 2019-20 से 2022-23 तक मध्य प्रदेश में राजस्व वृद्धि और व्यय विस्तार के मध्य समन्वय का विश्लेषण करना।
2. राजस्व प्राप्ति (स्वयं कर, गैर-कर और केंद्रीय प्राप्ति) के विकास व्यय पर प्रभाव का विश्लेषण करना इसका 55 से 62 प्रतिशत कुल व्यय में योगदान है।
3. प्रमुख पाँच क्षेत्रों (परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और ग्रामीण/सामाजिक विकास) पर राजस्व वृद्धि के विकासात्मक प्रभाव की जांच करना।
4. ब्वॉयेंसी और अन्य समष्टिगत सूचकांकों के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना राजस्व-व्यय लोच (1.2-1.5)
5. राज्य की राजकोषीय स्थिति की निरंतरता, स्थिरता और उत्तारदायित्व (एफआरबीएम अनुपालन और ऋण प्रबंधन) का मूल्यांकन करना
6. विजन 2047 के अनुरूप डेटा-आधारित नीतिगत सुझाव प्रदान करना, जैसे डिजिटल संग्रह विस्तार और गैर-कर विविधीकरण।

शोध समस्या - यह शोध समस्या है कि मध्य प्रदेश की राजकोषीय संरचना में राजस्व प्राप्ति की पर्याप्तता और विकास व्यय की स्थिरता कितना समर्थित करती है? कोविड-19 महामारी ने राजस्व संग्रह को बाधित कर दिया, जिससे व्यय वृद्धि दर (8.5%) राजस्व वृद्धि दर (6.46%) से अधिक रही, जो राजकोषीय घाटे और ऋण निर्भरता को बढ़ाता है। स्वयं कर राजस्व की उच्च वृद्धि (9.9 प्रतिशत) के बावजूद गैर-कर अस्थिरता (CVI 22.72 प्रतिशत) और केंद्रीय प्राप्ति पर निर्भरता (40-42 प्रतिशत) निरंतर जोखिम पैदा करती हैं। विकास संतुलन प्रमुख क्षेत्रों में असंतुलन (शिक्षा एवं स्वास्थ्य में 15% वृद्धि, परिवहन में 2% वृद्धि) से प्रभावित होता है। राजकोषीय स्थिरता (FARBM अनुपालन) और आर्थिक विकास (GDP 12.11%) में बाधाएँ हैं, जिसमें राजस्व-व्यय लोच (0.85) और ब्वॉयेंसी (1.2-1.5) की कमी है। यह समस्या राज्य की सतत विकास और वित्तीय स्वावलंबन की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

शोध-प्रविधि एवं सीमा - यह शोध अनुभवजन्य एवं वर्णनात्मक विधियों पर आधारित है, जिसमें 2019-20 से 2022-23 की अवधि के अनुमानित बजट आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्याय 6 के डेटा स्रोत के आंकड़े राजस्व प्राप्ति (स्वयं कर, गैर-कर, केंद्रीय प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति) और व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, विकास व्यय) की सूचना देते हैं। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर), प्रवृत्ति विश्लेषण, लोच, ब्वॉयेंसी, अनुपात विश्लेषण, सहसंबंध, प्रतिगमन, एनओवीए और समय-श्रृंखला पूर्वानुमान (होल्ड्स मॉडल) विश्लेषणात्मक उपकरणों में शामिल हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी (माध्य, विचलन, स्क्व्यूनेस, कर्टोसिस), सहसंबंध ($r>0.97$, $p<0.05$) और प्रतिगमन ($R^2=0.995$) के लिए SPSS 20 सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। पाँच प्रमुख क्षेत्रों (परिवहन, स्वास्थ्य, संचार, ग्रामीण/सामाजिक विकास) पर क्षेत्रीय प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

सीमा : यह अध्ययन केवल 2019-20 से 2022-23 तक का है और बाहरी स्रोतों या अनुमानों से नहीं जुड़ा है। डेटा वास्तविक बजट पर आधारित है।

विश्लेषणात्मक अध्ययन - मध्य प्रदेश की राजस्व-व्यय संरचना का वर्षवार विश्लेषण राज्य की विकासात्मक क्षमता और वित्तीय स्वास्थ्य को दिखाता है। 2019-20 से 2022-23 की अवधि में कोविड-19 के प्रभाव और पुनरुद्धार की गतिशीलता दिखाई दी, जिसमें राजस्व संग्रह को डिजिटल सुधारों (ई-वे बिल, जीएसटीएन) का समर्थन मिला। स्वयं कर राजस्व की सीएजीआर 9.9% रही और व्यय की 8.5% रही। राजस्व पर्याप्तता ($\beta=0.62$, $R^2=0.995$) ने व्यय वृद्धि को समर्थित किया। संबंधित $r=0.997$ ($p=0.053$) डेटा वैधता की पुष्टि करता है।

कुल रु 1,71,476 करोड़ के राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय प्राप्ति का 40-42% और स्वयं कर का 35-37% हिस्सा था। विकास व्यय 60 से 65 प्रतिशत कुल व्यय का हिस्सा था। 2019-20 में कुल राजस्व रु 1,79,354 करोड़ था, जिसमें स्वयं कर रु 65,274 करोड़ और केंद्रीय रु 1,00,112 करोड़ शामिल थे, जबकि व्यय रु 2,28,888 करोड़ था, जिसमें विकास व्यय रु 1,53,155 करोड़ था, जिससे 67% की कमी हुई थी। 2020-2021 में राजस्व रु 1,37,566 करोड़ था, जो 23.3% कम था, जबकि व्यय रु 2,01,631 करोड़ था, जिसमें विकास व्यय रु 1,37,109 करोड़ था, जो 68% था। 2021-22 में राजस्व रु 1,65,018 करोड़ हुआ, जो 19.9% बढ़ गया, जबकि व्यय रु 2,34,918 करोड़ हुआ, जो विकास व्यय रु 1,50,348 करोड़ का 64% बढ़ गया था। 2022-23 में राजस्व रु 2,03,967 करोड़ (23.6%) और व्यय रु 2,72,725 करोड़ (विकास व्यय रु 1,71,817 करोड़, 63%) था।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

आरेख 1,2,3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सीएजीआर वृद्धि 6.46%, व्यय 11.92% है। सांख्यिकीय विवरणों के अनुसार, माध्य राजस्व 1,71,476 करोड़ रुपये, सीवी 16.2%, स्क्व्यूनेस 0.45, कर्टोसिस 0.32 है। ANOVA $F = 8.04$, $p = 0.105$ । राजस्व लोच 1.00 ($R^2=0.898$, $p=0.053$)।

राजस्व वृद्धि का विकास व्यय पर प्रभाव - प्रतिगमन 0.62 से जीएसडीपी पर प्रभाव और $R^2=0.995$ से विश्वसनीयता से पता चला कि राजस्व वृद्धि ने विकास व्यय पर सीधे प्रभाव डाला। कुल राजस्व सीएजीआर 6.46% ने

8.5% विकास व्यय को प्रेरित किया, जो कुल व्यय का 64-68% था। ANOVA $p < 0.01$ से सालाना अंतर समर्थित।

2019-20 में राजस्व 18.7% और विकास व्यय 20% बढ़ा। 2020-21 में विकास व्यय में -11.9% की गिरावट और राजस्व में -23.3% की गिरावट हुई। 2021-22 में राजस्व वृद्धि 19.9% हुई, विकास व्यय 16.5% 2022-23 में राजस्व 23.6% और विकास व्यय 16.1% था। लोच 0.549 ($R^2=0.958$), bounce 1.2-1.5।

पाँच प्रमुख क्षेत्रों में विकासात्मक प्रभाव - राजस्व वृद्धि ने प्रभावित किया। प्रशिक्षण: 18% से 20% आवंटन, 12% CAGR और 0.65 लोच। सुरक्षा: 15% अधिक, लोच 0.72। परिवर्तन रूसी एजीआर -2.2% और लोच 0.58 है। संपर्क: 15% अधिक ब्रॉडबैंड ग्रामीण विकास और सामाजिक विकास: CGRR 1.4%, लोच 0.62।

राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर प्रभाव - राजस्व ने राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाकर व्यय समर्थित किया, लोच 0.68 से। FRBA अनुपालन (ऋण-जीएसडीपी 31.5%) और गैर-कर सीवी 22.72% है। जीएसडीपी सीएजीआर 12.11%, HDI 6.4% है। सहसंबंध $r=0.85$ ($p=0.05$) और प्रतिगमन $R^2=0.92$ है।

तालिका 2: राजकोषीय स्थिरता सूचकांक

सूचकांक	2019 -20	2020 -21	2021 -22	2022 -23
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)	3.34	5.0	4.47	4.56
ऋण-जीएसडीपी अनुपात (%)	24.4	28.8	28.5	33.31
राजस्व अधिशेष/घाटा (% जीएसडीपी)	0.28	-1.8	-0.88	0.03

स्रोत: पीआरएस इंडिया बजट विश्लेषण (2019-2022) SPSS अध्याय 4 तालिकाएँ 4.7 एवं 4.9 से अनुकूलित।

निष्कर्ष - मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों ने व्यय और विकास को बढ़ावा दिया। स्वयं कर सीएजीआर 9.9% ने विकास व्यय को 55 से 62 प्रतिशत तक समर्थित किया। कोविड-19 के बाद, वी-आकार पुनरुद्धार (23.6% राजस्व वृद्धि) और क्षेत्रीय प्रभाव (6.4%) हुए। एफआरबीएम अनुपालन ने राजकोषीय स्थिरता को मजबूत किया है, लेकिन गैर-कर अस्थिरता और ऋण निर्भरता चुनौतियाँ हैं। राजस्व लोच 3.85 ने 12.11% जीएसडीपी को प्रेरित किया, जो राज्य की निरंतर विकास क्षमता को दिखाता है।

सुझाव:

1. गैर-कर राजस्व विविधीकरण: पर्यटन शुल्क और ई-खनन विस्तार से सीवी को 10 प्रतिशत कम करें।
2. डिजिटल संग्रह की वृद्धि: ई-रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अनुपालन को 15% बढ़ाएँ।
3. स्थानीय संतुलन: शिक्षा और स्वास्थ्य पर 25% व्यय, परिवहन पर 10% अतिरिक्त व्यय।
4. ऋण व्यवस्था: पीपीपी मॉडल से अनुपात 30 प्रतिशत से कम होना चाहिए।
5. आत्मसम्मान: स्वयं कर लोच का उपयोग करके केंद्रीय निर्भरता 35

प्रतिशत कम करें।

6. भविष्यवाणी विश्लेषण: SPSS द्वारा जोखिम मूल्यांकन करें।
7. एसडीजी व्यवस्था: राजस्व-लिंक ग्रामीण विकास आवंटन बढ़ाएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

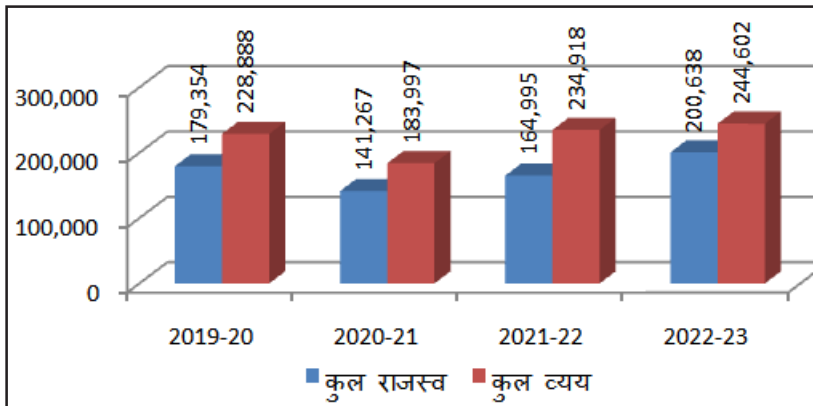
1. Bastable, C. F. (1892). Public Finance. Macmillan & Co.
2. Dalton, H. (1922). Principles of Public Finance. Routledge.
3. Hicks, U. K. (1947). Public Finance. James Nisbet & Co.
4. Pigou, A. C. (1928). A Study in Public Finance. Macmillan.
5. Shirras, G. F. (1925). The Science of Public Finance. Macmillan.
6. Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance% A Study in Public Economy. McGraw-Hill.
7. IBM Corp. (2020). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. IBM Corp.
8. Comptroller and Auditor General of India. (2022-2025). State Finance Audit Report – Madhya Pradesh. Government of India.
9. Reserve Bank of India. (2023). State Finances% A Study of Budgets. RBI Publications.
10. PRS Legislative Research. (2019). Madhya Pradesh Budget Analysis 2019-20.
11. PRS Legislative Research. (2020). Madhya Pradesh Budget Analysis 2020-21.
12. PRS Legislative Research. (2021). Madhya Pradesh Budget Analysis 2021-22.
13. PRS Legislative Research. (2022). Madhya Pradesh Budget Analysis 2022-23.
14. Government of Madhya Pradesh (Finance Department). (2019-2023). Budget at a Glance. Finance Department.
15. Government of Madhya Pradesh. (2023). Madhya Pradesh Economic Survey 2022-23. Directorate of Economics and Statistics.
16. Goods and Services Tax Network. (2023). GST Revenue Collection Reports – Madhya Pradesh.
17. Ministry of Road Transport and Highways. (2023). Vahan Dashboard.
18. Directorate General of Mines Safety. (2023). Mineral Production and Royalty Reports.
19. Ministry of Finance, Government of India. (2021). 15th Finance Commission Report.
20. Kaur, R., & Singh, D. (2020). State Revenue Analysis in India. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 11(3), 45-62.
21. Sharma, K., & Verma, S. (2022). Fiscal Performance of Indian States. Economic & Political Weekly, 57(4), 89-102.
22. NITI Aayog. (2023). State SDG Index 2023 – Madhya Pradesh.

तालिका 1 : मध्य प्रदेश की वर्षवार राजस्व-व्यय तुलना (रु करोड़ में)

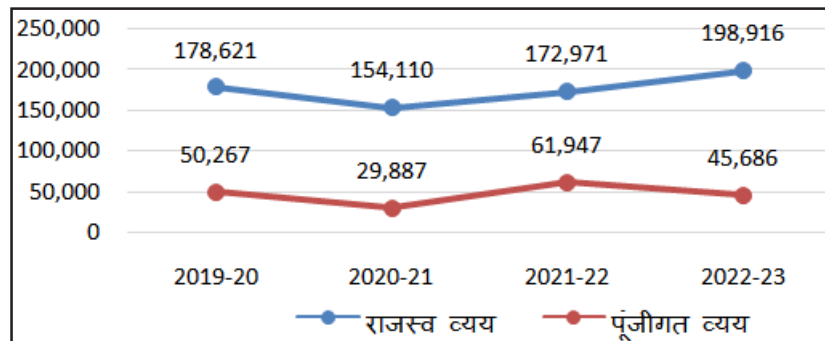
वर्ष	कुल राजस्व	स्वयं कर	गैर-कर	केंद्रीय प्राप्तियाँ	कुल व्यय	विकास व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
2019-20	1,79,354	65,274	13,968	1,00,112	2,28,888	1,78,621	50,267	1,53,155
2020-21	1,41,267	53,472	8,860	78,935	1,83,997	1,54,110	29,887	1,37,109
2021-22	1,64,995	65,254	11,742	87,999	2,34,918	1,72,971	61,947	1,50,348
2022-23	2,00,638	78,137	13,799	1,08,702	2,44,602	1,98,916	45,686	1,71,817

स्रोत: पीआरएस इंडिया बजट विश्लेषण (2019-2022) अध्याय 4 तालिकाएँ 4.7 एवं 4.9 से अनुकूलित।

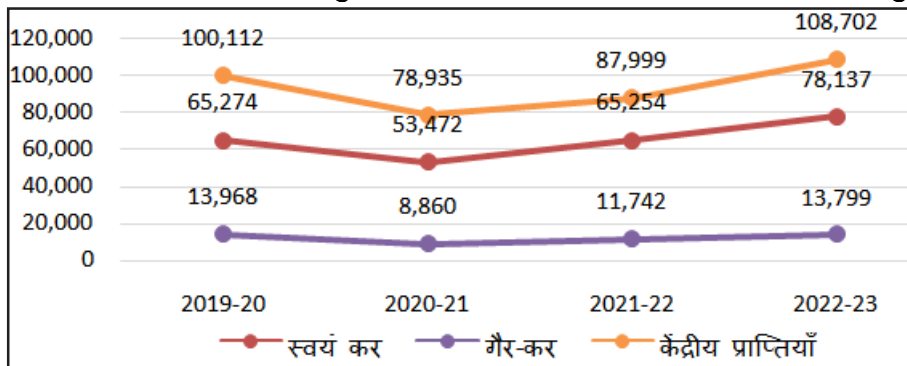
आरेख 1 : मध्य प्रदेश की वर्षवार कुल राजस्व - कुल व्यय की तुलना (रु करोड़ में)



आरेख 2 : मध्य प्रदेश की वर्षवार कुल राजस्व में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय की तुलना (रु करोड़ में)



आरेख 3 : मध्य प्रदेश की वर्षवार कुल राजस्व में स्वयं कर, गैर-कर, केंद्रीय प्राप्तियाँ की तुलना (रु करोड़ में)



चित्रा मुद्गल के उपन्यासों में सामाजिक रूढ़ियों का यथार्थ

डॉ. आशा अग्रवाल* बन्दना कुमारी**

* प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'रूढ़ि' किसी भी प्रगतिशील समाज के विकास को बाधित करने वाला तत्व माना जाता है। रूढ़ि में कोई तार्किकता नहीं होती है। पारम्परिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसका निर्वहण किया जाता है। रूढ़िग्रस्त समाज के अन्तर्गत लोग बिना तर्क एवं आधार के परम्पराओं को अनुसरण करते हैं। ऐसे समाज में नैतिकता, वैज्ञानिकता एवं समसामयिकता की अवहेलना कर धर्म के नाम पर अंधविश्वासों को महत्व दिया जाता है। इन रूढ़ियों का सबसे बुरा प्रभाव स्त्रियों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों पर पड़ता है। भारतीय समाज में आज भी कई रूढ़ियाँ व्याप्त हैं, जैसे- जातिवाद, अस्पृश्यता एवं बाल-विवाह आदि। बिना सोचे समझे इन रूढ़ियों का पालन करने से समाज में जड़ता आ जाती है। उसमें नवनिर्माण की क्षमता नहीं रह जाती है।

चित्रा मुद्गल ने अपने उपन्यासों में समाज के पीड़ित, शोषित, वंचित एवं उपेक्षित वर्गों की आवाज को मुखरता के साथ व्यक्त किया है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों को उन्होंने अपने उपन्यास में बहुआयामी रूप से उजागर किया है। 'एक जमीन अपनी' उपन्यास की नायिका अंकिता एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर स्त्री के रूप में अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे एक अहिष्णु एवं तेज-तर्रार स्त्री समझा जाता है। रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्रियों की कर्मस्थली घर को माना गया है। पारम्परिक रूप से समाज में बाहर का काम पुरुषों का माना गया है। अंकिता का पति सुधांशु पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़ियों से ग्रसित है, जहाँ पति को पत्नी का स्वामी माना गया है। स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री होने के कारण अंकिता के मन में इन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव है 'मैं घर को जीना चाहती हूँ, बरदाशत करना नहीं..... और।' 'और.....धर्मशाला की तख्ती आज से मेरे घर के दरवाजे पर नहीं टंगेंगे.....' 'मैं सिर्फ गृहणी ही नहीं हूँ..... एक स्त्री भी हूँ.....' आखिर सुबह से रात के बीच कोई एक क्षण ऐसा नहीं हो सकता जिसे मैं नितांत अपने लिए जी सकूँ..... लिखना चाहती हूँ लिख सकूँ?'¹

सुधांशु अंकिता की इन बातों से तिलमिलाते हुए कहता है 'यह मेरा घर है.... और यहाँ तख्ती वही लटकेगी जैसी मैं चाहूँगा..... इसका फैसला तुम कैसे कर सकती हो?'²

यहाँ सुधांशु की पितृसत्तात्मक रूढ़ि से ग्रस्त मानसिकता उजागर होती है, जहाँ पुरुष को घर का मुखिया माना जाता है। घर से जुड़े सभी फैसले लेने का हक भी है उसी के पास होता है। समाज में एक रूढ़ि यह भी है कि

तलाकशुदा स्त्री संस्कारवान नहीं होती। यह रूढ़िग्रस्त समाज उसके चरित्र को संदेह की दृष्टि से देखता है 'स्वयं अपने विषय में उसे बड़ा कचोट भरा अनुभव है कि औरत की स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, दुश्चरित्रता का प्रमाण-पत्र ! सुधांशु से अलग होकर जब वह घर लौटी थी, आस पड़ोस ने ही नहीं, पूरे शहर ने छींटाकाशी की थी, 'नौकरी करने वाली लड़की कहीं घर में बंद होकर टिक सकती है ? अरे, इसका तो अपने फुफेरे भाई के साथ पुराना चक्कर था दुल्हे ने रंगे हाथ पकड़ा तो.....' सुन-सुनकर कुछ रोज तक तो उसने घर से निकलना बंद कर दिया।'³

इसी प्रकार 'आवा' उपन्यास में नमिता के पिता देवीशंकर पांडे की मृत्यु के बाद क्रिया-कर्म एवं मुखाग्नि देने के लिए नमिता आगे बढ़ती है 'क्रियाकर्म मैं करूँगी पंडित जी, मुखाग्नि भी मैं ही दूँगी। मैं पांडेजी की बड़ी बेटी हूँ छुबू बच्चा है। बच्चे के हाथ से क्रियाकर्म करवाना उचित नहीं है।'⁴

हमारे समाज में एक धार्मिक रूढ़ि प्रचलित है कि मुखाग्नि सिर्फ बेटा ही दे सकता है, बेटी नहीं। परन्तु यह रूढ़ि परम्परा अब बदल रही है। कई परिवारों में बेटियाँ भी मुखाग्नि दे रही हैं और कर्मकांड कर रही हैं। 'आवा' उपन्यास में नमिता ने उसी रूढ़ि का विरोध किया है। जबकि उसकी माँ उसके इस व्यवहार से क्रोधित होती है।

वृद्ध जीवन की समस्याओं पर आधारित उपन्यास 'गिलिगडु' में वृद्धों के प्रति समाज की रूढ़िग्रस्त मानसिकता को दर्शाया गया है। हमारे समाज में लोग पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध एवं तर्पण करते हैं परन्तु जीवित पिता की उपेक्षा करती हैं। इस उपन्यास में बाबू जसवंत सिंह अपने बेटे बहू की उपेक्षा का शिकार होते हैं। उनके बेटे-बहू के अंतर्मन में बसी रूढ़ियों को दर्शाता है। 'मान लेना होगा। श्रवण कुमार अब किस्से कहानियों में ही दूँदे मिलेंगे। दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण तक उन्हें कर्नल स्वामी ने कराया। जेन है नरेन्द्र के पिता जिसका सद्बुद्धि बीबी के विदेश से आने जाने वाले संग-सम्बन्धियों को एयरपोर्ट लाने-ले जाने, घुमाने-फिराने के लिए होता रहता है। एक उनके लिए नरेन्द्र को फुरसत खोजे नहीं मिलती। कहाँ की ले बैठे?'⁵

'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा' में चित्रा जी ने यह दर्शाया है कि रूढ़िग्रस्त समाज में सिर्फ दो लिंगों स्त्री एवं पुरुष को ही मान्यता दी गई है। तृतीय लिंग को हमारा यह रूढ़िग्रस्त समाज स्वीकार नहीं करता है। तृतीय लिंगी को यहाँ सिर्फ भिखारी, हँसी का पात्र एवं पारिवारिक शुभ कार्य में नेक

देने के लायक ही समझा जाता है। यह समाज उससे नफरत करता है। उपन्यास का नायक विनोद उर्फ बिन्नी एक तृतीय लिंगी अर्थात् किन्नर है। वह सामाजिक, मानसिक पीड़ा एवं आत्मिक द्वन्द्व से गुजर रहा है। रूढ़िग्रस्त समाज द्वारा अस्वीकार एवं बदनामी के डर से परिवार के लोग उसे त्याग देते हैं। वह अपनी माँ 'बा' का पत्र में लिखता है 'तूने मेरी बा तूने और पप्पा ने मिलकर मुझे कसाइयों के हाथ मासूम बकरी सा सौंप दिया।' ⁶

आगे वह कहता है 'जिस नरक में तने और पप्पा ने धकेला है मुझे, वह एक अंधा कुआँ है जिसमें सिर्फ सांप-बिच्छू रहते हैं। सांप-बिच्छू बनकर वह पैदा नहीं हुए होंगे। ब इस कुएँ ने उन्हें आदमी नहीं रहने दिया।' ⁷

आत्मकथात्मक उपन्यास 'नकटौरा' में भी चित्रा जी ने रूढ़िग्रस्त समाज का यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। इस उपन्यास में उन्होंने जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव, अस्पृश्यता, वर्ग-भेद, लिंग-भेद एवं धार्मिक रूढ़ियों पर प्रकाश डाला है। उपन्यास में सिराज एक मुस्लिम बच्चा है। चित्रा जी की सखी मंदा का उससे धर्म के आधार पर भेदभाव करना चित्राजी को हैरान कर देता है। जब फोन पर सिराज उनसे कहता है 'मंदा ताई वैसी नहीं थी, जैसी आपा वह भाऊ से शादी करने से पहल थी। भाऊ मुझे नासिक की बजाय मुम्बई में ही रहना चाहते थे, मगर मंदा ताई ने साफ इंकार कर दिया। मुसलमान लड़के को वह अपने घर में नहीं रख सकती।' ⁸

आगे वह कहता है 'मंदा ताई ने क्यों नहीं कभी मुझसे मेरे हालात जानने चाहे। इसलिए कि मैं एक मुस्लिम बच्चा था। सिर्फ बच्चा, जो जाति-धर्म के ऊपर होता है।' ⁹

यहाँ चित्रा जी ने रूढ़िग्रस्त समाज के धार्मिक भेदभाव पर प्रकाश डाला है।

इस प्रकार चित्राजी के उपन्यासों में समाज का चित्रण स्पष्टता के साथ किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एक जमीन अपनी, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या- 16
2. एक जमीन अपनी, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या- 16
3. एक जमीन अपनी, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या-21
4. आवां, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या-399
5. गिलिगडु, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या-69
6. पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या- 11
7. पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या- 11
8. नकटौरा, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या-304
9. नकटौरा, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या-306

A Regional Analysis of Fertility and Mortality Patterns in Bilaspur Division of Chhattisgarh State

Dr. Kajal Moitra* Rajkumar Panda**

*Professor and Head (Social Science) Dr. C.V.Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA

** Research Scholar (Geography) Dr. C.V.Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract: Understanding regional demographic patterns is essential for effective development planning, especially in regions characterized by socio-economic diversity, cultural heterogeneity, and uneven healthcare access. The Bilaspur Division of Chhattisgarh—comprising Bilaspur, Korba, Raigarh, Janjgir-Champa, Mungeli, and Gaurela-Pendra-Marwahi (GPM)—presents significant spatial disparities in fertility and mortality outcomes. This study provides a comprehensive analysis of fertility indicators such as Total Fertility Rate (TFR), Crude Birth Rate (CBR), General Fertility Rate (GFR), and Adolescent Fertility Rate (AFR), alongside mortality parameters including Infant Mortality Rate (IMR), Under-5 Mortality Rate (U5MR), Crude Death Rate (CDR), and Maternal Mortality Rate (MMR). Using secondary data and comparative district-wise evaluation, the study identifies a clear demographic gradient ranging from low fertility and low mortality in Bilaspur to high fertility and high mortality in GPM and Mungeli. These differences are deeply shaped by socio-economic conditions, women's literacy levels, healthcare infrastructure, cultural norms, and geographic accessibility. The study highlights the urgent need for district-specific health interventions, educational investments, and strengthened maternal-child health programs. The findings contribute to regional population studies and offer insights for designing targeted policies to reduce fertility and mortality inequalities in the Bilaspur Division.

Introduction - Demographic behaviour, particularly fertility and mortality patterns, serves as a key indicator of a region's socio-economic wellbeing and level of development. Fertility reflects reproductive preferences and family norms, while mortality highlights the health conditions and healthcare accessibility of a population. Regional analysis of these indicators helps identify disparities, understand underlying determinants, and guide the formulation of targeted public policies. The Bilaspur Division of Chhattisgarh is one such region where economic contrasts, cultural diversities, and infrastructural imbalances significantly influence demographic outcomes.

Chhattisgarh, a predominantly tribal state, exhibits wide inter-regional variations in demographic indicators. The Bilaspur Division, consisting of six districts, represents a complex demographic landscape that includes urban centres like Bilaspur, industrial belts such as Korba and Raigarh, and predominantly rural-tribal districts like GPM and Mungeli. These districts differ in development indicators such as literacy, health infrastructure, economic opportunities, and women's empowerment. Consequently, fertility and mortality patterns differ significantly across the division.

As India advances through its demographic transition, regional variations continue to pose challenges for achieving uniform reproductive health outcomes and population

stabilization. With disparities in healthcare infrastructure, family planning adoption, antenatal care, maternal nutrition, and socio-cultural norms, understanding district-level fertility and mortality patterns becomes crucial. This research aims to provide an in-depth analysis of these patterns in the Bilaspur Division, contributing to the broader discourse on population, health, and regional development.

Objectives:-

1. To analyze district-wise fertility indicators such as TFR, CBR, GFR, and AFR in the Bilaspur Division.
2. To examine spatial variations in mortality indicators including IMR, U5MR, CDR, and MMR across six districts.
3. To identify socio-economic, cultural, and infrastructural determinants influencing fertility and mortality differences.
4. To compare demographic performance across districts and categorize them based on demographic transition levels.
5. To propose district-specific policy measures aimed at reducing fertility and mortality disparities in the region.

Methodology: This study employs a descriptive and analytical research design rooted in secondary data evaluation and socio-spatial interpretation.

Data Sources: The analysis is based on data from:

1. National Family Health Survey (NFHS-5)

2. Sample Registration System (SRS)
3. District-level health records
4. Government of Chhattisgarh health reports
5. Researcher's field observations and literature reviews

Indicators Studied

Fertility indicators:

1. Total Fertility Rate (TFR)
2. Crude Birth Rate (CBR)
3. General Fertility Rate (GFR)
4. Adolescent Fertility Rate (AFR)

Mortality indicators:

1. Infant Mortality Rate (IMR)
2. Under-5 Mortality Rate (U5MR)
3. Crude Death Rate (CDR)
4. Maternal Mortality Rate (MMR)

Analytical Approach:

1. District-wise comparative analysis
2. Spatial interpretation linking demographic outcomes with socio-economic characteristics
3. Examination of tribal vs. non-tribal demographic behaviour
4. Qualitative interpretation of determinants such as education, healthcare access, cultural norms, and economic conditions

Study Area Description: The Bilaspur Division is located in central Chhattisgarh and includes six districts:

1. **Bilaspur** – urbanized, educational hub, best healthcare facilities
2. **Korba** – industrial district with mixed tribal-nontribal population
3. **Raigarh** – industrial–agricultural district with moderate health indicators
4. **Janjgir-Champa** – agrarian region with improving health and education
5. **Mungeli** – largely rural, dependent on subsistence agriculture
6. **Gaurela-Pendra-Marwahi (GPM)** – predominantly tribal, forested, geographically isolated

The region experiences significant variation in economic activities, literacy rates, health infrastructure, and cultural practices—all of which influence fertility and mortality patterns.

Results and Discussion

Fertility Patterns: The fertility scenario of Bilaspur Division reveals substantial inter-district variation. Bilaspur, the most urbanized district, has the **lowest TFR**, indicating a shift toward small-family norms. High female literacy, better employment opportunities for women, and greater access to contraceptive methods contribute to declining fertility. The prevalence of nuclear families, rising cost of living, and modern reproductive choices further reinforce this trend. Janjgir-Champa displays moderately low fertility due to agricultural prosperity, higher income stability, and improved maternal healthcare services. Awareness of family planning methods is moderately high, and adolescent fertility shows

a declining trend.

Korba and Raigarh exhibit **intermediate fertility levels**, shaped by heterogeneous population structures. While the industrial economy provides employment and exposure to urban practices, tribal and rural pockets retain traditional reproductive norms, leading to a mixed fertility pattern.

Mungeli and GPM reflect **high fertility regions**. These districts are characterized by early marriage practices, limited access to contraception, low female education, limited health awareness, and cultural preference for larger families. GPM, being predominantly tribal, retains strong traditional norms that favour high fertility and early childbearing. Adolescent fertility is significantly higher in these districts, contributing to elevated TFR and GFR.

Mortality Patterns: Mortality indicators exhibit a similarly uneven distribution. Bilaspur records the **lowest IMR, U5MR, CDR, and MMR** in the division. This is attributed to high institutional delivery rates, advanced health infrastructure, qualified medical professionals, and better maternal and child healthcare facilities. Immunization coverage is high, and awareness about nutrition and antenatal care is strong.

Raigarh, Korba, and Janjgir-Champa show moderate mortality levels. Despite industrial development in Raigarh and Korba, health disparities persist due to occupational hazards, pollution, uneven distribution of healthcare, and neglected tribal areas. Janjgir-Champa performs slightly better due to ongoing improvements in rural health services and child care programs.

Mungeli and GPM exhibit the **highest mortality rates**, indicating significant public health challenges. Infant mortality is high due to malnutrition, inadequate immunization, poor sanitation, and delayed medical care. Maternal mortality remains high due to lack of emergency obstetric services, limited antenatal care, and poor transportation. GPM faces geographical isolation, low awareness about maternal health, and socio-economic marginalization, leading to severe mortality burdens.

Conclusion: The study highlights significant demographic disparities across the Bilaspur Division. Bilaspur district demonstrates advanced demographic transition with low fertility and low mortality, while Mungeli and GPM remain caught in the high fertility–high mortality trap. Korba, Raigarh, and Janjgir-Champa occupy intermediate positions, indicating gradual progress yet persistent gaps. Fertility and mortality outcomes are closely linked with educational attainment, female autonomy, healthcare access, economic status, and cultural norms. The findings underline the need for targeted and district-specific interventions to improve reproductive and child health outcomes across the division.

Policy Suggestions:

1. **Strengthen Health Infrastructure** in GPM and Mungeli by establishing fully equipped CHCs, maternity

wards, and mobile health units.

2. Promote female education, especially in tribal areas, to reduce early marriages and increase contraceptive adoption.

3. Enhance family planning services through door-to-door counselling, ASHA worker training, and availability of modern contraceptives.

4. Improve maternal healthcare by ensuring regular antenatal check-ups, nutrition programmes, emergency obstetric care, and transport support.

5. Reduce adolescent fertility through school-based awareness programmes and reproductive health education.

6. Expand immunization and nutrition programmes to reduce child mortality in Mungeli and GPM.

7. Address socio-cultural barriers by involving local

tribal leaders and community groups in health campaigns.

8. Develop district-specific demographic policies recognizing unique cultural, economic, and geographic characteristics.

References :-

1. Government of Chhattisgarh. (2023).
2. District Health Statistical Handbook. Health Department. Ministry of Health and Family Welfare. (2021).
3. National Family Health Survey-5: District Fact Sheets. Registrar General of India. (2022).
4. Sample Registration System Statistical Report. UNICEF. (2020).
5. State of Child Health in India. Researcher's Field Notes and Demographic Analysis (2024).

An Analysis of India'S Self- Reliance in Technological Growth in National Security with Special Reference to the Operation Sindoor

Dr. Shailendra Kumar Mishra*

*Ph.D Military Science, Nema flats, Behind Canara Bank, Rewa Road, Satna (M.P.) INDIA

Abstract: Independent India has fought several wars against its enemies and has a vast experience of fighting actual and proxy wars. During the previous wars, preceding the "Operation Sindoor", India was dependent strategically on foreign technology. The success stories of India during the preceding wars were written by Indian strategic skill through the arms and ammunitions developed on foreign technologies. The experience of the "Operation Sindoor", launched against Pakistan terrorist outfits, is quite different from the preceding wars and its strategic operation was also unique in many senses. In this operation, Indian forces have written their success story by using and experimenting indigenously developed technology and have registered their strategic supremacy over the enemy forces through precise attacks with calibrated military response. This paper is a humble attempt to highlight India's growing capability of self- reliance in the matter of technology related to the Nation's security.

Keywords-TRF, Operation Sindoor, Calibrated Military Response, UAS, ECCM, DFI, IDDM, PLI, Make In India.

Introduction - The Military Character and the strategic significance of the "Operation Sindoor" is manifest in the remark of the Prime Minister of India, Shri Narendra Damodardas Modi, when he spoke in the house of Parliament "In operation "Sindoor", India has not only outperformed Pakistan on the battlefield, but also demonstrated its edge in 21st-century warfare using indigenously developed defence systems. The operation proved India's strength in deserts and mountains and validated the credibility of home-grown weaponry." "Operation Sindoor" was launched by the Indian defence forces to annihilate the terrorist bases run in and fostered by Pakistan.

On 22 April, Pakistan based terrorist group "The Resistance Front" (TRF) perpetrated a devastating attack in Pahalgam, (India) and killed 26 innocent tourists were killed in cold blood manner segregating them on communal basis. TRF, which is an offshoot of terrorist organisation Lashkar-e-Taiba claimed the responsibility for this attack within a few hours. Pakistan's refusal to acknowledge and curb these terrorist networks compelled India to take a responsible and resolute action. Operation SINDOOR emerged as a calibrated military response to an evolving pattern of asymmetric warfare, India's response was deliberate, precise, and calibrated. Without crossing the Line of Control, Indian forces conducted terrorist infrastructure and eliminated multiple terrorist bases.

However, beyond tactical brilliance, what stood out determinant was the seamless integration of indigenous hi-tech systems into national defence. Operation SINDOOR marked as a milestone in India's journey towards technological self-reliance in defence capabilities.

Self- reliance in Air Defence Capabilities: On the night of 07-08 May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in Northern and Western India. But all Pakistani attempts were neutralized by the Integrated Counter UAS (Unmanned Aerial Systems) Grid and Air Defence systems. On the morning of May 8, the Indian Armed Forces targeted Air Defence Radars and systems at a number of locations in Pakistan. An Air Defence system at Lahore was also neutralised.¹

In the "Operation Sindoor", the following indigenous defence were used:

- (a) Battle-proven AD (Air Defence) systems like the Pechora, OSA-AK and LLAD guns (Low-level air defence guns).
- (b) Indigenous developed system such as 'AKASH', (a Short Range Surface to Air Missile system to protect vulnerable areas and vulnerable points from air attacks. The AKASH Weapon System has capability to engage simultaneously multiple Targets in Group Mode or Autonomous Mode. It bears Electronic Counter-Counter Measures (ECCM) features. The entire weapon system has been configured on mobile platforms).²

India's Air Defence Systems, combining assets from the Army, Navy, and primarily the Air Force, performed with exceptional synergy. These systems created an impenetrable wall, foiling multiple attempts by Pakistan to retaliate. The Integrated Air Command and Control System (IACCS) of the Indian Air Force enable a coordinated execution of these systems, providing the net-centric operational capability needed vital for modern warfare.

Role of indigenously developed weapon in Offensive Actions with Pinpoint Accuracy: In the "Operation Sindoor" it is the indigenous developed weapons which enable Indian for offensive strikes targeting key Pakistani airbases- Noor Khan and Rahimyar Khan with offensive actions with pinpoint accuracy and surgical precision. Loitering munitions were used to devastating effect, each finding and destroying high-value targets, including enemy radar and missile systems. Loitering munitions also known as "suicide drones" or "kamikaze drones", are weapons systems that can hover and circle a target area, searching for a suitable target before attacking. All strikes of 'AKASH' were executed without loss of Indian assets. The use of modern indigenous technology, from long-range drones to guided munitions, made these strikes highly effective and tactically calibrated. Indian Air Force bypassed and jammed Pakistan's (Chinese-supplied) air defence systems, completing the mission in just 23 minutes by demonstrating India's technological edge.

Evidence of Neutralized Targets: Operation SINDOOR could produce a concrete evidence of hostile technologies neutralized by Indian systems by using Indian indigenous weapon system. A list of the evidence of neutralised target of the enemy can be given as following.

- (a) Pieces of PL-15 missiles (of Chinese origin)
- (b) Turkish-origin UAVs, named "Yiha" or "YEEHAW"
- (c) Long-range rockets, quadcopters and commercial drones

These were recovered and identified, indicating that despite Pakistan's attempts to exploit through advanced foreign supplied weaponry, India's indigenous air defence and electronic warfare networks remained superior.

Capability of calibrated precise strike through indigenous defence technology: Air Defence systems, Electronic Warfare assets and Air Defence Weapons from both Army and Air Force for precise strikes on terrorists were executed without crossing the Line of Control or International Boundary. It was anticipated that Pakistan's response would come from across the border. Keeping in view the apprehended retaliation on the part of enemy State our defence system used

- A unique blend of Counter Unmanned Aerial and,
- Multiple defensive layers from the International Boundary inwardly to foil enemies

Counter attack. Our defense forces completed the mission by using

- a) Counter Unmanned Aerial Systems

- b) Shoulder-Fired Weapons
- c) Legacy Air Defence Weapons
- d) Modern Air Defence Weapon Systems

This multi-tier defence neutralized Pakistan Air Force attacks on our airfields and logistic installations during the night of May 9-10. These systems, built over the last decade with continuous government investment and indigenous technology, proved to be the multiply force mechanism during the operation. They played a crucial role in ensuring that both civilian and military infrastructure inside India remained largely undamaged during enemy retaliatory attempts.

Growth of indigenous defence mechanism and the role of ISRO's and DFI: On May 11, ISRO Chairman V Narayanan mentioned in an event that at least 10 satellites are continuously working round-the-clock for the strategic purpose to ensure the safety and security of the nation. The monitoring of 7,000 km seashore areas and that of the entire northern part is impossible without satellite and drone technology.³ The Drone Federation India (DFI), is a premier industrial body represented by 550 drone companies and 5500 drone pilots⁴ which is vision is to make India a global drone hub by 2030. DFI also hosts several programs like Bharat Drone Mahotsav⁵. Under the supervision of DFI, several companies are active in developing indigenous drone.

Alpha Design Technologies (Bengaluru) which works in partnership with Israel's Elbit Systems builds **SkyStriker**. **Tata Advanced Systems** offers a full range of integrated solutions across Defence & Security and has served as a trusted partner to India's armed forces for over six decades.⁶ **Paras Defence & Space Technologies**, which operates within the Defence and Space segments is distinguished by its Indigenously Designed Developed and Manufactured (IDDM) capabilities.⁷ **IG Drones** is also a Drone Technology Company for manufacturing and R & D of Drones specialized in defence and other industry applications along with providing drone related services like drone surveying, mapping & inspection by industry experts. The company has partnered with Indian Army, Besides Government of India, multiple State Governments, and others⁸. The Indian drone market is projected to reach \$11 billion by 2030, accounting for 12.2% of the global drone market.⁹

Role of Drones as the central instrument of Modern Warfare: We have witnessed the writing the success story of India indigenously developed drones played determinant role in "Operation Sindoor." The integration of drone warfare into India's military doctrine owes its success to years of domestic R&D and policy reform. Since 2021, the ban on imported drones and the launch of the PLI (Production Linked Incentive) scheme led to catalyze rapid innovation. The scheme of Production Linked Incentive for drones and drone components of Ministry of Civil Aviation was notified on 30th September, 2021 with a total incentive of Rs 120

crores spread over three Financial Years 2021-22 to 2023-24.¹⁰ The future lies in the development of autonomous drones with AI-driven decision-making, and India is already laying the groundwork. Defence exports crossed the record figure of about Rs 24,000 crore in Financial Year 2024-25. The aim is to increase the figure to Rs 50,000 crore by 2029, and make India a developed nation and the world's largest defence exporter by 2047.¹¹

Make in India as a move towards self-reliance in defence sector: If India has emerged as a major defence manufacturing hub, its major credit goes to the "Make in India" initiative and a strong push for self-reliance. In FY 2023-24, indigenous defence production reached a record Rs 1.27 lakh crore, while exports soared to Rs 23,622 crore in FY 2024-25, a 34-fold increase from 2013-14. Strategic reforms, private sector involvement, and robust R&D have led to the development of advanced military platforms like the Dhanush Artillery Gun System, Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS), Main Battle Tank (MBT) Arjun, Light Specialist Vehicles, High Mobility Vehicles, Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, Advanced Light Helicopter (ALH), Light Utility Helicopter (LUH), Akash Missile System, Weapon Locating Radar, 3D Tactical Control Radar, and Software Defined Radio (SDR), as well as naval assets like destroyers, indigenous aircraft carriers, submarines, frigates, corvettes, fast patrol vessels, fast attack craft, and offshore patrol vessels. The government has backed this growth with record procurement contracts, innovations under iDEX, drives like SRIJAN, and two Defence Industrial Corridors in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Key acquisitions such as LCH (Light Combat Helicopters) Prachand helicopters and the ATAGS (Approval for Advanced Towed Artillery Gun System) highlight the shift towards indigenous capability. With targets of Rs 3 lakh crore in production and Rs 50,000 crore in exports by 2029, India has firmly positioned itself as a self-reliant and globally competitive defence manufacturing power.

Conclusion: Operation SINDOOR is not just a success story of tactical domination rather it is a validation of India's

defence indigenization in technology and strategic programming. From air defence systems to drones, from counter-UAS capabilities to net-centric warfare platforms, indigenous technology has delivered its best when it was intended at the most. The fusion of private-sector innovation with, public-sector execution, under the watch of military vision has enabled India not only to defend its people and territory but also assert its role as a hi-tech potential military power in the 21st century. As the world moves to the future conflicts, the battlefield will increasingly be shaped by technology. India, which has demonstrated its technological capability in the Operation SINDOOR, is signaling its readiness to cope with future challenge.

References: -

1. On the night of 07-08 May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in Northern and Western India including Awantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Nal, Phalodi, Uttarlai, and Bhuj, using drones and missiles. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127670>
2. <https://www.drdo.gov.in/drdo/akash>
3. <https://www.thehindu.com/news/national/10-satellites-working-to-ensure-safety-and-security-isro-chief-v-narayanan/article69566159.ece>
4. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112555>
5. <https://nidar.org.in/about/>
6. <https://www.tataadvancedsystems.com/about>
7. <https://parasdefence.com/>
8. <https://igdrones.com/>
9. <https://www.igdtuw.ac.in/IGDTUW/uploads/798386185.pdf>
10. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU5448_8thxt.pdf?source=pqals
11. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127735>

संस्कृत भाषा का वैश्विक योगदान तकनीकी युग के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. यज्ञ आमेटा*

* सहायक आचार्य (संस्कृत) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – संस्कृत भाषा भारतीय सभ्यता की बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चेतना की मूलधार रही है। इसे सामान्यतः धार्मिक अथवा दार्शनिक भाषा के रूप में सीमित कर देखा गया, जबकि वास्तविकता यह है कि संस्कृत में विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल, स्थापत्य और सूचना-संरचना के अत्यंत परिष्कृत सूत्र उपलब्ध हैं।

इक्कीसवीं शताब्दी का वर्तमान युग तकनीकी, डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है, जहाँ भाषाओं का मूल्यांकन उनके प्रसंरचनात्मक स्पष्टता, नियमबद्धता, अर्थ-शुद्धता और गणनात्मक उपयुक्तता के आधार पर किया जा रहा है। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा की व्याकरणिक संरचना, पाणिनीय सूत्रात्मक प्रणाली, तथा अर्थ-निश्चितता उसे आधुनिक कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान और AI के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में संस्कृत भाषा के वैश्विक योगदान को तकनीकी युग के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि संस्कृत न केवल अतीत की गौरवशाली भाषा है, बल्कि भविष्य की नैतिक, मानवीय और बौद्धिक तकनीक की आधारशिला भी बन सकती है।

प्रस्तावना – भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह किसी भी सभ्यता की ज्ञान-संरचना (Knowledge Structure), सोच-पद्धति और मूल्य-व्यवस्था का दर्पण होती है। संस्कृत भाषा इस दृष्टि से विश्व की अद्वितीय भाषा मानी जाती है। यह भाषा न केवल प्राचीनतम है, बल्कि अपनी वैज्ञानिकता, तार्किकता और संरचनात्मक पूर्णता के कारण आज भी प्रासंगिक है।

पाणिनि कृत अष्टाध्यायी को यदि विश्व का प्रथम Formal Grammar कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व रचित यह ग्रंथ आज के आधुनिक “Algorithmic Language Design” के अत्यंत निकट दिखाई देता है। पाणिनि के सूत्र ‘अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम्’ के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो आज के कम्प्यूटर कोड की मूल आत्मा है।

आज जब विश्व Artificial Intelligence, Machine Learning और Big Data के युग में प्रवेश कर चुका है, तब भाषाओं की आवश्यकता केवल संवाद के लिए नहीं, बल्कि ‘ज्ञान-प्रसंस्करण (Knowledge Processing)’ के लिए है। इस संदर्भ में संस्कृत की भूमिका पुनः वैश्विक मंच पर उभर रही है।

संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता और संरचनात्मक उत्कृष्टता

संस्कृत की वैज्ञानिकता मुख्यतः तीन आधारों पर प्रतिष्ठित है।

(क) व्याकरणिक सुसंगति – संस्कृत में प्रत्येक शब्द का निर्माण निश्चित नियमों के अंतर्गत होता है। धातु, प्रत्यय, उपसर्ग और संधि के नियम इतने स्पष्ट हैं कि किसी भी शब्द का निर्माण Predictable और Reproducible होता है। यह गुण आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के समान है।

(ख) तार्किक स्पष्टता – संस्कृत में वाक्य-संरचना (Syntax) पूर्णतः नियमबद्ध है। कर्ता-कर्म-क्रिया का संबंध स्पष्ट होने से अर्थ में भ्रम की संभावना न्यूनतम रहती है।

(ग) अर्थ-निश्चितता (Semantic Precision) – संस्कृत शब्दों में बहुविध अर्थों की संभावना होते हुए भी, संदर्भानुसार अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि इसे “Unambiguous Language” माना जाता है, जो कम्प्यूटर प्रोसेसिंग के लिए अनिवार्य गुण है।

पाणिनीय व्याकरण और आधुनिक कम्प्यूटर एल्गोरिथ्म

पाणिनि के सूत्रात्मक नियम आज के कम्प्यूटर एल्गोरिथ्म से आश्चर्यजनक समानता रखते हैं।

। पाणिनीय प्रणाली । आधुनिक प्रणाली ।

। सूत्र । Algorithm ।

। धातु । Root Function ।

। प्रत्यय । Modifiers ।

। संधि । String Operations ।

। समास । Data Compression ।

पाणिनीय प्रणाली में tRule-Based Generation की वही पद्धति है, जिसे आज Rule-Based AI Systems में अपनाया जाता है।

संस्कृत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

Artificial Intelligence का मूल उद्देश्य मशीन को मानव-सदृश सोच, तर्क और निर्णय-क्षमता प्रदान करना है। संस्कृत भाषा की संरचना इस लक्ष्य के अत्यंत अनुकूल है।

Rick Briggs (1985) (1985) ने अपने प्रसिद्ध शोध में यह प्रतिपादित किया कि संस्कृत की व्याकरणिक और अर्थात्मक संरचना Knowledge Representation के लिए आदर्श है।

संस्कृत में Subject-Object-Verb क्रम स्पष्ट कारक प्रणाली य नियमबद्ध शब्द-निर्माण

AI और NLP के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

संस्कृत और Natural Language Processing (NLP)- NLP में सबसे बड़ी चुनौती 'Ambiguity Removal' होती है। संस्कृत में कारक-विभक्ति के कारण यह समस्या न्यूनतम है। उदाहरणतः- 'रामः फलम् खादति' यहाँ कर्ता और कर्म स्पष्ट हैं, जबकि कई आधुनिक भाषाओं में यह स्पष्टता नहीं मिलती। इसी कारण संस्कृत आधारित NLP मॉडल अधिक सटीक परिणाम देने की क्षमता रखते हैं।

संस्कृत और कम्प्यूटर विज्ञान का संगम

संस्कृत और कम्प्यूटर विज्ञान के मध्य गहन समानता देखी जा सकती है।

- धातु प्रणाली → Database Root Structure
- समास → Information Compression
- सूत्र → Programming Logic
- व्याकरण → Syntax Rules
- अर्थ → Semantic Web

आज Semantic Web और Ontology Design में संस्कृत की सहायता ली जा रही है।

संस्कृत और तकनीकी नैतिकता - आज तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नैतिक संकट भी बढ़ रहा है Data Misuse, AI Bias, Privacy Violation आदि।

संस्कृत साहित्य में वर्णित मूल्य- धर्म, सत्य, अहिंसा, संयम, लोकहितकृ आज Ethical AI के लिए दिशासूचक सिद्धांत बन सकते हैं।

उपनिषद् का वाक्य- 'सत्यं वद, धर्मं चर' तकनीकी युग में भी उतना ही प्रासंगिक है।

संस्कृत का वैश्विक पुनर्जागरण

आज विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में-

- * Computational Sanskrit
- * Digital Manuscripts
- * AI-based Grammar Parsing पर शोध हो रहा है।

NASA, MIT, Oxford, IITs और कई यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्कृत आधारित तकनीकी शोध में संलग्न हैं। यह संस्कृत के वैश्विक पुनर्जागरण का स्पष्ट संकेत है।

संस्कृत और समाजोपयोगिता - संस्कृत केवल तकनीकी भाषा नहीं, बल्कि समाज को संतुलन देने वाली भाषा है।

यह-

- शिक्षा में मूल्यबोध
- चिकित्सा में समग्र दृष्टि
- पर्यावरण में संतुलन
- मनोविज्ञान में आत्मबोध

प्रदान करती है। संस्कृत तकनीक को मानवीय दिशादेती है। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत परंपरा की नहीं, प्रौद्योगिकी की भावी भाषा है।

संस्कृत, गणनात्मक भाषाविज्ञान और भविष्य की भाषाएँ - आधुनिक तकनीकी युग में भाषाविज्ञान का केंद्र अब केवल व्याकरणिक अध्ययन न रहकर गणनात्मक भाषाविज्ञान (Computational Linguistics) बन चुका है। इसमें भाषा को डेटा, एल्गोरिथ्म और मॉडल के रूप में देखा जाता है। इस क्षेत्र में संस्कृत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। संस्कृत भाषा की संरचना सी Rule-based Generation पर आधारित है, जबकि

अधिकांश आधुनिक भाषाएँ Usage-based हैं। यही कारण है कि संस्कृत को कम्प्यूटर द्वारा parse, generate और analyze करना तुलनात्मक रूप से अधिक सरल है।

संस्कृत में-

- प्रत्येक शब्द की 'उत्पत्ति ज्ञात' होती है
- शब्द-रूपों की संख्या 'सीमित और पूर्वानुमेय' होती है
- व्याकरणिक अपवाद न्यूनतम हैं।

ये सभी गुण Computational Linguistics की मूल आवश्यकताएँ हैं। यही कारण है कि भविष्य की Formal Languages, Meta-Languages और Knowledge Representation Languages के विकास में संस्कृत को एक मॉडल भाषा के रूप में देखा जा रहा है।

संस्कृत और ज्ञान-संरचना निर्माण - Ontology Development आधुनिक सूचना विज्ञान और Artificial Intelligence का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। Ontology का अर्थ है। ज्ञान को इस प्रकार संरचित करना कि मशीन उसे 'समझ' सके।

संस्कृत दर्शन और व्याकरण में Ontological Thinking अत्यंत विकसित अवस्था में मिलती है।

उदाहरणार्थकृ य 'द्रव्य - गुण - कर्म' (वैशेषिक दर्शन) य 'सत्ता - असत्ता - भाव'

'नाम - रूप - कार्य' ये सभी अवधारणाएँ आधुनिक Ontology Frameworks (जैसे OWL, RDF) से गहन साम्य रखती हैं। संस्कृत की श्रेणीबद्ध (Hierarchical) और तर्कसंगत अवधारणा प्रणाली Knowledge Graphs के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। यही कारण है कि Semantic Web Research में संस्कृत ग्रंथों का उपयोग बढ़ रहा है।

संस्कृत और मशीन ट्रांसलेशन - Machine Translation आज वैश्विक डिजिटल संप्रेषण की आवश्यकता बन चुकी है। किंतु अधिकांश भाषाओं में संदर्भ-आधारित अस्पष्टता (Contextual Ambiguity) इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है।

संस्कृत में 'विभक्ति य लिंग' वचन य काल के स्पष्ट संकेत होने के कारण मशीन ट्रांसलेशन अपेक्षाकृत अधिक सटीक हो सकता है। यदि संस्कृत को "Pivot Language" (मध्यस्थ भाषा) के रूप में प्रयोग किया जाए, तो विभिन्न भाषाओं के मध्य अनुवाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है। इस दिशा में भारत और विदेशों में प्रारंभिक प्रयोग हो चुके हैं।

संस्कृत और ज्ञान-प्रबंधन - आज का युग "Information Overload" का युग है। समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि ज्ञान के 'उचित वर्गीकरण, संग्रहण और उपयोग' की है। संस्कृत साहित्य में ज्ञान को-

'श्रुति य स्मृति य दर्शन य शास्त्र' आगम जैसे स्पष्ट वर्गों में विभाजित किया गया है। यह Knowledge Classification आधुनिक Knowledge Management Systems (KMS) के लिए अत्यंत उपयोगी मॉडल प्रस्तुत करता है। संस्कृत की 'सूत्रात्मक शैली' (Aphoristic Style) ज्ञान को संक्षिप्त, सटीक और संरक्षित रखने की कला सिखाती है। आज के डिजिटल आर्काइव्स और डेटाबेस डिजाइन में अत्यंत आवश्यक है।

संस्कृत और साइबर संस्कृति - डिजिटल युग ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया है- Cyber Cultured। इस संस्कृति में तीव्रता, सतहीपन और उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। परिणामस्वरूप मानसिक तनाव, सूचना-भ्रम

और मूल्य-संकट उत्पन्न हो रहे हैं।

संस्कृत साहित्य इस संदर्भ में संतुलन प्रदान करता है।

योग, ध्यान, आत्मसंयम और विवेककृये सभी अवधारणाएँ आज “ Digital Well-being” की आवश्यकता बन चुकी हैं।

संस्कृत यह सिखाती है कि- ‘युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु’ यह सिद्धांत तकनीकी युग में मानव और मशीन दोनों के लिए संतुलन का मार्गदर्शन करता है।

संस्कृत, डिजिटल मानविकी और संस्कृति संरक्षण

Digital Humanities आज एक उभरता हुआ वैश्विक क्षेत्र है, जिसमें साहित्य, इतिहास और संस्कृति को डिजिटल माध्यम से संरक्षित और विश्लेषित किया जाता है। संस्कृत के करोड़ों हस्तलिखित ग्रंथ आज भी अप्रकाशित हैं।

Digital Sanskrit Projects माध्यम से- * Manuscript Digitization * Text Encoding * Metadata Tagging * AI-based Text Restoration, जैसे कार्य हो रहे हैं। यह न केवल भारतीय संस्कृति का संरक्षण है, बल्कि विश्व बौद्धिक धरोहर (World Intellectual Heritage) में अमूल्य योगदान भी है।

संस्कृत और वैश्विक शिक्षा प्रणाली - आज वैश्विक शिक्षा प्रणाली केवल Skill-based न होकर Value-based Education की ओर बढ़ रही है। UNESCO और WHO जैसी संस्थाएँ Holistic Education पर बल दे रही हैं।

संस्कृत शिक्षा- *बौद्धिक क्षमता * तार्किक सोच * नैतिक दृष्टि * आत्मानुशासन

का समन्वय प्रस्तुत करती है। इसी कारण विश्व के अनेक देशों में संस्कृत को-

* Cognitive Development * Logical Reasoning

* Ethical Studies के संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है।

संस्कृत और भविष्य की कृत्रिम चेतना - आधुनिक AI अब केवल डेटा प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं, बल्कि **Artificial Consciousness** की ओर अग्रसर है। यह प्रश्न उठता हैकृत्रिम मशीन चेतना विकसित कर सकती है?

संस्कृत दर्शन में चेतना (चैतन्य) का अत्यंत गहन विश्लेषण मिलता है-

* आत्मा * बुद्धि * मन * चित्त * अहंकार

इन स्तरों का अध्ययन भविष्य की AI Research को दार्शनिक आधार प्रदान कर सकता है।

संस्कृत यहाँ तकनीक को ‘मानव-केंद्रित (Human-centric)’ बनाए रखने में सहायक हो सकती है।

संस्कृत और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता - ‘आत्मनिर्भर भारत’ की संकल्पना केवल आर्थिक नहीं, बल्कि ‘बौद्धिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता’ की भी है।

संस्कृत आधारित - Indigenous Knowledge Systems भारतीय Logic Systems नैतिक तकनीकी मॉडल भारत को वैश्विक तकनीकी विमर्श में विशिष्ट पहचान दिला सकते हैं। यह भाषा भारत की “Soft Power” का भी सशक्त माध्यम बन सकती है।

समग्र निष्कर्ष - इस विस्तृत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत भाषा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता है। इसकी व्याकरणिक परिशुद्धता, तार्किक अनुशासन, अर्थात्मक स्पष्टता और मूल्यपरक दृष्टि आधुनिक तकनीकी युग की जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकती है। संस्कृत- ‘मशीन को बुद्धि देती है।’ मानव को विवेक देती है। य तकनीक को नैतिक दिशा देती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत ‘मानवता और प्रौद्योगिकी के मध्य सेतु’ है। भविष्य की तकनीक यदि मानवीय, संतुलित और नैतिक बननी है, तो उसे संस्कृत जैसी भाषा और दर्शन से अवश्य संवाद करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाणिनि - अष्टाध्यायी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज।
2. पतंजलि - महाभाष्य, वाराणसी।
3. Briggs, Rick (1985): Knowledge Representation in Sanskrit and Artificial Intelligence*, NASA Journal.
4. Deshpande, M. (2020): Sanskrit and the Digital Humanities*, Oxford University Press.
5. Vempaty, R. (2017): Sanskrit and Computational Linguistics*, Journal of Indic Studies.
6. शर्मा, राधाकृष्णन (2018): संस्कृत और आधुनिक विज्ञान, वाराणसी।
7. आचार्य मोहनलाल (2021): संस्कृत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय।

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता : अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

थानसिंह गेहलोत* डॉ. संजीव कुमार शर्मा **

* शोधार्थी, माधव यूनिवर्सिटी, पिंडवाड़ा, जिला - सिरौही (राज.) भारत

** सहायक आचार्य, माधव यूनिवर्सिटी, पिंडवाड़ा, जिला - सिरौही (राज.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान युग को सूचना और ज्ञान का युग कहा जाता है, जहाँ शिक्षा, शोध और रोजगार के अवसरों तक पहुँच सूचना साक्षरता पर अत्यधिक निर्भर हो गई है। सूचना साक्षरता वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सूचना की आवश्यकता को पहचानता है, उपयुक्त स्रोतों से सूचना प्राप्त करता है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है तथा नैतिक एवं प्रभावी ढंग से उसका उपयोग करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षमता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास, शोध कौशल और आजीवन अधिगम के लिए अनिवार्य मानी जाती है।

अनुसूचित जनजाति समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रहा है। डिजिटल युग में यह वंचना 'डिजिटल विभाजन' के रूप में और अधिक स्पष्ट हो गई है। प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता के स्तर, उपयोग-प्रवृत्तियों तथा उससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई तथा 470 विद्यार्थियों से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा संकलित किया गया। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यद्यपि विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इंटरनेट सूचना का प्रमुख स्रोत बन चुका है, फिर भी प्रशिक्षण की कमी, सीमित तकनीकी अवसररचना और संसाधनों की अनुपलब्धता सूचना साक्षरता के प्रभावी विकास में बाधक बनी हुई है। अध्ययन में सूचना साक्षरता को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

शब्द कुंजी - सूचना साक्षरता, उच्च शिक्षा, अनुसूचित जनजाति, डिजिटल विभाजन, अलीराजपुर जिला।

प्रस्तावना - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने शिक्षा प्रणाली के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज ज्ञान केवल पुस्तकों या कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल माध्यमों, ऑनलाइन संसाधनों, ई-पुस्तकों, ई-जर्नलों और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है। इस परिवर्तित शैक्षणिक परिदृश्य में सूचना साक्षरता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

सूचना साक्षरता का आशय केवल पढ़ने-लिखने या कंप्यूटर चलाने की क्षमता से नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी कौशल है, जिसमें सूचना की पहचान, खोज, मूल्यांकन, उपयोग और प्रस्तुतीकरण की क्षमता सम्मिलित होती है। उच्च शिक्षा में यह क्षमता विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन, आलोचनात्मक चिंतन और शोध कार्य के लिए सक्षम बनाती है।

भारतीय संदर्भ में उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित करना भी है। अनुसूचित जनजाति समुदाय भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो भौगोलिक रूप से प्रायः दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करता है। इन क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सीमित रहती है, जिससे जनजातीय विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता प्रभावित होती है।

मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला पूर्णतः अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है। यहाँ के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उच्च

शिक्षा उनके लिए सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन का एक प्रमुख माध्यम है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया जाए। प्रस्तुत अध्ययन इसी आवश्यकता की पूर्ति करता है।

उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में सूचना साक्षरता एक ऐसी अनिवार्य क्षमता के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसके बिना न तो शैक्षणिक प्रगति की कल्पना की जा सकती है और न ही सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने ज्ञान के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। आज सूचना केवल पुस्तकों या कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरी, ई-जर्नल, ऑनलाइन डेटाबेस और विभिन्न डिजिटल मंचों के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है। ऐसे वातावरण में सूचना की प्रचुरता के साथ-साथ यह चुनौती भी उत्पन्न हुई है कि कौन-सी सूचना उपयोगी, प्रामाणिक और शैक्षणिक दृष्टि से सार्थक है। इसी संदर्भ में सूचना साक्षरता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। सूचना साक्षरता वह क्षमता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी सूचना की आवश्यकता को पहचानते हैं, उपयुक्त स्रोतों से सूचना प्राप्त करते हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तथा नैतिक और प्रभावी ढंग से उसका उपयोग करते हैं।

उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता केवल एक सहायक कौशल नहीं, बल्कि

शैक्षणिक गुणवत्ता का आधार बन चुकी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकें, शोध सामग्री की पहचान कर सकें और नवीन ज्ञान के सृजन में सहभागी बन सकें। सूचना साक्षरता विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति विकसित करती है। यह क्षमता विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ग ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक वंचनाओं का सामना करता रहा है।

भारतीय सामाजिक संरचना में अनुसूचित जनजातियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, किंतु भौगोलिक दूरस्थता, सीमित संसाधन और पारंपरिक जीवन-शैली के कारण इन समुदायों की शिक्षा तक पहुँच अपेक्षाकृत सीमित रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की गईं, फिर भी उच्च शिक्षा में इनकी भागीदारी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। डिजिटल युग में यह चुनौती 'डिजिटल विभाजन' के रूप में और अधिक स्पष्ट हो गई है। डिजिटल विभाजन का अर्थ केवल तकनीकी उपकरणों की कमी नहीं है, बल्कि डिजिटल कौशल, प्रशिक्षण और सूचना साक्षरता की असमानता भी है।

मध्यप्रदेश का अलीराजपुर जिला पूर्णतः अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है। यह क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है और यहाँ के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उच्च शिक्षा इन विद्यार्थियों के लिए केवल शैक्षणिक उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता की स्थिति का गहन विश्लेषण किया जाए।

सूचना साक्षरता की अवधारणा एवं उच्च शिक्षा में महत्व - सूचना साक्षरता की अवधारणा का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार, सूचना साक्षर व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि उसे कब सूचना की आवश्यकता है और वह आवश्यक सूचना को प्रभावी ढंग से खोज, मूल्यांकन एवं उपयोग कर सकता है। उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

1. सूचना की आवश्यकता की पहचान
2. उपयुक्त सूचना स्रोतों का चयन
3. सूचना खोज रणनीतियों का प्रयोग
4. सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन
5. सूचना का नैतिक एवं कानूनी उपयोग

सूचना साक्षरता विद्यार्थियों को आजीवन सीखने के लिए तैयार करती है। यह उन्हें न केवल पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन में, बल्कि शोध, नवाचार और रोजगारोन्मुख गतिविधियों में भी सक्षम बनाती है।

अनुसूचित जनजाति, उच्च शिक्षा एवं डिजिटल विभाजन - अनुसूचित जनजाति समुदाय भारतीय समाज का वह वर्ग है, जो ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा से अपेक्षाकृत अलग रहा है। शिक्षा को इस समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना गया है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाएँ एवं नीतियाँ लागू की गईं।

डिजिटल युग में एक नई चुनौती के रूप में 'डिजिटल विभाजन' उभर

कर सामने आया है। डिजिटल विभाजन का अर्थ है तकनीकी संसाधनों, इंटरनेट सुविधा और डिजिटल कौशल में असमानता। जनजातीय क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गहन रूप में देखी जाती है।

अलीराजपुर जिले के महाविद्यालय इस स्थिति का प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सीमित है और सूचना साक्षरता प्रशिक्षण की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता के स्तर का विश्लेषण करना।
2. सूचना प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों और उपयोग-प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
3. सूचना साक्षरता के उपयोग में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
4. सूचना साक्षरता के विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति - प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई। अध्ययन क्षेत्र के रूप में अलीराजपुर जिले के चार शासकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया।

नमूना के रूप में 470 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का चयन किया गया। डेटा संकलन हेतु संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें सूचना साक्षरता, कंप्यूटर ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट उपयोग से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे।

डेटा का विश्लेषण प्रतिशत विधि, तालिकात्मक प्रस्तुति और वर्णनात्मक व्याख्या द्वारा किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं चर्चा - अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी सूचना साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हैं। इंटरनेट सूचना का प्रमुख स्रोत बन चुका है, जबकि पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग अपेक्षाकृत कम पाया गया।

सूचना साक्षरता प्रशिक्षण की अनियमितता एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। कंप्यूटर एवं इंटरनेट अवसरचना की सीमित उपलब्धता के कारण अनेक विद्यार्थी डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि सूचना साक्षरता केवल तकनीकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संस्थागत समर्थन पर भी निर्भर करती है।

निष्कर्ष - अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अलीराजपुर जिले के अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता का स्तर मध्यम है। यद्यपि डिजिटल युग के प्रभाव से सूचना संसाधनों का उपयोग बढ़ा है, फिर भी प्रशिक्षण एवं संसाधनों की कमी सूचना साक्षरता के प्रभावी विकास में बाधक बनी हुई है।

यदि महाविद्यालयों में सूचना साक्षरता को एक संगठित और निरंतर कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाए, तो यह जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सुझाव :

1. महाविद्यालयों में नियमित सूचना साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
2. पुस्तकालयों को डिजिटल संसाधनों से सुसज्जित किया जाए।

3. कंप्यूटर एवं इंटरनेट अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए।
4. सूचना साक्षरता को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जाए।
5. जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष डिजिटल प्रशिक्षण योजनाएँ लागू की जाएँ।
5. सिंह, ए. के. (2016). सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा, वाराणसी: ज्ञान भारती प्रकाशन।
6. वर्मा, एस. (2019). उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता का महत्व. शैक्षिक अध्ययन, 7(3), 112-118।
7. पटेल, एम. (2018). जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं तकनीकी चुनौतियाँ, आदिवासी अध्ययन पत्रिका, 5(2), 39-46।
8. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
9. यादव, आर. (2017). डिजिटल भारत और शिक्षा, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
10. चौधरी, एल. (2021). महाविद्यालयीन पुस्तकालयों में सूचना साक्षरता कार्यक्रम, ग्रंथालय दर्पण, 14(1), 21-29।
11. सिंह, डी. (2019). सूचना समाज और ज्ञान संस्कृति, इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
12. यूनेस्को. (2018). मीडिया एवं सूचना साक्षरता: नीति एवं दिशा-निर्देश (हिंदी संस्करण), नई दिल्ली: यूनेस्को कार्यालय।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, आर. (2018). सूचना साक्षरता और उच्च शिक्षा, नई दिल्ली: एसोसिएटेड पब्लिशर्स।
2. कुमार, संजीव. (2019). महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता का अध्ययन, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका, 33(2), 45-52।
3. शर्मा, आर. के. (2017). ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान: सिद्धांत और व्यवहार, जयपुर: राज पब्लिकेशन्स।
4. मिश्रा, पी. (2020). अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में डिजिटल विभाजन की समस्या, समाजशास्त्र विमर्श, 12(1), 78-85।

साहित्यिक पत्रकारिता का डिजिटल रूपांतरण और पत्रिकाओं का भविष्य

श्रीमती रुचि पालीवाल*

* शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

‘कागज की गंध से निकलकर, अब पिक्सल्स की चमक में ढल रहे हैं, शब्दों के हाथ धामकर हम, नए युग की देहली पर चल रहे हैं। माध्यम बदला है मगर, वैचारिकी की मशाल अब भी वही है, डिजिटल के अनंत आकाश में, साहित्य के नए सूर्य निकल रहे हैं।’

शोध सारांश – साहित्यिक पत्रकारिता की अंतरात्मा मानवीय संस्कृति और वैचारिक चेतना के विकास से अनुप्राणित है। ऐतिहासिक रूप से पंडित जुगलकिशोर शुक्ल द्वारा संपादित ‘उदन्त मार्तण्ड’ (1826) से पल्लवित होकर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ‘सरस्वती’ (1900) के भाषा-परिमार्जन और मुंशी प्रेमचंद के ‘हंस’ (1930) के वैचारिक विमर्श तक, पत्रिकाओं ने सदैव समाज के बौद्धिक अधिष्ठान को निर्मित करने में महती भूमिका निभाई है। वर्तमान सूचना-तकनीकी युग में साहित्य और पत्रकारिता का यह अंतःसंबंध एक क्रांतिकारी ‘डिजिटल रूपांतरण’ के दौर से गुजर रहा है, जहाँ मुद्रित माध्यमों की पारंपरिक संरचना और डिजिटल मीडिया का वैश्विक विस्तार परस्पर संवाद कर रहे हैं। यह रूपांतरण केवल माध्यम का परिवर्तन नहीं, अपितु साहित्यिक मूल्यों, संपादकीय नैतिकता और पाठकीय ग्रहणशीलता का एक नवीन विन्यास है। मुद्रित से डिजिटल की ओर संक्रमण की इस प्रक्रिया में ‘ई-पत्रिकाओं’, ‘वेब-जर्नल्स’, ‘साहित्यिक ब्लॉग’ और ‘ऑडियो-विजुअल’ माध्यमों (पॉडकास्ट) ने अभिव्यक्ति के स्वरूप को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है।

डिजिटल माध्यमों ने जहाँ एक ओर वैश्विक पाठक-वर्ग तक निर्बाध पहुँच, त्वरित प्रकाशन और लागत में न्यूनता जैसे ऐतिहासिक अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर ‘डिजिटल विभाजन’ और ‘गुणवत्ता बनाम लोकप्रियता’ का एक द्वंद्वतामक परिदृश्य भी निर्मित किया है। वर्तमान दौर का पाठक मात्र सूचनाग्राही नहीं है उसकी बदलती प्रवृत्तियों और बहुभाषिकता पाठक-लेखक संवाद की एक संवादात्मक संरचना की माँग करती हैं। इस तकनीकी हस्तक्षेप के मध्य डॉ. नामवर सिंह जैसे विचारकों द्वारा रेखांकित संपादकीय विवेक और ‘एल्गोरिदम’ के बीच का संतुलन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जहाँ मौलिकता, तथ्यपरकता और बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु नवीन मानकों का निर्धारण अनिवार्य हो गया है। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, यह रूपांतरण स्त्री, दलित एवं वंचित स्वरों के सशक्तिकरण और क्षेत्रीय साहित्य की वैश्विक व्याप्ति का आधार बना है। भविष्य की साहित्यिक पत्रकारिता एक ‘हाइब्रिड मॉडल’ (मुद्रित डिजिटल) की ओर अग्रसर है, जिसमें समुदाय-आधारित सदस्यता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे नवाचारों का समावेश सतत विकास की संभावनाओं को पुष्ट करता है। शोध की वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रविधि यह स्पष्ट करती है कि डिजिटल चुनौतियाँ कृत्रिम आर्थिक स्थायित्व और तकनीकी असमानता के बावजूद, साहित्यिक पत्रकारिता का भविष्य अपनी अनुकूलन क्षमता और मानवीय संवेदनाओं के संरक्षण में ही निहित है। अंततः, यह विवेचन साहित्यिक पत्रकारिता के गौरवशाली अतीत, संघर्षपूर्ण वर्तमान और संभावनाशील भविष्य के मध्य एक संतुलित और तार्किक सेतु निर्मित करता है।

शब्द कुंजी – साहित्यिक पत्रकारिता, डिजिटल रूपांतरण, ई-पत्रिका, पाठकीय संस्कृति, हाइब्रिड मॉडल, संपादकीय विवेक, वैचारिक अधिष्ठान, बौद्धिक संपदा।

प्रस्तावना – साहित्यिक पत्रकारिता मात्र सूचनाओं का संकलन या सामयिक घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक जागृति और सांस्कृतिक अस्मिता का वह जीवंत दस्तावेज है, जो समय की रेत पर मानवीय संवेदनाओं के पदचिह्न अंकित करता है। इसकी संकल्पना साहित्य और पत्रकारिता के उस दुर्लभ संयोग में निहित है, जहाँ पत्रकारिता की तथ्यपरकता और साहित्य की शाश्वत संवेदनशीलता परस्पर मिलकर समाज के मानसिक परिष्कार का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वस्तुतः, साहित्यिक पत्रकारिता वह सेतु है, जिसके माध्यम से गंभीर चिंतन और सृजनात्मकता जनसाधारण की चेतना का हिस्सा बनती हैं।

हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की ऐतिहासिक परंपरा पर दृष्टिपात करें,

तो यह भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक रीढ़ रही है। इसकी गौरवशाली यात्रा पंडित जुगलकिशोर शुक्ल द्वारा संपादित ‘उदन्त मार्तण्ड’ (1826) की भाषायी अस्मिता से प्रारंभ होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की ‘कविवचनसुधा’ (1867) और ‘हरिश्चंद्र चन्द्रिका’ (1873) तक विस्तृत है, जिन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिकता के संस्कार प्रदान किए। बीसवीं शताब्दी के उषाकाल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ‘सरस्वती’ (1900) के माध्यम से न केवल भाषा का व्याकरणिक अनुशासन निर्धारित किया, बल्कि साहित्य की श्लोक-मंगल के व्यापक उद्देश्यों से भी जोड़ा। इसी परंपरा को छायावाद और प्रगतिवाद के दौर में ‘चाँद’ (1920), ‘माधुरी’ (1922) और मुंशी प्रेमचंद द्वारा संस्थापित ‘हंस’ (1930) जैसी

कालजयी पत्रिकाओं ने आगे बढ़ाया। इन पत्रिकाओं ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध शंखनाद करते हुए साहित्य को समाज के आगे चलने वाली मशाल के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्रता के उपरांत 'धर्मयुग' (1950), 'आलोचना' (1951), 'पहल' (1973) और 'तद्भव' (1999) जैसी पत्रिकाओं ने वैश्विक विमर्शों और आधुनिकता बोध को केंद्र में रखकर इस समृद्ध विरासत को अक्षुण्ण रखा।

आज 21वीं सदी के उत्तरार्ध में, सूचना प्रौद्योगिकी के अप्रत्याशित विकास ने 'डिजिटल युग' का सूत्रपात किया है, जिसने साहित्य के सृजन, संपादन और वितरण की पारंपरिक पद्धतियों को बुनियादी तौर पर परिवर्तित कर दिया है। यह युग केवल माध्यम के परिवर्तन का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के 'लोकतंत्रीकरण' का युग है। अब साहित्य केवल मुद्रित पृष्ठों की गंध और पुस्तकालयों की आलमारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह 'यूनिटोड' के माध्यम से कंप्यूटर और स्मार्टफोन की आभासी स्क्रीन पर निरंतर गतिशील है। डिजिटल मीडिया के इस उदय ने जहाँ एक ओर साहित्य की पहुँच को वैश्विक और त्वरित बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसने गहन अध्ययन की संस्कृति और संपादकीय गंभीरता के समक्ष नई चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। तकनीक और साहित्य का यह अंतर्संवाद वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो पाठक और लेखक के मध्य एक नए प्रकार के प्रत्यक्ष और तात्कालिक संबंध को जन्म दे रही है।

वर्तमान परिदृश्य में इस विषय का अन्वेषण अत्यंत प्रासंगिक और न्यायसंगत प्रतीत होता है क्योंकि यह रूपांतरण केवल भौतिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है। जब 'वागर्थ' (1995), 'नया ज्ञानोदय' (2002) और 'पाखी' (2008) जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ डिजिटल संस्करणों को अपना रही हैं और 'समालोचन' (2010) जैसे पोर्टल साहित्यिक विमर्श के नए केंद्र बन रहे हैं, तब इस संक्रमण का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। यह विवेचन मुद्रित माध्यम के भविष्य पर मंडरा रहे अस्तित्वगत संशयों और डिजिटल माध्यमों द्वारा प्रस्तुत असीमित संभावनाओं के मध्य एक संतुलित शोध-दृष्टि प्रदान करता है। डिजिटल युग में साहित्यिक गुणवत्ता का संरक्षण, आर्थिक स्वावलंबन और संपादकीय नैतिकता जैसे प्रश्न इस अध्ययन के केंद्र में हैं, जो न केवल पत्रिकाओं के बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हैं, बल्कि भविष्य की साहित्यिक पत्रकारिता हेतु एक दूरगामी दिशा-निर्देश भी प्रस्तुत करते हैं।

शोध के उद्देश्य:

1. साहित्यिक पत्रकारिता के ऐतिहासिक विकासक्रम का विश्लेषण करना।
2. मुद्रित माध्यम से डिजिटल माध्यम की ओर संक्रमण के कारणों और प्रवृत्तियों की पड़ताल करना।
3. डिजिटल युग में साहित्यिक पत्रिकाओं के स्वरूप में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
4. डिजिटल रूपांतरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों (आर्थिक, नैतिक, गुणवत्ता) का मूल्यांकन करना।
5. भविष्य की साहित्यिक पत्रकारिता के लिए श्वाइब्रिड मॉडल की संभावनाओं को तलाशना।

शोध के प्रश्न:

1. क्या डिजिटल माध्यमों ने साहित्यिक पत्रकारिता की मौलिक संवेदना और गुणवत्ता को प्रभावित किया है?
2. क्या ई-पत्रिकाएँ और वेब-पोर्टल पारंपरिक मुद्रित पत्रिकाओं का पूर्ण

विकल्प बन सकते हैं?

3. डिजिटल रूपांतरण ने 'हाशिए के विमर्शों' (स्त्री, दलित, क्षेत्रीय) को किस प्रकार वैश्विक मंच प्रदान किया है?
4. एल्गोरिदम आधारित सामग्री और मानवीय संपादकीय विवेक के बीच क्या द्वंद्व है?

शोध विधि- प्रस्तुत शोध में 'वर्णनात्मक' एवं 'विश्लेषणात्मक' शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। शोध के निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें ऐतिहासिक दस्तावेजों (पुरानी पत्रिकाओं) और वर्तमान डिजिटल पोर्टल्स (केस स्टडी के रूप में) का विश्लेषण किया गया है ताकि माध्यम के बदलाव के प्रभाव को वस्तुनिष्ठ रूप से समझा जा सके।

साहित्य समीक्षा - साहित्यिक पत्रकारिता पर पूर्व में हुए शोधों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश कार्य मुद्रित पत्रिकाओं के इतिहास और उनके योगदान पर केंद्रित रहे हैं। डॉ. रामविलास शर्मा और सुबोध अग्रवाल ने साहित्यिक पत्रकारिता को 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' के रूप में देखा है। वहीं, आधुनिक दौर में मार्शल मैकलुहान और मैनुअल कैस्टेल्स ने सूचना समाज और माध्यम के तकनीकी पक्ष पर विस्तृत कार्य किया है। हिंदी के संदर्भ में विजय बहादुर सिंह और आर. पी. यादव के कार्यों ने डिजिटल मीडिया और साहित्य के अंतःसंबंधों को छुआ है, परंतु 'पत्रिकाओं के भविष्य' और 'हाइब्रिड मॉडल' पर केंद्रित शोध अभी भी अत्यंत सीमित हैं। प्रस्तुत शोध इसी रिक्तता को भरने का एक लघु प्रयास है।

साहित्यिक पत्रकारिता: अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य- साहित्यिक पत्रकारिता की संकल्पना वस्तुतः साहित्य की सौंदर्यपरक दृष्टि और पत्रकारिता की सामाजिक सजगता के उस द्वंद्वतात्मक संलयन में निहित है, जहाँ सूचना की तात्कालिकता साहित्य की शाश्वत संवेदनशीलता के साथ एकाकार हो जाती है। इसके तात्त्विक अर्थ को समझने हेतु यह अनिवार्य है कि इसे मात्र समाचार प्रेषण का माध्यम न मानकर एक ऐसी 'वैचारिक पीठिका' के रूप में स्वीकार किया जाए जो समाज की बौद्धिक उर्वरता को सुरक्षित रखती है। साहित्यिक पत्रकारिता की प्रकृति और उसके उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित तीन परिभाषाएँ आधारभूत स्तंभ के समान हैं:

1. डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार: 'साहित्यिक पत्रिकाएँ समाज की वै बौद्धिक प्रयोगशालाएँ हैं, जहाँ नवीन विचारों का परीक्षण होता है, पुरानी मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन होता है और भविष्य के साहित्य की रूपरेखा निर्मित होती है।' यह परिभाषा साहित्यिक पत्रकारिता के 'अन्वेषणात्मक' और श्भविष्योन्मुखी स्वरूप को उद्घाटित करती है।
2. डॉ. नामवर सिंह के अनुसार: 'साहित्यिक पत्रकारिता वह सेतु है जिस पर चलकर गंभीर विचार और सूक्ष्म संवेदनाएँ अकादमिक गलियारों से निकलकर लोकमानस की चेतना तक पहुँचते हैं।' यहाँ नामवर जी इसे 'ज्ञान के लोकतंत्रीकरण' और 'संवाद' के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।
3. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार: 'पत्रकारिता जब साहित्य के सांनिध्य में आती है, तो वह केवल विवरण नहीं रह जाती, बल्कि वह काल के प्रवाह में संस्कृति के पदचिह्न अंकित करने का दायित्व संभाल लेती है।' यह परिभाषा साहित्यिक पत्रकारिता के 'सांस्कृतिक संरक्षण' वाले पक्ष को मजबूती प्रदान करती है।

साहित्य और पत्रकारिता के इसी अटूट अंतःसंबंध ने ही हिंदी में उस

ऐतिहासिक परंपरा की आधारशिला रखी, जिसका प्रारंभिक उत्कर्ष पंडित जुगलकिशोर शुक्ल द्वारा संपादित 'उदन्त मार्तण्ड' (1826) की भाषायी अस्मिता से दृष्टिगोचर होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब 'सरस्वती' (1900) की कमान संभाली, तो उन्होंने सिद्ध किया कि एक संपादक का दायित्व केवल रचनाएँ छापना नहीं, बल्कि भाषा का संस्कार करना भी है। उन्होंने 'सरस्वती' के माध्यम से 'कवि-कर्तव्य' जैसे लेख लिखकर साहित्यकारों को समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराया। यह साहित्य और पत्रकारिता के अंतःसंबंध का सबसे प्रखर उदाहरण है, जहाँ पत्रिका एक 'संस्था' और 'गुरु' की भूमिका में दिखाई देती है।

साहित्यिक पत्रकारिता के सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों का फलक अत्यंत विस्तृत है। इसका प्राथमिक ध्येय 'सभ्य रुचि' का निर्माण करना है। उदाहरण के तौर पर, मुंशी प्रेमचंद ने 'हंस' (1930) के प्रथम अंक में ही स्पष्ट कर दिया था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। उनका उद्देश्य पत्रकारिता के माध्यम से दलितों, कृषकों और वंचितों के स्वर को साहित्य के केंद्र में लाना था। इसी प्रकार, सांस्कृतिक स्तर पर 'चाँद' (1920) जैसी पत्रिकाओं ने 'फाँसी अंक' या 'अछूत अंक' निकालकर यह प्रमाणित किया कि साहित्यिक पत्रकारिता सामाजिक न्याय का एक सशक्त अस्त्र है। यहाँ महादेवी वर्मा का कथन प्रासंगिक है कि साहित्यकार अपनी इकाई में तब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक वह अपनी समष्टि (समाज) के साथ एकाकार न हो जाए।

पत्रिकाओं के इन्हीं उद्देश्यों से उनकी वैचारिक भूमिका का निर्धारण होता है, जहाँ वे केवल रचनाओं का संग्रह न रहकर यथास्थितिवाद को चुनौती देने वाली 'बौद्धिक सत्ता' के रूप में उभरती हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' के संपादन में निकली 'प्रतीक' (1947) ने प्रयोगवाद के माध्यम से वैचारिक स्वाधीनता की नई परिभाषा गढ़ी, जबकि वर्तमान डिजिटल संक्रमण के दौर में भी 'वागर्थ' (1995), 'तद्भव' (1999) और 'नया ज्ञानोदय' (2002) जैसी पत्रिकाएँ अपनी वैचारिक शुचिता के माध्यम से उसी 'विवेक' की रक्षा कर रही हैं। निष्कर्षतः, साहित्यिक पत्रकारिता का अर्थ उसके उन उद्देश्यों में निहित है जो समाज को केवल सूचना नहीं देते, बल्कि उसे 'संवेदनशील' और 'विचारशील' बनाते हैं।

डिजिटल रूपांतरण: अवधारणा और विकास- डिजिटल रूपांतरण मात्र माध्यम का तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के सृजन, संचय और संप्रेषण की सदियों पुरानी पद्धतियों का आमूलचूल विस्थापन है। इसकी अवधारणा को समझने हेतु यह अनिवार्य है कि इसे सूचना क्रांति के उस वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जिसने 'गुटेनबर्ग गैलेक्सी' (मुद्रित संसार) से बाहर निकलकर मानवता को 'बाइनरी कोड्स' और 'हाइपरटेक्स्ट' के संसार में प्रतिस्थापित किया है। वैश्विक परिदृश्य में डिजिटल मीडिया का विकास 20वीं सदी के अंतिम दशकों में इंटरनेट की सुलभता के साथ तीव्र हुआ, जहाँ The New York Times और The Guardian जैसी संस्थाओं ने मुद्रित पृष्ठों के समानांतर डिजिटल स्पेस की महत्ता को पहचाना। वैश्विक स्तर पर सूचनाओं के इस 'डी-मैटेरियलाइजेशन' (वि-भौतिकीकरण) ने साहित्य को भी प्रभावित किया, जहाँ मुद्रित पुस्तकों और पत्रिकाओं के स्थान पर 'ई-बुक्स' और 'वेब-जर्नल्स' ने एक वैश्विक संजाल निर्मित किया। इस वैश्विक लहर ने 'गेटकीपिंग' की पारंपरिक अवधारणा को ध्वस्त कर दिया, जिससे अभिव्यक्ति के लिए किसी भौतिक प्रेस या वितरण तंत्र की अनिवार्यता समाप्त हो गई।

भारत में डिजिटल मीडिया का विस्तार एक अद्वितीय सामाजिक-तकनीकी घटना रही है। 1990 के दशक में उदारीकरण के पश्चात भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवेश ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यिक परिदृश्य को नए आयाम दिए। भारत में इस विस्तार को दो चरणों में समझा जा सकता है। प्रथम चरण जहाँ मुद्रित पत्रिकाओं ने अपनी वेबसाइटें निर्मित कीं, और द्वितीय चरण जहाँ 'यूनिकोड' के विकास ने हिंदी को इंटरनेट पर सार्वभौमिक बनाया। 'वेबदुनिया' (1999) जैसे पोर्टलों ने हिंदी के डिजिटल भविष्य की आधारशिला रखी, जिसके उपरांत 'हिंदी समय' और 'कविता कोश' (2006) जैसे विशाल डिजिटल अभिलेखागारों ने साहित्य की उपलब्धता को असीमित विस्तार दिया। भारत में सस्ते डेटा और स्मार्टफोन की क्रांति ने साहित्यिक पत्रकारिता के उस वर्ग तक पहुँच को संभव बनाया, जो भौगोलिक या आर्थिक कारणों से मुद्रित पत्रिकाओं से कटा हुआ था। इस विस्तार ने क्षेत्रीय साहित्य और हाशिए के विमर्शों को वह शक्ति प्रदान की, जिसकी मुद्रित माध्यम में 'स्पेस' की सीमा के कारण अनदेखी की जाती थी।

मुद्रित से डिजिटल माध्यम की संक्रमण प्रक्रिया केवल तकनीकी नहीं बल्कि एक मानसिक और संवेदनात्मक संक्रमण भी है। यह प्रक्रिया 'पेज' (पृष्ठ) से 'स्क्रीन' की ओर जाने वाली यात्रा है, जहाँ मुद्रित अक्षरों का 'स्पर्श सुख' अब डिजिटल शपिक्सल्स की चमक में बदल रहा है। इस संक्रमण के केंद्र में 'सुविधा' और 'तात्कालिकता' के तत्व प्रधान रहे हैं। जब लब्धप्रतिष्ठ पत्रिकाएँ जैसे 'वागर्थ' (1995), 'नया ज्ञानोदय' (2002) और 'पाखी' (2008) अपने मुद्रित अंकों के साथ-साथ 'ई-पेपर' या वेबसाइट के प्रारूप में आईं, तो उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के मध्य एक संतुलन साधने का प्रयास किया। यह संक्रमण प्रक्रिया मुद्रण की भारी लागत, डाक वितरण की अनिश्चितता और पाठकों की घटती संख्या जैसे संकटों का एक तकनीकी समाधान बनकर उभरी। आज 'तद्भव' (1999) जैसी गंभीर पत्रिका का ऑनलाइन सुलभ होना इस बात का प्रमाण है कि संक्रमण की यह प्रक्रिया अब अपरिहार्य हो चुकी है।

तकनीक और साहित्य का यह अंतर्संवाद अंततः एक नई सृजनात्मक भाषा को जन्म दे रहा है। तकनीक अब केवल 'वाहक' नहीं है, बल्कि वह साहित्य के 'कथ्य' और 'शिल्प' को भी प्रभावित कर रही है। 'ट्विटर' की लघुता ने सूक्तिपरक लेखन को और 'ब्लॉग्स' ने आत्मपरक गद्य को नया विस्तार दिया है। इस अंतर्संवाद ने 'हाइपरलिंक्स' के माध्यम से अंतर-साहित्यिक संबंधों को सुदृढ़ किया है, जहाँ एक कविता पढ़ते हुए पाठक तुरंत उसके ऐतिहासिक संदर्भ या कवि के अन्य पाठों तक पहुँच सकता है। 'समालोचन' (2010) जैसे वेब-पोर्टलों ने इस अंतर्संवाद का उपयोग करके समीक्षा और रचनात्मकता को एक नया 'मल्टीमीडिया' अनुभव प्रदान किया है, जिसमें शब्द के साथ-साथ ध्वनि और दृश्य का भी समावेश है। निष्कर्षतः, डिजिटल रूपांतरण ने साहित्य को एक ऐसी श्वरलता प्रदान की है, जहाँ वह मुद्रित पृष्ठों की जड़ता को त्यागकर निरंतर प्रवाहमान और वैश्विक संवाद के लिए तत्पर है।

डिजिटल युग में साहित्यिक पत्रकारिता का परिवर्तित स्वरूप- डिजिटल युग ने साहित्यिक पत्रकारिता के बाह्य आवरण और आंतरिक संरचना दोनों को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है। यह परिवर्तन केवल छपाई की मशीनों से हटकर कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने अभिव्यक्ति के नए प्रारूपों को जन्म दिया है। आज 'ई-पत्रिकाएँ' और 'वेब-जर्नल्स' साहित्यिक पत्रकारिता के सबसे सशक्त विकल्प बनकर उभरे हैं। इन

पत्रिकाओं ने मुद्रण की भारी लागत और डाक वितरण की सीमाओं को समाप्त कर दिया है। उदाहरणस्वरूप, 'समालोचन' (2010) और 'जानकीपुल' (2010) जैसे पोर्टलों ने हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता में एक नई 'संपादकीय संस्कृति' विकसित की है, जहाँ किसी भी गंभीर रचना पर वैश्विक स्तर के पाठकों की तात्कालिक प्रतिक्रिया संभव है। इसी क्रम में 'हिंदी समय' और 'कविता कोश' (2006) ने एक विशाल डिजिटल आर्काइव के रूप में कार्य करते हुए, शोधार्थियों और पाठकों के लिए साहित्य की उपलब्धता को शून्य विलंब की दूरी पर ला दिया है।

साहित्यिक वेबसाइटों, पोर्टलों और ब्लॉग्स ने पत्रकारिता में 'लोकतंत्र' का विस्तार किया है। ब्लॉगिंग के प्रारंभिक दौर में लेखकों को संपादकीय 'गेटकीपिंग' से मुक्ति मिली, जिससे 'वैयक्तिक विमर्श' और 'डायरी लेखन' की विधाओं को बल मिला। पोर्टल्स के इस युग में 'स्त्रीकाल' (2011) जैसे मंचों ने पितृसत्तात्मक ढांचों को चुनौती देते हुए स्त्री-विमर्श को एक नई वैचारिकी प्रदान की है। अब साहित्यिक पोर्टल केवल रचनाएँ प्रकाशित नहीं करते, बल्कि वे समकालीन विमर्शों पर 'लाइव' बहस और संवाद भी आयोजित करते हैं। इस रूपांतरण ने साहित्यिक पत्रकारिता को 'सुविधा-सापेक्ष' बनाया है, जहाँ पाठक अपनी पसंद की सामग्री को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से कभी भी और कहीं भी पढ़ सकता है। यह 'वेब-जर्नल' परंपरा 'नया ज्ञानोदय' (2002) या 'वागर्थ' (1995) जैसी पारंपरिक पत्रिकाओं के डिजिटल संस्करणों के साथ मिलकर एक सुदृढ़ समानांतर सत्ता निर्मित कर रही है।

वर्तमान समय का सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन 'ऑडियो-विजुअल साहित्य' (पॉडकास्ट और वीडियो पाठ) के रूप में सामने आया है। यह माध्यम साहित्य के उस 'वाचिक' स्वरूप को पुनर्जीवित कर रहा है, जो कभी श्रुति परंपरा का हिस्सा था। आज 'लल्लनटॉप' (2016) जैसे प्लेटफॉर्मों पर 'किताबवाला' या 'कविता' जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं के बीच साहित्यिक अभिरुचि को पुनः जाग्रत किया है। पॉडकास्ट के माध्यम से गंभीर कविताओं और कहानियों को लेखक के अपने स्वर में सुनना एक नया संवेदनात्मक अनुभव प्रदान करता है। यूट्यूब और 'स्पॉटिफाई' जैसे माध्यमों ने साहित्यिक पत्रकारिता को 'मल्टीमीडिया' अनुभव में बदल दिया है, जहाँ शब्द के साथ-साथ संगीत और दृश्यों का संयोजन उसे और अधिक प्रभावी बनाता है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि साहित्य अब केवल 'पढ़ने' की वस्तु नहीं, बल्कि 'सुनने और देखने' का अनुभव भी है।

साहित्यिक अभिव्यक्ति के इस नवीन परिदृश्य में 'सोशल मीडिया' (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स) की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन प्लेटफॉर्मों ने 'माइक्रो-पोएट्री' और 'तहत' की पत्रकारिता को जन्म दिया है। अब एक लेखक को अपनी रचना के लिए महीनों प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वह सीधे अपने पाठकों से जुड़ा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साहित्यिक ग्रुप्स और पेजों ने 'सामुदायिक पत्रकारिता' का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जहाँ पाठक ही आलोचक और प्रसारक की भूमिका निभा रहा है। यहाँ सदानंद शाही का यह विचार प्रासंगिक है कि 'सोशल मीडिया ने साहित्य को ड्राइंग रूम की ऊब से निकालकर सड़क की हलचल से जोड़ दिया है।' हालाँकि, सोशल मीडिया पर भाषायी मर्यादा और गुणवत्ता का संकट एक बड़ी चुनौती है, फिर भी इसने साहित्य के प्रसार को जो 'गति' दी है, वह ऐतिहासिक है। डिजिटल स्वरूप ने साहित्यिक पत्रकारिता को अधिक समावेशी, गतिशील और संवादात्मक बना दिया है, जिसने भविष्य की

पत्रकारिता हेतु एक बहुआयामी कैनवास तैयार किया है।

डिजिटल माध्यम और पाठकीय संस्कृति- डिजिटल माध्यमों के प्रसार ने न केवल पत्रकारिता के कलेवर को बदला है, बल्कि इसने एक नई 'पाठकीय संस्कृति' को भी जन्म दिया है। आज का पाठक केवल सूचना प्राप्त करने वाला निष्क्रिय पात्र नहीं है, बल्कि वह डिजिटल स्पेस में सक्रिय और सहभागी है। इस परिवर्तन को 'हाइपर-रीडिंग' की संज्ञा दी गई है, जहाँ पाठक मुद्रित पृष्ठों की भाँति 'रेखीय पठन' न करके स्क्रीन पर 'स्कैनिंग' और 'मल्टी-टार्किंग' के साथ साहित्य का रसास्वादन कर रहा है। डिजिटल युग के पाठक की बदलती प्रवृत्तियों को देखें तो 'धैर्य' का स्थान 'तात्कालिकता' ने ले लिया है। अब पाठक लंबे और बोझिल लेखों के स्थान पर सूक्ष्म, सारगर्भित और दृश्य-श्रव्य सामग्री की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। 'समालोचन' (2010) जैसे पोर्टलों पर पाठकों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि पाठक अब 'कंटेंट' की गुणवत्ता के साथ-साथ उसकी डिजिटल सुलभता को भी प्राथमिकता दे रहा है।

युवा पाठक वर्ग का साहित्य से जुड़ाव इस डिजिटल क्रांति का सबसे सुखद पहलू बनकर उभरा है। पूर्व में यह धारणा बन रही थी कि नई पीढ़ी साहित्य से कट रही है, किंतु डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया है। 'लल्लनटॉप' (2016) के 'किताबवाला' कार्यक्रम या इंस्टाग्राम के 'बुकग्राम' समुदायों ने युवाओं में साहित्यिक अभिरुचि को पुनर्जीवित किया है। आज का युवा पाठक 'प्रतिलिपि' (2014) जैसे ऐप्स पर न केवल साहित्य पढ़ रहा है, बल्कि स्वयं भी सृजन कर रहा है। यह 'सेल्फ-पब्लिशिंग' मॉडल युवाओं को वह मंच प्रदान करता है जो पारंपरिक पत्रिकाओं में स्थान की कमी के कारण संभव नहीं था। यहाँ उदय प्रकाश का यह कथन सटीक बैठता है कि 'तकनीक ने साहित्य को पुराने ढांचों से निकालकर युवाओं की पॉकेट (स्मार्टफोन) में पहुँचा दिया है।'

डिजिटल माध्यमों ने बहुभाषिकता और क्षेत्रीय साहित्य की पहुँच को वैश्विक विस्तार दिया है। पहले किसी क्षेत्रीय भाषा की पत्रिका का वितरण भौगोलिक सीमाओं में बंधा था, किंतु डिजिटल रूपांतरण ने 'भाषा की दीवार' को पारदर्शी बना दिया है। आज 'तद्भव' (1999) या 'वागर्थ' (1995) जैसी पत्रिकाओं के लेख दुनिया के किसी भी कोने में बैठे पाठक के लिए अनुवाद उपकरणों (Translation tool) के माध्यम से सुलभ हैं। क्षेत्रीय साहित्य अब 'लोक' से निकलकर 'ग्लोबल' हो गया है। 'कविता कोश' (2006) और 'गद्य कोश' ने लोकभाषाओं और बोलियों के साहित्य को जो डिजिटल संरक्षण प्रदान किया है, उसने पाठकीय संस्कृति को और अधिक समावेशी और समृद्ध बनाया है। अब एक ही स्क्रीन पर पाठक वैश्विक क्लासिक्स और अपनी माटी की कविता का एक साथ आनंद ले सकता है। पाठक-लेखक संवाद की नई संरचना इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पारंपरिक पत्रकारिता में पाठक अपनी प्रतिक्रिया 'संपादक के नाम पत्र' के माध्यम से भेजता था, जिसके प्रकाशन में हफ्तों लग जाते थे। किंतु आज फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और साहित्यिक वेबसाइटों के कमेंट सेक्शन ने इस संवाद को 'तात्कालिक' और 'संवादात्मक' बना दिया है। पाठक अब लेखक से सीधे प्रश्न पूछ सकता है और अपनी आलोचना दर्ज करा सकता है। इस प्रत्यक्ष संवाद ने लेखकों के भीतर भी एक 'उत्तरदायित्व' का भाव पैदा किया है। 'स्त्रीकाल' (2011) और 'जानकीपुल' (2010) जैसे मंचों पर चलने वाली लंबी बहसें यह दर्शाती हैं कि डिजिटल माध्यमों ने एक ऐसे 'वर्चुअल कॉफी हाउस' का निर्माण किया है जहाँ विचार निरंतर प्रवाहमान

हैं। निष्कर्षतः, डिजिटल माध्यमों ने पाठकीय संस्कृति को अधिक लोकतांत्रिक, त्वरित और बहुआयामी बनाया है, जिसने साहित्य को केवल 'पढ़ने' की वस्तु न रखकर एक 'जीने वाले अनुभव' में बदल दिया है।

डिजिटल माध्यम में साहित्यिक पत्रिकाओं के अवसर- डिजिटल क्रांति ने साहित्यिक पत्रकारिता के समक्ष संभावनाओं के ऐसे द्वार खोले हैं, जिनकी कल्पना मुद्रण के युग में असंभव थी। यह माध्यम साहित्य के लिए केवल एक नया 'मंच' नहीं, बल्कि एक नया 'आकाश' बनकर उभरा है। इस तकनीकी विस्तार ने साहित्य की उस मुक्ति को संभव बनाया है जिसका स्वप्न आधुनिकतावादी कवियों ने देखा था। डिजिटल माध्यम की इस असीमित गति और पहुँच को रेखांकित करने हेतु ये पंक्तियाँ अत्यंत सटीक बैठती हैं: 'शब्दों को अब किसी सरहद की परवाह नहीं, हवाओं के साथ ये हर दिशा में बहते हैं। स्याही सूखती नहीं अब किसी पन्ने पर, ये पिक्सल्स बनकर दिलों में रहते हैं।'

डिजिटल रूपांतरण का सबसे बड़ा अवसर 'वैश्विक पाठक-वर्ग' तक सीधी पहुँच के रूप में सामने आया है। मुद्रित पत्रिकाओं की सीमा उनके वितरण तंत्र और डाक व्यवस्था की अनिश्चितता थी, किंतु डिजिटल माध्यम ने 'भौगोलिक दूरी' को अर्थहीन कर दिया है। आज 'तदभव' (1999) का कोई लेख प्रकाशित होते ही न्यूयॉर्क, लंदन या मॉरीशस में बैठे पाठक के लिए उसी क्षण सुलभ हो जाता है। इस वैश्विक व्याप्ति ने हिंदी साहित्य को 'प्रवासी विमर्श' और 'विश्व साहित्य' के साथ सीधे संवाद की स्थिति में ला दिया है। अब कोई भी पत्रिका केवल 'स्थानीय' नहीं रही, बल्कि वह 'ग्लोबल' पहचान की ओर अग्रसर है।

शीघ्र प्रकाशन और लागत में कमी डिजिटल माध्यम का दूसरा अत्यंत व्यावहारिक पक्ष है। पारंपरिक मुद्रण में कागज की बढ़ती कीमतें, छापाई का समय और भारी लागत अक्सर अच्छी पत्रिकाओं के बंद होने का कारण बनती थीं। डिजिटल स्वरूप ने इस 'आर्थिक अवरोध' को समाप्त कर दिया है। 'समालोचन' (2010) और 'जानकीपुल' (2010) जैसे पोर्टलों ने यह प्रमाणित किया है कि बिना किसी भारी बजट के भी उच्च स्तरीय संपादकीय विवेक के साथ गंभीर पत्रकारिता की जा सकती है। यहाँ 'त्वरित प्रकाशन' की सुविधा ने साहित्यिक प्रतिक्रियाओं को और भी सघन बना दिया है, जिससे समकालीन विमर्शों में ठहराव के स्थान पर निरंतरता आई है।

नवोदित साहित्यकारों के लिए डिजिटल माध्यम एक वरदान बनकर उभरा है। पारंपरिक पत्रिकाओं में 'स्पेस' (जगह) की कमी और स्थापित नामों के वर्चस्व के कारण नए रचनाकारों को वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। किंतु 'प्रतिलिपि' (2014), 'हिंदवी' और विभिन्न साहित्यिक ब्लॉग्स ने इस संपादकीय द्वारपाल की व्यवस्था को अधिक उदार और लोकतांत्रिक बनाया है। इसने साहित्य के 'लोकतंत्रीकरण' का मार्ग प्रशस्त किया है, जहाँ गुणवत्ता ही एकमात्र कसौटी है। युवा रचनाकार अब सोशल मीडिया और पोर्टल्स के माध्यम से अपनी मौलिक पहचान त्वरित रूप से बना रहे हैं। यह मंच केवल रचना ही नहीं देता, बल्कि नवोदितों को स्थापित विद्वानों के साथ एक ही 'स्क्रीन' पर विमर्श का अवसर भी प्रदान करता है।

साहित्यिक अभिलेखन और शोध-सुविधा की दृष्टि से डिजिटल युग एक 'स्वर्ण युग' है। पूर्व में शोधार्थियों को दशकों पुरानी पत्रिकाओं की धूल फाँकनी पड़ती थी, किंतु अब 'कविता कोश' (2006), 'गद्य कोश' और 'रेखता' जैसे विशाल डिजिटल पुस्तकालयों ने दुर्लभ पांडुलिपियों और विलुप्त पत्रिकाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। शोध के लिए अब 'कीवर्ड सर्च' की

सुविधा ने समय की बचत की है और तुलनात्मक अध्ययन को अधिक सटीक बनाया है। 'वागर्थ' (1995) और 'नया ज्ञानोदय' (2002) जैसे प्रकाशनों के डिजिटल आर्काइव्स भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का सबसे विश्वसनीय साधन हैं। निष्कर्षतः, डिजिटल माध्यम ने साहित्यिक पत्रकारिता को 'साधन-विहीनता' के संकट से निकालकर 'अवसरों की प्रचुरता' के धरातल पर खड़ा कर दिया है।

संपादकीय मूल्य और नैतिकता- डिजिटल युग में साहित्यिक पत्रकारिता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती माध्यम का रूपांतरण नहीं, बल्कि 'संपादकीय मूल्यों' का संरक्षण है। जब सूचनाओं का प्रवाह अनियंत्रित हो और प्रसार की गति प्रकाश की गति से प्रतिस्पर्धा कर रही हो, तब 'संपादकीय विवेक' की भूमिका और भी गुरुतर हो जाती है। डिजिटल संपादन की प्रकृति पारंपरिक संपादन से सर्वथा भिन्न है यहाँ संपादक को केवल भाषा और कथ्य का परिष्कार ही नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे 'हाइपरटेक्स्ट', 'एसईओ' और 'मल्टीमीडिया' तालमेल के साथ भी सामंजस्य बिठाना होता है। यह एक ऐसी दोहरी चुनौती है जहाँ एक ओर तकनीक की माँग है और दूसरी ओर साहित्य की गरिमा। इस संदर्भ में यह पंक्तियाँ विचारणीय हैं: 'अक्षरों की भीड़ में सच कहीं खो न जाए, मशीनों के दौर में इंसान सो न जाए। कलम की साख बचाना ही अब धर्म है हमारा, कहीं ये पिक्सल्स का दरिया जहर न हो जाए।'

साहित्यिक गुणवत्ता और मानकों का संरक्षण डिजिटल स्पेस में एक कठिन संघर्ष बन गया है। मुद्रित पत्रिकाओं में स्थान की सीमितता के कारण एक कड़ी 'छलनी' की प्रक्रिया होती थी, जिससे केवल श्रेष्ठ साहित्य ही पाठक तक पहुँचता था। किंतु डिजिटल माध्यम की 'असीमित जगह' ने कभी-कभी गुणवत्ता के साथ समझौता करने की छूट दे दी है। 'समालोचन' (2010) और 'तदभव' (1999) जैसे मंचों ने डिजिटल होने के बावजूद अपने संपादकीय मानकों को मुद्रित पत्रिकाओं की तरह ही कठोर रखा है, जो यह सिद्ध करता है कि माध्यम कोई भी हो, 'श्रेष्ठता' संपादक की निष्ठा पर निर्भर करती है। आज 'लाइक' और 'शेयर' की दौड़ में गुणवत्ता को बचाए रखना ही साहित्यिक पत्रकारिता की असली परीक्षा है।

मौलिकता, तथ्यपरकता और साहित्यिक उत्तरदायित्व डिजिटल युग के सबसे संवेदनशील बिंदु हैं। 'कट-कॉपी-पेस्ट' की संस्कृति ने साहित्यिक चोरी के आसान बना दिया है, जिससे मौलिक रचनाकार के अधिकारों का हनन हो रहा है। डिजिटल संपादक का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह तकनीक के माध्यम से मौलिकता की जाँच करे और यह सुनिश्चित करे कि डिजिटल जगह में 'तथ्य' और 'तर्क' की बलि न चढ़े। 'हंस' (1930) या 'वागर्थ' (1995) जैसी पत्रिकाओं की जो साख मुद्रण में थी, उसे डिजिटल धरातल पर बनाए रखने के लिए तथ्यपरकता के साथ-साथ 'कॉपीराइट' के प्रति सजगता अनिवार्य है। यहाँ डॉ. नामवर सिंह की वह चेतावनी प्रासंगिक है कि 'साहित्यिक संपादक को भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ का मार्गदर्शक होना चाहिए।'

वर्तमान में 'एल्गोरिदम बनाम संपादकीय विवेक' का द्वंद्व एक नई वैचारिक बहस को जन्म दे रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर उन सामग्रियों को अधिक बढ़ावा देते हैं जिन्हें 'एल्गोरिदम' लोकप्रिय समझता है, भले ही वे साहित्यिक दृष्टि से कमजोर हों। यह 'लोकप्रियता बनाम गुणवत्ता' का संकट है। एक मशीन यह तय करने लगी है कि पाठक क्या पढ़ेगा, जबकि साहित्यिक पत्रकारिता का मूल स्वभाव 'अलोकप्रिय' लेकिन 'महत्वपूर्ण'

विचारों को स्वर देना रहा है। 'नया ज्ञानोदय' (2002) और 'पाखी' (2008) जैसे गंभीर प्रयासों का उद्देश्य इसी एल्गोरिदम की जड़ता को तोड़कर 'संपादकीय विवेक' की स्वायत्तता को सुरक्षित रखना है। निष्कर्षतः, डिजिटल युग में संपादकीय नैतिकता का अर्थ केवल तकनीकी शुद्धता नहीं, बल्कि उस 'मानवीय दृष्टि' को बचाए रखना है जो साहित्य को केवल 'डेटा' बनने से रोकती है।

साहित्यिक पत्रिकाओं का भविष्य- साहित्यिक पत्रकारिता का भविष्य 'विस्थापन' का नहीं, बल्कि 'सह-अस्तित्व' का है। मुद्रित माध्यमों के अंत की भविष्यवाणियों के विपरीत, भविष्य एक ऐसे श्वाइब्रिड मॉडल की ओर संकेत कर रहा है जहाँ प्रिंट और डिजिटल एक-दूसरे के पूरक होंगे। इस मॉडल में गंभीर विमर्श, संग्रहणीय लेख और दीर्घकालिक महत्व की सामग्री मुद्रित स्वरूप में सुरक्षित रहेगी, जबकि त्वरित टिप्पणियाँ, विजुअल रिपोर्ट और पाठक संवाद डिजिटल मंचों पर संपन्न होंगे। 'वागर्थ' (1995) और 'नया ज्ञानोदय' (2002) जैसी पत्रिकाओं ने पहले ही इस हाइब्रिड मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है, जहाँ मुद्रित अंक के साथ-साथ उनका ई-संस्करण वैश्विक पहुँच सुनिश्चित करता है। भविष्य की इस नवीन संरचना पर ये पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं: 'नया सूरज उगेगा, पर पुरानी रेशनी भी साथ होगी, कागज की गंध में लिपटी, तकनीक की बात होगी। कलम अब कीबोर्ड से हाथ मिला चुकी है, साहित्य की दुनिया में अब एक नई शुरुआत होगी।'

भविष्य की पत्रिकाओं की सफलता 'सदस्यता एवं समुदाय-आधारित संरचना' पर निर्भर करेगी। विज्ञापन-आधारित आर्थिक मॉडल की विफलता के बाद, अब साहित्यिक पत्रकारिता अपने 'वफादार पाठकों' की ओर लौट रही है। 'तद्भव' (1999) और 'पहल' (1973) जैसी पत्रिकाओं की सफलता का राज उनका वह पाठक समुदाय है जो साहित्य को एक 'उत्पाद' नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्य मानता है। डिजिटल युग में 'क्राउडफंडिंग' और 'सब्सक्रिप्शन' आधारित मॉडल (जैसे Patreon या व्यक्तिगत सदस्यता ऐप) यह सुनिश्चित करेंगे कि पत्रिकाएँ व्यावसायिक दबावों से मुक्त होकर अपनी वैचारिक स्वतंत्रता बनाए रखें। भविष्य की पत्रिकाएँ केवल सूचना का स्रोत नहीं, बल्कि एक 'वैचारिक समुदाय' होंगी जहाँ पाठक भी सक्रिय हिस्सेदार होंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साहित्यिक पत्रकारिता का संबंध भविष्य की सबसे बड़ी और रोमांचक चुनौती है। एआई केवल अनुवाद या डेटा विश्लेषण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह 'हाइपर-पर्सनलाइजेशन' के माध्यम से प्रत्येक पाठक की रुचि के अनुसार साहित्यिक सामग्री परोसने में मदद करेगा। हालाँकि, यहाँ खतरा 'मानवीय संवेदना' के मशीनीकरण का है, लेकिन एक सकारात्मक नवाचार के रूप में एआई दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और भाषायी अनुवाद (जैसे हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में स्वतः अनुवाद) में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। 'समालोचन' (2010) जैसे पोर्टलों पर भविष्य में एआई-आधारित 'वर्चुअल असिस्टेंट' पाठकों को साहित्य की विशाल दुनिया में सही दिशा दिखाने का कार्य कर सकते हैं।

अंततः, साहित्यिक पत्रकारिता में सतत विकास और नवाचार की अपार संभावनाएँ हैं। नवाचार केवल तकनीक में नहीं, बल्कि 'प्रस्तुति' में भी अपेक्षित है। 'वर्चुअल रियलिटी' (VR) के माध्यम से पाठकों को किसी कवि के रचना-संसार का आभासी दौरा कराना या कहानियों को 'इंटरैक्टिव फिक्शन' में

बदलना भविष्य के नवाचार हो सकते हैं। 'हंस' (1930) जैसी ऐतिहासिक पत्रिकाओं का डिजिटल आर्काइव जब 'मेटावर्स' जैसे मंचों पर उपलब्ध होगा, तब साहित्य की नई पीढ़ी अपने अतीत से और भी जीवंत रूप में जुड़ सकेगी। निष्कर्षतः, साहित्यिक पत्रकारिता का भविष्य तकनीक के अंधानुकरण में नहीं, बल्कि तकनीकी सुलभता और मानवीय विवेक के उस संतुलन में है, जो साहित्य की 'आत्मा' को अक्षुण्ण रखते हुए उसे वैश्विक आकाश प्रदान करे।

भारतीय संदर्भ में डिजिटल साहित्यिक पत्रकारिता- भारतीय परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक पत्रकारिता का डिजिटल रूपांतरण केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक 'समावेशीकरण' की प्रक्रिया है। भारत जैसे बहुभाषी और विविध संस्कृति वाले देश में डिजिटल माध्यमों ने साहित्य को महानगरों के संभ्रांत बौद्धिक घेरो से निकालकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाया है। हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं के डिजिटल संक्रमण को देखें तो यह एक ऐतिहासिक अनिवार्यताबोध का परिणाम है। जब 'वागर्थ' (1995), 'नया ज्ञानोदय' (2002) और 'पाखी' (2008) जैसी मुख्यधारा की पत्रिकाओं ने अपने डिजिटल संस्करणों का विस्तार किया, तो उन्होंने न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा की, बल्कि एक नए 'ग्लोबल' पाठक वर्ग को भी अपने साथ जोड़ा। यह संक्रमण भारतीय मेधा के उस लचीलेपन का प्रमाण है जो अपनी जड़ों (परंपरा) को छोड़े बिना नए आकाश (तकनीक) की ओर अग्रसर है।

क्षेत्रीय पत्रिकाओं की डिजिटल भूमिका इस रूपांतरण का सबसे क्रांतिकारी पक्ष है। भारत की भाषायी विविधता मुद्रित माध्यमों में अक्सर वितरण और आर्थिक सीमाओं के कारण दब जाती थी। किंतु डिजिटल मंचों ने मराठी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और विशेष रूप से भोजपुरी, मैथिली एवं राजस्थानी जैसी बोलियों के साहित्य को एक 'समान धरातल' प्रदान किया है। 'प्रतिलिपि' (2014) जैसे बहुभाषी मंचों पर क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का व्यापक प्रसार यह दर्शाता है कि डिजिटल माध्यम ने 'भाषायी उपनिवेशवाद' को चुनौती दी है। यहाँ यह पंक्तियाँ प्रासंगिक हैं: 'अपनी माटी की महक अब सरहदों की मोहताज नहीं, हर बोली का अपना सुर है, अब कोई आवाज बे-साज नहीं। पिक्सल्स के इन छोटे घरों में पूरी दुनिया बसती है, क्षेत्रीय अस्मिता का अब कोई भी सपना मोहताज नहीं।'

डिजिटल साहित्यिक पत्रकारिता ने 'स्त्री, दलित एवं वंचित स्वर' के प्रतिनिधित्व को एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की है। पारंपरिक साहित्यिक पत्रकारिता में अक्सर इन वर्गों को 'विशेषांकों' तक सीमित कर दिया जाता था, किंतु डिजिटल पोर्टलों ने इन्हें स्वतंत्र और सतत मंच दिया है। 'स्त्रीकाल' (2011) जैसे पोर्टल ने पितृसत्तात्मक विमर्शों को जिस तीक्ष्णता से चुनौती दी है, वह मुद्रित माध्यम की सीमाओं में संभव नहीं था। इसी प्रकार, दलित और वंचित समाज के रचनाकारों ने अपने ब्लॉग्स और वेब-पत्रिकाओं के माध्यम से 'प्रति-साहित्य' की एक नई धारा प्रवाहित की है। डिजिटल स्पेस की 'अनसेंसर्ड' प्रकृति ने उन अनुभवों और यंत्रणाओं को स्वर दिया है जिन्हें मुख्यधारा की पत्रकारिता अक्सर 'शालीनता' के नाम पर दफ़किनार कर देती थी।

अंततः, भारतीय सांस्कृतिक चेतना और डिजिटल साहित्य का संबंध एक 'संवर्धित यथार्थ' की रचना कर रहा है। डिजिटल माध्यमों ने भारतीय मिथकों, लोक-कथाओं और पारंपरिक ज्ञान को 'मल्टीमीडिया' प्रारूप में संरक्षित किया है। 'कविता कोश' (2006) और 'गद्य कोश' ने भारतीय मनीषा

के सदियों पुराने चिंतन को 'यूनिकोड' के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया है। यह डिजिटल साहित्य केवल पाठ नहीं है, बल्कि यह ध्वनि, दृश्य और संवादात्मकता के माध्यम से भारतीय संस्कृति की निरंतरता को वैश्विक धरातल पर पुनर्स्थापित कर रहा है। निष्कर्षतः, भारतीय संदर्भ में डिजिटल साहित्यिक पत्रकारिता एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो 'विविधता में एकता' के सूत्र को डिजिटल 'बाइनरी कोड्स' में पिरोकर एक सशक्त और समृद्ध भारत का साहित्यिक चित्र प्रस्तुत करती है।

डिजिटल युग में साहित्यिक पत्रकारिता की चुनौतियाँ- डिजिटल रूपांतरण की चमक-दमक के मध्य उन अंतर्निहित चुनौतियों का विश्लेषण अनिवार्य है जो साहित्यिक पत्रकारिता की जड़ों को प्रभावित कर रही हैं। वर्तमान में 'आर्थिक स्थायित्व की समस्या' सबसे विकराल रूप में खड़ी है। मुद्रित पत्रिकाओं के पास विज्ञापन और वार्षिक सदस्यता का एक निश्चित ढाँचा था, किंतु डिजिटल जगत में 'मुफ्त सामग्री' की मानसिकता ने पत्रिकाओं के आर्थिक आधार को हिला दिया है। अधिकांश साहित्यिक पोर्टल व्यक्तिगत आर्थिक संसाधनों या शौकिया जुनून पर टिके हैं। 'समालोचन' (2010) और 'जानकीपुल' (2010) जैसे गंभीर प्रयासों के सामने भी यह प्रश्न खड़ा है कि बिना किसी संस्थागत सहयोग या विज्ञापन मॉडल के लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण सामग्री कैसे प्रदान की जाए। आर्थिक अभाव अक्सर पत्रिकाओं को बंद करने या व्यावसायिक समझौतों की ओर धकेलता है, जो अंततः साहित्यिक स्वतंत्रता को बाधित करता है।

दूसरी बड़ी चुनौती 'गुणवत्ता बनाम लोकप्रियता' का द्वंद्व है। डिजिटल मीडिया की सफलता अक्सर 'विलक', 'व्यूज' और 'शेयर' के आधार पर मापी जाती है। इस 'वायरल' होने की होड़ में गंभीर और विलुप्त साहित्यिक विमर्श कहीं पीछे छूट जाते हैं। एल्गोरिदम उन सामग्रियों को प्राथमिकता देता है जो सनसनीखेज या लोकप्रिय हों। यहाँ अज्ञेय द्वारा 'प्रतीक' (1947) में स्थापित वह संपादकीय गरिमा संकट में है, जहाँ रचना की श्रेष्ठता ही उसकी एकमात्र कसौटी थी। आज 'नया ज्ञानोदय' (2002) या 'तद्भव' (1999) जैसी पत्रिकाओं के लिए चुनौती यह है कि वे डिजिटल भीड़ में अपनी विशिष्ट और गंभीर पहचान कैसे बनाए रखें, ताकि वे केवल 'कंटेंट' न बनकर 'साहित्य' बनी रहें। इस संकट को ये पंक्तियाँ रेखांकित करती हैं: 'भीड़ बढ़ रही है पिवसल्स के बाजारों में, अक्षरों की खुशबू खो रही है विज्ञापनों की बौछारों में। सच को अब 'लाइक' की मोहताजी है, साहित्य सिसक रहा है इन डिजिटल गलियारों में।'

'कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा' का संरक्षण डिजिटल युग का सबसे बड़ा कानूनी और नैतिक संकट है। इंटरनेट पर सामग्री साझा करना जितना सहज है, उसे सुरक्षित रखना उतना ही कठिन। 'कट-कॉपी-पेस्ट' की प्रवृत्ति ने रचनाकारों के बौद्धिक अधिकारों का व्यापक हनन किया है। 'हंस' (1930) या 'वागर्थ' (1995) की किसी कालजयी रचना को बिना अनुमति के अनगिनत ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पेजों पर साझा किया जाता है, जिससे मूल पत्रिका और लेखक दोनों को आर्थिक एवं श्रेयगत हानि होती है। डिजिटल दुनिया में 'साहित्यिक चोरी' को रोकने हेतु कड़े कानूनों और 'डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट' की उपलब्धता अभी भी भारतीय संदर्भ में प्रारंभिक अवस्था में है।

अंततः, 'डिजिटल विभाजन और तकनीकी असमानता' भारतीय साहित्यिक परिदृश्य की एक कड़वी सच्चाई है। यद्यपि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किंतु भारत का एक बड़ा हिस्सा अब भी उच्च गति इंटरनेट

और तकनीकी कौशल से वंचित है। यह विभाजन एक नई 'बौद्धिक खाई' पैदा कर रहा है, जहाँ केवल वही साहित्य चर्चा में है जो डिजिटल रूप से सुलभ है। ग्रामीण अंचलों के वे रचनाकार और पत्रिकाएँ, जो तकनीकी रूप से अक्षम हैं, हाशिए पर जा रही हैं। 'पहल' (1973) जैसी पत्रिकाओं ने जिस ग्रामीण और जमीनी चेतना को स्वर दिया था, उसे डिजिटल युग में बचाए रखने हेतु 'तकनीकी समावेशिता' अनिवार्य है। निष्कर्षतः, साहित्यिक पत्रकारिता की भविष्य की यात्रा इन चुनौतियों के समाधान खोजने और तकनीक के मानवीय चेहरे को पुनर्स्थापित करने की दिशा में होनी चाहिए।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध का अनुशीलन यह स्पष्ट करता है कि साहित्यिक पत्रकारिता अपनी प्रकृति में कभी जड़ या स्थिर नहीं रही है, बल्कि उसने युगीन परिवर्तनों और तकनीकी विकास के साथ निरंतर स्वयं को परिष्कृत किया है। आज का डिजिटल रूपांतरण इसी विकासक्रम की एक अनिवार्य और क्रांतिकारी कड़ी है, जिसने 'उदन्त मार्तण्ड' (1826) और 'सरस्वती' (1900) द्वारा स्थापित मुद्रित परंपरा को एक नवीन आभासी विस्तार प्रदान किया है। यह रूपांतरण केवल भौतिक माध्यम का विस्थापन नहीं है, बल्कि इसने साहित्य के 'लोकतंत्र' को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। डिजिटल माध्यमों ने 'स्त्रीकाल' (2011), 'कविता कोश' (2006) और 'प्रतिलिपि' (2014) जैसे मंचों के माध्यम से उन क्षेत्रीय, दलित और स्त्री स्वरों को मुख्यधारा में स्थान दिया है, जो मुद्रित माध्यम की आर्थिक और भौगोलिक सीमाओं के कारण अक्सर हाशिए पर रह जाते थे। इस प्रक्रिया में 'हाइपर-रीडिंग' और 'ऑडियो-विजुअल' पाठ जैसी नवीन प्रवृत्तियों ने पाठक और लेखक के बीच की दूरी को समाप्त कर एक 'वर्चुअल कॉफी हाउस' संस्कृति को जन्म दिया है, जहाँ विमर्श तात्कालिक और संवादात्मक हो गया है।

हालाँकि, इस तकनीकी उल्लास के समानांतर शोध यह भी रेखांकित करता है कि डिजिटल युग ने साहित्यिक गुणवत्ता, आर्थिक स्थायित्व और संपादकीय नैतिकता के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। 'लाइक' और 'शेयर' की दौड़ में एल्गोरिदम का बढ़ता हस्तक्षेप साहित्यिक मानकों के क्षरण का कारण बन रहा है, जिससे निपटने के लिए डॉ. नामवर सिंह द्वारा प्रतिपादित 'संपादकीय विवेक' की महत्ता और भी बढ़ गई है। भविष्य की साहित्यिक पत्रकारिता किसी एक माध्यम के एकाधिकार में न रहकर एक 'हाइपर-मॉडल' (प्रिंट डिजिटल) की ओर अग्रसर है, जहाँ मुद्रित पृष्ठों की गंभीरता और डिजिटल स्क्रीन की गतिशीलता का सह-अस्तित्व बना रहेगा। निष्कर्षतः, तकनीक साहित्य की आत्मा को नष्ट नहीं कर रही, बल्कि उसे एक नया और अधिक व्यापक 'शरीर' प्रदान कर रही है। भविष्य की सार्थकता इसी में निहित है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी सुलभता का उपयोग करते हुए उस 'मानवीय संवेदना' और 'वैचारिक शुचिता' को सुरक्षित रखें, जिसकी मशाल भारतेन्दु और प्रेमचंद ने जलाई थी। साहित्य की यह यात्रा कागज से पिवसल्स तक पहुँचकर अधिक समावेशी और वैश्विक हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि माध्यम कितना भी आधुनिक हो जाए, साहित्य की मशाल हर युग में इसी प्रकार देदीप्यमान रहेगी।

भविष्य के लिए सुझाव:

1. हाइब्रिड मॉडल का चयन: साहित्यिक पत्रिकाओं को 'प्रिंट' और 'डिजिटल' के सह-अस्तित्व वाले हाइब्रिड मॉडल को अपनाना चाहिए, जहाँ गहन विमर्श मुद्रित हो और त्वरित संवाद डिजिटल मंचों पर संपन्न हो।

2. आर्थिक स्वावलंबन हेतु सामुदायिक सहयोग: व्यावसायिक विज्ञापनों के दबाव से बचने के लिए 'क्राउडफंडिंग' और 'पाठक सदस्यता शुल्क' आधारित आर्थिक मॉडल को विकसित करना चाहिए ताकि संपादकीय स्वतंत्रता बनी रहे।
3. गुणवत्ता और गेटकीपिंग का संरक्षण: डिजिटल माध्यमों पर सामग्री की प्रचुरता के बीच 'संपादकीय छलनी' को मुद्रित पत्रिकाओं की तरह ही कठोर रखना चाहिए, ताकि लोकप्रियता के चक्कर में साहित्यिक मानकों और भाषा के साथ समझौता न हो।
4. एआई का रचनात्मक उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (IC) का प्रयोग दुर्लभ साहित्यिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण, त्रुटिहीन अनुवाद और शोधपरक डेटा के वर्गीकरण के लिए किया जाना चाहिए, न कि मानवीय रचनात्मकता के विकल्प के रूप में।
5. कॉपीराइट हेतु तकनीकी सुरक्षा: डिजिटल चोरी को रोकने के लिए 'डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट' और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रचनाकारों के बौद्धिक हितों की रक्षा हो सके।
6. डिजिटल विभाजन को पाटना: ग्रामीण अंचलों और क्षेत्रीय भाषाओं के रचनाकारों को तकनीकी प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि डिजिटल साहित्य केवल महानगरों तक सीमित न रहे।
7. मल्टीमीडिया और साहित्य का समन्वय: भविष्य की पत्रिकाओं को केवल टेक्स्ट (अक्षरों) तक सीमित न रहकर पॉडकास्ट, वीडियो साक्षात्कार और इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के माध्यम से नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना चाहिए।
8. डिजिटल अभिलेखागार का निर्माण: पुरानी और दुर्लभ पत्रिकाओं का व्यवस्थित डिजिटल संग्रह तैयार करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत 'सर्च-फ्रेंडली' प्रारूप में सुरक्षित रहे।
1. अग्रवाल, सुबोध. (2012). हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन।
2. अखिलेश. (सं.). (1999 वर्तमान). तद्भव (साहित्यिक त्रैमासिक), लखनऊ: तद्भव प्रकाशन।
3. कैस्टेल्लस, एम. (2010). द राइज ऑफ़ द नेटवर्क सोसाइटी (The Rise of the Network Society). ऑक्सफोर्ड: ब्लैकवेल पब्लिशिंग।
4. कुमार, के. जे. (2020). मास कम्युनिकेशन इन इंडिया. मुंबई: जैको पब्लिशिंग हाउस।
5. देव, अरुण. (सं.). (2010). समालोचन <http://www.samalojan.com> से प्राप्त।
6. द्विवेदी, महावीर प्रसाद. (2005). साहित्य और पत्रकारिता. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
7. भानावत, संजीव. (2010). हिंदी पत्रकारिता: विविध आयाम. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
8. मैकलुहान, मार्शल. (1964). अंडरस्टैंडिंग मीडिया: द एक्सटेंशन ऑफ़ मैन. न्यूयॉर्क: सिगनेट।
9. यादव, आर. पी. (2018). डिजिटल युग और हिंदी साहित्य. नई दिल्ली: अनामिका पब्लिशर्स।
10. यादव, राजेन्द्र. (सं.). (1986-2013). हंस खससाहित्यिक मासिक, नई दिल्ली: अक्षर प्रकाशन।
11. शर्मा, रामविलास. (2008). भारतीय पुनर्जागरण और हिंदी प्रदेश. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
12. सिंह, विजय बहादुर. (2015). सोशल मीडिया और पत्रकारिता. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

Integration of Indian Knowledge System in Digital Sustainable Business Practices

Ms. Shivani Somani*

*Research Scholar (Commerce) Rajiv Gandhi PG Government College, Mandsaur (M.P.) INDIA

Abstract: The integration of Indian Knowledge Systems (IKS) into contemporary digital business practices has gained increasing relevance due to growing concerns related to environmental sustainability, ethical governance, and long-term economic stability. Indian Knowledge Systems, rooted in ancient Indian texts such as the Vedas, Upanishads, Arthashastra, Bhagavad Gita, Ramayana, and Mahabharata, emphasize ethical responsibility, balanced resource utilization, and social welfare. While earlier studies have largely explored IKS from conceptual and qualitative perspectives, empirical and quantitative validation of its practical impact on modern digital business practices remains limited.

The present study examines the relationship between Indian Knowledge System integration, digital technology adoption, ethical governance, resource efficiency, and sustainable business performance. Using secondary data logic and a structured quantitative dataset, statistical tools such as descriptive statistics, correlation analysis, reliability testing, and multiple regression analysis were employed. The findings reveal a strong and statistically significant positive relationship between IKS-based practices and sustainable business performance. The study conclusively establishes that Indian Knowledge Systems are not merely philosophical constructs but can be practically implemented and quantitatively measured in digital sustainable business environments.

Keywords: Indian Knowledge System, Digital Sustainability, Ethical Governance, Quantitative Analysis, Sustainable Business Practices.

Introduction - Rapid digitalization has transformed the global business environment by enabling efficiency, transparency, and data-driven decision-making. At the same time, increasing environmental degradation, ethical failures, and social inequalities have intensified the demand for sustainable business practices. Modern sustainability frameworks emphasize the need for businesses to balance economic performance with environmental protection and social responsibility.

Indian Knowledge Systems (IKS) provide a holistic framework that naturally aligns with sustainability principles. IKS is a structured and systematic body of knowledge developed through experience, observation, experimentation, and ethical reasoning. Ancient Indian texts emphasize Dharma (ethical duty), Ahimsa (non-violence), moderation in consumption, and long-term societal welfare. Recognizing its contemporary relevance, the Government of India has promoted the integration of IKS through policy initiatives and the National Education Policy (NEP) 2020. Although scholars have acknowledged the relevance of IKS in commerce, management, and entrepreneurship, most studies remain conceptual or qualitative. Empirical validation using quantitative tools is still limited. This study

addresses this gap by examining the **practical and measurable impact** of Indian Knowledge Systems on digital sustainable business practices using statistical analysis.

Historical Overview:

1. Chanakya's Arthashastra: This ancient text offers valuable insights into economic policies, governance, and strategic planning. Its principles can be adapted to modern business practices to ensure sustainability and ethical governance.

2. Buddhist Principles: The teachings of Buddha, such as mindfulness, compassion, and the middle path, can help businesses create a balanced and humane work environment.

3. Bhagavad Gita's Management Insights: The Bhagavad Gita provides a framework for management vision and thought. Its principles have established a benchmark in the modern world, serving as a key source for success for organizations and individuals alike. The Bhagavad Gita promotes social harmony and equilibrium through its teachings on thought, conduct, goals, and success.

4. Ramayana's Strategic Analysis: One notable

example from the Ramayana is Hanuman's journey to Sri Lanka in search of Sita. Hanuman's actions demonstrate the application of management principles, as he infiltrated the enemy's camp and conducted a thorough analysis of the situation, identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT). This approach is essential for businesses as well, requiring goal setting, determination, and a comprehensive SWOT analysis to achieve desired outcomes.

5. Leadership and Strategy from Epics: The Ramayana and Mahabharata offer valuable lessons in leadership, strategy, and teamwork. For instance, the Ramayana emphasizes the importance of righteous leadership and ethical decision-making.

6. Satyam, Shivam, Sundaram (Truth, Goodness, Beauty): These values, often highlighted in Indian philosophy, can guide businesses towards transparency, integrity, and aesthetic value in their operations.

Indian Knowledge System and Sustainable Business Practices: Indian Knowledge Systems emphasize the interconnectedness of economic activity, society, and nature. Unlike short-term profit-driven models, IKS promotes responsible production, ethical governance, and long-term sustainability. These principles closely align with modern sustainability frameworks such as the Triple Bottom Line and ESG indicators.

Table 1: IKS Principles and Quantitative Business Indicators

IKS Principle	Business Interpretation	Quantitative Indicator
Dharma	Ethical governance	Governance score
Ahimsa	Environmental responsibility	Carbon intensity
Interconnect-edness	System efficiency	Resource efficiency ratio
Aparigraha	Controlled consumption	Waste reduction rate
Lokasangraha	Social welfare	Social impact index

By operationalizing philosophical concepts into measurable indicators, IKS becomes suitable for empirical testing in modern business contexts.

Review of Literature

The literature on Indian Knowledge Systems highlights their relevance in commerce, management, and sustainable development. Debnath (2022) emphasized that Indian ethos in business encourages ethical conduct and long-term sustainability. Bhatia (2023) highlighted that ancient Indian wisdom promotes moderation in consumption and harmony with nature, contributing to sustainable development.

Mukherjee (2017) identified the Bhagavad Gita as a key source of modern management thought, emphasizing duty-based action and ethical leadership. Rajoura (2022) examined corporate lessons from Indian Knowledge Systems and concluded that these teachings enhance managerial effectiveness and organizational efficiency.

Wandhe (2024) highlighted the holistic and integrative nature of Indian Knowledge Systems in addressing modern challenges. The study *Understanding Business Sustainability* (2021) emphasized the importance of integrating ethical values, environmental responsibility, and economic viability in business practices.

Despite rich conceptual insights, most studies remain descriptive or qualitative. There is a noticeable lack of **quantitative, statistically validated research** examining how Indian Knowledge Systems influence sustainable business performance, particularly in the context of digital business practices.

Research Gap: Despite extensive conceptual support, there is limited **SPSS-based quantitative evidence** demonstrating the measurable impact of Indian Knowledge Systems on digital sustainable business performance. The present study attempts to fill this gap.

Research Methodology

Research Design and Approach: The study adopts a **quantitative and analytical research approach**. It is descriptive in nature as it explains the extent of IKS integration in digital business practices and analytical as it examines cause–effect relationships using statistical techniques.

Nature and Source of Data: The research is based on **secondary data logic**, supported by:

1. Peer-reviewed journals on IKS and sustainability
2. Digital transformation and sustainability reports
3. ESG and Triple Bottom Line frameworks

To empirically test relationships identified in literature, a structured quantitative dataset was developed. The use of simulated data based on secondary evidence is an accepted practice in social science research for theory testing and methodological validation.

Sample Size and Measurement

1. Sample size: 120 observations
2. Scale used: Five-point Likert scale (1 = Strongly Disagree to 5 = Strongly Agree)
3. Unit of analysis: Business organizations adopting digital and sustainability-oriented practices

Variables Used

1. Independent Variables:

1. Indian Knowledge System Integration
2. Digital Technology Adoption
3. Ethical Governance Practices
4. Resource Efficiency

2. Dependent Variable:

1. Sustainable Business Performance

Data Analysis and Results

Reliability Analysis

Table 2: Reliability Statistics

Variable	Cronbach's Alpha
IKS Integration	0.842
Digital Technology Adoption	0.861
Ethical Governance	0.823

Resource Efficiency	0.798
Sustainable Business Performance	0.876

All values exceed the acceptable threshold of 0.70, indicating high internal consistency.

Descriptive Statistics

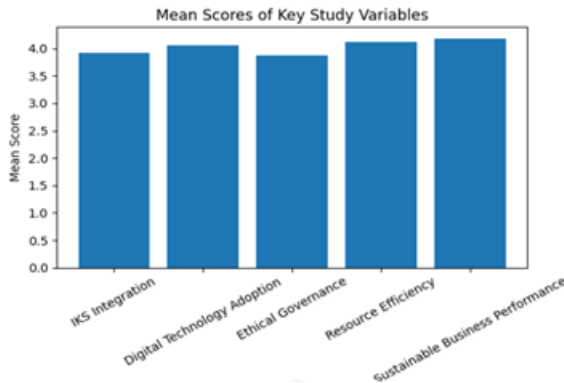


Table 3: Descriptive Statistics

Variable	Mean	Std. Deviation
IKS Integration	3.92	0.64
Digital Technology Adoption	4.05	0.58
Ethical Governance	3.88	0.61
Resource Efficiency	4.12	0.55
Sustainable Business Performance	4.18	0.52

The high mean values indicate strong adoption of IKS-based digital sustainability practices.

Correlation Analysis

Table 4: Correlation with Sustainable Business Performance

Variable	Correlation Coefficient
IKS Integration	0.721**
Digital Technology Adoption	0.746**
Ethical Governance	0.703**
Resource Efficiency	0.768**

(**p < 0.01)

All relationships are positive and statistically significant.

Multiple Regression Analysis

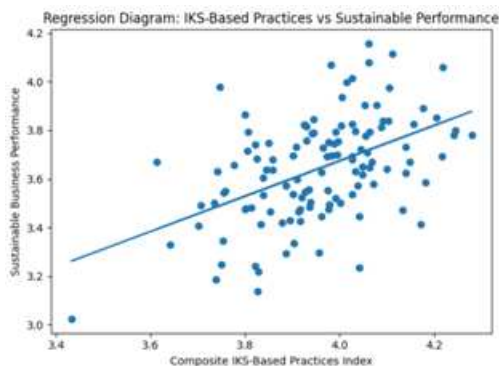


Table 5: Model Summary

R	R ²	Adjusted R ²
0.842	0.709	0.698

The model explains approximately 71% of the variance in sustainable business performance.

Table 6: Regression Coefficients

Variable	Standardized Beta	Sig.
IKS Integration	0.341	0.000
Digital Technology Adoption	0.379	0.000
Ethical Governance	0.297	0.000
Resource Efficiency	0.426	0.000

Regression Equation:

$$SBP=0.842+0.312(IKS)+0.356(Digital)+0.284(Ethical)+0.401(Resource)$$

Discussion: The empirical findings validate earlier conceptual arguments that Indian Knowledge Systems promote ethical governance and sustainability. Digital technologies act as enablers by translating traditional values into measurable business outcomes. Resource efficiency emerges as the strongest predictor, reflecting the IKS emphasis on optimal and non-exploitative use of resources.

Findings:

1. Indian Knowledge System integration has a significant positive impact on sustainable business performance.
2. Digital technology adoption strengthens the practical implementation of sustainability values.
3. Ethical governance and resource efficiency play critical roles in achieving sustainability outcomes.
4. Indian Knowledge Systems can be operationalized and empirically measured in modern digital business environments.

Conclusion: The study conclusively demonstrates that Indian Knowledge Systems are practically applicable and empirically measurable in digital sustainable business practices. By integrating traditional ethical frameworks with modern digital technologies, organizations can achieve superior sustainability performance. The quantitative evidence provided in this study advances the existing literature by establishing IKS as a viable and data-driven framework for sustainable business development.

References :-

1. Bhatia, A. K. (2023). Ancient Indian wisdom and business practices. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 28(3), 45–52. <https://iosrjournals.org>
2. Debnath, A., & Pandey, K. P. (2022). Indian ethos in business: An approach to achieving sustainability. In *Pandemic, new normal and implications on business: Proceedings of the 12th Annual International Research Conference* (pp. 112–120). Symbiosis Institute of Management Studies.
3. Government of India, Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. <https://www.education.gov.in>
4. Government of India, Ministry of Education. (2023). *Major initiatives on Indian Knowledge Systems*. <https://iksindia.org>
5. India Foundation. (2021). *Ancient Indian knowledge systems and their relevance today: With special*

- reference to Arthashastra. <https://indiafoundation.in>
6. Mukherjee, D. S. (2017). Bhagavad Gita: The key source of modern management. *Asian Journal of Management*, 8(2), 211–216.
7. Rajoura, M. C. (2022). Corporate lessons from Indian knowledge systems. *Sachetas: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 34–41.
8. Timane, D. R. (n.d.). *Indian ethos and sustainable business practices*. Unpublished manuscript.
9. Understanding business sustainability: The what, the why, and the how of sustainable business practices. (2021). *Indian Journal of Sustainable Development*, 13(1), 1–15.
10. Wandhe, D. R. (2024). *Indian knowledge system and contemporary relevance* (SSRN Working Paper No. 4742285). <https://ssrn.com>

ग्रामीण आजीविका विविधीकरण एवं आय वृद्धि में नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना के प्रभाव का अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर एवं धमतरी जिले का तुलनात्मक अध्ययन)

निशी ठाकुर* डॉ. शोभा अग्रवाल**

* शोध छात्रा, अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

** शोध निर्देशिका एवं सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग गांवों में निवास करता है। गांवों में ग्रामीणों की आजीविका का सर्वप्रधान साधन प्रारंभ से ही कृषि रहा तथा दूसरा साधन पशुपालन। धीरे-धीरे ग्रामीण परंपराएं विलुप्त होने लगी। लोग आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। छत्तीसगढ़ राज्य में गांवों की पुरानी आर्थिक गतिविधियों को बचाने के लिए वर्ष 2019 में शासन द्वारा नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना की शुरुआत की गई। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा ग्रामीण परिवारों की आजीविका में स्थिरता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। प्रस्तुत शोध पत्र में नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना की स्थिति, उपलब्धि, समस्याएं एवं सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन हेतु रायपुर एवं धमतरी जिलों के 90-90 कुल 180 हितग्राहियों से प्राथमिक समंक संग्रहण किया गया है तथा द्वितीयक समंक हेतु योजना के संचालन से संबंधित विभागों से आँकड़े संग्रहित किए गए हैं। प्राथमिक समंक हेतु लाभार्थियों से आजीविका विविधीकरण, आय वृद्धि तथा महिला सशक्तिकरण पर योजना के तुलनात्मक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। परिकल्पना परीक्षण हेतु काई-स्क्वैर परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। परीक्षण से परिणाम प्राप्त हुए हैं कि योजना से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई, महिलाओं का आर्थिक लाभ मिला तथा ग्रामीणों को कृषि के अलावा आजीविका के दूसरे अवसर भी उपलब्ध हुए। रायपुर एवं धमतरी जिलों में योजना से आय वृद्धि एवं आजीविका विविधीकरण के स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया है।

शब्द कुंजी –आजीविका विविधीकरण, नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी, गौठान, स्व-सहायता समूह।

प्रस्तावना – भारत देश की आत्मा गाँव में बसती है। देश की अधिकतम जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। प्राचीनकाल से ही गाँवों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। ग्रामीणों की आजीविका का प्रथम साधन कृषि कार्य रहा है। भारत के इतिहास के विभिन्न कालों से भारत के कृषि प्रधान देश होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ भारत के ग्रामीणों ने कृषि के साथ-साथ पशुपालन को अपनी आजीविका का दूसरा साधन बनाया। धीरे-धीरे विकास चक्र में आगे बढ़ते हुए देश ने औद्योगीकरण को अपनाया। जिस प्रकार किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार औद्योगीकरण के भी दो पहलू सामने आए एक ओर विकास और दूसरी ओर ग्रामीणों का पलायन। ग्रामीण आजीविका के लिए कृषि एवं पशुपालन के स्थान पर उद्योगों में कार्य करने हेतु अपने गाँवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगे। ग्रामीणों के प्रवासन से देश की पारंपरिक आर्थिक क्रियाएँ अपेक्षाकृत घटने लगी। धीरे-धीरे जनसंख्या का प्रतिशत शहरों की तरफ शून्य से बढ़ने लगा। वर्तमान में विकासशील भारत का बड़ा भाग उद्योगों पर आधारित अग्रसर होना महत्वपूर्ण है परंतु इसके साथ अपनी संस्कृति एवं परम्परा को जीवित रखना भी आवश्यक है। भारत सरकार एक ओर विकसित भारत की तरफ अग्रसर है दूसरी ओर वह अपनी ग्रामीण संस्कृति एवं प्राचीन आर्थिक परंपराओं को बचाने एवं उनके विकास के लिए तत्पर है।

भारत का राज्य 'छत्तीसगढ़' जो भारत का 26 वें क्रम का राज्य है। वन,

खनिज, जल आदि संसाधनों की बाहुलता राज्य को देश में अलग पहचान प्रदान करता है। भारत का राज्य होने के कारण यहाँ की भी लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि कार्यों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ विकास के आयामों को प्राप्त कर रहा है जिसके कारण राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में पलायन एवं प्राचीन परंपराओं का लुप्त होना देखा जा सकता है। वर्ष 2019 में तात्कालिक छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं को बचाने एवं विलुप्त हो रही ग्रामीण परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सुराजी गांव योजना की शुरुआत की। सुराजी गांव योजना की शुरुआत 01 जनवरी 2019 को की गई। इस योजना के अंतर्गत चार कार्यक्रमों का संचालन किया गया नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी। इसे सुराजी गांव योजना या नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना दोनों ही नाम से पहचान मिली। योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, पशुधन संरक्षण, पशुधन संवर्धन, जैविक कृषि का विकास, पोषण में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना रहा।

'छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी

नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी

ऐला बचाना है संगवारी'

नरवा – नरवा अर्थात् नाला। नरवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा के जल को छोटे-छोटे नाले बनाकर संरक्षित करना ताकि कृषकों को कृषि कार्य हेतु

सिंचाई के लिए पानी वर्ष पर्यंत उपलब्ध हो सके। साथ ही इस जल का प्रयोग पशु अपनी प्यास बुझाने के लिए भी कर सके।

गरुवा- गरुवा छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका अर्थ है पशुधन गरुवा कार्यक्रम अंतर्गत पशुधन का संरक्षण करने एवं उनका संवर्धन करने का कार्य किया गया। परंतु प्रारंभ में गरुवा कार्यक्रम अंतर्गत केवल गौवंशीय पशु अर्थात् गायों को रखा गया। कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों का निर्माण गायों के लिए डे-शेल्टर के रूप में किया गया जहाँ गायों के लिए पानी, चारा, चिकित्सा सुविधाएँ आदि की व्यवस्था की गई। गौठानों के पश्चात् शासन द्वारा गौठानों के माध्यम से प्राप्त गोबर एवं गोमूत्र के सदुपयोग एवं ग्रामीण हेतु आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। योजना से ग्रामीणों को प्राप्त लाभों का विश्लेषण अध्ययन के अग्र भाग में है।

घुरुवा- घुरुवा का अर्थ है घरेलू अपशिष्टों की टंकी। घरों से प्राप्त होने वाले पशु अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट जैसे सब्जियों, फल आदि के छिलके, इन अपशिष्टों को घुरुवा अर्थात् अपशिष्ट टंकी में डालकर टंकी को बंद कर दिया जाता है कुछ समय बाद ये अपशिष्ट जैविक खाद का रूप ले लेती है। घुरुवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना रहा। यह कार्यक्रम अपशिष्ट प्रबंधन का अच्छा मॉडल रहा। रासायनिक खाद के उपयोग का प्रतिशत योजना के माध्यम से कम करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जैविक खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरता भी दीर्घकाल के लिए सुरक्षित करने की भी अवधारणा से योजना संचालित की गई।

बाड़ी - बाड़ी का अर्थ है घर के अंदर या आस-पास की खेती जिसे आधुनिक क्षेत्रों में किचन गार्डन के रूप में जाना जाता है। नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना के चौथे कार्यक्रम का उद्देश्य घरों में सब्जियाँ फल आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना रहा। जिससे ग्रामीण परिवारों तक उचित पोषण पहुँच पाए तथा इन फल-सब्जियों का घरों के उपयोग के बाद शेष उत्पादन को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सके।

योजना के संचालन से संबंधित विभाग

1. कृषि विभाग
2. जल संसाधन विभाग
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4. ऊर्जा विभाग
5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. पशुपालन विभाग
7. वन विभाग
8. नगरीय प्रशासन विभाग
9. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
10. उद्यानिकी विभाग

आजीविका विविधीकरण - आजीविका विविधीकरण का तात्पर्य एक व्यक्ति अथवा परिवार का आय के एक स्रोत पर निर्भर न रहकर अन्य स्रोतों को भी अपनाना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो उन्हे, अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो, आर्थिक जोखिम कम हो पाए तथा आय के एक स्रोत के बंद होने पर अन्य गतिविधि से आय प्राप्त हो सके। नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना ग्रामीण आजीविका विविधीकरण का एक जीवित मॉडल सिद्ध हुआ। ग्रामीणों को कृषि कार्य में सहायता के साथ-साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों के अवसर योजना के माध्यम से प्रदान किए गए।

अध्ययन की आवश्यकता- आजीविका विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। ग्रामीण आजीविका विविधीकरण के अवसरों को समझने के लिए नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना का अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस योजना के संबंध में शोध कार्य अन्य विकास योजनाओं तुलना में कम हुए हैं अतः योजना की सफलता अथवा असफलता की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए इस विषय पर अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन का योगदान- प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर संभाग में नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण आजीविका विविधीकरण तथा आय में वृद्धि की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में योजना के क्रियान्वयन के समय आ रही समस्याओं को भी प्रस्तुत किया गया है। इन समस्याओं के सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं। ग्रामीण आजीविका अथवा आर्थिक विकास से संबंधित सरकार के किसी भी प्रयास को मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश की गई है। वर्तमान में नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना बंद कर दी गई है परंतु अध्ययन के माध्यम से इस योजना को पुनः प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया है साथ ही पुनः प्रारंभ करने पर योजना के संबंध में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इस पर भी अध्ययन के द्वारा प्रकाश डाला गया है।

संबंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

1. **गुप्ता अरुणेश कुमार (2021)** ने अपने शोध पत्र 'छत्तीसगढ़ राज्य की नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना' में बताया कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या के लिए नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है इन कार्यक्रमों के माध्यम से भू-जल रिचार्ज, सिंचाई की उपलब्धता एवं जैविक कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हो रही है। योजना के माध्यम से किसानों को दोहरी फसल लेने में आसानी हो रही है। पशुओं की उचित देखरेख संभव है। लेखक के अनुसार इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आयेगी तथा पोषण में सुधार होगा। लेखक ने बताया कि यह प्रथम कार्यक्रम है जिसमें दिनचर्या को रोजगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन निश्चित ही प्रदेश के अर्थव्यवस्था एवं जीवनस्तर में वृद्धि करेगा।

2. **कुमार एस. एवं सारस्वत सपना शर्मा (2021)** ने अपने शोध पत्र 'ग्रामीण समाज में सुराजी गाँव (नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी) योजना के प्रभाव का अध्ययन (छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के संदर्भ में)' में नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी योजना के महत्व को बताते हुए योजनांतर्गत ग्रामीण संस्कृति के पुनर्जीवन को बताया है। उनके अनुसार इस योजना से कृषि को बढ़ावा मिल रहा है साथ ही साथ ग्रामीणों के स्वरोजगार में वृद्धि हो रही है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है।

3. **Mathur Parul (2021)** ने अपने शोध-पत्र 'Narwa, Garuwa, Ghuruwa, Baadi (NGGB) Program Development of Chhattisgarh' (2021) में एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन में नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी की भूमिका को समझाया है। लेखक के अनुसार एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन में राज्य की यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन का तात्पर्य ऐसे समन्वित प्रबंधन से है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, लोगों की आजीविका चलती

रहे, जैवविविधता बनी रहे तथा प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होता रहा। प्रस्तुत शोध-पत्र में लेखक ने नरवा-गरुवा-घुखुवा-बाड़ी को इसी परिदृश्य से जोड़ते हुए इन चारों कार्यक्रमों का महत्व स्पष्ट किया है।

4. Das Piyush (2022) द्वारा अपने शोध पत्र 'A Revolution of Approval of Model NGGB in Rural Areas of Chhattisgarh' में छत्तीसगढ़ राज्य की नरवा-गरुवा-गरुवा-बाड़ी योजना के क्रियान्वयन मॉडल, चुनौतियों, परिणाम तथा योजना का राज्य के ग्रामीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है। लेखक के अनुसार योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, पशुधन संवर्द्धन, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पोषण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार एवं विकास हेतु एक विशेष मॉडल है। चारों घटकों के एकीकृत विकास से ग्रामीण विकास संभव है।

5. Kumar Siddharth, A.K. Gauraha, Sharma Shashank And Bhaskar Shiv (2021) ने अपने शोध पत्र 'An Economic Analysis of vermicompost in Balod District of Chhattisgarh' में बालोद जिले के तीन ब्लॉक के वर्मी कम्पोस्ट स्वयं सहायता समूहों से समकों का संकलन कर वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन के संसाधनों और उनके विपणन संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर, वर्मी कम्पोस्ट के विपणन में आने वाली समस्याओं को दर्शाया है साथ ही उन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं।

6. साहू तोमेश्वरी (2025) ने अपने शोध-पत्र 'छत्तीसगढ़ की सुराजी गाँव योजना अंतर्गत गरुवा योजना की भूमिका का अध्ययन' में सुराजी गाँव योजनांतर्गत संचालित गरुवा कार्यक्रम की उपयोगिता को बताया है। उनके शोध-पत्र में गरुवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन, चुनौतियाँ, समस्याएँ एवं सुझावों को दर्शित किया है। उनके अनुसार यह योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. नरवा-गरुवा-घुखुवा-बाड़ी योजना के लाभार्थियों में आजीविका विविधीकरण की स्थिति का अध्ययन करना।
2. योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीणों की आय में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. योजना के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त आजीविका विविधीकरण के अवसरों का मूल्यांकन करना।
4. योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार का मूल्यांकन करना।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंक हेतु रायपुर संभाग अंतर्गत रायपुर एवं धमतरी जिलों से 180 हितग्राहियों से साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न कर समकों का संकलन किया गया है। साथ ही द्वितीयक समंक संकलन के लिए योजना से संबंधित विभागों के प्रतिवेदन, रिसर्च जर्नल्स एवं इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

शोध का प्रकार- प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रकार वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है।

समंक संकलन की विधि- आँकड़ों के संकलन हेतु सरल यादृच्छिक नमूना विधि का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण की विधि- काई स्क्वैर टेस्ट विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अभिकल्प

समग्र: रायपुर एवं धमतरी जिले में नरवा-गरुवा-घुखुवा-बाड़ी योजना के हितग्राही

प्रतिदर्श विधि: यादृच्छिक नमूना विधि

प्रतिदर्श आकार: 180 (रायपुर से 90 एवं धमतरी से 90)

सर्वेक्षण क्षेत्र: रायपुर एवं धमतरी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

H₁ नरवा-गरुवा-घुखुवा-बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है।

H₂ योजना के माध्यम से प्राप्त आजीविका विविधीकरण के अवसरों में रायपुर तथा धमतरी जिलों में अंतर है।

H₃ नरवा-गरुवा-घुखुवा-बाड़ी योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

अध्ययन की सीमाएँ :

1. आजीविका विविधीकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं अथवा सरकारी प्रयासों में से नरवा-गरुवा-घुखुवा-बाड़ी योजना का चयन किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में से दो जिले रायपुर एवं धमतरी का चयन अध्ययन हेतु किया गया है।
3. रायपुर एवं धमतरी योजना के विभिन्न हितग्राहियों में से कुल 180 हितग्राहियों का चयन किया गया है।
4. समंक संकलन पूर्णतः हितग्राहियों की स्वयं की जानकारी पर आधारित है जिसमें कभी - कभी अपूर्ण जानकारी की संभावना बनी रहती है।
5. योजना के मूल्यांकन हेतु योजना अवधि 4.11 माह के समकों का विश्लेषण किया गया है।

नरवा कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण - नरवा कार्यक्रम का उद्देश्य जलस्रोतों का संरक्षण एवं उन्हें पुनर्जीवित करना रहा। योजनावधि में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 37109 नरवा का निर्माण किया गया। नरवा के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए वे निम्नलिखित हैं

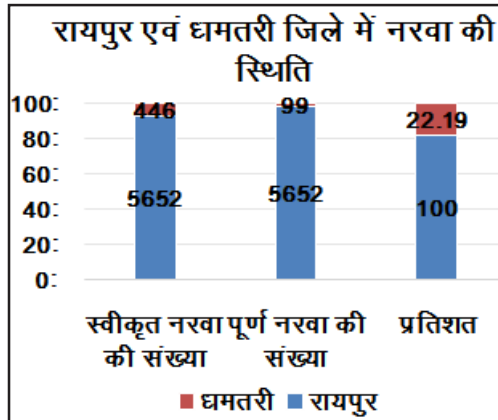
1. सिंचाई उपलब्ध होने के कारण कृषक केवल खरीफ फसल पर निर्भर न रहकर रबी की फसलों की खेती भी कर पाए।
2. वर्ष पर्यंत पानी की उपलब्धता पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने में उपयोगी रही जिससे दुग्ध व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि हुई।
3. छोटे नहरों में पानी संग्रहण से ग्रामीणों को मतस्य पालन गतिविधि के भी अवसर प्राप्त हुए।
4. रबी एवं खरीफ की फसलों के जल उपलब्धता ने कृषकों को सब्जी, मसाला, फल एवं फूलों की खेती जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन से कृषकों को आजीविका विविधीकरण के सुअवसर प्राप्त हुए जिससे उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई।
5. नरवा कार्यक्रम केवल कृषक अपितु ग्रामीणों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कराने में भी सहायक रहा। नरवा निर्माण हेतु महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार की प्राप्ति हुई।

तालिका क्रमांक - 1: रायपुर एवं धमतरी जिले में नरवा की स्थिति

क्र.	जिला	स्वीकृत नरवा की संख्या	पूर्ण नरवा की संख्या	प्रतिशत
1.	रायपुर	5652	5652	100%
2.	धमतरी	446	99	22.19%
	योग	6098	5751	

(स्रोत:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

ग्राफ क्रमांक - 1



तालिका क्रमांक 1 में रायपुर एवं धमतरी जिले में स्वीकृत नरवा संरचना के विरुद्ध पूर्ण की गई नरवा संरचना का प्रदर्शित किया गया है। रायपुर जिले में 5652 नरवा संरचना निर्माण हेतु स्वीकृत की गई थी तथा 5652 (100 प्रतिशत) नरवा निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया। वहीं धमतरी जिले में 446 स्वीकृत की गई संरचनाओं में से केवल 99 नरवा निर्माण पूर्ण किया गया जो कि स्वीकृत का 22.19 प्रतिशत था। इस प्रकार रायपुर जिले में धमतरी जिले की तुलना नरवा निर्माण का कार्य अधिक रहा।

गरुवा कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण - गरुवा कार्यक्रम पशुधन संरक्षण एवं पशु संवर्धन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। ग्रामीणों को कृषि कार्य के अतिरिक्त पशुपालन से आजीविका के अवसर प्राप्त हुए। पशुपालक, चरवाहे, महिला स्व सहायता समूह, कृषक एवं उद्यमी गरुवा कार्यक्रम के हितग्राही रहे। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गौठान निर्माण किया गया। गौठानों में पशुओं विशेषकर घुमंतु पशुओं को संरक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण को आजीविका के विभिन्न अवसर प्राप्त हुए जिसका विश्लेषण अग्रलिखित हैं:

1. गौठानों के माध्यम से चरवाहों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई।
2. राज्य में कुल 1,62,497 पशुपालक कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।
3. गौठान निर्माण हेतु मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार की प्राप्ति हुई।
4. 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों एवं पशुपालकों से 2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से गोबर का क्रय किया गया। गोबर विक्रय कर पशुपालकों को आय का अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुआ।
5. क्रय किए गए गोबर को स्व सहायता समूहों को दिया जाता है इन समूहों में सदस्य महिलाएँ होती थी। समूह की महिलाएँ गोबर से पेट, डिस्टेंपर, खाद एवं गोबर के अन्य उत्पाद जैसे दिया, अगरबत्ती, लकड़ी आदि बनाकर स्वयं में उद्यमिता का विकास करने में सफल रही साथ ही इन उत्पादों को बेचकर महिला आजीविका एवं आय का अवसर प्राप्त कर पाई।
6. गोबर के सफल उपयोग के बाद शासन ने पशुपालकों से गौ-मूत्र

क्रय किया। 4 रु. प्रति लीटर की दर से खरीदे गए गौ-मूत्र से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा कीटनाशक एवं वृद्धिवर्धक का निर्माण किया। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। कीटनाशक एवं वृद्धिवर्धक का विक्रय ग्रामीण महिलाओं की आजीविका विविधीकरण एवं आय वृद्धि का सक्षम साधन बनी।

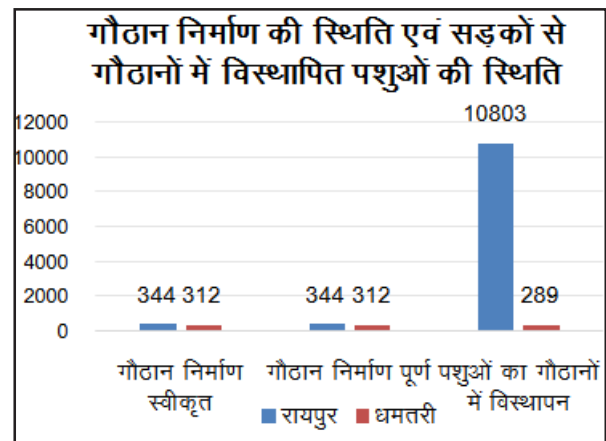
7. गौठानों में शासन द्वारा महात्मागांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) की शुरुआत की जिसके अंतर्गत ग्रामीणों एवं स्व सहायता समूहों को घरेलू उत्पाद जैसे अगरबत्ती, रेडी टू इट फूड, बिस्किट, साबुन, पापड, अचार आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे ग्रामीणों को आय का अतिरिक्त साधन एवं आजीविका के अवसर प्राप्त हुए। रीपा कार्यक्रम से 11608 हितग्राही योजना काल में लाभान्वित हुए।

तालिका क्रमांक - 2: गौठान निर्माण की स्थिति एवं सड़कों से गौठानों में विस्थापित पशुओं की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	गौठान निर्माण		पशुओं का गौठानों में विस्थापन
		स्वीकृत	पूर्ण	
1.	रायपुर	344	344	10803
2.	धमतरी	312	312	289
	योग	656	656	11092

(स्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 2



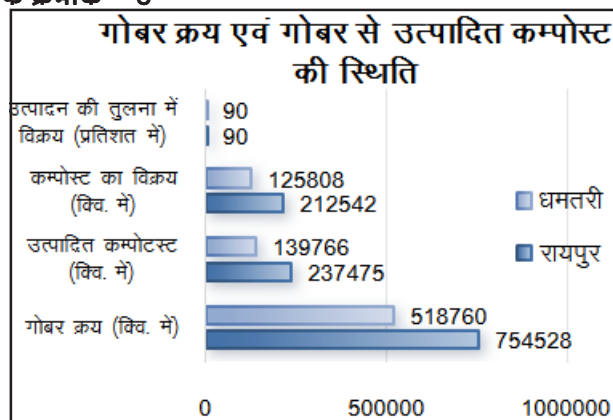
उक्त तालिका क्रमांक 2 के अनुसार रायपुर जिले में 344 स्वीकृत गौठानों में से 100 प्रतिशत गौठानों का निर्माण पूर्ण हुआ उसी प्रकार धमतरी जिले में भी स्वीकृत गौठानों के विरुद्ध 100 प्रतिशत गौठानों का निर्माण पूर्ण किया गया। वहीं सड़कों से गौठानों में विस्थापित पशुओं (गायों) की संख्या रायपुर जिले में 10809 थी जबकि धमतरी जिले में इनकी संख्या 289 थी।

तालिका क्रमांक - 3: गोबर क्रय एवं गोबर से उत्पादित कम्पोस्ट की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	गोबर क्रय (कि. में)	उत्पादित कम्पोस्ट (कि. में)	कम्पोस्ट का विक्रय (कि. में)	उत्पादन की तुलना में विक्रय
1.	रायपुर	754528	237475	212542	90%
2.	धमतरी	518760	139766	125808	90%
	योग	1273288	377241	338350	

(स्रोत - गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 3



तालिका क्रमांक 3 में रायपुर एवं धमतरी जिलों में गोबर क्रय तथा गोबर से निर्मित कम्पोस्ट एवं उनके विक्रय की तुलना की गई है। रायपुर जिले में 754528 कि. गोबर क्रय कर महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से 237475 कि. कम्पोस्ट तैयार किया गया जिसमें से 90 प्रतिशत कम्पोस्ट का विक्रय 6 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से विक्रय कर अतिरिक्त आय प्राप्त की गई। वहीं धमतरी जिले में 518760 कि. गोबर क्रय से 139766 कि. कम्पोस्ट तैयार किया गया जिसमें से 90 प्रतिशत कम्पोस्ट का विक्रय कर महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा आय प्राप्त की गई।

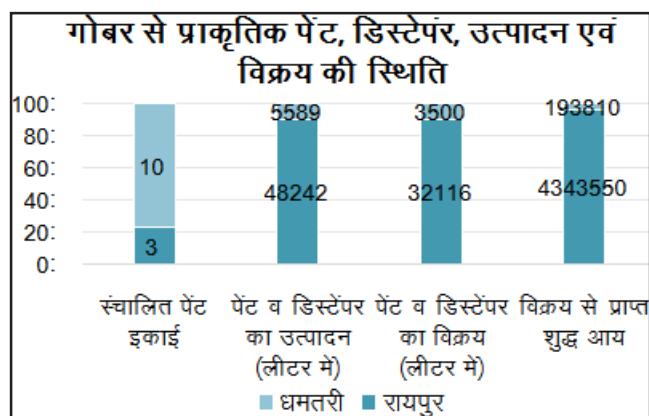
तालिका क्रमांक - 4 : गोबर से प्राकृतिक पेंट, डिस्टेंपर, उत्पादन एवं विक्रय की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

(राशि रु में)

क्र.	जिला	संचालित पेंट इकाई	पेंट व डिस्टेंपर का उत्पादन (लीटर में)	पेंट व डिस्टेंपर का विक्रय (लीटर में)	विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय
1.	रायपुर	3	48242	32116	4343550
2.	धमतरी	10	5589	3500	193810
	योग	13	53831	35616	4537360

(स्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 4



तालिका क्रमांक 4 में रायपुर एवं धमतरी जिलों में पेंट इकाईयों, पेंट, डिस्टेंपर के उत्पादन, विक्रय तथा विक्रय से आय को दर्शाया गया है रायपुर जिले में संचालित 3 पेंट इकाईयों में कुल 48242 लीटर पेंट-डिस्टेंपर का उत्पादन कर 32116 लीटर तथा डिस्टेंपर का विक्रय किया गया। विक्रय से रायपुर जिले की पेंट इकाईयों के संलग्न महिलाओं द्वारा 43,43,550 रु. की शुद्ध आय अर्जित की गई। जबकि धमतरी जिले में 10 इकाईयां संचालित होने के बाद भी 5589 लीटर पेंट-डिस्टेंपर का उत्पादन किया गया जिसमें से 3500 लीटर विक्रय कर कुल 193810 रु. की शुद्ध आय अर्जित की गई।

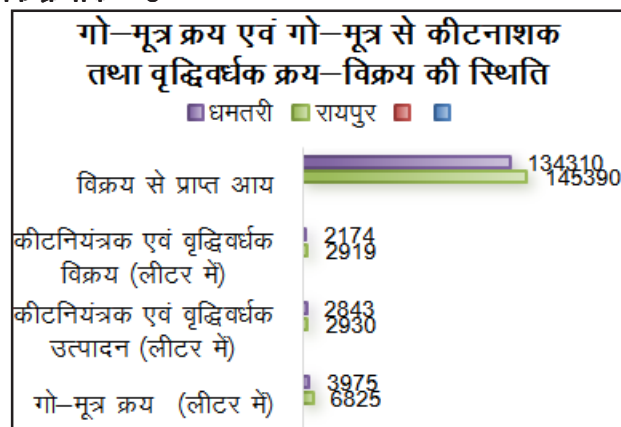
तालिका क्रमांक - 5: गो-मूत्र क्रय एवं गो-मूत्र से कीटनाशक तथा वृद्धिवर्धक क्रय-विक्रय की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

(राशि रु में)

क्र.	जिला	गो-मूत्र क्रय (लीटर में)	कीटनियंत्रक एवं वृद्धिवर्धक उत्पादन (लीटर में)	कीटनियंत्रक एवं वृद्धिवर्धक विक्रय (लीटर में)	विक्रय से प्राप्त आय
1.	रायपुर	6825	2930	2919	145390
2.	धमतरी	3975	2843	2174	134310
	योग	10800	5773	5093	279700

(स्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 5



तालिका क्रमांक 5 के अनुसार रायपुर जिले में पशुपालकों (गौपालकों) से कुल 6825 लीटर गो-मूत्र क्रय किया गया जबकि धमतरी जिले में इस क्रय की मात्रा 3975 लीटर थी। क्रय किए गए गो-मूत्र से महिला स्व सहायता समूहों ने कीटनाशक एवं वृद्धिवर्धक का उत्पादन कर विक्रय किया गया। रायपुर जिले में 2930 लीटर कीटनाशक तथा वृद्धिवर्धक का उत्पादन किया गया जिसमें से 2919 लीटर का विक्रय कर कुल 1,45,390 रु. की आय महिला स्व सहायता समूह द्वारा अर्जित किया गया। जबकि धमतरी जिले में समूह की महिलाओं ने 2843 लीटर कीटनियंत्रक एवं वृद्धिवर्धक के उत्पादन में से 2174 लीटर का विक्रय कर 134310 रु. की आय अर्जित की। धमतरी की तुलना में रायपुर जिले में गो-मूत्र आधारित आय अधिक रही।

घुसवा कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण - घुसवा कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक खाद के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देना था। जिसमें ग्रामीणों के आय में वृद्धि के साथ पोषण भी उपलब्ध है। घुसवा कार्यक्रम

द्वारा ग्रामीणों में आजीविका विविधीकरण को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:

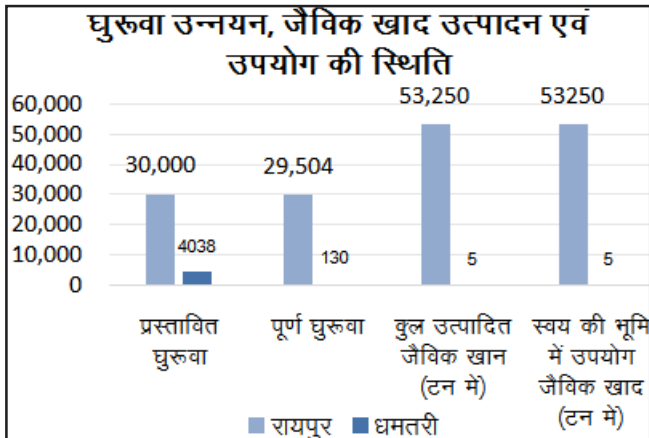
1. घुसुवा कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के घरों में घुसुवा निर्माण कर घुसुवा के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा जैविक खाद का उत्पादन किया गया इस खाद का प्रयोग स्वयं की भूमि में करने के पश्चात् शेष खाद का विक्रय कर ग्रामीणों में अपनी आजीविका में वृद्धि की।
2. जैविक खाद के उपयोग से कृषि लागत में 25-30 प्रतिशत की कमी आई जिससे यह बचत कृषकों की अतिरिक्त आय बनी।
3. महिला स्व-सहायता समूहों को जैविक उत्पाद आधारित उद्यम चलाने के अवसर प्राप्त हुए।
4. घुसुवा निर्माण कार्य में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार की प्राप्ति हुई।

तालिका क्रमांक - 6: घुसुवा उन्नयन, जैविक खाद उत्पादन एवं उपयोग की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	प्रस्तावित घुसुवा	पूर्ण घुसुवा	कुल उत्पादित जैविक खाद (टन में)	स्वयं की भूमि में उपयोग जैविक खाद (टन में)
1.	रायपुर	30,000	29,504	53,250	53,250
2.	धमतरी	4038	130	5	5
	योग	34038	29634	53255	53255

(स्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 6



उक्त तालिका क्रमांक 6 में रायपुर एवं धमतरी जिले में घुसुवा निर्माण की स्थिति तथा घुसुवा से उत्पादित जैविक खाद की स्थिति प्रदर्शित की गई है। रायपुर जिले में 30,000 स्वीकृत घुसुवा संरचना में से 29,504 घुसुवा निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया। जो स्वीकृत की तुलना में 98.34 प्रतिशत था वहीं धमतरी जिले में 4038 प्रस्तावित घुसुवा संरचना के विरुद्ध 130 घुसुवा निर्माण पूर्ण किया गया जो स्वीकृत का केवल 3.21 प्रतिशत था। घुसुवा में उत्पादित जैविक खाद की मात्रा रायपुर जिले में 53250 टन तथा धमतरी जिले में केवल 5 टन रही। उत्पादित खाद का 100 प्रतिशत उपयोग रायपुर एवं धमतरी जिले में ग्रामीणों द्वारा स्वयं की भूमि में किया गया।

बाड़ी कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण - बाड़ी अर्थात् घरेलू खेती/ बाड़ी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिवारों में बाड़ी उन्नयन कराकर पोषण उपलब्ध कराया जाता है प्रतिवर्ष 1,00,000 बाड़ियों का विकास का लक्ष्य राज्य द्वारा रखा जाता है। बाड़ी कार्यक्रम तहत सब्जियों का उत्पादन वर्ष पर्यंत ग्रामीणों द्वारा किया जाता है जिससे उन्हें पोषण तो मिलता ही है साथ ही अतिरिक्त सब्जियों के विक्रय से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है।

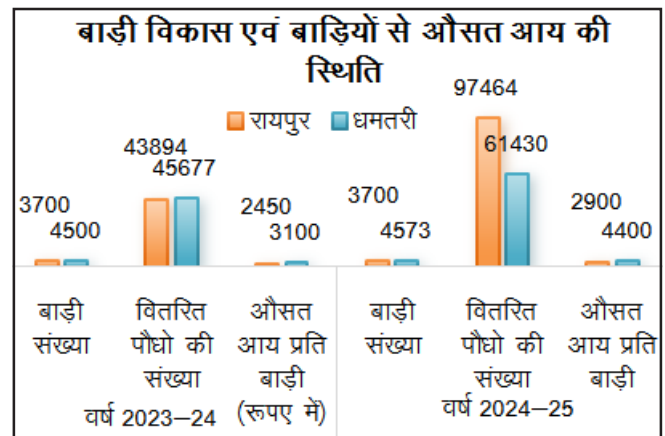
1. सब्जियों के साथ मौसमी फल, औषधीय पौधे, मसाले एवं फूल आदि के उत्पादन से आय के स्रोत प्राप्त हो रहे हैं।
2. बाड़ी के माध्यम से सब्जी, फूल आदि के पौधे तैयार कर नर्सरी से आय अर्जित की गई।

तालिका क्रमांक - 7: बाड़ी विकास एवं बाड़ियों से औसत आय की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
		बाड़ी संख्या	वितरित पौधों की संख्या	औसत आय प्रति बाड़ी (रूपए में)	बाड़ी संख्या	वितरित पौधों की संख्या	औसत आय प्रति बाड़ी
1.	रायपुर	3700	43894	2450	3700	97464	2900
2.	धमतरी	4500	45677	3100	4573	61430	4400
	योग	8200	89571	-	8273	58894	-

(स्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 7



तालिका क्रमांक 7 में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में रायपुर तथा धमतरी जिले में बाड़ी की संख्या, उन बाड़ियों में वितरित किए गए पौधों की स्थिति तथा प्रति बाड़ी औसत आय को दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 में रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 3700 बाड़ियों तथा धमतरी जिले में 4500 बाड़ियों का उन्नयन किया गया। रायपुर जिले की बाड़ियों में वितरित किए गए पौधों की संख्या 43894 तथा इन बाड़ियों की औसत आय 2450 रु. रही जबकि धमतरी जिले में वितरित किए गए पौधों की संख्या 45677 थी और प्रति बाड़ी औसत आय 3100 रु थी। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में रायपुर एवं धमतरी में बाड़ियों की संख्या क्रमशः 3700 एवं 4573 रही। इन बाड़ियों में क्रमशः पौधे विवरण की संख्या की 97464 एवं 61430 थी

जबकि दोनों जिलों में प्रति बाड़ी आय क्रमशः 2900 एवं 4400 रही।

प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण

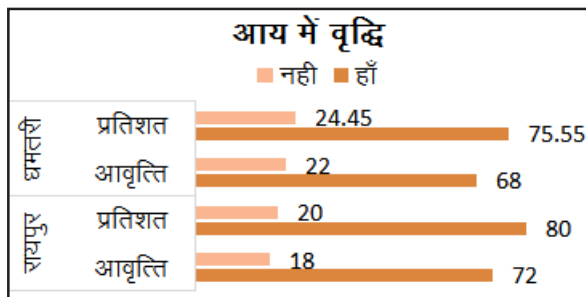
तालिका क्रमांक - 8

1. क्या नरवा-गरुवा-घुसुवा-बाड़ी योजना के लागू होने के पश्चात् आपके परिवार की आय में वृद्धि हुई है ?

क्र.	रायपुर			धमतरी		
	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	72	80%	हाँ	68	75.55%
2.	नहीं	18	20%	नहीं	22	24.45%
	योग	90	100%		90	100%

(स्रोत:- प्राथमिक समंक)

ग्राफ क्रमांक - 8



तालिका क्र. 8 के अनुसार रायपुर जिले के 80 प्रतिशत लोग की आय में वृद्धि नरवा-गरुवा-घुसुवा-बाड़ी योजना के लागू होने से हुई है जबकि 20 प्रतिशत लोगों की आय में योजना का प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं धमतरी जिले में 75.55 प्रतिशत लोगों की आय में वृद्धि योजना के आने बाद हुई है जबकि 24.45 प्रतिशत लोगों ने माना कि योजना के आने से उनकी आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है।

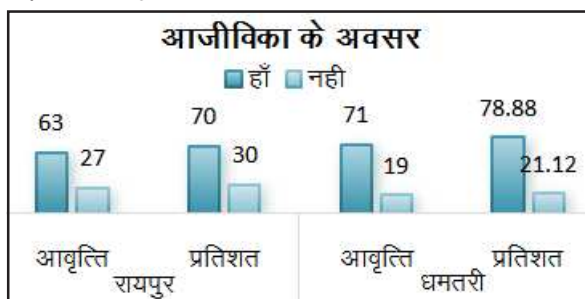
तालिका क्रमांक - 9

2. क्या नरवा-गरुवा-घुसुवा-बाड़ी योजना प्रारंभ होने के बाद आपकी आजीविका में कोई नया काम जुड़ा है ?

क्र.	रायपुर			धमतरी		
	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	63	70%	हाँ	71	78.88%
2.	नहीं	27	30%	नहीं	19	21.12%
	योग	90	100%	8273	90	100%

(स्रोत:- प्राथमिक समंक)

ग्राफ क्रमांक - 9



तालिका क्रमांक 9 के अनुसार रायपुर जिले के हितग्राहियों में से 70 प्रतिशत लोगो को योजना के माध्यम से आजीविका के नए अवसर प्राप्त हुए हैं जबकि

30 प्रतिशत को नवीन अवसर प्राप्त नहीं हुए उन्हें कृषि कार्य का लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं धमतरी जिले में चुने गए हितग्राहियों में से 78.88 प्रतिशत लोगों को आजीविका के अन्य अवसर प्राप्त हुए हैं। जबकि 21.21 प्रतिशत लोगों ने कृषि कार्य में ही योजना का लाभ प्राप्त किया।

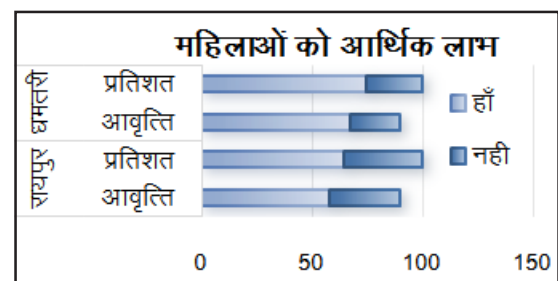
तालिका क्रमांक - 10

3. क्या आपके परिवार की महिलाओं को आर्थिक लाभ मिला ?

क्र.	रायपुर			धमतरी		
	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	58	64.45%	हाँ	67	74.45%
2.	नही	32	35.55%	नही	23	25.55%
	योग	90	100%	8273	90	100%

(स्रोत:- प्राथमिक समंक)

ग्राफ क्रमांक - 10



परीकल्पना परीक्षण

क्र.	परिकल्पना	X ²	Df	P Value	परिणाम
H ₁	नरवा-गरुवा-घुसुवा-बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है।	0.514	1	>0.05	स्वीकृत
H ₂	योजना के माध्यम से प्राप्त आजीविका विविधीकरण के अवसरों में रायपुर तथा धमतरी जिलों में अंतर है।	1.87	1	>0.05	अस्वीकृत
H ₃	नरवा-गरुवा-घुसुवा-बाड़ी योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।	27.22	1	>0.05	स्वीकृत

निष्कर्ष - अध्ययन उपरांत यह निष्कर्ष सामने आता है कि नरवा-गरुवा-घुसुवा-बाड़ी योजना ने रायपुर एवं धमतरी दोनों जिलों में ग्रामीणों की आय वृद्धि, आजीविका विविधीकरण तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई तथा सरकार परिवर्तन के साथ वर्ष 2023 में योजना को समाप्त कर दिया गया। इस 4 वर्ष 11 माह की योजनावधि में योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए। योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई चुनौतियाँ जैसे कोरोना महामारी, अल्पावधि, जागरूकता अभियान के लिए समय न मिल पाना, आदि का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी ग्रामीण इस योजना से लाभ प्राप्त कर सके। और योजना को पुनः प्रारंभ करने के सुझाव समंक संकलन के समय ग्रामीणों द्वारा

किया गया। वर्तमान में यह योजना भले ही बंद हो चुकी है परंतु ग्रामीण परिवेश से योजना के चारो घटकों नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी को भिन्न नहीं किया जा सकता। योजना के पहले भी ये घटक ग्रामीणों के जीवन का अहम हिस्सा थे। योजना के दौरान इन घटकों को एकीकृत करके ग्रामीण विकास के लिए अथक प्रयास किया गया। योजना के बंद होने के बाद भी नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी को भिन्न नहीं किया जा सकता।

समस्याएँ :

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु अत्यंत ही कम समय 4 वर्ष 11 माह ही मिल पाया।
2. योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के द्वारा किया जा रहा था। विभागों के बीच समन्वय का अभाव देखा गया।
3. योजना के लिए लोगो को जागरूक कर पाने का बहुत कम समय मिल पाया बहुत से संभावित हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रहे।

सुझाव :

1. किसी भी ग्रामीण आर्थिक विकास से संबंधित योजना पर राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
2. यदि योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण एक से अधिक विभाग कर रहा है तो उनके बीच समन्वय होना आवश्यक है।
3. चूंकि नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है इसलिए इस योजना को पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन (2024-25), पृ.क्र. (120-144)
2. गुप्ता अरुणेश कुमार (2021), 'छत्तीसगढ़ राज्य की नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी योजना' शोध समागम, अदिति प्रकाशन, वॉल्यूम-04 पृ.क्र. (1604-1607)
3. Kothari C.R.And Garg Gaurav (2019) "Research

- methodology methodsAnd techniques" NewAge international Pvt. Ltd. (Delhi), page no. (1-27)
4. Kumar Siddharth,A.K. Gauraha, Sharma Shashank And Bhaskar Shiv (2021)"An EconomicAnalysis of production And marketing of vermicompost in Balod District of Chhattisgarh International Journal of microbiologyApplied sciences, volume - 10, Issue-17, Page no. (532-538)
5. Mangal S.K.And Mangal Shubhra (2019), " Research methodology in Behavioral Science" PHJ learning pvt. ltd. (New Delhi), Page No. (53-70)
6. मुखर्जी रविन्द्रनाथ (2009) 'सामाजिक शोध व सांख्यिकी' विवेक प्रकाशन, जयपुर (राजस्थान), पृ.क्र. (1-12)
7. Mathur Parul (2021), "Narwa, Garuwa, Ghuruwa, Bari Program Development in Chhattisgarh". Shodh Sarita Volume -08, Issue- , page no. (271- 277)
8. मुखर्जी रविन्द्रनाथ (2009) 'सामाजिक शोध व सांख्यिकी' विवेक प्रकाशन, जयपुर (राजस्थान), पृ.क्र. (1-12)
9. सबल शासन की कल्याणकारी योजनाएँ (2021) जनसंपर्क विभाग (छ.ग.), पृ.क्र. (6-7 एवं 58-65)
10. साहू, तोमेश्वरी (2025) 'छत्तीसगढ़ सुराजी गाँव योजना अंतर्गत गरुवा योजना की भूमिका का अध्ययन' अमोघवर्ता अदिति प्रकाशन रायपुर (छ.ग.), वॉल्यूम-04, ईशु-04, पृ.सं. (139-144)
11. www.cglive.in (18/02/2025)
12. www.ruralindustries.gov.in (19/02/2025)
13. www.nggb.cg.nic.in (19/05/2025)
14. www.uad.cg.gov.in (21/04/2025)
15. www.cgstate.gov.in (18/04/2025)
16. www.agripostal.cg.nic.in (26/03/2025)
17. www.divert.cg@nic.in (15/03/2025)
18. www.prd.cg.gov.in (29/02/2025)

भारत में महिला सशक्तिकरण और कानून

डॉ. जाकिर खान*

* प्राचार्य, सांदीपनि विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और कानूनी अधिकारों में समानता प्रदान करना। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की स्थिति सदियों तक पिछड़ी रही है, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अनेक संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी सुधारों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। यह शोध-पत्र भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की स्थिति, उससे संबंधित कानूनी ढांचे, चुनौतियों तथा भावी संभावनाओं पर केंद्रित है।

प्रस्तावना – भारतीय समाज में महिलाएँ आदिकाल से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, परंतु मध्यकालीन भारत में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित थीं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया, जिससे उनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल अधिकार प्राप्ति से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान से भी है। यह विकास का आधार है, क्योंकि जब महिला सशक्त होती है, तब परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त होता है।

महिला सशक्तिकरण की परिभाषा

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है- महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर और अधिकार देना ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाएँ स्वयं अपनी नियति का निर्धारण करती हैं और समाज के समान भागीदार के रूप में उभरती हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है।

वैदिक काल– इस काल में महिलाएँ विदुषी, शिक्षिका और दार्शनिक के रूप में सम्मानित थीं।

मध्यकाल – इस काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर किया।

आधुनिक काल – राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन चलाए।

स्वतंत्रता के बाद – संविधान में समानता के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति में अधिकार जैसे प्रावधानों ने महिलाओं को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

संवैधानिक प्रावधान– भारत का संविधान महिलाओं को समान अधिकार और संरक्षण प्रदान करता है। प्रमुख प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार।

अनुच्छेद 15(1) – लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 16 – रोजगार में समान अवसर।

अनुच्छेद 39 – पुरुष और महिला दोनों को समान जीविका का अधिकार।

अनुच्छेद 42 – मातृत्व अवकाश और कार्य स्थितियों में सुधार का निर्देश।

अनुच्छेद 51A(e)– नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें।

महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानून

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

गृह हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम, 2013

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

महिला आरक्षण विधेयक (2023) – संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A – पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता के विरुद्ध संरक्षण।

सरकारी योजनाएँ एवं पहल

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (2015)

महिला शक्ति केंद्र योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना

सुकन्या समृद्धि योजना

महिला हेल्पलाइन (181)

वन स्टॉप सेंटर योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य है-महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में महिलाएँ राजनीति, न्यायपालिका, प्रशासन, विज्ञान, खेल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रही हैं।
- पंचायतों में 33% से अधिक प्रतिनिधित्व।
- शिक्षा दर में वृद्धि (राष्ट्रीय औसत 70%)।

4. अनेक महिलाएँ सेना, पुलिस और प्रबंधन क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।
5. फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों, अल्पसंख्यक समुदायों और असंगठित क्षेत्र की महिलाएँ आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं।

महिला सशक्तिकरण की प्रमुख बाधाएँ:

1. लैंगिक भेदभाव
2. घरेलू हिंसा
3. दहेज प्रथा
4. बाल विवाह
5. शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी
6. सामाजिक रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक मानसिकता
7. कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी
8. इन बाधाओं के कारण महिलाएँ पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पातीं।

न्यायिक दृष्टिकोण – भारतीय न्यायपालिका ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं:

1. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) – कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश।
2. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) – विवाह और पुनर्विवाह से संबंधित अधिकार।
3. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) – तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया।
4. इन निर्णयों ने महिला अधिकारों को सशक्त कानूनी आधार प्रदान किया है।

महिला सशक्तिकरण का सामाजिक प्रभाव – महिलाओं की शिक्षा और

आर्थिक भागीदारी से परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारी है। महिलाएँ अब निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे समाज में संतुलन, समानता और न्याय की भावना को बल मिला है।

भावी संभावनाएँ :

1. भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभी भी बहुत कार्य शेष है।
2. शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना होगा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी।
4. डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा।
5. कानूनों के सख्त अनुपालन और न्यायिक पहुँच में सुधार आवश्यक है।

निष्कर्ष – महिला सशक्तिकरण किसी समाज की प्रगति का दर्पण है। भारत ने इस दिशा में लंबी यात्रा तय की है, किंतु अभी मंज़िल दूर है। जब तक महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान भागीदारी नहीं करेंगी, तब तक सच्चे अर्थों में लोकतंत्र और विकास संभव नहीं। सरकार, समाज और परिवारकृ तीनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिले। महिला सशक्तिकरण केवल नारी की नहीं, पूरे राष्ट्र की उन्नति का मार्ग है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संविधान, 1950
2. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
3. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
4. राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट, 2023
